पंचदश माला, खंड 23, अंक 2

मंगलवार, 13 मार्च, 2012
23 फाल्गुन, 1933 (शक)

12-13 मार्च 2012

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 85
Dated 10 Sept 2014

(खंड 23 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

# सम्पादक मण्डल


टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

राजीव शर्मा
सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक



© 2012 लोक सभा सचिवालय


हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।


लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

# विषय-सूची

*[पंचदश माला, खंड 23, दसवां सत्र, 2012/1933 (शक)]*

**अंक 2, मंगलवार, 13 मार्च, 2012/23 फाल्गुन, 1933 (शक)**


| विषय | कॉलम |
|---|---|
| **सदस्यों द्वारा निवेदन** | 1–2 |
| श्रीलंका के तमिलों पर अत्याचारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में संयुक्त राज्य अमरीका के संकल्प पर भारत के रुख के संबंध में | 1–2 |
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | 2–39 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 4 | 2–39 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | 40–1067 |
| तारांकित प्रश्न संख्या 5 से 20 | 40–160 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230 | 159–1067 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | 1067–1070 |
| **विधेयकों पर अनुमति** | 1070–1071 |
| 49वां प्रतिवेदन | 1070–1071 |
| **मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति** | 1071 |
| (एक) 241वां प्रतिवेदन | 1071 |
| (दो) साक्ष्य | 1071 |
| **कार्य मंत्रणा समिति** | 1072 |
| 34वां प्रतिवेदन | 1072 |
| **मंत्री द्वारा वक्तव्य** | 1072–1073 |
| वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति | |
| श्री प्रणब मुखर्जी | 1072–1073 |
| **समितियों के लिए निर्वाचन** | 1074–1076 |
| (एक) प्राक्कलन समिति | 1073 |
| (दो) लोक लेखा समिति | 1073–1074 |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

| विषय | कॉलम |
|---|---|
| (तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ........ | 1074–1075 |
| (चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति ........ | 1075–1076 |
| **नियम 377 के अधीन मामले** ........ | 1077–1089 |
| (एक) राजस्थान के भरतपुर जिले को यमुना नदी के पानी का उचित हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता | |
| श्री रतन सिंह ........ | 1077 |
| (दो) देश में नर्सों की सेवा-शर्तों में सुधार के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता | |
| श्री एंटो एंटोनी ........ | 1077–1078 |
| (तीन) हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं बढ़ाएं जाने की आवश्यकता | |
| श्रीमती श्रुति चौधरी ........ | 1078–1079 |
| (चार) कर्नाटक के चामराजनगर जिले में एक स्पाइस पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री आर. ध्रुवनारायण ........ | 1079 |
| (पांच) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संघटकों के लिए निधि का आवंटन तथा व्यय हेतु तैयार किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री पन्ना लाल पुनिया ........ | 1079–1080 |
| (छह) तमिलनाडु और पुडुचेरी में "थाणे" चक्रवात के गंभीर प्रकोप के कारण जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिए जाने तथा उनके लिए आवश्यक राहत उपाय करने की आवश्यकता | |
| श्री पी. विश्वनाथन ........ | 1080–1081 |
| (सात) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के लिए स्वीकृत एक नया केन्द्रीय विद्यालय शीघ्र खोले जाने की आवश्यकता | |
| डॉ. निर्मल खत्री ........ | 1081 |
| (आठ) उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सहायक नहर 'शारदा' का मरम्मत कार्य करने तथा तत्पश्चात् सिंचाई प्रयोजनों के लिए नहर में पर्याप्त मात्रा में जल छोड़े जाने की आवश्यकता | |
| डॉ. संजय सिंह ........ | 1082 |
| (नौ) राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में जिन किसानों की फसलें पाले और शीतलहर के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उन्हें पर्याप्त प्रतिकर दिए जाने की आवश्यकता | |
| श्री देवजी एम. पटेल ........ | 1082 |
| (दस) गुजरात के गिर क्षेत्रों में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए एक दीर्घावधि कार्यक्रम विकसित किए जाने की आवश्यकता | |
| डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी ........ | 1082–1083 |

| विषय | कॉलम |
|---|---|
| (ग्यारह) मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुरार छावनी के अंतर्गत नागरिकों द्वारा बसाए गए क्षेत्रों को सिविल क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता | |
| श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया | 1083–1084 |
| (बारह) उत्तर प्रदेश में वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन कार्य पूरा करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता | |
| डॉ. मुरली मनोहर जोशी | 1084 |
| (तेरह) उत्तर प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण हर वर्ष आने वाली बाढ़ रोकने के लिए हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा, रामगंगा, गारा, गंभीरी और कुंडा नदियों को आपस में जोड़ने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता | |
| श्रीमती ऊषा वर्मा | 1084–1085 |
| (चौदह) उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मादरशाह की मजार को विकसित करने तथा उस स्थान पर बेहतर सड़क और रेल सम्पर्क प्रदान किए जाने तथा इसके साथ-साथ उक्त स्थल पर मूल पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता | |
| श्री अशोक कुमार रावत | 1085 |
| (पन्द्रह) बिहार के नालन्दा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाली रेलगाड़ियों में स्वास्थ्यकर भोजन दिए जाने की आवश्यकता | |
| श्री कौशलेन्द्र कुमार | 1085 |
| (सोलह) देश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के शिक्षा ऋण माफ किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री आर. थामराईसेलवन | 1086 |
| (सत्रह) केरल में कोझीकोड और पालक्काड़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 213 पर कुंथीपुझा पुल चौड़ा किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री एम.बी. राजेश | 1086–1087 |
| (अठारह) आंध्र प्रदेश में गुंटूर और विजयवाड़ा के बीच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी | 1087 |
| (उन्नीस) पंजाब के जल और उत्पादित बिजली का राजस्थान और हरियाणा के बीच वितरण किए जाने का मुद्दा उच्चतम न्यायालय में न्यायनिर्णयन के लिए भेजे जाने की आवश्यकता | |
| डॉ. किरोड़ी लाल मीणा | 1087–1089 |
| **राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव** | 1089–1200 |
| डॉ. गिरिजाव्यास | 1090–1106 |
| डॉ. शशी थरूर | 1108–1123 |
| श्री राजनाथ सिंह | 1124–1138 |

| विषय | कॉलम |
|---|---|
| श्री शैलेन्द्र कुमार | 1138–1147 |
| श्री गोरखनाथ पाण्डेय | 1147–1154 |
| श्री शरद यादव | 1154–1163 |
| श्री कल्याण बनर्जी | 1163–1168 |
| श्री बसुदेव आचार्य | 1168–1178 |
| श्री अनंत गंगाराम गीते | 1178–1186 |
| श्री संजय सिंह चौहान | 1186–1187 |
| श्री प्रबोध पांडा | 1187–1190 |
| श्री नामा नागेश्वर राव | 1190–1194 |
| श्री कोडिकुन्नील सुरेश | 1194–1200 |
| श्री सैयद शाहनवाज हुसैन | 1200 |
| **अनुबंध-I** | |
| तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका | 1217 |
| अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका | 1218–1226 |
| **अनुबंध-II** | |
| तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका | 1227–1228 |
| अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका | 1227–1228 |

# लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्रीमती मीरा कुमार

**उपाध्यक्ष**

श्री कड़िया मुंडा

**सभापति तालिका**

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

डॉ. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

**महासचिव**

श्री टी.के. विश्वानाथन

# लोक सभा वाद-विवाद

## लोक सभा

मंगलवार, 13 मार्च, 2012/23 फाल्गुन, 1933 (शक)

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

## सदस्यों द्वारा निवेदन

### श्रीलंका के तमिलों पर अत्याचारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में संयुक्त राज्य अमरीका के संकल्प पर भारत के रूख के संबंध में

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री टी.आर. बालू:** अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के विरुद्ध अमरीका समर्थित संकल्प का समर्थन करना चाहिए *...(व्यवधान)* मैंने इस विषय पर चर्चा के लिए नियम 193 के अंतर्गत एक सूचना दी है *...(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.01 बजे**

*इस समय, श्री आधि शंकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।*

*...(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न $11.01^1/_2$ बजे**

*इस समय, श्री पी. कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।*

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)* *

**अध्यक्ष महोदया:** सभा की नेता कुछ कहना चाहती हैं। कृपया अपनी सीट पर वापस चले जाएं।

*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**पूर्वाह्न 11.03 बजे**

*इस समय, श्री आधि शंकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।*

*...(व्यवधान)* *

**पूर्वाह्न $11.03^1/_2$ बजे**

*इस समय, श्री पी. कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।*

**वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** अध्यक्ष महोदया, लिट्टे के विरुद्ध लड़ाई के दौरान श्रीलंका द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर, जिस पर माननीय सदस्य आंदोलित हो रहे हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता की बात है, उस मामले की संवेदनशीलता से हम भलीभांति परिचित हैं। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठक में इस संबंध में एक संकल्प लाए जाने की संभावना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डा. करूणानिधि को लिखे पत्र में सरकार ने अपनी स्थिति के बारे में पहले ही विस्तार से बता दिया है। प्रधानमंत्री ने दो पत्र लिखे हैं, एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को और दूसरा डा करूणानिधि को। सर्वप्रथम अभी कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है और केवल इस मामले में ही नहीं सभी मामलों में भारत की पारम्परिक स्थिति यह होती है कि सामान्यतया हम किसी देश विशेष के संकल्प का समर्थन नहीं करते हैं। किंतु इस मुद्दे पर क्या निर्णय लिया जाए इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठक का समय निर्धारित होने के समय किया जाएगा। किंतु यदि माननीय सदस्य इस मुद्दे पर कोई अन्य स्पष्टीकरण या विस्तार से चर्चा चाहते हैं तो मैं विदेश मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे एक संक्षिप्त वक्तव्य दें।

---

**पूर्वाह्न 11.05 बजे**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न संख्या 1, श्री ए.टी. नाना पाटील।

*[हिन्दी]*

### कृषि व्यवसाय

+
***1. श्री ए.टी. नाना पाटील:**
**श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि व्यवसाय के रूप में अलाभकारी हो गया है और देश में अनेक किसान कृषि के प्रति रुचि नहीं दिखा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने अनेक किसानों द्वारा विशेषकर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में कथित रूप से ''क्राप हॉलिडे'' की ओर ध्यान दिया है क्योंकि कृषि अलाभकारी व्यवसाय हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कृषि को अर्थक्षम व्यवसाय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

*[अनुवाद]*

**कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 1951 से प्रत्येक दशक में कृषकों और कृषि मजदूरों की कुल संख्या में वृद्धि होती रही है। इसी प्रकार हाल के वर्षों में कुल फसली क्षेत्र में भी वृद्धि होती रही है। सरकार कृषि क्षेत्र में फिर से जान डालने के लिए विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमें कार्यान्वित करती रही है तथा इसने उत्पादकता, लाभप्रदता और कृषि की आर्थिक क्षमता में सुधार करने तथा साथ ही ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार सुविधाओं को सृजित करने के उद्देश्य से कृषि संबंधी नीति को पुनः उन्मुख करने सहित उपाय शुरू किए हैं।

(ग) से (ङ) आंध्र प्रदेश सरकार ने यह सूचित किया है कि पूर्वी गोदावरी जिले में अमलापुरम मंडल के मध्य डेल्टा क्षेत्र में किसानों ने वर्ष 2011 के दौरान खरीफ फसल न लगाने का फैसला किया है तथा समय पूर्व रबी फसल को तरजीह देते हुए क्रॉप हॉलिडे घोषित किया है। इस क्षेत्र के किसान कृषि आदानों पर वर्धित राजसहायता, मुख्य किस्मों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा अधिप्राप्ति और विपणन तंत्र को कारगर बनाने की मांग करते रहे हैं। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि इन किसानों की शिकायतों पर विचार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई हैं:-

(1) खरीप 2010 में फसल ऋणों हेतु 7 प्रतिशत की ब्याज माफी, जिसमें 39.54 करोड़ रुपए शामिल हैं, स्वीकृत की गई, निर्गत की गई तथा इसे किसानों के खातों में समायोजित किया गया।

(2) वर्ष 2011 से आगे पूर्वी-गोदावरी जिले को संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में शामिल किया गया तथा फसल बीमा हेतु 46.00 करोड़ रुपए की धनराशि निर्गत की गई।

(3) 75 प्रतिशत राजसहायता पर 32,328 क्विंटल धान के बीज की आपूर्ति, जिसका मूल्य 436.42 लाख रुपए बनता है।

(4) खरीफ 2011 और रबी 2011-12 के दौरान 50 प्रतिशत राजसहायता की दर से उर्वरकों की आपूर्ति, जिसमें 977.59 लाख रुपए की धनराशि शामिल है।

(5) राजसहायता पर कृषि उपकरणों की आपूर्ति के लिए पूर्वी-गोदावरी जिले को 501.71 लाख रुपए मंजूर करना।

(6) इसके अलावा खोले गए नए अधिप्राप्ति केन्द्रों के जरिए धान की खरीद, सिंचाई/नहर सरणियों की मरम्मत और रखरखाव, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत संकर्मों का कैलेण्डर तैयार करने तथा आदर्श (मॉडल) किसानों के जरिए क्राप हॉलि-डे की हानियों पर जागरूकता सृजन हेतु उपाय शुरू किए गए हैं।

भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को पुनः सक्रिय बनाने के उद्देश्य से कई व्यापक उपाय किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

* क्रमशः 25000 करोड़ रुपए और 4882.48 करोड़ रुपए के परिव्यय से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) शुरू करके 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में वर्धित निवेश।

* कृषि आय, आजीविका सुरक्षा और रोजगार सृजन में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) और उत्तर-पूर्व तथा हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) के जरिए मिशन मोड में बागवानी का संवर्धन।

* कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 का अनुमोदन।

* विद्यमान योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन, विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और सूक्ष्म सिंचाई स्कीम जैसी विद्यमान स्कीम को मजबूत बनाना।

* 65,318.33 करोड़ रुपए की राहत/माफी से लगभग 369 लाख किसानों को लाभ देने के लिए कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम, 2008 का कार्यान्वयन।

* चार राज्यों, नामत: आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में आत्महत्या संभावित 31 जिलों के लिए 16978.69 करोड़ रुपए के पुनर्वास पैकेज का कार्यान्वयन।

* कृषि को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए हाल के वर्षों में विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि।

* वर्ष 2003-04 में 86,981 करोड़ रुपए से वर्ष 2010-11 में 4,68,291 करोड़ रुपए कर के कृषि क्षेत्र हेतु ऋण प्रवाह में सुधार।

* ऐसे किसान जो समय पर भुगतान करते है, उनके लिए 3 लाख रुपए फसल ऋण पर ब्याज की दर कम करके 4 प्रतिशत प्रति वर्ष करना।

* केन्द्रीय बजट 2010-11 और 2011-12 में पूर्वी क्षेत्र तक हरित क्रांति को ले जाना, वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन ग्रामों का विकास, आयलपाम का संवर्धन, सब्जी समूहों से संबंधित पहल, गहन कदन्न संवर्धन के जरिए पोषाहारीय सुरक्षा हेतु पहल, प्रोटीन पूरकों हेतु राष्ट्रीय मिशन और त्वरित चार विकास कार्यक्रम आदि जैसे नए प्रयासों की घोषणा।

*[हिन्दी]*

**श्री ए.टी. नाना पाटील:** अध्यक्ष महोदया, इस देश में सभी क्षेत्रों में उत्पादकों को उत्पादित किए हुए माल की कीमत तय करने का और मुनाफा कमाने का अधिकार है। मगर इस देश में किसानों को अपने उत्पादित किए हुए माल का, उसकी कीमत तय करने का कोई अधिकार नहीं है। आज देश में किसानों का उत्पादित खर्च हर साल बढ़ता जा रहा है और देश में जो किसानों का उत्पादित किया हुआ माल है, उसके ऊपर हमारी जो निर्यात नीति है, वह आज भी हम तय नहीं कर पाए हैं। हमारे कृषि मंत्री भी उसके ऊपर नाराज हैं। हमारे कपास का जो निर्यात बंद किया गया था, उससे महाराष्ट्र में बहुत सारे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। हर साल देश में सभी फसल आधी पैदा हो रही है और उत्पादित माल का खर्च बढ़ता जा रहा है। किसानों के लिए घाटे का सौदा हो गया है। ऐसी ही स्थिति रही तो किसान एक दिन अपनी खेती करना छोड़ देगा।

इसके लिए मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में क्या कोई कदम उठा रही है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

**श्री शरद पवार:** इसकी कीमत देने के बारे में एक इंडिपेंडेंट मशीनरी है, वह हर राज्य सरकार की सरकार लेती है, किसानों के संगठन की सलाह लेती है और वह भारत सरकार को उनकी सिफारिशें देती हैं। इसके आधार पर भारत सरकार कीमत तय करती है। जो कीमत तय होती है, अगर मार्केट में किसानों को इससे ज्यादा पैसे देने का कोई श्रेय लेता है तो इसमें यह संस्था कभी इन्टरफेयर नहीं करती। जहां तक कपास की बात है, जो सदस्य ने यहां कहा कि कपास की कीमत 3000 रुपए या 3200 रुपए या 3400 रुपए के आसपास है। पिछले साल यह कीमत 4000 रुपए तक गयी थी। सरकार ने इसे रोकी नहीं। अगर वहां इससे ज्यादा कीमत उन्हें मिलने की स्थिति हो तो उन्हें वह लेने का अधिकार है। सरकार मिनिमम सपोर्ट तय करती है। अगर किसानों को मिनिमम के ऊपर मिलने की स्थिति है तो वह ले सकता है।

**श्री ए.टी. नाना पाटील:** महोदया, एन.एस.एस.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार देश के 41 प्रतिशत किसान उचित विकल्प मिलने पर किसानी छोड़ने को तैयार हुए हैं। ऐसी हालत में किसानों पर क्रॉप हॉली-डे की बारी आयी है। इसके ऊपर सरकार क्या सोचती है?

**श्री शरद पवार:** महोदया, ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश में एक डिवीजन है अमलापुरम। अमलापुरम डिवीजन में किसानों ने वहां की सरकार को नोटिस दी थी कि हम खरीफ की हंगाम में पैडी का क्रॉप नहीं लेंगे, हम रबी का क्रॉप लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कुछ मांगे की थी। उन मागों को पूरा करने के बारे में आंध्र प्रदेश ने एक छोटी कमेटी बनाई, इसकी रिकमेन्डेशंस आई। उन रिकमेन्डेशंस को आंध्र प्रदेश की सरकार ने स्वीकार किया और वहां की जो समस्याएं थीं, वे हल हो गयीं।

**श्री मनसुखभाई डी. वसावा:** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वैसे तो भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को पुन: सक्रिय बनाने के उद्देश्य से बहुत सारे उपाय बताए हैं। उसमें सूक्ष्म सिंचाई स्कीम जैसी विद्यमान स्कीम को मजबूत बनाने के साथ-साथ केन्द्रीय बजट वर्ष 2010-11 और वर्ष 2011-12 में पूर्वोत्तर क्षेत्र की तरफ हरित क्रांति को ले जाने जैसी अनेक योजनाएं सरकार ने बनायी है। फिर भी आज देश के महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य हैं, वे सारी स्कीमें होते हुए भी उन्हें सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलती। सिंचाई हेतु पानी न मिलने की वजह से वहां के किसान वर्षा आधारित खेती के तुरंत बाद बाकी के समय में मजदूरी करने का अन्य पेशा करने के लिए शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं।

मैं आपसे वह जानना चाहता हूं कि बिना सिंचाई वाली खेती को सिंचाई आधारित बनाने के लिए क्या आप नए बजट में कोई प्रावधान लेकर आ रहे हैं या नहीं?

**श्री शरद पवार:** महोदया, यह बात सच है कि अपने देश में 40 प्रतिशत जमीन ऐसी है जहां एश्योर्ड इरीगेशन, एश्योर्ड वाटर का बंदोबस्त है और वह 40 प्रतिशत सिंचित भूमि देश के 60 प्रतिशत अनाज का उत्पादन तैयार करती है। देश में 60 प्रतिशत जमीन ऐसी है, जहां पानी के बारे में हमेशा मानसून की अनसर्टेन्टी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। वहां इरीगेशन का प्रोग्राम लेने की जिम्मेदारी हर राज्य सरकार की है। हर राज्य सरकार ने जो भी कोई कदम उठाने के लिए तैयार की है, उसको यहां से अच्छे-अच्छे इरीगेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से फाइनेंशल सपोर्ट भी होता है। इस देश की पूरी खेती इरीगेटेड नहीं है, यह बात सच है कि जब तक पूरा इरीगेशन का प्रोग्राम हाथ में नहीं लिया जाएगा, सभी राज्यों में इसमें वृद्धि नहीं होगी, तब तक इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा।

*[अनुवाद]*

**श्री जी.वी. हर्ष कुमार:** आदरणीय महोदया, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमलापुरम के किसानों ने जुलाई, 2011 में फसल अवकाश की घोषणा की थी। लगभग 13 मंडलों के किसानों ने फसल अवकाश आंदोलन में भाग लिया था। लगभग 84000 एकड़ भूमि प्रभावित हुई थी। उनकी मुख्य मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और खरीद में वृद्धि करने की थी। आंध्र प्रदेश में चक्की मालिक, एफसीआई की ओर से धान की खरीद करते हैं। वे चाहते हैं कि एफसीआई धान की सीधे खरीद करे। आंदोलन के बाद, राज्य सरकार ने तेजी से कार्यवाही की और तत्काल क्षेत्र में फसल अवकाश की स्थिति संबंधी समस्याओं का आकलन करने के लिए पूर्व मुख्य सचिव श्री मोहन काण्डा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भेजी। केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले को छोड़कर जिसके लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है, समिति ने किसानों की लगभग सभी मांगों का समर्थन किया है।

**अध्यक्ष महोदया:** आप अपना प्रश्न पूछिये।

**श्री जी.वी. हर्ष कुमार:** महोदया, ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि यह मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुआ।

**अध्यक्ष महोदया:** मैं जानती हूं। कृपया संक्षेप में बोलें और अपना पूश्न पूछें।

**श्री जी.वी. हर्ष कुमार:** ठीक है, महोदया।

उनकी मुख्य मांगे यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त पूर्व गोदावरी जिले में गोदामों का निर्माण करके भंडारण क्षमता में वृद्धि की जाए तथा किसानों को फसल बीमा योजना की धनराशि तुरंत जारी की जाए। वर्तमान में, किसानों से फसल बीमा राशि दोनों प्रकार की फसलों के लिये ली जाती है। बीमे के प्रीमियम की दर खरीफ और रबी दोनों फसलों पर लागू होनी चाहिये और रबी की फसल पर बीमा राशि नहीं ली जानी चाहिये।

मेरा प्रश्न यह है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार पूरे देश के लिये एफसीआई से खरीद की एक समान खरीद नीति अपनाए जाने पर विचार कर रही है। क्योंकि आंध्र प्रदेश में अप्रभावी खरीद प्रणाली का किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, क्या सरकार किसानों के हित में 2033 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में घोषित करेगी और निर्यात नीति की भी अग्रिम घोषणा करेगी ताकि किसान उसकी के अनुरूप अपनी विक्रय संबंधी गतिविधियों की योजना बना सकें।

**श्री शरद पवार:** देखिए, पूरे भारत में खरीद राज्यों की कुछ सहकारी एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। हम पंजाब या हरियाणा जो प्रमुख उत्पादक हैं, का मामला लेते हैं। पंजाब सहकारी एजेंसी खरीद करती है और इसे एफसीआई को सौंपता है। हरियाणा में हरियाणा सहकारी एजेंसी खरीद करती है और एफसीआई को सौंपती है। इस प्रकार यही स्थिति सभी राज्यों पर लागू होती है। एफसीआई के लिये यह संभव नहीं है कि वह पूरे देश में अपने केन्द्र खोले। हमारे पास कोई तंत्र नहीं है। यह कार्य राज्यों द्वारा किया जाता है और इसके लिये राज्यों की धन संबंधी आवश्यकताओं को एफसीआई पूरा करता है।

यही स्थिति आंध्र प्रदेश में भी है। किंतु आंध्र प्रदेश में मिल मालिक इकट्ठा करते हैं और एफसीआई को सौंपते हैं। आज भी यही स्थिति चल रही है। अमलापुरम द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के सम्मुख रखी गई अधिकांश मांगे पुरी कर दी गई हैं, उनका कार्यान्वयन हो चुका है और मामला सुलझ गया है।

*[हिन्दी]*

**श्री रेवती रमण सिंह:** महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा आपने बताया कि किसानों को जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन रिकमेंडेशन करता है, उसके आधार पर आप तय करते हैं कि क्या कीमत किसानों को दी जाए, लेकिन मान्यवर आपकी यह भी जिम्मेदारी है कि किसानों से उनका उत्पाद खरीदा जा रहा है या नहीं। आपने कह दिया कि एफसीआई सब जगह खरीद नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले पांच साल में सही दाम पर कहीं किसानों से नहीं खरीदा गया और

बिचौलियों के माध्यम से किसानों ने अपना उत्पाद बेचा। ...*(व्यवधान)* पूरे देश में ऐसा ही है। ...*(व्यवधान)* मान्यवर, उसी के साथ-साथ ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** उनको प्रश्न पूछने दीजिए। आप क्यों बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** आ बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

**श्री रेवती रमण सिंह:** महोदया, पूरे देश में ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश, बिहार या कोई और प्रांत हो, हर प्रांत में यह समस्या है। मैं आपसे जानना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** उनको प्रश्न पूछने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

**श्री रेवती रमण सिंह:** अभी आपने देखा कि हर प्रांत के सांसद बोल रहे हैं कि सही दाम पर नहीं खरीदा जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** आप क्या कर रहे हैं? बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

**श्री रेवती रमण सिंह:** उसका नतीजा है कि किसान ने जो इतना अनाज पैदा किया है, इतना रिकार्ड उत्पादन किया है, किसान अब खेती करने के लिए तैयार नहीं है। इसका बहुत बुरा असर आगे आने वाले उत्पादन पर पड़ेगा। मंत्री जी, क्या इसका कोई सार्थक उपाय आपके पास है या नहीं, जिससे किसानों का सही दाम दर उत्पाद खरीदा जा सके?

**श्री शरद पवार:** महोदया, जहां तक परचेज करने की बात है, मैंने कहा कि आज देश में एक सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी परचेज करके एफसीआई को देती है, एफसीआई इसका पेमेंट करता है। सभी राज्यों में यही स्थिति है।

**अध्यक्ष महोदया:** डॉ. रत्ना डे।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**डॉ. रत्ना डे:** धन्यवाद महोदया। वर्ष 1991 में हमने निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण आदि सभी प्रयोग किये ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदया:** आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** आप बैठ जाइए, यह बहुत गंभीर विषय है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** बैठ जाइए। ऐसा नहीं करते हैं।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** तूफानी सरोज जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

**डॉ. रत्ना डे:** 1991 में हमने निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण आदि सभी प्रयोग किये ...*(व्यवधान)* हमने 20 वर्षों की इस ऊंची उड़ान का जश्न मनाया ...*(व्यवधान)* अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिये हमने अनेक प्रयास किये। किंतु विकास के इस पूरे दौर में हमारे किसानों की क्या स्थिति रही ...*(व्यवधान)*

हाल ही में सरकार ने जूट और यूरिया को छोड़कर शेष सभी उर्वरकों पर राज सहायता बंद कर दी है ...*(व्यवधान)* क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या की जीविका का साधन कृषि है; कृषि के प्रति लोगों का रुझान पैदा करने के लिये क्या अनुसंधान और वैज्ञानिक कार्य किये गये हैं?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री शरद पवार:** महोदया, भारत जैसे देश में जहां 82% खेती दो हेक्टेयर जोत से कम में होती है और उसमें से 60% कृषि के लिये सिंचाई हेतु पानी सदैव उपलब्ध नहीं होता, ऐसी स्थिति में यदि आप खेती करते रहते हैं जो कि वर्षा आधारित होती है, यह आवश्यकता है कि कृषक समुदाय के लिये गंभीर समस्याएं होंगी जिनका अनुभव हम आज भी करते हैं।

**श्री पी. करूणाकरन:** महोदया, माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर में किसानों को राहत पहुंचाने के लिये सरकार द्वारा उठाए गये कदमों का उचित वर्णन किया गया है।

किंतु फिर भी देश के विभिन्न भागों से किसानों के आत्महत्याएं करने की खबरें आई हैं। बताया गया है कि पिछले 10-15 वर्षों में लगभग 2 करोड़ 58 लाख लोगों ने आत्महत्या की है। अब यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।

महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस विषय पर कोई गहन अध्ययन कराया है। यदि हां, तो इन आत्महत्याओं के पीछे असली कारण क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों ने गरीब किसानों को राहत देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग या आग्रह किया है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन से हैं?

**श्री शरद पवार:** इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है किंतु राज्य सरकारों से कई निवेदन आये हैं जिन्हें हम समर्थन अवश्य देंगे।

इसीलिये "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" नामक एक नई योजना आरम्भ की गई है जिसके अंतर्गत 25000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है तथा राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी हिस्सेदारी का प्रतिशत स्वयं नियत करें। इन योजनाओं के माध्यम से नियमित रूप से सभी राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न संख्या 2-श्री एम.के. राघवन।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदया:** आप लोग क्या कर रहे हैं?

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** कृपया आप सभी बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)* *

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदया:** आप लोग खड़े क्यों हो गए? आप सभी बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** आप लोगों को क्या चाहिए?

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)* *

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदया:** मैं समझ रही हूं और पूरा सदन इसको लेकर चिंतित है। हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग इसको लेकर उद्वेलित हैं और जो मैं समझ पायी हूं कि आप लोग इस पर अलग से चर्चा चाहते हैं तो आप नोटिस दे दीजिए। हम इस पर चर्चा करवा देंगे।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न संख्या 2-श्री एम.के. राघवन।

### शहरी निर्धनों को रोजगार

***2. श्री एम.के. राघवन:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केरल सहित देश में बेरोजगार निर्धन लोगों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) तत्संबंधी रोजगार मुहैया कराने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान शहरी बेरोजगार व्यक्तियों हेतु स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की कुल संख्या सहित स्वीकृत, जारी की गई धनराशि, किए गए वास्तविक व्यय और हासिल किए गए लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

### *विवरण*

(क) और (ख) आवास और शहरी उपशमन मंत्रालय, केरल समेत अखिल भारतीय आधार पर वर्ष 1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) कार्यान्वित कर रहा है। 1 अप्रैल, 2009 को इस स्कीम को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। इस संशोधित स्कीम का उद्देश्य शहरी बेरोजगार और अर्द्ध रोजगार प्राप्त गरीबों को, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे शहरी गरीबों द्वारा स्वरोजगार उद्यम लगाने में सहायता करके, कौशल प्रशिक्षण देकर तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण में उनके श्रम का उपयोग करके उन्हें लाभप्रद रोजगार देना है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के प्रमुख घटकों के तहत राज्य-वार आबंटित, जारी निधि, वास्तविक व्यय और वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I और II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने बड़ी मात्रा में कौशल उन्नयन करने, उद्यमवृत्ति विकास समर्थ बनाने और मजदूरी रोजगार तथा स्व-रोजगार का अवसर मुहैया करने के लिए विद्यमान एसजेएसआरवाई को एक राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एनयूएलएम) के रूप में स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव किया है।

## *अनुबंध I*

*वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत आबंटित एवं जारी केन्द्रीय धनराशि और व्यय*

(लाख रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2008-09 | | | 2009-10 | | | 2010-11 | | | 2011-12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | केन्द्रीय अनन्तिम आबंटन | जारी केन्द्रीय वास्तविक राशि | सूचित व्यय (केन्द्रीय अंश) | केन्द्रीय अनन्तिम आबंटन | जारी केन्द्रीय वास्तविक राशि | सूचित व्यय (केन्द्रीय अंश) | केन्द्रीय अनन्तिम आबंटन | जारी केन्द्रीय वास्तविक राशि | सूचित व्यय (केन्द्रीय अंश)* | केन्द्रीय अनन्तिम आबंटन | जारी केन्द्रीय वास्तविक राशि | सूचित व्यय (केन्द्रीय अंश)$ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3115.78 | 4327.22 | 4327.22 | 3390.53 | 3390.53 | 3390.53 | 3790.43 | 5226.02 | 5226.02 | 4827.60 | 4827.60 | 4827.60 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 222.53 | 0.00 | 0.00 | 207.85 | 103.93 | 103.93 | 201.79 | 201.79 | 103.93 | 259.97 | 129.99 | 0.00 |
| 3. | असम | 2956.48 | 2947.90 | 2947.90 | 2956.05 | 1478.03 | 1478.03 | 2869.96 | 2869.96 | 2869.96 | 3274.79 | 1637.40 | 0.00 |
| 4. | बिहार | 1855.09 | 1980.98 | 1980.98 | 1790.24 | 895.12 | 895.12 | 2001.40 | 2001.40 | 0.00 | 3158.72 | 1579.36 | 30.01 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 1122.37 | 637.36 | 637.36 | 1075.14 | 881.30 | 881.30 | 1201.95 | 1201.95 | 1201.95 | 1342.71 | 1342.71 | 671.35 |
| 6. | गोवा | 110.94 | 0.00 | 0.00 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 101.24 | 0.00 | 0.00 | 115.29 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | गुजरात | 1450.38 | 1548.80 | 1548.80 | 1501.44 | 1501.44 | 1501.44 | 1678.53 | 1928.53 | 924.75 | 3843.37 | 3843.37 | 0.00 |
| 8. | हरियाणा | 547.14 | 1334.27 | 1334.27 | 585.34 | 585.34 | 585.34 | 654.37 | 654.37 | 654.37 | 1597.70 | 1597.70 | 400.69 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 11.64 | 12.43 | 12.43 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 109.54 | 54.77 | 0.00 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 160.24 | 0.00 | 0.00 | 120.93 | 0.00 | 0.00 | 135.21 | 135.21 | 0.00 | 293.30 | 146.65 | 0.00 |
| 11. | झारखंड | 727.93 | 0.00 | 0.00 | 728.91 | 0.00 | 0.00 | 814.88 | 814.88 | 0.00 | 1627.99 | 814.00 | 0.00 |
| 12. | कर्नाटक | 3648.54 | 4896.14 | 4896.14 | 3524.71 | 3524.71 | 3424.71 | 3940.45 | 5376.04 | 3036.67 | 4874.28 | 4874.28 | 2585.39 |
| 13. | केरल | 953.22 | 1017.91 | 1017.91 | 948.13 | 948.13 | 948.13 | 1059.96 | 474.03 | 474.03 | 1376.53 | 1376.53 | 1034.46 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 4722.97 | 5043.48 | 5043.48 | 4087.96 | 4087.96 | 4087.96 | 4570.13 | 5914.80 | 4167.05 | 5719.08 | 1376.53 | 1034.46 |
| 15. | महाराष्ट्र | 8998.10 | 9608.72 | 9608.72 | 8075.96 | 8075.96 | 8075.96 | 9028.52 | 10464.11 | 3436.00 | 10304.04 | 10304.04 | 1832.56 |
| 16. | मणिपुर | 445.06 | 445.71 | 445.71 | 461.88 | 461.88 | 461.88 | 448.43 | 448.43 | 0.0 | 799.30 | 399.65 | 0.00 |
| 17. | मेघालय | 381.48 | 190.74 | 190.74 | 369.51 | 0.00 | 0.00 | 358.74 | 0.00 | 0.00 | 469.49 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | मिजोरम | 349.70 | 350.20 | 350.20 | 369.51 | 369.51 | 369.51 | 358.74 | 641.6 | 641.66 | 358.74 | 358.74 | 0.00 |
| 19. | नागालैंड | 286.11 | 286.53 | 286.53 | 277.13 | 277.13 | 277.13 | 269.06 | 419.06 | 134.53 | 269.06 | 269.06 | 0.00 |
| 20. | ओडिशा | 1664.03 | 1776.95 | 1776.95 | 1476.59 | 1476.59 | 1476.59 | 1650.75 | 1650.75 | 800.35 | 2083.28 | 2083.28 | 641.58 |
| 21. | पंजाब | 241.04 | 120.52 | 120.52 | 358.93 | 0.00 | 0.00 | 401.27 | 0.00 | 0.00 | 2275.11 | 2275.11 | 37.00 |
| 22. | राजस्थान | 2773.39 | 1574.91 | 1574.91 | 2623.52 | 1311.76 | 1311.76 | 2932.96 | 2932.96 | 518.63 | 4187.60 | 2093.80 | 488.15 |
| 23. | सिक्किम | 63.58 | 63.67 | 63.67 | 46.19 | 46.19 | 46.19 | 44.84 | 194.84 | 132.84 | 44.84 | 44.84 | 0.00 |
| 24. | तमिलनाडु | 4012.17 | 4284.44 | 4284.44 | 3817.38 | 3817.38 | 3817.38 | 4267.63 | 4267.63 | 3867.00 | 6346.09 | 6346.09 | 847.44 |
| 25. | त्रिपुरा | 445.06 | 248.84 | 4284.44 | 461.88 | 0.00 | 0.00 | 448.43 | 224.25 | 205.40 | 523.81 | 523.81 | 0.00 |
| 26. | उत्तराखंड | 530.71 | 566.72 | 566.72 | 488.70 | 488.70 | 488.70 | 546.34 | 546.34 | 0.00 | 583.96 | 291.98 | 0.00 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 6880.05 | 8846.94 | 8846.94 | 6462.43 | 6462.43 | 6462.43 | 7224.67 | 7224.67 | 7224.67 | 11119.01 | 11119.01 | 4248.55 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 1824.27 | 1948.07 | 1948.07 | 1940.44 | 1940.44 | 1940.44 | 2169.31 | 2169.31 | 2033.29 | 5764.81 | 5764.81 | 2489.87 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 43.55 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 18.75 | 0.00 | 23.34 | 23.34 | 9.17 |
| 30. | चंडीगढ़ | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 78.52 | 0.00 | 0.00 | 78.52 | 39.26 | 0.00 | 147.13 | 147.13 | 0.00 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 25.81 | 0.00 | 0.00 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 8.79 | 0.00 | 17.30 | 8.65 | 0.00 |
| 32. | दमन और दीव | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 16.41 | 0.00 | 0.00 | 16.41 | 0.00 | 0.00 | 12.23 | | 0.00 |
| 33. | दिल्ली | 92.20 | 0.00 | 0.00 | 93.34 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 175.00 | 0.00 |
| 34. | पुडुचेरी | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 150.00 | 75.00 | 0.00 |
| | कुल | 50750.00 | 54067.25 | 54067.25 | 48500.00 | 42160.85 | 42160.85 | 53620.00 | 58149.79 | 37653.10 | 78250.00 | 70246.78 | 22806.91 |

*राज्य/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्रों पर आधारित।

$राज्यों द्वारा दिसम्बर, 2011 को समाप्त तिमाही तक की तिमाही प्रगति रिपोर्टों में दर्ज व्यय पर आधारित।

## अनुबंध II

*वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के राज्य-वार और वर्ष-वार वास्तविक प्रगति*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2008-09 | | | | 2009-10 | | | | 2010-11 | | | | 2011-12* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निजी सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या | | कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या | | निजी सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या | | कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या | | निजी सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या | | कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या | | निजी सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या | | कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या | |
| | | लक्ष्य | उपलब्धियां | लक्ष्य | उपलब्धियां | लक्ष्य | उपलब्धियां | लक्ष्य | उपलब्धियां | लक्ष्य | उपलब्धियां | लक्ष्य | उपलब्धियां | लक्ष्य | उपलब्धियां | लक्ष्य | उपलब्धियां |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 8006 | 29156 | 10008 | 45369 | 1615 | 7389 | 12920 | 23914 | 1900 | 9005 | 15200 | 26753 | 4417 | 10145 | 17580 | 85601 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 12 | 0 | 15 | 0 | 2 | 16 | 19 | 20 | 3 | 12 | 22 | 28 | 394 | 89 | 231 | 213 |
| 3. | असम | 164 | 479 | 205 | 420 | 34 | 472 | 269 | 420 | 40 | 0 | 317 | 0 | 4598 | 126 | 2890 | 540 |
| 4. | बिहार | 4767 | 1347 | 5958 | 2315 | 853 | 0 | 6822 | 0 | 1003 | 0 | 8026 | 17134 | 3515 | 0 | 14008 | 302 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 2884 | 1522 | 3605 | 1909 | 512 | 1993 | 4097 | 1083 | 602 | 1862 | 4820 | 3701 | 1154 | 1201 | 4600 | 8065 |
| 6. | गोवा | 285 | 655 | 356 | 1570 | 43 | 0 | 345 | 0 | 51 | | 406 | | 148 | 0 | 589 | 0 |
| 7. | गुजरात | 3727 | 8008 | 4659 | 4039 | 715 | 19324 | 5721 | 23754 | 841 | 8015 | 6731 | 31517 | 3608 | 8914 | 14363 | 43088 |
| 8. | हरियाणा | 1406 | 2052 | 1757 | 5745 | 279 | 3348 | 2230 | 5495 | 328 | 1606 | 2624 | 4724 | 1355 | 451 | 5400 | 1874 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 30 | 122 | 37 | 199 | 6 | 16 | 46 | 149 | 7 | 2 | 54 | 25 | 50 | 0 | 103 | 0 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 412 | 339 | 515 | 3357 | 58 | 0 | 461 | 0 | 68 | | 542 | | 247 | 0 | 983 | 1380 |
| 11. | झारखंड | 1870 | 0 | 2338 | 0 | 347 | 364 | 2778 | 209 | 408 | 402 | 3268 | 2874 | 1337 | 81 | 5328 | 438 |
| 12. | कर्नाटक | 9375 | 17536 | 11719 | 13462 | 1679 | 3541 | 13431 | 15853 | 1975 | 3527 | 15801 | 13397 | 4362 | 2395 | 17386 | 8894 |
| 13. | केरल | 2449 | 3820 | 3062 | 3632 | 452 | 813 | 3613 | 2696 | 531 | 1065 | 4250 | 3190 | 1345 | 1638 | 5362 | 3950 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 12136 | 5272 | 15170 | 16493 | 1947 | 15232 | 15577 | 33088 | 2291 | 16743 | 18326 | 31439 | 5299 | 6909 | 21118 | 20445 |
| 15. | महाराष्ट्र | 23121 | 49482 | 28902 | 55523 | 3847 | 6074 | 30774 | 40693 | 4527 | 7449 | 36203 | 38669 | 9979 | 2832 | 39770 | 2256 |
| 16. | मणिपुर | 25 | 7 | 31 | 737 | 5 | 8 | 42 | 2469 | 6 | 8 | 50 | 97 | 1068 | 0 | 707 | 10745 |
| 17. | मेघालय | 21 | 99 | 26 | 51 | 4 | 24 | 34 | 47 | 5 | 52 | 40 | 154 | 565 | 0 | 413 | 0 |
| 18. | मिजोरम | 19 | 0 | 24 | 0 | 4 | 29 | 34 | 230 | 5 | 216 | 40 | 3145 | 501 | 359 | 129 | 2755 |
| 19. | नागालैंड | 16 | 276 | 20 | 10 | 3 | 142 | 25 | 46 | 4 | 130 | 30 | 154 | 376 | 296 | 7772 | 1887 |
| 20. | ओडिशा | 4276 | 1094 | 5345 | 3317 | 703 | 5907 | 5627 | 5697 | 827 | 5168 | 6620 | 3356 | 3681 | 2887 | 14671 | 4108 |
| 21. | पंजाब | 619 | 383 | 774 | 0 | 171 | 14 | 1368 | 0 | 201 | 66 | 1609 | 0 | 1478 | 0 | 589 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | राजस्थान | 7126 | 4833 | 8908 | 4037 | 1250 | 9404 | 9997 | 5315 | 1470 | 7305 | 11761 | 3355 | 3681 | 2887 | 14671 | 4108 |
| 23. | सिक्किम | 4 | 479 | 4 | 1478 | 1 | 86 | 4 | 0 | 1 | 80 | 5 | 320 | 63 | 96 | 7 | 755 |
| 24. | तमिलनाडु | 10310 | 23659 | 12887 | 73024 | 1818 | 2065 | 14546 | 1224 | 2139 | 3925 | 17113 | 7198 | 5272 | 2625 | 21011 | 6057 |
| 25. | त्रिपुरा | 25 | 272 | 31 | 1826 | 5 | 200 | 42 | 1014 | 6 | 362 | 50 | 1586 | 788 | 253 | 462 | 1688 |
| 26. | उत्तराखंड | 1364 | 736 | 1705 | 1414 | 233 | 992 | 1862 | 1744 | 274 | 904 | 2191 | 2168 | 545 | 637 | 2176 | 1454 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 17679 | 27302 | 22098 | 54802 | 3078 | 3145 | 24625 | 15281 | 3621 | 7402 | 28971 | 52419 | 11193 | 3615 | 44612 | 25735 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 4688 | 4690 | 5859 | 2268 | 924 | 5024 | 7394 | 7049 | 1087 | 4412 | 8699 | 5878 | 4978 | 4528 | 19842 | 16352 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 48 | 29 | 59 | 1 | 8 | 43 | 67 | 1 | 10 | 43 | 79 | 0 | 32 | 65 | 96 | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ | 63 | 607 | 79 | 5459 | 18 | 0 | 141 | 0 | 21 | 112 | 166 | 124 | 201 | 154 | 604 | 331 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 28 | 67 | 35 | 219 | 4 | 0 | 32 | 0 | 5 | | 37 | | 24 | 0 | 71 | 0 |
| 32. | दमन और दीव | 25 | 68 | 31 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 4 | | 35 | | 17 | 0 | 50 | 0 |
| 33. | दिल्ली | 2785 | 275 | 3482 | 325 | 587 | 95 | 4692 | 109 | 690 | 2298 | 5620 | 548 | 325 | 306 | 6479 | 395 |
| 34. | पुडुचेरी | 236 | 70 | 295 | 417 | 42 | 306 | 335 | 44 | 49 | 497 | 394 | 276 | 139 | 189 | 243 | 92 |
| | कुल | 120000 | 184736 | 150000 | 303418 | 21250 | 86066 | 170000 | 187644 | 25000 | 82668 | 200000 | 254229 | 75000 | 51449 | 275000 | 249874 |

*राज्यों द्वारा दिसम्बर, 2011 को समाप्त तिमाहियों तक की तिमाही प्रगति रिपोर्टों में दर्ज व्यय पर आधारित।

**श्री एम.के. राघवन:** अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर देने हेतु धन्यवाद।

शहरी गरीबी की समस्याएं शहरीकरण के कारण बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सरकार से अपेक्षा है कि सरकार आर्थिक रूप से उत्पादक, पर्यावरणिक रूप से सतत, वित्तीय रूप से विकसित, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और समावेशी शहरों के नियोजित विकास के लिए उपयुक्त नीतिगत ढांचे विकसित करे। अत: संप्रग सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) जैसी योजनाएं बनाई गई हैं। इससे शहरी गरीबों के लिए संप्रग सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है।

अध्यक्ष महोदया, मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है। इस समय ये योजनाएं राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के जरिए क्रियान्वित की जाती हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित अधिकतर धनराशि का उपयोग नहीं हो पाता और वह धनराशि व्यपगत हो जाती है। इसलिए, क्या माननीय मंत्री सीधे वित्त पोषण और प्रतिपालनकारी एजेंसी स्थापित करने पर विचार करेंगे ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन उचित रूप से और समय पर हो सके।

**प्रो. सौगत राय:** अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य द्वारा शहरी गरीबी के बारे में दर्शायी गई चिन्ता से द्रवित हूं। हमारी शासन व्यवस्था का ढांचा संघीय है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना चलाने के लिए केन्द्र राज्यों को वित्त पोषण करता हू और राज्य निगमों और नगरपालिकाओं को वित्तपोषण करते हैं।

वर्तमान संघीय ढांचे के साथ इस मामले में धनराशि सीधे संबंधित लोगों को नहीं दी जा सकती। किन्तु जैसाकि आप जानते हैं और हमने उत्तर में भी बताया है। कल भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की घोषणा की थी जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार के बजाय नया कार्यक्रम होगा।

हम राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन की नई योजना तैयार करने में माननीय सदस्यों के सुझाव आंमत्रित करते हैं।

**श्री एम.के. राघवन:** महोदया, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न इस प्रकार है। आज सभी शहर कूड़ा-कचरा के निपटान में अत्यधिक समस्या का सामना कर रहे हैं। क्या सरकार स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत शहरों में कूड़ा-कचरा के निपटान समेत इस समस्या पर विचार करेगी? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे भारत की महामहिम माननीया राष्ट्रपति जी द्वारा कल संसद के दोनों सदनों में अपने अभिभाषण के दौरान बताई गई पांच प्रमुख चुनौतियों में से चार चुनौतियों अर्थात्, (एक) आजीविका सुरक्षा; (2) आर्थिक सुरक्षा; (3) ऊर्जा सुरक्षा; और (4) पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा का समाधान हो जायेगा। इससे रोजगार का ही सृजन नहीं होगा बल्कि ऊर्जा और उर्वरकों का सृजन भी होगा। इस प्रकार सृजित आय लाभार्थियों को मिलेगी।

महोदया, महामहिम माननीय राष्ट्रपति ने इस बात पर भी बल दिया था कि नागरिकों में कौशल विकास सशक्त करने से ही आजीविका सुरक्षा बढ़ेगी।

**अध्यक्ष महोदया:** कृपया अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

**श्री एम.के. राघवन:** प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी और उपकरणों की खरीद के लिए धनराशि जिसमें समय सीमा शामिल है, आदि देने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे?

**प्रो. सौगत राय:** महोदया, मैं कह सकता हूं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अथवा कूड़ा-कचरा (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत पहले से ही स्वीकृत योजना है और अनेक राज्यों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में योजनाएं बनाई हैं। एसजेएसआरवाई जैसी योजनाएं अथवा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन मुख्यतया शहरी गरीबों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए हैं।

किन्तु जैसाकि मैंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के आकार के बारे में सुझाव प्राप्त कर रही है और मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह इस संबंध में मंत्रालय को अपने सुझाव भेज दें।

इस समय स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत हम कूड़ा-कचरा निवारण अथवा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**डॉ. भोला सिंह:** माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपकी कृपा के आलोक में मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शहरी रोजगार योजना अप्रासंगिक हो गई है। जब मैं बिहार का नगर विकास मंत्री था तब मुझे कई बार इसकी समीक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने देखा है कि यह योजना मृत हो चुकी है और जनता की भावनाओं, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना के साथ इसकी कोई संवेदना नहीं रह गई है। मंत्री जी ने इस सदन में जो आकृति पेश की है, वह बड़ी दु:खद है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह योजना राज्य सरकार के माध्यम से चलाई जा रही है, इसलिए वे कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं हैं। यह बड़ा दुखद है। पैसे आपके हैं, योजनाएं आपकी हैं, आपको यह देखना भी है कि जो पैसे दिए जा रहे हैं, वे सही ढंग से खर्च नहीं हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर यह कहना चाहता हूं कि इस योजना के माध्यम से बिहार में जो राशि आवंटित की गई है, वह बड़ा ही भेदभावपूर्ण है। आप देखेंगे कि बिहार के इस मामले में जो तालिका प्रस्तुत की गई है, वह राशि काफी कम है। उसकी उपलब्धियां भी इतनी छिन्न हैं। आप जानते हैं कि बिहार विकास के अग्निपथ से गुजर रहा है और एक विकसित राज्य के रूप में संघर्ष कर रहा है। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि बिहार की इस स्थिति को देखते हुए, बिहार राष्ट्र के विकास में जो पिछड़ गया है, बिहार की गरीबी और कृषि की जो हालत है, गांव वीरान हो रहा है, वहां के मजदूर शहरों में आ रहे हैं, इस योजना के विस्तार के बारे में, नियम और प्रक्रिया के सरलीकरण के बारे में क्या आप कोई समीक्षा करेंगे ताकि इस योजना का वस्तुत: लाभ गरीबों, बेरोजगारों, अर्ध-बेरोजगारों को समृद्ध करने में प्राप्त हो सके? क्या इस पर पुनर्विचार करके कोई निर्णय करना चाहते हैं?

**प्रो. सौगत राय:** अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले ही बताया कि कल महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में नैशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की घोषणा की है कि उस बारे में स्कीम बनायी जायेगी। लेकिन मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि एसजेएसआरवाई के बारे में बिहार की कोशिश बहुत ही कम रही। बिहार को केन्द्र से अभी तक 116 करोड़ 67 लाख रुपये दिये गये, जिसमें से केवल 86 करोड़ 53 लाख रुपये ही खर्च हुए। अभी भी बिहार में 30 करोड़ रुपये अनस्पैंड बैलेंस है। बिहार की कार्यवाही इसमें बहुत कम रही। हमारा। वर्ष 2011-12 में टारगेट था,

*[अनुवाद]*

व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों हेतु सहायता प्राप्त शहरी गरीब पुरुषों की संख्या के संबंध में लक्ष्य 3,515 था और उपलब्धि शून्य थी। समूह सूक्ष्म उद्यमों के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीब महिलाओं की संख्या के संबंध में लक्ष्य 2,335 था और उपलब्धि शून्य थी। थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट हेतु सहायता प्राप्त शहरी गरीब महिलाओं की संख्या के संबंध में, लक्ष्य 4,670 था और उपलब्धि शून्य थी।

*[हिन्दी]*

बिहार का एचीवमैंट क्यों बहुत कम रहा, यह मुझे पता नहीं।

*[अनुवाद]*

इसके अतिरिक्त, उन शहरी गरीबों की संख्या जिन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था, लक्ष्य 14,008 था और उपलब्धि 302 थी। अतः तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, बिहार की उपलब्धि काफी खराब थी।

*[हिन्दी]*

मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि बिहार में इसका एचीवमैंट अच्छा हो, इसके लिए आप भी कोशिश कीजिए।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रबोध पांडा:** अध्यक्ष महोदया, जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, यह पता चला है कि 2010-11 में, 2169.31 लाख रु. की केन्द्रीय वास्तविक राशि जारी की गई थी और 2033.29 लाख रु. खर्च हुए अर्थात् 90 प्रतिशत से ऊपर व्यय किया गया। वर्ष 2011-12 में 5764.81 लाख रु. जारी किए गए अर्थात् 50 प्रतिशत से अधिक, दुगुने से अधिक किंतु 50 प्रतिशत भी व्यय नहीं किया गया *...(व्यवधान)* यह 50 प्रतिशत से कम है। इसके पीछे क्या कारण है? *...(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल में व्यय के आंकड़े कम क्यों हो रहे हैं? कृपया इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

**प्रो. सौगत राय:** महोदया, माननीय सदस्य ने 2011-12 के आंकड़े दिए हैं। किंतु मैं विनम्रता से यह बताना चाहता हूं कि जहां तक एसजेएसआरवाई का संबंध है, पश्चिम बंगाल को एक अग्रणी राज्य माना जाता है। अन्य अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं।

पश्चिम बंगाल में शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के संबंध में, इसके अंतर्गत उपलब्धि 4528 है। शहरी महिला स्व-रोजगार कार्यक्रम के संबंध में, उपलब्धि 796 थी। थ्रिफ्ट के संबंध में, शहरी महिला स्व-रोजगार कार्यक्रम में उपलब्धि 1773 थी और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां 16352 थी। अतः पश्चिम बंगाल ने काफी अच्छा काम किया है *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** क्या हो रहा है?

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदया:** आप बैठ जाइये।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** आप पहले ही प्रश्न पूछ चुके हैं। उन्हें उत्तर देने दीजिए। आप अपनी प्रश्न पूछ चुके हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)* *

**प्रो. सौगत राय:** मैंने उत्तर में दिए गए व्यय संबंधी आंकड़ों को देखा है॥

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदया:** प्रबोध पांडा जी, आप अपना प्रश्न पूछ चुके हैं, इसलिए बैठ जाइये।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**प्रो. सौगत राय:** माननीय प्रबोध पांडा ने पश्चिम बंगाल में हुए व्यय के बारे में उल्लेख किया है। किंतु जैसा कि मैंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की उपलब्धि के संबंध में अंतिम आंकड़े काफी अच्छे हैं। जहां तक सारे देश का संबंध है, पश्चिम बंगाल पांचवां अग्रणी राज्य है। जहां तक शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम का संबंध है यह कोई पिछड़ा राज्य नहीं है।

**श्री पी.सी. चाको:** अध्यक्ष महोदया, स्वर्ण जयंती स्व-रोजगार योजना फंड योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले शहरी गरीबों के उत्थान के लिए सन् 1977 से लागू की जा रही है। इस योजना में, माननीय मंत्री जी ने अग्रणी राज्यों की सूची में केरल का नाम नहीं लिया है। यह चूक अनजाने में हो सकती है। आवंटित 1300 करोड़ रु. में से 1040 करोड़ रु. के द्वारा खर्च किए गए हैं। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** यह क्या हो रहा है?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री पी.सी. चाको:** महोदया, मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। जिस किसी राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली है वहां यह योजना ब्लॉक स्तर की पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। चूंकि आपके उत्तर में केरल राज्य का उल्लेख किया गया है, केरल ने केन्द्र सरकार को इस आशय का एक अभ्यावेदन दिया है कि इस योजना को लगातार क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में यह उल्लेख है कि इस योजना को उन्नत किया जा रहा है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का विस्तार किया जा रहा है। अत: ब्लॉक स्तर की पंचायतों द्वारा इस योजना को बहुत ही प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। अब, प्रश्न यह है कि इस स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। स्वैच्छिक एजेंसियां किसी भी बात का अंतिम निष्कर्ष नहीं है। जहां कहीं ब्लॉक स्तर की पंचायतें इस योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर रही हैं वहां इन्हें केवल ब्लॉक स्तर की पंचायतों के माध्यम से ही क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि क्या वे यह आश्वासन देंगे कि जहां कहीं इसे ब्लॉक स्तर की पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किया गया है वहां राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना को ब्लॉक स्तर की पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, ताकि इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके।

**प्रो. सौगत राय:** महोदया, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य के दिमाग में थोड़ी सी भ्रान्ति है क्योंकि इस योजना को ब्लॉक स्तर की पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। इस योजना को निगमों और नगरपालिकाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। किंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि केरल में कस्बों और शहरों में स्वर्ण जयन्ती योजना को क्रियान्वित करने हेतु कुडुम्बश्री नामक एक प्रसिद्ध योजना है और यह अच्छी तरह से चल रही है। वास्तव में, मैंने अग्रणी राज्यों में केरल का नाम नहीं लया था किंतु केरल का प्रयास काफी अच्छा है।

वर्ष 2011-12 में स्वर्णजयन्ती स्व-रोजगार योजना हेतु 13,76,00,000 रु. का आवंटन किया गया था और योजना के चालू होने से अब तक 91,39,00,000 रु. की कुल केन्द्रीय राशि जारी की गई है। राज्य ने 8797 लाख रु. को कुल केन्द्रीय व्यय के बारे में बताया है जिसका यह अर्थ है कि लगभग 90 प्रतिशत राशि खर्च की गई है। केवल 3.42 करोड़ रु. की राशि खर्च नहीं की गई है। अत: केरल ने भी इस योजना के संबंध में काफी अच्छा काम किया है।

केरल में, स्वर्णजयन्ती स्वरोजगार योजना के साथ कुटुम्बश्री को क्रियान्वित किया जा रहा है। गत वर्ष में, व्यक्तिगत प्रवास हेतु शहरी गरीब सहायता के संबंध में केरल की उपलब्धि में वृद्धि हुई है। लक्ष्य 1345 का था और उपलब्धि 1638 रही जो काफी अच्छी है। यह लक्ष्य से अधिक रही। शहरी गरीब महिलाओं की संख्या जिन्हें सहायता दी गई के संबंध में लक्ष्य 897 था और उपलब्धि 1662 थी जो काफी अच्छी थी। थ्रिफ्ट के लिए सहायता प्रदत्त शहरी गरीब महिलाओं की संख्या संबंधी लक्ष्य 1794 था जबकि सितम्बर तक उपलब्धि 152 थी। जिन शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया उनकी संख्या संबंधी लक्ष्य 5362 था और उपलब्धि 3950 थी। अत: मैं यह भी कहना और स्वीकार करना चाहता हूं कि केरल ने इस योजना के संबंध में काफी अच्छा काम किया है।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रायगढ़): महोदया, पहले प्रश्न के उत्तर में काफी शोर में मचाया गया सांसदों की ओर से और उसका मुख्य कारण था कि धीरे-धीरे किसान अब खेती छोड़ने लगे हैं। देश भर के किसान खेती छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जैसे-जैसे शहरों की ओर पलायन बढ़ने लगा है, जो शहरी गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। यहां पर पिछले तीन सालों के जो आंकड़े दिए गए हैं कि सरकार ने क्या प्रोविजन किए हैं, वे उपाय बहुत ही कम हैं, चाहे गरीबी उन्मूलन के लिए हो, प्रशिक्षण के लिए हो या स्वयं रोजगार निर्माण करने के लिए हो। इन सबके लिए बहुत ही कम धनराशि आबंटित की गई है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में इस बारे में जो कहा, मंत्री जी ने उसका जिक्र किया और कहा कि अब इस योजना को राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन में रूपांतरित करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शहरों में रोजाना बेरोजगारों का बोझ पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान वित्त मंत्रालय ने किया है या नहीं और क्या आपने इस घोषणा के पूर्व इस संदर्भ में वित्त मंत्री जी से चर्चा की है?

**प्रो. सौगत राय:** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सही बात कही है। हमारे ग्रामीण इलाके में गरीबी घट रही है और शहरी इलाके में बढ़ रही है। योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1993-1994 में गांवों में बीपीएल की संख्या 2440 लाख थी।

*[अनुवाद]*

वर्ष 2004-05 में यह 2209 लाख हो गई जिसका अर्थ है कि इसमें 231 लाख की कमी आई है; जबकि शहरी जनसंख्या के

मामले में 1993-94 में निर्धन लोगों की संख्या 763 लाख हो गई जो 45 लाख की वृद्धि दर्शाता है। अत: शहरी क्षेत्रों में निर्धनता बढ़ रही है। इसलिए एसजेएसआरवाई के अंतर्गत आवंटन जो कि 1997-98 में 100 करोड़ रुपये था उसे 2011-12 में बढ़ाकर 14 वर्षों में आठ गुणा की वृद्धि है। सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है और शहरी क्षेत्रों में निर्धनता दूर करने के और अधिक कार्यक्रम आरंभ कर रही है।

**प्याज और आलू का अत्यधिक उत्पादन**

***3. +डॉ. ज्योति मिर्धा:**
**श्री संजय भाई:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू मौसम के दौरान देश के अनेक भागों में प्याज और आलू का अत्यधिक उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विगत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में चालू मौसम के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्याज और आलू का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों से किसानों द्वारा औने-पौने दामों पर आलू और प्याज की बिक्री और इन्हें फेंक दिए जाने की घटनाओं का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना सहित सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

**कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ( श्री शरद पवार ):** (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) से (घ) वर्तमान अनुमान के अनुसार, वर्ष 2011-12 के दौरान प्याज का उत्पादन 157.48 लाख मि. टन है जबकि विगत वर्ष 161.18 लाख मि. टन था। इसी प्रकार, पिछले वर्ष के 423.39 लाख मि. टन की तुलना में 2011-12 के दौरान आलू के उत्पादन का अनुमान 436.45 लाख मि. टन है। प्याज और आलू का राज्य-वार उत्पादन का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्त पर कृषि और बागवानी जिंसों की अधिप्राप्ति के लिए बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) कार्यान्वित करता है, जिसके अंतर्गत नुकसान, यदि कोई होते हैं, केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार के बीच 50:50 आधार पर बांट लिए जाते हैं। चालू वर्ष के दौरान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से क्रमशः 6000 रु. प्रति मि. टन की दर से 54000 मि. टन प्याज और 3280 रु. प्रति मि. टन की दर से 100000 मि. टन आलू की अधिप्राप्त के लिए एमआीएस प्रस्ताव माने गए थे।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार समुचित मूल्यों पर उपभोक्ता को फलों एवं सब्जियों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और किसानों के लिए लाभकारी प्राप्तियां उपलब्ध कराने हेतु भी शीत भंडारों की स्थापना करने आर आवधिक मंडियों, थोक मंडियों और ग्रामीण प्राथमिक बाजारों/अपनी मंडियों को स्थापित करने सहित कटाई पश्च प्रबंध के लिए अवसंरचना के विकास हेतु उत्तर-पूर्व एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) और राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) शीत भंडारों की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय सहकारी समितियों को सहायता उपलब्ध कराता है। नेशनल एग्रीकल्चरल कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लि. (नेफेड) प्याज और आलू सहित कृषि जिंसों के एमआईएस प्रचालनों को कार्यान्वित करने के लिए एक केन्द्रीय एजेंसी है।

***अनुबंध***

*2010-11 एवं 2011-12 के लिए प्याज एवं आलू के उत्पादन की तुलना*

| राज्य/संघ शा. क्षेत्र | प्याज | | आलू | |
|---|---|---|---|---|
| | 2010-11 | 2011-12* | 2010-11 | 2011-12* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आंध्र प्रदेश | 8.13 | 8.25 | 0.97 | 0.98 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 000 | 0.32 | 0.32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| असम | 0.22 | 0.25 | 7.38 | 7.83 |
| बिहार | 10.82 | 10.82 | 57.84 | 57.84 |
| छत्तीसगढ़ | 1.74 | 2.39 | 5.26 | 5.65 |
| दिल्ली | 0.27 | 0.29 | 0.18 | 0.15 |
| गुजरात | 15.14 | 15.36 | 18.82 | 22.50 |
| हरियाणा | 4.54 | 4.10 | 5.98 | 6.00 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.36 | 0.36 | 2.06 | 2.06 |
| जम्मू और कश्मीर | 0.64 | 0.65 | 1.51 | 1.51 |
| झारखंड | 3.05 | 3.03 | 6.56 | 6.22 |
| कर्नाटक | 25.92 | 27.22 | 4.01 | 4.25 |
| केरल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| मध्य प्रदेश | 10.22 | 12.98 | 7.43 | 9.44 |
| महाराष्ट्र | 49.05 | 50.36 | 3.18 | 4.00 |
| मणिपुर | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 |
| मिजोरम | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| नागालैंड | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| ओडिशा | 3.86 | 3.95 | 1.91 | 1.96 |
| पुडुचेरी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पंजाब | 1.82 | 1.82 | 20.88 | 21.02 |
| राजस्थान | 4.49 | 4.494 | 0.76 | 0.76 |
| सिक्किम | 0.02 | 0.02 | 0.46 | 0.46 |
| तमिलनाडु | 3.39 | 3.39 | 0.97 | 1.05 |
| त्रिपुरा | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 |
| उत्तर प्रदेश | 3.69 | 3.83 | 135.77 | 141.25 |
| उत्तराखंड | 0.38 | 0.38 | 4.24 | 4.24 |
| पश्चिम बंगाल | 2.98 | 3.05 | 133.91 | 133.91 |
| कुल | 151.18 | 157.48 | 423.39 | 436.45 |

*2011-12 आंकड़े अनंतिम अनुमान है।

स्रोत: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान एवं कृषि एवं सहकारिता विभाग।

*[हिन्दी]*

**डॉ. ज्योति मिर्धा:** अध्यक्ष महोदया, मैं सवाल पूछूं, उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि सदस्यों को प्रश्नों के लिखित जवाब सेम डे एक घंटा पहले उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर आप यह प्रावधान कर दें कि लिखित जवाब हमें थोड़ा पहले मिल जाएं तो हम लोग अच्छी तरह से उसका अध्ययन करके तैयारी के साथ प्रश्न काल में आ सकते हैं। अब तो आपने सब सदस्यों को आई पैड उपलब्ध कराए हैं, अगर वैबसाइट पर लिखित जवाब उपलब्ध हो जाएं, तो प्रश्न पूछने की सार्थकता बढ़ जाएगी।

**अध्यक्ष महोदया:** हमसे संबंधित जो भी बात है, आप मेरे चैम्बर में आकर कहें। अब आप प्रश्न पूछें।

**डॉ. ज्योति मिर्धा:** मेरा पहला सवाल यह है कि हाल ही में मीडिया के अंदर इस तरह के समाचार आए कि किसानों ने अपने उत्पाद की डम्पिंग करनी शुरू कर दी थी। आलू और प्याज के बारे में ज्यादा शिकायतें आई थीं। मैं साधारण रूप से समझ सकती हूं कि किसान अपने उत्पाद को किस वक्त डम्प करता है, जब उसे यह महसूस होगा कि उसके उत्पाद की लागत उसे नहीं मिलेगी और मंडी तक अपनी फसल को ले जाने में अतिरिक्त खर्चा होगा, उसकी भी वसूल नहीं होगी, तब ऐसी स्थिति में किसान अपनी खड़ी फसल को सड़कों के किनारे गिरा देता है। सरकार की तरफ से जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, उनमें चौंकाने वाला तथ्य यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रोडक्टिविटी के अंदर कोई ज्यादा वैरिएंस नहीं आया है, प्रोडक्शन मारजिनली इंक्रीज हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि ऐसी परिस्थिति में, अगर अति की स्थिति हो और किसानों को अपना उत्पाद फेंकना पड़े तो और बात है, लेकिन नार्मल स्थिति में किसानों को अगर अपनी फसल को सड़क पर फेंकना पड़ रहा है, तो क्या सरकार ने इन कारणों को जानने की कोशिश की है कि किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं?

**श्री शरद पवार:** अध्यक्ष महोदया, दो राज्यों में यह समस्या आ गयी थी, भारत सरकार ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है कि जहां कीमतें बहुत ही नीचे आ जाती हैं और अगर वहां से राज्य सरकार का परपोजल आया तो राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों की परचेज करने के लिए मार्किट में उतरते हैं। जहां नुकसान होता है तो वहां नुकसान ही 50 प्रतिशत जिम्मेदारी भारत सरकार लेती है और 50 प्रतिशत जिम्मेदारी राज्य सरकारें लेती हैं। जहां तक प्याज की बात है तो कर्नाटक सरकार ने इस तरह की शिकायत की और कहा कि मार्किट इंटरवेंशन स्कीम आप शुरू करे। कर्नाटक सरकार और भारत सरकार ने बैठकर 600 रुपये क्विंटल कीमत तय की और कर्नाटक स्टेट कोओपरेटिव मार्किटिंग एजेंसी को अपाइंट किया और आज तक 4 लाख 7 हजार 770 क्विंटल माल उन्होंने खरीदा।

जहां तक आलू की बात है तो यूपी की शिकायत आई तो यूपी सरकार ने हार्टिकल्चर कोओपरेटिव मार्किटिंग फैडरेशन के ऊपर जिम्मेदारी ले ली है लेकिन अभी तक उन्होंने खरीद की नहीं है।

**डॉ. ज्योति मिर्धा:** मैडम, मेरा पहला सवाल यह था कि सामान्य स्थिति के अंदर किसान को उसके उत्पादन की कीमत क्यों नहीं मिल पा रही है? अगर इमरजेंसी की स्थिति हो और सरकार को इंटरवेंशन करना पड़े, वह तो समझ में आता है लेकिन सामान्य स्थिति में अगर इन इंटरवेंशन की बात हो रही है तो मेरा दूसरा सवाल माननीय मंत्री जी से यह है कि उन्होंने एक आंकड़ा गिनाया जिसमें उन्होंने बताया कि एमआईएस के तहत राज्य की जो सरकारें होती हैं वे उन्हें परपोजल भिजवाती हैं जोकि कर्नाटक और महाराष्ट्र दो सरकारें ने उन्हें भिजवाया था, रेट उन्होंने तय कर रखे हैं। जवाब में एक चीज और लिखी है कि नैफेड की तरफ से भी प्रोक्यूरमेंट किया जाता है, एमआईएस में वे भी सपोर्ट करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन तीनों स्कीम्स के तहत कुल प्रोक्यूरमेंट कितनी की गयी है?

**श्री शरद पवार:** स्टेट सरकारें प्रोक्यूरमेंट की जिम्मेदारी यदि लेने के लिए तैयार हैं तो पहली प्रीओरिटी वहां देती है, लेकिन अगर उनके पास मशीनरी न हो और उन्होंने रिक्वैस्ट की तो नैफेड को इसमें जिम्मेदारी देते हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री संजय भोई:** अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी के उत्तर में एनएचबी, एनसीडीसी और नैफेड जैसी विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया गया है। यदि ये योजना अब तक प्रभावी है तो किसानों पर कोई संकट नहीं होना चाहिए? वस्तुस्थिति यह है कि किसान अभी भी अपनी उत्पादन लागत नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए वे सरकार से न्यूनतम निर्यात मूल्य समाप्त करके राहत की अपेक्षा कर रहे हैं।

समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों का अध्ययन करके मुझे यह पता चला है कि उनका वाणिज्य मंत्रालय से पूर्ण समन्वय नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय इस कार्य को प्राथमिकता नहीं दे रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात को मानती है कि खरीफ में प्याज उत्पादन के पूर्वानुमान में गलती हुई है जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने निर्यात में कमी लाने की नीति तैयार की। अत:, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आलू

का निर्यात करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। उपाय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, निजी बड़े खुदरा विक्रेता आलू की खरीद कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदया:** कृपया तुरंत अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

**श्री संजय भोई:** महोदया, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार आलू की खरीद या उसका निर्यात करने के लिए तत्काल कोई कदम उठा रही है।

**श्री शरद पवार:** निश्चित रूप से हम इस पर विचार करेंगे।

*[हिन्दी]*

**एन.सी.टी.सी. की स्थापना**

+
***4. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:**
**श्रीमती ऊषा वर्मा:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एन.सी.टी.सी.) स्थापित करने प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो एन.सी.टी.सी. के लिए क्या भूमिका और कार्य परिकल्पित हैं;

(ग) देश में एन.सी.टी.सी. और इस समय कार्यरत अन्य आसूचना/आतंकवाद रोधी एजेंसियों के बीच दक्ष और कारगर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है;

(घ) क्या कतिपय खुफिया तंत्रों, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों आदि सहित विभिन्न पक्षों द्वारा एन.सी.टी.सी. की स्थापना किए जाने पर आशंकाएं व्यक्त की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और एन.सी.टी.सी. को कब तक पूर्णतया कार्यरत बना दिया जाएगा?

*[अनुवाद]*

**गृह मंत्री ( श्री पी. चिदम्बरम ):** (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) सरकार ने अपने दिनांक 3 फरवरी, 2012 के कार्यालय ज्ञापन के तहत राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी केन्द्र की स्थापना करने की अधिसूचना जारी की है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार, एनसीटीसी के दायित्व और कार्य निम्नलिखित हैं:-

(1) योजनाएं तैयार करना और आतंकवाद के दमन के लिए कार्रवाइयों को समन्वित करना;

(2) आतंकवाद से संबंधित आसूचना को एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना; विभिन्न सुरागों का पता लगाने के लिए अन्य एजेंसियों को प्रोत्साहित करना अथवा उन्हें अधिदेशित करना; तथा प्रभावकारी कार्रवाई हेतु विद्यमान एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखना;

(3) आतंकवादियों एवं उनके सह-संगठनों, मित्रों, परिवारों तथा समर्थकों, उन्हें आतंकवादी मॉड्यूलों तथा गैंगों और आतंकवादियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों के व्यापक डाटा-बेस का रखरखाव करना;

(4) प्रत्येक स्टेकहोल्डर के लिए आतंकवाद-रोधी प्राथमिकताएं निर्धारित करना;

(5) यह सुनिश्चित करना कि सभी एजेंसियों की उन स्रोतगत आसूचना सहायता तक पहुंच हो और वे उसे प्राप्त कर सकें जो आतंकवाद-रोधी योजनाओं को कार्यान्वित करने और उन्हें सौंपे गए कार्यों को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक हैं;

(6) विद्यमान अन्वेषण एवं आसूचना एजेंसियों के साथ समन्वय रखना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी आतंकवादी मामले सुलझाए जा सकें और अपराधियों को न्यायालय के समक्ष लाया जा सके; और

(7) दैनिक खतरा आकलन समीक्षाएं तैयार करना और उन्हें राज्य सरकारों को भेजना।

एनसीटीसी तथा अन्य एजेंसियों और केन्द्र सरकार के आतंक-रोधी संगठनों के बीच सक्षम एवं प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान बहु एजेंसी केन्द्र (एमएसी) को एनसीटीसी में शामिल किया जाएगा। एनसीटीसी तथा राज्य स्तरीय आसूचना एजेंसियों के बीच प्रभावकारी समन्वय बनाए रखने के लिए उक्त कार्यालय ज्ञापन में अन्तर राज्यीय आसूचना सहायता दलों (आईएसआईएसटी) की स्थापना का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य में निदेशक, एनसीटीसी, तीन संयुक्त निदेशक, एनसीटीसी तथा आतंक-रोधी संगठनों अथवा बलों के प्रमुखों को मिलाकर एक स्थायी परिषद की स्थापना की जाएगी। स्थायी परिषद आवश्यकता आधार पर कभी भी बैठक कर सकती है और यह वीडियो कान्फरेन्स के माध्यम से भी बैठकें कर सकती है। स्थायी परिषद यह भी सुनिश्चित करेगी कि एनसीटीसी सभी आतंकवाद-रोधी उपायों के नियंत्रण एवं समन्वय का एकल एवं प्रभावी केन्द्र हो।

(घ) और (ङ) उक्त कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के पश्चात् ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, त्रिपुरा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने केन्द्र सरकार को, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाले आदेश के बारे में चिन्ता प्रकट करते हुए तथा एससीटीसी को मूर्तरूप देने के पूर्व राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करने की आवश्यकता व्यक्त करते हुए पत्र लिखा था।

गृह मंत्री ने विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के प्रावधानों तथा एनसीटीसी के प्रादुर्भाव, उद्देश्यों, संघटन और शक्तियों के बारे में एक तीन पृष्ठ का नोट संलग्न करते हुए मुख्य मंत्रियों को उत्तर दिया है। इस मुद्दों को आगे और स्पष्ट करने/उनका निराक्रण करने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव ने दिनांक 12.3.2012 को राज्य के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और गृह सचिवों के साथ एक बैठक की थी।

*[हिन्दी]*

**श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:** महोदया, माननीय मंत्री जी ने खंड ''क'' में जो उत्तर दिया है, उसका हमने अवलोकन किया है। उन्होंने कहा है कि 3.2.2012 को ही एनसीटीसी स्थापना करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज पूरे देश में इसका घोर विरोध हो रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अधिसूचना जारी करने के पूर्व क्या राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया गया था?

*[अनुवाद]*

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदया, पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त मंत्रियों के समूह के प्रतिवेदन और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) की सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एनसीटीसी) का गठन किए जाने संबंधी प्रश्न पर अनेक मंचों में चर्चा की गई है। एमएसी, एनसीटीसी का पूर्ववर्ती संगठन था और एनसीटीसी का गठन अगला कदम है।

इस मामले पर सरकार दो वर्षों से चर्चा कर रही है और मुख्य मंत्रियों की आंतरिक सुरक्षा संबंधी बैठकों और मुख्यमंत्रियों के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठकों में आतंकवाद का सामना करने हेतु एकल और प्रभावी समन्वय की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि आदेश जारी होने के पश्चात् कई मुख्यमंत्रियों ने इस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है और मैंने उन्हें यह उत्तर दिया है कि अगला कदम उठाने से पहले इस विषय पर परामर्श किया जाएगा। कल इस विषय पर परामर्श किया गया और मुझे बैठक कार्यवाही सारांश प्राप्त नहीं हुआ है।

आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है जो कि पहले 15 फरवरी को होनी थी, परन्तु, चुनाव के कारण उसे स्थगित करना पड़ा। अब यह 16 अप्रैल को होनी है। अत:, अगला कदम उठाने से पहले पर्याप्त और पूर्ण परामर्श किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:** महोदया, कल जो बैठक हुई, उसमें सरकार ने कहा है कि सदन में खुलासा करेंगे कि राज्य सरकारों की कौन-कौन सी चिंताए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए कौन-से उपाय करने जा रहे हैं?

*[अनुवाद]*

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदया, मुझे अभी तक बैठक का कार्यवाही सारांश प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु, मुझे इस विषय में मौखिक रूप से संक्षिप्त जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्रियों ने पत्रों में चिंता व्यक्त की है। पहली बात यह है कि धारा 43(क) के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा? दूसरी बात, आदेश में परिकल्पित, स्थायी परिषद का कार्य क्षेत्र और कार्य क्या है? ये दो मुख्य चिंताएं हैं। मेरा मानना है कि कल इन चिंताओं का समाधान कर दिया गया था। कार्यवाही सारांश प्राप्त होने क पश्चात् यदि कोई और पत्र लिखने की आवश्यकता होगी तो मैं पत्र लिखूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती ऊषा वर्मा:** महोदया, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या कारण है कि सरकार एनसीटीसी को असीमित अधिकार देना चाहती है, क्योंकि राज्य के अधिकारों का भी हनन हो रहा है। मैं पोटा कानून का हवाला देना चाहती हूं। जब विपक्ष में बैठे लोगों ने पोटा कानून लागू किया था, उस समय जांच एजेंसियां किसी को भी कहीं से भी उठा लेती थीं। उस समय पोटा कानून का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ था।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि एनसीटीसी जिस रूप में प्रस्तावित है, उसी रूप में अगर उसे लागू किया जाता है, तो क्या एनसीटीसी का दुरुपयोग नहीं होगा?

*[अनुवाद]*

**श्री पी. चिदम्बरम:** हम इस विषय पर चर्चा कर सकते है। इस मामले पर मंत्रियों के समूह द्वारा विचार किया गया था। उन्होंने कुछ सिफारिशें की थीं। इस मामले पर द्वितीय एआरसी द्वारा आगे विचार किया गया, जिसने एक स्पष्ट सिफारिश की है। सरकार का यह मत है कि एनसीटीसी का गठन किए जाने से किसी संघात्मक सिद्धांत या राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। इसके विपरीत, एनसीटीसी एक ऐसा तन्त्र होगा जिसके माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी साझी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। कल एक या दो राज्य, जिन्होंने कार्यालय ज्ञापन के कुछ पैराओं पर कुछ विशिष्ट और संगत प्रश्न उठाए थे के अतिरिक्त सभी राज्यों ने एनसीटीसी की संकल्पना का स्वागत किया। मेरा मानना है कि एनसीटीसी की संकल्पना और एनसीटीसी की कार्य प्रणाली दो अलग-अलग मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि एनसीटीसी की संकल्पना एक विशिष्ट संकल्पना है। एनसीटीसी किस प्रकार कार्य करेगा, जी हां, मैं मानता हूं कि इस संबंध में मतभेद है। परन्तु मुझे दृढ़ विश्वास है कि विचार-विमर्श करके इन मामलों को कम किया जा सकता है और हम एक आम सहमति बना सकते है जिसके आधार पर एनसीटीसी को मूर्त रूप दिया जा सकता है।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** महोदया, गृह मंत्री जी ने लिखित उत्तर में उन राज्यों के नामों का उल्लेख किया है जिनके मुख्यमंत्रियों ने विरोध में पत्र लिखकर कहा है कि यह अधिसूचना राज्यों के अधिकारों पर अधिक्रमण करती है, राज्यों के अधिकारों का हनन करती है इसलिए इसे तब तक लागू न किया जाए जब तक राज्य सरकारों से परामर्श न हो जाए। एक-दो नाम नहीं हैं, ये हैं- मुख्यमंत्री उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, त्रिपुरा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक यानी लगभग दस मुख्यमंत्रियों ने विरोध जताया है। इन्होंने आगे जिक्र किया कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, उन मुद्दों की स्पष्टता और और समाधान के लिए, अंग्रेजी में लिखा है-

*[अनुवाद]*

'हमें मुख्यमंत्रियों द्वारा उठाये गए मुद्दे को स्पष्ट करना पड़ा और उसका समाधान करना पड़ा।'

*[हिन्दी]*

कल एक मीटिंग डीजीपी और वहां के चीफ सैक्रेटीज की होम सैक्रेट्री की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि बजाय मुद्दों को स्पष्ट करने या समाधान करने के लिए कल होम सैक्रेट्री ने आग में घी डालने का काम किया। आज इंडियन एक्सप्रेस में प्रमुखता से समाचार छपा है कि होम सैक्रेट्री ने डीपीपीज और चीफ सैक्रेट्रीज को कहा-

*[अनुवाद]*

"मुख्यमंत्रियों के आशुलिपिकों के रूप में कार्य न करें"

*[हिन्दी]*

अगर होम सैक्रेट्री कहता है तो इसका अर्थ है कि यह सरकार केवल संघीय ढांचे पर प्रहार ही नहीं करती बल्कि राज्यों के प्रति कंटेम्पट भी दर्शाती है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से कहना चाहती हूं कि जब आप राज्यों से परामर्श की बैठक बुलाएंगे तब तो बुलाएंगे लेकिन क्या उससे पहले इस तरह से होम सैक्रेट्री को दंडित करेंगे जिन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रति कंटेम्पट का भाव रखते हुए डीजीपीज़ और चीफ सैक्रेट्रीज को कहा-"मुख्यमंत्रियों के आशुलिपिकों के रूप में कार्य न करें।"

*[अनुवाद]*

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदया, यह रिपोर्ट एक समाचार पत्र में आई है अन्य समाचार पत्रों में नहीं आई। मैं चिंतित था; मैंने आज सुबह गृह सचिव को बुलाया और मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर इससे इंकार किया। उन्होंने यह भी बताया कि जब उस पेपर के संवाददाता ने उनसे बात की और उनसे पूछा, "क्या आपने वक्तव्य दिया है?" उन्होंने उनसे कहा "आपके पास गलत जानकारी है। मैंने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है।" मुझसे गृह सचिव ने कहा है कि उन्होंने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है। यह केवल एक समाचार पत्र में आया है। किसी और समाचार पत्र में यह रिपोर्ट नहीं आई।

**श्री कल्याण बनर्जी:** आदरणीय महोदया, हाल के समय में हमारे देश में एनसीटीसी सहित विभिन्न कानूनों के संबंध में भारी असंतोष है। बहस इस बात पर है कि केन्द्र सरकार राज्य विधान के क्षेत्र में अतिक्रमण करने की कोशिश क्यों कर रही है। जब तक इस तरह की बहस का सकारात्मक ढंग से उत्तर नहीं दिया जाता तब तक एनसीटीसी विधेयक नहीं लाया जाना चाहिए था या कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था।

**श्री पिनाकी मिश्रा:** कोई विधेयक नहीं है। यह एक अधिसूचना से किया गया था।

**श्री कल्याण बनर्जी:** अधिसूचना को भूल जाओ। यह ठीक है। आप तकनीकियों पर क्यों जा रहे हैं? मैं सही बात कह रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदया:** आप उन्हें क्यों संबोधित कर रहे हैं? कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

**श्री कल्याण बनर्जी:** किसी मुख्य मंत्री की सहमति अथवा किसी राज्य के गृह मंत्री की सहमति एक अधीनस्थ विधान या किसी विधान का स्वरूप नहीं बदल सकती। यदि यह उस क्षेत्र का अतिक्रमण करती है तो यह बहुत खराब है। इस प्रवृत्ति को रोकना होगा। हमने देखा है कि लोकपाल विधेयक के साथ कैसे छेड़छाड़ की गई।

**अध्यक्ष महोदया:** कृपया प्रश्न पूछिये। समय नहीं है और उन्हें उत्तर भी देना है। कृपया प्रश्न पूछिये।

**श्री कल्याण बनर्जी:** महोदया, हमारी जानकारी है कि कल महानिदेशकों और मुख्य सचिवों ने जोर देकर कहा कि इस प्रकार की योजना भारत में नहीं लायी जानी चाहिए क्योंकि यह राज्य विधानमंडल के अधिकारों में अतिक्रमण के समान है।

**अध्यक्ष महोदया:** समय नहीं है; उन्हें उत्तर भी देना है।

**श्री कल्याण बनर्जी:** महोदया, मेरा माननीय मंत्री से केवल यही अनुरोध है कि इस योजना को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदया:** ठीक है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद।

*[हिन्दी]*

कृपया बैठ जाइये।

*[अनुवाद]*

प्रश्नकाल के लिए अब समय नहीं है।

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदया, जैसा मैंने कहा है हम परामर्श करते रहेंगे। हम मामले पर बहस कर सकते हैं परन्तु मैं अपने दिमाग में पूरी रह स्पष्ट हूं कि एनसीटीसी ऐसा ही केन्द्र आतंकवाद से लड़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। कल अनेक राज्यों ने एनसीटीसी का समर्थन किया था। यहां तक कि जिन्होंने का.ज्ञा. के कतिपय पक्षों का विरोध किया था उन्होंने भी एनसीटीसी के सिद्धांत का समर्थन किया है। किंतु जैसा मैंने कहा कि जहां मैं अपने माननीय मित्र और सदस्य के विचारों का बहुत आदर करता हूं वहीं हम इस पर बहस कर सकते हैं। परन्तु मैं नहीं समझता कि एनसीटीसी राज्यों के संघीय अधिकारों या राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है।

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

*[हिन्दी]*

## सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की कीमतें

***5. श्री नारनभाई कछाड़िया:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रह रही जनसंख्या का प्रतिशत क्या है तथा देश में उक्त जनसंख्या का कुल प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या उचित दर की दुकानों में गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे लोगों (एपीएल) के लिए खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगभग खुले बाजार की कीमतों के बराबर हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बीपीएल और एपीएल परिवारों के लिए खाद्यान्नों, चीनी, मिट्टी के तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए कोई उपाय किए हैं अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) से (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के आबंटन हेतु खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग योजना आयोग के वर्ष 1993-94 के गरीबी अनुमानों तथा 1 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महा रजिस्ट्रार के जनसंख्या अनुमानों के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा वास्तव में अभिज्ञात ऐसे परिवारों तथा उन्हें जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो, का उपयोग करता है। इन अनुमानों के अनुसार बीपीएल परिवारों की संख्या 6.52 करोड़ है, जिनमें लगभग 243.250 लाख अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार शामिल हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों का राज्यवार प्रतिशत दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस विवरण के अनुसार देश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या लगभग 36% है, जिसमें से अंत्योदय अन्न योजना के परिवार 13.49% है।

गरीबी की रेखा से ऊपर की श्रेणी को वितरित किये जाने वाले चावल और गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः 8.30 रुपए प्रति किग्रा. और 6.10 रुपये प्रति किग्रा. है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से समय-समय पर प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार विभिन्न राज्यों में उचित दर दुकानों पर एपीएल श्रेणी के परिवारों को वितरित किये जाने वाले चावल का निर्गम मूल्य 6.00 रुपये प्रति किग्रा. से 13.00 रुपये प्रति किग्रा. और गेहूं का निर्गम मूल्य 4.00 रुपये प्रति किग्रा. से 10.00 रुपये प्रति किग्रा. के बीच होता है। उचित दर दुकानों के स्तर पर निर्गम मूल्य का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। खाद्यान्नों आदि के दैनिक खुदरा मूल्यों आदि का ब्यौरा रखने वाले उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार खुले बाजार में चावल का मूल्य 19.00 रुपये प्रति किग्रा. से 24.00 रुपये प्रति किग्रा. के बीच और गेहूं का मूल्य 16.00 रुपये प्रति किग्रा. से 22.00 रुपये प्रति किग्रा. के बीच है। दैनिक खुदरा मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इस समय वितरित किये जा रहे खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को कम करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन हाल में संसद में लाये गये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 में प्राथमिकता वाले परिवारों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः 3.00 रुपये, 2.00 रुपये और 1.00 रुपये के निर्गम मूल्य पर जारी करने की परिकल्पना की गई है।

जहां तक चीनी का संबंध है, लाभार्थियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी का खुदरा निर्गम मूल्य 1.3.2002 से 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम रखा गया है। तथापि, खुले बाजार में चीनी का निकासी मूल्य विभिन्न घटकों, नामतः, घरेलू मांग और आपूर्ति, चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, बाजार रुझान आदि पर निर्भर करते हैं। पिछले चीनी मौसम अर्थात् 2010-11 के दौरान निकासी मूल्य की रेंज बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है और वर्तमान चीनी मौसम अर्थात् 2011-12 (अक्तूबर, 2011 से 6 मार्च, 2012) के दौरान निकासी मूल्य की रेंज बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

जहां तक मिट्टी के तेल, जिसका प्रबंधन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, का संबंध है, इस संबंध में सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के स्फीतिकारी प्रभाव से उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के रूप में खुदरा विक्रय मूल्यों को निम्न स्तर पर बनाये हुए है और मौजूदा मूल्य बाजार के अपेक्षित मूल्यों से कम है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को कम मूल्य की प्राप्ति होती है।

## *विवरण I*

*गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के राज्यवार प्रतिशत को दर्शाने वाला विवरण*

(31.12.2011 की स्थिति के अनुसार तैयार)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2000 में परिवारों की कुल संख्या (लाख में) | 2000 में परिवारों की श्रेणीवार कुल संख्या (लाख में) | | | अंत्योदय अन्न योजना (%) | गरीबी रेखा से नीचे (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | गरेनी | गरेनी | गरेनी+अंअयो | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 158.21 | 15.58 | 25.05 | 40.63 | 9.85 | 15.83 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 2.42 | 0.38 | 0.61 | 0.99 | 15.70 | 25.21 |
| 3. | असम | 44.93 | 7.04 | 11.32 | 18.36 | 15.67 | 25.19 |
| 4. | बिहार | 118.79 | 25.01 | 40.22 | 65.23 | 21.05 | 33.86 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 44.11 | 7.19 | 11.56 | 18.75 | 16.30 | 26.21 |
| 6. | दिल्ली | 27.82 | 1.50 | 2.59 | 4.09 | 5.39 | 9.31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | गोवा | 3.20 | 0.14 | 0.34 | 0.48 | 4.38 | 10.63 |
| 8. | गुजरात | 87.57 | 8.10 | 13.10 | 21.20 | 9.25 | 14.96 |
| 9. | हरियाणा | 31.48 | 2.92 | 4.97 | 7.89 | 9.28 | 15.79 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 12.57 | 1.97 | 3.17 | 5.14 | 15.67 | 25.22 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 18.02 | 2.56 | 4.80 | 7.36 | 14.21 | 26.64 |
| 12. | झारखंड | 43.56 | 9.18 | 14.76 | 23.94 | 21.07 | 33.88 |
| 13. | कर्नाटक | 94.37 | 11.38 | 19.91 | 31.29 | 12.05 | 21.10 |
| 14. | केरल | 61.10 | 5.96 | 9.58 | 15.54 | 9.75 | 15.68 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 97.03 | 15.82 | 25.43 | 41.25 | 16.30 | 26.21 |
| 16. | महाराष्ट्र | 177.27 | 24.64 | 40.70 | 65.34 | 13.90 | 22.96 |
| 17. | मणिपुर | 4.07 | 0.64 | 1.02 | 1.66 | 15.72 | 25.06 |
| 18. | मेघालय | 4.49 | 0.70 | 1.13 | 1.83 | 15.59 | 25.17 |
| 19. | मिजोरम | 1.67 | 0.26 | 0.42 | 0.68 | 15.57 | 25.15 |
| 20. | नागालैण्ड | 3.02 | 0.47 | 0.77 | 1.24 | 15.56 | 25.50 |
| 21. | ओडिशा | 67.91 | 12.65 | 20.33 | 32.98 | 18.63 | 29.94 |
| 22. | पंजाब | 39.76 | 1.79 | 2.89 | 4.68 | 4.50 | 7.27 |
| 23. | राजस्थान | 88.67 | 9.32 | 14.99 | 24.31 | 10.51 | 16.91 |
| 24. | सिक्किम | 1.05 | 0.16 | 0.27 | 0.43 | 15.24 | 25.71 |
| 25. | तमिलनाडु | 138.82 | 18.65 | 29.98 | 48.63 | 13.43 | 21.60 |
| 26. | त्रिपुरा | 7.22 | 1.13 | 1.82 | 2.95 | 15.65 | 25.21 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 261.42 | 40.95 | 65.84 | 106.79 | 15.66 | 25.19 |
| 28. | उत्तराखंड | 12.19 | 1.91 | 3.07 | 4.98 | 15.67 | 25.18 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 145.23 | 14.80 | 36.99 | 51.79 | 10.19 | 25.47 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.81 | 0.04 | 0.24 | 0.28 | 4.94 | 29.63 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 2.03 | 0.02 | 0.21 | 0.23 | 0.99 | 10.34 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 0.36 | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 13.89 | 36.11 |
| 33. | दमन और दीव | 0.26 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 3.85 | 11.54 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.11 | 0.012 | 0.02 | 0.03 | 10.91 | 16.36 |
| 35. | पुडुचेरी | 2.24 | 0.32 | 0.52 | 0.84 | 14.29 | 23.21 |
| | जोड़ | 1803.78 | 243.25 | 408.78 | 652.03 | 13.49 | 22.66 |

## *विवरण II*

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों पर निर्गम मूल्य*
*(समय-समय पर प्रत्येक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथासूचित)*

(31.12.2011 की स्थिति के अनुसार तैयार)
(रुपए प्रति किलोग्राम)

| क्र.सं. | राज्य | गरीबी रेखा से नीचे | | अंत्योदय अन्न योजना | | गरीबी रेखा से ऊपर | | | जिस तारीख के तहत सूचित |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | गेहूं | चावल | गेहूं | चावल | गेहूं | साधारण चावल** | चावल ग्रेड 'ए' | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 7.00 | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 7.00 | – | – | 24.02.09 और 20.11.09 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4.65 | 6.15 | – | 3.00 | 6.60 | 7.45 | 8.80 | 12.11.09 |
| 3. | असम | – | 7.00 | – | 3.00 | 8.00 | 9.50–10.00 | | 16.11.11 |
| 4. | बिहार | 5.22 | 6.78 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 9.05 | 9.41 | 09.08.11 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 2.00 | 2.00 | – | 1.00 | 10.00 | 13.00 | – | 12.08.11 |
| 6. | दिल्ली | 4.65 | 6.15 | 2.00 | 3.00 | 6.80 | – | 9.00 | 16.08.11 |
| 7. | गोवा | – | 6.15 | – | 3.00 | 6.60 | 8.95 | – | 07.01.11 |
| 8. | गुजरात | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 7.50 | – | 10.00 | 08.08.11 |
| 9. | हरियाणा | 4.88 | – | 2.12 | – | 6.93 | – | – | 10.08.11 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 5.25 | 6.85 | 2.00 | 3.00 | 8.50 | – | 10.00 | 10.08.11 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 4.80 | 6.40 | 2.00 | 3.00 | 7.25 | – | 10.00 | 19.02.11 |
| 12. | झारखंड | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.88 | – | 9.21 | 16.08.11 |
| 13. | कर्नाटक | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 7.20 | 9.40 | – | 29.11.11 |
| 14. | केरल | 2.00 | 2.00 | – | 2.00 | 6.70 | 8.90 | – | 18.01.10 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 3.00 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | – | – | 26.08.10 |
| 16. | महाराष्ट्र | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 7.20 | – | 9.60 | 16.08.11 |
| 17. | मणिपुर | 5.98 | 6.20 | – | 3.47 | 8.35 | 8.95 | – | 26.07.10 |
| 18. | मेघालय | – | 6.15–6.65 | – | 3.00 | 6.60–7.10 | 8.45/8.50 से 8.95/9.00 | 8.80/9.00 से 9.30 | 02.09.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | मिजोरम | – | 6.15 | – | 3.00 | – | 9.50 | – | 08.11.11 |
| 20. | नागालैंड | 6.25 (आटा) | 6.15 | 2 | 3 | 6.10 | – | 8.30 | 18.02.10 |
| 21. | ओडिशा | – | 2.00 | – | 2.00 | 7.00 | 9.30 | – | 26.08.11 |
| 22. | पंजाब | 4.57 | – | 2.12 | – | 8.06 | – | – | 15.07.11 |
| 23. | राजस्थान | 2.00 | – | 2.00 | – | 6.70 | – | 9.00 | 10.08.11 |
| 24. | सिक्किम | – | 4.00 | – | नि:शुल्क | – | 9.00 | – | 08.12.09 |
| 25. | तमिलनाडु | 7.50 | 1.00 | 7.50 | 1.00 | 7.50 | 1.00 | – | 20.03.09 |
| 26. | त्रिपुरा | – | 6.15 | – | 3.00 | 10.00 | – | 10.35 | 25.08.11 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 4.65 | 6.15 | 2.00 | 3.00 | 6.60 | – | 8.45 | 10.09.06, 08.06.09 और 21.04.10 |
| 28. | उत्तराखंड | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | – | 16.08.11 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 4.65 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.75 | – | 9.00 | 09.08.11 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 4.45 | 6.05 | 2.00 | 3.00 | 6.50 | – | 8.80 | 12.08.11 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 4.50 | 6.02 | – | 3.00 | – | – | – | 15.07.09 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 4.65 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 6.50 | 8.50 | – | 30.04.10 |
| 33. | दमन और दीव | 4.80 | 6.40 | 2.00 | 3.00 | 6.85 | – | 9.00 | 01.12.09 |
| 34. | लक्षद्वीप | 7.10 | 6.15 | 7.10 | 3.00 | 7.50 | 10.40 | – | 17.01.11 |
| 35. | पुडुचेरी | – | नि:शुल्क | – | नि:शुल्क | 1.00 | 1.00 | – | 11.02.10 |

## *विवरण III*

*आवश्यक वस्तुओं की प्रतिशत भिन्नता के साथ दैनिक खुदरा मूल्य*

| दिनांक: 2.3.2012 | जिन्स: चावल दैनिक खुदरा मूल्य | | | | | यूनिट: (रुपए प्रति किलोग्राम) % भिन्नता | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्र | वर्तमान तारीख 3.2.2012 | 1 माह पीछे 2.2.2012 | 3 माह पीछे 12.2.2011 | 6 माह पीछे 9.2.2011 | 1 वर्ष पीछे 3.2.2011 | 1 माह पीछे 2.2.2012 | 3 माह पीछे 12.2.2011 | 6 माह पीछे 9.2.2011 | 1 वर्ष पीछे 3.2.2011 |
| दिल्ली | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 4.34 | 0 | 0 | 4.35 |
| मुम्बई | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| कोलकाता | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 0 | –5 | –9.52 | –5 |
| चेन्नई | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | जिन्स: गेहूं दैनिक खुदरा मूल्य | | | | | यूनिट: (रुपए प्रति किलोग्राम) % भिन्नता | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्र | वर्तमान तारीख 3.2.2012 | 1 माह पीछे 2.2.2012 | 3 माह पीछे 12.2.2011 | 6 माह पीछे 9.2.2011 | 1 वर्ष पीछे 3.2.2011 | 1 माह पीछे 2.2.2012 | 3 माह पीछे 12.2.2011 | 6 माह पीछे 9.2.2011 | 1 वर्ष पीछे 3.2.2011 |
| दिल्ली | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 0 | 6.67 | 6.67 | 0 |
| मुम्बई | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 0 | 0 | −4.55 | 0 |
| कोलकाता | प्राप्त नहीं | प्राप्त नहीं | प्राप्त नहीं | प्राप्त नहीं | प्राप्त नहीं | प्राप्त नहीं | प्राप्त नहीं | प्राप्त नहीं | प्राप्त नहीं |
| चेन्नई | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | −8.33 |

## *विवरण IV*

*देश के विभिन्न भागों में 2010-11 चीनी मौसम के दौरान एस-30 ग्रेड की चीनी के गैर लेवी मिल मूल्यों की रेंज*

(रुपए प्रति क्विंटल/मिल)

| जनवरी | अक्तूबर, 2010 | नवम्बर, 2010 | दिसम्बर, 2010 | जनवरी, 2011 | फरवरी, 2011 | मार्च, 2011 | अप्रैल, 2011 | मई, 2011 | जून, 2011 | जुलाई, 2011 | अगस्त, 2011 | सितम्बर 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 2590-2790 | 2705-2940 | 2840-3090 | 2770-3090 | 2690-2865 | 2740-2890 | 2770-2880 | 2720-2810 | 2640-2790 | 2740-2890 | 2690-2920 | 2690-2820 |
| महाराष्ट्र | 2450-2550 | 2570-2820 | 2680-2820 | 2600-2770 | 2560-2635 | 2530-2700 | 2510-2585 | 2440-2575 | 2350-2590 | 2570-2675 | 2460-2581 | 2560-2650 |
| आंध्र प्रदेश | 2500-2650 | 2600-2950 | 2700-3000 | 2600-2960 | 2600-2750 | 2570-2750 | 2510-2750 | 2520-2700 | 2402-2700 | 2550-2760 | 2515-2720 | 2540-2740 |
| तमिलनाडु | 2500-2580 | 2670-2880 | 2800-2875 | 2750-2870 | 2650-2750 | 2575-2700 | 2575-2620 | 2520-2600 | 2400-2620 | 2550-2620 | 2500-2620 | 2630-2680 |
| गुजरात | 2530-2620 | 2600-2951 | 2760-2930 | 2680-2900 | 2640-2750 | 2660-2760 | 2640-2700 | 2530-2680 | 2430-2730 | 2600-2750 | 2500-2630 | 2530-2650 |
| पंजाब | 2575-2625 | 2525-2650 | 2550-2600 | 2550-2890 | 2815-2880 | 2800-2860 | 2625-2855 | 2525-2690 | 2470-2690 | 2550-2665 | 2520-2670 | 2550-2655 |
| कर्नाटक | 2400-2500 | 2540-2800 | 2650-2800 | 2580-2775 | 2530-2600 | 2520-2600 | 2495-2580 | 2450-2560 | 2350-2610 | 2540-2625 | 2480-2570 | 2540-2630 |

स्रोत: डेली ट्रेडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट, शर्करा निदेशालय।

### विवरण V

देश के विभिन्न भागों में 2011-12 चीनी मौसम (6 मार्च, 2012 तक) के दौरान एस-30 ग्रेड की चीनी के गैर लेवी मिल मूल्यों की रेंज

(रुपए प्रति क्विंटल/मिल)

| राज्य | अक्तूबर, 2011 | नवम्बर, 2011 | दिसम्बर, 2011 | जनवरी, 2012 | फरवरी, 2012 | मार्च, 2012 (6 तक) | अप्रैल, 2012 | मई, 2012 | जून, 2012 | जुलाई, 2012 | अगस्त, 2012 | सितम्बर 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 2755-2990 | 2880-3290 | 2905-3140 | 2825-3020 | 2785-2970 | 2835-2895 | | | | | | |
| महाराष्ट्र | 2560-2680 | 2580-3100 | 2690 2900 | 2650-2720 | 2650-2750 | 2690-2720 | | | | | | |
| आंध्र प्रदेश | 2540-2810 | 2600-3100 | 2650-3000 | 2602-2820 | 2630-2900 | 2650-2800 | | | | | | |
| तमिलनाडु | 2620-2700 | 2660-2850 | 2650-2790 | 2630-2720 | 2620-2800 | 2660-2680 | | | | | | |
| गुजरात | 2600-2750 | 2650-3180 | 2700-3000 | 2650-2820 | 2750-2885 | 2790-2840 | | | | | | |
| पंजाब | 2570-2720 | 2615-2850 | 2670-2845 | 2720-2855 | 2730 2865 | प्राप्त नहीं/ उपलब्ध नहीं | | | | | | |
| कर्नाटक | 2540-2670 | 2600-2960 | 2620-2920 | 2620-2675 | 2630-2750 | 2640-2720 | | | | | | |

स्रोत: डेली ट्रेडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट, शर्करा निदेशालय।

*[अनुवाद]*

**जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत उपलब्धियां**

***6. श्री सी. राजेन्द्रन:**
**श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के पहले चरण की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसे मार्च, 2012 तक पूरा किया जाना है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस मिशन के अंतर्गत राज्य-वार क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ग) मिशन के पहले चरण के दौरान इसके अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई, जारी की गई और उपयोग में लाई गई;

(घ) क्या सरकार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में अगले चरण में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में अगले चरण हेतु क्या लक्ष्य उन्मुखी विशेष रणनीति बनाई गई है और प्रयास किए गए है?

**शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शहरी अवस्थापना, सेवा सुपुर्दगी तंत्रों, सामुदायिक सहभागिता और नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) तथा पैरास्टाटल एजेंसियों की जवाबदेही पर बल देते हुए देश भर में सुधार प्रेरित और शहरों के तीव्र विकास के उद्देश्य वाला 2005-06 से आरंभ होकर 2011-12 तक का एक सात वर्षीय मिशन है। समग्र मिशन अवधि अर्थात् 2005 से 2012 के लिए जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) घटक के लिए वित्तीय परिव्यय के रूप में 31,500 करोड़ रुपये तथा छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के लिए 11,400 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

जेएनएनयूआरएम के यूआईजी के तहत 28523.30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की वचनबद्धता के साथ 29.2.2012 की स्थिति के अनुसार 548 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा जेएनएनयूआरएम के तहत बसों की खरीद के लिए स्वीकृत 2088.85 करोड़ रुपये की वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए कुल एसीए वचनबद्धता 30612.15 करोड़ रुपये है। 29.2.2012 की स्थिति के अनुसार 127 परियोजनाएं वास्तविक रूप से पूर्ण हो जाने तथा शेष 421 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में होने की सूचना प्राप्त हुई है। विगत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्य-वार जारी एसीए का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

29.2.2012 की स्थिति के अनुसार जेएनएनयूआरएम के यूआईडीएसएसएमटी के तहत 10957.32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की वचनबद्धता के साथ 788 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में यूआईडीएसएसएमटी के तहत राज्यवार जारी निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) मिशन के प्रथम चरण के दौरान इसके तहत, राज्यवार एसीए वचनबद्धता और उपयोग हेतु जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने 20 वर्षों की अवधि के लिए शहरी अवस्थापना सेवाओं के लिए निवेश अपेक्षाओं के अनुमानन हेतु डॉ. ईशर जज अहलुवालिया की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, तत्पश्चात् जेएनएनयूआरएम-II की रूपरेखा सुझाने के लिए वरूण मैरा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। जेएनएनयूआरएम के अगले चरण हेतु कार्यनीति और पहलों पर अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

### *विवरण I*

*जेएनएनयूआरएम के यूआईजी के तहत गत तीन वर्ष के लिए स्वीकृत परियोजनाओं के राज्य और वर्ष-वार ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2008-09 | | | 2009-10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत धनराशि | एसीए वचनबद्धता | उपयोग हेतु जारी एसीए | स्वीकृत धनराशि | एसीए वचनबद्धता | उपयोग हेतु जारी एसीए |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 73,709.50 | 34,994.75 | 18,898.95 | 37,595.00 | 13,935.00 | 27,385.07 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 9,128.50 | 8,215.65 | 2,053.91 | - | - | 2,006.94 |
| 3. | असम | - | - | 6,321.15 | - | - | 7,112..41 |
| 4. | बिहार | 67,486.01 | 37,628.03 | 1,955.62 | - | - | 7,441.39 |
| 5. | चंडीगढ़ | - | - | 405.20 | 13,421.00 | 10,738.80 | - |
| 6. | छत्तीसगढ़ | - | - | - | - | - | 12,145.60 |
| 7. | दिल्ली | 49,922.00 | 17,472.30 | 2,220.58 | 534,015.00 | 186,904.60 | 17,248.00 |
| 8. | गोवा | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | गुजरात | 136,170.62 | 54,294.22 | 47,035.34 | 45,483.26 | 20,604.09 | 47,788.21 |
| 10. | हरियाणा | 49,349.00 | 24,674.50 | 9,147.46 | – | – | – |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 7,236.00 | 5,788.80 | – | 5,474.00 | 3,880.00 | 2,619.01 |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | 12,100.00 | 10,000.00 | 2,500.00 | – | – | – |
| 13. | झारखंड | 76,149.48 | 48,268.46 | 6,682.46 | – | – | 5,384.66 |
| 14. | कर्नाटक | 98,084.00 | 32,211.85 | 12,992.94 | 6,215.00 | 4,332.00 | 21,578.53 |
| 15. | केरल | 27,118.00 | 18,405.20 | 3,350.50 | 2,210.00 | 1,105.00 | 2,439.45 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 48,551.64 | 24,275.82 | 15,931.43 | 37,388.00 | 20,115.70 | 12,343.27 |
| 17. | महाराष्ट्र | 330,929.83 | 140,074.76 | 88,349.54 | 22,169.78 | 10,356.86 | 88,649.86 |
| 18. | मणिपुर | 2,564.82 | 2,308.34 | – | 10,250.13 | 9,225.12 | 2,883.37 |
| 19. | मेघालय | 21,795.72 | 19,616.15 | 4,904.04 | – | – | – |
| 20. | मिजोरम | – | – | – | – | – | 756.82 |
| 21. | नागालैंड | – | – | 389.26 | 5,042.43 | 4,538.19 | 1,702.81 |
| 22. | ओडिशा | 23,523.00 | 18,818.40 | 3,338.0 | 7,182.00 | 4,500.00 | 2,491.60 |
| 23. | पंजाब | 7,249.00 | 3,624.50 | 4,939.22 | 4,578.00 | 2,289.00 | 3,346.62 |
| 24. | पुडुचेरी | 4,966.00 | 3,972.80 | 993.20 | – | – | – |
| 25. | राजस्थान | 40,004.94 | 23,364.47 | 20,281.38 | – | – | 2,826.10 |
| 26. | सिक्किम | – | – | 538.20 | 7,261.66 | 6,535.49 | 1,663.87 |
| 27. | तमिलनाडु | 258,559.92 | 94,398.69 | 28,446.11 | 22,675.00 | 9,000.00 | 37,723.44 |
| 28. | त्रिपुरा | 7,826.00 | 7,043.40 | 1,760.85 | 10,221.00 | 9,000.00 | 2,250.00 |
| 29. | उत्तर प्रदेश | 280,597.19 | 142,547.53 | 43,078.75 | 65,132.77 | 31,500.00 | 47,632.21 |
| 30. | उत्तराखंड | 16,079.49 | 12,866.12 | 2,678.56 | 6,283.00 | 4,628.00 | 7,546.69 |
| 31. | पश्चिम बंगाल | 156,640.86 | 54,824.29 | 22,857.17 | 111,113.68 | 44,822.75 | 27,717.88 |
| | कुल | 1,805,750.52 | 839,688.03 | 352,049.52 | 953,710.71 | 397,990.60 | 392,683.81 |

*–जारी*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2010-2011 | | | 2011-2012 (29.02.2012 तक) | | | कुल योग* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत धनराशि | एसीए वचनबद्धता | उपयोग हेतु जारी एसीए | स्वीकृत धनराशि | एसीए वचनबद्धता | उपयोग हेतु जारी एसीए | स्वीकृत धनराशि | एसीए वचनबद्धता | उपयोग हेतु जारी एसीए |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | - | - | 15,569.86 | - | - | 23,071.40 | 111,304.50 | 48,928.75 | 84,925.28 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | - | - | - | - | - | 2,436.51 | 9,128.50 | 8,215.65 | 6,497.36 |
| 3. | असम | - | - | 3,792.54 | - | - | 6,795.91 | - | - | 24,022.01 |
| 4. | बिहार | - | - | - | - | - | - | 67,486.01 | 37,628.03 | 9,397.01 |
| 5. | चंडीगढ़ | - | - | 734.52 | - | - | - | 13,421.00 | 10,738.80 | 1,139.72 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | - | - | 3,643.68 | - | - | - | - | - | 15,789.28 |
| 7. | दिल्ली | 135,771.00 | 47,520.00 | 43,509.00 | - | - | 6,938.27 | 719,708.00 | 251,896.90 | 69,915.85 |
| 8. | गोवा | - | - | - | 7,484.08 | 5,987.26 | 72.45 | 7,484.08 | 5,987.26 | 72.45 |
| 9. | गुजरात | 2,631.04 | 2,104.84 | 7,297.21 | - | I | 34,673.32 | 184,293.92 | 77,003.15 | 136,794.08 |
| 10. | हरियाणा | - | - | 5,283.80 | - | - | 719.50 | 49,349.00 | 24,674.50 | 15,150.76 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | - | - | - | - | - | 121.09 | 12,710.00 | 9,668.80 | 2,740.10 |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | - | - | - | - | - | 7,042.02 | 12,100.00 | 10,00.00 | 9,542.02 |
| 13. | झारखंड | 3,336.24 | 1,668.12 | 417.03 | - | - | 6,204.58 | 79,485.72 | 49,936.58 | 18,688.73 |
| 14. | कर्नाटक | - | - | 7,659.85 | 330.00 | 264.00 | 20,517.49 | 104,629.00 | 36,807.85 | 62,748.81 |
| 15. | केरल | - | - | - | - | - | 3,510.32 | 29,328.00 | 19,510.20 | 9,300.27 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 18,000.00 | 9,000.00 | 4,828.66 | - | - | 14,280.93 | 1103,939.64 | 53,391.52 | 47,384.29 |
| 17. | महाराष्ट्र | - | - | 42,004.49 | 10,941.57 | 3,829.55 | 59,543.74 | 364,041.18 | 154,241.17 | 278,547.63 |
| 18. | मणिपुर | - | - | - | - | - | 2,078.42 | 12,814.95 | 11,533.46 | 4,961.79 |
| 19. | मेघालय | - | - | - | - | - | 7,296.11 | 21,795.72 | 19,616.15 | 12,200.15 |
| 20. | मिजोरम | - | - | - | 11,090.36 | 9,981.32 | - | 11,090.36 | 9,981.32 | 756.82 |
| 21. | नागालैंड | - | - | - | 4,026.10 | 3,623.49 | 1,246.83 | 9,068.53 | 8,161.68 | 3,338.90 |
| 22. | ओडिशा | - | - | - | - | - | 6,999.34 | 30,705.00 | 23,318.40 | 12,828.94 |
| 23. | पंजाब | - | - | - | - | - | - | 11,827.00 | 5,913.50 | 8,285.84 |
| 24. | पुडुचेरी | - | - | - | - | - | 2,189.00 | 4,966.00 | 3,972.80 | 3,182.20 |
| 25. | राजस्थान | - | - | - | - | - | 4,584.94 | 40,004.94 | 23,364.47 | 27,692.42 |

| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | सिक्किम | - | - | - | - | - | 1,273.34 | 7,261.66 | 6,535.49 | 3,475.31 |
| 27. | तमिलनाडु | 11,610.00 | 4,063.50 | 2,635.84 | - | - | 17,878.47 | 292,84.92 | 107,462.19 | 86,683.86 |
| 28. | त्रिपुरा | - | - | - | - | - | 2,406.51 | 18,047.00 | 16,043.40 | 6,417.36 |
| 29. | उत्तर प्रदेश | - | - | 25,479.16 | - | - | 39,075.76 | 345,729.96 | 174,047.53 | 155,265.88 |
| 30. | उत्तराखंड | 4,377.33 | 3,501.86 | 981.06 | 1,182.27 | 945.82 | 4,507.51 | 27,922.09 | 21,941.80 | 15,713.82 |
| 31. | पश्चिम बंगाल | 120,741.71 | 42,259.61 | 17,412.81 | 96,252.10 | 34,855.49 | 21,492.75 | 484,748.35 | 176,7762.14 | 89,480.61 |
| | कुल | 296,467.32 | 110,117.93 | 181,249.51 | 131,306.48 | 59,486.93 | 296,956.41 | 3,187,235.03 | 1,407,283.49 | 1,222,939.55 |

*कुल योग वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक के आधार पर है।

## *विवरण II*

*2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 20110-11 और 2011-12 के दौरान यूआईडीएसएसएमटी के तहत वचनबद्धता/जारी एसीए की राज्यवार स्थिति (29.2.2012 की स्थिति के अनुसार)*

(लाख रु. में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | मिशन अवधि के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या | स्वीकृत लागत | मिशन अवधि के दौरान एसीए वचनबद्धता | उपयोग हेतु जारी एसीए | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 29.2.2012) तक) | जारी कुल एसीए |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 84 | 245995.50 | 199157.32 | 4919.68 | 25568.26 | 2354605 | 75586.14 | 476.88 | 43079.00 | 22017.66 | 195193.67 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 9 | 3935.98 | 3542.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1771.19 | | | 1771.19 | 3542.38 |
| 3. | असम | 30 | 20783.28 | 18953.14 | 0.00 | 1363.93 | 1645.22 | 6946.79 | | | 2408.73 | 12364.67 |
| 4. | बिहार | 11 | 26113.91 | 21119.94 | 0.00 | 3642.83 | 2689.05 | 4342.50 | | | | 10674.38 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 4 | 2514365 | 13472.92 | 0.00 | 2447,46 | 4289.00 | 0.00 | | 2447.46 | 4289.00 | 13472.92 |
| 6. | गोवा | 3 | 2875.00 | 2211.00 | 0.00 | 000 | 000 | 000 | | 337.20 | 768.30 | 1105.50 |
| 7. | गुजरात | 52 | 43814.36 | 35195.58 | 2444.18 | 6002.90 | 2678.67 | 12169.71 | | 4651.09 | 2460.81 | 30407.36 |
| 8. | हरियाणा | 8 | 16407.81 | 13277.69 | 0.00 | 0.00 | 4189.99 | 2524.58 | | | 2913.22 | 9627.79 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 7 | 6168.49 | 4961.88 | 0.00 | 357.33 | 392.11 | 85.59 | | 345.82 | 2098.37 | 3279.22 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 45 | 39867.47 | 36294.40 | 0.00 | 1010002 | 2724.25 | 1508.92 | | 4020.85 | | 18354.04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | झारखंड | 5 | 9646.55 | 7861.94 | 0.00 | 0.00 | 400332 | 0.00 | | | | 4003.32 |
| 12. | कर्नाटक | 38 | 68248.57 | 55116.01 | 0.00 | 8216.71 | 6091.10 | 14891.23 | | 17662.95 | 2069.43 | 48931.42 |
| 13. | केरल | 25 | 42778.55 | 34532.14 | 000 | 3363.03 | 5194.27 | 8783.42 | | | | 17340.1%2. |
| 14. | मध्य प्रदेश | 58 | 109583.29 | 87892.59 | 0.00 | 7554.74 | 10864.06 | 12973.96 | | 3871.53 | 13330.16 | 48594.45 |
| 15. | महाराष्ट्र | 94 | 274443.87 | 21685087 | 000 | 11774.69 | 10174.78 | 88262.04 | 14072.30 | 22781.21 | 21036.71 | 168101.72 |
| 16. | मणिपुर | 5 | 627700 | 5670.09 | 0.00 | 0.00 | 644.49 | 2200.95 | | | | 2845.44 |
| 17. | मेघालय | 2 | 143326 | 1289.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.97 | | | | 644.97 |
| 18. | मिजोरम | 2 | 1555.04 | 1399.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.77 | | | | 699.77 |
| 19. | नागालैंड | 1 | 423.89 | 38150 | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 | 190.75 | | | 190.75 |
| 20. | ओडिशा | 17 | 22503.48 | 18171.55 | 0.00 | 2234.43 | 2435.04 | 4410.38 | | 90.37 | | 9170.22 |
| 21. | पंजाब | 17 | 39577.45 | 31785.23 | 0.00 | 0.00 | 7587.04 | 8367.20 | | 1982.00 | | 17936.24 |
| 22. | राजस्थान | 37 | 60988.52 | 49063.07 | 1383.63 | 4300.70 | 355594 | 1918172% | | | | 28421.99 |
| 23. | सिक्किम | 5 | 3992.82 | 3617.25 | 0.00 | 0.00 | 73508 | 1085.40 | | | 1796.77 | 3617.25 |
| 24. | तमिलनाडु | 123 | 88272.98 | 70618.38 | 0.00 | 12168.51 | 10493.41 | 2923176 | 1935.35 | 2135.61 | 75.20 | 56039.84 |
| 25. | त्रिपुरा | 4 | 7816.81 | 7100.13 | 0.00 | 0.00 | 2005.00 | 157738 | | | 2458.69 | 6041.07 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 64 | 11580515 | 94447.49 | 0.00 | 20534.14 | 10340 12 | 16865.71 | 10918.80 | 16933.84 | 1038.08 | 76630.69 |
| 27. | उत्तराखंड | 1 | 6173.25 | 4938.60 | 0.00 | 000 | 0.00 | 2469.30 | | | | 2469.30 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 34 | 56932.44 | 45893.21 | | 5267.38 | 412200 | 1138839 | | 2005.51 | 7346.82 | 30130.10 |
| 29. | दिल्ली | 0 | 000 | 0.00 | 000 | 000 | 0.00 | 000 | | | | 0.00 |
| 30. | पुडुचेरी | 1 | 3918.00 | 3134.40 | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 | 1567.20 | | 811.00 | 237820 |
| 31. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 000 | |
| 32. | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 000 | 0.00 | 000 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 33. | दादरा और नगर हवेली | 1 | 1864.73 | 149178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 719.89 | | | 745.89 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 000 | 0.00 | 000 | 000 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 35. | दमन और दीव | 1 | 942.37 | 753.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3100 | | | | 31.00 |
| | कुल | 788 | 1354283.47 | 1090195.87 | 8747.49 | 124897.06 | 120399.99 | 328026.00 | 29881.17 | 122344.44 | 88690.14 | 822986.28 |

## विवरण III

परियोजना कार्यान्वयन का राज्य-वार ब्यौरा

(25.2.2012 की स्थिति के अनुसार)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या | पूर्ण परियोजनाओं की संख्या | स्वीकृत लागत | अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए वचनबद्धता) | उपयोग हेतु जारी एसीए |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 50 | 18 | 488,153.01 | 205,346.11 | 143,025.16 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 3 | | 18,048.20 | 16,243.38 | 8,504.30 |
| 3. | असम | 2 | | 31,610.71 | 28,449.64 | 24,813.27 |
| 4. | बिहार | 8 | | 71,1.81.41 | 39,475.72 | 9,858.94 |
| 5. | चंडीगढ़ | 3 | | 19,119.60 | 15,295.68 | 2,684.64 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 1 | | 30,364.00 | 24,291.20 | 21,862.08 |
| 7. | दिल्ली | 28 | 4 | 719,708.00 | 251,897.80 | 69,916.17 |
| 8. | गोवा | 2 | | 7,484.08 | 5,987.28 | 72.45 |
| 9. | गुजरात | 71 | 36 | 549,289.41 | 238,556.65 | 178,777.84 |
| 10. | हरियाणा | 4 | | 69,720.70 | 34,860.35 | 17,788.48 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 4 | | 15,323.06 | 11,759.25 | 3,262.71 |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | 4 | | 53,152.00 | 46,946.80 | 18,778.73 |
| 13. | झारखंड | 5 | | 79,485.72 | 49,936.43 | 18,688.73 |
| 14. | कर्नाटक | 47 | 21 | 369,374.80 | 145,401.68 | 91,871.90 |
| 15. | केरल | 11 | | 99,789.00 | 64,554.60 | 20,025.20 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 23 | 6 | 245,921.54 | 125,920.42 | 66,880.35 |
| 17. | महाराष्ट्र | 80 | 14 | 1,160,078.32 | 517,116.72 | 378,953.15 |
| 18. | मेघालय | 2 | | 21,795.72 | 19,616.15 | 12,200.15 |
| 19. | मणिपुर | 3 | | 15,395.66 | 13,856.09 | 5,542.45 |
| 20. | मिजोरम | 4 | | 12,772.1.6 | 11,494.94 | 1,135.23 |
| 21. | नागालैंड | 3 | | 11,594.13 | 10,434.72 | 3,517.90 |
| 22. | ओडिशा | 5 | | 81,197.66 | 63,712.53 | 22,927,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | पुडुचेरी | 2 | | 25,306.00 | 20,244.80 | 7,250.20 |
| 24. | पंजाब | 6 | | 72,539.00 | 36,269.50 | 14,672.88 |
| 25. | राजस्थान | 13 | 2 | 122,773.11 | 76,555.99 | 42,493.38 |
| 26. | सिक्किम | 2 | | 9,653.67 | 8,688.30 | 4,013.51 |
| 27. | तमिलनाडु | 48 | 12 | 530,128.28 | 212,677.10 | 115,690.11 |
| 28. | त्रिपुरा | 2 | | 18,047.00 | 16,.043.40. | 6,417.36 |
| 29. | उत्तर प्रदेश | 33 | 1 | 536,361.94 | 269,660.09 | 178,491.79 |
| 30. | उत्तराखंड | 14 | | 40,256.22 | 31,806.60 | 17,237.67 |
| 31. | पश्चिम बंगाल | 65 | 13 | 654,071.19 | 239,219.93 | 103,876.31 |
| | कुल | 548 | 127 | 6,179,695.30 | 2,852,319.84 | 1,611,230.51 |

### मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

*7. **डॉ. क्रुपारानी किल्ली:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मछुआरों के कल्याण संबंधी राष्ट्रीय योजना और देश में मछुआरों संबंधी अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार परिणाम क्या है;

(ग) इन योजनाओं में पायी गई कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में मछुआरों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

**कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) से (घ) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग 'राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना' और अन्य योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन करा रहा है। मूल्यांकन रिपोर्टों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

### धान का खरीद मूल्य

*8. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:**
**श्री रूद्रमाधव राय:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संपूर्ण देश में किसान धान का एक समान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पाने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग के अंतर्गत स्थापित तथ्यों का पता लगाने संबंधी मिशन सहित कृषि उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई सहित इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) किसानों द्वारा बेची जा रही धान की समग्र उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) जी, हां। मौजूदा खरीद नीति के अनुसार केन्द्र सरकार भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों/राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान, गेहूं और मोटे अनाज हेतु मूल्य सहायता प्रदान करती है। किसानों द्वारा बिक्री हेतु निर्दिष्ट खरीद केन्द्रों में लाया गया समस्त खाद्यान्न, जो निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होता है, खरीद एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लिया जाता है। किसानों के पास अपने उत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम/

राज्य एजेंसियों को बेचने अथवा खुले बाजार में बेचने, जो भी उनके लिए लाभदायक है, का विकल्प उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं। मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) किसानों द्वारा लाए गए धन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

*विवरण*

1. संबंधित राज्य की खरीद की क्षमता और भौगोलिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए खरीद मौसम में पूर्व राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त संख्या में खरीद केन्द्र स्थापित किए जाते हैं। खरीद मौसम के दौरान अतिरिक्त खरीद केन्द्रों की आवश्यकता, यदि कोई हो, के बारे में समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अपेक्षित अतिरिक्त खरीद केन्द्र भी खोले जाते हैं।

2. प्रत्येक विपणन मौसम शुरू होने से पूर्व आने वाले मौसम में खरीद की व्यवस्थाएं करने हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्यों के खाद्य सचिवों, भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों की एक बैठक का आयोजन करता है। इस बैठक में, खोले जाने वाले खरीद केन्द्रों की संख्या और पैकेजिंग सामग्री की खरीद जैसी व्यवस्थाओं एवं भंडारण स्थान के बारे में विचार-विमर्श किया जाता है।

3. विशेष रूप से उन राज्यों में जहां विपणन अवसंरचना अच्छी तरह से विकसित नहीं है, छोटे और सीमान्त किसानों से खरीद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2009-10 से सहकारी समितियों एवं स्व-सहायता समूहों द्वारा खरीद हेतु कमीशन प्रभार को बढ़ाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य का 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इस उपाय से किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की पहुंच बढ़ेगी।

4. खरीद को अधिकतम करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों की पहुंच में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्यों को खरीद की विकेन्द्रीकृत प्रणाली को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों की खरीद और वितरण का कार्य राज्य सरकार स्वयं करती है। राज्य की आवश्यकता से अतिरिक्त खरीदी गई मात्रा अन्यत्र वितरणार्थ केन्द्रीय पूल में भिजवाई जाती है, जबकि कमी की पूर्ति केन्द्रीय पूल से की जाती है। खरीद की विकेन्द्रीकृत प्रणाली वर्ष 1997 में लागू की गई थी। धान/चावल के लिए विकेन्द्रीकृत खरीद वाले राज्य छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, केरल, कर्नाटक, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा मध्य प्रदेश हैं और गेहूं की विकेन्द्रीकृत खरीद वाले राज्य मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, गुजरात, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल हैं।

5. किसानों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर, जहां वे अपने उत्पाद को सरकारी खरीद के लिए ला सकें, खरीद केन्द्र खोलने हेतु भारतीय खाद्य निगम और राज्यों को अनुदेश दिए गए हैं।

6. रबी विपणन मौसम 2009-19 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1080 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप रबी विपणन मौसम 2009-10 में 253.82 लाख टन की रिकार्ड खरीद हुई थी। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था और रबी विपणन मौसम 2010-11 में गेहूं की खरीद 225.14 लाख टन हुई थी। रबी विपणन मौसम 2011-12 में सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1120 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया था। इसके अलावा, 50 रुपए का बोनस भी अनुमोदित किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप 283.35 लाख टन गेहूं की खरीद हुई जो कि एक रिकार्ड खरीद थी। रबी विपणन मौसम 2012-13 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य और बढ़ाकर 1285 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

7. खरीफ विपणन मौसम 2009-10 में धान की सामान्य और 'ए' किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 950 रुपए और 980 रुपए निर्धारित किया गया था। इसके अलावा, सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2009-10 के दौरान धान की दोनों किस्मों पर 50 रुपए का बोनस भी घोषित किया था। खरीफ विपणन मौसम 2009-10 के दौरान कुल 320.34 लाख टन चावल की खरीद की गई थी। खरीफ विपणन मौसम 2010-11 के लिए धान की सामान्य और ग्रेड 'ए' किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 1000 रुपए आर 1030 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। खरीफ विपणन मौसम 2010-11 के दौरान चावल की खरीद 341.80 लाख टन रही। खरीफ विपणन मौसम

2011-12 के लिए धान की सामान्य और ग्रेड 'ए' किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को और बढ़ाकर क्रमशः 1080 रुपए और 1110 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया था। खरीफ विपणन मौसम 2011-12 में चावल की खरीद 353 लाख टन अनुमानित है।

8. राज्य सरकारों से बाजार में आवकों को सही तरीकों से दर्ज करने हेतु अनुदेश जारी करने और चावल मिल मालिकों पर कम से कम 50 प्रतिशत का अनिवार्य लेवी अधिरोपण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

**स्मारकों का धीरे-धीरे समाप्त होना**

***9. श्री एस. पक्कीरप्पा:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थित ऐतिहासिक और आधुनिक वास्तुकलाओं तथा विरासत की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या अवसंरचना मौजूद है;

(ख) क्या देश में अनेक ऐतिहासिक स्मारक और स्थल प्रतिकूल मौसम स्थितियों और शहरीकरण के दबाव के कारण धीरे-धीरे समाप्त हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त स्मारकों और स्थलों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इस प्रयोजनार्थ विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि नियत और उपयोग की गई है; और

(ङ) उक्त स्मारकों के धीरे-धीरे समाप्त होने के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है/उठाए जा रहे हैं?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (ङ) विद्यमान नीति के अनुसार स्मारकों को "प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24)" यथा संशोधित "प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 (2010 का 10) के तहत संरक्षित घोषित किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नीति राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित स्मारकों की प्रामाणिकता और अखण्डता के साथ किसी प्रकार का समझौता किए बगैर उन्हें संरक्षित और परिरक्षित करने की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आवश्यकता, जन शक्ति और वित्तीय उपलब्धता पर निर्भर करते हुए नियमित आधार पर राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित स्मारकों और स्थलों का रख-रखाव करता है। देश में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित स्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष भली-भांति परिरक्षित हैं।

तथापि, शहरीकरण का दबाव, वाणिज्यीकरण, विकास परियोजनाओं, बदलते मौसम और भौगोलिक दशाओं जैसे कुछ कारणों के चलते देश में लगभग 35 स्मारकों/स्थलों को लुप्त सूचित किया गया है। ऐसे लुप्त स्मारकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से नियमित सर्वेक्षण/निरीक्षणों और यहां तक कि विभिन्न जिला प्राधिकारियों के साथ संपर्क करके इन लुप्त स्मारकों/स्थलों का पता लगाने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण/परिरक्षण और पर्यावरणीय विकास पर हुआ खर्च तथा इस वर्ष के दौरान आवंटित धनराशि इस प्रकार है:

(लाख रुपयों में)

| | |
|---|---|
| 2008-09 | 13498.60 रुपए |
| 2009-10 | 15300.43 रुपए |
| 2010-11 | 16152.69 रुपए |
| 2011-12 | 14137.00 रुपए आबंटन |

तथापि व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि स्मारकों के सूचित विलोपन के लिए प्राकृतिक कारणों सहित अन्य बहुत से विभिन्न कारण हैं।

***विवरण***

*लुप्त केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची*

**स्मारक/स्थल का नाम**

**असम**

1. सम्राट शेरशाह की तोपें, ना-सादिया, जिला तिनसुकिया

**अरुणाचल प्रदेश**

1. पया के निकट ताम्र मंदिर के खण्डहर, जिला लोहित

**दिल्ली**

1. शेरशाह की दिल्ली का मोती दरवाजा, मौजा बाबरपुर, बाजिदपुर, जिला नई दिल्ली

2. पूल चादर, मौजा चौकरी मुबारकाबाद, जिला उत्तरी दिल्ली
3. अलीपुर कब्रिस्तान, अलीपुर शिविर ग्राउंड, जिला उत्तरी दिल्ली
4. बाराखम्भा कब्रिस्तान, इम्पीरियल सिटी, जिला दिल्ली
5. कैप्टन मैक बारनेट तथा अन्यों का मकबरा जो किशनगंज पर आक्रमण में गिर गया, किशनगंज, जिला उत्तरी दिल्ली
6. रेलवे स्टेशन के निकट तीन गुम्बदों वाला मकबरा, निजामुद्दीन, जिला दक्षिण दिल्ली
7. "राइट अटैक, लैफ्टीनेंट एफ.आर. मानसेल, आर.ई. डायरेक्टिंग इन्जीनीयर, सं. 1 बैटरी-राइट, मेजर जेम्स ब्राइन्ड, आर.ए., कमांडिंग आर्मामेंट फाइव 18-पाउंडर्स : एक 18 - इंच हॉबिजटजर। टू साइलेन्स मोरी बेस्टन" अभिलेख वाला सीज बैटरी का स्थल, पुलिस लाइन में हॉस्पिटल का पूर्व, जिला उत्तरी दिल्ली
8. "सं. 2 बैटरी-राइट, मेजर एडवर्ड काये, आर.ए., कमांडिंग आर्मामेन्ट टू 18-पाउंडर्स; सेवन 8-इंच हॉबिटजर, टू ब्रीच कश्मीर बेस्टन" अभिलेख वाला सीज बैटरी का स्थल कर्जन हाउस का अहाता, जिला उत्तर दिल्ली
9. इंचला वाली गुमटी, गांव मुबारकपुर कोटला, जिला दक्षिण दिल्ली
10. सर्वेक्षण भूखण्ड सं. 167 के भाग में सम्मिलित जोगाबाई के नाम से प्रसिद्ध टीला, जामिया नगर, जिला दक्षिण दिल्ली
11. प्लेटफार्म के दोनों प्रवेश द्वारों के साथ शमसी तालाब, महरौली, जिला दिल्ली
12. कश्मीरी गेट के बाहर की ओर निकोलसन मूर्ति, इसका प्लेटफार्म, इसके आस-पास के उद्यान, मार्ग एवं अहाता दीवार, जिला उत्तरी दिल्ली

**गुजरात**

1. प्राचीन स्थल, सेजकपुर, जिला सुरेन्द्रनगर
2. ऐतिहासिक स्थल सं. 431 से 435, वडोदरा, जिला वडोदरा

**हरियाणा**

1. मुगल कोस मीनार, मुजेसर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा
2. मुगल कोस मीनार, शाहबाद, कुरूक्षेत्र, हरियाणा

**जम्मू और कश्मीर**

1. शीतला, नारद, ब्रह्मा तथा राधा कृष्ण की शैल नक्काशी, बसोहली, जिला कठुआ
2. शेर पर सवार देवी की शैल नक्काशी, बसोहली, जिला कठुआ
3. विश्वेश्वर तथा अन्य गुफा मंदिर, जिला कठुआ

**कर्नाटक**

1. प्रागेतिहासिक स्थल, कित्तूर, जिला मैसर

**राजस्थान**

1. किले में अभिलेख, नागर, जिला टोंक
2. बारहवीं शताब्दी का मंदिर, बारण, जिला बारण

**उत्तराखण्ड**

1. कुटुम्बरी मंदिर, द्वारहाट, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा
2. खेरा की बांदी, पुराना कब्रिस्तान, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार
3. बैराटपत्तन के नाम से स्थानीय तौर पर अभिज्ञात प्राचीन भवनों के अवशेष, ढिकुली, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल

**उत्तर प्रदेश**

1. बन्द कब्रिस्तान, कटरा नाका, तहसील बांदा, जिला बांदा
2. संडी खेडा नामक विशाल ध्वस्त स्थल, पाली, तहसील शाहाबाद, जिला हरदोई
3. कब्रिस्तान, जालौन (बस स्टैंड), तहसील जालौन, जिला जालौन
4. तोपची बरकिल का मकबरा, रनगांव, तहसील महरौनी, जिला ललितपुर
5. इमामबाड़ा अमिन-उद-दौला, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ
6. लखनऊ फैजाबाद रोड पर 3, 4 और 5 मील पर स्थित तीन मकबरे, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ
7. 6 तथा 7 मील पर कब्रिस्तान, जहरैला रोड, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ
8. गौ घाट स्थित कब्रिस्तान, लखनऊ, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ

*[हिन्दी]*

## मानव दुर्व्यापार रोधी यूनिट

***10. श्री महेश्वर हजारी:**
**श्री वीरेन्द्र कुमार:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में मानव दुर्व्यापार के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पता चले मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त संकट को रोकने के लिए देश में मानव दुर्व्यापार रोधी यूनिटें स्थापित की हैं;

(घ) यदि हां, तो स्थापित की गई यूनिटों और उक्त अवधि के दौरान इनके द्वारा हल किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यापक उपाय किए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा मुहैया कराई गई सूचनाओं के अनुसार वर्ष 2008, 2009 और 2010 की अवधि के दौरान कानून के विभिन्न उपबंधों के अन्तर्गत दर्ज मामलों, जो मानव दुर्व्यापार के सामान्य विवरण के अन्तर्गत आते हैं, की कुल संख्या क्रमशः 3030, 2848 और 3422 थी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2010-11 के दौरान 115 मानव दुर्व्यापार-रोधी यूनिटों की स्थापना के लिए सभी राज्यों को 8.72 करोड़ रु. की धनराशि जारी की है। 104 मानव दुर्व्यापार-रोधी यूनिटों को क्रियाशील बना दिया गया है। वर्ष 2011-12 में 110 और मानव दुर्व्यापार-रोधी यूनिटों की स्थापना के लिए सभी राज्य सरकारों को 8.338 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। राज्यों में मानव दुर्व्यापार-रोधी यूनिटों की स्थापना के परिणाम जमीनी स्तर पर सामने आए हैं तथा इनके परिणास्वरूप दर्ज किए गए मामलों की संख्या, बचाव अभियानों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा ज्यादा दोषसिद्धियां हुई हैं। यह 3 वर्षों में 335 एकीकृत मानव दुर्व्यापार-रोधी यूनिटों की स्थापना की व्यापक योजना के अन्तर्गत किया गया है।

(ङ) चूंकि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, इसलिए मानव दुर्व्यापार के अपराध को रोकने तथा उसका मुकाबला करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की हैं। तथापि, मानव दुर्व्यापार का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, अर्थात् मानव दुर्व्यापार के अपराध से समग्र तरीके से निपटने के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 9.9.2009 को सलाह जारी करना तथा कानून के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के अतिरिक्त पीड़ितों के बचाव, राहत और पुनर्वास को शामिल करते हुए एक प्रभावी तथा व्यापक रणनीति तैयार करना और गृह मंत्रालय में मानव दुर्व्यापार-रोधी नोडल सैल की स्थापना करना।

### *विवरण I*

*वर्ष 2008-2010 के दौरान मानव दुर्व्यापार के अन्तर्गत किए गए कुल अपराधों के संबंध में दर्ज मामले (सी.आर.), आरोपपत्रित मामले (सी.एस.), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप-पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2008 | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सीआर | सीएस | सीवी | पीएआर | पीसीएस | पीसीवी | सीआर | सीएस | सीवी | पीएआर | पीसीएस | पीसीवी | सीआर | सीएस | सीवी | पीएआर | पीसीएस | पीसीवी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 408 | 420 | 77 | 1257 | 1340 | 251 | 309 | 321 | 218 | 1070 | 1119 | 200 | 633 | 506 | 79 | 1449 | 1389 | 163 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | असम | 27 | 25 | 10 | 62 | 90 | 17 | 38 | 18 | 0 | 62 | 37 | 0 | 103 | 32 | 2 | 127 | 48 | 4 |
| 4. | बिहार | 106 | 88 | 14 | 189 | 156 | 21 | 129 | 65 | 11 | 161 | 133 | 24 | 184 | 95 | 11 | 179 | 156 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | छत्तीसगढ़ | 8 | 8 | 1 | 18 | 18 | 3 | 14 | 13 | 1 | 49 | 42 | 3 | 25 | 23 | 8 | 79 | 80 | 15 |
| 6. | गोवा | 14 | 12 | 12 | 42 | 34 | 43 | 23 | 19 | 10 | 73 | 44 | 17 | 17 | 14 | 0 | 50 | 36 | 0 |
| 7. | गुजरात | 59 | 55 | 3 | 214 | 209 | 5 | 44 | 39 | 1 | 202 | 192 | 10 | 46 | 46 | 2 | 157 | 156 | 4 |
| 8. | हरियाणा | 77 | 81 | 21 | 361 | 360 | 117 | 90 | 83 | 19 | 391 | 375 | 93 | 57 | 57 | 28 | 226 | 233 | 94 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 29 | 41 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 14 | 0 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | 19 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | झारखंड | 66 | 42 | 5 | 142 | 122 | 13 | 7 | 20 | 10 | 66 | 46 | 22 | 46 | 38 | 5 | 63 | 70 | 12 |
| 12. | कर्नाटक | 521 | 518 | 215 | 1671 | 1657 | 575 | 336 | 319 | 150 | 1341 | 1243 | 322 | 263 | 258 | 264 | 954 | 1034 | 359 |
| 13. | केरल | 200 | 208 | 134 | 438 | 518 | 197 | 328 | 331 | 182 | 666 | 654 | 248 | 315 | 341 | 217 | 586 | 643 | 274 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 30 | 22 | 5 | 78 | 61 | 3 | 22 | 24 | 7 | 82 | 99 | 9 | 44 | 37 | 15 | 144 | 137 | 15 |
| 15. | महाराष्ट्र | 366 | 346 | 62 | 1470 | 1296 | 144 | 344 | 386 | 92 | 1537 | 1744 | 200 | 360 | 376 | 78 | 1096 | 1124 | 176 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | मेगालय | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| 18. | मिजोरम | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | नागालैंड | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 24 | 17 | 18 | 2 | 3 | 4 | 15 | 12 | 1 |
| 20. | ओडिशा | 29 | 36 | 33 | 107 | 82 | 15 | 15 | 16 | 3 | 57 | 56 | 7 | 34 | 31 | 4 | 110 | 149 | 7 |
| 21. | पंजाब | 43 | 45 | 12 | 168 | 157 | 28 | 62 | 50 | 11 | 234 | 183 | 38 | 60 | 56 | 15 | 291 | 257 | 68 |
| 22. | राजस्थान | 72 | 70 | 65 | 253 | 253 | 41 | 63 | 60 | 21 | 216 | 213 | 107 | 96 | 93 | 16 | 312 | 315 | 31 |
| 23. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 688 | 732 | 809 | 1280 | 1207 | 1032 | 716 | 718 | 463 | 1269 | 1403 | 820 | 580 | 576 | 316 | 921 | 931 | 669 |
| 25. | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 4 | 29 | 8 | 4 | 33 | 17 | 0 | 19 | 18 | 0 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 57 | 47 | 37 | 383 | 375 | 276 | 39 | 37 | 21 | 201 | 186 | 176 | 23 | 21 | 28 | 119 | 97 | 201 |
| 27. | उत्तराखंड | 5 | 5 | 6 | 22 | 28 | 20 | 6 | 5 | 5 | 29 | 39 | 9 | 4 | 4 | 11 | 27 | 27 | 29 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 163 | 116 | 12 | 303 | 244 | 20 | 160 | 86 | 9 | 295 | 216 | 17 | 427 | 216 | 15 | 634 | 361 | 46 |
| | कुल राज्य | 2951 | 2884 | 1505 | 8506 | 8222 | 2823 | 2800 | 2651 | 1244 | 8110 | 8116 | 2345 | 3366 | 2847 | 1119 | 7588 | 7295 | 2183 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपमूसह | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ | 7 | 2 | 0 | 35 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 14 | 33 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | 18 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 3 | 4 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 32. | दमन और दीव | 6 | 6 | 0 | 30 | 48 | 0 | 4 | 2 | 0 | 27 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 42 | 35 | 0 |
| 33. | दिल्ली संघ शासित | 60 | 50 | 40 | 162 | 289 | 119 | 30 | 34 | 31 | 79 | 107 | 80 | 32 | 39 | 32 | 100 | 105 | 84 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पुडुचेरी | 3 | 3 | 1 | 19 | 19 | 7 | 9 | 9 | 3 | 32 | 32 | 12 | 11 | 11 | 8 | 37 | 37 | 25 |
| | कुल संघ शासित | 79 | 66 | 41 | 268 | 381 | 126 | 48 | 52 | 35 | 154 | 191 | 93 | 56 | 62 | 40 | 215 | 204 | 109 |
| | कुल अखिल भारत | 3030 | 2950 | 1546 | 8774 | 8603 | 2949 | 2848 | 2703 | 1279 | 8264 | 8307 | 2438 | 3422 | 2909 | 1159 | 7803 | 7499 | 2292 |

स्रोत: भारत में अपराध नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

*मानव दुर्व्यापार के अन्तर्गत अपराधों में निम्नलिखित शीर्ष शामिल है:- अनैतिक मानव दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम+लड़कियों की खरीद+अवयस्क लड़कियों का प्रापण+वैश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद+वैश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की बिक्री।

*कर्नाटक सरकार ने अनैतिक मानव दुर्व्यापार निवारण अधिनियम के वर्ष 2008 से संबंधित आंकड़ों को वर्ष 2011 में बदल दिया है।

## *विवरण II*

*वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान मानव दुर्व्यापार-रोधी यूनिटों की स्थापना के लिए जारी की गई धनराशि*

| राज्य | वर्ष 2010-11 में स्वीकृत मानव दुर्व्यापार-रोधी यूनिटों की संख्या | 7,58,000 रु. प्रति एएचटीयू की दर से वर्ष 2010-11 में स्वीकृत राशि | वर्ष 2011-12 में स्वीकृत एएचटीयू की संख्या | वर्ष 2011-12 में 7,58,000 रु. प्रति एएचटीयू की दर से स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आंध्र प्रदेश | 5 | 37,90,000 | 5 | 37,90,000 |
| अरुणाचल प्रदेश | 3 | 22,74,000 | 3 | 22,74,000 |
| असम | 5 | 37,90,000 | 5 | 37,90,000 |
| बिहार | 7 | 53,06,000 | 7 | 53,06,000 |
| छत्तीसगढ़ | 4 | 30,32,000 | 4 | 30,32,000 |
| गोवा | 1 | 7,58,000 | 1 | 7,58,000 |
| गुजरात | 5 | 37,90,000 | 5 | 37,90,000 |
| हरियाणा | 3 | 22,74,000 | 3 | 22,74,000 |
| हिमाचल प्रदेश | 2 | 15,16,000 | 2 | 15,16,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| जम्मू और कश्मीर | 4 | 30,32,000 | 3 | 22,74,000 |
| झारखंड | 4 | 30,32,000 | 4 | 30,32,000 |
| कर्नाटक | 5 | 37,90,000 | 4 | 30,32,000 |
| केरल | 3 | 22,74,000 | 3 | 22,74,000 |
| मध्य प्रदेश | 8 | 60,64,000 | 8 | 60,64,000 |
| महाराष्ट्र | 6 | 45,48,000 | 6 | 45,48,000 |
| मणिपुर | 2 | 15,16,000 | 2 | 15,16,000 |
| मेघालय | 2 | 7,58,000 | 1 | 7,58,000 |
| मिजोरम | 2 | 7,58,000 | 1 | 7,58,000 |
| नागालैंड | 2 | 15,16,000 | 2 | 15,16,000 |
| ओडिशा | 6 | 45,48,000 | 6 | 45,48,000 |
| पंजाब | 4 | 30,32,000 | 4 | 30,32,000 |
| राजस्थान | 6 | 53,06,000 | 6 | 45,48,000 |
| सिक्किम | 1 | 7,58,000 | 1 | 7,58,000 |
| तमिलनाडु | 6 | 53,06,000 | 6 | 45,48,000 |
| त्रिपुरा | 1 | 7,58,000 | 1 | 7,58,000 |
| उत्तर प्रदेश | 12 | 90,96,000 | 12 | 90,96,000 |
| उत्तरांखंड | 2 | 22,74,000 | 2 | 15,16,000 |
| पश्चिम बंगाल | 4 | 30,32,000 | 3 | 22,74,000 |
| कुल | 115 | 8,71,70,000 | 110 | 8,33,80,000 |

*[अनुवाद]*

## रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल

***11. श्री नरहरि महतो:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल की वकालत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसानों में प्राकृतिक खादों के इस्तेमाल का प्रचार-प्रसार करने तथा उन्हें इस बारे में जागरूक करने में कितनी सफलता हासिल हुई है?

**कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) से (ङ) सरकार फार्म यार्ड खाद (एफवाईएम),

कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, हरी खाद और जैव उर्वरकों जैसी कार्बनिक खादों के संयोजन से रासायनिक उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग की सलाह दे रही है ताकि मृदा स्वास्थ्य और मृदा उत्पादकता को बनाये रखा जा सके।

प्राकृतिक/कार्बनिक खादों को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है:-

(1) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना (एनपीएमएसएचएंडएफ)

(2) राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना (एनपीओएफ)

एनपीएमएसएचएंडएफ मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर प्रशिक्षण और प्रदर्शन तथा जैविक खादों, मृदा सुधारों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, आदि के उपयोग के माध्यम से समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के संवर्धन के लिए सहायता मुहैया कराती है। एनपीओएफ, खाद के उत्पादन व उपयोग पर प्रौद्योगिकी अंतरण प्रशिक्षण फल और सब्जीमण्डी अपशिष्ट कम्पोस्ट उत्पादन/जैव-उर्वरक उत्पादन इकाईयों की स्थापना के माध्यम से प्राकृतिक/जैविक खादों के उपयोग को बढ़ावा देती है। पिछले तीन वर्षों 2008-09 से 2010-11 के दौरान, इन स्कीमों ने प्राकृतिक/जैविक खादों की उपलब्धता, जो वर्ष 2008-09 में लगभग 2136 लाख टन थी, से बढ़ाकर वर्ष 2010-11 में 3671 लाख टन किए जाने में मदद की है। इसी तरह से जैव-उर्वरकों की उपलब्धता जो इसी अवधि में लगभग 25 हजार एमटी थी बढ़कर 38 हजार एमटी हो गई है। जैविक खाद, उत्पादन/उपलब्धता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है और राज्य-वार जैव उर्वरक उत्पादन/उपलब्धता संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कई ग्रामीण और शहरी अपशिष्ट से समृद्ध/वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है। किसानों को शिक्षित करने के लिए आईसीएआर प्रशिक्षण भी देता है। समेकित पोषण प्रबंधन (आईएनएम) पर अग्रणी प्रदर्शन आयोजित करता है।

## *विवरण I*

*जैविक खाद उत्पादन/उपलब्धता का राज्य-वार ब्यौरा*

| राज्य | उत्पादन/उपलब्धि (लाख टन) | | |
|---|---|---|---|
| | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आंध्र प्रदेश | 385.51 | 93.553 | 118.45 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0.122 | 0.1252 | 0.1261 |
| असम | 26.8 | 33.9152 | 5.8572 |
| बिहार | 42.15 | 5.5 | 66.25 |
| छत्तीसगढ़ | 85.4 | 128.73 | 144.48 |
| गोवा | 3.664 | 1.35448 | 3.9045 |
| गुजरात | 66.36 | 21.00 | 40.00 |
| हरियाणा | 115.8 | 10.05 | 18.40 |
| हिमाचल प्रदेश | 34.36 | 40.55 | 40.55 |
| जम्मू और कश्मीर | 3.58 | 459.95 | 22.2071 |
| झारखंड | 20.00 | 23.00 | 23.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| कर्नाटक | 371.51 | 2001.27 | 1442.09 |
| केरल | 116.87 | 131.87 | 131.87 |
| मध्य प्रदेश | 93.6 | 97.5 | 136.00 |
| महाराष्ट्र | 91.32 | 91.32 | 95.47 |
| मणिपुर | 0.5 | 0.50 | 0.50 |
| मिजोरम | 0.018 | 0.21 | 0.215 |
| मेघालय | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
| नागालैंड | 0.00 | 0.0972 | 0.1615 |
| ओडिशा | 84.356 | 85.456 | 131.826 |
| पंजाब | 310.77 | 92.191 | 379.62 |
| राजस्थान | 90.6 | 5.073 | 294.52 |
| सिक्किम | 0.00 | 22.5 | 27.6 |
| तमिलनाडु | 27.34 | 9.067 | 56.39 |
| त्रिपुरा | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उत्तर प्रदेश | 96.7 | 38.767 | 327.786 |
| उत्तराखंड | 0.325 | 0.385 | 0.385 |
| पश्चिम बंगाल | 68.00 | 92.195 | 162.84 |
| कुल | 2135.655 | 3486.12908 | 3671.4494 |

स्रोतः राष्ट्रीय जैविक कृषि केन्द्र, गाजियाबाद

## *विवरण II*

*वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान राज्य-वार जैव उर्वरक उत्पादन/उपलब्धता*

| क्र.सं. | राज्य | जैव उर्वरक उत्पादन (मी. टन में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 168.136 | 1345.28 | 999.60 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0.00 |
| 3. | असम | 129.3552 | 121.04 | 130.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 0 | 0 | 136.26 |
| 5. | दिल्ली | 1165.1 | 1021.85 | 1205.00 |
| 6. | गुजरात | 1149.695 | 1309.19 | 6318.00 |
| 7. | गोवा | 0 | 0 | 443.40 |
| 8. | हरियाणा | 14.25 | 6.195 | 6.53 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 8.5 | 9.00 |
| 10. | झारखंड | 15.0 | 15.0 | 0.00 |
| 11. | कर्नाटक | 11921.057 | 3695.5 | 6930.00 |
| 12. | केरल | 1187.001 | 1936.451 | 3257.00 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 848.448 | 1587.6775 | 2455.57 |
| 14. | महाराष्ट्र | 1249.87 | 1861.33 | 2924.00 |
| 15. | मणिपुर | 0 | 0 | 0.00 |
| 16. | मिजोरम | 1.996 | 2.5 | 2.00 |
| 17. | मेघालय | 0 | 0 | 0.00 |
| 18. | नागालैंड | 16.0092 | 18.25 | 21.50 |
| 19. | ओडिशा | 405.03 | 289.867 | 357.66 |
| 20. | पंजाब | 1.14 | 301.232 | 2.50 |
| 21. | पुडुचेरी | 561.7924 | 452.79 | 783.00 |
| 22. | राजस्थान | 353.67 | 805.571 | 819.75 |
| 23. | सिक्किम | 0 | 0 | 0.00 |
| 24. | तमिलनाडु | 4687.818 | 3732.5862 | 8691.00 |
| 25. | त्रिपुरा | 14.68 | 278.402 | 850.00 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 885.5174 | 962.6417 | 1217.45 |
| 27. | उत्तराखंड | 48.23 | 32.0 | 45.00 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 241.24 | 256.5 | 393.39 |
| | कुल | 25065.0352 | 20040.3534 | 37997.61 |

स्रोत: राष्ट्रीय जैविक कृषि केन्द्र, गाजियाबाद

## सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण

***12. श्री आनंदराव अडसूलः**
**श्री पन्ना लाल पुनियाः**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से सुधार प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु उनके द्वारा की गई पहलों के बारे में जानकारी मांगी है जिससे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से भ्रष्टाचार, अनियमितताओं तथा अन्यत्र उपयोग को समयबद्ध तरीके से रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में आज तक कितनी प्रगति हुई है और इसे पूरा करने हेतु नियत समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया की केन्द्रीयकृत निगरानी करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दक्षता लाने के लिए बॉयोमीट्रिक प्रौद्योगिकी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन सिस्टम, कैश फार फूड आदि जैसी वैकल्पिक योजनाएं शुरू करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो उक्त योजनाओं की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) से (च) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे प्राथमिकता आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण करें, जिसमें उचित दर दुकानों का स्वचालन, आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण, लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजीटाइजेशन और पारदर्शी तथा शिकायत निपटान तंत्र स्थापित करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करना शामिल है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राशन कार्डों का डिजीटीकरण करने (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि), उचित दर दुकानों के लिए कम्प्यूटरीकृत आबंटन (अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, तमिलनाडु आदि), स्मार्ट कार्ड/बिक्री केन्द्र का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसे जारी करने (आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा आदि), शिकायत का निपटान करने (छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु आदि), सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं ले जाने वाले वाहनों का पता लगाने के लिए जीपीएस प्रौद्योगिकी के उपयोग (छत्तीसगढ़, तमिलनाडु), एसएमएस आधारित मानिटरिंग (छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश आदि), और वेब आधारित सिटीजन पोर्टल का उपयोग करने (छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि) के लिए कई उपाय किये हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण को केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स प्लान के अधीन मिशन मोड परियोजना के रूप में भी हाथ में लिया गया है। मिशन मोड परियोजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति और केन्द्रीय परियोजना ई-मिशन टीम द्वारा एक समर्पित संस्थागत तंत्र गठित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्तर पर द्विस्तरीय अवसंरचना बनाएं जिसमें राज्य शीर्ष समिति और राज्य परियोजना ई-मिशन टीम हो।

8-9 फरवरी, 2012 को हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य और कृषि मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के पहचान किये गये महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय-सीमा पर चर्चा की गई और इसकी संस्तुति की गई।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 196/2001 में दिनांक 3.2.2012 के आदेश द्वारा सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण), भारत सरकार को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के समन्वय करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम का मुख्य समन्वयकर्ता नामित किया गया है कि सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण सर्वोच्च प्राथमिकता आधार पर किया जायेगा। सभी मुख्य सचिवों और प्रशासकों को मुख्य समन्वयकर्ता के साथ पूर्ण सहयोग करने और उनके निदेशों का तत्परता से पालन करने का निदेश दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण करने की प्रगति रिपोर्ट भेजें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के प्रति विभिन्न महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय सीमा सहित विस्तृत दिशा निर्देश 7.3.2012 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को जारी किये गये (प्रति संलग्न विवरण में दी गई है)।

रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रणाली का उपयोग करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। जहां तक अनाज के लिए नकद धन देने का संबंध है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को पायलट आधार पर खाद्यान्न और चीनी का वितरण करने की बजाय नकद में खाद्य राजसहायता का अंतरण करने की स्कीम का प्रारूप विचाराधीन है।

### *विवरण*

*सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को जारी निर्देशों के संबंध में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा गठित समूहों की सिफारिशें*

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 24.2.2012 को की गई दूसरी बैठक के दौरान एक छोटे समूह का गठन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, संयुक्त सचिव (कम्प्यूटरीकरण) और डीडीजी, एनआईसी शामिल थे। इस समूह द्वारा उन निदेशों के बारे में सुझाव देने थे, जो पीयूसीएल बनाम भारत संघ और अन्य में रिट याचिका (सिविल) संख्या 196/2001 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए दिनांक 3.2.2012 को सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण) द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को दिये जा सकते थे। समूह की 1.3.2012 को बैठक हुई थी और मामले पर विस्तार से चर्चा की गई थी।

2. संयुक्त सचिव (कम्प्यूटरीकरण एवं डब्ल्यूडीआरए) ने सूचित किया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण करके डिलीवरी और प्रबंध प्रणाली को पारदर्शी बनाना महत्वपूर्ण है। उचित दर दुकानों के स्तर तक संपूर्ण सप्लाई श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण करना और सार्वजनिक डोमेन में पारदर्शी पोर्टल पर इस सूचना को उपलब्ध कराना आज की जरूरत है। उचित दर दुकानों के स्वचालन के जरिये यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसें पात्र लाभार्थियों को जारी की जायें और लेन-देन के ब्यौरे रिकार्ड किये जाएं। आईसीटी का उपयोग करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभिन्न घटकों को स्वचालित बनाने के लिए केन्द्र सरकार और कई राज्य सरकारों द्वारा विगत में पहल की गई हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण करने से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पेश आ रही निम्नलिखित महत्वपूर्ण चुनौतियों का मुकाबला करने में सहायता मिलेगी अर्थात् खाद्यान्नों का लीकेज और विपथन, शामिल करने और शामिल न करने की त्रुटि, जाली राशन कार्ड, पारदर्शिता की कमी और कमजोर शिकायत निपटान तंत्र तथा सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र की समस्या।

3. इसके अलावा यह सूचित किया गया है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण करने में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:-

(क) डिजीटाइज्ड लाभार्थी डाटाबेस का सृजन और प्रबंधन;

(ख) भारतीय खाद्य निगम से लेकर उचित दर दुकानों तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों की आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन;

(ग) उचित दर दुकानों का स्वचालन; और

(घ) पारदर्शिता और शिकायत निपटान तंत्र।

4. समूह ने नोट किया कि कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में काफी कम पहले ही किया जा चुका है, जिसका सारांश नीचे दिया गया है:-

* आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि जैसे राज्यों ने अपने राशन कार्डों का डिजीटाइजेशन कर दिया है।
* छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो गया है।
* छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्य उचित दर दुकानों के आबंटन के लिए कम्प्यूटरीकरण कर रहे हैं।
* आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा आदि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों के बदले स्मार्ट कार्ड जारी किये जा रहे हैं।
* ओडिशा के रायगढ़ जिले में विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः बार कोडेड कूपन और स्मार्ट कार्ड उपयोग किये जाते हैं।
* आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में शिकायत निपटान तंत्र मौजूद है।

* छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों को ढोने वाले वाहनों का पता लगाने के लिए जीपीएस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

* छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता/स्टाक स्थिति के बारे में एसएमएस एलर्ट भेजे जाते हैं।

* छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना सार्वजनिक डोमेन में अपनी वेबसाइट पर रखी है।

* गुजरात उचित दर दुकानों के स्वचालन के प्रयोजनार्थ बारकोडेड राशन कार्डों/फूड कूपनों का उपयोग कर रहा है। उचित दर दुकानों का स्वचालन दो सौ से अधिक उचित दर दुकानों में किया गया है और गुजरात राज्य में सभी उचित दर दुकानों में जून, 2012 तक इसके पूरा होने की संभावना है।

5. उपर्युक्त अधिकांश उपलब्धियां विभिन्न स्तरों पर एनआईसी संसाधनों का उपयोग करके, आधार आंकड़ों का इस्तेमाल कर, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके और राज्य सरकार तथा प्रशासन की प्रतिबद्धता के कारण हासिल हुई हैं। राज्य की प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए विभिन्न घटकों का कम्प्यूटरीकरण शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण प्राथमिकता पर किया गया है जबकि गुजरात में बार कोडेड राशन कार्डों/फूड कूपनों का उपयोग करके उचित दर दुकानों के स्वचालन के लिए ई-ग्राम का उपयोग किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पद्धतियों और पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समूह का विचार है कि अन्य राज्यों को भी छत्तीसगढ़ और गुजरात की तरह अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सक्रिय रूप से एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण करने के लिए निदेश दिये जाएं।

6. संयुक्त सचिव, डब्ल्यूडीआरए द्वारा सूचित किया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के विभिन्न घटकों के लिए समय-सीमा तय करने के मुद्दे पर नई दिल्ली में 8 और 9 फरवरी, 2012 को हुए सम्मेलन के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से चर्चा की गई थी और प्रस्तावित योजना स्कीम में समय-सीमा शामिल की गई है।

7. संपूर्ण श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए तत्काल पग उठाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए समूह सिफारिश करता है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित समय-सीमा का पालन किया जाए:-

* लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजिटीकरण अक्तूबर, 2012 तक पूरा किया जाए।

* आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण मार्च, 2013 तक पूरा किया जाए।

* उचित दर दुकानों का स्वचालन मार्च, 2014 तक पूरा किया जाए।

8. उपर्युक्त समूची समय-सीमा को देखते हुए समूह ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जाएं। राज्य सरकारों द्वारा मासिक आधार पर इसकी प्रगति की मानिटरिंग की जाए:-

8.1 केन्द्रीय राशन कार्ड डाटाबेस का सृजन - 31.10.2012 (लक्षित तारीख)

एनआईसी ने सूचित किया कि अपेक्षित साफ्टवेयर अर्थात् आरसीएमएस (मौजूदा राशन कार्डों प्रबंधन प्रणाली) को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एसआईओ को उपलब्ध कराया गया है। आंकड़ों की प्रविष्टि दिनांक 13.10.2011 के पत्र संख्या 23-12/2011-पीडी2 द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले से ही प्रदत्त डाटा केप्चर फार्म के अनुसार की जा सकती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा आंकड़े प्रविष्ट किये जाने हैं। यदि कोई कस्टमाइजेशन अपेक्षित है तो यह एनआईसी के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर किया जान है। एनआईसी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए।

(कार्रवाई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सचिव और एनआईसी)

8.2 उचित दर दुकानों के डाटाबेस का सृजन - 31.5.2012 (लक्षित तारीख)

एनआईसी ने सूचित किया कि अपेक्षित साफ्टवेयर अर्थात् एसआईएमएस (हितधारक पहचान प्रबंध प्रणाली) को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एसआईओज को उपलब्ध कराया गया है। कम्सटमाइजेशन की जिम्मेदारी एनआईसी की है। आंकड़ों की प्रविष्टि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा की जानी है। एनआईसी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए।

(कार्रवाई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सचिव और एनआईसी)

8.3 भंडारण गोदामों के डाटाबेस का सृजन - 30.4.2012 (लक्षित तारीख)

एनआईसी ने सूचित किया कि अपेक्षित साफ्टवेयर अर्थात् एसआईएमएस को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया है। आंकड़ों की प्रविष्टि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा की जानी है। एनआईसी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए। भारतीय खाद्य निगम ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का डाटाबेस आईआरआरएस के जरिये पहले ही उपलब्ध है लेकिन विकेन्द्रीकृत खरीद योजना वाले राज्यों के लिए गोदामों, जहां केन्द्रीय पूल का स्टाक रखा जाता है, की सूचना फिलहाल उपलब्ध नहीं है। यह सिफारिश की जाती है कि राज्य ऐसे गोदामों (जहां केन्द्रीय पूल का स्टाक रखा जाता है) की डाटा प्रविष्टि 30.4.2012 तक पूरा कर लें।

(कार्रवाई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सचिव और एनआईसी)

8.4 सार्वजनिक वितरण प्रणाली एजेन्सी ब्यौरों का सृजन (भारतीय खाद्य निगम/राज्य/विकेन्द्रीकृत खरीद योजना) - 30.4.2012 (लक्षित तारीख)

एनआईसी ने सूचित किया कि अपेक्षित सॉफ्टवेयर अर्थात् एसआईएमएस को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया है। आंकड़ों की प्रविष्टि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा की जानी है। एनआईसी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए। यह भी नोट किया गया था कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का डाटाबेस आईआरआरएस के जरिये पहले ही उपलब्ध है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा फिलहाल स्टाक स्थिति की प्रविष्टि आईआरआरएस में की जा रही है। यह सिफारिश की जाती है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी एजेन्सी के ब्यौरों की डाटा प्रविष्टि 30.4.2012 तक पूर्ण करनी चाहिए।

(कार्रवाई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सचिव और एनआईसी)

8.5 राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली सूचना पोर्टल

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली सूचना पोर्टल बनाना चाहिए जिसमें कम से कम निम्नलिखित सूचना हो:-

| | | |
|---|---|---|
| क. उचित दर दुकानों का डाटाबेस | - | 31.5.2012 (लक्षित तारीख) |
| ख. भंडारण गोदामों का डाटाबेस | - | 30.4.2012 (लक्षित तारीख) |
| ग. एजेन्सी ब्यौरे (भा.खा.नि./ राज्य/वि.ख.यो) | - | 30.4.2012 (लक्षित तारीख) |
| घ. केन्द्रीकृत राशन कार्ड डाटाबेस | - | 30.4.2012 (लक्षित तारीख) |

(कार्रवाई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सचिव और एनआईसी)

8.6 विकेन्द्रीकृत खरीद योजना वाले राज्य नामतः तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की स्टाक स्थिति

क. भारतीय खाद्य निगम की आईआईएसएफएम परियोजना के अधीन इन राज्यों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा हार्डवेयर प्रदान किया गया है।

ख. संबंधित एप्लीकेशन को उचित रूप से कस्टमाइज्ड किया गया है और इन राज्यों को एनआईसी द्वारा आईआरआरएस-राज्य उपलब्ध कराया गया है।

ग. राज्यों के सभी गोदामों में संबंधित कर्मचारियों को दैनिक आधार पर स्टाक स्थिति की प्रविष्टि शुरू करनी चाहिए।

(कार्रवाई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सचिव और एनआईसी)

9. आम चर्चा के दौरान यह महसूस किया गया कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित मुद्दे भी भेजे जाएं:

9.1 जहां तक राशन कार्ड डाटाबेस सृजन का संबंध है यह निर्णय लिया गया कि राज्यों को सूचित किया जाए कि आधार नामांकन की गति से लाभार्थियों के डाटाबेस का सृजन करने के डिजिटाइजेशन प्रयास प्रभावित नहीं होने चाहिए। दोनों काम साथ-साथ चल सकते हैं। एनआईसी ने सूचित किया कि उनका साफ्टवेयर लाभार्थियों के डाटाबेस में आधार संख्या पकड़ने के लिए सक्षम है। राज्य लाभार्थियों के रिकार्डों का डिजिटाइजेशन करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशन के लिए एनआईसी से परामर्श करें।

9.2 अपेक्षित एप्लीकेशन साफ्टवेयर के कस्टमाइजेशन का मुख्य कार्य एनआईसी आर इसकी राज्य यूनिटों पर है। एनआईसी सुप्रवाही प्रक्रिया लागू करे और तदनुसार अपनी राज्य यूनिटों को निर्देश जारी करे। एनआईसी साफ्टवेयर के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति के बारे में राज्य सरकारों को भी सूचित करे।

9.3 एनआईसी को 15.4.2012 तक विभिन्न एप्लीकेशन मोडयूल के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल तैयार करना चाहिए। इसके बाद खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राज्यों को मैनुअल भेजा जाए। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम ने सुझाव दिया कि केन्द्रीय पूल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्टाक, आपूर्ति श्रृंखला आदि जैसी सभी परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए और सभी को इनका अनुपालन एक समान रूप से करना चाहिए। एनआईसी इन मैनुअलों/दिशा निर्देशों को हिन्दी में भी देने के लिए सहमत हो गया है।

9.4 यह सुझाव दिया गया कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों का आनलाइन आबंटन शुरू करे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सचिवों को निदेश दिया जाए कि वे 15.5.2012 तक एनआईसी द्वारा विकसित किये जाने वाले साफ्टवेयर का उपयोग करके जिलावार आबंटन करे। (कार्रवाई: राज्यवार आबंटन की प्रविष्टि के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग; जिलावार आबंटन की प्रविष्टि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सचिव और साफ्टवेयर के लिए एनआईसी)

9.5 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर आनलाइन आबंटन के बारे में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम ने सुझाव दिया कि एनआईसी एक वेब आधारित एप्लीकेशन का विकास करे जिसका उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिलावार और स्कीमवार आबंटन के आंकड़ों की प्रविष्टि के लिए किया जाए। एनआईसी द्वारा इस माडल को अप्रैल, 2012 से पहले अंतिम रूप दिया जाए।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

| | |
|---|---|
| संयुक्त सचिव (कम्प्यूटरीकरण), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग | डीडीजी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र |
| -----हस्ता/.------ | -----हस्ता/.------ |

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम

-----हस्ता/.------

## डिजीटल मॉड द्वारा पारेषण

***13. श्री संजय दिना पाटील:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का टेलीविजन चैनलों द्वारा एनालॉग मॉड के स्थान पर डिजीटल मॉड द्वारा पारेषण करने की प्रणाली को लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न निजी डायरेक्ट टू होम (डी.टी.एच.) आपरेटरों के बीच अनैतिक प्रतिस्पर्धा के कारण महानगरों विशेषरूप से मुम्बई में उपभोक्ता और सरकार प्रभावित होगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिश के अनुसरण में, सरकार ने दिनांक 11.11.2011 की अधिसूचना के तहत यह अधिसूचित किया था कि प्रत्येक केबल ऑपरेटर के लिए किसी चैनल के कार्यक्रमों को डिजिटल संबोधनीय प्रणाली के जरिए इन्क्रिप्टिड रूप में प्रसारित या पुनः प्रसारित करना अनिवार्य होगा। ट्राई ने "भारत में डिजिटल संबोधनीय केबल प्रणालियों का कार्यान्वयन" नामक विषय पर दिनांक 5 अगस्त, 2010 की अपनी सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अनुशंसा की थी कि केबल टीवी सेवाओं में संबोधनीयता के साथ डिजिटलीकरण को कार्यान्वित किया जाए तथा तद्नुसार, केबल टीवी क्षेत्र में ऐनलॉग प्रणाली से डिजिटल संबोधनीय प्रणाली (डास) में अंतरण हेतु चार चरणों की समय-सीमा की अनुशंसा की।

केबल टीवी सेवाओं में डिजिटल संबोधनीय प्रणालियों (डास) के अनिवार्य प्रवर्तन में, अन्य के साथ-साथ, केबल टीवी सेवाओं में अखिल-भारतीय आधार पर संबोधनीयता के साथ डिजिटलीकरण के कार्यान्वयन हेतु समय-सीमा व रूपरेखा शामिल है, जिसके फलस्वरूप 31 दिसम्बर, 2014 तक ऐनलॉग टीवी सेवाओं का पूर्ण रूप से अंतरण हो जाएगा। प्रत्येक केबल ऑपरेटर के लिए चार चरणों में डिजिटल संबोधनीय प्रणाली के जरिए किसी चैनल के कार्यक्रम को इन्क्रिप्टिड रूप में प्रसारित या पुनः प्रसारित किए जाने को अनिवार्य बनाने हेतु मंत्रालय द्वारा दिनांक 11.11.2011 को एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत प्रथम चरण में, चार महानगरों को 30 जून, 2012 तक डिजिटल संबोधनीय प्रणाली में अंतरित कर दिया जाएगा। दूसरे चरण में, दस लाख से अधिक आबादी वाले 38 शहरों को 31 मार्च, 2013 तक कवर कर लिया जाएगा। तीसरे चरण में, चरण-1 व चरण-2 में कवर कर लिए गए शहरों/कस्बों/क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी शहरी क्षेत्रों (नगर निगमों/नगरपालिकाओं) में 30 सितम्बर, 2014 तक डिजिटल संक्रमण होगा और चौथे चरण में, शेष क्षेत्रों को 31 दिसम्बर, 2014 तक कवर किया जाएगा।

(ग) और (घ) मंत्रालय को हानिकर प्रतिस्पर्धा की ऐसी कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, डिजिटलीकरण के फलस्वरूप

उपभोक्ताओं, ऑपरेटरों और सरकार के लिए भी काफी अधिक लाभ प्राप्त होने की आशा है। इससे तस्वीर की बेहतर गुणवत्ता, बड़ी संख्या में चैनलों का चयन तथा उपभोक्ताओं को मनपसंद व्यष्टि चैनलों की अनुमति संभव हो सकेगी। इस प्रणाली से मूल्यवर्धित सेवाओं का प्रवर्तन हो सकेगा और उपभोक्ता-आधार में पारदर्शिता लाई जा सकेगी।

*[हिन्दी]*

### राजनयिक पर हमला

***14. श्री महाबल मिश्रा:**
**श्री नीरज शेखर:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली में इज़रायली राजनयिक के वाहन पर बम द्वारा हमले की जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस हमले के बारे में विदेशी आसूचना एजेंसियों से कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक तथा एहतियाती उपाय किए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) से (घ) दिनांक 13.02.2012 को इजरायली दूतावास की एक कार में बम विस्फोट हुआ। यह हमला औरंगजेब रोड, नई दिल्ली में हुआ। इस घटना में एक इजरायली महिला सहित 4 व्यक्ति घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने 13.02.2012 की एफआईआर सं. 40/12 के तहत एक मामला दर्ज किया। इस बारे में दिल्ली पुलिस ने दिनांक 06.03.2012 को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस मामले की दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों के आकलन/सूचनाएं दिल्ली पुलिस को उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(ङ) विदेशी राजनयिक मिशनों तथा राजनयिकों और देश में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के सुरक्षा प्रबंधों की केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। विदेश मंत्रालय भी विभिन्न दूतावासों/पोस्टों को सुरक्षा मुहैया कराने के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करता है। इन सूचनाओं तथा स्थानीय खतरों के बारे में उनके स्वयं के आकलनों के आधार पर संबंधित स्थानीय/राज्य पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने सुभेद्य दूतावासों/पोस्टों पर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त एहतियाती उपाय किए हैं।

### चीनी का मूल्य

***15. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**
**श्री दिनेश चन्द्र यादव:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बिक्री हेतु चीनी के मूल्यों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी के मूल्यों में वृद्धि का खुले बाजार में चीनी के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बिक्री हेतु चीनी का मूल्य दिनांक 1.3.2002 से 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसके मूल्य में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

*[अनुवाद]*

### पशुपालन संवर्धन

***16. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य कृषि संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा पशुपालन क्षेत्र में सुधार और अनुसंधान संवर्धन हेतु शुरू की गई योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का किसानों में पशुपालन संवर्धन हेतु नई योजनाएं क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें अतिरिक्त आय हो सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पशुपालन के प्रसार के लिए राष्ट्रीय स्तर के किन-किन संस्थानों को शामिल किया जाएगा?

**कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) पशु विज्ञान संस्थानों, ब्यूरो, परियोजना निदेशालयों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान/नैटवर्क/आउटरीच/सीड परियोजना केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। पशुपालन डेरी एवं मात्स्यिकी विभाग ने किसानों के बीच डेरी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेरी योजना, चरण-I (2011-12 से 2016-17) प्रारंभ किया है ताकि उनकी आय को बढ़ाया जा सके। संबंधित योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) विवरण-I में दर्शाए गए समस्त संस्थान, ब्यूरो तथा परियोजना निदेशालय आदि, पशुपालन डेरी एवं मात्स्यिकी विभाग तथा पशुपालन विभाग पशुपालन को बढ़ावा देने में सम्मिलित हैं।

## *विवरण I*

*पशु विज्ञान संस्थानों, ब्यूरो, परियोजना निदेशालयों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान/नेटवर्क/आउटरीच/बीज नाम परियोजना केन्द्रों के नाम और स्थान*

| क्र.सं. | संस्थान का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **मानद विश्वविद्यालय** | | |
| 1. | राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान | करनाल, हरियाणा |
| 2. | भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान | इज्जतनगर बरेली, उत्तर प्रदेश |
| **राष्ट्रीय संस्थान** | | |
| 3. | केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान | मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश |
| 4. | केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान | हिसार, हरियाणा |
| 5. | राष्ट्रीय पशुपोषण और शरीर क्रियाविज्ञान संस्थान | बेंगलुरु, कर्नाटक |
| 6. | केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान | अविकानगर, राजस्थान |
| 7. | केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान | इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश |
| **ब्यूरो** | | |
| 8. | राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो | करनाल, हरियाणा |
| **राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र** | | |
| 9. | राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केन्द्र | रानी, गुवाहाटी |
| 10. | राष्ट्रीय याक अनुसंधान केन्द्र | दिरांग, अरुणाचल प्रदेश |
| 11. | राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र | झरनापानी, नागालैंड |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 12. | राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र | बीकानेर, राजस्थान |
| 13. | राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र | उप्पल, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश |
| 14. | राष्ट्रीय अश्व और पशुचिकित्सा टाइप कल्चर अनुसंधान केन्द्र | हिसार, हरियाणा |
| **परियोजना निदेशालय** | | |
| 15. | कुक्कुटपालन परियोजना निदेशालय | राजेन्द्रनगर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश |
| 16. | मवेशी परियोजना निदेशालय | मेरठ, उत्तर प्रदेश |
| 17. | खुरपका और मुंहपका रोग परियोजना निदेशालय | मुक्तेश्वर, उत्तराखंड |
| 18. | पशु रोग निगरानी और निगरानी पर परियोजना निदेशालय | हेब्बल, बेंगलुरू, कर्नाटक |

**1. पशु आनुवंशिक संसाधन पर नेटवर्क परियोजना**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| | समन्वयक यूनिट | राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, करनाल |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| **संस्थान संरक्षण इकाइयां** | | |
| 1. | बिटल बकरी (2009-10 तक) | केवीके, अम्बाला, हरियाणा |
| 2. | किलकरसेल भेड़ (2010-11 तक) | टीएनवीएएसयू, चेन्नई, तमिलनाडु |
| 3. | सुरती बकरी (2010-11 तक) | एनएयू, नवसारी, गुजरात |
| **स्व-स्थाने संरक्षण इकाइयां** | | |
| 4. | पोनवार पशु (2009-10 तक) | यूपीएलडीबी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश |
| 5. | खेड़ीगढ़ मवेशी (2009-10 तक) | यूपीएलडीबी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश |
| 6. | कृष्णा घाटी पशु (2010-11 तक) | बीएआईएफ, पुणे, महाराष्ट्र |
| 7. | जाफराबादी भैंस (2008-09 तक) | बीएआईएफ, पुणे, महाराष्ट्र |
| **कोर प्रयोगशाला** | | |
| 8. | | टीएनवीएएसयू, चेन्नई, तमिलनाडु |
| 9. | | एएयू, आनंद, गुजरात |
| 10. | | एनबीएजीआर, करनाल, हरियाणा |
| **ग्यारहवीं योजना की नई पहलें** | | |
| 11. | कोर प्रयोगशाला | एएयू, गुवाहाटी, असम |
| 12. | भैंस जीनोमिक्स | सीआईआरबी, हिसार, हरियाणा |
| 13. | भैंस जीनोमिक्स | एनबीएजीआर, करनाल, हरियाणा |

**2. भैंस सुधार पर नेटवर्क परियोजना**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| | समन्वयक यूनिट | केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हरियाणा |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| 1. | मुर्रा नस्ल | जीएडीवीएएसयू, लुधियाना, पंजाब |
| 2. | मुर्रा नस्ल | एचएयू, हिसार, हरियाणा |
| 3. | मुर्रा नस्ल | सीआईआरबी, हिसार, हरियाणा |
| 4. | मुर्रा नस्ल | एनडीयूएटी, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश |
| 5. | नीली-रावी नस्ल | सीआईआरबी उप कैम्पस, नाभा, पंजाब |
| 6. | जाफराबादी नस्ल | जेएयू, जूनागढ़, गुजरात |
| 7. | पंडारपुरी नस्ल | एमपीकेवी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र |
| 8. | गोदावरी नस्ल | एसवीवीयू, वेंकटरमनगुडेम, आंध्र प्रदेश |
| 9. | स्वेम्प नस्ल | एएयू, खानापारा, असम |
| 10. | सूरती नस्ल | एमपीयूएटी, एलआरसी, वल्लभनगर, राजस्थान |
| 11. | भादावरी नस्ल | आईजीएफआरआई, झांसी, उत्तर प्रदेश |
| 12. | सांड और वीर्य प्रमाणीकरण प्रयोगशाला | सीआईआरबी, हिसार, हरियाणा |
| **क्षेत्र इकाइयां** | | |
| 13. | मुर्रा नस्ल | जीएडीवीएएसयू, लुधियाना, पंजाब |
| 14. | मुर्रा नस्ल | एनडीआरआई, करनाल, हरियाणा |
| 15. | मुर्रा नस्ल | सीआईआरबी, हिसार, हरियाणा |
| **ग्यारहवीं योजना में नई पहलें** | | |
| 16. | मुर्रा नस्ल | केएयू, मनुथी, केरल |
| 17. | मुर्रा नस्ल | एसवीवीयू, एंथरगांव, आंध्र प्रदेश |
| 18. | मुर्रा नस्ल | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अनुसंधान परिसर, पटना, बिहार |

**3. भेड़ सुधार पर नेटवर्क परियोजना**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | समन्वयक यूनिट | केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, राजस्थान |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| 1. | मांस और ऊन के लिए दखनी नस्ल फार्म यूनिट | एमपीकेवी, राहुरी, महाराष्ट्र |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | मांस के लिए नेल्लोर नस्ल | एसवीवीयू, पालमनेर, आंध्र प्रदेश |
| 3. | गलीचे की ऊन के लिए मागरा नस्ल | आरएयू, बीकानेर, राजस्थान |
| 4. | मांस के लिए मद्रास रैड | टीएनवीएयूएस, चेन्नई, तमिलनाडु |
| 5. | मांस के लिए गंजम नस्ल | ओयूएटी, भुवनेश्वर, ओडिशा |
| 6. | मारवाड़ी फार्म आधारित यूनिट | सीएसडब्ल्यूआरआई का एआरसी, बीकानेर, राजस्थान |
| **ग्यारहवीं योजना में नई पहल** | | |
| 1. | दक्कनी फील्ड यूनिट | एमपीकेवी, राहुरी, महाराष्ट्र |
| 2. | पाटनवाड़ी | एसएयू, सरदारकुसीनगर, गुजरात |

**4. आसन्न जलवायु परिवर्तन हेतु अनुकूलन और पशुओं की सुविधा पर शरण प्रबंधन के माध्यम से (ग्यारहवीं योजना के दौरान नई पहलें) के लिए नेटवर्क परियोजना**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| | समन्वयक यूनिट | एनडीआरआई, करनाल, हरियाणा |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| 1. | | एनडीआरआई, करनाल, हरियाणा |
| 2. | | आईवीआरआई, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश |
| 3. | | सीएसडब्ल्यूआरआई, अविकानगर, राजस्थान |
| 4. | | सीआईआरजी, मखदूम, उत्तर प्रदेश |
| 5. | | एनआरसी-सुअर, गुवाहाटी, असम |
| 6. | | टीएएनयूवीएएस, चेन्नई, तमिलनाडु |
| 7. | | डब्ल्यूबीयूएएफएस, कोलकाता, पश्चिम बंगाल |
| 8. | | सीएसकेएचपीकेवी, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश |
| 9. | | एमएएफएसयू, नागपुर, महाराष्ट्र |

**5. हेमरहैजिक सैप्टिसीमिया (एचएस) पर नेटवर्क कार्यक्रम**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | समन्वयक यूनिट | भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| 1. | | एएयू, आनंद गुजरात |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | | ओयूएटी, भुवनेश्वर, ओडिशा |
| 3. | | टीएएनयूवीएएस, चेन्नई, तमिलनाडु |
| 4. | | केएयू, त्रिशूर |
| 5. | | एएयू, असम |
| 6. | | जीएडीवीएएसयू, लुधियाना, पंजाब |
| 7. | | सीएसकेएचपीकेवी, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश |

**6. नीली जीभ (बीटी) पर नेटवर्क कार्यक्रम**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| | समन्वयक यूनिट | भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| 1. | | सीओवीएस, एसवीवीयू, हैदराबाद |
| 2. | | एमवीवीसीवीवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश |
| 3. | | टीएएनयूवीएएस, चेन्नई, तमिलनाडु |
| 4. | | एसडीएयू, एसकेनगर, गुजरात |
| 5. | | सीएसडब्ल्यूआरआई, अविकानगर, राजस्थान |
| 6. | | आईवीआरआई, मुक्तेश्वर, नैनीताल, उत्तराखंड |
| 7. | | एचएयू, हिसार, हरियाणा |
| 8. | | एमएएफएसयू, परभानी, महाराष्ट्र |
| 9. | | आईएएच एंड वीबी, बेंगलुरु, कर्नाटक |
| 10. | | डब्ल्यूबीयूएएफएस, कोलकाता, पश्चिम बंगाल |

**7. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परजीविता (जीआईपी) पर नेटवर्क कार्यक्रम**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | समन्वयक यूनिट | भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| 1. | | जीबीपीयूए एंड टी, पंतनगर, बरेली, उत्तराखंड |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | | डब्ल्यूबीयूएएफएस, कोलकाता, पश्चिम बंगाल |
| 3. | | टीएएनयूवीएएस, चेन्नई, तमिलनाडु |
| 4. | | जेएनकेवीयू, जबलपुर, मध्य प्रदेश |
| 5. | | सीएसडब्ल्यूआरआई, अविकानगर, राजस्थान |
| 6. | | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान परिसर, बड़ापानी, मेघालय |
| 7. | | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान परिसर, गंगटोक, सिक्किम |

**8. अनुसंधान एवं विकास सहायता पर औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी दूध उत्पादों का उन्नयन की प्रक्रिया के लिए नेटवर्क परियोजना**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| | समन्वयक यूनिट | एनडीआरआई, करनाल |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| 1. | | एनडीआरआई, करनाल, हरियाणा |
| 2. | | एनडीआरआई का एसआरएस, बेंगलुरु, कर्नाटक |
| 3. | | एएयू, आनंद, गुजरात |
| 4. | | डब्ल्यूबीयूएएपएस, मोहनपुर, पश्चिम बंगाल |
| **ग्यारहवीं योजना में नई पहलें** | | |
| 1. | | बीएचयू, वाराणसी, उत्तर प्रदेश |

**1. मवेशी पर एआईसीआरपी**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | समन्वयक यूनिट | मवेशी परियोजना निदेशालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश |
| **सहयोगी इकाइयां** | | |
| 2. | | मवेशी परियोजना निदेशालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश |
| 3. | फ्रीजवाल सांड पालन यूनिट | सेना डेयरी फार्म, मेरठ, उत्तर प्रदेश |
| 4. | फ्रीजवाल डीआरयू | सेना डेयरी फार्म, मेरठ, उत्तर प्रदेश |
| 5. | ओंगोले जीपी यूनिट | एसवीवीयू, लाम, गुंटूर, आंध्र प्रदेश |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | ओंगोले डीआरयू | एसवीवीयू, लाम, गुंटूर, आंध्र प्रदेश |
| 7. | फील्ड संतति परीक्षण यूनिट | बीएआईएफ, उरली, कंचन, महाराष्ट्र |
| 8. | फील्ड संतति परीक्षण यूनिट | केएयू, मनुथी, केरल |
| 9. | फील्ड संतति परीक्षण यूनिट | जीएडीवीएएसयू, लुधियाना, पंजाब |
| **ग्यारहवीं योजना में नई पहलें** | | |
| 1. | साहीवाल जीपी इकाई | एनडीआरआई, करनाल, हरियाणा |
| 2. | साहीवाल डीआरयू | एनडीआरआई, करनाल, हरियाणा |
| 3. | | जीएडीवीएएसयू, लुधियाना, पंजाब |
| 4. | | जीबीपीयूएटी, पंतनगर, उत्तराखंड |
| 5. | | भिवानी गौशाला, भिवानी (हरियाणा) |
| 6. | | साहीवाल मवेशी ब्रीडिंग फार्म, चकगजरिया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश |
| 7. | | जीएलएफ, हिसार, हरियाणा |
| 8. | गिर जीपी यूनिट | जेएयू, जूनागढ़, गुजरात |
| 9. | गिर डीआर यूनिट | जेएयू, जूनागढ़, गुजरात |
| 10. | कंकरेज जीपी यूनिट | एसएयू, सरदारकुरसीगर, गुजरात |
| 11. | कंकरेज डीआर यूनिट | एसएयू, सरदारकुरसीगर, गुजरात |
| 12. | एफपीटी यूनिट | जीबीपीयूएटी, पंतनगर, उत्तराखंड |
| 13. | एफपीटी यूनिट | आईसीएआर एनईएच क्षेत्र, सिक्किम |

**2. बकरी सुधार पर एआईसीआरपी**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | समन्वयक यूनिट | सीआईआरजी, मखदूम, उत्तर प्रदेश |
| **सहयोगी इकाइयां** | | |
| 2. | जमुनापानी फार्म यूनिट | सीआईआरजी, मखदूम, उत्तर प्रदेश |
| 3. | बारबरी फार्म यूनिट | सीआईआरजी, मखदूम, उत्तर प्रदेश |
| 4. | सिरोही फार्म यूनिट | सीएसडब्ल्यूआरआई, अविकानगर, राजस्थान |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | चंगथंग फील्ड यूनिट | डीआरडीओ, लेह, जम्मू और कश्मीर |
| 6. | मारवाड़ी फील्ड यूनिट | आरएयू, बीकानेर, राजस्थान |
| 7. | ब्लैक बंगाल फील्ड यूनिट | डब्ल्यूबीयूएएफएस, कोलकाता, पश्चिम बंगाल |
| 8. | जंगम फील्ड यूनिट | ओयूएटी, भुवनेश्वर, ओडिशा |
| 9. | संगमनेरी फील्ड यूनिट | एमपीकेवी, राहुरी, महाराष्ट्र |
| 10. | सूरती फील्ड यूनिट | एनएयू, नवसारी, गुजरात |
| 11. | मालबारी फील्ड यूनिट | केएयू, त्रिचूर, केरल |
| 12. | सिरोही फील्ड यूनिट | एमपीयूएटी, उदयपुर, राजस्थान |
| **ग्यारहवीं योजना में नई पहलें** | | |
| 1. | ब्लैक बंगाल फील्ड यूनिट | बीएयू, रांची, झारखंड |
| 2. | उसमानाबादी फील्ड यूनिट | एनएआरआई, फलटन, महाराष्ट्र |
| 3. | असम हित फील्ड यूनिट | एएयू, गुवाहाटी, असम |
| 4. | गद्दी फील्ड यूनिट | एचपीकेवीवी, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश |

**3. सुअर पर एआईसीआरपी**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| | समन्वयक यूनिट | एनआरसी - सुअर, रानी गुवाहाटी |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| 1. | | आईवीआरआई, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश |
| 2. | | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान परिसर, गोवा |
| 3. | | बीएयू, रांची, झारखंड |
| 4. | | एएयू, खानपाड़ा, असम |
| 5. | | टीएनवीएएसयू, कट्टूपक्कम, तमिलनाडु |
| 6. | | केएयू, मनुथी केरल |
| 7. | | एसवीवीयू, तिरूपति, आंध्र प्रदेश |
| 8. | | एमपीपीसीवीवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश |
| **ग्यारहवीं योजना में नई पहलें** | | |
| 1. | | केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मिजोरम |
| 2. | | नागालैंड विश्वविद्यालय, मेदजिकेमा, नागालैंड |

**4. कुक्कुट प्रजनन पर एआईसीआरपी**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| | समन्वयक यूनिट | कुक्कुट परियोजना निदेशालय, हैदराबाद |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| 1. | अंडे के लिए कुक्कुट पालन | एसवीवीयू, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश |
| 2. | अंडे के लिए कुक्कुट पालन | एएयू, आनंद, गुजरात |
| 3. | अंडे के लिए कुक्कुट पालन | केएयू, मनुथी, केरल |
| 4. | अंडे के लिए कुक्कुट पालन | सीएआरआई, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश |
| 5. | अंडे के लिए कुक्कुट पालन | केएवीएफएसयू, बीदर, कर्नाटक |
| 6. | अंडे के लिए कुक्कुट पालन | जीएडीवीएएसयू, लुधियाना, पंजाब |
| 7. | अंडे के लिए कुक्कुट पालन | ओयूएटी, भुवनेश्वर, ओडिशा |
| 8. | | एमपीपीसीवीवीवी, जबलपुर, उत्तर प्रदेश |
| 9. | ग्रामीण पोल्ट्री उत्पादन | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान परिसर एनईएच क्षेत्र, अगरतला, त्रिपुरा |
| **ग्यारहवीं योजना में नई पहलें** | | |
| 1. | | एएयू, गुवाहाटी, असम |
| 2. | | एचपीकेवीवी, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश |
| 3. | | बीएयू, रांची, झारखंड |
| 4. | | एमपीयूएटी, उदयपुर, राजस्थान |

**5. पशु उत्पादन बढ़ाने में आहार संसाधनों तथा पोषक तत्व उपयोग में सुधार पर एआईसीआरपी**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | समन्वयक यूनिट | एनआईएएनपी, बेंगलुरु |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| 1. | | टीएनवीएएसयू, चेन्नई, तमिलनाडु |
| 2. | | डब्ल्यूबीयूएएफएस, कोलकाता, पश्चिम बंगाल |
| 3. | | एमपीपीसीवीवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश |
| 4. | | केएयू, त्रिशूर, केरल |
| 5. | | एमएएफएसयू, नागपुर, महाराष्ट्र |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | | एसवीवीयू, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश |
| 7. | | एएयू, आनंद, गुजरात |
| 8. | | जीएडीवीएएसयू, लुधियाना, पंजाब |
| 9. | | जीबीपीयूएटी, पंतनगर, उत्तर प्रदेश |
| 10. | | एचपीकेवीवी, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश |
| 11. | | आरएयू, पटना, बिहार |
| 12. | | एएसयू, खानपाड़ा, असम |
| 13. | | ओयूएटी, भुवनेश्वर, ओडिशा |
| 14. | | एनआईएएनपी, बेंगलुरु, कर्नाटक |
| 15. | | सीआईआरबी, हिसार, हरियाणा |
| 16. | | सीएसडब्ल्यूआरआई, अविकानगर, राजस्थान |
| 17. | | बीएआईएफ, पुणे, महाराष्ट्र |
| 18. | | एनआरसी ऊंट, बीकानेर, राजस्थान |
| 19. | | आईजीएफआरआई, झांसी, उत्तर प्रदेश |
| 20. | | सीआईआरजी, मखदूम, उत्तर प्रदेश |
| 21. | | आईवीआरआई, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश |
| 22. | | एनआरसी याक, दिरांग, अरुणाचल प्रदेश |

**6. पशुरोग मानीटरिंग एवं निगरानी पर एआईसीआरआई, (एडीएमएएस)**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | समन्वयक यूनिट | पीडीएडीएमएएसा, बेंगलुरु |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| 1. | | रोग जांच इकाई, बीवीआरआई, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश |
| 2. | | रोग जांच इकाई, औंध, पुणे, महाराष्ट्र |
| 3. | | एफएमडी टाइपिंग योजना, पॉलिटेक्निक अस्पताल बिल्डिंग, अम्बावदी, अहमदाबाद, गुजरात |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | | रोग जांच इकाई, पशुचिकित्सा अस्पताल परिसर, भोपाल, मध्य प्रदेश |
| 5. | | आईएएच और वीबी, बलगछिया रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल |
| 6. | | एएच विभाग, गोडाकल, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर |
| 7. | | पशु स्वास्थ्य संस्थान, कांके, रांची, झारखंड |
| 8. | | डीआईओ, पालओद, तिरुवनंतपुरम, केरल |
| 9. | | पशु रोग अनुसंधान संस्थान, फुलनाकारा, कटक, ओडिशा |
| 10. | | राज्य रोग निदान केन्द्र, न्यू कालोनी, जयपुर, राजस्थान |
| 11. | | पशुचिकित्सा तथा पशुपालन विभाग, इम्फाल, मणिपुर |
| 12. | | आईएएच एंड वीबी, हेब्बल, बेंगलुरु, कर्नाटक |
| 13. | | आईसीएआर रिसर्च परिसर, बड़ापानी, मेघालय |
| 14. | | पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, जीएडीवीएसएयू, लुधियाना, पंजाब |
| 15. | | पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, खानपाड़ा, गुवाहाटी, असम |

**7. खुरपका तथा मुंहपका रोग पर एआईसीआरपी**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | समन्वयक यूनिट | पीडीएफएमडी, मुक्तेश्वर, उत्तराखंड |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| 1. | | पशुपालन और पशु सेवा विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश |
| 2. | | आईएएचएंडवीबी, हेब्बल, बेंगलुरु, कर्नाटक |
| 3. | | पीडीडीयू पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | | सीसीएसएचएयू, हिसार, हरियाणा |
| 5. | | एएयू, गुवाहाटी, असम |
| 6. | | डीआईवीबी और आरआई, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश |
| 7. | | आईएएच एंड वीबी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल |
| 8. | | पशुपालन तथा रोग जांच इकाई निदेशालय, पुणे, महाराष्ट्र |
| 9. | | आईवीपीएम, रानीपेट, तमिलनाडु |
| 10. | | एसडीडीजीडीएएच, जयपुर, राजस्थान |
| 11. | | एएचआई, जालंधर, पंजाब |
| 12. | | डीवी एंड एएचएस, इम्फाल, मणिपुर |
| 13. | | डीवीएम, बिहार, पशुचिकित्सा कॉलेज, पटना, बिहार |
| 14. | | डीएएच, अहमदाबाद, गुजरात |
| 15. | | डीएएचएमवीए, आइजोल, मिजोरम |
| 16. | | डीएएच, शिमला, हिमाचल प्रदेश |
| 17. | | डीवी एंड एएच, कोहिमा, नागालैंड |
| 18. | | मुख्य रोग जांच कार्यालय, तिरुवनंतपुरम, केरल |
| 19. | | आईआरडीडी, डीआईसी, अगरतला, त्रिपुरा |
| 20. | | राज्य रोग जांच प्रयोगशाला, पशुचिकित्सा अस्पताल परिसर, भोपाल |
| 21. | | डीएएच एंड वीएस, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश |
| 22. | | पशुपालन विभाग, जम्मू और कश्मीर |
| 23. | | एडीआरआई, कटक, ओडिशा |

**1. मीथेन उत्सर्जन पर आउटरीच कार्यक्रम (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई पहलें)**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | समन्वयक यूनिट | एनआईएएनपी, बेंगलुरु |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| 1. | | टीएनवीएएसयू, चेन्नई, तमिलनाडु |
| 2. | | एनआईएएनपी, बेंगलुरु, कर्नाटक |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | | सीआईआरजी, मखदूम, उत्तर प्रदेश |
| 4. | | जीएडीवीएएसयू, लुधियाना, पंजाब |
| 5. | | एएयू, आनंद, गुजरात |
| 6. | | सीएडब्ल्यूआरआई, अविकानगर, राजस्थान |
| 7. | | एमएएफएसयू, अकोला, महाराष्ट्र |
| 8. | | आरवीसी, रांची, झारखंड |

**2. दवाओं के अवशेष और पर्यावरण प्रदूषण की निगरानी पर आउटरीच कार्यक्रम (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई पहलें)**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| | समन्वयक यूनिट | भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश) |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| 1. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, एमएएफएसयू, मुंबई, महाराष्ट्र |
| 2. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, टीएनयूवीएएस, चेन्नई, तमिलनाडु |
| 3. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, डब्ल्यूबीएफ/एयूएस, कोलकाता, पश्चिम बंगाल |
| 4. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, एसके नगर, गुजरात |
| 5. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, पंतनगर, उत्तर प्रदेश |
| 6. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, गन्नावरम, आंध्र प्रदेश |
| 7. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, रांची, झारखंड |
| 8. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, असम |
| 9. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश |
| 10. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, पटना, बिहार |
| 11. | | एनआरसी-याक, दिरांग, अरुणाचल प्रदेश |
| 12. | | एनडीआरआई, करनाल, हरियाणा |
| 13. | | एनआईएएनपी, बेंगलुरु, कर्नाटक |

**3. परम्परागत पशु चिकित्सा औषधि पर आउटरीच कार्यक्रम (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई पहलें)**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| | समन्वयक यूनिट | भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश) |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| 1. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, एसकेयूएटी, जम्मू और कश्मीर |
| 2. | | जीबीपीयूएटी, पंतनगर, उत्तराखंड |
| 3. | | टीएएनयूवीएएस, चेन्नई, तमिलनाडु |
| 4. | | एएयू, आनंद, गुजरात |
| 5. | | एएयू, गुवाहाटी, असम |
| 6. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, दुर्ग, छत्तीसगढ़ |
| 7. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश |
| 8. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, त्रिशूर, केरल |
| 9. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, ज़बलपुर, मध्य प्रदेश |
| 10. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, मथुरा, उत्तर प्रदेश |
| 11. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, आइजोल, मिजोरम |

**4. जेनेटिक रोगों पर आउटरीच कार्यक्रम (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई पहलें)**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | समन्वयक यूनिट | भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश) |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| 1. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, मुंबई, महाराष्ट्र |
| 2. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, पंतनगर, उत्तराखंड |
| 3. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, चेन्नई, तमिलनाडु |
| 4. | | पीडीएडीएमएएस, बेंगलुरु, कर्नाटक |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, मथुरा, उत्तर प्रदेश |
| 6. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, नागपुर, महाराष्ट्र |
| 7. | | सीआईआरसी, मखदूम, उत्तर प्रदेश |
| 8. | | अन्य सूक्ष्मजीवाणुओं के लिए केंद्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्थान, आगरा, उत्तर प्रदेश |
| 9. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, त्रिशूर, केरल |
| 10. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल |
| 11. | | पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, बेंगलुरु, कर्नाटक |
| 12. | | एचएसएडीएल, आईवीआरआई परिसर, भोपाल, मध्य प्रदेश |

**1. भेड़ सीड परियोजना (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई पहलें)**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| | समन्वयक यूनिट | सीएसडब्ल्यूआरआई, अविकानगर |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| 1. | मंड्या नस्ल | केवीएएफएसयू, बिदार, कर्नाटक |
| 2. | छोटानागपुरी नस्ल | बीएयू, रांची, झारखंड |
| 3. | सोनादी नस्ल | एमपीयूएटी, उदयपुर, राजस्थान |
| 4. | मेचेरी नस्ल | टीएनवीएएसयू, चेन्नई, तमिलनाडु |

**2. पोल्ट्री सीड परियोजना (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई पहलें)**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | समन्वयक यूनिट | पीडीपी, हैदराबाद |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| 1. | | एनईएच क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान परिसर के क्षेत्रीय केन्द्र इम्फाल, मणिपुर |
| 2. | | एनईएच क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान परिसर के क्षेत्रीय केन्द्र गंगटोक, सिक्किम |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | | एनईएच क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान परिसर के क्षेत्रीय केन्द्र इम्फाल, नागालैंड |
| 4. | | आरएयू, पशुचिकित्सा कालेज, पटना, बिहार |
| 5. | | आईजीकेवीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़ |
| 6. | | डब्ल्यूबीयूएएफएस, कोलकाता, पश्चिम बंगाल |

**3. सुअर पर मेगा सीड परियोजना (ग्यारहवीं योजन के दौरान नई पहलें)**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| | समन्वयक यूनिट | राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केन्द्र, रानी, गुवाहाटी |
| **सहयोगी केन्द्र** | | |
| 1. | | बीएयू, रांची, झारखंड |
| 2. | | एएयू, खानपाड़ा, असम |
| 3. | | सलसिह सुअर फार्म, राज्य पशुचिकित्सा विभाग, मिजोरम सरकार |
| 4. | | एनईएच क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान परिसर, नागालैंड |

### *विवरण II*

*राष्ट्रीय डेरी योजना, चरण-1 (2011-12 से 2016-17)*

### पृष्ठभूमि

भारत में मूल्य प्राप्ति के संदर्भ में दूध अपने आपमें व्यापक कृषि उत्पाद है। उच्च जीडीपी वृद्धि तथा बढ़ती आय के कारण देश में दूध की मांग तेजी से बढ़ रही है। उभरते हुए रुझान से पता लगता है कि वर्ष 2021-22 में दूध की मांग बढ़कर 200-210 मिलियन टन और वर्ष 2016-17 तक (12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक) लगभग 155 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। पिछले 10 वर्षों में दूध की वार्षिक वृद्धि औसतन रूप में लगभग 3.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष रही है; इसे धीरे-धीरे बढ़ाना जरूरी है ताकि अगले 12 वर्षों तक हम औसत 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष की वृद्धि हासिल कर सकें। चूंकि गोपशु उत्पादकता को बढ़ाने में लम्बा समय लगता है अतः यह जरूरी है कि गोपशु उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक वैज्ञानिक रूप से योजनाबद्ध बहु-राज्यी नई पहल शीघ्र आरंभ की जाए।

राष्ट्रीय डेरी योजना चरण-1 (एनडीपी-1) को लगभग रु. 2242 करोड़ के कुल निवेश से कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें आईडीए क्रैडिट के रूप में 1584 करोड़ की राशि, भारत सरकार के अंश के रूप में 176 करोड़, अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों के अंश के रूप में रु. 282 करोड़ की राशि शामिल है इनके द्वारा राज्यों की सहभागिता से परियोजना कार्यान्वित की जाएगी और एनडीडीबी तथा इनके सहयोगियों द्वारा रु. 200 करोड़ की राशि परियोजना के तकनीकी और कार्यान्वयन में सहयोग के लिए प्रदान की जाएगी।

### राशि प्रदान करने (फंडिंग) की प्रक्रिया विधि

पोषण तथा प्रजनन पर 100 प्रतिशत अनुदान सहायता (नए सीमेन केन्द्र की स्थापना के अलावा, जहां 25 प्रतिशत परियोजना लागत अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वहन की जाएगी)। ग्राम दुग्ध खरीद प्रणाली में पूंजीगत मदों की 50 प्रतिशत लागत अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वहन की जाएगी। प्रशासनिक खर्च जिसमें योजना के तहत प्रशिक्षण व्यय शामिल है, इन्हें योजना के तहत

प्रस्तावित कुल व्यय के अधिकतम 6 प्रतिशत की सीमा तक रखा जाएगा।

**अनुमोदन प्रक्रिया**

इस योजना के तहत परियोजनाओं का अनुमोदन और निगरानी कार्य समितियों द्वारा किया जाएगा जिन्हें निम्नलिखित रूप में गठित किया जाएगा:-

(क) सचिव, डीएजीएफ, भारत सरकार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) द्वारा राज्य योजनाओं, वार्षिक कार्रवाई योजनाओं, एनडीडीबी को जारी राशि की स्वीकृति तथा राशि के पुनर्विनियोजन का अनुमोदन और राष्ट्रीय डेरी योजना (एनडीपी) के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा की जाएगी। एनएससी को कार्यान्वयन एजेंसी, परियोजना क्षेत्र, घटकों/मदों की यूनिट लागत के मानदंड, राष्ट्रीय और परियोजना संचालन समिति के गठन, घटक ढांचा और प्रस्तावों के पुनर्विनियोजन से संबंधित पात्रता मानदंडों में परिवर्तन पर विचार और अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार होगा।

(ख) परियोजना संचालन समिति (पीएससी) की अध्यक्षता मिशन निदेशक (एनडीपी-1) द्वारा की जाएगी जिसमें डीएडीएफ तथा एनडीडीबी के प्रतिनिधि होंगे। संबंधित राज्य सरकार के सचिव (पशु पालन एवं डेरी) या इनके प्रतिनिधि को उनके राज्य के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करते समय आमंत्रित किया जाएगा। ईआईए से प्राप्त प्रस्ताव और एनडीडीबी में परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) द्वारा संस्तुत परियोजनाओं को राशि की स्वीकृति तथा वितरण के लिए पीएससी को प्रस्तुत किया जाएगा।

**योजना के उद्देश्य**

(क) दूधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करना जिससे दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दूध उत्पादन में वृद्धि होगी।

(ख) ग्रामीण दूध उत्पादकों को संगठित दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करना।

इन उद्देश्यों को उचित नीति तथा संचालन प्रक्रिया की सहायता से तकनीकी इनपुट के प्रावधानों में संकेन्द्रित वैज्ञानिक तथा प्रणालीबद्ध प्रक्रियाओं के अंगीकरण द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा।

**कार्यान्वयन एजेंसी**

योजना को एनडीडीबी द्वारा अंतिम योजना (एजेंसियों (ईआईए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें राज्य पशुधन बोर्ड, राज्य सहकारी डेरी फैंडरेशन, जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक यूनियन, उद्यमों का सहकारी रूप जैसे उत्पादक कंपनियां, ट्रस्ट (गैर-सरकारी संगठन, 25 कंपनियों का खंड), वैधानिक निकायों की सहयोगी इकाइयों, भा.कृ.अ.प. संस्थान और पशु चिकित्सा विज्ञान/डेरी संस्थान/विश्वविद्यालय और एनडीपी-1 के तहत गठित राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा निर्धारित अन्य संगठन शामिल होंगे। पात्रता मानदंडों के आधार पर जिसमें भौगोलिक, तकनीकी, वित्तीय तथा संचालन के मानदंड शामिल हैं, ईआईए विभिन्न घटकों के निधिकरण के पात्र होंगे।

**मुख्य घटक**

**1. उत्पादकता वृद्धि**

(क) उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता (एचजीएम) वाले गोपशु और नर-भैंसों का उत्पादन और सीमेन उत्पादन के लिए जर्सी/एचएफ सांडों का आयात

(1) संतति परीक्षण

(2) वंशावली (नस्ल) चयन

(3) सांडों का आयात (समकक्ष भ्रूण)

(ख) उच्च गुणवत्ता वाले रोग मुक्त सीमेन खुराक उत्पादन के लिए मौजूदा सीमेन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण/नए केन्द्रों की शुरुआत

(1) मौजूदा सीमेन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (सिर्फ ए और बी ग्रेड सीमेन केन्द्र)

(ग) पशु टैटिंग तथा निष्पादन रिकार्ड सहित व्यवसायिक सेवा प्रदानकर्ता द्वारा प्रयोक्ताओं के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान (एआई) डलीवरी सेवा प्रदान (मानक परिचालिन प्रक्रिया (एसओपी) के आधार पर) करने के लिए पायलट माडल स्थापित करना।

(घ) दुधारू पशुओं को अपनी आनुवंशिक क्षमता के अनुरूप दूध उत्पादन तथा मिथेन उत्सर्जन कम करने के लिए पोषण वृद्धि

(1) राशन संतुलन कार्यक्रम

(2) चारा विकास

**2. ग्रामीण दूध खरीद प्रणाली से प्राप्त दूध की तोल व गुणवत्ता परीक्षण और दुग्ध उत्पादकों को भुगतान करना।**

(क) दूध का वजन, परीक्षण और संग्रहण

(ख) दूध प्रशीतन

(ग) संस्थागत ढांचे के सृजन के लिए सहायता

(घ) प्रशिक्षण

**3. परियोजना प्रबंधन और शिक्षण**

(1) आईसीटी आधारित एमआईएस

(2) शिक्षण और मूल्यांकन

**कार्यक्षेत्र (कवरेज)**

एनडीपी-1 के कार्यक्षेत्र के तहत दूध उत्पादन वाले 14 मुख्य राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा केरल में उच्च उत्पादन क्षमता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा जहां देश का 90 प्रतिशत दूध उत्पादन होता है। यद्यपि एनडीपी-1 में योजना से होने वाले फायदे के दायरे में पूरा देश शामिल होगा।

**परियोजना के लाभ/परिणाम**

(क) दूध उत्पादन के 112 मिलियन टन के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर लगभग 150 मिलियन टन बढ़ाने में योगदान करना।

(ख) परियोजना क्षेत्र में दूध देने वाले पशुओं के 4 किलोग्राम/दिन के वर्तमान उत्पादन स्तर को लगभग 4.3 किलोग्राम/दिन तक बढ़ाना और परियोजना क्षेत्र में दुधारू पशुओं से वयस्क मादा पशुओं के अनुपात को 60 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 64 प्रतिशत करना।

(ग) मौजूदा डेरी सहकारी और उत्पादक कंपनियों द्वारा बेचे जा रहे दूध की मात्रा को लगभग 275 लाख किलोग्राम/दिन के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 425 लाख किलोग्राम/दिन करना।

(घ) लगभग 2500 उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांडों का उत्पादन तथा लगभग 400 सांडों या समकक्ष भ्रूण/सीमेन खुराकों का आयात।

(ङ) अंतिम वर्ष में लगभग 47 मिलियन वार्षिक रोग मुक्त गुणवत्ता वाली सीमेन खुराकों का बढ़ा हुआ उत्पादन।

(च) अंतिम वर्ष तक निर्धारित एसओपी के अंगीकरण से वार्षिक 4 मिलियन परिवारों तक एआई की पहुंच।

(छ) प्रमाणिक/विश्वसनीय लेबल वाले चारा बीजों का 7500 टन उत्पादन, 2 भूसी संघनीकरण संयंत्रों की स्थापना तथा साइलेज बनाने/चारा संरक्षण के लगभग 1350 प्रदर्शन।

(ज) हरे चारे के उत्पादन के लिए सामान्य चराई भूमि के लगभग 700 हैक्टेयर क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए पायलट परियोजना।

(झ) दूध खरीद प्रणाली के तहत अतिरिक्त रूप में 23800 गांवों को शामिल करना।

(ञ) अंतिम वर्ष में लगभग 54 लाख कि.ग्रा. प्रतिदिन अतिरिक्त दूध की खरीद करना।

*[हिन्दी]*

**प्राकृतिक आपदाएं**

***17. श्री रघुवीर सिंह मीणाः**
**श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ीः**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के अनेक भाग भारी वर्षा, बाढ़ और तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए थे;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य-वार जान, माल की क्षति तथा फसलों को हुए नुकसान सहित तत्संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय दल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त दल के निष्कर्ष क्या रहे और उन पर राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) प्रभावित राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी सहायता दी गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2011-12 में राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जान-माल की क्षति तथा फसलों को हुई क्षति के साथ-साथ बाढ़, चक्रवातीय तूफान,

भूकम्प इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने अपने प्रयासों में सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। मांगी गई सहायता केन्द्रीय दलों के दौरे, रिपोर्टों की स्थिति तथा अनुमोदित सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

## *विवरण I*

*वर्ष 2011-12 के दौरान चक्रवाती तूफानों/भारी बाढ़/भूस्खलन/बादल फटने/भूकम्प इत्यादि के कारण हुई क्षति के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण*

(अनंतिम) 01.03.2012 के अनुसार

| क्र.सं. | राज्य/संघराज्य क्षेत्र | मानव जीवन की क्षति की संख्या | पशुधन की क्षति की संख्या | क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या | प्रभावित पुसली क्षेत्र (लाख हेक्टेयर) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | – | – | – | – |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | – | – | – | – |
| 3. | असम | 13 | – | 277 | 4.17 |
| 4. | बिहार | 37* | – | 1603 | – |
| 5. | गोवा | 1 | – | 134 | Neg. |
| 6. | गुजरात | 53 | 175 | 4734 | – |
| 7. | हरियाणा | – | – | – | – |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 51 | 2374 | 10838 | 1.56 |
| 9. | झारखंड | – | – | – | – |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 19 | – | – | – |
| 11. | कर्नाटक | 84 | 51 | 419 | – |
| 12. | केरल | 152 | 531 | 14222 | 1.18 |
| 13. | मध्य प्रदेश | – | – | – | – |
| 14. | महाराष्ट्र | 106 | – | – | – |
| 15. | मेघालय | – | – | – | – |
| 16. | मिजोरम | – | – | – | – |
| 17. | ओडिशा | 87 | 1493 | 290780 | 4.19 |
| 18. | पंजाब | 14 | 4 | 26 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | सिक्किम | 77* | 1333 | 23903 | 0.14 |
| 20. | तमिलनाडु | 57 | 669 | 99904 | 2.12 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 692 | 268 | 22858 | 5.25 |
| 22. | उत्तराखंड | 19 | 10 | 107 | - |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 79* | 33 | 317481 | 0.09 |
| 24. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | - | - | - | - |
| 25. | पुडुचेरी | 12 | 1256 | 86439 | 0.17 |
| | कुल | 1,553 | 8,197 | 8,73,725 | 18.87 |

*इसमें 18 सितम्बर, 2011 को भूकम्प के कारण सिक्किम में हुई 60 लोगों की मृत्यु, पश्चिम बंगाल में 11 लोगों की मृत्यु और बिहार में 10 लोगों की मृत्यु शामिल है।

### *विवरण II*

*वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त ज्ञापनों की स्थिति*

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (आपदा संबंधी विवरण) | मांगी गई सहायता | केन्द्रीय दल का दौरा | दल द्वारा आकलित राशि | उच्च स्तरीय समिति द्वारा एनडीआरएफ से धनराशि के अनुमोदन की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | सिक्किम (भूकम्प सितम्बर 2011) | 2842.62 | 27-30 सितम्बर 2011 और 7-10 अक्तूबर 2011 | 291.36+41.64 एनआरडीडब्ल्यूपी | * मौजूदा आपदा के लिए एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 75% के अध्यधीन एनडीआरएफ से 227.51 करोड़ रु.।<br>* क्षतिग्रस्त पेय जल आपूर्ति निर्माण कार्यों की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के विशेष घटक से 41.64 करोड़ रु.।<br>* हवाई जहाज से गिराई जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के हवाई बिलों का वास्तविक आंकड़ों के आधार पर भुगतान।<br>उच्च स्तरीय समिति की बैठक 15.11.2011 को हुई। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | पश्चिम बंगाल (भूकम्प सितम्बर 2011) | 525.05 | 11 अक्तूबर 2011 | 103.17 | केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर 17.2.2012 को अन्तर-मंत्रालय दल द्वारा विचार किया गया है। इसे उच्च स्तरीय समिति की हाल ही में होने वाली अगली बैठक में उसके विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। |
| 3. | ओडिशा (बाढ़ 2011) | 3265.37 | 26-30 सितम्बर 2011 | 1006.75 | * मौजूदा आपदा के लिए एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 75% के अध्यधीन एनडीआरएफ से 908.30 करोड़ रु.। * क्षतिग्रस्त पेय जल आपूर्ति निर्माण कार्यों की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के विशेष घटक से 10.00 करोड़ रु.। * हवाई जहाज से गिराई जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के हवाई बिलों का वास्तविक आंकड़ों के आधार पर भुगतान। उच्च स्तरीय समिति की बैठक 15.12.2011 को हुई। |
| 4. | केरल (बाढ़/भू-स्खलन 2011) | 1427.24 | 20-22 अक्तूबर 2011 | 225.56 | केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर 17.2.2012 को अन्तर-मंत्रालय दल द्वारा विचार किया गया है। इसे उच्च स्तरीय समिति की हाल ही में होने वाली अगली बैठक में उसके विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। |
| 5. | उत्तर प्रदेश | 1458.37 | 10-12 नवम्बर 2011 | 467.74 | केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर 17.2.2012 को अन्तर-मंत्रालय दल द्वारा विचार किया गया है। इसे उच्च स्तरीय समिति की हाल ही में होने वाली अगली बैठक में उसके विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। |
| 6. | हिमाचल प्रदेश (बाढ़/ भू-स्खलन/बादल फटना 2011) | 886.90 | 24-27 नवम्बर 2011 | 120.09 | केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर 17.2.2012 को अन्तर-मंत्रालय दल द्वारा विचार किया गया है। इसे उच्च स्तरीय समिति की हाल ही में होने वाली अगली बैठक में उसके विचारार्थ प्राप्त किया जा रहा है। |
| 7. | तमिलनाडु (चक्रवाती तुफान 'थाणे' 2011) | 5237.01 (1199.89+ 4037.12) | 7-11 जनवरी 2012 | 680.80 | केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर 17.2.2012 को अन्तर-मंत्रालय दल द्वारा विचार किया गया है। इसे उच्च स्तरीय समिति की |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | हाल ही में होने वाली अगली बैठक में उसके विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। |
| 8. | पुडुचेरी (चक्रवाती तूफान 'थाणे' 2011) | 2435.66 (296.30+ 2139.368) | 8 जनवरी 2010 | 88.67 | केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर 17.2.2012 को अन्तर-मंत्रालय दल द्वारा विचार किया गया है। इसे उच्च स्तरीय समिति की हाल ही में होने वाली अगली बैठक में उसके विचारार्थ प्राप्त किया जा रहा है। |

## नेहरू युवा केन्द्र

18. **श्री हर्ष वर्धन:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नेहरू युवा केन्द्र के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सहित अनेक जिलों में अभी तक नेहरू युवा केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इन जिलों में नेहरू युवा केन्द्र स्थापित करने और समीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर इन केन्द्रों का पुनर्गठन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) और (ख) जी, हां। नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) का होलिस्टिक प्रबंधन शोध भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद को सौंपा गया जिन्होंने फरवरी, 2009 में कुछ प्रमुख सिफारिशें अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत की थी, साथ ही साथ नेहरू युवा संगठन के कार्यक्रमों का पुनर्संगठन, युवाओं के सशक्तिकरण एवं विकास पर नेहरू युवा केन्द्र संगठन का प्रभाव, योजनाओं के साथ सेवाओं की सुपुर्दगी और समाभिरूता तथा अन्य मंत्रालयों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों आदि के कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन करना है। सरकार ने युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास के लिए नये कार्यक्रम आरंभ करके उसके संबंध में सिफारिशें कार्यान्वित कर दी हैं। जोनल कार्यालयों को 18 से बढ़ाकर 28 कर दिया गया है जिसमें देश के 200 सीमावर्ती/जनजातीय/पहाड़ी जिलों में बालिकाओं के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसयूटीपी) का लागू किया जाना, युवा विकास और सशक्तीकरण के लिए विभिन्न विषयों पर संशोधित प्रशिक्षण नियमावली की तैयारी, जीवन कौशल शिक्षा, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द तथा स्वयंसेवकों को भुगतान किए जा रहे मानदेय को 1000/- से बढ़ाकर 2500/- रु. तक करना है।

(ग) से (ङ) इस समय देश के 501 जिलों में नेहरू युवा केन्द्र संगठन है। सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में 16 केन्द्रों सहित देश के कवर न किए गए शेष 122 जिलों में संलग्न विवरण के अनुसार ने.यु.के.सं. का एक केन्द्र खोलने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

अब नेहरू युवा केन्द्र संगठन का प्रमुख जोर ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण युवा क्लबों की स्थापना और मार्गदर्शन करने की ओर है। सरकार ने युवा क्लबों का संरचनात्मक उन्नयन, क्षमता निर्माण और व्यवसायीकरण और नेहरू युवा केन्द्र संगठन की योजनाओं के कार्यान्वयन की ओर आवश्यक कदम उठाये हैं। नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा योजनाओं के कार्यकरण और क्रियान्वयन में काफी बड़ा परिवर्तन लाया गया है। इसके लिए महिला और बाल विकास, जम्मू व कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए युवा विनिमय कार्यक्रम, एचआईवी एड्स, पेयजल और स्वच्छता, आपदा प्रबंधन और कृषि विस्तार और शिक्षा के संबंध में विशेष परियोजनाएं शुरू की गई हैं। भारत सरकार न पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर में बेरोजगार युवाओं के लिए विशिष्ट रोजगार कौशल उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए युवा नियोज्यता कौशल (वाईईएस) नामक एक पायलट परियोजना शुरू की है। पंजाब के 10 (दस) जिलों और मणिपुर के सात जिलों में मादक पदार्थों के सेवन और मद्यव्यसन की रोकथाम के लिए जागरूकता और शिक्षा उत्पन्न करने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

*विवरण*

*122 जिलों में नेहरू युवा केन्द्र संगठन के खुले नये केन्द्रों की सूची*

| क्र.सं. | राज्य | जिलों की संख्या | बिना नेहरू युवा केंद्र के जिलों के नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | पंजाब | 3 | 1. नवांशहर |
| | | | 2. मोगा |
| | | | 3. मुक्तसर |
| | | | 4. बरनाला |
| | | | 5. एसएएस नगर |
| 2. | उत्तराखंड | 4 | 6. रूद्रप्रयाग |
| | | | 7. बागेश्वर |
| | | | 8. चम्पावत |
| | | | 9. ऊधम सिंह नगर |
| 3. | हरियाणा | 3 | 10. पंचकुला |
| | | | 11. फतेहाबाद |
| | | | 12. झज्जर |
| 4. | दिल्ली | 6 | 13. उत्तरी |
| | | | 14. उत्तर पूर्व |
| | | | 15. नई दिल्ली |
| | | | 16. केन्द्रीय |
| | | | 17. दक्षिण पश्चिम |
| | | | 18. पूर्वी |
| 5. | राजस्थान | 2 | 19. हनुमानगढ़ |
| | | | 20. करौली |
| 6. | उत्तर प्रदेश | 16 | 21. ज्योतिबा फूले नगर |
| | | | 22. बागपत |
| | | | 23. गौतम बुद्ध नगर |
| | | | 24. हाथरस |
| | | | 25. कन्नौज |
| | | | 26. महोबा |
| | | | 27. चित्रकूट |
| | | | 28. कौशाम्बी |
| | | | 29. अम्बेडकर नगर |
| | | | 30. श्रावस्ती |
| | | | 31. बलरामपुर |
| | | | 32. सन्त कबीर नगर |
| | | | 33. कुशी नगर |
| | | | 34. चन्दौली |
| | | | 35. सन्त रविदास नगर |
| | | | 36. औरैया |
| 7. | बिहार | 4 | 37. शिवहर |
| | | | 38. लखीसराय |
| | | | 39. शेखपुर |
| | | | 40. अरवल |
| 8. | अरुणाचल प्रदेश | 10 | 41. तवांग |
| | | | 42. पश्चिम कामेंग |
| | | | 43. पूर्वी कामेंग |
| | | | 44. पापुम पारे |
| | | | 45. पूर्वी सियांग |
| | | | 46. अपर सियांग |
| | | | 47. डिबांग वैली |
| | | | 48. चांगलेंग |
| | | | 49. तिराप |
| | | | 50. करुंग कैसे |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 9. | नागालैंड | 4 | 51. दीमापुर |
| | | | 52. पेरेन |
| | | | 53. किफेरे |
| | | | 54. लोंगलिंग |
| 10. | मणिपुर | 1 | 55. इम्फाल पूर्व |
| 11. | मिजोरम | 5 | 56. मामित |
| | | | 57. कोलासिब |
| | | | 58. चम्फाई |
| | | | 59. सेरछिप |
| | | | 60. लागंटलाई |
| 12. | त्रिपुरा | 1 | 61. ढलाई |
| 13. | मेघालय | 2 | 62. साउथ गारो हिल्स (बागमारा) |
| | | | 63. रि भोई |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 1 | 64. दक्षिण दिनाजपुर |
| 15. | झारखंड | 6 | 65. कोडरमा |
| | | | 66. पाकुड़ |
| | | | 67. जामतारा |
| | | | 68. लातेहर |
| | | | 69. सरायकेला |
| | | | 70. सिमडेगा |
| 16. | ओडिशा | 14 | 71. बारगढ़ |
| | | | 72. झारसुगुडा |
| | | | 73. देवागढ़ |
| | | | 74. भद्रक |
| | | | 75. जाजापुर |
| | | | 76. अंगुल |
| | | | 77. नायागढ़ |
| | | | 78. गाजापटी |
| | | | 79. बौधा |
| | | | 80. सोनापुर |
| | | | 81. रायागाडा |
| | | | 82. नवरंगापुर |
| | | | 83. मलकानगिरि |
| | | | 84. जगतसिंहपुर |
| 17. | छत्तीसगढ़ | 7 | 85. कोरिया |
| | | | 86. कवारधा |
| | | | 87. धमतारी |
| | | | 88. दन्तेवाडा |
| | | | 89. कोरबा |
| | | | 90. जशपुर नगर |
| | | | 91. महासमुंद |
| | | | 92. जगदालपुर |
| 18. | मध्य प्रदेश | 8 | 93. उमारिया |
| | | | 94. नीमच |
| | | | 95. शिवपुर |
| | | | 96. बरवानी |
| | | | 97. दिनदोरी |
| | | | 98. अशोका नगर |
| | | | 99. अनूप पुर |
| | | | 100. बुरहानपुर |
| 19. | गुजरात | 6 | 101. पाटन |
| | | | 102. पोरबन्दर |
| | | | 103. आनन्द |
| | | | 104. दाहोद |
| | | | 105. नर्मदा |
| | | | 106. नवसारी |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 20. | महाराष्ट्र | 4 | 107. नन्दूरबार |
| | | | 108. गोंडिया |
| | | | 109. हिंगोली |
| | | | 110. वाशिम |
| 21. | कर्नाटक | 7 | 111. बगालकोट |
| | | | 112. कोपाल |
| | | | 113. गोडाग |
| | | | 114. हवेरी |
| | | | 115. दक्षिण कन्नड (देवनागरी) |
| | | | 116. चामराजनगर |
| | | | 117. उडीपी |
| 22. | तमिलनाडु | 1. | 118. अरियालपुर (कृष्णागिरि) |
| 23. | असम | 4 | 119. चिरांग |
| | | | 120. उदालगिरी |
| | | | 121. बक्शा |
| | | | 122. कामरूप मेट्रोपोलिसन |

*[अनुवाद]*

## विदेशों में पुरातत्वीय अभियान

***19. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञ दल पुरातत्वीय अध्ययन और भारतीय महत्व के स्मारकों के परिरक्षण हेतु विभिन्न देशों में अनेक स्थानों का दौरा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में दल के दौरों पर किए गए व्यय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन देशों से इसे क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञ दलों ने स्मारकों के संरक्षण और पुनरुद्धार के संबंध में गत तीन वर्षों में कम्बोडिया में ता प्रोहम मन्दिर, लाओ पीडीआर में वेट फू मन्दिर, वियतनाम में केम स्मारकों, मॉरिशस में अप्रवासी घाट और म्यांमार में आनन्द मन्दिर का दौरा किया है। कम्बोडिया में ता प्रोहम मन्दिर और लाओ पीजीआर में वेट फू मन्दिर में संरक्षण और पुनरुद्धार कार्य पहले से चल रहे हैं जबकि वियतनाम में कैम स्मारकों, मॉरिशस में अप्रवासी घाट और म्यांमार में आनन्द मन्दिर में कार्य अभी शुरू किये जाने हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञ दलों के दौरों पर भारत सरकार द्वारा किये गये खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

### *विवरण*

*भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञ दलों के दौरे पर हुये खर्च का विवरण*

(क) ता प्रोम मन्दिर, सीम रीप, कम्बोडिया

| | | |
|---|---|---|
| 2009-10 | : | 42,00,000 रुपए |
| 2010-11 | : | 17,26,000 रुपए |
| 2011-12 | : | 29,75,000 रुपए |

(ख) वेट फू मन्दिर, लाओ पीडीआर

| | | |
|---|---|---|
| 2009-10 | : | 14,21,000 रुपए |
| 2010-11 | : | 3,80,000 रुपए |
| 2011-12 | : | 4,30,000 रुपए |

(ग) केम स्मारक, वियतनाम

| | | |
|---|---|---|
| 2010-11 | : | 1,65,062 रुपए |

(घ) अप्रवासी घाट, मॉरिशस

| | | |
|---|---|---|
| 2009-10 | : | 84,802 रुपए |

(ङ) आनन्द मन्दिर, बागान, म्यांमार

| | | |
|---|---|---|
| 2010-11 | : | 1,50,000 रुपए (लगभग) |
| 2011-12 | : | 2,60,161 रुपए |

टिप्पणी: उपर्युक्त आंकड़ों में संबंधित राजदूतावासों द्वारा उन्हें भुगतान किया गया महंगाई भत्ता शामिल नहीं है।

**उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां**

***20. श्री प्रदीप माझी:**
**श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में जिला मंचों सहित उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग/मंच में बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों की ओर ध्यान दिया है और उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में कार्यरत सर्किट खंडपीठों के ब्यौरे सहित उनके कृत्य क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश में उपभोक्ता मंचों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार 29.2.2012 तक जिला मंचों सहित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य सरकारें, राज्य आयोग और जिला मंचों में रिक्त पदों को भरने के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि, इस संबंध में केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों से अध्यक्ष और सदस्यों की प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए और रिक्त पदों को भरने में विलम्ब से बचने के लिए अभ्यर्थियों के पैनल को तैयार करने के लिए अग्रिम कार्रवाई का अनुरोध करती है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों से यह निवेदन करती है कि जहां आवश्यक हो, निकटवर्ती मंच को भी सम्मिलित कर लिया जाए ताकि किसी रिक्ति के कारण उपभोक्ता मंच के कार्यकरण पर कोई प्रभाव न पड़े।

(2) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 जो दिनांक 16.12.2011 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया, में जिला मंच में अध्यक्ष/सदस्यों और राज्य/राष्ट्रीय आयोग में सदस्यों की नियुक्ति में विलम्ब से बचने का प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य या केन्द्र सरकार जैसा भी मामला हो, यदि चयन समिति की सिफारिशों से सहमत न हो, तो अपना निर्णय पैनल की प्राप्ति के दो महीनों के भीतर प्रस्तुत करे ताकि चयन समिति अपनी सिफारिशों पर पुनः विचार कर सकें।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से सूचना के अनुसार, 29.2.2012 तक राज्य आयोग और जिला मंचों में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों की वर्तमान राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) जहां तक राष्ट्रीय आयोग का संबंध है, आयोग ने सर्किट पीठों की बैठकों के आयोजन के लिए 13 स्थानों की पहचान की है। आयोग की पहली सर्किट पीठ की बैठक जनवरी, 2005 में हैदराबाद में आयोजित की गई दूसरी बैठक जनवरी, 2006 में बैंगलोर में, तीसरी बैठक जनवरी, 2007 में चेन्नई में, चौथी बैठक जनवरी-फरवरी, 2008 में पुणे में, मार्च-अप्रैल, 2009 को कोचीन में, जनवरी-फरवरी, 2010 को कोलकाता में, फरवरी-मार्च, 2011 में अहमदाबाद में और अंत में जनवरी-फरवरी, 2012 में भोपाल में आयोजित की गई।

जहां तक राज्य आयोग का संबंध है, निम्नलिखित राज्यों में सर्किट पीठें/अतिरिक्त पीठें कार्य कर रही हैं:

| | |
|---|---|
| (i) गुजरात | 03 अतिरिक्त पीठें |
| (ii) हरियाणा | 01 अतिरिक्त पीठें |
| (iii) महाराष्ट्र | नागपुर और औरंगाबाद में सर्किट पीठ |
| (iv) उत्तर प्रदेश | 01 अतिरिक्त पीठ |
| (v) पश्चिम बंगाल | 01 अतिरिक्त पीठ |
| (vi) मध्य प्रदेश | 01 अतिरिक्त पीठ |
| (vii) पंजाब | 01 अतिरिक्त पीठ |

(च) यद्यपि, यह संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह राज्य आयोग और जिला मंचों की स्थापना करे और उन्हें पर्याप्त, अवसंरचना जनशक्ति और निधियां उपलब्ध कराए, फिर भी

केन्द्र सरकार देश में उपभोक्ता मंचों के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित स्कीमों से उनके प्रयासों को सम्बल प्रदान कर रही हैं:-

**(1) उपभोक्ता मंच के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए निम्नलिखित स्कीमें वर्षों से कार्यान्वित की जा रही हैं:**

**(1) एक बारगी अनुदान**

(क) **1995 का एक बारगी अनुदान:** राज्य आयोगों और जिला मंचों की स्थापना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाएं, जनशक्ति आदि की व्यवस्था करना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का उत्तरदायित्व है। तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों को सम्बल प्रदान करने के लिए, केन्द्र सरकार उपभोक्ता मंचों के सुदृढ़ीकरण के लिए 32 राज्य आयोगों हेतु 50 लाख रुपए प्रति राज्य आयोग की दर से और 1995 में स्थापित किए गए 458 जिला मंचों को 10.00 लाख रुपए प्रत्येक की दर से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 61.80 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है।

(ख) **2004-05 का एक बारगी अनुदान:** केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान 13 राज्यों को उपभोक्ता मंचों के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए 1995 के बाद स्थापित किए गए 3 नए राज्य आयोगों और 53 जिला मंचों, को क्रमश: 75 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की दर से 10.20 करोड़ रुपए की एक बारगी वित्तीय सहायता प्रदान की है।

**(2) 'उपभोक्ता संरक्षण पर समेकित परियोजना' स्कीम**

उपभोक्ता मंचों के आधारभूत ढांचों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों को सम्बल प्रदान करने के लिए वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान 'उपभोक्ता संरक्षण पर समेकित परियोजना' की स्कीम कार्यान्वित की गई थी, जिसमें राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई ताकि देश में प्रत्येक उपभोक्ता मंच को उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं (आधारभूत ढांचा) प्रदान किया जा सके। दिनांक 31.3.2008 तक अर्थात् स्कीम की समप्ति तक, 21 राज्यों को 506 उपभोक्ता मंचों के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए 73.82 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई। स्कीम की समाप्ति तक 12 राज्यों में 181 उपभोक्ता मंचों के भवनों के निर्माण के लिए दूसरी किस्त रिलीज नहीं की जा सकी क्योंकि 12 राज्य केन्द्र सरकार ने दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए पहली किस्त का समय पर पूर्ण उपयोग नहीं कर सके। वर्ष 2008-09 के दौरान इनमें से 6 राज्यों को उनके द्वारा उपयोगिता रिपोर्टें प्रस्तुत करने के बाद 131 उपभोक्ता मंचों के भवनों के निर्माण के लिए दूसरी किस्त के रूप में 13.20 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई।

**(3) 'उपभोक्ता मंचों का सुदृढ़ीकरण' स्कीम**

केन्द्रीय सरकार के उपभोक्ता मंचों के आधारभूत ढांचों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता मंच को उनके प्रभावी कार्यकरण के लिए न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उपभोक्ता मंच सुदृढ़ीकरण स्कीम को ग्यारहवीं योजना के अंतिम 4 वर्षों अर्थात् वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान 54.50 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ कार्यान्वयन के लिए तैयार किया गया है। स्कीम के अंतर्गत अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जिनमें उपभोक्ता मंच के नए भवन का निर्माण, मौजूदा भवन में परिवर्धन/बदलाव/नवीकरण करना, और फर्नीचर, कार्यालय उपकरण आदि जैसी गैर-भवन परिसंपत्तियां प्राप्त करना इत्यादि सम्मिलित हैं। 'उपभोक्ता मंच सुदृढ़ीकरण' स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान दिनांक 29.2.2012 तक 6 पात्र राज्यों उपभोक्ता मंच सुदृढ़ीकरण स्कीम के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों के दौरान जारी सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

**2. कांफोनेट**

देश में 'उपभोक्ता मंच का कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटर नेटवर्किंग' स्कीम को 48.64 करोड़ रुपए की लागत से 10वीं योजना अवधि के दौरान मार्च, 2005 में शुरू किया गया था। स्कीम के अंतर्गत, मामलों के शीघ्र निपटान और सूचना तक पहुंच के लिए देश भर में उपभोक्ता मंचों के सभी तीन स्तरों को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। परियोजना को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा टर्न-की आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

स्कीम को 11वीं योजना के दौरान 25.60 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ जारी रखा गया है। परियोजना की बढ़ी हुई अवधि में, उपभोक्ता मंचों द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले कार्मिकों और तंत्र के अंगीकरण के लिए प्रशिक्षण द्वारा निरन्तर एचआर समर्थन पर जोर दिया जा रहा है। ग्यारहवीं योजना में 'कांफोनेट' परियोजना के अंतर्गत आरम्भ की गई गतिविधियों के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान एनआईसी को 0.75 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई जनवरी, 2012 तक, कवर की गई 638 अवस्थितियों में से, 342 में उपभोक्ता मंचों में कांफोनेट लागू होने की प्रक्रिया में है। 268 उपभोक्ता मंचों द्वारा वाद सूची को अपलोड किया जा रहा है जबकि 186 उपभोक्ता मंच निर्णयों को अपलोड कर रहे हैं।

*विवरण I*

*कार्य कर रहे और कार्य न कर रहे उपभोक्ता मंचों के संबंध में सूचना*
*(राज्य आयोग/जिला मंच)*

(29.2.2012) तक अद्यतन

| क्र.सं. | राज्य | राज्य आयोग कार्य कर रहे है या नहीं | जिला मंचों की संख्या | कार्य कर रहे | कार्य नहीं कर रहे | की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | जी, हां | 29 | 29 | 0 | 31.12.2011 |
| 2. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | जी, हां | 1 | 1 | 0 | 31.3.2006 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | जी, हां | 16 | 13 | 3 | 31.12.2011 |
| 4. | असम | जी, हां | 27 | 27 | 0 | 30.09.2011 |
| 5. | बिहार | जी, हां | 38 | 38 | 0 | 31.03.2011 |
| 6. | चंडीगढ़ | जी, हां | 2 | 2 | 0 | 31.12.2011 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | जी, हां | 16 | 16 | 0 | 31.12.2011 |
| 8. | दमन और दीव | जी, हां | 2 | 2 | 0 | 31.03.2011 |
| 9. | दादरा और नगर हवेली | जी, हां | 1 | 1 | 0 | 31.03.2011 |
| 10. | दिल्ली | जी, हां | 10 | 10 | 0 | 30.09.2011 |
| 11. | गोवा | जी, हां | 2 | 2 | 0 | 31.12.2011 |
| 12. | गुजरात | जी, हां | 30 | 30 | 0 | 31.12.2011 |
| 13. | हरियाणा | जी, हां | 21 | 19 | 2 | 31.12.2011 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | जी, हां | 12 | 12 | 0 | 31.12.2011 |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | जी, हां | 2 | 2 | 0 | 31.03.2009 |
| 16. | झारखंड | जी, हां | 22 | 16 | 6 | 30.09.2011 |
| 17. | कर्नाटक | जी, हां | 30 | 30 | 0 | 31.12.2011 |
| 18. | केरल | जी, हां | 14 | 14 | 0 | 31.12.2010 |
| 19. | लक्षद्वीप | जी, हां | 1 | 1 | 0 | 31.12.2011 |
| 20. | मध्य प्रदेश | जी, हां | 48 | 48 | 0 | 31.12.2011 |
| 21. | महाराष्ट्र | जी, हां | 40 | 40 | 0 | 30.06.2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | मणिपुर | जी, हां | 9 | 9 | 0 | 31.12.2008 |
| 23. | मेघालय | जी, हां | 7 | 7 | 0 | 30.11.2011 |
| 24. | मिजोरम | जी, हां | 8 | 8 | 0 | 31.12.2010 |
| 25. | नागालैंड | जी, हां | 8 | 8 | 0 | 31.12.2008 |
| 26. | ओडिशा | जी, हां | 31 | 31 | 0 | 31.12.2011 |
| 27. | पुदुचेरी | जी, हां | 1 | 1 | 0 | 30.09.2011 |
| 28. | पंजाब | जी, हां | 20 | 20 | 0 | 31.12.2011 |
| 29. | राजस्थान | जी, हां | 34 | 33 | 1 | 30.09.2011 |
| 30. | सिक्किम | जी, हां | 4 | 4 | 0 | 31.12.2011 |
| 31. | तमिलनाडु | जी, हां | 30 | 14 | 16 | 31.12.2011 |
| 32. | त्रिपुरा | जी, हां | 4 | 4 | 0 | 31.12.2011 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | जी, हां | 75 | 75 | 0 | 31.12.2011 |
| 34. | उत्तराखंड | जी, हां | 13 | 13 | 0 | 31.12.2011 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | जी, हां | 21 | 21 | 0 | 31.12.2010 |
| | कुल | | 629 | 601 | 28 | |

## *विवरण II*

*राज्य आयोग और जिला मंचों में रिक्तियों की स्थिति के संबंध में जानकारी*

(29.2.2012) तक अद्यतन

| क्र.सं. | राज्य | राज्य आयोग कार्य कर रहे है या नहीं | जिला मंचों की संख्या | कार्य कर रहे | कार्य नहीं कर रहे | की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **राष्ट्रीय आयोग** | 0 | 4 | | | 31.12.2011 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0 | 1 | 9 | 15 | 31.12.2011 |
| 2. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3.2006 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 14 | 31.12.2011 |
| 4. | असम | 0 | 0 | 0 | 6 | 31.08.2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | बिहार | 0 | 1 | 1 | 6 | 31.05.2011 |
| 6. | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2011 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 0 | 11 | 31.12.2011 |
| 8. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.03.2011 |
| 9. | दिल्ली | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.12.2011 |
| 10. | गोवा | 0 | 0 | 1 | 2 | 31.01.2012 |
| 11. | गुजरात | 0 | 0 | 2 | 20 | 31.12.2011 |
| 12. | हरियाणा | 0 | 1 | 6 | 23 | 31.12.2011 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.12.2011 |
| 14. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2011 |
| 15. | झारखंड | 0 | 1 | 5 | 14 | 30.09.2011 |
| 16. | कर्नाटक | 0 | 1 | 2 | 5 | 31.12.2011 |
| 17. | केरल | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.12.2010 |
| 18. | लक्षद्वीप | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.12.2011 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 0 | 1 | 1 | 29 | 31.12.2011 |
| 20. | महाराष्ट्र | 0 | 3 | 8 | 23 | 30.06.2011 |
| 21. | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.12.2008 |
| 22. | मेघालय | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.11.2011 |
| 23. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.03.2010 |
| 24. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2008 |
| 25. | ओडिशा | 0 | 0 | 1 | 7 | 31.12.2011 |
| 26. | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2011 |
| 27. | पंजाब | 0 | 3 | 2 | 4 | 31.12.2011 |
| 28. | राजस्थान | 0 | 3 | 2 | 7 | 30.11.2011 |
| 29. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.12.2011 |
| 30. | तमिलनाडु | 0 | 0 | 1 | 31 | 31.12.2011 |
| 31. | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2011 |
| 32. | उत्तर प्रदेश | 1 | 2 | 2 | 2 | 31.01.2012 |
| 33. | उत्तराखंड | 0 | 0 | 0 | 7 | 31.12.2011 |
| 34. | पश्चिम बंगाल | 0 | 2 | 2 | 2 | 31.12.2010 |
| | कुल | 2 | 21 | 45 | 239 | |

### *विवरण III*

*उपभोक्ता मंचों के सुदृढ़ीकरण की स्कीम के तहत पिछले चार वर्षों के दौरान रिलीज की गई सहायता के राज्यवार ब्यौरा (29.2.2012) तक अद्यतन*

(लाख रुपयों में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | एससीएफ स्कीम के तहत रिलीज की गई सहायता | | | | रिलीज की गई कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 210.85 | - | - | - | 210.85 |
| 2. | गुजरात | 508.25 | 393.33 | 455.50 | - | 1357.08 |
| 3. | हरियाणा | - | 75.00 | - | - | 75.00 |
| 4. | कर्नाटक | 384.61 | - | - | - | 384.61 |
| 5. | केरल | - | - | 38.43 | 15.00 | 53.43 |
| 6. | मेघालय | - | 29.60 | - | - | 29.60 |
| 7. | ओडिशा | 103.50 | - | - | - | 103.50 |
| 8. | पंजाब | - | 55.88 | 57.55 | 18.75 | 132.18 |
| 9. | राजस्थान | - | 146.69 | - | - | 146.69 |
| 10. | सिक्किम | - | - | 20.50 | 12.50 | 33.00 |
| 11. | त्रिपुरा | 20.85 | - | 46.20 | - | 67.05 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 91.81 | - | 227.66 | - | 319.47 |
| 13. | नागालैंड | - | - | 204.00 | 260.25 | 464.25 |
| 14. | मिजोरम | - | - | 7.72 | - | 7.72 |
| 15. | तमिलनाडु | - | - | - | 196.79 | 196.79 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | - | - | - | 148.21 | 148.21 |
| | कुल | 1319.87 | 700.50 | 1057.56 | 651.50 | 3729.43 |

### अनार-उत्पादकों को घाटा

1. **श्री शिवराम गौडा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक कोप के कारण अनार की फसल खराब हो जाने से कर्नाटक सहित देश के अनार-उत्पादकों को भारी घाटा झेलना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि प्रभावित अनार-उत्पादकों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित देश में प्रभावित अनार-उत्पादकों की संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा अनार की खेती के लिए इन उत्पादकों को कितनी वित्तीय एवं अन्य प्रकार की सहायता मुहैया कराई गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) से (घ) किसी भी राज्य सरकार ने प्रकृति के कोप के कारण फसल न होने से कर्नाटक सहित देश में अनार उत्पादकों को घाटा झेलने की सूचना नहीं दी है। महाराष्ट्र में 14,648 हैक्टेयर में अनार की फसल, जिसमें 21,134 उत्पादक शामिल हैं, को वर्ष 2010 में भारी वर्षा के कारण प्रभावित होने की सूचना मिली है। तथापि, वर्ष 2007-08 में भी कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य बैक्टीरियल ब्लाईट रोग (बीबीडी) द्वारा अनार के खेत प्रभावित हुए थे। उस वर्ष के दौरान कर्नाटक में बीबीडी से 7,800 किसान तथा महाराष्ट्र 5,7654 किसान प्रभावित हुए। इन दो घटनाओं को छोड़कर बीबीडी के कारण अनार के फसल को नुकसान होने की कोई सूचना किसी भी राज्य से प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत 40,000 रुपए/प्रति हैक्टेयर की खेती की लागत के 75 प्रतिशत की दर से किसानों को राजसहायता दी जा रही है। इसके अलावा, बीबीडी पर नियंत्रण पाने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों को वर्ष 2007-08 के दौरान एनएचएम के अंतर्गत अच्छी प्रबंधन पद्धति (जीएमपी) पैकेज मंजूर किया गया। यह पैकेज 50,000 रुपए/प्रति हैक्टेयर की दर से अनुमोदित किया गया, जिसमें से एनएचएम के अंतर्गत 50 प्रतिशत सहायता, राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत सहायता दी गई तथा शेष 25 प्रतिशत किसानों द्वारा वहन किया गया। प्रभावित क्षेत्र के आधार पर बीबीडी पर नियंत्रण पाने में जीएमपी पैकेज के अंतर्गत कर्नाटक सरकार ने 25.64 करोड़ रुपए की सहायता दी है। जबकि महाराष्ट्र ने भारत सरकार के अंश सहित प्रभावित किसानों को 161.03 करोड़ रुपए की सहायता दी हैं।

*[हिन्दी]*

## गुजरात में स्मारक

2. **श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:**
**श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:**

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य में केन्द्र द्वारा संरक्षित किए जा रहे स्मारकों एवं स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुजरात राज्य सरकार ने राज्य में अन्य और स्मारकों एवं स्थलों के संरक्षण हेतु कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) गुजरात में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित 202 स्मारकों/स्थलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

### *विवरण*

*गुजरात राज्य में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची*

| क्र.सं. | स्मारक/स्थल का नाम | स्थान | जिला |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | भद्रकाली मंदिर के पार्श्व में तीन द्वार | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 2. | भद्रकाली मंदिर के पार्श्व में भद्र द्वार | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 3. | सीदी सैय्यद की मस्जिद | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 4. | अहमद शाह की मस्जिद | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 5. | तीन दरवाजा अथवा त्रिपोलिया गेट | अहमदाबाद | अहमदाबाद |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | शाह कूपा मस्जिद | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 7. | जामी मस्जिद | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 8. | अहमद शाह की रानियों के मकबरे | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 9. | अहमद शाह का मकबरा | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 10. | पंच कुवा गेट | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 11. | सारंगपुर में रानी की मस्जिद | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 12. | मकबरा | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 13. | ईंटों की मीनारें | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 14. | सीदी बशीर की मीनार तथा मकबरा (झुका हुआ) | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 15. | दिल्ली गेट | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 16. | कुतुब शाह की मस्जिद | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 17. | दादा हरीर की मस्जिद व मकबरा | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 18. | दादा बाई हरीर का सीढ़ीदार कुआं | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 19. | कालुलपुर द्वार | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 20. | सारंगपुर द्वार | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 21. | दरियापुर द्वार | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 22. | प्रेमाभाई द्वार | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 23. | माया भवानी का कुआं | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 24. | अच्युत बीबी की मस्जिद तथा मकबरा | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 25. | दरिया खान का मकबरा | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 26. | मुहाफिज खान की मस्जिद | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 27. | रानी रूपवती की मस्जिद | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 28. | शाहपुर काजी मोहम्मद चिश्ती की मस्जिद | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 29. | सैय्यद उस्मान की मस्जिद तथा मकबरा | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 30. | शाह आलम का मकबरा तथा इसके आसपास समूह की सभी इमारतें | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 31. | छोटे पत्थर की मस्जिद (रानी मस्जिद) | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 32. | आजम खान मौजम्म खान का रौजा | अहमदाबाद | अहमदाबाद |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 33. | दस्तूर खान की मस्जिद | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 34. | रानी सीपरी की मस्जिद व मकबरा | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 35. | एस्टोडिया द्वार | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 36. | मलिक आलम की मस्जिद | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 37. | रायपुर द्वार | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 38. | कंकरिया तालाब का प्रवेश मार्ग | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 39. | बीबीजी की मस्जिद | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 40. | हैबतखान की मस्जिद | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 41. | बाबा लौली की मस्जिद | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 42. | सर्वे सं. 6814 में नवाब सरदार खान की मस्जिद तथा बाहरी द्वार | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 43. | परिसर सहित नवाब सरदार खान का रौजा जिसकी सी.एस. सं. 6811 है | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 44. | मीर अबू तुरब का मकबरा | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 45. | जेठाभाई का सीढ़ीदार कुआं | इसानपुर | अहमदाबाद |
| 46. | लघु प्रस्तर मस्जिद (गुमले मस्जिद) | इसानपुर | अहमदाबाद |
| 47. | मकबरे (कुतुब-ए-आलम) | वटवा | अहमदाबाद |
| 48. | विशाल मस्जिद | सरखेजा रोजा | अहमदाबाद |
| 49. | विशाल तालाब, महल तथा अन्तःपुर | सरखेजा रोजा | अहमदाबाद |
| 50. | मंडप | सरखेजा रोजा | अहमदाबाद |
| 51. | बाबा इशाक तथा बावा गंज बक्श का रोजा | सरखेजा रोजा | अहमदाबाद |
| 52. | बीबी (रानी) राजबाई का मकबार | सरखेजा रोजा | अहमदाबाद |
| 53. | मोहम्मद बेगराह का मकबरा | सरखेजा रोजा | अहमदाबाद |
| 54. | शेख अहमद खट्टुआ गंज बक्श का मकबरा | सरखेजा रोजा | अहमदाबाद |
| 55. | जामी मस्जिद | ढोलका | अहमदाबाद |
| 56. | मालव तालाब | ढोलका | अहमदाबाद |
| 57. | खान मस्जिद | ढोलका | अहमदाबाद |
| 58. | बहलोल खान गाजी की मस्जिद | ढोलका | अहमदाबाद |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 59. | ध्वस्त इमारत | ढोलका | अहमदाबाद |
| 60. | लोथल स्थित प्राचीन स्थल | सरगवाला | अहमदाबाद |
| 61. | रगुशा पीर की मस्जिद | रनपुर | अहमदाबाद |
| 62. | जामी मस्जिद | मंडल | अहमदाबाद |
| 63. | काजी मस्जिद | मंडल | अहमदाबाद |
| 64. | सैय्यद मस्जिद | मंडल | अहमदाबाद |
| 65. | मनसर तालाब तथा वेदियां | वीरमगाम | अहमदाबाद |
| 66. | प्राचीन स्थल गोहिलवाड टिम्बो (टीला) | अमरेली | अमरेली |
| 67. | काशीविश्वनाथ मंदिर की दीवार पर भित्ति चित्र | पडार सिंहा | अमरेली |
| 68. | प्राचीन स्थल | वेनीवडार | अमरेली |
| 69. | सीढ़ीदार कुआं | बोरसाड | आनंद |
| 70. | जामी मस्जिद | खम्भात | आनंद |
| 71. | प्राचीन स्थल/टीला | सिहोर | भावनगर |
| 72. | दरबारगढ़ | सिहोर | भावनगर |
| 73. | प्राचीन स्थल/टीला | वाला | भावनगर |
| 74. | जैन मंदिर | तलाजा | भावनगर |
| 75. | तलजा गुफाएं | तलाजा | भावनगर |
| 76. | जामी मस्जिद | भरूच | भरूच |
| 77. | महादेव का प्राचीन ध्वस्त मदिर | बावका | दाहोद |
| 78. | सिकंदर शाह का मकबरा | हलोल | गोधरा |
| 79. | एक-मीनार की मस्जिद | हलोल | गोधरा |
| 80. | पंच-महुदा-की मस्जिद | हलोल | गोधरा |
| 81. | मकबरा | हलोल | गोधरा |
| 82. | कुंडलीदार सीढ़ीदार कुआं रास्ते के चारों तरफ 50 फुट जगह के साथ जोकि नजदीकी सड़क से 10 फुट दूर है | चांपानेर | गोधरा |
| 83. | सकर खान की दरगाह | चांपानेर | गोधरा |
| 84. | नगर द्वार | चांपानेर | गोधरा |
| 85. | दुर्ग की दीवारें | चांपानेर | गोधरा |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 86. | दुर्ग के दक्षिण पूर्वी कोने पर नगर दीवार जोकि पहाड़ी तक जा रही है | चांपानेर | गोधरा |
| 87. | पूर्वी व दक्षिणी भद्र द्वार | चांपानेर | गोधरा |
| 88. | सहर की मस्जिद (बोहरानी) | चांपानेर | गोधरा |
| 89. | तीन प्रकोष्ठ | चांपानेर | गोधरा |
| 90. | मांडवी अथव कस्टम हाउस | चांपानेर | गोधरा |
| 91. | जामी मस्जिद | चांपानेर | गोधरा |
| 92. | सीढ़ीदार कुआं | चांपानेर | गोधरा |
| 93. | केवडा मस्जिद | चांपानेर | गोधरा |
| 94. | मकबरा जिसके मध्य में ईंटों का गुम्बद तथा छोटे कोने में गुम्बद हैं | चांपानेर | गोधरा |
| 95. | केवडा मस्जिद का स्मारक | चांपानेर | गोधरा |
| 96. | नगीना मस्जिद | चांपानेर | गोधरा |
| 97. | नगीना मस्जिद का स्मारक | चांपानेर | गोधरा |
| 98. | लाल गुम्बज | चांपानेर | गोधरा |
| 99. | कबूतरखाना पैवेलियन | चांपानेर | गोधरा |
| 100. | कमानी मस्जिद | चांपानेर | गोधरा |
| 101. | बाबा मान की मस्जिद | चांपानेर | गोधरा |
| 102. | द्वार सं. 1 अटक द्वार (दो प्रवेशद्वारों सहित) | पावागढ़ हिल | गोधरा |
| 103. | द्वारा सं. 2 (तीन प्रवेशद्वारों सहित) बुधिया द्वार | पावागढ़ हिल | गोधरा |
| 104. | द्वार सं. 3 मोती द्वार सदनशाह द्वार | पावागढ़ हिल | गोधरा |
| 105. | द्वार सं. 4 बड़ी बुर्जी सहित तथा उसके अंदर के कमरे | पावागढ़ हिल | गोधरा |
| 106. | बुर्जियों के दाहिने और सीढ़ियों सहित सात मंजिल | पावागढ़ हिल | गोधरा |
| 107. | द्वार सं. 4 के ऊपर टकसाल | पावागढ़ हिल | गोधरा |
| 108. | द्वार सं. 5 गुलान बुलान द्वार | पावागढ़ हिल | गोधरा |
| 109. | द्वार सं. 6 बुलंद दरवाजा | पावागढ़ हिल | गोधरा |
| 110. | मकाई कोठार | पावागढ़ हिल | गोधरा |
| 111. | पटई रावल का महल तथा तालाब | पावागढ़ हिल | गोधरा |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 112. | द्वार सं. 7 मकई द्वार | पावागढ़ हिल | गोधरा |
| 113. | द्वार सं. 8 तारापोर गेट | पावागढ़ हिल | गोधरा |
| 114. | पावागढ़ का किला तथा पावागढ़ पहाड़ी के शिखर पर ध्वस्त हिन्दू मंदिर तथा जैन मंदिर | पावागढ़ हिल | गोधरा |
| 115. | नवलखा कोठर | पावागढ़ हिल | गोधरा |
| 116. | शिखर पर किले की दीवार | पावागढ़ हिल | गोधरा |
| 117. | रुद्र महालय मंदिर | देसर | गोधरा |
| 118. | कंकेश्वर महादेव मंदिर | काकनपुर | गोधरा |
| 119. | मूर्तियों की स्क्रीन के साथ रत्नेश्वर प्राचीन मंदिर | रतनपुर | गोधरा |
| 120. | रुदाबाई सीढ़ीदार कुआं | अदालज | गांधीनगर |
| 121. | दुर्वासा ऋषि का आश्रम तथा उसका स्थल | पिंडारा | जामनगर |
| 122. | कालिका माता मंदिर | नवी ध्रेवाड | जामनगर |
| 123. | गोकेश्वर महादेव मंदिर | लौराली | जामनगर |
| 124. | सर्वे सं. 106 में गांधी गढ़ी तथा मंदिर | ओल्ड ढींक | जामनगर |
| 125. | राम लक्ष्मण का मंदिर | बरादिया | जामनगर |
| 126. | द्वारकाधीश मंदिर समूह तथा इसके बाहरी परिसर अहाते सर्वे सं. 1607, 1608, 1906 | द्वारका | जामनगर |
| 127. | क्षत्रप अभिलेख | द्वारका | जामनगर |
| 128. | रुकमिणी मंदिर | द्वारका | जामनगर |
| 129. | धरषनवेल मंदिर मागडेरु | धरषनवेल | जामनगर |
| 130. | सर्वे सं. 655 में गुहादित्य मंदिर | वरवाडा | जामनगर |
| 131. | जूनागढ़ी (जैन) मंदिर | वसई | जामनगर |
| 132. | कंकेश्वर महादेव मंदिर तथा अन्य पूजा स्थल | वसई | जामनगर |
| 133. | गोप (सूर्य) मंदिर | नानी गोप | जामनगर |
| 134. | अशोक शिलालेख | जूनागढ़ | जूनागढ़ |
| 135. | बौद्ध गुफा | जूनागढ़ | जूनागढ़ |
| 136. | बाबा प्यारे, खपरा कोडिया गुफाएं | जूनागढ़ | जूनागढ़ |
| 137. | प्राचीन टीला | इंतवा | जूनागढ़ |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 138. | जामी मस्जिद | मंगरोल | जूनागढ़ |
| 139. | बीबी मस्जिद | मंगरोल | जूनागढ़ |
| 140. | रवेली मस्जिद | मंगरोल | जूनागढ़ |
| 142. | रणछोड़ रायाजी मंदिर तथा महादेव मंदिर चौक के आसपास पड़ी खाली जमीन | मूल द्वारका | जूनागढ़ |
| 142. | विट्ठलभाई हवेली | वास्को | खेड़ा |
| 143. | भामारिया कुआं | महामदाबाद | खेड़ा |
| 144. | गत्तेश्वर का मंदिर | सरनाल | खेड़ा |
| 145. | सैफु-उद्-दीन तथा निजाम-उद्-दीन का मकबरा | सोजाली | खेड़ा |
| 146. | मुबारक सैय्यद का मकबरा | सोजाली | खेड़ा |
| 147. | राव लखा छतरी | भुज | कच्छ |
| 148. | शिव मंदिर | कोटई | कच्छ |
| 149. | उत्खनित स्थल | सुरकोटडा | कच्छ |
| 150. | मलाई माता मंदिर | पालद्वार | मेहसाण |
| 151. | हिंगलोजी माता मंदिर | खंडोसान | मेहसाण |
| 152. | सभा मंडल (दो पूजा स्थल) तथा प्राचीन पूजा स्थल | खंडोसान | मेहसाण |
| 153. | जसमलनाथजी महादेव मंदिर | असोदा | मेहसाण |
| 154. | अजपल कुंड | वादनगर | मेहसाण |
| 155. | अभिलेख तथा अर्जुन बारी द्वार | वादनगर | मेहसाण |
| 156. | तोरण | वादनगर | मेहसाण |
| 157. | कुंड | विजापुर | मेहसाण |
| 158. | सूर्य मंदिर, सूर्य कुंड तथा अन्य लगे हुए मंदिर व पड़ी हुई मूर्तियां | मोढेरा | मेहसाण |
| 159. | खान सरोवर का प्रवेशद्वार | पाटन | पाटन |
| 160. | रानी-की-वाव | पाटन | पाटन |
| 161. | सहस्रलिंग तालाब (उत्खनित) | अनावडा | पाटन |
| 162. | शेख फरीद मकबरा | पाटन | पाटन |
| 163. | जामी मस्जिद | सिधपुर | पाटन |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 164. | रुद्र महालय मंदिर के अवशेष | सिधपुर | पाटन |
| 165. | नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर | सुनाक | पाटन |
| 166. | सिवाई माता मंदिर | सुनाक | पाटन |
| 167. | नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर | रुहावी | पाटन |
| 168. | संदेरी माता मंदिर में दो छोटे पूजा स्थल | सांदेर | पाटन |
| 169. | सीतामाता मंदिर | पिलुदरा | पाटन |
| 170. | सूर्य प्रतिमा वाला तोरण | पिलुदरा | पाटन |
| 171. | लिम्बोजी माता मंदिर | डेनमाल | पाटन |
| 172. | मकान जहां महात्मा गांधी पैदा हुए थे | सी | पोरबंदर |
| 173. | प्राचीन पार्श्वनाथ मंदिर | वडोदरा | पोरबंदर |
| 174. | गुफाएं | मियानी | राजकोट |
| 175. | सिकंदरशाह का मकबरा | प्रांतजी | साबरकंठा |
| 176. | मंदिर समूह | खेड तथा रोडा | साबरकंठा |
| 177. | दरगाह जिसे ख्वाजा दाना साहेब के रोजा के नाम से जाना जाता है | सूरत | सूरत |
| 178. | प्राचीन इंगलिश मकबरे | सूरत | सूरत |
| 179. | ख्वाजा सफर सुलेमानी का मकबरा | सूरत | सूरत |
| 180. | प्राचीन डच तथा अर्मीनियन मकबरे तथा कब्रिस्तान | सूरत | सूरत |
| 181. | सर्वे प्लाट सं. 535 में शामिल प्राचीन स्थल | कामरेज | सूरत |
| 182. | फतेह बुर्ज | व्यापार | सुरेन्द्रनगर |
| 183. | रनक देवी का मंदिर | वधावन | सुरेन्द्रनगर |
| 184. | प्राचीन टीला | रंगपुर | सुरेन्द्रनगर |
| 185. | सूर्य मंदिर | थानगढ़ | सुरेन्द्रनगर |
| 186. | नवलखा मंदिर | सेजकपुर | सुरेन्द्रनगर |
| 187. | गांव में प्राचीन स्थल/टीला (गणेस मंदिर) | सेजकपुर | सुरेन्द्रनगर |
| 188. | दरबारगढ़ | हल्वाड | सुरेन्द्रनगर |
| 189. | अनंतेश्वर मंदिर | भादिया अनंदपुर | सुरेन्द्रनगर |
| 190. | भाउ ताम्बेकरवाडा में भित्ति चित्र वाले कमरे | वड़ोदरा | वड़ोदरा |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 191. | ऐतिहासिक स्थल सर्वे सं. 431, 435 | वड़ोदरा | वड़ोदरा |
| 192. | हजीरा या कुतुबद्दीन अहमद खान का मकबरा | दंतेश्वर | वड़ोदरा |
| 193. | प्राचीन स्थल (उत्खनित) | कायावरोहन | वड़ोदरा |
| 194. | तोरण प्रवेशद्वार | कायावरोहन | वड़ोदरा |
| 195. | समश्यापुरा का प्राचीन स्थल | गोराज | वड़ोदरा |
| 196. | वड़ोदरा द्वार तथा उसके आसपास के निर्माम हीरा द्वार सर्वे सं. 38, 41, 45, 47 तथा टिक्का सं. 102 व 103 | दभोई | वड़ोदरा |
| 197. | हीरा द्वार सर्वे सं. 38, 41, 45, 47 तथा टिक्का सं. 102 व 103 | दभोई | वड़ोदरा |
| 198. | माहुदी (चांपानेरी) द्वार तथा उसके पास के निर्माण | दभोई | वड़ोदरा |
| 199. | नांदोदी द्वार तथा उसके पास के निर्माण | दभोई | वड़ोदरा |
| 200. | सप्तमुखी वाव | दभोई | वड़ोदरा |
| 201. | सूक्ष्म प्रस्तर स्थल सर्वे सं. 311, 12, 13 तथा 298 | अमाराजपुरा | वड़ोदरा |
| 202. | प्राचीन स्थल (कोटडा) | धौलाबीरा तहसील-भरूच | भुज |

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**

3. **डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के तहत कृषि-उपज विपणन समितियों के कार्यान्वयन की ताजा स्थिति को इंटरनेट पर आनलाइन दर्शाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इस योजना के तब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत राज्य सरकारें परियोजनाओं के चयन और कार्यान्वयन पर निर्णय लेती है जिसमें कृषि उत्पादन विपणन समितियों (एपीएमसी) से संबंधित निर्णय भी शामिल है। कुछ राज्यों ने एपीएमसी का कम्प्यूटरीकरण शुरू किया है।

*[हिन्दी]*

**सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा**

4. **श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों पर विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनांतर्गत राज्य-वार किन-किन स्थानों को चुना गया है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार ने देश में

महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने सभी संरक्षित स्मारकों, संग्रहालयों, स्थलों को अपने नियमित परिचरों के अतिरिक्त, सशस्त्र पुलिस गार्डों, होम गार्डों और निजी सुरक्षा गार्डों की मार्फत सुरक्षा प्रदान कर रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर लाल किले और ताजमहल में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की मार्फत विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

*[अनुवाद]*

## राष्ट्रीय महत्व के स्मारक

**5. श्री पी.के. बिजू:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों एवं स्थलों की पहचान के लिए सरकार/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) द्वारा क्या मापदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में चिन्हित किए गए प्राचीन पुरातात्विक स्मारक/स्थलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार/भा.पुरा.सर्वे. ने पिछले एक वर्ष के दौरान पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर कोई अन्वेषण/उत्खनन कार्य किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के जरिए क्या-क्या खोजें की गईं?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अधीन जो स्मारक ऐतिहासिक, पुरातत्वीय अथवा कलात्मक महत्व के हों और जो कम से कम 100 वर्षों से विद्यमान हों, उन्हें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया जा सकता है।

(ख) सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) विस्तृत सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

### *विवरण I*

*देश के ऐसे स्मारकों/स्थलों की सूची जिनकी राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए जाने के लिए विचार करने हेतु पहचान की गई है*

| क्र.सं. | स्मारक/स्थल का नाम तथा स्थान/जिला | राज्य का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | जूनी करण स्थित प्राचीन स्थल, कच्छ | गुजरात |
| 2. | फिरोजशाह महल तथा तहखाना के पास महल भवन, हिसार, जिला हिसार | हरियाणा |
| 3. | हारादिब स्थित मंदिर समूह, जिला रांची | झारखण्ड |
| 4. | शाहपुर किला, शाहपुर, जिला पलामू | झारखण्ड |
| 5. | नवरतनगढ़ किला तथा मंदिर परिसर, गुमला | झारखण्ड |
| 6. | तिलियागढ़ किला, साहेबगंज | झारखण्ड |
| 7. | जिला तथा जैन शैलकृत मूर्तियां, कोलुहा, पहाड़ी, चतरा | झारखण्ड |
| 8. | जनार्दन मंदिर, पानामारम, वायनाड जिला | केरल |
| 9. | विष्णु मंदिर, नादवयाल, जिला वायनाड | केरल |
| 10. | दौलताबाद किला की किला दीवार, औरंगाबाद | महाराष्ट्र |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 11. | पुराना हाईकोर्ट भवन, नागपुर, जिला नागपुर | महाराष्ट्र |
| 12. | किला गिन्नूरगढ़, जिला सिहोर | मध्य प्रदेश |
| 13. | विरंची नारायण मंदिर, बुगुदा | ओडिशा |
| 14. | मंदिर समूह, रानीपुर झरियल, जिला बोलंगीर | ओडिशा |
| 15. | सीता राम जी मंदिर, डीग, भरतपुर | राजस्थान |
| 16. | रामबाग महल, डीग, जिला भरतपुर | राजस्थान |
| 17. | बाला किला, अलवर तथा नीमराणा, अलवर में सीढ़ीदार कुआं | राजस्थान |
| 18. | सैंट थामस चर्च, देहरादून, जिला देहरादून | उत्तराखण्ड |
| 19. | उत्खनित स्थल, श्रृंगवेरपुरा, जिला इलाहाबाद | उत्तर प्रदेश |
| 20. | नौसेरी बानू मस्जिद तथा चौक मस्जिद, केल्ला निजामत, जिला मुर्शीदाबाद | पश्चिम बंगाल |
| 21. | पुरातत्वीय स्थल (सकीसेना टीला), मोगलबारी, जिला पश्चिमी मेदिनापुर | पश्चिम बंगाल |
| 22. | ख्वाजा अनवर बेर (नवाब बाड़ी) जिला बर्धमान | पश्चिम बंगाल |
| 23. | वृन्दावन चन्द्र मंदिर तथा राधा दामोदर मंदिर जिला बांकुरा | पश्चिम बंगाल |

***विवरण II***

*पिछले एक वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए उत्खनन*

| क्र.सं. | स्थल का नाम | प्राप्त की गई वस्तुएं |
|---|---|---|
| 1. | खण्डेरा, नरवर और तिकोडा, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश | उत्खननों से प्राप्त हुई सामान्य वस्तुओं में विभिन्न काल के बर्तनों के टुकड़े, गुलेल कन्दुक, डाट, लैम्प, मूठ, हॉपस्काच, टेराकोटा की जानवर आकृतियां मानव आकृतियां, सॉकिट रिंग्स, मोहर/सीलिंग, नेट सिंकर, गैम्स मैन, टेराकोटा सिल, ढक्कन, लिंग, तकली चक्र, मूसली, त्वचा मार्जक, टेबलेट पेबल्स, चूड़ियां, सिक्के, सुरमा सलाई, सोने की सजावटी वस्तुएं, लघु बर्तन, छिड़काव करने वाली वस्तु अल्प कीमती पत्थर और टेराकोटा के मनके, अस्थि/हाथी दांत पत्थर ताम्र वस्तुएं/पत्थर की वस्तुएं, तांबे की वस्तुएं, सीसे की वस्तुएं, शंख की वस्तुएं, अन्तर-छड़, कटोरियां, कंगन, अंकुश, सिक्के, कंघे, खंजर, सुसज्जित अस्थि खण्ड, पासा, कुण्डल, कर्ण स्टड्स, भाला शामिल हैं। |
| 2. | मल्हार, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ | |
| 3. | वैशाली के पास कोल्हुआ, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार | |
| 4. | कोंडापुर, कोंडापुर मण्डल, जिला मेढक, आंध्र प्रदेश | |
| 5. | खिरसारा, जिला कच्छ, गुजरात | |
| 6. | कुरूगोडू (बुद्धीकोल्ला) जिला बेल्लारी, कर्नाटक | |
| 7. | सेंगल्लूर, कुलात्तूर पुडुकोट्टई, तमिलनाडु | |
| 8. | अहिछत्र, रामनगर, तहसील ओनला, जिला बरेली, (उत्तर प्रदेश) | |
| 9. | मलायादिपट्टी तालुक कुलात्तूर, जिला पुडुकोट्टई, तमिलनाडु | |
| 10. | बानगढ़, गंगारामपुर, जिला दक्षिण दिनाजपुर में उत्खनन, पश्चिम बंगाल | |
| 11. | चन्द्रकेतुगढ़, मौजा हादीपुर चुपरीझारा एवं सिंगेरती, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल | मिट्टे के बर्तनों और उक्त वस्तुओं के अलावा, उत्खननों में छोटे-मोटे संरचनात्मक अवशेष भी मिले। |
| 12. | राजा-विशाल-का-गढ़, जिला वैशाली, बिहार | |

*[हिन्दी]*

## राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कवरेज

6. **श्रीमती कमला देवी पटले:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ सहित देश में कितने जिलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) के अंतर्गत कवर किया गया है;

(ख) क्या छत्तीसगढ़ सहित देश के कुछ राज्यों ने कुछ और जिलों को उक्त मिशन के तहत कवर करने का प्रस्ताव/अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार राज्यों द्वारा प्रस्तावित अन्य और जिलों को उक्त योजनाओं के तहत शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के अंतर्गत देश में छत्तीसगढ़ सहित 19 राज्यों के 482 अभिज्ञात जिलों को शामिल किया गया है। एनएफएसएम-चावल 16 राज्यों के 144 जिले में, एनएफएसएम-गेहूं 9 राज्यों के 142 जिलों में तथा एनएफएसएम-दलहन 16 राज्यों के 468 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में 10 जिलों को एनएफएसएम-चावल के अंतर्गत तथा सभी 18 जिलों को एनएफएसएम-दलहन के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) एनएफएसएम के अंतर्गत जिलों को कुछ मानदण्डों के अंतर्गत शामिल किया गया है। मंत्रालय ने नए जिलों को शामिल करने/विद्यमान जिलों को प्रतिस्थापित करने के लिए गुजरात, ओडिशा और उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों से अनुरोध प्राप्त किए थे। उन जिलों को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया जिन्होंने मानदण्ड पूरे किए।

(घ) और (ङ) फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन देश में 19 राज्यों के सभी 482 जिलों में कार्यान्वित किया जाता है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एनएफएसएम के अंतर्गत और अधिक जिलों को शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

## खेलों का स्तर

7. **श्री इज्यराज सिंह:**
**श्री अंजन कुमार एम. यादव:**

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खेलों के गिरते स्तर के कारणों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या खेलों के गिरते स्तर के लिए अकेले राष्ट्रीय खेल फेडरेशन जिम्मेदार हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं?

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) से (ङ) यह सत्य नहीं है कि देश में खेलों का स्तर गिर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में देश के प्रदर्शन में प्रत्यक्ष सुधार आया है, जो कि बीजिंग ओलम्पिक 2008, एशियाई खेल 2010, राष्ट्रमंडल खेल 2010, 11वें दक्षिण एशियाई खेल 2010 और विशेष खेल विधाओं की विश्व चैम्पियनशिप, एशियाई चैम्पियनशिप और राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों/टीमों द्वारा विजित पदकों से प्रमाणित होता है। आगे सरकार ने खेल सुविधाओं, प्रशिक्षण और कोचिंग से संबंधित चुनौतियों का सामना करने हेतु कई कदम उठाये।

जमीनी स्तर पर खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने हेतु सरकार ने पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पायका) योजना आरंभ की जिसके द्वारा 10 वर्षों से भी अधिक समय से देश की सभी ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से मूलभूत खेल सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है तथा जिससे ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। आशा है कि इस योजना से खेलों में न केवल जन प्रतिभागिता को बढ़ावा मिलेगा वरन् अंततोगत्वा नई प्रतिभाओं को भी बढ़ावा मिलेगा जिसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त होगा।

शहरी क्षेत्र में खेल अवसंरचना के निर्माण/विकास के लिए मंत्रालय ने शहरी खेल अवसंरचना योजना (यूएसआईएस) प्रयोग के आधार पर 2010-11 से आरंभ की।

भव्य खेल आयोजनों जैसे ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदर्शन सुधारने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ परामर्श के बाद कई विशेष कार्यक्रम शुरू किए। बीजिंग ओलम्पिक, 2008 के लिए अपने एथलिटों की तैयारी के लिए सरकार ने उन विधाओं की पहचान की जिनमें देश को पदको की प्रत्याशा थी और भारतीय खेल प्राधिकरण और संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ परामर्श द्वारा खिलाड़ियों के समग्र और गहन प्रशिक्षण योजना तैयार की।

राष्ट्रमंडल खेल 2010 में हमारे एथलीटों की तैयारी हेतु 678 करोड़ रुपयों के परिव्यय के साथ राष्ट्रमंडल खेल 2010 हेतु भारतीय एथलीटों/टीमों की तैयारी की स्कीम को कार्यान्वित किया गया, जिसके अंतर्गत समग्र एवं गहन प्रशिक्षण और भारतीय खिलाड़ियों को स्थानीय तथा विदेश में अनुभव के अवसर प्रदान किये गये। एशियाई खेल 2010, जो कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 के एक महीने बाद आयोजित हुए थे, तैयारी हेतु और वे खेल विधाएं जो एशियाई खेल 2010 में शामिल थीं परंतु राष्ट्रमंडल 2010 में नहीं थी को समान अवसर प्रदान करने हेतु भारतीय एथलीटों/टीमों की तैयारी की स्कीम के मानदंडों को ऐसी खेल विधाओं की सहायता हेतु राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम के लिए सीमा के रूप में अपनाया। इस उद्देश्य के लिए संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों और भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ विचार-विमर्श द्वारा कार्यान्वयन की रूप रेखा बनायी ताकि कोचिंग कैम्प, खेल उपस्करों, भारतीय तथा विदेशी कोच और सहायकों की नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और विदेश में प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता उपलब्ध की जा सके।

आगामी लंदन ओलम्पिक 2012 के लिए हमारे एथलीटो/टीमों की तैयारी हेतु मंत्रालय ने "ऑपरेशनल एक्सीलेंस फॉर लंदन ओलम्पिक 2012" (ओपेक्स 2012) परियोजना प्रारंभ की है। ओपेक्स 2012 के अंतर्गत, एथलीटो को देश तथा विदेश में समग्र और गहन प्रशिक्षण के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अनुभव प्रदान कराया जा रहा है। लंदन ओलम्पिक के लिए एथलीटो की तैयारी के लिए निधियों मानदंडों के अनुसार उपलब्ध करायी जा रही है जो कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 के मानकों के समान है, आवास, पोषण वैज्ञानिक सहायता तथा दैनिक भत्ता आदि जैसे कुछ क्षेत्रों में निधियां बढ़ाई गई हैं।

*[अनुवाद]*

**खाद्य-भण्डारण की श्रेणियां**

**8. श्री पी.सी. चाको:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित भण्डार-गृहों में खाद्यान्न को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत भण्डारित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान किन-किन प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत कितने खाद्यान्न का भण्डारण किया गया; और

(ग) उक्तावधि के दौरान भा.खा.नि. द्वारा कितनी मात्रा में खाद्यान्न को हटाकर अलग कर दिया गया तथा इसके क्या कारण हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए सभी खाद्यान्नों को भंडारण के दौरान गेहूं तथा धान के मामले में घुन लगे (कीड़ों द्वारा खाए गए) दानों के आधार पर और चावल के मामले में क्षतिग्रस्त/बदरंग दानों के आधार पर क, ख, ग और घ के श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। छूट दी गई विनिर्दिष्टियों के तहत खरीदे गए खाद्यान्नों तथा जारी न करने योग्य/क्षतिग्रस्त घोषित स्टाक का भंडारण अलग-अलग किया जाता है। दिनांक 1.4.2009, 1.4.2010, 1.4.2011 और 1.2.2012 की स्थिति के अनुसार स्टाक की स्थिति का श्रेणीवार और जिंसवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान (जनवरी, 2012 तक) भारतीय खाद्य निगम में क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

खाद्यान्न भंडारण के दौरान कीड़ों के हमले, गोदामों में चोरी, घटिया किस्म के स्टाक की खरीद, स्टाक के संचलन और हैंडलिंग के दौरान बिखरने, वर्षा होने, बाढ़ आने, संबंधित व्यक्तियों द्वारा एहतियाती उपाय करने में लापरवाही आदि जैसे कई कारणों से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। कार्मिकों/अधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही के मामले में, दोषी पाए जाने पर भारतीय खाद्य निगम चूककर्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है।

### विवरण I

*1.4.2009, 1.4.2010, 1.4.2011 और 1.2.2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों की श्रेणीवार और जिंसवार स्टाक स्थिति*

(आंकड़े लाख टन में)

| वर्ष/अवधि | जिन्स | श्रेणी | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | क | ख | ग | घ | यूआरएस | जोड़ | जारी न करने योग्य |
| 1.4.2009 | गेहूं | 63.45 | 0.25 | नगण्य | 0.02 | 0 | 63.72 | 0.01 |
| | चावल | 61.9 | 63.37 | 0.1 | 0.01 | 2.54 | 128.01 | 0.16 |
| | धान | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.82 | नगण्य |
| | जोड़ | 131.23 | 63.62 | 0.1 | 0.03 | 2.57 | 197.55 | 0.17 |
| 1.4.2010 | गेहूं | 73.36 | 0.15 | 0 | नगण्य | 0 | 73.51 | 0.03 |
| | चावल | 64.32 | 14.16 | 0.04 | नगण्य | 72.36 | 150.88 | 0.09 |
| | धान | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | नगण्य |
| | जोड़ | 139.87 | 14.31 | 0.04 | नगण्य | 72.36 | 226.58 | 0.12 |
| 1.4.2011 | गेहूं | 63.11 | 0.6 | 0.02 | नगण्य | 0 | 63.73 | 0.02 |
| | चावल | 75.24 | 13.94 | 0.03 | 0.004 | 81.44 | 170.65 | 0.01 |
| | धान | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 7.88 | नगण्य |
| | जोड़ | 146.11 | 14.54 | 0.05 | 0.004 | 81.56 | 242.26 | 0.03 |
| 1.2.2012 | गेहूं | 85.73 | 0.33 | नगण्य | 0.02 | 0 | 86.08 | 0.033 |
| | चावल | 102.93 | 17.57 | 0.06 | 0.04 | 46.57 | 167.17 | 0.034 |
| | धान | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | नगण्य + 0.024 |
| | जोड़ | 190.27 | 17.9 | 0.06 | 0.06 | 46.57 | 254.86 | नगण्य + 0.091 |

### विवरण II

*2008-09 से 2010-11 तक पिछले तीन वर्षों और 1.2.2012 तक भारतीय खाद्य निगम के पास पाए गए क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य क्षेत्रवार स्टाक की स्थिति*

(आंकड़े टन में)

| क्र.सं. | क्षेत्र | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 (01.02.2012 तक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | बिहार | 14 | 726 | 200 | 0 |
| 2. | झारखंड | 15 | 17 | 39 | 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | ओडिशा | 84 | 0 | 18 | 27 |
| 4. | पश्चिम बंगाल | 1789 | 1357 | 922 | 470 |
| 5. | असम | 83 | 38 | 49 | 442 |
| 6. | पूर्वोत्तर सीमांत | 212 | 77 | 175 | 0 |
| 7. | नागालैंड और मणिपुर | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | दिल्ली | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 9. | हरियाणा | 16 | 0 | 53 | 0 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12. | पंजाब | 16798 | 2273 | 182 | 37 |
| 13. | राजस्थान | 0 | 12 | 21 | 30 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 62 | 14 | 520 | 11 |
| 15. | उत्तराखंड | 4 | 0 | 1338 | 0 |
| 16. | आंध्र प्रदेश | 0 | 0 | 3 | 4.33 |
| 17. | केरल | 98 | 19 | 99 | 200 |
| 18. | कर्नाटक | 74 | 70 | 17 | 0 |
| 19. | तमिलनाडु | 1 | 1 | 12 | 28 |
| 20. | गुजरात | 655 | 814 | 2595 | 226 |
| 21. | महाराष्ट्र | 189 | 245 | 97 | 1356 |
| 22. | मध्य प्रदेश | 2 | 0 | 14 | 49 |
| 23. | छत्तीसगढ़ | 0 | 974 | 2 | 13 |
| | जोड़ | 20114 | 6702 | 6346 | 2873.33 |

*[हिन्दी]*

**फसल बीमा योजना**

**9. श्री अर्जुन राम मेघवाल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने किसान फसल बीमा योजना तथा मौसमी फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए;

(ख) क्या उक्त दोनों बीमा योजनाओं का लाभ उन किसानों को भी मिला जिन्होंने कोई बैंक-ऋण नहीं लिया था;

(ग) यदि हां, तो ऐसे किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या उक्त दोनों बीमा योजनाओं के अंतर्गत पंचायत को एक इकाई मानने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) से (ग) कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग देश में चार फसल बीमा योजनाएं अर्थात् राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस), पायलट संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस), पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) पायलेट नारियल पाम बीमा योजना (सीपीआईएस) कार्यान्वित कर रहा है। कवर किए गए/लाभान्वित किसानों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I से IV में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) संयुक्त समूह की सिफारिशों तथा स्टेक होल्डरों के विचारों के आधार पर मुख्य फसलों हेतु बीमा यूनिट क्षेत्र को कम करके ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर तक लाने सहित विभिन्न सुधारों को शामिल करते हुए विद्यमान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजान में संशोधन किया गया है। पायलेट आधार पर रबी 2010-11 से 50 जिलों में कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा संसोधित एनएआईएस का अनुमोदन किया गया है।

### *विवरण I*

*एनएआईएस-2008-09 से 2010-11 तक कवर किए गए/लाभान्वित राज्यार कुल किसान और: और गैर-ऋणी किसान*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ऋणी | कुल | गैर-ऋणी | कुल | गैर-ऋणी | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 103146 | 809993 | 206116 | 1236643 | 4985 | 804961 |
| 2. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | असम | 75 | 4128 | 631 | 11248 | 0 | 3131 |
| 4. | बिहार | 54717 | 225064 | 208350 | 536446 | 168053 | 395144 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 7173 | 238211 | 2367 | 365931 | 1006 | 7983 |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 6 | 305617 | 5 | 536755 | 0 | 78994 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 0 | 3 | 4717 | 0 | 613 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 4183 | 11666 | 8173 | 21789 | 0 | 289 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 4 | 2509 | 0 | 344 |
| 11. | झारखण्ड | 122484 | 142127 | 902952 | 970157 | 171508 | 226057 |
| 12. | कर्नाटक | 240050 | 352355 | 310921 | 508177 | 26143 | 59416 |
| 13. | केरल | 0 | 1704 | 0 | 1959 | 0 | 3973 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 1760 | 211715 | 1909 | 205433 | 501 | 622563 |
| 15. | महाराष्ट्र | 1723841 | 1723841 | 1330090 | 1330090 | 84139 | 84139 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 0 | 10889 | 10930 | 259 | 341 |
| 17. | मेघालय | 0 | 33 | 0 | 806 | 0 | 300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | मिजोरम | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 |
| 19. | ओडिशा | 804 | 100248 | 13899 | 120340 | 9064 | 216266 |
| 20. | पुदुचेरी | 0 | 552 | 0 | 220 | 0 | 401 |
| 21. | राजस्थान | 586 | 681081 | 1614 | 2188852 | 0 | 0 |
| 22. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | तमिलनाडु* | 437603 | 579323 | 113413 | 181285 | 178657 | 284923 |
| 24. | त्रिपुरा | 0 | 620 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 326 | 229737 | 553 | 592781 | 177 | 301328 |
| 26. | उत्तराखंड | 4631 | 29220 | 17349 | 37320 | 2748 | 24886 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 1008 | 546528 | 30 | 144128 | 0 | 138032 |
| | सकल योग | 2702393 | 6193763 | 3129387 | 9008648 | 647240 | 3254135 |

### *विवरण II*

*भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.*

*पाईलेट संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत राज्य-वार कार्य निष्पादन*

**रबी 2010-11** (आंकड़े संख्या में)

| क्र.सं. | राज्य | किसानों की ऋणी | कवर किए गए किसान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | ऋणी | 45557 |
| | | गैर-ऋणी | 8638 |
| | | कुल | 54195 |
| 2. | असम | ऋणी | 2079 |
| | | गैर-ऋणी | 18 |
| | | कुल | 2097 |
| 3. | बिहार | ऋणी | 36161 |
| | | गैर-ऋणी | 962 |
| | | कुल | 37123 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | ऋणी | 18 |
| | | गैर-ऋणी | - |
| | | कुल | 18 |
| 5. | गुजरात | ऋणी | 125 |
| | | गैर-ऋणी | 0 |
| | | कुल | 125 |
| 6. | झारखंड | ऋणी | 183 |
| | | गैर-ऋणी | 0 |
| | | कुल | 183 |
| 7. | कर्नाटक | ऋणी | 6952 |
| | | गैर-ऋणी | 1791 |
| | | कुल | 8743 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 8. | मध्य प्रदेश | ऋणी | 34535 |
| | | गैर-ऋणी | 0 |
| | | कुल | 34535 |
| 9. | महाराष्ट्र | ऋणी | 174 |
| | | गैर-ऋणी | 3489 |
| | | कुल | 3663 |
| 10. | ओडिशा | ऋणी | 40434 |
| | | गैर-ऋणी | 0 |
| | | कुल | 40434 |
| 11. | उत्तराखंड | ऋणी | 9627 |
| | | गैर-ऋणी | 15 |
| | | कुल | 9642 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | ऋणी | 167595 |
| | | गैर-ऋणी | 66 |
| | | कुल | 167661 |
| | मौसम कुल | ऋणी | 343440 |
| | | गैर-ऋणी | 14979 |
| | | कुल | 358419 |

*विवरण III*

*मौसम आधारित फसल बीमा योजना*

*कवर किए गए राज्यवार, मौसमवार किसान*

(आंकड़े संख्या में)

| राज्य | मौसम | कवर किए गए किसान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **खरीफ 2008** | |
| बिहार | ऋणी | 72600 |
| | गैर-ऋणी | 5510 |
| | कुल | 71100 |
| हरियाणा | ऋणी | 0 |
| | गैर-ऋणी | 66 |
| | कुल | 66 |
| पंजाब | ऋणी | 50 |
| | गैर-ऋणी | 17 |
| | कुल | 67 |
| महाराष्ट्र | ऋणी | 2894 |
| | गैर-ऋणी | 131 |
| | कुल | 3025 |
| कर्नाटक | ऋणी | 21439 |
| | गैर-ऋणी | 3567 |
| | कुल | 25006 |
| झारखंड | ऋणी | 604 |
| | गैर-ऋणी | 21953 |
| | कुल | 22557 |
| ओडिशा | ऋणी | 0 |
| | गैर-ऋणी | 13289 |
| | कुल | 13289 |
| मध्य प्रदेश | ऋणी | 13548 |
| | गैर-ऋणी | 896 |
| | कुल | 14444 |
| राजस्थान | ऋणी | 0 |
| | गैर-ऋणी | 18659 |
| | कुल | 18659 |
| तमिलनाडु | ऋणी | 5412 |
| | गैर-ऋणी | 2846 |
| | कुल | 8258 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| कुल | ऋणी | 116547 |
| | गैर-ऋणी | 6934 |
| | कुल | 183481 |
| | **रबी 2008-09** | |
| बिहार | ऋणी | 132989 |
| | गैर-ऋणी | 4555 |
| | कुल | 137544 |
| छत्तीसगढ़ | ऋणी | 0 |
| | गैर-ऋणी | 6003 |
| | कुल | 6003 |
| हरियाणा | ऋणी | 0 |
| | गैर-ऋणी | 329 |
| | कुल | 329 |
| हिमाचल प्रदेश | ऋणी | 0 |
| | गैर-ऋणी | 630 |
| | कुल | 630 |
| कर्नाटक | ऋणी | 2384 |
| | गैर-ऋणी | 1237 |
| | कुल | 3621 |
| झारखंड | ऋणी | 140 |
| | गैर-ऋणी | 402 |
| | कुल | 542 |
| पश्चिम बंगाल | ऋणी | 0 |
| | गैर-ऋणी | 4743 |
| | कुल | 4743 |
| राजस्थान | ऋणी | 0 |
| | गैर-ऋणी | 24076 |
| | कुल | 24076 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| केरल | ऋणी | 641 |
| | गैर-ऋणी | 427 |
| | कुल | 1068 |
| तमिलनाडु | ऋणी | 10391 |
| | गैर-ऋणी | 2700 |
| | कुल | 13091 |
| कुल | ऋणी | 146545 |
| | गैर-ऋणी | 45102 |
| | कुल | 191647 |
| वर्ष 2008-09 | ऋणी | 263092 |
| | गैर-ऋणी | 112036 |
| | कुल | 375128 |
| | **खरीफ 2009** | |
| महाराष्ट्र | ऋणी | 49591 |
| | गैर-ऋणी | 241 |
| | कुल | 49832 |
| राजस्थान | ऋणी | 288156 |
| | गैर-ऋणी | 31970 |
| | कुल | 320126 |
| मध्य प्रदेश | ऋणी | 13445 |
| | गैर-ऋणी | 92 |
| | कुल | 13537 |
| आंध्र प्रदेश | ऋणी | 16958 |
| | गैर-ऋणी | 345 |
| | कुल | 17303 |
| बिहार | ऋणी | 387353 |
| | गैर-ऋणी | 9331 |
| | कुल | 396684 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| कर्नाटक | ऋणी | 94133 |
| | गैर-ऋणी | 6396 |
| | कुल | 100529 |
| ओडिशा | ऋणी | 74283 |
| | गैर-ऋणी | 7146 |
| | कुल | 81429 |
| गुजरात | ऋणी | 0 |
| | गैर-ऋणी | 140891 |
| | कुल | 140891 |
| झारखंड | ऋणी | 220 |
| | गैर-ऋणी | 15706 |
| | कुल | 15926 |
| तमिलनाडु | ऋणी | 0 |
| | गैर-ऋणी | 9400 |
| | कुल | 9400 |
| पश्चिम बंगाल | ऋणी | 0 |
| | गैर-ऋणी | 8808 |
| | कुल | 8808 |
| केरल | ऋणी | 3770 |
| | गैर-ऋणी | 2914 |
| | कुल | 6684 |
| हरियाणा | ऋणी | 0 |
| | गैर-ऋणी | 42 |
| | कुल | 42 |
| कुल | ऋणी | 927909 |
| | गैर-ऋणी | 233282 |
| | कुल | 1161191 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | **रबी 2009-10** | |
| केरल | ऋणी | 1214 |
| | गैर-ऋणी | 731 |
| | कुल | 1945 |
| बिहार | ऋणी | 437549 |
| | गैर-ऋणी | 30965 |
| | कुल | 468514 |
| राजस्थान | ऋणी | 513839 |
| | गैर-ऋणी | 60942 |
| | कुल | 574781 |
| कर्नाटक | ऋणी | 1222 |
| | गैर-ऋणी | 6478 |
| | कुल | 7700 |
| मध्य प्रदेश | ऋणी | 27884 |
| | गैर-ऋणी | 0 |
| | कुल | 27884 |
| झारखंड | ऋणी | 171 |
| | गैर-ऋणी | 154 |
| | कुल | 325 |
| तमिलनाडु | ऋणी | 5571 |
| | गैर-ऋणी | 2586 |
| | कुल | 8157 |
| पश्चिम बंगाल | ऋणी | 0 |
| | गैर-ऋणी | 4854 |
| | कुल | 4854 |
| हरियाणा | ऋणी | 902 |
| | गैर-ऋणी | 1827 |
| | कुल | 2729 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | ऋणी | 0 |
| | गैर-ऋणी | 5 |
| | कुल | 5 |
| हिमाचल प्रदेश | ऋणी | 3943 |
| | गैर-ऋणी | 986 |
| | कुल | 4929 |
| कुल | ऋणी | 992295 |
| | गैर-ऋणी | 109528 |
| | कुल | 1101823 |
| वर्ष 2009-10 | ऋणी | 1920204 |
| | गैर-ऋणी | 342810 |
| | कुल | 2263014 |
| | **खरीफ 2010** | |
| आंध्र प्रदेश | ऋणी | 105154 |
| | गैर-ऋणी | 10395 |
| | कुल | 115549 |
| बिहार | ऋणी | 394792 |
| | गैर-ऋणी | 14951 |
| | कुल | 409743 |
| छत्तीसगढ़ | ऋणी | 0 |
| | गैर-ऋणी | 1003 |
| | कुल | 1003 |
| गुजरात | ऋणी | 0 |
| | गैर-ऋणी | 132951 |
| | कुल | 132951 |
| हरियाणा | ऋणी | 4351 |
| | गैर-ऋणी | 1331 |
| | कुल | 5682 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| झारखंड | ऋणी | 69 |
| | गैर-ऋणी | 30640 |
| | कुल | 30709 |
| कर्नाटक | ऋणी | 21756 |
| | गैर-ऋणी | 18275 |
| | कुल | 40031 |
| केरल | ऋणी | 4044 |
| | गैर-ऋणी | 6412 |
| | कुल | 10456 |
| मध्य प्रदेश | ऋणी | 114284 |
| | गैर-ऋणी | 0 |
| | कुल | 114284 |
| महाराष्ट्र | ऋणी | 370147 |
| | गैर-ऋणी | 24480 |
| | कुल | 394627 |
| ओडिशा | ऋणी | 72557 |
| | गैर-ऋणी | 2177 |
| | कुल | 74734 |
| राजस्थान | ऋणी | 3507769 |
| | गैर-ऋणी | 6530 |
| | कुल | 3514299 |
| तमिलनाडु | ऋणी | 7762 |
| | गैर-ऋणी | 1041 |
| | कुल | 8803 |
| उत्तराखंड | ऋणी | 46 |
| | गैर-ऋणी | 1107 |
| | कुल | 1153 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | ऋणी | 16354 |
| | गैर-ऋणी | 43 |
| | कुल | 16397 |
| पश्चिम बंगाल | ऋणी | 0 |
| | गैर-ऋणी | 14096 |
| | कुल | 14096 |
| मौसम कुल खरीफ 2010 | ऋणी | 4619085 |
| | गैर-ऋणी | 265432 |
| | कुल | 4884517 |
| | **रबी 2010-11** | |
| आंध्र प्रदेश | ऋणी | 242 |
| | गैर-ऋणी | 0 |
| | कुल | 242 |
| बिहार | ऋणी | 1253193 |
| | गैर-ऋणी | 13764 |
| | कुल | 1266957 |
| छत्तीसगढ़ | ऋणी | 0 |
| | गैर-ऋणी | 1045 |
| | कुल | 1045 |
| हरियाणा | ऋणी | 5496 |
| | गैर-ऋणी | 1178 |
| | कुल | 6675 |
| हिमाचल प्रदेश | ऋणी | 15481 |
| | गैर-ऋणी | 1580 |
| | कुल | 17061 |
| झारखंड | ऋणी | 535 |
| | गैर-ऋणी | 234 |
| | कुल | 769 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| कर्नाटक | ऋणी | 3387 |
| | गैर-ऋणी | 12293 |
| | कुल | 15680 |
| केरल | ऋणी | 980 |
| | गैर-ऋणी | 407 |
| | कुल | 1387 |
| मध्य प्रदेश | ऋणी | 269614 |
| | गैर-ऋणी | 55 |
| | कुल | 269669 |
| राजस्थान | ऋणी | 2656122 |
| | गैर-ऋणी | 66994 |
| | कुल | 2723116 |
| तमिलनाडु | ऋणी | 9263 |
| | गैर-ऋणी | 2882 |
| | कुल | 12145 |
| उत्तराखंड | ऋणी | 236 |
| | गैर-ऋणी | 1885 |
| | कुल | 2121 |
| उत्तर प्रदेश | ऋणी | 42827 |
| | गैर-ऋणी | 1625 |
| | कुल | 44452 |
| पश्चिम बंगाल | ऋणी | 1285 |
| | गैर-ऋणी | 19771 |
| | कुल | 21056 |
| रबी 2010-11. कुल | ऋणी | 4258661 |
| | गैर-ऋणी | 123713 |
| | कुल | 4382374 |
| वर्ष 2010-11 | ऋणी | 8877746 |
| | गैर-ऋणी | 389145 |
| | कुल | 9266891 |

*विवरण IV*

*नारियल पाम बीमा योजना (सीपीआईएस) 2009-10*

| क्र.सं. | राज्य | किसानों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | गोवा | 12 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 9 |
| 3. | पश्चिम बंगाल | 415 |
| | कुल | 436 |

*नारियल पाम बीमा योजना (सीपीआईएस) 2010-11*

| क्र.सं. | राज्य | किसानों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | केरल | 31509 |
| 2. | गोवा | 228 |
| 3. | महाराष्ट्र | 1673 |
| 4. | कर्नाटक | 615 |
| 5. | तमिलनाडु | 1489 |
| 6. | पश्चिम बंगाल | 277 |
| | कुल | 35791 |

*[अनुवाद]*

**फिल्म उद्योग द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा**

10. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्म उद्योग में विदेशी मुद्रा-अर्जन की काफी संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त उद्योग द्वारा विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) फिल्म उद्योग संवर्धन व विस्तार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन):** (क) जी, हां।

(ख) महानिदेशालय, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी (डीजीसीआईएस), वाणिज्य विभाग, कोलकाता द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एचएस कोड 3706 के अंतर्गत आने वाली चलचित्र फिल्मों का निर्यात मूल्य निम्नानुसार है:-

| वर्ष/अवधि | मूल्य (करोड़ रु. में) |
|---|---|
| 2009-10 | 110.75 |
| 2010-11 | 87.62 |
| अप्रैल, 11 से दिसंबर, 11 तक | 71.35 |

(ग) भारतीय फिल्म उद्योग प्रमुखत: निजी क्षेत्र में है और सरकार की भूमिका अधिकांशत: एक सुविधाप्रदाता व उत्प्रेरक की भूमिका तक सीमित है। सरकार ने फिल्मों को एक औद्योगिक कार्यकलाप घोषित करके ताकि फिल्म निर्माताओं को संस्थागत वित्त सुलभ हो सके और स्वचालित मार्ग के जरिए फिल्म क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे करके फिल्म क्षेत्र के संवर्धन व विस्तार हेतु अनेक कदम उठाए हैं।

सरकार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में सहभागिता, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों के निर्माण हेतु निधियन (भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से), नई प्रतिभा व बहु-भाषिक विविधता के संवर्धन तथा सरकार द्वारा संचालित फिल्म संस्थानों के जरिए फिल्म उद्योग को स्तरीय मानव संसाधन मुहैया कराके विदेशों में भारतीय फिल्मों के निर्यात के संवर्धन हेतु कई योजनागत स्कीमें कार्यान्वित करती है। भारतीय फिल्म उद्योग के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए सरकारी पुरस्कारों का संस्थापन, प्रतिवर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (इफी) का आयोजन तथा भारतीय सिनेमा में सिनेमाई, विषय-वस्तुपरक व सौंदर्यपरक उत्कृष्टता का संवर्धन करने हेतु इफी में भारतीय पैनोरमा का आयोजन शामिल है।

**कृषि-उपज का विपणन**

11. **श्री एम.बी. राजेश:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में कृषि-उपज का विपणन सुधारने के लिए कोई उपाय करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि-विपणन के क्षेत्र में बिचौलियों को मौका न देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का कृषि-विपणन में सुधार के मद्देनजर सहकारी समितियों को सशक्त करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) से (ग) देश में कृषि उत्पाद के वितरण में सुधार लाने के लिए कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2003 में मॉडल कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम तैयार किया तथा मॉडल अधिनियम के आधार पर राज्य के अपने एपीएमसी अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के लिए सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को परिचालित किया। मॉडल अधिनियम में दीर्घावधिक बिचौलियापन, विपणन लागत में कमी करने मूल्य वृद्धि को रोकने, उत्पादक क्षेत्र से उपभोक्ता केन्द्र तक कृषि उत्पाद के अबाध आवाजाही सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है ताकि देश में प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक विपणन सरणि अर्थात् प्रत्यक्ष विपणन, संविदा खेती, निजी मंडियों की स्थापना, मंडी शुल्क की एकल बिन्दु लेवी को तर्कसंगत बनाने को बढ़ावा दिया जा सके।

उपर्युक्त मॉडल एपीएमसी अधिनियम को तैयार करने के अलावा कृषि मंत्रालय ने 2 मार्च, 2010 को कृषि विपणन प्रभारी मंत्रियों की एक समिति का भी गठन किया है जो मंडी सुधार से संबंधित मामलों की जांच करती रही है। समिति की प्रथम रिपोर्ट 8 सितम्बर, 2011 को सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है तथा इसे टिप्पणियों तथा इसे अपनाने के लिए सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया है।

कृषि मंत्रालय में कृषि विपणन में सुधार लाने के लिए विभिन्न स्कीमें भी कार्यान्वित कर रहा है। इनमें विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क स्कीम, ग्रामीण भंडारण योजना और विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण के सुदृढ़ीकरण/विकास की स्कीम शामिल हैं।

(घ) और (ङ) चूंकि 'सहकारिता' राज्य का विषय है, अतः राज्यों से आशा की जाती है कि वे सहकारी समितियों के जरिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रयास करें। तथापि राज्यों के परामर्श से तैयार की गई राष्ट्रीय कृषि नीति में लघु कृषक सहकारी समितियों को बढ़ावा देने तथा सहायता करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण की स्कीम, ग्रामीण गोदाम स्कीम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन आदि जैसी भारत सरकार की कई केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ कृषि संवर्धन हेतु सहकारी संस्थाओं की सहायता करती हैं।

## किसानों को बाजार-संबंधी ज्ञान

**12. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को इस आशय का ज्ञापन भेजा है कि कृषि-उपज का अच्छा दाम पाने की दृष्टि से किसानों को बाजार-संबंधी ज्ञान उपलब्ध कराया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की क्या स्थिति है;

(ग) क्या किसानों के समक्ष आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने और उनका निदान करने की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की इकाइयां स्थापित करने की भी मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र (एनआईसी), विपणन निदेशालय/राज्य कृषि विपणन बोर्डों/कृषि उत्पाद विपणन समितियों (एपीएमसी) तथा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के सहयोग से विपणन अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क (एमआरआईएन) योजना ''एंजीएमएआरकेएनईटी'' देश में सभी महत्वपूर्ण थोक बिक्री बाजारों को कम्प्यूटर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इस योजना का लक्ष्य मूल्य, थोक बिक्री बाजार में विभिन्न कृषि जिन्सों के आगमन एवं बाजार से संबंधित सूचना को एकत्र करना एवं उसका प्रचार-प्रसार करना है। 2000-01 में प्रारंभ योजना पूरे देश के 3000 से भी अधिक बाजारों को सैन्ट्रल पोर्टल से जोड़ती है।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत राष्ट्रीय कृषि अर्थ एवं नीति अनुसंधान केन्द्र (एनसीएपी) को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*[हिन्दी]*

## आपदा-प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र

**13. श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर में आपदा-प्रबंधन हेतु एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त केन्द्र के लिए भूमि अर्जित कर ली गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त केन्द्र कब तक काम शुरू कर देगा?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) नागपुर में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना करने का प्रस्ताव विचारण के प्रारंभिक चरण में है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**भारतीय खेल प्राधिकरण में कर्मचारियों की कमी**

**14. श्री एस.एस. रामासुब्बू:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो देशभर के विभिन्न खेल-छात्रावासों, खेलकूद केन्द्रों आदि में डॉक्टरों, पोषणविदों, आहारविदों, नर्सों व पर्यवेक्षकों के वास्तविक पदों तथा संस्वीकृत पदों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने रिक्त पदों के इस भारी बैकलाग को भरने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) जी, हां।

(ख) सन् 1996-97 में कर्मचारियों की संख्या 1719 थी और सन् 2003 में व्यय सुधार समिति (ईआरसी) द्वारा अधिकतम संख्या 2026 की गई थी, वर्तमान में 1662 कर्मचारियों की संख्या है। इसमें 1 पोषणविदों (जेएसओ), 5 चिकित्सकों, 3 नर्सों, 3 नर्सिंग सहायकों एवं 14 छात्रावास पर्यवेक्षक शामिल हैं।

इसके अलावा, 1524 कोचों की संस्वीकृत संख्या की जगह 1142 कोच नियमित आधार पर एवं 142 अनुबंध आधार पर पदस्थापित हैं।

(ग) और (घ) तथापि, तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सहायक निदेशक, कोचों, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों, लेखाकारों एवं अवर श्रेणी लिपिकों के खाली पदों को भरने के लिए साई ने भर्ती नियमों के प्रावधान के तहत् पहले ही आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**पी.वाई.के.के.ए. योजनान्तर्गत गतिविधियां**

15. **श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:**
**श्री देवजी एम. पटेल:**
**श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:**

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान' (पी.वाई.के.के.ए.) योजना के अंतर्गत की गई गतिविधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को आबंटित/जारी की गई राशि तथा खर्च का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(घ) आबंटित धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या निगरानी-तंत्र रखा गया है;

(ङ) उक्तावधि के दौरान केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से उक्त योजना के संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) राज्य-वार सभी प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) योजना के अंतर्गत, जिसे 2008-09 में लागू किया था; पूरे देश के अन्दर ग्राम और ब्लॉक पंचायतों में खेल-मैदानों का

विकास चरणबद्ध पद्धति से किया जा रहा है तथा ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक रूप से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।

(ख) पायका योजना के अंतर्गत एनवाईकेएस और साई समेत राज्य सरकारों को ग्राम/ब्लॉक पंचायतों में खेल-मैदानों के विकास तथा वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए वर्ष-वार आवंटन तथा जारी किए फंड का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | बजट निर्धारण | राज्य सरकारों/ एसएआई/ एनवाईकेएस को जारी की गई राशि |
|---|---|---|
| 2008-09 | 92.00 | 92.00 |
| 2009-10 | 135.00 | 135.00 |
| 2010-11 | 350.00 | 348.89 |
| 2011-12 (29.2.2012 तक) | 165.20 | 153.40 |
| कुल | 742.20 | 729.29 |

राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I से IV में दिया गया है।

(ग) पायका योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11) तथा चालू वित्तीय वर्ष के 29 फरवरी, 2012 तक लगभग 50,140 ग्राम पंचायतों तथा 1,493 ब्लाक पंचायतों को कवर किया गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिए गए हैं। क्रमशः वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान आयोजित की गई वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं में लगभग 7.22 लाख, 22.50 लाख तथा 43.15 लाख पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-VI में दिया गया है।

(घ) पायका कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर कार्यपालिका समिति (एसएलईसी); जिला परिषद् की अध्यक्षता में जिला स्तर कार्यपालिका समिति (डीएलईसी); तथा ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तर कार्यपालिका समिति (बीएलईसी) द्वारा की जाती है। सम्बद्ध डीएलईसी में संसद सदस्यों को भी सहयोगी बनाया गया है। प्रतिष्ठित खिलाड़ियों जिन्होंने सक्रिय खेलों से संन्यास ले लिया है, उन्हें राज्यों में आगे की पायका गतिविधियों का मॉनीटरिंग करने हेतु प्रेक्षक के रूप में लगाया गया है। एमआईएस-पायका, पायका गतिविधियों का ऑनलाइन परिचालनकरण पारदर्शिता तथा जवाबदेही भी सुनिश्चित कराता है।

(ङ) खेल-मैदानों के विकास हेतु राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सामान्य राज्यों की ग्राम/ब्लॉक पंचायतों को वार्षिक आधार पर 10 प्रतिशत कवरेज (उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में वार्षिक आधार पर 20 प्रतिशत कवरेज) के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए राज्य सरकारों से भी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हर दृष्टि से पूर्ण प्रस्तावों को योजना के अंतर्गत गठित की गई समिति द्वारा पारित/अनुमोदित कराया जाता है। कोई भी प्रस्ताव जो दिशा-निर्देशों में निहित शर्तों के अनुरूप पूर्ण है, अनुमति के लिए लंबित नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण I***

*पायका योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान खेल-मैदानों के विकास तथा प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्य-वार मंजूरी तथा जारी किया गया फंड*

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | खेल मैदानों का विकास | | प्रतियोगिताएं | कुल जारी की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित राशि | जारी की गई राशि | जारी की गई राशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 25.98 | 12.99 | 0.78 | 13.77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | – | – | 0.93 | 0.93 |
| 3. | असम | 4.81 | – | 1.88 | 1.88 |
| 4. | बिहार | 10.44 | 5.22 | – | 5.22 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 10.11 | – | – | – |
| 6. | गोवा | 0.35 | – | – | – |
| 7. | गुजरात | 9.65 | – | – | – |
| 8. | हरियाणा | 6.51 | 3.26 | – | 3.26 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 4.02 | 2.01 | – | 2.01 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 5.32 | 2.66 | – | 2.66 |
| 11. | झारखंड | – | – | – | – |
| 12. | केरल | 1.60 | 0.80 | – | 0.8 |
| 13. | कर्नाटक | – | – | – | – |
| 14. | मध्य प्रदेश | 23.65 | 11.82 | – | 11.82 |
| 15. | मेघालय | – | – | – | – |
| 16. | महाराष्ट्र | 27.55 | 8.91 | – | 8.91 |
| 17. | मणिपुर | 1.08 | 0.87 | – | 0.87 |
| 18. | मिजोरम | 1.07 | 0.85 | – | 0.85 |
| 19. | नागालैंड | 1.48 | 1.18 | – | 1.18 |
| 20. | ओडिशा | 7.34 | 3.67 | – | 3.67 |
| 21. | पंजाब | 12.55 | 6.27 | 1.97 | 8.24 |
| 22. | राजस्थान | 9.43 | 3.71 | – | 3.71 |
| 23. | सिक्किम | 0.67 | 0.54 | – | 0.54 |
| 24. | तमिलनाडु | 13.82 | 5.00 | – | 5 |
| 25. | त्रिपुरा | 1.36 | 1.09 | 0.37 | 1.46 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 53.91 | 10.00 | – | 10 |
| 27. | उत्तराखंड | 8.89 | 3.00 | – | 3 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 4.63 | – | – | – |
| 29. | एसएआई को राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं आदि के आयोजन हेतु | | – | 2.22 | 2.22 |
| | कुल | 246.22 | 83.85 | 8.15 | 92.00 |

(–)-शून्य

## *विवरण II*

*पायका योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान खेल-मैदानों के विकास तथा प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्य-वार मंजूरी तथा जारी किया गया फंड*

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | खेल मैदानों का विकास | | प्रतियोगिताएं | कुल जारी की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित राशि | जारी की गई राशि | जारी की गई राशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 25.98 | 12.99 | 0.95 | 13.94 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 5.56 | 4.44 | – | 4.44 |
| 3. | असम | – | 3.85 | – | 3.85 |
| 4. | बिहार | – | 5.02 | 3.42 | 8.44 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | – | 5.06 | 1.17 | 6.23 |
| 6. | गोवा | – | 0.18 | – | 0.18 |
| 7. | गुजरात | – | 7.10 | – | 7.1 |
| 8. | हरियाणा | – | 3.25 | 1.10 | 4.35 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | – | 2.01 | 0.70 | 2.71 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | – | 2.10 | – | 2.1 |
| 11. | झारखंड | 4.79 | 2.39 | – | 2.39 |
| 12. | केरल | – | 0.80 | – | 0.8 |
| 13. | कर्नाटक | 6.22 | 3.12 | 1.42 | 4.54 |
| 14. | मध्य प्रदेश | – | – | 2.64 | 2.64 |
| 15. | मेघालय | 1.32 | 1.06 | – | 1.06 |
| 16. | महाराष्ट्र | – | 4.86 | – | 4.86 |
| 17. | मणिपुर | – | – | 0.47 | 0.47 |
| 18. | मिजोरम | 2.08 | 0.21 | 0.37 | 0.58 |
| 19. | नागालैंड | – | 0.30 | 0.56 | 0.86 |
| 20. | ओडिशा | 7.34 | 8.05 | 2.11 | 10.16 |
| 21. | पंजाब | – | 6.27 | 1.18 | 7.45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | राजस्थान | – | 4.72 | 1.93 | 6.65 |
| 23. | सिक्किम | 1.35 | 0.13 | 0.32 | 0.45 |
| 24. | तमिलनाडु | – | 1.91 | 2.63 | 4.54 |
| 25. | त्रिपुरा | – | – | 0.36 | 0.36 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | – | 16.96 | 2.55 | 19.51 |
| 27. | उत्तराखंड | – | 5.90 | 1.03 | 6.93 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | – | 2.32 | – | 2.32 |
| | एसएआई को राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं आदि के आयोजन हेतु | | – | 4.49 | 4.49 |
| | कुल | 54.64 | 105.00 | 30.00 | 135.00 |

(–)-शून्य

## *विवरण III*

*पायका योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान खेल-मैदानों के विकास तथा प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्य-वार मंजूरी तथा जारी किया गया फंड*

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के नाम | खेल-मैदानों का विकास | | प्रतियोगिताएं | | | जारी की गई कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित राशि | जारी की गई राशि | ग्रामीण प्रतियोगिताएं | महिला प्रतियोगिताएं | कुल | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 51.96 | 25.98 | 11.26 | – | 11.26 | 37.24 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 11.11 | 10.51 | 2.05 | – | 2.05 | 12.56 |
| 3. | असम | – | – | 2.96 | 0.38 | 3.34 | 3.34 |
| 4. | बिहार | – | – | 6.19 | – | 6.19 | 6.19 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | – | – | 2.01 | – | 2.01 | 2.01 |
| 6. | गोवा | – | – | 0.18 | 0.08 | 0.26 | 0.26 |
| 7. | गुजरात | 11.35 | 02.55 | 2.69 | – | 2.69 | 5.24 |
| 8. | हरियाणा | 14.43 | 14.43 | 1.50 | 0.31 | 1.81 | 16.24 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 8.79 | 8.80 | 1.18 | 0.15 | 1.33 | 10.13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | जम्मू और कश्मीर | - | - | 2.10 | - | 2.10 | 2.1 |
| 11. | झारखंड | - | - | 2.81 | 0.35 | 3.16 | 3.16 |
| 12. | कर्नाटक | 12.47 | 14.86 | 2.52 | 0.42 | 2.94 | 17.8 |
| 13. | केरल | 11.17 | 11.17 | 1.32 | - | 1.32 | 12.49 |
| 14. | मध्य प्रदेश | - | - | 4.13 | 0.66 | 4.79 | 4.79 |
| 15. | महाराष्ट्र | 28.16 | 41.94 | 3.88 | 0.48 | 4.36 | 46.3 |
| 16. | मेघालय | 1.32 | 01.19 | 0.67 | 0.12 | 0.79 | 1.98 |
| 17. | मिजोरम | 2.25 | 02.27 | 0.58 | 0.13 | 0.71 | 2.98 |
| 18. | नागालैंड | 5.92 | 02.96 | - | 0.13 | 0.13 | 3.09 |
| 19. | ओडिशा | 10.35 | 05.98 | 3.85 | 0.42 | 4.27 | 10.25 |
| 20. | पंजाब | 27.87 | 26.66 | 1.55 | 0.30 | 1.85 | 28.51 |
| 21. | सिक्किम | 0.67 | 2.02 | - | - | - | 2.02 |
| 22. | तमिलनाडु | - | - | 4.66 | 0.44 | 5.10 | 5.1 |
| 23. | त्रिपुरा | 7.06 | 03.24 | 0.67* | 0.11 | 0.78 | 4.02 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 58.83 | 62.27 | 9.47 | - | 9.47 | 71.74 |
| 25. | उत्तराखंड | 19.43 | 19.43 | 1.38 | 0.09 | 1.47 | 20.9 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | | 02.32 | 3.31 | - | 3.31 | 5.63 |
| 27. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 01.06 | 01.06 | - | - | 1.06 | - |
| 28. | लक्षद्वीप | 00.51 | 00.51 | - | - | - | 0.51 |
| 29. | पुडुचेरी | 00.69 | 00.69** | - | - | - | 0.69 |
| 30. | संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 31. | एनवाईकेएस द्वारा | | | 3.22 | - | 3.22 | 3.22 |
| 32. | 626 जिलों एवं 35 राज्यों में अंत: विद्यालय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु एनवाईकेएस को जारी किया गया फंड | | | | | 7.31# | - |
| | कुल जोड़ | 285.40 | 260.84 | 76.14 | 4.60 | 88.05 | 348.89 |

**एसएआई द्वारा न खर्च किए गए बकाया से संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी को जारी किया गया फंड

#ये एनएसडीएफ-पायका को ट्रान्सफर किए गए 5 करोड़ रुपये को छोड़कर हैं।

(-)-शून्य

## *विवरण IV*

*पायका योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 (29.02.2012) के दौरान खेल-मैदानों के विकास तथा प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्य-वार मंजूरी तथा जारी किया गया फंड*

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | खेल मैदानों का विकास | | प्रतियोगिताएं जारी की गई राशि | कुल जारी की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित राशि | जारी की गई राशि | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | - | 25.98* | - | 25.98 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | - | - | - | - |
| 3. | छत्तीसगढ़ | - | - | 2.23 | 2.23 |
| 4. | गुजरात | 2.08 | 13.43* | - | 13.43 |
| 5. | हरियाणा | - | - | 1.60 | 1.6 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 4.02 | 3.66 | 1.24 | 4.9 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | - | 0.56* | - | 0.56 |
| 8. | झारखंड | - | 2.40* | - | 2.4 |
| 9. | कर्नाटक | - | - | 2.17 | 2.17 |
| 10. | केरल | - | - | 0.23 | 0.23 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 23.65 | 35.47 | 4.91 | 40.38 |
| 12. | महाराष्ट्र | - | - | - | - |
| 13. | मेघालय | - | - | 0.09 | 0.09 |
| 14. | मणिपुर | - | 0.22* | - | 0.22 |
| 15. | मिजोरम | - | 2.07* | 0.10 | 2.17 |
| 16. | नागालैंड | 1.48 | 4.70 | - | 4.7 |
| 17. | ओडिशा | - | 7.34* | - | 7.34 |
| 18. | पंजाब | - | - | 2.10 | 2.1 |
| 19. | राजस्थान | - | - | 2.18 | 2.18 |
| 20. | सिक्किम | 1.66 | 1.66 | 1.12 | 2.78 |
| 21. | त्रिपुरा | 4.09 | 4.09 | 0.79 | 4.88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | उत्तर प्रदेश | – | 18.39* | 8.20 | 26.59 |
| 23. | उत्तराखंड | – | – | 1.39 | 1.39 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | – | – | – | – |
| | **संघ राज्य क्षेत्र** | | | | |
| 25. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | – | – | – | – |
| 26. | लक्षद्वीप | – | – | – | – |
| 27. | पुडुचेरी | – | – | – | – |
| 28. | राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु एसएआई को जारी की गई राशि | | | – | 5.10 |
| | कुल | 36.98 | 119.97 | 33.45 | 153.40 |

*इसमें पिछले वर्षों (अर्थात् 2008-09 एवं 2009-10) में अनुमोदित जारी किया गया अनुदान शामिल हैं।

**इसमें एसएआई द्वारा न खर्च किए गए बकाया से संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी को जारी किया गया फंड भी शामिल है।

(–)-शून्य

*विवरण V*

*पिछले तीन वर्षों 2008-09 से 2011-12 (29 फरवरी, 2012 तक) पायका के अंतर्गत ग्राम पंचायतों तथा ब्लॉक पंचायतों का राज्य-वार कवरेज*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | पायका योजना के अंतर्गत कवर की गई ग्राम/ब्लॉक पंचायतें | |
|---|---|---|---|
| | | कवर की गई ग्राम पंचायतों की संख्या | ब्लॉक पंचायतों की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 6570 | 339 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1065 | 96 |
| 3. | असम | 333 | 22 |
| 4. | बिहार | 847 | 53 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 982 | 14 |
| 6. | गोवा | 19 | 04 |
| 7. | गुजरात | 1975 | 44 |
| 8. | हरियाणा | 1857 | 36 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1296 | 32 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 413 | 14 |
| 11. | झारखंड | 403 | 21 |
| 12. | कर्नाटक | 1694 | 54 |
| 13. | केरल | 200 | 30 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 4608 | 62 |
| 15. | महाराष्ट्र | 5441 | 70 |
| 16. | मणिपुर | 79 | 04 |
| 17. | मेघालय | 166 | 16 |
| 18. | मिजोरम | 409 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 19. | नागालैंड | 660 | 30 |
| 20. | ओडिशा | 1869 | 93 |
| 21. | पंजाब | 3699 | 42 |
| 22. | राजस्थान | 869 | 24 |
| 23. | सिक्किम | 96 | 60 |
| 24. | तमिलनाडु | 1261 | 38 |
| 25. | त्रिपुरा | 936 | 36 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 9696 | 164 |
| 27. | उत्तराखंड | 2250 | 29 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 335 | 33 |
| | **संघ राज्य क्षेत्र** | | |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 60 | 06 |
| 30. | लक्षद्वीप | 02 | 09 |
| 31. | पुडुचेरी | 50 | 05 |
| | कुल | 50140 | 1493 |

### *विवरण VI*

*पायका के अंतर्गत वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 (29 फरवरी, 2012 तक) वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं के राज्यवार सहभागी*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1,34,097 | 1,35,211 | 6,58,819 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 29,310 | 46,832 | 2,808 |
| 3. | असम | 1,39,900 | 21 | 15,212 |
| 4. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | - | - | 296 |
| 5. | बिहार | #143 | 161 | 1,71,166 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | #134 | 88,885 | 1,00,400 |
| 7. | चंडीगढ़ | - | - | 1,368 |
| 8. | दिल्ली | - | - | 8,183 |
| 9. | दादरा और नगर हवेली | - | - | 1,126 |
| 10. | गोवा | #156 | - | 3,285 |
| 11. | गुजरात | #164 | 1,54,359 | 16,735 |
| 12. | दमन और दीव | - | - | 9,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | हरियाणा | #167 | 76,227 | 1,71,994 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 5,140 | 21,329 | 45,215 |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | - | - | 60,484 |
| 16. | झारखंड | #140 | - | 15,057 |
| 17. | कर्नाटक | #168 | 1,13,584 | 2,00,686 |
| 18. | केरल | #149 | 1,75,487 | 64,900 |
| 19. | मध्य प्रदेश | #159 | 1,48,303 | 2,06,582 |
| 20. | महाराष्ट्र | #166 | 2,05,749 | 3,22,073 |
| 21. | मणिपुर | - | 190 | 7,6573 |
| 22. | मेघालय | - | - | 35,586 |
| 23. | मिजोरम | 19,992 | 21,758 | 47,962 |
| 24. | नागालैंड | - | 22,253 | 28,421 |
| 25. | ओडिशा | #64,367 | 64,896 | 2,43,540 |
| 26. | पुडुचेरी | - | - | 4,088 |
| 27. | पंजाब | 1,20,418 | 1,15,484 | 1,38,005 |
| 28. | राजस्थान | - | 1,44,491 | 98,575 |
| 29. | सिक्किम | - | 15,568 | 2,497 |
| 30. | तमिलनाडु | #168 | 3,97,235 | 7,90,796 |
| 31. | त्रिपुरा | 16,859 | 15,516 | 32,464 |
| 32. | उत्तराखंड | - | 16,723 | 1,45,825 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | 1,89,585 | 3,02,708 | 5,79,690 |
| 34. | पश्चिम बंगाल | #86 | 65,773 | 92,326 |
| 35. | दिल्ली | #51 | - | - |
| | कुल | 7,21,519 | 22,48,944 | 43,14,754 |

*इसमें ग्रामीण, अंत: विद्यालय, उत्तर पूर्वी एवं महिला प्रतियोगिताओं के सहभागी भी शामिल हैं।

#केवल राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं के सहभागी।

(-)-शून्य

## नकली कीटनाशक

16. **श्री कौशलेन्द्र कुमारः**
**श्री रामकिशुनः**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में कम मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के कीटनाशक उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को ऐसी कोई सूचना मिली है कि कुछ भारतीय कंपनियां कुछ नकली कीटनाशक बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) कीटनाशकों के मूल्य मण्डीबलों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इन्हें विनियमित नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) विशिष्ट सूचना के आधार पर कुछ कंपनियों कें परिसरों में पादप रक्षण संगरोध और भण्डारण निदेशालय के केन्द्रीय कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा जनवरी, 2011 में छापे मारे गए। मैसर्स कृस्टल फास्फेट लि. के 4 नमूने कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अनुसार नकली पाए गए। मैसर्स कृस्टल फास्फेट लि. कार्बोफुरान 3% सीजी, कार्वेनडेजीम 12% + मैंकोजेब 63% डब्ल्यूपी और ट्राइकोल्टानोल जीआर-0.05% के नमूने नकली पाए गए।

(ङ) कीटनाशकी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अनुसार विनिर्माता फार्म के विरुद्ध अभियोजन शुरू करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।

## मक्के का उत्पादन

17. **श्री रायापति सांबासिवा रावः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में मक्के की फसल की पैदा-वार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार मक्के की उपज के लिए किसानों को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/राजसहायता उपलब्ध कराती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में मक्के के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष अर्थात् 2008-09 से 2011-12 के दौरान मक्के के उत्पादन के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) 1.4.2004 से भारत सरकार 15 मुख्य राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में तिलहन, दलहन, मक्का एवं पाम आयल (आइसोपाम) संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत योजना क्रियान्वित कर रही है। उक्त योजना के तहत, मक्का उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रजनक बीजों के उत्पादन, प्रजनक बीजों की खरीद, मूल बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीज के उत्पादन एवं वितरण, मिनी-कीटो के वितरण, संयंत्र संरक्षण रसायनों, संयंत्र संरक्षण उपकरणों के वितरण, उन्नत कृषि औजारों की आपूर्ति, मेक्रोसूक्ष्म पोषाहारों, विडीसाइडो की आपूर्ति, रिजोबियम कल्चर/फासफेट सोलोबिलाइजिंग बेकटीरिया की आपूर्ति, जिप्सम/पायराइट लाइमिंग/डोलामाइट के वितरण, छिड़काव सेटो तथा जल ढुलाई पाइपों के वितरण, प्रशिक्षण प्रचार-प्रसार आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

आइसोपाम के अतिरिक्त, सरकार विभिन्न अन्य योजनाओं अर्थात् वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत सहायता प्रदान करती है। वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) योजना उन राज्यों को मक्का विकास के लिए सहायता प्रदान करती है जिन्हें आइसोपाम के तहत शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत, राज्य, राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत फसल विकासात्मक क्रियाकलापों को सहायता दे सकती है।

देश में मक्का उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, वर्षासिंचित परिस्थितियों के लिए बायोटिक एवं स्ट्रेस टोलरेंट मक्के हाइब्रीडों के विकास सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एकल क्रास हाइब्रीडों पर केन्द्रित अनुसंधान के लिए एक प्लेटफार्म की शुरुआत की गयी है।

बेहतर मुनाफों के साथ किसानों को सहायता करने के उद्देश्य से, मक्के के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को भी 2010-11 में 880 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2011-12 में 980 रुपए प्रति क्विंटल तक कर दिया गया है।

## *विवरण*

*2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान मक्का के राज्य-वार उत्पादन अनुमान*

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उत्पादन ('000 टनों में) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आंध्र प्रदेश | 4152.0 | 2762.0 | 3956.0 | 3851.7 |
| अरुणाचल प्रदेश | 58.8 | 60.2 | 64.7 | 0.0 |
| असम | 12.6 | 14.1 | 14.3 | 13.0 |
| बिहार | 1714.0 | 1478.7 | 1439.6 | 1673.6 |
| छत्तीसगढ़ | 140.3 | 143.3 | 185.6 | 145.9 |
| गोवा | 0.6 | 0.6 | 0.0 | # |
| गुजरात | 739.0 | 533.0 | 820.3 | 837.0 |
| हरियाणा | 24.4 | 27.0 | 19.0 | 31.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 676.6 | 543.2 | 670.9 | 694.5 |
| जम्मू और कश्मीर | 633.2 | 487.0 | 527.7 | 504.6 |
| झारखंड | 304.0 | 190.7 | 261.7 | 398.9 |
| कर्नाटक | 3029.0 | 3013.0 | 4444.0 | 4172.0 |
| मध्य प्रदेश | 1144.4 | 1045.2 | 1051.5 | 1007.2 |
| महाराष्ट्र | 1560.0 | 1828.0 | 2602.0 | 2253.0 |
| मणिपुर | 11.5 | 11.7 | 41.5 | # |
| मेघालय | 25.7 | 26.3 | 25.9 | # |
| मिजोरम | 9.3 | 11.5 | 13.6 | 0.0 |
| नागालैंड | 115.9 | 73.2 | 134.0 | # |
| ओडिशा | 134.7 | 175.1 | 298.8 | 209.4 |
| पंजाब | 514.0 | 475.0 | 491.0 | 498.0 |
| राजस्थान | 1828.2 | 1145.7 | 2052.9 | 1807.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| सिक्किम | 58.2 | 66.0 | 66.2 | # |
| तमिलनाडु | 1257.8 | 1144.3 | 1027.5 | 1416.9 |
| त्रिपुरा | 2.0 | 2.0 | 4.1 | # |
| उत्तर प्रदेश | 1198.0 | 1039.0 | 1114.0 | 1296.0 |
| उत्तराखंड | 43.0 | 38.0 | 42.6 | 41.0 |
| पश्चिम बंगाल | 343.5 | 385.2 | 352.3 | 398.5 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.6 | 0.4 | 0.4 | # |
| दिल्ली | 0.1 | 0.0 | 3.6 | # |
| अन्य | एनए | एनए | एनए | 354.0 |
| अखिल भारत | 19731.4 | 16719.5 | 21725.8 | 11603.4 |

*3.2.2012 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार
#अन्यों में शामिल एनए: लागू नहीं

### मलयालम को प्राच्य भाषा घोषित करना

**18. श्री के.पी. धनपालन:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मलयालम को प्राच्य भाषा घोषित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) भारत सरकार को, मलयालम भाषा को प्राच्य भाषा के समरूप दर्जा देने के लिए केरल सरकार और कुछ अन्य भागों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) इन अनुरोधों को, 'भाषाई विशेषज्ञ समिति' के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए साहित्य अकादमी को भेजा गया था। सरकार ने अकादमी को सूचित किया कि विद्यमान 'भाषाई विशेषज्ञ समिति' केरल सरकार के अभ्यावेदन पर विचार कर सकती है। उक्त मामले पर दिनांक 5 मार्च, 2012 को आयोजित बैठक में विचार किया गया था।

*[हिन्दी]*

### बंजर भूमि

**19. श्री बद्रीराम जाखड़:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ किसी प्रकार का वित्तीय समन्वय स्थापित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने परती भूमि/बंजर भूमि विकास योजना के तहत ड्राई फार्मिंग और ड्रिप सिंचाई के विकास को भी शामिल किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) से (च) भू-उपयोग की परिभाषा के अनुसार

बंजर भूमि में पर्वतों, मरुस्थलों आदि से आच्छादित सभी भूमि शामिल हैं जिसे भारी भरकम लागत के सिवाय खेती के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है और इसे अलग-थलग पड़े खण्डों में स्थित अकृष्य भूमि अथवा कृष्य जोतों के अंतर्गत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसे देखते हुए बंजर भूमि के रूप में विकसित करने के लिए कोई व्यापक स्कीम/कार्यक्रम नहीं है।

## दूरदर्शन की प्रचालन लागत

**20. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन की प्रचालन लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जबकि इसके राजस्व में कोई विशेष बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दूरदर्शन को आर्थिक संकट से उबारने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन):** (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों (आशोधित सुनिश्चित कॅरिअर उन्नयन) के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वेतन-वृद्धि, यात्रा संबंधी हकदारी का विस्तार, एलटीसी के साथ छुट्टी नकदीकरण, स्कूल/छात्रावास शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति जैसे विभिन्न कारकों के प्रभाव के कारण गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन की प्रचालन लागत में कुछ वृद्धि हुई है। यह वृद्धि उपभोक्ता बाजार/कीमत सूचकांक में कीमतों में वृद्धि होने के कारण भी हो सकती है।

गत 3 वर्षों के दौरान दूरदर्शन की प्रचालन लागत व राजस्व-अर्जन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

| प्रचालन लागत | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|
| योजनेतर | 1204.44 | 1276.32 | 1339.96 |
| राजस्व-योजनागत | 68.48 | 79.39 | 61.27 |
| पूंजी-योजनागत | 160.85 | 65.29 | 68.10 |
| कुल | 1433.77 | 1421.00 | 1469.33* |
| राजस्व | | | |
| निवल वाणिज्यिक राजस्व | 737.05 | 828.48 | 944.44* |

*लेखाओं के समाधान के अध्यधीन। इन आंकड़ों में सेवा कर शामिल है।

एक लोक सेवा प्रसारक होने के कारण, प्रसार भारती विशुद्धत: वाणिज्यिक उद्देश्यों से मार्गदर्शित नहीं हो सकता है। तथापि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान उसके राजस्व में क्रमिक वृद्धि देखने को मिली है जैसाकि उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है।

(ग) प्रसार भारती उद्यमशील विपणन कार्यनीति अपना करके तथा दूरदर्शन के पास उपलब्ध अतिरिक्त अवसंरचना को श्रेष्ठ तरीके से प्रयोग में ला करके, विषय-वस्तु में सुधार ला करके, डीटीएच सेवाओं का प्रवर्तन करके, टॉवरों आदि की हिस्सेदारी करके प्रचालन व्ययों में कमी लाने तथा राजस्व-अर्जन को इष्टतम बनाने के लिए समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए और पहले से ही प्रचलित मिताहारी उपायों व अर्थव्यवस्था संबंधी अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुसरण करता है।

तथापि, प्रसार भारती अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान है कि सरकार इक्विटी, सहायता-अनुदान या ऋण के द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत निगम को उसके कार्यों के सुचारु निष्पादन में उसे सक्षम बनाने के प्रयोजन से प्रसार भारती को वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी और प्रसार भारती अधिकांशत: सरकार के अनुदानों पर निर्भर है।

*[अनुवाद]*

## परिवहन उन्मुखी विकास कार्यक्रम

**21. श्री प्रताप सिंह बाजवा:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के महानगरों में परिवहन उन्मुखी विकास को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इस नई योजनागत रणनीति से आवश्यक नागरिक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को अल्पावधिक असुविधा न हो;

(ग) क्या अधिक जनसंख्या वाले नगरों में मैट्रो रेल सेवाएं स्थापित करने को पर्याप्त प्राथमिकता दी जा रही हैं;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) जी, हां। केन्द्र सरकार, जैसा राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति,

2006 में यथा परिकल्पित द्रुत नीति गत मामले के रूप में जन परिवहन प्रणाली (एमआरटीएस) कोरीडोरों के साथ-साथ परिवहन उन्मुखी विकास को बढ़ावा दे रही है।

(ख) केन्द्र सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार करते हुए केवल उन राज्य सरकारों को परामर्शिकाएं जारी की हैं, जिन्हें इस मामले पर आगे कार्रवाई करनी है।

(ग) जी, हां। समग्र निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन अधिक आबादी वाले और अधिक यातायात की मांग वाले शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं स्थापित करने हेतु पर्याप्त प्राथमिकता दी जा रही है।

(घ) और (ङ) इन परियोजनाओं के लिए अपेक्षित निधियां उपलब्ध करायी जाती हैं बशर्ते कि सरकार के पास पर्याप्त निधियां उपलब्ध हों। अब तक धनराशि की कमी के कारण कोई भी स्वीकृत मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति प्रभावित नहीं हुई है।

## टीवी चैनलों को कारण बताओ नोटिस

**22. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ टीवी चैनलों को अपने कार्यक्रमों में अत्यधिक हिंसा, गाली-गलोच और अश्लीलतापूर्ण सामग्री प्रसारित करने के लिए अभी हाल ही में कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ टीवी चैनलों ने इसके खिलाफ अदालतों में अपील दायर की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा जारी किए गए प्रत्येक कारण बताओ नोटिस की वर्तमान स्थिति क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (चौधरी मोहन जतुआ):** (क) और (ख) अश्लीलता व हिंसा आदि दर्शाने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण के संबंध में 1 जनवरी, 2011 से आगे की अवधि के दौरान विगत हाल ही में प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को बेजे गए कारण बताओ नोटिसों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) संलग्न विवरण में उल्लिखित कारण बताओ नोटिसों में शामिल किए गए मामलों के संबंध में किसी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल ने अभी तक किसी न्यायालय में कोई याचिका दायर नहीं की है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) व (ख) के उत्तर में यथा उल्लिखित संलग्न विवरण में सूचना दी गई है।

### *विवरण*

*निजी सैटेलाईट टीवी चैनलों को जारी कारण बताओ नोटिस*

| क्र. सं. | चैनल का नाम | कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख | कारण बताओ नोटिस जारी करने के कारण | की-गई-कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बिंदास | 22.02.2011 | 'इमोशनल अत्याचार'-सीजन 2 कार्यक्रम के प्रसारण में अभद्र दृश्यों एवं असभ्य और अश्लील भाषा का प्रयोग करने के लिए। | चैनल को दिनांक 26.07.2011 को सात दिन के लिए क्षमायाचना स्क्रोल चलाने के आदेश दिए गए। चैनल ने निदेशों का अनुपालन किया। |
| 2. | बिंदास | 19.04.2011 | 'दादागिरी-रिर्वेज आफ सेक्सेस कार्यक्रम में असभ्य सामग्री का प्रसारण करने के लिए। | चैनल को दिनांक 03.08.2011 को चेतावनी जारी की गई। |
| 3. | टीएलसी | 19.04.2011 | 'ग्रेट आउट', 'ब्रिजेट्स सेक्सीएस्ट बीचेज' आदि विभिन्न कार्यक्रमों में अश्लील सामग्री का प्रसारण। | चैनल को दिनांक 09.08.2011 को सलाहपत्र जारी किया गया। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | सोनी टीवी | 20.04.2011 | रियलिटी शो 'कामेडी सर्कस महासंग्राम' कार्यक्रम में असभ्य एवं बच्चों के लिए अपमानजनक सामग्री का प्रसारण करने के लिए। | चैनल को दिनांक 25.07.2011 को चेतावनी जारी की गई। |
| 5. | बिंदास | 05.05.2011 | लव लाक अप नामक असभ्य रियलिटी शो का प्रसारण। | चैनल को दिनांक 28.07.2011 को चेतावनी जारी की गई। |
| 6. | चैनल (वी) | 05.05.2011 | रियलिटी शो 'फुल टास वेला ब्वायस' में असभ्य और अश्लील सामग्री का प्रसारण। | चैनल को दिनांक 25.07.2011 को चेतावनी जारी की गई। |
| 7. | पीपल टीवी | 19.05.2011 | 'अज्छा कज्छा' कार्यक्रम में अश्लील सामग्री का प्रसारण। | चैनल को दिनांक 19.08.2011 को चेतावनी जारी की गई। |
| 8. | बिंदास | 27.05.2011 | 'मेरी तो लग गई नौकरी' कार्यक्रम का प्रसारण जो असभ्य, अश्लील और अभद्र प्रतीत होता है. | दिनांक 20.09.2011 को चेतावनी जारी की गई। |
| 9. | न्यूज 9 | 01.06.2011 | 'शीला साइज प्रोब्लम' का प्रसारण जो असभ्य, अश्लील और अभद्र प्रतीत होता है। कार्यक्रम के दृश्य महिलाओं के लिए अपमानजनक प्रतीत होते हैं। | चैनल को क्षमायाचना स्क्रोल चलाने के आदेश देते हुए दिनांक 23.09.2011 को आदेश जारी किए गए। चैनल ने अनुपालन किया। |
| 10. | सोनी पिक्स | 11.07.2011 | कुछ अंग्रेजी फीचर फिल्मों का प्रसारण करने के लिए जिनकी कुछ विषय वस्तु अभद्र एवं अश्लील प्रतीत होती थी। | यथोचित कार्रवाई की जाएगी। |
| 11. | एफएक्स चैनल | 18.07.2011 | 'हार्पर्स आइलैंड', 'क्रैश', 'मैड मैन सूत्रा', 'फ्रेजियर', 'सेविंग ग्रेस' तथा 'स्काउंड्रल्स' नामक कार्यक्रमों में अश्लील दृश्यों का प्रसारण। | यथोचित कार्रवाई की जाएगी। |
| 12. | एनडीटीवी गुड टाइम्स | | 26.07.2011 'लाइफ इज ए बीच' कार्यक्रम में अभद्र एवं अश्लील दृश्यों का प्रसारण। | इलेक्ट्रानिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) को किसी प्रकार के उल्लंघन के संबंध में निगरानी करने हेतु पत्र भेजा गया है। |
| 13. | स्टार वर्ल्ड | 27.07.2011 | 'डेक्सटर', 'द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल', 'लास वेगास', 'टू एंड अ हाफ मैन' तथा 'हाउ आई मेट योर मदर', कार्यक्रमों में अश्लील दृश्यों का प्रसारण। | चैनल को दिनांक 14.12.2011 को सलाहपत्र जारी किया गया है। |
| 14. | फाक्स क्राइम | 28.07.2011 | स्लीपर सेल और 1000 वेज टू डाइ नामक कार्यक्रमों का प्रसारण जिनमें अश्लील दृश्य थे। | यथोचित कार्रवाई की जाएगी। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 15. | चैनल [वी] | 12.09.2011 | अभद्र, अश्लील और अशिष्ट सामग्री वाले कार्यक्रम लव नेट 2 का प्रसारण। | यथोचित कार्रवाई की जाएगी। |
| 16. | जी ट्रेंडज | 12.09.2011 | अभद्र, अश्लील और अशिष्ट दृश्यों वाले कार्यक्रम विकिनी डेस्टीनेशन का प्रसारण। | मामला विचाराधीन है। |
| 17. | एमटीवी | 14.09.2011 | अभद्र, अश्लील और अशिष्ट सामग्री वाले कार्यक्रम रोडीज 8-शॉर्टकट टु हैल का प्रसारण। | अंतर-मंत्रालयीय समिति द्वारा मामले पर विचार किया गया है। समिति ने कार्यक्रम को आपत्तिजनक नहीं पाया है। |
| 18. | सोनी | 29.09.2011 | सीबीएफसी द्वारा ए प्रमाणित द डर्टी पिक्चर फिल्म के टेलर का प्रसारण। | यथोचित कार्रवाई की जाएगी। |
| 19. | टाइम्स नाऊ | 29.09.2011 | सीबीएफसी द्वारा ए प्रमाणित द डर्टी पिक्चर फिल्म के टेलर का प्रसारण। | यथोचित कार्रवाई की जाएगी। |
| 20. | एफ टीवी | 03.11.2011 | डिजाइनर्स इन हाई डेफिनेशन, चंतेली लिंजरी पेरिस और लिंजरी नामक अश्लील कार्यक्रमों का प्रसारण। | यथोचित कार्रवाई की जाएगी। |
| 21. | सहारा समय | 11.11.2011 | एक समाचार का प्रसारण जिसमें अश्लील दृश्य थे। | चैनल को क्षमा योजना स्क्रोल चलाने का निदेश देते हुए दिनांक 21.11.2011 को पत्र जारी किया गया। चैनल ने निदेश का पालन किया। |
| 22. | पी 7 | 11.11.2011 | एक समाचार का प्रसारण जिसमें अश्लील दृश्य थे। | चैनल को क्षमा योजना स्क्रोल चलाने का निदेश देते हुए दिनांक 21.11.2011 को पत्र जारी किया गया। चैनल ने निदेश का पालन किया। |
| 23. | एंटर 10 | 27.01.2012 | ए प्रमाणित हिन्दी फीचल फिल्म का प्रसारण। | यथोचित कार्रवाई की जाएगी। |

## जैविक कृषि

**23. श्री सुरेश कुमार शेटकर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे किसानों के लिए कृषि को सतत् पर्यावरण-अनुकूल और लाभकारी बनाने हेतु अपने एक उपाय के तौर पर जैविक कृषि को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक कितनी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) सरकार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नामत: उत्तर पूर्व और हिमालयीय राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) के जरिए 2001-02 से जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है। हिमालयी राज्यों को शामिल करने के लिए वर्ष 2003-04 के दौरान उसका विस्तार किया गया। एनएमएनईएच का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

प्रारम्भ से लेकर अब तक इस मिशन की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

* 30610 है. में जैविक कृषि को अपनाना
* जैविक प्रमाणीकरण - 514 (सं.)
* वर्मी कम्पोस्ट यूनिट 2165 (सं.)

*विवरण*

| मद | अधिकतम अनुमेय लागत | सहायता का प्रतिमान |
|---|---|---|
| **जैविक खेती** | | |
| जैविक खेती अपनाना | 20,000 रु./है. | लागत का 50%, प्रथम वर्ष में 4000 रु. दूसरे और तीसरे वर्ष प्रत्येक में 3000 रु. से 3 वर्षों की अवधि में प्रति लाभानुभोगी अधिकतम 4 है. क्षेत्र के लिए 10000 रु./है. तक सीमित। |
| जैविक प्रमाणीकरण | परियोजना आधारित | 50 है. के समूह के लिए 5 लाख रु. जिसमें प्रथम वर्ष में 1.50 लाख रु. दूसरे वर्ष में 1.50 लाख रु. तीसरे वर्ष में 2.00 लाख रु. शामिल हैं। |
| वर्मी कम्पोस्ट यूनिट | स्थायी संरचना हेतु 60,000 रु./यूनिट तथा एचडीपीई वर्मी बैड के लिए 10,000 रु./यूनिट | लागत का 50%, 30 फीट × 8 फीट × 2.5 फीट क्षेत्र की यूनिट के आकार के अनुसार जिसे यथानुपातिक आधार पर प्रशासित किया जाएगा। एचडीपीई वर्मी बैड के लिए लागत का 50%, 96 सीएफटी (12×4×2 फीट) के आकार के अनुसार, जिसे यथानुपातिक आधार पर प्रसारित किया जाएगा) |

स्रोत: उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन के परिचालनात्मक दिशानिर्देश।

## आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वाले वर्गों के लिए आवास

**24. श्री आर. ध्रुवनारायण:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) और कम आय वाले (एलआईजी) वर्गों के लिए लगभग 2.5 करोड़ मकानों की कमी है जो लगभग 3.6 लाख प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कर्नाटक सहित, राज्य-वार क्या कदम उठाए जा रहे है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) 11वीं योजना के प्रारंभ में शहरी आवासीय कमी का आकलन करने के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी दल के अनुसार वर्ष 2007 की स्थिति के अनुसार शहरी आवासीय कमी 24.71 मिलियन थी जिसकी 11वीं योजना अवधि (2011-12) के अंत तक 26.53 मिलियन तक बढ़ने की संभावना है। यह 5 वर्ष में 1.0 मिलियन या 3.64 लाख प्रति वर्ष की वृद्धि दर्शाता है।

तकनीकी दल द्वारा यथा अनुमानित शहरी आवासीय कमी के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) इन स्कीमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवासीय कमी को पूरा करने के लिए कर्नाटक सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

को सहायता प्रदान करने हेतु आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है:

* जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) संबंधी उप मिशन के अंतर्गत 65 निर्दिष्ट शहरों में तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अन्य शहरों एवं कस्बों में शहरी गरीबों के लिए आवास एवं बुनियादी सेवाओं के प्रावधान हेतु सहायता प्रदान करता है। सरकार बीएसयूपी/आईएचएसडीपी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 50% से 90% तक अनुदान प्रदान करती है।

* शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएचएसयूपी) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) एवं निम्न आय वर्ग (एलआईजी) को ऋण-सक्षम उपाय के रूप में आवासीय ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था है और ऐसे परिवारों मकानों के निर्माण/अधिग्रहण के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों/आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए तथा 1 लाख रु. तक के ऋण हेतु ब्याज अदायगी में 5 प्रतिशत की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। यह एक मांग आधारित स्कीम है और इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है।

* भागीदारी में किफायती आवास स्कीम का उद्देश्य 50,000 रु. प्रति किफायती रिहायशी इकाई या अवस्थापना लागत का 25%, जो भी कम हो की दर से अवस्थापना के लिए सब्सिडी के प्रावधान के जरिए ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/मध्यम आय वर्ग के लिए 1 मिलियन मकानों का निर्माण करना है जिसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कम से कम 25 प्रतिशत मकान हों। स्कीम का लक्ष्य लाभ सभी के लिए किफायती आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न एजेंसियों/सरकारी/पैरास्टेटसल/शहरी स्थानीय निकाय/विकासर्ताओं के बीच भागीदारी करना है।

* इस स्कीम में स्लमवासियों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक राज्यों को स्लम पुनर्विकास हेतु उपयुक्त ॰॥श्रय, बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं के प्रावधान और किफायती आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। बुनियादी नागरिक तथा सामाजिक अवसंरचना एवं सुविधाओं तथा आवास जिसमें किराया आवास शामिल है, तथा स्लमों के स्वस्थाने पुनर्विकास के लिए अस्थायी आवास के प्रावधान की 50 प्रतिशत लागत जिसमें इस स्कीम के तहत निर्मित परिसंपत्तियों का प्रचालन और रख-रखाव शामिल है, केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी। पूर्वोत्तर तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत, यदि आवश्यक हो, सहित केन्द्र की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत होगी।

### *विवरण*

*पीडब्ल्यूईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए आवास*

नीचे लिखे भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में परिवारों की संख्या और शहरी भारत में परिवारों की संख्या से राज्यों का अनुपात निकालने के आधार पर कुल आवासों की कमी 24.71 मिलियन अनुमानित की गई है। 2007 के अनुसार राज्यों में आवासों की कमी का वितरण निम्नानुसार है:-

| राज्य/संघ शासित प्रदेश | आवासीय कमी |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आंध्र प्रदेश | 1.95 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0.02 |
| असम | 0.31 |
| बिहार | 0.59 |
| छत्तीसगढ़ | 0.36 |
| गोवा | 0.07 |
| गुजरात | 1.66 |
| हरियाणा | 0.52 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.06 |
| जम्मू और कश्मीर | 0.18 |
| झारखंड | 0.47 |
| कर्नाटक | 1.63 |
| केरल | 0.76 |
| मध्य प्रदेश | 1.29 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| महाराष्ट्र | 3.72 |
| मणिपुर | 0.05 |
| मेघालय | 0.04 |
| मिजोरम | 0.04 |
| नागालैंड | 0.03 |
| ओडिशा | 0.50 |
| पंजाब | 0.69 |
| राजस्थान | 1.00 |
| सिक्किम | 0.01 |
| तमिलनाडु | 2.82 |
| त्रिपुरा | 0.06 |
| उत्तराखंड | 0.18 |
| उत्तर प्रदेश | 2.38 |
| पश्चिम बंगाल | 2.04 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.01 |
| चंडीगढ़ | 0.08 |
| दादरा और नगर हवेली | 0.01 |
| दमन और दीव | 0.01 |
| दिल्ली | 1.13 |
| लक्षद्वीप | 0.00 |
| पुडुचेरी | 0.06 |
| सम्पूर्ण भारत | 24.71 |

## सामाजिक मुद्दों पर फिल्मों के लिए धनराशि

**25. श्रीमती जे. शांता:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एड्स के प्रति जागरूकता, कैंसररोधी अभियान, ओझा-गिरी के खिलाफ जागरूकता और पूर्वोत्तर संस्कृति को बढ़ावा देने जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाने/ऐसी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ, फिल्म-वार प्रदत्त निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के ऐसे प्रयासों से क्या उद्देश्य प्राप्त हुआ है; आर

(घ) ऐसी फिल्मों की सफलता हेतु इस बारे में अधिक प्रचार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन):** (क) और (ख) यद्यपि, मंत्रालय सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्में बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं को निधियां/वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है, तथापि, मंत्रालय विभिन्न योजनागत स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न भारतीय भाषाओं में तथा सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों पर फीचर/वृत्तचित्र फिल्मों का निर्माण/सह-निर्माण करने के लिए अपने माध्यम एककों नामत: फिल्म प्रभाग, बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को निधियां प्रदान करता है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एड्स-जागरूकता, कैंसर-रोधी अभियान व पूर्वोत्तर संस्कृति के संवर्धन पर फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्मों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) ऐसे प्रयासों का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों यथा कैंसर, एड्स और पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित मुद्दों के बारे में इन विषयों पर आधारित फिल्मों के जरिए जन-सामान्य के बीच जागरूकता पैदा करना है।

(घ) इन फिल्मों के बारे में प्रचार करने के लिए मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों, फिल्म समारोह निदेशालय व फिल्म प्रभाग के तत्वावधान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (इफी) तथा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (मिफ) जैसे फिल्म समारोहों का आयोजन किया जाता है। बाल चित्र समिति भी बाल फिल्म समारोहों का आयोजन करती है जिनमें ऐसी फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं।

## विवरण

*पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान फिल्मों के निर्माण के लिए प्रदान की गई निधियां*

**(क) एड्स जागृति पर फिल्म**

| वर्ष | फिल्म का शीर्षक |
|---|---|
| 2008-09 | शून्य |
| 2009-10 | 2.4.2010 को प्रदर्शित जिंदगी पॉजिटिव (एड्स) 1 रील/154.22 मीटर (5.62 मीटर) |
| 2010-11 | 2.7.2010 को प्रदर्शित रिदम विद एचआईवी, 35 एमएम (एचआईवी पर फिल्म) |
| 2010-11 | 7.1.2011 को प्रदर्शित येस वी केन, 35 एमएम (एचआईवी एड्स पर फिल्म) |
| 2011-12 | श्री वूमन, 26 मिनट (एचआईवी/एड्स पर फिल्म) केवल प्रसारण के लिए |

**(ख) कैंसर रोधी अभियान पर फिल्म : शून्य**

**(ग) पूर्वोत्तर संस्कृति पर फिल्म**

| क्र.सं. | फिल्म का शीर्षक | समय | सिनोपसेस |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **2008-09** | | |
| 1. | अनछुआ सौन्दर्य | 29 मिनट | भारत के उत्तर पूर्वीय प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्मित फिल्म! |
| | **2009-10** | | |
| | शून्य | | |
| | **2010-11** | | |
| 1. | मनसा मंगल पाला (द लिजेंड ऑफ वेनम) | 26 मिनट | आसाम की कला एवं संस्कृति पर आधारित फिल्म। |
| 2. | अक्रोस द हिल | 26 मिनट | मिजोरम में स्तित सेलहेल जिला को मारा जनजाति पर आधारित फिल्म। |
| 3. | दि शायनिंग बीक्स इन राइसिंग सन | 26 मिनट | अरुणाचल प्रदेश के नाईशी संप्रदाय पर आधारित फिल्म। |
| 4. | गुरु द बाबू | 26 मिनट | गुरु-बाबु के जीवन, नृत्य एवं संगीत पर आधारित आत्म-कथात्मक फिल्म : मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का एक कुशल कलाकार। |
| 5. | द पर्ल हाउस ऑफ क्षत्रिय कलचर-माजुलि | 26 मिनट | महापुरुष श्रीमंत सरकार देव द्वारा संस्थापित साहित्य संस्कृति पर आत्म कथात्मक आधारित फिल्म |
| 6. | जेम्स दकोमा-हिंसा से अहिंसा तक | 26 मिनट | एक क्रांतिकारी एवं भूमिगत नेता जेम्स दोखुआ पर आधारित आत्म कथात्मक फिल्म। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 7. | स्ट्बेरी फाईन्ड्स ईटस न्यू होम इन नॉर्थ इस्ट | 26 मिनट | शिलॉग के स्टाबेरी महोत्सव पर आधारित फिल्म। |
| 8. | आचुले जय हो | 52 मिनट | उत्तर पूर्वीय प्रदेश की एक प्राचीन जनजाति लेपाचाज के संघर्ष को दर्शाती एक फिल्म। |
| 9. | पूर्वोत्तर में नारी शक्ति | 52 मिनट | उत्तर पूर्वीय प्रदेश की नारी शक्ति पर एक फिल्म। |
| 10. | बॉस का वरदान बॉस हस्तशिल्प | 52 मिनट | बॉबू शिल्प पर आधारित फिल्म। |
| 11. | कुशल कुंवर-ओडटु ए मार्टिर | 52 मिनट | स्वाधीनता सेनानी कुशल कोंवार पर आधारित आत्म-कथात्मक फिल्म। |
| 12. | दी टेजर आईलैण्ड ऑफ फोक गैम्स | 52 मिनट | आसाम की लोक-खेल संस्कृति की विविधताएं दर्शाती एक फिल्म। |
| 13. | अंधेरे के गोद में (मेघालय की गुफा में) | 52 मिनट | मेघालय की गुफाओं के बारे में फिल्म। |
| 14. | हिज मजेस्टी-द आहोम्स | 52 मिनट | आसाम के टाई एहोम्स की धार्मिक संस्कृति पर आधारित फिल्म। |
| 15. | और निशब्द बहे बराक | 52 मिनट | बाराक घाटी के कृषि विकास पर एक फिल्म। |
| 16. | एंड दस फलोस दी रिवर ब्रह्मपुत्र | 52 मिनट | ब्रह्मपुत्र नदी पर एक फिल्म। |
| 17. | पेमाइयांसि-ए मनोस्टि ऑफ पिओर लामासा | 52 मिनट | असली लामाओं के मठ पर बनी फिल्म। |
| 18. | व्हल्चर्स इन रानी | 26 मिनट | गिध्दों को सुरक्षित रकना इस फिल्म का उद्देश्य हैं। |
| 19. | व्हॅली ऑफ ग्रीन हेरिटेज | 52 मिनट | आसाम में स्थित सबंसिरी घाटी के जीवन एवं संस्कृति के बीच संबंध तथा जीव विज्ञान एवं पर्यावरण पर आधारित फिल्म। |
| 20. | यु तिरोट सिंग सियैम एवं यु कियांग नांगबाह | 52 मिनट | उपनिवेश के उन्मूलन के दौरान खासी एवं जैंतिया जनजाति से भारत के दो महानपुत्र यू तिरोतसिंह तथा यू कियॉग के आत्म बलिदान पर आधारित फिल्म। |
| 21. | इंडीजीनस म्युझीकल इंस्टुमेंट ऑफ मणिपुर | 52 मिनट | मणिपुर से संगीत वधों पर यह फिल्म आधारित है। |
| 22. | अ रिव्हर स्टोरी:ऑफ होप अॅन्ड डिसपेअर | 52 मिनट | ब्रह्मपुत्र नदी की चुनौतियों तथा उसके पक्ष में प्रादेशिक पर्यावरण पर यह फिल्म आधारित है। |
| 23. | चोलम | 52 मिनट | चोलम नृत्य स्वरूप पर यह फिल्म विस्तार से दर्शाती है। |
| 24. | दी होंराइजन ऑप रोंगमिलिर हाही | 26 मिनट | आसाम के पद्मश्री रॉगबॉग तेरॉग तथा उनकी साहित्यिक रचनाओं पर यह फिल्म आधारित है। |
| 25. | डॉ. बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य-दा हारबिंजर ऑफ टुथ एंड हयुमिनिटि | 52 मिनट | यह फिल्म डॉ. बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य के जीवन एवं कार्य पर आधारित है तथा उन्होंने जो अपना योगदान आसामी विश्व साहित्य के साथ-साथ पूर्णत: आसामी समाज को समर्पित किया है इसमें उसका चित्रण है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 26. | नुपिशाबी | 52 मिनट | तीन कलाकारों पर आधारित विभिन्न पीढ़ियों की पुपिशाबी कला को समर्पित यह फिल्म सुभंगलीला में उन्हीं महिलाओं की भूमिका दर्शाती है। |
| 27. | इवोल्युशन ऑफ रासलिला इन मणिपुर | 26 मिनट | इस फिल्म में मणिपुरी नृत्य पर आधारित रासलीला को बड़े ही मोहक रूप में चित्रित किया गया है। |
| 28. | टेरा रेड-ॲन अेनशंट आर्ट | 52 मिनट | यह फिल्म उत्तर-पूर्वी प्रदेश की प्राचीन कला पर आधारित है। |
| | **2011-12** | | |
| 29. | क्लचर-द जिन्निस ऑफ व्हुमन सिविलायजेशन | 26 मिनट | मिनट में प्राचीन कला की सुरक्षा तथा सभ्यता और व्यापारिक महत्व के बारे में फिल्मांकित किया गया है। |
| 30. | ए लिविंग लिजेंड | 26 मिनट | जीवनी संबंधी इस फिल्म में भारतीय साहित्य आकाश में डॉ. इंदिरा गोसवानी एक जमकता सितारा विषय पर आधारित है। |
| 31. | लेंडस्कप इन द मिस्ट-प्री-हिस्ट्री रिवीसीटेड | 52 मिनट | इस फिल्म में मेघालय के दो यात्रा स्थल चेरापूंजी और मावस्थानरम को दर्शाया गया है। |
| 32. | आरकेलोजी एण्ड मोन्युमेंट ऑफ त्रिपुरा | 52 मिनट | यह फिल्म त्रिपुरा के पुरातत्व और प्राचीन स्मारकों पर आधारित है। |
| 33. | रोड टु चायना | 26 मिनट | यह फिल्म भारत से चीन तक के गुप्त मार्ग पर आधारित है। |
| 34. | ट्रेड बीयोंड द फेनसिंग | 52 मिनट | यह फिल्म बांग्लादेश से जुड़े उत्तर-पूर्वीय भारत की तीन सीमाओं मुख्यत: मेघालय, आसाम तथा त्रिपुरा क्षेत्र पर आधारित है। |
| 35. | द वाइल्ड पेरेडाइस | 52 मिनट | यह फिल्म यह दर्शाती है कि आसाम के दो विभिन्न जंगल पुनर्वास के सात ही रोजगार पैदा करने में भी किस तरह सहयोगी बन रहे है। |
| 36. | अन्ड्रो लिगसी | 26 मिनट | यह फिल्म मणिपुर के आदरों कुमहारों की जीती जागती कला पर आधारित है जो नयी पाषाण युग से चली आ रही है। |
| 37. | लाईफ आफटर | 26 मिनट | मणिपुर में नशीले पदार्थ उपयोग करने वाले तथा उनके पुनर्वास पर यह फिल्म आधारित है। |
| 38. | इशेहनाबी-ए वुमन ऑफ करेज | 2 मिनट | यह फिल्म सेरेबल पल्सी से ग्रासित एक महिला के बारे में है कि किस प्रकार वह अकेले साहस, श्रम और आत्मविश्वास के साथ जीवन बिताती है। |
| 39. | ट्रेड एण्ड कोमर्स- इनडो मान्यार बोर्डर ट्रेड | 52 मिनट | यह फिल्म भारत एवं म्यॉमार के बीच सीमा व्यापार के परिणामस्वरूप बढ़ते हुए व्यापारिक संबंध दर्शाती है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 40. | खुलाइबहुरीया | 52 मिनट | यह फिल्म एक प्राचीन दृश्य श्रव्य कला माध्यम खुलिया, भौरिया के बारे में दर्शाती है! आज भी आसाम में वैश्विक स्तर की कलात्मक स्वरूप के लिए जीवंत है। |
| 41. | राभास ऑफ द नोर्थ इस्ट इंडिया | 26 मिनट | यह फिल्म उत्तर-पूर्वी भारत राभा जनजाति के लोगों की समृद्ध सभ्यता को दर्शाती हुई उनकी मरती हुई भाषा का भी उल्लेख करती है। |
| 42. | वेनीशिंग मेमोरिस | 26 मिनट | यह फिल्म मणिपुर राज की संस्कृति और कला को दर्शाती है! यह फिल्म रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जन्मशती पर आधारित है। |

## एसआरई स्कीम के अन्तर्गत निधियां

26. **श्री तथागत सत्पथी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के तहत और अधिक जिलों को शामिल करने के लिए ओडिशा राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) उक्त स्कीम के तहत चालू वर्ष में उक्त राज्य को कुल कितनी राशि जारी की गई;

(घ) क्या सरकार का उक्त वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) और (ख) जी, हां। सरकार को, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अन्तर्गत कालाहांडी, नौपाड़ा, बारागढ़ और बोलंगिर नामक राज्य के 4 (चार) और जिलों को शामिल करने हेतु ओडिशा सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

राज्य सरकारों से समय-समय पर एसआरई योजना के अन्तर्गत और जिलों को शामिल करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं, जो एक अनवरत प्रक्रिया है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, एसआरई योजना के अंतर्गत ओडिशा राज्य सरकार को अब तक 21.57 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

(घ) और (ङ) सरकार एसआरई योजना के अंतर्गत ओडिशा सहित राज्यों द्वारा नक्सल-रोधी कार्रवाईयों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकारों द्वारा किए गए दावों के समर्थन में बिलों, वाउचरों इत्यादि का सत्यापन करने के लिए राज्यों को भेजे गए लेखा-परीक्षा दलों द्वारा की गई लेखा-परीक्षा के आधार पर करती है।

*[हिन्दी]*

## सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष

27. **श्री महेश जोशी:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक गांव में सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उक्त स्थल पर खुदाई कार्य प्रारंभ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ किए जाने की संभावना है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को राजस्थान के जैसलमेर जिले में सिंधु घाटी की सभ्यता के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

## कृषि को उद्योग का दर्जा

28. **डॉ. राजन सुशान्त:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि को लघु उद्योग का दर्जा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## आपदा सूची में बढ़ोत्तरी

29. **श्री नारायण सिंह अमलाबे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 'पाले' को प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में रखने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 'पाले' के कारण देश में हुई हानि के बारे में कोई सर्वेक्षण करवाया है; और

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) भारत सरकार ने एसडीआरएफ/एमडीआरएफ के तहत शीत लहर/पाले को राहत के लिए पात्र आपदा के रूप में शामिल करने के मुद्दे की जांच करने के लिए एक मंत्रिसमूह (जीओएम) का गठन किया है। जीओएम ने मामले पर विचार किया है और उचित सहायता के लिए शीत लहर/पाले के कारण हुई हानि की मात्रा के मुद्दे की जांच करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों के एक कार्यदल के गठन का सुझाव दिया है। इस कार्यदल की रिपोर्ट के आधार पर इसको शामिल करने के मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

(ग) से (घ) इस मंत्रालय ने देश में पाले के कारण हुई हानि के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

*[अनुवाद]*

## आमों का उत्पादन

30. **श्री निलेश नारायण राणे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रत्नागिरी देश में आमों के निर्यात का मुख्य स्रोत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की देश में अन्य भागों में आमों का उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों से आम का निर्यात किया जाता है जिसमें महाराष्ट्र का रत्नागिरी शामिल है। वर्ष 2011-12 में भारत ने विभिन्न देशों को 59,221 मी. टन आम का निर्यात किया। राज्य-वार और जिला-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें अर्थात् (1) उत्तर पूर्व हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशनों और (2) शेष राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यान्वित कर रहा है ताकि आम सहित बागवानी फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके। मिशन के अन्तर्गत गुणवत्ताप्रद पौध रोपण सामग्री के उत्पादन, बागवानी पौधों क खेती, पुराने और जराग्रस्त उद्यानों के सुधार पुन: पौध रोपण, जल संसाधनों के सृजन, संरक्षित कृषि, जैविक खेती समेकित पोषक तत्व प्रबंधन और समेकित कृत्रिम प्रबंधन को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, मानव संसाधन प्रबंधन विकास, किसानों के विगोपन दौरे, कटाई पश्चात् प्रबंधन और विपणन अवसंरचना जैसे विभिन्न कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

## भारतीय पुलिस सेवा में नौकरी छोड़ने के मामले

31. **श्री एस. सेम्मलई:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी हाल ही में बड़ी संख्या में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और 2008-2011 के बीच राज्य-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) सरकार ने भविष्य में इस पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) और (ख) वर्ष 2008 से 2011 के दौरान वर्ष 2007 से वर्ष 2010 के बीच के बैचों के नियमित भर्ती वाले 41 अधिकारियों ने बेहतर कॅरियर (आईएएस, आईएफएस आदि में जाने) के लिए त्यागपत्र दिया है। वर्ष 1985, 1990 और 2004 बैच के अन्य 3 अधिकारियों ने व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र दिया है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा की नियमित नियुक्तियों के वार्षिक बैच आकार को 103 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। संवर्ग-आबंटन संबंधी नीति भी संशोधित की गई है।

***विवरण***

*उत्तरवर्ती सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर अन्य सेवाओं में कार्यभार ग्रहण करने के लिए वर्ष 2008 से 2011 के दौरान त्यागपत्र देने वाले भारतीय पुलिस सेवा के नियमित भर्ती वाले अधिकारियों का राज्यवार ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य संवर्ग | तकनीकी रूप से त्यागपत्र देने वाले अधिकारियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | एजीएमयूटी | 5 |
| 2. | एएम | 3 |
| 3. | बीएच | 3 |
| 4. | जीजे | 3 |
| 5. | एचपी | 1 |
| 6. | जेएच | 1 |
| 7. | केटीके | 5 |
| 8. | एमएच | 3 |
| 9. | एमपी | 1 |
| 10. | एमटी | 3 |
| 11. | एनएल | 2 |
| 12. | ओआर | 2 |
| 13. | पीबी | 1 |
| 14. | आरजे | 1 |
| 15. | टीएन | 2 |
| 16. | यूके | 1 |
| 17. | यूपी | 1 |
| 18. | डब्ल्यूबी | 3 |
| | कुल | 41 |

*व्यक्तिगत कारणों से वर्ष 2008 से 2011 के दौरान त्यागपत्र देने वाले भारतीय पुलिस सेवा के नियमित भर्ती वाले अधिकारयों का राज्यवार ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य संवर्ग | व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र देने वाले अधिकारियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | एजीएमयूटी | 1 |
| 2. | डब्ल्यूबी | 2 |
| | कुल | 3 |
| | कुल योग = | 44 (41+3) |

*[हिन्दी]*

**एनजीओज को सहायता**

**32. डॉ. संजय सिंह:**
**श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:**

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में उन गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें विगत तीन वर्षों में प्रत्येक-वर्ष इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत वित्तीय-सहायता प्रदान की गई;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक एनजीओ को कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) उन गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं जो अनियमितताओं में शामिल पाए गए; और

(घ) इस संबंध में उक्त एनजीओ के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम (आईएलसीएस) के तहत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) अंश के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को वर्ष 2009-10 में 3.13 करोड़ रु. और वर्ष 2010-11 में 17.78 करोड़ रु. जारी किए हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को इस स्कीम के तहत कोई निधि जारी नहीं की गई थी। स्कीम के तहत, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) का चयन और तैनाती राज्य सरकार का दायित्व है तथा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सीधे इस मंत्रालय द्वारा निधियां जारी नहीं की जाती हैं।

(ख) प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को उपलब्ध कराई गई सहायता के ब्यौरों के आंकड़े इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) जिन्होंने एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम (आईएलसीएस) के कार्यान्वयन में राज्य सरकार की सहायता की थी, की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सीधे निधियां जारी अथवा उनके कार्यकलापों की निगरानी नहीं करता है।

### *विवरण*

*गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के नाम, जिन्होंने एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम (आईएलसीएस) के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सहायता दी*

1. सुलभ इंटरनेशनल सामाजिक सेवा संगठन
2. संपूर्ण क्षेत्र विकास समिति
3. नेहरू युवा केन्द्र
4. विद्यामंडल उत्थान सेवा समिति
5. भारतीय महिला ग्रामोद्योग संस्थान
6. कौशाम्बी जिला
7. प्रकृति और मानव विकास संगठन
8. गीता महिला समिति
9. माँ गायत्री मानव सेवा संस्थान
10. पीपल इन एक्शन फॉर विलेज इम्पावरमेंट
11. सुकरती समझौथन संस्था
12. न्यू विलासैनिया पब्लिक स्कूल समिति
13. अभिनव एनजीओ
14. ओम गौरा सेवा समिति
15. कुशवा सिलाई प्रशिक्षण समिति
16. रोशनलाल गौतम ग्रामीण विकास समिति
17. भारतीय सेवा संस्थान
18. जन सेवा समिति
19. सोसाइटी नेटवर्क फार ह्यूमन डेवलपमेंट
20. डॉ. अंबेडकर समिति
21. हिन्दुस्तान ग्रामोद्योग सेवा संस्था
22. दीप एसवीएस
23. नारी कल्याण एसवीएस
24. दभामपुर एसवीएस
25. एकता एसवीएस
26. रोसी महिला एसवीएस
27. अंबेडकर सामुदायिक विकास समिति
28. नई राहें महिला एसवीएस
29. अशद महिला एसवीएस
30. एच.वी. एसवीएस
31. सहनपुर एसवीएस
32. नेहा सामुदायिक विकास समिति
33. सिओहरी सामुदायिक विकास समिति
34. कार्तिक सामुदायिक विकास समिति

35. जिला शहरी विकास एजेंसी

36. मानव कल्याण सामुदायिक विकास समिति

37. ग्रामीण समाज समिति

38. निकोडेमस न्यास सामाजिक संगठन

39. ग्रामीण विकास वाम मानव सेवा संस्थान

40. समन समाज कल्याण समिति

41. स्वावलंबन विकास और ग्रामोद्योग सेवा

42. डॉक्टर्स मेडिकल एसोसिएशन

43. एडवांस सैनिटेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी

44. श्री ग्रामोद्योग विकास संस्थान

45. सिद्धार्थ सेवा संस्थान

46. बेगम सेवा संस्थान

47. श्री दुर्गा ग्रामोद्योग सेवा संस्थान

48. उपक्रम सेवा संस्थान

49. ग्रामीण हिन्दी एफएएफटी स्वयं सहायता समूह कल्याण परिषद

50. लोक कल्याण समिति

51. खैन ग्रामोद्योग सेवा समिति

52. शिल्पी ग्रामोद्योग समाज सेवा समिति

53. गनीपुर जोधपुर युवक मंडल दल

54. सिद्धार्थ जनकल्याण शिक्षा प्रसार मंडल

55. स्वामी विवेकानंद संस्थान

56. मजदा सेवा संस्थान

57. रहीम बाल विकास संरक्षण संस्थान

58. आदर्श ग्रामीण विकास समिति

59. हेल्प क्लब

60. ज्ञानदीप सामुदायिक विकास समिति

61. सैदे विकास समिति

62. हरिधर प्रसाद सामाजिक शिक्षा समिति

63. मास्टर जरी आर्ट सेवा संस्थान

64. ग्रामीण उत्थान समिति

65. नियोछना खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान

66. जन सुविधा स्वयं सेवा

67. कौशिक विकास सेवा समिति

68. डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी

69. चेतना सेवा संस्थान

70. आर.पी.एस. समिति ब्रह्मपुर बदायूनी

71. राम रहीम आवास एवं संरक्षण

72. पं. केशव देव गौड मेमोरिअल सोसाइटी

73. इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंजीनियरिंग

74. राष्ट्रीय युवा विकास सोभ संस्थान

75. अखिल भारतीय पर्यावरण सुधार और समाज कल्याण

76. मानव सेवा समिति

77. माध्यम सामाजिक संस्थान

78. ऑल इंडिया एजूकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी

79. अजीत एंड कंचन ग्रामोद्योग विकास संस्थान

80. हैन्डीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी

81. इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक एग्री. एंड इनवायरमेंट

82. वशिष्ठ ग्राम योग समिति

83. ग्रामीण विकास एवं मानव सेवा संस्थान।

*[अनुवाद]*

**डी.डी.ए. द्वारा मकानों का आबंटन**

**33. श्री सुरेश अंगड़ी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा मकानों के आबंटन में अनेक गड़बड़ियों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उक्त गड़बड़ियों में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार ने डीडीए में इस प्रकार की गड़बड़ियों को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाए किए हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के आलोक में जी नहीं।

## खाद्य भंडारण

**34. श्री पी. कुमार:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्पादन करने वाले राज्यों से संभारण केन्द्रों को खपत वाले राज्यों में पुनर्वितरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खाद्यान्नों के सुकर परिवहन हेतु समर्पित मालभाड़ा गलियारा बनाने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) जी, नहीं। भंडारण केन्द्रों का पुनर्वितरण करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, खाद्यान्नों की खरीद में वृद्धि और कवर एवं प्लिंथ के तहत भंडारण को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगम के जरिए भंडारण गोदामों के निर्माण हेतु एक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत अतिरिक्त भंडारण की जरूरत का आकलन समग्र खरीद/खपत और पहले से उपलब्ध भंडारण स्थान पर आधारित होता है। खपत क्षेत्रों के लिए भंडारण क्षमता का निर्माण राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की 4 माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाना है। खरीद क्षेत्रों के लिए अपेक्षित भंडारण क्षमता का निर्णय करने हेतु पिछले 3 वर्षों के दौरान अधिकतम स्टाक स्तरों पर विचार किया जाता है।

इस विश्लेषण और योजना में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर राज्य-वार क्षमता की आवश्यकता और स्थानों की पहचान की गई थी। योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम निजी उद्यमियों को सुनिश्चित किराए हेतु अब 10 वर्ष की गारण्टी देगा। इस योजना के तहत 19 राज्यों में निजी उद्यमियों और केन्द्रीय एवं राज्य भंडारण निगमों के जरिए लगभग 151 लाख टन की क्षमता का सृजन किया जाना है। सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में 5.4 लाख टन की भंडारण क्षमता के निर्माण हेतु एक योजना को भी अंतिम रूप दिया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## बम विस्फोट के मामलों में अभियोजन

**35. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अजमेर, मालेगांव, मोडासा और समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोटों के मामलों में जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या जांच एजेंसियां उक्त विस्फोटों में शामिल संगठनों का पता लगा गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त मामलों में कुछ लोग बरी हो चुके हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) से (ङ) एनआईए अजमेर, मालेगांव, मोडासा और समझौता एक्सप्रेस में हुए बम धमाकों से संबंधित मामलों की जांच कर रहा है। अजमेर बम धमाकों के मामले में पहला आरोपपत्र एटीएस राजस्थान द्वारा दिनांक 22.10.2010 को दायर किया गया था और एनआईए द्वारा दिनांक 28.04.2011 को पूरक आरोप-पत्र दायर किया गया था। एनआईए द्वारा दूसरा पूरक आरोप-पत्र दिनांक 18.07.2011 को दायर किया गया था। इस मामले में आगे और जांच चल रही है। समझौता धमाके के मामले में, एनआईए द्वारा दिनांक 20.06.2011 को आरोप-पत्र दायर किया गया है और इस मामले में आगे और जांचे चल रही है। वर्ष 2006 के मालेगांव धमाके में एटीएस महाराष्ट्र द्वारा पहला आरोप पत्र दायर किया गया था और सीबीआई द्वारा एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था। मामले की जांच एनआईए के द्वारा की जा रही है। वर्ष 2008 के मालेगांव धमाके में, एटीएस महाराष्ट्र ने आरोप पत्र दायर किए हैं। एनआईए इस मामले में आगे और जांच कर रहा है। मोडासा धमाके के मामले में कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है और एनआईए के द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उपर्युक्त मामलों में लिप्त कुछ अधिकारियों की पहचान कर ली गई है। इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित मामलों में किसी भी व्यक्ति को दोष मुक्त नहीं किया गया है।

*[हिन्दी]*

## जेलों में बंद कैदी

**36. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ कैदी कारावास अवधि पूरी होने के बाद भी गरीबी के कारण जुर्माना अदा न कर पाने अथवा दूसरे अन्य कारणों से अभी भी जेलों में बंद हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उक्त कैदियों की रिहाई के लिए क्या कदम उठाए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 4 के अनुसार ''कारागार'' राज्य का विषय है। इसलिए, कारागारों का प्रशासन और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व हैं। इस संबंध में केन्द्रीय तौर पर आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं।

*[अनुवाद]*

## कृषकों को कृषि प्रौद्योगिकी

**37. श्री के. सुगुमार:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रणाली की विफलता के कारण कृषि प्रौद्योगिकी किसानों तक नहीं पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इस प्रणाली में सुधार की कोई योजना है ताकि कृषि प्रौद्योगिकी में प्रत्येक विकास किसानों तक पहुंचे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) सरकार कृषि विस्तार की विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है जिसके माध्यम से फार्म प्रौद्योगिकियां किसानों के लिए निचले स्तर तक प्रचारित की जा रही हैं। इसके अलावा कृषि में नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों से किसानों को जागरूक बनाने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) खोले गए हैं।

(घ) विस्तार से संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्रों के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I एवं II में दिए गए हैं।

(ङ) लागू नहीं।

### *विवरण I*

*विस्तार प्रभाग*

**विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन:** यह स्कीम 2005-06 के दौरान प्रारंभ की गई थी, स्कीम का उद्देश्य कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के रूप में प्रौद्योगिकी प्रसार हेतु नवीन संस्थागत प्रबंधन के जरिए विकेन्द्रीय मांग वाहित और कृषक जिम्मेदार विस्तार प्रणाली का संवर्द्धन करना है। एटीएमए में किसानों/किसान समूहों, एनजीओ, एफओ, कृषि विज्ञान केन्द्रों, पंचायती राज संस्थानों और जिला स्तर पर तथा उससे नीचे अन्य पणधारी प्रचालकों की सक्रिय भागीदारी रही है। आज की तारीख तक 604 जिला स्तर एटीएमए स्थापित किए गए है। स्कीम को मजबूत जनशक्ति, अवसंरचना और नीचे सारगर्भित गतिविधि से संशोधित और सुदृढ़ किया गया था:

(1) विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञ और कार्यकारी समर्थन का प्रावधान अर्थात् राज्य स्तर पर राज्य समन्वयक और संकाय तथा समेती के लिए सहायक कर्मचारी, जिला स्तर पर परियोजना निदेशक, उप-परियोजना निदेशक और सहायक कर्मचारी तथा ब्लाक स्तर पर ब्लाक प्रौद्योगिकी प्रबंधक तथा विषय वस्तु विशेषज्ञ।

(2) प्रति दो गांव 1 कृषक मित्र के हिसाब से ग्रामीण स्तर पर 'कृषक मित्र' के जरिए नवीन समर्थन।

(3) एटीएमए कैफेटेरिया में संशोधन (चयन किए जाने हेतु विस्तार से संबंधित क्रियाकलापों की सूची) जिसमें अब कुछ अतिरिक्त कार्यकलाप शामिल है तथा कुछ क्रियाकलाप के लिए वर्धित इकाई लागत का भी प्रावधान है।

(4) राज्य जिला और ब्लाक स्तर पर कृषक सलाहकार समिति जिसमें प्रत्येक स्तर पर प्रशासनिक निकायों में सामग्रियां प्रदान करने तथा सलाह देने के लिए किसानों का समूह शामिल है।

लिंग चिंताओं को मुख्य धारा में लाया जा रहा है जिसमें कार्यक्रमों और गतिविधियों संबंधी संसाधनों का 30 प्रतिशत महिला किसानों और महिला विस्तार पदाधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। विभिन्न विस्तार गतिविधियों के अंतर्गत इसके प्रारंभ से 1.75 करोड़ किसान लाभान्वित हुए है।

**1. कृषि को व्यापक मीडिया समर्थन:** यह स्कीम दो पहलों पर फोकस करती है। पहली कृषक समुदाय को कृषि संबंधी सूचना एवं जानकारी उपलब्ध कराने के लिए दूरदर्शन अवसंरचना का प्रयोग है। दूरदर्शन के 180 नैरो कास्टिंग सेंटर, 18 क्षेत्रीय टेंडर और 1 राष्ट्रीय केन्द्र सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट के लिए कृषि कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।

व्यापक मीडिया पहल का अन्य घटक आकाशवाणी के 96 एफएम ट्रांसमिटरों का प्रयोग करान है जिसमें सप्ताह में 6 दिन सायं को 30 मिनट रेडियो के माध्यम से क्षेत्र विशिष्ट कृषि कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है।

**3. किसान काल सेंटर:** स्कीम टाल फ्री टेलीफोन लाईनों के माध्यम से किसान समुदाय को कृषि सूचना उपलब्ध कराने के लिए 21 जनवरी, 2004 को प्रारंभ की गई थी। केसीसी के लिए एक देश व्यापी सामान्य 11 अक्षर संख्या '1800-180-1551' आवंटित किया गया है। कृषक समुदाय के प्रश्नों के उत्तर 22 स्थानीय भाषाओं में दिए जा रहे हैं। कालें सप्ताह के सभी 7 दिन सुबह 6.00 बजे से रात 10.00 बजे तक सुनी जाती है। स्कीम के प्रारंभ से जनवरी, 2012 तक 76.37 लाख से अधिक कालें प्राप्त हुई हैं। स्कीम को आगे और मजबूत किया गया है और राज्य सरकारें और अधिक निकटता से सम्मिलित हुई हैं।

**4. कृषि स्नातकों द्वारा कृषि क्लिनिक और कृषि-व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना:** किफायती जीवनक्षम स्व-रोजगार उद्यम की स्थापना के माध्यम से भुगतान आधार पर किसानों को विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कृषि क्लिनिक और कृषि-व्यवसाय स्कीम 9.4.2002 को प्रारंभ की गई थी। विभिन्न राज्यों में विनिर्दिष्ट किए गए नोडल प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से मैनेज द्वारा 2 महीनों की अवधि के लिए चुनिंदा प्रशिक्षार्थी द्वारा कृषि-उद्यमशीलता प्रशिक्षण उपलब्ध कराई जाती हैं, जोकि एक वर्ष के लिए संभलाई सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। नाबार्ड वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि क्लिनिकों की ऋण सहायता मानिटर करता है। स्कीम के अंतर्गत बैंक ऋण के माध्यम से वित्त पोषित परियोजना की पूंजी लागत की 36 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध पश्च-छोर सब्सीडी और बैंक ऋण पर प्रथम दो वर्षों के लिए संपूर्ण ब्याज सब्सीडी का प्रावधान हाल ही में अनुमोदित किया गया है। सब्सीडी एसी, एसटी, महिला और अन्य अलाभकारी वर्गों और उत्तर-पूर्व तथा पर्वतीय राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों के संबंध में 44 प्रतिशत होगी।

स्कीम के प्रारंभ से 27755 बेरोजगार प्रशिक्षित किए गए हैं और जनवरी, 2012 तक 9875 कृषि उद्यम स्थापित किए गए हैं।

**5. कृषि मेलों के माध्यम से सूचना का प्रचार:** कृषि प्रदर्शनियां कृषि और संबद्ध क्षेत्र में किसान समुदाय को नवीनतम प्रौद्योगिकीय अग्रता को दर्शाने और सूचना के प्रचार करने के लिए तथा कृषि में व्यवसाय अवसरों को बढ़ाने के लिए भी बहुत बढ़िया तंत्र है। कृषि एवं सहकारिता विभाग विभिन्न स्तरों पर कृषि मेलों को बढ़ावा दे रहा है/आयोजन कर रहा है, डीएसी भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापक मेले में भाग लेता है। डीएसी पांच क्षेत्रीय मेलों को सहायता दे रहा है- प्रत्येक वर्ष प्रत्येक क्षेत्र में एक कृषि मेलों को विस्तार सुधार (एटीएमए) स्कीम के अंतर्गत डीएसी द्वारा ब्लाक, जिला और राज्य स्तरों भी सहयोग दिया जा रहा है।

***विवरण II***

**कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से सूचना प्रसार:** केवीके का उद्देश्य प्रौद्योगिकी/उत्पादों के मूल्यांकन, परिष्करण करना है। गतिविधियों में किसानों के खेतों पर उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों की उत्पादन संभावनाओं को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कृषि प्रणाली/ अग्र पंक्ति प्रदर्शनों के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकियों की स्थान विशिष्टता पहचानने के लिए फार्म पर परीक्षण करना और किसानों को प्रशिक्षण देना शामिल है, जिसमें उनके ज्ञान एवं दक्षताओं को अद्यतन करने के लिए फार्म महिलाएं और विस्तार कार्मिक शामिल है।

## नक्सलियों द्वारा भर्ती

**38. श्री पोन्नम प्रभाकर:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नक्सल संगठनों द्वारा युवा लड़कों और लड़कियों की भर्ती की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) जी, हां। वामपंथी उग्रवादी समूह, विशेष रूप से सीपीआई (माओवादी), बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, महाराष्ट्र तथा ओडिशा राज्यों के

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की जन-नजातीय बेल्टों से बालक और बालिका दोनों बच्चों की भर्ती करते है। बिहार और झारखण्ड में, इन बच्चों का चयन "बल मंच" के रूप में किया जाता है और छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बच्चों के इस दस्ते को "बाल संगठन" के रूप में जाना जाता है। जन जातीय बच्चों की भर्ती करने का मन्तव्य उन्हें उनकी समृद्ध परम्परागत सांस्कृतिक परिपाटी से दूर ले जाना और उन्हें माओवादी विचारधारा में शिक्षित करना तथा सीपीआई (माओवादी) की पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का सैनिक बनाना है।

(ख) सीपीआई (माओवादी) द्वारा भर्ती किए गए बच्चों की कुल संख्या का कोई स्टीक अनुमान नहीं है।

(ग) 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय होने के कारण कानून और व्यवस्था के रख-रखाव के संबंध में कार्रवाई करना मुख्य रूप से उन संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है जो राज्य में नक्सली गतिविधियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों से निपटती हैं। राज्य सरकारें ऐसे मामलों में मामला-दर-मामला आधार पर विधिक कार्रवाई करती हैं। केन्द्र सरकार भी स्थिति की गहन रूप से निगरानी करती रहती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बुरी तरह प्रभावित कुछेक जिलों में बाल बन्धु योजना आरम्भ की है ताकि उन बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित हो सकें, जिन्हें सीपीआई (माओवादी) द्वारा लक्ष्य बनाया जा सकता है।

## पुलिस स्टेशन

**39. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या के संदर्भ में पुलिस स्टेशनों की अपेक्षित आनुपातिक संख्या कितनी है; और

(ङ) वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में पुलिस थानों की संख्या कितनी है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 180 पुलिस स्टेशन (161-प्रादेशिक, 5 रेलवे, 8-मेट्रो, 2 आईजीआई हवाई अड्डों और 4 विशेष इकाइयां अर्थात् विशेष सेल, आर्थिक अपराध विंग, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाई और अपराध शाखा कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस में पुलिस स्टेशनों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) पुलिस स्टेशन बीपीआर एंड डी द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर सृजित किए जाते हैं। जनसंख्या घनत्व, अपराध और क्षेत्र विशेष वे आधारभूत मानदण्ड हैं जिन्हें साम्प्रदायिक संवेदनशीलता, क्षेत्रीय आकृति औद्योगिक गतिविधियों इत्यादि जैसे अन्य विशेष घटकों सहित किसी पुलिस स्टेशन की स्थापना करने के लिए ध्यान में रखा जाता है।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्तमान में 3 रेलवे पुलिस चौकियों सहित 49 पुलिस चौकियां कार्य कर रही हैं।

*[हिन्दी]*

## पुलिस फायरिंग

**40. श्री भूपेन्द्र सिंहः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अलग-अलग राज्य-वार भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस/केन्द्रीय बलों की फायरिंग में मृत/घायल व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कम घातक तरीकों के उपयोग के संबंध में सुझाव आमंत्रित किए जाने के लिए कोई कार्य-बाल गठित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कम घातक तरीकों को अपनाने के लिए वर्तमान में क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 के दौरान प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई के कारण हताहत हुए/घायल हुए नागरिकों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) गृह मंत्रालय ने, दिनांक 22 सितम्बर 2010 के आदेश के तहत अहिंसक उपायों के साथ नागरिक प्रदर्शन से निपटने के लिए स्टैण्डर्ड प्रोसिड्यर्स (एसओपी) की सिफारिश करने हेतु आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा

बल, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन तथा महाराष्ट्र, जम्मू व कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता के अधीन एक कार्य बल का गठन किया था। कार्य बल ने एसओपी को अंतिम रूप दे दिया है और उसे समस्त राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों को परिचालित कर दिया गया है। इस एसओपी का उद्देश्य न्यूनतम संभव समपार्श्विक क्षति के साथ न्यूनतम आवश्यक बल सहित एक विधि-विरुद्ध जमावड़े को तितर-बितर करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करना है।

## *विवरण*

*वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 के दौरान प्रदर्शनों में हताहत हुए नागरिकों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण*

| क्र.सं. | राज्य/संघराज्य क्षेत्र का नाम | पुलिस/केन्द्रीय बलों में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या 2008 | | पुलिस/केन्द्रीय बलों में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या 2009 | | पुलिस/केन्द्रीय बलों में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मारे गए | घायल हुए | मारे गए | घायल हुए | मारे गए | घायल हुए |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 00 | 02 | 00 | 05 | 02 | 38 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3. | असम | 30 | 00 | 01 | 22 | 02 | 13 |
| 4. | बिहार | एनए | एनए | एनए | एनए | 00 | 00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 00 | 76 | 00 | 00 | 00 | 12 |
| 6. | गोवा | 00 | 00 | एनए | एनए | 00 | 00 |
| 7. | गुजरात | 00 | 07 | 00 | 02 | 00 | 00 |
| 8. | हरियाणा | एनए | एनए | एनए | एनए | 01 | 00 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 00 | 24 | एनए | एनए | 93 | 606 |
| 11. | झारखंड | एनए | एनए | एनए | एनए | 00 | 00 |
| 12. | कर्नाटक | 62 | 125 | 01 | 33 | 01 | 04 |
| 13. | केरल | 00 | 29 | एनए | एनए | 00 | 02 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 00 | 00 | एनए | एनए | 00 | 00 |
| 15. | महाराष्ट्र | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए |
| 16. | मणिपुर | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | 69 |
| 17. | मेघालय | 00 | 00 | एनए | एनए | एनए | एनए |
| 18. | मिजोरम | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | नागालैंड | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 20. | ओडिशा | 13 | 75 | एनए | एनए | 02 | 01 |
| 21. | पंजाब | 00 | 00 | एनए | एनए | 00 | 00 |
| 22. | राजस्थान | 41 | 46 | 07 | 17 | 00 | 00 |
| 23. | सिक्किम | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 |
| 24. | तमिलनाडु | एनए | एनए | 00 | 23 | 00 | 01 |
| 25. | त्रिपुरा | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 06 | 44 | 5 | 58 | 03 | 24 |
| 27. | उत्तराखंड | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 10 | 88 | 04 | 18 | एनए | एनए |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 30. | चंडीगढ़ | 00 | 03 | एनए | एनए | 00 | 32 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 32. | दमन और दीव | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 33. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 34. | लक्षद्वीप | 00 | 00 | एनए | एनए | 00 | 00 |
| 35. | पुडुचेरी | 00 | 00 | एनए | एनए | 00 | 00 |

एनए-उपलब्ध नहीं

*[अनुवाद]*

**कृषि क्षेत्र में इसराइल के साथ समझौता**

41. **श्री मानिक टैगोर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रौद्योगिकी में कृषि सहयोग को बढ़ावा दिए जाने के लिए इसराइल के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि क्षेत्र के लिए यह करार किस हद तक उपयोगी होने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) जी, हां।

कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत गणराज्य की सरकार और इजरायल सरकार के बीच 24 दिसम्बर, 1993 को एक करार हस्ताक्षर किया गया है।

समझौता ज्ञापन में जल एवं मृदा प्रबंधन, शुष्क और अर्ध-शुष्क फसल उत्पादन, फल एवं सब्जी उत्पादन, कटाई पश्च, पादप एवं पशु विज्ञान, पादप संरक्षण और नियंत्रण, पशु-चिकित्सा विज्ञान, कृषि-व्यवसाय, फार्म यांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, कृषि प्रशिक्षण और

विस्तार, कृषि अनुसंधान और कृषि-वानिकी इत्यादि के क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था है।

(ग) उसके बाद जनवरी, 2008 में एक कार्य योजना (2008-2010) स्कीमवार पर सहमति दी गई थी। बागवानी यांत्रिकी, संरक्षित खेती, बगीचे एवं कैनोपी प्रबंधन, नर्सरी प्रबंध प्रशिक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और पीएचएम इत्यादि के क्षेत्र में प्रगति हासिल की गई है।

## मीडियाकर्मियों को प्रोत्साहन

42. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को कुछ प्रोत्साहन देकर पुरस्कृत करने का है जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और इस संबंध में कब तक प्रयास किए जाएंगे; और

(घ) पत्रकारों तथा अन्य मीडियाकर्मियों की कौन सी वास्तविक मांगें सरकार के पास लंबित हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ):** (क) से (घ) राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कारों से संबंधित एक स्कीम की मंत्रालय में जांच की जा रही है। उक्त स्कीम को अंतिम रूप प्रदान करते ही तत्संबंधी ब्यौरा उपलब्ध करा दिया जाएगा।

## खाद्यान्नों की आपूर्ति

43. **श्री सी. शिवासामी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की आपूर्ति में विफलता के कारण देश में विभिन्न क्षेत्रों/जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों तथा अन्य मदों का वितरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) से (ग) विशेष रूप से पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में कतिपय मामले ध्यान में आए हैं जहां कानून और व्यवस्था की समस्याओं, यातायात को रोक देने, भौगोलिक व्यवधानों, प्राकृतिक आपदाओं, रेलवे आदि द्वारा रेकों की सीमित आपूर्ति आदि के कारण भारतीय खाद्य निगम को अपेक्षित स्तर का स्टाक गोदामों में लाने में कठिनाई आती है। तथापि, पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्यों में भारत सरकार द्वारा किए गए आवंटनों के अनुनसार आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से यथासंभव ज्यादा से ज्यादा स्टाक लाने के लिए भारतीय खाद्य निगम सभी संभव कदम उठा रहा है।

विभाग ने भारतीय खाद्य निगम से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्यान्नों का यथा समय उठान और वितरण सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है।

*[हिन्दी]*

## छोटे और मझौले शहरों का विकास

44. **श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटे और मझौले शहरों के एकीकृत विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गयी योजनाओं का केन्द्र और राज्य सरकारों के अंशदान सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अधीन मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति क्या है और उन प्रस्तावों के नाम क्या हैं जिनके लिए अभी तक आबंटित निधि जारी नहीं की गयी है; और

(ग) सरकार का इन लंबित प्रस्तावों के लिए कब तक निधि जारी करने का प्रस्ताव है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उपघटक छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी), छोटे और मझौले कस्बों में अवस्थापना विकास कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते 7 वर्ष की अवधि (31.03.2012 तक) के लिए दिसंबर, 2005 में शुरू की गई थी। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच निधियों के अंशदान का अनुपात क्रमश: 80:20 है और बाकी 10% नोडल/कार्यान्वयन एजेंसियों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा एकत्र किया जा सकता है। तथापि पूर्वोत्तर

राज्यों और जम्मू-कश्मीर के शहर/कस्बों के मामले में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच अंशदान का अनुपात क्रमशः 90:10 है।

(ख) मध्य प्रदेश की राज्य स्तरीय मंजूरी समिति ने निधि जारी करने के लिए 74 परियोजनाएं संस्तुत की है। इनमें से 112492.74 लाख रु. की लागत और 90220.15 लाख रु. की केन्द्रीय वचनबद्धता वाली 60 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है और अब तक राज्य को 48594.45 लाख रु. जारी किए गए हैं।

(ग) छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति, सुधारों के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

*[अनुवाद]*

## कृषक मित्र

**45. श्रीमती श्रुति चौधरी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी पंचायतों में 'कृषक मित्र' नियुक्त कर दिए हैं और भूमि बंधक विलेखों पर स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान से सीमांत और लघु कृषकों को छूट दी गयी है और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए मृदा-संरक्षण और भूमि-विकास के लिए गए ऋणों की वसूली माफ कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो हरियाणा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) जी, नहीं।

भारत सरकार ने पंचायतों में 'कृषक मित्र' की नियुक्ति नहीं की है। तथापि, 2010-11 के दौरान संशोधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को बढ़ावा" के अंतर्गत सभी राज्यों को शामिल करते हुए प्रत्येक दो गांवों हेतु एक कृषक मित्र अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान रखा है। स्कीम के अंतर्गत प्रति कृषक मित्र, प्रति वर्ष भारत सरकार 2000.00 रु. प्रदान किया जाता है, जिसकी राज्य सरकार द्वारा एक समान पूर्ति की जाती है। इस राशि का उपयोग आकस्मिकता व्यय की पूर्ति के लिए किया जाएगा। जिसे व्यय कृषक मित्र द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वाह हेतु किया जाता है। अब तक 13 राज्यों ने अपने राज्यों में कृषक मित्र के अधिप्रमाणन की रिपोर्ट दी है। तथापि हरियाणा ने अब तक किसी भी कृषक मित्र के पहचान की रिपोर्ट नहीं दी है। 2011-12 के दौरान राज्य-वार, आधिप्रमाणित कृषक मित्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत स्कीम (एडीडब्ल्यूडीआरएस) 2008 के अंतर्गत मार्च, 2007 तक शेड्यूल व्यापारिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी क्रेडिट संस्थानों द्वारा सभी कृषि ऋणों का भुगतान किया गया तथा शेष 31 दिसम्बर, 2007 तक तथा जिनका 9 फरवरी, 2008 तक भुगतान नहीं किया गया, कुछ राज्य सरकारों ने, विशिष्ट मामलों में पूर्व में की गई, वहीं पहले आरंभ की है।

कृषक बंधक विलेखों पर स्टांप ड्यूटी के दर राज्य सरकार द्वारा निश्चित किए जाते है और यही दर राज्य से राज्य के लिए है।

### *विवरण*

| क्र.सं. | राज्य | कृषक समूहों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 250 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 850 |
| 3. | आंध्र प्रदेश | 14062 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 6250 |
| 5. | झारखंड | 5576 |
| 6. | गुजरात | 9300 |
| 7. | मिजोरम | 357 |
| 8. | महाराष्ट्र | 6478 |
| 9. | नागालैंड | 650 |
| 10. | ओडिशा | 6234 |
| 11. | पंजाब | 3291 |
| 12. | राजस्थान | 1225 |
| 13. | तमिलनाडु | 5975 |
| | कुल | 60498 |

## प्रसार भारती की वित्तीय स्थिति

46. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रसार भारती की वित्तीय स्थिति में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रसार भारती के वित्तीय पुनर्गठन का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का प्रसार भारती अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो उक्त अधिनियम में किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों का ब्यौरा क्या है और इन अधिनियमों के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन):** (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग की विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप गत तीन वर्षों के दौरान प्रसार भारती के प्रचालन लागत में वृद्धि हुई है, जबकि नीचे दी गई सारणी में यथा दर्शाए गए संगत वर्षों के दौरान राजस्व में कमिक वृद्धि हुई थी।

**प्रसार भारती की प्रचालन लागत**

(करोड़ रुपए में)

| वर्ष | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|
| योजनेतर | 2233.20 | 2470.40 | 2528.74 |
| राजस्व-योजनागत | 70.44 | 79.39 | 67.77 |
| पूंजी-योजनागत | 215.23 | 150.62 | 148.53 |
| कुल | 2518.88 | 2700.41 | 2745.04 |
| राजस्व: | 1000.91 | 1146.43* | 1270.81* |

*लेखाओं के समाधान के अध्यधीन। इन आंकड़ों में सेवा कर शामिल है।

(ग) और (घ) मंत्री-समूह ने दिनांक 23.06.2011 को हुई अपनी 5वीं बैठक में प्रसार भारती की वित्तीय पुनर्संरचना पर विचार किया और अनुशंसा की कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक के अगले पांच वर्षों के दौरान (1) सरकार वेतन व वेतन से संबंधित व्ययों को पूरा करने तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के संवर्धन/प्रतिस्थापन हेतु शत-प्रतिशत योजनेतर सहायता प्रदान करेगी, (2) प्रचालन व्यय की अन्य सभी मदों को प्रसार भारती द्वारा अपने आंतरिक राजस्व अर्जन में से वहन किया जाना चाहिए, और (3) यदि आवश्यक हो, तो इस मामले की पांच वर्षों के बाद समीक्षा की जाएगी।

मंत्री-समूह की सिफारिशों के अनुसार, प्रसार भारती की वित्तीय व प्रशासनिक पुनर्संरचना के प्रस्ताव को अंतर-मंत्रालयीय परामर्श/टिप्पणियों हेतु परिचालित कर दिया गया है और अभी तक उक्त प्रस्ताव पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) तथा व्यय विभाग की टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।

(ङ) और (च) उक्त अधिनियम की धारा 11 में संशोधन करने के लिए प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) को 9 जनवरी, 2012 को पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है। प्रसार भारती अधिनियम में व्यापक संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

## शहरी गरीबों के लिए आवास

47. **श्री आर. थामराईसेलवन:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी आयोजना की पारम्परिक अवधारणाओं पर पुनर्विचार किए जाने और गरीबों की आवासन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(ग) क्या सतत शहरी विकास के लिए गरीबों हेतु आवासन का विकास किया जाना महत्वपूर्ण है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2005 में आरंभ किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत दोहरी इमदाद की व्यवस्था के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्ग हेतु प्रत्येक नए सार्वजनिक/निजी रिहायशी विकास में

20-25% विकसित भूमि आरक्षित रखने संबंधी सुधार करने का प्रावधान किया गया है।

सरकार के स्लम-मुक्त भारत का निर्माण करने के लक्ष्य के अनुसरण में, दिनांक 2.6.2011 को 'राजीव आवास योजना (रे) नाम की' एक नई स्कीम आरम्भ की गई है। इस स्कीम की सुधार कार्यसूची के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना के प्रथम वर्ष में उपर्युक्त सुधार हेतु एक अधिनियमन लागू करना अनिवार्य है। इसके अलावा, राज्यों/शहरों से आशा की जाती है कि वे शहरी भूमि विकास और भूमि उपयोग नीतियों, संरचना और कार्यनीतियों की समीक्षा करने हेतु समय-सीमा के साथ अपनी वचनबद्धता व्यक्त करें जिससे कि शहर के विकास की संभावित दर पर भूमि का विकास हो सके और भूमि उपयोग तथा नगर आयोजना विनियमन और नियमनों में संशोधन करके इसका अधिकतम और समग्र उपयोग किया जा सके।

(ग) जी, हां।

(घ) राजीव आवास योजना के अंतर्गत यह मंत्रालय इस स्कीम में स्लमवासियों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक राज्यों को स्लम पुनर्विकास हेतु उपयुक्त आश्रय, बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं के प्रावधान और किफायती आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करा रहा है। बुनियादी नागरिक तथा सामाजिक अवसंरचना एवं सुविधाओं तथा आवास जिसमें किराया आवास शामिल है, तथा स्लमों के स्वस्थाने पुनर्विकास के लिए अस्थायी आवास के प्रावधान की 50 प्रतिशत लागत जिसमें इस स्कीम के तहत निर्मित परिसंपत्तियों का प्रचालन और रख-रखाव शामिल है, केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी। पूर्वोत्तर तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत, यदि आवश्यक हो, सहित केन्द्र की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत होगी। राजीव आवास योजना का फेस-1 5000 करोड़ रुपए के बजट से स्कीम के अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए है जबकि फेस-2 बारहवीं योजना की शेष अवधि के लिए होगा।

भागीदारी में किफायती आवास स्कीम जो किफायती आवासों के निर्माण हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन प्रदान करती है, को राजीव आवास योजना में मिला दिया गया है। इस स्कीम के तहत किफायती आवासीय इकाई में 50,000 रुपए प्रति इकाई अथवा नागरिक अवसंरचना (बाह्य एवं आंतरिक) लागत का 25% जो भी कम हो, की दर से केन्द्रीय सहायता मुहैया करायी जाती है।

## सामुदायिक रेडियो स्टेशन

**48. श्री अधीर चौधरी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न हिस्सों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए किन स्थानों की पहचान की गयी है; और

(ग) ये रेडियो स्टेशन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस जगतरक्षकन):** (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो पर एक नीति तैयार की है जिसके तहत देश के किसी भाग से शैक्षिक संस्थाएं, नागरिक समिति व स्वैच्छिक संगठनों जैसे 'गैर-लाभकारी' संगठन, राज्य-कृषि विश्वविद्यालय, आईसीएआर की संस्थाएं, कृषि विज्ञान केन्द्र, पंजीकृत समितियां, स्वायत्तशासी निकाय तथा समिति अधिनियम अथवा इस प्रयोजनार्थ संगत ऐसे किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत लोक न्यास नीतिगत दिशा-निर्देशों में निर्धारित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने की बाबत आवेदन कर सकते हैं। तत्संबंधी ब्यौरा इस मंत्रालय की वैबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) सामुदायिक रेडियो स्टेशन देश के सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के किसी भाग में स्थापित किए जा सकते हैं।

(ग) सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति सभी अंतर-मंत्रालयीय अनापत्तियां प्राप्त होने के पश्चात् जारी की जाती है। अनुमतिधारक के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ अनुमति मंजूरी करार (जीओपीए) पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 3 माह के भीतर सामुदायिक रेडियो स्टेशन को प्रचालित करना आवश्यक होता है।

## भूमि का आबंटन

**49. श्री एस. अलागिरी:**
**श्री अंजनकुमार एम. यादव:**
**श्री माणिकराव होडल्या गावित:**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान तथा चालू वर्ष में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण और भूमि और विकास कार्यालय द्वारा रियायती/छूट प्राप्त/बाजार से कम दरों पर गैर-सरकारी संगठनों सहित जिन न्यासों अस्पतालों होटलों और अन्य संगठनों को भूमि आबंटित की गयी है उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या भूमि आबंटन के मानक निबंधन और शर्तों का कोई उल्लंघन सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण और भूमि और विकास कार्यालय के ध्यान में लाया गया है या इस पर स्वत: कोई संज्ञान लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या इनमें से अधिकांश संगठनों ने सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा भूमि और विकास कार्यालय द्वारा उन्हें भूमि जिस उद्देश्य से आबंटित की गयी थी उससे इतर उपयोग किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन न्यासों और गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं और इन चूककर्ता प्राधिकरणों/संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सूचित किया है कि किसी न्यास, अस्पताल और होटल को उसके द्वारा रियायती/छूट प्राप्त/बाजार मूल्य से कम दरों पर भू-खण्ड आबंटित नहीं किया गया है। तथापि, डी.डी.ए. ने यह भी सूचित किया है कि 1.1.2008 से आज तक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत 35 सोसाइटियों को धार्मिक और सामाजिक-सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए भू-खण्ड आबंटित किए गए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भूमि और विकास कार्यालय (एल. एण्ड डी.ओ.) ने भी सूचित किया है कि उनके द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एन.जी.ओ. सहित न्यासों, अस्पतालों और होटलों और अन्य संगठनों को कोई भूमि खण्ड आबंटित नहीं किया गया है।

(ख) डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि निबंधन और शर्तों के उल्लंघन का कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है।

(ग) से (ङ) (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

### *विवरण*

*1.1.2008 से अब तक विभिन्न श्रेणियों के तहत संस्थागत भू-खण्ड का आबंटन*

| क्र.सं. | श्रेणी | आबंटन की तारीख/ कब्जे की तारीख | सोसाइटी का नाम | आबंटित क्षेत्रफल | स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | सामाजिक सांस्कृति सोसाइटी | 02.04.2008 | मिशिनरी ऑफ चेरेटी | 1050 वर्ग मी. | जंगपुरा |
| 2. | धार्मिक | 17.03.2008 | दिल्ली आर्थोडाकस डाइयोसिस | 400 वर्ग मी. | मयूर विहार (फेज. III) |
| 3. | धार्मिक | 24.03.2008 | राजयोग एजुकेशनल एण्ड रिसर्च फाउंडेशन | 400 वर्ग मी. | द्वारका |
| 4. | धार्मिक | 25.04.2008 | दिल्ली मर्थोमा चर्च | 340.80 वर्ग मी. | मयूर विहार (फेज. III) |
| 5. | धार्मिक | 06.11.2008 | एस.एस. जैन सभा | 378 वर्ग मी. | रोहिणी |
| 6. | धार्मिक | 07.07.2008 | सोना देवी राजा राम चेरिटेबल ट्रस्ट | 400 वर्ग मी. | द्वारका |
| 7. | धार्मिक | 07.11.2008 | श्री सनातन धर्मशाला | 395.58 वर्ग मी. | रोहिणी |
| 8. | धार्मिक | 19.9.2008 | द्वारका काली बाड़ी | 400 वर्ग मी. | द्वारका |
| 9. | धार्मिक | 25.09.2008 | श्री गुरु सिंह सभा | 400 वर्ग मी. | सेक्टर-11, द्वारका |
| 10. | धार्मिक | 29.09.2008 | दर्शगह ई इस्लाम इन्तजामिया कमेटी | 407.17 वर्ग मी. | रोहिणी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | धार्मिक | 22.12.2008 | राहिणी धार्मिक सेवा समिति | 350 वर्ग मी. | रोहिणी |
| 12. | धार्मिक | 20.01.2009 | गुरुद्वारा सध संगत सैनिक विहार | 200 वर्ग मी. | पीतमपुरा |
| 13. | धार्मिक | 06.05.2009 | आर्य समाज सैनिक विहार | 200 वर्ग मी. | सैनिक विहार, पीतमपुरा |
| 14. | सामुदायिक हॉल | 06.08.2009 | आल इंडिया गवर्नमेंट एम्पलाइज, सीएचबीएस | 0.1300 वर्ग मी. | किरन विहार |
| 15. | धार्मिक | 15.06.2009 | आयप्पा सेवा समिति | 392.60 वर्ग मी. | कौंडली-धरोली, मयूर विहार |
| 16. | माध्यमिक विद्यालय | 27.07.2009 | हाई ब्रो एजू.सो. | 6000 वर्ग मी. | कड़कड़डूमा |
| 17. | धार्मिक | 21.10.2009 | श्री गुरु सिंह सभा | 400 वर्ग मी. | द्वारका |
| 18. | धार्मिक | 11.05.2009 | प्राचीन सनातन धर्म सभा | 200 वर्ग मी. | सैनिक विहार, पीतमपुरा |
| 19. | धार्मिक | 21.12.2009 | द. दिल्ली आर्थो. डायोसिसम काउंसिल | 461.60 वर्ग मी. | सै.-3, रोहिणी |
| 20. | धार्मिक | 19.02.2010 | श्री दत्ताचार्य गणबोध सतसंग सभा चेरिटेबल ट्रस्ट | 488.11 वर्ग मी. | द्वारका |
| 21. | धार्मिक | 05.03.2010 | इस्कॉन | 4031.25 वर्ग मी. | रोहिणी |
| 22. | सामाजिक सांस्कृति सोसाइटी | 06.09.2010 | इंस्टरनेशनल मेडीकल साइंसेज एकादमी | 873 वर्ग मी. | सै. ए-7, नरेला |
| 23. | धार्मिक | 13.07.2010 | आर्य समाज सैनिक विहार | 200 वर्ग मी. | सैनिक विहार, पीतमपुरा |
| 24. | धार्मिक | 11.05.2010 | बंगाल वैलफेयर एंड कल्चर एसो. | 364.06 वर्ग मी. | वसुंधरा |
| 25. | धार्मिक | 02.12.2011 | दिल्ली राधास्वामी सतसंग एसो. | 400 वर्ग मी. | सय्यैद नांगलोई |
| 26. | धार्मिक | 25.02.2011 | जितेन्द्र चेरिटेबल सो. | 400.50 वर्ग मी. | द्वारका |
| 27. | धार्मिक | 29.03.2011 | दिल्ली वक्फ बोर्ड | 400 वर्ग मी. | जंगपुर |
| 28. | सामाजिक सांस्कृति सोसाइटी | 21.09.2011 | लर्निंग मेटर एजुकेशनल सो. | 3000 वर्ग मी. | सै.-13, द्वारका |
| 29. | धार्मिक | 29.09.2011 | आध्यात्मिक संस्कृति सेवा मिशन | 437 वर्ग मी. | रोहिणी |
| 30. | धार्मिक | 10.01.2011 | श्री जगन्नाथ रोहिणी सेवा संघ | 430.69 वर्ग मी. | रोहिणी |
| 31. | धार्मिक | 11.01.2011 | श्री बालाजी बाबूसा धार्मिक सो. | 400 वर्ग मी. | रोहिणी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32. | धार्मिक | 01.03.2012 | गुरुद्वारा बाबा साहिब सिंह जी (रजि.) | 400 वर्ग मी. | दुदीयल सीएचबीएस और मधुबन सीएचबीएस, पीतमपुरा के मध्य विद्यमान समीपवर्ती पार्क के निकट |
| 33. | सामाजिक सांस्कृति सोसाइटी | 14.02.2012 | पोपूलर इंस्टीट्यूट एंड सो. फॉर दी ब्लाइंड | 799 वर्ग मी. | प्लाट नं. सीएस/ओसीएफ-7, सै. 24 रोहिणी |
| 34. | धार्मिक | 14.02.2012 | श्री राधाकृष्ण मंदिर सेवा समिति | 400 वर्ग मी. | द्वारका |
| 35. | सामाजिक सांस्कृति सोसाइटी | 10.02.2012 | वॉईस सौ. | 400 वर्ग मी. | प्लाट नं. 6, पीएसपी एरिया, सै. 22, रोहिणी |

## प्रसार भारती में रिक्त पद

**50. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:**
**श्री यशवंत लागुरी:**
**श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:**
**कुमारी सरोज पाण्डेय:**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में प्रसार भारती में उच्च पदों और निचले पदों पर बड़ी संख्या में रिक्तियां मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पदों को भरने के लिए शीघ्र क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ):** (क) और (ख) आकाशवाणी में 8469 पद रिक्त हैं और दूरदर्शन में 5555 पद रिक्त हैं। तत्संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रसार भारती बोर्ड में सदस्य (कार्मिक) और दो अंशकालिक सदस्यों के पद भी रिक्त हैं। ये रिक्तियां सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु व कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण हुई हैं। सीधी भर्ती, विशेषकर समूह 'क' की रिक्तियों को वर्ष 1997 में एक स्वायत्तशासी निगम के रूप में प्रसार भारती की स्थापना होने के समय से भरा नहीं गया है।

(ग) प्रसार भारती के कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए प्रसार भारती भर्ती बोर्ड का गठन करने संबंधी प्रस्ताव तथा प्रसार भारती के कर्मचारियों के संबंध में भर्ती विनियम तैयार करने संबंधी प्रस्ताव पर अंतर-मंत्रालयीय परामर्श चल रहा है। पूर्वोक्त के संबंध में अनुमोदन मिलने के पश्चात् प्रसार भारती में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पदोन्नति संबंधी कोटा के अंतर्गत आने वाली रिक्तियों को समय-समय पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करके भरा जाता है, जोकि एक सतत प्रक्रिया है। प्रसार भारती बोर्ड के सदस्यों का चयन करने संबंधी प्रस्ताव चयन समिति के विचाराधीन है।

### *विवरण*

*प्रसार भारती (आकाशवाणी महानिदेशालय एवं दूरदर्शन महानिदेशालय) में रिक्तियों का समूह-वार ब्यौरा*

| समूह | आकाशवाणी में रिक्तियां | दूरदर्शन में रिक्तियां | कुल रिक्तियां |
|---|---|---|---|
| क | 1279 | 837 | 2116 |
| ख | 1323 | 951 | 2274 |
| ग | 3903 | 2411 | 6314 |
| घ | 1964 | 1356 | 3320 |
| कुल | 8469 | 5555 | 14024 |

## इलायची के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

51. **श्री पी.टी. थॉमसः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आपके मंत्रालय को वाणिज्य मंत्रालय से इलायची के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) इलायची के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने के लिए वाणिज्य विभाग से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## संविदा कृषि

52. **श्रीमती अन्नू टन्डनः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में संविदा कृषि प्रचलन में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विदेशी कंपनियां संविदा कृषि में शामिल हैं;

(घ) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विशिष्ट विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दिशानिर्देश क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार कई राज्यों में संविदा कृषि के विचार को विनियमित करने के लिए किसी विधायी उपाय की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित किए अनुसार विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप में की जा रही संविदा खेती के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) यह बताया गया है कि गुजरात में, एक भारतीय कंपनी के सहयोग से एक विदेशी कंपनी मैकेन इंडिया लि. ने राज्य विपणन बोर्ड से संविदा खेती का उनके करार का पंजीकरण हेतु आवेदन किया है। बोर्ड ने गुजरात सरकार से संविदा खेती के लिए उनके करार को पंजीकृत करने के लिए तदर्थ अनुमति देने की मांग की है।

(घ) समेकित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति, 2011 निम्नलिखित में कृषि और पशुपालन में एफडीआई की व्यवस्था करती है (क) विनियंत्रित अवस्थाओं के अंतर्गत पुष्प खेती, बागवानी, मधुमक्खी पालन और सब्जियों और मशरूम की खेती (ख) बीजों और रोपण सामग्री का विकास एवं उत्पादन (ग) विनियंत्रित अवस्थाओं में पशुपालन (कुत्तों के प्रजनन सहित), मत्स्य पालन, जलचर पालन और (घ) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में संबंधित सेवाएं। इसके अलावा, एफडीआई किसी अन्य कृषि क्षेत्र/गतिविधि में अनुमत नहीं है।

(ङ) और (च) संविदा खेती को विनियंत्रित करने के लिए कृषि माडल राज्य कृषि उत्पादन विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम, 2003 और माडल राज्य एपीएमसी नियमावली, 2007 तैयार की गई है तथा इसे अपनाने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया है। माडल अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, संविदा खेती प्रायोजकों का पंजीकरण, एपीएमसी या अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकारी से संविदा खेती करारों का रिकार्ड करना और विवाद निपटान तंत्र शामिल है। इसमें ऐसे संविदा के अंतर्गत भूमि पर किसानों के हक या अधिकारों के संरक्षण की भी व्यवस्था है। ये किसानों के हितों की रक्षा के लिए अभिष्ट है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ने अपने संबंधित राज्य कानूनों के अंतर्गत संविदा खेती को व्यवहार में लाने के लिए कानूनी प्रावधान किए हैं। चूंकि कृषि विपणन राज्य का विषय है, राज्य सरकारों को कहा गया है कि किसानों के हित में माडल अधिनियम के प्रावधान अपनाएं।

## *विवरण*

*राज्य-वार संविदा खेती*

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | फसल का नाम | कवर किया गया क्षेत्र एकड़ में | कंपनी का नाम | कवर किए गए किसानों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | पंजाब | जौ | 8192 | यूनाईटेड बेवरेजेस लि. | 2048 |
| | | बासमती चावल | 74914 | 1. पेप्सी फूड्स लि.<br>2. मार्कफेड, 3. जीजी एग्रो टेक,<br>4. टाटा केमिकल्स लि.,<br>5. वीटी फाईन फूड्स और<br>6. निरंजन राईस एक्सपोर्टस | 6474 |
| | | सब्जियां | 1122 | पैग्रो फूड्स लि. | 364 |
| | | आलू/आलू बीज | 4062 | टेक्निको एग्रो साइंसेज लि. | 475 |
| 2. | हरियाणा | जौ, सरसों, ग्वार, कपास | 10837 | 1. सरकारी क्षेत्र में हरियाणा स्टेट कोआपरेटिव सप्लाई एवं मार्केटिंग फेड लि. (हेफेड) | 2700 |
| | | जौ | 2300 | 2. मेसर्स एसकेओएल ब्रेवरीज प्रा.लि., गुड़गांव/बंगलौर | |
| | | जौ | 10000 | 3. मेसर्स यूनाइटेड ब्रेवरीज प्रा.चलि., पटियाला | |
| | | आलू | - | मेसर्स टेक्निको एग्रो साइंसेज लि., नई दिल्ली | |
| | | जौ | - | मेसर्स माल्ट कंपनी प्रा.लि., गुड़गांव | |
| 3. | राजस्थान | फलों, सब्जियों औषधीय पौधों, सुगंधित पौधों के लिए अनुमती | अभी तक कोई संविदा खेती करार पंजीकृत नहीं किया गया है। | | |
| 4. | गुजरात | केला | 900 (अनुमानित) प्रस्तावित क्षेत्र) | देसाई शीत भंडार | 900 |
| | | आलू | 600 (अनुमानित प्रस्तावित क्षेत्र) | मैकेन इंडिया लि., भारतीय कंपनी के सहयोग से एक विदेशी कंपनी ने राज्य विपणन बोर्ड से संविदा खेती के उनके करार को पंजीकृत करने के लिए आवेदन किया है। बोर्ड ने सरकार से तदर्थ अनुमति देने की मांग की है। | 700 |
| 5. | ओडिशा | कपास | किसी प्रायोजक ने संविदा खेती को नवीकृत नहीं किया है। | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | महाराष्ट्र | कपास | 40059 | एनसीसी गनपत काटन प्रा.लि., मालकौर | 4320 |
| | | कपास | 26503 | एनसीसी मैटोश्री काटन प्रा.लि., मालकौर | 3818 |
| | | कपास | 6717 | एनसीसी श्री काटन प्रा.लि., हिवरेखेद | 423 |
| | | कपास | 2960 | एनसीसी जय लक्ष्मी फाइबर्स प्रा.लि. धुले | 379 |
| | | कपास | 1088 | एनसीसी नरसिन प्रा.लि. पाथरी | 285 |
| | | कपास | 4958 | एनसीसी सीजी काटन प्रा.लि., तेलगांव | 345 |
| | | कपास | 1941 | एनसीसी अभिनन्दन काटन प्रा.लि., माजालगांव | 231 |
| | | कपास | 429 | एनसीसी सन्तोष फाइबर्स प्रा.लि., जैना | 23 |
| | | केल | 97.50 | देसाई फ्रूट्स एंड वेजीटेवल्स प्रा.लि., कंधार | 5 |
| 7. | कर्नाटक | राज्य में एजीएमसी से कोई पंजीकरण नहीं किया गया। | | | |
| 8. | आंध्र प्रदेश | कपास | कपास के एक लाख हैक्टे. को कवर करने लिए प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। | एनएसएल काटन कार्पोरेशन लि. और मेसर्स एनएसएल टेक्सटाईल्स लि., गुंटुर | प्रक्रियाधीन |
| 9. | असम | कोई कंपनी आगे नहीं आई है। | | | |

स्रोतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई सूचना (2011)

## क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र

**53. श्री ए. सम्पतः** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्रों की संख्या और उनके कार्य क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश में ऐसे और केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त उद्देश्य के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (ग) विज्ञान केन्द्रों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत परियोजनाओं के आधार पर विज्ञान केन्द्र परियोजना की स्थापना से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया जाता है और उनका अनुमोदन किया जाता है। विज्ञान केन्द्रों का मुख्य कार्य, लोगों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति और प्रकृति के विकास को ध्यान में रखते हुए विज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिक का विकास और उद्योग तथा मानव कल्याण में उनके अनुप्रयोजन को चित्रित करना है। उन विज्ञान केन्द्रों की सूची जो विकसित किए गए हैं/विकसित किए जा रहे हैं तथा जिन्हें स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में, भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त और कार्यान्वयन एजेंसी-राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए 47.00 करोड़ रु. की कुल राशि आबंटित की गई है, जिसमें से 32.00 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

**विवरण**

(क) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र

| क्र.सं. | एनसीएसएम के अंतर्गत क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र का नाम | राज्य-वार स्थिति |
|---|---|---|
| 01. | श्री कृष्णा विज्ञान केन्द्र, पटना | बिहार |
| 02. | क्षेत्रीय विज्ञान शहर, लखनऊ | उत्तर प्रदेश |
| 03. | क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, भुवनेश्वर | ओडिशा |
| 04. | रमन विज्ञान केन्द्र और तारामंडल, नागपुर | महाराष्ट्र |
| 05. | क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, तिरूपति | आंध्र प्रदेश |
| 06. | क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, गुवाहाटी | असम |
| 07. | क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, भोपाल | मध्य प्रदेश |
| 08. | क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र एवं तारामंडल, कालीकट | केरल |
| 09. | कुरूक्षेत्र चित्रावली (पनोरमा) एवं विज्ञान केन्द्र, कुरूक्षेत्र | हरियाणा |
| 10. | बर्धमान विज्ञान केन्द्र, बर्धमान | पश्चिम बंगाल |
| 11. | जिला विज्ञान केन्द्र, पुरूलिया | पश्चिम बंगाल |
| 12. | जिला विज्ञान केन्द्र, दीघा | पश्चिम बंगाल |
| 13. | उत्तर बंगाल विज्ञान केन्द्र, सिलीगुडी | पश्चिम बंगाल |
| 14. | धेनकनाल विज्ञान केन्द्र, धेनकनाल | ओडिशा |
| 15. | जिला विज्ञान केन्द्र, धर्मपुर | गुजरात |
| 16. | गोवा विज्ञान केन्द्र, पणजी | गोवा |
| 17. | जिला विज्ञान केन्द्र, गुलबर्ग | कर्नाटक |
| 18. | जिला विज्ञान केन्द्र, तिरूनेलवेली | तमिलनाडु |

(ख) एनसीएसएम द्वारा स्थापित और संबंधित राज्य सरकार के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र

| क्र.सं. | विज्ञान केन्द्र/संग्रहालय | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01. | विज्ञान केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह |
| 02. | मिजोरम विज्ञान केन्द्र, आइजोल | मिजोरम |
| 03. | नागालैंड विज्ञान केन्द्र, दीमापुर | नागालैंड |
| 04. | मणिपुर विज्ञान केन्द्र, मणिपुर | मणिपुर |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 05. | ईटानगर विज्ञान केन्द्र, ईटानगर | अरूणाचल प्रदेश |
| 06. | शिलांग विज्ञान केन्द्र, शिलांग | मेघालय |
| 07. | सिक्किम विज्ञान केन्द्र, गंगटोक | सिक्किम |
| 08. | उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, कलीमपोंग | पश्चिम बंगाल |
| 09. | उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, सोलापुर | महाराष्ट्र |
| 10. | क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, रांची | झारखंड |
| 11. | क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, धारवाड़ | कर्नाटक |

(ग) एनसीएसएम द्वारा स्थापित किए जा रहे क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, जिन्हें संचालन और रख-रखाव के लिए संबंधित सरकारों को सौंपा जाना है:

| क्र.सं. | एनसीएसएम द्वारा अभी स्थापित किए जा रहे क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्रों के नाम | राज्य सरकार जिसे एनसीएसएम द्वारा उक्त केन्द्र को उद्घाटन के बाद रख-रखाव के लिए सौंपा जाना है |
|---|---|---|
| 01. | क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, रायपुर | छत्तीसगढ़ सरकार |
| 02. | क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, जयपुर | राजस्थान सरकार |
| 03. | क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, कोयंबटूर | तमिलनाडु सरकार |
| 04. | क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, पीलीकुला, मंगलोर | कर्नाटक सरकार |
| 05. | क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, पींपरी, चिंचवाड, पुणे | महाराष्ट्र सरकार |
| 06. | क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, देहरादून | उत्तराखंड सरकार |
| 07. | उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, पुदुचेरी | संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी |
| 08. | उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, जोधपुर | राजस्थान सरकार |
| 09. | उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, जोरहाट | असम सरकार |

(घ) 12वीं योजना अवधि में कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र परियोजनाएं

| क्र.सं. | क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र परियोजनाओं का नाम जो कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित हैं | राज्य | संघ राज्य क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 01. | क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, मैसूर | कर्नाटक | - |
| 02. | क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, चंडीगढ़ | - | चंडीगढ़ |
| 03. | विज्ञान केन्द्र, अंबाला | हरियाणा | - |
| 04. | विज्ञान केन्द्र, बारगढ़ | ओडिशा | - |
| 05. | विज्ञान केन्द्र, उदयपुर | त्रिपुरा | - |
| 06. | विज्ञान केन्द्र, श्रीनगर | जम्मू एवं कश्मीर | - |

**बेघर लोग**

**54. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:**
**श्री संजय भोई:**
**श्री जय प्रकाश अग्रवाल:**
**श्री अम्बिका बनर्जी:**
**श्री सी.आर. पाटिल:**
**श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**
**श्री रामसिंह राठवा:**
**श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:**
**श्री देवजी एम. पटेल:**

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार बेघर लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) सभी के लिए आवास कार्यक्रम के अधीन इस मुद्दे के समाधान के लिए कार्य योजना और निर्धारित लक्ष्य तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए संस्वीकृत/जारी और उपयोग की गयी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार और शहर-वार अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों सहित बेघर लोगों, शहरी गरीबों और संस्वीकृत, निर्मित तथा आवंटित आवासों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में बेघरों के लिए सभी मूल-भूत सुविधाओं सहित आश्रय स्थलों की संख्या बढ़ाए जाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यों द्वारा इसमें किस अनुपात में हिस्सेदारी निभायी जाएगी और इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) वर्ष 2001 की जनगणना में पूरे देश में 447,585 बेघर परिवारों का आकलन किया गया था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में बेघर परिवारों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय द्वारा 'सभी के लिए आवास' नामक किसी कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहर के बेघरों को रैन बसेरा के निर्माण की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है क्योंकि 'शहरी बेघरों के लिए रैन बसेरा' स्कीम वर्ष 2005-06 में समाप्त कर दी गई थी।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद (एनएसी) ने आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को शहरी बेघरों को आश्रम मुहैया कराने के लिए 'शहरी बेघरों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' नामक नई स्कीम आरंभ करने की अनुशंसा की है। तथापि, चूंकि यह प्रस्ताव एक आरंभिक अवस्था में है और इसका अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए यह संभव नहीं होगा कि कुल बजट और वित्तपोषण पद्धति सहित इसके वास्तविक कार्यान्वयन की वचनबद्धता की जाए।

***विवरण***

*भारत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बेघर परिवार और जनसंख्या-भारत की जनगणना-2001*

| क्र.सं. | भारत/राज्य संघ-राज्य | कुल/ग्रामीण/शहरी | बेघर परिवार | जनसंख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | भारत | कुल | 447585 | 1943766 |
| | | ग्रामीण | 259775 | 1165167 |
| | | शहरी | 187810 | 778599 |
| 1. | जम्मू और कश्मीर | कुल | 2123 | 12751 |
| | | ग्रामीण | 1641 | 10129 |
| | | शहरी | 482 | 2622 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | हिमाचल प्रदेश | कुल | 1634 | 8364 |
| | | ग्रामीण | 1356 | 7047 |
| | | शहरी | 278 | 1317 |
| 3. | पंजाब | कुल | 8579 | 46958 |
| | | ग्रामीण | 4065 | 23549 |
| | | शहरी | 4514 | 23409 |
| 4. | चंडीगढ़ | कुल | 757 | 2722 |
| | | ग्रामीण | 32 | 41 |
| | | शहरी | 725 | 2681 |
| 5. | उत्तराखंड | कुल | 2940 | 14703 |
| | | ग्रामीण | 1942 | 10768 |
| | | शहरी | 998 | 3935 |
| 6. | हरियाणा | कुल | 11860 | 59360 |
| | | ग्रामीण | 6806 | 35384 |
| | | शहरी | 5054 | 23976 |
| 7. | दिल्ली | कुल | 10044 | 24966 |
| | | ग्रामीण | 235 | 1063 |
| | | शहरी | 9809 | 23903 |
| 8. | राजस्थान | कुल | 27196 | 143497 |
| | | ग्रामीण | 16194 | 87866 |
| | | शहरी | 11002 | 55631 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | कुल | 43033 | 201029 |
| | | ग्रामीण | 21800 | 104387 |
| | | शहरी | 21233 | 96642 |
| 10. | बिहार | कुल | 6940 | 42498 |
| | | ग्रामीण | 4235 | 29768 |
| | | शहरी | 2705 | 12730 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | सिक्किम | कुल | 80 | 286 |
| | | ग्रामीण | 55 | 228 |
| | | शहरी | 25 | 58 |
| 12. | अरुणाचल प्रदेश | कुल | 105 | 442 |
| | | ग्रामीण | 82 | 360 |
| | | शहरी | 23 | 82 |
| 13. | नागालैंड | कुल | 452 | 2002 |
| | | ग्रामीण | 260 | 1254 |
| | | शहरी | 192 | 748 |
| 14. | मणिपुर | कुल | 555 | 2897 |
| | | ग्रामीण | 462 | 2525 |
| | | शहरी | 93 | 372 |
| 15. | मिजोरम | कुल | 72 | 336 |
| | | ग्रामीण | 15 | 73 |
| | | शहरी | 57 | 263 |
| 16. | त्रिपुरा | कुल | 246 | 857 |
| | | ग्रामीण | 162 | 670 |
| | | शहरी | 84 | 187 |
| 17. | मेघालय | कुल | 380 | 1827 |
| | | ग्रामीण | 333 | 1644 |
| | | शहरी | 47 | 183 |
| 18. | असम | कुल | 3126 | 13355 |
| | | ग्रामीण | 2571 | 10989 |
| | | शहरी | 555 | 2366 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | कुल | 19385 | 110535 |
| | | ग्रामीण | 5337 | 19726 |
| | | शहरी | 14048 | 90809 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 20. | झारखंड | कुल | 2559 | 10887 |
| | | ग्रामीण | 1585 | 6998 |
| | | शहरी | 974 | 3889 |
| 21. | ओडिशा | कुल | 13044 | 42871 |
| | | ग्रामीण | 7998 | 31039 |
| | | शहरी | 5046 | 11832 |
| 22. | छत्तीसगढ़ | कुल | 7504 | 28772 |
| | | ग्रामीण | 5611 | 22558 |
| | | शहरी | 1893 | 6214 |
| 23. | मध्य प्रदेश | कुल | 53489 | 231246 |
| | | ग्रामीण | 37827 | 169376 |
| | | शहरी | 15662 | 61870 |
| 24. | गुजरात | कुल | 48095 | 220786 |
| | | ग्रामीण | 31409 | 148691 |
| | | शहरी | 16686 | 72095 |
| 25. | दमन और दीव | कुल | 227 | 1071 |
| | | ग्रामीण | 135 | 659 |
| | | शहरी | 92 | 412 |
| 26. | दादरा और नगर हवेली | कुल | 305 | 1471 |
| | | ग्रामीण | 255 | 1261 |
| | | शहरी | 50 | 210 |
| 27. | महाराष्ट्र | कुल | 87474 | 340924 |
| | | ग्रामीण | 56880 | 236412 |
| | | शहरी | 30594 | 104512 |
| 28. | आंध्र प्रदेश | कुल | 40818 | 163938 |
| | | ग्रामीण | 24167 | 97101 |
| | | शहरी | 16651 | 66837 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 29. | कर्नाटक | कुल | 26057 | 102226 |
| | | ग्रामीण | 14690 | 61898 |
| | | शहरी | 11367 | 40328 |
| 30. | गोवा | कुल | 1393 | 5280 |
| | | ग्रामीण | 701 | 2991 |
| | | शहरी | 692 | 2289 |
| 31. | लक्षद्वीप | कुल | – | – |
| | | ग्रामीण | – | – |
| | | शहरी | – | – |
| 32. | केरल | कुल | 5654 | 16533 |
| | | ग्रामीण | 2885 | 9096 |
| | | शहरी | 2769 | 7437 |
| 33. | तमिलनाडु | कुल | 20532 | 86472 |
| | | ग्रामीण | 7913 | 29344 |
| | | शहरी | 12619 | 57128 |
| 34. | पुडुचेरी | कुल | 710 | 1662 |
| | | ग्रामीण | 81 | 194 |
| | | शहरी | 629 | 1468 |
| 35. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | कुल | 217 | 242 |
| | | ग्रामीण | 55 | 78 |
| | | शहरी | 162 | 164 |

स्रोत: भारत की जनगणना-2001 के प्राथमिक जनगणना सार।

*[हिन्दी]*

**खेलों को प्रोत्साहन**

55. **श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल:**
**श्री नारनभाई कछाड़िया:**

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में क्रिकेट के अलावा अन्य किसी खेल को प्रोत्साहन नहीं दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय/परम्परागत खेलों जैसे कबड्डी, हॉकी आदि को प्रोत्साहन देने का है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान, राज्य-वार और खेल के नाम-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि का आवंटन एवं उपयोग हुआ; और

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने के लिये निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है?

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) और (ख) विशिष्ट खेल विधा को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी उनसे संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफएस) की है। तथापि, एनएसएफएस के प्रयासों की प्रतिपूर्ति हेतु मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एनएसएफएस को अपेक्षित सहायता प्रदान करते है। सहायता का स्तर संबंधित एनएसएफएस के साथ परामर्श से निर्धारित दीर्घावधि विकास योजनाओं (एलटीडीपीएस) के अनुसार निर्धारित किया गया है। वर्तमान में मंत्रालय 45 राष्ट्रीय खेल परिसंघों को उनकी संबंधित खेल विधाओं को बढ़ावा देने और विकास के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। मंत्रालय क्रिकेट को बढ़ावा देने हेतु बीसीसीआई को सहायता प्रदान नहीं करता चूंकि बीसीसीआई आत्म निर्भर होने के कारण क्रिकेट के खेल को स्वयं बढ़ावा देती है।

(ग) और (घ) मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की वर्तमान योजनाएं परंपरागत तथा देशी खेलों जैसे तीरदांजी, शतरंज, कबड्डी, हॉकी, कुश्ती, रस्साकशी, खो-खो आदि पर पर्याप्त ध्यान देती है। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता संबंधी योजना के अंतर्गत, देशी/परंपरागत खेलों से जुड़े खेल परिसंघों सरकारी मान्यता प्राप्त की गई है और उनसे संबंधित विधाओं को बढ़ावा देने और विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की गयी है।

एनएसएफएस को सहायता संबंधी योजना के अंतर्गत देशी/परंपरागत खेलों से जुड़े खेल परिसंघों को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रदत्त वित्तीय सहायता का विवरण निम्नलिखित है:

(रुपये लाखों में)

| क्र.सं. | एनएसएफ का नाम | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 (दिसम्बर 2011 तक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भारतीय तीरंदाजी संघ | 96.10 | 368.31 | 32.10 | 93.68 |
| 2. | अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ | 221.40 | 163.00 | 180.05 | 162.13 |
| 3. | भारतीय आत्या पात्या परिसंघ | 16.50 | 5.92 | 12.00 | 10.05 |
| 4. | भारतीय खो-खो परिसंघ | 0.00 | 4.50 | 7.50 | 16.50 |
| 5. | हॉकी (पुरुष एवं महिला)* | 231.50 | 619.18 | 424.51 | 423.05 |
| 6. | भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ | 32.08 | 11.77 | 10.00 | 119.50 |
| 7. | भारतीय रस्साकस्सी परिसंघ | 6.00 | 9.75 | 16.00 | 11.75 |
| 8. | भारतीय कुश्ती परिसंघ | 200.42 | 476.00 | 148.00 | 573.51 |

*हॉकी के लिए अनुदान भारतीय हॉकी परिसंघ, भारतीय हॉकी परिसंघ (महिला), हॉकी के लिए तदर्थ समिति, हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण को जारी किये गये।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में अधिक पदक जीतने की तैयारियां एक सतत् प्रक्रिया है और यह राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ परामर्श से निर्धारित दीर्घावधि विकास योजनाओं (एलटीडीपीएस) पर आधारित होती है। सरकार एनएसएफएस को विभिन्न कार्यकलापों जैसे कि भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं आयोजित करने, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों/टीमों के भाग लेने और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कोचों की नियुक्ति तथा उपस्करों और उपभोज्य सामान की खरीद हेतु सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, अभिज्ञात संभावित पदक विजेताओं की विशेष कोचिंग/प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

मंत्रालय द्वारा प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण संबंधी योजना के अंतर्गत तथा राष्ट्रीय खेल विकास निधि के माध्यम से सीधे खिलाड़ियों को ही देश और विदेश में उपकरणों की खरीद, वैज्ञानिक सहायता की व्यवस्था और खेलों में भाग लेने के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है।

*[अनुवाद]*

**कैदियों द्वारा मोबाइल फोन का दुरुपयोग**

**56. श्री वैजयंत पांडा:**
**श्री नित्यानंद प्रधान:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की जेलों/कैद-कोठरियों में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के दुरुपयोग के अनेक मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह जानने के लिए कि कैद कोठरियों में ये मोबाइल कैसे पहुंचे, अनियमितता संबंधी कोई जांच की है तथा जिम्मेदारी निर्धारित की है तथा दोषी कर्मचारियों को दण्डित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन खोज अभियानों में कितने मोबाइल फोन जब्त किये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस कमी को दूर करने हेतु उच्च सुरक्षा प्राप्त जेलों सहित व्यक्तिगत कैद कोठरियों में मोबाइल-जामर्स की स्थापना की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) से (छ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 4 के अंतर्गत 'कारागार' राज्य का विषय है, अत: कारागारों का प्रशासन प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हाल ही में जेल अधिकारियों द्वारा केरल की विभिन्न जेलों में की गई तलाशी के दौरान कैदियों से 120 मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। भारत सरकार ने जेलों में मोबाइल फोन के प्रयोग के संबंध में दिनांक 7.6.2010 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुपालना के लिए एक विशेष परामर्शी पत्र जारी किया है जिसमें सेल फोनों पर लेन-देन को रोकने के लिए जेलों में जैमरों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

**पशुपालन और बागवानी क्षेत्रों में वृद्धि**

**57. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फसल क्षेत्र में तेजी से वृद्धि होने पर पशुपालन मात्स्यिकी और बागवानी क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पशुपालन, मात्स्यिकी तथा बागवानी क्षेत्रों को बढ़ावा देने हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त नीतिगत उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) जी, हां।

(ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग इन क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं। इन योजनाओं के नाम संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पशुपालन और डेयरी तथा मात्स्यिकी पर एक कार्यदल तथा बागवानी और बागान पर एक कार्यदल गठित किया है। इन कार्यदलों ने इन क्षेत्रों पर अधिक बल देने की सिफारिश की है। अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।

***विवरण***

**बागवानी विकास के लिए योजनाएं**

- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन
- शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन

**पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं**

- केन्द्रीय क्षेत्र की योजना जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का समेकित विकास
- सुअर विकास
- चारा और आहार विकास योजना

- पशुधन स्वास्थ्य
- राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना
- जुगाली करने वाले छोटे पशुओं, खरगोशों, सूअरो, भारवाही पशुओं और अश्वों के संकटाधीन नस्लों का संरक्षण
- पशुधन बीमा
- केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन
- क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र
- केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म
- केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म

**मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं**

- अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास
- समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचना और पोस्ट हार्वेस्ट संचलनों का विकास
- मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण
- मात्स्यिकी संस्थानों और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को सहायता

*[हिन्दी]*

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विरुद्ध अपराध**

58. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में महिलाओं विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अलग-अलग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्य-वार कुल कितने मामले दर्ज किये गये;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कुल कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) भविष्य में इन घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) से (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2008, 2009 और 2010 के संबंध में महिलाओं के प्रति अपराध के लिए विभिन्न शीर्षों के तहत कारित अपराधों तथा पंजीकृत मामलों, आरोप पत्रित मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप पत्रित व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के प्रति कारित अपराध के तहत गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ किए गए बलात्कार से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा एकत्र किए जाते हैं। वर्ष 2008, 2009 और 2010 के दौरान देश में गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ किए गए बलात्कार के क्रमश: 1457, 1346 और 1349 मामले और गैर अनुसूचित जनजाति द्वारा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ किए गए बलात्कार के क्रमश: 585, 583 तथा 654 मामले दर्ज किए गए थे। तथापि, अन्य राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं के प्रति कारित अपराध से संबंधित आंकड़े एनसीआरबी द्वारा पृथक रूप से नहीं रखे जाते हैं।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की महिलाओं के प्रति अपराध सहित, अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, जांच-पड़ताल और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, संघ सरकार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम और नियंत्रण को अत्यधिक महत्व देती है। गृह मंत्रालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के प्रति अपराध के संबंध में क्रमश: दिनांक 01 अप्रैल, 2010 तथा 4 सितम्बर, 2009 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत सलाहें भेजी हैं।

महिलाओं से संबंधित सलाहों में, अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं के प्रति हिंसा के दोषी पाए गए व्यक्तियों को तत्काल एवं निवारक दण्ड देने हेतु समुचित उपाय करने, जांच-पड़ताल की गुणवत्ता में सुधार लाने, महिलाओं के प्रति अपराध की जांच में विलम्ब को कम करने, जिलों में "महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ" स्थापित करने, पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने, विशेष महिला न्यायालयों की स्थापना करने और काल सेन्टरों में रात्रि की पारी में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कदम उठाए जाने की सलाह दी गई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 'महिला प्रकोष्ठ' रात्रि स्थापित करने लिए हैं। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी जिला स्तरों पर "समस्त महिला पुलिस स्टेशन" और पुलिस स्टेशन स्तर पर" महिला/बाल सहायता डेस्क" स्थापित किए हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित सलाहों में, विभिन्न कदमों यथा सांविधिक प्रावधानों तथा विद्यमान विधानों का सख्त एवं सावधानीपूर्ण प्रवर्तन: समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति कारित अपराधों के प्रति विधि प्रवर्तन मशीनरी को सुग्राही बनाने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति कारित अपराधों से संबंधित विधानों के बारे में जन-जागरूकता में सुधार लाने, हिंसा, गाली-गलौच एवं शोषण के मामलों को रोकने के लिए सामुदायिक निगरानी तंत्र विकसित करने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति कारित अपराध के मामलों में एफआईआर दर्ज करने में देरी न करने, निवारक उपाय करने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने, अत्याचार के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त उपाय कने का उल्लेख किया गया है।

## *विवरण*

*वर्ष 2008-2010 के दौरान महिलाओं के प्रति कुल अपराधों* के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले, (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप-पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)*

| क्र.सं. | राज्य | 2008 | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सीआर | सीएस | सीवी | पीएआर | पीसीएस | पीसीवी | सीआर | सीएस | सीवी | पीएआर | पीसीएस | पीसीवी | सीआर | सीएस | सीवी | पीएआर | पीसीएस | पीसीवी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 24111 | 20107 | 2948 | 35831 | 35377 | 4507 | 25569 | 20907 | 2668 | 36465 | 34101 | 4118 | 27244 | 23851 | 3166 | 38570 | 39417 | 4472 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 175 | 122 | 18 | 180 | 139 | 25 | 164 | 147 | 25 | 182 | 158 | 25 | 190 | 117 | 11 | 197 | 138 | 12 |
| 3. | असम | 8122 | 4776 | 436 | 8531 | 5814 | 1007 | 9721 | 5324 | 622 | 11810 | 6435 | 892 | 11555 | 6293 | 522 | 12996 | 7496 | 833 |
| 4. | बिहार | 8662 | 5654 | 881 | 14223 | 12348 | 1603 | 8803 | 5423 | 788 | 14457 | 12000 | 1822 | 8471 | 5281 | 861 | 13134 | 12422 | 1554 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 3962 | 3796 | 682 | 6026 | 5896 | 1097 | 4002 | 3928 | 669 | 6337 | 6259 | 866 | 4176 | 3917 | 860 | 6577 | 6481 | 1343 |
| 6. | गोवा | 130 | 89 | 22 | 176 | 144 | 49 | 164 | 97 | 20 | 235 | 158 | 27 | 140 | 127 | 13 | 214 | 217 | 16 |
| 7. | गुजरात | 8616 | 8165 | 289 | 22194 | 22258 | 631 | 8009 | 7449 | 236 | 21170 | 21336 | 825 | 8148 | 7690 | 228 | 20459 | 20277 | 974 |
| 8. | हरियाणा | 5142 | 3690 | 869 | 7421 | 7397 | 1407 | 5312 | 3726 | 851 | 7350 | 7371 | 1403 | 5562 | 3960 | 903 | 7540 | 7232 | 1712 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 979 | 796 | 86 | 1494 | 1462 | 143 | 954 | 899 | 65 | 1428 | 1527 | 122 | 1028 | 817 | 51 | 1481 | 1464 | 97 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 2295 | 1619 | 92 | 3233 | 3233 | 176 | 2624 | 2125 | 207 | 4095 | 4086 | 362 | 2611 | 1813 | 145 | 3569 | 3544 | 215 |
| 11. | झारखंड | 3183 | 2584 | 579 | 4932 | 4503 | 947 | 3021 | 2797 | 1076 | 4309 | 4205 | 1645 | 3087 | 2607 | 618 | 5172 | 6031 | 1156 |
| 12. | कर्नाटक | 6890 | 5904 | 486 | 12780 | 11972 | 1081 | 7852 | 6387 | 368 | 13941 | 13432 | 833 | 8807 | 7282 | 511 | 15179 | 13880 | 868 |
| 13. | केरल | 8117 | 7203 | 553 | 11353 | 11410 | 851 | 8049 | 7759 | 664 | 11132 | 11694 | 1068 | 9463 | 8871 | 637 | 13253 | 13471 | 886 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 14908 | 14447 | 4941 | 26163 | 26100 | 10908 | 15827 | 15887 | 3657 | 28262 | 28193 | 5430 | 16468 | 16083 | 4177 | 27814 | 27837 | 7525 |
| 15. | महाराष्ट्र | 15862 | 14748 | 698 | 38390 | 37015 | 1224 | 15048 | 14393 | 636 | 41095 | 39858 | 1116 | 15737 | 14661 | 565 | 40377 | 39236 | 1073 |
| 16. | मणिपुर | 211 | 66 | 0 | 147 | 6 | 0 | 194 | 8 | 0 | 183 | 10 | 0 | 190 | 6 | 1 | 141 | 7 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | मेघालय | 208 | 75 | 25 | 161 | 90 | 24 | 237 | 130 | 12 | 178 | 190 | 12 | 261 | 133 | 7 | 228 | 130 | 8 |
| 18. | मिजोरम | 162 | 147 | 125 | 177 | 159 | 134 | 150 | 160 | 117 | 165 | 235 | 123 | 170 | 171 | 159 | 194 | 210 | 250 |
| 19. | नागालैंड | 47 | 36 | 24 | 68 | 40 | 26 | 46 | 49 | 26 | 72 | 62 | 54 | 41 | 39 | 33 | 66 | 54 | 18 |
| 20. | ओडिशा | 8303 | 6618 | 633 | 10910 | 10760 | 1185 | 8120 | 6576 | 486 | 11346 | 11142 | 742 | 8501 | 8635 | 485 | 16112 | 16298 | 932 |
| 21. | पंजाब | 2627 | 1852 | 378 | 4233 | 3943 | 779 | 2631 | 1849 | 565 | 4100 | 3428 | 1034 | 2853 | 1932 | 497 | 4646 | 4367 | 1084 |
| 22. | राजस्थान | 14491 | 8925 | 2619 | 14097 | 14080 | 4099 | 17316 | 10092 | 2408 | 15455 | 15455 | 15460 | 4006 | 18182 | 10232 | 15335 | 15321 | 3720 |
| 23. | सिक्किम | 48 | 49 | 9 | 55 | 56 | 9 | 41 | 63 | 19 | 76 | 66 | 25 | 42 | 58 | 6 | 68 | 57 | 5 |
| 24. | तमिलनाडु | 7220 | 5834 | 2104 | 11345 | 10304 | 3185 | 6051 | 4858 | 1596 | 9450 | 9499 | 2977 | 6708 | 4780 | 1749 | 9649 | 8841 | 2809 |
| 25. | त्रिपुरा | 1416 | 1292 | 97 | 1774 | 1517 | 90 | 1517 | 1406 | 87 | 2727 | 1910 | 121 | 1678 | 1360 | 95 | 2127 | 1611 | 144 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 23569 | 17802 | 8900 | 57874 | 46420 | 22787 | 23254 | 17364 | 8555 | 63332 | 47745 | 23471 | 20169 | 14401 | 10307 | 58330 | 41235 | 27706 |
| 27. | उत्तराखंड | 1151 | 918 | 354 | 1690 | 1694 | 1227 | 1188 | 999 | 397 | 2064 | 1963 | 974 | 1074 | 864 | 499 | 1750 | 1683 | 1075 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 20912 | 15120 | 540 | 24328 | 22167 | 650 | 23307 | 18648 | 467 | 20671 | 19765 | 651 | 26125 | 23528 | 435 | 26549 | 28005 | 628 |
| | कुल राज्य | 191519 | 152374 | 29388 | 319786 | 296304 | 59851 | 199171 | 159450 | 27287 | 332087 | 302289 | 55744 | 208681 | 169509 | 29613 | 341727 | 316962 | 61116 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 80 | 55 | 0 | 85 | 87 | 0 | 92 | 64 | 2 | 126 | 108 | 2 | 85 | 68 | 0 | 131 | 112 | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ | 143 | 92 | 22 | 216 | 138 | 39 | 150 | 64 | 43 | 158 | 148 | 69 | 141 | 90 | 44 | 138 | 124 | 57 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 28 | 26 | 0 | 64 | 54 | 0 | 20 | 18 | 3 | 20 | 34 | 4 | 30 | 17 | 6 | 46 | 31 | 8 |
| 32. | दमन और दीव | 15 | 11 | 0 | 51 | 69 | 0 | 13 | 7 | 0 | 38 | 17 | 0 | 14 | 11 | 0 | 51 | 42 | 0 |
| 33. | दिल्ली संघ शासित क्षेत्र | 3938 | 2784 | 482 | 3115 | 4237 | 856 | 4251 | 2569 | 623 | 2753 | 3339 | 800 | 4518 | 2428 | 586 | 3040 | 2852 | 997 |
| 34. | लक्षद्वीप | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35. | पुडुचेरी | 129 | 113 | 17 | 191 | 194 | 27 | 106 | 119 | 19 | 152 | 176 | 47 | 115 | 109 | 21 | 205 | 203 | 48 |
| | कुल संघ शासित क्षेत्र | 4337 | 3082 | 522 | 3724 | 4780 | 923 | 4633 | 2844 | 690 | 3249 | 3825 | 922 | 4904 | 2724 | 657 | 3612 | 3365 | 1110 |
| | कुल अखिल भारत | 195856 | 155456 | 29910 | 323510 | 301084 | 60774 | 203804 | 162294 | 27977 | 335336 | 306114 | 56666 | 213585 | 172233 | 30270 | 345339 | 32032 | 62226 |

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

*मामलों के प्रति कुल अपराध में निम्नलिखित शीर्ष शामिल हैं:- महिलाओं एवं लड़कियों का बलात्कार, अपहरण एवं व्यपहरण, दहेज हत्या, छेड़छाड़, यौन-उत्पीड़न, पति एवं रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता, लड़कियों की खरीद, अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण अधिनियम), दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन अधिनियम और सती निवारण अधिनियम।

**किसान आयोग**

59. **श्री रामसिंह कस्वां:**
**श्री पी. करूणाकरन:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने सरकार के पास अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) अब तक उक्त रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) जी, हां।

(ख) एनपीएफ, 2007 के अंतर्गत भूमि, जल, पशुधन, मछली पालन एवं जैव-संसाधनों के संबंध में कृषकों को सशक्त बनाने के लिए परिसम्पत्ति सुधारों के साथ-साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कृषि मौसम विज्ञान, मौसम परिवर्तन, आदान एवं सेवाएं, क्रेडिट, बीमा सहकारिताओं, विस्तार प्रशिक्षण एवं जानकारी-कनेक्टिविटी, विपणन एवं प्रसंस्करण सहित समर्थन सेवाएं, जनजातीय किसानों, पौधरोपण करने वाले किसानों आदि जैसे विशेष वर्गों के लिए विशिष्ट पहल, जैविक खेती, हरित कृषि आदि को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थागत समर्थन, कृषि संकटग्रस्त क्षेत्रों पर विशेष ध्यान तथा सहकारिता कृषि, समूह खेती, अनुबंध खेती आदि के माध्यम से छोटे तथा सीमांत किसानों की आय को बढ़ाना, शामिल है।

(ग) एनपीएफ, 2007 के प्रचालन के लिए एक अंत:-मंत्रालयी समिति ने कार्य योजना को तैयार किया है, जिसे उपर्युक्त कार्य हेतु राज्य सरकारों के साथ केन्द्रीय मंत्रालयों/संबंधित विभागों को परिचालित कर दिया गया था।

**खाद्यान्न उत्पादकता**

60. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
**श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:**
**डॉ. एम. तम्बिदुरई:**
**श्री जगदानंद सिंह:**
**श्री धर्मेन्द्र यादव:**
**श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:**
**श्रीमती सुशीला सरोज:**
**श्री गजानन ध. बाबर:**
**श्रीमती ऊषा वर्मा:**
**श्री महेश्वर हजारी:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न उत्पादकता के बारे में आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में औसत उत्पादन की तुलना में कम उत्पादन करने वाले राज्यों में कम उत्पादन के कारणों की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या प्रयत्न कर रही है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) से (ग) जी हां महोदया, कृषि मंत्रालय के पास राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरणों (एसएएसए) से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर देश में मुख्य कृषि फसलों के क्षेत्र, उत्पादन एवं पैदावार के नियमित मूल्यांकन संबंधी एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। विभिन्न फसलों के उत्पादन के मूल्यांकन के लिए, राज्य सरकारें 20 प्रतिशत गांव के एक नमूने में क्षेत्रीय मूल्यांकन तथा फसल कटाई प्रयोगों की अपेक्षित संख्या से संकलित पैदावार अनुमानों के आधार पर क्षेत्रीय अनुमानों का उपयोग करती है।

खाद्यान्नों सहित विभिन्न कृषि फसलों की उत्पादकता में अंतरण के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होते हैं। प्राकृतिक भू-उर्वरकता में अंतर के अलावा, खाद्यान्नों की कम उत्पादकता के मुख्य कारणों में शामिल हैं, वर्षा के असमान वितरण, मानसून पर निर्भरता, छोटे एवं खंडित भूमि जुताई, अनुचित पोषाहार एवं कीटप्रबंधन, अच्छी गुणवत्ता बीजों का कम उपयोग, पर्याप्त कृषि मशीनरी की कमी तथा व्यवसायों के उन्नत पैकेज को कम अपनाना आदि।

(घ) देश में खाद्यान्नों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा अनेकों फसल विकास योजनाएं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है नामत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएसएम), एकीकृत तिलहन, दलहन, पामआयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम), वृहत कृषि प्रबंधन के तहत चावल/गेहूं मोटे अनाजों के लिए एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कृषि

विकास योजना (आरकेवीवाई)। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त, 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दो नए कार्यक्रमों अर्थात् पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन एवं तिलहन गांवों के एकीकृत विकास की शुरुआत की गयी है। दलहन उत्पादन के लिए आइसोपाम के दलहन घटक को मिलाकर तथा दो नए संभावित राज्यों नामतः असम एवं झारखंड को शामिल करके 1.4.2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को सुदृढ़ किया गया है। देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों में पांच दलहन फसलों के प्रति 1000 हैक्टेयर वाले 1000 एककों को शामिल करने के लिए ब्लाक प्रदर्शनों के रूप में 'त्वरितदलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए3पी)' नामक एक नया कार्यक्रम की भी शुरूआत की गयी है।

उच्चतर कृषि उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) फसल सुधार से संबंधित मूल एवं नीतिगत अनुसंधान, कृषि जैविकीय क्षेत्रों के अनुसार स्थान विशिष्ट किस्मों तथा प्रौद्योगिकियों के विकास सहित विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल लाभप्रद फसल पद्धतियों के मद में इन फसलों के उत्पादन एवं रक्षात्मक प्रौद्योकियां, गैर-परंपरागत क्षेत्रों एवं मौसम के उपयुक्त संबंधित उत्पादन के उपयुक्त किस्मों/हाईब्रीडों तथा संबंधित उत्पादन एवं रक्षात्मक प्रौद्योगिकियों के विकास का कार्य कर रहा है। इन पहलों के परिणामस्वरूप, विशिष्ट क्षेत्रों के साथ भिन्न-भिन्न कृषि जैविकीय क्षेत्रों की बेहतर अनुकूलता के साथ उन्नत किस्मों/हाईब्रीडों वाली फसलों को विकसित किया गया है। प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने तथा उसे अपनाना फ्रंटलाइन प्रदर्शनों (एफएलडी) के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं।

*[अनुवाद]*

## माओवादियों के प्रभाव का विस्तार

61. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:**
**श्री कोडिकुन्नील सुरेश:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ राज्यों के पंचायत चुनाव में माओवादी समर्थित उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) और (ख) उपलब्ध जानकारियों से पता चलता है कि ओडिशा में हाल में आयोजित पंचायत चुनावों में निर्विरोध चुने गए कुछ प्रत्याशी माओवादी समर्थक हैं।

(ग) बल प्रयोग जैसे साधनों के कारण निर्विरोध चुने जा रहे ऐसे प्रत्याशियों की संभावना के मद्देनजर ओडिशा सरकार से इस संबंध में उचित उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

*[हिन्दी]*

## दिल्ली नगर निगम में केन्द्रीय नियंत्रण

62. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:**
**श्रीमती रमा देवी:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में भ्रष्टाचार उन्मूलन पर असम से कार्रवाई करने एवं रिपोर्ट तैयार करने हेतु नवसृजित केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों के निपटान करने के लिये कोई तंत्र तैयार करने की दिशा में कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में भ्रष्टाचार रोकने हेतु किस सीमा तक लाभकारी होगा?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा स्थापित केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष (सीसीआर) केवल लोक सेवाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज करता है जैसे कि अप्राधिकृत निर्माण, अधिक्रमण, अस्वच्छता, जल भराव आदि। सीसीआर में प्राप्त शिकायतें त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित जोनल नियंत्रण कक्षों/विभागों के अध्यक्षों को भेज दी जाती हैं। तथापि, भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें सीसीआर में प्राप्त नहीं की जाती हैं।

जहां तक एमसीडी में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों का संबंध है, एमसीडी में दण्डात्मक और निवारक सतर्कता के लिए समग्र जिम्मेदारी इसके सतर्कता विभाग को सौंपी गई है, जो सभी स्रोतों से शिकायतें प्राप्त करता है और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उनकी संवीक्षा करता है।

## झुग्गी झोंपड़ियों में मूल सुविधाएं

63. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के बड़े महानगरों की झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों को मूल सुविधाएं जैसे विद्युत, जल, सीवरेज और पर्यावरणीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई ठोस उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान सरकार ने देश में झुग्गी झोपड़ियों के विकास एवं सिविल सुविधाएं प्रदान करने हेतु निधियां आबंटित की हैं; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष-वार/राज्य-वार/महानगर-वार ब्यौरा क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएन-यूआरएम) के शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) के अंतर्गत प्रमुख महानगरों सहित चयनित 65 शहरों में शहरी गरीबों/स्लम वासियों के लिए आवास और संबंधित बुनियादी नागरिक सुविधाएं आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया कर रही है। बीएसयूपी के अंतर्गत स्वीकार्य घटकों में पथ प्रकाश, स्लमों का पर्यावरणीय सुधार, ठोस कचरा प्रबंधन, जलापूर्ति/सीवरेज/जलनिकासी, सामुदायिक शौचालय/स्नानघर आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बीएसयूपी के अंतर्गत आबंटित और जारी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। अभी तक महानगरों को आबंटित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

## *विवरण I*

*नया एसीए आबंटन, अनुमोदित और जारी राशि-बीएसयू (6.3.2012)*

| क्र.सं. | राज्य | बीएसयूपी 2005-12 के अंतर्गत कुल नया एसीए आबंटन | बीएसयूपी के तहत अनुमोदित कुल एसीए | | | | | | | | बीएसयूपी के तहत वित्त एवं गृह मंत्रालय द्वारा जारी एसीए | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | अनुमोदित कुल एसीए | वर्ष 2005-06 | वर्ष 2006-07 | वर्ष 2007-08 | वर्ष 2008-09 | वर्ष 2009-10 | वर्ष 2010-11 | वर्ष 2011-12 | जारी कुल एसीए (परियोजनाएं) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1547.42 | 311.95 | 284.34 | 249.00 | 650.50 | 0.00 | 0.00 | 58.93 | 1554.72 | 62.89 | 81.85 | 149.83 | 247.85 | 240.89 | 306.93 | 113.64 | 1203.89 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 43.95 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 40.59 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 54.47 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 10.99 | 0.84 | | 12.67 |
| 3. | असम | 121.94 | 0.00 | 0.00 | 48.56 | 49.04 | 0.00 | 0.00 | | 97.60 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 0.00 | 24.40 | 12.26 | | 48.80 |
| 4. | बिहार | 531.54 | 0.00 | 0.00 | 179.54 | 133.22 | 0.00 | 0.00 | | 312.76 | 0.00 | 0.00 | 44.89 | 33.30 | | | | 78.19 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 385.21 | 0.00 | 312.18 | 0.00 | 23.03 | 29.78 | 0.00 | | 364.99 | 0.00 | 78.05 | 0.00 | 0.00 | 83.80 | 7.44 | | 169.29 |
| 6. | गोवा | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4.60 | 0.00 | | 1.15 | 0.00 | | | | 1.15 |
| 7. | गुजरात | 1015.56 | 0.00 | 489.16 | 115.64 | 78.74 | 103.22 | 12.49 | 130.86 | 930.11 | 0.00 | 98.68 | 86.97 | 175.34 | 137.25 | 158.44 | 23.41 | 680.09 |
| 8. | हरियाणा | 57.31 | 0.00 | 31.18 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31.18 | 0.00 | 4.58 | 3.22 | 15.59 | | 7.80 | | 31.18 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 31.29 | 0.00 | 7.05 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18.27 | 0.00 | 1.76 | 2.81 | 0.00 | | | | 4.57 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 140.18 | 0.00 | 0.00 | 84.88 | 49.56 | 0.00 | 0.00 | | 134.44 | 0.00 | 0.00 | 21.22 | 7.47 | 4.92 | 3.19 | 3.19 | 39.99 |
| 11. | झारखंड | 351.09 | 0.00 | 0.00 | 132.91 | 118.68 | 0.00 | 77.15 | | 328.74 | 0.00 | 0.00 | 33.23 | 9.67 | 1.80 | 37.48 | | 82.18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | कर्नाटक | 407.97 | 0.00 | 125.40 | 147.57 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | | 407.97 | 0.00 | 27.71 | 40.53 | 21.88 | 74.37 | 49.97 | 39.06 | 253.52 |
| 13. | केरल | 250.00 | 0.00 | 47.17 | 155.22 | 31.18 | 0.00 | 0.00 | | 233.57 | 0.00 | 11.84 | 38.81 | 0.00 | 24.00 | 50.72 | | 125.37 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 351.10 | 37.38 | 206.02 | 13.27 | 87.59 | 0.00 | 0.00 | | 344.26 | 9.25 | 39.54 | 18.87 | 17.80 | 51.63 | 56.65 | 15.69 | 209.43 |
| 15. | महाराष्ट्र | 3372.56 | 0.00 | 1029.22 | 632.61 | 705.34 | 467.99 | 0.00 | 86.25 | 2921.41 | 0.00 | 287.58 | 185.59 | 436.48 | 232.55 | 293.87 | 182.63 | 1618.70 |
| 16. | मणिपुर | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.98 | | 10.98 | 21.96 |
| 17. | मेघालय | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 23.77 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 10.09 | | 10.09 | 26.12 |
| 18. | मिजोरम | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 28.91 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 12.80 | 7.23 | 12.80 | 40.06 |
| 19. | नागालैंड | 105.60 | 0.00 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105.60 | 0.00 | 15.51 | 26.28 | 11.01 | | 26.40 | | 79.20 |
| 20. | ओडिशा | 78.74 | 0.00 | 0.00 | 48.77 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | | 54.18 | 0.00 | 0.00 | 12.19 | 1.35 | | 9.95 | 6.36 | 29.85 |
| 21. | पंजाब | 444.46 | 0.00 | 0.00 | 36.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36.15 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 8.32 | 9.04 | | 26.40 |
| 22. | राजस्थान | 383.46 | 0.00 | 84.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.11 | | 172.68 | 0.00 | 24.85 | 17.45 | 0.00 | | 43.17 | | 85.47 |
| 23. | सिक्किम | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | | 29.06 | 0.00 | | 0.70 | 0.00 | 6.56 | 7.96 | 6.57 | 21.79 |
| 24. | तमिलनाडु | 1107.80 | 0.00 | 357.66 | 587.69 | 94.44 | 0.00 | 0.00 | | 1039.79 | 0.00 | 83.00 | 132.15 | 57.83 | 126.71 | 162.36 | 44.01 | 606.06 |
| 25. | त्रिपुरा | 23.66 | 0.00 | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 3.49 | 6.98 | | | 12.96 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 1165.22 | 0.00 | 38.58 | 162.50 | 937.76 | 0.00 | 5.40 | 4.80 | 1149.04 | 0.00 | 9.64 | 38.66 | 235.57 | 71.14 | 284.49 | 131.86 | 771.37 |
| 27. | उत्तराखंड | 97.84 | 0.00 | 0.00 | 18.08 | 9.93 | 37.32 | 0.00 | | 65.33 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 3.20 | | 10.61 | 1.29 | 18.90 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 2126.98 | 0.00 | 572.16 | 610.01 | 440.87 | 0.00 | 355.17 | 130.32 | 2108.53 | 0.00 | 137.17 | 124.99 | 211.13 | 87.84 | 150.33 | 236.41 | 947.87 |
| 29. | दिल्ली | 1481.28 | 0.00 | 0.00 | 294.93 | 52.80 | 0.00 | 893.88 | 227.82 | 1469.43 | 0.00 | 0.00 | 157.72 | 15.78 | | 183.69 | 83.23 | 440.42 |
| 30. | पुडुचेरी | 83.20 | 0.00 | 0.00 | 32.31 | 0.00 | 50.89 | 0.00 | | 83.20 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 13.78 | 1.07 | | 22.93 |
| 31. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 32. | चंडीगढ़ | 446.13 | 0.00 | 396.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 404.75 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 94.03 | 89.91 | 38.28 | 48.03 | 275.25 |
| 33. | दादरा और नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 35. | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| | कुल | 16356.35 | 349.33 | 4086.43 | 3638.43 | 3781.62 | 689.20 | 1432.20 | 658.12 | 14635.13 | 72.14 | 901.77 | 1192.80 | 1598.77 | 1331.73 | 1920.15 | 969.25 | 7986.61 |
| | डीपीआर तैयारी प्रभार | | | | | | | | | | | | | 3.35 | 0.69 | 4.55 | 0.76 | 9.35 |
| | पीएमयू | | | | | | | | | | | | | 3.92 | 0.69 | 0.40 | 1.59 | 6.71 |
| | टीआईपीएमए | | | | | | | | | | | | | 13.15 | 3.14 | 0.53 | 5.79 | 22.61 |
| | सीबीपी | | | | | | | | | | | | | | | | 1.08 | 1.08 |
| | कुल | | | | | | | | | | | | | 1619.19 | 1338.37 | 1925.63 | 978.47 | 8028.37 |

### *विवरण II*

*जेएनएनयूआरएम-शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (उप मिशन-II)*
*अनुमोदित कुल परियोजनाएं*

दिनांक 6.3.2012 की स्थिति के अनुसार
(करोड़ रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | मिशन शहर | अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या | अनुमोदित कुल परियोजना लागत | अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की कुल सं. (नई+उन्नयन) | अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश | अनुमोदित कुल राज्य अंश | जारी कुल एसीए |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | 17 | 1884.89 | 78746 | 809.77 | 1075.13 | 606.70 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | विजयवाडा | 8 | 743.43 | 31525 | 366.64 | 376.78 | 271.81 |
| 3. | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | 12 | 765.27 | 24423 | 319.37 | 443.41 | 289.08 |
| 4. | बिहार | पटना | 17 | 655.41 | 20372 | 274.05 | 381.37 | 68.51 |
| 5. | दिल्ली | दिल्ली | 17 | 3257.72 | 74312 | 1469.43 | 1788.29 | 440.42 |
| 6. | गुजरात | अहमदाबाद | 5 | 567.68 | 338.24 | 276.21 | 291.47 | 254.35 |
| 7. | गुजरात | राजकोट | 3 | 193.32 | 8664 | 93.77 | 99.55 | 35.93 |
| 8. | गुजरात | सूरत | 12 | 699.30 | 46856 | 332.48 | 366.81 | 281.43 |
| 9. | गुजरात | वडोदरा | 4 | 344.84 | 17152 | 165.15 | 179.69 | 108.39 |
| 10. | हरियाणा | फरीदाबाद | 2 | 64.23 | 3248 | 31.18 | 33.05 | 31.18 |
| 11. | झारखंड | जमशेदपुर | 3 | 148.86 | 176 | 71.98 | 76.88 | 17.99 |
| 12. | झारखंड | धनबाद | 5 | 117.94 | 3620 | 56.16 | 61.78 | 14.04 |
| 13. | कर्नाटक | बंगलौर | 14 | 584.83 | 19984 | 236.60 | 348.24 | 143.20 |
| 14. | केरल | कोच्चि | 3 | 135.66 | 10390 | 67.83 | 67.83 | 50.30 |
| 15. | मध्य प्रदेश | भोपाल | 14 | 443.45 | 23609 | 212.28 | 231.26 | 137.57 |
| 16. | मध्य प्रदेश | इंदौर | 3 | 156.27 | 8017 | 75.03 | 81.24 | 45.01 |
| 17. | मध्य प्रदेश | जबलपुर | 4 | 87.53 | 8500 | 43.69 | 43.84 | 16.91 |
| 18. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुम्बई | 15 | 2761.59 | 57002 | 1164.03 | 1597.56 | 666.01 |
| 19. | महाराष्ट्र | नागपुर | 9 | 800.41 | 13583 | 346.56 | 453.86 | 111.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | महाराष्ट्र | नासिक | 6 | 275.76 | 13200 | 124.42 | 151.34 | 74.47 |
| 21. | महाराष्ट्र | पूणे | 15 | 1215.20 | 44658 | 583.20 | 632.00 | 390.22 |
| 22. | पंजाब | लुधियाना | 1 | 66.64 | 4832 | 33.27 | 33.37 | 24.95 |
| 23. | पंजाब | अमृतसर | 1 | 5.79 | 320 | 2.88 | 2.91 | 1.44 |
| 24. | राजस्थान | जयपुर | 2 | 181.50 | 5814 | 88.11 | 93.39 | 43.18 |
| 25. | तमिलनाडु | चेन्नई | 23 | 1369.28 | 37387 | 592.52 | 776.76 | 333.78 |
| 26. | तमिलनाडु | कोयम्बटूर | 17 | 574.80 | 27637 | 265.62 | 309.18 | 128.70 |
| 27. | तमिलनाडु | मदुरै | 11 | 379.21 | 25894 | 181.64 | 197.57 | 143.59 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | 5 | 68.46 | 1635 | 31.66 | 36.79 | 15.45 |
| 29. | उत्तर प्रदेश | आगरा | 10 | 605.55 | 16793 | 280.46 | 325.08 | 189.54 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 8 | 371.72 | 14044 | 172.57 | 199.15 | 89.38 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | मेरठ | 14 | 391.86 | 10838 | 180.49 | 211.37 | 174.19 |
| 32. | उत्तर प्रदेश | कानपुर | 14 | 456.12 | 143.46 | 211.51 | 244.61 | 136.87 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | वाराणसी | 10 | 246.00 | 5963 | 113.86 | 132.14 | 61.91 |
| 34. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 94 | 3673.17 | 136326 | 1799.28 | 1859.24 | 783.90 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | आसनसोल | 12 | 622.80 | 24344 | 309.25 | 312.58 | 163.97 |
| | कुल | 35 | 410 | 24916.48 | 872034 | 11382.94 | 13515.52 | 6345.49 |

जेएनएनयूआरएम परियोजना प्रकोष्ठ-एनबीओ सीएसएमसी की दिनांक 17.02.2012 को हुई 124वीं बैठक के समय तक अनुमोदित परियोजनाएं।

**खेल निकायों में पारदर्शिता**

64. **श्री भूदेव चौधरी:**
**श्री राधा मोहन सिंह:**
**डॉ. राजन सुशान्त:**

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न इनडोर और आउटडोर खेलों के लिये मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न स्वायत्त खेल निकायों/खेल निकायों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत एक वर्ष के दौरान इन खेल निकायों में किसी अनियमितता का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) खिलाड़ियों को अपने खेल में आगे निकलने हेतु अत्याधिक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये/उठाये जाने का विचार है?

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न स्वायत्त खेल निकायों/खेल निकायों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेहता लाने के लिए सरकार एक नियामक रूपरेखा तैयार कर रही है

जिसका उद्देश्य है कि खेल निकायों के बीच सुशासन का विकास किया जाए। राष्ट्रीय खेल विधेयक का प्रारूप सार्वजनिक क्षेत्र पर रख दिया गया है ताकि भागीदारों से विधायी पूर्व परामर्श लिया जा सके। प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है:-

(1) खेलों के विकास एवं उन्हें बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार की सहायता जिसमें वित्तीय और अन्य सहायता राष्ट्रीय टीमों, एथलीटों के कल्याणात्मक उपायों एवं खेलों में एथिकल प्रणालियों के विकास की कार्यपद्धति जिसमें डोपिंग को खत्म करना, आयु संबंधी फ्राड एवं यौन उत्पीड़न के मामले एवं भारतीय ओलंपिक संघ के मामले शामिल हैं एवं अन्य राष्ट्रीय खेल परिसंघों के अधिकारों एवं प्रतिबद्धताओं (इसमें सुशासन के बुनियादी सिद्धांतों को अपनाना एवं खेलों के व्यवसायिक प्रबंधन का मामला भी शामिल है) के मामले शामिल हैं।

(2) संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रबंधन/निर्णय लेने के संबंध में एथलीट सलाहकार परिषद के माध्यम से एथलीटों को शामिल करना।

(3) भारतीय खेल प्राधिकरण और भारत सरकार के कर्त्तव्य एवं जिम्मेदारियां जिन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

(4) खेल विवादों के समाधान हेतु कार्यविधि तथा विवाद समाधान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना।

(5) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को और अधिक स्वायत्ता और राष्ट्रीय खेल परिसंघों से सरकार के नियंत्रण को कम करना।

(6) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लाना जिसमें खिलाड़ियों से संबंधित व्यक्तिगत एवं गोपनीय सूचनाओं को सुरक्षित रखने संबंधी प्रावधानों को न रखा जाए।

(7) एंटी डोपिंग प्रावधान में विशेष प्रावधान जोड़ा गया है जिसमें राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) द्वारा विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) कोड के उन प्रावधानों को लागू करने से अलग रखा जा सके जिनमें अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ कर्ता नहीं होता।

(8) कोचों, संरक्षकों और अन्य सहायक कार्मिकों को भी ये दायित्व सौंपे गए हैं कि वे खेलों में गैर एथिकल प्रणालियों जैसे डोपिंग एवं आयु संबंधी फ्राड से बचें।

(9) राष्ट्रीय खेल परिसंघ, राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति, भारतीय खेल प्राधिकरण न केवल उपचारात्मक उपाय करते है जिससे खिलाड़ियों खेल स्थलों पर यौन शोषण से बचाया जा सके अपितु कार्य, विश्राम, स्वास्थ्य एवं हाईजीन के संबंध में महिलाओं के लिए उचित परिस्थिति सुलभ कराई जायें, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत तंत्र की स्थापना हेतु अन्य उपाय भी किये गये है जिसमें महिला की अध्यक्षा में समिति बनायी जाये या विशेष काउन्सलर रखा जाये साथ ही गोपनियता के सिद्धांत का पालन किया जाये।

(ग) और (घ) जी, पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

(ङ) खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए सरकार 'राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता' योजना के अतंर्गत निम्नलिखित मदों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है:

* उप कनिष्ठ, कनिष्ठ और वरिष्ठ श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का आयोजन।
* भारत में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन।
* विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों/टीमों का प्रशिक्षण और भागीदारी।
* देशी स्रोतों का आयात के माध्यम से खेल एवं खेल विज्ञान उपकरणों की प्राप्ति।
* राष्ट्रीय कोच की नियुक्ति।
* विदेशी कोचों/विशेषज्ञों की नियुक्ति।
* एनएसएफ के सहायक/संयुक्त सचिवों को वेतन का वितरण।

उपर्युक्त के अलावा सरकार राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कोचों, वैज्ञानिक सहायता के माध्यम से, अपनी अन्य योजनाओं यथा प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय खेल विकास निधि के माध्यम से कोचिंग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के माध्यम से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विशेषीकृत कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

## केन्द्रीय अर्ध-सैन्य बलों में रिक्तियां

65. **श्री जगदीश शर्मा:**
**श्री विलास मुत्तेमवार:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय अर्ध-सैन्य बलों (सीपीएमएफ) में बल-वार और रैंक-वार कुल कितनी रिक्तियां हैं;

(ख) क्या मौजूदा रिक्तियों से इन सुरक्षा बलों के कार्यकरण की समग्र क्षमता में बाधा उपस्थित हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निकट भविष्य में इन रिक्तियों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद में बल-वार और रैंक-वार रिक्तियों की संख्या निम्नलिखित है:-

| बल | अधिकारी | अधीनस्थ अधिकारी | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|---|
| असम राइफल्स | 0 | 0 | 4319 | 4319 |
| सीमा सुरक्षा बल | 1144 | 3060 | 20957 | 25161 |
| केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल | 196 | 4159 | 12794 | 17149 |
| केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल | 740 | 15848 | 7316 | 23904 |
| भारत-तिब्बत सीमा पुलिस | 577 | 2348 | 9274 | 12199 |
| सशस्त्र सीमा बल | 803 | 6627 | 12807 | 20237 |
| राष्ट्रीय सुरक्षा गारद | 103 | 293 | 53 | 449 |

(ख) और (ग) चूंकि बल में रिक्तियां समान रूप से हैं, इसलिए बलों में किसी भी महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी क्रियाकलाप को प्रभावित नहीं होने दिया जा रहा है। तथापि, इससे समग्र कार्यकुशलता इस सीमा तक प्रभावित होती है कि मौजूदा कार्मिक ही अतिरिक्त भार/बोझ उठाते हैं। सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, नए गठन आदि से उत्पन्न रिक्तियों को भरा जाना एक सतत् रूप से चलने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया है और इन रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल एवं समय पर कार्रवाई की जाती है।

(घ) चूंकि भर्ती और प्रशिक्षण प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए गृह मंत्रालय ने सभी बलों को अगले 18 माह में होने वाले रिक्तियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। नियमित भर्ती प्रक्रिया केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, चिकित्सा अधिकारी चयन बोर्ड (एमओएसबी), अन्य भर्ती बोर्डों और बलों की विभागीय चयन समितियों के माध्यम से चलायी जाती है। विशेष भर्ती अभियान भी चलाए जाते हैं।

*[अनुवाद]*

## बीपीएल खाद्यान्न का दुर्विनियोग

**66. श्री हरिन पाठक:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) लोगों के लाभ का गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लाभग्राहियों (एपीएल) द्वारा लाभ के दुर्विनियोग संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने खाद्यान्न की हानि हुई;

(ग) इस परिपाटी को भविष्य में रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(घ) इसके लिये जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किये जाने का विचार है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) से (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर आकलन अध्ययनों से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के लीकेज/विपथन सहित कमियों का पता चला है। प्राप्त रिपोर्टों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पाई गई कमियों को दूर करने हेतु उपचारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजा गया था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के बारे में केन्द्र सरकार को प्राप्त शिकायतें भी जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी जाती हैं। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि खाद्यान्नों के नुकसान सहित इनका विशिष्ट ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

सरकार ने नियमित रूप से समीक्षा की है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किये हैं कि वे मानिटरिंग तंत्र और सतर्कता में सुधार करके, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता लाकर संशोधित नागरिक अधिकार पत्र अपनाकर और उचित दर दुकानों के प्रचालनों की कार्य दक्षता में सुधार करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को मजबूत करें।

सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अनुरोध भी किया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए समयबद्ध तरीके से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण करे। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लाभार्थियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसो की डिलीवरी के लिए स्मार्ट कार्ड, खाद्य कूपन, बार कोडेड राशन कार्ड आदि जारी करने की सूचना भी दी है, जिससे खाद्यान्नों का लीकेज/विपथन रोकने में सहायता मिलेगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में अधिदेशित है कि राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रणाली का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करे। इस आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दण्डनीय है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने, प्राथमिकी दर्ज करने, उचित दर दुकानों के लाइसेंस निलंबित/रद्द करने, गिरफ्तारी/अभियोजन/दोषसिद्ध करने आदि जैसी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से जाली/अपात्र राशन कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार पाये गये सरकारी कर्मचारियों और ऐसे राशन कार्डों को रखने वाले परिवारों/व्यक्तियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी अनुरोध किया गया था।

***विवरण***

*2009 से 2012 तक (जनवरी, 2012 तक) व्यक्तियों, संगठनों और मीडिया रिपोर्टों आदि के जरिए विभाग में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में प्राप्त शिकायतें*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | – | 3 | 1 | – |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | – | 2 | 2 | – |
| 3. | असम | 6 | 1 | 1 | – |
| 4. | बिहार | 16 | 13 | 6 | – |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 4 | 5 | 1 | – |
| 6. | दिल्ली | 29 | 37 | 16 | 4 |
| 7. | गोवा | – | 1 | – | – |
| 8. | गुजरात | 4 | 3 | 2 | – |
| 9. | हरियाणा | 5 | 24 | 7 | 1 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | – | – | 4 | – |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 1 | 3 | – | 1 |
| 12. | झारखंड | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 13. | कर्नाटक | 6 | 2 | 1 | – |
| 14. | केरल | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 19 | 13 | 9 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | महाराष्ट्र | 12 | 5 | 8 | 2 |
| 17. | मणिपुर | – | – | 1 | – |
| 18. | मेघालय | – | – | 1 | – |
| 19. | नागालैंड | 1 | 1 | – | – |
| 20. | ओडिशा | 1 | 3 | 2 | – |
| 21. | पंजाब | 1 | 2 | – | 2 |
| 22. | राजस्थान | 7 | 6 | 6 | – |
| 23. | सिक्किम | 3 | 2 | – | – |
| 24. | तमिलनाडु | 6 | 2 | 3 | – |
| 25. | उत्तराखंड | 1 | 1 | 1 | – |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 46 | 33 | 68 | 6 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 4 | 2 | – | 2 |
| 28. | चंडीगढ़ | – | 2 | – | – |
| 29. | पुडुचेरी | – | – | – | – |
| | जोड़ | 169 | 174 | 144 | 20 |

*[हिन्दी]*

**गन्ना बकाया**

67. **श्री चंद्रकांत खैरे:**
**प्रो. रामशंकर:**
**योगी आदित्यनाथ:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश में चीनी मिलों के ऊपर गन्ना बकाया धनराशि के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा राज्य-वार परिणाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू-वर्ष के दौरान चीनी मिलों के ऊपर कितनी धनराशि लंबित है तथा इसके लंबित होने का क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार चीनी मिलों की स्थिति में सुधार करने और गन्ना बकाये का समय से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु कोई सहायता/पैकेज देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) जी, हां। 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार गत तीन चीनी मौसमों और वर्तमान चीनी मौसम के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश में चीनी मिलों के प्रति लंबित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अनुबंध से यह देखा जा सकता है कि गन्ना मूल्य बकाया मुख्य रूप से वर्तमान मौसम में गन्ने की आपूर्ति से संबंधित है। प्राप्त हुई नई आपूर्तियों और पिछली आपूर्तियों के लिए किए गए भुगतान के कारण बकायों की स्थिति निरंतर बदलती रहती है। पिछले मौसम 2010-11 के लिए गन्ना मूल्य बकाया केवल 0.30 प्रतिशत है। प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों के संबंध में 2009-10 और पूर्व के चीनी मौसमों के लिए गन्ना मूल्य बकाया और उसके

कारण संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं। ये बकाया मुख्यतया न्यायालयों में निर्णयाधीन पड़े मामलों और उधारदाता बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकरण अधिनियम के तहत ली गई मिलों आदि के कारण हैं। कई मामलों में, राज्य सरकारों ने चूककर्ता चीनी मिलों को राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किए हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 के दौरान अधिक चीनी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के तहत नवम्बर, 2011 और फरवरी, 2012 माह के दौरान 20 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है जो 10 लाख टन की दो खेपों में निर्यात की जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने 2011-12 चीनी मौसम के दौरान द्विपक्षीय संधि करार को पूरा करने के लिए मालदीव को 0.19 लाख टन, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ को 0.18 लाख टन और निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (इपीसीजी) के अन्तर्गत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 1.16 लाख टन के निर्यात की अनुमति दी है।

***विवरण I***

*गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (चीनी मौसम-वार) के लिए राज्य-वार देय और बकाया गन्ना मूल्य दर्शाने वाला विवरण*

(आंकड़े लाख रुपये में)

| राज्य/जोन | 2009-10 और पूर्व के चीनी मौसम | चीनी मौसम 2010-11 | | चीनी मौसम 2011-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2011 को देय गन्ना मूल्य का शेष | खरीदे गए गन्ने के लिए कुल देय मूल्य | 31.12.2011 को देय गन्ना मूल्य का शेष | 31.12.2011 को खरीदे गए गन्ने के लिए कुल देय मूल्य | 31.12.2011 को देय गन्ना मूल्य का शेष |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| पंजाब | 0.00 | 73384.87 | 86.52 | 27365.97 | 6639.31 |
| हरियाणा | 0.00 | 92952.46 | 0.00 | 14771.05 | 7273.01 |
| राजस्थान | 0.00 | 880.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पश्चिमी उत्तर प्रदेश | 0.00 | 414563.52 | 233.86 | 213681.91 | 72965.71 |
| मध्य उत्तर प्रदेश | 937.20 | 533753.30 | 428.71 | 226363.49 | 86599.52 |
| पूर्वी उत्तर प्रदेश | 5866.84 | 346296.88 | 67.92 | 148639.46 | 47160.69 |
| पूरा उत्तर प्रदेश | 6804.04 | 1294613.70 | 730.49 | 588684.86 | 206725.92 |
| उत्तराखंड | 629.73 | 65577.13 | 1797.03 | 31354.30 | 17433.24 |
| मध्य प्रदेश | 1151.25 | 11437.61 | 205.19 | 2777.57 | 537.55 |
| छत्तीसगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| दक्षिणी गुजरात | 1340.80 | 212217.65 | 42.59 | 128371.08 | 53806.89 |
| सौराष्ट्र | 0.00 | 7991.42 | 0.00 | 2900.60 | 1732.44 |
| पूरा गुजरात | 1340.80 | 220209.07 | 42.59 | 131271.68 | 55539.33 |
| दक्षिणी महाराष्ट्र | 0.96 | 529673.99 | 1824.33 | 112688.90 | 572.51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| उत्तरी महाराष्ट्र | 1639.52 | 288002.73 | 193.68 | 69675.77 | 10326.40 |
| मध्य महाराष्ट्र | 96.53 | 606712.78 | 1335.00 | 130688.73 | 1394.29 |
| पूरा महाराष्ट्र | 1737.01 | 1424389.50 | 3353.01 | 313053.40 | 12293.20 |
| उत्तरी बिहार | 3221.44 | 83130.25 | 524.04 | 0.00 | 0.00 |
| दक्षिणी बिहार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पूरा बिहार | 3221.44 | 83130.25 | 524.04 | 0.00 | 0.00 |
| असम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| आंध्र प्रदेश | 3309.32 | 199575.55 | 0.00 | 65370.40 | 35643.56 |
| कर्नाटक | 2032.30 | 627513.00 | 3877.00 | 238752.00 | 107589.00 |
| तमिलनाडु | 215.23 | 389808.49 | 2744.64 | 68572.88 | 23968.78 |
| केरल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ओडिशा | 0.00 | 5695.63 | 0.00 | 1161.88 | 806.60 |
| पश्चिम बंगाल | 0.00 | 1387.09 | 0.00 | 387.28 | 219.28 |
| नागालैंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पुडुचेरी | 0.00 | 10564.06 | 243.40 | 468.23 | 119.09 |
| गोवा | 0.00 | 2427.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| दादरा और नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल अखिल भारत | 20441.12 | 4503545.75 | 13603.91 | 1483991.50 | 47487.87 |

## *विवरण II*

*2009-10 और पूर्व के चीनी मौसमों के लिए राज्य-वार बकाया गन्ना मूल्य और भुगतान न करने के कारण दर्शाने वाला विवरण*

(आंकड़े लाख रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य/जोन | उन चीनी मिलों की संख्या जिनके प्रति 2009-10 और पूर्व के चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया है | 31.12.2001 के अनुसार 2009-10 पूर्व के चीनी मौसमों के लिए देय गन्ना मूल्य का बकाया | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | उत्तर प्रदेश | 9 | 6804.04 | चीनी मिलें बीआइएफआर के अंतर्गत हैं और तीन मामलों में वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | उत्तराखंड | 1 | 629.73 | माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन। |
| 3. | महाराष्ट्र | 12 | 1737.01 | तीन चीनी फैक्ट्रियों को प्रतिभूतिकरण अधिनियम के अंतर्गत उधारदाता बैंक द्वारा कार्यभार संभाल लिया गया है और अधिकांश मामलों में राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए हैं। |
| 4. | आंध्र प्रदेश | 12 | 3309.32 | सभी मामलों में गन्ना मूल्य बकाया 2002-03 चीनी मौसमों से संबंधित है और चीनी मिलों ने याचिका दायर कर दी है तथा वह भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित है। |
| 5. | कर्नाटक | 5 | 2032.30 | एक मामले में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि तत्काल ही अपने बकायों का भुगतान करें और एक अन्य चीनी मिल ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए मृदु ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया है। शेष तीन मामलों में वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए हैं। इसमें से एक मामले को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है और दूसरे मामले में बैंकरों ने सार्वजनिक नीलामी द्वारा अपने बकायों की वसूली के लिए माननीय उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है। |
| 6. | तमिलनाडु | 1 | 215.23 | चीनी मिल 2002-03 चीनी मौसम से बन्द पड़ी है और राज्य सरकार द्वारा आरआर अधिनियम के अंतर्गत बकाया को वसूल करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। |
| 7. | गुजरात | 2 | 1340.80 | एक मामले में चीनी फैक्टरी 2008-09 चीनी मौसम से बन्द पड़ी है और एक प्रशासनिक समिति नियुक्त कर दी गई है और वसूली प्रमाणपत्र भी जारी किया जा रहा है। दूसरी फैक्टरी के मामले में गन्ना मूल्य बकाया 2009-10 मौसम से संबंधित है। |
| 8. | बिहार | 12 | 3221.44 | 12 चीनी मिलों में से दो चीनी मिलों को बन्द करने का निर्णय ले लिया गया है जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निरीक्षणाधीन किया जा रहा है, एक चीनी मिल के मामले में पुनर्वास स्कीम का मामला बीआईएफआर के अधीन विचाराधीन है। एक मामले में राज्य सरकार द्वारा गन्ना मूल्य बकायों के भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है और एक मामले में फैक्टरी को बन्द कर दिया गया है और यह निर्देश दिया गया है कि पेराई मौसम के शुरू होने के पूर्व गन्ना मूल्य बकायों का भुगतान करें। शेष मामलों मे भुगतान गन्ना उत्पादकों के लिए खुला है। |

*[अनुवाद]*

## जेलों में विचाराधीन कैदी

**68. श्री जोस के. मणि:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मुकदमों की सुनवाई शुरू करने/मुकदमों के समापन में विलंब के कारण देश की जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में इस बारे में क्या कदम उठाये गये तथा उनसे क्या प्रगति हुई;

(ग) क्या जमानत राशि अधिक होने और विगत में जमानत संबंधी मानकों के उल्लंघन के कारण विचाराधीन कैदियों को जमानत देने से मना करने के मामले सामने आये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित कारागार संबंधी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010 के अन्त में विचारणाधीन कैदियों की संख्या 2,40,098 (कुल कैदियों का 65.1%) थी। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 के अन्तर्गत "कारागार" राज्य का विषय है, इसलिए, कारागार प्रशासन मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 में कुल 1800 करोड़ रुपए के परिव्यय से 27 राज्यों में (अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर) कारागारों के आधुनिकीकरण की योजना केन्द्र और राज्य सरकारों की क्रमश: 75:25 की भागीदारी के आधार पर आरम्भ की थी जिसमें नई जेलों का निर्माण और भीड़भाड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त बैरकों का निर्माण शामिल है, जो 22.8% (वर्ष 2009 में) से घटकर 15.1% (वर्ष 2010 में) रह गई है। विचारणाधीन कैदियों की निरुद्धता अवधि को कम करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा यथेष्ट प्रयास किए जाते हैं। वर्ष 2010 के दौरान 13,65,522 विचारणाधीन कैदियों को रिहा किया गया है।

(ग) केन्द्र अथवा राज्यों के स्तर पर जमानत न देने से संबंधित किसी प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं और इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

## फर्जी मुद्रा की तस्करी

**69. श्री संजय धोत्रे:**
**श्री मंगनी लाल मंडल:**
**डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फर्जी नोटों की तस्करी के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान ज्ञात ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उस स्रोत की पहचान की है जहां से फर्जी मुद्रा तस्करी होकर देश में आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में फर्जी मुद्रा के परिचालन के कारण कितनी हानि का अनुमान है; और

(च) देश में फर्जी मुद्रा के परिचालन को रोकने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2009, 2010 और 2011 के दौरान जाली मुद्रा की जब्ती और बरामदगी के ऐसे मामलों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I(क) (ख) (ग) में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) अब तक की जांच-पड़ताल से पता चला है कि देश में जाली मुद्रा की तस्करी का स्रोत पाकिस्तान सहित पड़ोसी देश हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न एजेंसियों तथा बैंकों द्वारा जब्त/बरामद की गई जाली मुद्रा का अंकित मूल्य उत्तर के भाग (क) और (ख) के अनुसार है।

(च) एफआईसीएन की समस्या के बहुआयामी पहलुओं का समाधान करने के लिए, आरबीआई, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केन्द्र एवं राज्यों की सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियों, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इत्यादि जैसी कई एजेंसियां एफआईसी से संबंधित गैर-कानूनी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रही हैं।

इसके अलावा, देश के अंदर जाली मुद्रा के परिचालन की समस्या से निपटने के लिए राज्य/केन्द्र की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों

के बीच आसूचना/जानकारी का आदान-प्रदान करने हेतु गृह मंत्रालय में एक विशेष एफआईसीएन कोऑर्डिनेशन ग्रुप (एफसीओआरडी) का गठन किया गया है।

ऐसे अपराधों की जांच-पड़ताल और अभियोजन के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम द्वारा एनआईए को शक्ति प्रदान की गई है। सरकार ने, आतंक के वित्तपोषण तथा जाली मुद्रा के मामलों की जांच-पड़ताल पर ध्यान देने के लिए वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में आतंक के वित्तपोषण तथा जाली मुद्रा प्रकोष्ठ का भी गठन किया है। उच्च मूल्य के करेंसी नोटों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं को निरन्तर बढ़ाया जा रहा है। आरबीआई ने भी बैंकों द्वारा नकली नोटों का पता लगाने के तंत्र को सुदृढ़ बनाया है।

## *विवरण I(क)*

*राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (गृह मंत्रालय)*

*राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा मूल्यवर्ग-वार (बरामद एवं जब्त) नकली मुद्रा*

*वार्षिक रिपोर्ट: 1.1.2009 से 31.12.2009**

6.3.2012 को तैयार की गई रिपोर्ट

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | मूल्य-वर्ग 1000 | | 500 | | 100 | | 50 | | अन्य | | नोटों की संख्या | | कुल नोट | मूल्य रुपए में | | कुल मूल्य (रुपए) | एफआईआर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य | | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर+एस) | (आर) | (एस) | (आर+एस) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2721 | 1239 | 20754 | 14842 | 10536 | 9787 | 729 | 204 | 46 | 64 | 34786 | 26136 | 60922 | 14188950 | 9650160 | 23839110 | 446 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 164 | 0 | 263 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 494 | 0 | 302200 | 302200 | 8 |
| 3. | असम | 75 | 355 | 332 | 4338 | 749 | 644 | 56 | 112 | 0 | 0 | 1212 | 5449 | 6661 | 318700 | 2594000 | 2912700 | 91 |
| 4. | बिहार | 353 | 389 | 5045 | 1255 | 7576 | 1774 | 1336 | 905 | 4 | 265 | 14314 | 4588 | 18902 | 3699950 | 1244340 | 4944290 | 50 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 688 | 0 | 1207 | 0 | 1002 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 3126 | 3126 | 0 | 1403150 | 1403150 | 62 |
| 6. | गोवा | 0 | 338 | 0 | 1234 | 0 | 184 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1771 | 1771 | 0 | 974150 | 974150 | 28 |
| 7. | गुजरात | 1453 | 985 | 9576 | 4815 | 5772 | 7872 | 529 | 1373 | 16 | 167 | 17346 | 15212 | 32558 | 6844890 | 4251200 | 11096090 | 238 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 359 | 0 | 1077 | 0 | 281 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 1864 | 1864 | 0 | 932905 | 932905 | 36 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 | 110 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 185 | 185 | 0 | 47330 | 47330 | 3 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 115 | 421 | 512 | 2109 | 1297 | 186 | 153 | 678 | डु | 1 | 2078 | 3395 | 5473 | 508360 | 1528020 | 2036380 | 37 |
| 11. | झारखंड | 0 | 288 | 0 | 268 | 0 | 102 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 693 | 693 | 0 | 433950 | 433950 | 20 |
| 12. | कर्नाटक (1) | 2856 | 620 | 13082 | 4956 | 3396 | 2381 | 180 | 73 | 10 | 13 | 19524 | 8043 | 27567 | 9745760 | 3339935 | 13085695 | 147 |
| 13. | केरल | 914 | 2800 | 3178 | 12023 | 1099 | 910 | 26 | 4146 | 2 | 0 | 5219 | 19879 | 25098 | 2614230 | 9109800 | 11724030 | 68 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 475 | 186 | 4048 | 965 | 4696 | 242 | 675 | 2 | 18 | 0 | 9912 | 1395 | 11307 | 3002630 | 692800 | 3695430 | 25 |
| 15. | महाराष्ट्र | 6503 | 2132 | 37528 | 7041 | 11272 | 5112 | 1550 | 1742 | 38 | 19 | 56891 | 16046 | 72937 | 26472275 | 6251092 | 32723367 | 367 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2500 | 2500 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | मेघालय | 0 | 44 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 109000 | 109000 | 7 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 494 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 784 | 0 | 639000 | 639000 | 11 |
| 19. | नागालैंड | 0 | 12 | 0 | 467 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 262600 | 262600 | 4 |
| 20. | ओडिशा (1-2) | 222 | 45 | 2024 | 293 | 3703 | 1054 | 379 | 116 | 15 | II | 6343 | 1519 | 7862 | 1623520 | 302900 | 1926420 | 7 |
| 21. | पंजाब | 0 | 2878 | 0 | 18086 | 0 | 5838 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 27413 | 27413 | 0 | 12535350 | 12535350 | 55 |
| 22. | राजस्थान | 1602 | 191 | 11665 | 914 | 9123 | 435 | 737 | 131 | II | 0 | 23138 | 1671 | 24809 | 8383860 | 698050 | 9081910 | 49 |
| 23. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 16250 | 16250 | 2 |
| 24. | तमिलनाडु | 4600 | 1616 | 20713 | 7369 | 8088 | 5756 | 236 | 427 | 20 | 132 | 33657 | 15300 | 48957 | 15777440 | 5899970 | 21677410 | 312 |
| 25. | त्रिपुरा | 0 | 120 | 0 | 1030 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 1772 | 0 | 697200 | 697200 | 20 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 2207 | 542 | 21374 | 7689 | 27392 | 20990 | 3435 | 4889 | 60 | 1358 | 54468 | 35468 | 89936 | 15805940 | 6748390 | 22554330 | 254 |
| 27. | उत्तराखंड | 0 | 165 | 0 | 903 | 0 | 528 | 0 | 423 | 0 | 1252 | 0 | 3271 | 3271 | 0 | 707530 | 707530 | 40 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 907 | 3958 | 4372 | 20427 | 3157 | 9359 | 320 | 628 | 6 | 617 | 8762 | 34989 | 43751 | 3424800 | 15145010 | 18569810 | 155 |
| | कुल | 25003 | 21037 | 154203 | 114080 | 97856 | 75429 | 10341 | 16892 | 247 | 3903 | 287650 | 231341 | 518991 | 112411305 | 86518782 | 198930087 | 2543 |
| **संघ राज्य क्षेत्र** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1500 | 1500 | 2 |
| 30. | चंडीगढ़ | 826 | 51 | 7576 | 0 | 25650 | 92 | 2225 | 28 | 53 | 1 | 36330 | 172 | 36502 | 7291060 | 61620 | 7352680 | 4 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 600 | 600 | 1 |
| 32. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2500 | 2500 | 2 |
| 33. | दिल्ली | 4927 | 1351 | 30001 | 2849 | 15435 | 1302 | 1753 | 588 | 11 | 0 | 52127 | 6090 | 58217 | 21558820 | 2935100 | 24493920 | 26 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पुडुचेरी | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 6200 | 6200 | 5 |
| | कुल | 5753 | 1405 | 37577 | 2861 | 41085 | 1412 | 3978 | 616 | 64 | 1 | 88457 | 6295 | 94752 | 28849880 | 3007520 | 31857400 | 40 |
| | कुल योग | 30756 | 22442 | 191780 | 116941 | 138941 | 76841 | 14319 | 17508 | 311 | 3904 | 376107 | 237636 | 613743 | 141261185 | 89526302 | 230787487 | 2583 |

टिप्पणी: आर: आरबीआई की विभिन्न शाखाओं द्वारा बरामद जैसा कि क्रम सं. 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 33

एस: पुलिस द्वारा जब्त और एससीआरबी एक्स से प्राप्त जानकारी

*आंकड़े अनंतिम हैं।

'राज्य' कालम में ब्रैकेटों में दी गई संख्या को निम्नानुसार बताया गया है:

1. सितम्बर, 2009 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

2. अक्तूबर, 2009 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## विवरण I(ख)

### राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (गृह मंत्रालय)
### राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा मूल्यवर्ग-वार नकली मुद्रा (बरामद एवं जब्त)
### वार्षिक रिपोर्ट: 1.1.2010 से 31.12.2010*

6.3.2012 को तैयार की गई रिपोर्ट

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | मूल्य-वर्ग | | | | | | | | | | नोटों की संख्या | | कुल नोट | मूल्य रुपए में | | कुल मूल्य (रुपए) | एफआईआर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000 | | 500 | | 100 | | 50 | | अन्य | | | | | | | | |
| राज्य | | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर+एस) | (आर) | (एस) | (आर+एस) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3833 | 2331 | 20253 | 5375 | 7743 | 4561 | 450 | 136 | 14 | 7 | 32293 | 12410 | 44703 | 14756530 | 5481530 | 20238060 | 175 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | असम (आर8-आर9) | 240 | 558 | 576 | 2093 | 99 | 577 | 3 | 19 | 0 | 0 | 918 | 3247 | 4165 | 538050 | 1663150 | 2201200 | 73 |
| 4. | बिहार | 981 | 483 | 9707 | 2061 | 11493 | 3596 | 687 | 279 | 8 | 411 | 22876 | 6830 | 29706 | 7018270 | 1891165 | 8909435 | 50 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 9 | 0 | 350 | 0 | 651 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1019 | 1019 | 0 | 249310 | 249310 | 48 |
| 6. | गोवा | 0 | 178 | 0 | 489 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 738 | 738 | 0 | 429500 | 429500 | 36 |
| 7. | गुजरात (12) | 1980 | 998 | 9057 | 5393 | 3810 | 2375 | 274 | 118 | 15 | 9 | 15136 | 8893 | 24029 | 6903430 | 3938040 | 10841470 | 220 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 761 | 0 | 2226 | 0 | 420 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3506 | 3506 | 0 | 1920950 | 1920950 | 30 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 16 | 0 | 533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 282600 | 282600 | 4 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 123 | 838 | 587 | 691 | 1120 | 164 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1859 | 1694 | 3553 | 529950 | 1199910 | 1729860 | 20 |
| 11. | झारखंड | 0 | 1480 | 0 | 5799 | 0 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7425 | 7425 | 0 | 4393300 | 4393300 | 18 |
| 12. | कर्नाटक (1-2, 4, 8-9) | 3130 | 535 | 11670 | 980 | 2308 | 1970 | 110 | 59 | 5 | 1 | 17223 | 3545 | 20768 | 9201360 | 1224960 | 10426320 | 57 |
| 13. | केरल (4, 12) | 1048 | 2042 | 2659 | 1692 | 631 | 306 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4358 | 4040 | 8398 | 2441560 | 2918600 | 5360160 | 51 |
| 14. | मध्य प्रदेश (1-2, 10, आर6) | 601 | 35 | 4202 | 260 | 5227 | 508 | 533 | 0 | 19 | 159 | 10582 | 962 | 11544 | 3251590 | 216595 | 3468185 | 14 |
| 15. | महाराष्ट्र | 11814 | 2666 | 45655 | 4191 | 10290 | 1225 | 1057 | 4256 | 16 | 8 | 68832 | 12346 | 81178 | 35723615 | 5096895 | 40820510 | 276 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6000 | 6000 | 6 |
| 17. | मेघालय | 0 | 53 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 0 | 198000 | 198000 | 4 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 954 | 0 | 1281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 2240 | 0 | 1595000 | 1595000 | 12 |
| 19. | नागालैंड | 0 | 4 | 0 | 99 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 54900 | 54900 | 4 |
| 20. | ओडिशा (4, 7-12, आर11) | 295 | 583 | 2436 | 801 | 1876 | 1494 | 241 | 753 | 2 | 0 | 4850 | 3631 | 8481 | 1712680 | 1170550 | 2883230 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | पंजाब (8) | 0 | 3658 | 0 | 7359 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11127 | 11127 | 0 | 7348500 | 7348500 | 8 |
| 22. | राजस्थान (1-2, 4, 10) | 1560 | 3096 | 9029 | 841 | 9179 | 1804 | 523 | 98 | 11 | 3 | 20302 | 5842 | 26144 | 7018730 | 3701860 | 10720590 | 13 |
| 23. | सिक्किम (7) | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 14000 | 14000 | 2 |
| 24. | तमिलनाडु (आर1) | 5342 | 3132 | 22930 | 12070 | 5378 | 3016 | 146 | 303 | 9 | 72 | 33805 | 18593 | 52398 | 17352250 | 9485090 | 26837340 | 315 |
| 25. | त्रिपुरा | 0 | 28 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 65000 | 65000 | 6 |
| 26. | उत्तर प्रदेश (11आर1.आर9-आर11) | 2683 | 2040 | 21622 | 55461 | 19050 | 8849 | 2088 | 3316 | 34 | 489 | 45477 | 70155 | 115632 | 15503940 | 30830905 | 46334845 | 325 |
| 27. | उत्तराखंड | 0 | 347 | 0 | 259 | 0 | 274 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 889 | 889 | 0 | 504350 | 504350 | 33 |
| 28. | पश्चिम बंगाल (10) | 2118 | 5353 | 10734 | 33150 | 4409 | 2454 | 405 | 248 | 68 | 37 | 17734 | 41242 | 58976 | 7946960 | 22185944 | 30132904 | 210 |
| | कुल | 35748 | 32184 | 171117 | 143846 | 82613 | 34573 | 6565 | 9714 | 202 | 1203 | 296245 | 221520 | 517765 | 129898915 | 108066604 | 237965519 | 2023 |
| **संघ राज्य क्षेत्र** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ (11आर1.आर9-आर11) | 1290 | 0 | 8158 | 5 | 17380 | 20 | 957 | 363 | 30 | 0 | 27815 | 388 | 28203 | 7155380 | 22650 | 7178030 | 2 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली (7, 11-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दमन और दीव (2-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दिल्ली (आर6) | 8213 | 233 | 37617 | 1255 | 16034 | 2889 | 1902 | 340 | 6 | 296 | 63772 | 5013 | 68785 | 28720100 | 1171100 | 29891200 | 25 |
| 34. | लक्षद्वीप (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पुडुचेरी (7) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3400 | 3400 | 3 |
| | कुल | 9503 | 234 | 45775 | 1264 | 33414 | 2912 | 2859 | 705 | 36 | 296 | 91587 | 5411 | 96998 | 35875480 | 1197150 | 37072630 | 30 |
| | कुल योग | 45251 | 32418 | 216892 | 145110 | 116027 | 37485 | 9424 | 10419 | 238 | 1499 | 387832 | 226931 | 614763 | 165774395 | 109263754 | 275038149 | 2053 |

टिप्पणी:

आर: आरबीआई की विभिन्न शाखाओं द्वारा बरामद जैसा कि क्रम सं. 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 33

एस: पुलिस द्वारा जब्त और एससीआरबीएक्स से प्राप्त जानकारी

*आंकड़े अनंतिम है।

'राज्य' कालम में बैरेकेटों में दी गई संख्या को निम्नानुसार बताया गया है:

1. जनवरी 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
2. फरवरी 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
3. मार्च 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
4. अप्रैल 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
5. मई 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
6. जून 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
7. जुलाई 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
8. अगस्त 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
9. सितम्बर 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
10. अक्तूबर 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
11. नवम्बर 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
12. दिसम्बर 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

आरबीआई की शाखाओं से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

आर 1 के आंकड़े जनवरी 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 2 के आंकड़े फरवरी 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 3 के आंकड़े मार्च 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 4 के आंकड़े अप्रैल 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 5 के आंकड़े मई 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 6 के आंकड़े जून 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 7 के आंकड़े जुलाई 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 8 के आंकड़े अगस्त 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 9 के आंकड़े सितम्बर 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 10 के आंकड़े अक्तूबर 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 11 के आंकड़े नवम्बर 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 12 के आंकड़े दिसम्बर 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

## *विवरण I(ग)*

### *राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (गृह मंत्रालय)*

### *राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा मूल्यवर्ग-वार नकली मुद्रा (बरामद एवं जब्त)*

### *वार्षिक रिपोर्ट: 1.1.2011 से 31.12.2011**

6.3.2012 को तैयार की गई रिपोर्ट

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | मूल्य-वर्ग | | | | | | | | | | नोटों की संख्या | | कुल नोट | मूल्य रुपए में | | कुल मूल्य (रुपए) | एफआईआर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000 | | 500 | | 100 | | 50 | | अन्य | | | | | | | | |
| राज्य | | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर+एस) | (आर) | (एस) | (आर+एस) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | आंध्र प्रदेश (7, 10 और 10) | 6269 | 2346 | 24864 | 8468 | 11116 | 3651 | 229 | 1144 | 13 | 82 | 42491 | 15691 | 58182 | 19824290 | 7002740 | 26827030 | 142 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 11000 | 11000 | 2 |
| 3. | असम (11-12, आर1, आर4, आर10) | 88 | 143 | 362 | 508 | 193 | 13 | 3 | 6 | 0 | 39 | 646 | 709 | 1355 | 288450 | 399000 | 687450 | 31 |
| 4. | बिहार (10-12, आर1, आर4, आर6-आर9) | 1171 | 73 | 8567 | 1609 | 4741 | 579 | 322 | 14735 | 0 | 49 | 14801 | 17045 | 31846 | 5944700 | 1672705 | 7617405 | 38 |
| 5. | छत्तीसगढ़ (5-12) | 0 | 51 | 0 | 312 | 0 | 14 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 409 | 409 | 0 | 209970 | 209970 | 17 |
| 6. | गोवा (8, 10) | 0 | 299 | 0 | 717 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1081 | 1081 | 0 | 663540 | 663540 | 30 |
| 7. | गुजरात (7, 10) | 4387 | 4065 | 15191 | 5628 | 3466 | 2156 | 147 | 150 | 5 | 11 | 23196 | 12000 | 35196 | 12336520 | 7102110 | 19438630 | 149 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 2 | 0 | 271 | 0 | 614 | 0 | 560 | 0 | 46 | 0 | 1493 | 1493 | 0 | 227360 | 227360 | 18 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश (11) | 0 | 74 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 140500 | 140500 | 4 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर (9, आर10) | 194 | 2102 | 725 | 1973 | 1321 | 378 | 14 | 103 | 0 | 9 | 2254 | 4565 | 6819 | 689300 | 3131540 | 3820840 | 37 |
| 11. | झारखंड (5-12) | 0 | 15 | 0 | 123 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 0 | 90000 | 90000 | 13 |
| 12. | कर्नाटक (4-6, 8-12, आर10) | 3311 | 163 | 9278 | 952 | 1137 | 573 | 86 | 0 | 7 | 0 | 13819 | 1688 | 15507 | 8068120 | 696300 | 8764420 | 20 |
| 13. | केरल (10, आर8) | 1165 | 1186 | 3280 | 1304 | 250 | 2485 | 14 | 3 | 6 | 3 | 4715 | 4981 | 9696 | 2830770 | 2086680 | 4917450 | 52 |
| 14. | मध्य प्रदेश (2-3, 11-12, आर3-आर4, आर6, आर8-आर10) | 286 | 2 | 1729 | 37 | 1946 | 920 | 165 | 6 | 3 | 0 | 4129 | 965 | 5094 | 1353390 | 112800 | 1466190 | 4 |
| 15. | महाराष्ट्र (आर1, आर4, आर8, आर10) | 16880 | 2052 | 47865 | 5795 | 10346 | 1427 | 996 | 72 | 30 | 8 | 76117 | 9354 | 85471 | 41897360 | 5095890 | 46993250 | 258 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | मणिपुर (2) | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 15500 | 15500 | 8 |
| 17. | मेघालय (8-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | मिजोरम (8) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3000 | 3000 | 1 |
| 19. | नागालैंड (12) | 0 | 44 | 0 | 163 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 126400 | 126400 | 7 |
| 20. | ओडिशा (1-12, आर8, आर10) | 452 | 0 | 3346 | 0 | 1821 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 5707 | 0 | 5707 | 2311470 | 0 | 2311470 | 0 |
| 21. | पंजाब (6-8) | 0 | 382 | 0 | 2010 | 0 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4293 | 4293 | 0 | 1577100 | 1577100 | 6 |
| 22. | राजस्थान (12, आर1, आर4) | 2006 | 1097 | 8457 | 906 | 5666 | 138 | 240 | 67 | 3 | 207 | 16372 | 2415 | 18787 | 6813130 | 1570205 | 8383335 | 33 |
| 23. | सिक्किम (4-5, 7-8, 10, 12) | 0 | 19 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 61500 | 61500 | 3 |
| 24. | तमिलनाडु (1-12, आर1, आर5) | 5428 | 0 | 26220 | 0 | 2491 | 0 | 93 | 0 | 13 | 0 | 34245 | 0 | 34245 | 18791970 | 0 | 18791970 | 0 |
| 25. | त्रिपुरा (3,12) | 0 | 3 | 0 | 148 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 77700 | 77700 | 9 |
| 26. | उत्तर प्रदेश (9, 11-12, आर1-आर4, आर6-10) | 4185 | 1057 | 27663 | 2459 | 17332 | 4037 | 1875 | 1578 | 23 | 10 | 51078 | 9141 | 60219 | 19843805 | 2769210 | 22613015 | 161 |
| 27. | उत्तराखंड (1 ,8-9, 11-12) | 0 | 138 | 0 | 61 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 177600 | 177600 | 14 |
| 28. | पश्चिम बंगाल (7, 11, आर9-आर10) | 6310 | 3104 | 22438 | 7070 | 6740 | 2124 | 312 | 75 | 47 | 4 | 35847 | 12377 | 48224 | 18219130 | 6855211 | 25074341 | 72 |
| | कुल | 52132 | 18428 | 199985 | 40769 | 68566 | 21309 | 4583 | 18536 | 151 | 461 | 325417 | 99503 | 424920 | 159212405 | 41875561 | 201087966 | 1129 |
| **संघ राज्य क्षेत्र** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ (आर2, आर5, आर7-10) | 830 | 0 | 4043 | 0 | 7921 | 0 | 513 | 0 | 12 | 0 | 13319 | 0 | 13319 | 3669450 | 0 | 3669450 | 0 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली (1-2, 5-7, 9-12) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2500 | 2500 | 1 |
| 32. | दमन और दीव (1-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दिल्ली (आर9-आर10) | 16017 | 671 | 55409 | 3645 | 19333 | 9861 | 2560 | 1720 | 13 | 3 | 93332 | 15900 | 109232 | 45782990 | 3565640 | 49348630 | 36 |
| 34. | लक्षद्वीप (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | पुडुचेरी | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 9600 | 9600 | 4 |
| | कुल | 16847 | 674 | 59452 | 3663 | 27254 | 9862 | 3073 | 1720 | 25 | 3 | 106651 | 15922 | 122573 | 49452440 | 3577740 | 53030180 | 41 |
| | कुल योग | 68979 | 19102 | 259437 | 44432 | 95820 | 31171 | 7656 | 20256 | 176 | 464 | 432068 | 115425 | 547493 | 208664845 | 45453301 | 254118146 | 1170 |

टिप्पणी:
आर: आरबीआई की विभिन्न शाखाओं द्वारा बरामद जैसा कि क्रम सं. 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24,2 6, 28, 30 और 33
एस: पुलिस द्वारा जब्त और एससीआरबीएक्स से प्राप्त जानकारी
*आंकड़े अनंतिम है।

'राज्य' कालम में बैर्केटों में दी गई संख्या को निम्नानुसार बताया गया है:
1. जनवरी 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
2. फरवरी 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
3. मार्च 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
4. अप्रैल 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
5. मई 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
6. जून 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
7. जुलाई 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
8. अगस्त 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
9. सितम्बर 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
10. अक्तूबर 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
11. नवम्बर 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
12. दिमस्बर 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

आरबीआई की शाखाओं से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।
आर 1 के आंकड़े जनवरी 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 2 के आंकड़े फरवरी 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 3 के आंकड़े मार्च 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 4 के आंकड़े अप्रैल 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 5 के आंकड़े मई 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 6 के आंकड़े जून 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 7 के आंकड़े जुलाई 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 8 के आंकड़े अगस्त 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 9 के आंकड़े सितम्बर 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 10 के आंकड़े अक्तूबर 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

## केले की खेतों में टिशू कल्चर

**70. श्री हरिभाऊ जावले:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केले की खेती में बीमारियों से लड़ने के लिए टिशू-कल्चर एक और विकल्प है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का महाराष्ट्र के सभी किसानों को राजसहायता देने का प्रस्ताव है जहां केले की खेती में टिशू-कल्चर का उपयोग हो रहा है;

(घ) क्या टिशू-कल्चर वाले केले के पौधे वायरल बीमारियों से लड़ने में ज्यादा समक्ष हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केले की खेती में टिशू-कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) विशाल मात्रा में टू-टू-टाईप पौधों को विकसित करने के लिए रोग मुक्त तथा स्वस्थ मूल सामग्री के साथ टिशू कल्चर के प्रयोग से विकसित पौध रोपण सामग्री केले के लिए एक अच्छा विकल्प है।

(ग) महाराष्ट्र के उन सभी किसानों के लिए सब्सिडी अनुदान का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो टिशू कल्चर केले का उत्पादन कर रहे हैं। तथापि राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत स्कीम की शर्तों के अनुसार टिशू कल्चर आधारित केले की खेती को आरम्भ करने के लिए, इच्छुक कृषक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) टिशू कल्चर आधारित केले के पौधे वायरल रोगों को रोकते हैं बशर्ते कि मूल सामग्री रोगमुक्त हो और टिशू कल्चर इकाई में उपयुक्त सफाई की व्यवस्था हो।

(ङ) सरकार एनएचएम के अंतर्गत टिशू कल्चर आधारित केले की खेती को आरम्भ करने के लिए प्रति हैक्टेयर अधिकतम 50,000/- रुपये की लागत 50% की दर से प्रत्येक लाभार्थी चार हैक्टेयर की सीमा तक, 75:25 की दो किश्तों में सहायता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार नई टी.सी. प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ-साथ मौजूदा टिशू कल्चर (टी.सी.) प्रयोगशाला के नवीकरण के लिए भी सहायता प्रदान कर रही है। नवीन टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना हेतु, सरकारी क्षेत्र के लिए 100,00

लाख रुपये की कुल लागत पर 100% की दर से सहायता प्रदान की जाती है। वहीं निजी क्षेत्र के लिए प्रति इकाई 50.00 लाख रुपये की लागत पर 50% की दर से ऋण से जुड़ी पार्श्वान्त सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

*[हिन्दी]*

**कृषि में ढांचागत परिवर्तन**

**71. श्री राकेश सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम पूरी तरह लागू करने के लिए देश में कृषि में किसी प्रकार के ढांचागत परिवर्तन की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि की बिजली, सिंचाई, उर्वरक इत्यादि जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कोई केन्द्रीय योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) जी हां, प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने के लिए यह अनुमानित है कि लगभग 70-75 मिलियन टन खाद्यान्नों का अतिरिक्त उत्पादन होना चाहिए। यह कृषि, अनुसंधान, विकास एवं विस्तार सेवाओं की सहायता, जल संसाधनों, अवसंरचना विशेषकर बिजली, भण्डार तथा परिवहन का विकास एवं किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता, फसल बीमा तथा लाभकारी मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए बड़े निवेश के साथ कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करना अपेक्षित होगा। कृषि मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए अनंतिम रूप से 1,15,660 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकताएं तैयार की हैं। अनुसूची-3 के साथ पढ़े जाने वाले अध्याय 14 की धारा 38 के अंतर्गत प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कृषि को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केन्द्रित करता है।

(ग) और (घ) उच्च उत्पादकता जिलों में संघारणीय उत्पादन पर 12वीं योजना हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्धन करके विशेष कर, कृषि आदानों तथा मण्डियों तक छोटे किसानों की पहुंच में सुधार के लिए सक्रिय प्रौद्योगिकी संवर्धन और संस्थागत विकास द्वारा कम उत्पादक जिलों का उत्पादन बढ़ा कर और स्वस्थाने और उस स्थान के बाहर जल संचयन संरचना के साथ कृषि और संरचना का सृजन करके, बाढ़ नियंत्रण उपाय करके, पर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला तथा कृषि मशीनों की स्थापना हेतु सेवा प्रदाताओं, गुणवत्ता आदान बीज, भण्डारण, वितरण एवं एकत्रीकरण, बिक्री तथा प्रौद्योगिकी विकास के साथ मौसम परिवर्तन के लिए परिवहन तथा निर्माण में लचीलापन तथा जैविक तथा अजैविक दबावों का समाधान करना अनिवार्य रूप से करना होगा।

कृषि मंत्रालय ने एक कार्य योजना विकसित की है जिसमें खाद्यान्नों, बागवानी, बीजों एवं पौध-रोपण सामग्री एवं फार्म यंत्रीकरण के उत्पादन तथा संवर्धन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए स्कीमों में मौजूदा 51 स्कीमों के समेकन द्वारा मिशन मोड कार्यक्रम शामिल है।

**मीडिया की सामाजिक जिम्मेदारी**

72. **श्री अनंत कुमार हेगड़े:**
**श्री राजीव रंजन सिंह** *उर्फ* **ललन सिंह:**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मीडिया क्षेत्र के लिये कोई सामाजिक जिम्मेदारी बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह पाया गया है कि मीडिया के कुछ क्षेत्र सही मायने में इन जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मीडिया क्षेत्र को अक्षरशः अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ):** (क) और (ख) भारत में समाचारपत्रों व समाचार एजेंसियों के मानकों को बरकरार रखने व उनमें सुधार लाने तथा स्व-विनियमन के सिद्धांतों को आत्मसात कराने के लिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत गठित स्वायत्तशासी निकाय, भारतीय प्रैस परिषद (पीसीआई) ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2)(ख) के अंतर्गत 'पत्रकारिता संबंधी आचरण के मानदंड' तैयार किए हैं। इन मानदंडों का बुनियादी आधार पत्रकारिता का मौलिक उद्देश्य है अर्थात् लोगों को सार्वजनिक हित के मामलों पर उचित, शुद्ध, निष्पक्ष, मर्यादित व शालीन तरीके से समाचार, विचार, टिप्पणियां व सूचना मुहैया कराना। इन मानदंडों में पत्रकारिता से संबंधित सिद्धांत व आचार-संहिता शामिल हैं और साथ ही,

सामुदायिक अशांति, आतंकियों/उग्रवादियों द्वारा वितरित पर्चों, एड्स, वित्तीय पत्रकारिता, निर्वाचन रिपोर्टिंग आदि जैसे मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश भी शामिल हैं। इसी प्रकार से, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत तैयार किए गए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत तैयार की गई कार्यक्रम व विज्ञापन संहिता में निर्धारित है कि टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाली विषय-वस्तु सुरुचिपूर्ण व शालीन होनी चाहिए तथा उसमें स्वीकृत सामाजिक मानदंड प्रतिबिंबित होने चाहिए। औद्योगिक प्रतिनिध्यात्मक निकायों नामतः समाचार प्रसारक संघ (एनबीए) और भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) द्वारा भी एक स्व-विनियामक तंत्र की स्थापना की गई है। एनबीए ने समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) की स्थापना की है तथा समाचार चैनलों के स्व-विनियमन हेतु आचार-संहिता व प्रसारण मानक तैयार किए हैं। इसी प्रकार से, आईबीएफ ने गैर-समाचार चैनलों के स्व-विनियमन हेतु प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद (बीसीसीसी) की स्थापना की है।

(ग) से (ङ) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत यथा निर्धारित कार्यक्रम व विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों की मंत्रालय में जांच की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाती है। प्रैस परिषद पत्रकारिता संबंधी आचरण के निर्धारित मानदंडों के उल्लंघनों का संज्ञान लेती है तथा ये मानदंड भारतीय प्रैस परिषद द्वारा लिए गए अधिनिर्णयों व की गई उद्घोषणाओं के आधार पर सतत विकसित होते रहते हैं। भारतीय प्रैस परिषद ने इस बात पर बार-बार बल दिया है कि मीडिया को जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, अंधविश्वास, महिला उत्पीड़न, आदि जैसे पिछड़े व सामंतवादी विचारों व प्रथाओं की आलोचना करके तथा आधुनिक, तर्कसंगत व वैज्ञानिक विचारों, धर्मनिरपेक्षवाद व सहिष्णुता का प्रचार करके प्रगतिशील भूमिका अदा करनी चाहिए।

## एनवाईपी/एनएसपी की समीक्षा

**73. श्री रेवती रमण सिंह:**
**श्रीमती कमला देवी पटले:**

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय युवा नीति (एनवाईपी) 2003 और राष्ट्रीय खेल नीति, (एनएसपी) 2001 की समीक्षा/संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इनका अलग-अलग ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ग) इनका समीक्षा/कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) जी, हां।

(ख) जहां तक राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 की समीक्षा का संबंध है आरजीएनआईवाईडी द्वारा तैयार राष्ट्रीय युवा नीति मसौदा इस मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाईट पर डाला जा चुका है और सभी राज्य सरकारों के सचिवों (युवा कार्यक्रम और खेल) को परिचालित किया जा चुका है ताकि उनकी टिप्पणियों पर विचार किया जा सके और उन्हें सम्मिलित किया जा सके तथा अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय युवा नीति मसौदे की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

* देश में 13-30 वर्ष आयु वर्ग के सभी युवाओं को इसके दायरे में लाना जिन्हें आगे तीन उप-वर्गों में बांटा गया है, 13-18 वर्ष का आयु वर्ग में किशोरों को शामिल किया गया है इसके बाद 19-25 वर्ष और 26-30 वर्ष के आयु वर्ग।
* मुख्य लक्षित समूह-छात्र, शहरी युवा, ग्रामीण और जनजातीय युवा, रिस्क संभावित युवा, विद्यालय बीच में छोड़ चुके युवा आदि।
* प्राथमिक समूह-युवा महिलाएं, अशक्त युवा, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित युवा।
* जोर देने वाले मुख्य क्षेत्र:-
    (1) राष्ट्रीय मूल्यों, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
    (2) युवा सशक्तिकरण।
    (3) स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवनशैली।
    (4) सामुदायिक सेवा में भागीदारी।
    (5) सामाजिक न्याय और असामाजिक कार्यकलापों के विरुद्ध कार्रवाई।

(ग) नवीन एनवाईपी को अंतिम रूप दिसम्बर, 2012 तक दिए जाने की संभावना है।

## चीनी क्षेत्र का विनियंत्रण

**74. श्री अर्जुन राय:**
**डॉ. भोला सिंह:**

**श्री पी. लिंगम:**
**श्री दिनेश चन्द्र यादव:**
**श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
**श्री हरिभाऊ जावले:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चीनी क्षेत्र का विनियंत्रण/विनियमन करने और चीनी मिलों द्वारा उठाई जा रही हानियों के दृष्टिगत लेवी कोटा प्रणाली को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का अपनी कल्याण योजनाओं हेतु चीनी की किस प्रकार व्यवस्था करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्ताव की जांच करने के लिए कोई उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, डा. सी. रंगराजन के अध्यक्षता में 24.01.2012 को एक समिति गठित की गई है, जो चीनी क्षेत्र के विनियमन से संबंधित सभी मामलों पर विचार करेगी। समिति के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कोई समय-सीमा नहीं तय की गई है।

## कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

75. **श्री सुदर्शन भगत:**
**श्री जय प्रकाश अग्रवाल:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमंडल के गर्म होने/जलवायु परिवर्तन ने देश में कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चावल, गेहूं, गन्ना और तिलहनों की फसलों के उत्पादन में राज्य-वार और उत्पादन-वार कितनी कमी दर्ज की गई;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव भूमंडल के गर्म होने/जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि-उत्पादन में कमी के संबंध में कोई अध्ययन करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) यद्यपि मौसम की अतिवादी दशाओं में जलवायु परिवर्तन के कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का प्रदर्शन किया गया है, किंतु पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुकूल मौसम के कारण देश में कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई।

(ख) चावल, गेहूं, गन्ना और तिलहनों का राष्ट्रीय उत्पादन 2011-12 के दौरान क्रमशः 102.8, 88.3, 347.9 और 30.5 मिलियन टन होने की आशा है। हालांकि, फसलों के तहत कम क्षेत्र होने के कारण तिलहन उत्पादन में 2011-12 के दौरान मामूली कमी आई है।

(ग) और (घ) जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि की अनुकूलनीयता को बढ़ाने के लिए 2010-12 की अवधि के लिए रु. 350 करोड़ के परिव्यय के साथ सरकार द्वारा एक नई स्कीम "जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय पहल" (एनआईसीआरए) शुरू की गई है। इस स्कीम के 12वीं योजना में भी जारी रहने की संभावना है। इस स्कीम का उद्देश्य (1) अनुकूलन और न्यूनीकरण के लिए प्राकृतिक संसाधनों, प्रमुख खाद्य फसलों, पशुधन, समुद्री और ताजाजल मात्स्यिकी पर नीतिपरक अनुसंधान; (2) देश के 100 सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में किसानों के खेतों पर उपलब्ध जलवायु अनुकूल क्रियाओं का प्रदर्शन; (3) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर दीर्घावधि अनुसंधान शुरू करने के लिए वैज्ञानिकों का क्षमता निर्माण और अनुसंधान के बुनियादी ढांचा का सुदृढ़ीकरण; और (4) प्रायोजित अनुसंधान, के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति लागत प्रभावी अनुकूलन और शमनकारी नीतियों को विकसित करना है।

*[अनुवाद]*

## नेहरू स्मारक संग्रहालय और ग्रंथालय

76. **डॉ. एम. तम्बिदुरई:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा दिल्ली में नेहरू स्मारक संग्रहालय और ग्रंथालय को दिए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई वित्तीय लेखा परीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संस्थान में मामलों का संचालन करने में किन्हीं वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

| वर्ष | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 (अद्यतन) |
|---|---|---|---|
| योजनेतर | 10,33,16,178 | 9,29,62,183 | 7,42,48,434 |
| योजनागत | 14,29,55,023 | 8,60,37,000 | 2,70,73,798 |

(ख) जी, हां।

(ग) नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के लेखाओं का संपरीक्षण प्रत्येक वर्ष महानिदेशक संपरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) द्वारा किया जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2009-10 की अपनी अंतिम रिपोर्ट में अधिवक्ता को नियोजित करने में भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस देने, अधिवक्ताओं को किए गए भुगतानों से व्यावसायिक कर की कम कटौती करके एनएमएमएल द्वारा अपने एक सहयोगी को परिवहन भतते का भुगतान करने, आदि संबंधित वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है।

वर्ष 2010-11 के लिए एनएमएमएल के लेखाओं के संबंध में लेखापरीक्षा रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

## इजराइल के राजनयिक पर हमला

**77. श्री मनीष तिवारी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में इजराइल के राजनयिक पर कार में हुए बम हमले में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक और अपनाई गई प्रणाली देश में पहली बार इस्तेमाल की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रथम दृष्टया कोई ऐसा साक्ष्य मिला है जिससे हमला करने वालों के बारे में इजराइल सरकार द्वारा किए गए दावे की पुष्टि होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस मामले में विदेशी आसूचना एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी का ब्यौरा क्या है; और

(च) जनवरी, 2009 से फरवरी, 2012 के दौरान कितनी आतंकी घटनाएं हुई थी और इनमें से प्रत्येक मामले में कितने आरोप पत्र दाखिल हुए, कितने व्यक्ति दोष सिद्ध हुए/बरी हुए, और कितने मामले लंबित हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) से (ङ) दिनांक 13 फरवरी, 2012 को रेस कोर्स रोड और औरंगजेब रोड की क्रासिंग के निकट इजराइली दूतावास की कार पर एक चुम्बकीय बम द्वारा हमला किया गया। इस हमले में इजराइली दूतावास के डिफेंस अटैची अलोन येहोशुआ की पत्नी सुश्री ताल येहोशुआ कोरेन सहित चार व्यक्ति घायल हुए। मामले की जांच चल रही है।

(च) जनवरी, 2009 और फरवरी, 2012 के बीच हुए आतंकवादी हमलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

### *विवरण*

| क्र.सं. | घटना | विचारण की मौजूदा स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 16 अक्तूबर, 2009-मडगांव, गोवा में विस्फोट | (i) इस मामले की एनआईए द्वारा जांच की जा रही है। |
| | | (ii) मामले के संबंध में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | (iii) 6 दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एनआईए द्वारा मडगांव के विशेष न्यायालय के समक्ष यूए (पी) अधिनियम, 1908 की धारा 16, 18, 23 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120(ख), 121(क) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। |
| | | (iv) गोवा के जिला एवं सत्र न्यायालय में विचारण चल रहा है। |
| 2. | 13 फरवरी, 2010-जर्मन बेकरी, पुणे में विस्फोट | (i) मामले की एटीएस, महाराष्ट्र द्वारा जांच की जा रही है। |
| | | (ii) मामले में 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। |
| | | (iii) न्यायालय मामला सं. 5183/10 के तहत 4 दिसम्बर, 2010 को आरोप पत्र दायर किया गया था। |
| | | (iv) दिनांक 14 दिसम्बर, 2010 की सं. 771/10 के तहत यह मामला सत्र न्यायालय, शिवाजी नगर, पुणे में चल रहा है। |
| | | (v) एटीएस ने 1 मार्च, 2011 को आरोप पत्र का मसौदा प्रस्तुत किया। |
| | | (vi) गवाहों की जांच हो रही है। |
| | | (vii) अगली सुनवाई 13 मार्च, 2012 को है। |
| 3. | 29 मार्च, 2010-मेहरौली, दिल्ली में आईईडी विस्फोट | इस मामले की जांच विशेष सैल, दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। |
| 4. | 17 अप्रैल, 2010-चिनास्वामी स्टेडियम, बंगलोर में विस्फोट | इस मामले की जांच राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है। |
| 5. | 19 सितम्बर, 2010-जामा मस्जिद, दिल्ली में गोलाबारी और विस्फोट | (i) इस मामले की जांच विशेष सैल, दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। तथापि, हाल में नवम्बर, 2011 में दिल्ली पुलिस ने केन्द्रीय आसूचना एजेंसी और पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु पुलिस के सहयोग से एक पाकिस्तानी नागरिक सहित 7 सदस्यों के एक इंडियन मुजाहिद्दीन मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इस मामले में इस मॉड्यूल की संभावित संलिप्तता होने के अतिरिक्त जांच से इसके कुछ सदस्यों की उपर्युक्त क्रम सं. 2 और 4 पर उल्लिखित घटनाओं में संभावित संलिप्तता का पता चला है। |
| 6. | 7 दिसम्बर, 2010-शीतला घाट, वाराणसी विस्फोट | इस मामले की जांच राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है। |
| 7. | 25 मई, 2011-दिल्ली उच्च न्यायालय के निकट विस्फोट | इस मामले की जांच एनआईए द्वारा की जा रही है। |
| 8. | 13 जुलाई, 2011-मुम्बई में तीन विस्फोट | (i) इस मामले की जांच एटीएस, महाराष्ट्र द्वारा की जा रही है। |
| | | (ii) इस मामले में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 9. | 7 सितम्बर, 2011-दिल्ली उच्च न्यायालय के निकट विस्फोट | (i) इस मामले की जांच एनआईए द्वारा की जा रही है।<br>(ii) इस मामले में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। |
| 10. | 17 सितम्बर, 2011-आगरा, उत्तर प्रदेश में विस्फोट | इस मामले की जांच राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है। |
| 11. | 13 फरवरी, 2012-इजराइली दूतावास की कार में विस्फोट | इस मामले की जांच विशेष सैल, दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। |

*[हिन्दी]*

**समुद्री पुलिस अकादमी**

78. **श्री राधा मोहन सिंह:**
**डॉ. पी. वेणुगोपाल:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय समुद्री पुलिस अकादमी की स्थापना करने और देश में पुलिस सुधार कार्यक्रमों को गति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उपरोक्त मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ कोई चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई सुझाव/सिफारिशें प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) से (च) गुजरात, केरल और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों ने भारत सरकार को नेशनल मैरीन पुलिस अकादमी के गठन का सुझाव दिया है। सरकार के पास नेशनल मेरीटाइम पुलिस अकादमी के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। नेशनल मेरीटाइम पुलिस अकादमी के गठन के संबंध में राज्य सरकारों के साथ अलग से कोई बातचीत नहीं हुई है। तथापि, समुद्री दायित्वों के निर्वहन के लिए समुद्री पुलिस की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को भारतीय तटरक्षक द्वारा पूरा किया जाता है।

विगत में विभिन्न समितियों/आयोगों ने पुलिस सुधारों के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। इनमें से नेशनल पुलिस कमीशन (1978-82); श्री रिबेरो की अध्यक्षता वाली समिति (1998); पुलिस पुनर्संरचना संबंधी पद्मनाभैया समिति (2000) तथा आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार संबंधी मालिमथ समिति (2002-03) द्वारा की गई सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं।

गृह मत्रालय ने पुलिस सुधारों पर विचार करने के लिए दिसम्बर, 2004 में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें कीः-

(i) निष्पादन के पेशेवर मानकों में सुधार लाना;

(ii) पुलिस की आन्तरिक सुरक्षा संबंधी भूमिका पर बल देना;

(iii) पुलिस कर्मियों की समस्याओं का समाधान करना;

(iv) अपराध का पंजीकरण नहीं करने, गिरफ्तारियां इत्यादि के संबंध में पुलिस के विरुद्ध शिकायतों का निपटान करना, तथा

(v) बाहरी प्रभावों से पुलिस मशीनरी को अलग करना।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी पुलिस सुधारों से संबंधित कई मुद्दों पर रिट याचिका (सिविल) सं. 310 (1996)-प्रकाश सिंह और अन्य बनाम यूओआई और अन्य में 22 सितम्बर, 2006 को एक निर्णय पारित किया है।

इस प्रकार पुलिस सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है और केन्द्र सरकार ने समय-समय पर इस मामले को राज्य सरकारों के समक्ष उठाया है, क्योंकि 'पुलिस' राज्य का विषय है।

*[अनुवाद]*

## लेवी चावल की सुपुर्दगी

**79. श्री बाल कुमार पटेल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में चावल मिलों ने आंध्र प्रदेश चावल अधिप्राप्ति (लेवी) आदेश, 1984 के अनुसार इन मिलों से देय लेवी चावल की तुलना में खरीफ वर्ष 2007-08 के दौरान लेवी चावल की कम सुपुर्दगी दी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 24 जून, 2008 से धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और लेवी चावल के मूल्य में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम ने पुरानी दरों पर भुगतान करने की बजाय उनकी खरीद संशोधित दरों पर की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) जी, हां। खरीफ विपणन मौसम 2007-08 के दौरान आंध्र प्रदेश में चावल मिल-मालिकों द्वारा की गई लेवी चावल की सुपुर्दगी 1.62 लाख टन कम थी।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार ने दिनांक 24 जून, 2008 को सामान्य धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 645 रुपये प्रति क्विंटल से संशोधित कर 850 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था।

(ङ) और (च) जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिनांक 24.6.2008 से पहले खरीदे गए धान के लिए पुराने न्यूनतम समर्थन मूल्य और दिनांक 24.6.2008 के बाद खरीदे गए धान के लिए दिनांक 24.6.2008 को अधिसूचित और राज्य सरकार द्वारा यथाप्रमाणित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार भुगतान किया गया था।

*[हिन्दी]*

## आवासों की कमी

**80. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:**
**श्री नारनभाई कछाड़िया:**
**श्री राम सिंह राठवा:**
**श्रीमती श्रुति चौधरी:**

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जातियों (एससी)/ अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों सहित विभिन्न वर्गों सहित विभिन्न वर्गों सहित विभिन्न वर्गों के लोगों हेतु आवासों की कमी के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार नें वर्ष 2012-13 के दौरान आवासों के निर्माण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उक्त लक्ष्य के अंतर्गत कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है और उन पर कुल कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार और शहर/कस्बे-वार कितनी निधियां आबंटित और व्यय की गई है; और

(च) इस प्रयोजन हेतु एससी/एसटी और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों को किसी योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) 11वीं योजना के आरंभ में शहरी आवासों की कमी का अनुमान लगाने के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी समूह ने 24.71 मिलियन परिवारों के लिए शहरी आवासों की कमी का पता लगाया है जिसके 11वीं योजना अवधि (2011-12) के अंत तक बढ़ कर 26.53 मिलियन होने की संभावना है। इस तकनीकी समूह ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय समूह (एलआईजी), मध्यम आय समूह (एमआईजी) और उच्चतर आय समूह (एचआईजी) के संबंध में आवासों की कमी का मूल्यांकन किया है लेकिन उसने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के

संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया है। तकनीकी समूह द्वारा दिए गए श्रेणी-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

| श्रेणी | वर्ष 2007 की स्थिति के अनुसार आवासों की कमी मिलियन में |
|---|---|
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) | 21.78 |
| निम्न आय समूह (एलआईजी) | 2.89 |
| मध्यम आय समूह (एमआईजी) उच्चतर आय समूह (एचआईजी) | 0.04 |
| कुल | 24.71 |

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में अभी तक जेएनएनयूआरएम के संघटक शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं (बीएसयूपी) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत आबंटित, स्वीकृत और जारी की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं (बीएसयूपी) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए स्वीकृत और जारी की गई संचयी निधियों के शहर/कस्बा-वार ब्यौरे, क्रमश: संलग्न विवरण-II और विवरण-III में दिए गए हैं।

(च) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए ऐसी कोई योजना क्रियान्वित नहीं की गई है।

### *विवरण I*

*11वीं योजना (6.3.2012) के अंतर्गत बीएसयूपी और आईएचएसडीपी-नया एसीए आबंटन, अनुमोदित और जारी राशि*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | बीएसयूपी 2005-12 के अंतर्गत कुल नया एसीए आबंटन | बीएसयूपी के अंतर्गत अनुमोदित कुल एसीए | बीएसयूपी के अंतर्गत वित्त और गृह मंत्रालय द्वारा जारी एसीए | आईएचएसडीपी 2005-12 के अंतर्गत कुल नया एसीए आबंटन | आईएचएसडीपी के अंतर्गत अनुमोदित कुल एसीए | आईएचएसडीपी के अंतर्गत जारी कुल एसीए (परियोजना) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1547.42 | 958.43 | 1059.14 | 764.57 | 527.95 | 494.75 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 43.95 | 54.47 | 12.67 | 24.52 | 8.96 | 4.48 |
| 3. | असम | 121.94 | 97.60 | 48.80 | 67.25 | 59.42 | 30.02 |
| 4. | बिहार | 531.54 | 312.76 | 78.19 | 168.07 | 193.33 | 96.39 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 385.21 | 52.81 | 91.24 | 158.83 | 36.82 | 87.05 |
| 6. | गोवा | 11.43 | 4.60 | 1.15 | 35.79 | 1.40 | 0.00 |
| 7. | गुजरात | 1015.56 | 440.95 | 581.41 | 256.25 | 290.48 | 120.44 |
| 8. | हरियाणा | 57.31 | 0.00 | 26.61 | 209.70 | 26.74 | 83.25 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 31.29 | 11.22 | 2.81 | 37.07 | 48.78 | 24.39 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 140.18 | 134.44 | 39.99 | 117.34 | 114.31 | 67.24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | झारखंड | 351.09 | 328.74 | 82.18 | 136.00 | 131.33 | 65.66 |
| 12. | कर्नाटक | 407.97 | 282.57 | 225.81 | 222.69 | 180.67 | 195.40 |
| 13. | केरल | 250.00 | 186.40 | 113.53 | 198.83 | 151.50 | 115.51 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 351.10 | 100.86 | 160.64 | 276.64 | 111.57 | 88.19 |
| 15. | महाराष्ट्र | 3372.56 | 1892.19 | 1331.12 | 1130.60 | 1305.13 | 632.40 |
| 16. | मणिपुर | 43.91 | 43.91 | 21.96 | 32.35 | 32.37 | 26.68 |
| 17. | मेघालय | 40.35 | 40.35 | 26.12 | 28.97 | 22.43 | 11.21 |
| 18. | मिजोरम | 80.11 | 80.11 | 40.06 | 29.78 | 29.78 | 29.78 |
| 19. | नागालैंड | 105.60 | 0.00 | 63.69 | 44.14 | 0.60 | 20.29 |
| 20. | ओडिशा | 78.74 | 54.18 | 29.85 | 176.33 | 197.30 | 109.12 |
| 21. | पंजाब | 444.46 | 36.15 | 26.40 | 172.56 | 133.53 | 66.77 |
| 22. | राजस्थान | 383.46 | 88.11 | 60.62 | 424.56 | 415.02 | 273.43 |
| 23. | सिक्किम | 29.06 | 29.06 | 21.79 | 20.90 | 17.92 | 8.96 |
| 24. | तमिलनाडु | 1107.80 | 682.13 | 523.06 | 349.38 | 253.78 | 277.12 |
| 25. | त्रिपुरा | 23.66 | 13.96 | 13.96 | 28.36 | 38.04 | 34.55 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 1165.22 | 1110.46 | 761.72 | 854.41 | 823.96 | 634.71 |
| 27. | उत्तराखंड | 97.84 | 65.33 | 18.90 | 63.58 | 90.57 | 53.06 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 2126.98 | 1536.37 | 810.70 | 681.04 | 558.45 | 550.27 |
| 29. | दिल्ली | 1481.28 | 1469.43 | 440.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | पुडुचेरी | 83.20 | 83.20 | 22.93 | 26.95 | 5.48 | 2.74 |
| 31. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.29 | 13.64 | 5.53 |
| 32. | चंडीगढ़ | 446.13 | 8.62 | 275.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | दादरा और नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.56 | 3.34 | 1.67 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.03 | 0.00 | 0.00 |
| 35. | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.97 | 0.58 | 0.29 |
| | कुल | 16356.35 | 10199.37 | 7012.70 | 6828.31 | 5825.19 | 4211.32 |

## विवरण II

*जेएनएनयूआरएम-शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (उप मिशन-II)*
*कुल अनुमोदित परियोजनाएं*

6.3.2012 की स्थिति के अनुसार
(करोड़ रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | मिशन शहर | स्वीकृत परियोजनाएं | कुल स्वीकृत परियोजना लागत | स्वीकृत निवास इकाइयों की कुल संख्या (एन+यू) (नई+उन्नयन) | कुल केन्द्रीय हिस्सा स्वीकृत | कुल राज्य हिस्सा स्वीकृत | कुल एसीए जारी की गई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | 17 | 1884.89 | 78746 | 809.77 | 1075.13 | 606.70 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | विजयवाडा | 8 | 743.43 | 31525 | 366.64 | 376.78 | 271.81 |
| 3. | आंध्र प्रदेश | तिरूपति | 1 | 99.24 | 3360 | 58.94 | 40.31 | 36.29 |
| 4. | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | 12 | 765.27 | 24423 | 319.37 | 443.41 | 289.08 |
| | उपयोग | 4 | 38 | 3492.83 | 138054 | 1554.72 | 1935.63 | 1203.89 |
| 1. | असम | गुवाहाटी | 2 | 108.44 | 2260 | 97.60 | 10.84 | 48.80 |
| | उपयोग | 1 | 2 | 108.44 | 2260 | 97.60 | 10.84 | 48.80 |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 3 | 60.94 | 996 | 54.46 | 6.47 | 12.67 |
| | उपयोग | 1 | 3 | 60.94 | 996 | 54.46 | 6.47 | 12.67 |
| 1. | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 3 | 576.49 | 25728 | 404.76 | 171.73 | 275.25 |
| | उपयोग | 1 | 3 | 576.49 | 25728 | 404.76 | 171.73 | 275.25 |
| 1. | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 6 | 462.49 | 30000 | 364.99 | 97.50 | 169.29 |
| | उपयोग | 1 | 6 | 462.49 | 30000 | 364.99 | 97.50 | 169.29 |
| 1. | बिहार | पटना | 17 | 655.41 | 20372 | 274.05 | 381.37 | 68.51 |
| 2. | बिहार | बोधगया | 1 | 54.57 | 2000 | 38.71 | 15.86 | 9.68 |
| | उपयोग | 2 | 18 | 709.98 | 22372 | 312.76 | 397.23 | 78.19 |
| 1. | दिल्ली | दिल्ली | 17 | 3257.72 | 74312 | 1469.43 | 1788.29 | 440.42 |
| | उपयोग | 1 | 17 | 3257.72 | 74312 | 1469.43 | 1788.29 | 440.42 |
| 1. | गुजरात | अहमदाबाद | 5 | 567.68 | 338.24 | 276.21 | 291.47 | 254.35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | गुजरात | राजकोट | 3 | 193.32 | 8664 | 93.77 | 99.55 | 35.93 |
| 3. | गुजरात | पोरबंदर | 1 | 81.25 | 2448 | 62.49 | 18.76 | 0.00 |
| 4. | गुजरात | सूरत | 12 | 699.30 | 46856 | 332.48 | 366.81 | 281.43 |
| 5. | गुजरात | वडोदरा | 4 | 344.84 | 17152 | 165.15 | 179.69 | 108.39 |
| | उपयोग | 5 | 25 | 1886.39 | 108944 | 930.11 | 956.28 | 680.09 |
| 1. | गोवा | पणजी | 1 | 10.22 | 155 | 4.60 | 5.62 | 1.15 |
| | उपयोग | 1 | 1 | 10.22 | 155 | 4.60 | 5.62 | 1.15 |
| 1. | हरियाणा | फरीदाबाद | 2 | 64.23 | 3248 | 31.18 | 33.05 | 31.18 |
| | उपयोग | 1 | 2 | 64.23 | 3248 | 31.18 | 33.05 | 31.18 |
| 1. | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 2 | 24.01 | 636 | 18.27 | 5.74 | 4.57 |
| | उपयोग | 1 | 2 | 24.01 | 636 | 18.27 | 5.74 | 4.57 |
| 1. | जम्मू और कश्मीर | जम्मू | 3 | 49.09 | 1455 | 41.40 | 7.70 | 16.73 |
| 2. | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर | 2 | 113.30 | 5222 | 93.05 | 20.25 | 23.26 |
| | उपयोग | 2 | 5 | 162.39 | 6677 | 134.44 | 27.95 | 39.99 |
| 1. | झारखंड | रांची | 6 | 263.58 | 8928 | 200.60 | 62.99 | 50.15 |
| 2. | झारखंड | जमशेदपुर | 3 | 148.86 | 176 | 71.98 | 76.88 | 17.99 |
| 3. | झारखंड | धनबाद | 5 | 117.94 | 3620 | 56.16 | 61.78 | 14.04 |
| | उपयोग | 3 | 14 | 530.38 | 16724 | 328.74 | 201.65 | 82.18 |
| 1. | कर्नाटक | बंगलौर | 14 | 584.83 | 19984 | 236.60 | 348.24 | 143.20 |
| 2. | कर्नाटक | मैसूर | 4 | 258.63 | 8134 | 171.36 | 87.27 | 110.32 |
| | उपयोग | 2 | 18 | 843.47 | 28118 | 407.96 | 435.50 | 253.52 |
| 1. | केरल | तिरूवनंतपुरम | 4 | 208.01 | 13187 | 165.73 | 42.27 | 75.07 |
| 2. | केरल | कोच्चि | 3 | 135.66 | 10390 | 67.83 | 67.83 | 50.30 |
| | उपयोग | 2 | 7 | 343.67 | 23577 | 233.56 | 110.11 | 125.37 |
| 1. | मध्य प्रदेश | भोपाल | 14 | 443.45 | 23609 | 212.28 | 231.26 | 137.57 |
| 2. | मध्य प्रदेश | इंदौर | 3 | 156.27 | 8017 | 75.03 | 81.24 | 45.01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | मध्य प्रदेश | जबलपुर | 4 | 87.53 | 8500 | 43.69 | 43.84 | 16.91 |
| 4. | मध्य प्रदेश | उज्जैन | 1 | 17.41 | 1320 | 13.26 | 4.15 | 9.95 |
| | उपयोग | 4 | 22 | 704.65 | 41446 | 344.26 | 360.48 | 209.43 |
| 1. | महाराष्ट्र | ग्रेटर मुम्बई | 15 | 2761.59 | 57002 | 1164.03 | 1597.56 | 666.01 |
| 2. | महाराष्ट्र | नागपुर | 9 | 800.41 | 13583 | 346.56 | 453.86 | 111.12 |
| 3. | महाराष्ट्र | नासिक | 6 | 275.76 | 13200 | 124.42 | 151.34 | 74.47 |
| 4. | महाराष्ट्र | नांदेड | 10 | 1001.62 | 26307 | 703.20 | 298.41 | 376.89 |
| 5. | महाराष्ट्र | पूणे | 15 | 1215.20 | 44658 | 583.20 | 632.00 | 390.22 |
| | उपयोग | 5 | 55 | 6054.58 | 154750 | 2921.41 | 3133.17 | 1618.70 |
| 1. | मणिपुर | इम्फाल | 1 | 51.23 | 1250 | 43.91 | 7.32 | 21.96 |
| | उपयोग | 1 | 1 | 51.23 | 1250 | 43.91 | 7.32 | 21.96 |
| 1. | मेघालय | शिलांग | 3 | 51.74 | 768 | 40.35 | 11.39 | 26.12 |
| | उपयोग | 1 | 3 | 51.74 | 768 | 40.35 | 11.39 | 26.12 |
| 1. | मिजोरम | आईजोल | 4 | 91.32 | 1096 | 80.11 | 11.21 | 40.06 |
| | उपयोग | 1 | 4 | 91.32 | 1096 | 80.11 | 11.21 | 40.06 |
| 1. | नागालैंड | कोहिमा | 1 | 134.50 | 3504 | 105.60 | 28.90 | 79.20 |
| | उपयोग | 1 | 1 | 134.50 | 3504 | 105.60 | 28.90 | 79.20 |
| 1. | ओडिशा | भुवनेश्वर | 4 | 63.60 | 2153 | 46.16 | 17.44 | 27.84 |
| 2. | ओडिशा | पुरी | 2 | 11.02 | 355 | 8.02 | 3.01 | 2.00 |
| | उपयोग | 2 | 6 | 74.62 | 2508 | 54.18 | 20.44 | 29.85 |
| 1. | पंजाब | लुधियाना | 1 | 66.64 | 4832 | 33.27 | 33.37 | 24.95 |
| 2. | पंजाब | अमृतसर | 1 | 5.79 | 320 | 2.88 | 2.91 | 1.44 |
| | उपयोग | 2 | 2 | 72.43 | 5152 | 36.15 | 36.28 | 26.39 |
| 1. | पुडुचेरी | पुडुचेरी | 3 | 135.98 | 2964 | 83.20 | 52.78 | 22.93 |
| | उपयोग | 1 | 3 | 135.98 | 2964 | 83.20 | 52.78 | 22.93 |
| 1. | राजस्थान | अजमेर-पुष्कर | 1 | 107.71 | 5337 | 84.57 | 23.14 | 42.28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | राजस्थान | जयपुर | 2 | 181.50 | 5814 | 88.11 | 93.39 | 43.18 |
| | उपयोग | 2 | 3 | 289.21 | 11151 | 172.67 | 116.54 | 85.47 |
| 1. | तमिलनाडु | चेन्नई | 23 | 1369.28 | 37387 | 592.52 | 776.76 | 333.78 |
| 2. | तमिलनाडु | कोयम्बटूर | 17 | 574.80 | 27637 | 265.62 | 309.18 | 128.70 |
| 3. | तमिलनाडु | मदुरै | 11 | 379.21 | 25894 | 181.64 | 197.57 | 143.59 |
| | उपयोग | 3 | 51 | 2323.29 | 90918 | 1039.78 | 1283.51 | 606.06 |
| 1. | सिक्किम | गंगटोक | 3 | 33.58 | 254 | 29.06 | 4.52 | 21.79 |
| | उपयोग | 1 | 3 | 33.58 | 254 | 29.06 | 4.52 | 21.79 |
| 1. | त्रिपुरा | अगरतला | 1 | 16.73 | 256 | 13.96 | 2.77 | 13.96 |
| | उपयोग | 1 | 1 | 16.73 | 256 | 13.96 | 2.77 | 13.96 |
| 1. | उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | 5 | 68.46 | 1635 | 31.66 | 36.79 | 15.45 |
| 2. | उत्तर प्रदेश | आगरा | 10 | 605.55 | 16793 | 280.46 | 325.08 | 189.54 |
| 3. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 8 | 371.72 | 14044 | 172.57 | 199.15 | 89.38 |
| 4. | उत्तर प्रदेश | मथुरा | 7 | 214.10 | 4598 | 158.49 | 55.60 | 104.02 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | मेरठ | 14 | 391.86 | 10838 | 180.49 | 211.37 | 174.19 |
| 6. | उत्तर प्रदेश | कानपुर | 14 | 456.12 | 143.46 | 211.51 | 244.61 | 136.87 |
| 7. | उत्तर प्रदेश | वाराणसी | 10 | 246.00 | 5963 | 113.86 | 132.14 | 61.91 |
| | उपयोग | 7 | 68 | 2353.80 | 68217 | 1149.04 | 1204.75 | 771.37 |
| 1. | उत्तराखंड | देहरादून | 9 | 62.62 | 1362 | 48.04 | 14.58 | 13.13 |
| 2. | उत्तराखंड | हरीद्वार | 1 | 3.62 | 96 | 2.90 | 0.72 | 2.17 |
| 3. | उत्तराखंड | नैनीताल | 2 | 19.79 | 341.00 | 14.39 | 5.40 | 3.60 |
| | उपयोग | 3 | 12 | 86.03 | 1799 | 65.33 | 20.70 | 18.90 |
| 1. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 94 | 3673.17 | 136326 | 1799.28 | 1859.24 | 783.90 |
| 2. | पश्चिम बंगाल | आसनसोल | 12 | 622.80 | 24344 | 309.25 | 312.58 | 163.97 |
| | उपयोग | 2 | 106 | 4295.97 | 160670 | 2108.52 | 2171.82 | 947.87 |
| | कुल योग | 65 | 502 | 29303.30 | 1028504 | 14635.13 | 14650.17 | 7986.61 |

जेएनएनयूआरएम परियोजना प्रकोष्ठ-एनबीओ सीएसएमसी की दिनांक 17.02.2012 को हुई 124वीं बैठक के समय तक अनुमोदित परियोजनाएं।

## विवरण III

*एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)*
*कुल अनुमोदित परियोजनाएं*

(6.3.2012 की स्थिति के अनुसार)
(करोड़ रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | जिला का नाम | कस्बे शहरी स्थानीय निकाय का नाम | अनुमोदित परियोजनाओं की कुल संख्या | अनुमोदित कुल परियोजना लागत | अनुमोदित रिहायशी कुल संख्या नई उन्नयन | कुल अंश | जारी कुल एसीए |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | कुरनूल | अदोनी (संशोधन) | 1 | 4.75 | 0 | 3.80 | 2.97 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | अनाकापल्ले (फेस-I) | 1 | 1.54 | 384 | 1.23 | 0.92 |
| 3. | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | अनकपल्ले (फेस-II) (संशोधित) | 1 | 3.50 | 0 | 2.80 | 2.80 |
| 4. | आंध्र प्रदेश | गुंटूर | बापतला बुनियादी सुविधाओं (संशोधित) | 1 | 8.32 | 0 | 8.10 | 6.10 |
| 5. | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | बेनुपट्टम | 1 | 3.39 | 0 | 2.72 | 2.72 |
| 6. | आंध्र प्रदेश | निजामाबाद | बोधन, जिला आदिलाबाद (संशोधित) | 1 | 5.74 | 0 | 4.60 | 3.75 |
| 7. | आंध्र प्रदेश | नालगोंडा | बुवनगरी-इंफ्रास्ट्रक्चर (संशोधित) | 1 | 10.80 | 0 | 8.64 | 8.88 |
| 8. | आंध्र प्रदेश | गुंटूर | चिलकालूपेट (संशोधित) | 1 | 15.38 | 0 | 12.00 | 12.00 |
| 9. | आंध्र प्रदेश | प्रकाशम | चिराला | 1 | 3.52 | 0 | 2.82 | 2.82 |
| 10. | आंध्र प्रदेश | चित्तोर | चित्तौर | 1 | 4.22 | 0 | 3.38 | 3.38 |
| 11. | आंध्र प्रदेश | कुरनूल | धोने जिला, कर्नूल | 1 | 2.24 | 0 | 1.79 | 0.90 |
| 12. | आंध्र प्रदेश | महबूबनगर | गडवाल (फेज-I) | 1 | 6.53 | 513 | 5.22 | 3.92 |
| 13. | आंध्र प्रदेश | महबूबनगर | गडवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (फेज-II) | 1 | 3.55 | 0 | 2.84 | 1.42 |
| 14. | आंध्र प्रदेश | नेल्लोर | गुडूर | 1 | 12.01 | 1559 | 9.61 | 9.61 |
| 15. | आंध्र प्रदेश | गुंटूर | गुंटूर-बुनियादी ढांचे (फेज-I) | 1 | 19.83 | 0 | 15.86 | 11.90 |
| 16. | आंध्र प्रदेश | गुंटूर | गुंटूर शहर (फेज-II) | 1 | 33.56 | 1792 | 19.11 | 16.24 |
| 17. | आंध्र प्रदेश | कुडापाह | इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलोनी, राजमापेट | 1 | 4.21 | 263 | 2.94 | 1.47 |
| 18. | आंध्र प्रदेश | वारंगल | जनगांव (संशोधित) | 1 | 14.11 | 0 | 11.29 | 12.80 |
| 19. | आंध्र प्रदेश | कुडापाह | कडप्पा बुगावनका (फेज-I) | 1 | 7.07 | 600 | 5.66 | 2.83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | आंध्र प्रदेश | कुडापाह | कडप्पा मृत्युनजया कॉलोनी (फेज-II) | 1 | 7.63 | 434 | 6.10 | 3.05 |
| 21. | आंध्र प्रदेश | कुडापाह | कडप्पा इंफ्रास्ट्रक्चर (फेज-III) (संशोधित) | 1 | 11.79 | 0 | 8.51 | 8.95 |
| 22. | आंध्र प्रदेश | कुडापाह | कडप्पा आजाद नगर कालोनी (फेज-IV) | 1 | 2.61 | 0 | 1.86 | 0.93 |
| 23. | आंध्र प्रदेश | कुडापाह | कडप्पा ममीलाप्लला आवास कालोनी (फेज-V) | 1 | 6.25 | 0 | 5.00 | 5.00 |
| 24. | आंध्र प्रदेश | पूर्व गोदावरी | (डयूमनूपेल्ट) काकीनाडा (फेज-I) | 1 | 10.52 | 720 | 6.69 | 6.69 |
| 25. | आंध्र प्रदेश | पूर्व गोदावरी | काकीनाडा, नेल्लोर (फेज-II) संशोधित | 1 | 11.79 | 0 | 8.51 | 6.38 |
| 26. | आंध्र प्रदेश | पूर्व गोदावरी | काकीनाडा शहर (फेज-III) | 1 | 54.50 | 3120 | 28.73 | 11.87 |
| 27. | आंध्र प्रदेश | करीमनगर | करीमनगर | 1 | 33.63 | 2304 | 23.22 | 17.41 |
| 28. | आंध्र प्रदेश | नेल्लूर | कवाली (फेज-I) | 1 | 1.53 | 0 | 1.22 | 1.22 |
| 29. | आंध्र प्रदेश | नेल्लूर | कवाली (फेज-II) | 1 | 4.33 | 0 | 3.46 | 3.46 |
| 30. | आंध्र प्रदेश | खम्मम | खम्मम (पोलेपिल्ली) | 1 | 8.60 | 725 | 5.72 | 4.29 |
| 31. | आंध्र प्रदेश | खम्मम | कोथागुडेम | 1 | 11.26 | 938 | 7.50 | 7.50 |
| 32. | आंध्र प्रदेश | कर्नूल | कुरनूल (फेज-I) | 1 | 25.46 | 2112 | 16.99 | 16.99 |
| 33. | आंध्र प्रदेश | कर्नूल | कुरनूल (फेज-II) (संशोधित) | 1 | 18.55 | 0 | 14.84 | 7.91 |
| 34. | आंध्र प्रदेश | गुंटूर | मरचेला (संशोधित) | 1 | 16.81 | 0 | 11.99 | 11.99 |
| 35. | आंध्र प्रदेश | कृष्ण | मछलीपट्टनम (संशोधित) | 1 | 9.17 | 0 | 7.34 | 3.85 |
| 36. | आंध्र प्रदेश | चित्तोर | मदनापल्ले (संशोधित) | 1 | 4.29 | 0 | 3.43 | 3.80 |
| 37. | आंध्र प्रदेश | महबूबनगर | महबूबनगर (फेज-I) | 1 | 9.65 | 525 | 7.72 | 3.86 |
| 38. | आंध्र प्रदेश | महबूबनगर | महबूबनगर (फेज-II) बुनियादी ढांचे (संशोधित) | 1 | 12.22 | 0 | 9.78 | 10.83 |
| 39. | आंध्र प्रदेश | अदिलाबाद | मनचिरायल-इंफ्रास्ट्रक्चर (संशोधित) | 1 | 15.49 | 0 | 11.82 | 12.52 |
| 40. | आंध्र प्रदेश | नलगोंडा | मिरलयगुडा (फेज-I) | 1 | 7.89 | 986 | 6.31 | 3.16 |
| 41. | आंध्र प्रदेश | नलगोंडा | मिरलयगुडा इंफ्रास्ट्रक्चर (फेज-II) (संशोधित) | 1 | 14.50 | 0 | 11.60 | 11.60 |
| 42. | आंध्र प्रदेश | नलगोंडा | नलगोंडा (फेज-I) | 1 | 3.37 | 378 | 2.70 | 1.35 |
| 43. | आंध्र प्रदेश | नलगोंडा | नलगोंडा इंफ्रास्ट्रक्चर (संशोधित) (फेज-II) | 1 | 12.28 | 0 | 9.82 | 10.87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | आंध्र प्रदेश | गुंटूर | नरासरापेट इंफ्रास्ट्रक्चर (संशोधित) | 1 | 19.67 | 0 | 15.68 | 15.68 |
| 45. | आंध्र प्रदेश | महबूबनगर | नारायणपेट (संशोधित) | 1 | 12.58 | 0 | 10.07 | 10.07 |
| 46. | आंध्र प्रदेश | अदिलाबाद | निर्मल (संशोधित) | 1 | 10.26 | 0 | 8.21 | 4.45 |
| 47. | आंध्र प्रदेश | निज़ामाबाद | निज़ामाबाद | 1 | 10.46 | 1020 | 7.55 | 5.66 |
| 48. | आंध्र प्रदेश | प्रकाशम | ओन्गोल | 1 | 2.84 | 0 | 2.27 | 2.27 |
| 49. | आंध्र प्रदेश | खम्मम | पलवंचा शहर, जिला खम्मम (संशोधित) | 1 | 4.50 | 0 | 3.60 | 2.50 |
| 50. | आंध्र प्रदेश | पूर्व गोदावरी | पेडुपरम | 1 | 34.50 | 1831 | 18.90 | 15.98 |
| 51. | आंध्र प्रदेश | गुंटूर | पुन्नुर (संशोधित) | 1 | 13.27 | 0 | 10.62 | 5.52 |
| 52. | आंध्र प्रदेश | कुडापाह | पेलुवेंडुला (संशोधित) | 1 | 14.69 | 0 | 11.75 | 8.82 |
| 53. | आंध्र प्रदेश | कुडापाह | पोरडटाथुर कडप्पा | 1 | 19.07 | 1500 | 12.85 | 12.85 |
| 54. | आंध्र प्रदेश | पूर्व गोदावरी | राजमुंदरी (फेज-I) | 1 | 41.63 | 3192 | 25.64 | 19.23 |
| 55. | आंध्र प्रदेश | पूर्व गोदावरी | राजमुंदरी (फेज-II) | 1 | 55.68 | 2832 | 29.40 | 12.44 |
| 56. | आंध्र प्रदेश | मेडक | रामचंद्रपुरम | 1 | 9.96 | 768 | 6.15 | 4.61 |
| 57. | आंध्र प्रदेश | कुडापाह | रयाचोटी | 1 | 16.72 | 1272 | 11.34 | 5.67 |
| 58. | आंध्र प्रदेश | गुंटूर | रेपल्ले, जिला गुंटूर (संशोधित) | 1 | 5.82 | 0 | 4.65 | 5.00 |
| 59. | आंध्र प्रदेश | पूर्व गोदावरी | समलकोटा (फेज-I) | 1 | 13.51 | 912 | 8.62 | 6.47 |
| 60. | आंध्र प्रदेश | पूर्व गोदावरी | समलकोटा शहर (फेज-II) | 1 | 36.61 | 2008 | 21.82 | 9.30 |
| 61. | आंध्र प्रदेश | मेडक | संगारेडी, जिला मेडक | 1 | 6.80 | 559 | 4.55 | 3.41 |
| 62. | आंध्र प्रदेश | गुंटूर | सटेनपल्ली (संशोधित) | 1 | 14.10 | 0 | 11.14 | 11.14 |
| 63. | आंध्र प्रदेश | मेडक | सिद्धीपेट | 1 | 3.97 | 0 | 3.18 | 3.18 |
| 64. | आंध्र प्रदेश | करीमनगर | सिरकीला | 1 | 7.22 | 766 | 5.78 | 4.33 |
| 65. | आंध्र प्रदेश | नलगोंडा | सूर्या पेट (फेज-I) | 1 | 12.45 | 1556 | 9.96 | 4.98 |
| 66. | आंध्र प्रदेश | नलगोंडा | सूर्या पेट इंफ्रास्ट्रक्चर (फेज-II) | 1 | 23.27 | 0 | 18.62 | 18.62 |
| 67. | आंध्र प्रदेश | रंगारेड्डी | तनदुरू | 1 | 13.82 | 0 | 11.06 | 11.06 |
| 68. | आंध्र प्रदेश | गुंटूर | तेनाली, जिला गुंटूर (संशोधित) | 1 | 5.16 | 0 | 4.13 | 3.22 |
| 69. | आंध्र प्रदेश | चित्तौर | तिरूपति (फेज-I) | 1 | 55.36 | 4087 | 37.75 | 37.75 |
| 70. | आंध्र प्रदेश | चित्तौर | तिरूपति (फेज-II) | 1 | 45.41 | 2136 | 25.66 | 12.83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71. | आंध्र प्रदेश | चित्तोर | तिरूपति (फेज-III) | 1 | 32.72 | 1560 | 18.38 | 9.19 |
| दिनांक 20.1.12 को हुई 122वीं बैठक में परियोजना को निरस्त कर बीएसयूपी के लिए परिवर्तित किया गया है। | | चित्तोर | तिरूपति (पीडपेटा और अविला फेज-IV) | | | | | 0.00 |
| 72. | आंध्र प्रदेश | गुंटूर | विनुकोंडा (संशोधित) | 1 | 14.71 | 0 | 11.75 | 11.75 |
| 73. | आंध्र प्रदेश | महबूबनगर | वरनापट्टी (फेज-I) | 1 | 3.57 | 384 | 2.85 | 2.85 |
| 74. | आंध्र प्रदेश | महबूबनगर | वनापट्टी-इंफ्रास्ट्रक्चर (फेज-II) (संशोधित) | 1 | 11.74 | 0 | 9.39 | 9.39 |
| 75. | आंध्र प्रदेश | खम्मम | येलोना, जिला खम्मम | 1 | 2.86 | 0 | 2.29 | 1.14 |
| 76. | आंध्र प्रदेश | मेडक | जाहिराबाद, मेडक | 1 | 11.20 | 800 | 7.68 | 3.84 |
| | कुल | | 56 | 76 | 1064.51 | 44536 | 738.51 | 578.07 |
| 1. | अंडमान और निकोबार | अंडमान | पोर्ट ब्लेयर | 1 | 9.88 | 0 | 8.90 | 3.16 |
| 2. | अंडमान और निकोबार | अंडमान | पोर्ट ब्लेयर | 1 | 5.27 | 40 | 4.74 | 2.37 |
| | अंडमान और निकोबार | | 1 | 2 | 15.15 | 40 | 13.64 | 5.53 |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | दिबांग वैली | रोइंग कस्बा | 1 | 9.95 | 176 | 8.96 | 4.48 |
| | अरुणाचल प्रदेश | | 1 | 1 | 9.95 | 176 | 8.96 | 4.48 |
| 1. | असम | करीमगंज | बदरपुर | 1 | 1.23 | 56 | 1.11 | 0.55 |
| 2. | असम | कार्बी आंगलोंग | बोकाजन | 1 | 10.49 | 1010 | 8.61 | 4.30 |
| 3. | असम | नगांव | डिंग | 1 | 3.00 | 790 | 2.57 | 1.28 |
| 4. | असम | धुबरी | धुबरी | 1 | 5.46 | 99 | 4.68 | 2.34 |
| 5. | असम | गोलाघाट | गोलाघाट | 1 | 3.59 | 839 | 3.08 | 1.54 |
| 6. | असम | नगांव | कमपुर शहर | 1 | 1.81 | 384 | 1.55 | 0.78 |
| 7. | असम | कोकराझार | कोकराझार | 1 | 17.92 | 1301 | 13.73 | 6.87 |
| 8. | असम | करीमगंज | करीमगंज | 1 | 5.55 | 458 | 4.99 | 2.50 |
| 9. | असम | नगांव | श्रीलंका | 1 | 2.66 | 409 | 2.28 | 1.14 |
| 10. | असम | डरांग | मंगलदोई | 1 | 3.85 | 949 | 3.30 | 1.65 |
| 11. | असम | नगांव | नगांव | 1 | 14.38 | 802 | 11.48 | 5.74 |
| 12. | असम | नलबाड़ी | नलबाड़ी | 1 | 2.94 | 201 | 2.52 | 1.26 |
| 13. | असम | कामरूप | पलाशबरी | 1 | 2.07 | 108 | 1.76 | 0.88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | असम | बरपेटा | सर्थबरी. शहर | 1 | 1.62 | 260 | 1.39 | 0.70 |
| 15. | असम | नलबाड़ी | थियू | 1 | 3.89 | 162 | 3.29 | 1.65 |
| 16. | असम | तिनसुकिया | तिनसुकिया | 1 | 4.52 | 840 | 3.88 | 1.94 |
| | | कुल | 16 | 16 | 84.99 | 8668 | 70.22 | 35.11 |
| 1. | बिहार | भोजपुर | आरा | 1 | 31.22 | 754 | 15.06 | 7.53 |
| 2. | बिहार | अररिया | अररिया शहर | 1 | 21.26 | 728 | 11.13 | 5.56 |
| 3. | बिहार | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 1 | 3.08 | 247 | 2.43 | 1.21 |
| 4. | बिहार | बाढ़ | बाढ़ | 1 | 34.66 | 1154 | 15.42 | 7.71 |
| 5. | बिहार | किशनगंज | बहादुरगंज | 1 | 5.00 | 294 | 3.63 | 1.82 |
| 6. | बिहार | बेगूसराय | बेगूसराय | 1 | 24.50 | 853 | 15.86 | 7.93 |
| 7. | बिहार | भागलपुर | भागलपुर | 1 | 16.56 | 1188 | 11.72 | 5.86 |
| 8. | बिहार | नालन्दा | बिहारशरीफ | 1 | 24.54 | 810 | 16.08 | 8.04 |
| 9. | बिहार | गया | गया | 1 | 44.59 | 1747 | 19.18 | 0.00 |
| 10. | बिहार | अररिया | फारबेसगंज | 1 | 21.53 | 870 | 9.02 | 4.51 |
| 11. | बिहार | जमुई | जमुई | 1 | 25.30 | 960 | 11.17 | 5.58 |
| 12. | बिहार | अररिया | जोगबनी | 1 | 12.71 | 321 | 6.64 | 3.32 |
| 13. | बिहार | मुजफ्फरपुर | कांति | 1 | 3.20 | 143 | 2.56 | 1.28 |
| 14. | बिहार | किशनगंज | किशनगंज (फेज-I) | 1 | 12.02 | 552 | 8.74 | 4.37 |
| 15. | बिहार | किशनगंज | किशनगंज (फेस-II) | 1 | 30.55 | 1255 | 12.62 | 6.31 |
| 16. | बिहार | मधेपुरा | मधेपुरा (फेस-I) | 1 | 12.43 | 319 | 6.44 | 3.22 |
| 17. | बिहार | मधेपुरा | मधेपुरा (फेस-II) | 1 | 20.32 | 776 | 9.99 | 4.99 |
| 18. | बिहार | मुजफ्फरपुर | मोतीपुर | 1 | 5.44 | 520 | 4.29 | 2.14 |
| 19. | बिहार | मुंगेर | मुंगेर | 1 | 20.19 | 868 | 8.55 | 4.28 |
| 20. | बिहार | पश्चिम चम्पारण | नरकटियागंज | 1 | 3.84 | 300 | 2.93 | 1.46 |
| 21. | बिहार | पुर्णिया | पूर्णिया | 1 | 14.90 | 1487 | 10.83 | 5.42 |
| 22. | बिहार | समस्तीपुर | रोसरा | 1 | 14.32 | 1562 | 10.76 | 5.38 |
| 23. | बिहार | सहरसा | सहरसा | 1 | 19.33 | 820 | 8.84 | 4.42 |
| 24. | बिहार | शेखपुरा | शेखपुरा | 1 | 2.38 | 207 | 1.87 | 0.94 |
| 25. | बिहार | सुपौल | सुपौल | 1 | 7.99 | 207 | 4.12 | 2.06 |
| | | कुल | 23 | 25 | 431.85 | 18942 | 229.88 | 105.35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | छत्तीसगढ़ | रायपुर | अभानपुर | 1 | 2.61 | 210 | 1.92 | 1.92 |
| 2. | छत्तीसगढ़ | दुर्ग | बालोद | 1 | 2.58 | 200 | 1.91 | 1.91 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | दुर्ग | बेमटारा | 1 | 2.58 | 200 | 1.91 | 1.91 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | रायपुर | भाटापाड़ा | 1 | 4.98 | 450 | 3.62 | 3.62 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | दुर्ग | भिलाई | 1 | 12.16 | 1168 | 8.79 | 8.79 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | बिलासपुर | बिलासपुर (चरण-I) | 1 | 17.85 | 1344 | 12.13 | 9.10 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | बिलासपुर | बिलासपुर (चरण-II) | 1 | 79.33 | 6492 | 53.08 | 39.81 |
| 8. | छत्तीसगढ़ | राजनंदगांव | डोंगरगांव | 1 | 7.99 | 480 | 6.01 | 3.00 |
| 9. | छत्तीसगढ़ | राजनंदगांव | डोंगरागढ़ | 1 | 2.58 | 200 | 1.91 | 1.43 |
| 10. | छत्तीसगढ़ | दुर्ग | दुर्ग | 1 | 18.14 | 1638 | 13.20 | 13.20 |
| 11. | छत्तीसगढ़ | बस्तर | जगदलपुर | 1 | 9.02 | 880 | 6.51 | 6.51 |
| 12. | छत्तीसगढ़ | दुर्ग | जमूल | 1 | 2.95 | 228 | 2.18 | 2.18 |
| 13. | छत्तीसगढ़ | कवर्धा | कवर्धा | 1 | 15.63 | 1032 | 11.68 | 5.84 |
| 14. | छत्तीसगढ़ | राजनंदगांव | खैरागढ़ | 1 | 7.52 | 492 | 5.62 | 2.81 |
| 15. | छत्तीसगढ़ | दुर्ग | कुमाहरी | 1 | 3.40 | 320 | 2.46 | 2.46 |
| 16. | छत्तीसगढ़ | धमतारी | खुर्द | 1 | 2.38 | 204 | 1.74 | 1.74 |
| 17. | छत्तीसगढ़ | रायगढ़ | रायगढ़ | 1 | 15.93 | 1312 | 10.65 | 5.32 |
| 18. | छत्तीसगढ़ | राजनंदगांव | राजनंदगांव | 1 | 17.97 | 1072 | 13.52 | 6.76 |
| | | कुल | 17 | 18 | 225.60 | 17922 | 158.83 | 118.31 |
| 1. | दादरा और नगर हवेली | दादरा और नगर हवेली | सिलवासा फेज-I | 1 | 0.50 | 0 | 0.45 | 0.23 |
| 2. | दादरा और नगर हवेली | दादरा और नगर हवेली | सिलवासा फेज-II | 1 | 5.24 | 144 | 2.89 | 1.45 |
| | दादरा और नगर हवेली | दादरा और नगर हवेली | 1 | 2 | 5.74 | 144.00 | 3.34 | 1.67 |
| 1. | दमन और दीव | दमन | दमन | 1 | 0.69 | 16 | 0.58 | 0.29 |
| | दमन और दीव | | 1 | 1 | 0.69 | 16 | 0.58 | 0.29 |
| 1. | गुजरात | अमरेली | अमरेली | 1 | 10.65 | 742 | 7.30 | 3.65 |
| 2. | गुजरात | आनंद | अनकल्व | 1 | 12.22 | 804 | 7.73 | 3.86 |
| 3. | गुजरात | आनंद | आनंद | 1 | 11.64 | 464 | 6.16 | |
| 4. | गुजरात | अमरेली | बगासेरा | 1 | 5.39 | 386 | 3.69 | 2.77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | गुजरात | आनंद | बोरियावई | 1 | 8.33 | 611 | 4.40 | 3.30 |
| 6. | गुजरात | भावनगर | भावनगर | 1 | 15.88 | 1000 | 10.81 | 5.41 |
| 7. | गुजरात | जुनागढ़ | चोरवाड़ | 1 | 28.17 | 1088 | 15.78 | 0.00 |
| 8. | गुजरात | सुरेन्द्रनगर | चोटिला | 1 | 5.61 | 240 | 3.17 | 0.00 |
| 9. | गुजरात | | डेहगाम | 1 | 7.45 | 256 | 4.45 | 0.00 |
| 10. | गुजरात | दाहोद | दाहोद | 1 | 12.32 | 480 | 8.01 | 4.01 |
| 11. | गुजरात | अहमदाबाद | धनडुका | 1 | 8.82 | 666 | 6.33 | 3.16 |
| 12. | गुजरात | वलसाड | धरमपुर | 1 | 1.76 | 132 | 1.16 | 0.58 |
| 13. | गुजरात | सुरेन्द्रनगर | धरांगधारा | 1 | 6.11 | 564 | 4.85 | 3.63 |
| 14. | गुजरात | राजकोट | गोंडल | 1 | 18.68 | 1775 | 14.46 | 14.46 |
| 15. | गुजरात | पंच महल | हलोल | 1 | 6.09 | 446 | 4.87 | 2.44 |
| 16. | गुजरात | सुरेन्द्रनगर | हलवेड | 1 | 14.86 | 828 | 9.82 | 4.91 |
| 17. | गुजरात | सबरकंटा | हिम्मतनगर | 1 | 15.20 | 1296 | 9.82 | 4.91 |
| 18. | गुजरात | ईदार | ईदार | 1 | 24.72 | 1056 | 13.99 | |
| 19. | गुजरात | जामनगर | जामनगर | 1 | 10.06 | 864 | 7.33 | 5.50 |
| 20. | गुजरात | जामनगर | वैभव के तहत जामनगर एमसी (योजना नहीं 18,631) | 1 | 3.31 | 254 | 0.51 | 0.51 |
| 21. | गुजरात | राजकोट | जेतपुर | 1 | 16.20 | 1130 | 10.75 | 5.38 |
| 22. | गुजरात | कोदिनार | कोदिनार | 1 | 13.76 | 512 | 7.92 | |
| 23. | गुजरात | पोरबंदर | कुटियाना | 1 | 11.90 | 608 | 6.73 | |
| 24. | गुजरात | वडोदरा | कर्जन | 1 | 12.28 | 512 | 6.52 | |
| 25. | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 1 | 5.97 | 400 | 4.03 | 2.02 |
| 26. | गुजरात | महेसाणा | कडी | 1 | 14.06 | 664 | 8.62 | 4.31 |
| 27. | गुजरात | आनंद | खंभात | 1 | 7.21 | 606 | 4.70 | 2.35 |
| 28. | गुजरात | सुरेन्द्रनगर | लिमडी | 1 | 5.18 | 384 | 2.95 | 1.48 |
| 29. | गुजरात | भावनगर | महुवा | 1 | 6.66 | 500 | 3.65 | 1.83 |
| 30 | गुजरात | कच्छ | मांडवी | 1 | 19.54 | 1548 | 13.16 | 6.58 |
| 31. | गुजरात | साबरकंटा | मोडासा | 1 | 14.95 | 576 | 9.75 | 4.88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | गुजरात | राजकोट | मोरबी | 1 | 27.52 | 1008 | 15.53 | |
| 33. | गुजरात | नवसारी | नवसारी | 1 | 14.46 | 992 | 9.92 | 4.96 |
| 34. | गुजरात | नवसारी | वैभव तहत नवसारी एनपी (योजना नहीं 18,794) | 1 | 2.27 | 387 | 0.77 | 0.77 |
| 35. | गुजरात | | पादरा | 1 | 4.14 | 168 | 2.25 | |
| 36. | गुजरात | पाटन | पाटन | 1 | 13.12 | 1320 | 9.13 | 4.57 |
| 37. | गुजरात | आनंद | पेटलड | 1 | 14.20 | 836 | 8.19 | 4.10 |
| 38. | गुजरात | साबरकंटा | प्रांतिज | 1 | 5.09 | 449 | 3.45 | 1.72 |
| 39. | गुजरात | राजकोट | राजकोट वैभव के तहत एमसी (योजना नहीं 18,881) | 1 | 11.60 | 1160 | 2.90 | 2.90 |
| 40. | गुजरात | पंचमहल | संतरामपुर | 1 | 5.38 | 272 | 3.05 | |
| 41. | गुजरात | सूरत | सोनगढ़ | 1 | 11.54 | 784 | 7.16 | 3.58 |
| 42. | गुजरात | आनंद | उमरेठ | 1 | 11.33 | 760 | 7.50 | 3.75 |
| 43. | गुजरात | जूनागढ़ | यूना | 1 | 13.44 | 1272 | 9.67 | 4.84 |
| 44. | गुजरात | महेसाणा | उंचा | 1 | 9.40 | 624 | 5.55 | 4.16 |
| 45. | गुजरात | राजकोट | उपलेटा | 1 | 5.62 | 396 | 3.47 | 1.74 |
| 46. | गुजरात | वडोदरा | वडोदरा वैभव के तहत एमसी (योजना नहीं 18,020) | 1 | 0.88 | 86 | 0.22 | 0.22 |
| 47. | गुजरात | वडोदरा | वडोदरा वैभव के तहत एमसी (योजना नहीं 18,021) | 1 | 5.76 | 768 | 1.92 | 1.92 |
| 48. | गुजरात | जूनागढ़ | वेरावल-पाटन | 1 | 24.01 | 960 | 13.28 | |
| 49. | गुजरात | वलसाड | वलसाड | 1 | 12.10 | 926 | 7.47 | 3.73 |
| 50. | गुजरात | वलसाड | वापी | 1 | 11.51 | 1008 | 7.18 | 3.59 |
| | कुल | | 49 | 50 | 558.36 | 35568 | 342.03 | 138.44 |
| 1. | गोवा | साउथ गोवा | कनसोलीम | 1 | 4.10 | 70 | 1.40 | |
| | कुल | | 1 | 1 | 4.10 | 70 | 1.40 | 0.00 |
| 1. | हिमाचल प्रदेश | सोलन | बद्दी | 1 | 14.75 | 480 | 8.91 | 4.45 |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | कंगरा | धर्मशाला | 1 | 9.42 | 328 | 6.62 | 3.31 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | हमीरपुर | हमीरपुर | 1 | 4.43 | 152 | 3.41 | 1.71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | हिमाचल प्रदेश | सोलन | नालागढ़ | 1 | 5.47 | 128 | 3.75 | 1.88 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | सोलन | परवानो | 1 | 11.68 | 192 | 8.22 | 4.11 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | मंडी | सुंदरनगर | 1 | 9.99 | 208 | 6.63 | 3.32 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | मंडी | सरकाघाट | 1 | 7.39 | 130 | 5.08 | 2.54 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | सोलन | सोलन | 1 | 9.58 | 336 | 6.16 | 3.08 |
| | कुल | | 8 | 8 | 72.71 | 1954 | 48.79 | 24.39 |
| 1. | हरियाणा | अम्बाला | अम्बाला सिटी | 1 | 15.40 | 495 | 12.32 | 9.24 |
| 2. | हरियाणा | अम्बाला | अम्बाला सदर | 1 | 11.41 | 423 | 9.13 | 6.85 |
| 3. | हरियाणा | अम्बाला | अम्बाला-बंधुनगर | 1 | 3.17 | 192 | 2.53 | 1.27 |
| 4. | हरियाणा | अम्बाला | नैरानगढ़ (अम्बाला) | 1 | 7.19 | 611 | 5.76 | 4.32 |
| 5. | हरियाणा | भिवानी | भिवानी | 1 | 28.92 | 1679 | 23.14 | 23.14 |
| 6. | हरियाणा | भिवानी | दादरी | 1 | 12.11 | 605 | 9.69 | 9.69 |
| 7. | हरियाणा | हिसार | हिसार | 1 | 26.81 | 1360 | 18.95 | 9.48 |
| 8. | हरियाणा | यमुनानगर | जगाधरी | 1 | 26.52 | 968 | 18.80 | 9.40 |
| 9. | हरियाणा | झज्झर | झज्झर | 1 | 8.07 | 431 | 5.73 | 2.86 |
| 10. | हरियाणा | जींद | जींद | 1 | 18.67 | 933 | 14.93 | 7.47 |
| 11. | हरियाणा | पंचकुला | कालका | 1 | 2.59 | 130 | 2.07 | 1.04 |
| 12. | हरियाणा | कुरूक्षेत्र | लाडवा | 1 | 3.56 | 200 | 2.85 | 1.42 |
| 13. | हरियाणा | पंचकुला | पंचकुला (चरण-I) | 1 | 21.52 | 2388 | 17.22 | 8.61 |
| 14. | हरियाणा | पंचकुला | पंचकुला (चरण-II) | 1 | 22.09 | 2449 | 17.67 | 8.84 |
| 15. | हरियाणा | पंचकुला | पंचकुला (चरण-II) | 1 | 22.16 | 2457 | 17.73 | 8.86 |
| 16. | हरियाणा | पंचकुला | पिंजौर | 1 | 3.79 | 150 | 3.03 | 1.51 |
| 17. | हरियाणा | रेवाड़ी | रेवाड़ी | 1 | 27.09 | 485 | 19.20 | 14.40 |
| 18. | हरियाणा | यमुनानगर | यमुनानगर | 1 | 11.20 | 652 | 8.96 | 4.48 |
| | कुल | | 15 | 18 | 272.26 | 16608 | 209.70 | 132.86 |
| 1. | जम्मू और कश्मीर | अनंतनाग | अनंतनाग | 1 | 3.47 | 53 | 3.08 | 3.08 |
| 2. | जम्मू और कश्मीर | बारामूला | बांदीपुरा | 1 | 5.16 | 413 | 4.18 | 3.35 |
| 3. | जम्मू और कश्मीर | डोडा | बनिहाल | 1 | 4.13 | 57 | 3.11 | 1.56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | जम्मू और कश्मीर | बारामूला | बारामूला (चरण-I) | 1 | 8.40 | 672 | 6.80 | 2.72 |
| 5. | जम्मू और कश्मीर | बारामूला | बारामूला (चरण-II) | 1 | 3.47 | 0 | 3.12 | 1.56 |
| 6. | जम्मू और कश्मीर | कठुआ | बसहोली | 1 | 4.64 | 592 | 3.34 | 2.51 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | डोडा | बटोटे | 1 | 3.57 | 114 | 3.02 | 1.51 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | बडगाम | बडगाम (हाउसिंग) | 1 | 1.06 | 85 | 0.86 | 0.69 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | बडगाम | बडगाम (इन्फ्रास्ट्रक्चर) | 1 | 0.75 | 0 | 0.67 | 0.34 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | ऊधमपुर | चेन्नई | 1 | 2.38 | 103 | 1.77 | 0.88 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | बारामूला | उरी | 1 | 1.55 | 51 | 1.21 | 0.60 |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | जम्मू | अरनिया | 1 | 2.81 | 124 | 2.08 | 1.04 |
| 13. | जम्मू और कश्मीर | डोडा | भद्रवाह | 1 | 2.45 | 103 | 1.83 | 0.91 |
| 14. | जम्मू और कश्मीर | कठुआ | भिलावर | 1 | 3.53 | 175 | 2.54 | 1.27 |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | जम्मू | चक मलाल | 1 | 2.12 | 92 | 1.57 | 0.78 |
| 16. | जम्मू और कश्मीर | अनंतनाग | दोरू विरंग | 1 | 2.49 | 82 | 1.94 | 0.97 |
| 17. | जम्मू और कश्मीर | राजौरी | कलाकोटे | 1 | 3.34 | 140 | 2.49 | 1.25 |
| 18. | जम्मू और कश्मीर | अनंतनाग | कोकेरंग | 1 | 2.63 | 83 | 2.07 | 1.03 |
| 19. | जम्मू और कश्मीर | लेह | लेह | 1 | 9.85 | 0 | 8.86 | 4.43 |
| 20. | जम्मू और कश्मीर | जम्मू | डीएलबी, वैभव के तहत कश्मीर (योजना नहीं 18,064) | 1 | 1.58 | 292 | 0.66 | 0.66 |
| 21. | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर | गंदेरबल (हाउसिंग) | 1 | 1.38 | 110 | 1.11 | 0.89 |
| 22. | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर | गंदेरबल (इन्फ्रास्ट्रक्चर) | 1 | 1.34 | 0 | 1.20 | 0.60 |
| 23. | जम्मू और कश्मीर | बारामूला | हाजीन (फेज-I) | 1 | 0.89 | 71 | 0.72 | 0.58 |
| 24. | जम्मू और कश्मीर | बारामूला | हाजीन (फेज-II) | 1 | 0.75 | 0 | 0.68 | 0.34 |
| 25. | जम्मू और कश्मीर | कुपवाड़ा | हंडवाड़ा (फेज-I) | 1 | 2.45 | 196 | 1.98 | 1.59 |
| 26. | जम्मू और कश्मीर | कुपवाड़ा | हंडवाड़ा (फेज-II) | 1 | 1.77 | 0 | 1.59 | 0.80 |
| 27. | जम्मू और कश्मीर | जम्मू | कुहुर | 1 | 4.53 | 313 | 3.43 | 1.71 |
| 28. | जम्मू और कश्मीर | अनंतनाग | कुलगाम (फेज-I) | 1 | 3.20 | 256 | 2.59 | 2.07 |
| 29. | जम्मू और कश्मीर | अनंतनाग | कुलगाम (फेज-II) | 1 | 2.24 | 0 | 2.01 | 1.01 |
| 30. | जम्मू और कश्मीर | कुपवाड़ा | कुपवाड़ा | 1 | 2.83 | 226 | 2.29 | 1.83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | जम्मू और कश्मीर | बड़गाम | मैगाम (फेज-I) | 1 | 1.75 | 140 | 1.42 | 1.13 |
| 32. | जम्मू और कश्मीर | बड़गाम | मैगाम (फेज-II) | 1 | 0.84 | 0 | 0.76 | 0.38 |
| 33. | जम्मू और कश्मीर | अनंतनाग | मत्तान (फेज-I) | 1 | 0.55 | 44 | 0.45 | 0.36 |
| 34. | जम्मू और कश्मीर | अनंतनाग | मत्तान (फेज-II) | 1 | 0.63 | 0 | 0.57 | 0.28 |
| 35. | जम्मू और कश्मीर | राजौरी | नाउसेरा | 1 | 3.24 | 110 | 2.24 | 1.12 |
| 36. | जम्मू और कश्मीर | कठुआ | पैरोल | 1 | 6.70 | 1001 | 4.84 | 2.42 |
| 37. | जम्मू और कश्मीर | पंच | पूंछ | 1 | 7.06 | 270 | 5.06 | 3.79 |
| 38. | जम्मू और कश्मीर | जम्मू | रामगढ़ | 1 | 1.29 | 50 | 1.05 | 0.52 |
| 39. | जम्मू और कश्मीर | ऊधमपुर | रामनगर (फेज-I) | 1 | 2.34 | 187 | 1.89 | 1.14 |
| 40. | जम्मू और कश्मीर | ऊधमपुर | रामनगर (फेज-II) | 1 | 2.24 | 0 | 2.02 | 1.01 |
| 41. | जम्मू और कश्मीर | ऊधमपुर | रियासी (फेज-I) | 1 | 2.79 | 223 | 2.26 | 1.35 |
| 42. | जम्मू और कश्मीर | ऊधमपुर | रियासी (फेज-II) | 1 | 2.72 | 0 | 1.39 | 0.70 |
| 43. | जम्मू और कश्मीर | पुलवामा | शोपियां (फेज-I) | 1 | 1.65 | 132 | 1.34 | 1.07 |
| 44. | जम्मू और कश्मीर | पुलवामा | शोपियां (फेज-II) | 1 | 1.43 | 0 | 1.29 | 0.64 |
| 45. | जम्मू और कश्मीर | बारामूला | सोपोर (फेज-I) | 1 | 5.58 | 446 | 4.52 | 1.81 |
| 46. | जम्मू और कश्मीर | बारामूला | सोपोर (फेज-II) | 1 | 3.41 | 0 | 3.07 | 1.53 |
| 47. | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर | वैभव के तहत श्रीनगर डीए (योजना नहीं 18,632) | 1 | 4.64 | 316 | 0.71 | 0.71 |
| 48. | जम्मू और कश्मीर | बारामुला | समबल (हाउसिंग) | 1 | 2.59 | 207 | 2.10 | 1.68 |
| 49. | जम्मू और कश्मीर | बारामुला | समबल (इन्फ्रास्ट्रक्चर) | 1 | 1.66 | 0 | 1.49 | 0.75 |
| 50. | जम्मू और कश्मीर | राजौरी | थाना मंडी | 1 | 3.76 | 94 | 3.07 | 2.30 |
| | कुल | | 37 | 50 | 147.60 | 7623 | 114.32 | 67.24 |
| 1. | झारखंड | पश्चिमी सिंहभूम | चायबासा | 1 | 12.99 | 736 | 7.51 | 3.76 |
| 2. | झारखंड | चतरा | पीएचडी-फेज-I | 1 | 19.83 | 932 | 11.72 | 5.86 |
| 3. | झारखंड | गिरिडीह | गिरिडीह | 1 | 19.96 | 1132 | 12.24 | 6.12 |
| 4. | झारखंड | गुमला | गुमला | 1 | 19.67 | 1292 | 15.58 | 7.79 |
| 5. | झारखंड | हजारीबाग | हजारीबाग | 1 | 19.83 | 1230 | 11.38 | 5.69 |
| 6. | झारखंड | लोहरदगा | लोहारदंगा | 1 | 35.05 | 1623 | 19.54 | 9.77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | झारखंड | जामताड़ा | मिहिजम | 1 | 27.07 | 1391 | 15.48 | 7.74 |
| 8. | झारखंड | पलामू | मेदिनीनगर | 1 | 19.90 | 969 | 12.39 | 6.19 |
| 9. | झारखंड | बोकारो | पुसहेरो | 1 | 15.94 | 886 | 9.34 | 4.67 |
| 10. | झारखंड | सरकिला-खरसवाम | सरायकेला | 1 | 27.69 | 1353 | 16.15 | 8.07 |
| | कुल | | 10 | 10 | 217.93 | 11544 | 131.33 | 65.66 |
| 1. | केरल | आलाप्पुझा | आलाप्पुझा | 1 | 12.37 | 950 | 8.03 | 4.02 |
| 2. | केरल | एर्नाकुलम | अंगमाली | 1 | 2.80 | 380 | 2.24 | 2.24 |
| 3. | केरल | तिरुअनंतपुरम | एटीनगल | 1 | 1.56 | 201 | 1.25 | 1.25 |
| 4. | केरल | एर्नाकुलम | अलुवा | 1 | 0.58 | 90 | 0.43 | 0.43 |
| 5. | केरल | आलाप्पुझा | चेरथला | 1 | 4.82 | 454 | 3.45 | 1.72 |
| 6. | केरल | कोट्टायम | चंगनशेरी फेज-I | 1 | 3.73 | 388 | 2.69 | 2.02 |
| 7. | केरल | कोट्टायम | चंगनशेरी फेज-II | 1 | 9.64 | 850 | 6.44 | 3.22 |
| 8. | केरल | थ्रिस्सूर | चवाकढ | 1 | 1.60 | 135 | 1.27 | 1.27 |
| 9. | केरल | थ्रिस्सूर | छलाकुडी | 1 | 3.81 | 534 | 2.65 | 1.32 |
| 10. | केरल | पलक्कड़ | चितूर-टाटामंगलम | 1 | 12.74 | 1313 | 9.77 | 7.33 |
| 11. | केरल | थ्रिस्सूर | गुरूवायुर | 1 | 1.84 | 123 | 1.35 | 0.68 |
| 12. | केरल | थ्रिस्सूर | इरिनजालकुडा फेज-I | 1 | 1.09 | 151 | 0.87 | 0.87 |
| 13. | केरल | थ्रिस्सूर | इरिनजालकुडा फेज-II | 1 | 3.78 | 394 | 2.52 | 1.26 |
| 14. | केरल | थ्रिस्सूर | कुदुनगुल्लुर | 1 | 5.69 | 285 | 3.48 | 1.74 |
| 15. | केरल | कोट्टायम | कोट्टायम | 1 | 7.77 | 831 | 5.34 | 2.67 |
| 16. | केरल | कसारगढ | कंचनगढ फेज-I | 1 | 2.06 | 221 | 1.65 | 1.65 |
| 17. | केरल | कसारगढ | कंचनगढ फेज-II | 1 | 5.53 | 855 | 4.13 | 2.06 |
| 18. | केरल | वायनाड | कालपेट्टा | 1 | 1.72 | 78 | 1.18 | 0.59 |
| 19. | केरल | कन्नूर | कन्नूर | 1 | 1.95 | 301 | 1.56 | 0.78 |
| 20. | केरल | कासरगोड | कासरगोड | 1 | 1.33 | 174 | 1.02 | 0.77 |
| 21. | केरल | एर्नाकुलम | कोठामंगलम | 1 | 1.83 | 192 | 1.47 | 0.73 |
| 22. | केरल | कोझिकोडे | कोविलयंडी | 1 | 3.08 | 435 | 2.46 | 2.46 |
| 23. | केरल | कोझिकोडे | कोझिकोड | 1 | 7.15 | 511 | 5.47 | 2.74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | केरल | थ्रिस्सूर | कुन्नाकुलम | 1 | 1.88 | 206 | 1.43 | 1.07 |
| 25. | केरल | कन्नूर | कटुपरम्बा | 1 | 0.82 | 43 | 0.66 | 0.66 |
| 26. | केरल | मलप्पुरम | मलप्पुरम (फेज-I) | 1 | 10.46 | 1229 | 8.36 | 8.36 |
| 27. | केरल | मलप्पुरम | मलप्पुरम (फेज-II) | 1 | 7.54 | 726 | 5.37 | 2.69 |
| 28. | केरल | कन्नूर | मथुनर (फेज-I) | 1 | 1.31 | 128 | 1.05 | 1.05 |
| 29. | केरल | कन्नूर | मथुनर (फेज-II) | 1 | 6.76 | 620 | 4.74 | 2.37 |
| 30. | केरल | एर्नाकुलम | मोवातपुजा | 1 | 5.98 | 874 | 4.78 | 4.77 |
| 31. | केरल | तिरूअनंतपुरम | नेदुमनगड | 1 | 5.40 | 532 | 4.32 | 2.16 |
| 32. | केरल | तिरूअनंतपुरम | नैयाटिंकरा | 1 | 7.97 | 744 | 5.95 | 2.97 |
| 33. | केरल | कोल्लम | उत्तर परवोर (फेज-I) | 1 | 2.89 | 389 | 2.29 | 2.29 |
| 34. | केरल | कोल्लम | उत्तर परवोर (फेज-II) | 1 | 5.85 | 743 | 4.06 | 4.06 |
| 35. | केरल | पलक्काड | ओटापलम (फेज-I) | 1 | 9.36 | 607 | 7.17 | 7.17 |
| 36. | केरल | पलक्काड | ओटापलम (फेज-II) | 1 | 6.65 | 619 | 4.64 | 2.32 |
| 37. | केरल | कन्नूर | पैयानूर | 1 | 3.54 | 314 | 2.30 | 1.15 |
| 38. | केरल | पलक्कड़ | पलक्कड़ | 1 | 21.13 | 2001 | 16.10 | 8.05 |
| 39. | केरल | पथानामथीट्टा | पथानामथीट्टा | 1 | 6.58 | 749 | 5.24 | 2.62 |
| 40. | केरल | मलप्पुरम | पीराइंटालमनम (फेज-I) | 1 | 5.80 | 500 | 4.46 | 4.46 |
| 41. | केरल | मलप्पुरम | पीराइंटालमनम (फेज-II) | 1 | 8.77 | 879 | 6.36 | 6.36 |
| 42. | केरल | एर्नाकुलम | पेरूम्बरयर | 1 | 3.07 | 344 | 2.45 | 1.23 |
| 43. | केरल | मलप्पुरम | पोन्नानी | 1 | 4.40 | 229 | 3.52 | 2.64 |
| 44. | केरल | कोल्लम | पोन्नालूर | 1 | 8.93 | 1012 | 7.14 | 7.14 |
| 45. | केरल | पलक्कड़ | शारानूर | 1 | 10.15 | 596 | 7.09 | 5.32 |
| 46. | केरल | कोल्लम | दक्षिण परावूर | 1 | 2.64 | 373 | 2.11 | 2.11 |
| 47. | केरल | कन्नूर | तलिपराम्बा | 1 | 2.43 | 242 | 1.95 | 1.46 |
| 48. | केरल | थ्रिस्सुर | थ्रिस्सुर | 1 | 4.86 | 246 | 3.14 | 1.57 |
| 49. | केरल | कन्नूर | थालास्सेरी (संशोधित) | 1 | 2.47 | 104 | 1.61 | 0.81 |
| 50. | केरल | इडुक्की | थोडूपूजा | 1 | 3.90 | 420 | 3.12 | 1.56 |
| 51. | केरल | मलप्पुरम | तिरूर सिटी | 1 | 3.72 | 257 | 2.65 | 1.32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | केरल | तिरुअनंतपुरम | वर्कला | 1 | 8.72 | 661 | 6.19 | 3.09 |
| 53. | केरल | कोझिकोड | वाटाकारा | 1 | 0.87 | 62 | 0.61 | 0.30 |
| | | कुल | 45 | 53 | 273.32 | 26295 | 201.60 | 136.97 |
| 1. | कर्नाटक | बागलकोट | बागलकोट (संशोधित) | 1 | 8.43 | 240 | 4.78 | 4.78 |
| 2. | कर्नाटक | बिदार | बसावकलया | 1 | 2.37 | 170 | 1.68 | 1.68 |
| 3. | कर्नाटक | बेलगम | बेलगम (संशोधित) | 1 | 3.03 | 138 | 1.67 | 1.67 |
| 4. | कर्नाटक | बेलैरी | बेलैरी | 1 | 8.66 | 520 | 5.37 | 5.37 |
| 5. | कर्नाटक | गडग | बेटागिरी (संशोधित) | 1 | 22.77 | 738 | 13.13 | 13.13 |
| 6. | कर्नाटक | बिदार | भलकी (संशोधित) | 1 | 3.56 | 150 | 2.03 | 2.03 |
| 7. | कर्नाटक | गुलबर्गा | चिंचचोचली (संशोधित) | 1 | 4.24 | 200 | 2.33 | 2.33 |
| 8. | कर्नाटक | कोलार | चिंतामनी (संशोधित) | 1 | 19.49 | 798 | 10.58 | 10.58 |
| 9. | कर्नाटक | बंगलौर ग्रामीण | डोडाबलापुरा (संशोधित) | 1 | 12.56 | 648 | 6.37 | 6.37 |
| 10. | कर्नाटक | गडग | गजेन्द्रगढ़ (संशोधित) | 1 | 9.17 | 500 | 4.54 | 4.54 |
| 11. | कर्नाटक | कोलार | गोरिबिडनूर (संशोधित) | 1 | 1.94 | 0 | 1.44 | 1.44 |
| 12. | कर्नाटक | गुलबर्ग | गुलबर्गा (संशोधित) | 1 | 16.63 | 786 | 9.12 | 9.12 |
| 13. | कर्नाटक | हसन | हसन (संशोधित) | 1 | 18.40 | 1000 | 9.17 | 9.17 |
| 14. | कर्नाटक | चित्रदुर्गा | हिरयूर शहर | 1 | 3.93 | 123 | 2.16 | 2.16 |
| 15. | कर्नाटक | हसन | होलनरीसपुरा (संशोधित) | 1 | 18.40 | 1000 | 9.17 | 9.17 |
| 16. | कर्नाटक | धारवाड़ | हुबली-फेज-I | 1 | 16.00 | 600 | 7.41 | 7.41 |
| 17. | कर्नाटक | धारवाड़ | हुबली-फेज-II | 1 | 3.50 | 109 | 1.84 | 1.84 |
| 18. | कर्नाटक | धारवाड़ | हुबली-फेज-III | 1 | 14.86 | 430 | 7.81 | 7.81 |
| 19. | कर्नाटक | चिकमगलूर | कडुर धारवाड़ | 1 | 12.28 | 500 | 6.65 | 6.65 |
| 20. | कर्नाटक | बंगलौर ग्रामीण | कनकपुरा | 1 | 22.33 | 727 | 11.23 | 11.23 |
| 21. | कर्नाटक | कोप्पल . | कोप्पल | 1 | 4.07 | 265 | 2.68 | 2.68 |
| 22. | कर्नाटक | मण्डया | मण्डया | 1 | 13.95 | 558 | 7.92 | 3.96 |
| 23. | कर्नाटक | कोलार | मुल्लुबगली धारवाड़ | 1 | 12.52 | 600 | 6.36 | 6.36 |
| 24. | कर्नाटक | माण्डया | नगमंगला धारवाड़ | 1 | 7.91 | 420 | 3.92 | 3.92 |
| 25. | कर्नाटक | मैसूर | ननजनगौढ धारवाड़ | 1 | 9.88 | 540 | 4.90 | 4.90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | कर्नाटक | टुमकुर | पयागढा | 1 | 19.97 | 508 | 11.62 | 11.62 |
| 27. | कर्नाटक | बंगलौर ग्रामीण | रामनागरा | 1 | 27.16 | 1800 | 16.54 | 8.27 |
| 28. | कर्नाटक | बेलगम | सौनदती | 1 | 2.56 | 145 | 1.59 | 1.59 |
| 29. | कर्नाटक | गुलबर्गा | साहपुर | 1 | 3.71 | 207 | 2.44 | 2.44 |
| 30. | कर्नाटक | शिमोगा | सिकरियापुरा | 1 | 12.65 | 330 | 7.22 | 7.22 |
| 31. | कर्नाटक | शिमोगा | शिमोगा | 1 | 23.05 | 600 | 13.17 | 13.17 |
| 32 | कर्नाटक | कोलार | सिलाघटा (संशोधित) | 1 | 4.30 | 200 | 2.37 | 2.37 |
| 33 | कर्नाटक | रायचूर | सिंधनूर | 1 | 19.66 | 1005 | 12.04 | 12.04 |
| 34 | कर्नाटक | टुमकुर | सिरा | 1 | 20.07 | 682 | 11.32 | 11.32 |
| | कुल | | 32 | 34 | 404.00 | 17237 | 222.56 | 210.33 |
| 1. | मेघालय | रायबोई | ननागोप | 1 | 9.18 | 240 | 7.10 | 3.55 |
| 2. | मेघालय | वेस्ट गारो हिल्स | तुरा | 1 | 21.82 | 456 | 8.97 | 4.49 |
| 3. | मेघालय | ईस्ट गारो हिल्स | विलयामंगार | 1 | 10.48 | 216 | 6.36 | 3.18 |
| | कुल | | 3 | 3 | 41.48 | 912 | 22.43 | 11.21 |
| 1. | मध्य प्रदेश | बालाघाट | बालाघाट | 1 | 12.98 | 966 | 8.30 | 4.15 |
| 2. | मध्य प्रदेश | जबलपुर | बरेलिया | 1 | 2.25 | 120 | 1.80 | 1.80 |
| 3. | मध्य प्रदेश | भोपाल | बैरसिया | 1 | 1.75 | 160 | 1.35 | 0.68 |
| 4. | मध्य प्रदेश | इंदौर | बेतमा | 1 | 3.14 | 96 | 2.44 | 1.83 |
| 5. | मध्य प्रदेश | पूर्व निमाड़ | बुरहानपुर | 1 | 13.66 | 833 | 9.65 | 4.82 |
| 6. | मध्य प्रदेश | छिंदवाड़ा | अमरावडा | 1 | 6.57 | 274 | 3.82 | 1.91 |
| 7. | मध्य प्रदेश | छिंदवाड़ा | चौरई | 1 | 5.73 | 266 | 3.98 | 1.99 |
| 8. | मध्य प्रदेश | छिंदवाड़ा | चंदमेटा | 1 | 6.76 | 212 | 4.29 | 2.15 |
| 9. | मध्य प्रदेश | छिंदवाड़ा | छिंदवाड़ा | 1 | 7.42 | 500 | 5.88 | 2.94 |
| 10. | मध्य प्रदेश | दमोह | दमोह | 1 | 2.30 | 104 | 1.69 | 0.85 |
| 11. | मध्य प्रदेश | इंदौर | दीपालपुर | 1 | 4.00 | 96 | 3.11 | 3.11 |
| 12. | मध्य प्रदेश | देवास | देवास (परियोजना-I) | 1 | 17.15 | 1216 | 11.07 | 5.54 |
| 13. | मध्य प्रदेश | देवास | देवास (परियोजना-II) | 1 | 19.33 | 1384 | 12.44 | 6.22 |
| 14. | मध्य प्रदेश | नीमच | दिकेन | 1 | 3.82 | 124 | 2.36 | 1.18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | मध्य प्रदेश | विदिशा | गंजबसोडा | 1 | 1.71 | 110 | 1.31 | 1.31 |
| 16. | मध्य प्रदेश | इंदौर | गौतमपुरा | 1 | 3.96 | 96 | 3.07 | 2.31 |
| 17. | मध्य प्रदेश | ग्वालियर | ग्वालियर | 1 | 53.62 | 4576 | 36.66 | 18.33 |
| 18. | मध्य प्रदेश | छिंदवाड | हरई | 1 | 3.39 | 139 | 1.98 | 0.99 |
| 19. | मध्य प्रदेश | होशंगाबाद | होशंगाबाद | 1 | 5.18 | 297 | 3.74 | 3.74 |
| 20. | मध्य प्रदेश | होशंगाबाद | इटारसी | 1 | 3.64 | 153 | 2.77 | 1.38 |
| 21. | मध्य प्रदेश | नीमच | जीरन | 1 | 3.77 | 126 | 2.31 | 1.16 |
| 22. | मध्य प्रदेश | नीमच | रतनगढ़ | 1 | 4.18 | 135 | 2.59 | 1.29 |
| 23. | मध्य प्रदेश | राजगढ़ | जीरपुर | 1 | 4.00 | 145 | 2.39 | |
| 24. | मध्य प्रदेश | रतलाम | जावरा | 1 | 2.48 | 167 | 1.74 | 1.30 |
| 25. | मध्य प्रदेश | खरगोन | खरगोन | 1 | 4.91 | 200 | 2.85 | 1.43 |
| 26. | मध्य प्रदेश | जबलपुर | कटंगी | 1 | 2.50 | 160 | 1.99 | 1.00 |
| 27. | मध्य प्रदेश | कटनी | कटनी | 1 | 29.18 | 2182 | 22.91 | 11.45 |
| 28. | मध्य प्रदेश | पूर्व निमाड़ | खांडवा (परियोजना-I) | 1 | 17.38 | 1296 | 11.08 | 5.54 |
| 29. | मध्य प्रदेश | पूर्व निमाड़ | खांडवा (परियोजना-II) | 1 | 10.74 | 812 | 6.82 | 3.41 |
| 30. | मध्य प्रदेश | राजगढ़ | खुजनेर | 1 | 2.41 | 100 | 1.88 | 1.88 |
| 31. | मध्य प्रदेश | विदिशा | कुरवई | 1 | 0.96 | 48 | 0.73 | 0.37 |
| 32. | मध्य प्रदेश | विदिशा | लतेरी | 1 | 0.45 | 0 | 0.35 | 0.35 |
| 33. | मध्य प्रदेश | मन्दसौर | मन्दसौर | 1 | 12.50 | 500 | 7.28 | 3.64 |
| 34. | मध्य प्रदेश | जबलपुर | मझौली | 1 | 2.15 | 140 | 1.72 | 0.86 |
| 35. | मध्य प्रदेश | रायसेन | मंडीदीप | 1 | 3.31 | 202 | 2.37 | 1.19 |
| 36. | मध्य प्रदेश | छिंदवाड़ा | मोहगांव | 1 | 6.16 | 267 | 4.50 | 2.25 |
| 37. | मध्य प्रदेश | उज्जैन | महिदपुर | 1 | 8.38 | 441 | 5.93 | 2.97 |
| 38. | मध्य प्रदेश | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 1 | 8.40 | 651 | 6.70 | 3.35 |
| 39. | मध्य प्रदेश | टीकमगढ़ | ओरछा | 1 | 3.45 | 274 | 2.56 | 1.28 |
| 40. | मध्य प्रदेश | बड़वानी | पसेमल | 1 | 2.94 | 128 | 2.28 | 1.14 |
| 41. | मध्य प्रदेश | छिंदवाड़ा | पंधुरना | 1 | 3.00 | 140 | 2.08 | 1.04 |
| 42. | मध्य प्रदेश | जबलपुर | पाटन | 1 | 2.28 | 120 | 1.81 | 0.91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | मध्य प्रदेश | झाबुआ | पेटवाड | 1 | 3.42 | 240 | 2.74 | 2.74 |
| 44. | मध्य प्रदेश | रीवा | रीवा | 1 | 6.67 | 248 | 3.73 | 1.92 |
| 45. | मध्य प्रदेश | सतना | सतना | 1 | 7.33 | 270 | 4.44 | 2.22 |
| 46. | मध्य प्रदेश | सागर | सागर | 1 | 7.77 | 480 | 6.11 | 3.05 |
| 47. | मध्य प्रदेश | छिंदवाड़ा | सौसर | 1 | 7.13 | 461 | 5.39 | 2.70 |
| 48. | मध्य प्रदेश | जबलपुर | शाहपुरा | 1 | 1.54 | 104 | 1.20 | 0.60 |
| 49. | मध्य प्रदेश | नीमच | सिंगरौली | 1 | 3.69 | 120 | 2.28 | 1.14 |
| 50. | मध्य प्रदेश | सिंगरौली | सिंगरौली | 1 | 7.33 | 300 | 4.29 | 2.14 |
| 51. | मध्य प्रदेश | विदिशा | सिरोंजी | 1 | 1.61 | 114 | 1.23 | 1.23 |
| 52. | मध्य प्रदेश | विदिशा | सिरोंजी (अतिरिक्त) | 1 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0.15 |
| 53. | मध्य प्रदेश | विदिशा | विदिशा | 1 | 1.85 | 217 | 1.41 | 1.06 |
| | कुल | | 50 | 53 | 362.41 | 22510 | 249.56 | 133.96 |
| 1. | मिजोरम | चंपई | चंपई, फेज-I | 1 | 1.54 | 74 | 1.33 | 1.33 |
| 2. | मिजोरम | चंपई | चंपई, फेज-II | 1 | 6.23 | 376 | 5.39 | 5.39 |
| 3. | मिजोरम | कोलासिब | कोलासिब, फेज-I | 1 | 5.76 | 250 | 4.23 | 4.23 |
| 4. | मिजोरम | कोलासिब | कोलासिब, फेज-II | 1 | 1.29 | 50 | 0.97 | 0.97 |
| 5. | मिजोरम | लुंगलेई | लुंगलेई | 1 | 8.27 | 500 | 6.21 | 6.21 |
| 6. | मिजोरम | मामित | मामित | 1 | 3.52 | 150 | 2.60 | 2.60 |
| 7. | मिजोरम | सैहा | सैहा | 1 | 5.55 | 200 | 3.90 | 3.90 |
| 8. | मिजोरम | सिरचिप | सिरचिप | 1 | 7.10 | 350 | 5.16 | 5.16 |
| | | कुल | 6 | 8 | 39.27 | 1950 | 29.78 | 29.78 |
| 1. | मणिपुर | बिष्णुपुर | बिष्णुपुर | 1 | 6.15 | 375 | 4.73 | 2.36 |
| 2. | मणिपुर | पूर्वी इम्फाल | जिरीबाम | 1 | 4.48 | 288 | 3.38 | 3.38 |
| 3. | मणिपुर | थोबल | कैकचिंग | 1 | 8.64 | 548 | 6.61 | 3.31 |
| 4. | मणिपुर | बिशनपुर | मोरियंग | 1 | 10.83 | 663 | 8.33 | 8.33 |
| 5. | मणिपुर | मणिपुर | मुडा स्कीम संख्या (18884) वैभव के तहत | 1 | 1.26 | 140 | 0.32 | 0.32 |
| 6. | मणिपुर | थोबाल | थोबाल | 1 | 12.02 | 815 | 8.99 | 8.99 |
| | कुल | | 6 | 6 | 43.38 | 2829 | 32.35 | 26.68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिनांक 12.9.11 को हुई 112वीं बैठक में परियोजना को निरस्त कर दिया गया है। | | अलवर | अलवर | | | | | 7.30 |
| 1. | राजस्थान | भीलवाड़ा | असीन्द | 1 | 5.08 | 694 | 3.91 | 1.95 |
| 2. | राजस्थान | श्री गंगानगर | अनूपगढ़ | 1 | 16.39 | 592 | 10.75 | 5.37 |
| 3. | राजस्थान | जोधपुर | बीलारा | 1 | 13.96 | 574 | 9.35 | 4.68 |
| 4. | राजस्थान | हनुमानगढ़ | भद्रा | 1 | 37.69 | 1332 | 24.25 | 12.12 |
| 5. | राजस्थान | बांसवाड़ा | बांसवाड़ा | 1 | 4.23 | 217 | 2.66 | 1.33 |
| 6. | राजस्थान | पाली | बाली नगर | 1 | 3.30 | 523 | 2.64 | 1.32 |
| 7. | राजस्थान | बाड़मेर | बालोत्रा | 1 | 8.48 | 447 | 5.47 | 5.47 |
| 8. | राजस्थान | बारां | बारां | 1 | 9.70 | 407 | 7.37 | 7.37 |
| 9. | राजस्थान | बाड़मेर | बाड़मेर | 1 | 23.71 | 1281 | 15.22 | 7.61 |
| 10. | राजस्थान | झालावाड़ | भवानी मंडी | 1 | 1.82 | 114 | 1.43 | 1.43 |
| 11. | राजस्थान | भीलवाड़ा | भीलवाड़ा | 1 | 19.13 | 1704 | 15.10 | 15.10 |
| 12. | राजस्थान | बीकानेर | बीकानेर (फेज-I) | 1 | 3.32 | 0 | 2.66 | 2.66 |
| 13. | राजस्थान | बीकानेर | बीकानेर (फेज-II) | 1 | 35.57 | 1216 | 21.89 | 10.95 |
| 14. | राजस्थान | जालोर | भीनमाल | 1 | 10.59 | 639 | 5.38 | 2.69 |
| 15. | राजस्थान | प्रतापगढ़ | छोटी सदरी | 1 | 9.22 | 380 | 6.20 | 3.10 |
| 16. | राजस्थान | बारां | छाबड़ा | 1 | 4.47 | 312 | 3.58 | 3.58 |
| 17. | राजस्थान | चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ (फेज-I) | 1 | 6.70 | 540 | 5.12 | 5.12 |
| 18. | राजस्थान | चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ (फेज-II) | 1 | 10.93 | 433 | 7.33 | 3.66 |
| 19. | राजस्थान | पाली | फलना | 1 | 4.46 | 361 | 3.52 | 3.52 |
| 20. | राजस्थान | सवाईमाधोपुर | गंगापुर | 1 | 3.52 | 161 | 2.46 | 1.23 |
| 21. | राजस्थान | भीलवाड़ा | गुलाबपुरा | 1 | 1.24 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| 22. | राजस्थान | हनुमानगढ़ | हनुमानगढ़ | 1 | 22.25 | 651 | 17.54 | 17.54 |
| 23. | राजस्थान | जैसलमेर | जैसलमेर (फेज-I) | 1 | 16.76 | 1042 | 12.64 | 6.32 |
| 24. | राजस्थान | जैसलमेर | जैसलमेर (फेज-II) | 1 | 32.81 | 1497 | 21.87 | 10.94 |
| 25. | राजस्थान | पाली | जयतरन | 1 | 4.84 | 214 | 3.23 | 1.61 |
| 26. | राजस्थान | झालावाड़ | झलरपत्न | 1 | 4.21 | 413 | 3.16 | 1.58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिनांक 12.9.11 को हुई 11वीं बैठक में परियोजना को निरस्त कर दिया गया है। | | झालावार | झालावार | | | | | 1.74 |
| 27. | राजस्थान | जालोर | झालावार | 1 | 7.90 | 291 | 4.89 | 2.45 |
| 28. | राजस्थान | जोधपुर | जोधपुर (फेज-I) | 1 | 20.56 | 883 | 12.14 | 6.07 |
| 29. | राजस्थान | जोधपुर | जोधपुर (फेज-II) | 1 | 44.40 | 1832 | 26.52 | 13.26 |
| 30. | राजस्थान | कोटा | काथून | 1 | 5.06 | 327 | 3.45 | 1.73 |
| 31. | राजस्थान | अजमेर | केकरी | 1 | 18.60 | 871 | 12.77 | 6.38 |
| 32. | राजस्थान | कोटा | कोटा फेज-I | 1 | 21.62 | 1478 | 17.04 | 8.52 |
| 33. | राजस्थान | कोटा | कोटा फेज-II | 1 | 28.58 | 845 | 15.14 | 7.57 |
| 34. | राजस्थान | कोटा | कोटा फेज-III | 1 | 33.91 | 752 | 13.34 | |
| 35. | राजस्थान | चित्तौड़गढ़ | नीबारा | 1 | 11.06 | 457 | 7.59 | 3.79 |
| 36. | राजस्थान | पाली | पाली | 1 | 22.06 | 2722 | 17.64 | 17.64 |
| 37. | राजस्थान | जोधपुर | फलौदी | 1 | 23.27 | 764 | 13.79 | 6.90 |
| 38. | राजस्थान | जैसलमेर | पोकरन | 1 | 21.83 | 787 | 12.20 | 6.10 |
| 39. | राजस्थान | चित्तौड़गढ़ | प्रतापगढ़ | 1 | 11.20 | 711 | 7.20 | 5.40 |
| 40. | राजस्थान | सिरोही | पीनडवारा | 1 | 13.26 | 686 | 8.00 | 4.00 |
| 41. | राजस्थान | सिरोही | पीलीबंगा | 1 | 6.41 | 244 | 4.27 | 2.14 |
| 42. | राजस्थान | हनुमानगढ़ | रवस्टर | 1 | 30.69 | 1398 | 18.51 | 9.26 |
| 43. | राजस्थान | पाली | रानी नगर | 1 | 0.79 | 19 | 0.63 | 0.63 |
| 44. | राजस्थान | चित्तौड़गढ़ | रावतभाटा | 1 | 36.55 | 1439 | 25.16 | 12.58 |
| 45. | राजस्थान | पाली | सादरी | 1 | 1.29 | 46 | 1.03 | 1.03 |
| 46. | राजस्थान | सवाईमाधोपुर | सवाईमाधोपुर | 1 | 13.48 | 976 | 9.93 | 4.96 |
| 47. | राजस्थान | सीकर | सीकर | 1 | 5.44 | 556 | 4.35 | 2.18 |
| 48. | राजस्थान | जालोर | संचोर | 1 | 9.47 | 390 | 5.31 | 2.66 |
| 49. | राजस्थान | कोटा | संगोड | 1 | 9.01 | 442 | 6.09 | 3.04 |
| 50. | राजस्थान | पाली | सोजात | 1 | 3.16 | 196 | 2.53 | 2.53 |
| 51. | राजस्थान | पाली | सुमेरपुर | 1 | 10.36 | 529 | 6.64 | 3.32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | राजस्थान | गंगानगर | सूरतगढ़ | 1 | 35.05 | 1493 | 22.10 | 11.05 |
| 53. | राजस्थान | पाली | टाथकगड़ | 1 | 16.69 | 635 | 9.25 | 4.63 |
| 54. | राजस्थान | टौंक | टोंक फेज-I | 1 | 4.46 | 136 | 3.57 | 3.57 |
| 55. | राजस्थान | टौंक | टोंक फेज-II | 1 | 9.45 | 384 | 5.97 | 2.99 |
| 56. | राजस्थान | उदयपुर | उदयपुर | 1 | 24.55 | 1737 | 16.07 | 8.03 |
| | कुल | | 49 | 56 | 814.58 | 39770 | 528.86 | 312.69 |
| 1. | महाराष्ट्र | अमरावती | अचलपुर | 1 | 24.34 | 965 | 15.74 | 7.87 |
| 2. | महाराष्ट्र | अकोला | अकोला शहर (फेज-I) | 1 | 6.98 | 803 | 5.59 | 2.79 |
| 3. | महाराष्ट्र | अकोला | अकोला शहर (फेज-II) | 1 | 29.68 | 1118 | 20.11 | 10.05 |
| 4. | महाराष्ट्र | अकोला | अकोला फेज-III | 1 | 33.36 | 1413 | 22.25 | 11.12 |
| दिनांक 30.5.11 को हुई 106वीं बैठक में परियोजना को निरस्त कर दिया गया है। | | पुणे | पुणे | | | | | 0.70 |
| 5. | महाराष्ट्र | जलगांव | अमलनेर | 1 | 12.05 | 462 | 7.72 | 3.86 |
| दिनांक 30.5.11 को हुई 106वीं बैठक में परियोजना को निरस्त कर दिया गया है। | | जालना | जालना | | | | | 2.09 |
| 6. | महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फेज-I) | 1 | 23.84 | 1200 | 17.05 | 8.52 |
| दिनांक 30.5.11 को हुई 106वीं बैठक में परियोजना को निरस्त कर दिया | | अमरावती | अमरावती (फेज-II) | | | | | 14.34 |
| गया है। | | अमरावती | अमरावती (फेज-I) | | | | | 8.60 |
| 7. | महाराष्ट्र | अमरावती | अनजानगाव-सुरजी | 1 | 21.91 | 816 | 14.28 | 7.14 |
| 8. | महाराष्ट्र | वर्धा | अर्वी | 1 | 8.78 | 329 | 5.73 | 2.87 |
| 9. | महाराष्ट्र | सांग्लि | अष्ट फेज-I | 1 | 15.99 | 1256 | 12.73 | 12.73 |
| 10. | महाराष्ट्र | सांग्लि | अष्ट फेज-II | 1 | 17.23 | 950 | 11.64 | |
| 11. | महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 1 | 11.84 | 617 | 8.88 | 4.44 |
| 12. | महाराष्ट्र | | अहमदनगर | 1 | 13.21 | 480 | 8.12 | |
| 13. | महाराष्ट्र | पुणे | बारामती | 1 | 3.41 | 259 | 2.31 | 2.31 |
| 14. | महाराष्ट्र | भंडारा | भंडारा फेज-I | 1 | 23.00 | 1169 | 17.05 | 8.53 |
| 15. | महाराष्ट्र | भंडारा | भंडारा फेज-II | 1 | 38.75 | 1544 | 26.44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिनांक 30.5.11 को हुई 106वीं बैठक में परियोजना को निरस्त कर दिया | | महाराष्ट्र | भिवंडी (फेज-I) | | | | | 3.95 |
| गया है। | | महाराष्ट्र | भिवंडी (फेज-II) | | | | | 3.32 |
| दिनांक 12.9.11 को हुई 11वीं बैठक में परियोजना को निरस्त कर दिया गया है। | | महाराष्ट्र | महाराष्ट्र | | | | | 4.54 |
| 16. | महाराष्ट्र | बुलढाणा | बुलढाणा फेज-I | 1 | 12.52 | 892 | 10.02 | 10.02 |
| 17. | महाराष्ट्र | बुलढाणा | बुलढाणा फेज-II | 1 | 37.11 | 1395 | 19.90 | |
| 18. | महाराष्ट्र | अकोला | बालापुर | 1 | 40.38 | 1652 | 24.12 | |
| 19. | महाराष्ट्र | जलगांव | चोपड़ा फेज-I | 1 | 13.22 | 504 | 8.61 | 8.61 |
| 20. | महाराष्ट्र | जलगांव | चोपड़ा फेज-II | 1 | 21.07 | 630 | 12.23 | |
| 21. | महाराष्ट्र | जलगांव | चालीसगांव | 1 | 39.95 | 1392 | 23.60 | |
| 22. | महाराष्ट्र | चंद्रपुर | चंद्रपुर | 1 | 29.64 | 1179 | 20.22 | 10.11 |
| 23. | महाराष्ट्र | अमरावती | चंदुर बाजार (फेज-I) | 1 | 17.24 | 985 | 11.17 | 5.58 |
| 24. | महाराष्ट्र | अमरावती | चंदुर रेलवे शहर (फेज-II) | 1 | 6.82 | 347 | 4.50 | 2.25 |
| 25. | महाराष्ट्र | यवतमाल | दावहा सिटी | 1 | 10.15 | 380 | 6.62 | 3.31 |
| 26. | महाराष्ट्र | अहमदनगर | देवलाली प्रवर | 1 | 7.55 | 527 | 6.04 | 3.02 |
| 27. | महाराष्ट्र | यवतमाल | दीगरास | 1 | 22.06 | 952 | 13.87 | |
| 28. | महाराष्ट्र | वर्धा | देवली | 1 | 6.77 | 370 | 5.02 | 2.51 |
| 29. | महाराष्ट्र | गढ़चिरौली | देसीगंज | 1 | 12.05 | 504 | 7.73 | 3.87 |
| 30. | महाराष्ट्र | बुलढाणा | दुलगांव राजा शहर | 1 | 19.86 | 749 | 12.89 | 6.44 |
| 31. | महाराष्ट्र | धुले | धुले | 1 | 23.57 | 966 | 14.76 | 14.76 |
| 32. | महाराष्ट्र | धुले | डोंडाइका वरवदे (फेज-I) | 1 | 16.77 | 1050 | 11.43 | 11.43 |
| 33. | महाराष्ट्र | धुले | डोंडाइका वरवदे (फेज-II) | 1 | 23.97 | 1050 | 15.30 | 14.46 |
| 34. | महाराष्ट्र | धुले | डोंडाइका वरवदे (फेस-III) | 1 | 27.00 | 1100 | 16.88 | |
| दिनांक 30.5.11 को हुई 106वीं बैठक में परियोजना को निरस्त कर दिया | | औरंगाबाद | गंगापुर | | | | | 1.75 |
| गया है। | | बिद | गेओरे | | | | | 0.83 |
| 35. | महाराष्ट्र | वर्धा | हिमघाट | 1 | 13.98 | 1077 | 11.19 | 5.59 |
| 36. | महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (फेज-I) | 1 | 33.39 | 1814 | 25.44 | 12.72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली सिटी (फेज-II) | 1 | 25.59 | 1063 | 16.49 | 8.24 |
| 38. | महाराष्ट्र | सांगली | इस्लामपुर | 1 | 6.42 | 503 | 5.06 | 2.53 |
| 39. | महाराष्ट्र | कोल्हापुर | इचलकरंजी | 1 | 30.50 | 1488 | 20.19 | 10.10 |
| 40. | महाराष्ट्र | जलगांव | जलगांव सिटी | 1 | 11.97 | 472 | 7.27 | |
| दिनांक 30.5.11 को हुई 106वीं बैठक में परियोजना को निरस्त कर दिया गया है। | | जालना | जालना | | | | | 2.95 |
| 41. | महाराष्ट्र | जलगांव | जामनेर | 1 | 15.60 | 1238 | 12.10 | 6.05 |
| दिनांक 30.5.11 को हुई 106वीं बैठक में परियोजना को निरस्त कर दिया गया है। | | कोल्हापुर | जयसिंगपुर | | | | | 4.01 |
| 42. | महाराष्ट्र | कोल्हापुर | कागल | 1 | 24.10 | 1002 | 16.64 | |
| 43. | महाराष्ट्र | नागपुर | कमलेश्वर | 1 | 4.75 | 201 | 2.87 | 1.43 |
| दिनांक 12.9.11 को हुई 112वीं बैठक में परियोजना को निरस्त कर दिया गया है। | | औरंगाबाद | कन्नड सिटी | | | | | 1.34 |
| 44. | महाराष्ट्र | सतारा | कराड़ | 1 | 1.68 | 152 | 1.33 | 0.67 |
| 45. | महाराष्ट्र | वाशिम | करंजा जिला वाशिम | 1 | 20.43 | 768 | 13.07 | 6.54 |
| 46. | महाराष्ट्र | नागपुर | कटोल | 1 | 19.68 | 1418 | 15.75 | 7.87 |
| 47. | महाराष्ट्र | बुलढाणा | खेमगांव | 1 | 27.38 | 1430 | 18.05 | 18.05 |
| 48. | महाराष्ट्र | नागपुर | खप | 1 | 2.21 | 176 | 1.76 | 0.88 |
| दिनांक 12.9.11 को हुई 112वीं बैठक में परियोजना को निरस्त कर दिया गया है। | | अहमदनगर | खोपरगांव | | | | | 8.43 |
| 49. | महाराष्ट्र | कोल्हापुर | कोल्हापुर फेज-I | 1 | 24.62 | 2206 | 19.69 | 9.85 |
| 50. | महाराष्ट्र | कोल्हापुर | कोल्हापुर फेज-II | 1 | 38.62 | 2667 | 30.89 | 15.45 |
| 51. | महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | 1 | 57.26 | 0 | 43.62 | 43.62 |
| 52. | महाराष्ट्र | बुलढाणा | लोनार शहर, जिला बुलढाणा | 1 | 17.84 | 700 | 11.58 | 5.79 |
| दिनांक 30.5.11 को हुई 106वीं बैठक में परियोजना को निरस्त कर दिया गया है। | | बुलढाणा | लोनावाला | | | | | 1.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. | महाराष्ट्र | मालेगांव | मालेगांव (फेज-I) | 1 | 28.92 | 1440 | 19.80 | 9.90 |
| 54. | महाराष्ट्र | मालेगांव | मालेगांव (फेज-II) | 1 | 28.69 | 1440 | 19.62 | 9.81 |
| 55. | महाराष्ट्र | मालेगांव | मालेगांव (फेज-III) | 1 | 28.24 | 1440 | 19.26 | 9.63 |
| 56. | महाराष्ट्र | मालेगांव | मालेगांव (फेज-IV) | 1 | 28.44 | 1440 | 19.42 | 9.71 |
| 57. | महाराष्ट्र | मालेगांव | मालेगांव (फेज-V) | 1 | 29.31 | 1440 | 20.11 | 10.05 |
| 58. | महाराष्ट्र | मालेगांव | मालेगांव (फेज-VI) | 1 | 28.76 | 1440 | 19.67 | 9.84 |
| 59. | महाराष्ट्र | मालेगांव | मालेगांव (फेज-VII) | 1 | 28.92 | 1440 | 19.80 | 9.90 |
| 60. | महाराष्ट्र | मालेगांव | मालेगांव (फेज-VIII) | 1 | 28.51 | 1440 | 19.47 | 9.74 |
| 61. | महाराष्ट्र | बुलढाणा | मालकपुर सिटी | 1 | 5.10 | 207 | 3.47 | 1.74 |
| 62. | महाराष्ट्र | नागपुर | मोहापा | 1 | 6.52 | 281 | 4.56 | 2.28 |
| 63. | महाराष्ट्र | नांदेड़ | मुदखेड़ | 1 | 19.73 | 810 | 11.92 | 5.96 |
| 64. | महाराष्ट्र | अकोला | मुर्तिज्ञापुर (संशोधित) | 1 | 24.56 | 1003 | 15.83 | 7.91 |
| 65. | महाराष्ट्र | नागपुर | मोबड | 1 | 8.09 | 378 | 5.02 | |
| 66. | महाराष्ट्र | नंदुरबार | नंदुरबार | 1 | 27.02 | 1176 | 15.22 | |
| 67. | महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | नलदुर्ग | 1 | 20.69 | 1206 | 13.78 | 6.89 |
| 68. | महाराष्ट्र | नागपुर | नारखेड़ फेज-I | 1 | 8.68 | 680 | 6.09 | 3.05 |
| 69. | महाराष्ट्र | नागपुर | नारखेड़ फेज-II | 1 | 38.66 | 1603 | 25.67 | |
| 70. | महाराष्ट्र | नागपुर | नारखेड़ फेज-III | 1 | 26.65 | 1189 | 17.50 | |
| 71. | महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | ओवनाबाद | 1 | 21.68 | 2399 | 17.35 | 8.67 |
| 72. | महाराष्ट्र | यवतमाल | पंडरखवाडा | 1 | 14.58 | 625 | 9.36 | 4.68 |
| दिनांक 12.9.11 को हुई 112वीं बैठक में परियोजना को निरस्त कर दिया गया है। | | यवतमाल | परभनी | | | | | 17.75 |
| 73. | महाराष्ट्र | अकोला | पतूर | 1 | 14.62 | 572 | 8.81 | |
| 74. | महाराष्ट्र | जालना | परतूर | 1 | 20.14 | 800 | 12.78 | 6.39 |
| दिनांक 30.5.11 को हुई 106वीं बैठक में परियोजना को निरस्त कर दिया गया है। | | परभणी | पथरी | | | | | 5.87 |
| 75. | महाराष्ट्र | भंडारा | पाउनी जिला भंडारा (फेज-I) | 1 | 1.54 | 76 | 1.17 | 0.52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. | महाराष्ट्र | भंडारा | पाउनी, जिला भंडारा (फेड-II) | 1 | 25.98 | 978 | 16.70 | 8.35 |
| 77. | महाराष्ट्र | सतारा | फलटन | 1 | 9.04 | 895 | 7.23 | 3.62 |
| 78. | महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगांव | 1 | 8.12 | 302 | 5.30 | 2.65 |
| 79. | महाराष्ट्र | चंद्रपुर | राजुरा | 1 | 17.68 | 777 | 11.31 | 5.65 |
| 80. | महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाटा | 1 | 15.98 | 672 | 9.11 | |
| 81. | महाराष्ट्र | नागपुर | रामटेक | 1 | 5.11 | 265 | 3.89 | 1.94 |
| 82. | महाराष्ट्र | वाशिम | रिसोद | 1 | 21.52 | 1040 | 16.24 | 8.12 |
| 83. | महाराष्ट्र | सांग्लि | सांगली (बाल हनुमा कॉलोनी I & II)-फेज-I | 1 | 2.25 | 175 | 1.75 | 0.88 |
| ये दो परियोजनाएं रद्द कर दी गई है तथा इनका क्रम सं. 83 में विलय कर दिया गया है। | | | अचलपुर | | | | | 2.75 |
| | | | अकोला शहर (फेज-I) | | | | | 3.51 |
| 84. | महाराष्ट्र | अकोला | अकोला शहर (फेज-II) | 1 | 93.88 | 3798 | 49.83 | 31.18 |
| 85. | महाराष्ट्र | अकोला | अकोला (फेज-III) | 1 | 7.36 | 566 | 5.89 | 2.94 |
| 86. | महाराष्ट्र | पुणे | आलंदी | 1 | 1.34 | 62 | 0.81 | 0.81 |
| 87. | महाराष्ट्र | जलगांव | अमलनेर | 1 | 11.05 | 460 | 7.12 | 3.56 |
| 88. | महाराष्ट्र | जालना | अमबाद | 1 | 11.20 | 440 | 6.60 | 3.30 |
| 89. | महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फेज-I) | 1 | 21.88 | 1798 | 14.33 | 7.16 |
| 90. | महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फेज-II) | 1 | 11.73 | 435 | 7.63 | 3.81 |
| 91. | महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फेज-III) | 1 | 11.63 | 1289 | 9.30 | 4.65 |
| 92. | महाराष्ट्र | अमरावती | अनजानगांव सुरजी | 1 | 36.78 | 1473 | 22.19 | |
| 93. | महाराष्ट्र | वर्धा | अर्वी | 1 | 7.74 | 376 | 4.84 | |
| 94. | महाराष्ट्र | सांग्लि | अष्ट (फेज-I) | 1 | 33.91 | 1020 | 18.58 | |
| 95. | महाराष्ट्र | सांग्ली | अष्ट (फेज-II) | 1 | 4.42 | 393 | 3.52 | 1.76 |
| 96. | महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 1 | 8.68 | 557 | 6.17 | 3.08 |
| 97. | महाराष्ट्र | | अहमदनगर | 1 | 10.72 | 551 | 8.12 | 4.06 |
| 98. | महाराष्ट्र | पुणे | बारामती | 1 | 17.95 | 900 | 11.88 | |
| 99. | महाराष्ट्र | भंडारा | भंडारा (फेज-I) | 1 | 21.91 | 948 | 14.80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100. | महाराष्ट्र | भंडारा | भंडारा (फेज-II) | 1 | 6.34 | 234 | 4.14 | 1.84 |
| 101. | महाराष्ट्र | महाराष्ट्र | भिवंडनी (फेज-I) | 1 | 25.06 | 920 | 13.21 | |
| 102. | महाराष्ट्र | महाराष्ट्र | भिवंडनी (फेज-II) | 1 | 16.09 | 656 | 9.34 | |
| 103. | महाराष्ट्र | महाराष्ट्र | भोकरन | 1 | 7.24 | 276 | 4.96 | 2.48 |
| 104. | महाराष्ट्र | बुलढाणा | भोकरन (फेज-I) | 1 | 29.41 | 1212 | 18.96 | 9.48 |
| 105. | महाराष्ट्र | बुलढाणा | भोकरन (फेज-II) | 1 | 6.89 | 342 | 4.53 | 2.26 |
| 106. | महाराष्ट्र | अकोला | बालापुर | 1 | 12.50 | 634 | 9.53 | 4.76 |
| 107. | महाराष्ट्र | जलगांव | चोपड़ा (फेज-I) | 1 | 9.24 | 360 | 6.00 | 3.00 |
| 108. | महाराष्ट्र | जलगांव | चोपड़ा (फेज-II) | 1 | 33.94 | 1318 | 22.04 | 11.02 |
| 109. | महाराष्ट्र | जलगांव | चालीसगांव | 1 | 29.12 | 1257 | 18.63 | 9.31 |
| 110. | महाराष्ट्र | चंद्रपुर | चंद्रपुर | 1 | 10.31 | 996 | 8.25 | 4.13 |
| | | कुल | 85 | 110 | 2140.19 | 101280 | 1421.96 | 688.20 |
| 1. | नागालैंड | दीमापुर | दीमापुर | 1 | 87.74 | 2496 | 44.14 | 29.32 |
| 2. | नागालैंड | कोहिमा | वमवेय तहत सुदा (नं. 18885 स्कीम) | 1 | 2.39 | 265 | 0.60 | 0.60 |
| | | कुल | 2 | 2 | 90.13 | 2761 | 44.74 | 29.92 |
| 1. | उड़ीसा | अंगुल | अंगुल एनएसी (फेज-I) | 1 | 5.66 | 334 | 4.12 | 2.06 |
| 2. | उड़ीसा | बालेश्वर | बालासोर (फेज-I) | 1 | 3.28 | 162 | 2.15 | 1.61 |
| 3. | उड़ीसा | बालेश्वर | बालासोर (फेज-II) | 1 | 9.15 | 387 | 6.18 | 3.09 |
| 4. | उड़ीसा | बारगढ़ | बारगढ़ I | 1 | 10.41 | 732 | 7.57 | 3.80 |
| 5. | उड़ीसा | मयूरभंज | बारीपदा | 1 | 11.18 | 474 | 7.75 | 3.88 |
| 6. | उड़ीसा | गंजम | बरहमपुर | 1 | 31.01 | 1202 | 20.63 | 10.32 |
| 7. | उड़ीसा | भद्रक | भद्रक (फेज-I) | 1 | 5.14 | 238 | 3.36 | 1.68 |
| 8. | उड़ीसा | भद्रक | भद्रक (फेज-II) | 1 | 3.99 | 166 | 2.65 | 1.32 |
| 9. | उड़ीसा | कालाहांडी | भवानीपटना | 1 | 4.24 | 164 | 2.82 | 1.41 |
| 10. | उड़ीसा | सुंदरगढ़ | वीरमित्रपुर | 1 | 3.52 | 200 | 2.40 | 2.40 |
| 11. | उड़ीसा | बोलनगीर | बोलनगीर | 1 | 8.37 | 324 | 5.57 | 2.79 |
| 12. | उड़ीसा | झारसुगुदा | वराजाराज नगर | 1 | 3.46 | 177 | 2.34 | 1.76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | उड़ीसा | कटक | कटक (फेज-II) | 1 | 16.99 | 456 | 9.45 | 4.72 |
| 14. | उड़ीसा | ढेंकनाल | ढेंकनाल (फेज-I) | 1 | 15.44 | 908 | 11.23 | 5.61 |
| 15. | उड़ीसा | जाजापुर | जाजपुर | 1 | 5.09 | 295 | 3.70 | 3.70 |
| 16. | उड़ीसा | खोरधा | जटनी (फेज-I) | 1 | 1.24 | 72 | 0.90 | 0.45 |
| 17. | उड़ीसा | खोरधा | जटनी (फेज-II) | 1 | 3.40 | 132 | 2.26 | 1.13 |
| 18. | उड़ीसा | जाजापुर | जयपुर | 1 | 7.07 | 323 | 5.04 | 2.52 |
| 19. | उड़ीसा | झारसुगुदा | झारसुगुदा | 1 | 19.83 | 786 | 13.17 | 6.58 |
| 20. | उड़ीसा | केंद्रपाड़ा | केंद्रपाड़ा (फेज-II) | 1 | 1.56 | 87 | 1.05 | 1.05 |
| 21. | उड़ीसा | क्योंझर | क्योंझर | 1 | 22.44 | 891 | 14.89 | 7.45 |
| 22. | उड़ीसा | नवापाड़ा | खारीर रोड (फेज-I) | 1 | 4.32 | 305 | 3.14 | 1.57 |
| 23. | उड़ीसा | खोरधा | खुर्दा (फेज-I) | 1 | 2.03 | 91 | 1.19 | 0.59 |
| 24. | उड़ीसा | मलकानगिरी | मलकानगिरी | 1 | 6.07 | 236 | 4.04 | 2.02 |
| 25. | उड़ीसा | नवरंगपुर | नवरंगपुर | 1 | 5.56 | 532 | 4.02 | 2.01 |
| 26. | उड़ीसा | नयागढ़ | नयागढ़ | 1 | 4.66 | 226 | 3.07 | 1.53 |
| 27. | उड़ीसा | बालनगीर | पटनागढ़ | 1 | 4.11 | 159 | 2.72 | 0.00 |
| 28. | उड़ीसा | कंधमाल | फूलबनी | 1 | 4.06 | 157 | 2.70 | 1.35 |
| 29. | उड़ीसा | गजपति | परलखमुंडी | 1 | 7.53 | 307 | 4.98 | 2.49 |
| 30. | उड़ीसा | सुन्दरगढ़ | राउरकेला (फेज-I) | 1 | 2.31 | 124 | 1.52 | 1.52 |
| 31. | उड़ीसा | सम्बलपुर | सम्बलपुर | 1 | 15.44 | 613 | 10.25 | 5.12 |
| 32. | उड़ीसा | सोनापुर | सुवरनपुर | 1 | 23.63 | 934 | 15.69 | 7.85 |
| 33. | उड़ीसा | अंगुल | तालचेर | 1 | 3.14 | 155 | 2.02 | 1.01 |
| 34. | उड़ीसा | जाजापुर | बयासनगढ़ | 1 | 17.51 | 1016 | 12.74 | 12.74 |
| | | कुल | 31 | 34 | 292.84 | 13365 | 197.30 | 109.12 |
| 1. | पंजाब | भटिंडा | भटिंडा (फेज-I) | 1 | 26.32 | 592 | 9.89 | 4.94 |
| 2. | पंजाब | भटिंडा | भटिंडा (फेज-II) | 1 | 59.85 | 1328 | 23.27 | 11.64 |
| 3. | पंजाब | मनसा | बूदलदा | 1 | 17.92 | 384 | 6.90 | 3.45 |
| 4. | पंजाब | मनसा | भीखी (वार्ड 5) | 1 | 5.02 | 64 | 2.42 | 1.21 |
| 5. | पंजाब | मनसा | भीखी (वार्ड 12) | 1 | 15.01 | 302 | 5.91 | 2.96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | पंजाब | मनसा | बरेटा (फेज-I) | 1 | 19.75 | 400 | 7.91 | 3.96 |
| 7. | पंजाब | मनसा | बरेटा (फेज-II) | 1 | 12.14 | 240 | 4.86 | 2.43 |
| 8. | पंजाब | जालंधर | जालंधर (फेज-I) | 1 | 12.35 | 1627 | 7.15 | 3.58 |
| 9. | पंजाब | जालंधर | जालंधर (फेज-II) | 1 | 30.05 | 2311 | 18.40 | 9.20 |
| 10. | पंजाब | मनसा | मनसा | 1 | 12.99 | 240 | 5.37 | 2.68 |
| 11. | पंजाब | भटिंडा | माउर | 1 | 30.47 | 672 | 11.74 | 5.87 |
| 12. | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 1 | 21.01 | 720 | 8.22 | 4.11 |
| 13. | पंजाब | मनसा | सरदूलगढ़ (फेज-I) | 1 | 34.52 | 704 | 14.08 | 7.04 |
| 14. | पंजाब | मनसा | सरदुलगढ़ (फेज-II) | 1 | 19.03 | 400 | 7.41 | 3.71 |
| | कुल | | 9 | 14 | 316.43 | 9984 | 133.54 | 66.77 |
| 1. | पुडुचेरी | कराईकल | कराईकल | 1 | 17.03 | 432 | 5.48 | 2.74 |
| | कुल | | 1 | 1 | 17.03 | 432 | 5.48 | 2.74 |
| 1. | सिक्किम | पूर्व | सिंगताम | 1 | 19.91 | 39 | 17.92 | 8.96 |
| | | कुल | 1 | 1 | 19.91 | 39 | 17.92 | 8.96 |
| 1. | तमिलनाडु | कांचीपुरम | अचरापक्कम | 1 | 2.25 | 186 | 1.80 | 1.80 |
| 2. | तमिलनाडु | नमक्कल | आलमपयार | 1 | 2.25 | 149 | 1.56 | 1.51 |
| 3. | तमिलनाडु | थिरूवल्लूर | अरणि शहर पंचायत | 1 | 1.69 | 139 | 1.36 | 1.36 |
| 4. | तमिलनाडु | अरियालुर | अरियालुर | 1 | 7.89 | 378 | 6.04 | 6.04 |
| 5. | तमिलनाडु | विरुधुनगर | अरूप्पक्कोटाई | 1 | 20.89 | 879 | 15.30 | 7.65 |
| 6. | तमिलनाडु | अपरदन | अयालपुनदराई | 1 | 1.67 | 90 | 1.19 | 1.16 |
| 7. | तमिलनाडु | थेनी | बोदायनकापुर | 1 | 4.63 | 326 | 3.52 | 3.52 |
| 8. | तमिलनाडु | कुड्डालोर | चिदम्बरम | 1 | 4.17 | 392 | 3.34 | 3.34 |
| 9. | तमिलनाडु | नीलगिरी | कोनूर | 1 | 5.35 | 398 | 3.62 | 3.53 |
| 10. | तमिलनाडु | थेनी | कम्बम | 1 | 5.19 | 325 | 3.86 | 3.86 |
| 11. | तमिलनाडु | अपरदन | धारापुरम | 1 | 3.60 | 188 | 2.77 | 2.77 |
| 12. | तमिलनाडु | धर्मपुरी | धर्मपुरी | 1 | 2.67 | 433 | 2.13 | 2.13 |
| 13. | तमिलनाडु | दिंडीगल | दिंडीगल | 1 | 9.72 | 590 | 7.45 | 6.98 |
| 14. | तमिलनाडु | अपरदन | अपरदन | 1 | 5.03 | 454 | 4.03 | 4.03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | तमिलनाडु | सेलम | गंगायल्ली | 1 | 2.66 | 140 | 1.91 | 1.91 |
| 16. | तमिलनाडु | अपरदन | गोवीचपट्टीयम | 1 | 2.56 | 177 | 1.95 | 1.95 |
| 17. | तमिलनाडु | सेलम | आईदाप्पटी | 1 | 4.74 | 225 | 3.62 | 3.53 |
| 18. | तमिलनाडु | कपूर | इनाम करूर | 1 | 5.00 | 240 | 3.87 | 3.87 |
| 19. | तमिलनाडु | कांचीपुरम | कांचीपुरम | 1 | 4.57 | 299 | 3.42 | 3.40 |
| 20. | तमिलनाडु | शिवगंगा | कराईकुडी | 1 | 4.15 | 195 | 3.21 | 3.21 |
| 21. | तमिलनाडु | कांचीपुरम | करूनगुजई | 1 | 4.14 | 342 | 3.31 | 3.31 |
| 22. | तमिलनाडु | सालेम | करूप्पुरम | 1 | 1.57 | 148 | 1.12 | 1.12 |
| 23. | तमिलनाडु | कपूर | करूर | 1 | 3.29 | 185 | 2.53 | 2.46 |
| 24. | तमिलनाडु | दिंडीगल | कोडाइनकनाल (फेज-I) | 1 | 1.87 | 67 | 1.34 | 1.34 |
| 25. | तमिलनाडु | दिंडीगल | कोडाइनकनाल (फेज-II) | 1 | 18.89 | 900 | 12.45 | 12.09 |
| 26. | तमिलनाडु | अपरदन | कोदामूडी टाउन | 1 | 1.40 | 75 | 1.00 | 0.97 |
| 27. | तमिलनाडु | नमक्कल | कोमरापल्लयम | 1 | 0.76 | 80 | 0.61 | 0.61 |
| 28. | तमिलनाडु | तूथकडाई | कोविलपट्टी | 1 | 2.39 | 112 | 1.85 | 1.81 |
| 29. | तमिलनाडु | धर्मपुरी | कृष्णागिरि | 1 | 4.96 | 262 | 3.82 | 3.72 |
| 30. | तमिलनाडु | अपरदन | कूगलूर | 1 | 1.29 | 65 | 0.93 | 0.93 |
| 31. | तमिलनाडु | तंजावुर | कुम्भकोणम फेज-I, II और III | 1 | 13.14 | 849 | 6.72 | 5.04 |
| 32. | तमिलनाडु | अपरदन | लाक्कापट्टी | 1 | 1.44 | 131 | 1.02 | 1.02 |
| 33. | तमिलनाडु | कांचीपुरम | मामापुरम | 1 | 2.56 | 320 | 2.05 | 2.05 |
| 34. | तमिलनाडु | तिरुचिरापल्ली | मन्नापरई | 1 | 2.01 | 120 | 1.57 | 1.57 |
| 35. | तमिलनाडु | थिरूवरूर | मन्नारगुडी | 1 | 1.49 | 69 | 1.19 | 1.19 |
| 36. | तमिलनाडु | मदुराई | मेलुर | 1 | 7.99 | 502 | 6.39 | 6.39 |
| 37. | तमिलनाडु | कोयंबत्तूर | मेत्तुपलायम | 1 | 1.48 | 72 | 1.12 | 1.09 |
| 38. | तमिलनाडु | सेलम | मेट्टूर | 1 | 2.42 | 113 | 1.87 | 1.83 |
| 39. | तमिलनाडु | नमक्कल | मोहनूर | 1 | 2.80 | 161 | 1.98 | 1.92 |
| 40. | तमिलनाडु | नागपट्टिनम | नागपट्टिनम | 1 | 0.78 | 0 | 0.62 | 0.62 |
| 41. | तमिलनाडु | कन्याकुमारी | नागेकोइल | 1 | 3.47 | 214 | 2.66 | 2.57 |
| 42. | तमिलनाडु | नमक्कल | नमक्कल | 1 | 5.93 | 440 | 3.46 | 3.46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | तमिलनाडु | कांचीपुरम | नन्दग्राम गुदवनचरी टाउन पंचायत | 1 | 3.69 | 326 | 2.95 | 2.95 |
| 44. | तमिलनाडु | अपरदन | पी मट्टीपलयाम | 1 | 1.27 | 78 | 0.89 | 0.86 |
| 45. | तमिलनाडु | सेलम | पीएन पट्टी | 1 | 1.62 | 153 | 1.15 | 1.15 |
| 46. | तमिलनाडु | कोयंबत्तूर | पालाचई (संशोधित) | 1 | 5.73 | 669 | 4.58 | 5.17 |
| 47. | तमिलनाडु | अपरदन | पालापलयाम टाउन | 1 | 2.35 | 120 | 1.69 | 1.64 |
| 48. | तमिलनाडु | तंजावुर | पुदुक्कोट्टई | 1 | 11.24 | 940 | 8.76 | 8.67 |
| 49. | तमिलनाडु | पेरम्बलुर | पेरम्बलुर | 1 | 6.26 | 580 | 4.98 | 4.98 |
| 50. | तमिलनाडु | पुदुक्कोट्टई | पुदुक्कोट्टई (संशोधित) | 1 | 10.82 | 625 | 8.65 | 9.80 |
| 51. | तमिलनाडु | नमक्कल | आर. पुदापट्टी, नामक्कल | 1 | 2.14 | 153 | 1.46 | 1.40 |
| 52. | तमिलनाडु | रामनाथपुरम | रामनाथपुरम | 1 | 5.21 | 277 | 3.99 | 3.77 |
| 53. | तमिलनाडु | वेल्लोर | रानीपत | 1 | 2.58 | 121 | 2.00 | 1.95 |
| 54. | तमिलनाडु | सेलम | सेलम | 1 | 15.58 | 1006 | 10.87 | 7.75 |
| 55. | तमिलनाडु | अपरदन | सत्यमंगलम | 1 | 3.76 | 260 | 2.81 | 2.81 |
| 56. | तमिलनाडु | नमक्कल | शिरापल्ली | 1 | 2.16 | 121 | 1.54 | 1.54 |
| 57. | तमिलनाडु | नागपट्टिनम | शिरकाली | 1 | 1.28 | 52 | 1.02 | 1.02 |
| 58. | तमिलनाडु | शिवगंगा | शिवानंगाई | 1 | 2.90 | 155 | 2.22 | 2.16 |
| 59. | तमिलनाडु | विरुधुनगर | शिवकाशी | 1 | 4.57 | 223 | 3.13 | 3.04 |
| 60. | तमिलनाडु | कांचीपुरम | श्रीपेरूमबुदुर | 1 | 4.28 | 370 | 3.42 | 3.42 |
| 61. | तमिलनाडु | तंजावुर | तंजावुर (संशोधित) | 1 | 12.25 | 1180 | 9.78 | 6.89 |
| 62. | तमिलनाडु | कपूर | थानोई | 1 | 4.10 | 200 | 3.17 | 3.17 |
| 63. | तमिलनाडु | सेलम | थीदावोर सेलम | 1 | 2.30 | 115 | 1.65 | 1.65 |
| 64. | तमिलनाडु | थेनी | थेनी अलीग्राम | 1 | 3.85 | 180 | 2.92 | 2.78 |
| 65. | तमिलनाडु | कोयंबत्तूर | थीरपुर | 1 | 20.68 | 2060 | 15.83 | 15.83 |
| 66. | तमिलनाडु | कांचीपुरम | थिरु-काजहूककूड्रम | 1 | 2.89 | 276 | 2.31 | 2.31 |
| 67. | तमिलनाडु | तिरुनेलवेली | तिरुनेलवेली | 1 | 20.00 | 2003 | 15.58 | 15.28 |
| 68. | तमिलनाडु | तिरूप्पल्लाई | थीरूवनामबली | 1 | 8.76 | 832 | 6.63 | 6.63 |
| 69. | तमिलनाडु | तिरुचिरापल्ली | थूरय्यार | 1 | 8.61 | 602 | 6.54 | 6.06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70. | तमिलनाडु | नमक्कल | तिरुचेन्गोड़े | 1 | 8.87 | 422 | 6.86 | 6.86 |
| 71. | तमिलनाडु | तिरूचिरप्पल्लि | तिरुचिरापल्ली | 1 | 19.96 | 1208 | 10.94 | 10.94 |
| 72. | तमिलनाडु | वेल्लौर | तिरूपट्टर | 1 | 3.45 | 240 | 2.74 | 2.74 |
| 73. | तमिलनाडु | थिरूवरम | तिरुवरुर (संशोधित) | 1 | 6.24 | 560 | 4.99 | 5.03 |
| 74. | तमिलनाडु | चेन्नई | टीएनएससीबीवम्बे के तहत (योजना नहीं 18,496) | 1 | 20.09 | 1443 | 3.43 | 3.43 |
| 75. | तमिलनाडु | तूतीकोरिन | तूतीकोरिन | 1 | 8.02 | 500 | 5.80 | 5.64 |
| 76. | तमिलनाडु | नीलगिरी | उदगमंडलम | 1 | 12.68 | 1082 | 10.14 | 10.14 |
| 77. | तमिलनाडु | कोयंबतूर | उदमलपट | 1 | 2.81 | 160 | 2.16 | 2.16 |
| 78. | तमिलनाडु | अपरदन | उथूकली टाउन | 1 | 1.12 | 61 | 0.80 | 0.77 |
| 79. | तमिलनाडु | वेल्लोर | वानीयंबादी | 1 | 2.25 | 105 | 1.74 | 1.74 |
| 80. | तमिलनाडु | सेलम | वीरागनूर टाउन, सेलम | 1 | 3.75 | 231 | 2.63 | 2.63 |
| 81. | तमिलनाडु | नमक्कल | वेलूर | 1 | 1.37 | 86 | 0.96 | 0.96 |
| 82. | तमिलनाडु | विलपुरम | विल्लुपुरम | 1 | 8.56 | 502 | 6.57 | 6.52 |
| 83. | तमिलनाडु | विरुधुनगर | विरुधुनगर | 1 | 11.37 | 676 | 8.09 | 7.82 |
| 84. | तमिलनाडु | कांचीपुरम | बालाजबाद | 1 | 4.80 | 506 | 3.84 | 3.84 |
| | | कुल | 83 | 84 | 472.93 | 32889 | 337.74 | 320.49 |
| 1. | त्रिपुरा | दक्षिण त्रिपुरा | बेलोनिया शहर | 1 | 8.74 | 499 | 7.67 | 7.67 |
| 2. | त्रिपुरा | पश्चिम त्रिपुरा | रानीबाजार | 1 | 11.27 | 651 | 9.93 | 9.93 |
| 3. | त्रिपुरा | पश्चिम त्रिपुरा | सोनामूरा | 1 | 8.29 | 820 | 7.11 | 7.11 |
| 4. | त्रिपुरा | पश्चिम त्रिपुरा | तेलीमूरा | 1 | 7.19 | 400 | 6.33 | 6.33 |
| 5. | त्रिपुरा | दक्षिण त्रिपुरा | उदयपुर | 1 | 8.15 | 745 | 7.00 | 3.50 |
| | कुल | | 5 | 5 | 43.64 | 3115 | 38.05 | 34.55 |
| 1. | उत्तर प्रदेश | औरैया | अचलदा | 1 | 3.59 | 132 | 2.38 | 2.38 |
| 2. | उत्तर प्रदेश | जालौन | अदलसराई कालपी शहर, जिला जौलान | 1 | 3.29 | 120 | 2.10 | 2.10 |
| 3. | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | अफजलगढ़ | 1 | 2.57 | 184 | 1.96 | 1.96 |
| 4. | उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ | बजूहबा | 1 | 3.45 | 144 | 2.28 | 2.28 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ | अलीगढ़ (फेज-I) | 1 | 4.40 | 168 | 2.92 | 2.92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ | अलीगढ़ (फेज-II) | 1 | 17.77 | 660 | 11.85 | 11.32 |
| 7. | उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ | अलीगढ़ (फेज-III) | 1 | 15.37 | 558 | 10.16 | 10.16 |
| 8. | उत्तर प्रदेश | कानपुर देहात | अमरूधा | 1 | 1.79 | 72 | 1.18 | 1.18 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | ज्योतीबा फुले नगर | अमरोहा | 1 | 3.13 | 115 | 2.06 | 2.06 |
| 10. | उत्तर प्रदेश | प्रतापगढ़ | अंतू | 1 | 15.05 | 579 | 9.99 | 9.99 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | गाजियाबाद | अरथाला | 1 | 5.62 | 208 | 3.76 | 3.76 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | एटा | अबगढ़ | 1 | 2.59 | 96 | 1.72 | 1.65 |
| 13. | उत्तर प्रदेश | आजमगढ़ | आजमगढ़ | 1 | 12.65 | 465 | 8.39 | 8.39 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | उन्नाव | अकरमपुर सिटी | 1 | 12.88 | 345 | 6.99 | 3.49 |
| 15. | उत्तर प्रदेश | आजमगढ़ | बिलराया गंज | 1 | 4.68 | 125 | 2.53 | 1.26 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | रायबरेली | बछरावां | 1 | 11.40 | 284 | 7.02 | 3.51 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | कुशी नगर | सोईराही (अम्बेडकर नगर) फेज-I | 1 | 2.00 | 100 | 1.32 | 1.32 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | कुशी नगर | सोईराही (अम्बेडकर नगर) फेज-II | 1 | 2.00 | 81 | 1.36 | 1.36 |
| 19. | उत्तर प्रदेश | औरैया | बाबरपुर | 1 | 4.88 | 180 | 3.24 | 3.24 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | बलिया | बलिया | 1 | 9.07 | 313 | 5.67 | 2.83 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | मुजफ्फरनगर | बनट | 1 | 10.36 | 476 | 6.50 | 6.50 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | बागपत | बारूट | 1 | 4.41 | 208 | 3.00 | 2.84 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | बस्ती | बस्ती | 1 | 4.58 | 163 | 3.01 | 3.01 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | फैजाबाद | बीकापुर, जिला फैजाबाद | 1 | 2.22 | 84 | 1.51 | 1.44 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | प्रतापगढ़ | वेलहा | 1 | 18.19 | 676 | 12.12 | 12.12 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | मुरादाबाद | भटावली | 1 | 5.43 | 199 | 3.60 | 3.60 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | औरैया | भीकनपुर | 1 | 1.18 | 48 | 0.81 | 0.81 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | चंदौली | बीचहारी, मुगलसराय | 1 | 7.45 | 273 | 4.93 | 4.93 |
| 29. | उत्तर प्रदेश | औरैया | वीदहूना | 1 | 14.73 | 600 | 9.98 | 9.98 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | बांदा | जिले का वीसनदा बांदा, उत्तर प्रदेश | 1 | 2.77 | 96 | 1.78 | 1.78 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | सीतापुर | बीसवान, जिला सीतापुर | 1 | 6.44 | 252 | 4.40 | 4.40 |
| 32. | उत्तर प्रदेश | कानपुर नगर | बिठूर, जिला कानपुर | 1 | 2.86 | 108 | 1.95 | 1.95 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | जनपद बुलंदशहर | बुगरईस फेज-I | 1 | 3.65 | 192 | 2.64 | 2.64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | उत्तर प्रदेश | जनपद बुलंदशहर | बुगरासी फेज-II | 1 | 9.26 | 239 | 4.99 | 2.50 |
| 35. | उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | बुलंदशहर | 1 | 23.87 | 750 | 14.85 | 7.42 |
| 36. | उत्तर प्रदेश | चंदौली | चकिया | 1 | 1.18 | 48 | 0.77 | 0.77 |
| 37 | उत्तर प्रदेश | चंदौली | चंदौली (फेज-I) | 1 | 6.88 | 263 | 4.50 | 2.25 |
| 38. | उत्तर प्रदेश | चंदौली | चंदौली (फेज-II) | 1 | 3.95 | 168 | 2.55 | 1.27 |
| 39. | उत्तर प्रदेश | जनपद बुलंदशहर | चाट्टराई | 1 | 2.69 | 112 | 1.95 | 1.95 |
| 40. | उत्तर प्रदेश | मथुरा | चाहट्टा | 1 | 1.55 | 48 | 0.96 | 0.96 |
| 41. | उत्तर प्रदेश | कन्नौज | चिबरामाऊ (फेज-I) | 1 | 5.90 | 240 | 4.00 | 4.00 |
| 42. | उत्तर प्रदेश | कन्नौज | चिबरामाऊ (फेज-II) | 1 | 15.91 | 648 | 10.80 | 10.80 |
| 43. | उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर | चुनार | 1 | 5.97 | 216 | 3.91 | 3.91 |
| 44. | उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर | दादरी (फेज-I) | 1 | 3.07 | 216 | 2.34 | 2.34 |
| 45. | उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर | दादरी (फेज-II) | 1 | 17.43 | 637 | 11.54 | 5.77 |
| 46. | उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर | डंकौर | 1 | 0.66 | 48 | 0.50 | 0.50 |
| 47. | उत्तर प्रदेश | गाजियाबाद | डासना | 1 | 4.29 | 204 | 2.78 | 2.78 |
| 48. | उत्तर प्रदेश | कानपुर देहात | डेरापुर | 1 | 1.85 | 72 | 1.22 | 1.22 |
| 49. | उत्तर प्रदेश | सोनभद्र | दुद्धी | 1 | 15.48 | 451 | 8.05 | 4.03 |
| 50. | उत्तर प्रदेश | औरैया | डिबियापुर | 1 | 1.75 | 72 | 1.15 | 1.15 |
| 51. | उत्तर प्रदेश | एटा | एटा | 1 | 2.58 | 96 | 1.72 | 1.72 |
| 52. | उत्तर प्रदेश | फैजाबाद | फैजाबाद फेज-I | 1 | 17.24 | 393 | 12.28 | 9.06 |
| 53. | उत्तर प्रदेश | फैजाबाद | फैजाबाद सिटी, फेज-2 | 1 | 41.95 | 1197 | 25.31 | 12.65 |
| 54. | उत्तर प्रदेश | गजियाबाद | फरीद नगर | 1 | 7.54 | 288 | 5.02 | 5.02 |
| 55. | उत्तर प्रदेश | फर्रूखाबाद | फर्रूखाबाद टी.ए. | 1 | 1.89 | 72 | 1.28 | 1.28 |
| 56. | उत्तर प्रदेश | फतेहपुर | फतेहपुर | 1 | 5.17 | 216 | 3.31 | 3.31 |
| 57. | उत्तर प्रदेश | मैनपुरी | घिरोर | 1 | 16.10 | 450 | 9.62 | 4.81 |
| 58. | उत्तर प्रदेश | सुल्तानपुर | घासीगंज, सुल्तानपुर | 1 | 3.14 | 116 | 2.08 | 1.04 |
| 59. | उत्तर प्रदेश | गजियाबाद | गजियाबाद | 1 | 18.37 | 1236 | 14.00 | 14.00 |
| 60. | उत्तर प्रदेश | गाजीपुर | गाजीपुर | 1 | 11.99 | 420 | 7.48 | 3.74 |
| 61. | उत्तर प्रदेश | सोनभद्र | घोरावल | 1 | 15.42 | 656 | 9.40 | 4.70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62. | उत्तर प्रदेश | मथुरा | गोकुल | 1 | 2.83 | 88 | 1.76 | 1.76 |
| 63. | उत्तर प्रदेश | खीरी | गोला शहर, जिला लखीमपुर | 1 | 3.12 | 120 | 2.13 | 1.07 |
| 64. | उत्तर प्रदेश | हरदोई | गोपामऊ | 1 | 3.80 | 144 | 2.53 | 1.26 |
| 65. | उत्तर प्रदेश | गोरखपुर | गोरखपुर फेज-I | 1 | 16.75 | 611 | 11.09 | 11.09 |
| 66. | उत्तर प्रदेश | गोरखपुर | गोरखपुर फेज-II | 1 | 17.44 | 628 | 10.79 | 5.40 |
| 67. | उत्तर प्रदेश | कानपुर देहात | गोसाईगंज | 1 | 1.92 | 72 | 1.30 | 1.24 |
| 68. | उत्तर प्रदेश | संत कबीर नगर | हरीहरपुर (फेज-I) | 1 | 1.97 | 72 | 1.34 | 1.34 |
| 69. | उत्तर प्रदेश | संत कबीर नगर | हरीहरपुर (जवाहर नगर) फेज-II | 1 | 2.00 | 72 | 1.42 | 1.42 |
| 70. | उत्तर प्रदेश | संत कबीर नगर | हरीहरपुर (पटेल नगर) फेज-III | 1 | 1.84 | 60 | 1.29 | 1.24 |
| 71. | उत्तर प्रदेश | संत कबीर नगर | हरीहरपुर (फेज-IV) | 1 | 8.47 | 252 | 5.72 | 2.86 |
| 72. | उत्तर प्रदेश | ज्योतीबा फुले नगर | हसनपुर | 1 | 0.81 | 36 | 0.53 | 0.53 |
| 73. | उत्तर प्रदेश | मेरठ | हस्तिनापुर फेज-I | 1 | 19.10 | 582 | 10.90 | 10.90 |
| 74. | उत्तर प्रदेश | मेरठ | हस्तिनापुर फेज-II | 1 | 13.18 | 306 | 7.66 | 3.83 |
| 75. | उत्तर प्रदेश | उन्नाव | हैदराबाद | 1 | 4.21 | 168 | 2.79 | 2.79 |
| 76. | उत्तर प्रदेश | इटावा | जसवंत नगर (फेज-I) | 1 | 6.02 | 240 | 4.11 | 4.11 |
| 77. | उत्तर प्रदेश | इटावा | जसवंत नगर (फेज-II) | 1 | 5.66 | 228 | 3.72 | 1.86 |
| 78. | उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर | जेवर | 1 | 6.70 | 272 | 4.32 | 4.32 |
| 79. | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | झालू (फेज-I) | 1 | 1.50 | 56 | 1.02 | 1.02 |
| 80. | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | झालू (फेज-II) | 1 | 5.78 | 450 | 3.77 | 3.56 |
| 81. | उत्तर प्रदेश | कानपुर देहात | झिंझक | 1 | 10.71 | 492 | 7.15 | 7.15 |
| 82. | उत्तर प्रदेश | ज्योतीबा फुले नगर | जोया | 1 | 0.93 | 42 | 0.61 | 0.61 |
| 83. | उत्तर प्रदेश | जालौन | कडौरा शहर, जिला जालौन | 1 | 4.25 | 156 | 2.71 | 2.71 |
| 84. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | ककरी | 1 | 16.95 | 629 | 11.20 | 11.20 |
| 85. | उत्तर प्रदेश | बुलन्दशहर | खानपुर | 1 | 2.21 | 96 | 1.61 | 1.61 |
| 86. | उत्तर प्रदेश | मेरठ | खारखुडा | 1 | 2.66 | 96 | 1.81 | 1.81 |
| 87. | उत्तर प्रदेश | अम्बेडकर नगर | किछौचा | 1 | 1.88 | 72 | 1.24 | 1.24 |
| 88. | उत्तर प्रदेश | मैनपुरी | किश्नि | 1 | 21.04 | 748 | 13.06 | 6.53 |
| 89. | उत्तर प्रदेश | मथुरा | कोसी-कलां | 1 | 8.82 | 384 | 5.45 | 5.45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90. | उत्तर प्रदेश | सुल्तानपुर | कोयरीपुर | 1 | 6.08 | 180 | 3.63 | 1.82 |
| 91. | उत्तर प्रदेश | प्रतापगढ़ | कुंडा शहर, जिला प्रतापगढ़ | 1 | 6.43 | 272 | 3.95 | 3.95 |
| 92. | उत्तर प्रदेश | बुलन्दशहर | खुर्जा | 1 | 6.89 | 119 | 4.32 | 2.16 |
| 93. | उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | कुरांव | 1 | 4.97 | 209 | 3.24 | 3.24 |
| 94. | उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | कुराना, जिला हमीपुर | 1 | 3.58 | 132 | 2.29 | 2.18 |
| 95. | उत्तर प्रदेश | रायबरेली | लालगंज | 1 | 9.62 | 246 | 6.31 | 3.15 |
| 96. | उत्तर प्रदेश | देवरिया | लार | 1 | 28.01 | 1527 | 18.70 | 14.02 |
| 97. | उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | लाल गोपालगंज | 1 | 8.03 | 396 | 5.11 | 5.11 |
| 98. | उत्तर प्रदेश | मेरठ | लावर | 1 | 8.38 | 359 | 5.36 | 5.36 |
| 99. | उत्तर प्रदेश | मऊ | मऊ शहर | 1 | 19.22 | 479 | 10.73 | 5.37 |
| 100. | उत्तर प्रदेश | मथुरा | महावान | 1 | 1.66 | 72 | 1.03 | 1.03 |
| 101. | उत्तर प्रदेश | महोबा | महोबा टाउन, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश | 1 | 2.61 | 84 | 1.69 | 1.63 |
| 102. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | महोना | 1 | 20.82 | 762 | 13.78 | 13.78 |
| 103. | उत्तर प्रदेश | महाराजगंज | महाराजगंज | 1 | 11.42 | 399 | 7.10 | 3.55 |
| 104. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | मलीहाबाद | 1 | 4.05 | 148 | 2.68 | 2.68 |
| 105. | उत्तर प्रदेश | चित्रकूट | मानिकपुर, जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश | 1 | 3.86 | 144 | 2.45 | 2.45 |
| 106. | उत्तर प्रदेश | कौशाम्बी | मंझनपुर | 1 | 3.19 | 120 | 2.13 | 1.07 |
| 107. | उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 1 | 20.71 | 536 | 14.27 | 14.27 |
| 108. | उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर | मिर्जापुर शहर | 1 | 25.52 | 853 | 16.31 | 8.16 |
| 109. | उत्तर प्रदेश | फर्रुखाबाद | मोहम्मदाबाद | 1 | 3.19 | 132 | 2.15 | 2.04 |
| 110. | उत्तर प्रदेश | मुरादाबाद | मुरादाबाद | 1 | 1.31 | 48 | 0.87 | 0.43 |
| 111. | उत्तर प्रदेश | चंदौली | मुगलसराय | 1 | 4.22 | 168 | 2.75 | 1.37 |
| 112. | उत्तर प्रदेश | छत्रपति साहुजी महाराज नगा | मुसाफिर खाना | 1 | 15.86 | 534 | 9.91 | 4.95 |
| 113. | उत्तर प्रदेश | मुजफ्फरनगर | मुजफ्फरनगर (03 मलिन बस्तियों) | 1 | 10.44 | 255 | 6.15 | 3.08 |
| 114. | उत्तर प्रदेश | मथुरा | नन्दनगांव | 1 | 6.93 | 224 | 4.27 | 4.27 |
| 115. | उत्तर प्रदेश | बांदा | नरायनी | 1 | 2.10 | 72 | 1.35 | 1.35 |
| 116. | उत्तर प्रदेश | बरेली | नवाबगंज | 1 | 1.38 | 48 | 0.87 | 0.87 |
| 117. | उत्तर प्रदेश | बरेली | नवाबगंज | 1 | 3.60 | 144 | 2.39 | 2.39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118. | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | नेहतौर | 1 | 0.70 | 48 | 0.53 | 0.53 |
| 119. | उत्तर प्रदेश | एटा | निधौली कला | 1 | 1.62 | 60 | 1.08 | 1.03 |
| 120. | उत्तर प्रदेश | पीलीभीत | पुरिया हुसैनपुर, हुसैनपुर, जिला पीलीभीत | 1 | 25.37 | 886 | 15.76 | 7.88 |
| 121. | उत्तर प्रदेश | जालौन | उरई शहर (लहरियापुर) जिला जालून, उत्तर प्रदेश | 1 | 7.16 | 288 | 4.50 | 4.50 |
| 122. | उत्तर प्रदेश | गोरखपुर | पी.पी. गंज | 1 | 19.02 | 544 | 11.29 | 5.65 |
| 123. | उत्तर प्रदेश | बलरामपुर | पचपेरवा | 1 | 1.02 | 48 | 0.77 | 0.77 |
| 124. | उत्तर प्रदेश | राय बरेली | परसादेपुर | 1 | 34.50 | 1028 | 21.78 | 21.78 |
| 125. | उत्तर प्रदेश | हरदोई | पाली, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश | 1 | 3.92 | 144 | 2.50 | 2.50 |
| 126. | उत्तर प्रदेश | औरैया | फफूंद | 1 | 1.50 | 60 | 0.98 | 0.98 |
| 127. | उत्तर प्रदेश | जालौन | बजरंग कालोनी, जिला निकट पिछौर, झांसी, उत्तर प्रदेश | 1 | 4.01 | 144 | 2.57 | 2.57 |
| 128. | उत्तर प्रदेश | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | 1 | 14.13 | 531 | 9.41 | 9.41 |
| 129. | उत्तर प्रदेश | कुशीनगर | पडरौना | 1 | 29.94 | 912 | 17.73 | 8.87 |
| 130. | उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर | राबुपुरा | 1 | 0.84 | 72 | 0.64 | 0.64 |
| 131. | उत्तर प्रदेश | रायबरेली | रायबरेली (फेज-I) | 1 | 1.52 | 100 | 1.16 | 1.16 |
| 132. | उत्तर प्रदेश | रायबरेली | रायबरेली (फेज-II) | 1 | 20.85 | 353 | 14.87 | 7.43 |
| 133. | उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | राम नगर | 1 | 2.59 | 96 | 1.72 | 1.72 |
| 124. | उत्तर प्रदेश | रामपुर | रामपुर (फेज-I) | 1 | 4.14 | 156 | 2.69 | 1.35 |
| 125. | उत्तर प्रदेश | रामपुर | रामपुर (फेज-II) | 1 | 11.29 | 462 | 7.37 | 7.37 |
| 136. | उत्तर प्रदेश | उन्नाव | रसूलाबाद | 1 | 5.24 | 216 | 3.59 | 1.79 |
| 137. | उत्तर प्रदेश | मथुरा | राया | 1 | 1.53 | 48 | 0.95 | 0.95 |
| 138. | उत्तर प्रदेश | रायबरेली | रायबरेली | 1 | 37.38 | 1031 | 22.42 | 11.21 |
| 139. | उत्तर प्रदेश | रायबरेली | रायबरेली (07 गंदी बस्ती) | 1 | 19.19 | 429 | 12.08 | 6.04 |
| 140. | उत्तर प्रदेश | गाजीपुर | सादात | 1 | 0.93 | 36 | 0.61 | 0.61 |
| 141. | उत्तर प्रदेश | सहारनपुर | सहारनपुर (फेज-I) | 1 | 3.90 | 208 | 2.54 | 1.27 |
| 142. | उत्तर प्रदेश | सहारनपुर | सहारनपुर (फेज-II) | 1 | 11.75 | 456 | 7.32 | 7.32 |
| 143. | उत्तर प्रदेश | बहराइच | सलारगंज | 1 | 7.93 | 336 | 5.40 | 5.13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144. | उत्तर प्रदेश | संत रविदास नगर | संत रविदास नगर | 1 | 8.76 | 360 | 5.73 | 5.73 |
| 145. | उत्तर प्रदेश | हरदोई | सांदिला, हरदोई | 1 | 8.00 | 252 | 4.68 | 2.34 |
| 146. | उत्तर प्रदेश | बरेली | सावना | 1 | 4.17 | 160 | 2.59 | 1.30 |
| 147. | उत्तर प्रदेश | आजमगढ़ | सराय मीर | 1 | 3.85 | 144 | 2.56 | 1.28 |
| 148. | उत्तर प्रदेश | कन्नौज | सैरीख | 1 | 3.47 | 144 | 2.35 | 2.35 |
| 149. | उत्तर प्रदेश | गोरखपुर | सहजनवां | 1 | 1.94 | 72 | 1.18 | 1.18 |
| 150. | उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | शंकरगढ़ | 1 | 9.17 | 407 | 5.93 | 5.93 |
| 151. | उत्तर प्रदेश | कानपुर देहात | शिवली | 1 | 3.33 | 132 | 2.15 | 2.15 |
| 152. | उत्तर प्रदेश | कानपुर नगर | शिवराजपुर | 1 | 3.34 | 132 | 2.26 | 2.26 |
| 153. | उत्तर प्रदेश | कानपुर देहात | सिकन्दरा | 1 | 5.28 | 204 | 3.42 | 3.42 |
| 154. | उत्तर प्रदेश | खेरी | सिंगही | 1 | 3.13 | 108 | 2.01 | 1.01 |
| 155. | उत्तर प्रदेश | मुरादाबाद | ठाकुरवाड़ा फेज-I | 1 | 5.57 | 210 | 3.69 | 3.69 |
| 156. | उत्तर प्रदेश | मुरादाबाद | ठाकुरवाड़ा फेज-II | 1 | 29.26 | 846 | 15.20 | 7.60 |
| 157. | उत्तर प्रदेश | कन्नौज | तिरवा | 1 | 7.37 | 312 | 4.98 | 2.49 |
| 158. | उत्तर प्रदेश | कन्नौज | तिरवा खास | 1 | 11.73 | 528 | 7.86 | 3.93 |
| 159. | उत्तर प्रदेश | उन्नाव | उगू | 1 | 3.06 | 120 | 2.03 | 2.03 |
| 160. | उत्तर प्रदेश | बदायूं | उझनि | 1 | 1.29 | 128 | 0.98 | 0.98 |
| 161. | उत्तर प्रदेश | मुरादाबाद | उमरी कला | 1 | 7.79 | 306 | 5.11 | 5.11 |
| 162. | उत्तर प्रदेश | उन्नाव | उन्नाव | 1 | 2.51 | 96 | 1.72 | 1.72 |
| 163. | उत्तर प्रदेश | बलरामपुर | अतरौला | 1 | 1.74 | 60 | 1.21 | 1.16 |
| 164. | उत्तर प्रदेश | मथुरा | वृंदावन | 1 | 6.31 | 276 | 3.90 | 3.90 |
| | | कुल | 143 | 164 | 1325.10 | 47399 | 846.08 | 645.76 |
| 1. | उत्तराखंड | अल्मोड़ा | अल्मोड़ा | 1 | 8.33 | 217 | 4.22 | 2.11 |
| 2. | उत्तराखंड | चंपावत | चंपावत | 1 | 3.81 | 73 | 2.15 | 1.07 |
| 3. | उत्तराखंड | उधम सिंह नगर | दिनेशपुर | 1 | 11.78 | 387 | 6.99 | 3.50 |
| 4. | उत्तराखंड | नैनीताल | हलद्वानी, इन्दिरा नगर | 1 | 13.47 | 501 | 6.51 | 3.26 |
| 5. | उत्तराखंड | नैनीताल | हलद्वानी, काठगोदाम | 1 | 11.85 | 422 | 5.95 | 2.97 |
| 6. | उत्तराखंड | उधम सिंह नगर | जसपुर फेज-I | 1 | 6.30 | 192 | 4.06 | 2.03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | उत्तराखंड | उधम सिंह नगर | जसपुर फेज-II | 1 | 1.57 | 48 | 0.94 | 0.47 |
| 8. | उत्तराखंड | उधम सिंह नगर | किच्चा | 1 | 5.63 | 159 | 3.42 | 1.71 |
| 9. | उत्तराखंड | उधम सिंह नगर | काशीपुर | 1 | 11.96 | 428 | 6.97 | 3.48 |
| 10. | उत्तराखंड | नैनीताल | कालाडुंगी | 1 | 10.48 | 290 | 6.37 | 6.37 |
| 11. | उत्तराखंड | नैनीताल | लालकुंआ | 1 | 3.59 | 100 | 2.40 | 1.20 |
| 12. | उत्तराखंड | नैनीताल | लंदौरा फेज-I | 1 | 10.10 | 264 | 6.33 | 3.16 |
| 13. | उत्तराखंड | नैनीताल | लंदौरा फेज-II | 1 | 2.58 | 100 | 1.26 | 0.63 |
| 14. | उत्तराखंड | उधम सिंह नगर | महुआखेरा गंज | 1 | 11.87 | 403 | 6.93 | 3.46 |
| 15. | उत्तराखंड | देहरादून | मसूरी | 1 | 5.10 | 96 | 2.67 | 1.33 |
| 16. | उत्तराखंड | उधम सिंह नगर | महुडाब्रा | 1 | 9.25 | 266 | 5.59 | 2.80 |
| 17. | उत्तराखंड | हरिद्वार | मंगलौर | 1 | 13.45 | 461 | 6.47 | 3.23 |
| 18. | उत्तराखंड | गढ़वाल | पौड़ी | 1 | 4.52 | 178 | 2.25 | 2.25 |
| 19. | उत्तराखंड | पिथौरागढ़ | पिथौरागढ़ नगर | 1 | 10.96 | 200 | 6.26 | 6.26 |
| 20. | उत्तराखंड | गढ़वाल | श्रीनगर | 1 | 1.33 | 53 | 0.66 | 0.66 |
| 21. | उत्तराखंड | देहरादून | विकास नगर | 1 | 3.34 | 194 | 2.17 | 1.09 |
| | कुल | | 18 | 21 | 161.28 | 5032 | 90.57 | 53.06 |
| 1. | पश्चिम बंगाल | जलपाईगुड़ी | अलीपुरद्वार फेज-I | 1 | 8.24 | 420 | 5.92 | 5.92 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | जलपाईगुड़ी | अलीपुरद्वार फेज-II | | | | | 0.00 |
| 2. | पश्चिम बंगाल | हुगली | आरामबाग | 1 | 10.00 | 522 | 8.00 | 4.00 |
| 3. | पश्चिम बंगाल | उत्तर चौबीस परगना | अशोकनगर कल्याणगढ़ फेज-I | 1 | 16.40 | 848 | 11.76 | 8.82 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | उत्तर चौबीस परगना | अशोकनगर कल्याणगढ़ फेज-II | | | | | 0.00 |
| 4. | पश्चिम बंगाल | उत्तर चौबीस परगना | बडुरिया फेज-I | 1 | 10.30 | 516 | 7.41 | 7.41 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | उत्तर चौबीस परगना | बडुरिया फेज-II | | | | | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | पश्चिम बंगाल | दक्षिण दिनाजपुर | बलूरघाट फेज-I | 1 | 15.77 | 790 | 12.62 | 12.62 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | दक्षिण दिनाजपुर | बलूरघाट फेज-II | | | | | 0.00 |
| 6. | पश्चिम बंगाल | बांकुरा | बांकुरा फेज-I | 1 | 6.58 | 415 | 4.92 | 4.92 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | बांकुरा | बांकुरा फेज-II | | | | | 0.00 |
| 7. | पश्चिम बंगाल | उत्तर चौबीस परगना | बसीरहाट फेज-I | 1 | 15.46 | 1069 | 11.35 | 11.35 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | उत्तर चौबीस परगना | बसीरहाट फेज-II | | | | | 0.00 |
| 8. | पश्चिम बंगाल | मुर्शिदाबाद | बेलदंगा (फेज-I) | 1 | 6.17 | 362 | 4.94 | 4.94 |
| 9. | पश्चिम बंगाल | मुर्शिदाबाद | बरहमपुर | 1 | 4.12 | 168 | 2.04 | 1.02 |
| 10. | पश्चिम बंगाल | नादिया | बिरानगर फेज-I | 1 | 5.93 | 300 | 4.27 | 4.27 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | नादिया | नादिया | | | | | 0.00 |
| 11. | पश्चिम बंगाल | दक्षिण चौबीस परगना | बिष्णुपुर | 1 | 7.00 | 364 | 5.02 | 2.51 |
| 12. | पश्चिम बंगाल | बिरभूम | बोलपुर | 1 | 9.92 | 573 | 7.02 | 7.02 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | उत्तर चौबीस परगना | बोंगांव | 1 | 14.64 | 767 | 11.71 | 5.86 |
| 14. | पश्चिम बंगाल | बर्धमान | बर्दवान | 1 | 22.46 | 1629 | 17.03 | 17.03 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | नादिया | चकदाहा (फेज-I) | 1 | 15.20 | 887 | 12.16 | 12.16 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | नादिया | चकदाहा (फेज-II) | 1 | 8.69 | 440 | 6.39 | 6.39 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर | चंद्रकोना | 1 | 6.99 | 350 | 5.03 | 5.03 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर | कोन्टई (फेस-I) | 1 | 12.35 | 636 | 9.50 | 8.99 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | मेदिनिपुर | कोन्टई (फेस-II) | | | | | 0.00 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | कोच बिहार | कूचबिहार (फेज-I) | 1 | 9.34 | 632 | 6.75 | 6.75 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | कोच बिहार | कूचबिहार (फेज-II) | 1 | 6.90 | 320 | 5.11 | 2.55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | पश्चिम बंगाल | नाडिया | कूपर्स शिविर | 1 | 8.90 | 450 | 6.40 | 6.40 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | बर्धमान | डेनहाट फेज-I | 1 | 7.21 | 390 | 5.14 | 5.14 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | बर्धमान | डेनहाट फेज-II | | | | | 0.00 |
| 23. | पश्चिम बंगाल | उत्तर दीनाजपुर | डलखोला फेज-I | 1 | 6.44 | 360 | 4.58 | 4.58 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | उत्तर दीनाजपुर | डलखोला फेज-II | | | | | 0.00 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | दार्जिलिंग | दार्जिलिंग | 1 | 20.66 | 890 | 15.18 | 7.59 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | हेओरा | धुलियन | 1 | 8.00 | 400 | 5.76 | 5.76 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | जलपाईगुड़ी | धूपगुरी | 1 | 10.16 | 509 | 7.31 | 7.31 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | दक्षिण चौबीस परगना | डायमंड हार्बर | 1 | 9.98 | 591 | 7.98 | 3.99 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | कोच बिहार | दिनहटा | 1 | 6.25 | 319 | 4.49 | 4.49 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | बिरभूम | डुबराजपुर | 1 | 8.12 | 416 | 5.83 | 5.83 |
| 30. | पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर | एग्रा फेज-I | 1 | 6.64 | 332 | 4.78 | 4.78 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | मेदिनीपुर | एग्रा फेज-II | | | | | 0.00 |
| 31. | पश्चिम बंगाल | मालदा | इंगलिश बाजार (फेज-I) | 1 | 16.74 | 852 | 13.40 | 13.40 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | दक्षिण दिनाजपुर | गंगारामपुर फेज-I | 1 | 12.06 | 685 | 8.74 | 8.74 |
| 33. | पश्चिम बंगाल | दक्षिण दिनाजपुर | गंगारामपुर फेज-II | 1 | 9.91 | 467 | 7.33 | 7.33 |
| 34. | पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर | घाटल फेज-I | 1 | 5.06 | 352 | 3.69 | 3.69 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | मेदिनीपुर | घाटल फेज-II | | | | | 0.00 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | उत्तर चौबीस परगना | गोबरडंगा फेज-I | 1 | 7.70 | 500 | 5.57 | 5.57 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | उत्तर चौबीस परगना | गोबरडंगा फेज-II | | | | | 0.00 |
| 36. | पश्चिम बंगाल | बर्धमान | गुशकारा | 1 | 8.50 | 450 | 6.80 | 3.40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | पश्चिम बंगाल | उत्तर चौबीस परगना | हावड़ा | 1 | 15.21 | 896 | 10.57 | 10.57 |
| 38. | पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर | हल्दिया फेज-I | 1 | 8.61 | 645 | 6.89 | 6.89 |
| 39. | पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर | हल्दिया फेज-II | 1 | 15.89 | 795 | 12.72 | 12.72 |
| 40. | पश्चिम बंगाल | कोच बिहार | हल्दीबारी फेज-I | 1 | 5.70 | 304 | 4.08 | 4.08 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | कोच बिहार | हल्दीबारी फेज-II | | | | | 0.00 |
| 41. | पश्चिम बंगाल | उत्तर दिनाजपुर | इस्लामपुर | 1 | 6.70 | 370 | 4.77 | 4.77 |
| 42. | पश्चिम बंगाल | जलपाईगुड़ी | जलपाईगुड़ी फेज-I | 1 | 15.69 | 625 | 11.55 | 11.55 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | जलपाईगुड़ी | जलपाईगुड़ी फेज-II | | | | | 0.00 |
| 43. | पश्चिम बंगाल | मुर्शिदाबाद | जंगीपुर (फेज-I) | 1 | 7.19 | 344 | 5.33 | 5.33 |
| 44. | पश्चिम बंगाल | मुर्शिदाबाद | जंगीपुर (फेज-II) | 1 | 10.05 | 650 | 8.04 | 8.04 |
| 45. | पश्चिम बंगाल | पुरूलिया | झालदा | 1 | 7.98 | 408 | 6.38 | 3.19 |
| 46. | पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर | झारग्राम (फेज-I) | 1 | 9.62 | 645 | 7.00 | 7.00 |
| 47. | पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर | झारग्राम (फेज-II) | 1 | 4.00 | 205 | 3.20 | 3.20 |
| 48. | पश्चिम बंगाल | मुर्शिदाबाद | जीयागंज अजिमगंज (फेज-I) | 1 | 11.11 | 593 | 7.94 | 7.94 |
| 49. | पश्चिम बंगाल | मुर्शिदाबाद | जीयागंज अजिमगंज (फेज-II) | 1 | 10.20 | 521 | 8.16 | 4.08 |
| 50. | पश्चिम बंगाल | दक्षिण चौबीस परगना | जयनगर | 1 | 4.68 | 225 | 3.22 | 3.22 |
| 51. | पश्चिम बंगाल | दार्जिलिंग | कलिम्पोंग | 1 | 11.99 | 567 | 9.59 | 4.79 |
| 52. | पश्चिम बंगाल | उत्तर दिनाजपुर | कलियागंज | 1 | 7.95 | 400 | 6.36 | 6.36 |
| 53. | पश्चिम बंगाल | बर्धमान | कलना | 1 | 14.68 | 1060 | 10.69 | 10.69 |
| 54. | पश्चिम बंगाल | मुर्शिदाबाद | कांडी फेज-I | 1 | 8.98 | 555 | 7.18 | 6.74 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | मुर्शिदाबाद | कांडी फेज-II | | | | | 0.00 |
| 55. | पश्चिम बंगाल | बर्धमान | कटवा | 1 | 10.90 | 650 | 8.72 | 8.72 |
| 56. | पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर | खरड़ | 1 | 5.32 | 300 | 3.77 | 3.77 |
| 57. | पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर | खड़गपुर (फेज-I) | 1 | 4.67 | 272 | 3.42 | 3.42 |
| 58. | पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर | खड़गपुर (फेज-II) | 1 | 4.02 | 232 | 2.95 | 2.95 |
| 59. | पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर | खड़गपुर (फेज-III) | 1 | 5.32 | 306 | 3.86 | 3.86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर | खिरपई | 1 | 5.21 | 300 | 3.69 | 3.69 |
| 61. | पश्चिम बंगाल | नादिया | कृष्णानगर फेज-I | 1 | 12.80 | 640 | 9.22 | 9.22 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | नादिया | कृष्णानगर फेज-II | | | | | 0.00 |
| 62. | पश्चिम बंगाल | दार्जिलिंग | कुर्सियांग | 1 | 11.99 | 565 | 9.59 | 4.80 |
| 63. | पश्चिम बंगाल | जलपाईगुड़ी | मल नगरपालिका | 1 | 7.00 | 465 | 4.86 | 4.86 |
| 64. | पश्चिम बंगाल | कोच बिहार | माथाभंगा | 1 | 3.19 | 181 | 2.32 | 2.32 |
| 65. | पश्चिम बंगाल | कोच बिहार | माथाभंगा | 1 | 8.56 | 402 | 6.34 | 3.17 |
| 66. | पश्चिम बंगाल | कोच बिहार | मेखलीगंज | 1 | 5.22 | 294 | 3.71 | 3.71 |
| 67. | पश्चिम बंगाल | बर्धमान | मेमारी फेज-I | 1 | 11.25 | 621 | 8.00 | 8.00 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | बर्धमान | मेमारी फेज-II | | | | | 0.00 |
| 68. | पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर | मिदनापुर फेज-I | 1 | 15.73 | 948 | 11.63 | 11.63 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | मेदिनीपुर | मिदनापुर फेज-II | | | | | 0.00 |
| 69. | पश्चिम बंगाल | दार्जिलिंग | मिरिक | 1 | 7.96 | 423 | 6.36 | 3.18 |
| 70. | पश्चिम बंगाल | मुर्शिदाबाद | मुर्शिदाबाद | 1 | 8.74 | 497 | 6.74 | 6.74 |
| 71. | पश्चिम बंगाल | नादिया | नबाद्वीप फेज-I | 1 | 10.53 | 735 | 7.25 | 3.63 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | नादिया | नबाद्वीप फेज-II | | | | | 0.00 |
| 72. | पश्चिम बंगाल | उत्तर चौबीस परगना | नलहाटी | 1 | 6.78 | 330 | 4.89 | 4.89 |
| 73. | पश्चिम बंगाल | मालदा | ओल्ड मालदा | 1 | 10.78 | 550 | 8.63 | 8.63 |
| 74. | पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर | पंसकुरा फेज-I | 1 | 7.31 | 498 | 5.29 | 5.29 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | मेदिनीपुर | पंसकुरा फेज-II | | | | | 0.00 |
| 75. | पश्चिम बंगाल | पुरूलिया | पुरूलिया | 1 | 8.07 | 611 | 6.18 | 3.09 |
| 76. | पश्चिम बंगाल | पुरूलिया | रघुनाथपुर | 1 | 7.90 | 400 | 6.32 | 3.16 |
| 77. | पश्चिम बंगाल | उत्तर दिनाजपुर | रायगंज फेज-I | 1 | 26.28 | 2000 | 19.81 | 19.81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | उत्तर दिनाजपुर | रायगंज फेज-II | | | | | 0.00 |
| 78. | पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर | रामजीबनपुर | 1 | 5.34 | 300 | 3.79 | 3.79 |
| 79. | पश्चिम बंगाल | बिरभूम | रामपुरहाट | 1 | 10.89 | 603 | 8.71 | 4.35 |
| 80. | पश्चिम बंगाल | नादिया | राणाघाट (फेज-I) | 1 | 2.97 | 155 | 2.17 | 2.17 |
| 81. | पश्चिम बंगाल | नादिया | राणाघाट (फेज-II) | 1 | 5.75 | 297 | 4.60 | 2.30 |
| 82. | पश्चिम बंगाल | बीरभूम | सैंथिया | 1 | 6.67 | 340 | 4.79 | 4.79 |
| 83. | पश्चिम बंगाल | नादिया | शांतिपुर | 1 | 7.13 | 357 | 5.13 | 2.57 |
| 84. | पश्चिम बंगाल | जलपाईगुड़ी | सिलीगुड़ी (फेज-I) | 1 | 39.15 | 1998 | 29.46 | 29.46 |
| 85. | पश्चिम बंगाल | जलपाईगुड़ी | सिलीगुड़ी (फेज-II) | 1 | 19.99 | 1206 | 14.06 | 14.06 |
| 86. | पश्चिम बंगाल | जलपाईगुड़ी | सिलीगुड़ी (फेज-III) | 1 | 35.99 | 1859 | 28.79 | 14.40 |
| 87. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | एसजेडीए (योजना सं. 18665) | 1 | 0.64 | 75 | 0.15 | 0.15 |
| 88. | पश्चिम बंगाल | बांकुरा | सोनमुखी | 1 | 3.74 | 200 | 2.72 | 2.72 |
| 89. | पश्चिम बंगाल | बीरभूम | सूरी | 1 | 14.47 | 728 | 11.58 | 5.79 |
| 90. | पश्चिम बंगाल | नादिया | तहेरपुर फेज-I | 1 | 7.76 | 390 | 4.97 | 4.97 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | नादिया | तहेरपुर फेज-II | | | | | 0.00 |
| 91. | पश्चिम बंगाल | उत्तर चौबीस परगना | ताकी (फेज-I) | 1 | 5.42 | 307 | 3.94 | 3.94 |
| 92. | पश्चिम बंगाल | उत्तर चौबीस परगना | ताकी (फेज-II) | 1 | 6.99 | 504 | 5.59 | 2.80 |
| 93. | पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर | तामलुक | 1 | 8.94 | 456 | 7.15 | 3.58 |
| 94. | पश्चिम बंगाल | हुगली | तारकेश्वर फेज-I | 1 | 9.89 | 584 | 7.91 | 7.91 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | हुगली | तारकेश्वर फेज-II | | | | | 0.00 |
| 95. | पश्चिम बंगाल | कोच बिहार | तुफानगंज फेज-I | 1 | 6.11 | 308 | 4.39 | 4.39 |
| दिनांक 18.8.11 को 110वीं सीएससी मीटिंग में परियोजना रद्द | | कूच बिहार (कूच बिहार) | तुफानगंज फेज-II | | | | | 0.00 |
| | | कुल | 81 | 95 | 944.36 | 52666 | 709.02 | 605.35 |
| | | सकल कुल | 886 | 1022 | 10913.72 | 544276 | 7201.03 | 4703.95 |

*[अनुवाद]*

## युवा नेतृत्व का विकास

**81. चौधरी लाल सिंह:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में युवा नेतृत्व के कारण विकास हेतु आरंभ/कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में किए गए व्यय और इनसे प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसमें और सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) और (ख) युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) नामक एक स्कीम का एक घटक है, जिसका कार्यान्वयन नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) द्वारा किया जा रहा है, जो कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, युवाओं को नेतृत्व गुण, राष्ट्रीय चरित्र, कामरेडशिप, महिलाओं के लिए कौशल विकास, ग्रामीण युवाओं में युवा रोजगारपरक कौशल (वाईईएस), और व्यक्तित्व विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें इस ज्ञान को ग्रामीण क्षेत्र में फैलाने के लिए केन्द्र बिंदु बनने और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में बजट आबंटन और उपलब्धियों सहित हुए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(ग) युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) वित्तीय वर्ष 2008-09 से कार्यान्वित किया जा रहा है। एनवाईकेएस युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रहा है।

### *विवरण I*

*वर्तमान वर्ष एवं पिछले वर्षों के दौरान युवा नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के तहत निधि का आबंटन एवं व्यय*

| क्र.सं. | राज्य | आबंटन 2008-09 | व्यय 2008-09 | आबंटन 2009-10 | व्यय 2009-10 | आबंटन 2010-11 | व्यय 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 516204 | 508102 | 587322 | 587652 | 1080000 | 1080000 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | | | 293661 | 293661 | 270000 | 300000 |
| 3. | असम | 1032408 | 1032022 | 880983 | 847311 | 1080000 | 1070000 |
| 4. | बिहार | 516204 | 504337 | 587322 | 587321 | 1350000 | 1372116 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 258102 | 258102 | 293661 | 288318 | 540000 | 502572 |
| 6. | गोवा | | | | | 270000 | 255972 |
| 7. | गुजरात | | | 587322 | 340838 | 540000 | 540000 |
| 8. | हरियाणा | 258102 | 258102 | 587322 | 479872 | 1080000 | 1060727 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 258102 | 243250 | 293661 | 223256 | 810000 | 731010 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 516204 | 516000 | 587322 | 587322 | 810000 | 481500 |
| 11. | झारखंड | 258102 | 258102 | 293661 | 293315 | 810000 | 780000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | कर्नाटक | 516204 | 520248 | 587322 | 535447 | 1080000 | 1160000 |
| 13. | केरल | 258102 | 223328 | 293661 | 293661 | 540000 | 530837 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 516204 | 455689 | 587322 | 363073 | 1890000 | 1560546 |
| 15. | महाराष्ट्र | 1032408 | 1022978 | 587322 | 539361 | 1890000 | 1861604 |
| 16. | मणिपुर | 516204 | 516204 | 587322 | 587322 | 540000 | 540000 |
| 17. | मेघालय | 258102 | 258102 | 293661 | 232722 | 270000 | 260250 |
| 18. | मिजोरम | 258102 | 258102 | 293661 | 258102 | 270000 | 270000 |
| 19. | नागालैंड | 258102 | 258102 | 293661 | 300000 | 270000 | 270000 |
| 20. | ओडिशा | 516204 | 516704 | 587322 | 492498 | 1080000 | 1016157 |
| 21. | पंजाब | 516204 | 497754 | 587322 | 203868 | 1080000 | 1059173 |
| 22. | राजस्थान | 516204 | 410203 | 587322 | 578156 | 1620000 | 1764252 |
| 23. | सिक्किम | 258102 | 258100 | 293661 | 253661 | 270000 | 260000 |
| 24. | तमिलनाडु | 774306 | 681118 | 880983 | 779219 | 1350000 | 1619825 |
| 25. | त्रिपुरा | 516204 | 443687 | 587322 | 503322 | 0 | |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 1290510 | 1285674 | 1468305 | 1263194 | 2700000 | 2559798 |
| 27. | उत्तराखंड | 258102 | 258102 | 293661 | 250730 | 540000 | 243369 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 774306 | 758954 | 880983 | 841030 | 1350000 | 1275037 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | | | | | 270000 | 269123 |
| 30. | चंडीगढ़ | | | | | | |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | | | | | 270000 | 269774 |
| 32. | दमन और दीव | | | | | 270000 | |
| 33. | दिल्ली | 258102 | 227738 | | | 270000 | 270000 |
| 34. | लक्षद्वीप | | | | | 270000 | 238665 |
| 35. | पुडुचेरी | | | | | 270000 | |
| | कुल | 12905100 | 12428804 | 14683050 | 12804232 | 27000000 | 25472307 |

## *विवरण II*

*युवा नेतृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां*

*(2008-09 से 2011-12)*

| क्र.सं. | राज्य/केन्द्र शासित राज्य | जागरूकता अभियान | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
| | | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 69 | 69 | 46 | 46 | 106 | 104 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2. | असम | 69 | 69 | 46 | 46 | 89 | 88 | | | | |
| 3. | बिहार | 102 | 102 | 68 | 68 | 153 | 146 | | | | |
| 4. | गुजरात | 57 | 57 | 38 | 38 | 70 | 68 | | | | |
| 5. | हरियाणा | 48 | 48 | 32 | 32 | 48 | 48 | | | | |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 36 | 36 | 24 | 24 | 37 | 37 | | | | |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 42 | 42 | 28 | 28 | 53 | 49 | | | | |
| 8. | कर्नाटक | 60 | 60 | 40 | 40 | 66 | 66 | | | | |
| 9. | केरल | 42 | 42 | 28 | 28 | 54 | 50 | | | | |
| 10. | लक्षद्वीप | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 11. | मध्य प्रदेश | 120 | 120 | 80 | 80 | 140 | 140 | | | | |
| 12. | महाराष्ट्र | 90 | 90 | 60 | 60 | 126 | 97 | | | | |
| 13. | मणिपुर | 27 | 27 | 18 | 18 | 22 | 26 | | | | |
| 14. | मेघालय | 15 | 15 | 10 | 10 | 16 | 16 | | | | |
| 15. | नागालैंड | 21 | 21 | 14 | 14 | 22 | 22 | | | | |
| 16. | ओडिशा | 48 | 48 | 32 | 32 | 65 | 61 | | | | |
| 17. | पंजाब | 42 | 42 | 28 | 28 | 51 | 51 | | | | |
| 18. | राजस्थान | 90 | 90 | 60 | 60 | 98 | 97 | | | | |
| 19. | सिक्किम | 12 | 12 | 8 | 8 | 14 | 9 | | | | |
| 20. | तमिलनाडु | 87 | 87 | 58 | 58 | 124 | 124 | | | | |
| 21. | त्रिपुरा | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | | | | |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 165 | 165 | 110 | 110 | 241 | 240 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | पश्चिम बंगाल | 66 | 66 | 44 | 44 | 100 | 100 | | | | |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | | | | |
| 25. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | |
| 26. | चंडीगढ़ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 27. | दिल्ली | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 28. | गोवा | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | | | | |
| 29. | पुडुचेरी | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | | | | |
| 30. | मिजोरम | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 32. | छत्तीसगढ़ | 24 | 24 | 16 | 16 | 34 | 34 | | | | |
| 33. | झारखंड | 48 | 48 | 32 | 32 | 70 | 70 | | | | |
| 34. | उत्तराखंड | 27 | 27 | 18 | 18 | 37 | 37 | | | | |
| 35. | दमन और दीव | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| | कुल | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1915 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| क्र.सं. | राज्य/केन्द्र शासित राज्य | ब्लाक स्तर | | | | युवा नेतृत्व | | समीक्षा एवं योजना हेतु बैठक | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
| | | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 138 | 138 | 138 | 112 | 129 | 129 | 149 | 149 | शून्य | शून्य |
| 2. | असम | 138 | 138 | 138 | 98 | 115 | 113 | 118 | 118 | | |
| 3. | बिहार | 204 | 204 | 204 | 156 | 187 | 177 | 221 | 221 | | |
| 4. | गुजरात | 114 | 114 | 114 | 76 | 92 | 85 | 92 | 92 | | |
| 5. | हरियाणा | 96 | 96 | 96 | 65 | 72 | 72 | 64 | 64 | | |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 72 | 72 | 72 | 58 | 55 | 55 | 51 | 51 | | |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 84 | 84 | 84 | 65 | 69 | 50 | 66 | 66 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | कर्नाटक | 120 | 120 | 120 | 76 | 93 | 92 | 86 | 86 | | |
| 9. | केरल | 84 | 84 | 84 | 65 | 70 | 62 | 72 | 72 | | |
| 10. | लक्षद्वीप | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | | |
| 11. | मध्य प्रदेश | 240 | 240 | 240 | 152 | 190 | 190 | 178 | 178 | | |
| 12. | महाराष्ट्र | 180 | 180 | 180 | 127 | 157 | 120 | 172 | 172 | | |
| 13. | मणिपुर | 54 | 54 | 54 | 35 | 38 | 36 | 31 | 31 | | |
| 14. | मेघालय | 30 | 30 | 30 | 21 | 23 | 20 | 21 | 21 | | |
| 15. | नागालैंड | 42 | 42 | 42 | 14 | 32 | 32 | 29 | 29 | | |
| 16. | ओडिशा | 96 | 96 | 96 | 76 | 82 | 79 | 87 | 87 | | |
| 17. | पंजाब | 84 | 84 | 84 | 75 | 71 | 63 | 68 | 68 | | |
| 18. | राजस्थान | 180 | 180 | 180 | 146 | 139 | 133 | 132 | 132 | | |
| 19. | सिक्किम | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 0 | 18 | 18 | | |
| 20. | तमिलनाडु | 174 | 174 | 174 | 158 | 153 | 153 | 161 | 161 | | |
| 21. | त्रिपुरा | 18 | 18 | 18 | 11 | 16 | 16 | 18 | 18 | | |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 330 | 330 | 330 | 236 | 296 | 296 | 338 | 338 | | |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 132 | 132 | 132 | 89 | 122 | 121 | 146 | 146 | | |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 21 | 19 | 19 | | |
| 25. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 36 | 36 | 36 | 22 | 24 | 23 | 18 | 18 | | |
| 26. | चंडीगढ़ | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | | |
| 27. | दिल्ली | 18 | 18 | 18 | 15 | 12 | 12 | 9 | 9 | | |
| 28. | गोवा | 18 | 18 | 18 | 14 | 13 | 7 | 8 | 8 | | |
| 29. | पुडुचेरी | 24 | 24 | 24 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | | |
| 30. | मिजोरम | 18 | 18 | 18 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 | | |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | | |
| 32. | छत्तीसगढ़ | 48 | 48 | 48 | 35 | 42 | 42 | 46 | 46 | | |
| 33. | झारखंड | 96 | 96 | 96 | 68 | 86 | 84 | 95 | 95 | | |
| 34. | उत्तराखंड | 54 | 54 | 54 | 98 | 46 | 46 | 48 | 48 | | |
| 35. | दमन और दीव | 12 | 12 | 12 | 15 | 8 | 8 | 6 | 6 | | |
| | कुल | 3000 | 3000 | 3000 | 2250 | 2511 | 2377 | 2601 | 2601 | 0 | 0 |

| क्र.सं. | राज्य/केन्द्र शासित राज्य | क्षमता 2007-08 | | क्षमता 2008-09 | | क्षमता निर्धारण 2009-10 | | युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 2010-11 | | 2011-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 188 | 188 | 138 | 112 | 2300 | 2300 | 2530 | 2530 | शून्य | शून्य |
| 2. | असम | 166 | 166 | 138 | 98 | 2300 | 2300 | 2530 | 2530 | | |
| 3. | बिहार | 188 | 188 | 204 | 156 | 3400 | 3400 | 3740 | 3740 | | |
| 4. | गुजरात | 133 | 133 | 114 | 76 | 1900 | 1800 | 2090 | 2090 | | |
| 5. | हरियाणा | 121 | 121 | 96 | 65 | 1600 | 1600 | 1760 | 1760 | | |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 111 | 111 | 72 | 58 | 1200 | 1200 | 1320 | 1320 | | |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 102 | 102 | 84 | 65 | 1400 | 1300 | 1540 | 1540 | | |
| 8. | कर्नाटक | 97 | 97 | 120 | 76 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | | |
| 9. | केरल | 90 | 90 | 84 | 65 | 1400 | 1400 | 1540 | 1540 | | |
| 10. | लक्षद्वीप | 6 | 6 | 6 | 2 | 100 | 100 | 110 | 110 | | |
| 11. | मध्य प्रदेश | 288 | 288 | 240 | 185 | 4000 | 3775 | 4400 | 4400 | | |
| 12. | महाराष्ट्र | 165 | 165 | 180 | 137 | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | | |
| 13. | मणिपुर | 42 | 42 | 54 | 35 | 900 | 900 | 990 | 990 | | |
| 14. | मेघालय | 25 | 25 | 30 | 21 | 500 | 500 | 550 | 550 | | |
| 15. | नागालैंड | 35 | 35 | 42 | 14 | 700 | 700 | 770 | 770 | | |
| 16. | ओडिशा | 122 | 122 | 96 | 76 | 1600 | 1600 | 1760 | 1760 | | |
| 17. | पंजाब | 102 | 102 | 84 | 75 | 1500 | 1350 | 1650 | 1650 | | |
| 18. | राजस्थान | 176 | 176 | 180 | 156 | 3000 | 2892 | 3300 | 3300 | | |
| 19. | सिक्किम | 20 | 20 | 24 | 15 | 400 | 400 | 440 | 440 | | |
| 20. | तमिलनाडु | 168 | 168 | 174 | 158 | 2900 | 2900 | 3190 | 3190 | | |
| 21. | त्रिपुरा | 12 | 12 | 18 | 11 | 300 | 300 | 330 | 330 | | |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 266 | 266 | 330 | 256 | 5500 | 5406 | 6050 | 6050 | | |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 142 | 142 | 132 | 89 | 2200 | 2200 | 2420 | 2420 | | |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 16 | 16 | 24 | 18 | 500 | 400 | 550 | 550 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 42 | 42 | 36 | 22 | 600 | 600 | 660 | 660 | | |
| 26. | चंडीगढ़ | 4 | 4 | 6 | 2 | 100 | 100 | 110 | 110 | | |
| 27. | दिल्ली | 24 | 24 | 18 | 15 | 300 | 300 | 330 | 330 | | |
| 28. | गोवा | 12 | 12 | 18 | 14 | 200 | 200 | 220 | 220 | | |
| 29. | पुडुचेरी | 16 | 16 | 24 | 16 | 400 | 400 | 440 | 440 | | |
| 30. | मिजोरम | 12 | 12 | 18 | 8 | 300 | 300 | 330 | 330 | | |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 6 | 6 | 6 | 2 | 100 | 100 | 110 | 110 | | |
| 32. | छत्तीसगढ़ | 32 | 32 | 48 | 35 | 800 | 800 | 880 | 880 | | |
| 33. | झारखंड | 64 | 64 | 96 | 68 | 1600 | 1400 | 1760 | 1760 | | |
| 34. | उत्तराखंड | 36 | 36 | 54 | 45 | 900 | 800 | 990 | 990 | | |
| 35. | दमन और दीव | 10 | 10 | 12 | 4 | 200 | 200 | 220 | 220 | | |
| | कुल | 3039 | 3039 | 3000 | 2250 | 50100 | 48923 | 55110 | 55110 | 0 | 0 |

| क्र.सं. | राज्य/केन्द्र शासित राज्य | क्षमता उन्नयन | | | | क्षमता उन्नयन | | प्रशिक्षण कार्यक्रम | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
| | | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 33 | 33 | 77 | 77 | 88 | 88 |
| 2. | असम | | | | | 55 | 50 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 3. | बिहार | | | | | 88 | 77 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 4. | गुजरात | | | | | 22 | 22 | 66 | 66 | 99 | 99 |
| 5. | हरियाणा | | | | | 22 | 11 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | | | | | 22 | 22 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | | | | | 88 | 77 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 8. | कर्नाटक | | | | | 33 | 32 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 9. | केरल | | | | | 33 | 33 | 66 | 66 | 77 | 77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | लक्षद्वीप | | | | | 11 | 9 | 11 | 11 | का हिस्सा | केरल जोन |
| 11. | मध्य प्रदेश | | | | | 33 | 33 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 12. | महाराष्ट्र | | | | | 33 | 20 | 99 | 99 | 110 | 110 |
| 13. | मणिपुर | | | | | 33 | 33 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 14. | मेघालय | | | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 15. | नागालैंड | | | | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 |
| 16. | ओडिशा | | | | | 33 | 29 | 77 | 77 | 77 | 74 |
| 17. | पंजाब | | | | | 33 | 33 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 18. | राजस्थान | | | | | 44 | 38 | 154 | 154 | 154 | 151 |
| 19. | सिक्किम | | | | | 44 | 0 | 44 | 44 | 44 | 40 |
| 20. | तमिलनाडु | | | | | 33 | 28 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 21. | त्रिपुरा | | | | | 33 | 28 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | | | | | 66 | 49 | 187 | 187 | 187 | 176 |
| 23. | पश्चिम बंगाल | | | | | 99 | 99 | 110 | 110 | 132 | 130 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | | | | | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 25. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | | | | | 11 | 5 | 22 | 22 | का हिस्सा | पश्चिम बंगाल जोन |
| 26. | चंडीगढ़ | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | का हिस्सा | पंजाब एवं चंडीगढ़ |
| 27. | दिल्ली | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | गोवा | | | | | 11 | 10 | 11 | 11 | का हिस्सा | महाराष्ट्र |
| 29. | पुडुचेरी | | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | का हिस्सा | तमिलनाडु जोन |
| 30. | मिजोरम | | | | | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 | 30 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | | | | | 0 | 0 | 11 | 11 | का हिस्सा | गुजरात जोन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | छत्तीसगढ़ | | | | | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 33. | झारखंड | | | | | 33 | 32 | 66 | 66 | 66 | 64 |
| 34. | उत्तराखंड | | | | | 33 | 27 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 35. | दमन और दीव | | | | | 0 | 0 | 22 | 22 | का हिस्सा | गुजरात जोन |
| | कुल | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 946 | 2200 | 2200 | 2200 | 2168 |

| क्र. सं. | राज्य/केन्द्र शासित राज्य | ब्लाक एवं जिला 2007-08 निर्धारित लक्ष्य | 2007-08 प्राप्त लक्ष्य | 2008-09 निर्धारित लक्ष्य | 2008-09 प्राप्त लक्ष्य | ब्लाक एवं जिला खेल कार्यक्रम 2009-10 निर्धारित लक्ष्य | 2009-10 प्राप्त लक्ष्य | 2010-11 निर्धारित लक्ष्य | 2010-11 प्राप्त लक्ष्य | 2011-12 निर्धारित लक्ष्य | 2011-12 प्राप्त लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 92 | 92 | 92 | 40 | 143 | 139 | 172 | 172 | शून्य | शून्य |
| 2. | असम | 92 | 92 | 92 | 91 | 115 | 112 | 141 | 141 | | |
| 3. | बिहार | 136 | 136 | 136 | 124 | 204 | 198 | 255 | 255 | | |
| 4. | गुजरात | 76 | 76 | 76 | 71 | 89 | 83 | 111 | 111 | | |
| 5. | हरियाणा | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 80 | 80 | | |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 48 | 63 | 63 | | |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 56 | 56 | 56 | 48 | 68 | 65 | 80 | 80 | | |
| 8. | कर्नाटक | 80 | 80 | 80 | 80 | 86 | 82 | 106 | 106 | | |
| 9. | केरल | 56 | 56 | 56 | 56 | 70 | 70 | 86 | 86 | | |
| 10. | लक्षद्वीप | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | | |
| 11. | मध्य प्रदेश | 160 | 160 | 160 | 155 | 180 | 175 | 218 | 218 | | |
| 12. | महाराष्ट्र | 120 | 120 | 120 | 119 | 164 | 160 | 202 | 202 | | |
| 13. | मणिपुर | 36 | 36 | 36 | 35 | 31 | 31 | 40 | 40 | | |
| 14. | मेघालय | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 26 | 26 | | |
| 15. | नागालैंड | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 36 | 36 | | |
| 16. | ओडिशा | 64 | 64 | 64 | 62 | 84 | 83 | 103 | 103 | | |
| 17. | पंजाब | 56 | 56 | 56 | 59 | 67 | 67 | 83 | 83 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | राजस्थान | 120 | 120 | 120 | 120 | 128 | 124 | 162 | 162 | | |
| 19. | सिक्किम | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | 22 | | |
| 20. | तमिलनाडु | 116 | 116 | 116 | 116 | 161 | 158 | 190 | 190 | | |
| 21. | त्रिपुरा | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 21 | 21 | | |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 220 | 220 | 220 | 209 | 317 | 315 | 393 | 393 | | |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 88 | 88 | 88 | 88 | 134 | 132 | 168 | 168 | | |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 24 | 24 | | |
| 25. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 24 | 24 | 24 | 14 | 18 | 18 | 24 | 24 | | |
| 26. | चंडीगढ़ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | | |
| 27. | दिल्ली | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | | |
| 28. | गोवा | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| 29. | पुडुचेरी | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 14 | 20 | 20 | | |
| 30. | मिजोरम | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | | |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | | |
| 32. | छत्तीसगढ़ | 32 | 32 | 32 | 28 | 39 | 32 | 54 | 54 | | |
| 33. | झारखंड | 64 | 64 | 64 | 64 | 92 | 90 | 111 | 111 | | |
| 34. | उत्तराखंड | 36 | 36 | 36 | 35 | 47 | 43 | 57 | 57 | | |
| 35. | दमन और दीव | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | | |
| | कुल | 2000 | 2000 | 2000 | 1873 | 2512 | 2446 | 3102 | 3102 | 0 | 0 |

| क्र.सं. | राज्य/केन्द्र शासित राज्य | जिला क्षेत्र | | | | जिला क्षेत्र संस्कृति उत्सव | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
| | | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 149 | 149 | 149 | 100 |
| 2. | असम | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 118 | 118 | 118 | 102 |
| 3. | बिहार | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 221 | 221 | 221 | 200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | गुजरात | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 92 | 92 | 101 | 75 |
| 5. | हरियाणा | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 64 | 64 | 50 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 51 | 51 | 51 | 32 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 66 | 66 | 66 | 55 |
| 8. | कर्नाटक | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 86 | 86 | 86 | 56 |
| 9. | केरल | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 72 | 72 | 75 | 50 |
| 10. | लक्षद्वीप | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | का हिस्सा | केरल जोन |
| 11. | मध्य प्रदेश | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 178 | 178 | 178 | 152 |
| 12. | महाराष्ट्र | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 172 | 172 | 180 | 148 |
| 13. | मणिपुर | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 31 | 31 | 31 | 27 |
| 14. | मेघालय | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 | 21 | 18 |
| 15. | नागालैंड | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 29 | 29 | 29 | 22 |
| 16. | ओडिशा | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 87 | 87 | 87 | 70 |
| 17. | पंजाब | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 68 | 68 | 71 | 52 |
| 18. | राजस्थान | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 132 | 132 | 132 | 130 |
| 19. | सिक्किम | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| 20. | तमिलनाडु | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 161 | 161 | 177 | 140 |
| 21. | त्रिपुरा | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | 18 | 11 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 338 | 338 | 338 | 300 |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 146 | 146 | 164 | 140 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| 25. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | का हिस्सा | पश्चिम बंगाल जोन |
| 26. | चंडीगढ़ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | का हिस्सा | पंजाब एवं चंडीगढ़ जोन |
| 27. | दिल्ली | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | गोवा | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | का हिस्सा | महाराष्ट्र जोन |
| 29. | पुडुचेरी | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | 16 | का हिस्सा | तमिलनाडु जोन |
| 30. | मिजोरम | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | का हिस्सा | गुजरात जोन |
| 32. | छत्तीसगढ़ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 46 | 46 | 46 | 43 |
| 33. | झारखंड | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 95 | 95 | 95 | 14 |
| 34. | उत्तराखंड | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 48 | 48 | 48 | 8 |
| 35. | दमन और दीव | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | का हिस्सा | गुजरात जोन |
| | कुल | 500 | 500 | 500 | 500 | 501 | 484 | 2601 | 2601 | 2601 | 2043 |

| क्र.सं. | राज्य/केन्द्र शासित राज्य | जिला | | | | जिला युवा सम्मान | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
| | | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 46 | 46 | 46 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| 2. | असम | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 3. | बिहार | 68 | 61 | 68 | 48 | 68 | 59 | 68 | 68 | 68 | 65 |
| 4. | गुजरात | 38 | 31 | 38 | 20 | 38 | 28 | 38 | 38 | 44 | 40 |
| 5. | हरियाणा | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 21 | 28 | 28 | 27 | 28 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 8. | कर्नाटक | 40 | 40 | 40 | 27 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 35 |
| 9. | केरल | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| 10. | लक्षद्वीप | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | का हिस्सा | केरल जोन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | मध्य प्रदेश | 80 | 80 | 80 | 72 | 80 | 72 | 80 | 80 | 80 | 75 |
| 12. | महाराष्ट्र | 60 | 60 | 60 | 57 | 60 | 48 | 60 | 60 | 64 | 60 |
| 13. | मणिपुर | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 14. | मेघालय | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15. | नागालैंड | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16. | ओडिशा | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 17. | पंजाब | 28 | 28 | 28 | 16 | 30 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| 18. | राजस्थान | 60 | 60 | 60 | 46 | 60 | 41 | 60 | 60 | 60 | 58 |
| 19. | सिक्किम | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 20. | तमिलनाडु | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 53 | 58 | 58 | 66 | 60 |
| 21. | त्रिपुरा | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 110 | 110 | 110 | 96 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 102 |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 56 | 50 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 25. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 6 | 12 | 12 | का हिस्सा | पश्चिम बंगाल जोन |
| 26. | चंडीगढ़ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | का हिस्सा | पंजाब जोन |
| 27. | दिल्ली | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 28. | गोवा | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | का हिस्सा | महाराष्ट्र जोन |
| 29. | पुडुचेरी | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | का हिस्सा | तमिलनाडु जोन |
| 30. | मिजोरम | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 31. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | का हिस्सा | गुजरात जोन |
| 32. | छत्तीसगढ़ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 |
| 33. | झारखंड | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 34. | उत्तराखंड | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 35. | दमन और दीव | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | का हिस्सा | गुजरात जोन |
| | कुल | 1000 | 1000 | 1000 | 866 | 1002 | 874 | 1002 | 1002 | 1002 | 938 |

| क्र. सं. | राज्य/केन्द्र शासित राज्य | जिला | | | | जिला युवा कार्यक्रम (डीएसीवाईपी) के सलाहकार समिति | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
| | | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 60 | 92 | 92 | 92 | 68 |
| 2. | असम | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 51 | 92 | 92 | 92 | 61 |
| 3. | बिहार | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 44 | 136 | 136 | 136 | 75 |
| 4. | गुजरात | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 30 | 76 | 76 | 76 | 50 |
| 5. | हरियाणा | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25 | 64 | 64 | 64 | 50 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 28 | 48 | 48 | 48 | 35 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 25 | 56 | 56 | 56 | 32 |
| 8. | कर्नाटक | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 46 | 80 | 80 | 80 | 62 |
| 9. | केरल | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | 56 | 56 | 56 | 40 |
| 10. | लक्षद्वीप | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 64 | 160 | 160 | 160 | 95 |
| 12. | महाराष्ट्र | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 63 | 120 | 120 | 120 | 95 |
| 13. | मणिपुर | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 28 |
| 14. | मेघालय | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| 15. | नागालैंड | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 |
| 16. | ओडिशा | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 22 | 64 | 64 | 64 | 55 |
| 17. | पंजाब | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 33 | 60 | 60 | 60 | 55 |
| 18. | राजस्थान | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 19 | 120 | 120 | 120 | 110 |
| 19. | सिक्किम | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 12 |
| 20. | तमिलनाडु | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 42 | 116 | 116 | 116 | 102 |
| 21. | त्रिपुरा | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 8 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 108 | 220 | 220 | 220 | 160 |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 69 | 88 | 88 | 88 | 56 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 24 | 24 | 24 | 20 |
| 26. | चंडीगढ़ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 27. | दिल्ली | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 |
| 28. | गोवा | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 6 |
| 29. | पुडुचेरी | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 10 |
| 30. | मिजोरम | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 32. | छत्तीसगढ़ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 21 | 32 | 32 | 32 | 22 |
| 33. | झारखंड | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 39 | 64 | 64 | 64 | 50 |
| 34. | उत्तराखंड | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 9 | 36 | 36 | 36 | 30 |
| 35. | दमन और दीव | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| | कुल | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2004 | 973 | 2004 | 2004 | 2004 | 1463 |

| क्र. सं. | राज्य/केन्द्र शासित राज्य | जिला | | | | जिला युवा सम्मेलन | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
| | | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2. | असम | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 |
| 3. | बिहार | 34 | 34 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 34 | 34 | 21 |
| 4. | गुजरात | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 |
| 5. | हरियाणा | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 9 |
| 8. | कर्नाटक | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9. | केरल | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | लक्षद्वीप | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 |
| 12. | महाराष्ट्र | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| 13. | मणिपुर | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 |
| 14. | मेघालय | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 15. | नागालैंड | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 16. | ओडिशा | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 |
| 17. | पंजाब | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 9 |
| 18. | राजस्थान | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 15 |
| 19. | सिक्किम | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 20. | तमिलनाडु | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 21. | त्रिपुरा | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 42 |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 25. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 26. | चंडीगढ़ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27. | दिल्ली | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 28. | गोवा | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29. | पुडुचेरी | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 30. | मिजोरम | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32. | छत्तीसगढ़ | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 33. | झारखंड | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 |
| 34. | उत्तराखंड | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 35. | दमन और दीव | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | कुल | 500 | 500 | 500 | 487 | 501 | 488 | 501 | 501 | 501 | 386 |

| क्र. सं. | राज्य/केन्द्र शासित राज्य | युवा क्लबों को प्रोत्साहन | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
| | | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 456 | 456 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2. | असम | | | | | 405 | 392 | | | | |
| 3. | बिहार | | | | | 663 | 627 | | | | |
| 4. | गुजरात | | | | | 324 | 158 | | | | |
| 5. | हरियाणा | | | | | 240 | 197 | | | | |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | | | | | 183 | 183 | | | | |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | | | | | 243 | 181 | | | | |
| 8. | कर्नाटक | | | | | 318 | 274 | | | | |
| 9. | केरल | | | | | 246 | 228 | | | | |
| 10. | लक्षद्वीप | | | | | 12 | 12 | | | | |
| 11. | मध्य प्रदेश | | | | | 660 | 613 | | | | |
| 12. | महाराष्ट्र | | | | | 558 | 437 | | | | |
| 13. | मणिपुर | | | | | 120 | 119 | | | | |
| 14. | मेघालय | | | | | 78 | 78 | | | | |
| 15. | नागालैंड | | | | | 108 | 97 | | | | |
| 16. | ओडिशा | | | | | 291 | 240 | | | | |
| 17. | पंजाब | | | | | 243 | 207 | | | | |
| 18. | राजस्थान | | | | | 474 | 266 | | | | |
| 19. | सिक्किम | | | | | 66 | 43 | | | | |
| 20. | तमिलनाडु | | | | | 546 | 545 | | | | |
| 21. | त्रिपुरा | | | | | 57 | 33 | | | | |
| 22. | उत्तर प्रदेश | | | | | 1053 | 824 | | | | |
| 23. | पश्चिम बंगाल | | | | | 432 | 432 | | | | |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | | | | | 60 | 72 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | | | | | 72 | 36 | | | | |
| 26. | चंडीगढ़ | | | | | 12 | 7 | | | | |
| 27. | दिल्ली | | | | | 36 | 36 | | | | |
| 28. | गोवा | | | | | 42 | 36 | | | | |
| 29. | पुडुचेरी | | | | | 60 | 60 | | | | |
| 30. | मिजोरम | | | | | 36 | 24 | | | | |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | | | | | 12 | 0 | | | | |
| 32. | छत्तीसगढ़ | | | | | 150 | 150 | | | | |
| 33. | झारखंड | | | | | 306 | 14 | | | | |
| 34. | उत्तराखंड | | | | | 165 | 72 | | | | |
| 35. | दमन और दीव | | | | | 24 | 10 | | | | |
| | कुल | 0 | 0 | 0 | 0 | 8751 | 7159 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| क्र. सं. | राज्य/केन्द्र शासित राज्य | युवा क्लबों को खेल सामग्री का प्रावधान | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
| | | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 |
| 2. | असम | | | | | 2270 | 2239 | 2284 | 2284 | 2284 | 2084 |
| 3. | बिहार | | | | | 3825 | 3631 | 3842 | 3842 | 3842 | 2226 |
| 4. | गुजरात | | | | | 1789 | 1789 | 1832 | 1832 | 2066 | 1352 |
| 5. | हरियाणा | | | | | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1210 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | | | | | 1087 | 1087 | 1086 | 1086 | 1086 | 950 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | | | | | 1353 | 1256 | 1353 | 1353 | 1353 | 1200 |
| 8. | कर्नाटक | | | | | 1814 | 1463 | 1820 | 1820 | 1820 | 1500 |
| 9. | केरल | | | | | 1384 | 1287 | 1392 | 1392 | 1470 | 1176 |
| 10. | लक्षद्वीप | | | | | 79 | 57 | 78 | 78 | का हिस्सा | केरल |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | मध्य प्रदेश | | | | | 3700 | 3700 | 3700 | 3448 | 3700 | 2500 |
| 12. | महाराष्ट्र | | | | | 3140 | 2035 | 3160 | 3160 | 3560 | 2800 |
| 13. | मणिपुर | | | | | 747 | 746 | 742 | 742 | 742 | 560 |
| 14. | मेघालय | | | | | 449 | 449 | 449 | 449 | 450 | 310 |
| 15. | नागालैंड | | | | | 625 | 625 | 626 | 626 | 626 | 500 |
| 16. | ओडिशा | | | | | 1627 | 1627 | 1638 | 1638 | 1638 | 1120 |
| 17. | पंजाब | | | | | 1396 | 1228 | 1400 | 1400 | 1580 | 1280 |
| 18. | राजस्थान | | | | | 2712 | 2554 | 2460 | 2720 | 2960 | 2500 |
| 19. | सिक्किम | | | | | 370 | 370 | 372 | 372 | 372 | 200 |
| 20. | तमिलनाडु | | | | | 3061 | 3255 | 3067 | 3061 | 3421 | 3421 |
| 21. | त्रिपुरा | | | | | 322 | 322 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | | | | | 5986 | 5972 | 6020 | 6020 | 6020 | 5120 |
| 23. | पश्चिम बंगाल | | | | | 2506 | 2506 | 2516 | 2516 | 2984 | 2984 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | | | | | 352 | 352 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 25. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | | | | | 474 | 299 | 468 | 468 | का हिस्सा | पश्चिम बंगाल |
| 26. | चंडीगढ़ | | | | | 79 | 79 | 78 | 78 | का हिस्सा | पंजाब जोन |
| 27. | दिल्ली | | | | | 237 | 154 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 28. | गोवा | | | | | 255 | 176 | 255 | 255 | 255 | 210 |
| 29. | पुडुचेरी | | | | | 352 | 352 | 352 | 352 | का हिस्सा | महाराष्ट्र जोन |
| 30. | मिजोरम | | | | | 237 | 237 | 237 | 234 | का हिस्सा | तमिलनाडु जोन |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | | | | | 79 | 69 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 32. | छत्तीसगढ़ | | | | | 838 | 838 | 844 | 844 | का हिस्सा | गुजरात जोन |
| 33. | झारखंड | | | | | 1738 | 1725 | 1738 | 1738 | 1738 | 1232 |
| 34. | उत्तराखंड | | | | | 904 | 904 | 912 | 912 | 912 | 586 |
| 35. | दमन और दीव | | | | | 158 | 140 | 158 | 158 | का हिस्सा | गुजरात जोन |
| | कुल | 0 | 0 | 0 | 0 | 50018 | 47596 | 50018 | 50017 | 50018 | 40752 |

| क्र. सं. | राज्य/केन्द्र शासित राज्य | राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस और सप्ताह समारोह | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
| | | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 230 | 321 | 230 | 230 | 230 | 238 | 230 | 249 | 230 | 230 |
| 2. | असम | 230 | 297 | 230 | 230 | 230 | 209 | 230 | 207 | 230 | 230 |
| 3. | बिहार | 340 | 439 | 340 | 340 | 340 | 320 | 340 | 340 | 340 | 298 |
| 4. | गुजरात | 190 | 238 | 190 | 190 | 190 | 176 | 190 | 191 | 190 | 180 |
| 5. | हरियाणा | 160 | 221 | 160 | 160 | 160 | 301 | 160 | 245 | 160 | 128 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 120 | 155 | 120 | 120 | 120 | 124 | 120 | 124 | 120 | 110 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 140 | 180 | 140 | 140 | 140 | 132 | 140 | 140 | 140 | 130 |
| 8. | कर्नाटक | 200 | 353 | 200 | 200 | 200 | 305 | 200 | 230 | 200 | 178 |
| 9. | केरल | 140 | 181 | 140 | 140 | 140 | 189 | 140 | 226 | 140 | 130 |
| 10. | लक्षद्वीप | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 400 | 412 | 400 | 400 | 400 | 441 | 400 | 400 | 400 | 380 |
| 12. | महाराष्ट्र | 300 | 443 | 300 | 300 | 300 | 641 | 300 | 669 | 300 | 298 |
| 13. | मणिपुर | 90 | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 |
| 14. | मेघालय | 50 | 62 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 45 |
| 15. | नागालैंड | 70 | 92 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 53 |
| 16. | ओडिशा | 160 | 193 | 160 | 160 | 160 | 157 | 160 | 155 | 160 | 155 |
| 17. | पंजाब | 140 | 160 | 140 | 150 | 150 | 146 | 150 | 156 | 150 | 142 |
| 18. | राजस्थान | 300 | 284 | 300 | 300 | 300 | 298 | 300 | 296 | 300 | 290 |
| 19. | सिक्किम | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | 29 | 40 | 30 | 40 | 38 |
| 20. | तमिलनाडु | 290 | 248 | 290 | 290 | 290 | 233 | 290 | 312 | 290 | 290 |
| 21. | त्रिपुरा | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 550 | 459 | 550 | 550 | 550 | 730 | 550 | 623 | 550 | 512 |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 220 | 285 | 220 | 220 | 220 | 236 | 220 | 234 | 220 | 190 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 50 | 43 | 50 | 50 | 50 | 52 | 50 | 48 | 50 | 38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 60 | 61 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 60 | 60 | 55 |
| 26. | चंडीगढ़ | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 27. | दिल्ली | 30 | 36 | 30 | 30 | 30 | 42 | 30 | 35 | 30 | 28 |
| 28. | गोवा | 30 | 33 | 30 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 14 |
| 29. | पुडुचेरी | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 43 | 40 | 32 |
| 30. | मिजोरम | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 32. | छत्तीसगढ़ | 80 | 101 | 80 | 80 | 80 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 33. | झारखंड | 160 | 150 | 160 | 160 | 160 | 189 | 160 | 155 | 160 | 146 |
| 34. | उत्तराखंड | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 96 | 90 | 90 | 90 | 78 |
| 35. | दमन और दीव | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 27 | 20 | 18 |
| | कुल | 5010 | 5817 | 5010 | 5010 | 5010 | 5772 | 5010 | 5681 | 5010 | 4660 |

### अग्रिम संविदा अधिनियम

**82. श्री जगदम्बिका पाल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कारोबार में विकल्पों की अनुमति प्रदान करने के लिए मौजूदा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित संशोधन की वर्तमान स्थिति क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 में संशोधन करने के लिए 6.12.2010 को लोक सभा में अग्रिम संविदा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2010 पुरःस्थापित किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ वस्तुओं में विकल्प व्यापार की व्यवस्था करता है। एक विकल्प संविदा में उत्पादक/स्टॉकिस्ट/आयातक के लिए अपनी वस्तु को बेचने अथवा नहीं बेचने के विकल्प की व्यवस्था है यदि परिणामी मूल्य संचलन उत्तरोत्तर है। दूसरे शब्दों में, यदि मूल्य नीचे आते हैं, तो वह अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है और अपनी वस्तुओं को विकल्प उत्तरदायी (प्रतिपक्ष जिसने स्वयं को जोखिम हस्तांतरित किया है) को एक सहमत मूल्य पर बेचता है, किंतु यदि मूल्य संचलन उसके पक्ष में है तो विकल्प प्रीमियम को छोड़कर नहीं बेचने का अधिकार अपने पास रखता है। ऐसी स्थिति में, वह अपनी वस्तुओं को खुले बाजार में अधिक मूल्य पर बेच सकता है। इस प्रकार, विकल्प संविदा एक किसान की संभावित अप-साइड के लाभ को छोड़े बिना उसके डाऊन साइड की सुरक्षा करके किसानों की मदद करता है, जबकि अग्रिम संविदा में, किसान को एक सहमत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचना पड़ता है। इस तरह, विकल्प संविदा जहां तक किसान का संबंध मूल्य जोखिम प्रबंधन के लिए एक बेहतर उपाय है।

(ग) खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने जांच करके 'अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन, विधेयक, 2010' पर 22.12.2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विभाग में इसकी जांच की जा रही है।

## हीरों की हॉलमार्किंग

83. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु हीरों के लिए कोई हॉलमार्किंग तंत्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी योजना को अंतिम रूप दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

## राष्ट्रीय जनसंख्या रस्टिर

84. **श्री नवीन जिंदल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एनपीआर के आधार पर निवासियों का एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने और राष्ट्र-व्यापी बहु उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एमएनआईसी) जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को भी यह कार्य सौंपा गया था और वह इसी प्रकार की बड़ी परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए यूआईडीएआई और एनपीआर के संशोधित अधिदेश का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एमएनआईसी की जारी किए जाने की समय-सीमा क्या है और इस पर अनुमानित कितनी लागत लगने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियमावली, 2003 में निर्धारित संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजन के लिए सभी सामान्य निवासियों से अपेक्षित जनसांख्यिकीय जानकारी जनगणना, 2011 के पहले चरण के दौरान घर-घर जाकर गणना के माध्यम से पहले ही एकत्र की जा चुकी है। सभी भरी हुई अनुसूचियों की स्कैनिंग की जा चुकी है और विवरणों की डाटा एन्ट्री का कार्य चल रहा है। इस समय एनपीआर का अगला चरण चल रहा है जिसमें कि 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी सामान्य निवासियों के बायोमेट्रिक आंकड़े-फोटोग्राफ, दस अंगुलियों की छाप और दो आयरिस प्रिंट का लिया जाना शामिल है। एनपीआर डाटाबेस जिसमें कि जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक आंकड़े शामिल हैं, के दोहराव को रोकने तथा विशिष्ट पहचान संख्यांक (आधार) जारी करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को भेजा जाएगा। इसके पश्चात्, आपत्तियां और दावे आमंत्रित करने के लिए आधार नम्बर के साथ सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (एलआरयूआर) को स्थानीय क्षेत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। एलआरयूआर को सामाजिक विधीक्षा के लिए ग्राम सभा/वार्ड समिति के समक्ष भी रखा जाएगा। दावों और आपत्तियों से संबंधित कार्य पटवारी, तहसीलदारों और कलेक्टरों/डीएम जैसे राजस्व अधिकारियों द्वारा देखा जाएगा जोकि क्रमश: स्थानीय रजिस्ट्रारों, उप-जिला रजिस्ट्रारों और जिला रजिस्ट्रारों के रूप में पदनामित किए गए हैं। एनपीआर स्कीम के अंतर्गत देश के ऐसे सभी सामान्य निवासियों, जोकि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, को निवासी पहचान (स्मार्ट), पत्र (आरआईसी) जारी करने संबंधी एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। 13 तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 3331 तटीय गांवों और पोर्ट ब्लेयर नगर (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) में इस स्कीम के पहले चरण का कार्यान्वयन किया जा रहा है। देश के शेष भाग में इस स्कीम को प्रारंभ करने संबंधी एक प्रस्ताव को अभी सरकार से मंजूरी नहीं मिली है।

(ग) और (घ) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की स्थापना भारत में रहने वाले व्यक्तियों के जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विवरणों के आधार पर विशिष्ट पहचान संख्यांक (आधार) जारी करने के अधिदेश के साथ की गई थी न कि कार्ड जारी करने के लिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यूआईडीएआई और एनपीआर दोनों के प्रयोजन भिन्न-भिन्न हैं, भारत सरकार ने एनपीआर और यूआईडीएआई दोनों नामांकनों को साथ-साथ जारी रखने का निर्णय लिया है। जहां एक ओर एनपीआर नामांकन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जारी रहेंगे वहीं दूसरी ओर यूआईडीएआई को चुनिन्दा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 60 करोड़ निवासियों को नामांकित करने की अनुमति दी जाएगी। तथापि, यदि कोई व्यक्ति यह बताया है कि वह पहले से

ही आधार के लिए नामांकित है तो एनपीआर में उसके संबंध में बायोमेट्रिक आंकड़े प्राप्त नहीं किए जाएंगे। इसके स्थान पर आधार नम्बर/नामांकन नम्बर को एनपीआर में दर्ज किया जाएगा और बायोमेट्रिक आंकड़े यूआईडीएआई से प्राप्त किए जाएंगे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता**

**85. श्री शिवकुमार उदासी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या कितनी है और देश-वार कितने विदेशी नागरिकों को पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा अस्वीकार किए गए आवेदनों की देश-वार संख्या कितनी है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) उत्तर में वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

*विवरण*

*वर्ष 2009 में देश-वार प्राप्त भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन*

| राष्ट्रीयता | धारा 5(1)(क) के तहत | धारा 5(1)(ग) के तहत | धारा 5(1)(घ) के तहत | धारा 5(1)(ङ) के तहत | धारा 5(1)(च) के तहत | धारा 6(1) के तहत | धारा 5(4) के तहत | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| पाकिस्तानी | 426 | 93 | 24 | 79 | 20 | 10 | 10 | 662 |
| बांग्लादेशी | 10 | 24 | 01 | – | 02 | 02 | – | 039 |
| अफगानी | 02 | 01 | 15 | 06 | – | 267 | – | 291 |
| श्रीलंकन | 03 | 16 | – | – | 02 | 17 | 01 | 039 |
| ईराइन | – | 03 | – | – | 03 | – | – | 006 |
| मलेशियन | 02 | 03 | – | – | 05 | – | – | 010 |
| केन्यन | 01 | 01 | – | – | – | 01 | – | 003 |
| सिंगापोरियन | – | – | – | – | 03 | – | 01 | 004 |
| तंजानियन | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| अमेरिकन (यूएसए) | 04 | – | 02 | – | 03 | – | – | 009 |
| ब्रिटिश | 04 | 02 | – | – | 02 | 01 | – | 009 |
| फिलीपीन्स | – | 02 | – | 01 | – | – | – | 003 |
| बर्मीस | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| आस्ट्रेलियन | – | – | – | – | 01 | 01 | 01 | 003 |
| आस्ट्रीयन | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नेपालीस | – | 05 | – | 01 | – | – | – | 006 |
| रशियन | – | – | – | – | 01 | – | 01 | 002 |
| तिब्बतन | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| राज्यविहीन | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| यूएई | – | – | – | – | 02 | – | – | 002 |
| चाइनीज | 03 | – | – | – | – | – | – | 003 |
| न्यूजीलैंड | 01 | – | – | – | – | 01 | – | 002 |
| कनाडियन | – | – | – | – | 01 | – | – | 001 |
| इंडोनेशियन | – | 01 | – | – | – | 01 | – | 002 |
| जर्मन | – | – | – | – | – | 02 | – | 002 |
| अजबेरजेनियन | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| उजबेकिस्तान | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| लेबनानियन | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| स्विस | – | – | – | – | 01 | – | – | 001 |
| साउथ अफ्रीकन | – | – | – | – | – | – | 01 | 001 |
| कुल | 456 | 157 | 42 | 87 | 46 | 305 | 15 | 1108 |

*वर्ष 2010 में देश-वार प्राप्त भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन*

| राष्ट्रीयता | धारा 5(1)(क) के तहत | धारा 5(1)(ग) के तहत | धारा 5(1)(घ) के तहत | धारा 5(1)(ङ) के तहत | धारा 5(1)(च) के तहत | धारा 6(1) के तहत | धारा 5(4) के तहत | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| पाकिस्तानी | 152 | 67 | 28 | 58 | 23 | 11 | 07 | 346 |
| बांग्लादेशी | 08 | 26 | 01 | – | 01 | – | – | 036 |
| अफगानी | 00 | – | 19 | 07 | – | 217 | – | 243 |
| श्रीलंकन | 01 | 16 | – | – | – | 05 | – | 022 |
| राज्यविहीन | – | 02 | – | – | – | – | – | 002 |
| मलेशियन | 01 | 02 | – | – | – | – | – | 003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ईराइन | 01 | 06 | – | – | 01 | 03 | – | 011 |
| केन्यन | 01 | – | 01 | – | 01 | 01 | – | 004 |
| सिंगापोरियन | 01 | – | – | – | 03 | – | – | 004 |
| यूएसए | 01 | 01 | 05 | – | 01 | 01 | – | 009 |
| नेपालिस | 01 | 02 | – | – | 01 | 10 | – | 014 |
| कनाडियन | 01 | 01 | 01 | – | 03 | 02 | – | 008 |
| पुर्तगालिस | 03 | – | – | – | – | – | – | 003 |
| तंजानियन | 02 | 04 | 02 | – | – | – | – | 008 |
| इस्रायल | 01 | – | – | – | – | – | – | 003 |
| जिम्बावयन | 01 | 02 | – | – | – | – | – | 001 |
| सूडान | 01 | – | – | – | – | – | – | 003 |
| फिलीपीन्स | 01 | – | 02 | – | – | – | – | 001 |
| कम्बोडियन | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| ब्रिटिश | – | 04 | – | – | – | 04 | – | 008 |
| क्यूबन | – | 01 | – | – | – | – | – | 002 |
| रशियन | – | 01 | 01 | – | – | – | – | 001 |
| बर्मीस | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| चाइनीज | – | 01 | – | – | – | – | – | 003 |
| इंडोनेशियन | – | 01 | 02 | – | – | – | – | 001 |
| जम्बानियन | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| फिजियन | – | 01 | – | – | – | – | – | 002 |
| तिब्बतन | – | 02 | – | – | – | – | – | 001 |
| सोमालियन | – | – | 01 | – | – | – | – | 003 |
| बेल्जियम | – | – | 02 | – | 01 | – | – | 001 |
| जमेकियन | – | – | 01 | – | – | – | – | 002 |
| यूएई | – | – | – | – | 02 | – | – | 002 |
| जपानीस | – | – | – | – | – | 02 | – | 003 |
| कजाकिस्तान | – | – | – | – | – | 03 | – | 001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्विस | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| न्यूजीलैंड | – | – | – | – | – | 01 | – | 002 |
| जर्मन | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| इजालियन | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| कुल | 177 | 143 | 66 | 65 | 37 | 264 | 07 | 759 |

*वर्ष 2011 में देश-वार प्राप्त भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन*

| राष्ट्रीयता | धारा (1)(क) के तहत | धारा 5(1)(ग) के तहत | धारा 5(1)(घ) के तहत | धारा (1)(ङ) के तहत | धारा 5(1)(च) के तहत | धारा 6(1) के तहत | धारा 5(4) के तहत | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| पाकिस्तानी | 132 | 66 | 09 | 62 | 04 | 09 | – | 282 |
| बांग्लादेशी | 09 | 31 | – | – | – | 01 | – | 041 |
| अफगानी | 00 | 02 | 51 | 20 | – | 348 | – | 421 |
| श्रीलंकन | – | – | 11 | 01 | 02 | 18 | – | 032 |
| मलेशियन | 04 | 01 | – | – | – | – | 01 | 006 |
| ईरारियन | – | 02 | – | – | 03 | – | – | 005 |
| केन्नयन | 02 | 01 | – | 02 | – | – | 005 | |
| सिंगापोरियन | 02 | 05 | – | – | 01 | – | 01 | 009 |
| यूएसए | 03 | 02 | 01 | – | 11 | 03 | – | 020 |
| नेपालीस | – | 08 | – | – | – | 02 | – | 010 |
| कनाडियन | 04 | 01 | 01 | – | 04 | – | – | 010 |
| पुर्तगालीस | 01 | – | – | – | – | – | – | 001 |
| तंजानियन | 01 | – | – | – | 02 | – | 01 | 004 |
| इस्राइल | – | – | – | – | 01 | – | – | 001 |
| फिलीफींस | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| ब्रिटिश | – | 03 | – | – | 04 | 04 | – | 011 |
| रशियन | – | 03 | – | – | – | 01 | – | 004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बर्मीस | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| चायनीज | – | 02 | – | – | – | 01 | – | 003 |
| जम्बानियन | 01 | 02 | – | – | – | – | – | 003 |
| बेलजियम | – | – | 01 | – | – | – | – | 001 |
| जपानीज | – | – | – | – | 01 | – | – | 001 |
| स्विस | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| न्यूजीलैंड | 01 | – | – | – | – | 01 | – | 002 |
| जर्मन | – | 01 | – | – | – | 04 | – | 005 |
| इटालियन | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| आस्ट्रेलियन | 01 | – | 02 | – | 02 | 02 | – | 007 |
| साउथ अफ्रीका | – | 02 | 01 | – | 01 | – | – | 004 |
| फ्रांस | – | – | 01 | – | – | – | – | 001 |
| मॉरिशस | – | – | 01 | – | 03 | – | – | 004 |
| जम्बायिन | – | – | 01 | 02 | – | – | – | 003 |
| नाइजीरिया | – | – | – | – | 04 | – | – | 004 |
| आयरिश | – | – | – | – | 01 | – | – | 001 |
| इराक | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| लेबनान | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| उजबेकिस्तान | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| रोमानिया | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| यमन | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| क्रोशिया | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| स्विटजरलैंड | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| डच | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| स्विस | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| स्पेनिज | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| पोलैंड | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| फ्रांस | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| कोरिया | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| कुल | 162 | 140 | 79 | 85 | 44 | 405 | 03 | 918 |

*वर्ष 2009 में सरकार द्वारा जारी किए गए देश-वार भारतीय नागरिकता आवेदन*

| राष्ट्रीयता | धारा 5(1)(क) के तहत | धारा 5(1)(ग) के तहत | धारा 5(1)(घ) के तहत | धारा 5(1)(ङ) के तहत | धारा 5(1)(च) के तहत | धारा 6(1) के तहत | धारा 5(4) के तहत | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| पाकिस्तानी | 122 | 109 | 27 | 40 | 03 | 17 | 03 | 321 |
| बांग्लादेशी | 09 | 14 | 01 | – | 02 | 01 | – | 027 |
| अफगानी | 00 | 02 | 14 | 03 | – | 265 | – | 284 |
| श्रीलंकन | 10 | 21 | – | 01 | – | 25 | – | 057 |
| इरारियन | 05 | 01 | – | – | 01 | 04 | – | 011 |
| मलेशियन | 02 | 04 | – | – | – | – | – | 006 |
| केन्नयन | 04 | – | – | – | 01 | 02 | – | 007 |
| सिंगापोरियन | 01 | 01 | 02 | – | 01 | – | – | 005 |
| अमरिकन (यूएसए) | 01 | – | 03 | – | 03 | – | – | 007 |
| ब्रिटिश | 01 | 02 | – | – | 01 | 02 | – | 006 |
| फिलीपीन्स | 00 | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| आस्ट्रेलियन | 00 | – | – | – | 01 | – | – | 001 |
| नेपालीस | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| मोजाम्बिक | – | 02 | – | – | – | – | – | 002 |
| रशियन | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| राज्यविहीन | 00 | 04 | – | – | – | – | – | 004 |
| यूएई | – | – | 01 | – | – | – | – | 001 |
| चाइनीज | – | – | – | – | – | 03 | – | 003 |
| फ्रेंच | – | – | – | – | 01 | – | – | 001 |
| तंजानियन | 01 | 01 | – | – | 01 | – | – | 003 |
| तजाकिस्तान | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| थाई | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| जिम्बावयन | – | 01 | – | – | 01 | – | – | 002 |
| जर्मन | – | – | – | – | 01 | – | – | 001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्विस | – | – | – | – | 01 | – | – | 001 |
| स्पेनिज | – | – | – | – | 01 | – | – | 001 |
| जोर्डन | – | – | – | – | 01 | – | – | 001 |
| ब्राजालियन | – | – | 01 | – | – | – | – | 001 |
| ग्रीक | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| पोलैंड | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| कुल | 156 | 166 | 49 | 44 | 19 | 323 | 03 | 760 |

*वर्ष 2010 में सरकार द्वारा जारी किए गए देश-वार भारतीय नागरिकता आवेदन*

| राष्ट्रीयता | धारा 5(1)(क) के तहत | धारा 5(1)(ग) के तहत | धारा 5(1)(घ) के तहत | धारा 5(1)(ङ) के तहत | धारा 5(1)(च) के तहत | धारा 6(1) के तहत | धारा 5(4) के तहत | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| पाकिस्तानी | 75 | 26 | 04 | 37 | 03 | 04 | 01 | 150 |
| बांग्लादेशी | 07 | 08 | 01 | – | – | – | – | 016 |
| अफगानी | 00 | 01 | 01 | – | – | 07 | – | 009 |
| श्रीलंकन | 01 | 04 | – | – | – | 03 | – | 008 |
| ईरानियन | 09 | – | – | – | 02 | 01 | – | 012 |
| मलेशियन | 02 | 02 | – | – | 02 | – | – | 006 |
| केन्यन | 03 | 01 | – | – | – | – | – | 004 |
| सिंगापोरियन | – | – | – | – | 01 | – | – | 001 |
| अमेरिकन (यूएसए) | 02 | 01 | – | – | 01 | – | – | 004 |
| ब्रिटिश | 02 | – | – | – | 01 | – | – | 003 |
| फिलीपीन्स | 00 | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| आस्ट्रेलियन | 00 | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| नेपालीस | 01 | – | – | – | 01 | 01 | – | 003 |
| मोजाम्बिक | – | – | – | – | – | – | – | – |
| रशियन | – | – | 01 | – | 01 | – | – | 002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्यविहीन | 01 | – | – | – | – | – | – | 001 |
| यूएई | – | – | – | – | – | – | – | – |
| चाइनीज | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| फ्रेंच | – | – | – | – | – | – | – | – |
| तंजानियन | – | 02 | – | – | – | – | – | 002 |
| तजाकिस्तान | – | – | – | – | – | – | – | – |
| थाई | – | – | – | – | – | – | – | – |
| जिम्बावयन | – | – | – | – | 01 | – | – | 001 |
| जर्मन | – | – | – | – | – | – | – | 00 |
| स्विस | – | – | – | – | 00 | – | – | 000 |
| स्पेनिज | – | – | – | – | 00 | – | – | 000 |
| जॉर्डन | – | – | – | – | 00 | – | – | 000 |
| ब्राजालियन | – | – | 00 | – | – | – | – | 000 |
| ग्रीक | – | – | – | – | – | 00 | – | 000 |
| पोलैंड | – | – | – | – | – | 00 | – | 000 |
| फिजियन | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| नाइजीरियन | – | – | 01 | – | – | – | – | 001 |
| कुल | 103 | 046 | 008 | 037 | 013 | 019 | 01 | 227 |

*वर्ष 2011 में सरकार द्वारा जारी किए गए देश-वार भारतीय नागरिकता आवेदन*

| राष्ट्रीयता | धारा 5(1)(क) के तहत | धारा 5(1)(ग) के तहत | धारा 5(1)(घ) के तहत | धारा 5(1)(ङ) के तहत | धारा 5(1)(च) के तहत | धारा 6(1) के तहत | धारा 5(4) के तहत | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| पाकिस्तानी | 153 | 61 | 02 | 64 | 01 | 19 | – | 300 |
| बांग्लादेशी | 015 | 35 | – | – | 03 | – | – | 053 |
| अफगानी | – | – | 06 | 02 | – | 06 | – | 014 |
| श्रीलंकन | – | 06 | – | – | 01 | 08 | – | 015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| यूएसए | 01 | – | – | – | – | 01 | – | 002 |
| नेपालीस | – | 04 | – | – | 01 | 01 | – | 006 |
| कनाडियन | – | – | – | – | 02 | – | – | 002 |
| तंजानियन | 02 | 04 | – | – | 01 | – | – | 007 |
| ब्रिटिश | 01 | 04 | – | – | – | 02 | – | 007 |
| नाइजीरिया | – | – | – | – | 01 | – | – | 001 |
| लेबनानियन | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| चाइना | – | 02 | – | – | – | – | – | 002 |
| मलेशियन | – | 02 | – | – | 01 | – | – | 003 |
| ईराइन | – | 01 | – | – | – | 03 | – | 004 |
| सिंगापुर | – | 01 | – | – | 02 | – | – | 003 |
| बेल्जियम | – | – | – | – | 01 | – | – | 001 |
| म्यांमार | – | 01 | – | – | – | 01 | – | 002 |
| फिलीपीन्स | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| क्रोशिया | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| इटली | – | – | – | – | – | 02 | – | 002 |
| आस्ट्रेलिया | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| जर्मन | – | – | – | – | – | 01 | – | 001 |
| केन्या | – | – | – | – | 01 | – | – | 001 |
| कुल | 172 | 123 | 008 | 066 | 015 | 046 | 00 | 430 |

*वर्ष 2009 में सरकार द्वारा निरस्त किए गए देश-वार भारतीय नागरिकता आवेदन*

| राष्ट्रीयता | धारा 5(1)(क) के तहत | धारा 5(1)(ग) के तहत | धारा 5(1)(घ) के तहत | धारा 5(1)(ङ) के तहत | धारा 5(1)(च) के तहत | धारा 6(1) के तहत | धारा 5(4) के तहत | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| पाकिस्तानी | 20 | 04 | 04 | – | 01 | 01 | 01 | 031 |
| बांग्लादेशी | 01 | 03 | – | – | – | – | – | 004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अफगानी | 02 | – | – | – | – | – | – | 002 |
| मलेशियन | 01 | – | – | – | – | – | – | 001 |
| श्रीलंकन | – | 01 | – | – | – | – | 01 | 002 |
| सउदी अरब | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| लेबनानियन | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| उजबेकिस्तान | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| फिलीपीनो | – | – | – | 01 | – | – | – | 001 |
| सिंगापोरियन | – | – | – | – | – | – | 01 | 001 |
| आस्ट्रेलियन | – | – | – | – | – | – | 01 | 001 |
| कुल | 24 | 11 | 04 | 01 | 01 | 01 | 04 | 046 |

*वर्ष 2010 में सरकार द्वारा निरस्त किए गए देश-वार भारतीय नागरिकता आवेदन*

| राष्ट्रीयता | धारा 5(1)(क) के तहत | धारा 5(1)(ग) के तहत | धारा 5(1)(घ) के तहत | धारा 5(1)(ङ) के तहत | धारा 5(1)(च) के तहत | धारा 6(1) के तहत | धारा 5(4) के तहत | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| पाकिस्तानी | 36 | 06 | 04 | – | 01 | 01 | 06 | 054 |
| बांग्लादेशी | 01 | 03 | – | – | – | – | – | 004 |
| अफगानी | 02 | – | – | – | – | – | – | 002 |
| मलेशियन | 01 | – | – | – | – | – | – | 011 |
| श्रीलंकन | – | 01 | – | – | – | – | 01 | 002 |
| सउदी अरब | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| लेबनानियन | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| उजबेकिस्तान | – | 01 | – | – | – | – | – | 001 |
| फिलीपीनो | – | – | – | 01 | – | – | – | 001 |
| सिंगापोरियन | – | – | – | – | – | – | 01 | 001 |
| आस्ट्रेलियन | – | – | – | – | – | – | 01 | 001 |
| कुल | 40 | 13 | 04 | 01 | 01 | 01 | 09 | 069 |

*वर्ष 2011 में सरकार द्वारा निरस्त किए गए देश-वार भारतीय नागरिकता आवेदन*

| राष्ट्रीयता | धारा 5(1)(क) के तहत | धारा 5(1)(ग) के तहत | धारा 5(1)(घ) के तहत | धारा 5(1)(ङ) के तहत | धारा 5(1)(च) के तहत | धारा 6(1) के तहत | धारा 5(4) के तहत | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पाकिस्तानी | 05 | 04 | 02 | 03 | - | - | - | 14 |
| बांग्लादेशी | - | 01 | - | - | - | 01 | - | 02 |
| अफगानी | 00 | - | - | - | - | 03 | - | 03 |
| श्रीलंकन | - | 01 | - | - | - | 07 | - | 08 |
| सिंगापोरियन | - | 01 | - | - | - | - | - | 01 |
| यूएसए | 01 | - | - | - | 01 | - | - | 02 |
| आस्ट्रेलियन | - | - | 02 | - | - | - | - | 02 |
| कनाडियन | 02 | - | - | - | 02 | - | - | 04 |
| रशियन | - | 01 | - | - | - | - | - | 01 |
| फ्रांस | - | - | 01 | - | - | 01 | - | 02 |
| मॉरिशस | - | - | 01 | - | - | - | - | 01 |
| साउथ अफ्रीकन | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 |
| कुल | 08 | 08 | 06 | 03 | 04 | 12 | 00 | 041 |

**मुंहपका तथा खुरपका रोग में वृद्धि**

86. **श्री गजानन ध. बाबर:**
**श्री धर्मेन्द्र यादव:**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजी**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशुओं में संक्रामक मुंहपका एवं खुरपका रोग (एफएमडी) ने पशुधन की उत्पादकता तथा पशुधन उद्योग को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रोग के कारण प्रत्यक्ष रूप में अनुमानित कितनी आर्थिक हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने एफएमडी के नियंत्रण हेतु कोई दीर्घावधि रूपरेखा तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने एफएमडी के नियंत्रण हेतु अन्य क्या कदम उठाए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) और (ख) गोपशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग से पशुधन उत्पादकता बहुत कम हो जाती है और इससे पशुधन उद्योग पर भी प्रभाव पड़ता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार इस रोग से प्रत्येक वर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष आर्थिक हानि होती है जिसमें दुध, मीट, भारवाही शक्ति और उपचार की लागत आदि की हानि शामिल है।

(ग) और (घ) देश में खुरपका और मुंहपका रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विभाग ने 10वीं पंचवर्षीय योजना से 54 जिलों में ''खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम'' शुरू करके एक दीर्घकालिक रोड मैप शुरू किया है। इन जिलों को 11वीं योजना में बढ़ाकर 221 जिले कर दिया गया था और इस प्रकार यह अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु,

महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सभी जिलों तथा उत्तर प्रदेश के 16 जिलों को कवर करता है।

एफएमडी टीको की अपेक्षित खुराक केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को एफएमडी-सीपी के तहत उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्यक्रम के तहत टीकाकरण करने के लिए संभारतंत्रीय लागत के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता (100 प्रतिशत) भी दी जाती है। एफएमडी-सीपी के तहत टीका लगाए गए पशुओं में रोग प्रतिरोध स्थिति जानने के लिए खुरपका और मुंहपका रोग निदेशालय, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत एक प्रयोगशाला है, नामक परियोजना के तत्वावधान में सीरो निगरानी भी की जा रही है। खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के क्षेत्र का और विस्तार किया जाएगा ताकि शेष जिलों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जा सके।

(ङ) इस योजना के तहत वित्तीय सहायता की अनुमोदित प्रणाली के अनुसार पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता के तहत एफएमडी सहित पशुधन के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों के नियंत्रण के लिए एफएमडी-सीपी के तहत कवर किए गए राज्यों/संघ राज्य शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को धनराशि भी उपलब्ध कराई जा रही है।

## आवास योजना हेतु सहायता

87. **श्री पी. करूणाकरन:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से दुर्बल वर्गों को आवास प्रदान करने के लिए एक नई आवास योजना 'सफलयम' के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (ग) जी, नहीं। केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

## बीपीएल/अल्पसंख्यकों हेतु आवास

88. **श्री चार्ल्स डिएस:**
**श्री अर्जुन राम मेघावल:**

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अल्पसंख्यकों सहित गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी परिवारों (बीपीएल) को आवास सुविधाएं प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजन हेतु किसी संस्थान से ऋण लिया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त ऋण पर अदा किए गए ब्याज की राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बीपीएल परिवारों हेतु बनाए जाने वाले आवासों के लिए राज्यों को कोई मॉडल प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (ङ) भारत के संविधान के अनुसार 'भूमि' और 'कॉलोनी बसाना' राज्य के विषय है। यह मंत्रालय अल्पसंख्यकों समेत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य द्वारा चलाई जा रही सभी स्कीमों, इन स्कीमों के वित्त पोषण के लिए राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋण तथा चुकाए गए ब्याज के आंकड़े नहीं रखता है।

भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) कार्यक्रम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए मकान निर्माण हेतु विभिन्न मॉडल/डिजाइन उपलब्ध कराए हैं।

भारत सरकार ने 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का शुभारंभ किया था जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) कार्यक्रम के तहत देश में चयनित 65 शहरों में, शहरी गरीबों के लिए आवास एवं अवस्थापना सुविधाएं शुरू करने में शहरों एवं कस्बों को सहायता उपलब्ध कराना है। अन्य शहरों एवं कस्बों के लिए, एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) शुरू किया गया था। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की अवधि वर्ष 2005-06 से शुरू होकर 7 वर्ष के लिए है।

भारत में शहरी गरीबों जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार और अल्पसंख्यक समुदाय शामिल हैं, हेतु शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास एवं स्लम

विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत 65 मिशन शहरों तथा 886 अन्य शहरों एवं कस्बों में 15.73 लाख रिहायशी इकाइयों के निर्माण/उन्नयन के लिए 40217.02 करोड़ रु. की परियोजना लागत जिसमें 21836.16 करोड़ रु. का केन्द्रीय अंश शामिल है, वाली कुल 951 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 6 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार, 5.72 लाख आवासीय यूनिटें बन चुकी हैं और 3.80 लाख आवासीय यूनिटें निर्माणाधीन हैं। शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत निर्मित उक्त यूनिटों में से 3.82 यूनिटें बस चुकी हैं।

*[हिन्दी]*

**प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता**

89. **श्री भीष्म शंकर** *उर्फ* **कुशल तिवारी:**
**श्री महेश जोशी:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु कार्यान्वित की जा रही खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के प्रमाणन हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अपने घटिया उत्पादों के कारण विदेशी बाजारों में हानि उठा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के संबंध में उपभोक्ताओं के विश्वास में वृद्धि करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में अपनी गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम के अंतर्गत देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा एचएसीसीपी/आईएसओ 22000, आईएसओ 14000, जीएचपी, जीएमपी, गुणवत्ता/सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्कीम के अंतर्गत, केन्द्र और राज्य सरकार के संगठन, आईआईटी और विश्वविद्यालय सहित सभी कार्यान्वयन एजेंसियां परामर्श शुल्क, प्रमाणन एजेंसी शुल्क, आईएसओ-14000, आईएसओ-22000, एचएसीसीपी, जीएमपी और जीएचपी सहित समग्र गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की सामान्य क्षेत्रों में 50% परन्तु अधिकतम 15 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों में 75% परन्तु अधिकतम 20 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं।

इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विभिन्न पणधारियों जैसे केन्द्र/राज्य सरकार के संगठन, आईआईटीज, विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्र के संगठनों को अपनी योजना स्कीम के अंतर्गत खाद्य परीक्षण/गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस प्रकार स्थापित खाद्य परीक्षण सुविधाएं खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को क्षेत्र के भीतर और क्षेत्र के आसपास उनके उत्पादों के परीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) सरकार ने खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने और उनके निर्माण, भण्डारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का गठन किया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रमाणन कार्य में लगे प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के लिए तंत्र एवं दिशानिर्देश निर्धारित करना अनिवार्य किया है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) समग्र गुणवत्ता के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रत्यायन कार्य में लगे प्रमाणन निकायों को प्रत्यायन भी उपलब्ध करा रही है।

एफएसएसएआई/क्यूसीआई द्वारा प्रत्यायित प्रमाणन निकाय प्रक्रियाओं/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को प्रमाणन उपलब्ध करा सकते हैं।

(ग) और (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अपने खाद्य उत्पादों को दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए आयातक देशों के गुणवत्ता/सुरक्षा मानकों का अनुपालन करना होगा। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) और अपीडा ने खाद्य उत्पादों के निर्यात हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रक्रिया और

दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। ये एजेंसियां विशिष्ट खाद्य उत्पादों का निर्यात करने से पहले खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा किसी घटिया खाद्य उत्पाद का निर्यात रोकने के लिए खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों का निरीक्षण करती हैं।

(ङ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और इनके निर्माण के अलावा, विनियमन करने के लिए स्थापित किया गया है। यह सुनिश्चित करते हुए कि देश में स्वीकृत किया गया संरक्षण स्तर गिरा नहीं है अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों तथा घरेलू खाद्य मानकों के बीच सामन्जस्य को बढ़ावा देने के लिए भी खाद्य प्राधिकरण को अधिदेशित किया गया है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ऐसी यूनिटों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। जहां कहीं भी विचलन देखा जाता है वहां अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार चूककर्ताओं के खिलाफ दाण्डिक/कानूनी कार्रवाई की जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों, खाद्य प्राधिकरण तथा राज्य सरकारों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों द्वारा सुरक्षित खाद्य वस्तुओं के निर्माण के लिए शर्तें निर्धारित करने वाली लाइसेंसिंग प्रणाली को खाद्य सुरक्षा मानक विनियमन, 2011 में यथानिर्धारित खाद्य मानकों के साथ-साथ अनुपालन के बारे में कानूनी उपबंधों को लागू करने की शक्तियां दी गई हैं।

## पुलिस जनता अनुपात

**90. श्री जगदानंद सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में पुलिस-जनता का अनुपात अलग-अलग है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) जी हां। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 01.01.2011 तक की स्थिति के अनुसार स्वीकृत और वास्तविक राज्यवार पुलिस-जनता अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

### *विवरण*

*दिनांक 1.1.2011 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार पुलिस-जनता अनुपात (स्वीकृत और वास्तविक)*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | प्रति एक लाख की जनसंख्या पर कुल पुलिस | |
|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत | वास्तविक |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 155.45 | 107.32 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 965.67 | 555.90 |
| 3. | असम | 199.91 | 176.18 |
| 4. | बिहार | 88.11 | 64.08 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 206.52 | 169.03 |
| 6. | गोवा | 347.84 | 292.54 |
| 7. | गुजरात | 150.53 | 110.27 |
| 8. | हरियाणा | 248.45 | 179.75 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 256.48 | 200.04 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 574.79 | 541.63 |
| 11. | झारखंड | 235.23 | 164.56 |
| 12. | कर्नाटक | 154.82 | 138.84 |
| 13. | केरल | 140.93 | 131.14 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 115.35 | 104.61 |
| 15. | महाराष्ट्र | 138.74 | 124.86 |
| 16. | मणिपुर | 1146.90 | 846.42 |
| 17. | मेघालय | 468.78 | 386.93 |
| 18. | मिजोरम | 1112.36 | 1044.81 |
| 19. | नागालैंड | 1073.37 | 1069.78 |
| 20. | ओडिशा | 130.21 | 106.16 |
| 21. | पंजाब | 291.03 | 249.95 |
| 22. | राजस्थान | 118.09 | 105.43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 23. | सिक्किम | 885.78 | 642.48 |
| 24. | तमिलनाडु | 177.75 | 150.97 |
| 25. | त्रिपुरा | 1123.70 | 1012.07 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 184.22 | 74.62 |
| 27. | उत्तराखंड | 210.91 | 160.61 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 80.69 | 66.03 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1017.74 | 790.55 |
| 30. | चंडीगढ़ | 695.49 | 542.67 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 114.44 | 100.00 |
| 32. | दमन और दीव | 139.80 | 130.85 |
| 33. | दिल्ली | 441.01 | 448.32 |
| 34. | लक्षद्वीप | 478.08 | 308.22 |
| 35. | पुडुचेरी | 351.56 | 263.60 |
| | अखिल भारत | 173.51 | 131.39 |

## इंटरनेट धोखाधड़ी संबंधी मामले

**91. श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में इंटरनेट धोखाधड़ी संबंधी दर्ज किए गए मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे संबंधित दोषसिद्धि की दर तथा लंबित मामलों को हल करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) से (ख) वर्ष 2008-10 के दौरान इंटरनेट की धोखाधड़ियों के लिए पंजीकृत मामलों तथा आईटी एक्ट के विभिन्न अपराध शीर्षों के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ''पुलिस'' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य के विषय हैं, इसलिए राज्य सरकारें प्राथमिक रूप से साइबर अपराधों सहित अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच-पड़ताल करने तथा अपने क्षेत्राधिकार के अंदर कानून प्रवर्तन मशीनरी के माध्यम से अभियुक्त अपराधियों पर अभियोजन चलाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। तथापि, भारत सरकार साइबर अपराधों सहित अपराध के बारे में अत्यधिक चिंतित है और इसलिए राज्य सरकारों को समय-समय पर आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन को सुधारने तथा अपराध की रोकथाम हेतु यथा-आवश्यक ऐसे उपाय करने पर और अधिक ध्यान देने की सलाह देती रहती है। सरकार ने समस्त राज्य सरकारों तथा संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 16 जुलाई, 2010 को अपराध की रोकथाम के संबंध में एक व्यापक सलाह जारी की है। आईटी एक्ट के तहत दोषसिद्धि की संख्या के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

### *विवरण*

*वर्ष 2008-10 के दौरान आईटी एक्ट 2000 के विभिन्न अपराध शीर्षों के तहत पंजीकृत मामलों और गिरफ्तार व्यक्तिय*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कम्प्यूटर स्रोत दस्तावेजों में छेड़छाड़ करना | | | | | | कम्प्यूटर स्रोत यूटिलिटी को क्षति/हानि | | | | | | हैकिंग | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पंजीकृत मामले | | | गिरफ्तार व्यक्ति | | | पंजीकृत मामले | | | गिरफ्तार व्यक्ति | | | पंजीकृत मामले | | | गिरफ्तार व्यक्ति | | |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 21 | 49 | 2 | 5 | 51 | 4 | 0 | 39 | 3 | 0 | 16 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | असम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | बिहार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7. | गुजरात | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 27 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | झारखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | कर्नाटक | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 30 | 54 | 91 | 26 | 6 | 18 | 0 |
| 13. | केरल | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | 24 | 1 | 9 | 10 | 7 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 15. | महाराष्ट्र | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 15 | 25 | 31 | 34 | 17 | 26 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | ओडिशा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | पंजाब | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22. | राजस्थान | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 32 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 |
| 23. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 13 | 4 | 3 | 18 | 0 | 8 | 26 | 0 | 5 | 16 |
| 25. | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 27. | उत्तराखंड | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल राज्य | 25 | 21 | 60 | 22 | 6 | 79 | 56 | 110 | 311 | 41 | 61 | 208 | 76 | 118 | 162 | 10 | 44 | 61 |
| | **संघराज्य क्षेत्र** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दिल्ली संघ शासित | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 2 | 25 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पुडुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल संघ शासित | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 2 | 25 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| | कुल अखिल भारत | 26 | 21 | 64 | 26 | 6 | 79 | 56 | 115 | 346 | 41 | 63 | 233 | 82 | 118 | 164 | 15 | 44 | 61 |

स्रोत: भारत में अपराध

*वर्ष 2008-10 के दौरान आईटी एक्ट 2000 के विभिन्न अपराध शीर्षों के तहत पंजीकृत मामलों और गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | संरक्षित कम्प्यूटर प्रणाली तक अनधिकृत पहुंच/पहुंचाने का प्रयास | | | | | | गलत डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट छपवाना | | | | | | नकली डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पंजीकृत मामले | | | गिरफ्तार व्यक्ति | | | पंजीकृत मामले | | | गिरफ्तार व्यक्ति | | | पंजीकृत मामले | | | गिरफ्तार व्यक्ति | | |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | असम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | बिहार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | झारखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | कर्नाटक | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | केरल | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | महाराष्ट्र | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | ओडिशा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | पंजाब | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | राजस्थान | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | उत्तराखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल राज्य | 1 | 7 | 3 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| | **संघराज्य क्षेत्र** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दिल्ली संघ शासित | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पुडुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल संघ शासित | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल अखिल भारत | 3 | 7 | 3 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 |

**प्रसंस्करण सुविधाएं**

**92. कुमारी सरोज पाण्डेय:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे एवं मझौले किसानों के उत्पाद के प्रसंस्करण के लिए उन्हें सहायता देने के लिए कोई कार्य-योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके लाभान्वितों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में कोई ऐसी योजना बनाने का है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) से (ग) मंत्रालय अपनी खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण योजना स्कीम के अंतर्गत देश में नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और मौजूदा यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं विस्तार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय प्रति परियोजना उद्यमियों को संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50.00 लाख रुपये और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75.00 लाख रुपये की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 11वीं योजना अवधि के दौरान देश में उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार अनुमोदित और वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या*

(लाख रुपये)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित | जारी की गई राशि | अनुमोदित | जारी की गई राशि | अनुमोदित | जारी की गई राशि | अनुमोदित | जारी की गई राशि | अनुमोदित | जारी की गई राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 43 | 947.49 | 48 | 908.999 | 41 | 677.05 | 30 | 562.096 | 72 | 1402.19 |
| 2. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 1 | 17.67 | 3 | 376.14 | 2 | 66.420 | 0 | 0 |
| 4. | असम | 12 | 442.17 | 17 | 176.79 | 22 | 418.74 | 26 | 875.701 | 7 | 119.212 |
| 5. | बिहार | 5 | 83.915 | 2 | 42.3 | 2 | 35.59 | 6 | 136.681 | 4 | 64.6567 |
| 6. | चंडीगढ़ | 6 | 138.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.000 | 0 | 0 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 10 | 163.725 | 4 | 45.46 | 27 | 297.574 | 53 | 552.389 |
| 8. | दिल्ली | 0 | 0 | 7 | 160.65 | 2 | 50 | 3 | 82.600 | 13 | 345.21 |
| 9. | गोवा | 1 | 17 | 1 | 24.57 | 1 | 24.26 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 |
| 10. | गुजरात | 32 | 544.06 | 39 | 714.81 | 42 | 665.18 | 52 | 1419.72 | 93 | 1805.33 |
| 11. | हरियाणा | 19 | 418.72 | 23 | 349.415 | 11 | 134.96 | 14 | 325.280 | 22 | 314.625 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 12 | 325.09 | 5 | 152.745 | 10 | 269.58 | 7 | 204.530 | 13 | 340.01 |
| 13. | जम्मू और कश्मीर | 9 | 109.855 | 3 | 22.05 | 7 | 59.73 | 5 | 89.095 | 5 | 94.665 |
| 14. | झारखंड | 2 | 9.09 | 0 | 0 | 3 | 44.09 | 4 | 85.425 | 0 | 0 |
| 15. | कर्नाटक | 34 | 529.62 | 35 | 629.895 | 24 | 269.55 | 14 | 377.790 | 36 | 498.18 |
| 16. | केरल | 47 | 876.8 | 32 | 545.37 | 33 | 567.53 | 19 | 411.72 | 50 | 875.055 |
| 17. | मध्य प्रदेश | 10 | 172.32 | 14 | 201.87 | 18 | 273.03 | 14 | 211.294 | 21 | 360.506 |
| 18. | महाराष्ट्र | 95 | 1696.805 | 121 | 1802.633 | 113 | 1717.3 | 56 | 1006.524 | 170 | 2380.76 |
| 19. | मणिपुर | 3 | 61.74 | 3 | 45.51 | 6 | 163.75 | 1 | 23.975 | 8 | 163.26 |
| 20. | मेघालय | 1 | 8.19 | 2 | 159.57 | 2 | 123.02 | 2 | 100.045 | 0 | 0 |
| 21. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | नागालैंड | 1 | 27.485 | 4 | 178.205 | 1 | 64.99 | 1 | 6.205 | 0 | 0 |
| 23. | ओडिशा | 6 | 129.41 | 2 | 38.68 | 6 | 84.4 | 8 | 200.875 | 2 | 8.435 |
| 24. | पुडुचेरी | 2 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | पंजाब | 32 | 481.45 | 61 | 841.36 | 13 | 172.37 | 9 | 149.495 | 66 | 805.762 |
| 26. | राजस्थान | 35 | 566.075 | 44 | 551.975 | 27 | 27325.46 | 48 | 691.123 | 86 | 1107.37 |
| 27. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | तमिलनाडु | 53 | 951.79 | 36 | 594.355 | 41 | 672.11 | 24 | 493.582 | 65 | 1210.11 |
| 29. | त्रिपुरा | 2 | 39.98 | 1 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 63 | 1123.425 | 43 | 875.475 | 32 | 560.63 | 47 | 1078.638 | 46 | 768.696 |
| 31. | उत्तराखण्ड | 9 | 339.78 | 6 | 163.15 | 12 | 307.57 | 6 | 168.523 | 3 | 64.39 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 35 | 653.56 | 19 | 390.135 | 10 | 136.48 | 10 | 317.945 | 16 | 280.96 |
| | कुल | 569 | 10725.2 | 579 | 9765.767 | 487 | 8249.97 | 437 | 9432.862 | 852 | 13586.8 |

*आंकड़े समन्वय बैंक अर्थात् एचडीएफसी बैंक के समन्वयनाधीन हैं।

## पशुधन के लिए चारा

93. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पशुधन के लिए चारे की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशुधन के लिए चारा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा राज्यों को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(घ) क्या सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशुधन मालिकों ने चारे के लिए अन्य राज्यों में अपने पशुधन को भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) जी, हां।

(ख) नाबार्ड परामर्शी सेवाएं (नॉबकॉन्स) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2007 में हरे चारे, सूखे चारे और संकेन्द्रणों की मांग और आपूर्ति के बीच प्रतिलक्षित अनुमानित कमी निम्नानुसार है:-

(सूखा चारा मिलियन टन में)

| आहार | मांग | उपलब्धता | अंतर |
|---|---|---|---|
| सूखा चारा | 416 | 253 | 163 (40%) |
| हरा चारा | 222 | 143 | 79 (36%) |
| संकेन्द्रण | 53 | 23 | 30 597%) |

भारत सरकार आहार और चारे की मांग और उपलब्धता के बीच के अंतर को कम करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं:-

(1) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना केन्द्रीय चारा विकास संगठन, जिसमें 7 चारा उत्पादन और प्रदर्शन क्षेत्रीय केन्द्र तथा चारा बीजों की उच्च उत्पादक किस्मों के उत्पादन तथा चारा उत्पादन संबंधी प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म है। इसके अलावा, इस योजना के तहत केन्द्रीय मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

(2) आहार और चारा विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित चारा और आहार विकास योजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

(3) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के छत्र में इस वर्ष 12 राज्यों में 'त्वरित चारा विकास कार्यक्रम' भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

(4) राज्य अपने बजटीय संसाधनों के अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की धनराशि का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(घ) जी, नहीं। राज्यों ने चारे के लिए प्रभावित क्षेत्रों से अन्य राज्यों में गोपशुओं के आप्रवासन की खबर नहीं दी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण I***

*केन्द्रीय प्रायोजित चारा और आहार विकास योजना (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित) के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी धनराशि*

(लाख रुपए में)

| राज्य | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 (5.3.2012 तक) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आंध्र प्रदेश | 0 | 82.25 | 622.00 | 0.00 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| असम | 0 | 0.00 | 0.00 | 218.20 |
| बिहार | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ | 0 | 6.00 | 0.00 | 65.20 |
| गुजरात | 165.00 | 224.00 | 550.00 | 1368.43 |
| हरियाणा | 0 | 0.00 | 145.00 | 120.00 |
| हिमाचल प्रदेश | 0 | | 258.75 | 0.00 |
| झारखंड | 93.50 | 0.00 | 255.00 | 0.00 |
| जम्मू और कश्मीर | 56.70 | 66.50 | 53.19 | 213.43 |
| कर्नाटक | 0 | 0.00 | 435.00 | 0.00 |
| केरल | 0 | 138.95 | 112.01 | 130.25 |
| मध्य प्रदेश | 140.00 | 0.00 | 114.00 | 199.00 |
| महाराष्ट्र | 0 | 54.50 | 160.75 | 376.32 |
| मणिपुर | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| मेघालय | 0 | 0.00 | 27.61 | 0.00 |
| मिजोरम | 199.50 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| नागालैंड | 0 | 0.00 | 71.00 | 26.00 |
| ओडिशा | 0 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| पंजाब | 190.21 | 0.00 | 465.51 | 0.00 |
| राजस्थान | 0 | 129.26 | 145.00 | 0.00 |
| सिक्किम | 0 | 50.00 | 65.00 | 124.00 |
| तमिलनाडु | 0 | 63.50 | 121.00 | 0.00 |
| त्रिपुरा | 0 | 0.00 | 32.25 | 0.00 |
| उत्तर प्रदेश | 0 | 118.34 | 123.00 | 0.00 |
| उत्तराखंड | 0 | 0.00 | 230.00 | 247.37 |
| पश्चिम बंगाल | 0 | 0.00 | 57.91 | 0.00 |
| कुल | 924.91 | 1080.30 | 4243.98 | 3143.20 |

### *विवरण II*

*'त्वरित चारा विकास कार्यक्रम' (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित) के तहत जारी धनराशि*

(करोड़ रुपए में)

| राज्य | निर्मुक्ति |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 30.00 |
| बिहार | 24.50 |
| छत्तीसगढ़ | 4.69 |
| गुजरात | 15.00 |
| हरियाणा | 15.00 |
| कर्नाटक | 30.00 |
| मध्य प्रदेश | 30.00 |
| महाराष्ट्र | 30.00 |
| पंजाब | 7.75 |
| राजस्थान | 52.00 |
| तमिलनाडु | 15.50 |
| उत्तर प्रदेश | 30.00 |
| कुल | 284.44 |

### संसद सदस्यों के वाहनों पर लाल बत्ती

**94. श्री उदय प्रताप सिंह:**
**श्री लालचन्द कटारिया:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों की स्थिति को अग्रता अधिक्रम में ऊपर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का संसद सदस्यों के वाहनों पर लाल बत्ती लगाने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) जी, नहीं।

(ख) विशेषाधिकार समिति ने नवम्बर, 2011 में सदन के पटल पर रखी गयी अपनी दूसरी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि संसद सदस्यों को अग्रता सूची में क्र.सं. 21 की बजाय क्रम संख्या 17 पर रखा जाए। समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ) विशेषाधिकार समिति ने नवम्बर, 2011 में सदन के पटल पर रखी गयी अपनी दूसरी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि संसद सदस्यों के वाहनों के ऊपर लाल बत्ती का प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत अधिसूचना जारी की जाए। समिति की सिफारिश की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

*[अनुवाद]*

### प्रसारकों से प्राप्त आंकड़ों का मूल्यांकन

**95. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रसारकों, एफएम रेडियो कंपनियों तथा 'डायरेक्ट टू होम' (डीटीएच) ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध कराए गए वभिन्न वित्तीय तथा तकनीकी आंकड़ों की संवीक्षा एवं मूल्यांकन करने हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों के पैनल की सेवाएं लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल में प्रसारकों के लिए निवल मूल्य शर्तों को फिर से बढ़ाकर निर्धारित करके प्रवेश मानदंडों को परिवर्तित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ):** (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एफएम रेडियो कंपनियों व डायरेक्ट-टु-होम ऑपरेटरों से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों तथा टीवी चैनलों, आदि के आवेदनों की संवीक्षा व मूल्यांकन करने के लिए सनदी लेखाकार-फर्मों के पैनल की किराए पर सेवाएं लेने की बाबत प्रस्तावों हेतु अनुरोध (आरएफपी) की शुरुआत की है।

(ग) और (घ) ट्राई की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने टीवी चैनलों की अपलिंकिंग व डाउनलिंकिंग हेतु वर्ष 2005 में जारी किए गए नीतिगत दिशा-निर्देशों में कतिपय संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 7 अक्तूबर, 2011 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया था। संशोधित दिशा-निर्देशों को 5 दिसम्बर, 2011 को जारी कर दिया गया है। ये दिशा-निर्देश मंत्रालय की www.mib.nic.in वैबसाइट पर उपलब्ध हैं।

## पश्चिम बंगाल में विरासत स्थल

**96. श्री अम्बिका बनर्जी:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में सांस्कृतिक विरासत केन्द्रों एवं स्थलों के नाम क्या है;

(ख) उक्त स्थलों के संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त उद्देश्य हेतु आवंटित एवं उपयोग की गयी धनराशि कितनी है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय महत्व के 133 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) मरम्मत की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए स्मारकों का संरक्षण और परिरक्षण करना एक सतत प्रक्रिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में स्मारकों के संरक्षण के लिए आबंटित और उपयोग की गयी धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | वर्ष | आबंटन | किया गया खर्च |
|---|---|---|---|
| 1. | 2008-2009 | 382.00 | 373.15 |
| 2. | 2009-2010 | 348.00 | 345.65 |
| 3. | 2010-2011 | 417.00 | 416.30 |

### *विवरण*

*पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची*

| क्र.सं. | स्मारक/स्थल का नाम | स्थान | जिला |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | चंद्रकेतु का किला | बेरचम्पा | 24 परगना (उत्तर) |
| 2. | बराह मिहिर धीपी तथा खाना मिहिर धीबी के नाम से जाना जाने वाला प्राचीन टीली | देउलिया और कौकीपाड़ा | 24 परगना (उत्तर) |
| 3. | बड़ा कोठी के नम से प्रख्यात क्लाइव का घर, दमदम | दमदम | जिला 24 उत्तर परगना |
| 4. | 26 शिव मंदर | बारर्कपुर खारदाह | जिला 24 उत्तर परगना |
| 5. | वारेन हेस्टिंग का गृह | बारासात | जिला 24 उत्तर परगना |
| 6. | झट्टर देउल मन्दिर | झाटा | 24 परगना (दक्षिण) |
| 7. | प्राचीन मंदिर | बहुलारा | बांकुरा |
| 8. | दलमादलतोप तथा वह चबूतरा जिस पर यह है | बिष्णुपुर | बांकुरा |
| 9. | पुराने किले का दरवाजा | बिष्णुपुर | बांकुरा |
| 10. | जोर मंदिर | बिष्णुपुर | बांकुरा |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11. | जोर बंगला मंदिर | बिष्णुपुर | बांकुरा |
| 12. | कलाचंद मंदिर | बिष्णुपुर | बांकुरा |
| 13. | लालजी मंदिर | बिष्णुपुर | बांकुरा |
| 14. | मदन गोपाल मंदिर | बिष्णुपुर | बांकुरा |
| 15. | मदन मोहन मंदिर | बिष्णुपुर | बांकुरा |
| 16. | मल्लेश्वर मंदिर | बिष्णुपुर | बांकुरा |
| 17. | मुरली मोहन मंदिर | बिष्णुपुर | बांकुरा |
| 18. | नंद लाल मंदिर | बिष्णुपुर | बांकुरा |
| 19. | पाटपुर मंदिर | बिष्णुपुर | बांकुरा |
| 20. | राधा विनोद मंदिर | बिष्णुपुर | बांकुरा |
| 21. | राधा गोविंद मंदिर | बिष्णुपुर | बांकुरा |
| 22. | राधा माधव मंदिर | बिष्णुपुर | बांकुरा |
| 23. | राधा श्याम मंदिर | बिष्णुपुर | बांकुरा |
| 24. | रासमंच | बिष्णुपुर | बांकुरा |
| 25. | श्याम राय मंदिर | बिष्णुपुर | बांकुरा |
| 26. | किले का छोटा प्रवेश द्वार | बिष्णुपुर | बांकुरा |
| 27. | पत्थर का रथ | बिष्णुपुर | बांकुरा |
| 28. | शैलेश्वर मंदिर | दीहर | बांकुरा |
| 29. | सरेश्वर मंदिर | दीहर | बांकुरा |
| 30. | राधा दामोदर जीव का मंदिर | घुटगेरिया | बांकुरा |
| 31. | गोकुल चंद मंदिर | गोकलनगर | बांकुरा |
| 32. | रत्नेश्वर मंदिर | जगन्नाथपुर | बांकुरा |
| 33. | श्याम सुंदर मंदिर | मदनपुर | बांकुरा |
| 34. | मंदिर स्थल जहां अब सिर्फ एक टीला और सूर्य की एक प्रतिमा है | पारसनाथ | बांकुरा |
| 35. | पुराने जैन मंदिर का मंदिर स्थल जहां अब सिर्फ एक जैन प्रतिमा के साथ एक टीला है | पारसनाथ | बांकुरा |
| 36. | एक पेड़ के नीचे महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा की प्रतिमा | सारेनगढ़ | बांकुरा |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 37. | मंदिर स्थल जहां अब सिर्फ एक टीला है | सारेनगढ़ | बांकुरा |
| 38. | मंदिर स्थल जहां अब सिर्फ एक टीला है जिस पर गणेश और नंदी की एक प्रतिमा है | सारेनगढ़ | बांकुरा |
| 39. | मंदिर स्थल जहां अब सिर्फ एक टीला है जिस पर नंदी की एक प्रतिमा है | सारेनगढ़ | बांकुरा |
| 40. | चन्द्र वर्मन के शिलालेख | सुसुनिया पहाड़ी | बांकुरा |
| 41. | सामान्यत: जयदेव के नाम से जाना जाने वाला राधा विनोद मंदिर | जयदेव-केंडुली | बीरभूम |
| 42. | धर्मराज मंदिर | कुबिलाशपुर | बीरभूम |
| 43. | दो टीलो | भडेश्वर | बीरभूम |
| 44. | बासुली मंदिर एवं टीला साथ में उनके पास स्थित 14 अन्य मंदिर जहां शिवलिंग की प्रतिमाएं हैं | बीरभूम | |
| 45. | रासमंच मंदिर (दामोदर मंदिर) | नानूर | बीरभूम |
| 46. | दो प्राचीन मंदिर (एक साथ जुड़े | वैद्यपुर | बर्दवान |
| 47. | रुद्रेश्वर मंदिर | बामुनारा | बर्दवान |
| 48. | चार प्राचीन मंदिरों का समूह | बेगुनिया | बर्दवान |
| 49. | बहराम सक्का, शेरे अफगान तथा नवाब कुतुबुद्दीन का मकबरा | बर्दवान | बर्दवान |
| 50. | प्रस्तर मंदिर | गरूई | बर्दवान |
| 51. | ईचई घोष का मंदिर | गौरंगपुर | बर्दवान |
| 52. | प्राचीन स्थल | नाडिया | बर्दवान |
| 53. | सत देउल के नाम से मशहूर ईंट का जैन मंदिर | देउलिया | बर्दवान |
| 54. | मंदिर समूह (12 मंदिर) 1. विजय वैद्यनाथ मंदिर, 2. गिरीगोवर्धनमंदिर, 3. गोपालजी मंदिर, 4. जलेश्वर मंदिर, 5. कृष्ण चंद्र जी मंदिर, 6. लालजी मंदिर, 7. नव-कैलाश मंदिर, 8. पंचरत्न मंदिर, 9. राजबाड़ी परिसर में प्रतापेश्वर शिव मंदिर, 10 रामेश्वर मंदर, 11. रत्नेश्वर मंदिर, 12. रूपेश्वर मंदिर | कलना | बर्दवान |
| 55. | पांडुक राजा धिपी का प्राचीन स्थल एवं अवशेष | पांडुक | बर्दवान |
| 56. | प्राचीन टीला | भरतपुर | बर्दवान |
| 57. | कूच बिहार महल | कूच बिहार | कूचबिहार |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 58. | राजपथ स्थल | खालसा गसनीमारी | कूचबिहार |
| 59. | अलेक्जेंडर-कोस्मा डी कोरस का मकबरा | दार्जिलिंग | दार्जिलिंग |
| 60. | जनरल लॉयड का मकबरा | दार्जिलिंग | दार्जिलिंग |
| 61. | शाह अता की दरगाह | गंगारामपुर | दिनाजपुर (दक्षिण) |
| 62. | टीले | बाणगढ़ (गंगारामपुर) | दिनाजपुर (दक्षिण) |
| 63. | हनेश्वरी तथा वासुदेव मंदिर | बांसबेरिया | हुगली |
| 64. | डच कब्रिस्तान साथ में यहां स्थित सभी मकबरे एवं स्मारक | चिनसुराह | हुगली |
| 65. | सूसान अन्ना मारिया का डच स्मारक | चिनसुराह | हुगली |
| 66. | वृंदावन चंद्र मठ के नाम से मशहूर मंदिर समूह | गुप्तीपारा | हुगली |
| 67. | टीले | महानद | हुगली |
| 68. | मीनार | पांडुआ | हुगली |
| 69. | मस्जिद | पांडुआ | हुगली |
| 70. | मस्जिद एवं मकबरा | सतगांव | हुगली |
| 71. | (1) डेनिश कब्रिस्तान (2) उक्त दीवारों के घेरे में आने वाले सभी प्राचीन स्थल, सभी मकबरे, प्रस्तर स्मारक अवशेष तथा शिलालेख | सेरामपुर | हुगली |
| 72. | जफर खान गाजी की दरगाह के नाम से विख्यात वेदी एवं मस्जिद | त्रिवेणी | हुगली |
| 73. | डुप्लेक्स महल (इंस्टिट्यूट दी चंदन नगर) | चंदन नगर | हुगली |
| 74. | श्री मेयर घाट | हावड़ा | हावड़ा |
| 75. | मेटकाफ हॉल | कोलकाता | कोलकाता |
| 76. | सेण्ट जॉन चर्च (चर्च की बनावट) (अन्तिम अधिसूचना जारी नहीं हुई) | कोलकाता | कोलकाता |
| 77. | करेंसी बिल्डिंग | डलहौजी स्क्वेयर | कोलकाता |
| 78. | एशियाटिक सोसायटी बिल्डिंग | पार्क स्ट्रीट | कोलकाता |
| 79. | माघेन डेविसायनागॉग | वार्ड नं. 45 | कोलकाता |
| 80. | बेथ-उल-सायनागॉग | कोलकाता | |
| 81. | अदीना मस्जिद | पांडुआ (अदीना) | मालदा |
| 82. | बैसगाजी दीवार | गौड़ | मालदा |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 83. | बारादुआरी मस्जिद या बड़ी सुनहरी मस्जिद | गौड़ | मालदा |
| 84. | चांद सदागार का भीटा | गौड़ | मालदा |
| 85. | चमकती मस्जिद | गौड़ | मालदा |
| 86. | चीका मस्जिद | गौड़ | मालदा |
| 87. | दाखिल मस्जिद | गौड़ | मालदा |
| 88. | फिरोज मीनार | गौड़ | मालदा |
| 89. | गुमटी गेटवे | गौड़ | मालदा |
| 90. | गुणमंत मस्जिद | गौड़ | मालदा |
| 91. | कोतवाली दरवाजा | गौड़ | मालदा |
| 92. | लोटन मस्जिद | गौड़ | मालदा |
| 93. | लुकाचोरी गेटवे | गौड़ | मालदा |
| 94. | कादम रसूल मस्जिद | गौड़ | मालदा |
| 95. | फतेह खान का मकबरा | गौड़ | मालदा |
| 96. | टंटीपाड़ा मस्जिद | गौड़ | मालदा |
| 97. | टंटीपाड़ा मस्जिद के सामने दो मकबरे | गौड़ | मालदा |
| 98. | दो प्रस्तर स्तंभ | गौड़ | मालदा |
| 99. | मीनार | नीम सराय | मालदा |
| 100. | इकलाखी समाधि | पांडुआ | मालदा |
| 101. | कुतुब शाही मस्जिद | पांडुआ | मालदा |
| 102. | धर्मराज मंदिर | पाथरा | मिदनापुर |
| 103. | बंद्योपाध्याय परिवार का मंदिर | पाथरा | मिदनापुर |
| 104. | शीतला मंदिर | पाथरा | मिदनापुर |
| 105. | नवरत्न मंदिर परिसर | पाथरा | मिदनापुर |
| 106. | कुरम्बेरा किला | गगनेश्वर | मिदनापुर |
| 107. | जॉन पियर्स मकबरा | मिदनापुर | मिदनापुर |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 108. | मुर्शीद कुली खान की पुत्री अजीमुन्नीशा बेगम का मकबरा | अजीम नगर | मुर्शिदाबाद |
| 109. | रेजीडेंसी कब्रिस्तान जिसे स्टेशन बरियल ग्राऊंड नाम से भी जाना जाता है | बाबुलबोना बहरामपुर | मुर्शिदाबाद |
| 110. | भवानीश्वर मंदिर | बारानगर | मुर्शिदाबाद |
| 111. | चार शिव मंदिरों का चार बंगला ग्रुप | बारानगर | मुर्शिदाबाद |
| 112. | मीरमर्दन का मकबरा | फरीदपुर | मुर्शिदाबाद |
| 113. | डच कब्रिस्तान | कलिकापुर | मुर्शिदाबाद |
| 114. | प्राचीन अंग्रेज कब्रिस्तान या पुराना रेजीडेंसी कब्रिस्तान | कासिम बाजार | मुर्शिदाबाद |
| 115. | मस्जिद | खेरौल | मुर्शिदाबाद |
| 116. | अली वर्दी खान का मकबरा एवं सिराजुद्दौला का मकबरा | खोस बाग | मुर्शिदाबाद |
| 117. | बरकोना देउल नामक टीला | पंचथुपी | मुर्शिदाबाद |
| 118. | भूत टीला तथा राजा कर्ण महल के नाम से विख्यात टीले | रंगामाटी | मुर्शिदाबाद |
| 119. | सुजाउद्दीन का मकबरा | रोशनी बाग | मुर्शिदाबाद |
| 120. | मुर्शीद कुली खान का मकबरा एवं मस्जिद | सब्ज कटरा | मुर्शिदाबाद |
| 121. | जहाँ कोसा तोप | तप खाना | मुर्शिदाबाद |
| 122. | हजारदुआरी महल एवं इमामबाड़ा (मुर्शिदाबाद) | किला निजामत | मुर्शिदाबाद |
| 123. | दक्षिण गेट, केला निजामत | लाल बाग | मुर्शिदाबाद |
| 124. | इमामबाड़ा, केला निजामत | लाल बाग | मुर्शिदाबाद |
| 125. | सफेद मस्जिद, केला निजामत | लाल बाग | मुर्शिदाबाद |
| 126. | पीली मस्जिद, केला निजामत | लाल बाग | मुर्शिदाबाद |
| 127. | त्रिपोलिया गेट, केला निजामत | लाल बाग | मुर्शिदाबाद |
| 128. | नील कुटी टीला | मौजा चाक चंदपाड़ा | जिला मुर्शिदाबाद |
| 129. | बहानपुकुर टीला या किला के नाम से जाना जाने वाला टीला | बामनपुकुर | नादिया |
| 130. | किले का खंडहर | बामनपुकुर | नादिया |
| 131. | मंदिर | पालमारा | नादिया |
| 132. | तमलुक राजवटी | पदमवासन, तमलुक | पूर्व मिदनापुर |
| 133. | बांदा स्थित पुराना मंदिर | बांदा | पुरूलिया |

*[हिन्दी]*

## कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य

**97. श्री गणेश सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के निर्धारण के लिए मानदंड निश्चित करने हेतु स्वामीनाथन आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने में सरकार के सामने आ रही बाधाएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्यों द्वारा कृषि वस्तुओं की खरीद एमएसपी के अनुसार नहीं होने की स्थिति में क्या केन्द्र सरकार द्वारा कोई निगरानी की जाती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय कृषक आयोग (एनसीएफ) के विचारार्थ विषय में भारतीय कृषि के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल किया गया है न कि मात्र कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को निर्धारित करने के लिए मानकों के निर्धारण हेतु।

राष्ट्रीय कृषक आयोग ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भारित औसत उत्पादन लागत की तुलना में कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। हालांकि, इस सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश के उद्देश्ययुक्त मानदंड तथा विभिन्न संबंधित कारकों पर विचार करने के आधार पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा की जाती है। अतः, लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि को निर्धारित करने से बाजार पर प्रभाव पड़ सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं उत्पादन लागत के बीच अभियांत्रिकी समन्वय कुछ मामलों में पूरक उत्पादक हो सकता है।

(ग) और (घ) सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर तथा संबंधित राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) निर्धारण करती है।

(ङ) और (च) सरकार केन्द्रीय, राज्य एवं राज्यों की सहकारी एजेंसियों द्वारा किए गए प्रापण संचालनों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करती है।

राज्य सरकारों को समय-समय पर सतर्क किया जाता है कि वे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करे।

*[अनुवाद]*

## कृषि में वैज्ञानिक उपलब्धियां

**98. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**
**श्री आनंदराव अडसुल:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि क्षेत्र में सतत वृद्धि के बावजूद कृषि क्षेत्र में कई वैज्ञानिक उपलब्धियों का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में आदर्श कृषि प्रचलन के बावजूद प्रति हेक्टेयर अपेक्षित उत्पाद हासिल नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खाद्यान्नों और बागवानी फसलों की औसत पैदावार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, किंतु उनकी पूरी क्षमता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आदर्श कृषि क्रियाओं के तहत, प्रति हेक्टेयर अधिकतम प्रत्याशित पैदावार तभी प्राप्त की जा सकती है, जो आदर्श कृषि क्रियाएं देश भर में विभिन्न फसलों में भा.कृ.अ.प. द्वारा आयोजित अग्रपंक्ति के प्रदर्शनों में दिखाई जाती हैं। फिर भी, इस प्रकार के प्रदर्शनों से प्राप्त उपज और किसानों के खेतों में लगभग 25-30 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर का अंतर अभी भी है।

(घ) विभिन्न फसलों की उच्च फसल उत्पादकता को बनाए रखने के लिए लाभदायक फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर उत्पादकता बढ़ाने हेतु भा.कृ.अ.प. ने कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से अनेक पहलें शुरू की है।

## सांस्कृतिक समझौते

**99. डॉ. रत्ना डे:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान भारत ने किन-किन देशों के साथ सांस्कृतिक समझौते किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान नए प्रदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) संस्कृति मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष (2011-12) के दौरान किसी देश के साथ अभी तक कोई सांस्कृतिक समझौता नहीं किया है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

## दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवाएं

**100. श्री सी.आर. पाटिल:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/दूरदर्शन का विचार दूरदर्शन के डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाओं के माध्यम से और निःशुल्क चैनलों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन की डीटीएच सेवाओं का उपयोग केवल ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सेवा को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार/दूरदर्शन द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन):** (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्ष 2012 के दौरान दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म की क्षमता मौजूदा 59 टीवी चैनलों से बढ़कर 75 फ्री-टू-एयर चैनल हो जाने की आशा है।

(ग) और (घ) दूरदर्शन के डीटीएच सिगनल समस्त देश में उपलब्ध हैं। दूरदर्शन डीटीएच डायरेक्ट प्लस सेवा को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोमोज प्रसारित करता है।

*[अनुवाद]*

## लो-इंपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स

**101. श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार "लो-इंपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स" के संबंध में आंकड़ों के समाकलन (कोलेशन) को "प्रोसेस" करने के लिए कोई कार्य-योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को "ग्रामीण मुर्गीपालन विकास कार्यक्रम" के लिए "बर्ड्स" के आपूर्ति आधार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से जनता एवं गैर-सरकारी स्रोतों से कोई प्रस्ताव या सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) और (ख) घरेलू कुक्कुट के लिए उपयुक्त 'अल्प आदान प्रौद्योगिकी' पक्षियों की सूची भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'कुक्कुट विकास' के दिशानिर्देशों में पहले ही मौजूद है। इस प्रकार के पक्षियों के आपूर्ति आधार को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना मंगवाई गई थी।

(ग) और (घ) सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों अर्थात् केन्द्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, श्री वेंकटेश्वर पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय (तिरुपति), कर्नाटक पशुचिकित्सा, पशु और मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय (विदार), केरल कृषि विश्वविद्यालय (मनूती), तमिलनाडु पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान विश्वविद्यालय (चेन्नई), केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठनों, भारत सरकार, यशवंत एग्रीटेक प्रा.लि. जलगांव, महाराष्ट्र, इंडब्रो अनुसंधान और प्रजनन फार्म प्रा.लि. (हैदराबाद), केगफार्म्स प्रा.लि. (गुड़गांव) आदि से अनेक प्रस्ताव आर सिफारिशें प्राप्त हुई हैं।

(ङ) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 'कुक्कुट विकास' नामक योजना को अल्प आदान प्रौद्योगिकी

पक्षियों के उपलब्ध स्टॉक की ग्रामीण कुक्कुट विकास कार्यक्रम में इसकी उपयुक्तता की जांच करने और मौजूदा सूची को अद्यतन बनाने के प्रावधान के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने का फैसला किया है।

*[हिन्दी]*

**मध्यवर्ती बाजार योजना**

102. **श्री हरीश चौधरी:**
**राजकुमारी रत्ना सिंह:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में "मध्यवर्ती बाजार योजना" के अंतर्गत उचित लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या को निर्धारित करने के लिए कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या निकले;

(ग) अब तक इन मामलों के आधार पर सरकार द्वारा क्या रणनीति बनायी गयी है; और

(घ) उक्त रणनीति किस सीमा तक लागू की गयी है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) कृषि मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**जनसंख्या का दबाव**

103. **श्री हमदुल्लाह सईद:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौकरी की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के पलायन के कारण देश की राजधानी पर अत्यधिक जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बड़ी संख्या में लोगों के आने से सरकार की नजर में प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) राजधानी में भीड़-भाड़ कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि मास्टर प्लान दिल्ली (एम.पी.डी.-2021) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी का चरित्र विशिष्ट और बेजोड़ है। इसका विस्तार हो रहा है और यह किसी चुम्बक की भांति सम्पूर्ण देश के लोगों को आकृष्ट कर रही है और आस-पास के क्षेत्रों तो यह हब (केन्द्र स्थल) हैं। दिल्ली और उसके आस-पास के वह क्षेत्र जो इस राज्य अथवा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के तहत आते हैं, के मध्य यह एक अभासी शहरी सतत् श्रृंखला है। एम.पी.डी.-2021 के अनुसार वर्ष 2021 तक स्वाभाविक वृद्धि और प्रवास के द्वारा आबादी में निवल वृद्धि प्रत्येक श्रेणी में 24 लाक होने का अनुमान है।

(घ) एमपीडी-2021 के अनुसार उप क्षेत्रीय विकास की रूप रेखा में निम्न परिकल्पनाएं की गई है:-

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का कोई भी नया कार्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तथापि, यह तभी संभव हो सकेगा जब उपयुक्त प्रोत्साहनों और हतोत्साहनों समेत समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर ली जाएगी।

(2) दिल्ली में औद्योगिक वृद्धि ऐसी हाई-टेक इकाईयों तक सीमित रहेगी जिनमें तकनीकी ज्ञान, कम जन शक्ति और ऊर्जा की जरूरत होती है और जिनसे कोई प्रदूषण/परेशानियां उत्पन्न नहीं होती।

(3) प्रमुख क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट कोरीडोर और संचार तंत्र को सशक्त बनाया जाएगा ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सके और वितरणात्मक व्यापार का विकेन्द्रीयकरण किया जा सके।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड ने सूचित किया है कि सितम्बर, 2005 में उसने क्षेत्रीय आयोजना 2021 को अधिसूचित किया है जिसमें सतत् शहरी विकास के लिए नीतियां और प्रस्ताव शामिल हैं और जिसमें जनसंख्या (पुनः वितरण), बसावट तंत्रों, क्षेत्रीय भू-उपयोग पद्धतियों, कार्यकुशल और मितव्ययता पूर्ण संयोजन, भौतिक और सामाजिक अवसंरचना विकास, पर्यावरणीय कारकों और आर्थिक गतिविधियों के संबंध में अंतः संबंधित नीतिगत रूपरेखा के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति की अपेक्षा की गई है।

**भारत-नेपाल गृह सचिव स्तर की वार्ता**

104. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
**श्री प्रदीप माझी:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में भारत और नेपाल के बीच गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर विचार किया गया उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर दोनों देशों में सहमति है; और

(घ) पिछली बैठकों में दोनों देशों द्वारा सहमत मुद्दों पर अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) जी, हां। भारत और नेपाल के बीच गृह सचिव स्तर की वार्ता दिनांक 16-17 जनवरी, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(ख) से (घ) बैठक के दौरान आतंकवादी गतिविधियों से मुकाबला करने, सीमा-पार से होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने, जाली भारतीय करेंसी नोटों के परिचालन, हथियारों/गोलाबारूद की तस्करी, स्वापक एवं मनःप्रभावी पदार्थों की तस्करी, सिम कार्डों के दुरुपयोग, सूचना/आसूचना रिपोर्टों के आदान-प्रदान, एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना तथा सीमा सड़कों के संबंध में हुई प्रगति और नेपाल के सुरक्षा तंत्र के प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण में भारत की सहायता के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

जिन मुद्दों पर दोनों देशों में सर्वसम्मति थी, वे हैं-आतंकवादी गतिविधियों से मुकाबला करना, सीमा-पार से होने वाले अपराधों का अंकुश लगाना, जाली भारतीय करेंसी नोटों का परिचालन, हथियारों/गोलाबारूद की तस्करी, स्वापक एवं मनःप्रभावी पदार्थों की तस्करी, सिम कार्डों के दुरुपयोग, सूचना/आसूचना रिपोर्टों का आदान-प्रदान, एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना तथा सीमा सड़कों के संबंध में हुई प्रगति और नेपाल के सुरक्षा तंत्र के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में भारत की सहायता।

दोनों देशों ने अब तक हुई प्रगति तथा बैठक के दौरान मुद्दों पर हुए विचार-विमर्श के परिणाम पर संतोष प्रकट किया और आशा व्यक्त की कि इससे पारस्परिक सुरक्षा चिंताओं से निपटने, दोनों देशों के बीच सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

*[हिन्दी]*

**लोक कलाओं को बढ़ावा देना**

105. **कुमारी मीनाक्षी नटराजन:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लोक कलाओं एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार लोक कलाओं को पेंशन सहित वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार लोक कलाओं एवं संस्कृति के संवर्द्धन के लिए शोध संस्थानों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त संस्थान कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) सरकार ने देश में पारंपरिक लोक कलाओं और संस्कृति के परिरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) की स्थापना की है। जेडसीसी ने विभिन्न कार्यकलाप शुरू किये हैं तथा अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुसार राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय "साहित्य, कला और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे विशिष्ट व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता" की स्कीम के अंतर्गत अभावग्रस्त परिस्थितियों में लोक कलाकारों सहित कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय कोटा के अंतर्गत लाभ पाने वाले को 4000/- रु. प्रतिमाह तथा केन्द्रीय-राज्य कोटा के अंतर्गत लाभार्थियों को 3500/- रु. प्रतिमाह की सहायता और संबंधित राज्य सरकार से 500/- रु. की सहायता प्रतिमाह प्राप्त होती है।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत, लोक कलाकारों सहित होनहार/विशिष्ट कलाकारों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

(1) 'विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को शिक्षावृत्ति'। इस स्कीम के अंतर्गत 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक 5000/- रु. प्रतिमास की 400 शिक्षावृत्तियां प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाती हैं।

(2) 'संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्तियां'। इस स्कीम के अंतर्गत 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक 20,000/- रु. प्रतिमाह की दर से 200 वरिष्ठ अध्येतावृत्तियां तथा 10,000/- रु. प्रतिमाह की दर से 200 कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां प्रतिवर्ष प्रदान की जाती हैं।

(घ) और (ङ) जम्मू और कश्मीर के गुर्जरों, बकरवालों और पहाड़ी बोलने वाले समुदायों के लिए सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

## खाद्यान्नों से अल्कोहल का उत्पादन

**106. श्री जयवंत गंगाराम आवले:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अल्कोहल के उत्पादन में खाद्यान्न का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) अल्कोहल राज्य का विषय है। अल्कोहल के निर्माण और इसकी मॉनिटरिंग आदि संबंधी सभी मामलों पर कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। मंत्रालय खाद्यान्नों से अल्कोहल तैयार करने संबंधी डाटाबेस नहीं रखता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

## अदरक की खेती

**107. श्री एंटो एंटोनी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में अदरक के उत्पादन एवं औसत मूल्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि अदरक उगाने वाले किसान अदरक की खेती में भारी हानि के कारण आत्महत्या कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में इन किसानों के लिए कोई योजना प्रारंभ करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में अदरक का उत्पादन तथा इसका औसत मूल्य, निम्नलिखित हैं:

| वर्ष | उत्पादन (000 मी. टन) | औसत मूल्य रुपये/क्विंटल |
|---|---|---|
| 2008-09 | 610.38 | 9212.00 |
| 2009-10 | 679.29 | 12760.00 |
| 2010-11 | 701.99 | 18832.00 |

विगत तीन वर्षों के दौरान अदरक का राज्य-वार उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि तथा बागवानी के 35 उत्पादों के लिए जो सामान्यत: शीघ्र ऋण प्रकृति के हैं तथा जिन्हें मूल्य समर्थन मूल्य योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है, मण्डी मध्यस्थता स्कीम (एमआईएस), कार्यान्वित करता है। एमआईएस का उद्देश्य बंपर फसल उत्पादन में संकट बिक्री से जब मण्डी में फसलों की अधिकता हो, इन उत्पादों के उत्पादकों को बचाना है। जब मूल्य आर्थिक स्तर/उत्पादन की लागत से नीचे चला जाए। यदि क्षति, कोई हो, अधिप्राप्ति एजेंसियों द्वारा, केन्द्रीय सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार के मध्य 50:50 के आधार पर बांटा जाता है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग, एक आधारित क्षेत्रीय वैविध्यकृत समूह प्रणाली को अपनाकर (1) पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन तथा (2) अदरक सहित बागवानी मिशन नामक दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है। इन स्कीमों के अंतर्गत, गुणवत्ता बीजों का उत्पादन, समेकित कीट एवं पोषक तत्व प्रबंधन, कटाई उपरान्त प्रबंधन तथा मण्डी अवसंरचनाओं की स्थापना, आदि जैसे विभिन्न क्रियाकलापों को आरम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*विवरण*

*विगत तीन वर्षों के दौरान भारत में अदरक का उत्पादन*

(000 मीटरी टन में)

| राज्य | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 11.68 | 16.67 | 16.67 |
| अरुणाचल प्रदेश | 41.79 | 49.66 | 53.00 |
| असम | 103.92 | 107.89 | 119.62 |
| बिहार | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| छत्तीसगढ़ | 2.11 | 1.78 | 1.42 |
| गुजरात | 49.50 | 47.69 | 69.58 |
| हरियाणा | 2.28 | 3.58 | 7.79 |
| हिमाचल प्रदेश | 18.81 | 13.96 | 16.76 |
| कर्नाटक | 81.16 | 135.03 | 100.00 |
| केरल | 30.81 | 28.60 | 28.66 |
| मध्य प्रदेश | 9.34 | 9.68 | 9.68 |
| महाराष्ट्र | 1.20 | 1.10 | 1.04 |
| मणिपुर | 5.82 | 7.93 | 3.84 |
| मेघालय | 50.29 | 54.01 | 53.64 |
| मिजोरम | 34.29 | 31.00 | 32.50 |
| नागालैंड | 32.00 | 34.00 | 35.44 |
| ओडिशा | 30.80 | 30.80 | 30.80 |
| राजस्थान | 0.36 | 0.47 | 0.46 |
| सिक्किम | 40.64 | 43.19 | 45.89 |
| तमिलनाडु | 16.34 | 13.87 | 26.70 |
| त्रिपुरा | 7.12 | 7.93 | 7.60 |
| उत्तर प्रदेश | 2.08 | 2.35 | 2.54 |
| उत्तराखंड | 11.84 | 11.84 | 11.84 |
| पश्चिम बंगाल | 23.83 | 23.83 | 23.83 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1.53 | 1.58 | 1.85 |
| अखिल भारत | 610.38 | 679.29 | 701.99 |

स्रोत: सुपारी तथा मसाला विकास निदेशालय, कोजीकोड, केरल।

## कृषि उत्पाद का दोहन

108. **श्री इन्दर सिंह नामधारी:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखंड सहित देश के कृषि उत्पादों के दोहन के लिए किसी रोडमैप की परिकल्पना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार झारखंड के चतरा तथा लातेहार जिलों में सिमरिया/बालूमाथ ब्लॉकों के समीप टमाटर प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक चालू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में झारखण्ड समेत पूरे देश के लिए तैयार किए गए विजन 2015 में वर्ष 2015 तक शीघ्र सड़ने-गलने वाले पदार्थों के प्रसंस्करण स्तर में 6% से 20% बढ़ोतरी करने, मूल्यवृद्धि 20% से 35% और विश्व खाद्य व्यापार में भारत के हिस्से को 1.5% से बढ़ाकर 3% करने की व्यवस्था की गई है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। सरकार झारखण्ड के चतरा तथा लातेहार जिलों में सिमरिया/बालूमाथ ब्लॉकों के समीप टमाटर प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने पर विचार नहीं कर रही है। फिर भी, मंत्रालय अपनी खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण योनजा स्कीम के अंतर्गत झारखण्ड समेत देश में नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और मौजूदा यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं विस्तार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस स्कीम के अंतर्गत, प्रति परियोजना संयंत्र और मशीनरी तता तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु 50.00 लाख रुपये और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75.00 लाख रुपये की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*[हिन्दी]*

## एफ.सी.आई. गोदामों से चोरी

109. **प्रो. रमाशंकर:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत देश की लगभग तीन-चौथाई जनसंख्या को सस्ते दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गरीबों के वितरण के लिए नियत खाद्यान्नों की चोरी की कतिपय घटनाएं प्रकाश में आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए और उन पर क्या कार्रवाई की गई?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) लोक सभा में 22.12.2011 को पुर:स्थापित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 में अन्य बातों के साथ-साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी के 75% तक (जिसमें कम से कम 46% प्राथमिकता परिवार) और शहरी आबादी के 50% तक (जिसमें कम से कम 28% प्राथमिकता परिवार) को हकदार बनाने की बात कही गई है। विधेयक के अनुसार प्राथमिकता वाले परिवार 7 किग्रा. खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह लेने के लिए पात्र होंगे, जिनके मूल्य चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के लिए क्रमश: 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होंगे। सामान्य परिवार कम से कम 3 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह पाने के लिए पात्र होंगे, जिसमें गेहूं और मोटे अनाजों के लिए मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से 50% से अधिक नहीं होंगे और चावल के लिए मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से निकाले गये मूल्य के 50% से अधिक नहीं होंगे।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के रिकार्ड के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गरीबों को वितरित करने के लिए रखे गये खाद्यान्नों की उठाईगिरी की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। तथापि क्षेत्रों से चोरी होने के मामलों की सूचना प्राप्त हुई है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित चोरी के मामलों के ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है, जिनके लिए ऐसे मामलों को रोकने/पता लगाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है:-

(1) गोदामों/परिसरों में चारदीवारियों पर कांटेदार तार लगाना, स्ट्रीट लाइट का प्रावधान करना और शेडों में उचित रूप से ताले लगाना।

(2) स्टाक की सुरक्षा के लिए भारतीय खाद्य निगम के सुरक्षा कर्मचारी तथा होमगार्ड, विशेष पुलिस अधिकारी जैसी एजेंसियां तैनात की जाती हैं।

(3) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशील डिपुओं/गोदामों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राज्य सशस्त्र पुलिस तैनात की जाती है।

(4) सुरक्षा खामियों का पता लगाने और उन्हें दुरुस्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर डिपुओं के सुरक्षा निरीक्षण और औचक जांच की जा रही है।

(5) जहां कहीं ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं वहां पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई हैं। इसके अलावा निवारक उपाय के रूप में हानि की रिकवरी सहित विभागीय कार्रवाई की गयी है।

## *विवरण*

*1.4.2008 से 31.3.2009 की अवधि के दौरान चोरी/उठाईगीरी के मामलों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण*

| क्र.सं. | अंचल/क्षेत्र/डिपु का नाम | घटना की तारीख | वस्तु/मात्रा की क्षति की प्रकृति | शामिल राशि (रुपए में) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| | **उत्तर क्षेत्र:** | | | | |
| | **हरियाणा क्षेत्र** | | | | |
| 1. | रेलशीर्ष तरोरी | 5.4.2008 | 15 कट्टा गेहूं की चोरी (7,50,000 क्विंटल) | 11,362.50 | रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बरामद चोरी हुए बोरे-मामला बंद |
| | **राजस्थान क्षेत्र** | | | | |
| 2. | खाद्य भंडारण डिपु सवाईमाधोपुर | 12/13.6.2008 | 8 कट्टा गेहूं की चोरी (4,00,000 क्विंटल) | 6060.00 | मामला बंद (चूककर्ताओं से वसूल की गई राशि) |
| | जोड़ | 11.50 क्विंटल | | 17,422.50 | |

*1.4.2009 से 31.3.2010 की अवधि के दौरान चोरी के मामलों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण*

| क्र.सं. | अंचल/क्षेत्र/डिपु का नाम | घटना की तारीख | वस्तु/मात्रा की क्षति की प्रकृति | शामिल राशि (रुपए में) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| | **उत्तर क्षेत्रः** | | | | |
| | **पंजाब क्षेत्र** | | | | |
| 1. | खाद्य भंडारण डिपु किला रायपुर | 31/9-1.9.2009 | 132 कट्टे गेहूं की चोरी 107 कट्टे शेष (53.50.000 क्विंटल) | 66875.00 | 25 कट्टा बरामद |
| 2. | खाद्य भंडारण डिपु दीनपुर, अमृतसर | 18/19.03.2010 | आरआर चावल के 53 बोरों की चोरी | 56604.00 | मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। |
| | **राजस्थान क्षेत्र** | | | | |
| 3. | कैप अलवर | 26/27.7.2009 | 31 कट्टे गेहूं की चोरी (15.05.000 क्विंटल) | 23808.00 | दोषियों से धनराशि बरामद कर ली गई है। मामला न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। |
| 4. | कैप नोखा बीकानेर | 12.01.2010 | 1 कट्टे गेहूं की चोरी (50 किग्रा.) | - | 1 कट्टा बरामद कर लिया गया है और उसे पुलिस द्वारा कैप नोखा में जमा कर दिया गया है। |
| | **उत्तर प्रदेश क्षेत्र** | | | | |
| 5. | सी.बी. गंज, बरेली | 12.01.2010 | 147 कट्टे चावल की चोरी (73.20.000 क्विंटल) | 157070.00 | मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। |
| 6. | कोसीकलां | 13/14.3.2010 | 110 कट्टे चावल की चोरी (55.00 क्विंटल) | 83930.00 | मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। |
| | **महाराष्ट्र क्षेत्र** | | | | |
| 7. | गोवा | 27.3/03.04.2009 | 236 कट्टे चावल की चोरी (ग्रेड 'ए' के 118 क्विंटल) | 97,940/- | 30.04.2009 को प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। मामला प्रक्रियाधीन है। |
| | जोड़ | | 341.75 क्विंटल (34.1 टन) | 4,86,227.00 | |

*1.4.2010 से 31.3.2011 की अवधि के दौरान चोरी के मामलों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण*

| क्र.सं. | अंचल/क्षेत्र/डिपु का नाम | घटना की तारीख | वस्तु/मात्रा की क्षति की प्रकृति | शामिल राशि (रुपए में) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **उत्तर अंचल** | | | | |
| | **राजस्थान क्षेत्र** | | | | |
| 1. | श्री गंगानगर | 19/20.08.2010 | गेहूं के 56 बोरों की चोरी (28 क्विंटल) | - | मामले का निपटान कर दिया गया है। (चावल के 56 बोरे बरामद कर लिए गए) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **पश्चिम अंचल** | | | | |
| | **मध्य प्रदेश क्षेत्र** | | | | |
| 1. | भोपाल | 3.05.2010 | आग लगाने से चावल के 8 बोरे बर्बाद (4.00 क्विंटल) | 7200/- रुपए | मामला प्रक्रियाधीन है। |
| | **उत्तरी अंचल** | | | | |
| | **पंजाब क्षेत्र** | | | | |
| 1. | बफर परिसर पटियाला | 7.1.2011 | चावल के 117 बोरों की चोरी (58.50) (6 टन) | 81,900/- रुपए | मामला प्रक्रियाधीन है। |
| | जोड़ | | (62.50 क्विंटल (6.5 टन) | 89,100/- रुपए | |

*1.4.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान चोरी/उठाईगीरी के मामलों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण*

| क्र.सं. | अंचल/क्षेत्र/डिपु का नाम | घटना की तारीख | वस्तु/मात्रा की क्षति की प्रकृति | शामिल राशि (रुपए में) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| | **उत्तर अंचल पंजाब क्षेत्र** | | | | |
| 1. | खाद्य भंडारण डिपु लादुका, फिरोजपुर | 17.5.2011 | गेहूं के 10 बोरों की चोरी (5 क्विंटल) (05. टन) | 7000 रुपए | मामला प्रक्रियाधीन है। |
| 2. | खाद्य भंडारण डिपु रो, शाहजहांपुर | 2/3.11.2010 और | गेहूं और चावल के 195 कट्टों की चोरी | 2,88,075.00 रुपए | मामला 21.9.2011 को सूचित किया गया और सुरक्षा एजेंसी |
| | | 7/8.11.2010 | 97.50 क्विंटल | | से 2,51,475/- रुपए बरामद कर लिए गए हैं। |
| 3. | कैंप अलवर | 24.11.2011 | 42 कट्टे (21.00 क्विंटल) | 57,036.34 रुपए | बरामदगी कर ली गई है और खाद्यान्नों को गोदाम में जमा करवा दिया गया है। |
| | जोड़ | | 123 क्विंटल (12.3 टन) | 3,52,111.34 रुपए | 2,51,475/- रुपए की धनराशि बरामद |

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) द्वारा संरक्षित स्मारक**

**110. श्री पी. विश्वनाथन:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) के संरक्षण में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) सहित देश में कौन-कौन से स्मारक हैं;

(ख) क्या शेरशाह द्वारा और खैल-उल-मंजिल मस्जिद सहित उक्त स्मारकों के लिए उपनियम को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एन.एम.ए.) ने अनुमोदित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो स्मारक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त स्मारकों पर इसके आस-पास रहने वाले लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अतिक्रमण हटाने और लोगों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के पास किसी स्मारक/स्थल को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित अपने क्षेत्राधिकार के अधीन 3677 स्मारकों/स्थलों की देखभाल करता है। राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) और (ग) जी, हां। इन दो स्मारकों के लिए विरासत उपनियम प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (विरासत उपनियम बनाना और सक्षम प्राधिकरण के अन्य कार्य) नियमावली, 2011 के नियम 22 के अनुसार बनाये गये हैं तथा दूसरी अनुसूची के तहत पैरामीटर परिभाषित किये गये हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*विवरण*

*भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की राज्य-वार सूची*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | स्मारकों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 137 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 03 |
| 3. | असम | 55 |
| 4. | बिहार | 70 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 47 |
| 6. | दमन और दीव (संघ शासित क्षेत्र) | 12 |
| 7. | गोवा | 21 |
| 8. | गुजरात | 202 |
| 9. | हरियाणा | 90 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 40 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 69 |
| 12. | झारखंड | 12 |
| 13. | कर्नाटक | 507 |
| 14. | केरल | 26 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 292 |
| 16. | महाराष्ट्र | 285 |
| 17. | मणिपुर | 01 |
| 18. | मेघालय | 08 |
| 19. | नागालैंड | 04 |
| 20. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली | 174 |
| 21. | ओडिशा | 78 |
| 22. | पुडुचेरी (संघ शासित क्षेत्र) | 07 |
| 23. | पंजाब | 33 |
| 24. | राजस्थान | 163 |
| 25. | सिक्किम | 03 |
| 26. | तमिलनाडु | 413 |
| 27. | त्रिपुरा | 08 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | 742 |
| 29. | उत्तराखंड | 042 |
| 30. | पश्चिम बंगाल | 133 |
| | कुल योग | 3677 |

**यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत क्षमता निर्माण**

**111. श्रीमती सुप्रिया सुले:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य स्तरीय नोडल निकायों और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण हेतु छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुविचारित और प्रस्तुत ऐसी परियोजनाओं के विशिष्ट दिशानिर्देश और ब्यौरे क्या हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 9 में दिए प्रावधान के अनुसार, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित अनुसार अधिकतम 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान स्वीकृति कर सकती है:-

1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1.5%।
2. परियोजना/स्कीम से संबंधित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 1.5%।
3. परियोजनाओं में दक्षता लाने के लिए 1%।
4. नव प्रवर्तक दृष्टिकोण अपनाने और प्रामाणिक तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए 1%।

(ख) अब तक राज्यों की राज्य स्तरीय स्वीकृति समितियों ने 288 परियोजनाओं में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए प्रोत्साहन स्वीकृत किए हैं। तद्नुसार राज्यों को 75.24 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है। महाराष्ट्र राज्य के मामले में, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति ने 22 परियोजनाओं में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहन अनुमोदित किए हैं जिसके लिए राज्य को 8.55 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

## कृषि में सार्वजनिक

**112. श्री राधे मोहन सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मदों के उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका है; और

(ख) देश में कृषि उत्पादन पर उनके द्वारा गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष व्यय की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौर क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) कृषि राज्य का विषय है। भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत निधि आवंटनों के माध्यम से राज्य के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करती है। देश में कृषि उत्पादन में सुधार लाने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा प्रत्येक तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि नीचे सारणी में दी गई है।

| वर्ष | व्यय (लाख रुपये में) |
|---|---|
| 2008-09 | 953030.07 |
| 2009-10 | 1087015.12 |
| 2010-11 | 1705258.97 |
| 2011-12* | 1462953.62 |

*6.3.2012 तक व्यय

*[हिन्दी]*

## कृषि विकास संगोष्ठी

**113. श्रीमती मीना सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में "कृषि विकास" संबंधी एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्यान्नों और फलों का उत्पादन बढ़ाने में नई प्रौद्योगिकी लागू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अगले तीन वर्षों में उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) से (ङ) जी नहीं, यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपालों की समिति द्वारा विचार-विमर्श के भाग रूप में, 15.02.2012 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में वर्षा सिंचित/शुष्क भूमि कृषि के लिए विशिष्ट संदर्भ के साथ कृषि में पणधारकों के बीच सहभागिता के संवर्धन हेतु नीति उपक्रमों के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति लाना (बीजीआरईआई) त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (एबीपी), गहन कदन्न संवर्धन के माध्यम

से समेकित पोषकीय सुरक्षा (आईएनएसआईएमपी) जैसे कई नवीन कार्यक्रम कलस्टर मोड एप्रोच में खण्ड प्रदर्शनों के आयोजन के द्वारा किसानों के बीच प्रौद्योगिकियां/हस्तक्षेपों का संवर्धन किया जा रहा है। संसाधन कुशल कृषि पद्धतियों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के अंतर्गत चावल गहनीकरण प्रणाली (एसआरआई) तथा बीजीआरईआई और एनएफएसएम के अंतर्गत कतारबद्ध बीज बुआई/प्रतिरोपण किए जा रहे हैं। कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), देश में, विपणन अवसंरचना की स्थापना सहित पुराने तथा सुगंधित बागानों के पुनरुद्धार/पुर्नरोपण संरक्षित खेती, जैविक कृषि, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन/समेकित कीट प्रबंधन, कटाई उपरान्त प्रबंधन के माध्यम से बागवानी फसलों के लिए, पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एनएचएम) नामक दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों भी कार्यान्वित कर रहा है।

बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए फसल उत्पादन में अनुमानित वृद्धि को 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में योजना आयोग द्वारा आकलित किया जाएगा। तद्नुसार, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा प्रति वर्ष फसलवार तथा मौसमवार, राष्ट्रीय फसल उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

*[अनुवाद]*

## कृषि पद्धति

**114. डॉ. पी. वेणुगोपालः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदर्श कृषि पद्धति के अंतर्गत प्रति हैक्टेयर फसल उत्पादन और संभाव्य उत्पादन क्षमता में अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) जी, हां।

(ख) यदि प्रबंध क्रियाएं सर्वोत्तम नहीं हैं तो प्राप्त उपज प्रभावित हो सकती है। प्राप्ति योग्य उपज तथा वास्तविक उपज के बीच अंतर का कारण विभिन्न प्रकार के दबावों जैसे रोग, कीट नाशीजीव, खरपतवारों तथा अजैविक दबावों जैसे सूखा, लवणीयता, बाढ़, अत्यधिक तापमान, आदि का प्रभावित होना है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली अधिक पैदावार तथा दबाव सहिष्णु फसल की किस्मों के विकास के लिए अनुसंधान चला रही है। ऐसी कृषि प्रौद्योगिकियों को ऑन फार्म ट्रायल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा प्रसार तंत्र द्वारा उन्हें प्रसारित किया जाता है।

*[हिन्दी]*

## भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करी

**115. श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-बंगलादेश सीमा के आर-पार तस्करी के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तस्करी के कितने मामले प्रकाश में आए हैं और इनसे जब्त किए गए माल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समा पर तस्करी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम राज्य में फैली 4096.70 किमी. लम्बी भारत-बांग्ला देश सीमा की निगरानी, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा की जाती है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (फरवरी, 2010 तक) निम्नलिखित जब्तियां की गईं:-

| वर्ष | स्वापक पदार्थ | जाली भारतीय करेंसी नोट (मूल्य रु. में) | हथियार (संख्या) | जानवर (संख्या) | फेन्सीडाइल (संख्या) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 9549 | 2843390 | 65 | 114790 | 418440 |
| 2010 | 9292 | 3226900 | 70 | 101381 | 327393 |
| 2011 | 8598 | 4486300 | 45 | 135291 | 400673 |
| 2012 (फरवरी तक) | 675 | 238500 | 4 | 16807 | 41465 |

(ग) सरकार ने तस्करी सहित अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावकारी अधिपत्य कायम रखने हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) सीमाओं पर चौबीसो घण्टे निगरानी और गश्त। नदीघाटीय सीमाओं के अधिपत्य का कार्य वाटर क्राफ्टों और फ्लोटिंग सीमा चौकियों (बीपीओ) के माध्यम से किया जा रहा है।

(ii) प्रेक्षण चौकियों की स्थापना।

(iii) सीमा पर बाड़ लगाना तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करना।

(iv) आधुनिक एवं उच्च प्रौद्योगिकी वाले निगरानी उपकरणों का समावेश।

(v) सीमा चौकियों की आपसी-दूरी को कम करने के लिए सीमाओं पर अतिरिक्त सीमा चौकियों की स्थापना।

(vi) आसूचना तंत्र का उन्नयन करना।

(vii) संबंधित राज्य सरकारों और आसूचना एजेंसियों के साथ समुचित समन्वय।

## दुर्घटना की घटनाएं

116. **श्री तूफानी सरोज:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में काफी संख्या में पैदल यात्री दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दुर्घटनाओं में मारे गए घायल पैदल यात्रियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्ष 2009, 2010, 2011 और 2012 (29.02.2012 तक) के दौरान मारे गए तथा घायल हुए पैदल यात्रियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| वर्ष | घायल हुए व्यक्ति | मारे गए व्यक्ति |
|---|---|---|
| 2009 | 2677 | 1170 |
| 2010 | 2464 | 960 |
| 2011 | 2488 | 937 |
| 2012 (29/02 तक) | 435 | 130 |

(ग) इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(i) दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में यातायात पुलिस कार्मिकों की तैनाती में वृद्धि।

(ii) महत्वपूर्ण स्थानों, जहां पैदल यात्रियों का आवागमन अधिक होता है, में पैदल यात्री यातायात सिग्नल लगाना तथा उनका प्रावधान।

(iii) पैदल यात्रियों की अपनी इच्छा से सड़क पार करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण सड़कों के मध्य में लोहे की रेलिंग का प्रावधान।

(iv) पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें शिक्षित किए जाने के मामले में सड़क सुरक्षा विज्ञापन और प्रचार।

(v) सड़कों पर फुट-पाथ तथा यातायात जंक्शनों पर धीमी गति के उपायों का प्रावधान।

(vi) यातायात जंक्शनों पर पेंटिंग तथा जेबरा क्रासिंग का प्रावधान।

(vii) यात्रियों का उचित रूप से चढ़ना और उतरना सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में महत्वपूर्ण बस-अड्डों पर बस-स्टॉप अनुशासन।

(viii) दिल्ली के महत्वपूर्ण भागों में सुगम यातायत परिचालन योजनाएं शुरू करना।

(ix) दुर्घटना-संभावित क्षेत्रों में यातायात सिग्नल/ब्लिन्कर्स लगाना।

(x) दुर्घटना संभावित स्थानों पर यातायात पुलिस कार्मिकों द्वारा सचल गश्त।

(xi) निर्धारित गति से अधिक गति से, शराब पीकर गाड़ी चलाने आदि के लिए विशेष रात्रि जांच अभियान।

(xii) दिल्ली में यातायात नियमों और विनियमों का कड़ाई से प्रवर्तन। दुर्घटना संभावित सड़कों/क्षेत्रों में विशेष प्रवर्तन अभियान।

(xiii) महत्वपूर्ण स्थानों पर सड़क सुरक्षा संदेश देने के लिए सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का प्रयोग।

(xiv) उपचारी उपाय सुनिश्चित करने के लिए ब्लैक स्पाट्स तथा स्थानों की पहचान।

## खाद्यान्नों की खरीद

117. **श्री कपिल मुनि करवारिया:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की खरीद की कुल मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसमें गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की खरीद हेतु भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों को भी शामिल किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या ये अन्य एजेंसियां उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान उक्त एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम की खरीद हेतु निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्य-वार और अनाज-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आगामी सत्र के दौरान खरीद में सुधार तथा और अधिक खरीद केन्द्र खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) वर्तमान वर्ष के दौरान खरीदे गये खाद्यान्नों की कुल मात्रा और पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिये गये हैं।

(ख) जी, हां। खाद्यान्नों की खरीदारी करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के अलावा राज्य सरकारें अपने स्तर पर एजेंसियों को इस काम में लगाती हैं।

(ग) और (घ) मौजूदा खरीद नीति के अनुसार केन्द्र सरकार खुली प्रक्रिया के जरिये भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों/राज्य एजेंसियों के जरिये धान और गेहूं हेतु मूल्य समर्थन प्रदान करती है। निर्दिष्ट खरीद केन्द्रों पर किसानों द्वारा बिक्री के लिए पेशकश किये गये विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप समस्त खाद्यान्न न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद एजेंसियों द्वारा खरीद लिये जाते हैं। किसानों के पास यह विकल्प होता है कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों को अथवा कुले बाजार में, जहां भी उन्हें लाभकारी हो, अपना उत्पाद बेच सकते हैं।

तथापि, प्रत्येक विपणन मौसम की शुरूआत में खाद्य सचिवों की बैठक की जाती है और खरीदे जाने वाले खाद्यान्नों की प्रत्याशित मात्रा के राज्यवार अनुमान तैयार किये जाते हैं।

पिछले 1 वर्ष और वर्तमान वर्ष के लिए चावल और गेहूं के खरीद अनुमान और राज्यवार वास्तविक खरीद संलग्न विवरण-III और IV में दी गई है।

(ङ) आगामी मौसम के दौरान खरीद में सुधार करने और अधिक खरीद केन्द्र खोलने के लिए उठाये गये पग संलग्न विवरण-V में दिये गये हैं।

### *विवरण I*

*विपणन मौसमवार गेहूं की खरीद*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2010-11 | 2011-12 | पिछले वर्ष से वृद्धि/कमी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | पंजाब | 102.09 | 109.57 | 7.48 |
| 2. | हरियाणा | 63.47 | 69.28 | 5.81 |
| 3. | उत्तर प्रदेश | 16.45 | 34.61 | 18.16 |
| 4. | मध्य प्रदेश | 35.38 | 49.65 | 14.27 |
| 5. | बिहार | 1.83 | 49.65 | 14.27 |
| 6. | राजस्थान | 4.76 | 13.03 | 8.27 |
| 7. | उत्तराखंड | 0.86 | 0.42 | -0.44 |
| 8. | चंडीगढ़ | 0.09 | 0.07 | -0.02 |
| 9. | दिल्ली | 0.10 | 0.08 | -0.02 |
| 10. | गुजरात | 0.01 | 1.05 | 1.04 |
| 11. | झारखंड | नगण्य | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12. | महाराष्ट्र | – | – | – |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | नगण्य | नगण्य | – |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 0.09 | – | -0.09 |
| | जोड़ | 225.14 | 283.34 | 58.20 |

नगण्य-500 टन से कम

### *विवरण II*

*विपणन मौसमवार चावल की खरीद*

(आंकड़े टन में)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2010-11 (7.3.11 को) | 2011-12 (7.3.12 को) | पिछले वर्ष से वृद्धि/कमी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आंध्र प्रदेश | 34.30 | 40.78 | 6.48 |
| असम | 0.06 | 0.04 | -0.01 |
| बिहार | 3.50 | 9.67 | 6.18 |
| चंडीगढ़ | 0.10 | 0.13 | 0.03 |
| छत्तीसगढ़ | 34.81 | 40.84 | 6.03 |
| दिल्ली | – | – | – |
| गुजरात | – | 0.04 | 0.04 |
| हरियाणा | 16.58 | 19.76 | 3.18 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| झारखंड | 0.00 | 1.53 | 1.53 |
| जम्मू और कश्मीर | 0.11 | 0.02 | -0.09 |
| कर्नाटक | 1.33 | 2.27 | 0.93 |
| केरल | 0.88 | 1.34 | 0.46 |
| मध्य प्रदेश | 2.18 | 6.32 | 4.14 |
| महाराष्ट्र | 1.54 | 1.33 | -0.21 |
| नागालैंड | – | – | – |
| ओडिशा | 15.31 | 16.81 | 1.50 |
| पुडुचेरी | 0.12 | 0.02 | -0.11 |
| पंजाब | 86.34 | 77.31 | -9.02 |
| राजस्थान | – | – | – |
| तमिलनाडु | 8.75 | 11.00 | 2.26 |
| उत्तर प्रदेश | 19.30 | 27.81 | 8.51 |
| उत्तराखंड | 2.76 | 2.69 | -0.07 |
| पश्चिम बंगाल | 6.58 | 8.31 | 1.73 |
| जोड़ | 234.55 | 268.03 | 33.48 |

उक्त आंकड़ों में मिलिंग न की गई धान के समान चावल शामिल है।

### *विवरण III*

*विपणन मौसमवार केन्द्रीय पूल के लिए चावल की खरीद*

(आंकड़े टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | खरीफ विपणन मौसम 2010-11 | | खरीफ विपणन मौसम 2011-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमान | वास्तविक खरीद | अनुमान | वास्तविक खरीद (7.3.2012 तक) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 86.00 | 96.09 | 107.00 | 40.78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | असम | 0.10 | 0.16 | | 0.04 |
| 3. | बिहार | 9.00 | 8.83 | 9.50 | 9.67 |
| 4. | चंडीगढ़ | – | 0.10 | | 0.13 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 31.00 | 37.46 | 40.00 | 40.84 |
| 6. | गुजरात | – | – | 0.15 | 0.04 |
| 7. | हरियाणा | 13.00 | 16.87 | 17.40 | 19.76 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | – | 0.01 | | 0.00 |
| 9. | झारखंड | 0.23 | 0.00 | | 1.53 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | – | 0.11 | | 0.02 |
| 11. | कर्नाटक | 2.0 | 1.80 | 5.20 | 2.27 |
| 12. | केरल | 2.86 | 2.53 | 2.92 | 1.34 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 1.40 | 5.16 | 6.50 | 6.32 |
| 14. | महाराष्ट्र | 3.18 | 3.08 | 1.65 | 1.33 |
| 15. | ओडिशा | 32.00 | 24.65 | 30.00 | 16.81 |
| 16. | पुडुचेरी | – | 0.40 | 0.33 | 0.02 |
| 17. | पंजाब | 85.00 | 86.35 | 82.00 | 77.31 |
| 18. | तमिलनाडु | 11.00 | 15.43 | 20.00 | 11.00 |
| 19. | उत्तर प्रदेश | 30.75 | 25.54 | 18.00 | 27.81 |
| 20. | उत्तराखंड | 4.00 | 4.22 | 0.50 | 2.69 |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 16.00 | 13.10 | 12.00 | 8.31 |
| | जोड़ | 327.52 | 341.98 | 353.15 | 268.03 |

उक्त अनुमान खरीफ विपणन मौसम के शुरू होने से पहले खाद्य सचिवों की आयोजित बैठक के दौरान रखे गए आंकड़ों पर आधारित हैं।

## *विवरण IV*

### *गेहूं की खरीद के अनुमान और वास्तविक खरीद*

(आंकड़े लाख टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | खरीफ विपणन मौसम 2010-11 | | रबी विपणन मौसम 2011-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमान | वास्तविक खरीद | अनुमान | वास्तविक खरीद |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | बिहार | 6.00 | 1.83 | 7.00 | 5.56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.09 | | 0.07 |
| 3. | दिल्ली | 0.00 | 0.10 | | 0.08 |
| 4. | गुजरात | 0.50 | 0.01 | 1.50 | 1.05 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 0.00 | नगण्य | | |
| 6. | हरियाणा | 60.00 | 63.47 | 65.00 | 69.28 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 0.012 | 0 | | |
| 8. | झारखंड | 0.15 | नगण्य | 0.05 | |
| 9. | मध्य प्रदेश | 35.00 | 35.38 | 35.00 | 49.65 |
| 10. | महाराष्ट्र | 0.00 | 0.00 | | |
| 11. | पंजाब | 115.00 | 102.09 | 107.00 | 109.58 |
| 12. | राजस्थान | 6.00 | 4.76 | 6.00 | 13.03 |
| 13. | उत्तर प्रदेश | 40.00 | 16.45 | 40.00 | 34.61 |
| 14. | उत्तराखंड | 0.00 | 0.86 | 1.00 | 0.42 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | 0.00 | 0.09 | 0.20 | |
| | जोड़ | 262.66 | 225.13 | 262.75 | 283.34 |

नगण्य-500 टन से कम

उक्त अनुमान खाद्य सचिवों की बैठक के दौरान प्राप्त हुए हैं।

### *विवरण V*

1. संबंधित राज्य की खरीद की क्षमता और भौगोलिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए खरीद मौसम से पूर्व भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा पारस्परिक विचार-विमर्श से पर्याप्त संख्या में खरीद केन्द्र खोले जाते हैं। खरीद मौसम के दौरान अतिरिक्त खरीद केन्द्रों की आवश्यकता, यदि कोई हो, के बारे में समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अपेक्षित अतिरिक्त खरीद केन्द्र भी खोले जाते हैं।

2. प्रत्येक विपणन मौसम शुरू होने से पूर्व आने वाले मौसम में खरीद की व्यवस्थाएं करने हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्यों में खाद्य सचिवों, भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों की एक बैठक का आयोजन करता है। इस बैठक में, खोले जाने वाले खरीद केन्द्रों की संख्या और पैकेजिंग सामग्री की खरीद जैसी व्यवस्थाओं एवं भंडारण स्थान के बारे में विचार-विमर्श किया जाात है।

3. विशेष रूप से उन राज्यों में जहां विपणन अवसंरचना अच्छी तरह से विकसित नहीं है, छोटे और सीमान्त किसानों से खरीद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2009-10 से सहकारी समितियों एवं स्व-सहायता समूहों द्वारा खरीद हेतु कमीशन प्रभार को बढ़ाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य का 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इस उपाय से किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की पहुंच बढ़ेगी।

4. खरीद को अधिकतम करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों की पहुंच में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्यों

को खरीद की विकेन्द्रीकृत प्रणाली को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों की खरीद और वितरण का कार्य राज्य सरकार स्वयं करती है। राज्य की आवश्यकता से अतिरिक्त खरीदी गई मात्रा अन्यत्र वितरणार्थ केन्द्रीय पूल में भिजवाई जाती है, जबकि कमी की पूर्ति केन्द्रीय पूल से की जाती है। खरीद की विकेन्द्रीकृत प्रणाली वर्ष 1997 में लागू की गई थी। धान/चावल के लिए विकेन्द्रीकृत खरीद वाले राज्य छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा मध्य प्रदेश हैं और गेहूं की विकेन्द्रीकृत खरीद वाले राज्य मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, गुजरात, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल हैं।

5. किसानों के लिए सुविधायुक्त स्थानों पर, जहां वे अपने उत्पाद को सरकारी खरीद के लिए ला सकें, खरीद केन्द्र खोलने हेतु भारतीय खाद्य निगम और राज्यों को अनुदेश दिए गए हैं।

6. रबी विपणन मौसम 2009-10 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1080 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप रबी विपणन मौसम 2009-10 में 253.82 लाख टन की रिकार्ड खरीद हुई थी। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था और रबी विपणन मौसम 2010-11 में गेहूं की खरीद 225.14 लाख टन हुई थी। रबी विपणन मौसम 2011-12 में सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1120 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया था। इसके अलावा, 50 रुपए का बोनस भी अनुमोदित किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप 283.35 लाख टन गेहूं की खरीद हुई जो कि एक रिकार्ड खरीद थी। रबी विपणन मौसम 2012-13 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य और बढ़ाकर 1285 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

7. खरीफ विपणन मौसम 2009-10 में धान की सामान्य और 'ए' किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमश: 950 रुपए और 980 रुपए निर्धारित किया गया था। इसके अलावा, सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2009-10 के दौरान धान की दोनों किस्मों पर 50 रुपए का बोनस भी घोषित किया था। खरीफ विपणन मौसम 2009-10 के दौरान कुल 320.34 लाख टन चावल की खरीद की गई थी। खरीफ विपणन मौसम 2010-11 के लिए धान की सामान्य और ग्रेड 'ए' किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमश: 1000 रुपए और 1030 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। खरीफ विपणन मौसम 2010-11 के दौरान चावल की खरीद 341.80 लाख टन रही। खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के लिए धान की सामान्य और ग्रेड 'ए' किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को और बढ़ाकर क्रमश: 1080 रुपए और 1110 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया था। खरीफ विपणन मौसम 2011-12 में चावल की खरीद 353 लाख टन अनुमानित है।

8. राज्य सरकारों से बाजार में आवकों को सही तरीकों से दर्ज करने हेतु अनुदेश जारी करने और चावल मिल मालिकों पर कम से कम 50 प्रतिशत का अनिवार्य लेवी अधिरोपण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

*[अनुवाद]*

## ऐतिहासिक शहरों में शहरी सुविधाएं

**118. श्री निशिकांत दुबे:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रत्येक राज्य विशेषकर झारखंड जैसे समृद्ध राज्य और संस्कृति वाले राज्यों के शहरों के ऐतिहासिक महत्व को क्षति पहुंचाए बिना शहरी सुविधाओं की गुणवत्ता में वृद्धि में चुनौती का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे शहरों के ऐतिहासिक महत्व को क्षति पहुंचाए बिना कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) और (ग) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

## कृषि क्षेत्र में निवेश

**119. श्री जफर अली नकवी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि विशेषज्ञों ने कृषि क्षेत्र में मंद विकास दर के मद्देनजर कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि विकास दर को बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई योजना/नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए निवेश और प्रदान की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) से (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की 53वीं बैठक की सिफारिशों के अनुसरण में विभाग कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में निजी निवेश में वृद्धि के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने एवं कृषि वृद्धि दर को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नामक दो प्रमुख स्कीमों की शुरुआत की है। कृषि क्षेत्र ने ग्यारहवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान लगभग 3.2 प्रतिशत की औसत दर पर वृद्धि की और इससे उत्पन्न स्थितियां वर्ष 2011-12 में सकारात्मक रहीं एवं इसके 3.8% वृद्धि दर तक पहुंचने की संभावना है। वर्ष 2009 में देश में बड़े क्षेत्र में सूखा पड़ने के बावजूद ऐसी स्थिति है।

(ङ) कृषि क्षेत्र में पिछले वर्षों में निवेश बढ़ा है। सरकार राज्यों को उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के तहत निधियां निर्मुक्त करती है ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। राज्य सरकारें स्कीमों के दिशा निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को राजसहायता का वितरण करती है। पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2008-09 से 2010-11) एवं वर्तमान वर्ष 2011-12 के दौरान डीएसी के योजना परिव्यय का ब्यौरा निम्नवत् है:-

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | कृषि एवं सहकारिता विभाग |
|---|---|
| 2008-09 | 10105.67 |
| 2009-10 | 11307.07 |
| 2010-11 | 15042.00 |
| 2011-12 | 17123.87 |

## बिहार में चीनी मिल

**120. श्री विश्व मोहन कुमार:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सुपौल और समस्तीपुर सहित राज्य में चीनी मिलें स्थापित करने के लिए बिहार से कोई निवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में वास्तव में स्थापित की गई मिलों की संख्या क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों (अर्थात् जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक) के दौरान बिहार राज्य में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को तीन औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | जिला | आईईएम सं./दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | मैसर्स इंडिया ग्रीन फ्यूल प्रा.लि. | पूर्वी चम्पारन | 866/02.04.2009 |
| 2. | मैसर्स इंडिया ग्रीन फ्यूल प्रा.लि. | पूर्वी चम्पारन | 1623/03.06.2009 |
| 3. | मैसर्स वैद्यनाथ चीनी मिल प्रा.लि. | पश्चिम चम्पारन | 2823/25/08.2010 |

तथापि गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के संगत प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण यह तीनों औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन अमान्य माने जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में कोई नई चीनी मिल स्थापित नहीं की गई है।

## मधुमक्खी पालन, मात्स्यिकी और कुक्कुट पालन हेतु सहायता

**121. श्री राम सुन्दर दास:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मधुमक्खी पालन, मात्स्यिकी और कुक्कुट पालन कार्यकलापों के लिए विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस प्रयोजन हेतु राजसहायता भी प्रदान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) से (ङ) कृषि एवं सहकारिता विभाग बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें अर्थात् (i) पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) तथा (ii) शेष राज्यों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) कार्यान्वित कर रहा है। बागवानी फसलों विशेषकर क्रास परागित फसलों के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए, एनएचएम और एचएमएनईएच में मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण के लिए सहायता मुहैया कराए जाने का प्रावधान है। एनएचएम और एचएमएनईएच के अधीन पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मधुमक्खी पालन घटक के अधीन आवंटित निधियों, निर्मुक्तियों तथा लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

एनएचएम और एचएमएनईएच के अधीन मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिए जाने के लिए, मधुमक्खी पालकों को छत्ताधानियों सहित मधुमक्खी कालोनियों के लिए प्रति लाभार्थी 50 कालोनियों तक सीमित 3,000/- रु. प्रति कालोनी के 50% की दर पर सहायता मुहैया कराई जाती है।

पशुपालन, डेयरिंग एवं मात्स्यिकी विभाग (डीएएचडीएंडएफ) तीन घटकों अर्थात् राज्य कुक्कुट फार्म को सहायता, ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास एवं कुक्कुट एस्टेट रखने वाले सभी राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'कुक्कुट विकास' कार्यान्वित करता है। वर्ष 2011-12 से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 33.3% की दर पर और अन्य के लिए 25% की दर पर पूंजी राजसहायता प्रणाली में एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम 'कुक्कुट उद्यम पूंजी कोष' भी कार्यान्वित की जा रही है। [पहले यह ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) प्रणाली में थी]। डीएएचडीएंडएफ स्कीमों की किसी स्कीम के अधीन राज्य-वार आवंटन नहीं किए जाते हैं। तथापि, स्कीमों के अधीन की गई निर्मुक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया गया है। "ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास" के अधीन लाभार्थियों की संख्या संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

कुक्कुट उद्यम पूंजी स्कीम के अन्तर्गत नाबार्ड को 500 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है जिसमें से वर्ष 2011-12 के दौरान नाबार्ड द्वारा 329.31 लाख रुपए की और राशि निर्मुक्त की गई संलग्न (विवरण-V)।

मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए, पशुपालन, डेयरिंग एवं मात्स्यिकी विभाग विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों अर्थात् अंतर्देशीय मात्स्यिकी एवं जल कृषि का विकास, समुद्री मात्स्यिकी अवसंरचना का फसलोपरांत प्रचालनों का विकास, राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण स्कीम, मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए डाटा बेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के माध्यम से वित्तीय सहायता मुहैया करवा रहा है। वर्ष 2008-12 के दौरान मात्स्यिकी क्षेत्र स्कीमों के अधीन निर्मुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-VI से X में दिया गया है।

## *विवरण I*

*एनएचएम में मधुमक्खी पालन घटक के अधीन वर्षवार आवंटन और निर्मुक्ति तथा लाभार्थी (2008-12) दर्शाने वाला विवरण*

(लाख रुपये में)

| राज्य | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | | सकल योग | | लाभार्थियों की कुल संख्या (2008-12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | निर्मुक्ति | आवंटन | निर्मुक्ति | आवंटन | निर्मुक्ति | आवंटन | निर्मुक्ति | आवंटन | निर्मुक्ति | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| आंध्र प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| बिहार | 6.40 | 5.44 | 9.10 | 0 | 23.50 | 12.24 | 153.50 | 0 | 177.00 | 12.24 | 4713 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| छत्तीसगढ़ | 0.00 | 0 | 46.13 | 30.71 | 46.13 | 14.30 | 12.16 | 60.43 | 42.87 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0 | 2 |
| गोवा | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 | 54 |
| गुजरात | 4.00 | | 26.14 | 13.72 | 30.14 | 13.72 | 13.70 | 7.19 | 43.84 | 20.91 | 566 |
| हरियाणा | 388.50 | 319.6 | 282.00 | 128.35 | 731.00 | 458.58 | 253.00 | 217.6 | 984.00 | 676.18 | 67547 |
| झारखंड | 13.60 | 10.2 | 21.00 | 8.93 | 169.40 | 19.13 | 7.40 | 6.29 | 176.80 | 25.42 | 3363 |
| कर्नाटक | 77.15 | 65.58 | 113.40 | 83.64 | 321.30 | 244.42 | 79.95 | 69.66 | 401.25 | 314.08 | 25203 |
| केरल | 40.00 | 0 | 70.50 | 0 | 310.50 | 102 | 69.50 | 59.08 | 380.00 | 161.08 | 28775 |
| मध्य प्रदेश | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| महाराष्ट्र | 3.46 | 2.94 | 57.98 | 0 | 98.05 | 2.94 | 40.00 | 25.5 | 138.05 | 28.44 | 1659 |
| ओडिशा | 0.00 | | 44.00 | 0 | 44.00 | 0 | 22.00 | 18.72 | 66.00 | 18.72 | 1265 |
| पुडुचेरी | 0.00 | | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.30 | 0.26 | 0.44 | 0.38 | 0 |
| पंजाब | 46.40 | 27.81 | 90.50 | 37.41 | 187.40 | 68.62 | 86.38 | 65.77 | 273.78 | 134.39 | 9199 |
| राजस्थान | 40.00 | 17 | 9.07 | 51 | 129.07 | 81.6 | 60.00 | 25.5 | 189.07 | 107.1 | 11554 |
| तमिलनाडु | 57.60 | 18.51 | 7.50 | 6.38 | 86.54 | 43.11 | 10.05 | 0 | 96.59 | 43.11 | 3999 |
| उत्तर प्रदेश | 108.12 | 91.9 | 84.90 | 55.71 | 320.78 | 147.61 | 148.62 | 37.68 | 469.40 | 185.29 | 19371 |
| पश्चिम बंगाल | 112.00 | 0 | 62.01 | 52.71 | 174.01 | 52.71 | 22.00 | 0 | 196.01 | 52.71 | 1894 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 5.60 | 4.76 | 0.04 | 5.3 | 5.64 | 10.06 | 16.00 | 6.81 | 21.64 | 16.87 | 1890 |
| जोड़ | 902.83 | 563.74 | 924.41 | 473.98 | 2677.60 | 1287.57 | 998.15 | 552.22 | 3675.74 | 1839.79 | 181054 |

### *विवरण II*

*पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन के मधुमक्खी पालन घटक के अधीन राज्य-वार (2008-12) आवंटन, निर्मुक्ति और लाभार्थियों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण*

(लाख रुपयों में)

| राज्य | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 (फरवरी 2012 तक) | | व्यक्तियों की सं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | निर्मुक्ति | आवंटन | निर्मुक्ति | आवंटन | निर्मुक्ति | आवंटन | निर्मुक्ति | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1.28 | 1.28 | | | | | | | 6 |
| असम | 36.00 | 18.40 | 12.00 | 6.96 | 7.49 | 7.49 | | | 178 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मणिपुर | 40.00 | 40.00 | 40.80 | 49.60 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 824 |
| मेघालय | 4.40 | 4.40 | | | | | 4.80 | 4.80 | 40 |
| मिजोरम | | | | | | | 60.00 | 32.00 | 80 |
| नागालैंड | 16.00 | 16.00 | 34.50 | 34.50 | | | 22.50 | 22.50 | 376 |
| सिक्किम | 26.40 | 19.92 | 30.80 | 24.15 | 30.00 | 22.50 | 9.10 | 7.70 | 362 |
| त्रिपुरा | 16.00 | 16.00 | | | | | | | 100 |
| जम्मू और कश्मीर | 35.96 | 12.36 | | | 22.35 | 22.35 | 10.40 | 10.40 | 210 |
| हिमाचल प्रदेश | 16.80 | 16.80 | 8.00 | 1.60 | 30.00 | 3.45 | 39.26 | 16.08 | 167 |
| उत्तराखंड | 16.00 | | 7.20 | 7.20 | 22.40 | 22.40 | 10.50 | 10.50 | 84 |
| कुल | 208.84 | 145.16 | 133.30 | 124.01 | 202.24 | 168.19 | 246.56 | 193.98 | 2427 |

### *विवरण III*

*केन्द्र प्रायोजित स्कीम "कुक्कुट विकास" घटक 'राज्य कुक्कुट फर्मों को सहायता':*
*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार निर्मुक्त निधियां*

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | फार्म का नाम | 2008-09* | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 (7.3.2012 तक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | | 34.00 | | 68.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 100.00 | | | 34.00 |
| 3. | असम | | | | |
| 4. | छत्तीसगढ़ | | 96.00 | | 65.00 |
| 5. | गोवा | | | | |
| 6. | हरियाणा | 32.30 | | | |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 14.49 | 8.51 | | |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | | 44.00 | | |
| 9. | कर्नाटक | 34.00 | 63.20 | | 199.20 |
| 10. | केरल | 167.40 | 170.00 | 102.00 | 68.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | लक्षद्वीप | | 38.50 | | |
| 12. | मध्य प्रदेश | | 34.00 | | 64.00 |
| 13. | महाराष्ट्र | 61.81 | | | |
| 14. | मिजोरम | | | | |
| 15. | नागालैंड | 40.00 | | 23.75 | |
| 16. | ओडिशा | | | | |
| 17. | पंजाब | | | | 32.00 |
| 18. | सिक्किम | 100.00 | 107.50 | 42.50 | |
| 19. | तमिलनाडु | 120.00 | 34.00 | | |
| 20. | त्रिपुरा | 83.76 | | | 85.00 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 136.00 | 134.91 | | |
| 22. | उत्तराखंड | – | – | – | 181.725 |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 84.00 | | 418.8 | |
| | कुल | 973.76 | 764.62 | 583.05 | 796.925 |

*2009-10 से पहले यह घटक पहले केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम था और बाद में इसे केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'कुक्कुट विकास' में मिला दिया गया। अत: 2008-09 के आंकड़े पहले ही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता" के लिए हैं।

*केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम, "कुक्कुट उद्यम पूंजी निधि"*

(राशि रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य | 2008-09* | 2009-10 | 2010-11 | संचयी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 7484400 | 83084200 | 144885800 | 244395200 |
| 2. | बिहार | | | 183400 | 183400 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | | | | 0 |
| 4. | गोवा | | | | 2285900 |
| 5. | गुजरात | | | | 0 |
| 6. | हरियाणा | | | | 156100 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | | | | 0 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | | | | 1410000 |
| 9. | झारखंड | 425000 | | | 1185000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | कर्नाटक | 892100 | 2938000 | 2994200 | 10454300 |
| 11. | केरल | 1250000 | | 3262900 | 4805400 |
| 12. | मध्य प्रदेश | | | | 345000 |
| 13. | महाराष्ट्र | 27683400 | 1874100 | 131759500 | 174266000 |
| 14. | ओडिशा | 1504000 | | | 1975700 |
| 15. | पंजाब | | | | 6849000 |
| 16. | राजस्थान | | | | 2677000 |
| 17. | तमिलनाडु | 714500 | | | 9209600 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | | | 793600 | 793600 |
| 19. | उत्तराखंड | | | 1170200 | 4859900 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 1250000 | | | 5550000 |
| 21. | अरुणाचल प्रदेश | | | | 425000 |
| 22. | असम | | 2500000 | 250000 | 3632669 |
| 23. | मणिपुर | | | | 1833000 |
| 24. | मेघालय | | | | 0 |
| 25. | मिजोरम | 360000 | | 250000 | 2910000 |
| 26. | नागालैंड | | | | 0 |
| 27. | सिक्किम | | | | 0 |
| 28. | त्रिपुरा | | | 150000 | 150000 |
| | कुल | 41563400 | 90396300 | 285699600 | 481756669 |

*2008-09 में यह स्कीम ब्याज मुक्त ऋण प्रणाली पर पहले 'डेयरी-कुक्कुट उद्यम पूंजी स्कीम' के नाम से थी; 2009-10 में इसे अलग कर दिया गया और 'कुक्कुट उद्यम पूंजी निधि स्कीम' के रूप में कार्यान्वित किया गया। ''कुक्कुट उद्यम पूंजी निधि स्कीम'' को पूंजी राजसहायता प्रणाली पर कार्यान्वित किया गया था।

*केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'कुक्कुट विकास'-घटक ' ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास'*
*(यह स्कीम घटक 2009-10 में शुरू किया गया था*

(लाख रुपयों में)

| क्र.सं. | राज्य | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 (7.3.2012 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राज्य | नाबार्ड* | राज्य | नाबार्ड* | राज्य | नाबार्ड* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | – | – | 177.50 | 9.72 | 177.50 | – |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | – | – | 69.20 | – | 65.40 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | – | – | 157.33 | – | – | – |
| 4. | बिहार | 163.00 | 9.00 | 162.50 | – | 652.00 | 36.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | – | – | – | – | 149.19 | – |
| 6. | गोवा | – | – | 10.50 | – | – | – |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | – | – | 364.90 | – | 205.55 | – |
| 8. | कर्नाटक | – | – | – | – | 231.50 | 12.60 |
| 9. | केरल | 164.00 | 9.00 | – | – | 164.00 | – |
| 10. | मध्य प्रदेश | – | – | 542.30 | 28.62 | 325.00 | – |
| 11. | महाराष्ट्र | – | – | – | – | 183.00 | 20.16 |
| 12. | मेघालय | 49.10 | – | – | – | 31.50 | – |
| 13. | मिजोरम | 20.00 | – | 40.00 | – | 20.40 | – |
| 14. | नागालैंड | – | – | 72.00 | 5.76 | 97.95 | – |
| 15. | ओडिशा | – | – | 150.00 | – | – | – |
| 16. | पंजाब | – | – | – | – | 65.50 | 3.60 |
| 17. | सिक्किम | 40.50<br>31.50 | – | – | – | – | – |
| 18. | तमिलनाडु | – | – | 46.50 | – | – | – |
| 19. | त्रिपुरा | – | – | 60.50 | – | – | – |
| 20. | उत्तर प्रदेश | – | – | 54.00 | – | 384.20 | 23.76 |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 72.996 | – | 1318.00 | 61.66 | – | – |
| | कुल | 541.096 | 18.00 | 3225.23 | 105.76 | 2752.69 | 96.12 |
| | सकल योग | 559.096 | | 3330.99 | | 2848.81 | |

*केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "कुक्कुट विकास"-घटक 'कुक्कुट एस्टेट'*

(लाख रुपयों में)

| क्र.सं. | राज्य | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 (7.3.2012 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राज्य | नाबार्ड | राज्य | नाबार्ड | राज्य | नाबार्ड |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 98.25 | 203.27 | 60.00 | – | – | – |
| 2. | ओडिशा | – | – | 99.00 | 270.00 | – | – |
| | कुल | 98.25 | 203.27 | 159.00 | 270.00 | – | – |

## *विवरण IV*

*"कुक्कुट विकास" स्कीम के घटक "ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास" के अधीन लाभार्थियों की सं.*

(संख्या में)

| क्र.सं. | राज्य | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 (7.3.2012 तक) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | - | 8100 | 8100 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | - | 3000 | 3000 |
| 3. | असम | - | 10825 | - |
| 4. | बिहार | 7500 | 7500 | 30000 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | - | - | 6866 |
| 6. | गोवा | - | 1000 | - |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | - | 16900 | 9550 |
| 8. | कर्नाटक | - | - | 10500 |
| 9. | केरल | 7500 | - | 7500 |
| 10. | मध्य प्रदेश | - | 24900 | 15000 |
| 11. | महाराष्ट्र | - | - | 8400 |
| 12. | मेघालय | 2100 | - | 1500 |
| 13. | मिजोरम | 900 | 1800 | 900 |
| 14. | नागालैंड | - | 4800 | 4550 |
| 15. | ओडिशा | - | 7500 | - |
| 16. | पंजाब | - | - | 3000 |
| 17. | सिक्किम | 3000 | - | - |
| 18. | तमिलनाडु | - | 2100 | - |
| 19. | त्रिपुरा | - | 2700 | - |
| 20. | उत्तर प्रदेश | - | 2500 | 17500 |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 3476 | 60000 | - |
| | कुल | 24476 | 153625 | 126366 |

## *विवरण V*

*कुक्कुट उद्यम पूंजी निधि स्कीम का ब्यौरा (2011-12)*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 29.2.2012 तक निर्मुक्त राजसहायता की राशि (लाख रुपए में) |
|---|---|---|
| 1. | जम्मू और कश्मीर | 7.1 |
| 2. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 9.21 |
| 3. | उत्तराखंड | 10.41 |
| 4. | महाराष्ट्र | 26.48 |
| 5. | असम | 29.27 |
| 6. | गोवा | 3.00 |
| 7. | केरल | 80.13 |
| 8. | आंध्र प्रदेश | 127.46 |
| 9. | बिहार | 11.45 |
| 10. | गुजरात | 7.50 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 7.61 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 4.50 |
| 13. | छत्तीसगढ़ | 0.63 |
| 14. | कर्नाटक | 4.00 |
| 15. | ओडिशा | 0.56 |
| | कुल | 329.31 |

## विवरण VI

*'अंतर्देशीय मात्स्यिकी एवं जल कृषि का विकास' के अधीन उपयोग निधियों का ब्यौरा (2008-12)*

(लाख रुपयों में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निर्मुक्ति | उपयोग | निर्मुक्ति | उपयोग | निर्मुक्ति | उपयोग | निर्मुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0.00 | – | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 93.00 | 68.00 | 100.00 |
| 3. | असम | 75.02 | 75.02 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 4. | बिहार | 0.00 | – | 0.00 | – | 20.00 | 18.63 | 31.40 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 50.00 | 50.00 | 77.50 | 77.50 | 131.25 | 131.25 | 8.00 |
| 6. | गोवा | 0.00 | – | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | गुजरात | 25.00 | 25.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | हरियाणा | 25.00 | 22.94 | 75.00 | 75.00 | 66.50 | 66.50 | 60.00 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 27.00 | 13.05 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 100.00 | 100.00 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 153.00 |
| 11. | झारखंड | 62.50 | 62.50 | 50.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | कर्नाटक | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | केरल | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | 145.87 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 100.00 | 100.00 | 250.00 | 250.00 | 210.00 | 156.84 | 89.00 |
| 15. | महाराष्ट्र | 20.00 | 20.00 | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | मणिपुर | 40.00 | 40.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 106.00 |
| 17. | मेघालय | 0.00 | – | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | मिजोरम | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 342.00 | 342.00 | 200.00 |
| 19. | नागालैंड | 90.00 | 90.00 | 200.00 | 200.00 | 195.50 | 100.50 | 310.00 |
| 20. | ओडिशा | 190.00 | 190.00 | 236.25 | 172.00 | 130.00 | 120.00 | 206.73 |
| 21. | पुडुचेरी | 5.00 | 5.00 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | पंजाब | 100.00 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | राजस्थान | 24.05 | 19.61 | 0.00 | – | 8.60 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | सिक्किम | 34.98 | 34.98 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 25. | तमिलनाडु | 0.00 | | 178.75 | 75.00 | 225.00 | 200.00 | 350.00 |
| 26. | त्रिपुरा | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 37.81 | 0.00 | 100.00 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 88.00 | 88.00 | 150.00 | 150.00 | 273.15 | 273.15 | 400.00 |
| 28. | उत्तराखंड | 33.45 | 10.00 | 67.65 | 47.655 | 24.00 | 24.00 | 28.80 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 20.00 | 180.00 |

## *विवरण VII*

*वर्ष 2008-12 के दौरान 'समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचना और फसलोपरांत प्रचालनों का विकास के अधीन उपयोग निधियों का ब्यौरा*

(लाख रुपयों में)

| क्र.सं. | राज्य | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निर्मुक्ति | उपयोग | निर्मुक्ति | उपयोग | निर्मुक्ति | उपयोग | निर्मुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 95.000 | 92.000 | 191.000 | 0.000 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3. | असम | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4. | बिहार | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5. | गोवा | 105.000 | 9.000 | 175.630 | 100.630 | 60.00 | 15.000 | 217.390 |
| 6. | गुजरात | 326.600 | 26.600 | 0.000 | – | 500.000 | 0.000 | 1187.400 |
| 7. | हरियाणा | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10. | कर्नाटक | 274.700 | 274.700 | 622.195 | 306.415 | 1090.280 | 0.000 | 729.778 |
| 11. | केरल | 700.000 | 700.000 | 1716.800 | 1071.800 | 1420.78 | 0.000 | 0.000 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13. | महाराष्ट्र | 203.480 | 200.000 | 115.52381 | 0.000 | 700.000 | 0.000 | 0.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | मणिपुर | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15. | मेघालय | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16. | मिजोरम | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17. | नागालैंड | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18. | ओडिशा | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 0.000 | 65.210 | 0.000 | 15.000 |
| 19. | पंजाब | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20. | राजस्थान | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21. | सिक्किम | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22. | तमिलनाडु | 550.000 | 350.000 | 650.000 | 350.000 | 1700.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23. | त्रिपुरा | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 1095.220 | 1095.000 | 1575.000 | 1000.000 | 912.735 | 0.000 | 0.000 |
| 26. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.000 | – | 0.000 | – | 15.000 | 0.000 | 10.340 |
| 27. | चंडीगढ़ | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28. | दादरा और नगर हवेली | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29. | दमन और दीव | 97.500 | 95.500 | 80.05563 | 0.00000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30. | दिल्ली | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31. | लक्षद्वीप | 0.000 | – | 6.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32. | पुडुचेरी | 907.500 | 905.500 | 200.000 | 0.000 | 400.00 | 0.000 | 0.000 |
| 33. | छत्तीसगढ़ | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 34. | उत्तराखंड | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 35. | झारखंड | 0.000 | – | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 36. | कोचीन पोर्ट ट्रस्ट | | | | | 0.000 | 0.000 | 55.000 |
| 37. | अन्य | 0.000 | – | 0.000 | – | 841.42 | 313.150 | 179.420 |

## विवरण VIII

*2008-12 के दौरान 'राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण स्कीम'' के अधीन निर्मुक्त और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा*

(लाख रुपयों में)

| क्र.सं. | राज्य | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निर्मुक्ति | उपयोग | निर्मुक्ति | उपयोग | निर्मुक्ति | उपयोग | निर्मुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 140.34 | 140.34 | 57.12 | 57.12 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 19.62 | 19.62 | 100.00 | 99.75 | 100.00 | | |
| 3. | असम | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 42.07 |
| 4. | बिहार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.00 | 285.00 | 0.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 3.38 | 3.38 | 36.19 | 36.19 | 15.00 | 15.00 | 59.83 |
| 6. | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | गोवा | 11.57 | 4.07 | 6.00 | 6.00 | 24.00 | 20.78 | 23.47 |
| 8. | गुजरात | 86.03 | 80.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.32 |
| 9. | हरियाणा | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 5.50 | 5.50 | 6.26 | 6.26 | 12.15 | 12.15 | 14.12 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 29.58 | 29.58 | 60.00 | 60.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 |
| 12. | झारखंड | 123.60 | 123.60 | 248.21 | 245.90 | 256.33 | 256.33 | 0.00 |
| 13. | कर्नाटक | 312.06 | 312.06 | 93.54 | 93.54 | 133.86 | 133.86 | 154.33 |
| 14. | केरल | 232.21 | 232.21 | 652.57 | 647.57 | 526.00 | 85.00 | 520.98 |
| 15. | महाराष्ट्र | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 33.03 | 31.46 | 60.93 | 60.43 | 35.85 | 24.08 | 229.32 |
| 17. | मणिपुर | 37.88 | 37.88 | 25.00 | 25.00 | 56.44 | 38.22 | 0.00 |
| 18. | मेघालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.66 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | मिजोरम | 0.00 | 0.00 | 29.45 | 29.45 | 11.22 | 11.22 | 14.69 |
| 20. | नागालैंड | 124.50 | 124.50 | 190.00 | 190.00 | 104.08 | 104.08 | 202.24 |
| 21. | ओडिशा | 89.65 | 89.65 | 0.00 | 0.00 | 20.98 | 16.98 | 133.55 |
| 22. | पंजाब | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | पुडुचेरी | 150.00 | 150.00 | 340.00 | 340.00 | 299.00 | 299.00 | 270.00 |
| 24. | राजस्थान | 5.40 | 5.40 | 27.00 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 11.48 |
| 25. | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 26. | तमिलनाडु | 240.00 | 240.00 | 739.94 | 728.28 | 683.43 | 683.43 | 300.00 |
| 27. | त्रिपुरा | 36.00 | 36.00 | 63.55 | 63.55 | 74.13 | 74.13 | 30.56 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | 200.00 | 200.00 | 150.00 | 150.00 | 249.25 | 249.25 | 100.00 |
| 29. | उत्तराखंड | 6.45 | 6.45 | 19.65 | 19.65 | 7.95 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | पश्चिम बंगाल | 361.20 | 361.20 | 71.20 | 71.20 | 299.20 | 22.40 | 22.40 |
| 31. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1.68 | 1.68 | 0.95 | 0.95 | 4.15 | 4.15 | 0.00 |
| 32. | फीसकोप्ड | 225.32 | 225.32 | 592.72 | 577.72 | 623.80 | 600.81 | 50.00 |
| 33. | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 34. | अन्य | 6.61 | 6.61 | 16.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## *विवरण IX*

*मात्स्यिकी हेतु डेटा बेस तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अधीन निर्मुक्त व उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा (2008-12)*

(लाख रुपयों में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निर्मुक्ति | उपयोग | निर्मुक्ति | उपयोग | निर्मुक्ति | उपयोग | निर्मुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 11.30 | 15.29 | 27.86 | 18.60 | 14.50 | 13.00 | 0.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 10.00 | 10.00 | 14.68 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | असम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 5.62 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | बिहार | 6.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | गोवा | 0.00 | 4.50 | 5.00 | 5.57 | 14.68 | 14.68 | 19.09 |
| 6. | गुजरात | 11.30 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 7. | हरियाणा | 9.20 | 5.86 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 21.10 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 5.00 | 5.02 | 9.06 | 9.05 | 10.50 | 10.50 | 12.90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | कर्नाटक | 7.65 | 7.62 | 11.50 | 11.03 | 15.57 | 15.57 | 13.00 |
| 10. | केरल | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 9.25 | 13.81 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | महाराष्ट्र | 0.00 | 7.89 | 19.37 | 13.55 | 17.63 | 14.73 | 15.00 |
| 13. | मणिपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | मिजोरम | 9.72 | 9.72 | 11.80 | 11.80 | 12.70 | 12.70 | 16.36 |
| 15. | सिक्किम | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | मेघालय | 0.00 | 1.65 | 2.34 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | नागालैंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | त्रिपुरा | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 |
| 19. | ओडिशा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | पंजाब | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | राजस्थान | 9.96 | 11.26 | 13.88 | 14.80 | 19.49 | 14.98 | 16.69 |
| 22. | तमिलनाडु | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 2.07 | 16.26 | 14.93 | 15.00 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 9.30 | 6.62 | 92.32 | 92.32 | 370.55 | 314.55 | 10.00 |
| 25. | उत्तराखंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.5 | 1.21 | 0.00 |
| 26. | झारखंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | मत्स्यन जलयानों का पंजीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.70 | 83.70 | 0.00 |
| 28. | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 2.48 | 6.04 | 5.78 | 9.02 | 6.75 | 3.00 |
| 29. | पुडुचेरी | 0.00 | 4.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | सीआईएफआरआई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.52 | 30.00 |
| 33. | सीएमएचआरआई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 126.00 | 13.50 |
| 34. | एफएसआई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | फीसकोपेड | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 25.00 |
| 36. | डीएएचडीएचक्यू (कम्प) टीएमसी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 2.65 | 3.85 |
| 37. | मत्स्यन जलयानों एवं अन्य का पंजीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.19 | 97.19 | 0.00 |

## *विवरण X*

*2008-09 से 2011-12 के दौरान मात्स्यिकी हेतु डेटा बेस तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अधीन निर्मुक्त व उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा*

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत | निर्मुक्त | स्वीकृत | निर्मुक्त | स्वीकृत | निर्मुक्त | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1654.83 | 1653.22 | 1596.46 | 928.91 | 986.60 | 986.60 | 426.65 |
| 2. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 443.22 | 223.43 | 1059.54 | 612.66 | 446.89 | 446.89 | 0.00 |
| 4. | असम | 14.38 | 14.39 | 172.58 | 87.14 | 14.16 | 14.16 | 183.09 |
| 5. | बिहार | | | | | 36.95 | 36.95 | 4.98 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 198.81 | 198.82 | 428.30 | 397.71 | 133.85 | 133.85 | 149.03 |
| 7. | नई दिल्ली | 206.93 | 206.93 | 11.78 | 2.53 | 196.26 | 196.26 | 0.00 |
| 8. | गुजरात | | | | | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 9. | गोवा | | | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | हरियाणा | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 3.543 | 3.53 | 0.00 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | | | 302.68 | 162.68 | 20.80 | 20.80 | 0.00 |
| 12. | झारखंड | 67.39 | 67.40 | 173.36 | 172.86 | 77.92 | 77.92 | 102.42 |
| 13. | जम्मू और कश्मीर | | | 396.93 | 328.46 | 32.55 | 342.55 | 98.55 |
| 14. | कर्नाटक | 1223.80 | 752.40 | 1223.38 | 1174.19 | 541.62 | 541.62 | 370.43 |
| 15. | केरल | 348.87 | 348.88 | 2198.73 | 1585.68 | 1547.70 | 1547.50 | 392.79 |
| 16. | मध्य प्रदेश | | | 0.98 | 0.98 | 266.13 | 266.13 | 25.33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | महाराष्ट्र | 207.78 | 207.78 | 617.65 | 362.38 | 240.98 | 240.98 | 1269.68 |
| 18. | मणिपुर | 11.49 | 11.49 | 1519.57 | 388.64 | 6.61 | 6.61 | 1.47 |
| 19. | मेघालय | | | 13.20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | मिजोरम | 461.09 | 454.46 | 564.55 | 52.04 | 50.22 | 50.22 | 92.23 |
| 21. | नागालैंड | 13.58 | 13.59 | 226.99 | 185.03 | 34.05 | 34.05 | 125.60 |
| 22. | ओडिशा | 1720.83 | 966.05 | 63.37 | 46.49 | 215.93 | 215.93 | 252.65 |
| 23. | पुडुचेरी | 1.05 | 1.05 | 22.50 | 22.50 | 39.92 | 39.92 | 0.00 |
| 24. | पंजाब | 44.84 | 40.37 | 4.47 | 4.47 | 20.56 | 20.56 | 16.57 |
| 25. | राजस्थान | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 112.50 | 112.50 | 0.41 |
| 26. | सिक्किम | 4.94 | 4.94 | 37.72 | 33.34 | 113.28 | 113.28 | 76.32 |
| 27. | तमिलनाडु | 582.23 | 503.43 | 966.62 | 737.52 | 205.75 | 205.75 | 420.75 |
| 28. | त्रिपुरा | 84.33 | 84.33 | 23.69 | 21.00 | 4.15 | 4.15 | 98.07 |
| 29. | उत्तर प्रदेश | 11.32 | 10.47 | 159.49 | 77.31 | 116.30 | 116.30 | 5.18 |
| 30. | उत्तराखंड | 1.59 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.72 |
| 31. | पश्चिम बंगाल | 255.23 | 227.29 | 1109.50 | 518.91 | 438.63 | 438.63 | 15.38 |

## भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय अधिकारी

**122. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) की निगरानी के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अधिकारियों द्वारा निष्पादित कार्यों की प्रकृति क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी योजना का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार हेतु उक्त योजना किस हद तक सफल रही है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत कार्यान्वित की जाती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त मंत्रालय की कुछ केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं भी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के बीच बेहतर समन्वय हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरों की व्यवस्था वर्ष 2000 में लागू की गई थी। इन अधिकारियों को क्षेत्र अधिकारी कहा जाता है और उन्हें फील्ड दौरों के लिए विशिष्ट राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सौंपे गए हैं। क्षेत्रीय अधिकारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के

कार्यकरण और योजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए उन्हें सौंपे गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के फील्ड दौरे करते हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों की इस व्यवस्था की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने के लिए इसकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। सभी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्राली तथा अन्य योजनाओं की मॉनीटरिंग हेतु सभी क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए एक नियम पुस्तिका तैयार की गई है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओं के बारे में प्राप्त फीडबैक से संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अवगत कराया जाता है।

## गेहूं फसल क्षेत्र में कमी

123. **श्री लक्ष्मण टुडु:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गेहूं कृषि योग्य क्षेत्र में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में गेहूं बुआई क्षेत्र में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) जी नहीं महोदया। गेहूं के तहत क्षेत्र व्याप्ति 2006-07 में 27.99 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 2011-12 में 28.89 मिलियन हैक्टेयर तक हो गयी है (दूसरे अग्रिम अनुमान)।

(ग) सरकार क्षेत्रीय विस्तार तथा उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से देश में गेहूं उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने के लिए अनेकों फसल विकास योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) के तहत शामिल गेहूं आधारित फसल पद्धति क्षेत्रों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी-गेहूं) तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)।

इसके अलावा, गेहूं के तहत क्षेत्र व्याप्ति सहित समग्र कृषि योग्य क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है जैसेकि (1) वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटर शेड विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए), (2) नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ग्रस्त नदियों के कैचमेंटों में भू-संरक्षण (आरवीपी एवं एफपीआर), (3) क्षारीय एवं अम्लीय भूमि का पुनरुद्धार एवं विकास (आरएडीएएस), तथा (4) कृषि क्षेत्रों के रूप में परिणत करने में वाटर शेड विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए)।

देश में गेहूं की फसल की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2011-12 के दौरान गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी विगत वर्ष के दौरान 1120 रुपए प्रति क्विंटल की तुलना में 1285 रुपए प्रति क्विंटल तक वृद्धि हुई है।

## राष्ट्रीय पशुधन नीति

124. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:**
**डॉ. कृपारानी किल्ली:**
**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पशुओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पशुधन के संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है/करवाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम रहा;

(ङ) क्या प्रारूप नीति राज्य सरकारों को उनके परामर्श हेतु भेजी है;

(च) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) पशुधन/दुधारू पशुओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) और (ख) जी, हां। प्रस्तावित राष्ट्रीय पशुधन नीति का उद्देश्य विभिन्न राज्य विशिष्ट कार्यक्रमों की कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को समान दिशा-निर्देश उपलब्ध कराना है ताकि सतत पशुधन क्षेत्र प्राप्त किया जा सके जोकि एक स्वच्छ पर्यावरण का सुनिश्चित करते हुए किसानों की आशावादी खाद्य सुरक्षा, खाद्य अश्विन्तता, जीवन-निर्वाह सुरक्षा और उन्नत सामाजिक आर्थिक स्तर प्रदान करेगा।

(ग) और (घ) विभाग नियमित रूप से मुख्य पशुधन उत्पादों की पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण करता है। 18वीं संगठन आंकड़े अधिसूचित कर दिये गये हैं और पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ङ) और (च) जी, हां। राष्ट्रीय पशुधन नीति का मसौदा सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की टिप्पणियां/सहमति के लिए परिचालित कर दिया गया था और विभिन्न राज्यों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई है।

(छ) विभाग पशुधन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है:

(i) राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी)

(ii) केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान और केन्द्रीय पशुयुथ पंजीकरण योजना।

(iii) छोटे जुगाली करने वाली पशुओं का एकीकृत विकास।

(iv) सूअर विकास।

## कृषि भूमि में कमी

125. **श्री रमेश बैस:**
**श्री ए.टी. नाना पाटील:**
**श्री महाबल मिश्रा:**
**श्री पन्ना लाल पुनिया:**
**श्री एन. चेलुवरया स्वामी:**
**श्री गोपनाथ मुंडे:**
**डा. पी. वेणुगोपाल:**
**श्री सज्जन वर्मा:**
**श्रीमती कमला देवी पटले:**
**श्री एस. पक्कीरप्पा:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि भूमि के गैर-कृषि प्रयोजन में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कम होते, कृषि क्षेत्र का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कौन-कौन से कारणों का पता चला है और खाद्यान्न उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या कृषि योग्य भूमि के विस्तार हेतु कोई रणनीति तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और खेती योग्य/कृषि भूमि में कमी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) से (ग) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय द्वारा संकलित भू-उपयोग सांख्यिकी आंकड़े के अनुसार, देश में खेती योग्य भूमि 2007-08 के दौरान 182.7 मिलियन हैक्टेयर की तुलना में 2009-10 के दौरान 182.5 मिलियन हैक्टेयर हो गयी है। इसके अतिरिक्त गैर-कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत भूमि 2007-08 में 25.7 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 2009-10 में 26.2 मिलियन हैक्टेयर हो गयी है। उक्त अवधि के लिए राज्य-वार कृषि योग्य भूमि तथा गैर-कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत भूमि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

तथापि, कृषि क्षेत्र में उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई अनेक पहलों के फलस्वरूप, खाद्यान्न के उत्पादन में 2007-08 में 230.8 मिलियन टन से बढ़कर 2010-11 में 244.8 मिलियन टन तक वृद्धि हुई है। इसके अलावा, नवीनतम अनुमानों के अनुसार 2011-12 में खाद्यान्न उत्पादन 250.4 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया है। अत: खेती योग्य कृषि भूमि में मामूली गिरावट से खाद्यान्न उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(घ) और (ङ) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, भूमि राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है तथा इसलिए राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे उपयुक्त नीति/अधिनियम/विधान लायें ताकि कृषि योग्य भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों में स्थानान्तरण को रोका जा सके। कृषि योग्य भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों में परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भी अनेक उपाय किये है, अर्थात्

**राष्ट्रीय कृषक नीति, 2007 (एनपीएफ 2007):**

राष्ट्रीय कृषक नीति, 2007 ने यह सिफारिश की है कि 'मुख्य खेती भूमि का संरक्षण कतिपय परिस्थितियों को छोड़कर कृषि के लिए किया जाए बशर्ते की एजेंसियां जिनको गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि योग्य भूमि प्रदान की गई है, द्वारा किसी अन्य स्थान पर समतुल्य गैर उन्नत/बंजर भूमि के उपचार एवं पूर्ण विकास के लिए मुआवजा दिया जाए। जहां तक संभव हो, गैर कृषि प्रयोजनों के लिए, खेती के लिए निम्न जैविकीय क्षमता वाली भूमि को

निर्धारित किया जाए तथा आवंटित किया जाए' राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे औद्योगिक एवं निर्माण क्रियाकलापों सहित गैर कृषि विकास क्रियाकलापों के लिए गैर कृषि योग्य भूमि, क्षारिय, अम्लीय आदि प्रभावित भूमि जैसी कम जैविकीय क्षमता वाली भूमि को निर्धारित करें।

**राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्गठन नीति, 2007 (एनआरआरपी, 2007)**

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू-संसाधन विभाग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्गठन नीति, 2007 में यह सिफारिश की गई है कि जहां तक संभव हो, परियोजनाओं की स्थापना बंजर भूमि, गैर-उन्नत भूमि अथवा गैर सिंचित भूमि पर की जाए। परियोजना में गैर कृषि उपयोग के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण को न्यूनतम रखा जाय, बहु फसल युक्त भूमि को ऐसे प्रयोजनों के लिए हर संभव दूर किया जाय तथा सिंचित भूमि के अधिग्रहण, यदि इसे टाला नहीं जा सके तो न्यूनतम पर रखा जाये। इन नीतियों को कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पास भेज दिया गया है।

इसके अलावा, देश में कृषि भूमि के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए तथा विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोगों में संतुलन बनाये रखने हेतु, सरकार विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है यथा (i) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटर शेड विकास योजना (एनडब्ल्यूडीपीआर), (ii) जल घाटी परियोजनाओं एवं बाढ़ग्रस्त नदियों (आरवीपी एवं एफपीआर) के केचमेंटों में भू-संरक्षण, (iii) क्षारीय एवं अम्लीय भूमि का पुनरुद्धार एवं विकास (आरएडीएएस), (iv) झूम कृषि क्षेत्रों में वाटर शेढ विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए)।

***विवरण***

*राज्यवार कृषि योग्य भूमि तथा गैर कृषि योग्य प्रयोजनों के अंतर्गत भूमि*

(हजार हैक्टेयर में क्षेत्रफल)

| राज्य/संघ शासित प्रदेश | गैर कृषि उपयोग में लाये गये क्षेत्र | कृषि योग्य भूमि/खेती योग्य कृषि भूमि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| आंध्र प्रदेश | | |
| 2007-08 | 2725 | 15939 |
| 2008-09 | 2742 | 15928 |
| 2009-10 | 2765 | 15921 |
| अरुणाचल प्रदेश | | |
| 2007-08 | 25 | 423 |
| 2008-09 | 25 | 422 |
| 2009-10 | 26 | 424 |
| असम | | |
| 2007-08 | 1218 | 3211 |
| 2008-09 | 1218 | 3211 |
| 2009-10 | 1218 | 3211 |
| बिहार | | |
| 2007-08 | 1653 | 6637 |
| 2008-09 | 1670 | 6620 |
| 2009-10 | 1690 | 6601 |
| छत्तीसगढ़ | | |
| 2007-08 | 687 | 5585 |
| 2008-09 | 721 | 5581 |
| 2009-10 | 703 | 5570 |
| गोवा | | |
| 2007-08 | 37 | 197 |
| 2008-09 | 37 | 197 |
| 2009-10 | 37 | 197 |
| गुजरात | | |
| 2007-08 | 1009 | 12680 |
| 2008-09 | 1009 | 12680 |
| 2009-10 | 1009 | 12680 |
| हरियाणा | | |
| 2007-08 | 457 | 3746 |
| 2008-09 | 470 | 3728 |
| 2009-10 | 470 | 3730 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| हिमाचल प्रदेश | | |
| 2007-08 | 467 | 824 |
| 2008-09 | 467 | 824 |
| 2009-10 | 467 | 824 |
| जम्मू और कश्मीर | | |
| 2007-08 | 302 | 1040 |
| 2008-09 | 297 | 1044 |
| 2009-10 | 306 | 1058 |
| झारखण्ड | | |
| 2007-08 | 754 | 4302 |
| 2008-09 | 764 | 4289 |
| 2009-10 | 764 | 4288 |
| कर्नाटक | | |
| 2007-08 | 1369 | 12891 |
| 2008-09 | 1375 | 12892 |
| 2009-10 | 1386 | 12891 |
| केरल | | |
| 2007-08 | 463 | 2316 |
| 2008-09 | 475 | 2305 |
| 2009-10 | 479 | 2303 |
| मध्य प्रदेश | | |
| 2007-08 | 2012 | 17310 |
| 2008-09 | 2050 | 17322 |
| 2009-10 | 2091 | 17298 |
| महाराष्ट्र | | |
| 2007-08 | 1428 | 21151 |
| 2008-09 | 1433 | 21149 |
| 2009-10 | 1443 | 21130 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| मणिपुर | | |
| 2007-08 | 26 | 242 |
| 2008-09 | 26 | 243 |
| 2009-10 | 26 | 240 |
| मेघालय | | |
| 2007-08 | 91 | 1056 |
| 2008-09 | 91 | 1053 |
| 2009-10 | 98 | 1052 |
| नागालैंड | | |
| 2007-08 | 74 | 677 |
| 2008-09 | 95 | 659 |
| 2009-10 | 87 | 671 |
| ओडिशा | | |
| 2007-08 | 1298 | 7126 |
| 2008-09 | 1298 | 7126 |
| 2009-10 | 1298 | 7126 |
| पंजाब | | |
| 2007-08 | 483 | 4236 |
| 2008-09 | 492 | 4215 |
| 2009-10 | 503 | 4206 |
| राजस्थान | | |
| 2007-08 | 1847 | 25576 |
| 2008-09 | 1970 | 25578 |
| 2009-10 | 1976 | 25569 |
| सिक्किम | | |
| 2007-08 | 11 | 98 |
| 2008-09 | 11 | 98 |
| 2009-10 | 11 | 98 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| तमिलनाडु | | |
| 2007-08 | 2169 | 8149 |
| 2008-09 | 2173 | 8146 |
| 2009-10 | 2176 | 8131 |
| त्रिपुरा | | |
| 2007-08 | 131 | 310 |
| 2008-09 | 131 | 310 |
| 2009-10 | 131 | 310 |
| उत्तराखंड | | |
| 2007-08 | 217 | 1549 |
| 2008-09 | 217 | 1547 |
| 2009-10 | 216 | 1548 |
| उत्तर प्रदेश | | |
| 2007-08 | 2761 | 19179 |
| 2008-09 | 2779 | 19166 |
| 2009-10 | 2801 | 19148 |
| पश्चिम बंगाल | | |
| 2007-08 | 1762 | 5721 |
| 2008-09 | 1793 | 5689 |
| 2009-10 | 1799 | 5684 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | | |
| 2007-08 | 8 | 26 |
| 2008-09 | 9 | 27 |
| 2009-10 | 7 | 28 |
| चण्डीगढ़ | | |
| 2007-08 | 5 | 2 |
| 2008-09 | 5 | 2 |
| 2009-10 | 5 | 2 |
| दादरा और नगर हवेली | | |
| 2007-08 | 4 | 24 |
| 2008-09 | 4 | 24 |
| 2009-10 | 4 | 24 |
| दमन और दीव | | |
| 2007-08 | 0 | 3 |
| 2008-09 | 0 | 5 |
| 2009-10 | 0 | 4 |
| दिल्ली | | |
| 2007-08 | 76 | 54 |
| 2008-09 | 76 | 54 |
| 2009-10 | 76 | 53 |
| लक्षद्वीप | | |
| 2007-08 | 0 | 3 |
| 2008-09 | 0 | 3 |
| 2009-10 | 0 | 3 |
| पुडुचेरी | | |
| 2007-08 | 18 | 30 |
| 2008-09 | 18 | 30 |
| 2009-10 | 18 | 30 |
| अखिल भारत | | |
| 2007-08 | 25711 | 182691 |
| 2008-09 | 26064 | 182514 |
| 2009-10 | 26171 | 182466 |

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय

## दूरदर्शन के प्रसारण केन्द्र

**126. श्री हरि माझी:**
**श्री ए.टी. नाना पाटील:**
**श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:**
**श्री हंसराज गं. अहीर:**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जन सेवा प्रसारक के रूप में दूरदर्शन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक इसे प्राप्त किया गया है;

(ग) क्या हाल ही में दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम की समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या दूरदर्शन का देश के विभिन्न भागों में अधिक ट्रांसमिशन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो किन स्थानों की पहचान की गई है और उन्हें कब तक चालू किये जाने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ):** (क) और (ख) प्रसार भारती लोक सेवा प्रसारक के रूप में अपने प्राथमिक अधिदेश को पूरा करने की दिशा में सतत उद्देश्यरत रहा है, जोकि एक सतत प्रक्रिया है। दूरदर्शन के पास फ्री-टु-एयर डीटीएच सेवा के अतिरिक्त 35 चैनल व 66 स्टूडियो व 1415 ट्रांसमीटरों का स्थलीय नेटवर्क है और इस प्रकार, वह देश का सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क है जिसके द्वारा लगभग 92% आबादी को कवर किया जाता है। इसके अलावा, 59 चैनलों की क्षमता वाली एक डीटीएच सेवा है जिसकी समस्त देश में शत-प्रतिशत कवरेज है। दूरदर्शन अपने दर्शकों को मनोरंजन मुहैया कराने के अतिरिक्त, अपने लोक सेवा अधिदेश के कारण सूचना का अधिकार, जन साक्षरता, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण आदि जैसे विभिन्न समसामयिक विषयों तथा एनआरएचएम, बालिका, महिला सशक्तिकरण, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत फ्लैगशिप अभियानों के बारे में अपने दर्शकों को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर सूचना का प्रसार करता है। दूरदर्शन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति व विकास को उजागर करते हुए भारत निर्माण के अंतर्गत कार्यक्रमों का भी प्रसारण कर रहा है।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों की विषय-वस्तु, गुणवत्ता, लोकप्रियता व तकनीकी गुणवत्ता की समीक्षा करने के लिए दूरदर्शन/प्रसार भारती में एक नियमित तंत्र है। नियमित तंत्र के अलावा, महानिदेशक, दूरदर्शन/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती भी विभिन्न चैनलों के कार्यक्रमों की संरचना और चैनलों की विषय-वस्तु के पुनर्गठन के संबंध में समय-समय पर विशेष समीक्षा बैठकें करते हैं। डीडी-1, डीडी-उर्दू, डीडी-भारती और डीडी-कशीर के संबंध में इन चैनलों के विशिष्ट दर्शकगण, प्रतिस्पर्धा व कार्यनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण विषय-वस्तु को पुनर्गठित करने के लिए बड़े स्तर पर समीक्षा की गई है। पुनर्गठित कार्यक्रमों के भाग के रूप में संपूर्ण भारत में होने वाले सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को प्रदर्शित करने वाले 'इनोवेशन' नामक एक कार्यक्रम को दूरदर्शन के सभी भाषिक उपग्रह चैनलों में और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल में प्रत्येक माह के अंतिम गुरुवार को हाल ही में शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन द्वारा अपने चैनलों के लिए श्रेष्ठ कार्यक्रमों का निर्माण करने हेतु कार्यक्रम निर्माण सुविधा केंद्रों में अभिनव कदम भी उठाए गए हैं।

(ङ) और (च) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 11वीं योजना के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं:-

(1) 29 नए टीवी ट्रांसमीटर, जिनमें से 27 ट्रांसमीटर पहले ही प्रचालित कर दिए गए हैं, शेष ट्रांसमीटरों को वर्ष 2012-13 के दौरान स्थापित किया जाएगा। ट्रांसमीटरों की राज्य-वार अवस्थितियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(2) जम्मू व कश्मीर में (क) ग्रीन रिज (उड़ी), (ख) हिमबोटिंगला टॉप (कारगिल), (ग) नाथा टॉप (जम्मू), और (घ) राजौरी (जम्मू) की अवस्थितियों पर पांच उच्च शक्ति टीवी ट्रांसमीटर- (डीडी 1 और डीडी न्यूज) को अगले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किया जाना।

(3) दूरदर्शन नेटवर्क डिजिटलीकरण स्कीम के अंतर्गत 40 डिजिटल उच्च शक्ति टीवी ट्रांसमीटर (वर्ष 2014 तक चरणबद्ध तरीके से अधिष्ठापित किया जाना)। इन ट्रांसमीटरों की राज्य-वार अवस्थितियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन ने समस्त देश में फ्री-टु-एयर डीटीएच "डीडी डायरेक्ट प्लस" के जरिए बहु-चैनल टीवी कवरेज पहले ही मुहैया करा दी है।

**विवरण I**

*11वीं योजना के अंग के रूप में स्थापित किए जाने वाले/स्थापित किए गए दूरदर्शन ट्रांसमीटर*

| राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | 11वीं योजना अवधि (फरवरी, 2011 तक) के दौरान स्थापित किए गए ट्रांसमीटर | इस समय स्थापना अधीन ट्रांसमीटर |
|---|---|---|
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, पोर्ट ब्लेयर | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, जोगिंटरनगर |
| | उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, पोर्ट ब्लेयर (डीडी न्यूज) | |
| | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कदमतला | |
| | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, हरीनगर | |
| | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, आर.के. पुरम | |
| | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, लोंग आइलैंड | |
| | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, नील आइलैंड | |
| | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, टेरेसा | |
| | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, चौरा | |
| | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, हटबे (डीडी न्यूज) | |
| | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, मायाबंदर (डीडी न्यूज) | |
| | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, रंगत (डीडी न्यूज) | |
| | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कैम्बेल बे (डीडी न्यूज) | |
| | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, नानकॉवरी (डीडी न्यूज) | |
| आंध्र प्रदेश | | उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, महबूबनगर |
| असम | उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, कोकराझार | |
| बिहार | उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, सहरसा | |
| छत्तीसगढ़ | उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, बिलासपुर | |
| हिमाचल प्रदेश | उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, धर्मशाला | |
| लक्षद्वीप | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, अमीनी (डीडी न्यूज) | |
| | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, अगाती (डीडी न्यूज) | |
| | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, मिनीकॉय (डीडी न्यूज) | |
| | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, एंड्रोट (डीडी न्यूज) | |
| | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कदमत (डीडी न्यूज) | |
| | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कल्पेनी (डीडी न्यूज) | |
| मध्य प्रदेश | उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, छतरपुर | |
| राजस्थान | उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, बीकानेर | |

*विवरण II*

*11वीं योजना के अंग के रूप में स्थापित किए जाने वाले डिजीटल ट्रांसमीटर*

| राज्य | अवस्थिति |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आंध्र प्रदेश | हैदराबाद |
| | विजयवाडा |
| असम | गुवाहाटी |
| बिहार | पटना |
| छत्तीसगढ़ | रायपुर |
| दिल्ली | दिल्ली |
| गुजरात | अहमदाबाद |
| | सूरत |
| | वडोदरा |
| | राजकोट |
| हिमाचल प्रदेश | कसौली |
| जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर |
| झारखंड | रांची |
| कर्नाटक | बंगलौर |
| | मैसूर |
| केरल | तिरुवनंतपुरम |
| | कोच्चि |
| मध्य प्देश | भोपाल |
| | इंदौर |
| | ग्वालियर |
| महाराष्ट्र | मुंबई |
| | नागपुर |
| | पुणे |
| | औरंगाबाद |
| ओडिशा | कटक |
| पंजाब | जालंधर |
| | अमृतसर |
| राजस्थान | जयपुर |
| तमिलनाडु | चेन्नै |
| | कोडैकनाल |
| उत्तर प्रदेश | कानपुर |
| | लखनऊ |
| | वाराणसी |
| | इलाहाबाद |
| | आगरा |
| | बरेली |
| उत्तराखंड | मसूरी |
| पश्चिम बंगाल | कोलकाता |
| | कर्सियांग |
| | कृष्णानगर |

**नक्सल गतिविधियां**

127. **श्री रमेन डेका:**
**श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:**
**श्री नीरज शेखर:**
**श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:**
**श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:**
**श्री चंद्रकांत खैरे:**
**डॉ. भोला सिंह:**
**श्री पी.सी. चाको:**
**श्री रामकिशुन:**
**श्री कौशलेन्द्र कुमार:**
**श्री कोडिकुन्नील सुरेश:**
**श्रीमती मीना सिंह:**
**श्री यशवीर सिंह:**
**श्री एस.एम. रामासुब्बू:**
**श्री ए.टी. नाना पाटील:**
**श्री सी. शिवासामी:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों, दिल्ली और हरियाणा सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों में वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितने सुरक्षा बल तथा नागरिक घायल हुए तथा मारे गए हैं;

(ग) नक्सलवाद. के पीड़ितों विशेषकर सुरक्षाकर्मियों को मुआवजा जारी किये जाने संबंधी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है तथा इसकी निगरानी के लिये क्या तंत्र स्थापित हैं;

(घ) क्या नक्सलवादियों को पड़ोसी देशों से समर्थन प्राप्त होने की रिपोर्ट है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा देश में नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिये नक्सलियों के साथ बातचीत सहित क्या उपाय किये गये हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) सीपीआई (माओवादी), जो एक प्रमुख वासमपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) संगठन है, देश के विभिन्न राज्यों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने की कोशिश करता रहा है। सीपीआई (माओवादी) अपनी सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य उग्रवादी समूहों के साथ संबंध बनाने की दृष्टि से पूर्वोत्तर में संगठनात्मक आधार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में, सीपीआई (माओवादी) ने मणिपुर के रिवोल्युशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ)/पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) जैसे पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूहों के साथ भाईचारे का संबंध विकसित कर लिया है। दोनों संगठन प्रशिक्षण वित्त पोणष हथियारों एवं गोलाबारूद की आपूर्ति के क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए सहमत हो गए हैं। सीपीआई (माओवादी) की अपर असम लीडिंग कमेटी (यूएएलसी) वर्तमान में असम और अरुणाचल प्रदेश में कार्य कर रही है और स्थानीय गांव वालों के हथियार लूटने और जबरन वसूली करने की घटनाओं में संलिप्त है। इन कॉडरों का इस्तेमाल असम में बड़े-बड़े बांधों के विरोध में व्यापक दुष्प्रचार करने के लिए किया गया है। इस पृष्ठपट में, असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा माओवादी गतिविधियों के एक अन्य गढ़ के रूप में उभर कर सामने आयी है। यह संगठन, पूर्वोत्तर में, विशेष रूप से, नागालैंड में गोला-बारूद के प्रापण हेतु एक पृथक चैनल की स्थापना भी कर रहा है।

(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में हुई घटनाओं के साथ-साथ मारे गए सुरक्षा बल कर्मियों तथा नागरिकों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण के में दिए गए हैं।

(ग) भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना में नक्सली हमलों की वजह से मारे गए नागरिकों के परिवार को 1 लाख रुपए का और सुरक्षा बल कार्मिकों के परिवार को 3 लाख रु. का अनुग्रह भुगतान करने का प्रावधान है। कार्रवाई के दौरान मारे गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक के निकटतम संबंधी को 15 लाख रुपए का अनुग्रह मुआवजा प्रदान किया जाता है। इसके साथ-साथ, नक्सली महलों में मारे गए नागरिकों एवं सुरक्षा बल कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में राज्य सरकारों की अपनी स्वयं की नीति है। आतंकवादी, साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा के पीड़ित नागरिकों को सहायता देने की केन्द्रीय योजना के तहत मृतक नागरिक के आश्रितों को उसके मरने अथवा स्थायी तौर पर अक्षम होने पर 3 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है।

(घ) सीपीआई (माओवादी) के फिलीपीन्स, टर्की इत्यादि स्थित वदेशी माओवादी संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी आफ माओइस्ट पार्टीज एण्ड आर्गनाइजेशन्स आफ साउथ एशिया (सीसीओएमपीओएसए) का सदस्य भी है। दक्षिण एशिया की माओवादी पार्टियां इस दुरभि संगठन के सदस्य है। संवेदनशील पूर्वोत्तर राज्यों में सीपीआई (माओवादी) की लूटमारी की गंभीर सामरिक विवक्षाएं हैं क्योंकि इनकी गतिविधियां सीमा-पार होने की संभावना है।

(ङ) सरकार गहनतापूर्वक स्थिति की निगरानी कर रही है।

(च) "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय होने के कारण, कानून एवं व्यवस्था के रखरखाव के संबंध में कार्रवाई करना मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। एलडब्ल्यूई का मुकाबला करने के प्रति केन्द्र सरकार का व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें यह अनेक मुद्दों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है जिसमें सीएपीएफ की तैनाती, विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता, शासन प्रणाली में सुधार करना तथा राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण करना शामिल है। भारत सरकार का मानना है कि समाकलित पुलिस कार्रवाई, संकेन्द्रित विकास प्रयासों तथा शासन व्यवस्था में सुधार के सम्मिलित प्रयासों से एलडब्ल्यूई के विरुद्ध वांछित परिणाम हासिल होंगे। सरकार ने प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) पार्टी से हिंसा त्यागने और बातचीत के लिए आगे आने का आह्वान किया है। सीपीआई (माओवादी) ने इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया है।

### *विवरण*

*राज्यवार वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाएं*

| राज्य | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | 2012 (2 मार्च तक) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | घटनाएं | मारे गए नागरिक | मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक | घटनाएं | मारे गए नागरिक | मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक | घटनाएं | मारे गए नागरिक | मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक | घटनाएं | मारे गए नागरिक | मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक |
| आंध्र प्रदेश | 66 | 18 | 0 | 100 | 24 | 0 | 54 | 9 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| बिहार | 232 | 47 | 25 | 307 | 72 | 25 | 314 | 59 | 3 | 27 | 7 | 0 |
| छत्तीसगढ़ | 529 | 163 | 127 | 625 | 171 | 172 | 465 | 124 | 80 | 58 | 4 | 5 |
| हरियाणा | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| झारखंड | 742 | 140 | 68 | 501 | 132 | 25 | 517 | 149 | 33 | 114 | 35 | 19 |
| कर्नाटक | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| केरल | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| महाराष्ट्र | 154 | 41 | 52 | 94 | 35 | 10 | 109 | 44 | 10 | 11 | 2 | 0 |
| ओडिशा | 266 | 36 | 31 | 218 | 62 | 17 | 192 | 39 | 14 | 28 | 5 | 7 |
| उत्तर प्रदेश | 8 | 2 | 0 | 6 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पश्चिम बंगाल | 255 | 144 | 14 | 350 | 223 | 35 | 90 | 39 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| असम | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| कुल | 2258 | 591 | 317 | 2213 | 720 | 285 | 1755 | 464 | 142 | 259 | 54 | 31 |

**नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिये विकास योजना**

**128. श्री रामकिशुन:**
**श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:**
**श्री प्रदीप माझी:**
**श्री एस. अलागिरी:**
**श्री वैजयंत पांडा:**
**श्री कौशलेन्द्र कुमार:**
**श्रीमती रमा देवी:**
**श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
**श्री किसनभाई वी. पटेल:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिये विभिन्न योजनाएं आरंभ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन होने से लेकर अब तक इसके तहत राज्य-वार और योजना-वार कितनी निधियां जारी और संस्वीकृत की गई हैं;

(ग) इस संबंध में स्थापित की गई निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नक्सल प्रभावित राज्यों के अन्य जिलों में उक्त योजनाओं को विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) से (ङ) योजना आयोग, त्वरित विकास के लिए चुने गए 60 जनजातीय एवं पिछड़े जिलों हेतु एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) कार्यान्वित कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य इन जिलों में सार्वजनिक ढांचा एवं सेवा उपलब्ध कराना है। इस योजना को दिनांक 7.12.2011 को 18 और वामपंथी उग्रवात प्रभावित जिलों में विस्तारित कर दिया गया है, जिससे इसकी कुल कवरेज 78 जिलों तक हो गई है।

वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में आईएपी के अंतर्गत राज्यवार आबंटित/निर्गत निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

| राज्य | आबंटन (करोड़ रुपए में) | निर्गम (करोड़ रुपए में) |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 290 | 270 |
| बिहार | 445 | 375 |
| छत्तीसगढ़ | 550 | 450 |
| झारखंड | 860 | 720 |
| मध्य प्रदेश | 440 | 360 |
| महाराष्ट्र | 110 | 90 |
| ओडिशा | 915 | 765 |
| उत्तर प्रदेश | 115 | 105 |
| पश्चिम बंगाल | 115 | 105 |
| कुल | 3840 | 3240 |

राज्य में विकास आयुक्त/विकास के समकक्ष प्रभारी अधिकारी आईएपी के व्यय की समीक्षा तथा निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। आईएपी की बृहत्-स्तरीय निगरानी सदस्य सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाती है। आईएपी कार्यान्वयन की समीक्षा नियमित रूप से योजना आयोग द्वारा संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों/विकास आयुक्तों तथा चुने गए जिलों के जिला कलक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसों/बैठकों के माध्यम से की जाती है।

इसके अलावा, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विभिन्न अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गहन निगरानी कर रही है। केन्द्र सरकार प्रभावित राज्यों में एक सड़क आवश्यकता योजना भी कार्यान्वित कर रही है।

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार**

129. **श्री राजीव रंजन सिंह** *उर्फ* **ललन सिंह:**
**श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:**
**डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**
**श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
**श्री रामकिशुन:**
**श्री कौशलेन्द्र कुमार:**
**श्री माणिकराव होडल्या गावित:**
**श्री लक्ष्मण टुडु:**
**श्री आर. ध्रुवनारायण:**
**श्री अंजन कुमार एम. यादव:**
**श्री यशवंत लागुरी:**
**श्री सी. शिवासामी:**
**श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न वस्तुओं के उठान और उसके आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि में पीडीएस में विपथन और अच्छे खाद्यान्न को खराब किस्म के खाद्यान्न से बदलने सहित तथाकथित भ्रष्टाचार अनियमितताओं के मामले/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है तथा इसमें कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने तथा पीडीएस को सुदृढ़ करने के लिये स्टाक की उपलब्धता के संबंध में एसएमएस और ई-मेल भेजने सहित कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) वर्ष 2008-09 से 2011-12 (जनवरी, 2012 तक) के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के राज्य-वार आवंटन और उठान का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) देश के कतिपय क्षेत्रों/राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। सरकार को व्यक्तियों और संगठनों तथा प्रेस रिपोर्टों के जरिए शिकायतें प्राप्त होने पर उन्हें संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जांच और उचित कार्रवाई हेतु भिजवाया गया है। विभाग में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में वर्ष 2009 से 2012 (जनवरी, 2012 तक) के दौरान प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना और सरल बनना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भारत सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य कुशलता और प्रभावोत्पादकता में सुधार करने के उद्देश्य से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समयबद्ध तरीके से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण शुरू करने का अनुरोध किया है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों के संचालन और सुपुर्दगी का पता लगाने के लिए एसएमएस/ई-मेल अलर्ट जारी करने की सुचना प्राप्त हुई है जिससे खाद्यान्नों की चोरी और उनके अन्यत्र उपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सरकार ने नियमित रूप से समीक्षा की है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को निगरानी तंत्र और सतर्कता में सुधार करके, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पारदर्शिता लाकर, संशोधित नागरिक अधिकार पत्र को अपनाकर और उचित दर दुकानों के प्रचालनों की कुशलता में सुधार लाकर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को मजबूत बनाने हेतु अनुदेश जारी किए हैं।

## *विवरण I*

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक (जनवरी, 2012 तक) चावल और गेहूं का आवंटन और उठान*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | उठान | आवंटन | उठान | आवंटन | उठान | आवंटन | उठान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3577.682 | 3532.766 | 3884.250 | 3526.692 | 3676.480 | 3433.137 | 3738.252 | 2512.793 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 101.556 | 91.058 | 101.556 | 99.538 | 101.556 | 85.023 | 101.556 | 67.714 |
| 3. | असम | 1406.256 | 1400.842 | 1485.966 | 1400.233 | 1673.126 | 1591.641 | 1806.756 | 1363.658 |
| 4. | बिहार | 2958.122 | 1529.022 | 3437.481 | 2274.014 | 3543.192 | 2969.154 | 3650.312 | 2311.965 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 937.698 | 805.755 | 1091.952 | 1005.898 | 1168.032 | 1135.107 | 1218.752 | 889.668 |
| 6. | दिल्ली | 592.548 | 561.815 | 592.548 | 577.275 | 595.734 | 607.303 | 597.858 | 448.889 |
| 7. | गोवा | 36.355 | 33.958 | 46.708 | 45.308 | 68.751 | 53.804 | 60.316 | 50.743 |
| 8. | गुजरात | 1042.040 | 856.966 | 1618.488 | 1025.464 | 1885.998 | 1532.880 | 2018.738 | 1054.551 |
| 9. | हरियाणा | 603.493 | 387.616 | 980.472 | 501.671 | 685.242 | 613.097 | 732.146 | 505.636 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 463.176 | 460.401 | 497.466 | 461.812 | 508.988 | 486.462 | 519.46 | 427.429 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 776.804 | 770.282 | 756.804 | 758.854 | 757.104 | 749.115 | 756.804 | 628.232 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | झारखंड | 1065.930 | 883.363 | 1311.792 | 1038.280 | 1319.412 | 1032.747 | 1339.032 | 847.541 |
| 13. | कर्नाटक | 2033.342 | 1951.272 | 2167.492 | 2092.192 | 2260.476 | 2132.040 | 2386.646 | 1879.901 |
| 14. | केरल | 1164.604 | 1120.931 | 1301.604 | 1233.443 | 1399.646 | 1373.157 | 1431.674 | 1203.875 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 2085.683 | 1985.462 | 3030.870 | 2953.426 | 2610.454 | 2707.860 | 2680.736 | 2175.342 |
| 16. | महाराष्ट्र | 3165.785 | 2706.938 | 4509.359 | 3576.017 | 4490.412 | 3687.169 | 4647.114 | 3011.686 |
| 17. | मणिपुर | 106.416 | 98.038 | 117.146 | 122.104 | 141.844 | 71.209 | 160.446 | 112.255 |
| 18. | मेघालय | 144.276 | 145.733 | 147.276 | 145.315 | 182.928 | 156.605 | 181.696 | 55.563 |
| 19. | मिजोरम | 82.908 | 75.298 | 82.908 | 75.675 | 70.140 | 64.502 | 70.140 | 55.563 |
| 20. | नागालैंड | 126.876 | 139.044 | 129.546 | 134.532 | 126.876 | 138.126 | 126.876 | 119.644 |
| 21. | ओडिशा | 1866.783 | 1826.342 | 2115.852 | 2080.701 | 2221.788 | 2052.089 | 2118.908 | 1712.746 |
| 22. | पंजाब | 662.920 | 505.338 | 1213.920 | 987.526 | 786.348 | 680.707 | 814.100 | 561.836 |
| 23. | राजस्थान | 1364.624 | 1280.799 | 1945.464 | 1919.335 | 2037.128 | 1937.843 | 2115.140 | 1749.855 |
| 24. | सिक्किम | 44.220 | 44.599 | 44.220 | 44.206 | 44.250 | 43.000 | 44.270 | 38.251 |
| 25. | तमिलनाडु | 3682.832 | 3806.151 | 3767.832 | 3951.112 | 3733.832 | 3698.126 | 3722.832 | 3129.266 |
| 26. | त्रिपुरा | 275.004 | 268.012 | 302.004 | 279.176 | 302.622 | 249.020 | 308.034 | 226.589 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 4925.854 | 4255.337 | 7039.894 | 6455.013 | 6948.948 | 6555.953 | 7114.590 | 5607.574 |
| 28. | उत्तराखंड | 362.252 | 308.118 | 436.002 | 408.472 | 474.122 | 455.838 | 501.702 | 367.692 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 3031.942 | 2718.517 | 3316.544 | 3145.293 | 3601.864 | 3325.618 | 3763.754 | 2702.582 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 29.341 | 16.379 | 31.959 | 18.489 | 34.020 | 17.921 | 34.020 | 13.548 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 5.628 | 3.510 | 25.796 | 25.276 | 31.380 | 25.975 | 34.980 | 28.170 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 8.154 | 8.088 | 8.880 | 2.973 | 9.924 | 2.457 | 10.284 | 8.461 |
| 33. | दमन और दीव | 2.370 | 0.23 | 4.320 | 1.346 | 4.980 | 1.162 | 5.430 | 4.026 |
| 34. | लक्षद्वीप | 4.608 | 3.703 | 4.614 | 3.707 | 4.620 | 6.385 | 4.620 | 2.703 |
| 35. | पुडुचेरी | 38.349 | 18.928 | 53.712 | 32.317 | 56.112 | 48.435 | 58.912 | 38.412 |
| | जोड़ | 38776.431 | 34600.804 | 47602.697 | 42402.685 | 47547.329 | 43720.667 | 48876.848 | 36006.335 |

*आवंटन पूरे वर्ष के लिए, उठान जनवरी, 2012 तक है।

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 2009-10 में खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का विशेष तदर्थ अतिरिक्त आवंटन*

(टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 20.1.2010 को अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से नीचे/ गरीबी रेखा से ऊपर के लिए किया गया आवंटन | |
|---|---|---|---|
| | | आवंटन | उठान |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 316420 | 125563 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4840 | 0 |
| 3. | असम | 89860 | 23236 |
| 4. | बिहार | 237580 | 0 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 882220 | 50367 |
| 6. | दिल्ली | 55640 | 21798 |
| 7. | गोवा | 6400 | 0 |
| 8. | गुजरात | 175140 | 9025 |
| 9. | हरियाणा | 62960 | 15418 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 25140 | 6043 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 36040 | 0 |
| 12. | झारखंड | 87120 | 0 |
| 13. | कर्नाटक | 188740 | 73685 |
| 14. | केरल | 122200 | 8242 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 194060 | 0 |
| 16. | महाराष्ट्र | 354540 | 0 |
| 17. | मणिपुर | 8140 | 6467 |
| 18. | मेघालय | 8980 | 2335 |
| 19. | मिजोरम | 3340 | 3340 |
| 20. | नागालैंड | 6040 | 1816 |
| 21. | ओडिशा | 135820 | 5693 |
| 22. | पंजाब | 79520 | 0 |
| 23. | राजस्थान | 177340 | 46641 |
| 24. | सिक्किम | 2100 | 938 |
| 25. | तमिलनाडु | 277640 | 258361 |
| 26. | त्रिपुरा | 14440 | 0 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 522830 | 0 |
| 28. | उत्तराखंड | 24380 | 0 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 290460 | 228988 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1620 | 0 |
| 31. | चंडीगढ़ | 4060 | 0 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 720 | 720 |
| 33. | दमन और दीव | 510 | 300 |
| 34. | लक्षद्वीप | 220 | 220 |
| 35. | पुडुचेरी | 4480 | 406 |
| | जोड़ | 3607540 | 921860 |

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किए गए सामान्य एवं विशेष तदर्थ अतिरिक्त आवंटनों के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण*

**2010-11 (चावल और गेहूं)** (मात्रा हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | विशेष तदर्थ अतिरिक्त | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अंअयोगरेनी/गरेऊ के लिए आवंटन 19.5.2010 @ रुपए 11.85/किग्रा.$ | | गरेऊ के लिए आवंटन 6.1.2011 @ 11.85 रु. प्रति किग्रा.* | | गरेनी के लिए आवंटन 7.9.2010 और 6.2.1011 @ गरेनी के लिए जारी मूल्य पर* | |
| | | आवंटन | उठान | आवंटन | उठान | आवंटन | उठान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 268.957 | 3.706 | 255.22 | 12.132 | 511.57 | 510.338 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4.114 | 2.19 | 3.104 | 2.404 | 12.592 | 7.18 |
| 3. | असम | 196.381 | 82.018 | 282.673 | 111.622 | 290.794 | 171.081 |
| 4. | बिहार | 201.943 | 24.96 | 116.258 | 20.751 | 500.214 | 325.882 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 149.974 | 41.787 | 205.047 | 156.779 | 143.784 | 194.411 |
| 6. | दिल्ली | 47.294 | 22.64 | 51.509 | 0 | 31.364 | 23.369 |
| 7. | गोवा | 5.44 | 0.002 | 5.904 | 3.007 | 3.68 | 3.374 |
| 8. | गुजरात | 148.869 | 16.141 | 144.063 | 14.59 | 162.572 | 132.874 |
| 9. | हरियाणा | 53.516 | 16.28 | 51.205 | 36.806 | 60.504 | 22.076 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 21.369 | 21.084 | 16.128 | 14.62 | 39.416 | 29.491 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 30.634 | 30.983 | 63.139 | 51.333 | 56.44 | 56.97 |
| 12. | झारखंड | 74.052 | 8.363 | 42.587 | 0.764 | 183.584 | 126.175 |
| 13. | कर्नाटक | 160.429 | 51.525 | 136.922 | 12.552 | 239.946 | 233.571 |
| 14. | केरल | 153.87 | 116.062 | 179.893 | 128.076 | 125.653 | 125.553 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 164.951 | 13.322 | 121.077 | 11.933 | 516.324 | 6.668 |
| 16. | महाराष्ट्र | 301.359 | 40.694 | 242.956 | 27.145 | 501.06 | 286.014 |
| 17. | मणिपुर | 6.919 | 0 | 5.231 | 6.07 | 17.73 | 16.921 |
| 18. | मेघालय | 7.633 | 7.843 | 5.773 | 5.517 | 19.034 | 11.2 |
| 19. | मिजोरम | 5.678 | 2.781 | 18.149 | 17.599 | 10.214 | 11.436 |
| 20. | नागालैंड | 10.268 | 2.941 | 13.864 | 9.354 | 14.51 | 15.132 |
| 21. | ओडिशा | 115.447 | 0.135 | 75.819 | 12.006 | 252.906 | 190.414 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | पंजाब | 67.592 | 59.295 | 276.145 | 70.905 | 35.888 | 28.664 |
| 23. | राजस्थान | 301.478 | 191.769 | 239.7 | 186.653 | 236.42 | 221.277 |
| 24. | सिक्किम | 2.285 | 1.277 | 1.646 | 0.841 | 4.498 | 4.499 |
| 25. | तमिलनाडु | 235.994 | 129.465 | 195.767 | 34.731 | 372.918 | 353.252 |
| 26. | त्रिपुरा | 12.274 | 0 | 9.269 | 0 | 22.622 | 22.623 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 444.406 | 114.226 | 335.641 | 4.16 | 818.88 | 508.498 |
| 28. | उत्तराखंड | 20.723 | 4.034 | 165.65 | 93.7 | 38.188 | 15.3 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 246.891 | 223.416 | 202.822 | 143.61 | 397.152 | 291.327 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1.377 | 0 | 1.15 | 0 | 2.146 | 0.455 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 3.451 | 0 | 3.907 | 3.116 | 1.764 | 0.555 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 0.612 | 0 | 0.391 | 0.391 | 1.382 | 0.692 |
| 33. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0.268 | 0.112 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.187 | 0 | 0.174 | 0.724 | 0.23 | 0 |
| 35. | पुडुचेरी | 3.808 | 0.309 | 3.039 | 4.228 | 6.442 | 1.567 |
| | सकल जोड़ | 3066.410# | 1229.248 | 2500.000# | 1198.119 | 5000.004# | 3948.951 |

$31.12.2010 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 11.8.2011 की स्थिति के अनुसार समेकित, स्रोत: नियंत्रण कक्ष, भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय।
*31.12.2012 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 14.2.2012 की स्थिति के अनुसार, श्रोत: नियंत्रण कक्ष, भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय।
#कुछ मामलों में, कुछ आंकड़ों को कुल आवंटनों के अंतर्गत न उठाई गई बचतों से किए गए पुन: आवंटन के कारण राज्यों को किए गए आवंटन के सकल जोड़ में शामिल नहीं किया गया है।

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निर्धनतम जिलों को किए गए आवंटन और सामान्य, विशेष तदर्थ अतिरिक्त आवंटन के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण*

**2011-12 (चावल और गेहूं)** (मात्रा हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | गरेनी के लिए विशेष तदर्थ अतिरिक्त आवंटन 16.5.2011 @ गरेनी की दरों पर* | | निर्धनतम जिलों को किए गए गरेनी के आवंटन # | | निर्धनतम जिलों को किए गए अंअयो के आवंटन # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | उठान | आवंटन | उठान | आवंटन | उठान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 311.57 | 179.349 | 71.869 | 0 | 44.928 | 0 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 7.592 | 2.507 | 0.454 | 0 | 0.283 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 140.794 | 163.516 | 9.458 | 0 | 5.882 | 0 |
| 4. | बिहार | 500.214 | 368.473 | 437.307 | 115.344 | 159.204 | 1.799 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 143.784 | 140.86 | 98.523 | 92.434 | 33.429 | 0 |
| 6. | दिल्ली | 31.364 | 23.303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | गोवा | 3.68 | 3.033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | गुजरात | 162.572 | 131.143 | 31.754 | 21.165 | 19.748 | 0 |
| 9. | हरियाणा | 60.504 | 39.618 | 7.459 | 0.399 | 2.28 | 0.146 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 39.416 | 14.842 | 10.457 | 9.161 | 1.08 | 0 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 56.44 | 29.599 | 9.705 | 4.472 | 2.052 | 0 |
| 12. | झारखंड | 183.584 | 55.974 | 92.355 | 21.408 | 39.874 | 0 |
| 13. | कर्नाटक | 239.946 | 211.131 | 19.357 | 4.839 | 12.038 | 3.009 |
| 14. | केरल | 119.168 | 95.449 | 3.648 | 1.365 | 1.42 | 0 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 316.324 | 260.767 | 203.514 | 91.438 | 74.53 | 0 |
| 16. | महाराष्ट्र | 501.06 | 202.411 | 65.24 | 0.051 | 40.572 | 0.05 |
| 17. | मणिपुर | 12.73 | 8.338 | 0.884 | 0.3 | 0.351 | 0 |
| 18. | मेघालय | 14.033 | 8.343 | 1.06 | 0 | 0.859 | 0 |
| 19. | मिजोरम | 5.214 | 2.122 | 0.098 | 0.049 | 0.061 | 0.031 |
| 20. | नागालैंड | 9.51 | 11.521 | 0.194 | 0.037 | 0.121 | 0.024 |
| 21. | ओडिशा | 252.906 | 107.863 | 88.744 | 1.386 | 55.189 | 0.866 |
| 22. | पंजाब | 35.888 | 28.806 | 1.134 | 0 | 0.705 | 0 |
| 23. | राजस्थान | 186.42 | 162.851 | 70.762 | 50.904 | 28.292 | 0 |
| 24. | सिक्किम | 6.098 | 2.678 | 0.241 | 0.146 | 0.023 | 0 |
| 25. | तमिलनाडु | 372.918 | 349.567 | 25.247 | 6 | 15.701 | 8.646 |
| 26. | त्रिपुरा | 22.622 | 14.451 | 1.811 | 0.327 | 0.923 | 0 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 818.88 | 533.743 | 195.281 | 9.451 | 121.443 | 0 |
| 28. | उत्तराखंड | 38.188 | 24.65 | 2.109 | 1.319 | 0.493 | 0 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 397.152 | 249.206 | 159.884 | 0.057 | 99.431 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 2.146 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 1.764 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दमन और दीव | 0.268 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पुडुचेरी | 6.442 | 5.094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | सकल जोड़ | 5002.803 | 3434.149 | 1608.549 | 432.052 | 760.912 | 14.571 |

#निर्धनतम जिलों का उठान जनवरी, 2012 तक है।

*31.12.2012 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 14.2.2012 की स्थिति के अनुसार, श्रोत: नियंत्रण कक्ष, भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय।

## *विवरण II*

*2009 से 2012 तक (जनवरी, 2012 तक) व्यक्तियों, संगठनों और मीडिया रिपोर्टों आदि के जरिए विभाग में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में प्राप्त शिकायतों का विवरण*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | – | 3 | 1 | – |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | – | 2 | 2 | – |
| 3. | असम | 6 | 1 | 1 | – |
| 4. | बिहार | 16 | 13 | 6 | – |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 4 | 5 | 1 | – |
| 6. | दिल्ली | 29 | 37 | 16 | 4 |
| 7. | गोवा | – | 1 | – | – |
| 8. | गुजरात | 4 | 3 | 2 | – |
| 9. | हरियाणा | 5 | 24 | 7 | 1 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | – | – | 4 | – |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 1 | 3 | – | 1 |
| 12. | झारखंड | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 13. | कर्नाटक | 6 | 2 | 1 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | केरल | 1 | 3 | 1 | – |
| 15. | मध्य प्रदेश | 9 | 13 | 9 | 1 |
| 16. | महाराष्ट्र | 12 | 5 | 8 | 2 |
| 17. | मणिपुर | – | – | 1 | – |
| 18. | मेघालय | – | – | 1 | – |
| 19. | नागालैंड | 1 | 1 | – | – |
| 20. | ओडिशा | 1 | 3 | 2 | – |
| 21. | पंजाब | 1 | 2 | – | 2 |
| 22. | राजस्थान | 7 | 6 | 6 | – |
| 23. | सिक्किम | 3 | 2 | – | – |
| 24. | तमिलनाडु | 6 | 2 | 3 | – |
| 25. | उत्तराखंड | 1 | 1 | 1 | – |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 46 | 33 | 68 | 6 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 4 | 2 | – | 2 |
| 28. | चण्डीगढ़ | – | 2 | – | – |
| 29. | पुडुचेरी | – | – | – | – |
| | जोड़ | 169 | 174 | 144 | 20 |

*[अनुवाद]*

**किसानों द्वारा आत्महत्या**

130. **श्री प्रबोध पांडा:**
**श्री नारनभाई कछाड़िया:**
**श्री के. सुगुमार:**
**डॉ. एम. तम्बिदुरई:**
**कुमारी सरोज पाण्डेय:**
**श्री गोपीनाथ मुंडे:**
**श्री रमेश बैस:**
**श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:**
**श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:**
**श्री पोन्नम प्रभाकर:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि/बीटी कॉटन आदि की वैज्ञानिक पद्धति अपनाने के बावजूद विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किसानों द्वारा आत्महत्याएं जारी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान विदर्भ क्षेत्र सहित प्रत्येक राज्ययसंघ राज्य क्षेत्र में कितने किसानों ने आत्महत्या की अथवा अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में कृषि आगतों के मूलयों के अनुरूप वृद्धि न होने के कारण किसानों की आत्महत्याओं की घटनाओं पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा किसानों की वित्तीय परिस्थितियों में सुधार करने के लिये तथा उन्हें कर्ज से मुक्त करने के लिये तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की स्थापना के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) से (ङ) महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा सूचित पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान कृषि संबंधी कारणों से किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

जैसाकि राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है, किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के बहुत से कारण हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-सात ऋणग्रस्तता, फसल नष्ट होना, सूखा, सामाजिक-आर्थिक और व्यक्तिगत कारण शामिल हैं।

किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने को रोकने, वित्तीय स्थिति में सुधार किए जाने और ऋणग्रस्तता से उबरने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में 31 जिलों को कवर करते हुए पुनर्वास पैकेज का कार्यान्वयन, जिसके अधीन 30 जून, 2011 तक 19910.70 करोड़ रु. की धनराशि निर्मुक्त कर दी गई है।

(ii) कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम, 2008 का कार्यान्वयन जिससे अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 65,318.33 करोड़ रु. की ऋण माफी/राहत शामिल करते हुए लगभग 3.69 करोड़ किसानों को लाभ हुआ।

(iii) मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह को 468291.28 करोड़ रु. तक बढ़ाया जाना। 2011-12 के लिए ऋण प्रवाह के लक्ष्य को 475000 करोड़ रु. तक बढ़ाया गया है जिसकी तुलना में नवम्बर 2011 तक उपलब्धि 294023 करोड़ रुपये है।

(iv) किसानों को ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने तथा वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए समयबद्ध ढंग से सभी पात्र व इच्छुक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मुहैया कराना। अक्तूबर, 2011 तक 10.78 करोड़ केसीसी जारी कर दिए गए हैं।

(v) 3 लाख रु. तक के फसल ऋण के समय पर पुनर्भुगतान के लिए ब्याज दर छूट मुहैया कराना जिससे ऐसे किसानों, जो अपने फसल ऋण का पुनर्भुगतान समय पर करते हैं, के लिए ब्याज की प्रभावी दर कम होकर 4% प्रति वर्ष हो गई है।

(vi) कटाई पूर्व ब्याज दर छूट का यह लाभ अब कटाई पश्चात् के आगे छह माहकी अवधि हेतु केसीसी रखने वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी उसी दर पर उपलब्ध है जैसे कि उनके उत्पाद गोदाम में रखने के लिए परक्राम्य गोदाम रसीद के विरुद्ध फसल ऋण के लिए है।

(vii) लाभकारी मूल्य और किसानों की आय बढ़ाया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष चिन्हित कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा। मुख्य कृषि जिन्सों का एमएसपी पर्याप्त रूप से बढ़ा है उदाहरणार्थ, 2004-05 से 2011-12 के दौरान एमएसपी में वृद्धि की रेंज मूंगफली के मामले में 80% से दलहन (मूंग) हेतु 148% तक है।

(viii) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और राष्ट्रीय महिला कोष जैसी शीर्ष संस्थाओं के माध्यम से सूक्ष्म वित्त सेवा। खुदरा स्तर पर, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक भी सूक्ष्म वित्त सेवाएं मुहैया कराते हैं। थोक संसाधन समर्थन मुहैया कराने के लिए एमएफआई के मूल्यांकन में नाबार्ड लघु वित्त संस्थाओं (एमएफआई) तथा साथ ही बैंकरों के स्टाफ को क्षमता निर्माण के रूप में तकनीकी समर्थन मुहैया कराता है।

कृषि क्षेत्र के पुनरुद्धार तथा सतत् आधार पर किसानों की स्थिति सुधारने के लिए, सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में अन्य के साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, पनधारा प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन इत्यादि जैसी विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि शामिल हैं।

## *विवरण*

*किसानों द्वारा की गई आत्महत्याएं*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | रिपोर्ट की अवधि/तारीख | राज्य सरकार द्वारा यथा सूचित कृषि संबंधी कारणों से किसानों द्वारा की गयी आत्महत्या की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2009 | 299 |
| | | 2010 | 187 |
| | | 2011 (14.02.2012) | 109 |
| 2. | कर्नाटक | 2008-09 | 156 |
| | | 2009-10 | 138 |
| | | 2010-11 (02.08.2011) | 77 |
| 3. | महाराष्ट्र | 2009 | 550 |
| | | 2010 | 454 |
| | | 2011 (29.07.2011) | 123 |
| 4. | केरल | 2009 | शून्य |
| | | 2010 | शून्य |
| | | 2011 (01.08.2011) | शून्य |
| 5. | तमिलनाडु | 2008 | शून्य |
| | | 2009 | शून्य |
| | | 2010 (10.11.2010) | शून्य |
| 6. | पंजाब | 2008 | 12 |
| | | 2009 | 15 |
| | | 2010 (20.09.2010) | 04 |
| 7. | गुजरात | 29.06.2011 | शून्य |
| 8. | असम | 23.05.2011 | शून्य |
| 9. | अरुणाचल प्रदेश | 09.05.2011 | शून्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 10. | बिहार | 06.06.2011 | शून्य |
| 11. | छत्तीसगढ़ | 06.01.2011 | शून्य |
| 12. | गोवा | 29.07.2011 | शून्य |
| 13. | हरियाणा | 16.05.2011 | शून्य |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 01.08.2011 | शून्य |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | 17.08.2011 | शून्य |
| 16. | झारखंड | 18.06.2010 | शून्य |
| 17. | मणिपुर | 02.12.2010 | शून्य |
| 18. | मेघालय | 24.06.2011 | शून्य |
| 19. | मध्य प्रदेश | 18.01.2011 | शून्य |
| 20. | मिजोरम | 23.05.2011 | शून्य |
| 21. | नागालैंड | 24.06.2011 | शून्य |
| 22. | ओडिशा | 26.03.2011 | शून्य |
| 23. | राजस्थान | 23.11.2010 | शून्य |
| 24. | सिक्किम | 04.03.2011 | शून्य |
| 25. | त्रिपुरा | 01.06.2011 | शून्य |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 24.01.2011 | शून्य |
| 27. | उत्तराखंड | 19.07.2011 | शून्य |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 13.12.2010 | शून्य |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 27.04.2011 | शून्य |
| 30. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार | 25.022011 | शून्य |
| 31. | दमन और दीव | 02.05.2011 | शून्य |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 05.05.2011 | शून्य |
| 33. | लक्षद्वीप | 17.03.2011 | शून्य |
| 34. | पुडुचेरी | 22.09.2011 | शून्य |
| 35. | चंडीगढ़ | 12.07.2011 | शून्य |

## खाद्यान्नों को क्षति

**131. श्रीमती सुमित्रा महाजनः**
**श्री सी. राजेन्द्रनः**
**श्री पन्ना लाल पुनियाः**
**श्री वैजयंत पांडाः**
**श्री डी.बी. चन्द्रे गौडाः**
**श्री कोडिकुन्नील सुरेशः**
**श्री जी.एम. सिद्देश्वरः**
**श्री नित्यानंद प्रधानः**
**श्री पी. कुमारः**
**श्री प्रताप सिंह बाजवाः**
**श्री जफर अली नकवीः**
**श्री पी.के. बिजूः**
**श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः**
**श्री असादूद्दीन ओवेसीः**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले खरीफ मौसम सहित सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान अपर्याप्त भण्डारण, कीट तथा अन्य कारणों के चलते खाद्यान्नों की हानि के संबंध में कोई रिपोर्टें/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, साथ ही उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार खरीदे गये खाद्यान्नों, अपेक्षित भण्डार क्षमता तथा उपलब्धता सहित खराब हुए खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाएं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार भण्डारण गोदामों के निर्माण के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं तथा प्राप्त किये गये हैं;

(घ) क्या सरकार का आगामी मौसम में बढ़ी हुई आवश्यकताओं को कम करने के लिये अधिक गोदामों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इसके लिये निर्धारित लक्ष्य तथा उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य-वार क्या कदम उठाये गये हैं; और

(च) उच्चतम न्यायालय द्वारा खाद्यान्नों के अतिरिक्त स्टॉक को गोदामों में सड़ने देने की बजाय उन्हें गरीबों में निःशुल्क संवितरित करने के लिये जारी किये गये आदेश की मौजूदा स्थिति क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भंडारण के दौरान खाद्यान्नों की कुछ मात्रा जारी न करने योग्य (क्षतिग्रस्त) होने की रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) और (ग) भंडारण के दौरान भंडारण जंतु बाधा हमला, गोदामों में लीकेज, खराब गुणवत्ता के स्टाक की खरीदारी, स्टाक के संचलन और हैण्डलिंग के दौरान बिखराव, वर्षा में भीगने, बाढ़ आने, सावधानी के उपाय करने में संबंधित व्यक्तियों की ओर से लापरवाही होने आदि जैसे विभिन्न कारणों से खाद्यान्न क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य हो सकते हैं। ढके हुए और कैप भंडारण में खाद्यान्नों का सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडारण करने के लिए मंत्रालय ने अपेक्षित उपाय करने हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और भारतीय खाद्य निगम को समय-समय पर अनुदेश जारी किये हैं। हाल ही में इन्हें 19.12.2011 और 11.01.2012 को फिर से भेजा गया है। इन उपायों में खरीद, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्यान्नों की गुणवत्ता की सतत मानिटरिंग करना, ढके हुए और कैप भंडारण में सुरक्षित संग्रह के लिए पद्धति संहिता का पालन करना, कीट जन्तु बाधा नियंत्रण के लिए रोग निरोधी और रोगहर उपचार जैसे सभी सावधानी के उपाय करना, गुणवत्ता का आकलन करने के लिए स्टाक का नियमित आवधिक निरीक्षण करना आदि शामिल हैं। लगातार मानिटरिंग करने के परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्नों के क्षतिग्रस्त होने में गिरावट का रूझान दिखाई दिया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी न करने योग्य (क्षतिग्रस्त) हुए खाद्यान्नों के स्टाक के क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खरीदे गए गेहूं, चावल और मोटे अनाजों के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-II, III और IV में दिये गये हैं।

31.01.2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध अपनी और किराये की, दोनों ढकी हुई और कवर तथा प्लिंथ की भंडारण क्षमता लगभग 335 लाख टन थी। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-V में दिये गये हैं। 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार खाद्यान्नों के केन्द्रीय स्टाक के भंडारण के लिए राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता ढकी हुई और कैप क्षमता सहित 303 लाख टन थी। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-VI में दिये गये हैं। इस प्रकार खाद्यान्नों के केन्द्रीय स्टाक के भंडारण के लिए कुल 638 लाख टन भंडारण क्षमता उपलब्ध थी, जबकि 1.3.2012 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय स्टाक 544 लाख टन था।

इस स्कीम के अधीन भारतीय खाद्य निगम अब निजी उद्यमियों को सुनिश्चित किराया देने के लिए 10 वर्ष की गारंटी देगा। निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए इस स्कीम के अधीन 19 राज्यों में लगभग 151 लाख टन क्षमता सृजित की जानी है। राज्यवार, ब्यौरे संलग्न विवरण-VII में दिये गये हैं। इसमें से निजी उद्यमियों द्वारा 15.2.2012 की स्थिति के अनुसार लगभग 89 लाख टन भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया है। इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगम क्रमशः 5.4 और 14.75 लाख टन क्षमता का निर्माण कर रहे हैं जिसमें से केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भंडारण निगमों द्वारा लगभग 5 लाख टन क्षमता पहले ही पूरी कर ली गई है। स्कीम के दिशा निर्देशों के अनुसार रेलवे साइडिंग से इतर गोदामों को पूरा करने की समयावधि एक वर्ष है और रेलवे साइडिंग के गोदामों के लिए दो वर्ष है। सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में 5.4 लाख टन भंडारण क्षमता का निर्माण करने की योजना को भी अंतिम रूप दिया है। इन क्षमताओं के 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तैयार हो जाने की आशा है।

(च) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 14.5.2011 के आदेश में भारत संघ को निदेश दिया था कि 150 निर्धनतम जिलों अथवा समाज के अत्यंत गरीब और कमजोर वर्गों में वितरण करने के लिए 5 मिलियन टन खाद्यान्न आरक्षित रखा जाए। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश भी दिया था कि उपर्युक्त मात्रा का आबंटन उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश डी.पी. वाधवा की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर निर्धनतम जिलों को किया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपुर्यक्त निदेशों और उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 27 राज्यों में समिति द्वारा पहचान किये गये 174 निर्धनतम/पिछड़े जिलों में वितरण करने के लिए जुलाई से अक्तूबर, 2011 तक के दौरान कुल 23.67 लाख टन खाद्यान्नों की मात्रा का आबंटन किया है।

## *विवरण I*

*पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में (1.2.2012 तक) भारतीय खाद्य निगम के पास जारी न करने योग्य (क्षतिग्रस्त) पाए गए क्षेत्रवार स्टाक*

(आंकड़े टन में)

| क्र.सं. | क्षेत्र | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 (1.2.2012 तक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | बिहार | 14 | 726 | 200 | 0 |
| 2. | झारखंड | 15 | 17 | 39 | 29 |
| 3. | ओडिशा | 84 | 0 | 18 | 27 |
| 4. | पश्चिम बंगाल | 1789 | 1357 | 922 | 470 |
| 5. | असम | 83 | 38 | 49 | 442 |
| 6. | पूर्वोत्तर सीमांत | 212 | 77 | 175 | 0 |
| 7. | नागालैंड और मणिपुर (एन एंड एम) | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | दिल्ली | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 9. | हरियाणा | 16 | 0 | 53 | 0 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 12. | पंजाब | 16798 | 2273 | 182 | 37 |
| 13. | राजस्थान | 0 | 12 | 21 | 30 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 62 | 14 | 520 | 11 |
| 15. | उत्तराखंड | 4 | 0 | 1338 | 0 |
| 16. | आंध्र प्रदेश | 0 | 0 | 3 | 4.33 |
| 17. | केरल | 98 | 19 | 99 | 200 |
| 18. | कर्नाटक | 74 | 70 | 17 | 0 |
| 19. | तमिलनाडु | 1 | 1 | 12 | 28 |
| 20. | गुजरात | 655 | 814 | 2595 | 226 |
| 21. | महाराष्ट्र | 189 | 245 | 97 | 1356 |
| 22. | मध्य प्रदेश | 14 | 49 | 2 | 0 |
| 23. | छत्तीसगढ़ | 0 | 974 | 2 | 13 |
| | जोड़ | 20114 | 6702 | 6346 | 2873.33 |

## *विवरण II*

*पिछले तीन विपणन मौसमों और वर्तमान विपणन मौसम (अप्रैल से मार्च) में गेहूं की खरीद*

(हजार टन में)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| बिहार | 500 | 497 | 183 | 577 |
| चंडीगढ़ | 10 | 12 | 9 | 7 |
| छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 6 | 0 | 10 | 8 |
| गुजरात | 415 | 75 | 1 | 105 |
| हरियाणा | 5237 | 6924 | 6347 | 6928 |
| हिमाचल प्रदेश | नगण्य | 1 | नगण्य | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| जम्मू और कश्मीर | 1 | 1 | 0 | 0 |
| झारखंड | 2 | नगण्य | नगण्य | 0 |
| मध्य प्रदेश | 2410 | 1968 | 3539 | 4965 |
| महाराष्ट्र | 10 | 0 | 0 | 0 |
| पंजाब | 9941 | 10725 | 10209 | 10958 |
| राजस्थान | 935 | 1152 | 476 | 1303 |
| उत्तर प्रदेश | 3137 | 3882 | 1645 | 3461 |
| उत्तराखंड | 85 | 145 | 86 | 42 |
| पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 9 | 0 |
| जोड़ | 22689 | 25382 | 22514 | 28335 |

नगण्य : 500 टन से कम
*12.12.2011 के अनुसार

## *विवरण III*

*पिछले तीन विपणन मौसमों और वर्तमान विपणन मौसम (अक्तूबर से सितम्बर) में चावल की खरीद*

(हजार टन में)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2008-09 | 2009-10 | #2010-11 | *2011-12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 |
| आंध्र प्रदेश | 9058 | 7555 | 9609 | 3313 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 |
| असम | 3 | 8 | 16 | 1 |
| बिहार | 1083 | 890 | 883 | 379 |
| चंडीगढ़ | 10 | 14 | 10 | 13 |
| छत्तीसगढ़ | 2848 | 3357 | 3746 | 3626 |
| दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गुजरात | 0 | 0 | 0 | 4 |
| हरियाणा | 1425 | 1819 | 1687 | 1972 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 1 | 1 |
| जम्मू और कश्मीर | 7 | 0 | 11 | 1 |
| झारखंड | 143 | 23 | नगण्य | 70 |
| कर्नाटक | 107 | 86 | 180 | 167 |
| केरल | 237 | 261 | 263 | 110 |
| मध्य प्रदेश | 247 | 255 | 516 | 625 |
| महाराष्ट्र | 261 | 229 | 308 | 116 |
| नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ओडिशा | 2801 | 2497 | 2465 | 1334 |
| पुडुचेरी | 8 | 8 | 40 | 1 |
| पंजाब | 8554 | 9275 | 8634 | 7731 |
| राजस्थान | 11 | 0 | 0 | 0 |
| तमिलनाडु | 1201 | 1241 | 1543 | 611 |
| उत्तर प्रदेश | 4007 | 2901 | 2554 | 2299 |
| उत्तराखंड | 349 | 375 | 422 | 230 |
| पश्चिम बंगाल | 1744 | 1240 | 1310 | 534 |
| जोड़ | 34104 | 32034 | 34198 | 23138 |

नगण्य : 500 टन से कम
*09.02.2012 की स्थिति के अनुसार
#01.02.2012 की स्थिति के अनुसार

## *विवरण IV*

*पिछले चार वर्षों में मोटे अनाज की राज्यवार और विपणन मौसमवार खरीद*

(हजार टन में)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2008-09 | 2009-10 | *2010-11 | *2011-12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आंध्र प्रदेश | 178 | 7 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़ | 9 | 1 | 3 | नगण्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| गुजरात | 0 | 0 | 0 | 0 |
| हरियाणा | 310 | 77 | 73 | 17 |
| कर्नाटक | 712 | 316 | 40 | नगण्य |
| मध्य प्रदेश | 60 | नगण्य | 9 | 18 |
| महाराष्ट्र | 107 | 5 | 3 | नगण्य |
| पंजाब | 0 | 0 | 0 | 0 |
| राजस्थान | 0 | 0 | नगण्य | 0 |
| जोड़ | 1376 | 407 | 128 | 35 |

नगण्य : 500 टन से कम
*09.02.2012 की स्थिति के अनुसार

## *विवरण V*

*31.01.2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास राज्यवार भंडारण क्षमता*

(आंकड़े टन में)

| जोन | क्र. सं. | क्षेत्र/संघ शासित क्षेत्र | ढकी हुई | | | | | | | कैप | | | सकल जोड़ | रखा गया स्टाक | उपयोग (%) | क्षेत्र के अनुसार कुल प्रभावी भंडारण क्षमता | प्रभावी क्षमता संबंधी उपयोग (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | भाखानि की अपनी | किराए की | | | | | कुल ढकी | अपनी | किराए की | जोड़ | | | | | |
| | | | | राज्य सरकार | केभानि | राभनि | निजी पार्टी | कुल किराए | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| पूर्व | 1. | बिहार | 3.66 | 0.03 | 0.84 | 1.09 | 0.47 | 2.43 | 6.09 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 7.09 | 2.42 | 34.00 | 6.73 | 36 |
| | 2. | झारखंड | 0.67 | 0.03 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.68 | 1.35 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 1.40 | 0.78 | 56.00 | 1.40 | 56 |
| | 3. | ओडिशा | 3.02 | 0.00 | 0.82 | 1.99 | 0.15 | 2.96 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 4.14 | 69.00 | 5.96 | 69 |
| | 4. | पश्चिम बंगाल | 8.59 | 0.19 | 0.96 | 0.00 | 0.87 | 2.02 | 10.61 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 11.12 | 6.22 | 56.00 | 10.52 | 60 |
| | 5. | सिक्किम | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.04 | 36.00 | | |
| | | कुल (पूर्व जोन) | 16.04 | 0.26 | 2.85 | 3.30 | 1.69 | 8.10 | 24.14 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 25.70 | 13.60 | 53.00 | 24.61 | 55 |
| पूर्वोत्तर | 6. | असम | 2.12 | 0.00 | 0.20 | 0.11 | 0.36 | 0.67 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 1.20 | 43.00 | 2.73 | 44 |
| | 7. | अरुणाचल प्रदेश | 0.18 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.03 | 14.00 | 0.22 | 14 |
| | 8. | मेघालय | 0.14 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.12 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.10 | 38.00 | 0.26 | 38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9. | मिजोरम | 0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.19 | 73.00 | 6.26 | 73 |
| | 10. | त्रिपुरा | 0.29 | 0.05 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.38 | 79.00 | 0.48 | 79 |
| | 11. | मणिपुर | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 50.00 | 0.20 | 50 |
| | 12. | नागालैंड | 0.20 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.13 | 39.00 | 0.33 | 39 |
| | | कुल (पूर्वोत्तर जोन) | 3.38 | 0.10 | 0.54 | 0.16 | 0.36 | 1.16 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 2.13 | 47.00 | 4.48 | 48 |
| उत्तर | 13. | दिल्ली | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 3.67 | 2.23 | 61.00 | 2.75 | 81 |
| | 14. | हरियाणा | 7.68 | 4.14 | 3.22 | 6.03 | 2.37 | 15.76 | 23.44 | 3.33 | 0.18 | 3.51 | 26.95 | 24.43 | 91.00 | 26.95 | 91 |
| | 15. | हिमाचल प्रदेश | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.13 | 50.00 | 0.26 | 50 |
| | 16. | जम्मू और कश्मीर | 1.03 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.18 | 1.21 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 1.31 | 0.66 | 50.00 | 1.22 | 54 |
| | 17. | पंजाब | 21.17 | 0.39 | 4.97 | 39.98 | 3.90 | 49.24 | 70.41 | 7.14 | 3.03 | 10.17 | 80.58 | 62.81 | 78.00 | 83.99 | 78 |
| | 18. | चंडीगढ़ | 1.07 | 0.18 | 0.83 | 1.12 | 0.00 | 2.13 | 3.20 | 0.17 | 0.05 | 0.22 | 3.42 | 2.52 | 74.00 | | |
| | 19. | राजस्थान | 7.06 | 0.00 | 2.22 | 4.61 | 1.88 | 8.71 | 15.77 | 1.85 | 4.23 | 6.08 | 21.85 | 18.06 | 83.00 | 21.56 | 84 |
| | 20. | उत्तर प्रदेश | 14.95 | 0.17 | 6.23 | 20.39 | 0.12 | 26.91 | 41.86 | 5.19 | 0.21 | 5.40 | 47.26 | 33.33 | 71.00 | 45.12 | 74 |
| | 21. | उत्तराखंड | 0.66 | 0.20 | 0.41 | 0.48 | 0.00 | 1.09 | 1.75 | 0.21 | 0.09 | 0.30 | 2.05 | 1.63 | 80.00 | 1.95 | 84 |
| | | कुल (उत्तर जोन) | 57.12 | 5.29 | 17.94 | 72.61 | 8.30 | 104.14 | 161.26 | 18.30 | 7.79 | 26.09 | 187.35 | 145.80 | 78.00 | 183.80 | 79 |
| दक्षिण | 22. | आंध्र प्रदेश | 12.66 | 0.04 | 7.93 | 20.74 | 3.54 | 32.25 | 44.91 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | 47.53 | 43.71 | 92.00 | 47.00 | 93 |
| | 23. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 71.00 | | |
| | 24. | केरल | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 5.37 | 3.11 | 58.00 | 5.33 | 58 |
| | 25. | कर्नाटक | 3.81 | 0.00 | 1.49 | 1.60 | 0.25 | 3.34 | 7.15 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 8.51 | 5.70 | 67.00 | 8.31 | 69 |
| | 26. | तमिलनाडु | 5.80 | 0.00 | 2.59 | 0.51 | 0.56 | 3.66 | 9.46 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 10.07 | 7.91 | 79.00 | 10.23 | 82 |
| | 27. | पुडुचेरी | 0.44 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 0.24 | 0.68 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.74 | 0.51 | 69.00 | | |
| | | कुल (दक्षिण जोन) | 27.95 | 0.04 | 12.14 | 22.96 | 4.35 | 39.49 | 67.44 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 72.29 | 60.99 | 84.00 | 70.87 | 86 |
| पश्चिम | 28. | गुजरात | 5.00 | 0.14 | 1.49 | 0.00 | 0.28 | 1.91 | 6.91 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 7.18 | 4.87 | 68.00 | 7.11 | 68 |
| | 29. | महाराष्ट्र | 11.90 | 0.00 | 2.61 | 3.42 | 2.36 | 8.39 | 20.29 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 21.31 | 12.95 | 61.00 | 17.90 | 73 |
| | 30. | गोवा | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.09 | 60.00 | | |
| | 31. | मध्य प्रदेश | 3.37 | 0.00 | 0.96 | 0.02 | 2.13 | 3.11 | 6.48 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 6.84 | 5.33 | 78.00 | 6.61 | 81 |
| | 32. | छत्तीसगढ़ | 5.12 | 0.11 | 1.10 | 2.97 | 0.32 | 4.50 | 9.62 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 9.63 | 7.72 | 80.00 | 9.63 | 80 |
| | | कुल (पश्चिम जोन) | 25.54 | 0.25 | 6.16 | 6.41 | 5.09 | 17.91 | 43.45 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 45.11 | 30.96 | 69.00 | 41.25 | 75 |
| | | सकल जोड़ | 13003 | 5.94 | 39.63 | 105.44 | 19.79 | 170.80 | 300.83 | 26.37 | 7.79 | 34.16 | 334.99 | 253.48 | 76.00 | 325.01 | 78 |

प्रभावी क्षमता - क्षेत्रों द्वारा यथासूचित, खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध क्षमता।

नोट: ओडिशा की भंडारण क्षमता/स्टाक डाटा 31.12.2011 का है।

### *विवरण VI*

*31.3.2011 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार/एजेंसियों के पास भंडारण क्षमता*

(आंकड़े लाख टन में)

| जोन | क्र. सं. | भारतीय खाद्य निगम क्षेत्र | खाद्यान्नों के भंडारण के लिए राज्य भंडारण निगमों सहित राज्य एजेंसियों के पास कुल भंडारण क्षमता (भारतीय खाद्य निगम को दी गई क्षमता को छोड़कर) राज्य एजेंसियां | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ढकी हुई | कैप |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| पूर्व | 1. | बिहार | 6.96 | 0.00 |
| | 2. | झारखंड | 0.08 | 0.00 |
| | 3. | ओडिशा | 3.64 | 0.00 |
| | 4. | पश्चिम बंगाल | 3.90 | 0.00 |
| पूर्वोत्तर | 6. | असम | 0.41 | 0.00 |
| | 7. | अरुणाचल प्रदेश | 0.05 | 0.00 |
| | 8. | मेघालय | 0.00 | 0.00 |
| | 9. | मिजोरम | 0.56 | 0.00 |
| | 10. | त्रिपुरा | 0.40 | 0.00 |
| | 11. | मणिपुर | 0.20 | 0.00 |
| | 12. | नागालैंड | 0.07 | 0.00 |
| उत्तर | 13. | दिल्ली | 0.00 | 0.00 |
| | 14. | हरियाणा | 23.03 | 45.08 |
| | 15. | हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 |
| | 16. | जम्मू और कश्मीर | 1.26 | 0.00 |
| | 17. | पंजाब | 23.88 | 92.70 |
| | 19. | राजस्थान | 3.12 | 0.00 |
| | 20. | उत्तर प्रदेश | 4.11 | 0.00 |
| | 21. | उत्तराखंड | 0.91 | 0.00 |
| दक्षिण | 22. | आंध्र प्रदेश | 11.55 | 0.00 |
| | 24. | केरल | 3.12 | 0.00 |
| | 25. | कर्नाटक | 2.17 | 0.00 |
| | 26. | तमिलनाडु | 12.24 | 0.00 |
| पश्चिम | 28. | गुजरात | 3.92 | 0.00 |
| | 29. | महाराष्ट्र | 18.35 | 0.00 |
| | 31. | मध्य प्रदेश | 31.35 | 0.00 |
| | 32. | छत्तीसगढ़ | 10.24 | 0.00 |
| | | जोड़ | 165.52 | 137.78 |

सकल जोड़ = 303.30 लाख टन

### *विवरण VII*

*15.02.2012 की स्थिति के अनुसार निजी उद्यमी गारंटी योजना के तहत आवंटित राज्यवार क्षमता*

| क्र.सं. | राज्य | अनुमेदित कुल क्षमता (टन) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 451,000 |
| 2. | बिहार | 300,000 |
| 3. | छत्तीसगढ़ (डीसीपी) | 222,000 |
| 4. | गुजरात | 80,000 |
| 5. | हरियाणा | 3,880,000 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 142,550 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 361,690 |
| 8. | झारखंड | 175,000 |
| 9. | कर्नाटक | 416,500 |
| 10. | मध्य प्रदेश (डीसीपी) | 360,000 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 11. | केरल | 15,000 |
| 12. | महाराष्ट्र | 655,500 |
| 13. | ओडिशा (डीसीपी) | 300,000 |
| 14. | पंजाब | 5,125,000 |
| 15. | राजस्थान | 250,000 |
| 16. | तमिलनाडु | 345,000 |
| 17. | उत्तराखंड | 25,000 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 1,860,000 |
| 19. | पश्चिम बंगाल (डीसीपी) | 156,600 |
| | जोड़ | 15,120,840 |

## खाद्यान्न भण्डार में निजी क्षेत्र

132. **श्री नित्यानंद प्रधान:**
**श्री सी. राजेन्द्रन:**
**श्रीमती अन्नू टन्डन:**
**श्री वैजयंत पांडा:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों के भण्डारण और संबद्ध लॉजिस्टिक हेतु निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिये भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा कोई निजी उद्यम गारंटी (पीईजी) योजना आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार का खाद्यान्नों के भण्डारण तथा संबद्ध लॉजिस्टिक के लिए सरकारी-निजी भागीदारी हेतु एक वृहत नीति तैयार करने के लिये समिति का गठन करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा गोदामों के निर्माण हेतु निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं तथा इस संबंध में घरेलू और विदेशी एजेंसियों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) खाद्यान्नों के भंडारण में निजी सेक्टर को शामिल करने के लिए निजी उद्यमी गारंटी स्कीम शुरू की गई थी। यह स्कीम निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के माध्यम से भंडारण गोदामों के निर्माण हेतु तैयार की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम निजी उद्यमियों को सुनिश्चित किराए हेतु अब 10 वर्ष की गारंटी देगा। इस योजना के तहत 19 राज्यों में लगभग 151 लाख टन की क्षमता का सृजन किया जाना है। इसमें से दिनांक 29.2.2012 की स्थिति के अनुसार निजी उद्यमियों द्वारा लगभग 89 लाख टन भंडारण क्षमता के सृजन हेतु निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस स्कीम के तहत केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगमों क्रमश: 5.4 और 14.75 लाख टन का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें से केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भंडारण निगमों द्वारा लगभग 5 लाख टन की क्षमता पूरी कर ली गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) खाद्यान्नों के भंडारण के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू करने हेतु मोगा (पंजाब) कैथल (हरियाणा) में बेस डिपुओं और चेन्नै (तमिलनाडु), कोयम्बटूर (तमिलनाडु), बंगलौर (कर्नाटक), नवी मुम्बई (महाराष्ट्र) और हुग्ली (पश्चिम बंगाल) में फील्ड डिपुओं के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत साइलोज में 5,50,000 टन क्षमता का निर्माण किया गया था। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के तहत साईलोज में 2 मिलियन टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने का निर्णय लिया है इसके अतिरिक्त, गोदामों के निर्माण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कृषि उत्पादों, प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद, कृषि निविष्टियों आदि के भंडारण के लिए किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बद्ध सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के सृजन हेतु ग्रामीण भंडारण योजना (ग्रामीण गोदाम स्कीम) नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम शुरू की है। वर्ष 2001 में इस स्कीम की शुरुआत से दिनांक 31.12.2011 तक 805.47 करोड़ रुपए के सब्सिडी निर्गम से 299.61 लाख टन की क्षमता वाले 25978 गोदामों हेतु संस्वीकृति दी जा चुकी है।

## आंतकवादी गतिविधियां

133. **श्री जे.एम. आरून रशीद:**
**श्री सी. राजेन्द्रन:**
**श्री अधीर चौधरी:**

**श्री सी.आर. पाटील:**
**श्रीमती सुमित्रा महाजन:**
**श्री अवतार सिंह भडाना:**
**श्री पी. कुमार:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार देश में कितनी आतंकवादी घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई तथा इनमें कितने नागरिक, सुरक्षाकर्मी तथा आतंकवादियों की मृत्यु हुई तथा घायल हुए;

(ख) आतंकवाद के पीड़ितों के लिये निर्धारित मुआवजा नीति का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार हाल के दिल्ली बम विस्फोट की घटनाओं के पीड़ितों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या सरकार देश में आतंकवादी/अलगाव-वाद रोधी विद्यालयों/केन्द्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में आतंकवाद गतिविधियों पर रोक लगाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) देश में सूचित आतंकवादी गतिविधियों की घटनाओं तथा हताहत होने वालों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) आतंकवादी/साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक केन्द्रीय योजना दिनांक 1.4.2008 से चल रही है। इस योजना का दिनांक 22.6.2009 से नक्सली हिंसा से पीड़ित नागरिकों को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत, संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश पर मारे गए या स्थायी रूप से सक्षम हो चुके नागरिकों के संबंधियों को 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। दिल्ली के बम धमाके सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान बम धमाकों के पीड़ितों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) देश में आतंकवाद को रोकने तथा आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। तथापि आतंकवाद से लड़ने हेतु राज्य क्षमता निर्माण के उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए 21 विद्रोह-रोधी एवं आतंकवाद-रोधी (सीआईएटी) विद्यालयों (असम, बिहार और ओडिशा प्रत्येक में 3 तथा छत्तीसगढ़ और झारखंड प्रत्येक में 4 तथा पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा प्रत्येक में एक) की मंजूरी प्रदान की गई है।

(ङ) सरकार आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि इसका कोई भी कारण, चाहे वह यथार्थ अथवा काल्पनिक जो भी हो, आतंकवाद अथवा हिंसा को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की ताकत को बढ़ाना; निजी औद्योगिक उपक्रमों के संयुक्त उद्यमों में सीआईएसएफ की तैनाती करने के लिए सीआईएसएफ अधिनियम में संशोधन, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एनएसजी हबों की स्थापना, आपात स्थिति में एनएसजी के कार्मिकों के आवागमन के लिए हवाई जहाज की मांग करने के लिए महानिदेशक, एनएसजी को शक्तियां प्रदान करना, बहु-एजेंसी केन्द्र को सशक्त बनाना और उसका पुनर्गठन करना ताकि वह अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना को सही समय पर एकत्र करने और उनका आदान-प्रदान करने के लिए चौबीसों घण्टे प्रतिदिन (24×7) आधार पर कार्य कर सके; आप्रवासन नियंत्रण को सख्त बनाना; सीमाओं पर चौबीसों घण्टे निगरानी और गश्त लगाकर प्रभावकारी सीमा प्रबंधन, प्रेक्षण चौकियों की स्थापना; सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी करना, आधुनिक एवं उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण लगाना; आसूचना तंत्र का उन्नयन और तटीय सुरक्षा शामिल हैं। आतंकवाद का दमन करने के लिए निवारक उपायों को कठोर बनाने के लिए वर्ष 2008 में निधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है ताकि अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले अपराधों की जांच की जा सके और अभियोजन चलाया जा सके। आतंकवाद के खतरों से निपटने के एक उपाय के रूप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) का सृजन किया गया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया है ताकि उसमें अन्य बातों के साथ-साथ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कतिपय अपराधों को स्थापित (प्रेडिकेट) अपराध के रूप में शामिल किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न बहु-पक्षीय एवं द्वि-पक्षीय मंचों के साथ-साथ बहुस्तरीय द्वि-पक्षीय परिसंवादों में सीमपार आतंकवाद के सभी पहलुओं और इसके वित्तपोषण के मुद्दों को उठाती रहती है।

*विवरण I*

**(i) जम्मू और कश्मीर**

| वर्ष | घटनाओं की संख्या | मारे गए सुरक्षाबलों की संख्या | मारे गए नागरिकों की संख्या | मारे गए आतंकवादियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 499 | 64 | 78 | 239 |
| 2010 | 488 | 69 | 47 | 232 |
| 2011 | 340 | 33 | 31 | 100 |
| 2012 (फरवरी 2012 तक) | 25 | 0 | 4 | 6 |
| **(ii) पूर्वोत्तर राज्य** | | | | |
| 2009 | 1297 | 42 | 264 | 571 |
| 2010 | 773 | 20 | 94 | 247 |
| 2011 | 627 | 32 | 70 | 114 |
| 2012 (फरवरी 2012 तक) | 110 | 2 | 15 | 39 |
| **(iii) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्य** | | | | |
| 2009 | 2258 | 317 | 591 | 219 |
| 2010 | 2212 | 285 | 718 | 172 |
| 2011 | 1745 | 142 | 464 | 99 |
| 2012 (फरवरी, 2012 तक) | 257 | 31 | 52 | 11 |

(iv) वर्ष 2009 में भीतरी प्रदेश में कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई थी। तथापि, वर्ष 2010 और 2011 में भीतरी प्रदेश में बम धमाके की निम्नलिखित घटनाओं के लिए आतंकवादी कार्रवाई जिम्मेदार थी:-

| क्र.सं. | घटनाएं |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | 16.10.2009: मडगांव, गोवा में बम धमाका |
| 2. | 13.2.2010: जर्मन बेकरी, पुणे में बम धमाका |
| 3. | 29.3.2010: महरौली, दिल्ली में बम धमाका |
| 4. | 17.4.2010: एनसी चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, बंगलौर में बम धमाका |
| 5. | 19.9.2010: जामा-मस्जिद, दिल्ली के पास गोलीबारी और बम धमाका |
| 6. | 7.12.2010: शीतला घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में बम धमाका |
| 7. | 25.5.2011: उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के बाहर पार्किंग स्थल पर बम धमाका |
| 8. | 13.7.2011: मुम्बई में श्रृंखलाबद्ध बम धमाके |
| 9. | 7.9.2011: दिल्ली उच्च न्यायालय में बम धमाका |

*विवरण II*

*वर्ष 2009 से बम धमाकों के पीड़ितों को दिया गया मुआवजा*

| क्र.सं. | घटनाएं | मृतकों (नजदीकी रिश्तेदार) को दिया गया मुआवजा (लाख में) | घायलों को मुआवजा (लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 13.2.2010: जर्मन बेकरी, पुणे में बम धमाका | 85.00 | 22.00 |
| 2. | 29.3.2010: महरौली, दिल्ली में बम धमाका | शून्य | शून्य |
| 3. | 17.4.2010: एनसी चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, बंगलौर में बम धमाका | शून्य | 3.90 |
| 4. | 19.9.2010: जामा-मस्जिद, दिल्ली के पास गोलीबारी और बम धमाका | शून्य | शून्य |
| 5. | 7.12.2010: शीतला घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में बम धमाका | 2.00 | 11.75 |
| 6. | 25.5.2011: उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के बाहर पार्किंग स्थल पर बम धमाका | शून्य | शून्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 7. | 13.7.2011: मुम्बई में श्रृंखलाबद्ध बम धमाके | 75.00 | 47.30 |
| 9. | 7.9.2011: दिल्ली उच्च न्यायालय में बम धमाका | 134.00 | 149.80 |
| 9. | 17.9.2011: आगरा में धमाका | शून्य | 4.00 (राज्य सरकार द्वारा) |

## अवैध प्रवासी

**134. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः**
**श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डीः**
**श्री मनसुखभाई डी. वसावाः**
**श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरेः**
**श्री हमदुल्लाह सईदः**
**श्री जी.एम. सिद्देश्वरः**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में अवैध विदेशी निवास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और संघ राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान वर्ष के दौरान देश-वार पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने अवैध व्यक्तियों का पता चला;

(ग) क्या देश में अवैध विदेशियों की विभिन्न अपराधों में भागीदारी की भी जानकारी प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान देश-वार कितने विदेशियों को निर्वासित किया गया तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः** (क) और (ख) कई विदेशी राष्ट्रिकों को, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ आए हैं, देश में समय से अधिक ठहरते हुए पाया गया है। वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 कें दौरान समय से अधिक ठहरते हुए पाए गए विदेशी राष्ट्रिकों के राज्यवार एवं संघराज्य क्षेत्रवार तथा देशवार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं। वर्ष 2011 तथा चालू वर्ष 2012 (फरवरी तक) के आंकड़े समेकित नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने और कानून का उल्लंघन करने की घटनाओं की सूचना मिली है। इन मामलों का पंजीकरण और उस पर की जाने वाली कार्रवाई संबंधित पुलिस थानों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के दायरे में आती है। इस प्रकृति के सांख्यिकीय आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 के दौरान निर्वासित किए गए विदेशी राष्ट्रिकों के देशवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 2011 तथा चालू वर्ष 2012 (फरवरी तक) के आंकड़े समेकित नहीं किए गए हैं। केन्द्र सरकार को विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के तहत विदेशी राष्ट्रिक को निर्वासित करने का अधिकार सौंपा गया है। गैरकानूनी तौर पर रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने तथा निर्वासित करने के ये अधिकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी प्रत्यायोजित किए गए हैं। ऐसे गैरकानूनी आप्रवासियों का पता लगाना और निर्वासित करना एक अनवरत प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार भी आप्रवासन, वीजा और विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी) पर एक मिशन मोड परियोजना को कार्यान्वित कर रही है, जो मिशनों में वीजा जारी करने के दौरान, आप्रवासन जांच चौकियों (आईपीपी) में आप्रवासन जांच के दौरान तथा विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफआरआरओ)/विदेशी पंजीकरण कार्यालयों (एफआरओ) में पंजीकरण के दौरान हासिल की गई जानकारी के एकीकरण एवं आदान-प्रदान के द्वारा विदेशियों का बेहतर ढंग से पता लगाने में सहायता प्रदान करेगी।

### *विवरण*

**1. वर्ष 2008, 2009 और 2010 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार समय से अधिक ठहरते हुए पाए गए विदेशी राष्ट्रिक**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | दिनांक 31 दिसम्बर के अनुसार समय से अधिक ठहरते हुए पाए गए विदेशियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आंध्र प्रदेश | 91 | 114 | 95 |
| असम | 12 | 11 | 10 |
| बिहार | 0 | 1 | 1 |
| छत्तीसगढ़ | 21 | 5 | 136 |
| गुजरात | 930 | 1255 | 1249 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| हरियाणा | 354 | 363 | 377 |
| हिमाचल प्रदेश | 1 | 0 | 5 |
| जम्मू और कश्मीर | 23 | 104 | 35 |
| झारखंड | 0 | 0 | 3 |
| कर्नाटक | 2005 | 4355 | 4546 |
| केरल | 378 | 347 | 330 |
| मध्य प्रदेश | 665 | 608 | 1036 |
| महाराष्ट्र | 1030 | 560 | 1060 |
| ओडिशा | 323 | 211 | 19 |
| पंजाब | 195 | 363 | 433 |
| राजस्थान | 3952 | 4177 | 4186 |
| तमिलनाडु | 6255 | 9375 | 9444 |
| त्रिपुरा | 1048 | 1143 | 1240 |
| उत्तर प्रदेश | 529 | 572 | 515 |
| उत्तराखंड | 4 | 2 | 3 |
| पश्चिम बंगाल | 30130 | 31289 | 27228 |
| दिल्ली | 17206 | 18552 | 17203 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 4 | 1 | 3 |
| चंडीगढ़ | 81 | 7 | 12 |
| दादरा और नगर हवेली | 1 | 1 | 0 |
| पुडुचेरी | 3 | 25 | 19 |
| कुल | 65149 | 73441 | 69188 |

**2. वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 के दौरान समय से अधिक ठहरे हुए पाए गए विदेशी राष्ट्रिक तथा उनमें से वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 के दौरान देशवार निर्वासित किए गए विदेशी राष्ट्रिक**

| देश | दिनांक 31 दिसम्बर के अनुसार समय से अधिक ठहरते हुए पाए गए विदेशियों की संख्या | | | वर्ष के दौरान निर्वासित किए गए विदेशियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| अफगानिस्तान | 14511 | 13569 | 13747 | 12 | 30 | 37 |
| आस्ट्रेलिया | 176 | 309 | 212 | 3 | 4 | 1 |
| बहरीन | 51 | 65 | 37 | 1 | 0 | 1 |
| बांग्लादेश | 31229 | 32644 | 28667 | 12625 | 10602 | 6290 |
| कनाडा | 3571 | 58 | 550 | 15 | 13 | 2 |
| चीन | 479 | 559 | 662 | 12 | 22 | 15 |
| इथोपिया | 69 | 82 | 77 | 15 | 3 | 2 |
| फिजी | 309 | 290 | 136 | 0 | 1 | 3 |
| फ्रांस | 191 | 413 | 367 | 18 | 15 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जर्मनी | 158 | 390 | 394 | 15 | 13 | 9 |
| इंडोनेशिया | 36 | 71 | 77 | 33 | 7 | 12 |
| ईरान | 184 | 246 | 248 | 11 | 70 | 37 |
| इराक | 371 | 669 | 979 | 4 | 0 | 0 |
| इटली | 50 | 116 | 107 | 6 | 3 | 4 |
| आयवरी कोस्ट | 85 | 207 | 194 | 3 | 3 | 37 |
| जापान | 161 | 331 | 335 | 12 | 2 | 1 |
| केन्या | 237 | 365 | 318 | 8 | 11 | 71 |
| दक्षिण कोरिया | 516 | 783 | 661 | 30 | 9 | 171 |
| मलेशिया | 201 | 361 | 321 | 71 | 2 | 4 |
| मॉरिशस | 510 | 781 | 394 | 2 | 6 | 6 |
| मंगोलिया | 55 | 88 | 66 | 1 | 2 | 7 |
| म्यांमार | 558 | 705 | 733 | 540 | 763 | 4171 |
| नीदरलैंड | 69 | 79 | 123 | 3 | 1 | 10 |
| न्यूजीलैंड | 34 | 49 | 39 | 2 | 1 | 01 |
| नाइजीरिया | 451 | 1121 | 967 | 169 | 57 | 67 |
| ओमान | 351 | 412 | 400 | 2 | 3 | 01 |
| पाकिस्तान | 7547 | 7691 | 8319 | 19 | 5 | 4 |
| फिलीपीन | 124 | 150 | 153 | 5 | 17 | 4 |
| पुर्तगाल | 12 | 106 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| रशिया | 120 | 159 | 260 | 4 | 14 | 161 |
| सउदी अरब | 62 | 160 | 74 | 1 | 2 | 21 |
| सियचिल | 295 | 335 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| सिंगापुर | 153 | 203 | 195 | 16 | 0 | 4 |
| दक्षिण अफ्रीका | 48 | 62 | 118 | 1 | 2 | 1 |
| श्रीलंका | 1790 | 2490 | 1817 | 145 | 193 | 75 |
| राज्यविहीन-तिब्बत | 194 | 235 | 251 | 1 | 1 | 0 |
| सूडान | 163 | 293 | 296 | 20 | 22 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीडन | 37 | 91 | 83 | 3 | 0 | 3 |
| तंजानिया | 303 | 664 | 744 | 5 | 7 | 12 |
| थाइलैंड | 116 | 418 | 267 | 6 | 7 | 71 |
| यूएसए | 998 | 1535 | 2461 | 31 | 84 | 8 |
| यूगांडा | 88 | 98 | 90 | 2 | 2 | 3 |
| यूके | 491 | 895 | 813 | 19 | 67 | 2 |
| वियतनाम | 48 | 102 | 60 | 19 | 3 | 01 |
| यमन | 168 | 549 | 122 | 7 | 7 | 12 |
| अन्य | 993 | 1842 | 2022 | 78 | 70 | 99 |
| कुल | 65149 | 73441 | 69188 | 13995 | 12147 | 7248 |

## बेघरों को आश्रय

135. **श्री नामा नागेश्वर राव:**
**श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:**
**श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल:**
**श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:**

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सर्दियों के दौरान उच्चतम न्यायालय ने उत्तर भारतीय राज्यों को निराश्रित लोगों को रात्रि के दौरान पर्याप्त आश्रय मुहैया कराने के लिए नए निदेश जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में उत्तर भारत के राज्यों द्वारा अब तक क्या पहल की गई है; और

(घ) इन प्रत्येक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अब तक उपलब्ध कराए गये अतिरिक्त रात्रि आश्रय का ब्यौरा क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (घ) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित इस प्रकार की याचिका में एक पक्षकार नहीं है। अत: इस मंत्रालय में इस प्रकार के कोई निदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

चूंकि 'आवास' और 'नई बस्ती बसाने' से संबंधित विषय राज्य के विषय हैं, इसलिए आश्रय प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, 1988-89 से पूर्व, तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 'शहरी आश्रय विहिनों' के लिए रात्रि आश्रय की योजना के अंतर्गत रात्रि आश्रय के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। यह योजना 2005-06 में राज्य क्षेत्र को स्थानांतरित कर दी गई थी, और केन्द्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता समाप्त कर दी गई थी। इसलिए, यह मंत्रालय इस संबंध में राज्य के कार्यों की स्थिति की सूचना प्रदान करने की स्थिति में नहीं है।

## अपराधों में अवैध बांग्लादेशियों की संलिप्तता

136. **श्रीमती रमा देवी:**
**श्री नरहरि महतो:**
**श्री नृपेन्द्र नाथ राय:**
**श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
**श्री रमेश बैस:**
**श्री गोपीनाथ मुंडे:**
**श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अवैध बांग्लादेशी आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा हैं और जघन्य अपराधों में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामलों की जानकारी प्राप्त हुई;

(ग) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को बांग्लादेशी अपराधियों के संबंध में इंटरपोल से कोई सूची प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा अवैध बांग्लादेशियों की बुरी गतिविधियों पर रोक लागने के साथ ही उनका पता लगाने और उन्हें प्रत्याविर्तत करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) और (ख) कुछेक बांग्लादेशी राष्ट्रिकों द्वारा कानून का उल्लंघन करने तथा अवैध गतिविधियों में उनके संलिप्त होने की घटनाओं की जानकारी मिली है। इन मामलों को दर्ज करना और उन पर कार्रवाई करना पुलिस स्टेशनों तथा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के दायरे में आता है। इस प्रकृति के सांख्यिकीय आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के इन्टरपोल स्कंध को ऐसे छह वांछित अपराधियों की एक सूची प्राप्त हुई थी जो शेख मुजीबुर्रहमान के कथित हत्यारे हैं। इन छह लोगों के विरुद्ध उन्हें ढूंढ निकालने संबंधी परिपत्र जारी करने सहित यथोचित कार्रवाई की गई थी।

(ङ) विधि प्रवर्तन एजेंसियां देश में बांग्लादेशी राष्ट्रिकों सहित विदेशी व्यक्तियों की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखती हैं और यथोयित कार्रवाई करती हैं। केन्द्र सरकार को विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के तहत विदेशी राष्ट्रिकों को वापस भेजने की शक्तियां प्रदान की गई है। बांग्लादेशी राष्ट्रिकों सहित अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने की ये शक्तियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के भी प्रत्यायोजित की गई हैं। ऐसे अवैध अप्रवासियों का पता लगाने तथा उन्हें वापस भेजना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। विदेशी बांग्लादेशी अप्रवासियों का पता लगाने तथा उन्हें वापस भेजने की संशोधित प्रक्रिया नवम्बर, 2009 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संप्रेषित की गई थी जिसे फरवरी, 2011 में आंशिक रूप से संशोधित किया गया था। इस प्रक्रिया में उन अवैध अप्रवासियों का तत्काल वहीं का वहीं वापस भेजना भी शामिल है जिन्हें अप्राधिकृत रूप से भारत में प्रवेश करते हुए सीमा पर पकड़ा जाता है।

**संचार का कानूनी रूप से अंतर्रोधन**

**137. श्री धर्मेन्द्र यादवः**
**श्री आनंदराव अडसुलः**
**श्री नीरज शेखरः**
**श्री गजानन ध. बाबरः**
**श्री यशवीर सिंहः**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजीः**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के भीतर संचार के कानूनी अंतर्रोधन तथा निगरानी के लिये मानक प्रचालन प्रक्रिया को अधिसूचित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में संचार के अंतर्रोधन तथा निगरानी के लिये प्राधिकृत एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) जिसका गठन कारगिल युद्ध के पश्चात् समर्पित तकनीकी एजेंसी के रूप में किया गया था उसका नाम कालों को अंतर्रोधन करने के लिये अधिकार प्राप्त एजेंसी के रूप में सूची में नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) और (ख) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के अंतर्गत अनुमेय टेलफोनों के कानूनी अन्तर्रोधन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम, 2007 के नियम 419-क द्वारा शासित होती है। केन्द्रीय आसूचना और सुरक्षा एजेंसियों के संबंध में केन्द्र सरकार इस प्रकार के अन्तर्रोधों के पर्यवेक्षण की प्रक्रिया, निष्पादन और संचालन संबंधी आन्तरिक मानक प्रचालन प्रक्रियाओं/अनुदेशों को अद्यतन बनाती रहती है। संदेशों के अन्तर्रोधन/टेलीफोनों, ई-मेल आदि की टेपिंग से संबंधित सरकार के संस्थागत ढांचे से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए सरकार ने गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालय दल का गठन किया। इसके परिणामस्वरूप, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करने तथा नियम 419-क का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में 19 मई, 2011 को संशोधित/अद्यतन मानक प्रचालन प्रक्रियाएं जारी की गईं।

(ग) से (ङ) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) भारत की संप्रभुता तथा अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा लोक व्यवस्था अथवा किसी

अपराध को करने के उकसावे को रोकने के हित में कानूनी अन्तर्रोधन का प्रावधान है। भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम, 2007 के नियम 419(क) के साथ पठित इस धारा में यह सांविधिक अपेक्षा निहित है कि सम्प्रेषणों के किसी कानूनी अन्तर्रोधन के लिए सरकार का विशिष्ट आदेश/प्राधिकार अपेक्षित है। अत: कानूनी अन्तर्रोधन के प्रत्येक मामले में एजेंसियों को, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) तथा भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम, 2007 के नियम 419(क) के उपबंधों के अनुसार, सांविधिक रूप से सक्षम प्राधिकारी (केन्द्र सरकार में केन्द्रीय गृह सचिव तथा राज्यों के संबंध में राज्य गृह सचिव) से विशिष्ट मंजूरी प्राप्त करनी होती है। तदनुसार यह कहना गलत होगा कि केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी एजेंसी को परस्पर कानूनी अन्तर्रोधन के लिए सामान्य प्राधिकार प्रदान किया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार, समय-समय पर ऐसी एजेंसियों की सूची तैयार करती है जो विशिष्ट मामलों में प्राधिकार के लिए इस प्रकार के अनुरोध कर सकती हैं। जब कभी अपेक्षित होगा, एनटीआरओ को सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुसार विचार किया जा सकता है/निर्णय लिया जा सकता है।

## आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

138. **श्री यशवंत लागुरी:**
**श्री एस. अलागिरी:**
**श्री अनंत कुमार हेगड़:**
**श्री अर्जुन राय:**
**डॉ. भोला सिंह:**
**श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:**
**श्री कोडिकुन्नील सुरेश:**
**श्री सैयद शाहनहाज हुसैन:**
**श्री निशिकांत दुबे:**
**श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:**
**श्री गोपीनाथ मुंडे:**
**श्रीमती जे. शांता:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान मांग में वृद्धि, आदानों की कीमत में वृद्धि तथा उच्च अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों जैसे विभिन्न कारकों के कारण खाद्यान्नों सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का रुझान दर्ज किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि तथा उनके निर्यात के बीच कोई संबंध पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में खाद्य मदों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और उसे सर्वत्र लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) खाद्यान्नों सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का रुझान, मुख्य रूप से इनपुट लागतों में बढ़ोतरी और उपभोग के बदलते तौर-तरीकों इत्यादि के कारण, दिखाई दिया। दालों और खाद्य तेलों की मांग-आपूर्ति में असंतुलन के कारण आयातों में बढ़ोतरी हुई। दालों और खाद्य तेलों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती हैं। मूल्य रुझान के ब्यौरे (वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक) संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे का समाधान करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं (विवरण-II)

(ग) ऐसा कोई संबंध प्रतीत नहीं होता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवहार्य नहीं है। सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

### *विवरण I*

*वर्ष 2008 से 2011 तक वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक का रुझान*

| वस्तु का नाम | वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक | | |
|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| चावल | 154.21 | 165.87 | 171.3 |
| गेहूं | 159.75 | 172.18 | 169.5 |
| चना | 152.52 | 147.85 | 178.0 |
| अरहर | 193.46 | 215.16 | 187.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| मूंग | 198.97 | 291.07 | 249.7 |
| मसूर | 223.31 | 209.09 | 165.7 |
| उड़द | 203.46 | 275.99 | 247.0 |
| आलू | 198.59 | 134.64 | 130.0 |
| प्याज | 204.40 | 228.80 | 240.3 |
| टमाटर | 149.31 | 168.72 | 192.8 |
| दूध | 137.91 | 171.78 | 188.2 |
| चीनी | 149.18 | 171.11 | 172.0 |
| गुड | 180.13 | 204.07 | 195.0 |
| वनस्पति | 106.52 | 112.21 | 122.4 |
| मूंगफली का तेल | 125.30 | 142.18 | 156.4 |
| पॉम ऑयल | 111.11 | 109.72 | 117.6 |
| सरसों एवं रेपसीड का तेल | 116.94 | 114.92 | 129.7 |
| सोयाबीन का तेल | 118.27 | 120.35 | 143.8 |
| सूरजमुखी का तेल | 113.04 | 116.66 | 130.6 |

स्रोत: आर्थिक सलाहकार, डीआईपीपी का कार्यालय

*विवरण II*

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदम निम्नानुसार हैं:

**(क) अल्पकालिक उपाय**

**1. राजकोषीय उपाय**

(i) चावल, गेहूं और प्याज, दालों, खाद्य तेलों (कच्चा) के लिए आयात शुल्क को घटाकर शून्य किया या है। रिफाइण्ड आर हाइड्रोजनीकृत तेलों तथा वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क को घटाकर 7.5% किया गया।

(ii) एनडीडीबी को शुल्क दर कोटे के तहत शून्य शुल्क पर 5000 टन स्किम्ड मिल्क पाउडर और होल मिल्क पाउडर तथा 15000 मीट्रिक टन बटर ऑयल और एनहाइड्रस मिल्क फैट के आयात की अनुमति दी गई है।

(iii) चीनी मिलों को खुले सामान्य लाइसेंस के तहत (ओजीएल) तक शून्य शुल्क पर कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई। बाद में यह सुविधा, कार्य की मात्रा के आधार पर निजी व्यापारियों को प्रदान कर दी गई।

(iv) आरंभ में 1 मिलियन टन की सीमा निर्धारित करते हुए दिनांक 17.4.2010 को एसटीसी/एमएमटीसी/पीईसी और नेफेड को आयात शुल्क मुक्त सफेद/रिफाइण्ड चीनी के आयात की अनुमति प्रदान की गई। केन्द्रीय/राज्य सरकारों की अन्य एजेंसियों और निजी व्यापारियों को भी बिना किसी सीमा के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति प्रदान कर दी गई।

**2. प्रशासनिक उपाय**

(i) सभी प्रकार की आयातित कच्ची चीनी और सफेद/रिफाइंड चीनी के संबंध में लेवी की अनिवार्यता को हटा दिया गया।

(ii) खाद्य तेलों (नारियल तेल और वन आधारित तेल को छोड़कर) और दालों (काबुली चना आर जैविक दलहन को छोड़कर) जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 टन प्रति वर्ष होगी, के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(iii) मिल्क पाउडर (जिसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर, होल मिल्क पाउडर, डेयरी वाइटनर और शिशु दुग्ध आहार सम्मिलित है), केसीन और केसीन उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाई है।

(iv) 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, अंडमान एवं निकोबार के सम्बन्ध में चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं जैसे दालों, खाद्य तेल, खाद्य तिलहन, धान और चावल के मामले में समय-समय पर स्टॉक सीमा आदेशों को अधिरोपित किया गया।

(v) प्याज (सभी किस्मों) के निर्यात पर 9.9.2011 से रोक लगा दी गई और 20 सितम्बर, 2011 से हटा दी गई। बंगलौर रोज प्याज और कृष्णापुरम प्याज को छोड़कर प्याज (सभी किस्में) का न्यूनतम निर्यात मूल्य जनवरी, 2012 के लिए औसत 125 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन एफ.ओ.बी. था। बंगलौर रोज प्याज और कृष्णापुरम प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य जनवरी, 2012 के लिए औसत 250 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन था।

(vi) चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा.) और गेहूं (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 4.15 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा.) के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य को वर्ष 2002 तक कायम रखा गया।

(vii) वायदा बाजार आयोग द्वारा वर्ष 2007-08 में चावल, उड़द और तूर के भावी सौदा व्यापार पर लगाया गया निलम्बन वर्ष 2010-11 के दौरान जारी रहा।

(viii) वर्ष 2010-11 के चीनी मौसम के लिए लेवी के रूप में अपेक्षित चीनी उत्पादन के अनुपात को 20 से घटाकर 10% कर दिया गया है।

(ix) ओएमएसएस खुदरा बिक्री स्कीम के तहत 10 लाख टन गेहूं और 10 लाख टन चावल की मात्रा आबंटित की गई और अक्तूबर, 2011 से सितम्बर, 2012 की अवदि के लिए 15 लाख टन गेहूं, छोटे व्यापारियों को बिक्री करने सहित थोक बिक्री के लिए आबंटित किया गया।

(x) ओएमएसएस खुदरा और थोक स्कीमों के तहत अधिक उठान को प्रोत्साहित करने के लिए, ओएमएसएस के तहत थोक बिक्री और खुदरा बिक्री, दोनों के लिए मूल्यों को कम करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2011-12 (अक्तूबर, 2011 से सितम्बर, 2012) से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को ओएमएसएस स्कीम के तहत खुदरा बिबक्री के लिए दिए जाने वाले गेहूं और चावल के मूल्यों को गत वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप निर्धारित किया गया और कोई भाड़ा शुल्क नहीं लगाया गया। इसी प्रकार थोक उपभोक्ताओं को निविदा के माध्यम से गेहूं की बिक्री के लिए मूल्यों को गेहूं उत्पादन राज्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के अनुरूप निर्धारित किया गया जबकि अन्य राज्यों में भाड़ा शुल्क केवल 50% ही लगाया गया।

(xi) 50 लाख टन खाद्यान्न का अतिरिक्त तदर्थ आबंटन 16 मई, 2011 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए चालू वर्ष के दौरान मार्च, 2012 तक वितरण हेतु गरीबी रेखा से नीचे निर्गत के मूल्यों पर किया गया है।

(xii) इसके अतिरिक्त, 20 राज्यों को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए दिनांक 30 जून, 2011 को 50 लाख टन खाद्यान्न का तदर्थ आबंटन किया गया जिससे मासिक एपीएल आबंटन 15 कि.ग्रा. प्रतिमाह प्रति परिवार हो गया और पूर्वोत्तर के चार राज्यों, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दो पहाड़ी राज्यों में यह प्रति परिवार 35 कि.ग्रा. हो गया। जहां यह जून, 2011 से मार्च, 2012 के 10 महीनों की अवधि के लिए उस मात्रा से कम था।

(xiii) 27 राज्यों में 174 सबसे गरीब पिछड़े जिलों को जुलाई, 2011 से फरवहरी, 2012 के दौरान 23.68 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किया गया (उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार)।

(xiv) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 31.3.2012 तक बढ़ा दिया गया।

(xv) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को 1 लीटर प्रति राशन कार्ड की दर पर प्रतिमाह 15 रु. प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी के साथ सब्सिडीकृत आयातित खाद्य तेलों के वितरण की स्कीम को 30.9.2012 तक बढ़ा दिया गया।

**खाद्यान्नों की कटाई उपरांत हानियां**

**139. राजकुमारी रत्ना सिंहः**
**श्री एस. अलागिरीः**
**श्री इज्यराज सिंहः**
**श्रीमती जे. शांताः**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दो वर्षों की इसी अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कटाई उपरांत प्रमुख खाद्यान्नों में हुई हानियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन हानियों में कमी करने के लिये अपनाये गये वैज्ञानिक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कटाई उपरांत हानियों में कमी करने में क्या सफलता प्राप्त हुई तथा खाद्यान्नों की कितनी मात्रा को सुरक्षित बचाया गया?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री**

हरीश रावत): (क) "भारत में प्रमुख कृषि उत्पाद की मात्रात्मक उपज और फसलोपरान्त हानि का अनुमान" नामक प्रमुख कृषि जिन्सों की फसलोपरान्त हानि पर उपलब्ध हाल ही का अध्ययन वर्ष 2005-07 के दौरान (अप्रैल 2010 में प्रकाशित) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा (सीआईपीएचईटी, लुधियाना) किया गया। कृषि मंत्रालय में भी फसलोपरान्त हानियों के आयामों पर वर्ष 2004 में भारतीय किसानों की दशा-एक मिलेनियम अध्ययन पूरा किया है।

प्रमुख खाद्यान्नों की फसलोपरान्त हानियों का तुलनात्मक जिन्स-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) कृषि मंत्रालय ने पूंजी निवेश राजसहायता स्कीमों की शुरुआत करके एवं कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार लाने के माध्यम से अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करके फसलोपरान्त हानियों की समस्या का समाधान करने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि फसलोपरान्त अवसंरचना विकास के लिए आवश्यक निवेश के प्रोत्साहन के लिए निजी क्षेत्र को सुविधा प्रदान की जा सके।

मंत्रालय ने किसान के खेत के पास और आपूर्ति श्रृंखला में फसलोपरान्त और भण्डारण अवसंरचना के विभिन्न प्रकारों के विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण भण्डारण योजना की केन्द्रीय क्षेत्र के लिए स्कीमों की शुरुआत की है ताकि हानियों को रोकने के लिए पर्याप्त फसलोपरान्त एवं वैज्ञानिक भण्डारण सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

मंत्रालय ने किसानों के हित के लिए विभिन्न कृषि जिन्सों के संबंध में मूल्य एवं मण्डी से संबंधित सूचना को एकत्र करने एवं प्रचालित करने के उद्देश्य से मार्च 2000 से मण्डी अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम की शुरुआत भी की है। इस स्कीम से फसल के बाद एवं विपणन से संबंधित बेहतर निर्णय लेने में किसानों को सुविधा होती है जिससे फसलोपरान्त हानि को कम करने में मदद मिलती है।

(ग) संलग्न विवरण में दी गई तालिका में स्पष्ट रूप से इंगित है कि मिलेनियम अध्ययन 2004 एवं आईसीएआर अध्ययन 2010 में दिए गए अध्ययन में सूचित हानियों की मात्रा में कमी हुई है। इस अवधि के दौरान बचाए गए खाद्यान्न के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

*विवरण*

*फसलोपरान्त एवं भण्डारण हानियों का आकलन (प्रतिशत में)*

| क्र.सं. | प्रमुख खाद्यान्नों का नाम | मिलेनियम अध्ययन, 2004* में सूचित औसत हानि (%) | आईसीएआर अध्ययन 2010** में सूचित औसत हानि (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | गेहूं | 8.00 | 6.0 |
| 2. | चावल | 11.00 | 5.2 |
| 3. | मक्का | 7.50 | 4.10 |
| 4. | ज्वार | 10.00 | 3.90 |
| 5. | बाजरा | 6.00 | 4.80 |
| 6. | चना | 9.00 | 4.30 |
| 7. | अन्य दलहन | 9.50 | 5.67 |

स्रोत:

*भारतीय किसान की स्थिति-फसलोपरान्त प्रबन्धन-एक मिलेनियम अध्ययन, 2004 (वाल्यूम-16)

**भारत में प्रमुख कृषि उत्पाद का मात्रात्मक फसल एवं फसलोपरान्त हानि का आकलन-फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, सीआईपीएचईटी (आईसीएआर), लुधियाना, 2010

## नए संग्रहालयों का निर्माण

**140. श्री मनोहर तिरकी:**
**श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:**

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नए संग्रहालयों के निर्माण हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या योजनाएं लागू की गई हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के लिए आवंटित निधियों का पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनाओं के तहत शुरू की गई प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान अब तक इनमें हुई प्रगति का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) सरकार द्वारा 'क्षेत्रीय एवं

स्थानीय संग्रहालयों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम' वर्ष 1992-93 से कार्यान्वित की गई है। वर्ष 2008 में इस स्कीम को संशोधित किया गया था तथा नए संग्रहालय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु एक प्रावधान समाविष्ट किया गया है। पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत आबंटित निधियां निम्नलिखित हैं:-

| क्र.सं. | अवधि | धनराशि (रु. में) |
|---|---|---|
| 1. | वर्ष 2008-09 | 1200 लाख |
| 2. | वर्ष 2009-10 | 1250 लाख |
| 3. | वर्ष 2010-11 | 1450 लाख |
| 4. | वर्ष 2011-12 | 1450 लाख |

तथापि, राज्य-वार नए संग्रहालयों के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया गया है।

(ग) अभी तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड राज्य सरकारों ने क्रमशः जयपुर, सिरोंज और ऋषिकेश में नए संग्रहालयों की स्थापना के लिए संशोधित स्कम के अंतर्गत आवेदन किया है। इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है:-

(1) **राजस्थान: टाउन हाल संग्रहालय, जयपुर:** राजस्थान सरकार को बरान में नए संग्रहालयों की स्थापना सहित तीन संग्रहालयों के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु प्रारंभिक राशि के रूप में 100.00 लाख रु. स्वीकृत किए गए। राजस्थान सरकार ने पूर्व प्रस्तावित बरान में संग्रहालय के स्थान पर विधान सभा भवन, टाउन हाल, जयपुर में संग्रहालय निर्माण करने के लिए अनुरोध किया था। इसे सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गई है। चूंकि 'टाउन हाल संग्रहालय' परियोजना के लिए 45.00 करोड़ रु. की लागत की आवश्यकता है, उन्हें मैचिंग राशि के संबंध में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(2) **मध्य प्रदेश: स्थानीय पुरातत्व संग्रहालय, सिरोंज:** मध्य प्रदेश सरकार को आवश्यक संरक्षण संबंधी कार्य करने तथा उनके द्वारा प्राथमिकता के आधार पर 3 संग्रहालयों हेतु डीपीआर तैयार करने के लिए प्रारंभिक राशि के रूप में 100.00 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं जिसमें सिरोंज, विदिशा में एक संग्रहालय निर्माण शामिल है।

(3) **उत्तराखंड: हिमालयी संग्रहालय, ऋषिकेश:** प्रारंभिक कार्य करने तथा डीपीआर तैयार करने के लिए प्रारंभिक राशि के रूप में 30.00 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं।

**जारवा जनजातियों का शोषण**

141. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:**
**श्री नीरज शेखर:**
**श्री सुदर्शन भगत:**
**श्री हंसराज गं. अहीर:**
**श्री यशवीर सिंह:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी पर्यटकों द्वारा अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में स्थानीय प्राधिकरणों की मिलीभगत से जारवा महिलाओं को भोजन और धनराशि के बदले अर्धनग्न अवस्था में फिल्माने तथा उनके अश्लील फोटो खींचने की घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है और इस संबंध में कितने दोषियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) यूके के "आब्जर्बर" समाचारपत्र की रिपोर्ट के आधार पर जनवरी, 2012 माह में इलेक्ट्रानिक मीडिया में जारवा आदिवासी महिलाओं के कुछ फुटेज दिखाए गए थे। ऐसा ही एक अन्य वीडियो फुटेज इलेक्ट्रानिक मीडिया में 5 फरवरी, 2012 को दिखाया गया था। इन वीडियो क्लिपों में आदिवासी महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में थीं।

(ग) और (घ) दिनांक 11.1.2012 को इलेक्ट्रानिक मीडिया में दिखाए गए जारवा आदिवासी महिलाओं से संबंधित पहले वीडियो फुटेज के आधार पर, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 67, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(3) और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (मूल जनजातियों का संरक्षण) विनियम, 1956 के खण्ड 7/8 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के तहत एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूछ-ताछ के बाद दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और समाचार चैनलों में प्रसारित किए गए दूसरे वीडियो, जिसमें जारवा लड़कियों को अंडमान ट्रंक रोड पर नाचते दिखाया गया था, के संबंध में दिनांक 6.2.2012 को एक मामला, अपराध सं. 17/12, आईटी अधिनियम की धारा 67, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(3) और (10) और मूल जनजाति संरक्षण विनियम, 1956 के खण्ड 7/8 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292/34 के तहत दर्ज किया गया है। वीडियो क्लिपिंग की सूक्ष्म जांच से यह पता चला कि वीडियो में खाकी वर्दी में दिखाई देने वाला व्यक्ति एक पुलिस कांस्टेबल है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अपनी ड्यूटियों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिए उसे निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है।

(ङ) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) जारवा रिजर्व से गुजरने वाले अंडमान ट्रंक रोड के प्रत्येक साइड पर कानवायों की संख्या को 8 से कम करके 4 कर दिया गया है।

(ii) जारवा रिजर्व से होकर गुजरने वाले अंडमान ट्रंक रोड पर दिन-प्रतिदिन की सभी गतिविधियों पर निगरान रखने के लिए एक अधिकारी को प्रभारी नोडल अधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है।

(iii) आम-जनता तथा टूर ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किए गए हैं कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

(iv) जारवा जनजाति रिजर्व में तैनात जनजातीय कल्याण विभाग और अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति के स्टाफ को और अधिक चौकस रहने तथा जारवा रिजर्व से होकर गुजरने वाले कानवायों पर चौकसी बरतने को कहा गया है। किसी भी अवैध गतिविधि को विनियमित करने के लिए पुलिस ने भी बेहतर सर्विलांस और एस्कार्ट उपलब्ध कराए हैं।

(v) जारवा रिजर्व से होकर गुजरने वाले अंडमान ट्रंक रोड पर यातायात को विनियमित करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है कि पोर्ट ब्लेयर से नॉर्थ और मीडिल अंडमान को जाने वाले और आने वाले सभी सरकारी वाहन जारवा रिजर्व क्षेत्र से होकर तभी गुजरेंगे जब वाहन, अधिकारी को लेकर सरकारी दौरे पर जा रहा हो और वाहनों की आवाजाही नियमित कानवॉय के रूप में होगी।

(vi) जनजातीय रिजर्व में फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करने पर कार्रवाई किए जाने से संबंधित प्रावधानों को अंडमान एवं निकोबार (मूल जनजातियों का संरक्षण) विनियम, 1956 के प्रस्तावित संशोधन में शामिल किया गया है।

(vii) बारातंग के लिए एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग खोलने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

## खाद्य मूल्य

142. **श्री यशवीर सिंह:**
**श्री सुरेश अंगड़ी:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य मदों सहित आवश्यक वस्तुओं की खुले बाजार मूल्य में पिछले तीन माह के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति के आंकड़ों में कमी के बावजूद उच्च बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) देश में खाद्य मुद्रास्फीति का परिकलन करने के लिए क्या पद्धति अपनाई गई है; और

(घ) सरकार द्वारा खुदरा बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) जी, नहीं। खाद्य तेलों और टमाटर की कीमतों में थोड़ी वृद्धि देखने में आई, तथापि कुछेक आवश्यक खाद्य वस्तुओं जैसे की दालों, चीनी और प्याज की कीमतें पिछले तीन महीनों के दौरान कम हुई हैं। आलू के मामले में मिला-जुला रुख देखने को मिला। खाद्य तेलों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती हैं क्योंकि खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति में असंतुलन के कारण आयात में वृद्धि हुई। कुछेक सब्जियों जैसे टमाटरों की कीमतों में बढ़ोतरी मौसमी कारकों के अतिरिक्त जलवायु के कारण भी होती है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

## *विवरण I*

*खाद्य मुद्रास्फीति की दर की गणना*

मुद्रास्फीति का अर्थ किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी है। देश में वार्षिक खाद्य मुद्रास्फीति की गणना खाद्य वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

वार्षिक खाद्य मुद्रास्फीति (चालू माह के लिए खाद्य वस्तुओं)

(चालू माह के लिए खाद्य वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक)-पिछले वर्ष के इसी माह के दौरान खाद्य वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक × 100

पिछले वर्ष के इसी माह के दौरान खाद्य वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक

## *विवरण II*

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदम निम्नानुसार हैं:

**(क) अल्पकालिक उपाय**

**1. राजकोषीय उपाय**

(1) चावल, गेहूं और प्याज, दालों, खाद्य तेलों (कच्चा) के लिए आयात शुल्क को घटाकर शून्य किया या है। रिफाइण्ड आर हाइड्रोजनीकृत तेलों तथा वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क को घटाकर 7.5% किया गया।

(2) एनडीडीबी को शुल्क दर कोटे के तहत शून्य शुल्क पर 5000 टन स्किम्ड मिल्क पाउडर और होल मिल्क पाउडर तथा 15000 मीट्रिक टन बटर ऑयल और एनहाइड्रस मिल्क फैट के आयात की अनुमति दी गई है।

(3) चीनी मिलों को खुले सामान्य लाइसेंस के तहत (ओजीएल) तक शून्य शुल्क पर कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई। बाद में यह सुविधा, कार्य की मात्रा के आधार पर निजी व्यापारियों को प्रदान कर दी गई।

(4) आरंभ में 1 मिलियन टन की सीमा निर्धारित करते हुए दिनांक 17.4.2010 को एसटीसी/एमएमटीसी/पीईसी और नेफेड को आयात शुल्क मुक्त सफेद/रिफाइण्ड चीनी के आयात की अनुमति प्रदान की गई। केन्द्रीय/राज्य सरकारों की अन्य एजेंसियों और निजी. व्यापारियों को भी बिना किसी सीमा के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति प्रदान कर दी गई।

**2. प्रशासनिक उपाय**

(1) सभी प्रकार की आयातित कच्ची चीनी और सफेद/रिफाइंड चीनी के संबंध में लेवी की अनिवार्यता को हटा दिया गया।

(2) खाद्य तेलों (नारियल तेल और वन आधारित तेल को छोड़कर) और दालों (काबुली चना आर जैविक दलहन को छोड़कर) जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 टन प्रति वर्ष होगी, के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(3) मिल्क पाउडर (जिसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर, होल मिल्क पाउडर, डेयरी वाइटनर और शिशु दुग्धआहार सम्मिलित है), केसीन और केसीन उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाई है।

(4) 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, अंडमान एवं निकोबार के सम्बन्ध में चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं जैसे दालों, खाद्य तेल, खाद्य तिलहन, धान और चावल के मामले में समय-समय पर स्टॉक सीमा आदेशों को अधिरोपित किया गया।

(5) प्याज (सभी किस्मों) के निर्यात पर 9.9.2011 से रोक लगा दी गई और 20 सितम्बर, 2011 से हटा दी गई। बंगलौर रोज प्याज और कृष्णापुरम प्याज को छोड़कर प्याज (सभी किस्में) का न्यूनतम निर्यात मूल्य जनवरी, 2012 के लिए औसत 125 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन एफ.ओ.बी. था। बंगलौर रोज प्याज और कृष्णापुरम प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य जनवरी, 2012 के लिए औसत 250 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन था।

(6) चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा.) और गेहूं (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 4.15 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा.) के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य को वर्ष 2002 तक कायम रखा गया।

(7) वायदा बाजार आयोग द्वारा वर्ष 2007-08 में चावल, उड़द और तूर के भावी सौदा व्यापार पर लगाया गया निलम्बन वर्ष 2010-11 के दौरान जारी रहा।

(8) वर्ष 2010-11 के चीनी मौसम के लिए लेवी के रूप में अपेक्षित चीनी उत्पादन के अनुपात को 20 से घटाकर 10% कर दिया गया है।

(9) ओएमएसएस खुदरा बिक्री स्कीम के तहत 10 लाख टन गेहूं और 10 लाख टन चावल की मात्रा आबंटित की गई और अक्तूबर, 2011 से सितम्बर, 2012 की अवदि के लिए 15 लाख टन गेहूं, छोटे व्यापारियों को बिक्री करने सहित थोक बिक्री के लिए आबंटित किया गया।

(10) ओएमएसएस खुदरा और थोक स्कीमों के तहत अधिक उठान को प्रोत्साहित करने के लिए, ओएमएसएस के तहत थोक बिक्री और खुदरा बिक्री, दोनों के लिए मूल्यों को कम करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2011-12 (अक्तूबर, 2011 से सितम्बर, 2012) से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को ओएमएसएस स्कीम के तहत खुदरा बिक्री के लिए दिए जाने वाले गेहूं और चावल के मूल्यों को गत वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप निर्धारित किया गया और कोई भाड़ा शुल्क नहीं लगाया गया। इसी प्रकार थोक उपभोक्ताओं को निविदा के माध्यम से गेहूं की बिक्री के लिए मूल्यों को गेहूं उत्पादन राज्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के अनुरूप निर्धारित किया गया जबकि अन्य राज्यों में भाड़ा शुल्क केवल 50% ही लगाया गया।

(11) 50 लाख टन खाद्यान्न का अतिरिक्त तदर्थ आबंटन 16 मई, 2011 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए चालू वर्ष के दौरान मार्च, 2012 तक वितरण हेतु गरीबी रेखा से नीचे निर्गत के मूल्यों पर किया गया है।

(12) इसके अतिरिक्त, 20 राज्यों को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए दिनांक 30 जून, 2011 को 50 लाख टन खाद्यान्न का तदर्थ आबंटन किया गया जिससे मासिक एपीएल आबंटन 15 कि.ग्रा. प्रतिमाह प्रति परिवार हो गया और पूर्वोत्तर के चार राज्यों, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दो पहाड़ी राज्यों में यह प्रति परिवार 35 कि.ग्रा. हो गया। जहां यह जून, 2011 से मार्च, 2012 के 10 महीनों की अवधि के लिए उस मात्रा से कम था।

(13) 27 राज्यों में 174 सबसे गरीब पिछड़े जिलों को जुलाई, 2011 से फरवहरी, 2012 के दौरान 23.68 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किया गया (उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार)।

(14) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 31.3.2012 तक बढ़ा दिया गया।

(15) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को 1 लीटर प्रति राशन कार्ड की दर पर प्रतिमाह 15 रु. प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी के साथ सब्सिडीकृत आयातित खाद्य तेलों के वितरण की स्कीम को 30.9.2012 तक बढ़ा दिया गया।

**केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों में आत्महत्या के मामले**

143. **श्री कीर्ति आजादः**
**श्री चंद्रकांत खैरेः**
**श्री एस.एस. रामासुब्बूः**
**श्री यशवीर सिंहः**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों (सीपीएमएफ) में आत्महत्या करने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलि बल और सीमा सुरक्षा बल सहित ऐसी घटनाओं का लिंगवार, बलवार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी घटनाओं के कारण/परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कोई जांच या अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे अध्ययन का ब्यौरा एवं निष्कर्ष क्या हैं तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के कार्य संबंधी तनाव को दूर करने और कार्य की दशा में सुधार, वरिष्ठ अधिकारियों का व्यवहार और कार्मिकों के मानसिक स्वास्थ्य सहित कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह)**: (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा असम राइफल्स (एआर) द्वारा प्रदत्त सूचनानुसार, विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा असम राइफल्स (एआर) में आत्महत्या करने की महिला/पुरुषवार तथा राज्यवार घटनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। ऐसी प्रत्येक घटना के कारणों और उसकी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए न्यायालयी जांच करायी जाती है। अधिकांश मामलों के कारण संबंधी घटकों में सामान्यतया वैवाहिक मतभेद, व्यक्तिगत दुश्मनी, मानसिक बीमारी, इत्यादि जैसी व्यक्तिगत और घरेलू समस्याएं पायी गई थीं। कुछेक मामलों में, ऐसा, कार्य संबंधी तनाव की वजह से हुआ था।

बलों में उत्पन्न होने वाले तनाव तथा इसके उपचारी उपायों पर सुझाव देने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एण्ड डी) के माध्यम से एक अध्ययन कराया गया था। इस दल ने, जून, 2004 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, सिफारिशें की जिन्हें मोटे तौर पर तीन शीर्षों अर्थात् संगठनात्मक (37 सिफारिश), व्यक्तिगत (8 सिफारिशें) तथा सरकारी (3 सिफारिशें) के तहत वर्गीकृत किया गया था। सरकार ने आत्महत्या की घटनाओं को रोकेन के लिए तनाव संबंधी समस्याओं, उनके कारणों तथा कार्मिकों पर पड़ने वाले प्रभावों का निराकरण करने के लिए इन सिफारिशों पर पहले ही विचार किया है।

(ङ) सरकार द्वारा सीएपीएफ तथा असम राइफल्स के कार्मिकों के सेवा संबंधी तनाव को दूर करने, उनके कार्यकरण की स्थितियों में सुधार लाने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के बर्ताव तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य सहित ऐसे मामलों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं:-

(i) पारदर्शी, विवेकपूर्ण तथा निष्पक्ष छुट्टी संबंधी नीति लागू करना।

(ii) बल कार्मिकों को उनकी तात्कालिक घरेलू समस्याओं/मुद्दों/जरूरतों का समाधान करने के लिए छुट्टी प्रदान करना।

(iii) उनकी समस्याओं का पता लगाने एवं उनका निराकरण करने के लिए कमाण्डरों, अधिकारियों तथा सैन्य टुकड़ियों के बीच औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार का नियमित परिसंबाद।

(iv) शिकायत निराकरण मशीनरी को चुस्त-दुरूस्त करना।

(v) पर्याप्त आराम और राहत सुनिश्चित करने के लिए कार्य घण्टों का नियमितीकरण।

(vi) सैन्य टुकड़ियों तथा उनके परिवारों के लिए बुनियादी सुख/सुविधाओं का प्रावधान करके उनके जीवन स्तर को सुधारना।

(vii) जोखिम, कठिनाई तथा अन्य भत्तों को बढ़ाकर बल को प्रोत्साहित करना।

(viii) सैन्य बलों के लिए एसटीडी टेलीफोन सुविधाओं का प्रावधान करना ताकि वे अपने परिवार के सम्पर्क में रहें और दूर-दराज क्षेत्रों में उनका तनाव कम रहे।

(ix) विशिष्ट सुविधा युक्त कम्पोजिट अस्पतालों की शुरुआत सहित सैन्य बलों तथा उनके परिवारों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं।

(x) उनकी व्यक्तिगत तथा मनोवैज्ञानिक चिन्ताओं का निराकरण करने के लिए डाक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों के द्वारा उनके साथ बातचीत करना।

(xi) बेहतर तनाव प्रबंधन के लिए योग और ध्यान कक्षाएं।

(xii) मनोरंजन तथा खेलकूद की सुविधाएं तथा टीम गेमों और खेल-कूद इत्यादि का प्रावधान।

(xiii) सैन्य टुकड़ियों तथा उनके परिवार के लिए केन्द्रीय पुलिस कैन्टीन सुविधा, उनके वार्डों को छात्रवृत्ति इत्यादि जैसे कल्याणकारी उपायों का प्रावधान करना।

***विवरण***

*विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीएपीएफ में हुई आत्महत्याओं की संख्या*

| बल का नाम | वर्ष | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (20.2.2012 तक) |
| सीआरपीएफ | 28 | 28 | 42 | 06 |
| बीएसएफ | 26 | 29 | 39 | 06 |
| आईटीबीपी | 06 | 05 | 03 | 01 |
| एसएसबी | 12 | 12 | 12 | 0 |
| सीआईएसएफ | 16 | 17 | 11 | 05 |
| असम राइफल्स | 08 | 10 | 09 | 01 |
| एनएसजी | 0 | 0 | 03 | 0 |

*राज्यवार महिला-पुरुषवार ब्यौरा*

| राज्य का नाम | पुरुष/महिला | 2009 | | | | | | | | 2010 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सीआर पीएफ | बीएस एफ | आईटी बीपी | एसएस बी | सीआई एसएफ | एआर | एनएस जी | कुल | सीआर पीएफ | बीएस एफ | आईटी बीपी | एसएस बी | सीआई एसएफ | एआर | एनएस जी | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| आंध्र प्रदेश | पुरुष | 04 | - | - | 01 | - | - | - | 05 | 02 | 01 | - | 01 | - | - | - | 04 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अरुणाचल प्रदेश | पुरुष | - | - | 02 | - | - | - | - | 02 | - | - | 01 | - | - | 01 | - | 02 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| असम | पुरुष | 01 | 03 | 01 | 02 | - | - | - | 07 | 01 | 01 | - | 03 | 01 | 02 | - | 08 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| बिहार | पुरुष | 04 | - | - | 01 | 02 | - | - | 07 | 02 | - | - | 01 | - | - | - | 03 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| छत्तीसगढ़ | पुरुष | 01 | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिल्ली | पुरुष | 01 | - | - | - | 01 | - | - | 02 | - | 01 | - | - | 01 | - | - | 02 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| गुजरात | पुरुष | - | 01 | - | - | - | - | - | 01 | 01 | 01 | - | - | 01 | - | - | 03 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| हरियाणा | पुरुष | 03 | - | 02 | 01 | 02 | 01 | - | 09 | 02 | - | - | 01 | 02 | - | - | 05 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| हिमाचल प्रदेश | पुरुष | 01 | - | - | - | - | 02 | - | 03 | 01 | - | 01 | - | 01 | - | - | 03 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| जम्मू और कश्मीर | पुरुष | - | 06 | - | - | - | 01 | - | 07 | - | 03 | 02 | 02 | - | - | - | 07 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| झारखंड | पुरुष | - | 01 | - | - | 01 | - | - | 02 | 04 | - | - | - | 01 | - | - | 05 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कर्नाटक | पुरुष | - | 01 | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | 01 | 01 | - | 02 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केरल | पुरुष | - | - | - | - | - | 01 | - | 01 | - | 02 | - | - | - | - | - | 02 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| मध्य प्रदेश | पुरुष | 01 | - | - | 01 | 01 | - | - | 03 | 02 | - | - | - | - | - | - | 02 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| महाराष्ट्र | पुरुष | 02 | - | - | - | 01 | - | - | 03 | 03 | - | - | - | - | - | - | 03 |
| | महिला | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 |
| मणिपुर | पुरुष | - | 04 | - | 02 | - | - | - | 06 | - | - | - | - | - | 01 | - | 01 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| मेघालय | पुरुष | - | 01 | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| नागालैंड | पुरुष | - | - | - | - | - | 01 | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ओडिशा | पुरुष | 02 | 01 | - | - | 02 | - | - | 05 | 01 | - | - | 01 | - | - | - | 02 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पंजाब | पुरुष | 02 | 01 | - | - | - | - | - | 03 | 01 | 03 | - | - | 01 | - | - | 05 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| राजस्थान | पुरुष | 01 | 01 | - | - | - | - | - | 02 | 02 | 03 | - | - | 01 | - | - | 06 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| सिक्किम | पुरुष | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | 01 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| तमिलनाडु | पुरुष | 02 | - | - | 01 | 03 | - | - | 06 | 03 | - | - | - | 06 | - | - | 09 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| त्रिपुरा | पुरुष | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | 04 | - | - | - | - | - | 05 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| उत्तराखंड | पुरुष | - | - | 01 | 02 | - | 01 | - | 04 | - | - | 01 | 01 | - | 03 | - | 05 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| उत्तर प्रदेश | पुरुष | 02 | - | - | 01 | - | 01 | - | 04 | 02 | 02 | - | 01 | - | 01 | - | 06 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पश्चिम बंगाल | पुरुष | 01 | 06 | - | - | - | - | - | 07 | - | 08 | - | 01 | - | - | - | 09 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | पुरुष | - | - | - | - | 02 | - | - | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | पुरुष | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | कुल | 28 | 26 | 06 | 12 | 16 | 08 | - | 96 | 28 | 29 | 05 | 12 | 17 | 10 | - | 101 |

| राज्य का नाम | पुरुष/महिला | 2011 | | | | | | | | 2012 (फरवरी, 2012 तक) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सीआर पीएफ | बीएस एफ | आईटी बीपी | एसएस बी | सीआई एसएफ | एआर | एनएस जी | कुल | सीआर पीएफ | बीएस एफ | आईटी बीपी | एसएस बी | सीआई एसएफ | एआर | एनएस जी | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| आंध्र प्रदेश | पुरुष | 01 | - | 01 | - | 01 | - | - | 03 | - | 01 | - | - | 01 | - | - | 02 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अरुणाचल प्रदेश | पुरुष | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | 01 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| असम | पुरुष | 03 | 01 | - | - | - | 01 | - | 05 | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| बिहार | पुरुष | - | - | - | 01 | 01 | 01 | - | 03 | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| छत्तीसगढ़ | पुरुष | - | 01 | 01 | - | - | - | - | 02 | - | 01 | - | - | - | - | - | 01 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिल्ली | पुरुष | - | 01 | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| गोवा | पुरुष | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| गुजरात | पुरुष | 01 | 02 | - | - | - | - | - | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हरियाणा | पुरुष | 03 | 01 | 01 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| हिमाचल प्रदेश | पुरुष | - | 01 | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| जम्मू और कश्मीर | पुरुष | 01 | 03 | 01 | 01 | - | - | - | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| झारखंड | पुरुष | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 |
| कर्नाटक | पुरुष | 01 | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| केरल | पुरुष | 02 | - | - | - | - | 02 | - | 04 | 01 | - | - | - | - | - | - | 01 |
| | महिला | - | - | - | 01 | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| मध्य प्रदेश | पुरुष | 02 | 02 | - | - | - | - | - | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| महाराष्ट्र | पुरुष | 03 | 01 | - | - | 02 | - | - | 06 | 01 | - | - | - | - | - | - | 01 |
| | महिला | 01 | - | - | 01 | - | - | - | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| मणिपुर | पुरुष | 02 | 01 | - | 01 | - | 01 | - | 05 | 01 | - | - | - | - | - | - | 01 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| मेघालय | पुरुष | - | 01 | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| मिजोरम | पुरुष | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| नागालैंड | पुरुष | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ओडिशा | पुरुष | 01 | 01 | - | - | - | - | - | 02 | 01 | - | - | - | - | - | - | 01 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पंजाब | पुरुष | 02 | 01 | - | - | - | - | 01 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्थान | पुरुष | 06 | 03 | - | - | 01 | - | - | 10 | 01 | - | - | - | - | - | - | 01 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| सिक्किम | पुरुष | - | - | - | 01 | - | 01 | - | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| तमिलनाडु | पुरुष | 06 | - | - | - | 01 | - | 01 | 08 | 01 | - | - | - | - | - | - | 01 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| त्रिपुरा | पुरुष | - | 01 | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| उत्तराखंड | पुरुष | 02 | - | - | 01 | - | 03 | - | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| उत्तर प्रदेश | पुरुष | 02 | 01 | - | 02 | 01 | - | - | 06 | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पश्चिम बंगाल | पुरुष | 02 | 17 | - | 03 | 04 | - | - | 26 | - | 04 | - | - | - | - | - | 04 |
| | महिला | 01 | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | पुरुष | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अन्य* | पुरुष | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | 01 |
| | महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | कुल | 42 | 39 | 03 | 12 | 11 | 09 | 03 | 119 | 06 | 06 | 01 | - | 05 | 01 | - | 19 |

*असम राइफल एक कर्मचारी नेपाल का था।

*[हिन्दी]*

## शीत श्रृंखला के विकास के लिए राष्ट्रीय केन्द्र

**144. श्रीमती प्रिया दत्त:**
**श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:**
**श्री उदय प्रताप सिंह:**
**श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तारीख राज्य-वार कितने शीतागार खोले गए/खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने देश में शीतागारों और शीत श्रृंखला की स्थापना के लिये राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने हेतु राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केन्द्र (एनसीसीडी) की स्थापना की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एनसीसीडी द्वारा विभिन्न राज्यों को कितनी सहायता दी गई तथा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शीतागारों और शीत श्रृंखला के लिए इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने किसानों को लाभ मिला/मिलने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) शीतागारों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) सरकार ने शीत शृंखला अवसंरचना के परीक्षण, सत्यापन, प्रमाणन और प्रत्यायन के संबंध में मानक और नयाचार स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय शीत शृंखला विकास केन्द्र स्थापित किया है।

***विवरण***

*राज्य-वार शीतागार*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कुल सं. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (यूटी) | 2 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 331 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 |
| 4. | असम | 27 |
| 5. | बिहार | 290 |
| 6. | चंडीगढ़ (यूटी) | 6 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 75 |
| 8. | दिल्ली | 95 |
| 9. | गुजरात | 477 |
| 10. | गोवा | 29 |
| 11. | हरियाणा | 248 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 18 |
| 13. | जम्मू और कश्मीर | 20 |
| 14. | झारखंड | 51 |
| 15. | केरल | 193 |
| 16. | कर्नाटक | 178 |
| 17. | लक्षद्वीप (यूटी) | 1 |
| 18. | महाराष्ट्र | 484 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 223 |
| 20. | मणिपुर | 0 |
| 21. | मेघालय | 3 |
| 22. | मिजोरम | 1 |
| 23. | नागालैंड | 2 |
| 24. | ओडिशा | 104 |
| 25. | पुडुचेरी (यूटी) | 3 |
| 26. | पंजाब | 504 |
| 27. | राजस्थान | 132 |
| 28. | सिक्किम | 1 |
| 29. | तमिलनाडु | 157 |
| 30. | त्रिपुरा | 12 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 1988 |
| 32. | उत्तराखंड | 16 |
| 33. | पश्चिम बंगाल | 484 |
| | कुल | 6156 |

स्रोतः डीएमआई, एनएचएम और एनएचबी

**दुग्ध उत्पादन**

**145. श्री देवजी एम. पटेल:**
**श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल:**
**श्री अर्जुन राम मेघवाल:**
**श्री निशिकांत दुबे:**
**श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:**
**श्री हंसराज गं. अहीर:**
**श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:**
**श्री ए.टी. नाना पाटील:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में दूध की कीमतें कई बार बढ़ाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में दूध के उत्पादन और उपभोग का कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/कार्यक्रम शुरू किए गए/किए जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत)**: (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दूध का वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2004-05=100) निम्नानुसार है:-

| वर्ष | थोक मूल्य सूचकांक |
|---|---|
| 2008-09 | 123.24 |
| 2009-10 | 146.41 |
| 2010-11 | 175.88 |
| 2011-12 (औसत जनवरी, 2012 तक) | 192.50 |

(स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)

मूल्यों में वृद्धि मुख्यत: उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण बताई गई है।

(ग) और (घ) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार दुग्ध उत्पादन और वर्ष 2009-10 के लिए दूध की प्रतिव्यक्ति मासिक खपत क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दी गई है। वर्ष 2011-12 के दौरान देश में अनुमानत: 127.29 मिलियन टन का दुग्ध उत्पादन हुआ। वर्ष 2011-12 के लिए प्रत्याशित दुग्ध उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन दूध की मासिक खपत संबंधी सर्वेक्षण प्रत्येक पांच वर्ष में करता है और दूध की खपत का पिछला सर्वेक्षण 2009-10 में किया गया था।

(ङ) देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है:-

1. राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना
2. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम
3. डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना
4. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
5. चारा और आहार विकास योजना

***विवरण I***

*गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार दुग्ध उत्पादन*
*(2009-10 से 2010-11)*

(मिलियन टन)

| राज्य | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आंध्र प्रदेश | 9.57 | 10.43 | 11.20 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| असम | 0.75 | 0.76 | 0.79 |
| बिहार | 5.93 | 6.12 | 6.52 |
| छत्तीसगढ़ | 0.91 | 0.96 | 1.03 |
| गोवा | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| गुजरात | 8.39 | 8.84 | 9.32 |
| हरियाणा | 5.75 | 6.01 | 6.27 |
| हिमाचल प्रदेश | 1.03 | 0.97 | 1.10 |
| जम्मू और कश्मीर | 1.57 | 1.59 | 1.61 |
| झारखंड | 1.47 | 1.46 | 1.56 |
| कर्नाटक | 4.54 | 4.82 | 5.11 |
| केरल | 2.44 | 2.51 | 2.65 |
| मध्य प्रदेश | 6.86 | 7.17 | 7.51 |
| महाराष्ट्र | 7.46 | 7.68 | 8.04 |
| मणिपुर | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| मेघालय | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| मिजोरम | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| नागालैंड | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| ओडिशा | 1.60 | 1.65 | 1.67 |
| पंजाब | 9.39 | 9.39 | 9.42 |
| राजस्थान | 11.93 | 12.33 | 13.23 |
| सिक्किम | 0.04 | 0.04 | 0.04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| तमिलनाडु | 6.65 | 6.79 | 6.83 |
| त्रिपुरा | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| उत्तर प्रदेश | 19.54 | 20.20 | 21.03 |
| उत्तराखंड | 1.23 | 1.38 | 1.38 |
| पश्चिम बंगाल | 4.18 | 4.30 | 4.47 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| चंडीगढ़ | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| दादरा और नगर हवेली | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| दिल्ली | 0.45 | 0.47 | 0.48 |
| लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पुडुचेरी | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| अखिल भारत | 112.18 | 116.42 | 121.84 |

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पशुपालन विभाग

### *विवरण II*

*राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा दूध की माहवार प्रतिव्यक्ति खपत की मात्रा (जुलाई 2009-जून 2010)*

| राज्य/संघ शासित प्रदेश | दूध: तरल (लीटर) | |
|---|---|---|
| | ग्रामीण | शहरी |
| 1 | 2 | 3 |
| आंध्र प्रदेश | 3.370 | 4.578 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0.776 | 1.350 |
| असम | 1.548 | 1.734 |
| बिहार | 2.668 | 3.997 |
| छत्तीसगढ़ | 0.768 | 2.892 |
| दिल्ली | 6.999 | 8.860 |
| गोवा | 2.794 | 4.442 |
| गुजरात | 6.178 | 6.750 |
| हरियाणा | 13.404 | 9.549 |
| हिमाचल प्रदेश | 9.512 | 9.369 |
| जम्मू और कश्मीर | 8.137 | 8.484 |
| झारखंड | 1.705 | 3.635 |
| कर्नाटक | 3.785 | 4.991 |
| केरल | 3.056 | 4.980 |
| मध्य प्रदेश | 3.999 | 4.814 |
| महाराष्ट्र | 3.046 | 4.980 |
| मणिपुर | 0.215 | 0.396 |
| मेघालय | 0.773 | 0.989 |
| मिजोरम | 0.345 | 1.713 |
| नागालैंड | 0.196 | 0.455 |
| ओडिशा | 1.073 | 2.407 |
| पंजाब | 11.560 | 10.239 |
| राजस्थान | 9.861 | 8.126 |
| सिक्किम | 5.872 | 3.116 |
| तमिलनाडु | 3.195 | 5.015 |
| त्रिपुरा | 1.222 | 1.900 |
| उत्तर प्रदेश | 4.587 | 5.394 |
| उत्तराखंड | 6.651 | 6.293 |
| पश्चिम बंगाल | 1.386 | 2.559 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1.228 | 2.154 |
| चंडीगढ़ | 7.271 | 10.019 |
| दादरा और नगर हवेली | 2.328 | 4.117 |
| दमन और दीव | 3.085 | 4.279 |
| लक्षद्वीप | 0.347 | 0.395 |
| पुडुचेरी | 4.042 | 6.281 |
| अखिल भारत | 4.117 | 5.358 |

स्रोत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन

*[अनुवाद]*

**भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पुनर्गठन**

146. **श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**
**श्री संजय भोई:**

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के व्यापक पुनर्गठन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इतिहास और पुरातत्व विज्ञान में मेधावी लोगों को आकर्षित करने के लिए निम्न वेतनमान और स्तर से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पुनर्गठन की प्रक्रिया कब तक शुरू होने की संभावना है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) जी, हां।

(ख) इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें अपर महानिदेशक के 4 अतिरिक्त पदों, संयुक्त महानिदेशक के 18 अतिरिक्त पदों का सृजन, उपयुक्त कार्मिकशक्ति की बढ़ोतरी द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सभी स्कंधों जैसे स्मारक, संरक्षण, अन्वेषण एवं उत्खनन, पुरालेख, रसायन शाखा, उद्यान शाखा का सुदृढ़ीकरण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे का सुदृढ़ीकरण तथा पुरातत्व संस्थान का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्मिकों का वेतनमान और स्तर (ग्रेड) अन्य सरकारी विभागों के समान है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार पहले से ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुनर्गठन की प्रक्रिया में है।

*[हिन्दी]*

**खरीद में अनियमितताएं**

147. **श्रीमती सुशीला सरोज:**
**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
**श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:**
**श्रीमती ऊषा वर्मा:**
**श्री महेश्वर हजारी:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान और चालू खरीद सत्र में राज्य-वार गेहूं और धान की खरीद का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में धान और गेहूं की खरीद के दौरान बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या खाद्यान्नों की खरीद में अनियमितता को देखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर किसानों द्वारा औने-पौने दामों पर बिक्री की शिकायतें भी मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) पिछले 1 वर्ष और वर्तमान मौसम के दौरान गेहूं और धान की खरीदारी के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिये गये हैं।

(ख) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) यद्यपि ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम संलग्न विवरण-III में दिये गये हैं।

***विवरण I***

*रबी विपणन मौसम 2010-11 और रबी विपणन मौसम 2011-12 के दौरान गेहूं की खरीद*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | पंजाब | 102.09 | 109.57 |
| 2. | हरियाणा | 63.47 | 69.28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | उत्तर प्रदेश | 16.45 | 34.61 |
| 4. | मध्य प्रदेश | 35.37 | 49.65 |
| 5. | बिहार | 1.83 | 5.56 |
| 6. | राजस्थान | 4.76 | 13.03 |
| 7. | उत्तराखंड | 0.86 | 0.42 |
| 8. | छत्तीसगढ़ | 0.09 | 0.07 |
| 9. | दिल्ली | 0.10 | 1.05 |
| 10. | गुजरात | 0.01 | 1.05 |
| 11. | झारखंड | नगण्य | नगण्य |
| 12. | महाराष्ट्र | नगण्य | – |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | नगण्य | नगण्य |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 0.09 | – |
| | जोड़ | 225.14 | 283.34 |

नगण्य – 500 टन से कम

### *विवरण II*

*खरीफ विपणन मौसम 2010-11 और खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के दौरान धान की खरीद*

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | खरीफ विपणन मौसम 2010-11 | खरीफ विपणन मौसम 2011-12* |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| आंध्र प्रदेश | 24.47 | 9.60 |
| असम | 0.23 | 0.06 |
| बिहार | 11.44 | 14.41 |
| चंडीगढ़ | 0.13 | 0.19 |
| छत्तीसगढ़ | 51.16 | 59.70 |
| दिल्ली | – | – |
| गुजरात | – | 0.05 |
| हरियाणा | 24.82 | 29.33 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.00 | – |
| झारखंड | 0.00 | 2.28 |
| जम्मू और कश्मीर | 0.04 | 0.02 |
| कर्नाटक | 0.35 | 1.28 |
| केरल | 3.93 | 1.99 |
| मध्य प्रदेश | 4.28 | 9.43 |
| महाराष्ट्र | 1.94 | 1.98 |
| नागालैंड | – | – |
| ओडिशा | 36.14 | 25.03 |
| पुडुचेरी | – | – |
| पंजाब | 128.86 | 115.39 |
| राजस्थान | – | – |
| तमिलनाडु | 23.03 | 16.42 |
| उत्तर प्रदेश | 14.46 | 23.20 |
| उत्तराखंड | 0.15 | 0.19 |
| पश्चिम बंगाल | 11.76 | 3.47 |
| जोड़ | 337.21 | 314.04 |

*7.3.2012 की स्थिति के अनुसार

### *विवरण III*

*सरकार द्वारा उठाए गए कदम*

1. संबंधित राज्य की खरीद की क्षमता और भौगोलिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए खरीद मौसम से पूर्व भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा पारस्परिक विचार-विमर्श से पर्याप्त संख्या में खरीद केन्द्र खोले जाते हैं। खरीद मौसम के दौरान अतिरिक्त खरीद केन्द्रों की आवश्यकता, यदि कोई हो, के बारे में समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अपेक्षित अतिरिक्त खरीद केन्द्र भी खोले जाते हैं।

2. प्रत्येक विपणन मौसम शुरू होने से पूर्व आने वाले मौसम में खरीद की व्यवस्थाएं करने हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्यों के खाद्य सचिवों, भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों की एक बैठक का आयोजन करता है। इस बैठक में, खोले जाने वाले खरीद केन्द्रों की संख्या और पैकेजिंग सामग्री की खरीद जैसी व्यवस्थाओं एवं भंडारण स्थान के बारे में विचार-विमर्श किया जाता है।

3. विशेष रूप से उन राज्यों में जहां विपणन अवसंरचना अच्छी तरह से विकसित नहीं है, छोटे और सीमान्त किसानों से खरीद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2009-10 से सहकारी समितियों एवं स्व-सहायता समूहों द्वारा खरीद हेतु कमीशन प्रभार को बढ़ाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य का 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इस उपाय से किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की पहुंच बढ़ेगी।

4. खरीद को अधिकतम करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों की पहुंच में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्यों को खरीद की विकेन्द्रीकृत प्रणाली को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों की खरीद और वितरण का कार्य राज्य सरकार स्वयं करती है। राज्य की आवश्यकता से अतिरिक्त खरीदी गई मात्रा अन्यत्र वितरणार्थ केन्द्रीय पूल में भिजवाई जाती है, जबकि कमी की पूर्ति केन्द्रीय पूल से की जाती है। खरीद की विकेन्द्रीकृत प्रणाली वर्ष 1997 में लागू की गई थी। धान/चावल के लिए विकेन्द्रीकृत खरीद वाले राज्य छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा मध्य प्रदेश हैं और गेहूं की विकेन्द्रीकृत खरीद वाले राज्य मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल हैं।

5. किसानों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर, जहां वे अपने उत्पाद को सरकारी खरीद के लिए ला सकें, खरीद केन्द्र खोलने हेतु भारतीय खाद्य निगम और राज्यों को अनुदेश दिए गए है।

6. रबी विपणन मौसम 2009-10 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1080 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप रबी विपणन मौसम 2009-10 में 253.82 लाख टन की रिकार्ड खरीद हुई थी। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था और रबी विपणन मौसम 2010-11 में गेहूं की खरीद 225.14 लाख टन हुई थी। रबी विपणन मौसम 2011-12 में सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1120 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया था। इसके अलावा, 50 रुपए का बोनस भी अनुमोदित किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप 283.35 लाख टन गेहूं की खरीद हुई जो कि एक रिकार्ड खरीद थी। रबी विपणन मौसम 2012-13 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य और बढ़ाकर 1285 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

7. खरीफ विपणन मौसम 2009-10 में धान की सामान्य और 'ए' किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 950 रुपए और 980 रुपए निर्धारित किया गया था। इसके अलावा, सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2009-10 के दौरान धान की दोनों किस्मों पर 50 रुपए का बोनस भी घोषित किया था। खरीफ विपणन मौसम 2009-10 के दौरान कुल 320.34 लाख टन चावल की खरीद की गई थी। खरीफ विपणन मौसम 2010-11 के लिए धान की सामान्य और ग्रेड 'ए' किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 1000 रुपए और 1030 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। खरीफ विपणन मौसम 2010-11 के दौरान चावल की खरीद 341.80 लाख टन रही। खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के लिए धान की सामान्य और ग्रेड 'ए' किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को और बढ़ाकर क्रमशः 1080 रुपए और 1110 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया था। खरीफ विपणन मौसम 2011-12 में चावल की खरीद 353 लाख टन अनुमानित है।

8. राज्य सरकारों से बाजार में आवकों को सही तरीकों से दर्ज करने हेतु अनुदेश जारी करने और चावल मिल मालिकों पर कम से कम 50 प्रतिशत का अनिवार्य लेवी अधिरोपण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

**जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरों और कस्बों का विकास**

**148. डॉ. संजीव गणेश नाईक:**
**श्री अर्जुन राम मेघवाल:**
**श्री भूपेन्द्र सिंह:**
**श्री सुदर्शन भगत:**
**श्री जी.एम. सिद्देश्वर:**
**श्रीमती सुप्रिया सुले:**
**श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:**
**श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:**
**श्रीमती श्रुति चौधरी:**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में राज्य-वार क्रियान्वित की जा रही शहरी विकास योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय सहायता देने और नगर एवं कस्बों को शामिल करने के संबंध में राज्य सरकारों से कितने प्रस्ताव हुए हैं;

(ग) ऐसे प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य/शहर/नगर-वार देश में शहरों/नगरों के विकास के लिए स्वीकृत जारी और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे/समीक्षा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार और परियोजना-वार उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना/योजना की प्रगति क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन दिनांक 3 दिसम्बर, 2005 को वर्ष 2005-06 से आरम्भ होकर 2011-12 तक की अवधि के लिए आरम्भ किया गया है जिसका उद्देश्य शहरी अवसंरचना, सेवा सुपुर्दगी तंत्र, सामुदायिक भागीदारी और नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों एवं पैरा स्टेटल एजेंसियों की जवाबदेयता में कार्यकुशलता लाने पर जोर देते हुए देशभर के शहरों का सुधार आधारित और तीव्र गति से विकास करना है।

जनगणना 2001 की जनसंख्या के आधार पर 65 शहरों और राज्य राजधानियों तथा धार्मिक/ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व के अन्य शहरों/शहरी समूहों (यूए) को जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) उप-मिशन में शामिल किया गया है।

जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के यूआईजी उप मिशन के तहत तक वारांगल, करमसद, गांधी नगर, हुबली-धारवाड़, गुलबर्गा बेलगांव, गया, बिहारशरीफ, पावापुरी, नालन्दा, राजगीर, सुलतानपुर-लोधी, कुरुक्षेत्र-पहोवा, गुडगांव, औरंगाबाद, वृन्दावन, कुरनूल, जोधपुर, ग्वालियर, गुंटूर, पानीपत, बेल्लारी, कालीकट, दार्जिलिंग, कलीमपांग और कुरसेयोंग, देवघर, सम्बलपुर, धुले, मालेगांव, कोल्हापुर, पोर्टब्लेयर, कैथल, सिलीगुडी, हल्दिया, अमरावती, सोलापुर इत्यादि को शामिल करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस मिशन के तहत शहरों की संख्या लगभग 60 रहेगी। वर्तमान में, जेएनएनयूआरएम के यूआईजी के तहत 65 शहर शामिल है और इससे अधिक शहर शामिल नहीं किए गए हैं। तथापि यूआईजी उप-मिशन के तहत शामिल नहीं किए गए शहर, छोटे और मझोले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडी एसएसएमटी) के तहत सहायता के पात्र हैं।

भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2009 में घोषित द्वितीय प्रोत्साहन पैकेज के तहत राज्यों को, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत शहरी परिवहन के लिए बसों की खरीद के वास्ते अनुदान के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, उक्त स्कीम के तहत उनकी शहरी परिवहन प्रणाली हेतु बसों की खरीद के लिए एकबारगी उपाय के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उपर्युक्त के अलावा इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित शहरी विकास स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(1) 7 मेगा शहरों के आस-पास सैटेलाइट कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम।

(2) पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी)

(3) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए 10% एकमुश्त प्रावधान।

(4) शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण स्कीम (सीबीयूएलबी)

(ख) से (ङ) जहां तक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का संबंध है, जेएनएनयूआरएम के उप मिशन शहरी अवस्थापना एवं शासन (यूआईजी) हेतु संपूर्ण मिशन अवधि के लिए वित्तीय परिव्यय के रूप में 31,500 करोड़ रु. का प्रावधान है और जेएनएनयूआरएम के छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएस-एसएमटी) के लिए संपूर्ण मिशन अवधि यानी 2005-12 हेतु 11,400 करोड़ रु. का प्रावधान है।

29.02.2012 की स्थिति के अनुसार, जेएनएनयूआरएम के उप मिशन शहरी अवस्थापना एवं शासन (यूआईजी) के तहत, 28523.20 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता वचनबद्धता वाली 548 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार 127 परियोजनाएं वास्तविक रूप से पूरी हो गई हैं और बाकी 421 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार, पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

29.02.2012 की स्थिति के अनुसार, जेएनएनयूआरएम के छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत 10957.32 करोड़ रु. की अतिरिक्त

केन्द्रीय सहायता वचनबद्धता वाली 788 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार 142 परियोजनाएं वास्तविक रूप से पूरी हो गई हैं और बाकी 646 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत 31 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए, 2088.80 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता वचनबद्धता से कुल 15,207 बसें अनुमोदित की गई थी जिसमें से 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 1306.08 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

### *विवरण I*

(लाख रु. में)

| क्षेत्रों का नाम राज्यों/संघ राज्य | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 (दिनांक 29.2.2012 की स्थिति के अनुसार) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वचनबद्ध एसीए | उपयोग हेतु जारी एसीए | वचनबद्ध एसीए | उपयोग हेतु जारी एसीए | वचनबद्ध एसीए | उपयोग हेतु जारी एसीए | वचनबद्ध एसीए | उपयोग हेतु जारी एसीए |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| आंध्र प्रदेश | 34,993.75 | 18,898.95 | 13,935.00 | 27,385.07 | - | 15,569.86 | - | 23,071.40 |
| अरुणाचल प्रदेश | 8,215.65 | 2,053.91 | - | 2,006.94 | - | - | - | 2,436.51 |
| असम | - | 6,321.15 | - | 7,112.41 | - | 3,792.54 | - | 6,795.91 |
| बिहार | 37,628.03 | 1,955.62 | - | 7,441.39 | - | - | - | - |
| चंडीगढ़ | - | 405.20 | 10,738.80 | - | - | 734.52 | - | - |
| छत्तीसगढ़ | - | - | - | 12,145.60 | - | 3,643.68 | - | - |
| दिल्ली | 17,472.30 | 2,220.58 | 186,904.60 | 17,248.00 | 47,520.00 | 43,509.00 | - | 6,938.27 |
| गोवा | - | - | - | - | - | - | 5,987.26 | 72.45 |
| गुजरात | 54,294.22 | 47,035.34 | 20,604.09 | 47,788.21 | 2,104.84 | 7,297.21 | - | 34,673.32 |
| हरियाणा | 24,764.50 | 9,147.46 | - | - | - | 5,283.80 | - | 719.50 |
| हिमाचल प्रदेश | 5,778.00 | - | 3,880.00 | 2,619.01 | - | - | - | 121.09 |
| जम्मू और कश्मीर | 10,000.00 | 2,500.00 | - | - | - | - | - | 7,042.02 |
| झारखंड | 48,268.46 | 6,682.46 | - | 5,384.66 | 1,668.12 | 417.03 | - | 6,204.58 |
| कर्नाटक | 32,211.85 | 12,992.94 | 4,332.00 | 21,578.53 | - | 7,659.85 | 264.00 | 20,517.49 |
| केरल | 18,405.20 | 3,350.50 | 1,105.00 | 2,439.45 | - | - | - | 3,510.32 |
| मध्य प्रदेश | 24,275.82 | 15,931.43 | 20,115.70 | 12,343.27 | 9,000.00 | 4,828.66 | - | 14,280.93 |
| महाराष्ट्र | 140,074.96 | 88,349.54 | 10,336.86 | 88,649.86 | - | 42,004.49 | 3,829.55 | 59,543.74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मणिपुर | 2,038.34 | – | 9,225.12 | 2,883.37 | – | – | – | 2,078.42 |
| मेघालय | 19,616.15 | 4,904.04 | – | – | – | – | – | 7,296.11 |
| मिजोरम | – | – | – | 756.82 | – | – | 9,981.32 | – |
| नागालैंड | – | 389.26 | 4,538.19 | 1,702.81 | – | – | 3,623.49 | 1,246.83 |
| ओडिशा | 18,818.40 | 3,338.00 | 4,500.00 | 2,491.60 | – | – | – | 6,999.34 |
| पंजाब | 3,624.50 | 4,939.22 | 2,289.00 | 3,346.62 | – | – | – | – |
| पुडुचेरी | 3,972.80 | 993.20 | – | – | – | – | – | 2,189.00 |
| राजस्थान | 23,364.47 | 20,281.38 | – | 2,826.10 | – | – | – | 4,584.94 |
| सिक्किम | – | 538.20 | 6,535.49 | 1,663.87 | – | – | – | 1,273.24 |
| तमिलनाडु | 94,398.69 | 28,446.11 | 9,000.00 | 37,723.44 | 4,063.50 | 2,635.84 | – | 17,878.47 |
| त्रिपुरा | 7,043.40 | 1,760.85 | 9,000.00 | 2,250.00 | – | – | – | 2,406.51 |
| उत्तर प्रदेश | 142,547.53 | 43,078.75 | 31,500.00 | 47,632.21 | – | 25,479.16 | – | 39,075.76 |
| उत्तराखंड | 12,866.12 | 2,678.56 | 4,628.00 | 7,546.69 | 3,501.86 | 981.06 | 945.82 | 4,507.51 |
| पश्चिम बंगाल | 54,824.29 | 22,857.17 | 44,822.75 | 27,717.88 | 42,259.61 | 17,412.81 | 34,855.49 | 21,492.75 |
| कुल | 839,688.03 | 352,049.82 | 397,990.60 | 392,683.81 | 110,17.93 | 181,249.51 | 59,486.93 | 296,956.41 |

*कुल योग वर्ष 2008-09 से 2011-12 के आधार पर है।

### *विवरण II*

*वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत वचनबद्ध/जारी एसीए की राज्यवार स्थिति*

(दिनांक 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार)
(लाख रु. में)

| क्र.सं. | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम | मिशन अवधि के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या | अनुमोदित लागत | मिशन अवधि के दौरान वचनबद्ध कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता | उपयोग के लिए जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 (20.2.12 तक) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 84 | 245995.50 | 199157.32 | 75586.14 | 476.88 | 43079.00 | 22017.66 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 9 | 3935.98 | 3542.38 | 1771.19 | 0.00 | 0.00 | 1771.19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 30 | 20783.28 | 18953.14 | 6946.79 | 0.00 | 0.00 | 2408.73 |
| 4. | बिहार | 11 | 25143.65 | 21119.94 | 4342.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 4 | 25143.65 | 13472.92 | 0.00 | 0.00 | 2447.46 | 4289.00 |
| 6. | गोवा | 3 | 2875.00 | 2211.00 | 0.00 | 0.00 | 337.20 | 768.20 |
| 7. | गुजरात | 52 | 43814.36 | 35195.58 | 12169.71 | 0.00 | 4651.09 | 2460.81 |
| 8. | हरियाणा | 8 | 16407.81 | 13277.69 | 2524.58 | 0.00 | 0.00 | 2913.22 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 7 | 6168.49 | 4961.88 | 85.59 | 0.00 | 345.82 | 2098.37 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 45 | 39867.47 | 36294.40 | 1508.92 | 0.00 | 4020.85 | 0.00 |
| 11. | झारखण्ड | 5 | 9646.55 | 7861.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | कर्नाटक | 38 | 68248.57 | 55116.01 | 14891.23 | 0.00 | 17662.95 | 2069.43 |
| 13. | केरल | 25 | 42778.55 | 34532.14 | 8783.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 58 | 109583.29 | 78792.59 | 12973.96 | 0.0 | 3871.53 | 13330.16 |
| 15. | महाराष्ट्र | 94 | 274443.87 | 216850.87 | 88262.04 | 14072.30 | 22781.21 | 21036.71 |
| 16. | मणिपुर | 5 | 6277.00 | 5670.09 | 2200.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | मेघालय | 2 | 1433.26 | 1289.93 | 644.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | मिजोरम | 2 | 1555.04 | 1399.54 | 699.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | नागालैंड | 1 | 423.89 | 381.50 | 0.00 | 190.75 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | ओडिशा | 17 | 22503.45 | 18171.55 | 4410.38 | 0.00 | 90.37 | 0.00 |
| 21. | पंजाब | 17 | 39577.45 | 31785.23 | 8367.20 | 0.00 | 1982.00 | 0.00 |
| 22. | राजस्थान | 37 | 60988.52 | 49063.07 | 19181.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | सिक्किम | 5 | 3992.82 | 3617.25 | 1085.40 | 0.00 | 0.00 | 1796.77 |
| 24. | तमिलनाडु | 123 | 88272.98 | 70618.38 | 29231.76 | 1935.35 | 2135.61 | 75.20 |
| 25. | त्रिपुरा | 4 | 7816.81 | 7100.13 | 1577.38 | 0.00 | 0.00 | 2458.69 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 64 | 115805.15 | 94447.49 | 16865.71 | 10918.80 | 16933.84 | 1038.08 |
| 27. | उत्तराखंड | 1 | 6173.25 | 4938.60 | 2469.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 34 | 56932.44 | 45893.21 | 11388.39 | 0.00 | 2005.51 | 7346.82 |
| 29. | दिल्ली | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | पुडुचेरी | 1 | 3918.00 | 3134.00 | 0.00 | 1567.20 | 0.00 | 811.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | चंडीगढ़ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | दादरा और नगर हवेली | 1 | 1864.73 | 1491.78 | 26.00 | 719.89 | 0.00 | 0.00 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35. | दमन और दीव | 1 | 942.37 | 753.90 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | कुल | 788 | 1354283.47 | 1090195.87 | 328026.00 | 29881.17 | 122344.44 | 88690.14 |

### *विवरण III*

*जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी परिवहन प्रणाली के लिए बसों की खरीद के ब्यौरे*

(दिनांक 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार)
(लाख रु. में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम | शहर का नाम | अनुमोदित बसों की संख्या | कुल अनुमोदित लागत* | अनुमोदित केन्द्रीय अंश* | जारी एसीए | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | प्रथम किस्त | दूसरी किस्त | तीसरी किस्त |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **विशेष श्रेणी के राज्य** | | | | | | | | |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | इटानगर | 25 | 415.00 | 374.00 | 195 | 99.13 | 0.00 |
| 2. | असम | गुवाहाटी | 200 | 5255.00 | 4729.00 | 711 | 1349 | 0.00 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 75 | 675.00 | 608.00 | 304 | 243 | 0.00 |
| 4. | जम्मू और कश्मीर | जम्मू | 75 | 1320.00 | 1188.00 | 297 | 652 | 0.00 |
| | | श्रीनगर | 75 | 1320.00 | 1180.00 | 297 | 652 | 0.00 |
| 5. | मणिपुर | इम्फाल | 25 | 675.00 | 608.00 | 304 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | मेघालय | शिलांग | 120 | 1640.00 | 1476.00 | 369 | 369 | 0.00 |
| 7. | मिजोरम | आइजोल | 25 | 325.00 | 293.00 | 146 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | नागालैंड | कोहिमा | 25 | 300.00 | 270.00 | 68 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | सिक्किम | गंगटोक | 25 | 300.00 | 270.00 | 68 | 112 | 0.00 |
| 10. | त्रिपुरा | अगरतला | 75 | 1628.00 | 1465.00 | 765 | 271 | 0.00 |
| 11. | उत्तराखंड | देहरादून | 60 | 1140.00 | 912.00 | 456 | 109 | 0.00 |
| | | नैनीताल | 25 | 288.00 | 230.00 | 115 | 48 | 0.00 |
| | | हरिद्वार | 60 | 1290.00 | 1032.00 | 516 | 108 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **संघ राज्य क्षेत्र** | | | | | | | | |
| 12. | दिल्ली | दिल्ली | 1500 | 76500.00 | 26775.00 | 11552.00 | 6607.90 | 0.00 |
| | | डीएमआरसी | 100 | 2000.00 | 700.00 | 175.00 | | 0.00 |
| 13. | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 100 | 5400.00 | 3420.00 | 1710.00 | 828.00 | 0.00 |
| 14. | पुडुचेरी | पुडुचेरी | 50 | 1615.00 | 1292.00 | 323.00 | | 0.00 |
| **गैर विशेष श्रेणी के राज्य** | | | | | | | | |
| 15. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | 1000 | 28400.00 | 9940.00 | 4970.00 | 1022.00 | 0.00 |
| | | तिरूपति | 50 | 1100.00 | 880.00 | 440.00 | 195.16 | 0.00 |
| | | विजयवाड़ा | 240 | 6560.00 | 3280.00 | 1802.00 | 601.00 | 0.00 |
| | | विशाखापट्टनम | 250 | 7100.00 | 3550.00 | 1876.00 | 197.00 | 0.00 |
| 16. | बिहार | बोधगया | 25 | 675.00 | 540.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | पटना | 100 | 3990.00 | 1995.00 | 997.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 100 | 1485.00 | 1188.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | गोवा | पणजी | 50 | 770.00 | 616.00 | 308.00 | 196.00 | 0.00 |
| 19. | गुजरात | अहमदाबाद | 730 | 25199.00 | 8820.00 | 3908.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | हरियाणा | फरीदाबाद | 150 | 5460.00 | 2730.00 | 1365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | झारखंड | धनबाद | 100 | 1430.00 | 715.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जमशेदपुर | 50 | 550.00 | 275.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | रांची | 100 | 1750.00 | 1400.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | कर्नाटक | बंगलौर | 1000 | 34143.00 | 11950.00 | 5681.00 | 3866.00 | 0.00 |
| | | मैसूर | 150 | 4943.00 | 3954.00 | 1531.00 | 1204.00 | 0.00 |
| 23. | केरल | कोच्ची | 200 | 7100.00 | 3550.00 | 1775.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | त्रिवेंद्रम | 150 | 5340.00 | 4272.00 | 2136.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | मध्य प्रदेश | भोपाल | 225 | 8875.00 | 4438.00 | 2219.00 | 398.00 | 0.00 |
| | | इन्दौर | 175 | 5975.00 | 2988.00 | 1494.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जबलपुर | 75 | 3100.00 | 1550.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | उज्जैन | 50 | 1420.00 | 1136.00 | 568.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | महाराष्ट्र | बेस्ट | 1000 | 28400.00 | 9940.00 | 4970.00 | 815.00 | 0.00 |
| | | नवी मुंबई | 150 | 4050.00 | 1418.00 | 734.00 | 279.00 | 0.00 |
| | | थाणे | 200 | 4780.00 | 1673.00 | 994.00 | 270.00 | 0.00 |
| | | मीरभयंदर | 50 | 1100.00 | 385.00 | 96.00 | 164.00 | 0.00 |
| | | कल्याण-डोम्ब. | 50 | 900.00 | 315.00 | 79.00 | 129.00 | 0.00 |
| | | नागपुर | 300 | 6360.00 | 3180.00 | 1590.00 | | 0.00 |
| | | नांदेड | 30 | 760.00 | 608.00 | 304.00 | 2.00 | 0.00 |
| | | पुणे | 500 | 15463 | 7731.5 | 4050.00 | 1338.00 | 0.00 |
| | | पीसीएमसी | 150 | 7869.5 | 3939.75 | 1625.00 | 99.00 | 0.00 |
| | | नासिक | 100 | 2200.00 | 770.00 | 193.00 | 271.00 | 0.00 |
| 26. | ओडिशा | भुवनेश्वर | 100 | 1650.00 | 1320.00 | 660.00 | 218.00 | 0.00 |
| | | पुरी | 25 | 330.00 | 264.00 | 132.00 | 42.00 | 0.00 |
| 27. | पंजाब | अमृतसर | 150 | 3330.00 | 1655.00 | 833.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | लुधियाना | 200 | 6520.00 | 3260.00 | 1630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | राजस्थान | अजमेर | 35 | 770.00 | 616.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जयपुर | 400 | 14282.00 | 7141.00 | 3570.00 | 1708.00 | 0.00 |
| 29. | तमिलनाडु | चैन्नई | 1000 | 29592.00 | 10357.00 | 5179.00 | 1309.00 | 1308.00 |
| | | कोयम्बटूर | 300 | 8878.00 | 4439.00 | 2219.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मदुरे | 300 | 8878.00 | 4439.00 | 2219.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | आगरा | 200 | 4873.00 | 2437.00 | 2097.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | इलाहाबाद | 150 | 2870.00 | 1435.00 | 1352.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | कानपुर | 304 | 6525.00 | 3263.00 | 3192.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | लखनऊ | 300 | 7505.00 | 3752.00 | 3192.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मथुरा | 60 | 600.00 | 480.00 | 451.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मेरठ | 150 | 3133.00 | 1567.00 | 1345.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | वाराणसी | 146 | 2717.00 | 1358.00 | 1401.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | पश्चिम बंगाल | आसनसोल | 100 | 2200.00 | 1100.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | कोलकाता | 1200 | 38400.00 | 13440.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | कुल | 15260 | 472396.5 | 208880.3 | 1035.29 | 25771.19 | 1308.00 |

*लागत लगभग है, ठीक-ठीक लागत डीपीआर फेज-3 की प्रस्तुती के बाद उपलब्ध किया जाएगा।

**बीपीएल कार्ड**

**149. श्री मंगनी लाल मंडल:**
**श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:**
**श्री संजय धोत्रे:**
**श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:**
**श्री पी.सी. चाको:**
**श्रीमती रमा देवी:**
**श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:**
**श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में फर्जी राशन कार्ड की बड़े पैमाने पर व्याप्तता और पात्र व्यक्तियों को कार्ड देने से मना करने के बारे में कोई रिपोर्ट/शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण या अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परिणाम क्या हैं तथा इस संबंध में राज्य-वार क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या में विसंगतियों को हटाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की समीक्षा के लिए राज्यों को कोई निदेश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) भविष्य में ऐसे कदाचार रोकने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) से (च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीदारी, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं तक इनकी ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर आबंटित खाद्यान्नों का उठान और वितरण करने, पात्र गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के जरिए पात्र राशन कार्ड धारकों को आबंटित खाद्यान्नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

कुछ क्षेत्रों/राज्यों में जाली राशन कार्ड प्रचलन में होने और पात्र व्यक्तियों को कार्ड जारी न करने सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के बारे में रिपोर्टें मिली हैं। जब कभी भी व्यक्तियों और संगठनों तथा प्रैस रिपोर्टों के जरिए सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, इन्हें जांच और उचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजा जाता रहा है। प्राप्त शिकायतों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपात्र परिवारों के नाम काटने और पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की समीक्षा करनी होती है। जाली/अपात्र कार्डों को निरस्त करना और पात्र परिवारों की सूचियों की समीक्षा करनी होती है। जाली/अपात्र कार्डों को निरस्त करना आरै पात्र परिवारों को शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है तथा राज्य सरकारों को इसे आवधिक रूप से करना होता है।

इसके अलावा, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके वर्ष 2006 में एक 9 सूत्री कार्य योजना तैयार की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की लगातार समीक्षा करना और खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने सहित जाली/अपात्र राशन कार्ड समाप्त करना शामिल है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह अनुरोध भी किया गया था कि वे जाली/अपात्र राशन कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार पाए गए सरकारी कर्मचारियों और ऐसे राशन कार्ड रखने वाले परिवारों/व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि वे गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की मौजूदा सूचियों की समीक्षा करने और अपात्र/जाली राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए अक्तूबर, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक एक गहन अभियान चलाएं। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनं को यह अनुदेश भी जारी किये गये हैं कि वे समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर जाली राशन कार्ड वापस करने के लिए जाली राशन कार्ड धारकों को चेतावनी जारी करें।

इसके परिणामस्वरूप 26 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है कि 31.12.2011 तक 221.64 लाख जाली/अपात्र राशन कार्ड निरस्त कर दिये गये हैं। जुलाई, 2006 से दिसम्बर, 2011 तक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निरस्त किए गए जाली/अपात्र राशन कार्डों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

### *विवरण I*

*2009 से 2012 तक (जनवरी, 2012 तक) व्यक्तियों, संगठनों और मीडिया रिपोर्टों आदि के जरिए विभाग में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में प्राप्त शिकायतों का विवरण*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | – | 3 | 1 | – |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | – | 2 | 2 | – |
| 3. | असम | 6 | 1 | 1 | – |
| 4. | बिहार | 16 | 13 | 6 | – |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 4 | 5 | 1 | – |
| 6. | दिल्ली | 29 | 37 | 16 | 4 |
| 7. | गोवा | – | 1 | – | – |
| 8. | गुजरात | 4 | 3 | 2 | – |
| 9. | हरियाणा | 5 | 24 | 7 | 1 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | – | – | 4 | – |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 1 | 3 | – | 1 |
| 12. | झारखंड | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 13. | कर्नाटक | 6 | 2 | 1 | – |
| 14. | केरल | 1 | 3 | 1 | – |
| 15. | मध्य प्रदेश | 9 | 13 | 9 | 1 |
| 16. | महाराष्ट्र | 12 | 5 | 8 | 2 |
| 17. | मणिपुर | – | – | 1 | – |
| 18. | मेघालय | – | – | 1 | – |
| 19. | नागालैंड | 1 | 1 | – | – |
| 20. | ओडिशा | 1 | 3 | 2 | – |
| 21. | पंजाब | 1 | 2 | – | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | राजस्थान | 7 | 6 | 6 | – |
| 23. | सिक्किम | 3 | 2 | – | – |
| 24. | तमिलनाडु | 6 | 2 | 3 | – |
| 25. | उत्तराखंड | 1 | 1 | 1 | – |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 46 | 33 | 68 | 6 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 4 | 2 | – | 2 |
| 28. | चण्डीगढ़ | – | 2 | – | – |
| 29. | पुडुचेरी | – | – | – | – |
| | जोड़ | 169 | 174 | 144 | 20 |

*विवरण II*

(31.12.2011 को अद्यतन)

| क्र.सं. | राज्य | समाप्त किए गए जाली/अपात्र राशन कार्डों की संख्या (लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 27.27 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.05 |
| 3. | असम | 0.56 |
| 4. | बिहार | 1.60 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 5.62 |
| 6. | दिल्ली | 16.32 |
| 7. | गुजरात | 8.64 |
| 8. | हरियाणा | 0.03 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0.02 |
| 10. | झारखंड | 0.65 |
| 11. | कर्नाटक | 18.55 |
| 12. | केरल | 0.00 && |
| 13. | मध्य प्रदेश | 24.97 |
| 14. | महाराष्ट्र | 42.20 |
| 15. | मेघालय | 0.00 * |
| 16. | मिजोरम | 0.02 |
| 17. | ओडिशा | 2.50 |
| 18. | राजस्थान | 0.03 |
| 19. | सिक्किम | 0.01 |
| 20. | तमिलनाडु | 3.97 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 8.72 |
| 22. | उत्तराखंड | 0.16 |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 59.67 (व्यक्तिगत कार्ड) |
| 24. | चण्डीगढ़ | 0.08 |
| 25. | लक्षद्वीप | 0.00 $ |
| 26. | पुडुचेरी | 0.00 ** |
| | जोड़ | 221.64 |

वास्तविक आंकड़े &&114, *341, $300, **16

*[अनुवाद]*

**आईएचएसडीपी का क्रियान्वयन**

150. **श्री सोमेन मित्राः**
**श्री जोस के. मणिः**
**श्री माणिक टैगोरः**
**श्रीमती सुप्रिया सुलेः**
**डॉ. संजीव गणेश नाईकः**
**श्री गोरख प्रसाद जायसवाल**

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित राज्य-वार विभिन्न शहरों/कस्बों में एकीकृत आवास और मलीन बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या आवासीय परियोजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार शहर/कस्बा-वार किये गये कार्यों और उसमें प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में आईएचएसडीपी के अंतर्गत स्वीकृति आवासीय परियोजनाओं में केवल 27 प्रतिशत को ही पूरा किया गया है और शेष परियोजनाएं निरस्त कर दी गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार, शहरी/कस्बा-वार इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) एकीकृत आवासीय और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) आवासीय परियोजनाओं के लिए आईएचएसडीपी के तहत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ग) पिछले प्रत्येक तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कुल परियोजना लागत, स्वीकृत रिहायशी यूनिटों की संख्या और स्वीकृत कुल केन्द्रीय अंश सहित स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार/शहरवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। अब तक पूर्ण रिहायशी यूनिटों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) आईएचएसडीपी के तहत सूचित की गई पूर्ण रिहायशी यूनिटों का राष्ट्रीय प्रतिशत 30.53 प्रतिशत है जबकि 25.86 प्रतिशत रिहायशी यूनिटें पूर्ण होने के अग्रिम चरण में हैं। प्रारंभ नहीं हो पायी परियोजनाओं में से केवल कुछ परियोजनाएं रद्द/बदली गई हैं। आईएचएसडीपी के तहत आवासों से पूर्ण होने का राज्यवार प्रतिशत अनुलग्नक-III पर दिया गया है। एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत परियोजनाओं पूर्ण होने में विलम्ब के कारण अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं:

(i) स्थानीय/राज्य स्तर पर क्षमता/वित्तीय संसाधनों की कमी-विशेष रूप से अपने हिस्से की पूर्ति के लिए शहरी स्थानीय निकायों की अक्षमता,

(ii) स्वयं स्थाने परियोजनाओं के मामले में स्मल निवासियों को अस्थाई रूप से किसी अन्य स्थान पर बसाने में कठिनाइयां,

(iii) प्रतिस्थापन परियोजनाओं के मामले में लाभार्थियों का नए स्थान पर जाने में अनिच्छुक होना,

(iv) विभिन्न घटकों के कारण लागत बढ़ना,

(v) लागत बढ़ने के संबंध में लाभार्थियों की अपने हिस्से का अंशदान करने में समर्थता,

(vi) मुकदमें से मुक्त भूमि की उपलब्धता की कमी, और

(vii) अप्रयाप्त सामुदायिक भागीदारी।

(च) इन परियोजनाओं के प्रभावी और तीव्र कार्यान्वयन के लिए, तिमाही/मासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से प्रगति की निगरानी करने के अतिरिक्त केन्द्र/राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा की जाती है। राज्यों को समय-समय पर निम्नवत परामर्श दिया गया:

(i) प्रारंभ नहीं हुई परियोजनाओं को प्रारंभ करना या उनकी समाप्ति का प्रस्ताव करना या वैकल्पिक परियोजनाओं द्वारा बदलना;

(ii) परियोजना कार्यान्वयन क्षमता को बढ़ा कर यथा संभव मिशन अवधि के भीतर आवासों को पूर्ण करना; और

(iii) बढ़ी लागत को पूरा करने के लिए और जहां शहरी स्थानीय निकायों और लाभार्थी खराब वित्तीय स्थिति के कारण अंशदान करने की स्थिति में नहीं है, अतिरिक्त राज्य अंश उपलब्ध कराना।

## *विवरण I*

*एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)*
*अनुमोदित कुल परियोजनाएं*

6.3.2012 की स्थिति
(करोड़ रु. में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | कस्बे/ यूएलबी की संख्या | अनुमोदित परियोजनाओं की कुल संख्या | अनुमोदित कुल परियोजना लागत | अनुमोदित रिहायशी मकानों की कुल संख्या (नए+उन्नयन) | कुल केन्द्रीय अंश | अनुमोदित कुल राज्य अंश | पहली किस्त (अनुमोदित केन्द्रीय अंश का 50 प्रतिशत) | अनुमोदित द्वितीय किस्त | जारी कुल एसीए |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 56 | 76 | 1064.51 | 44536 | 738.51 | 328.00 | 359.19 | 249.69 | 578.07 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 9.95 | 176 | 8.96 | 1.00 | 4.48 | 0.00 | 4.48 |
| 3. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1 | 2 | 15.15 | 40 | 13.64 | 1.52 | 6.82 | 0.00 | 5.53 |
| 4. | असम | 16 | 16 | 84.99 | 8668 | 70.22 | 14.77 | 35.11 | 2.501 | 35.11 |
| 5. | बिहार | 23 | 25 | 431.85 | 18942 | 229.881 | 201.98 | 114.94 | 0.00 | 105.35 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 17 | 18 | 226.60 | 17922 | 168.83 | 66.78 | 79.41 | 55.68 | 11.8.31 |
| 7. | दादरा और नगर हवेली | 1 | 2 | 5.74 | 144 | 3.34 | 2.40 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| 8. | दमन और दीव | 1 | 1 | 0.69 | 16 | 0.58 | 0.11 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 9. | गोवा | 1 | 1 | 4.10 | 70 | 1.40 | 2.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | गुजरात | 49 | 60 | 658.36 | 35568 | 342.03 | 198.81 | 174.18 | 33.32 | 138.44 |
| 11. | हरियाणा | 15 | 18 | 272.26 | 16608 | 209.70 | 62.67 | 104.86 | 49.01 | 132.86 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 8 | 8 | 72.71 | 1954 | 48.79 | 23.93 | 24.39 | 0.00 | 24.39 |
| 13. | जम्मू और कश्मीर | 37 | 50 | 147.60 | 7623 | 114.32 | 28.43 | 54.39 | 20.97 | 67.24 |
| 14. | झारखंड | 10 | 10 | 217.93 | 11544 | 131.33 | 86.60 | 65.66 | 0.00 | 65.66 |
| 15. | कर्नाटक | 32 | 34 | 404.001 | 172371 | 222.66 | 181.44 | 111.28 | 98.99 | 210.33 |
| 16. | केरल | 45 | 53 | 273.321 | 262951 | 201.60 | 71.71 | 100.80 | 43.05 | 136.97 |
| 17. | मध्य प्रदेश | 50 | 53 | 362.41 | 225101 | 249.56 | 112.861 | 124.841 | 12.48 | 133.96 |
| 18. | मिजोरम | 6 | 8 | 39.27 | 1950 | 29.78 | 9.49 | 14.89 | 14.89 | 29.78 |
| 19. | राजस्थान | 49 | 56 | 814.58 | 39770 | 528.86 | 285.72 | 264.43 | 52.66 | 312.69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | मेघालय | 3 | 3 | 41.48 | 912 | 22.43 | 19.05 | 11.21 | 0.00 | 11.21 |
| 21. | मणिपुर | 6 | 6 | 43.38 | 2829 | 32.35 | 10.08 | 16.33 | 10.35 | 26.68 |
| 22. | महाराष्ट्र | 85 | 110 | 2140.19 | 101280 | 1421.96 | 718.23 | 710.69 | 107.27 | 688.20 |
| 23. | नागालैंड | 2 | 2 | 90.13 | 2761 | 44.74 | 43.60 | 22.67 | 7.25 | 29.92 |
| 24. | ओडिशा | 31 | 34 | 292.84 | 13365 | 197.30 | 95.54 | 98.66 | 28.42 | 109.12 |
| 25. | पंजाब | 9 | 14 | 316.43 | 9984 | 133.54 | 182.89 | 66.77 | 0.00 | 66.77 |
| 26. | पुडुचेरी | 1 | 1 | 17.03 | 432 | 5.48 | 11.55 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 27. | सिक्किम | 1 | 1 | 19.91 | 39 | 17.92 | 1.99 | 8.96 | 0.00 | 8.96 |
| 28. | तमिलनाडु | 83 | 84 | 472.93 | 32889 | 337.74 | 118.54 | 170.58 | 148.78 | 320.49 |
| 29. | त्रिपुरा | 5 | 5 | 43.64 | 3115 | 38.05 | 5.59 | 19.03 | 15.52 | 34.55 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 143 | 164 | 1325.10 | 47399 | 846.08 | 479.03 | 423.01 | 240.60 | 645.76 |
| 31. | उत्तराखंड | 18 | 21 | 161.28 | 5032 | 90.57 | 70.71 | 45.28 | 7.77 | 53.06 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 81 | 95 | 944.36 | 52666 | 709.02 | 234.85 | 35.58 | 253.70 | 605.35 |
| | कुल | 886 | 1022 | 10913.72 | 544276 | 7201.03 | 3672.44 | 3592.83 | 1462.90 | 4703.95 |

## *विवरण II*

### *एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2008-09 | | | | | 2009-10 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित परियोजना की संख्या | अनुमोदित कुल परियोजना लागत | अनुमोदित केन्द्रीय अंश (संशोधित) | अनुमोदित रिहायशी मकानों की संख्या (नए+उन्नयन) | जारी एसीए | अनुमोदित परियोजना की संख्या | अनुमोदित कुल परियोजना लागत | अनुमोदित केन्द्रीय अंश (संशोधित) | अनुमोदित रिहायशी मकानों की संख्या (नए+उन्नयन) | जारी एसीए |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 19 | 379.44 | 230.92 | 15279 | 12.62 | | | | | 195.03 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 9.95 | 8.96 | 176 | 0.00 | 0 | | | 0 | |
| 3. | असम | 3 | 28.76 | 23.38 | 1974 | 7.39 | 1 | 17.92 | 13.73 | 1301 | 11.17 |
| 4. | बिहार | 6 | 113.39 | 64.21 | 3264 | 32.10 | 4 | 81.10 | 38.51 | 3192 | |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 4 | 49.10 | 36.82 | 3076 | 0.00 | | | | | 43.57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | गोवा | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| 7. | गुजरात | 9 | 114.58 | 73.22 | 6364 | 33.84 | 6 | 39.71 | 17.13 | 3655 | 13.99 |
| 8. | हरियाणा | 3 | 33.52 | 26.74 | 1785 | 0.00 | | | | | 13.37 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 3 | 31.90 | 20.88 | 800 | 6.39 | | | | | 10.44 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 15 | 42.60 | 34.50 | 3408 | 13.80 | 12 | 25.72 | 17.86 | 608 | 9.61 |
| 11. | झारखंड | 6 | 123.67 | 72.39 | 6576 | 33.33 | | | | | |
| 12. | कर्नाटक | 9 | 138.81 | 76.93 | 4184 | 0.00 | | | | | 38.46 |
| 13. | केरल | 11 | 55.50 | 42.18 | 5800 | 47.82 | 16 | 80.59 | 55.29 | 7636 | 8.24 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 4 | 28.48 | 21.88 | 1708 | 10.94 | 7 | 48.90 | 28.87 | 18.69 | 12.58 |
| 15. | महाराष्ट्र | 56 | 1166.39 | 772.57 | 48683 | 386.79 | 1 | 30.50 | 20.19 | 1488 | 92.29 |
| 16. | मणिपुर | 1 | 10.83 | 8.33 | 663 | 6.18 | 3 | 16.04 | 11.66 | 1063 | 4.48 |
| 17. | मेघालय | 2 | 19.66 | 13.46 | 456 | 3.68 | | | | | 6.72 |
| 18. | मिजोरम | 7 | 31.00 | 23.57 | 1450 | 3.77 | | | | | 11.12 |
| 19. | नागालैंड | | | 0.00 | | 0.00 | 1 | 2.39 | 0.60 | 265 | 7.85 |
| 20. | ओडिशा | 16 | 184.06 | 123.30 | 7709 | 55.34 | 1 | 16.99 | 9.45 | 456 | 17.92 |
| 21. | पंजाब | 1 | 21.01 | 8.22 | 720 | 3.54 | | | | | |
| 22. | राजस्थान | 4 | 83.37 | 52.12 | 3214 | 40.24 | 5 | 81.85 | 45.94 | 3215 | 43.94 |
| 23. | सिक्किम | | | 0.00 | | 0.00 | 1 | 19.91 | 17.92 | 39 | 8.96 |
| 24. | तमिलनाडु | 52 | 249.24 | 184.17 | 15500 | 77.38 | 2 | 40.97 | 18.73 | 2322 | 90.85 |
| 25. | त्रिपुरा | 2 | 20.01 | 17.60 | 1150 | 0.00 | 2 | 16.44 | 14.11 | 1565 | 19.02 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 124 | 771.75 | 589.10 | 29733 | 256.50 | 10 | 160.355 | 100.63 | 5456 | 18.49 |
| 27. | उत्तराखंड | | | 0.00 | | 0.00 | 19 | 155.42 | 87.66 | 4801 | 26.99 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 34 | 377.09 | 297.60 | 19706 | 227.42 | 1 | 0.64 | 0.15 | 75 | 72.14 |
| 29. | दिल्ली | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0 | |
| 30. | पुडुचेरी | | | 0.00 | | 0.96 | | | | | 0.43 |
| 31. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1 | 9.88 | 8.90 | 0 | 0.00 | | | | | 3.16 |
| 32. | चंडीगढ़ | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | दादरा और नगर हवेली | | | 0.00 | | 0.00 | 1 | 5.24 | 2.89 | 144 | |
| 34. | लक्षद्वीप | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| 35. | दमन और दीव | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| | कुल | 393 | 4093.89 | 2761.94 | 1633.78 | 93 | 840.48 | 501.32 | 392.50 | 780.72 | |

*-जारी*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2010-11 | | | | | 2011-12 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित परियोजना की संख्या | अनुमोदित कुल परियोजना लागत | अनुमोदित केन्द्रीय अंश (संशोधित) | अनुमोदित रिहायशी मकानों की संख्या (नए+उन्नयन) | जारी एसीए | अनुमोदित परियोजना की संख्या | अनुमोदित कुल परियोजना लागत | अनुमोदित केन्द्रीय अंश (संशोधित) (नए+उन्नयन) | अनुमोदित रिहायशी मकानों की संख्या | जारी एसीए |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | | | | | 114.86 | | | | | |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | | | | | 4.48 | | | | | |
| 3. | असम | | | | | | | | | | |
| 4. | बिहार | 5 | 156.63 | 67.40 | 5986 | 19.26 | | | | | 24.11 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | | | | | 13.74 | | | | | |
| 6. | गोवा | | | | | | 1 | 4.10 | 1.40 | 7 | 0 |
| 7. | गुजरात | | | | | 6.46 | 12 | 176.68 | 98.83 | 7144 | 12.63 |
| 8. | हरियाणा | | | | | 19.81 | | | | | 8.20 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 2 | 17.38 | 11.71 | 338 | 5.85 | | | | | |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 13 | 36.88 | 29.72 | 953 | 5.38 | | | | | 22.33 |
| 11. | झारखंड | 3 | 74.59 | 43.35 | 3676 | 13.94 | | | | | 10.60 |
| 12. | कर्नाटक | | | | | 37.84 | | | | | 61.15 |
| 13. | केरल | | | | | 30.72 | | | | | 6.27 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 5 | 26.46 | 16.78 | 1104 | 6.77 | 4 | 16.68 | 10.96 | 667 | 18.23 |
| 15. | महाराष्ट्र | | | | | 84.06 | 24 | 583.31 | 356.87 | 23452 | 13.37 |
| 16. | मणिपुर | | | | | 5.66 | | | | | 10.35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | मेघालय | | | | | | | | | | |
| 18. | मिजोरम | | | | | | | | | | 14.89 |
| 19. | नागालैंड | | | | | | | | | | |
| 20. | ओडिशा | 2 | 8.17 | 5.42 | 316 | 4.73 | | | | | 16.22 |
| 21. | पंजाब | 11 | 253.01 | 99.76 | 5326 | 50.46 | | | | | |
| 22. | राजस्थान | 18 | 304.28 | 196.00 | 12647 | 122.00 | 1 | 33.91 | 13.34 | 752 | |
| 23. | सिक्किम | | | | | | | | | | |
| 24. | तमिलनाडु | | | | | 70.92 | | | | | 3.94 |
| 25. | त्रिपुरा | | | | | 12.36 | | | | | |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 15 | 299.77 | 177.76 | 8479 | 198.20 | 6 | 59.92 | 33.70 | 1495 | 161.51 |
| 27. | उत्तराखंड | | | | | 16.84 | | | | | 7.78 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | | | | | 34.15 | | | | | 106.56 |
| 29. | दिल्ली | | | | | | | | | | |
| 30. | पुडुचेरी | | | | | | | | | | |
| 31. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | | | | | | | | | | |
| 32. | चंडीगढ़ | | | | | | | | | | |
| 33. | दादरा और नगर हवेली | | | | | 1.44 | | | | | |
| 34. | लक्षद्वीप | | | | | | | | | | |
| 35. | दमन और दीव | | | | | | | | | | |
| | कुल | 74 | 1177.12 | 447.90 | 8828 | 879.93 | 48 | 874.50 | 515.10 | 33580 | 498.50 |

*समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी*
*कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2008-2009)*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम | मिशन शहर | अनुमोदित परियोजनओं की कुल संख्या | अनुमोदित कुल परियोजना लागत | कुल अनुमोदित आवासीय यूनिटों की संख्या (नई+उन्नत) | कुल केन्द्रीय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | बोधन, जिला-आदिलाबाद | 1 | 5.74 | 0 | 4.60 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | धोने, जिला-कुरनूल | 1 | 2.24 | 0 | 1.79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | आंध्र प्रदेश | गुंटूर सिटी (फेज-I) | 1 | 33.56 | 1792 | 19.11 |
| 4. | आंध्र प्रदेश | कदम-आजाद नगर कॉलोनी (फेज-IV) | 1 | 2.61 | 0 | 1.86 |
| 5. | आंध्र प्रदेश | कदम-ममिलपल्लि हाउसिंग कॉलोनी (फेज-V) | 1 | 6.25 | 0 | 5.00 |
| 6. | आंध्र प्रदेश | काकीनाडा सीआईटीवाय (फेज-III) | 1 | 54.50 | 3120 | 28.73 |
| 7. | आंध्र प्रदेश | कुरनूल (फेज-II) | 1 | 18.55 | 0 | 14.84 |
| 8. | आंध्र प्रदेश | मछलीपट्टनम | 1 | 9.17 | 0 | 7.34 |
| 9. | आंध्र प्रदेश | निर्मल | 1 | 10.26 | 0 | 8.21 |
| 10. | आंध्र प्रदेश | पल्वंच टीओडब्ल्यू, जिला खम्माम | 1 | 4.50 | 0 | 3.60 |
| 11. | आंध्र प्रदेश | पेड्डापुरम | 1 | 34.50 | 1831 | 18.90 |
| 12. | आंध्र प्रदेश | पोन्नुर | 1 | 13.27 | 0 | 10.62 |
| 13. | आंध्र प्रदेश | राजमुन्द्री सिटी (फेज-II) | 1 | 55.68 | 2832 | 29.40 |
| 14. | आंध्र प्रदेश | आरइपीएएलएलइ, जिला, गुंटूर | 1 | 5.82 | 0 | 4.65 |
| 15. | आंध्र प्रदेश | समल्कोल टाऊन (फेज-II) | 1 | 36.61 | 2008 | 21.82 |
| 16. | आंध्र प्रदेश | टीइएनएएलआई, जिला गुंटूर | 1 | 5.16 | 0 | 4.13 |
| 17. | आंध्र प्रदेश | तिरुपति (फेज-II) | 1 | 45.41 | 2136 | 25.66 |
| 18. | आंध्र प्रदेश | तिरुपति (फेज-III) | 1 | 32.72 | 1560 | 18.38 |
| | 122वीं बैठक की तारीख को परियोजना रद्द हुई और बीएसयूपी में शामिल की गई | तिरुपति (पाडीपेटा एवं एवीलाला) (फेज-IV) | | | | |
| 19. | आंध्र प्रदेश | येल्लनाडु, जिला खम्माम | 1 | 2.86 | 0 | 2.29 |
| | कुल | 18 | 19 | 370.44 | 45275 | 230.92 |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | पोर्ट ब्लेयर | 1 | 9.88 | 0 | 8.90 |
| | कुल | | 1 | 9.88 | 0 | 8.90 |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | रोइंग टाऊन | 1 | 9.95 | 176 | 8.96 |
| | कुल | | 1 | 9.95 | 176 | 8.96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | असम | बोकजन | 1 | 10.49 | 1010 | 8.61 |
| 2. | असम | नौगांव | 1 | 14.38 | 802 | 11.48 |
| 3. | असम | थीऊ | 1 | 3.89 | 162 | 3.29 |
| | कुल | 3 | 3 | 28.76 | 1974 | 23.38 |
| 1. | बिहार | आरा | 1 | 31.22 | 754 | 15.06 |
| 2. | बिहार | बेगुसराय | 1 | 24.50 | 853 | 15.86 |
| 3. | बिहार | बिहारशरीफ | 1 | 24.54 | 810 | 16.08 |
| 4. | बिहार | जोगबनी | 1 | 12.71 | 321 | 6.64 |
| 5. | बिहार | मधेपुरा | 1 | 12.43 | 319 | 6.44 |
| 6. | बिहार | सुपौल | 1 | 7.99 | 207 | 4.12 |
| | कुल | 6 | 6 | 113.39 | 3264 | 64.21 |
| 1. | छत्तीसगढ़ | दोंगरगांव | 1 | 7.99 | 480 | 6.01 |
| 2. | छत्तीसगढ़ | कवर्धा | 1 | 15.63 | 1032 | 11.68 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | खैरगह | 1 | 7.52 | 492 | 5.62 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | राजनंदगांव | 1 | 17.97 | 1072 | 13.52 |
| | कुल | 4 | 4 | 49.10 | 3076 | 36.82 |
| 1. | गुजरात | अंक्लव | 1 | 12.22 | 804 | 7.73 |
| 2. | गुजरात | दाहोद | 1 | 12.32 | 480 | 8.01 |
| 3. | गुजरात | हलवाड | 1 | 14.86 | 828 | 9.82 |
| 4. | गुजरात | कालोल | 1 | 5.97 | 400 | 4.03 |
| 5. | गुजरात | कदि | 1 | 14.06 | 664 | 8.62 |
| 6. | गुजरात | मोदस | 1 | 14.95 | 576 | 9.75 |
| 7. | गुजरात | नवसारी | 1 | 14.46 | 992 | 9.92 |
| 8. | गुजरात | पेत्ल्द | 1 | 14.20 | 836 | 8.19 |
| 9. | गुजरात | सोंगध | 1 | 11.54 | 784 | 7.16 |
| | कुल | 9 | 9 | 114.58 | 6364 | 73.22 |
| 1. | हिमाचल प्रदेश | बद्दि | 1 | 14.75 | 480 | 8.91 |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | नलागढ़ | 1 | 5.47 | 128 | 3.75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | हिमाचल प्रदेश | पर्वनू | 1 | 11.68 | 192 | 8.22 |
| | कुल | 3 | 3 | 31.90 | 800 | 20.88 |
| 1. | हरियाणा | जींद | 1 | 18.67 | 933 | 14.93 |
| 2. | हरियाणा | लदवा | 1 | 3.56 | 200 | 2.85 |
| 3. | हरियाणा | यमुनानगर | 1 | 11.20 | 652 | 8.96 |
| | कुल | 3 | 3 | 33.42 | 1785 | 26.74 |
| 1. | जम्मू और कश्मीर | बांदीपुरा | 1 | 5.16 | 413 | 4.18 |
| 2. | जम्मू और कश्मीर | बारामूला (फेज-I) | 1 | 8.40 | 672 | 6.80 |
| 3. | जम्मू और कश्मीर | बडगाम | 1 | 1.06 | 85 | 0.86 |
| 4. | जम्मू और कश्मीर | गंदेरबल | 1 | 1.38 | 110 | 1.11 |
| 5. | जम्मू और कश्मीर | हजिन (फेज-I) | 1 | 0.89 | 71 | 0.72 |
| 6. | जम्मू और कश्मीर | हंद्वर (फेज-I) | 1 | 2.45 | 196 | 0.72 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | कुलगाम (फेज-I) | 1 | 3.20 | 256 | 2.59 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | कुपवाड़ा | 1 | 2.83 | 226 | 2.29 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | मगम (फेज-I) | 1 | 1.75 | 140 | 1.42 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | मत्तन (फेज-I) | 1 | 0.55 | 44 | 0.45 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | रामनगर (फेज-I) | 1 | 2.34 | 187 | 1.89 |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | रियासी (फेज-I) | 1 | 2.79 | 223 | 2.26 |
| 13. | जम्मू और कश्मीर | शोपिअन (फेज-I) | 1 | 1.65 | 132 | 1.34 |
| 14. | जम्मू और कश्मीर | सोपोर (फेज-I) | 1 | 5.58 | 446 | 4.52 |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | सुम्बल | 1 | 2.59 | 207 | 2.10 |
| | कुल | 15 | 15 | 12.60 | 1408 | 34.51 |
| 1. | झारखंड | चायबासा | 1 | 12.99 | 736 | 7.51 |
| 2. | झारखंड | गिरिडीह | 1 | 19.96 | 1132 | 12.24 |
| 3. | झारखंड | हजारीबाग | 1 | 19.83 | 1230 | 11.38 |
| 4. | झारखंड | लोहारदगा | 1 | 35.05 | 1623 | 11.38 |
| 5. | झारखंड | मेदिनीनगर | 1 | 19.90 | 969 | 12.39 |
| 6. | झारखंड | फुसरो | 1 | 15.94 | 886 | 9.34 |
| | कुल | 6 | 6 | 123.67 | 6576 | 72.40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | केरल | अंगमल्य | 1 | 2.80 | 380 | 2.24 |
| 2. | केरल | गुरुवयूर | 1 | 1.84 | 123 | 1.35 |
| 3. | केरल | कोथमंगलम | 1 | 1.83 | 192 | 1.47 |
| 4. | केरल | मलप्पुराम (फेज-II) | 1 | 7.54 | 726 | 5.37 |
| 5. | केरल | मूवत्तपुजा | 1 | 5.98 | 874 | 4.78 |
| 6. | केरल | नेदुमनगड | 1 | 5.40 | 532 | 4.32 |
| 7. | केरल | नेय्यतिंकर | 1 | 7.97 | 744 | 5.59 |
| 8. | केरल | पथनम्थित्त | 1 | 6.58 | 749 | 5.24 |
| 9. | केरल | पेरिंथलमन्न (फेज-II) | 1 | 6.58 | 879 | 6.36 |
| 10. | केरल | पेरुमबवूर | 1 | 3.07 | 344 | 2.45 |
| 11. | केरल | तिरुर सिटी | 1 | 3.72 | 257 | 2.65 |
| | कुल | 11 | 11 | 55.50 | 5800 | 42.18 |
| 1. | कर्नाटक | बगक्लकोते (संशोधित) | 1 | 8.43 | 240 | 4.78 |
| 2. | कर्नाटक | हुबली (फेज-II) | 1 | 3.50 | 109 | 1.84 |
| 3. | कर्नाटक | हुबली (फेज-III) | 1 | 14.86 | 430 | 7.81 |
| 4. | कर्नाटक | कनकपुर | 1 | 22.33 | 727 | 11.23 |
| 5. | कर्नाटक | मंडया | 1 | 13.95 | 558 | 7.92 |
| 6. | कर्नाटक | पवगडा | 1 | 19.97 | 508 | 11.62 |
| 7. | कर्नाटक | शिकारीपुरा | 1 | 12.65 | 330 | 7.22 |
| 8. | कर्नाटक | शिमोग | 1 | 23.05 | 600 | 13.17 |
| 9. | कर्नाटक | सिरा | 1 | 20.07 | 682 | 11.32 |
| | कुल | 9 | 9 | 138.81 | 4184 | 76.93 |
| 1. | मेघालय | नोंग्पोह | 1 | 9.18 | 240 | 7.10 |
| 2. | मेघालय | विलियमनगर | 1 | 10.48 | 216 | 6.36 |
| | कुल | 2 | 2 | 19.66 | 456 | 13.46 |
| 1. | मध्य प्रदेश | छिंदवाड़ा | 1 | 7.42 | 500 | 5.88 |
| 2. | मध्य प्रदेश | मोहगांव | 1 | 6.16 | 267 | 4.50 |
| 3. | मध्य प्रदेश | सागर | 1 | 7.77 | 480 | 6.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | मध्य प्रदेश | सौसर | 1 | 7.13 | 461 | 5.39 |
| | कुल | 4 | 4 | 28.48 | 1708 | 21.88 |
| 1. | मिजोरम | चमफई (फेज-I) | 1 | 6.23 | 376 | 5.39 |
| 2. | मिजोरम | चमफई (फेज-II) | 1 | 1.54 | 74 | 1.33 |
| 3. | मिजोरम | कोलासिब (फेज-I) | 1 | 5.76 | 250 | 4.23 |
| 4. | मिजोरम | कोलासिब (फेज-II) | 1 | 1.29 | 50 | 0.97 |
| 5. | मिजोरम | ममित | 1 | 3.52 | 150 | 2.60 |
| 6. | मिजोरम | सैहा | 1 | 5.55 | 200 | 3.90 |
| 7. | मिजोरम | सेर्छिप | 1 | 7.10 | 350 | 5.16 |
| | कुल | 5 | 7 | 31.00 | 1450 | 23.57 |
| 1. | मणिपुर | मोइरंग | 1 | 10.83 | 663 | 8.33 |
| | कुल | 1 | 1 | 10.83 | 663 | 8.33 |
| 1. | राजस्थान | बीकानेर (फेज-I) | 35.57 | 1216 | 21.89 | |
| 2. | राजस्थान | जैतरना | 1 | 4.84 | 214 | 3.23 |
| 3. | राजस्थान | झलोरे | 1 | 7.90 | 291 | 4.89 |
| 4. | राजस्थान | सूरतगढ़ | 1 | 35.05 | 1493 | 22.10 |
| | कुल | 4 | 4 | 83.37 | 3214 | 52.11 |
| 1. | महाराष्ट्र | अचलपुर | 1 | 24.34 | 965 | 15.74 |
| 2. | महाराष्ट्र | अकोला सिटी (फेज-II) | 1 | 29.68 | 1118 | 20.11 |
| 3. | महाराष्ट्र | अकोला (फेज-III) | 1 | 33.36 | 1413 | 22.25 |
| 4. | महाराष्ट्र | अमलनेर | 1 | 12.05 | 462 | 7.72 |
| 5. | महाराष्ट्र | अम्बाद | | | | |
| 6. | महाराष्ट्र | अमरावती (फेज-I) | 1 | 23.84 | 1200 | 17.05 |
| 7. | महाराष्ट्र | अमरावती (फेज-II) | | | | |
| 8. | महाराष्ट्र | अमरावती (फेज-III) | | | | |
| 9. | महाराष्ट्र | अंजलगांव-सुर्जि | 1 | 21.91 | 816 | 14.28 |
| 10. | महाराष्ट्र | आरवी | 1 | 8.78 | 329 | 5.73 |
| 11. | महाराष्ट्र | भांदरा सिटी | 1 | 23.00 | 1169 | 17.05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | महाराष्ट्र | भिवाडी (फेज-I) | | | | |
| 13. | महाराष्ट्र | भिवाडी (फेज-II) | | | | |
| 14. | महाराष्ट्र | भूखरधन | | | | |
| 15. | महाराष्ट्र | चंद्रपुर | 1 | 29.64 | 1179 | 20.22 |
| 16. | महाराष्ट्र | चंदूर बाजार (फेज-I) | 1 | 17.24 | 985 | 11.17 |
| 17. | महाराष्ट्र | चंदूर रेलवे टाऊन (फेज-II) | 1 | 6.82 | 347 | 4.50 |
| 18. | महाराष्ट्र | चोपडा | 1 | 13.22 | 504 | 8.61 |
| 19. | महाराष्ट्र | दव्ह सिटी | 1 | 10.15 | 380 | 6.62 |
| 20. | महाराष्ट्र | देसाईगंज | 1 | 12.05 | 504 | 7.73 |
| 21. | महाराष्ट्र | देउलगांव राजा सिटी | 1 | 19.86 | 749 | 12.89 |
| 22. | महाराष्ट्र | धुले | 1 | 23.57 | 966 | 14.76 |
| 23. | महाराष्ट्र | होन्डाई दोन्दाईचा-भरवाडे (फेज-I) | 1 | 23.97 | 1050 | 15.30 |
| 24. | महाराष्ट्र | गंगापुर | | | | |
| 25. | महाराष्ट्र | देबरल | | | | |
| 26. | महाराष्ट्र | हिंगोली (फेज-I) | 1 | 33.39 | 1814 | 25.44 |
| 27. | महाराष्ट्र | हिंगोली सिटी (फेज-II) | 1 | 25.59 | 1063 | 16.49 |
| 28. | महाराष्ट्र | कलमेश्वर | 1 | 4.75 | 201 | 2.87 |
| 29. | महाराष्ट्र | कनड सिटी | | | | |
| 30. | महाराष्ट्र | खरंजा, जिला वाशिम | 1 | 20.43 | 768 | 13.07 |
| 31. | महाराष्ट्र | खोपरगांव | | | | |
| 32. | महाराष्ट्र | लातूर | 1 | 57.26 | 0 | 43.62 |
| 33. | महाराष्ट्र | लोनर टीओडब्ल्यूएन, जिला बुलढाणा | 1 | 17.84 | 700 | 11.58 |
| 34. | महाराष्ट्र | मालेगांव (फेज-I) | 1 | 28.92 | 1440 | 19.80 |
| 35. | महाराष्ट्र | मालेगांव (फेज-II) | 1 | 28.69 | 1440 | 19.62 |
| 36. | महाराष्ट्र | मालेगांव (फेज-III) | 1 | 28.24 | 1440 | 19.26 |
| 37. | महाराष्ट्र | मालेगांव (फेज-IV) | 1 | 28.44 | 1440 | 19.42 |
| 38. | महाराष्ट्र | मालेगांव (फेज-V) | 1 | 29.31 | 1440 | 20.11 |
| 39. | महाराष्ट्र | मालेगांव (फेज-VI) | 1 | 28.76 | 1440 | 19.67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | महाराष्ट्र | मालेगांव (फेज-VII) | 1 | 28.92 | 1440 | 19.80 |
| 41. | महाराष्ट्र | मालेगांव (फेज-VIII) | 1 | 28.51 | 1440 | 19.47 |
| 42. | महाराष्ट्र | मलकापुर सिटी | 1 | 5.10 | 207 | 3.47 |
| 43. | महाराष्ट्र | मोहप | 1 | 6.52 | 281 | 4.56 |
| 44. | महाराष्ट्र | मुद्खेद | 1 | 19.73 | 810 | 11.92 |
| 45. | महाराष्ट्र | मुर्तिजापुर | 1 | 24.56 | 1003 | 15.83 |
| 46. | महाराष्ट्र | पंढरकवाडा | 1 | 14.58 | 625 | 9.36 |
| 47. | महाराष्ट्र | परभणी | | | 0 | |
| 48. | महाराष्ट्र | परतूर | 1 | 20.14 | 800 | 12.78 |
| 49. | महाराष्ट्र | परथरी | | | 0 | |
| 50. | महाराष्ट्र | पाउनी, जिला भांदरा (फेज-I) | 1 | 1.54 | 76 | 1.17 |
| 51. | महाराष्ट्र | पाउनी, जिला भांदरा (फेज-II) | 1 | 25.98 | 978 | 16.70 |
| 52. | महाराष्ट्र | पुलगांव | 1 | 8.12 | 302 | 5.30 |
| 53. | महाराष्ट्र | राजुरा | 1 | 17.68 | 777 | 11.31 |
| 54. | महाराष्ट्र | रामटेक | 1 | 5.11 | 265 | 3.89 |
| 55. | महाराष्ट्र | रिसोद | 1 | 21.52 | 1040 | 16.24 |
| 56. | महाराष्ट्र | सांगी (फेज-IV) | 1 | 93.88 | 3798 | 49.83 |
| 57. | महाराष्ट्र | शेंदुर्जन घाट | 1 | 11.05 | 460 | 7.12 |
| 58. | महाराष्ट्र | शीरपुर वर्वदे (फेज-I) जिला-धुले | 1 | 11.20 | 440 | 6.60 |
| 59. | महाराष्ट्र | सिंद्खेद राजा सिटी | 1 | 11.73 | 435 | 7.63 |
| 60. | महाराष्ट्र | तिरोरा शहर, (फेज-II) जिला-गोंडीया | 1 | 10.72 | 551 | 8.12 |
| 61. | महाराष्ट्र | तुमसर | 1 | 6.34 | 234 | 4.14 |
| 62. | महाराष्ट्र | उम्रेद सिटी | 1 | 7.24 | 276 | 4.96 |
| 63. | महाराष्ट्र | वज्जपुर | 1 | 29.41 | 1212 | 18.96 |
| 64. | महाराष्ट्र | वाई | 1 | 6.89 | 34 | 4.53 |
| 65. | महाराष्ट्र | वर्धा | 1 | 12.50 | 634 | 9.53 |
| 66. | महाराष्ट्र | वरुद | 1 | 9.24 | 360 | 6.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. | महाराष्ट्र | वाशिम | 1 | 33.94 | 1318 | 22.04 |
| 68. | महाराष्ट्र | यवतमाल | 1 | 29.12 | 1257 | 18.63 |
| | कुल | 49 | 56 | 1166.39 | 48683 | 772.57 |
| 1. | ओडिशा | बालासोर (फेज-I) | 1 | 9.15 | 387 | 6.18 |
| 2. | ओडिशा | बारिपाड़ा | 1 | 11.18 | 474 | 7.75 |
| 3. | ओडिशा | बरहामपुर | 1 | 31.01 | 1202 | 20.63 |
| 4. | ओडिशा | भद्रक (फेज-I) | 1 | 5.14 | 238 | 3.36 |
| 5. | ओडिशा | भद्रक (फेज-II) | 1 | 3.99 | 166 | 2.65 |
| 6. | ओडिशा | भवानीपटना | 1 | 4.24 | 164 | 2.82 |
| 7. | ओडिशा | बोलंगिर | 1 | 8.37 | 324 | 5.57 |
| 8. | ओडिशा | जत्नि (फेज-II) | 1 | 3.40 | 132 | 2.26 |
| 9. | ओडिशा | जेपौर | 1 | 7.07 | 323 | 5.04 |
| 10. | ओडिशा | झारसूगुडा | 1 | 19.83 | 786 | 13.17 |
| 11. | ओडिशा | क्योंझर | 1 | 22.44 | 891 | 14.89 |
| 12. | ओडिशा | मलकानगिरि | 1 | 6.07 | 236 | 4.40 |
| 13. | ओडिशा | नबरंगपुर | 1 | 5.56 | 532 | 4.02 |
| 14. | ओडिशा | पारतेखमुंडी | 1 | 7.53 | 307 | 4.98 |
| 15. | ओडिशा | सम्बलपुर | 1 | 15.44 | 613 | 10.25 |
| 16. | ओडिशा | सुवर्णपुर | 1 | 23.63 | 934 | 15.69 |
| | कुल | 16 | 16 | 184.06 | 7709 | 123.30 |
| 1. | पंजाब | राजपुरा | 1 | 21.01 | 720 | 822. |
| | कुल | 1 | 1 | 21.01 | 720 | 822. |
| 1. | तमिलनाडु | अलम्पलयम | 1 | 2.25 | 149 | 1.56 |
| 2. | तमिलनाडु | अरियालुर | 1 | 7.89 | 378 | 6.04 |
| 3. | तमिलनाडु | अवल्पूंदुरै | 1 | 1.67 | 90 | 1.19 |
| 4. | तमिलनाडु | बोदिनाया कन्नूर | 1 | 4.63 | 326 | 3.52 |
| 5. | तमिलनाडु | चूनूर | 1 | 5.35 | 398 | 3.62 |
| 6. | तमिलनाडु | कुमबुम | 1 | 5.19 | 325 | 3.86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | तमिलनाडु | धरमपुरम | 1 | 3.60 | 188 | 2.77 |
| 8. | तमिलनाडु | डिंडिगुल | 1 | 9.72 | 590 | 7.45 |
| 9. | तमिलनाडु | गंगवेल्लि | 1 | 2.66 | 140 | 1.91 |
| 10. | तमिलनाडु | गोबिचेट्टीपलायम | 1 | 2.56 | 177 | 1.95 |
| 11. | तमिलनाडु | इदप्पदि | 1 | 4.74 | 225 | 3.62 |
| 12. | तमिलनाडु | इनाम करुर | 1 | 5.00 | 240 | 3.87 |
| 13. | तमिलनाडु | कांचीपुराम | 1 | 4.57 | 299 | 3.42 |
| 14. | तमिलनाडु | करइकुडी | 1 | 4.15 | 195 | 3.21 |
| 15. | तमिलनाडु | करुपपुर | 1 | 1.57 | 148 | 1.12 |
| 16. | तमिलनाडु | करुर | 1 | 3.29 | 185 | 2.53 |
| 17. | तमिलनाडु | कोडइकनाल (पीएचएएसई-आईआई) | 1 | 18.89 | 900 | 12.45 |
| 18. | तमिलनाडु | कोदुमुदी टाऊन | 1 | 1.40 | 75 | 1.00 |
| 19. | तमिलनाडु | कोविलपट्टी | 1 | 2.39 | 112 | 1.85 |
| 20. | तमिलनाडु | कृष्णागिरि | 1 | 4.96 | 262 | 3.82 |
| 21. | तमिलनाडु | कुंगलुर | 1 | 1.29 | 65 | 0.93 |
| 22. | तमिलनाडु | लक्कम्पत्ति | 1 | 1.44 | 131 | 1.02 |
| 23. | तमिलनाडु | मेत्तूपालयम | 1 | 1.48 | 72 | 1.12 |
| 24. | तमिलनाडु | मेत्तुर | 1 | 2.42 | 113 | 1.87 |
| 25. | तमिलनाडु | मोहनुर | 1 | 2.80 | 161 | 1.98 |
| 26. | तमिलनाडु | नगेचोईल | 1 | 3.47 | 214 | 2.66 |
| 27. | तमिलनाडु | पी. मेत्तुपालयम | 1 | 1.27 | 78 | 0.89 |
| 28. | तमिलनाडु | पी.एन. पत्त्य | 1 | 1.62 | 153 | 1.15 |
| 29. | तमिलनाडु | पल्लपलयम टाऊन | 1 | 2.35 | 120 | 1.69 |
| 30. | तमिलनाडु | आरपीयूडीयूपीएटी टीवाय, नमक्काल | 1 | 2.14 | 153 | 1.46 |
| 31. | तमिलनाडु | रामनथपुराम | 1 | 5.21 | 277 | 3.99 |
| 32. | तमिलनाडु | रानीपेट | 1 | 2.58 | 121 | 2.00 |
| 33. | तमिलनाडु | सलेम | 1 | 15.58 | 1006 | 10.87 |
| 34. | तमिलनाडु | सथ्यमंगलम | 1 | 3.76 | 260 | 2.81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | तमिलनाडु | सीरपल्लि | 1 | 2.16 | 121 | 1.54 |
| 36. | तमिलनाडु | सिवगंगे | 1 | 2.90 | 155 | 2.22 |
| 37. | तमिलनाडु | सिवकसि | 1 | 4.57 | 223 | 3.13 |
| 38. | तमिलनाडु | तंथोनि | 1 | 4.10 | 200 | 3.17 |
| 39. | तमिलनाडु | टीएचइडीएवीओओआर, सालेम | 1 | 2.30 | 115 | 1.65 |
| 40. | तमिलनाडु | थेनी अल्लिनगराम | 1 | 3.85 | 180 | 2.92 |
| 41. | तमिलनाडु | थिरुनेल्वेलि | 1 | 20.00 | 2003 | 15.58 |
| 42. | तमिलनाडु | थिरुनवमलै | 1 | 8.76 | 832 | 6.63 |
| 43. | तमिलनाडु | थुरैयुर | 1 | 8.61 | 602 | 6.54 |
| 44. | तमिलनाडु | तिरुचेंगोदे | 1 | 8.87 | 422 | 6.86 |
| 45. | तमिलनाडु | तुतीकोरीन | 1 | 8.02 | 500 | 5.80 |
| 46. | तमिलनाडु | उदुमल्पेत | 1 | 2.81 | 160 | 2.16 |
| 47. | तमिलनाडु | उथुकुलि टाऊन | 1 | 1.12 | 61 | 0.80 |
| 48. | तमिलनाडु | वनियाम्बदी | 1 | 2.25 | 105 | 1.74 |
| 49. | तमिलनाडु | वीरगनुर टीओडब्ल्यूएन, सालेम | 1 | 3.75 | 231 | 2.63 |
| 50. | तमिलनाडु | वेलूर | 1 | 1.37 | 86 | 0.96 |
| 51. | तमिलनाडु | विल्लुपुरम | 1 | 8.56 | 502 | 6.57 |
| 52. | तमिलनाडु | विरुधुनगर | 1 | 11.37 | 676 | 8.09 |
| | कुल | 52 | 52 | 219.24 | 15500 | 184.17 |
| 1. | त्रिपुरा | बेलोनिया टाऊन | 1 | 8.74 | 499 | 7.67 |
| 2. | त्रिपुरा | रानीबजर | 1 | 11.27 | 651 | 9.93 |
| | कुल | 2 | 2 | 20.01 | 1150 | 17.60 |
| 1. | उत्तर प्रदेश | अचल्दा | 1 | 3.59 | 132 | 2.38 |
| 2. | उत्तर प्रदेश | अदल्सरै कालपी टाउन, जिला-जालौन | 1 | 3.29 | 120 | 2.10 |
| 3. | उत्तर प्रदेश | अझुवा | 1 | 3.45 | 144 | 2.28 |
| 4. | उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ (फेज-I) | 1 | 4.40 | 168 | 2.92 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ (फेज-II) | 1 | 17.77 | 660 | 11.85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ (फेज-III) | 1 | 15.37 | 558 | 10.16 |
| 7. | उत्तर प्रदेश | अमरौधा | 1 | 1.79 | 72 | 1.18 |
| 8. | उत्तर प्रदेश | अमरोहा | 1 | 3.13 | 115 | 2.06 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | अंतु | 1 | 15.05 | 579 | 9.99 |
| 10. | उत्तर प्रदेश | अर्थल | 1 | 5.62 | 208 | 3.76 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | अवगढ़ | 1 | 2.59 | 96 | 1.72 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | आजमगढ़ | 1 | 12.65 | 465 | 8.39 |
| 13. | उत्तर प्रदेश | बाबरपुर | 1 | 4.88 | 180 | 3.24 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | बनत | 1 | 10.36 | 476 | 6.50 |
| 15. | उत्तर प्रदेश | बरौत | 1 | 4.41 | 208 | 3.00 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | बस्ती | 1 | 4.58 | 163 | 3.01 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | बीकापुर, जिला-फैजाबाद | 1 | 2.22 | 84 | 1.51 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | बेल्हा | 1 | 18.19 | 679 | 12.12 |
| 19. | उत्तर प्रदेश | भाटावाली | 1 | 5.43 | 199 | 3.60 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | भिकमपुर | 1 | 1.18 | 48 | 0.81 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | बिछारी, मुगलसराय | 1 | 7.45 | 273 | 4.93 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | बिधूना | 1 | 14.73 | 600 | 9.98 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | बिसान्दा, जिला-बांदा, उत्तर प्रदेश | 1 | 2.77 | 96 | 1.78 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | बिसवान, जिला-सीतापुर | 1 | 6.44 | 252 | 4.40 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | बिठूर, जिला-कानपुर | 1 | 2.86 | 108 | 1.95 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | बुगरासी | 1 | 3.65 | 192 | 2.64 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | चकिया | 1 | 1.18 | 48 | 0.77 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | चंदौली (फेज-I) | 1 | 6.88 | 263 | 4.50 |
| 29. | उत्तर प्रदेश | चंदौली (फेज-II) | 1 | 3.95 | 168 | 2.55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | उत्तर प्रदेश | चत्तरी | 1 | 2.69 | 112 | 1.95 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | छाता | 1 | 1.55 | 48 | 0.96 |
| 32. | उत्तर प्रदेश | चिब्रमौ (फेज-I) | 1 | 5.90 | 240 | 4.00 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | चिब्रमौ (फेज-II) | 1 | 15.91 | 658 | 10.80 |
| 34. | उत्तर प्रदेश | चुनार | 1 | 5.97 | 216 | 3.91 |
| 35. | उत्तर प्रदेश | दादरी (फेज-II) | 1 | 17.43 | 637 | 11.54 |
| 36. | उत्तर प्रदेश | देरपुर | 1 | 1.85 | 72 | 1.22 |
| 37. | उत्तर प्रदेश | दिबियपुर | 1 | 1.75 | 72 | 1.15 |
| 38. | उत्तर प्रदेश | एटा | 1 | 2.58 | 96 | 1.72 |
| 39. | उत्तर प्रदेश | फैजाबाद | 1 | 17.24 | 393 | 12.28 |
| 40. | उत्तर प्रदेश | फरीद नगर | 1 | 7.54 | 288 | 5.02 |
| 41. | उत्तर प्रदेश | फर्रुखाबाद टी.ए. | 1 | 1.89 | 72 | 1.28 |
| 42. | उत्तर प्रदेश | फतेहपुर | 1 | 5.17 | 216 | 3.31 |
| 43. | उत्तर प्रदेश | घांसीगंज, सुल्तानपुर | 1 | 3.14 | 116 | 2.08 |
| 44. | उत्तर प्रदेश | घोरवल | 1 | 15.42 | 656 | 9.40 |
| 45. | उत्तर प्रदेश | गोकुल | 1 | 2.83 | 88 | 1.76 |
| 46. | उत्तर प्रदेश | गोला टाउन, जिला-लखीमपुर | 1 | 3.12 | 120 | 2.13 |
| 47. | उत्तर प्रदेश | गोपमौ | 1 | 3.80 | 144 | 2.53 |
| 48. | उत्तर प्रदेश | गोरखपुर | 1 | 16.75 | 611 | 11.09 |
| 49. | उत्तर प्रदेश | गोसौगंज | 1 | 1.92 | 72 | 1.30 |
| 50. | उत्तर प्रदेश | हरिहरपुर (फेज-I) | 1 | 1.97 | 72 | 1.34 |
| 51. | उत्तर प्रदेश | हरिहरपुर (जवाहर नगर) (फेज-II) | 1 | 2.00 | 72 | 1.42 |
| 52. | उत्तर प्रदेश | हरिहरपुर (पटेल नगर) (फेज-III) | 1 | 1.84 | 60 | 1.29 |
| 53. | उत्तर प्रदेश | हरिहरपुर (फेज-IV) | 1 | 8.47 | 252 | 5.72 |
| 54. | उत्तर प्रदेश | हासनपुर | 1 | 0.81 | 36 | 0.53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. | उत्तर प्रदेश | हस्तिनापुर, मेरठ | 1 | 19.10 | 582 | 10.90 |
| 56. | उत्तर प्रदेश | हैदराबाद | 1 | 4.21 | 168 | 2.79 |
| 57. | उत्तर प्रदेश | जसवंत नगर (फेज-I) | 1 | 6.02 | 240 | 4.11 |
| 58. | उत्तर प्रदेश | जसवंत नगर (फेज-II) | 1 | 5.66 | 228 | 3.72 |
| 59. | उत्तर प्रदेश | जेवर | 1 | 6.70 | 272 | 4.32 |
| 60. | उत्तर प्रदेश | झलु (फेज-I) | 1 | 1.50 | 56 | 1.02 |
| 61. | उत्तर प्रदेश | झलु (फेज-II) | 1 | 5.78 | 450 | 3.77 |
| 62. | उत्तर प्रदेश | झिंझक | 1 | 10.71 | 492 | 7.15 |
| 63. | उत्तर प्रदेश | जोय | 1 | 0.93 | 42 | 0.61 |
| 64. | उत्तर प्रदेश | कदौर टाउन, जिला-जालौन | 1 | 4.25 | 156 | 2.71 |
| 65. | उत्तर प्रदेश | ककरी | 1 | 16.95 | 629 | 11.20 |
| 66. | उत्तर प्रदेश | खानपुर | 1 | 2.21 | 96 | 1.61 |
| 67. | उत्तर प्रदेश | खर्खुद | 1 | 2.66 | 96 | 1.81 |
| 68. | उत्तर प्रदेश | किछौच | 1 | 1.88 | 72 | 1.24 |
| 69. | उत्तर प्रदेश | कोसी-कलां | 1 | 8.82 | 384 | 5.45 |
| 70. | उत्तर प्रदेश | कुंडा टाउन, जिला-प्रतापगढ़ | 1 | 6.43 | 272 | 3.95 |
| 71. | उत्तर प्रदेश | कुरॉन | 1 | 4.97 | 209 | 3.24 |
| 72. | उत्तर प्रदेश | केयूआरएआरए, डीआईएसटीटी, हमीरपुर | 1 | 3.58 | 132 | 2.29 |
| 73. | उत्तर प्रदेश | लार | 1 | 28.01 | 1527 | 18.70 |
| 74. | उत्तर प्रदेश | लाल गोपालगंज | 1 | 8.03 | 396 | 5.11 |
| 75. | उत्तर प्रदेश | लवार | 1 | 8.38 | 359 | 5.36 |
| 76. | उत्तर प्रदेश | महावन | 1 | 1.66 | 72 | 1.03 |
| 77. | उत्तर प्रदेश | माहोबा टाउन, जिला-महोबा, उत्तर प्रदेश | 1 | 2.61 | 84 | 1.69 |
| 78. | उत्तर प्रदेश | महोना | 1 | 20.82 | 762 | 13.78 |
| 79. | उत्तर प्रदेश | मलीहाबाद | 1 | 4.05 | 148 | 2.68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80. | उत्तर प्रदेश | मानिकपुर, जिला-चित्रकूट, उत्तर प्रदेश | 1 | 3.86 | 144 | 2.45 |
| 81. | उत्तर प्रदेश | मंझनपुर | 1 | 3.19 | 120 | 2.13 |
| 82. | उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर | 1 | 20.71 | 536 | 14.27 |
| 83. | उत्तर प्रदेश | मोहम्मदबाद | 1 | 3.19 | 132 | 2.15 |
| 84. | उत्तर प्रदेश | मुरादाबाद | 1 | 1.31 | 48 | 0.87 |
| 85. | उत्तर प्रदेश | मुगलसराय | 1 | 4.22 | 168 | 2.75 |
| 86. | उत्तर प्रदेश | नंदगांव | 1 | 6.93 | 224 | 4.27 |
| 87. | उत्तर प्रदेश | नरैनी | 1 | 2.10 | 72 | 1.35 |
| 88. | उत्तर प्रदेश | नवाबगंज | 1 | 1.38 | 48 | 0.87 |
| 89. | उत्तर प्रदेश | नवाबगंज | 1 | 3.60 | 144 | 2.39 |
| 90. | उत्तर प्रदेश | निधौलि कला | 1 | 1.62 | 60 | 1.08 |
| 91. | उत्तर प्रदेश | ओराई टाऊन (लहरियापुरा) जिला जालुन, उत्तर प्रदेश | 1 | 7.16 | 288 | 4.30 |
| 92. | उत्तर प्रदेश | पचपर्वा | 1 | 1.02 | 48 | 0.77 |
| 93. | उत्तर प्रदेश | पाली, जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश | 1 | 3.92 | 144 | 2.50 |
| 94. | उत्तर प्रदेश | फफूंद | 1 | 1.50 | 60 | 0.98 |
| 95. | उत्तर प्रदेश | पिछोर निकट बजरंग कालोनी, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश | 1 | 4.01 | 144 | 2.57 |
| 96. | उत्तर प्रदेश | प्रतापगढ़ | 1 | 14.13 | 531 | 9.41 |
| 97. | उत्तर प्रदेश | रायबरेली (फेज-I) | 1 | 20.85 | 353 | 14.87 |
| 98. | उत्तर प्रदेश | राम नगर | 1 | 2.59 | 96 | 1.72 |
| 99. | उत्तर प्रदेश | रामपुर (फेज-I) | 1 | 4.14 | 156 | 2.69 |
| 100. | उत्तर प्रदेश | रामपुर (फेज-II) | 1 | 11.29 | 462 | 7.37 |
| 101. | उत्तर प्रदेश | रसूलाबाद | 1 | 5.24 | 216 | 3.59 |
| 102. | उत्तर प्रदेश | रया | 1 | 1.53 | 48 | 0.95 |
| 103. | उत्तर प्रदेश | सदत | 1 | 0.93 | 36 | 0.61 |
| 104. | उत्तर प्रदेश | सहारनपुर (फेज-I) | 1 | 3.90 | 208 | 2.54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105. | उत्तर प्रदेश | सहारनपुर (फेज-II) | 1 | 11.75 | 456 | 7.32 |
| 106. | उत्तर प्रदेश | सलारगंज | 1 | 7.93 | 336 | 5.40 |
| 107. | उत्तर प्रदेश | संत रविदास नगर | 1 | 8.76 | 360 | 5.73 |
| 108. | उत्तर प्रदेश | सेवना | 1 | 4.17 | 160 | 2.59 |
| 109. | उत्तर प्रदेश | सराय मीर | 1 | 3.85 | 144 | 2.56 |
| 110. | उत्तर प्रदेश | सौरिख | 1 | 3.47 | 144 | 2.35 |
| 111. | उत्तर प्रदेश | सेहजन्वा | 1 | 1.94 | 72 | 1.18 |
| 112. | उत्तर प्रदेश | शंकरगढ़ | 1 | 9.17 | 407 | 5.93 |
| 113. | उत्तर प्रदेश | शीवली | 1 | 3.33 | 132 | 2.15 |
| 114. | उत्तर प्रदेश | शिवराजपुर | 1 | 3.34 | 132 | 2.26 |
| 115. | उत्तर प्रदेश | सिकंदरा | 1 | 5.28 | 204 | 3.42 |
| 116. | उत्तर प्रदेश | सिंगहि | 1 | 3.13 | 108 | 2.01 |
| 117. | उत्तर प्रदेश | ठाकुरपुर | 1 | 5.57 | 210 | 3.69 |
| 118. | उत्तर प्रदेश | तिर्वा | 1 | 7.37 | 312 | 4.98 |
| 119. | उत्तर प्रदेश | तिर्वा खास | 1 | 11.73 | 528 | 7.86 |
| 120. | उत्तर प्रदेश | उगु | 1 | 3.06 | 120 | 2.03 |
| 121. | उत्तर प्रदेश | उम्रि कला | 1 | 7.79 | 306 | 5.11 |
| 122. | उत्तर प्रदेश | उन्नाव | 1 | 2.51 | 96 | 1.72 |
| 123. | उत्तर प्रदेश | उतरौल | 1 | 1.74 | 60 | 1.21 |
| 124. | उत्तर प्रदेश | वृंदावन | 1 | 6.31 | 276 | 3.90 |
| | कुल | 124 | 124 | 771.75 | 29733 | 509.10 |
| 1. | पश्चिम बंगाल | आरामबाग | 1 | 10.00 | 522 | 8.00 |
| 2. | पश्चिम बंगाल | बलुरघाट (फेज-I) | 1 | 15.77 | 790 | 12.62 |
| 3. | पश्चिम बंगाल | बेल्दंग (फेज-I) | 1 | 6.17 | 362 | 4.94 |
| 4. | पश्चिम बंगाल | बोनगांव | 1 | 14.64 | 767 | 11.71 |
| 5. | पश्चिम बंगाल | चकदहा (फेज-II) | 1 | 8.69 | 440 | 6.39 |
| 6. | पश्चिम बंगाल | कोनताई (फेज-II) | 1 | 12.35 | 636 | 9.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | पश्चिम बंगाल | कूचबिहार (फेज-II) | 1 | 6.90 | 320 | 5.11 |
| 8. | पश्चिम बंगाल | दार्जिलिंग | 1 | 20.66 | 890 | 15.18 |
| 9. | पश्चिम बंगाल | डायमंड हार्बर | 1 | 9.98 | 5.91 | 7.98 |
| 10. | पश्चिम बंगाल | इंग्लिश बाजार (फेज-I) | 1 | 16.75 | 852 | 13.40 |
| 11. | पश्चिम बंगाल | गंगाराम पुर (फेज-II) | 1 | 9.91 | 467 | 7.33 |
| 12. | पश्चिम बंगाल | गुश्करा | 1 | 8.50 | 450 | 6.80 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | हल्दिया (फेज-II) | 1 | 15.89 | 795 | 12.72 |
| 14. | पश्चिम बंगाल | जंगिपुर (फेज-II) | 1 | 10.05 | 650 | 8.04 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | झालदा | 1 | 7.98 | 408 | 6.38 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | झारग्राम (फेज-II) | 1 | 4.00 | 205 | 3.20 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | जयगंज-अजीमंगज (फेज-II) | 1 | 10.20 | 521 | 8.16 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | कलिम्पोंग | 1 | 11.99 | 567 | 9.59 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | कालियागंज | 1 | 7.95 | 400 | 6.36 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | कांदी | 1 | 8.98 | 555 | 7.18 |
| 21. | पश्चिम बंगाल | कातवा | 1 | 10.90 | 650 | 8.72 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | कुर्सेओंग | 1 | 11.99 | 565 | 9.59 |
| 23. | पश्चिम बंगाल | मथभंगा | 1 | 8.56 | 402 | 6.34 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | मिरिक | 1 | 7.96 | 423 | 6.36 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | मुर्शिदाबाद | 1 | 8.74 | 497 | 6.74 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | ओल्ड मालदा | 1 | 10.78 | 550 | 8.63 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | रघुनाथपुर | 1 | 7.90 | 400 | 6.32 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | रामपुरहाट | 1 | 10.89 | 603 | 8.71 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | राणाघाट (फेज-II) | 1 | 5.75 | 297 | 4.60 |
| 30. | पश्चिम बंगाल | सिलिगुड़ी (फेज-II) | 1 | 35.99 | 1859 | 28.79 |
| 31. | पश्चिम बंगाल | सुरी | 1 | 14.47 | 728 | 11.58 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | ताकी (फेज-II) | 1 | 6.99 | 504 | 5.59 |
| 33. | पश्चिम बंगाल | तामलुक | 1 | 8.94 | 456 | 7.15 |
| 34. | पश्चिम बंगाल | तारकेश्वर | 1 | 9.89 | 584 | 7.91 |
| | कुल | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | कुल योग | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)
कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2009-2010)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | कस्बों/यूएलबी की संख्या | अनुमोदित परियोजना की कुल संख्या | अनुमोदित परियोजना की कुल संख्या | अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (नए+उन्नयन) | कुल केन्द्रीय अंश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | असम | कोकराझार | 1 | 17.92 | 1301 | 13.73 |
| | कुल | 1 | 1 | 17.92 | 1301 | 13.73 |
| 1. | बिहार | अररिया सिटी | 1 | 21.26 | 728 | 11.13 |
| 2. | बिहार | माधेपुरा (फेज-II) | 1 | 20.32 | 76 | 9.99 |
| 3. | बिहार | मुंगेर | 1 | 20.19 | 868 | 8.55 |
| 4. | बिहार | सहरसा | 1 | 19.33 | 820 | 8.84 |
| | कुल | 4 | 4 | 81.1032 | 3192 | 38.5065 |
| 1. | दादरा और नगर हवेली | सिल्वस (फेज-II) | 1 | 5.24 | 144 | 2.89 |
| | कुल | 1 | 1 | 5.24 | 144 | 2.89 |
| 1. | गुजरात | भावनगर | 1 | 15.88 | 1000 | 10.81 |
| 2. | गुजरात | जामनगर एमसी (स्कीम संख्या 18631) वैभव | 1 | 3.31 | 254 | 0.51 |
| 3. | गुजरात | नवसारी एनपी (स्कीम संख्या 18794) वाम्बे के तहत | 1 | 2.27 | 387 | 0.77 |
| 4. | गुजरात | राजकोट एमसी (स्कीम संख्या 18881) वाम्बे के तहत | 1 | 11.60 | 1160 | 2.90 |
| 5. | गुजरात | वड़ोदरा एमसी (स्कीम संख्या 18020) वाम्बे के तहत | 1 | 0.88 | 86 | 0.22 |
| 6. | गुजरात | वड़ोदरा एमसी (स्कीम संख्या 18021) वाम्बे के तहत | 1 | 5.76 | 768 | 1.92 |
| | कुल | 6 | 6 | 39.71 | 3655 | 17.13 |
| 1. | जम्मू और कश्मीर | बारामूला (फेज-III) | 1 | 3.47 | 0 | 3.12 |
| 2. | जम्मू और कश्मीर | डीएलबी, कश्मीर (स्कीम संख्या 18064) वाम्बे के तहत | 1 | 1.57 | 292 | 0.66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | जम्मू और कश्मीर | हजिन (फेज-II) | 1 | 0.75 | 0 | 0.68 |
| 4. | जम्मू और कश्मीर | हद्वर (फेज-II) | 1 | 1.77 | 0 | 1.59 |
| 5. | जम्मू और कश्मीर | कुलगाम (फेज-II) | 1 | 2.24 | 0 | 2.01 |
| 6. | जम्मू और कश्मीर | मगम (फेज-II) | 1 | 0.84 | 0 | 0.76 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | मत्तन (फेज-II) | 1 | 0.63 | 0 | 0.57 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | रामनगर (फेज-II) | 1 | 2.24 | 0 | 2.02 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | रियासी (फेज-II) | 1 | 2.72 | 0 | 1.39 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | शोपिअन (फेज-II) | 1 | 1.43 | 0 | 1.29 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | सोपोरे (फेज-II) | 1 | 3.41 | 0 | 3.07 |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर डीए (स्कीम संख्या 18632) वैभव के तहत | 1 | 4.64 | 316 | 0.71 |
| | कुल | 12 | 12 | 25.77 | 608 | 17.86 |
| 1. | केरल | अलुव | 1 | 0.58 | 90 | 0.43 |
| 2. | केरल | चेर्थल | 1 | 4.82 | 454 | 3.45 |
| 3. | केरल | चंगनस्सेर्य (फेज-II) | 1 | 9.64 | 850 | 6.44 |
| 4. | केरल | चलकुद्य | 1 | 3.81 | 534 | 2.65 |
| 5. | केरल | इरिंजलकुद (फेज-II) | 1 | 3.78 | 394 | 2.52 |
| 6. | केरल | कोदंगल्लूर | 1 | 5.69 | 285 | 3.48 |
| 7. | केरल | कोट्टायम | 1 | 7.77 | 831 | 5.34 |
| 8. | केरल | कान्हनगड़ (फेज-II) | 1 | 5.53 | 855 | 4.13 |
| 9. | केरल | कालपेट्टा | 1 | 1.72 | 78 | 1.18 |
| 10. | केरल | मत्तनुर (फेज-II) | 1 | 6.76 | 620 | 4.74 |
| 11. | केरल | उत्तर परवुर (फेज-II) | 1 | 5.85 | 743 | 4.06 |
| 12. | केरल | ओत्तपलम (फेज-II) | 1 | 6.65 | 619 | 4.64 |
| 13. | केरल | पय्यन्नुर | 1 | 3.54 | 314 | 2.30 |
| 14. | केरल | थ्रिस्सुर | 1 | 4.86 | 246 | 3.14 |
| 15. | केरल | वर्कल | 1 | 8.72 | 661 | 6.19 |
| 16. | केरल | वतकर | 1 | 0.87 | 62 | 0.61 |
| | कुल | 16 | 16 | 80.59 | 7636 | 55.29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मध्य प्रदेश | चंदमेत | 1 | 6.76 | 212 | 4.29 |
| 2. | मध्य प्रदेश | हराय | 1 | 3.39 | 139 | 1.98 |
| 3. | मध्य प्रदेश | खरगोने | 1 | 4.91 | 200 | 2.85 |
| 4. | मध्य प्रदेश | मंडसौर | 1 | 12.50 | 500 | 7.28 |
| 5. | मध्य प्रदेश | रेवा | 1 | 6.67 | 248 | 3.73 |
| 6. | मध्य प्रदेश | सतना | 1 | 7.33 | 270 | 4.44 |
| 7. | मध्य प्रदेश | सिंगरौली | 1 | 7.33 | 300 | 4.29 |
| | कुल | 7 | 7 | 18.90 | 1869 | 22.87 |
| 1. | मणिपुर | कक्चिंग | 1 | 8.64 | 548 | 6.61 |
| 2. | मणिपुर | बिष्णुपुर | 1 | 6.15 | 375 | 4.73 |
| 3. | मणिपुर | मुद (स्कीम संख्या 18884) वैभव के तहत | 1 | 1.26 | 140 | 0.32 |
| | कुल | 3 | 3 | 16.0435 | 1063 | 11.655 |
| 1. | राजस्थान | भीनमल | 1 | 10.59 | 639 | 5.38 |
| 2. | राजस्थान | फलोदी | 1 | 23.27 | 764 | 13.79 |
| 3. | राजस्थान | पोकरन | 1 | 21.83 | 787 | 12.20 |
| 4. | राजस्थान | संचोर | 1 | 9.47 | 390 | 5.31 |
| 5. | राजस्थान | तथतगई | 1 | 16.69 | 635 | 9.25 |
| | कुल | 5 | 5 | 81.85 | 1215 | 45.94 |
| 1. | महाराष्ट्र | इचलकरंजे | 1 | 30.50 | 1488 | 20.19 |
| | कुल | 1 | 1 | 30.50 | 1488 | 20.19 |
| 1. | नागालैंड | सुद (स्कीम संख्या 18885) वैभव के तहत | 1 | 2.39 | 265 | 0.60 |
| | कुल | 1 | 1 | 2.39 | 265 | 0.60 |
| 1. | ओडिशा | कटक (फेज-II) | 1 | 16.9867 | 456 | 9.45 |
| | कुल | 1 | 1 | 16.9867 | 456 | 9.45 |
| 1. | सिक्किम | सिंग्तम | 1 | 19.91 | 39 | 17.92 |
| | कुल | 1 | 1 | 19.91 | 39 | 17.92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | तमिलनाडु | अरुपुक्कोत्तै | 1 | 20.89 | 879 | 15.30 |
| 2. | तमिलनाडु | तंस्व्ब (स्कीम संख्या 18496) वैभव के तहत | 1 | 20.09 | 1443 | 3.43 |
| | कुल | 2 | 2 | 40.97 | 2322 | 18.73 |
| 1. | त्रिपुरा | सोनमुर | 1 | 8.29 | 820 | 7.11 |
| 2. | त्रिपुरा | उदयपुर | 1 | 8.15 | 745 | 7.00 |
| | कुल | 2 | 2 | 16.44 | 1565 | 14.11 |
| 1. | उत्तर प्रदेश | सेओरहि (अम्बेडकर नगर) (फेज-I) | 1 | 2.00 | 100 | 1.32 |
| 2. | उत्तर प्रदेश | सेओरहि (मालवीय नगर) (फेज-II) | 1 | 2.00 | 81 | 1.36 |
| 3. | उत्तर प्रदेश | बलिया | 1 | 9.07 | 313 | 5.67 |
| 4. | उत्तर प्रदेश | गाजीपुर | 1 | 11.99 | 420 | 7.48 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | गोरखपुर (फेज-II) | 1 | 17.44 | 628 | 10.79 |
| 6. | उत्तर प्रदेश | किस्नि | 1 | 21.04 | 748 | 13.06 |
| 7. | उत्तर प्रदेश | महराजगंज | 1 | 11.42 | 399 | 7.10 |
| 8. | उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर सिटी | 1 | 25.52 | 853 | 16.31 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | मुरिय हुसैनपुर, पिलीभीत | 1 | 25.37 | 886 | 15.76 |
| 10. | उत्तर प्रदेश | पर्सदेपुर | 1 | 34.50 | 1028 | 21.78 |
| | कुल | 10 | 10 | 160.35 | 5456 | 100.63 |
| 1. | उत्तराखंड | अलमोड़ा | 1 | 8.3332 | 217 | 4.22 |
| 2. | उत्तराखंड | चम्पावत | 1 | 3.8115 | 73 | 2.15 |
| 3. | उत्तराखंड | दिनेशपुर | 1 | 11.78 | 387 | 6.99 |
| 4. | उत्तराखंड | हलद्वानी इंदिरा नगर | 1 | 13.4657 | 501 | 6.51 |
| 5. | उत्तराखंड | हलद्वानी, काठगोदाम | 1 | 11.8547 | 422 | 5.95 |
| 6. | उत्तराखंड | जसपुर (फेज-I) | 1 | 6.30 | 192 | 4.06 |
| 7. | उत्तराखंड | जसपुर (फेज-II) | 1 | 1.57 | 48 | 0.94 |
| 8. | उत्तराखंड | किच्च | 1 | 5.6328 | 159 | 3.42 |
| 9. | उत्तराखंड | काशीपुर | 1 | 11.96 | 428 | 6.97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | उत्तराखंड | कलदुंगि | 1 | 10.48 | 290 | 6.37 |
| 11. | उत्तराखंड | लल्कुअन | 1 | 3.59 | 100 | 2.40 |
| 12. | उत्तराखंड | लंदौर (फेज-I) | 1 | 10.10 | 264 | 6.33 |
| 13. | उत्तराखंड | लंदौर (फेज-II) | 1 | 2.58 | 100 | 1.26 |
| 14. | उत्तराखंड | महुअखेर गंज | 1 | 11.87 | 403 | 6.93 |
| 15. | उत्तराखंड | मुस्सोरिए | 1 | 5.10 | 96 | 2.67 |
| 16. | उत्तराखंड | महुदब्र | 1 | 9.25 | 266 | 5.59 |
| 17. | उत्तराखंड | मंग्लौर | 1 | 13.45 | 461 | 6.47 |
| 18. | उत्तराखंड | पिथौर्गर्ह नगर | 1 | 10.96 | 200 | 6.26 |
| 19. | उत्तराखंड | विकास नगर | 1 | 3.34 | 194 | 2.17 |
| | कुल | 19 | 19 | 155.42 | 4801 | 87.66 |
| 1. | पश्चिम बंगाल | एसरेडीए (स्कीम संख्या 18665) | 1 | 0.64 | 75 | 0.15 |
| | कुल | 1 | 1 | 0.64 | 75 | 0.15 |
| | सकल योग | 89 | 93 | 840.69 | 39150 | 501.32 |

*एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)*
*कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2010-2011)*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | कस्बों/यूएलबी की संख्या | अनुमोदित परियोजना की कुल संख्या | अनुमोदित परियोजना की कुल संख्या | अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (नए+उन्नयन) | कुल केन्द्रीय अंश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | बिहार | किशनगंज (फेज-II) | 1 | 30.55 | 1255 | 12.62 |
| 2. | बिहार | गया | 1 | 44.59 | 1747 | 19.18 |
| 3. | बिहार | फर्बेस्गंज | 1 | 21.53 | 870 | 9.02 |
| 4. | बिहार | जमुइ | 1 | 25.30 | 960 | 11.17 |
| 5. | बिहार | बाढ़ | 1 | 34.66 | 1154 | 15.42 |
| | कुल | 5 | 5 | 156.63 | 5986 | 67.40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हिमाचल प्रदेश | सुंदरनगर | 1 | 9.99 | 208 | 6.63 |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | सर्कघत | 1 | 7.39 | 130 | 5.08 |
| | कुल | 2 | 2 | 17.38 | 338 | 11.71 |
| 1. | जम्मू और कश्मीर | बुद्रम (इन्फ्रास्ट्रक्चर) | 1 | 0.75 | 0 | 0.67 |
| 2. | जम्मू और कश्मीर | चेननि | 1 | 2.38 | 103 | 1.77 |
| 3. | जम्मू और कश्मीर | उरि | 1 | 1.55 | 51 | 1.21 |
| 4. | जम्मू और कश्मीर | अर्निअ | 1 | 2.81 | 124 | 2.08 |
| 5. | जम्मू और कश्मीर | भदेर्वह | 1 | 2.45 | 103 | 1.83 |
| 6. | जम्मू और कश्मीर | बील्लावर | 1 | 3.53 | 175 | 2.54 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | चक मलाल | 1 | 2.12 | 92 | 1.57 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | दूरू वेरिनग | 1 | 2.49 | 82 | 1.94 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | कलकोते | 1 | 3.34 | 140 | 2.49 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | कोकेर्नग | 1 | 2.63 | 83 | 2.07 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | लेह | 1 | 9.85 | 0 | 8.86 |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | गंदेर्बल (इन्फ्रास्ट्रक्चर)(इन्फ्रास्ट्रक्चर) | 1 | 1.34 | 0 | 1.20 |
| 13. | जम्मू और कश्मीर | सुम्बल (इन्फ्रास्ट्रक्चर) | 1 | 1.66 | 0 | 1.49 |
| | कुल | 13 | 13 | 36.88 | 953 | 29.72 |
| 1. | झारखंड | चतरा (फेज-I) | 1 | 19.83 | 932 | 11.72 |
| 2. | झारखंड | मिहिजम | 1 | 27.07 | 1391 | 15.48 |
| 3. | झारखंड | सरायकेला | 1 | 27.69 | 1353 | 16.15 |
| | कुल | 3 | 3 | 74.59 | 3676 | 43.35 |
| 1. | राजस्थान | अनूपगढ़ | 1 | 16.39 | 592 | 10.75 |
| 2. | राजस्थान | बिलरा | 1 | 13.96 | 574 | 9.35 |
| 3. | राजस्थान | भद्र | 1 | 37.69 | 1332 | 24.25 |
| 4. | राजस्थान | बांसवाड़ा | 1 | 4.23 | 217 | 2.66 |
| 5. | राजस्थान | छोति सद्रि | 1 | 9.22 | 380 | 6.20 |
| 6. | राजस्थान | चित्तौड़गढ़ (फेज-II) | 1 | 10.93 | 433 | 7.33 |
| 7. | राजस्थान | जैसलमेर (फेज-II) | 1 | 32.81 | 1497 | 21.87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | राजस्थान | कैथून | 1 | 5.06 | 327 | 3.45 |
| 9. | राजस्थान | केकरी | 1 | 18.60 | 871 | 12.77 |
| 10. | राजस्थान | कोटा (फेज-II) | 1 | 28.58 | 845 | 15.14 |
| 11. | राजस्थान | नीमबहेड़ा | 1 | 11.06 | 457 | 7.59 |
| 12. | राजस्थान | पिंडवारा | 1 | 13.26 | 686 | 8.00 |
| 13. | राजस्थान | पिलिबंग | 1 | 6.41 | 244 | 4.27 |
| 14. | राजस्थान | रवत्सर | 1 | 30.69 | 1398 | 18.51 |
| 15. | राजस्थान | रवत्भत | 1 | 36.55 | 1439 | 25.16 |
| 16. | राजस्थान | सांगोड़ | 1 | 9.01 | 442 | 6.09 |
| 17. | राजस्थान | सुमरपुर | 1 | 10.36 | 529 | 6.64 |
| 18. | राजस्थान | टोंक (फेज-II) | 1 | 9.45 | 384 | 5.97 |
| | कुल | 18 | 18 | 304.28 | 12647 | 196.00 |
| 1. | पंजाब | भटिंडा (फेज-I) | 1 | 26.32 | 592 | 9.89 |
| 2. | पंजाब | भटिंडा (फेज-II) | 1 | 59.85 | 1328 | 23.27 |
| 3. | पंजाब | बुद्लद | 1 | 17.92 | 384 | 6.90 |
| 4. | पंजाब | भिखि (वार्ड-5) | 1 | 5.02 | 64 | 2.42 |
| 5. | पंजाब | भिखि (वार्ड-12) | 1 | 15.01 | 302 | 5.91 |
| 6. | पंजाब | बरेत (फेज-II) | 1 | 19.75 | 400 | 7.91 |
| 7. | पंजाब | बरेत (फेज-II) | 1 | 12.14 | 240 | 4.86 |
| 8. | पंजाब | मनसा | 1 | 12.99 | 240 | 5.37 |
| 9. | पंजाब | मोउर | 1 | 30.47 | 672 | 11.74 |
| 10. | पंजाब | सरदुलगढ़ (फेज-II) | 1 | 34.52 | 704 | 14.08 |
| 11. | पंजाब | सरदुलगढ़ (फेज-II) | 1 | 19.03 | 400 | 7.41 |
| | कुल | 11 | 11 | 253.01 | 5326 | 99.76 |
| 1. | मध्य प्रदेश | सिंगोलि | 1 | 3.69 | 120 | 2.28 |
| 2. | मध्य प्रदेश | अमरवाड़ा | 1 | 6.57 | 274 | 3.82 |
| 3. | मध्य प्रदेश | जीरपुर | 1 | 4.00 | 145 | 2.39 |
| 4. | मध्य प्रदेश | महिद्पुर | 1 | 8.38 | 441 | 5.93 |
| 5. | मध्य प्रदेश | दिकेन | 1 | 3.82 | 124 | 2.36 |
| | कुल | 5 | 5 | 26.46 | 1104 | 16.78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ओडिशा | पाटनगढ़ | 1 | 4.11 | 159 | 2.72 |
| 2. | ओडिशा | फूलबनी | 1 | 4.06 | 157 | 2.70 |
| | कुल | 2 | 2 | 8.17 | 316 | 5.42 |
| 1. | उत्तर प्रदेश | अक्रमपुर सिटी | 1 | 12.88 | 345 | 6.99 |
| 2. | उत्तर प्रदेश | बछवन | 1 | 11.40 | 284 | 7.02 |
| 3. | उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | 1 | 23.87 | 750 | 14.85 |
| 4. | उत्तर प्रदेश | फैजाबाद सीआईटीवाय (फेज-II) | 1 | 41.95 | 1197 | 25.31 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | घिरोर | 1 | 16.10 | 450 | 9.62 |
| 6. | उत्तर प्रदेश | कोएरिपुर | 1 | 6.08 | 180 | 3.63 |
| 7. | उत्तर प्रदेश | लालगंज | 1 | 9.62 | 246 | 6.31 |
| 8. | उत्तर प्रदेश | मउ सिटी | 1 | 19.22 | 479 | 10.73 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | मुसाफिर खाना | 1 | 15.86 | 534 | 9.91 |
| 10. | उत्तर प्रदेश | पी.पी. गंज | 1 | 19.02 | 544 | 11.29 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | पडरौना | 1 | 29.94 | 912 | 17.73 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | रायबरेली | 1 | 37.38 | 1031 | 22.42 |
| 13. | उत्तर प्रदेश | रायबरेली (07 स्लम) | 1 | 19.19 | 429 | 12.08 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | सनदीला, हरदोड़ | 1 | 8.00 | 252 | 4.68 |
| 15. | उत्तर प्रदेश | ठाकुरद्वारा (फेज-II) | 1 | 29.26 | 846 | 15.20 |
| | कुल | 15 | 15 | 299.77 | 6807 | 177.76 |
| | सकल योग | 74 | 74 | 1177.17 | 38825 | 647.90 |

*एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)*
*कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2011-2012)*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | कस्बों/यूएलबी की संख्या | अनुमोदित परियोजना की कुल संख्या | अनुमोदित परियोजना की कुल लागत | अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (नए+उन्नयन) | कुल केन्द्रीय अंश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | मध्य प्रदेश | चौरी | 1 | 5.73 | 266 | 3.98 |
| 2. | मध्य प्रदेश | रतनगढ़ | 1 | 4.18 | 135 | 2.59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | मध्य प्रदेश | जीरन | 1 | 3.77 | 126 | 2.31 |
| 4. | मध्य प्रदेश | पंधुरना | 1 | 3.00 | 140 | 2.08 |
| | कुल | 4 | 4 | 16.68 | 667 | 10.96 |
| 1. | महाराष्ट्र | आश्ता (फेज-II) | 1 | 17.23 | 950 | 11.64 |
| 2. | महाराष्ट्र | अहमदनगर | 1 | 13.21 | 480 | 8.12 |
| 3. | महाराष्ट्र | भांदरा (फेज-II) | 1 | 38.75 | 1544 | 26.44 |
| 4. | महाराष्ट्र | बुलढाणा (फेज-II) | 1 | 37.11 | 1395 | 19.90 |
| 5. | महाराष्ट्र | बालापुर | 1 | 40.38 | 1652 | 24.12 |
| 6. | महाराष्ट्र | चालिसगांव | 1 | 39.95 | 1392 | 23.60 |
| 7. | महाराष्ट्र | चोपडा (फेज-II) | 1 | 21.07 | 630 | 12.23 |
| 8. | महाराष्ट्र | डीओएनडीएआईसीएचए-वर्वदे (फेज-III) | 1 | 27.00 | 1100 | 16.88 |
| 9. | महाराष्ट्र | दिगरास | 1 | 22.06 | 952 | 13.87 |
| 10. | महाराष्ट्र | जलगांव सिटी | 1 | 11.97 | 472 | 7.27 |
| 11. | महाराष्ट्र | कागल | 1 | 24.10 | 1002 | 16.64 |
| 12. | महाराष्ट्र | मोवद | 1 | 8.09 | 378 | 5.02 |
| 13. | महाराष्ट्र | नंदुरबार | 1 | 27.02 | 1176 | 15.22 |
| 14. | महाराष्ट्र | नारखेड़ (फेज-II) | 1 | 38.66 | 1603 | 25.67 |
| 15. | महाराष्ट्र | नारखेड़ (फेज-III) | 1 | 26.65 | 1189 | 17.50 |
| 16. | महाराष्ट्र | पतुर | 1 | 14.62 | 572 | 8.81 |
| 17. | महाराष्ट्र | रहत | 1 | 15.98 | 672 | 9.11 |
| 18. | महाराष्ट्र | सतारा | 1 | 36.78 | 1473 | 22.19 |
| 19. | महाराष्ट्र | शिर्दि | 1 | 7.74 | 376 | 4.84 |
| 20. | महाराष्ट्र | शहद | 1 | 33.91 | 1020 | 18.58 |
| 21. | महाराष्ट्र | तुलजापुर | 1 | 25.06 | 920 | 13.21 |
| 22. | महाराष्ट्र | तिरोरा (फेज-III) | 1 | 17.95 | 900 | 11.88 |
| 23. | महाराष्ट्र | तिरोरा (फेज-IV) | 1 | 21.91 | 948 | 14.80 |
| 24. | महाराष्ट्र | उम्रि | 1 | 16.09 | 656 | 9.34 |
| | कुल | 2 | 24 | 523.31 | 23452 | 356.87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राजस्थान | कोटा (फेज-III) | 1 | 33.91 | 752 | 13.34 |
| | कुल | 1 | 1 | 33.91 | 752 | 13.34 |
| 1. | उत्तर प्रदेश | बिलरिय गंज | 1 | 4.68 | 125 | 2.53 |
| 2. | उत्तर प्रदेश | बुग्रसि (फेज-II) | 1 | 9.26 | 239 | 4.99 |
| 3. | उत्तर प्रदेश | दुद्धि | 1 | 15.48 | 451 | 8.05 |
| 4. | उत्तर प्रदेश | हस्तिनपुर (फेज-II) | 1 | 13.18 | 306 | 7.66 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | खुर्जा | 1 | 6.89 | 119 | 4.32 |
| 6. | उत्तर प्रदेश | मुजफ्फरनगर (03 स्लम) | 1 | 10.44 | 255 | 6.15 |
| | कुल | 6 | 6 | 59.92 | 1495 | 33.70 |
| 1. | गोवा | चुंचोलिम | 1 | 4.10 | 70 | 1.40 |
| | कुल | 1 | 1 | 4.10 | 70 | 1.40 |
| 1. | गुजरात | बीइआरएवीएएल-पाटन | 1 | 24.01 | 960 | 13.28 |
| 2. | गुजरात | संक्षमपुर | 1 | 5.38 | 272 | 3.05 |
| 3. | गुजरात | मोर्बि | 1 | 27.52 | 1008 | 15.53 |
| 4. | गुजरात | इदर | 1 | 24.72 | 1056 | 13.99 |
| 5. | गुजरात | पाडरा | 1 | 4.14 | 168 | 2.25 |
| 6. | गुजरात | कोदिनगर | 1 | 13.76 | 512 | 7.92 |
| 7. | गुजरात | देहगम | 1 | 7.45 | 256 | 4.45 |
| 8. | गुजरात | आनंद | 1 | 11.64 | 464 | 6.61 |
| 9. | गुजरात | कर्जन | 1 | 12.28 | 512 | 6.52 |
| 10. | गुजरात | कुतिअन | 1 | 11.90 | 608 | 6.73 |
| 11. | गुजरात | चोटिला | 1 | 5.61 | 240 | 3.17 |
| 12. | गुजरात | चोर्वद | 1 | 28.17 | 1088 | 15.78 |
| | कुल | 12 | 12 | 176.58 | 7144 | 98.83 |
| | सब कुल | 46 | 48 | 874.50 | 33580 | 515.11 |

## *विवरण III*

*Status of Dwelling Units completed and under progress in % under IHSDP*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | कस्बों/यूएलबी की संख्या | अनुमोदित परियोजना की कुल संख्या | अनुमोदित परियोजना की कुल लागत | अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (नए+उन्नयन) | कुल केन्द्रीय अंश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 44536 | 16181 | 23062 | 51.78% | 36.33% |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 176 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 4. | असम | 8668 | 468 | 1128 | 13.01 | 5.40% |
| 5. | बिहार | 18942 | 3348 | 2209 | 11.66% | 17.68% |
| 6. | चंडीगढ | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 17922 | 8316 | 2436 | 13.59% | 46.40% |
| 8. | दादरा और नगर हवेली | 144 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 9. | दमन और दीव | 16 | 2 | 14 | 87.50% | 12.50% |
| 10. | दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11. | गोवा | 70 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 12. | गुजरात | 35568 | 3204 | 3706 | 10.42% | 9.01% |
| 13. | हरियाणा | 16608 | 2230 | 6559 | 39.49% | 13.43% |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 1954 | 776 | 0 | 0.00% | 39.71% |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | 7623 | 3723 | 523 | 6.86% | 48.84% |
| 16. | झारखंड | 11544 | 3255 | 0 | 0.00% | 28.20% |
| 17. | कर्नाटक | 17237 | 3061 | 13564 | 78.69% | 17.76% |
| 18. | केरल | 26295 | 4212 | 13199 | 50.20% | 16.02% |
| 19. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 20. | मध्य प्रदेश | 22510 | 8182 | 1543 | 6.85% | 36.35% |
| 21. | महाराष्ट्र | 101280 | 21328 | 14180 | 14.00% | 21.06% |
| 22. | मणिपुर | 2829 | 1809 | 832 | 29.41% | 63.94% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | मेघालय | 912 | 456 | 48 | 5.26% | 50.00% |
| 24. | मिजोरम | 1950 | 347 | 820 | 42.05% | 17.79% |
| 25. | नागालैंड | 2761 | 240 | 480 | 17.39% | 8.69% |
| 26. | ओडिशा | 13365 | 5217 | 2903 | 21.72% | 39.03% |
| 27. | पुडुचेरी | 432 | 72 | 0 | 0.00% | 16.67% |
| 28. | पंजाब | 9984 | 4396 | 0 | 0.00% | 44.03% |
| 29. | राजस्थान | 39770 | 12216 | 5360 | 13.48% | 30.72% |
| 30. | सिक्किम | 39 | 39 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 31. | तमिलनाडु | 32889 | 9169 | 23720 | 72.12% | 27.88% |
| 32. | त्रिपुरा | 3115 | 793 | 1471 | 47.22% | 25.46% |
| 33. | उत्तर प्रदेश | 47399 | 18634 | 12358 | 26.07% | 39.31% |
| 34. | उत्तराखंड | 5032 | 2101 | 1008 | 20.03% | 41.675% |
| 35. | पश्चिम बंगाल | 52666 | 6971 | 35067 | 66.58% | 13.25% |
| | कुल | 544276 | 140746 | 166190 | 30.53% | 25.86% |

**मेगा फूड पार्क**

151. **योगी आदित्यनाथः**
**श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः**
**कुमारी सरोज पाण्डेयः**
**श्री एस. सेम्मलईः**
**कुमारी मीनाक्षी नटराजनः**
**श्री के.पी. धनपालनः**
**श्री हरिश्चंद्र चव्हाणः**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में स्थापित मेगा फूड पार्कों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश के प्रत्येक जिले में मेगा फूड पार्क की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पार्क-वार और इस बारे में राज्य-वार क्या प्रगति हुई है;

(घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु सहित देश में सरकार द्वारा राज्य-वार कितने मेगा फूड पार्कों की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ङ) ऐसे पार्कों के माध्यम से सरकार द्वारा परंपरागत और स्थानीय लोकप्रिय खाद्य पदार्थों सहित खाद्य सामग्रियों के बेहतर विपणन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे देश में अब तक अनुमोदित मेगा खाद्य पार्कों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर की दृष्टि से विचार करते हुए लागू नहीं होता।

(घ) सरकार ने अब तक 12वीं पंचवर्षीय योजना अनुमोदित नहीं की है। तथापि, धर्मपुरी, तमिलानडु में एक मेगा खाद्य पार्क

की स्थापना के लिए सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदन दिया जा चुका है।

(ङ) सरकार द्वारा मेगा खाद्य पार्क स्कीम का अनुमोदन 11वीं योजना के दौरान किया गया था जिसका उद्देश्य बाजार प्रेरित आधार पर फार्मगेट से खुदरा आउटलेट तक प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित पर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं का विकास करना है। परियोजना का कार्यान्वयन विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) द्वारा किया जाता है जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक कॉरपोरेट निकाय है। एसपीवी से बाजार की मांग और कच्ची सामग्री की उपलब्धता के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए सामान्य सुविधाएं विकसित करने की अपेक्षा की जाती है।

## *विवरण*

*15 चालू मेगा खाद्य पार्कों के परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति*

| क्र.सं. | नाम | परियोजना लागत (करोड़ रुपए) | सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख | अंतिम अनुमोदन की तारीख | अनुमोदित अनुदान की राशि (करोड़ रुपए) | जारी किए गए अनुदान की राशि (करोड़ रुपए) | वास्तविक व्यय (करोड़ रुपए) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | पातंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लिमिटेड, उत्तराखंड | 95.08 | 16.12.2008 | 27.03.2009 | 50.00 | 30.00 | 65.55 |
| 2. | स्रीनी फूड पार्क प्रा.लि., आंध्र प्रदेश | 126.54 | 16.12.2008 | 27.03.2009 | 50.00 | 45.00 | 73.51 |
| 3. | नॉर्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क लिमिटेड असम | 75.98 | 16.12.2008 | 27.03.2009 | 50.00 | 15.00 | 15.86 |
| 4. | झारखंड मेगा फूड पार्क प्रा. लिमिटेड, झारखंड | 113.95 | 16.12.2008 | 27.03.2009 | 50.00 | 5.00 | 7.24 |
| 5. | तमिलनाडु मेगा फूड पार्क लिमिटेड, तमिलनाडु | 133.45 | 16.12.2008 | 16.03.2010 | 50.00 | 5.00 | 6.14 |
| 6. | जांगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क प्रा. लिमिटेड, पश्चिम बंगाल | 111.04 | 16.12.2008 | 16.03.2010 | 50.00 | 15.00 | 10.25 |
| 7. | मैसर्स इंटेग्रेटिड फूड पार्क प्रा. लिमिटेड, कोलार, कर्नाटक | 144.33 | 03.08.2010 | 27.03.2011 | 50.00 | 5.00 | 17.50 |
| 8. | मैसर्स इंटरेनशनल फ्रेश फाम प्रोडक्टस (इंडिया) लि. फिरोजपुर, पंजाब | 153.40 | 03.08.2010 | 25.05.2011 | 50.00 | 5.00 | 4.75 |
| 9. | मैसर्स केवेंटर फूड पार्क इन्फ्रा. लि. भागलपुर, बिहार | 153.30 | 29.04.2011 | 30.11.2011 | 50.00 | 5.00 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | मैसर्स सिकारिया इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा.लि., अगरतला, त्रिपुरा | 85.25 | 29.04.2011 | 30.11.2011 | 50.00 | 5.00 | – |
| 11. | मैसर्स अनिल मेगा फूड पार्क प्रा.लि., वडोदरा, गुजरात | 179.37 | 29.04.2011 | 13.01.2012 | 50.00 | 5.00 | – |
| 12. | मैसर्स पैथान मेगा फूड पार्क लि. औरंगाबाद, महाराष्ट्र | 120.76 | 05.04.2011 | 5.4.2011 को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया। डीपीआर प्रस्तुत कर दी गई है। एसपीवी को भूमि दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 15.3.2012 तक का समय दिया गया है। | | | |
| 13. | मैसर्स मध्य प्रदेश मेगा फूड पार्क लि. | 161.75 | 10.10.2011 | 10.10.2011 को सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया गया है। डीपीआर की प्रतीक्षा है। | | | |
| 14. | मैसर्स एमआईटीएस मेगा फूड पार्क लि., रायगढ़, ओडिशा | 116.77 | 29.04.2011 | एसपीवी ने डीपीआर प्रस्तुत कर दी है जिसका पीएमए द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। | | | |
| 15. | मैसर्स आदित्य बिरला नूवो लि., सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश | 168.65 | 24.09.2010 | डीपीआर प्रस्तुत कर दी गई है और उसका मूल्यांकन किया गया है। एसपीवी को कुछ टिप्पणियों का अनुपालन करने हेतु 30.4.2012 तक का समय दिया गया है। | | | |

*[हिन्दी]*

## खाद्यान्नों का निर्यात

**152. श्री जगदीश ठाकोर:**
**श्री अनंत कुमार हेगड़े:**
**श्री अर्जुन राय:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से खाद्यान्नों का निर्यात किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अनाज-वार कुल खाद्यान्नों का भण्डार, निर्यात के लिए आवंटित, जारी और उठान को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए और उठाए गए खाद्यान्नों की मात्रा कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने जनवरी, 2012 से कई खाद्य उत्पादों के निर्यात की अनुमति दी है; और

(ङ) यदि हां, तो आगामी वर्ष के दौरान निर्यात के लिए प्रस्तावित उक्त उत्पादों के नाम और मात्रा को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रिपोर्टों पर कार्रवाई करने के लिए प्रस्तावित संगठन का नाम क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) देश से गेहूं और गैर बासमती चावल के निर्यात को क्रमश: 9.2.2007 और 1.4.2008 से बन्द कर दिया गया था। तथापि, विदेश मंत्रालय की संस्तुति पर समय-समय पर राजनयिक आधार/मानवीय सहायता के तौर पर मित्र देशों को निर्यात करने के लिए गेहूं और गैर बासमती चावल की कुछ मात्रा आबंटित की गई थी। इसके अलावा हाल में कई राज्य सरकारों से अनुरोध तथा किसानों/चावल मिल मालिकों की विभिन्न एसोसिएशनों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर सरकार ने रिकार्ड उत्पादन, खरीद और केन्द्रीय पूल/देश में चावल और गेहूं के स्टाक की अच्छी स्थिति पर विचार करते हुए खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन प्राइवेट खाते पर गैर बासमती चावल और गेहूं के निर्यात की अनुमति दी है। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने जनवरी, 2012 से किसी नये खाद्य उत्पाद के निर्यात की अनुमति नहीं दी है तथापि, सरकार ने 7.2.2012 को खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन वर्तमान चीनी वर्ष

के दौरान 10 लाख टन अतिरिक्त चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। इस प्रकार वर्तमान वर्ष के दौरान चीनी मिलों द्वारा 20 लाख टन चीनी निर्यात की जानी है। सरकार ने (क) भारतीय चीनी निर्यात-आयात निगम द्वारा यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को क्रमश: 10,000 टन और 8424 टन चीनी निर्यात करने, (ख) 1.16 लाख टन चीनी की मात्रात्मक सीमा के अध्यधीन निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल के अधीन प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए चीनी का निर्यात करने, और (ग) चेन्नै और कांडला पत्तनों पर पड़े हुए 37,856.56 टन आयातित रॉ चीनी के स्टाक को पुन: निर्यात करने की अनुमति दी है।

## *विवरण I*

*वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान निर्यात के लिए आवंटित, जारी और उठाए गए खाद्यान्नों की मात्रा, स्टाक का ब्यौरा*

**गैर-बासमती**

| वर्ष | वास्तविक स्टाक (लाख टन में) | आवंटित मात्रा (टन में) | जारी तथा निर्यात की गई मात्रा (टन में) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 138.35 (1.4.2008 को) | 7,47,494 (कूटनीतिक आधार पर/मानवीय सहायता | 9,31,885 | इसमें गैर-बासमती चावल की मात्रा शामिल है 1.4.2008 को प्रतिबंध से पहले प्रतिबद्ध किया गया था। |
| 2009-10 | 216.04 (1.4.2009 को) | 10,71,350 (कूटनीतिक आधार पर/मानवीय सहायता | 1,39,5344 | |
| 2010-11 | 267.13 (1.4.2010 को) | 3,33,201 (कूटनीतिक आधार पर/मानवीय सहायता (+) 1,50,000* | 96,084 | *वर्ष 2010-11 के दौरान, सरकार ने निजी खाते पर गैर-बासमती चावल की प्रीमियम किस्म के 1.5 लाख टन के निर्यात की अनुमति दी है। |
| 2011-12 | 288.20 (1.4.2011 को) | 49,171 (कूटनीतिक आधार पर/मानवीय सहायता | 34,99,647# (1.3.2012 को) | #निजी रूप में रखे गए स्टाक में से खुला सामान्य लाइसेंस के तहत निजी पार्टियों द्वारा |
| **गेहूं** | | | | |
| 2008-09 | 58.03 (1.4.2008 को) | 10,000 (कूटनीतिक आधार पर/मानवीय सहायता | 1119 | |
| 2009-10 | 134.29 (1.4.2009 को) | 50,000 (कूटनीतिक आधार पर/मानवीय सहायता | 30 | |
| 2010-11 | 161.25 (1.4.2010 को) | 2,00,000 (कूटनीतिक आधार पर/मानवीय सहायता | 448 | |
| 2011-12 | 153.64 (1.4.2011 को) | 20,00,000 | 5,67,085.661 टन | निजी रूप में रखे गए स्टाक में से खुला सामान्य लाइसेंस के तहत निजी पार्टियों द्वारा निर्यात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय की दिनांक 9.9.2011 की अधिसूचना संख्या 72 के तहत अनुमति दी गई। |

## *विवरण II*

*2008-09 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का आवंटन और उठान*

(लाख टन में)

| श्रेणी | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | उठान | आवंटन | उठान | आवंटन | उठान | आवंटन | उठान |
| सामान्य | 241.30 | 220.68 | 248.19 | 234.12 | 260.98 | 248.41 | 261.27 | 203.14 |
| विशेष तदर्थ अतिरिक्त | – | – | 10.62@ | 5.02 | 59.26# | 38.88 | 34.22$ | 23.10 |
| अन्य कल्याण योजनाएं | 29.55 | 21.72 | 30.24 | 24.68 | 34.5 | 25.96 | 32.44 | 19.14 |
| निर्धनों के लिए आवंटन | – | – | – | – | – | – | 14.74** | 2.22 |

*उठान जनवरी, 2012 तक का है।

@2009-10 के दौरान अतिरिक्त आवंटन चावल के लिए 15373.10/टन और गेहूं के लिए 10800/टन के न्यूनतम समर्थन मूल्य/न्यूनतम समर्थन मूल्य से निकाले गए मूल्य पर किया गया था।

#2010-11 के दौरान अतिरिक्त आवंटन में 8.45 रुपए प्रति किलोग्राम और 11.85 रुपए प्रति किलोग्राम पर क्रमश: गेहूं और चावल की 55.66 लाख टन मात्रा तथा गरीबी रेखा से नीचे के निर्गम मूल्य पर 50 लाख टन मात्रा शामिल है।

$2011-12 के दौरान अतिरिक्त आवंटन गरीबी रेखा से नीचे के निर्गम मूल्य पर किया गया था।

**गरीबों के लिए आवंटन माननीय उच्चतम के निर्देशों और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डी.पी. वाधवा के नेतृत्व में केन्द्रीय सतर्कता समिति की सिफारिशों के अनुसरण के अनुसरण में गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के निर्गम मूल्य पर किया गया था।

*2008-09 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं का आवंटन और उठान*

(लाख टन में)

| श्रेणी | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | उठान | आवंटन | उठान | आवंटन | उठान | आवंटन | उठान |
| सामान्य | 146.46 | 125.33 | 227.84 | 95.26 | 214.49 | 188.8 | 227.49 | 156.93 |
| विशेष तदर्थ अतिरिक्त | – | – | 25.45@ | 4.20 | 46.41# | 24.88 | 15.80$ | 11.24 |
| अन्य कल्याण योजनाएं | 11.86 | 9.19 | 11.87 | 10.66 | 15.60 | 13.27 | 16.62 | 11.24 |
| निर्धनों के लिए आवंटन | – | – | – | – | – | – | 8.95** | 2.24 |

*उठान जनवरी, 2012 तक का है।

@2009-10 के दौरान अतिरिक्त आवंटन चावल के लिए 15373.10/टन और गेहूं के लिए 10800/टन के न्यूनतम समर्थन मूल्य/न्यूनतम समर्थन मूल्य से निकाले गए मूल्य पर किया गया था।

#2010-11 के दौरान अतिरिक्त आवंटन में 8.45 रुपए प्रति किलोग्राम और 11.85 रुपए प्रति किलोग्राम पर क्रमश: गेहूं और चावल की 55.66 लाख टन मात्रा तथा गरीबी रेखा से नीचे के निर्गम मूल्य पर 50 लाख टन मात्रा शामिल है।

$2011-12 के दौरान अतिरिक्त आवंटन गरीबी रेखा से नीचे के निर्गम मूल्य पर किया गया था।

**गरीबों के लिए आवंटन माननीय उच्चतम के निर्देशों और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डी.पी. वाधवा के नेतृत्व में केन्द्रीय सतर्कता समिति की सिफारिशों के अनुसरण के अनुसरण में गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के निर्गम मूल्य पर किया गया था।

## न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए मापदंड

153. **श्री अंजनकुमार एम. यादवः**
**श्री सुदर्शन भगतः**
**श्री महेश जोशीः**
**श्री मारोतराव सैनुजी कोवासेः**
**डॉ. क्रुपारानी किल्लीः**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार द्वारा कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के निर्धारण के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झारखंड, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों के किसानों को धान और तिलहन आदि के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किसानों को कोई प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों, संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों पर विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) का निर्धारण करती है। मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने अनेक महत्वपूर्ण कारकों पर विचार किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं- उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, बाजार मूल्यों में प्रवृत्तियां, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन लागत पर प्रभाव आदि।

(ख) और (ग) सरकार, केन्द्रीय, राज्य तथा राज्य में सहकारी एजेंसियों द्वारा किए गए प्रापण संचालनों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करती है।

राज्य सरकारों को समय-समय पर सतर्क किया गया है कि वे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें।

(घ) सरकार ने 2011-12 में मुख्य कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में बढ़ोत्तरी की है जोकि धान (सामान्य एवं ग्रेड-'ए') के लिए 80 रुपए प्रति क्विंटल तथा चने एवं कुसुम्भ में प्रत्येक के लिए 700 रुपए प्रति क्विंटल तक है।

## किसानों को राज सहायता

154. **श्री पी.सी. मोहनः**
**श्री नारायण सिंह अमलाबेः**
**श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देलाः**
**श्री जफर अली नकवीः**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किसानों को उनकी जोत के आकार के आधार पर राज सहायता देने के लिए मानदंडों का कोई मूल्यांकन/समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में योजना-वार केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कृषि के विकास के लिए दी गई राज सहायता का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग राज्य सरकारों को विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता अनुदान के रूप में निधियां निर्मुक्त करता है। राज्य सरकारें योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को राजसहायता के रूप में निधियां वितरित करती हैं। पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत विभाग को उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से XI में दिया गया है।

## *विवरण I*

*2008-09 से 2011-12 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत का राज्यवार एवं वर्षवार निर्मुक्त की गई धनराशि*

(रुपये करोड़ में) 29.2.2012 तक

| क्र.सं. | वर्ष<br>राज्य | 2008-09<br>निर्मुक्ति | 2009-10<br>निर्मुक्ति | 2010-11<br>निर्मुक्ति | 2011-12<br>निर्मुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 84.15 | 123.81 | 119.42 | 88.87 |
| 2. | असम | 27.06 | 36.16 | 66.58 | 36.58 |
| 3. | बिहार | 81.05 | 44.14 | 51.56 | 74.87 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 71.65 | 21.16 | 19.54 | 55.25 |
| 5. | गुजरात | 8.33 | 15.08 | 23.89 | 23.96 |
| 6. | हरियाणा | 11.05 | 28.65 | 35.75 | 27.07 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 0.00 | 0.00 | 0 | 2.69 |
| 8. | झारखंड | 9.80 | 4.93 | 16.49 | 12.20 |
| 9. | कर्नाटक | 30.15 | 47.65 | 72.52 | 73.26 |
| 10. | केरल | 1.89 | 2.78 | 2.1 | 2.28 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 64.38 | 59.33 | 160.72 | 146.82 |
| 12. | महाराष्ट्र | 72.17 | 107.40 | 147.12 | 135.85 |
| 13. | ओडिशा | 62.24 | 63.41 | 58.53 | 64.76 |
| 14. | पंजाब | 35.69 | 61.22 | 37.57 | 35.18 |
| 15. | राजस्थान | 18.83 | 39.15 | 76.05 | 79.28 |
| 16. | तमिलनाडु | 33.51 | 30.58 | 30.08 | 34.54 |
| 17. | त्रिपुरा | | | | 3.63 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 155.20 | 226.28 | 177.57 | 244.96 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 63.36 | 71.65 | 33.94 | 35.67 |
| | कुल | 830.51 | 983.38 | 1129.43 | 1177.72 |

### *विवरण II*

*2008-09 से 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्यवार एवं वर्षवार निर्मुक्त की गई धनराशि*

(करोड़ रु. में) 29.2.2012 तक

| क्र.सं. | राज्य | 2008-09 निर्मुक्ति | 2009-10 निर्मुक्ति | 2010-11 निर्मुक्ति | 2011-12 निर्मुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 129.68 | 95.67 | 105.18 | 92.70 |
| 2. | बिहार | 31.22 | 24.35 | 0.00 | 10.00 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 30.00 | 60.00 | 96.57 | 85.00 |
| 4. | गोवा | 1.00 | 1.50 | 2.12 | 2.00 |
| 5. | गुजरात | 35.22 | 25.21 | 54.97 | 76.25 |
| 6. | हरियाणा | 33.00 | 56.00 | 51.50 | 76.23 |
| 7. | झारखंड | 50.00 | 30.84 | 16.00 | 25.00 |
| 8. | कर्नाटक | 125.37 | 80.02 | 93.25 | 95.21 |
| 9. | केरल | 75.17 | 0.00 | 44.00 | 49.00 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 60.00 | 35.45 | 51.00 | 45.00 |
| 11. | महाराष्ट्र | 130.22 | 91.73 | 126.14 | 93.75 |
| 12. | ओडिशा | 23.41 | 35.00 | 32.59 | 46.73 |
| 13. | पंजाब | 14.12 | 25.78 | 35.00 | 46.74 |
| 14. | राजस्थान | 40.98 | 25.00 | 40.00 | 35.00 |
| 15. | तमिलनाडु | 96.88 | 61.80 | 77.50 | 62.00 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 63.73 | 91.43 | 54.00 | 51.00 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 6.07 | 0.00 | 28.80 | 18.00 |
| | कुल | 946.17 | 739.78 | 908.62 | 909.61 |

### *विवरण III*

*2008-09 से 2011-12 के दौरान वृहत प्रबंधन के तहत राज्यवार एवं वर्षवार निर्मुक्त की गई धनराशि*

(करोड़ रु. में) 29.2.2012 तक

| राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र | 2008-09 निर्मुक्ति | 2009-10 निर्मुक्ति | 2010-11 निर्मुक्ति | 2011-12 निर्मुक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आंध्र प्रदेश | 34.29 | 62.53 | 36.76 | 53.36 |
| अरुणाचल प्रदेश | 20.50 | 22.50 | 32.21 | 20.22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| असम | 8.12 | 8.12 | 11.68 | 0.00 |
| बिहार | 45.93 | 38.15 | 33.05 | 32.63 |
| छत्तीसगढ़ | 21.70 | 21.70 | 20.82 | 17.61 |
| गोवा | 1.40 | 1.00 | 0.46 | 0.38 |
| गुजरात | 50.45 | 38.30 | 39.19 | 41.88 |
| हरियाणा | 23.00 | 26.90 | 13.34 | 13.60 |
| हिमाचल प्रदेश | 25.85 | 20.00 | 22.91 | 17.05 |
| जम्मू और कश्मीर | 30.26 | 30.90 | 15.83 | 25.02 |
| झारखंड | 5.32 | 8.76 | 8.88 | 8.98 |
| कर्नाटक | 48.85 | 50.25 | 47.90 | 40.52 |
| केरल | 9.07 | 12.75 | 11.84 | 10.01 |
| मध्य प्रदेश | 58.35 | 61.71 | 69.15 | 55.16 |
| महाराष्ट्र | 103.13 | 92.75 | 109.10 | 75.38 |
| मणिपुर | 20.50 | 23.50 | 47.21 | 20.72 |
| मिजोरम | 27.16 | 18.02 | 40.09 | 16.17 |
| मेघालय | 14.25 | 14.25 | 21.09 | 19.50 |
| नागालैंड | 23.25 | 24.75 | 36.71 | 22.00 |
| ओडिशा | 43.60 | 23.54 | 38.74 | 27.07 |
| पंजाब | 17.50 | 18.75 | 8.14 | 6.88 |
| राजस्थान | 37.75 | 47.91 | 55.85 | 47.25 |
| सिक्किम | 18.50 | 17.46 | 28.36 | 15.77 |
| तमिलनाडु | 42.70 | 29.35 | 46.08 | 37.77 |
| त्रिपुरा | 18.50 | 10.80 | 36.29 | 15.60 |
| उत्तर प्रदेश | 108.93 | 120.60 | 101.29 | 92.03 |
| उत्तराखंड | 23.00 | 22.36 | 23.23 | 19.65 |
| पश्चिम बंगाल | 38.11 | 50.78 | 38.45 | 18.14 |
| कुल | 919.97 | 918.39 | 994.65 | 770.35 |

**विवरण IV**

*2008-09 से 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत राज्यवार एवं वर्षवार निर्मुक्त की गई धनराशि*

| राज्य | 2008-09 निर्मुक्ति | 2009-10 निर्मुक्ति | 2010-11 निर्मुक्ति | 2011-12 निर्मुक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आंध्र प्रदेश | 97.27 | 143.11 | 240.00 | 252.24 |
| बिहार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ | 9.54 | 12.52 | 10.19 | 20.00 |
| दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| गोवा | 0.02 | 0.11 | 0.24 | 0.25 |
| गुजरात | 48.99 | 44.47 | 120.00 | 130.64 |
| हरियाणा | 12.07 | 2.12 | 13.61 | 16.93 |
| झारखंड | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 9.91 |
| कर्नाटक | 73.19 | 63.81 | 92.54 | 84.64 |
| केरल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| मध्य प्रदेश | 46.50 | 34.75 | 79.61 | 88.69 |
| महाराष्ट्र | 147.48 | 107.07 | 222.37 | 206.40 |
| ओडिशा | 3.38 | 5.28 | 8.10 | 8.23 |
| पंजाब | 5.05 | 8.59 | 12.61 | 16.00 |
| राजस्थान | 23.82 | 56.93 | 120.00 | 130.95 |
| तमिलनाडु | 0.00 | 0.00 | 65.91 | 56.25 |
| उत्तर प्रदेश | 1.50 | 0.00 | 8.12 | 0.00 |
| पश्चिम बंगाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **टीएमएनई राज्य** | | | | |
| अरुणाचल प्रदेश | | | 0.75 | |
| असम | | | | |
| मणिपुर | | | | 0.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| मेघालय | | | 0.50 | |
| मिजोरम | | | 0.50 | |
| नागालैंड | | | | |
| सिक्किम | | | | 0.40 |
| त्रिपुरा | | | | |
| **हिमालयी राज्य** | | | | |
| जम्मू और कश्मीर | | | | 2.00 |
| उत्तराखंड | | | | 0.75 |
| कुल | 468.81 | 478.76 | 997.05 | 1025.78 |

***विवरण V***

*2008-09 से 2011-12 तक पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन के तहत निर्मुक्तियों को दर्शाने वाला विवरण*

(करोड़ रु. में) 29.2.2012 तक

| | | 2008-09 निर्मुक्ति | 2009-10 निर्मुक्ति | 2010-11 निर्मुक्ति | 2011-12 निर्मुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| **ख.** | **मिनी मिशन-2** | | | | |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 17.65 | 14.92 | 26.85 | 40.00 |
| 2. | असम | 36.75 | 37.43 | 29.95 | 25.00 |
| 3. | मणिपुर | 25.00 | 30.29 | 39.51 | 46.50 |
| 4. | मेघालय | 28.62 | 19.32 | 26.73 | 34.44 |
| 5. | मिजोरम | 30.50 | 35.00 | 38.90 | 38.35 |
| 6. | नागालैंड | 24.50 | 39.50 | 44.00 | 39.69 |
| 7. | सिक्किम | 26.75 | 34.28 | 24.55 | 39.45 |
| 8. | त्रिपुरा | 17.00 | 30.00 | 26.20 | 39.50 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 18.15 | 17.00 | 30.00 | 33.57 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 21.00 | 15.89 | 15.00 | 30.00 |
| 11. | उत्तराखंड | 20.00 | 17.00 | 29.00 | 30.00 |
| | सकल योग | 265.92 | 290.63 | 330.71 | 396.50 |

## *विवरण VI*

*2008-09 से 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत राज्यवार एवं वर्षवार निर्मुक्त की गई धनराशि*

(करोड़ रु. में) 31.7.2011 तक

| क्र.सं. | राज्य | 2008-09 निर्मुक्ति | 2009-10 निर्मुक्ति | 2010-11 निर्मुक्ति | 2011-12 निर्मुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1.18 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2. | बिहार | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 5.49 | 4.27 | 5.67 | 2.60 |
| 4. | गोवा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | गुजरात | 4.50 | 3.70 | 1.60 | 1.00 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 1.88 | 0.00 | 1.64 | 1.00 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 1.10 | 0.20 | 0.00 | 0.37 |
| 8. | झारखंड | 2.77 | 1.09 | 3.52 | 2.25 |
| 9. | कर्नाटक | 3.24 | 3.23 | 4.22 | 3.75 |
| 10. | केरल | 0.49 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | महाराष्ट्र | 4.84 | 1.91 | 3.00 | 0.00 |
| 13. | ओडिशा | 1.41 | 1.85 | 3.06 | 5.00 |
| 14. | पंजाब | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | राजस्थान | 2.70 | 2.00 | 1.88 | 1.50 |
| 16. | तमिलनाडु | 1.50 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 1.89 | 0.63 | 1.18 | 3.25 |
| 18. | उत्तराखंड | 2.85 | 0.79 | 2.20 | 1.20 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | उप-जोड़ | 37.91 | 19.97 | 29.85 | 21.92 |
| **ग.** | **पूर्वोत्तर राज्य** | | | | |
| 23. | अरुणाचल प्रदेश | 1.96 | 0.50 | 2.00 | 3.00 |
| 24. | असम | 7.55 | 3.38 | 6.94 | 1.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | मणिपुर | 4.98 | 1.30 | 13.07 | 15.81 |
| 26. | मेघालय | 3.55 | 3.39 | 0.95 | 0.00 |
| 27. | मिजोरम | 8.25 | 9.00 | 17.38 | 17.12 |
| 28. | नागालैंड | 13.70 | 9.65 | 11.55 | 17.00 |
| 29. | सिक्किम | 2.14 | 1.55 | 3.33 | 2.21 |
| 30. | त्रिपुरा | 1.38 | 0.40 | 1.90 | 0.00 |
| | उप-जोड़ (पूर्वोत्तर) | 43.51 | 29.17 | 57.12 | 56.14 |
| | सकल योग | 81.43 | 49.14 | 86.97 | 78.06 |

### *विवरण VII*

*2008-09 से 2011-12 के दौरान आईसोपाम के तहत राज्यवार एवं वर्षवार निर्मुक्त की गई धनराशि*

(करोड़ रु. में) 29.2.2012 तक

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2008-09 निर्मुक्ति | 2009-10 निर्मुक्ति | 2010-11 निर्मुक्ति | 2011-12 निर्मुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 30.00 | 37.32 | 57.57 | 28.35 |
| 2. | असम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | बिहार | 8.00 | 8.60 | 7.99 | 4.18 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 8.84 | 12.62 | 11.67 | 8.76 |
| 5. | गुजरात | 16.00 | 23.63 | 17.86 | 22.34 |
| 6. | गोवा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | हरियाणा | 7.00 | 6.56 | 5.03 | 5.23 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 0.10 | 0.59 | 0.89 | 0.83 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 0.00 | 0.83 | 1.32 | 2.06 |
| 10. | कर्नाटक | 27.00 | 17.38 | 57.49 | 22.04 |
| 11. | केरल | 0.60 | 0.35 | 0.00 | 0.23 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 35.00 | 43.29 | 56.19 | 61.29 |
| 13. | महाराष्ट्र | 29.00 | 34.28 | 54.98 | 60.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | मिजोरम | 3.90 | 5.54 | 8.77 | 3.61 |
| 15. | ओडिशा | 5.75 | 31.64 | 30.50 | 29.13 |
| 16. | पंजाब | 0.31 | 0.58 | 0.61 | 1.40 |
| 17. | राजस्थान | 31.40 | 30.02 | 50.71 | 50.51 |
| 18. | तमिलनाडु | 19.00 | 17.54 | 11.33 | 9.68 |
| 19. | त्रिपुरा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 14.50 | 18.22 | 12.22 | 9.02 |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 4.00 | 7.55 | 6.14 | 1.00 |
| | कुल | 240.40 | 296.54 | 391.27 | 319.66 |

***विवरण VIII***

*2008-09 से 2011-12 के दौरान कपास प्रौद्योगिकी मिशन के तहत निर्मुक्तियों का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा*

(करोड़ रु. में) 29.2.2012 तक

| क्र.सं. | राज्य | 2008-09 निर्मुक्ति | 2009-10 निर्मुक्ति | 2010-11 निर्मुक्ति | 2011-12 निर्मुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 8.82 | 7.77 | 0.68 | 0.53 |
| 2. | गुजरात | 12.90 | 8.55 | 1.05 | 1.04 |
| 3. | हरियाणा | 3.86 | 3.66 | 0.77 | 0.82 |
| 4. | कर्नाटक | 4.13 | 2.49 | 0.71 | 0.57 |
| 5. | मध्य प्रदेश | 1.43 | 7.30 | 1.85 | 0.96 |
| 6. | महाराष्ट्र | 9.59 | 12.00 | 7.81 | 2.13 |
| 7. | ओडिशा | 1.41 | 1.30 | 1.01 | 0.85 |
| 8. | पंजाब | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | राजस्थान | 1.04 | 1.32 | 0.57 | 0.44 |
| 10. | तमिलनाडु | 4.00 | 3.24 | 0.70 | 0.50 |
| 11. | त्रिपुरा | 0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 0.59 | 0.36 | 0.13 | 0.27 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | 2.19 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| | कुल | 50.01 | 48.19 | 15.61 | 8.31 |

*विवरण IX*

*2008-09 से 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना (एनपीएमएसएचएफ) के तहत राज्यवार एवं वर्षवार निर्मुक्त की गई धनराशि*

(करोड़ रु. में) 29.2.2012 तक

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2008-09 के दौरान निर्मुक्त राशि | 2009-10 के दौरान निर्मुक्त राशि | 2010-11 के दौरान निर्मुक्त राशि | 2011-12 के दौरान निर्मुक्त राशि | कुल निर्मुक्त |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1.75 | 1.83 | 1.49 | 4.66 | 9.74 |
| 2. | कर्नाटक | 1.24 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 3.96 |
| 3. | केरल | 1.50 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 3.27 |
| 4. | राजस्थान | 4.15 | 2.68 | 4.09 | 0.00 | 10.91 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | 0.15 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.55 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
| 7. | पंजाब | 0.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 8. | पश्चिम बंगाल | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 9. | उत्तराखंड | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 10. | नागालैंड | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 11. | ओडिशा | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 4.35 |
| 12. | अरुणाचल प्रदेश | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1.50 |
| 13. | महाराष्ट्र | 0.65 | 2.80 | 0.60 | 0.00 | 4.05 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 0.35 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 1.79 |
| 15. | मिजोरम | 0.60 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 16. | गोवा | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 17. | झारखंड | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 2.56 |
| 18. | बिहार | 0.00 | 9.05 | 3.43 | 0.00 | 12.48 |
| 19. | मेघालय | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 20. | तमिलनाडु | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 21. | त्रिपुरा | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 1.36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | मणिपुर | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
| 23. | हरियाणा | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 24. | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 1.30 |
| 25. | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 26. | आईएसएस, आईसीएआर, भोपाल | 0.00 | 3.90 | 1.68 | 4.12 | 9.70 |
| 27. | गुजरात | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 1.86 |
| | कुल | 16.62 | 37.96 | 16.89 | 11.29 | 82.76 |

## *विवरण X*

*2008-09 से 2011-12 के दौरान विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन के तहत राज्यवार एवं वर्षवार निर्मुक्त की गई धनराशि*

| राज्य | 2008-09 निर्मुक्ति | 2009-10 निर्मुक्ति | 2010-11 निर्मुक्ति | 2011-12 निर्मुक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आंध्र प्रदेश | 10.25 | 9.89 | 10.73 | 15.00 |
| बिहार | 22.56 | 12.47 | 9.73 | 45.21 |
| छत्तीसगढ़ | 4.00 | 0.50 | 3.98 | 16.00 |
| गोवा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| गुजरात | 1.89 | 5.57 | 5.10 | 22.00 |
| हरियाणा | 4.77 | 7.38 | 1.20 | 9.71 |
| हिमाचल प्रदेश | 3.37 | 5.15 | 2.53 | 11.48 |
| जम्मू और कश्मीर | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 2.00 |
| झारखंड | 0.0 | 6.05 | 7.81 | 8.00 |
| कर्नाटक | 4.52 | 2.50 | 6.35 | 13.00 |
| केरल | 4.70 | 3.43 | 5.10 | 7.73 |
| महाराष्ट्र | 14.25 | 9.39 | 11.35 | 28.00 |
| मध्य प्रदेश | 21.98 | 15.34 | 9.90 | 14.33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| ओडिशा | 14.24 | 15.11 | 12.32 | 31.37 |
| पंजाब | 6.38 | 2.11 | 4.64 | 8.00 |
| राजस्थान | 5.75 | 11.87 | 5.18 | 20.36 |
| तमिलनाडु | 12.66 | 11.13 | 14.93 | 21.25 |
| उत्तर प्रदेश | 25.86 | 41.59 | 24.34 | 38.38 |
| उत्तराखंड | 1.80 | 6.64 | 2.00 | 3.00 |
| पश्चिम बंगाल | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| असम | 2.00 | 0.00 | 3.75 | 3.00 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0.39 | 1.98 | 3.37 | 5.93 |
| मणिपुर | 2.86 | 0.00 | 1.75 | 2.68 |
| मेघालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मिजोरम | 1.93 | 1.22 | 0.76 | 4.03 |
| नागालैंड | 2.70 | 3.79 | 2.10 | 5.97 |
| त्रिपुरा | 2.86 | 1.78 | 0.00 | 5.90 |
| सिक्किम | 1.68 | 0.75 | 0.00 | 2.49 |
| कुल | 191.55 | 175.64 | 153.37 | 344.82 |

## *विवरण XI*

*2008-09 से 2011-12 तक आरकेवीवाई के तहत राज्यवार एवं वर्षवार निर्मुक्त की गई धनराशि*

(करोड़ रु. में) 29.2.2012 तक

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2008-09 कुल निर्मुक्ति | 2009-10 कुल निर्मुक्ति | 2010-11 कुल निर्मुक्ति | 2011-12 कुल निर्मुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 297.17 | 410.00 | 432.29 | 734.13 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 15.98 | 28.95 | 8.26 |
| 3. | असम | 144.12 | 79.86 | 216.87 | 227.77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 148.54 | 110.79 | 415.10 | 506.82 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 117.45 | 136.14 | 503.44 | 141.05 |
| 6. | गोवा | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 24.78 |
| 7. | गुजरात | 243.39 | 386.19 | 388.63 | 515.48 |
| 8. | हरियाणा | 39.50 | 112.77 | 226.80 | 169.87 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 15.11 | 33.03 | 94.85 | 99.93 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 1.20 | 42.85 | 96.42 | 36.52 |
| 11. | झारखंड | 29.31 | 70.13 | 96.90 | 168.56 |
| 12. | कर्नाटक | 314.14 | 410.00 | 284.03 | 595.90 |
| 13. | केरल | 30.06 | 110.92 | 149.65 | 86.97 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 146.05 | 274.44 | 559.18 | 264.55 |
| 15. | महाराष्ट्र | 261.77 | 404.39 | 653.00 | 727.67 |
| 16. | मणिपुर | 0.90 | 5.86 | 15.50 | 22.25 |
| 17. | मेघालय | 6.77 | 24.68 | 46.12 | 7.33 |
| 18. | मिजोरम | 0.80 | 0.00 | 3.75 | 30.36 |
| 19. | नागालैंड | 6.95 | 20.38 | 13.25 | 37.54 |
| 20. | ओडिशा | 115.44 | 121.49 | 274.40 | 356.96 |
| 21. | पंजाब | 87.52 | 43.23 | 179.12 | 69.44 |
| 22. | राजस्थान | 233.76 | 186.12 | 628.01 | 692.08 |
| 23. | सिक्किम | 5.68 | 15.29 | 6.56 | 20.08 |
| 24. | तमिलनाडु | 140.38 | 127.90 | 250.03 | 333.06 |
| 25. | त्रिपुरा | 16.08 | 31.28 | 116.48 | 17.99 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 316.57 | 390.97 | 695.36 | 757.26 |
| 27. | उत्तराखंड | 10.30 | 71.46 | 1.31 | 65.89 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 147.38 | 147.38 | 335.98 | 273.94 |
| | कुल राज्य | 2876.34 | 3756.53 | 6719.05 | 6992.44 |

### हॉकी को बढ़ावा देना

**155. श्री सज्जन वर्मा:**
**श्री कपिल मुनि करवारिया:**
**श्री राम सुन्दर दास:**

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय खेल के पुनरुद्धार करने/लोक प्रिय बनाने के लिए स्कूलों और कालेजों के पाठ्यक्रमों में हॉकी को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) हॉकी को लोकप्रिय बनाने और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने भूतकालीन गौरव को पाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य प्रयास किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ियों को उप्लब्ध कराई गई निधि वित्तीय सहायता, खेल अवसंरचना, प्रशिक्षण सुविधाएं और बेहतर वित्तीय पारिश्रमिक का ब्यौरा क्या है?

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) और (ख) नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के अनुसार स्कूलों के लिए शारीरिक शिक्षा के लिए खेल मैदान, खेल उपकरण तथा अंशकालिक प्रशिक्षकों का प्रावधान करना अपेक्षित है। तथापि, स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में हॉकी या किसी अन्य विशिष्ट खेल को शामिल करना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) हॉकी सरकार के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाले खेल है। भारतीय हॉकी टीम की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान और प्रशिक्षण प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। साथ ही सरकार राष्ट्रीय पुरुष एवं महिला हॉकी टीम की तैयारी के लिए न केवल समग्र सहायता और अपेक्षित सुविधाएं जिसमें प्रशिक्षण, प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता के लिए विदेशी अनुभव, विदेशी एवं भारतीय कोच एवं अन्य सहायक कार्मिक, प्रदान कर रही है बल्कि नियमित अंतराल पर भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी करती है। सरकार ने विदेशी अनुभव, विदेशी कोचों, भोजन एवं आवास और सबसे उपर ओलंपिक 2012 की तैयारी सहित खेल के विभिन्न पहलुओं हेतु अप्रैल से नवम्बर, 2011 तक हॉकी पर 16.27 करोड़ रु. व्यय किए हैं।

सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता सहित हॉकी के विकास के लिए निम्नलिखित राशि व्यय की है:-

(करोड़ रुपए)

| वर्ष | प्रदान की गई वित्तीय सहायता |
|---|---|
| 2007-08 | 3.16 |
| 2008-09 | 3.45 |
| 2009-10 | 7.82 |
| 2010-11 | 4.36 |
| 2011-12 | 16.27 (नवम्बर, 2011 तक) |

*[अनुवाद]*

### उत्तर कर्नाटक को विशेष दर्जा

**156. श्री शिवराम गौडा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य में उत्तर कर्नाटक एक पिछड़ा क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 371(घ) के अंतर्गत क्षेत्र के लिए विशेष स्थिति की मांग की है जिससे लोगों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिल सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) से (ग) भारत के संविधान में अनुच्छेद 371घ में किए गए उपबंधों के आधार पर हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र, जिसमें गुलबर्गा, यडग्गीर, रायचूर, बिडार, कोप्पल और बेल्लारी जिले शामिल हैं, सहित कर्नाटक में नौकरियों तता शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में क्षेत्र-वार आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में संशोधन करने के संबंध में कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

चूंकि इस मामले में संवैधानिक प्रकृति के मुद्दे शामिल हैं, इसलिए इसके लिए व्यापक परामर्श की आवश्यकता है। इस बारे में कोई निश्चित समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

**कृषि योजनाओं के बारे में विज्ञापन**

**157. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के बारे में कृषकों में जागरूकता पैदा करने का कोई विज्ञापन अभियान चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विज्ञापनों पर सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) जी, हां।

(ख) 5 जुलाई, 2010 को एक लक्ष्योन्मुखी विज्ञापन अभियान शुरू किया गया। कृषि एवं सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध सहायता के बारे में जागरूकता सृजन के लिए प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए अभियान शुरू किया गया। राष्ट्रीय के साथ-साथ क्षेत्रीय समाचार पत्रों के जरिए ये विज्ञापन जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रचालित आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं निजी चैनलों के जरिए आडियो-वीडियो स्पाट का ब्राडकास्ट/प्रसारण किया जा रहा है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए दिए गए विज्ञापनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लाभ के लिए एगमार्क प्रमाणित उत्पादों के संबंध में सूचना के प्रचार के लिए भी अभियान शुरू किया गया है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध सहायता के बारे में विषयवार सूचना देने वाला एक पर्चा भी मुद्रित किया गया है।

(ग) वर्ष 2010-11 के दौरान विज्ञापन अभियान संबंधी कुल व्यय 90.43 करोड़ रुपये थे। वर्ष 2011-12 के दौरान, जनवरी 2012 तक अभियान पर कुल व्यय 67.17 करोड़ रुपये है।

***विवरण***

**प्रिंट मीडिया**

1. पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति
2. पराकेश सरकार की सफलता की कहानी
3. स्ट्राबेरी की सफलता की कहानी
4. आभारी राष्ट्र का किसानों को सलाम
5. प्रशिक्षणार्थी से प्रवर्तक तक
6. फास्फेटिक उर्वरकों का कुशल प्रयोग

**इलेक्ट्रानिक मीडिया**

1. फार्म स्कूल (मुनीम)
2. फार्म स्कूल (सास बहू)
3. किसान काल केन्द्र संबंधी आडियो स्पाट
4. किसान काल केन्द्र (साधु बाबा)
5. किसान काल केन्द्र (पति पत्नी)
6. किसान क्रेडिट कार्ड
7. राष्ट्रीय बागवानी मिशन
8. त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (एउपी)
9. जागरूक किसान-सूखा परामर्शिकाएं बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल
10. उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग
11. हरित क्रान्ति

*[हिन्दी]*

**कस्टम मिलिंग के लिए भुगतान**

**158. श्रीमती कमला देवी पटले:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरवा चावल के कस्टम मिलिंग हेतु छत्तीसगढ़ सरकार को निधियों की प्रतिपूर्ति बाकी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी दर क्या है तथा इसमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ में उत्पादित धानों की कुछ किस्मों में टूटे चावल और ब्राउन राइस का प्रतिशत अधिक होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से कोई पत्राचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) छत्तीसगढ़ सरकार विकेन्द्रीकृत खाद्य स्कीम के तहत धान की खरीद करती है और निकाले गए चावल को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के तहत वितरित करती है। वितरित किए गए चावल की मात्रा हेतु सब्सिडी बिल प्राप्त होने पर राज्य सरकार को खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गम मूल्य के अंतर के बराबर खाद्य राजसहायता जारी की जाती है। राज्य सरकार की आवश्यकता के अतिरिक्त चावल की मात्रा केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्द की जानी अपेक्षित है और सुपुर्दगी के समय राज्य सरकार को चावल की लागत की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। अप्रैल-दिसम्बर, 2011 हेतु अनुमेय अनंतिम राजसहायता और जनवरी-मार्च, 2012 तिमाही के लिए अग्रिम राजसहायता राज्य सरकार को जारी की जा चुकी है। राज्य सरकार से राजसहायता से संबंधित कोई और दावा लंबित नहीं है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार विकेंद्रीकृत खरीद प्रचालनों सहित केंद्रीय पूल के लिए राज्य एजेंसियों द्वारा खरीदे जाने वाले धान/चावल के संबंध में उचित औसत गुणवत्ता विनिर्दिष्टियां जारी करती है। उचित औसत गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों से नीचे धान/चावल को खरीदने की अनुमति नहीं दी जाती है। राज्य सरकारों द्वारा उचित औसत गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों में छूट से संबंधित अनुरोध, यदि कोई हो, पर इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाता है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2010 में राज्य में, उगाई जाने वाली महामाया, गुरमटिया, आईआर-36 जैसी चावल की कुछ किस्मों के मिलिंग के संबंध में आऊट टर्न अनुपात को कम करने का अनुरोध किया था। चूंकि इन किस्मों के लिए अनुरोध किया गया आऊट टर्न अनुपात भारत सरकार के मौजूदा मानदण्डों के तहत मिल्ड चावल हेतु निर्धारित विनिर्दिष्टियों के सामान्यत: नीचे था, अत: इसे स्वीकार नहीं किया गया था।

*[अनुवाद]*

## समुद्री शैवाल की खेती

159. **श्री पी.सी. चाको:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में समुद्री शैवाल की खेती की संभावना के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा देश के तटीय क्षेत्रों में समुद्री शैवाल की खेती के प्रोत्साहन हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा देश में समुद्री शैवाल की खेती की सम्भावनाओं पर अध्ययन किया गया। अध्ययनों से यह अनुमान लगाया गया कि देश में लगभग 1 मिलियन टन सूखा समुद्री शैवाल का उत्पादन करने की सम्भावना है।

(ग) से (ङ) सरकार ने राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के जरिए समुद्री शैवाल की खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना आरम्भ की है।

## फिल्म उद्योग में पाइरेसी

160. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े पैमाने पर व्याप्त पाइरेसी के कारण फिल्म उद्योग को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में पाइरेसी के कारण फिल्म उद्योग को हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त उद्योग में पाइरेसी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन):** (क) जी, हां।

(ख) फिल्म उद्योग को पाइरेसी के कारण हानि होती रही है। तथापि, पाइरेसी के कारण होने वाली हानि के परिमाण के संबंध में कोई सुनिश्चित आंकड़े नहीं हैं।

(ग) दिसम्बर, 2009 में आयोजित किए गए 27वें सिमकॉन (राज्य सूचना मंत्री सम्मेलन) में लिए गए निर्णय के अनुसरण में

पाइरेसी पर एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई उपायों की अनुशंसा की है। इस रिपोर्ट को कार्यान्वयन हेतु सभी स्टेकहोल्डरों के बीच परिचालित कर दिया गया है। उक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय पायरेटिड निर्माण-सेवाओं को खरीदने व उनका उपभोग करने से परहेज करने के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए मल्टी-मीडिया जागरूकता अभियान प्रारंभ करने हेतु एक स्कीम भी तैयार कर रहा है।

## आपदा प्रबंधन

161. **श्री एस.एस. रामासुब्बू:**
**श्री रायापति सांबासिवा राव:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन तथा संकट प्रबंधन केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके प्रस्तावित कार्य क्या हैं एवं उक्त केन्द्र की स्थापना कब तक होने की संभावना है;

(ग) क्या रूस ने उक्त केन्द्र की स्थापना में सहायता प्रदान करने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) देश में राष्ट्रीय आपदा तथा संकट प्रबंधन केन्द्र की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव के ब्यौरे का पता लगाया जा रहा है।

(ग) और (घ) रूसी राष्ट्रीय परिसंघ प्रबंधन केन्द्र आपात स्थितियों में ड्यूटी पर तैनात बलों का प्रचालानात्मक प्रबंधन करता है तथा बड़ी घटनाओं और आपदाओं के मामले में लोगों को चेतावनी देना सुनिश्चित करता है। यह आपात स्थिति के निवारण, भविष्यवाणी करने तथा कार्रवाई करने में शामिल सभी ढांचों के एकीकृत सूचना नेटवर्क को भी जोड़ता है। रूसी आपात स्थिति और आपदा प्रबंधन कमान केन्द्र (ईएमईआरसीओएम) जीएलओएनएएसएस सिग्नल लगाता है। गृह मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान रूस ने दिसम्बर, 2010 में हस्ताक्षरित आपदा प्रबंधन संबंधी अन्तर-सरकारी समझौते के अन्तर्गत त्वरित संयुक्त सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया तथा इसमें परिकल्पित संयुक्त आयोग की शीघ्र स्थापना करने का अनुरोध किया। रूस ने राष्ट्रीय आपदा तथा संकट प्रबंधन केन्द्र की स्थापना करने में भारत की सहायता करने की भी पेशकश की।

## जैविक खाद्य पदार्थों की मांग

162. **श्री नृपेन्द्र नाथ राय:**
**श्री नरहरि महतो:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत वर्षों के दौरान देश में जैविक खाद्य पदार्थों की मांग में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनकी वर्तमान मांग, आपूर्ति, उपभोग की स्थिति क्या है एवं देश में किन-किन जैविक खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है;

(ग) क्या सरकार की खाद्य उत्पादों की संवर्द्धित किस्मों के बारे में आगामी वर्षों हेतु कोई योजना और पूर्वानुमान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) और (ख) जी, हां। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जैविक खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ी है। कृषि मंत्रालय विभिन्न जैविक खाद्य वस्तुओं की मांग, आपूर्ति एवं खपत संबंधी आंकड़े नहीं रखता। तथापि, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (अपीडा) के अनुसार पिछले तीन वर्षों के लिए प्रमाणित जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन नीचे दिया गया है:

| 2008-09 (मिलियन टन) | 2009-10 (मिलियन टन) | 2010-11 (मिलियन टन) |
|---|---|---|
| 1.62 | 1.70 | 3.88 |

(ग) और (घ) सरकार 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन' (एनएचएम) के तहत जैविक खाद्य उत्पादों के खेतीहरों को प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 है. क्षेत्र के लिए 10,000/- रुपये प्रति है. की दर पर, वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना के लिए प्रति लाभार्थी अधिकतम प्रति लाभार्थी 30,000/- रुपये के आधार पर लागत के 50% की दर पर एवं जैविक कृषि प्रमाणीकरण के लिए 50 है. क्षेत्र को कवर करते हुए किसान समूहों के लिए 5.00 लाख रुपये की दर पर प्रोत्साहन दे रही है।

## नेटग्रिड का कार्यकरण

**163. श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड) आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना के विभिन्न डाटाबेसों को जोड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नेटग्रिड के आसपास निजता संबंधी चिंता का संज्ञान लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नेटग्रिड की स्थापना के लिए वित्तीय परिव्यय तथा इससे अनुरक्षण के लिए परियोजित वार्षिक व्यय का ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) और (ख) राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) अपने प्रकार की पहली परियोजना/पहल है जिससे प्रयोगकर्ता (आसूचना एवं अन्वेषणकर्ता एजेंसियां) और प्रदाता एजेंसियों (जैसे कि दूरसंचार कंपनियां) के बीच विभिन्न डाटाबेस जुड़ सकेंगे ताकि हमारी आतंकवाद-रोधी क्षमताएं बढ़ सकें।

(ग) और (घ) जी, हां। नैटग्रिड की सुरक्षा संबंधी रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है जिससे सूचना की गोपनीयता और निजता नैटग्रिड प्रणाली के अंतर्गत सुरक्षित रहेगी। निजता संबंधी मौजूदा कानूनी ढांचा नैटग्रिड पर भी स्वयमेव लागू होता है।

(ङ) वर्ष 2012-2013 का बजट अनुमान (प्रस्तावित), योजना के अंतर्गत 435 करोड़ रु. है और हॉरिजन II के कुछ घटकों सहित फाउंडेशन और हॉरिजन I के लिए 1002.97 करोड़ रु. का कुल वित्तीय परिव्यय प्रस्तावित है।

## केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में महिला बटालियन

**164. श्री के.पी. धनपालन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में महिला बटालियनों/रिजर्व बटालियनों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केरल सहित ऐसी बटालियनों/रिजर्व बटालियनों की स्थापना के लिए चुने गए स्थानों का बल-वार, स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) और (ख) वर्तमान में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सरकार द्वारा पहले ही मंजूर की गई अतिरिक्त महिला बटालियनों/रिजर्व बटालियनों के अतिरिक्त सीएपीएफ में किसी महिला बटालियन/रिजर्व बटालियन की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है:-

| सीएपीएफ | महिला बटालियन | | रिजर्व बटालियन (पुरुष) | |
|---|---|---|---|---|
| | महिला बटालियनों की संख्या | स्थान | रिजर्व बटालियनों की संख्या | स्थान |
| सीआरपीएफ | 1 वर्ष 2009 में मंजूर | कोलकाता (पश्चिम बंगाल) | - | - |
| सीआईएसएफ | शून्य | - | 2 वर्ष 2010 में मंजूर | गुवाहाटी (असम) लक्कूर (बंगलौर) कर्नाटक |
| एसएसबी | शून्य | - | 14 वर्ष 2010 में मंजूर | मडगांव (गोवा), देहरादून (उत्तराखंड), रांची (झारखंड), सम्बलपुर और जम्मू (जम्मू और कश्मीर), होशियारपुर (पंजाब), अलवर-02 बटालियनें (राजस्थान), आणंद (गुजरात), दमन (दमन और दीव), ग्वालियर (मध्य प्रदेश), तिरूची (तमिलनाडु) और तेजपुर (असम)। |
| बीएसएफ | शून्य | - | 10 वर्ष 2009 में मंजूर | त्रिशूर (केरल), इंदौर (मध्य प्रदेश), पुणे (महाराष्ट्र), योडिमा (नागालैंड)। आज की तारीख तक 6 रिजर्व बटालियनों का स्थान निश्चित नहीं किया गया है। |

*[हिन्दी]*

## राजसहायता प्राप्त दालों का वितरण

**165. श्री बद्रीराम जाखड़:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त दरों पर दालों के वितरण के लिए कोई योजना प्रारंभ की है या करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजसहायता प्राप्त खाद्य तेल के वितरण की योजना बंद कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त योजना को दोबारा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके दोबारा कब तक शुरू होने की संभावना है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) दालों की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को पाटने के लिए और जनसाधारण को दालों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए वर्ष 2008 में एक स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत पदनामित आयातक एजेंसियों को, राज्य सरकारों को आपूरित आयातित दालों की मात्रा पर 10 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है। कुछेक राज्यों को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन कार्ड धारक बी.पी.एल. परिवारों को 1 रुपये प्रति माह की दर से वितरित करने के लिए आयातित दालों का वितरण किया जाता है। इस स्कीम को 31.3.2012 तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) से (च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से आयातित खाद्य तेलों के सब्सिडीकृत दरों पर वितरण के लिए 15 रुपये प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी के साथ राशनकार्ड धारकों को खाद्य तेलों (आर.बी.डी. पामोलिन/सोयाबीन) के वितरण के लिए सरकार द्वारा एक स्कीम वर्ष 2008 में कार्यान्वित की गई है। इस स्कीम को वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 तक बढ़ाया गया था। अब इस स्कीम को आगे 30.9.2012 तक बढ़ा दिया गया है।

## मलिन बस्तीवासियों के लिए आवास

**166. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:**
**श्री निलेश नारायण राणे:**

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय मलिन बस्तियों और मलिन बस्तियों में विद्यमान घरों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों में देश को मलिन बस्ती मुक्त बनाने तथा मलिन बस्ती वासियों के पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में मलिन बस्तियों के विस्तार के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में देश में आवासीय इकाइयों की कितनी कमी है;

(ङ) इस संबंध में कितनी धनराशि के निवेश की आवश्यकता है; और

(च) प्रस्तावित योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण में कितना समय लगने की संभावना है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य/संघ शासित राज्य-वार आबादी संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) स्लम मुक्त भारत निर्माण के सरकार के विजन के अनुसरण में 2.6.2011 को एक नई स्कीम के 'राजीव आवास योजना' (रे) आरंभ की गई है। 5,000 करोड़ रुपए के बजट से स्कीम के अनुमोदन की तिथि से रे का पहला चरण दो वर्षों की अवधि का है। स्कीम के दूसरे चरण में 12वीं योजना (2007) के अंत तक सम्पूर्ण देश में लगभग 250 शहर शामिल होने की आशा है।

(ग) और (घ) स्लम राज्य का विषय होने के नाते स्लमों के बन जाने के कारणों पर कोई विशेष अध्ययन नहीं करवाया गया है। तथापि, स्लमों के बनने के विभिन्न कारण है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार है:

(1) बढ़ते शहरीकरण के कारण विशेष रूप से गरीबों हेतु उपलब्ध भूमि और अवसंरचना पर दबाव पड़ता है।

(2) शहरी गरीबों की आबादी में प्राकृतिक वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों से बड़े शहरों के लिए प्रवसन।

(3) शहरी नियोजन की अनुपयुक्त पद्धति जो शहर के मास्टर प्लानों में शहरी गरीबों के लिए पर्याप्त स्थान मुहैया नहीं करती है।

(4) भूमि की बढ़ती मांग के कारण आसमान छूती भूमि की कीमतें और भूमि की आपूर्ति की सीमाएं।

(5) अधिकांश राज्यों में शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास के कार्यक्रमों का अभाव।

(6) निम्न आय वर्ग के आवास हेतु ऋण उपलब्धता में कमी।

(7) निर्माण की बढ़ती लागत।

रिहायशी एककों की कमी के संबंध में इस मंत्रालय ने शहरी आवास की कमी का अनुमान लगाने हेतु एक तकनीकी समूह का गठन किया था जिसने 2007 तक 24.71 मिलियन आवास की कमी का अनुमान लगाया है। आवास की 24.71 मिलियन की कुल कमी में से 21.78 मिलियन की कमी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की श्रेणी में है और 2.89 मिलियन आय समूह (एलआईजी) श्रेणी में है।

(ङ) किफायती आवास की कमी को पूरा करने के लिए अनुमोदित निवेश की अपेक्षा लगभग 6,02,000 करोड़ रुपये है।

(च) राजीव आवास योजना मांग और सुधार प्रेरित दोनों प्रकार की स्कीम है। इस स्कीम के तहत राज्यों को स्लम पुनर्विकास तथा किफायती आवास निर्माण हेतु सहायता मुहैया की जा रही है। इसकी प्रगति, तकनीकी और वित्तीय संसाधनों को जुटाने की राज्य की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी।

## *विवरण*

*भारत-2001 में राज्य-वार स्लम परिवार*

| राज्य/संघ राज्य | कुल स्लम आबादी | कुल स्लम परिवार |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| आंध्र प्रदेश | 628945 | 1324762 |
| असम | 89962 | 17830 |
| बिहार | 818332 | 131099 |
| छत्तीसगढ़ | 1097211 | 215685 |
| गोवा | 18372 | 3881 |
| गुजरात | 1975853 | 386318 |
| हरियाणा | 1681117 | 323020 |
| जम्मू और कश्मीर | 373898 | 62507 |
| झारखंड | 340915 | 61258 |
| कर्नाटक | 2330592 | 452114 |
| केरल | 74865 | 14573 |
| मध्य प्रदेश | 3776731 | 674143 |
| महाराष्ट्र | 11975943 | 2375963 |
| मेघालय | 109271 | 21542 |
| ओडिशा | 1089302 | 226408 |
| पंजाब | 1483574 | 274570 |
| राजस्थान | 1563063 | 274427 |
| तमिलनाडु | 4240931 | 966162 |
| त्रिपुरा | 47645 | 10644 |
| उत्तर प्रदेश | 5756004 | 888267 |
| उत्तराखंड | 350038 | 61557 |
| पश्चिम बंगाल | 4663806 | 915380 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 16244 | 3599 |
| चण्डीगढ़ | 10725 | 29086 |
| दिल्ली | 2029755 | 415637 |
| पुदुचेरी | 92095 | 20287 |
| कुल भारत | 52371589 | 10150719 |

स्रोतः महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, भारत का कार्यालय।

नोटः इसमें 20,000 से अधिक आबादी वाले 1743 शहरों/कस्बों में स्लम आबादी और स्लमों की विद्यमानता की सूचना शामिल है।

*[अनुवाद]*

## नागरिक आपूर्ति निगमों के लिए धन की कमी

167. **श्री प्रताप सिंह बाजवा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य नागरिक आपूर्ति निगम धन की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नकदी की कमी से उबरने के लिए नागरिक आपूर्ति निगमों हेतु एक कोष सृजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ धनराशि किस तरीके से एकत्रित की जाएगी?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) किसी भी राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों सहित राज्य सरकार/राज्य एजेंसियां भारत सरकार की ओर से केन्द्रीय पुल के लिए खाद्यान्नों की खरीद करती हैं। इन एजेंसियों द्वारा इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित निधियों की पूर्ति राज्य सरकार अथवा बैंकों से नकद ऋण प्राप्त करके की जाती है। जहां तक भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्द किए गए खाद्यान्नों का संबंध है, इसकी लागत का भुगतान भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अधीन राज्य सरकार और उनकी एजेंसियों द्वारा स्वयं खरीदे और वितरित किए गए खाद्यान्नों के लिए, खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और उनके निर्गम मूल्य के अन्तर की प्रतिपूर्ति राज्यों/एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा सीधे खाद्य राजसहायता के रूप में की जाती है। एजेंसियों के लिए गए ऋण पर ब्याज लागत सहित वास्तविक स्वीकार्य व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

## रबी की फसल

168. **श्री एस. पक्कीरप्पा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में रबी की फसल के उत्पादन में कमी या वृद्धि के बारे में कोई आकलन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) जी हां महोदया। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार देश में मुख्य कृषि फसलों के उत्पादन संबंधी अग्रिम एवं अंतिम अनुमानों को आवधिक रूप से जारी करता है। 3.2.2012 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, उत्पादन में वृद्धि (+)/कमी(-) के साथ-साथ 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान रबी फसलों के उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

| फसल | उत्पादन (मिलियन टनों में) | | |
|---|---|---|---|
| | 2011-12* | 2010-11 | अंतर |
| 1 | 2 | 3 | 4(=2-3) |
| चावल | 12.57 | 15.33 | -2.76 |
| गेहूं | 88.31 | 86.87 | 1.44 |
| ज्वार | 3.06 | 3.56 | -0.50 |
| मक्का | 5.50 | 5.09 | 0.41 |
| जौ | 1.68 | 1.66 | 0.02 |
| मोटे अनाज | 10.24 | 10.32 | -0.08 |
| चना | 7.66 | 8.22 | -0.56 |
| उड़द | 0.44 | 0.36 | 0.08 |
| मूंग | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
| दलहन | 10.89 | 11.12 | -0.23 |
| खाद्यान्न | 122.01 | 123.64 | -1.63 |
| मूंगफली | 1.59 | 1.62 | -0.03 |
| सूरजमुखी | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
| रैपसीड एवं सरसों | 7.50 | 8.18 | -0.68 |
| अलसी | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| कुसुम्भ | 0.10 | 0.15 | -0.05 |
| तिलहन | 9.73 | 10.56 | -0.83 |

*दिनांक 3.2.2012 को जारी द्वितीय अग्रिम अनुमान।

**राष्ट्रमंडल खेल फ्लैटों हेतु योजना**

**169. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेलों के लिए निर्मित राष्ट्रमंडल खेलगांव के फ्लैटों की बिक्री हेतु किसी योजना को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खरीददारों को फ्लैटों के साथ-साथ खेलों के दौरान खेलगांव के फ्लैटों में प्रदान किए गए वैद्युत तथा अन्य उपकरणों को भी हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे उपकरणों के उपयोग/निपटान के लिए क्या योजना बनाई गई है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 विलेज काम्प्लेक्स में कुल 1168 फ्लैटों का निर्माण किया गया था। उनमें से 711 डी.डी.ए. के हिस्से के हैं। डी.डी.ए. ने यह भी सूचित किया है कि विद्यमान बाजार दरों का पता लगाने के लिए सभी श्रेणियों के लगभग 110 फ्लैटों को मोहरबंद बोली प्रक्रिया के माध्यम से नीलामी की जाएगी तथा यह भी सूचित किया है कि केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएस.यू.) आदि से यह फ्लैट उन्हें आबंटित करने के लिए बहुत से अनुरोध प्राप्त हुए हैं, अत: केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों, उनके अधीनस्थ विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राष्ट्रमंडल खेल 2010 विलेज के फ्लैटों के आबंटित करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) डी.डी.ए. ने यह भी सूचित किया है कि खुले फर्नीचर/सज्जा सामग्री को छोड़कर सभी उपकरणों को क्रेताओं को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

**बंगलौर मैट्रो रेल निगम लिमिटेड को धनराशि**

**170. श्री आर. ध्रुवनारायण:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (बीएमआरसीएल) ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए धनराशि जारी करने हेतु मेट्रो चरण-II के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) जी नहीं। बंगलौर मेट्रो रेल निगम (बीएमआरसीएल) ने परियोजना के निष्पादन हेतु धनराशि जारी करने के लिए मेट्रो फेज-II हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

**द्वितीय हरित क्रान्ति**

**171. श्री सुरेश कुमार शेटकर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वितीय हरित क्रान्ति के लिए 2500 करोड़ रुपये का संरचनात्मक समायोजन पैकेज राज्यों को अभी तक जारी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्यों को उक्त पैकेज देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) से (ग) भारत सरकार ने संघीय बजट 2011-12 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत नौ विशेष कार्यक्रमों/उपस्कीमों जैसे पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति लाना (बीजीआरईआई); वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन ग्रामों का समेकित विकास; आयलपाम का प्रोत्साहन; सब्जी कल्स्टरों पर पहल; समेकित कदन्न प्रोत्साहन के माध्यम से पोषणिक सुरक्षा के लिए पहल (आईएनएसआईएमपी); राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरक मिशन (एनएमपीएस); त्वरित चारा विकास कार्यक्रम (एएफडीपी); वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी); और जम्मू एवं कश्मीर में केसर मिशन (केसर मिशन) के लिए 2500 करोड़ रु. के आबंटन की घोषणा की थी। बजट की घोषणा के तुरन्त बाद प्रचालन दिशानिर्देश तैयार किए गए और विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए और सभी राज्यों को भी परिचालित कर दिए गए हैं। राज्यों ने इन कार्यक्रमों के तहत अनुमोदित कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन किया है। अनुसंधान संस्थानों, विशेषज्ञ सलाहकारों और विभाग के अधिकारियों के सहयोग से तकनीकी समर्थन और नियमित मानिटरिंग को व्यवस्थित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान नियोजित हस्तक्षेपों को किसानों तक पहुंचाया गया है।

वर्ष 2011-12 के दौरान उपरोक्त नौ उप-स्कीमों के तहत राज्य-वार आवंटन एवं निर्मुक्ति संलग्न विवरण में दी गई है।

## *विवरण*

(करोड़ रुपये में 6.3.2012 तक)

| राज्य का नाम | बीजीआरईआई | | दलहन ग्राम | | आयलपाम | | सब्जी कलस्टर | | पोषक अनाज | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | निर्मुक्ति | आवंटन | निर्मुक्ति | आवंटन | निर्मुक्ति | आवंटन | निर्मुक्ति | आवंटन | निर्मुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| आंध्र प्रदेश | – | – | 25.10 | 25.10 | 192.00 | 192.00 | 17.00 | 17.00 | 11.32 | 12.21 |
| अरुणाचल प्रदेश | | | | | | | 3.50 | 3.50 | | 0.62 |
| असम | 33.32 | 33.32 | | | | | 12.00 | 12.00 | | |
| बिहार | 55.33 | 55.33 | 10.18 | 10.18 | | | 12.00 | 12.00 | | |
| छत्तीसगढ़ | 55.21 | 55.21 | 11.22 | 5.61 | 0.48 | 0.24 | 12.00 | 12.00 | 10.29 | 5.12 |
| गोवा | | | | | | | 3.50 | 1.75 | | |
| गुजरात | | | 14.40 | 14.40 | 4.80 | 4.80 | 12.00 | 12.00 | 15.02 | 15.02 |
| हरियाणा | | | | | | | 12.00 | 12.00 | 3.47 | 4.42 |
| हिमाचल प्रदेश | | | | | | | 12.00 | 12.00 | | |
| जम्मू और कश्मीर | | | | | | | 12.00 | 6.00 | | |
| झारखंड | 31.68 | 31.68 | | | | | 12.00 | 12.00 | 1.16 | 1.16 |
| कर्नाटक | | | 30.86 | 30.86 | 33.60 | 33.60 | 17.00 | 17.00 | 26.57 | 26.57 |
| केरल | | | | | | | 12.00 | 6.00 | | |
| मध्य प्रदेश | | | 55.48 | 55.48 | | | 12.00 | 6.00 | 21.66 | 21.66 |
| महाराष्ट्र | | | 50.96 | 50.96 | 0.96 | 0.96 | 17.00 | 17.00 | 91.48 | 91.48 |
| मणिपुर | | | | | | | 3.50 | 3.50 | | |
| मेघालय | | | | | | | 3.50 | 3.50 | | |
| मिजोरम | | | | | 14.80 | 14.80 | 3.50 | 1.75 | | |
| नागालैंड | | | | | | | 3.50 | 3.50 | | |
| ओडिशा | 62.62 | 62.62 | 9.90 | 9.90 | 17.76 | 17.76 | 12.00 | 12.00 | 2.95 | 2.96 |
| पंजाब | | | | | | | 12.00 | 6.00 | | |
| राजस्थान | | | 43.22 | 43.22 | | | 12.00 | 12.00 | 87.68 | 87.68 |
| सिक्किम | | | | | | | 3.50 | 3.50 | 0.43 | 0.43 |
| तमिलनाडु | | | 7.32 | 7.32 | 33.60 | 33.60 | 17.00 | 17.00 | 10.79 | 10.79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| त्रिपुरा | | | | | | | 3.50 | 3.50 | | |
| उत्तर प्रदेश | 85.66 | 85.66 | 38.36 | 38.36 | | | 12.00 | 12.00 | 4.40 | 4.40 |
| उत्तराखंड | | | | | | | 12.00 | 6.00 | 5.87 | 2.94 |
| पश्चिम बंगाल | 72.20 | 72.20 | | | | | 17.00 | 7.69 | 0.64 | 0.64 |
| कुल राज्य | 396.02 | 396.02 | 297.00 | 291.39 | 298.00 | 297.76 | 293.00 | 250.19 | 294.35 | 288.10 |
| डीएपी+एनआईआरडी+ मानिटरिंग | 3.98 | 0.56 | 3.00 | 0.16 | 2.00 | 0.84 | 7.00* | 0.36 | 5.65 | 0.36 |
| सकल योग | 400.00 | 396.58 | 300.00 | 291.55 | 300.00 | 298.60 | 300.00 | 250.55 | 300.00 | 288.46 |

*सब्जी क्लस्टर के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 7.00 करोड़ रु. आवंटित कर दिए गए है।

*–जारी*

| राज्य का नाम | एएफडीपी | | एनएमपीएस | | आरएडीपी | | केसर मिशन | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | निर्मुक्ति | आवंटन | निर्मुक्ति | आवंटन | निर्मुक्ति | आवंटन | निर्मुक्ति | आवंटन | निर्मुक्ति |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| आंध्र प्रदेश | 24.50 | 30.00 | 17.75 | 17.75 | 15.00 | 15.00 | | | 302.67 | 309.06 |
| अरुणाचल प्रदेश | | | 0.00 | | | | | | 4.12 | 4.12 |
| असम | | | 3.00 | 3.00 | | | | | 48.32 | 48.32 |
| बिहार | 24.50 | 24.50 | 24.29 | 24.29 | | | | | 126.30 | 126.30 |
| छत्तीसगढ़ | 25.00 | 4.69 | 12.38 | 6.19 | 15.00 | 7.50 | | | 141.58 | 96.56 |
| गोवा | | | 0.00 | | | | | | 3.50 | 1.75 |
| गुजरात | 15.00 | 15.00 | 14.58 | 14.58 | 30.00 | 30.00 | | | 105.80 | 105.80 |
| हरियाणा | 15.00 | 15.00 | 12.18 | 12.18 | | | | | 42.65 | 43.60 |
| हिमाचल प्रदेश | | | 6.88 | 6.88 | | | | | 18.68 | 18.68 |
| जम्मू और कश्मीर | | | 0.00 | | | | 50.00 | 10.00 | 62.00 | 6.00 |
| झारखंड | | | 14.88 | 14.88 | | | | | 59.72 | 59.72 |
| कर्नाटक | 30.00 | 30.00 | 18.50 | 18.50 | 20.00 | 20.00 | | | 176.53 | 176.53 |
| केरल | | | 6.82 | 3.41 | | | | | 18.82 | 9.41 |
| मध्य प्रदेश | 30.00 | 30.00 | 24.82 | 11.70 | 25.00 | 25.00 | | | 168.96 | 149.84 |

| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 30.00 | 30.00 | 24.80 | 24.80 | 35.00 | 35.00 | | | 250.20 | 250.20 |
| मणिपुर | | | | | | | | | 3.50 | 3.50 |
| मेघालय | | | 3.00 | 3.00 | | | | | 6.50 | 6.50 |
| मिजोरम | | | 5.00 | 2.50 | | | | | 23.30 | 19.05 |
| नागालैंड | | | 5.00 | 5.00 | | | | | 8.50 | 8.50 |
| ओडिशा | | | 17.72 | 17.72 | 20.00 | 20.00 | | | 142.95 | 142.96 |
| पंजाब | 15.50 | 7.75 | 11.70 | 5.85 | | | | | 39.20 | 19.60 |
| राजस्थान | 45.00 | 52.04 | 17.81 | 17.81 | 35.00 | 35.00 | | | 240.71 | 247.75 |
| सिक्किम | | | 3.00 | 3.00 | | | | | 6.93 | 6.93 |
| तमिलनाडु | 15.50 | 15.00 | 18.17 | 18.17 | 25.00 | 25.00 | | | 127.38 | 127.38 |
| त्रिपुरा | | | 0.00 | | | | | | 3.50 | 3.50 |
| उत्तर प्रदेश | 30.00 | 30.00 | 27.52 | 27.52 | 30.00 | 30.00 | | | 227.94 | 227.94 |
| उत्तराखंड | | | 0.00 | | | | | | 17.87 | 8.94 |
| पश्चिम बंगाल | | | 10.49 | 5.20 | | | | | 100.24 | 85.73 |
| कुल राज्य | 300.00 | 284.48 | 300.00 | 263.73 | 250.00 | 242.50 | 50.00 | 10.00 | 2478.37 | 2314.17 |
| डीएपी+एनआईआरडी+ मानिटरिंग | 0.00 | | | | | | | | 21.63 | 1.92 |
| सकल योग | 300.00 | 284.48 | 300.00 | 263.73 | 250.00 | 242.50 | 50.00 | 10.00 | 2500.00 | 2316.09 |

## आतंकवादी संगठनों में महिला कैडर

**172. श्री नारनभाई कछाड़िया:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह पता चला है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन 'लश्कर-ए-तैयबा' अपने महिला कैडर को पुनर्जीवित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## बलात्कार पीड़ितों को न्याय

**173. श्रीमती जे. शांता:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह पता चला है कि बलात्कार पीड़ितों को वर्षों बाद भी न्याय नहीं मिल पाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बलात्कार के मामलों को निपटाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) से (ग) संघ सरकार, बलात्कार सहित महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण के मामले को अत्यधिक महत्व देती है।

तथापि, संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, अत: महिलाओं के प्रति अपराध सहित अपराधों की रोकथाम करने, पता लगाने, मामले दर्ज करने, जांच करने और अभियोजन चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 4 सितम्बर, 2009 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को विस्तृत सलाहें जारी की हैं जिनमें उन्हें, अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं के प्रति हिंसा के दोषी पाए गए लोगों को त्वरित एवं निवारक सजा के लिए यथोचित उपाय अपनाने, एफआईआर दर्ज करने में देरी न करने, जांच की गुणवत्ता को सुधारने, महिलाओं के प्रति अपराध, विशेष रूप से बलात्कार जैसे घृणित अपराध की जांच में विलम्ब को कम करने, जिलों में "महिला अपराध प्रकोष्ठ" स्थापित करने, पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने, विशेष महिला अदालतें स्थापित करने की सलाह दी गई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने "महिला प्रकोष्ठ" स्थापित करने के लिए हैं। कुछेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी जिला स्तर पर "समस्त महिला पुलिस स्टेशन" और पुलिस स्टेशन स्तर पर "महिला/बाल सहायता डेस्क" स्थापित कर लिए हैं।

## चक्रवात जोखिम शमन परियोजना

**174. श्री निलेश नारायण राणे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के चक्रवात प्रवण क्षेत्र में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार को अभी अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और निवेश प्रस्तावों (आईपी) पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और विश्व बैंक के प्रश्नों के संबंध में अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

## स्टेडियमों का उपयोग

**175. श्री सुरेश अंगड़ी:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेलों के लिए विकसित/निर्मित स्टेडियमों/खेल अवसंरचना को जनता/खिलाड़ियों के उपयोग हेतु खोल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक खेल विधा के लिए उक्त स्टेडियम में कोच प्रदान किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की मेजबानी के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के दिल्ली स्थित निम्नलिखित स्टेडियमों का नवीनीकरण/उन्नयन किया गया है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विभिन्न खेलों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं:-

(1) जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर

(2) इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर

(3) डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर

(4) मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम

(5) डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज

इन स्टेडियमों का उपयोग विभिन्न खेल परिसंघों तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों द्वारा किया जा रहा है।

उपर्युक्त के अलावा जनसाधारण के लिए, एक नई योजना अर्थात् 'आओ और खेलो' शुरू की गई है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का लाभ उठा सके। इन स्टेडियमों में राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों की व्यवस्था भी की गई है जिससे कि उदीयमान खिलाड़ी खेलों में उत्कृष्टता हासिल कर सके।

(ग) और (घ) उपर्युक्त स्टेडियमों में प्रत्येक खेल विधाओं के लिए सुप्रशिक्षित प्रशिक्षक उपलब्ध कराए गए हैं। साई के विभिन्न खेल मैदानों में तैनात कोचों का विवरण निम्नानुसार हैं:-

| क्र.सं. | खेल | कोचों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | एथलेटिक्स | 04 |
| 2. | बैडमिन्टन | 04 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | बास्केटबाल | 04 |
| 4. | मुक्केबाजी | 02 |
| 5. | क्रिकेट | 06 |
| 6. | फुटबाल | 04 |
| 7. | जिम्नास्टिक | 05 |
| 8. | हाकी | 05 |
| 9. | जूडो | 03 |
| 10. | निशानेबाजी | 01 |
| 11. | तैराकी | 06 |
| 12. | टेबल टेनिस | 04 |
| 13. | वालीबाल | 04 |
| 14. | भारोत्तोलन | 01 |
| 15. | कुश्ती | 02 |

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल बटालियनें

**176. श्री पी. कुमार:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की चार और बटालियनें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उक्त बटालियनों की स्थापना कब तक होने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) और (ख) नीचे दी गई तालिका में यथा अनुसूचित 38 अतिरिक्त बटालियनों, जिनके गठन के लिए दिनांक 1.9.2009 को मंजूरी प्रदान की गई थी, के अलावा सीआरपीएफ में अतिरिक्त बटालियनें सृजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

| वर्ष | बटालियनों की ख्या |
|---|---|
| 2009-10 | 03 (एक महिला बटालियन सहित) |
| 2010-11 | 04 |
| 2011-12 | 04 |
| 2012-13 | 04 |
| 2013-14 | 04 |
| 2014-15 | 03 (1 महिला बटालियन सहित) |
| 2015-16 | 04 |
| 2016-17 | 04 |
| 2017-18 | 04 |
| 2018-19 | 04 |
| कुल | 38 बटालियन |

## छोटे और सीमांत किसानों को सहायता

**177. डॉ. कृपारानी किल्ली:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने वाले ग्रामीण लोगों का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान छोटे और सीमांत किसानों की संख्या में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की गयी सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा और कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) भारत में रोजगार एवं बेरोजगार की स्थिति पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) की रिपोर्ट, 2009-10 के अनुसार देश में प्रति एक हजार ग्रामीण लोगों के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 679 लोग कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) देश में कृषि गणना पंचवार्षिक रूप से की जाती है। कृषि गणना के अनुसार 2005-06 में छोटे एवं सीमांत किसानों की संख्या 2000-01 में उनकी स्थिति की तुलना में बढ़ी है। उसके ब्यौरे इस प्रकार हैं-

| आकार वर्ग | संचालात्मक जोतों की संख्या | |
|---|---|---|
| | 2000-01 | 2005-06 |
| सीमांत (1.00 हैक्टे. से कम) | 75407769 | 83694372 |
| छोटे (1.00-2.00 हैक्टे.) | 22694772 | 23929627 |

(घ) और (ङ) सरकार विभिन्न योजनओं के माध्यम से छोटे एवं सीमांत किसानों को जोतों पर विशेष जोर देकर विभिन्न स्कीमों जैसे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, वृहत्त कृषि प्रबंधन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बागवानी तकनीकी मिशन द्वारा सहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय सरकार बीजों, सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों, मशीनरी, फसल बीमा पर प्रीमियम, उर्वरकों आदि के लिए भी सहायता प्रदान करती है। यद्यपि राज्यवार, विशेषकर छोटे एवं सीमांत किसानों को दी जाने वाली सहायता संबंधी आंकड़े, नहीं रखे जाते हैं।

## प्याज के मूल्य में वृद्धि

**178. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत एक वर्ष के दौरान देश भर में प्याज के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्याज के निर्यात कोटा में वृद्धि करने से घरेलू बाजार में प्याज का मूल्य बढ़ गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सस्ती दरों पर प्याज मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) जी, नहीं महोदया, प्याज के थोक मूल्य सूचकांक में (आधार वर्ष 2004-05 100) गत एक वर्ष के दौरान कोई सतत् वृद्धि नहीं दर्शायी गई है। अक्तूबर, 2011 से मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी गई है। ब्यौरा नीचे दिया गया है।

| अवधि | सूचकांक | अवधि | सूचकांक |
|---|---|---|---|
| जनवरी, 2011 | 619.4 | अगस्त, 2011 | 244.8 |
| फरवरी, 2011 | 260.6 | सितम्बर, 2011 | 257.6 |
| मार्च, 2011 | 179.1 | अक्तूबर, 2011 | 231.3 |
| अप्रैल, 2011 | 156.9 | नवम्बर, 2011 | 222.9 |
| मई, 2011 | 150.3 | दिसम्बर, 2011 | 185.6 |
| जून, 2011 | 174.4 | जनवरी, 2012 | 151.3 |
| जुलाई, 2011 | 200.9 | | |

(ग) और (घ) सरकार द्वारा प्याज निर्यात के लिए कोई निर्यात कोटा का निर्धारण नहीं किया गया है। प्याज के मूल्य घरेलू मांग तथा आपूर्ति स्थिति तथा निर्यात नीति पर निर्भर है। जब कभी भी घरेलू बाजार में प्याज की कमी अथवा कम आपूर्ति होती है तो सरकार उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) में उपयुक्त रूप से संशोधन करके निर्यात पर रोक अथवा प्रतिबंध लगाती है, यदि अपेक्षित हो तो वह अन्य शर्तें भी लगाती है। सरकार महत्वपूर्ण उत्पादन एवं उपभोग केन्द्रों में विद्यमान प्याज एवं आदर्श मूल्यों के आगमन के बाद उसका भण्डारण करती है तथा तदनुकूल प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य को निर्धारत करती है।

सितम्बर, 2011 में देश में प्याज उपलब्धता में कमी को ध्यान में रखते हुए तथा आगे प्याज के मूल्यों में प्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर, सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया था। प्याज की सभी किस्मों पर लगे प्रतिबंध को न्यूनतम निर्यात मूल्य जिसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है के साथ सितम्बर, 2011 में ही 11 दिनों के अन्तर के बाद हटा लिया गया था।

(ङ) सस्ती दरों पर प्याज प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रभावी उपाय इस प्रकार है:-

1. 21.12.2010 से प्याजों को आधारीय सीमा शुल्क से संपूर्ण छूट उपलब्ध कराई गई है।
2. प्याज के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए 22 दिसम्बर, 2010 को सभी किस्मों के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था जिसे 17 फरवरी, 2011 को हटा लिया गया था।

3. दिसम्बर, 2010-जनवरी, 2011 में प्याज मूल्य में वृद्धि के दौरान, नेफेड तथा एनसीसीएफ ने अपने खुदरा दुकानों से विद्यमान बाजार मल्यों से कम मूल्यों पर प्याज की बिक्री की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (मदर डेयरी एवं केन्द्रीय भण्डार सहित) में 400 से भी अधिक दुकानों में इसका विस्तार किया गया।

4. पाकिस्तान से 1000 टन प्याज का आयात किया गया था।

5. 9 सितम्बर, 2011 को प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गयी थी जिसे 20 सितम्बर, 2011 को हटा लिया गया।

6. सितम्बर, 2011 में मूल्यों में वृद्धि के दौरान, एनसीसीएफ ने अपने खुदरा दुकानों/स्वचालित वाहनों के माध्यम से उचित मूल्यों पर प्याज की बिक्री की है।

## चावल संबंधी अनुसंधान

179. **श्री के. सुगुमारः**
**श्री पोन्नम प्रभाकरः**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना करने के लिए चावल संबंधी अनुसंधान किया गया है और वैज्ञानिकों को इस संबंध में एक दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त अनुसंधान देश के कई भागों में किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) जी, हां। चावल अनुसंधान निदेशालय (डीआरआर), हैदराबाद, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, (सीआरआरआई), कटक तथा चावल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित केन्द्रों ने जलवायु परिवर्तन तथा चावल उत्पादन के विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया है। इन कार्यक्रमों के अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) ने एक अन्य कार्यक्रम "राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि पहल (एनआईसीआरए)" शुरू किया है, जिनमें चावल भी एक संघटक फसल है जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित निम्नलिखित पहलुओं पर अध्ययन किया जा रहा है:-

1. पैदावार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए मॉडलिंग अध्ययन।

2. अनुकूलन नीतियों के विकास हेतु किस्मों की स्क्रीनिंग तथा प्रबंध क्रियाओं में सुधार।

3. ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सस्य विज्ञान संबंधी क्रियाएं।

यह सूचना संस्थानों की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित की जाती है। तथापि, एक व्यापक दस्तावेज एनआईसीआरए अनुसंधान के पूर्ण होने के बाद उपलब्ध कराया जायेगा।

(ग) और (घ) जी, हां। देश के विभिन्न भागों में 20 संस्थान तथा 100 कृषि विज्ञान केन्द्र इस पहल में शामिल हैं। केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक ने कई दबाव सहिष्णु किस्मों की पहचान की है जैसे जलमग्नता के लिए स्वर्ण-सब 1; सूखे के लिए सहभागी धान, सत्यभामा, वन्दना, अंजलि तथा प्यारी; लवणीय सहिष्णुता के लिए लूना सम्पद, लूना सुवर्ण, सोनामणि, लूना, बूरियाल तथा लूना सांकी एवं शीत सहिष्णुता के लिए सीआर धान 601, चन्दन, चन्द्रमा तथा शताब्दी।

## राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना

180. **श्री जी.एम. सिद्देश्वरः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और विश्व बैंक देश में एक संयुक्त राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एनएआईपी) कार्यान्वित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उपर्युक्त परियोजना का उद्देश्य क्या है;

(ग) उपर्युक्त परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा अब तक जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और उसकी शर्तें क्या हैं; और

(घ) उपर्युक्त परियोजना के कार्यान्वयन से फसल कटाई के बाद होने वाली हानि में कितनी कमी आई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एनएआईपी)

विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा निधि प्राप्त परियोजना है जो भा.कृ.अ.प. द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) एनएआईपी का समग्र उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आय सृजन के जरिए भारतीय कृषि के त्वरित और टिकाऊ परिवर्तन को सरल बनाना है। इसे निजी सैक्टर, सिविल सोसायटी संगठनों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ भागीदारी करके सार्वजनिक अनुसंधान संगठनों द्वारा कृषि नवोन्मेषी के सहयोगी विकास और अनुप्रयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

(ग) समझौते के अनुसार, विश्व बैंक कुल व्यय का 80 प्रतिशत का पुन: भुगतान करता है। आज तक कुल व्यय लगभग 777 करोड़ हुआ है जिसमें से लगभग 621.8 करोड़ (बिना संपरीक्षा के आंकड़ा) का विश्व बैंक द्वारा पुन: भुगतान किया जा चुका है।

क्रेडिट के निबंधन की शर्तों में कवर संघटक जैसे कि परियोजना का कार्यान्वयन, वित्तीय प्रतिज्ञापत्र, प्रभावी तिथि और समाप्ति की तिथियां तथा विविध प्रावधान के साथ क्रेडिट संख्या 4161-आईएन और 4162-आईएन शामिल है।

(घ) एनएआईपी के तहत संविधान मूल्य श्रृंखला से चमेली फूल में 30 प्रतिशत, आप में 10 प्रतिशत, अमरूद में 5-10 प्रतिशत और टुना में 35-40 प्रतिशत की सस्योत्तर नुकसानों में कमी हुई है।

*[हिन्दी]*

## उपभोक्ता क्लब

**181. श्री भूपेन्द्र सिंह:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित उपभोक्ता क्लबों की राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है और इनके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) ऐसे क्लबों की स्थापना हेतु विद्यालयों के चयन के लिए निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त क्लबों की स्थापना संबंधी योजना का कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) क्या सरकार ने उपभोक्ता क्लबों की स्थापना संबंधी योजना का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) देश में कुल 7929 उपभोक्ता क्लबों की स्थापना की जा चुकी है। उपभोक्ता क्लबों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। स्कूलों में उपभोक्ता क्लबों के नेटवर्क की स्थापना को युवा नागरिकों में उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अच्छी स्कीम के रूप में माना जा रहा है। स्कूली विद्यार्थियों को विविध उपभोक्ता कल्याण और उपभोक्ता संरक्षण क्रियाकलापों में शामिल करके उपभोक्ता शिक्षा प्रदान करने में एक अनौपचारिक सक्रिय प्रणाली है जो विद्यार्थियों को काफी हद तक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार उपभोक्ताओं के अधिकारों के विषय में विद्यार्थियों को शिक्षित करेगी।

(ख) उपभोक्ता क्लब की स्कीम वर्ष 2002 में प्रारम्भ की गई थी और उपभोक्ता क्लब की स्थापना सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध माध्यमिक/उच्च/उच्चतर सेकेंडरी विद्यालय/कॉलेजो में की जा सकती है। इस स्कीम के तहत दो वर्षों के लिए, प्रति वर्ष, प्रति उपभोक्ता क्लब 10,000/- रु. का अनुदान दिया जाता है। इस स्कीम को विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है और 1.4.2004 से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरित कर दिया गया है। अनुदान के लिए मापदंडों का निर्णय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जिलों की संख्या के आधार पर किया जाता है जो निम्नानुसार है:

| जिलों की संख्या | स्वीकृत क्लबों की संख्या | अनुदान राशि |
|---|---|---|
| 01-05 | 50 | 5 लाख रुपए |
| 06-15 | 100 | 10 लाख रु. |
| 16-25 | 250 | 25 लाख रु. |
| 25 से अधिक | 500 | 50 लाख रु. |

(ग) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सरकार को 500 उपभोक्ता क्लबों की स्थापना के लिए 37.00 लाख रु. की राशि मंजूर की गई है।

(घ) और (ङ) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को स्कीम के मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है। अध्ययन के समग्र विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि उपभोक्ता क्लब स्कीम लाभप्रद है क्योंकि यह युवाओं, विशेष रूप से स्कूली विद्यार्थियों को उपभोक्ता अभियान को मजबूत बनाने और जागरूकता पैदा करने में शामिल किया जाता है।

***विवरण***

*देश में स्थापित किए गए उपभोक्ता क्लबों की राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची*

| क्र.सं. | राज्य | स्कूलों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 977 |
| 2. | छत्तीसगढ़ | 250 |
| 3. | गुजरात | 250 |
| 4. | हरियाणा | 135 |
| 5. | कर्नाटक | 650 |
| 6. | महाराष्ट्र | 950 |
| 7. | ओडिशा | 550 |
| 8. | पंजाब | 250 |
| 9. | राजस्थान | 1000 |
| 10. | तमिलनाडु | 1500 |
| 11. | उत्तराखंड | 100 |
| 12. | पश्चिम बंगाल | 400 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 36 |
| 14. | सिक्किम | 50 |
| 15. | मिजोरम | 100 |
| 16. | अरुणाचल प्रदेश | 100 |
| 17. | जम्मू और कश्मीर | 153 |
| 18. | त्रिपुरा | 27 |
| 19. | केरल | 100 |
| 20. | नागालैंड | 100 |
| 21. | दिल्ली | 130 |
| | कुल | 7808 |
| | **संघ राज्य क्षेत्र** | |
| 1. | लक्षद्वीप | 21 |
| 2. | पुदुचेरी | 50 |
| 3. | चंडीगढ़ | 50 |
| | कुल | 121 |

*[अनुवाद]*

**सरकारी क्वार्टरों में उन्नयन के कार्य**

**182. श्री मानिक टैगोर:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के लुटियन क्षेत्र में सरकारी क्वार्टरों/संसद सदस्यों के फ्लैटों/बंगलों में उन्नयन का कार्य करने के लिए बिजली का उपभोग करने के लिए ठेकेदारों द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक सरकारी आवास में उन्नयन का कार्य करने के लिए ठेकेदारों को न्यूनतम एवं अधिकतम कितना समय दिया जाता है;

(ग) अपेक्षित न्यूनतम समय-सीमा में उन्नयन कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों पर अधिरोपित की गई शास्ति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अपेक्षित न्यूनतम समय-सीमा के भीतर उन्नयन कार्य पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए के.लो.नि.वि. के प्राधिकारियों द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) सरकारी क्वार्टरों में उन्नयन के कार्यों को पूरा करने के लिए ठेकेदार को विद्युत की व्यवस्था स्वयं करनी होती है। या तो उसे स्थानीय निकाय से अस्थाई विद्युत कनेक्शन स्वीकृत करवा कर आपूर्तिकर्ता एजेंसियों को विद्युत प्रभारों का सीधे भुगतान करना होता है अथवा उसे जेनरेटर सेट आदि की अपनी व्यवस्था करनी होती है।

(ख) उन्नयन कार्यों के पूरा करने के लिए ठेकेदार को दी जाने वाली समयावधि आबंटियों की सुविधा की शर्त पर बंगलों अथवा फ्लैट की उपलब्धता सहित कार्य को प्रकृति और मात्रा पर निर्भर करती है।

(ग) निविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा किसी कार्य-भाग में हुए विलंब के लिए उस पर दण्ड लगाया जाता है।

(घ) निर्धारित समय के भीतर उन्नयन के कार्य को यथा-समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए केलोनिवि द्वारा नियमित निगरानी की जाती है।

**सीपीएमएफ के लिए ई-कार्यालय परियोजना**

**183. श्री सी. शिवासामी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों (सीपीएमएफ) के लिए ई-कार्यालय परियोजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के उद्देश्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में कुल कितना व्यय होने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) से (ग) इस समय सीएमपीएफ के लिए ई-ऑफिस प्रोजेक्ट नामक कोई परियोजना प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने बीएसएफ तथा सीआरपीएफ में ऑटोमेशन/ऑफिस के लिए क्रमश: निम्नलिखित दो परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है:

(1) बीएसएफ में, निर्णय सहायता प्रणाली के सृजन के उद्देश्य से, कार्यालय क्रियापद्धति के ऑटोमेशन के लिए तथा लगभग पेपरविहीन कार्यालय कार्यप्रणाली को हासिल करने के लिए 228.74 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2010 में इंट्रानेट प्रहरी परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह परियोजना दिनांक 5.1.2012 को चालू की गयी है।

(2) सीआरपीएफ में, 50.71 करोड़ रुपए की लागत से सर्विस एण्ड लोयल्टी (एसईएलओ) प्रोजेक्ट चरण-1 कार्यान्वित किया गया है। इस परियोजना को वर्ष 2003 में मंजूरी प्रदान की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य जानकारी को सरलता से हासिल करने के लिए एक अंट्रा-कनेक्टेड पेपरविहीन कार्यालय प्रणाली को स्थापित करना है और इस प्रकार बल में निर्णय लेने की क्षमता को सुदृढ़ बनाना है।

*[हिन्दी]*

## शहरों/कस्बों में बुनियादी सुविधाएं

**184. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और अवसंरचना का विकास करने हेतु शहरों/कस्बों को कवर करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) समूचे देश में विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) ऐसे प्रस्तावों की मौजूदा स्थिति क्या है और इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत/जारी तथा उपयोग की गई निधियों का योजना-वार ब्यौरा क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के अंतर्गत 2001 की जनगणना के अनुसार, 1 मिलियन से अधिक आबादी के 65 शहर और राष्ट्रीय महत्व के चुनिंदा शहर जिनमें धार्मिक/ऐतिहासिक तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्व के स्थान शामिल किए गए हैं। एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शहरों/कस्बों को संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा बुनियादी सुविधाएं और अवसंरचना विकास में प्राथमिकता प्रदान की जाती है। राजीव आवास योजना में 12वी योजना (2017) के अंत तक 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 250 शहरों को शामिल करने का विचार है।

देश के विभिन्न राज्यों में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के प्रारंभ से, 37 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें बीएसयूपी के अंतर्गत और 65 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें आईएचएसडीपी के अंतर्गत प्राप्त हुई थीं जिनमें से बीएसयूपी के अंतर्गत 22 और आईएचएसडीपी के अंतर्गत 53 विस्तृत परियोजना अनुमोदित की गई है। जहां तक रे का संबंध है, 4 परियोजनाएं इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सागर शहरों के लिए 94.31 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदित की गई है।

(ङ) मध्य प्रदेश राज्य के लिए बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत निधियों और रिलीज के उपयोग के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रु. में)

| स्कीम | | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| बीएसयूपी | स्वीकृत निधियां | 87.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | रिलीज में से उपयोग की गई निधियां | 17.80 | 51.63 | 56.65 | 15.69 |
| आईएचएसडीपी | स्वीकृत निधियां | 21.88 | 28.87 | 16.78 | 10.96 |
| | रिलीज में से उपयोग की गई निधियां | 10.94 | 12.48 | 6.77 | 18.23 |

*विवरण*

*आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित योजनाएं*

वर्ष 2005 में 3 दिसंबर को सरकार द्वारा शुरू किया गया जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शहरी गरीबों/स्लमवासियों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) संबंधी उप मिशन के अंतर्गत 65 निर्दिष्ट शहरों में तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अन्य शहरों एवं कस्बों में स्लमों में शहरी गरीबों के लिए आवास एवं बुनियादी सेवाओं के प्रावधान हेतु सहायता प्रदान करता है। सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बीएसयूपी/आईएचएसडीपी के अंतर्गत 50% से 90% तक अनुदान देती है। मिशन अवधि 2005-06 से 7 वर्षों की है।

शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएचएसयूपी) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) एवं निम्न आय वर्ग (एलआईजी) को ऋण-सक्षम उपाय के रूप में आवासीय ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था है और ऐसे परिवारों को मकानों के निर्माण/अधिग्रहण के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों/आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए तथा 1 लाख रु. तक के ऋण हेतु ब्याज अदायगी में 5 प्रतिशत की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। यह मांग आधारित योजना है और स्कीम के लाभ सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है।

भागीदारी में किफायती आवास स्कीम का उद्देश्य ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/मध्यम आय वर्ग के लिए 1 मिलियन मकानों का निर्माण करना है जिसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कम से कम 25 प्रतिशत मकान हों। किफायती आवासों के निर्माण हेतु ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 50,000 प्रति यूनिट अथवा संरचना लागत का 25% जो भी कम हो, केन्द्र सरकार की सहायता उपलब्ध कराना है। सभी के लिए किफायती आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भागीदारी में विभिन्न एजेंसियों/सरकार/पैरा स्टेटल/शहरी स्थानीय निकाय/विकासकों को शामिल किया गया है।

'राजीव आवास योजना' (रे) नाम की स्कीम-इस स्कीम में स्लमवासियों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक राज्यों को स्लम पुनर्विकास हेतु उपयुक्त आश्रय, बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं के प्रावधान और किफायती आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। बुनियादी नागरिक तथा सामाजिक अवसंरचना एवं सुविधाओं तथा आवास जिसमें किराया आवास शामिल है, तथा स्लमों के स्वस्थाने पुनर्विकास के लिए अस्थायी आवास के प्रावधान की 50 प्रतिशत लागत जिसमें इस स्कीम के तहत निर्मित परिसंपत्तियों का प्रचालन और रख-रखाव शामिल है, केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी। पूर्वोत्तर तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत, यदि आवश्यक हो, सहित केन्द्र की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत होगी। स्लम मुक्त नगर आयोजना स्कीम प्रारंभिक गतिविधियां-राजीव आवास योजना का प्रारंभिक फेज शुरू करने के लिए राज्यों के लिए धनराशि जारी की गई है। आईएसएचयूपी और एएचपी को रे में मिला दिया गया है।

*[अनुवाद]*

**चीनी का मूल्य**

185. **श्रीमती श्रुति चौधरी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न खाद्य-वस्तुओं पर दी जा रही खाद्य राजसहायता में कटौती करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और साथ ही, गरीब लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गये हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) जी नहीं। सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और भारत सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत लाभार्थियों को निर्गत किए जा रहे राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों पर सब्सिडी को कम करने पर विचार नहीं कर रही है। राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में जुलाई, 2002 से कोई वृद्धि नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**सभी के लिए किफायती आवास**

186. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शहरी आवास की कमी का आकलन करने वाले तकनीकी समूह द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का क्या ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त योजना अवधि के दौरान उपर्युक्त प्रयोजन हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है तथा "सभी के लिए किफायती आवास" प्रदान करने, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रदान करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त उपलब्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) देश में शहरी आवास की कमी का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी समूह के निष्कर्षो/संस्तुतियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) आवास एक राज्य का विषय है, इसलिए सभी के लिए किफायती आवास के लिए कोई राज्य वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत 65 निर्दिष्ट शहरों में तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अन्य शहरों/कस्बों में शहरी गरीबों के लिए आवास एवं बुनियादी सेवाओं के प्रावधान हेतु कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं। राजीव आवास योजना के अंतर्गत भी उन राज्यों को केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं, जो स्लम में रहने वालों को सम्पत्ति का अधिकार सौंपने के इच्छुक हों।

राजीव आवास योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। जेएनएनयूआरएम (बीएसयूपी और आईएचएसडीपी) के अंतर्गत 15 लाख घरों के निर्माण के लक्ष्य की परियोजना की गई है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जेएनएनयूआरएम (बीएसयूपी और आईएचएसडीपी संघटक) के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए अब तक उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

| योजना | केन्द्र का स्वीकृत अंशदान | जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता |
|---|---|---|
| बीएसयूपी | 10199.37 | 7012.70 |
| आईएचएसडीपी | 5825.20 | 4211.33 |

बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण और निर्माणाधीन रिहायशी एककों के संबंध में उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

### *विवरण I*

*तकनीकी समूह के निष्कर्ष*

1. 2007 से 24.71 मिलियन आवासों की कमी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-12) के अंत तक कुल 26.53 मिलियन आवासों की कमी होने की संभावना है।
2. एक विस्तृत अध्ययन को एनबीओ को ग्रामीण और शहरी दोनों भारत में आवासों की आवश्यकता के संबंध में अध्ययन हेतु दिया जाना है जिसमें अन्य विभिन्न मुद्दों की भी पहचान की जाए जो अध्ययन हेतु विशेष महत्व के हो सकते हैं।
3. एनबीओ को आवासीय सांख्यिकी को एकत्र करने और उसका प्रसार करने में लगे केन्द्र और राज्य सरकार के संगठनों के बीच बेहतर सन्वय के लिए जनशक्ति और मशीनों, दोनों द्वारा उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।
4. एनबीओ को अपनी नॉडल संगठन के रूप में उत्तरदायित्व निभाने के लिए संगठित किए जाने के आवश्यकता है जिसका योजना बनाने वाले और नीति निर्माताओं की आवास के क्षेत्र में आंकड़ों की आवश्यकता को एक राष्ट्रीय संसाधन और आवास के आंकड़ों के भंडार के रूप में उपयोग किया जा सके।

### *विवरण II*

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तकनीकी समूह के निष्कर्षों के संबंध में सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा:

(1) आवास की कमी को पूरा करने के लिए, राज्य सरकारों की सहायता के लिए सरकार ने निम्नलिखित नई स्कीमें शुरू की हैं और वर्ष 2007 में राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति तैयार की है:-

* भारत सरकार ने वर्ष 2005-06 से 7 वर्ष की अवधि के लिए, 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का शुभारंभ किया था जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) कार्यक्रम के तहत देश में चयनित 65 शहरों में तथा अन्य शहरों एवं कस्बों में एकीकृत आवास एवं स्लम विकास (आीएचएसडीपी) के तहत स्लमों में रहने वाले शहरी गरीबों के लिए आवास एवं अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना है।

* इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) एवं निम्न आय वर्ग (एलआईजी) को ऋण-सक्षम उपाय के रूप में आवासीय ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने और ऐसे परिवारों को मकानों के निर्माण/अधिग्रहण के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों/आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने तथा 1 लाख रु. तक के ऋण हेतु ब्याज अदायगी में 5 प्रतिशत की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएचएसयूपी) शुरू की गई थी। यह मांग आधारित स्कीम है और निजी व्यक्तियों द्वारा इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए है।

* सरकार ने 50,000 करोड़ रु. के परिव्यय से वर्ष 2009 ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/मध्यम आय वर्ग के लिए 1 मिलियन मकानों जिसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कम से कम 25 प्रतिशत मकान हों, के निर्माण के लिए भागीदारी में किफायती आवास स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य सभी के लिए किफायती आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भागीदारी में विभिन्न एजेंसियों/सरकार/पैरा स्टेटल/शहरी स्थानीय निकाय/विकासकों को शामिल करना है।

* सरकार द्वारा राजीव आवास योजना (रे) नाम की एक नई स्कीम दिनांक 2.6.2011 को शुरू की गई है। यह योजना स्लम वासियों और शहरी गरीबों के लिए है। इस स्कीम का लक्ष्य स्लमवासियों को सम्पत्ति का अधिकार देने के इच्छुक राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करना है। सरकार का प्रयास रे के कार्यान्वयन के माध्यम से स्लम मुक्त भारत का निर्माण करना है। स्लम युक्त नगर आयोजना स्कीम प्रारंभिक गतिविधियां-राजीव आवास योजना का प्रारंभिक फेज शुरू करने के लिए 157 शहरों के लिए धनराशि जारी की गई है। यह स्कीम राज्यों द्वारा निर्धारित गति के अनुसार प्रगति करेगी। आईएसएचयूपी और एएचपी स्कीमें राजीव आवास योजना के साथ सम्मिलित कर दी गई है।

(2) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एनबीओ) के सुदृढ़ीकरण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

* आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने एनबीओ के माध्यम से मानव संसाधन और मूल्यांकन (यूएसएचए) के लिए शहरी सांख्यिकीय को केन्द्रीय योजना शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य नीतियों और कार्यक्रमों के सांख्यिकीय आधार को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिए जा रहे जोर के अनुरूप शहरी गरीबी, स्लम, आवास, निर्माण तथा शहरीकरण संबंधी अन्य सांख्यिकी के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस, एमआईएस और ज्ञान भंडार का विकास तथा रख-रखाव करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों को खासतौर पर शहरी गरीबी, स्लम और आवास से जुड़े कार्यक्रमों के संदर्भ में योजना निर्माण, नीति निर्माण, परियोजना डिजाइन, निरुपण, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए सूचना आधार और ज्ञान भंडार से सहायता प्रदान करना है।

* एनबीओ ने शहरी आवास सांख्यिकीय पर एक सार-संग्रह का प्रकाशन किया है।

## *विवरण III*

*जेएनएनयूआरएम: बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत संयुक्त वास्तविक प्रगति*
*(2 मार्च, 2012 की स्थितिनुसार)*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | स्वीकृत रिहायशी एकक | | | निर्माणाधीन एकक | | | पूर्ण की गई रिहायशी यूनिट | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बीएसयूपी | आईएचएसडीपी | कुल | बीएसयूपी | आईएचएसडीपी | कुल | बीएसयूपी | आईएचएसडीपी | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 138054 | 44536 | 182590 | 32415 | 16181 | 48596 | 92012 | 23062 | 115074 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 996 | 176 | 1172 | 8 | 0 | 8 | 92 | 0 | 92 |
| 4. | असम | 2260 | 8668 | 10928 | 1908 | 468 | 2376 | 352 | 1128 | 1480 |
| 5. | बिहार | 22372 | 18942 | 10928 | 1908 | 468 | 2376 | 352 | 2209 | 2561 |
| 6. | चंडीगढ़ (सं.रा.क्षे.) | 25728 | 0 | 25728 | 0 | 0 | 0 | 12736 | 0 | 12736 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 30000 | 17922 | 47922 | 13250 | 8316 | 21566 | 0 | 2436 | 2436 |
| 8. | दादरा और नगर हवेली | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | दमन और दीव | 0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 10. | दिल्ली | 74312 | 0 | 74312 | 20190 | 3204 | 23394 | 77740 | 3706 | 81446 |
| 11. | गोवा | 155 | 70 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | गुजरात | 108944 | 35568 | 144512 | 20190 | 3204 | 23394 | 77740 | 3706 | 81446 |
| 13. | हरियाणा | 3248 | 16608 | 19856 | 404 | 2230 | 2634 | 2844 | 6559 | 9403 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 636 | 1954 | 2590 | 176 | 776 | 952 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | 6677 | 7623 | 14300 | 820 | 3723 | 4543 | 344 | 523 | 867 |
| 16. | झारखंड | 16724 | 11544 | 28268 | 829 | 3255 | 4084 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | कर्नाटक | 28118 | 17237 | 45355 | 6283 | 3061 | 9344 | 15327 | 13564 | 28891 |
| 18. | केरल | 23577 | 26295 | 49872 | 3465 | 4212 | 7677 | 11694 | 13199 | 24893 |
| 19. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | मध्य प्रदेश | 41446 | 22510 | 93956 | 20214 | 8182 | 28396 | 8708 | 1543 | 10251 |
| 21. | महाराष्ट्र | 154750 | 101280 | 256030 | 37070 | 21328 | 58398 | 48636 | 14180 | 62816 |
| 22. | मणिपुर | 1250 | 2829 | 4079 | 1160 | 1809 | 2969 | 0 | 832 | 832 |
| 23. | मेघालय | 768 | 912 | 1680 | 424 | 456 | 880 | 160 | 48 | 208 |
| 24. | मिजोरम | 1096 | 1950 | 3046 | 961 | 347 | 1308 | 135 | 820 | 955 |
| 25. | नागालैंड | 3504 | 2761 | 6265 | 242 | 240 | 482 | 1270 | 480 | 1750 |
| 26. | ओडिशा | 2508 | 13365 | 15873 | 1180 | 217 | 6397 | 907 | 2903 | 3810 |
| 27. | पुदुचेरी | 2964 | 432 | 3396 | 1125 | 72 | 1197 | 358 | 0 | 358 |
| 28. | पंजाब | 5152 | 9984 | 15136 | 4152 | 4396 | 8547 | 1000 | 0 | 1000 |
| 29. | राजस्थान | 11151 | 39770 | 50921 | 5830 | 12216 | 18046 | 765 | 5360 | 6125 |
| 30. | सिक्किम | 254 | 39 | 293 | 164 | 39 | 203 | 52 | 0 | 52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | तमिलनाडु | 90918 | 32889 | 123807 | 21312 | 9169 | 30481 | 29339 | 23720 | 53059 |
| 32. | त्रिपुरा | 256 | 3115 | 3371 | 0 | 793 | 793 | 256 | 1471 | 1727 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | 68217 | 47399 | 115616 | 15225 | 18634 | 33859 | 28601 | 12358 | 40959 |
| 34. | उत्तराखंड | 1799 | 5032 | 6831 | 245 | 2101 | 2346 | 54 | 1008 | 1062 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | 160670 | 52666 | 213336 | 31811 | 6971 | 38782 | 58506 | 35067 | 93573 |
| | संपूर्ण योग | 1028504 | 544276 | 1572780 | 239371 | 140746 | 380117 | 406060 | 166190 | 572250 |

जेएनयूआरएम निगरानी प्रकोष्ठ

## शहरों के लिए मास्टर प्लान

**187. श्री आर. थामराईसेलवनः** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार शहरी विकास के लिए भागीदारी वाला दृष्टिकोण अपनाने तथा निजी और सरकारी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को सेवा प्रदाय के लिए जिम्मेदार बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश दिया है कि शहरों के लिए मास्टर प्लान बनाते समय गरीब लोगों के लिए रहने व कार्य करने की स्थानिक जरूरतों पर भी विचार किया जाना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) और (ख) शहरी सेवाएं कुशलता पूर्वक मुहैया कराने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से यथासंभव सीमा तक निजी सेवा प्रदाताओं को शामिल करने का सरकार का प्रयास है जिसके लिए भारत सरकार ने व्यवहार्यता अन्तराल वित्तपोषण स्कीम (वीजीएफ), भारतीय अवस्थापना परियोजना विकास कोष (आईआईपीडीएफ), भारतीय अवस्थापना वित्त निगम लिमिटेड (आईआईएफसीएल), पीपीपी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, प्रारूप राष्ट्रीय पीपीपी नीति तैयार करना आदि जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने राजीव आवास योजना (रे) शुरू की है तथा दिशानिर्देशों में स्लम मुक्त नगर आयोजना की कार्यपद्धति निर्दिष्ट की गई है। इसमें निम्नलिखित के आधार पर पुनर्विकास/पुनर्वास योजनाएं निर्दारित की गई है:

* सभी स्लमों का सर्वेक्षण अधिसूचित और गैर-अधिसूचित;
* अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्लमों का मानचित्रण;
* भू-स्थानिक और सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों का एकीकरण; और
* प्रत्येक स्लम के लिए प्रस्तावित विकास माडल की पहचान करना।

## ओलंपिक खेल, 2012 की तैयारी

**188. श्री एम.के. राघवनः**
**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीनाः**
**श्री किसनभाई वी. पटेलः**
**प्रो. रमाशंकरः**
**श्री प्रदीप माझीः**

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने लंदन में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेल, 2012 की तैयारी के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कौन-कौन से खेल हैं जिनकी तैयारी निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही है, खेल-वार ब्यौरा दें; और

(ङ) तैयारी में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गये कदमों तथा उन पर सरकार द्वारा अब तक व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):** (क) जी, हां।

(ख) लंदन ओलंपिक, 2012 के लिए मंत्रालय ने एथलिटों एवं दलों की तैयारी के लिए 'ऑपरेशन एक्ससेलेंस फॉर लंदन ओलम्पिक्स 2012' (ओपेक्स 2012) प्रोजेक्ट आरंभ किया है। ओपेक्स 2012 के अंतर्गत, प्रबल संभावितों की पहचान की जा चुकी है और देश एवं विदेशों में उन्हें व्यापक एवं गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए निधियां 'राष्ट्रीय खेल परिसंघ को सहायता' एवं 'राष्ट्रीय खेल विकास निधि' की योजना से प्रदान की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) 16 खेलों अर्थात् तीरदांजी, एथलेटिक्स, बैटमिंटन, मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, रॉविंग, तैराकी, निशानेबाजी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती एवं नौकायन के भारतीय दलों/व्यक्तिगत खिलाड़ियों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए चिन्हित किया गया है। लंदन ओलम्पिक के लिए विभिन्न खेलों की तैयारियों की समीक्षा हेतु दो उच्च स्तरीय समिति अर्थात् सचिव (खेल) की अध्यक्षता में संचालन समिति एवं माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष समिति का गठन किया गया है। समितियां समय-समय पर तैयारियों की समीक्षा कर रही है। आज की तारीख में 29 खिलाड़ी 5 खेलों में एवं भारतीय पुरुष हॉकी दल लंदन ओलम्पिक में भागीदारी के लिए अर्हता प्राप्त कर चुकी है।

(ङ) मंत्रालय तैयारियों की गहन निगरानी कर रहा है और तैयारियों की समीक्षा के लिए संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों, साई और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ लगातार संपर्क में हैं। 29 फरवरी, 2012 तक लंदन ओलम्पिक 2012 की तैयारियों के लिए एथलिटों पर अनुमानतः 123.73 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | उद्देश्य | खर्च |
|---|---|---|
| 1. | कोचिंग शिविर | 43.72 करोड़ रुपए |
| 2. | विदेशी अनुभव | 69.52 करोड़ रुपए |
| 3. | एनएसडीएफ | 05.36 करोड़ रुपए |
| 4. | विदेशी कोच | 05.13 करोड़ रुपए |
| | कुल योग | 123.73 करोड़ रुपए |

## बोतलबंद जल मानक नियमों का उल्लंघन

**189. डॉ. ज्योति मिर्धा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें/रिपोर्टें मिली हैं कि मिनरल वाटर के विनिर्माण और विक्रय में लगी कंपनियां बोतलबंद जल के मानक संबंधी नियमों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी परम्पराओं को रोकने के लिए संगत कानूनों के अंतर्गत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) से (ग) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

*विवरण*

| आईएस सं. और उत्पाद | शिकायतकर्ता | शिकायत का प्रकार | शाखा | अनुज्ञप्तिधारी और अनुज्ञप्ति संख्या | अंतिम अनुज्ञप्तिधारी शाखा | जांच-पड़ताल और स्थिति का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1720 आईएस | श्री अमरनाथ चौरसिया रोबर्टसगंज जिला | जार 20 लि. में काली मिट्टी | लखनऊ शाखा | मैसर्स नवनीत बेवरेज वाराणसी | लखनऊ शाखा कार्यालय | 1. शिकायत की जांच पड़ताल कर ली गई है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14543 पैकबंद पेयजल | सोनभद्रा 231216 (15.5.09 को पंजीकृत) | | | (एल-9681907) | | 2. अनुज्ञप्तिधारी बदलाई के लिए सहमत है परन्तु शिकायतकर्ता नकद मुआवजे का इच्छुक है जिसके लिए उसने न्यायालय में मामला दायर किया है। अत: शिकायत बंद कर दी गई। |
| 1714 आईएस 14543 पैकबंद पेयजल | श्री पंकज अग्रवाल, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना शाखा, अध्यक्ष कोंधवा, कोंधवा (बीके), पुणे-411048 (13.4.09 को पंजीकृत: | 200 मि.लि. के कप में विजातीय पदार्थ पाया गया | पुणे शाखा कार्यालय | मैसर्स धारीवाल इंडस्ट्रीज लि.मि. (फूड एंड बेवरेजस डिविजन) पुणे (एल-7385788) | पुणे शाखा कार्यालय | 1. शिकायत की जांच-पड़ताल की गई।<br>2. शिकायत के नमूने ने स्वतंत्र परीक्षण पास कर लिया, इसलिए शिकायत को बंद कर दिया गया। |
| 1728 आईएस 14543 पैकबंद | श्री वेलार कालम गोपालकृष्णन मैनेजर ऐस्सार जामनगर (29.7.09 को पंजीकृत) | 180 बोतलों (300 मि.ली.) में से 1 बोतल में प्रलंबित पदार्थ | राजकोट शाखा कार्यालय | मैसर्स डॉलफिन एक्वा बेवरिज प्रा.लि. जामनगर (एल-7830632) | राजकोट शाखा कार्यालय | 1. जांच-पड़ताल की गई।<br>2. शिकायत के नमूने ने स्वतंत्र परीक्षण पास कर लिया, इसलिए शिकायत को बंद कर दिया गया। |
| 1735 आईएस 14543 पैकबंद | स्वास्थ्य अधिकारी बेरहामपुर नगर निगम बेरहामपुर (9.11.09 को पंजीकृत) | बैच सं. और निर्माण की तारीख के बिना | बीएचबीओ | मैसर्स सूर्या प्यूरीफायर बेरहामपुर (एल-5345564) | बीएचबीओ | 1. जांच-पड़ताल कर ली गई है।<br>2. शिकायत प्रमाणित नहीं हुई क्योंकि शिकायत के साथ कोई भरी हुई थैली बिना किसी बैच सं. और डीओएम के बिना पाई गई। अत: शिकायत को बंद कर दिया। |
| 1731 आईएस 14543: 2004 पैकबंद पेयजल | श्री राजेश वर्मा, मन्नू टेन्ट हाउस, 10, शिप्रा काम्प्लैक्स, तुलसी नगर, भोपाल (16.10.09 को पंजीकृत) | 20 लि. के जार में विजातीय पदार्थ पाए गए | बीपीएलबीओ | मैसर्स आर.ए. एन्टरप्राइजेज, 7-बी, एफ सेक्टर, इन्ड. एस्टेट, गोविंदपुरा, भोपाल (एल-8461682) | बीपीएलबीओ | 1. जांच-पड़ताल कर लीगई है।<br>2.विनिर्माता को 'स्टॉप मार्किंग' के अंतर्गत रखा गया है।<br>3. फर्म ने शिकायत सामग्री को बदल दिया और शिकायतकर्ता से संतुष्टि प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है।<br>4. शिकायत को बंद कर दिया गया है। |
| 1740 आईएस 14543 पैकबंद | डा. अनील गुप्ता, पी.जे. इंडस्ट्रीज, 237, जी.आई.डी.सी., पनोली भारूत, गुजरात (26.3.10 को पंजीकृत) | बोतल में दुर्गन्ध पाई गई | अहमदाबाद शाखा कार्यालय | मैसर्स पेप्सी कं. इंडिया लि. झागडिया (एल-7416975) | अहमदाबाद शाखा कार्यालय | 1. शिकायत की जांच-पड़ताल कर ली गई है।<br>2. शिकायत को प्रमाणिक नहीं पाया गया और बंद कर दिया गया। |
| 1743 आईएस 14543 पैकबंद पेयजल | श्री विजय हीरेमथ लेखा और प्रशासन प्रबंधक, नवनीत मोटर, 4 कोनापन्ना अग्रहारा, बेगुस होबली होसल रोड, इलैक्ट्रानिक सिटी के पास, बंगलौर-560100 (21.6.10 को पंजीकृत) | बोतल के तल पर फफूंद पाया गया | बंगलौर शाखा कार्यालय | मैसर्स तेजकमल ट्रेड लिंक्स प्रा.लि. 3, बेलामर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, नागसान्द्रा, बंगलौर-560073 | बंगलौर शाखा कार्यालय | 1. शिकायत की जांच-पड़ताल की गई।<br>2. शिकायत की सामग्री नहीं पाई गई और शिकायत प्रमाणिक नहीं पाई गई। शिकायत को बंद कर दिया गया। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1746 आईएस 14543 पैकबंद पेयजल | श्री रघु जी पॉयनीयर फिल्टर, सं. 115, दूसरी मेन रोड, इंडस्ट्रियल टाऊन, बंगलौर-560044 (20.7.10 को पंजीकृत) | 20 लि. आईएसआई मार्क के मर्तबान दूषित पाए गए | बंगलौर शाखा कार्यालय | मैसर्स एनवी मिनरल्स (एल-6602058) | बंगलौर शाखा कार्यालय | 1. शिकायत की जांच-पड़ताल कर ली गई है। 2. नमूना नहीं पाया गया और शिकायत को प्रमाणिक नहीं पाया गया। अत: शिकायत को बंद कर दिया गया। |
| 1752 आईएस 14543 पैकबंद पेयजल | श्री तरूण कुमार, घोषाल, रानीहाटी, हावड़ा (15.11.10 को पंजीकृत) | आपत्तिजनक गन्ध पाई गई | कोलकाता शाखा कार्यालय | मैसर्स बिजोरीग्रिल एयरेटिड वॉटर कम्पनी (प्रा.) लि. बीएल साहा रोड कोलकाता (एल-5475678) | कोलकाता शाखा कार्यालय | 1. शिकायत की जांच-पड़ताल कर ली गई है। 2. शिकायत के नमूने ने परीक्षण पास कर लिया है। 3. शिकायत को बंद कर दिया गया। |
| 1759 आईएस 14543 पैकबंद पेयजल | श्री संजीव रायचौधरी एसोम जातीयतावादी युवाचित्र परिषद, मध्य गुवाहाटी क्षेत्र समिति, लच्छित नगर, गुवाहाटी-7 (25.2.11 को पंजीकृत) | बोतल के तल में काला धब्बा देखा गया | गाजियाबाद शाखा कार्यालय | मैसर्स उदयक एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा.लि. (एल-5175161) | गाजियाबाद शाखा कार्यालय | 1. शिकायत सामग्री न्यूनतम स्वतंत्र जांच के लिए भेजा गया है। 2. आवश्यक जांच में नमूना सफल हुआ और इसीलिए शिकायत को प्रमाणिक नहीं किया जासका। |
| 1762 पैकबंद पेयजल | श्री चंद्रमोहन, म.सं.-17-1-393/एस/223, हैदराबाद (29.3.11 को पंजीकृत) | जल का निकृष्ट प्रकार | हैदराबाद शाखा कार्यालय | मैसर्स गौतम लि. हैदराबाद | हैदराबाद शाखा कार्यालय | शिकायकर्ता ने पत्र लिखा है कि उसने शिकायत वापिस ले ली है। इसलिए शिकायत बंद कर दी गई। |
| 1768 आईएस 14543 पैकबंद पेयजल | श्री कुलदीप सिंह राजपूत (13.5.2011 को पंजीकृत) | बाहरी तत्व देखा गया | भोपाल शाखा कार्यालय | मैसर्स मानिकचंद फुड ब्रीवरीज सागर एमपी (सीएम/एल-8941696) | भोपाल शाखा कार्यालय | 9.2.2011 से स्टाप मार्किंग लागू किया गया और लाइसेंस समाप्तकर दिया गया। |
| 1770 आईएस 14543 पैकबंद पेयजल | श्री वी. श्रीकांत सुपुत्र वी.बी. चारी 1-5-636/1-, सिटिजन कॉलोनी, ओल्ड अलवल सिकंदराबाद 19.5.11 को पंजीकृत) | वर्णित मानदंडों के अनुरूप नहीं है। | हैदराबाद शाखा कार्यालय | मैसर्स पन्ना बेवरेजंस मेडक, ए पी (सीएम/एन-6389488) | हैदराबाद शाखा कार्यालय | शिकायतकर्ता से कोई उत्तर नहीं मिला और इसलिए शिकायत को बंद कर दिया गया। |
| 1775 आईएस 14543: 2004 पैकबंद पेयजल | श्री विनय ठाकुर, 403, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, पंचकूला-134113 (हरियाणा) (19.8.2011 को पंजीकृत) | बाहरी तत्व पाया गया। | एमडीसीएच-3 | मैसर्स ओम साई फुड एंड बेवरेज, कुराली, मोहाली (पंजाब) (सीएम/एल-9767513) | एमडीसीएच-3 | 6.9.2011 को स्टॉप मार्किंग लागू किया गया। सुधारात्मक कार्रवाई और उसके सत्यापन के बाद, स्टॉप मार्किंग को रद्द किया गया/फर्म ने शिकायतकर्ता से संतोष पत्र भी प्रस्तुत किया। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777 आईएस 14543 पैकबंद पेयजल | श्री एस.सी. गुप्ता, 315, प्रगति एपार्टमेंट, पश्चिम पुरी, नई दिल्ली-63 (24.8.11 को पंजीकृत) | ग्लास के ढक्कन में बैच संख्या और पैकिंग की तिथि अंकित नहीं थी। | एमडीडी-1 | मैसर्स श्री तिरूपति जी एंटरप्राइसेस, मायापुरी, दिल्ली (सीएम/-एल-3211533) | एमडीडी-1 | शिकायत की जांच की जा रही है। |
| 1779 आईएस 14543 पैकबंद पेयजल | श्री सन्नी जोन, ए-102, एसआरवी फ्लोरा, एपार्टमेंट, 32/11, हरलाकुंट, सोमसुंदर पल्या कुंडलु हारलुर रोड के पास, एचएसआर लेपुट, पी ओर बैंगलोर (13.09.11 को पंजीकृत) | पीडब्ल्यूडी में सस्पैंडेड ग्रीन एलगी पाई गई | बीएनबीओ | मैसर्स एक्वा मिनरल इंडिया, बैंगलोर (सीएम/एल-6550065) | बीएनबीओ | कंटेनर को बदल दिया गया है। शिकायत को बंद कर दिया गया है। |
| 1782 आईएस 14543: 2004 पैकबंद पेयजल | श्री सी. रवि, 14/21, प्रथम ए मेनरोड, डीआर कॉलेज पोस्ट, बैंगलुरू (26.9.11 को पंजीकृत) | 1 लिटर के बोतल में एक रबर बैंड पाया गया | बीएनबीओ | मैसर्स श्री सांई गणेश मिनरल्स, बैंगलुरू (सीएम/एल-6824480) | बीएनबीओ | इसकी जांच की जा रही है। |
| 1783 आईएस 14543: 2004 पैकबंद पेयजल | श्री रघु कुमार, आईपीएसएसपी, सीबीआई, त्रिवेंद्रम, हाऊस सं. 21, शांति नगर कॉलोनी, हाऊसिंग बोर्ड, जंक्शन त्रिवेंद्रम (11.10.11 को पंजीकृत) | अत्यधिक क्लोरिन की महक | टीबीओ | मैसर्स प्रीमियर एक्वा इंडस्ट्रीज, कन्याकुमारी, (सीएम/एल-6612465) | टीबीओ | इसकी जांच की जा रही है। |

*[हिन्दी]*

## फ्लैटों को परिवर्तित करना

**190. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने फ्लैटों और आवासीय प्लाटों को पूर्णस्वामित्व (फ्रीहोल्ड) वाली संपत्ति में परिवर्तित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्राधिकरण द्वारा अब तक फ्रीहोल्ड में परिवर्तित किए गये फ्लैटों की संख्या कितनी है; और

(ग) फ्रीहोल्ड में परिवर्तित कराए जाने हेतु लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) जी हां। डीडीए इस संबंध में निर्धारित आदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार लीजहोल्ड को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने की अनुमति दे रहा है।

(ख) डीडीए द्वारा दिनांक 29.02.2012 तक यथा सूचित फ्रीहोल्ड में परिवर्तित किए गए फ्लैटों/भूखण्डों का ब्यौरा इस प्रकार है:

| | | |
|---|---|---|
| डीडी फ्लैट | : | 87,025 |
| समूह आवासीय फ्लैट | : | 49,695 |
| रिहायशी भूखण्ड | : | 99,673 |

(ग) डीडीए द्वारा दिनांक 29.02.2012 को यथा सूचित लंबित मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है:

| | | |
|---|---|---|
| डीडी फ्लैट | : | 604 |
| समूह आवासीय फ्लैट | : | 584 |
| रिहायशी भूखण्ड | : | 1327 |

*[अनुवाद]*

## कॉमन मॉबिलिटी कार्ड

**191. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दैनिक यात्रियों के लाभ हेतु देश के विभिन्न परिवहन माध्यमों में उपयोग हेतु एक राष्ट्रीय कॉमन मॉबिलिटी कार्ड शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन में राज्य सरकारों/निजी ऑपरेटरों के साथ कोई समझौता किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने दिनांक 6.12.2011 को दैनिक यात्रियों के लाभ के लिए देश के विभिन्न परिवहन माध्यमों में उपयोग किए जाने हेतु एक राष्ट्रीय कामन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) का लोगो, डिजाइन और ब्रांड नाम शुरू किया है।

(ग) जी नहीं। तथापि, एनसीएमसी अपनाने के लिए राज्य सरकारों को परामर्शिका जारी की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## पुलिस शिकायत प्राधिकरण

**192. श्री आनंदराव अडसुल:**
**श्री गजानन ध. बाबर:**
**श्री धर्मेन्द्र यादव:**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुलिस प्रशासन आमतौर पर शिकायतें/एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को राज्य/जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पीसीए)स्थापित करने का निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी साइबर अपराधों सहित अपराध की रोकथाम, उसका पता लगाने, दर्ज करने तथा जांच करने और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर विधि प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से अभियुक्तों पर अभियोग चलाने की भी है। तथापि, भारत सरकार, साइबर अपराधों सहित अपराध के बारे में अत्यधिक चिंतित है और अत: समय-समय पर राज्य सरकारों को यह सलाह देती रही है कि वे दंड न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार करने और अपराध के लिए आवश्यक उपाय करने पर अधिक ध्यान दें। सरकार ने 16 जुलाई 2010 को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपराध के निवारण के बारे में एक व्यापक सलाह जारी की है।

(ग) से (ङ) जी हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

### *विवरण*

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार इस प्रकार के प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:-

(1) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, रिबेरी समिति अथवा सोराबजी समिति द्वारा संस्तुत मॉडलों में से किसी एक मॉडल के आधारपर राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करना,

(2) पुलिस महानिदेशक के रैंक में पदोन्नति के लिए पैनल में शामिल विभाग के तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन/और एक बार चयन हो जाने पर चाहे उनकी अधिवर्षिता की तारीख कुछ भी हो, कम से कम दो वर्ष का न्यूनतम कार्यकाल प्रदान करना,

(3) प्रचालनात्मक ड्यूटियों पर तैनात पुलिस अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित करना,

(4) जांच पुलिस को कानून एवं व्यवस्था पुलिस से अलग करना और इसकी शुरुआत दस लाख अथवा उससे अधिक की आबादी वाले कस्बों/शहरी क्षेत्रों से की जाए तथा धीरे-धीरे इसे छोटे कस्बों/शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाए,

(5) अन्य बातों के साथ-साथ, पुलिस उपाधीक्षक के रैंक से नीचे के अधिकारियों के सभी स्थानान्तरणों/तैनातियों, पदोन्नति तथा सेवा संबंधी अन्य मामलों में निर्णय लेने के लिए राज्य स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना, और

(6) पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरणों का गठन करना।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने, इस मुद्दे की जांच करने के लिए न्यूनतम न्यायालय के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री के.टी. थॉमस की अध्यक्षता में दो और सदस्यों को शामिल करके एक समिति गठित करने का निदेश दिया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत के उच्चतम न्यायालय को पहले ही प्रस्तुत कर दी है।

## जे.एन.एन.यू.आर.एम.के अंतर्गत परियोजनाएं

193. **श्री संजय दिना पाटील:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में ऐसे शहरों की संख्या कितनी है जहां जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत परियोजनाएं शुरू किए जोन का प्रस्ताव है और इन परियोजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की क्या योजनाएं हैं और उनकी स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को परियोजना तैयार करने और उन्हें अनुमोदित कराने की जटिल प्रक्रिया को पूरा करने में कठिनाई हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) के अंतर्गत महाराष्ट्र में पांच मिशन शहर ग्रेटर मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे और नांदेड़ हैं। ग्रेटर मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे और नांदेड़ शहरों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) और उनके क्रियान्वयन की स्थिति के साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अभी तक 14 परियोजनाएं वास्तविक रूप से पूरी हुई सूचित की गई हैं और शेष क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) के अंतर्गत उचित विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार करने में राज्य सरकारों को सुविधा प्रदान करने के लिए डीपीआर तैयार करने के टूलकिट्स परिचालित किए गए हैं। केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति प्रदान करने के लिए शहर विकास योजना (सीडीपी) से निकलने वाली और राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता दिए जाने वाली तथा जेएनएनयूआरएम के यूआईजी के दिशानिर्देशों के अनुरूप पाई गईं डीपीआर पर उनके तकनीकी मूल्यांकन और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन विचार करती है।

(घ) राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मिशन निदेशालय द्वारा लक्ष्यों की उपलब्धि के सरलीकरण की दृष्टि से शहरी स्थानीय निकायों/पेरास्टेटलों के अधिकारियों के द्रुत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने, राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन एककों (पीएमयू) और शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन एककों (पीआईयू) और राज्य स्तरीय स्वतंत्र पुनरीक्षा और मानीटरिंग एजेंसी (आईआरएमए) को सहायता देने आदि जैसे क्षमता निर्माण उपाय किए गए हैं। राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी), राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) और राज्य के लिए आईआरएमए के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा भी अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन किया जा रहा है/निरंतर निगरानी की जा रही है।

## *विवरण*

*परियोजना के क्रियान्वयन की स्थिति: महाराष्ट्र*

(लाख रु. में)

| क्र.सं. | परियोजना शीर्ष | अनुमोदित लागत | वचनबद्ध कुल एसीए | उपयोग के लिए जारी एसीए | नवीनतम क्यूपीआर के अनुसार पूरा होने की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ग्रेटर मुंबई** | | | | | |
| 1. | मरोसी से रूपारेल कालेज तक भूमिगत सुरंग (12 कि.मी.) | 29,486.76 | 10,320.37 | 6,708.23 | सितम्बर-12 |
| 2. | मुंबई सीवेज डिस्पोजल परियोजना स्टेज-II प्राथमिकता का कार्य | 36,201.00 | 12,670.35 | 8,291.68 | अप्रैल-13 |
| 3. | प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम से एपीएलआर-एमयूआईपी तक इस्टर्न फ्रीवे | 33,638.80 | 11,773.58 | 8,830.20 | सितम्बर-12 |
| 4. | सहर रोड पर भूमोपरि रोड-एमयूआईपी | 15,513.34 | 5,429.67 | 4,072.26 | मई-11 |
| 5. | थाणे रेलवे स्टेशन क्षेत्र की यातायात सुधार योजना (एसएटीआईएस) | 2,325.00 | 813.75 | 813.75 | पूरा हो गया |
| 6. | थाणे के लिए अतिरिक्त 100 एमएलडी जल आपूर्ति योजना के लिए डीपीआर | 7,118.00 | 2,491.30 | 2,491.30 | पूरा हो गया |
| 7. | थाणे के लिए एकीकृत नाला विकास फेज-1 | 9,239.00 | 3,233.65 | 2,910.28 | पूरा हो गया |
| 8. | थाणे के लिए एकीकृत नाला विकास फेज-2 | 11,659.00 | 4,080.65 | 3,672.58 | पूरा हो गया |
| 9. | थाणे के लिए भूमिगत सीवरेज योजना फेज-1 | 14,956.79 | 5,234.88 | 3,402.67 | मार्च-11 |
| 10. | मालावार हिल जलाशय से क्रास मैदान तक भूमिगत सुरंग (3.6 कि.मी.) | 9,398.79 | 3,289.58 | 2,138.21 | फरवरी-12 |
| 11. | ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना ग्रेटर मुंबई | 17,879.00 | 6,257.65 | 3,128.82 | जून-12 |
| 12. | मुंबई के लिए मध्य वैतरणा जल आपूर्ति परियोजना-4 | 132,950.00 | 46,532.50 | 46,532.13 | जुलाई-12 |
| 13. | थाणे के लिए सीवरेज प्रणाली परियोजना फेज-2 | 14,009.00 | 4,903.15 | 1,961.26 | मई-11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | थाणे के लिए सीवरेज प्रणाली परियोजना फेज-3 | 4,179.00 | 1,462.65 | 585.34 | दिसम्बर-12 |
| 15. | विकेन्द्रीकृत प्रणाली पर आधारित भूमिगत सीवरेज परियोजना | 33,142.27 | 11,599.79 | 7,539.81 | जनवरी-12 |
| 16. | वर्षा के जल की निकासी-कल्याण-डोम्बीवली | 5,540.26 | 1,939.09 | 1,745.17 | मार्च-12 |
| 17. | केडीएमसी के भाग के लिए भूमिगत सीवरेज | 16,963.35 | 5,937.17 | 3,859.15 | मार्च-12 |
| 18. | कल्याण-डोम्बीवली नगर निगम की 150 एमएलडी जल आपूर्ति योजना | 10,681.49 | 3,738.52 | 2,803.89 | मार्च-12 |
| 19. | नवी मुम्बई नगर निगम के लिए जल आपूर्ति प्रणाली को बढ़ाना | 23,052.03 | 8,068.21 | 5,244.33 | मार्च-12 |
| 20. | थाणे नगर निगम के कल्वा और मुम्बरा क्षेत्रों के लिए एकीकृत नल्ल विकास फेज-2 | 5,789.27 | 2,026.24 | 1.317.06 | पूरा हो गया |
| 21. | उल्हासनगर-जल आपूर्ति वितरण प्रणाली | 12,765.23 | 4,467.83 | 1,787.13 | फरवरी-12 |
| 22. | कुलगांव-बदलापुर-भूमिगत सीवरेज प्रणाली | 15,146.18 | 5,301.16 | 2,120.46 | अगस्त-12 |
| 23. | कल्याण-डोम्बीवली नगर निगम की मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली को बढ़ाना | 24,708.22 | 8,647.88 | 5,621.11 | फरवरी-11 |
| 24. | नवी मुंबई नगर निगम के लिए भूमिगत सीवरेज प्रणाली | 35,366.52 | 12,378.28 | 9,283.71 | मार्च-12 |
| 25. | नवी मुंबई के लिए ठोस कचरा प्रबंधन | 4,986.86 | 1,745.40 | 698.16 | अक्तूबर-11 |
| 26. | अम्बरनाथ नगर परिषद के लिए सीवरेज प्रणाली | 10,941.57 | 3,829.56 | - | दिसम्बर-13 |
| | कुल | 537,636.73 | 188,172.86 | 137,558.69 | 5 |
| **नांदेड़** | | | | | |
| 1. | उत्तरी नांदेड़ में जल आपूर्ति में सुधार | 9,087.00 | 7,269.60 | 7,269.60 | मई-12 |
| 2. | उत्तरी नांदेड़-क्षेत्र-1 में सीवरेज प्रणाली | 4,025.00 | 3,220.00 | 2,415.00 | मई-12 |
| 3. | उत्तरी नांदेड़-क्षेत्र-2 में सीवरेज प्रणाली | 4,889.00 | 3,911.20 | 2,933.30 | मई-12 |
| 4. | उत्तरी नांदेड़-क्षेत्र-3 में सीवरेज प्रणाली | 3,931.00 | 3,144.80 | 2,358.65 | मार्च-12 |
| 5. | नांदेड़ के लिए जल आपूर्ति | 4,945.00 | 3,956.00 | 3,956.00 | मई-12 |
| 6. | भूमिगत सीवरेज और सीवेज ट्रीटमेंट (नांदेड़-दक्षिण) | 4,093.00 | 3,274.40 | 2,946.96 | मई-12 |
| 7. | नांदेड़ पैकेज 1, 3 और 3 बी रोड में आवाजाही के नेटवर्क में सुधार | 21,497.33 | 17,197.86 | 15,478.09 | मार्च-12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | नांदेड़ में सिटी रोड में सुधार (पैकेज 1) | 6,108.55 | 4,886.84 | 4,398.16 | मार्च-12 |
| 9. | रिवर फ्रंट विकास नार्थ बैंक क्षेत्र-3 | 4,313.08 | 3,450.46 | 3,450.48 | पूरा हो गया |
| 10. | नांदेड़ पैकेज 3 बी स्ट्रक्चर में आवाजाही नेटवर्क में सुधार | 5,815.49 | 4,652.39 | 4,652.40 | पूरा हो गया |
| 11. | धरा/वर्षा जल का निपटान और प्रबंधन परियोजना (उत्तरी क्षेत्र, नांदेड़) | 4,573.08 | 3,658.46 | 2,378.01 | मई-12 |
| | कुल | 73,277,53 | 58,622.02 | 52,236.65 | 2 |
| **नागपुर** | | | | | |
| 1. | रोडोपरि ब्रिज (आरओबी) | 8,628.00 | 4,314.00 | 3,236.50 | दिसम्बर-12 |
| 2. | नागपुर शहर में जल आपूर्ति वितरण के नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन | 3,394.87 | 1,697.44 | 1,527.69 | पूरा हो गया |
| 3. | जल आपूर्ति के लिए ऊर्जा लेखापरीक्षा परियोजना | 2,503.62 | 1,251.81 | 1,126.62 | पूरा हो गया |
| 4. | जल क्षेत्र (रिसाव का पता लगाना) | 278.73 | 139.37 | 125.43 | पूरा हो गया |
| 5. | जल लेखा परीक्षा परियोजनाएं | 2,500.00 | 1,250.00 | 812.50 | मार्च-12 |
| 6. | पेंच जलाशय से जल उठाना और उसे नहर के बदले मोटर लाइन युक्त एमएस पाइपलाइन द्वारा महादुल्ला तक पहुंचाना | 14,463.70 | 7,231.85 | 4,700.70 | दिसम्बर-12 |
| 7. | अपशिष्ट जल पुनआवर्तन और उसका पुनः उपयोग | 13,011.00 | 6,505.50 | 1,626.38 | दिसम्बर-12 |
| 8. | कन्हाण विस्तार योजना | 8,217.00 | 4,108.50 | 2,670.50 | अक्तूबर-11 |
| 9. | जल आपूर्ति पेंच-4 (भाग-2) | 6,196.00 | 3,098.00 | 1,239.20 | दिसम्बर-12 |
| 10. | जल आपूर्ति पेंच-4 (भाग-3) | 8,059.27 | 4,029.64 | 2,619.18 | दिसम्बर-12 |
| 11. | जल आपूर्ति पेंच-4 (भाग-4) | 10,460.68 | 5,230.34 | 3,399.71 | मार्च-12 |
| 12. | आनंद टाकीज के निकटस्थ ब्रिज के नीचे रोड का निर्माण | 1,828.65 | 914.33 | 594.31 | दिसम्बर-12 |
| 13. | आनंद टाकीज के निकटस्थ ब्रिजोपरि रोड का निर्माण | 253.00 | 126.50 | 31.63 | दिसम्बर-12 |
| 14. | इटवारी के ब्रिजोपरि रोड का निर्माण | 900.80 | 450.40 | 292.76 | दिसम्बर-12 |
| 15. | अमला नागपुर पर 1041/3-5 के बीच लेवल क्रासिंग संख्या 297/ए (उच्च श्रेणी) के प्रतिस्थापन में मंगलवारी पर ब्रिजोपरि रोड का निर्माण | 849.14 | 424.57 | 275.96 | मार्च-12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | पीपीपी फ्रेमवर्क के अंतर्गत नागपुर सिटी के लिए 24×7 जल आपूर्ति परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए पुनर्स्थापना योजना | 38,786.00 | 19,393.00 | 4,848.25 | दिसम्बर-12 |
| 17. | 46 समूहों में एनआईटी क्षेत्र (फेज-2) तृतीय वितरण नेटवर्क के लिए जल आपूर्ति प्रणाली | 29,639.55 | 14,819.78 | 3,704.95 | दिसम्बर-12 |
| | कुल | 149,970.01 | 74,985.01 | 32,832.27 | 3 |
| **पुणे** | | | | | |
| 1. | सीवरेज परिशोधन संयंत्रों और पंपिंग स्टेशन के संवर्धन और उन्नयन | 8,613.00 | 4,306.50 | 4,306.49 | दिसम्बर-11 |
| 2. | पुणे सिटी के लिए बीआरटी परियोजना (कटराज स्वरगेट हाडाप्सर रूट 17.00 कि.मी.) | 10,313.50 | 5,156.75 | 5,156.75 | पूरा हो गया |
| 3. | प्राकृति जलाशयों के संदूणष को रोकने और पुणे के आस-पास के पुरातन स्थलों (पर्यावरण का पुनरुद्धार/मुला मुहा नदी पारिस्थितिकी) का विकास करने के लिए नालियों का निर्माण और सुधार | 9,996.00 | 4,998.00 | 3,248.70 | मार्च-12 |
| 4. | पुणे में सीवरेज और ड्रेनेज निस्तारण प्रणाली का नवीकरण और प्रबंधन (वेयरीज का संवर्धन, नहरों का पुनरुद्धार, जैवीकीय उपचार तथा नालों और नदियों की भू-दृश्यों का निर्माण) | 9,778.00 | 4,889.00 | 4,400.10 | मार्च-12 |
| 5. | पिंपरी चिंचवाड के लिए सीवरेज प्रस्ताव | 11,938.88 | 5,969.44 | 5,969.44 | फरवरी-12 |
| 6. | पुणे सिटी के लिए बस रेपिड ट्रांजिट (फेज-1)-48.77 कि.मी. | 47,662.20 | 23,831.10 | 21,445.47 | मार्च-12 |
| 7. | ठोस कचरा प्रबंधन-पिंपरी-चिंचवाड | 7,044.81 | 3,522.41 | 3,522.41 | मार्च-12 |
| 8. | पिंपरी-चिंचवाड जल आपूर्ति प्रबंधन के प्रस्ताव (4) | 35,862.00 | 17,931.00 | 17,931.00 | मार्च-12 |
| 9. | बस रैपिड ट्रांजिट प्रणाली (राष्ट्रमंडल युवा खेल, 2008 के लिए अवसंरचना का विकास) 36.00 कि.मी. | 43,422.00 | 21,711.00 | 21,711.00 | मार्च-12 |
| 10. | मुंबई-पुणे राजमार्ग के लिए बीआरटीएस कोरीडोर (8.5 किमी.) और औध रावत रोड (14.5 कि.मी.) कुल 23 कि.मी. | 31,214.00 | 15,607.00 | 15,607.00 | मार्च-12 |
| 11. | नागपुर रोड पर पैदल चलने वालों के लिए 3 सबवेज और यानीय अंडरपास का निर्माण | 661.00 | 330.50 | 247.89 | दिसम्बर-11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | बनेज जंक्शन पर वेस्टरले बाईपास पर सबवे | 726.00 | 363.00 | 363.00 | पूरा हो गया |
| 13. | संगमवाडी ब्रिज तक एप्रोच रोड | 782.00 | 391.00 | 351.90 | पूरा हो गया |
| 14. | पुणे के लिए बीआरटी कोरीडोर के बतौर नई अलंदी रोड को सुधार और सुदृढ़ीकरण (विक्रमवादी से डीघी-चुंगी नाका तक 13.9 कि.मी.) | 3,703.00 | 1,851.50 | 925.76 | मार्च-12 |
| 15. | पिम्परी-चिंचवाड नगर निगम के लिए सीवरेज प्रणाली (फेज-2) | 12,070.45 | 6,035.23 | 6,035.20 | मार्च-12 |
| 16. | बीआरटीएस कोरीडोर-कालेवाड-केएसबी चौक से देहू-अलंदी रोड (ट्रंक रूट 7)-पीसीएमसी-11.20 कि.मी. | 21,920.00 | 8,768.00 | 2,192.00 | दिसम्बर-11 |
| 17. | जल आपूर्ति फेज-2 | 13,511.82 | 6,755.91 | 6,755.92 | मार्च-12 |
| 18. | पिंपरी-चिंचवाड के लिए वर्षा जल निकासी परियोजना (फेज-2) | 11,630.24 | 5,815.12 | 2,907.56 | मार्च-12 |
| 19. | पुणे सिटी के लिए वर्षा जल निकासी परियोजना (फेज-1) | 17,747.00 | 8,873.50 | 2,500.00 | दिसम्बर-12 |
| 20 | बीआरटीएस कोरीडोर-नासिक फाटा से वाकड (ट्रंक रूट संख्या 9)-पीसीएमसी-7.08 कि.मी. | 20,682.00 | 8,272.80 | 4,136.40 | दिसम्बर-11 |
| | कुल | 319,277.90 | 155,378.75 | 129,713.99 | 3 |
| **नासिक** | | | | | |
| 1. | जल आपूर्ति परियोजनाओं का सतत कार्य | 5,052.00 | 2,526.00 | 2,252.13 | ह्रद्गष्-11 |
| 2. | नासिक सिटी के लिए भूमिगत सीवरेज परियोजना फेज-1 | 14,846.00 | 7,423.00 | 6,680.70 | दिसम्बर-11 |
| 3. | नासिक के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | 5,999.23 | 2,999.62 | 2,443.34 | पूरा हो गया |
| 4. | वर्षा के जल की निकासी | 31,031.00 | 15,515.50 | 11,636.25 | दिसम्बर-11 |
| 5. | गोदावरी रिवर फ्रंट विकास, घाट सुधार और सौन्दर्यीकरण | 5,805.00 | 2,902.50 | 1,451.26 | मार्च-12 |
| 6. | भूमिगत सीवरेज परियोजना फेज-2 | 17,182.92 | 8,591.46 | 2,147.87 | मार्च-12 |
| | कुल | 79,916.15 | 39,958.08 | 26,611.55 | 1 |

*[हिन्दी]*

## मेट्रो ट्रेन में सुरक्षा के इंतजाम

194. **श्री महाबल मिश्राः**
**श्रीमती मीना सिंहः**
**श्री एस.एस. रामासुब्बूः**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मेट्रो ट्रेन के दरवाजों में यात्रियों के फंसने और प्लेटफार्म पर घसीटे जाने के साथ-साथ अत्यधिक भीड़, छेड़छाड़ की घटनाएं होने की खबरें हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान घटी ऐसी घटनाओं तथा इसमें सुधार के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं/दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए सुझाव देने हेतु दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अधिकारियों के साथ कोई बैठक की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) महिला यात्रियों के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये/क्या सुरक्षा इंतजाम किये जा रहे हैं तथा प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) ने सूचित किया है कि मेट्रो ट्रेन में छेड़छाड़ करने और यात्रियों के दरवाजे में फंस जाने की शिकायतें मिली हैं। तथापि, मेट्रो ट्रेन में भीड़-भाड़ होने की स्वीकार्य सीमा में यात्रियों के स्वीकार्य मापदंडों के भीतर होती है।

(ख) पिछले चार वर्षों में मेट्रो ट्रेन के दरवाजे में यात्री की टांग फंस जाने और घसीटे जाने की चार घटनाएं हुई हैं। मेट्रो ट्रेन के दरवाजे में यात्री की टांग फंस जाने और घसीट कर ले जाने की चार घटनाओं और उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

| तारीख | स्थान | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| 6.2.2009 | नई दिल्ली | कोई तकनीकी खराबी नहीं पाई गई। |
| 17.8.2011 | जहांगीर पुरी | |
| 17.1.2012 | जनकपुरी ईस्ट | डीएमआरसी ने सुधारात्मक कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। |
| 28.1.2012 | राजीव चौक | |

पिछले तीन वर्षों में दिल्ली मेट्रो में महिला यात्रियों के साथ छेड़छाड़ करने की पांच शिकायतें मिली हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान महिला यात्रियों के साथ छेड़छाड़ करने की दर्ज की गई शिकायतें निम्नानुसार हैं:-

| क्र.सं. | तारीख | स्थान | शिकायत | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.8.2009 | तिलक नगर मेट्रो स्टेशन | यात्री ने ट्रेन में शराबी यात्री द्वारा छेड़छाड़ करने की शिकायत की थी। | आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामला दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस को भेजा गया है। |
| 2. | 18.4.2010 | विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन | यात्री ने सह यात्री द्वारा छेड़छाड़ करने की शिकायत की थी। | आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामला दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस को भेजा गया है। |
| 3. | 21.1.2010 | जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन | यात्री ने सह यात्री द्वारा छेड़छाड़ करने की शिकायत की थी। | सीसीटीवी फुटेज के अनुसार किसी भी घटना की पुष्टि नहीं हो सकी थी। |
| 4. | 10.10.2011 | हौजखास मेट्रो स्टेशन | यात्री ने सह यात्री द्वारा छेड़छाड़ करने की शिकायत की थी। | दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस के पास पुरुष यात्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। |
| 5. | 28.11.2011 | मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन | यह आरोप लगाया गया है कि दो शराबी यात्रियों ने वृद्ध महिला यात्री के साथ दुर्व्यवहार किया था। | आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामला दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस को भेजा गया है। |

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मेट्रो ट्रेनों में भीड़-भाड़ को नियंत्रित रखने के लिए डीएमआरसी ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) यात्रियों को अधिक आराम देने के लिए चार कार वाली कुल 123 ट्रेनों को छह कार वाली ट्रेनों में परिवर्तित करके ट्रेनों के फ्लीट को बढ़ाया गया है। दिल्ली मेट्रो ने 68 ट्रेनों को 8 कार वाली ट्रेनों में परिवर्तित करने की योजना बनाई है जो अक्तूबर, 2012 में शुरू हो जाएगी और दिसम्बर, 2013 तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा।

(ii) व्यस्ततम समय के दौरान अधिक संख्या में ट्रेनों को सेवा में लगाया गया है।

(iii) यात्रियों का मार्ग-निर्देशन करने के लिए ट्रेनों/स्टेशनों के भीतर घोषणाएं की जाती हैं। प्लेटफार्म पर अगली ट्रेन के आने के बारे में भी घोषणाएं की जाती हैं।

(iv) यात्रियों का मार्ग-निर्देशन करने, ट्रेनों की आवाजाही को सुचारू बनाने और किसी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए व्यस्ततम प्लेटफार्मों पर ग्राहक सुविधा एजेंटों को तैनात किया गया है।

महिला यात्रियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) प्रत्येक ट्रेन की प्रथम कार केवल महिला यात्रियों के लिए आरक्षित की गई है।

(ii) निगरानी के लिए आंतरिक सीसीटीवी कैमरे युक्त ट्रेनें शुरू की गई हैं और इस संबंध में मार्गनिर्देशन करने के लिए आवश्यक घोषणाएं की जाती हैं।

(iii) यात्रियों को शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से विशेष अभियान चलाए जाते हैं और दोषियों को दंडित किया जाता है।

(iv) सीआईएसएफ की क्विक रिअक्शन टीमों को तैनात किया गया है।

## दालों का उत्पादन

**195. श्री हर्ष वर्धन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भ.कृ.अ.प.) और कृषि विश्वविद्यालयों को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए किस तरह प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(घ) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में कितनी राशि निर्धारित की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन (एनएफएसएम-दलहन) कार्यक्रम के अधीन देश में दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संस्थानों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर) और राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र (एनसीआईपीएम) को सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, भारत सरकार ने (1) प्रजनक बीज उत्पादन और प्रशिक्षण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण; (2) तूर (अरहर) में उपज की उत्पादकता और स्थायित्व को बढ़ाने हेतु साइटोप्लासमिक जेनेटिक मेल स्टेर्लिटी (सीजीएमएस) आधारित संकर के मूल्यांकन और उत्पादन; (3) दलहनों के अग्रणी प्रदर्शनों के आयोजन; तथा (4) समेकित नाशीजीव प्रबंधन के गहन अनुप्रयोग के माध्यम से चना (चिकपी) व तूर के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निधियां मुहैया कराई हैं। इसके अलावा, अधिकतर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) में स्थित चार अखिल भारत दलहन समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं (एआईसीआरपी) एफएलडी के आयोजन में शामिल हैं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही हैं।

आईसीएआर ने भी 2010-11 के दौरान 11 मुख्य दलहन उत्पादक राज्यों में केवीके को शामिल करते हुए दलहन संबंधी 6000 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन आयोजित किए हैं।

किसानों द्वारा दलहनों की आधुनिक तकनीकें अपनाए जाने के लिए, भारत सरकार बीज उत्पादक, बीज वितरण, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम), समेकित नाशीजीव प्रबंधन (आईपीएम), शाकनाशियों, उन्नत कृषि उपकरणों के लिए सहायता, स्प्रिंकलरों, खेतों तक पानी के लाए जाने हेतु पाईपलाइन और पम्पसेटों के वितरण आदि के माध्यम से वृद्धित जल उपयोग कुशलता हेतु सहायता मुहैया कराती है। इसके अलावा, नवीनतम उत्पादन प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए किसानों तथा विस्तार कर्मियों का प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सुसंहत क्षेत्र दृष्टिकोण के माध्यम से किसानों के खेतों पर दलहन उत्पादन व संरक्षण प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान दलहन के एक मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 1000 यूनिटों (1000 हैक्टे. प्रत्येक की एक यूनिट) के साथ देश में त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए3पी) कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अलावा, देश में वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन ग्रामों के समेकित विकास का एक कार्यक्रम 11 प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि स्वस्थाने नमी संरक्षण मिनिकीटों और नाशीजीव निगरानी के समावेशन के साथ त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम और किसान उत्पादक समूहों के ढांचे (एफपीओ) के लिए और किसानों को सर्वांगीण सहायता प्रदान करने के लिए लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) को मण्डी सम्पर्क विस्तार समर्थन के लिए सहायता दी जाती है ताकि किसानों के लिए बेहतर आर्थिक प्रतिलाभ सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने खरीफ व रबी दलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी वृद्धि की है। इन प्रोत्साहनों से किसानों को ग्राम स्तर पर दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाने में मदद मिलेगी।

वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान दलहनों पर आईसीएआर अनुसंधान के लिए योजना निधियों का आबंटन 132.44 करोड़ रुपए है और कृषि एवं सहकारिता विभाग में दलहन संवर्धन स्कीमों के लिए मुख्य दलहन उत्पादक राज्यों में यह 3373.11 करोड़ रुपए है।

*[अनुवाद]*

## कृषि में अनुसंधान और विकास

196. **श्री प्रदीप माझी:**
**श्री किसनभाई वी. पटेल:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रयोगशालाओं और खेतों के बीच चौड़ी खाई को पाटने के लिए अपने अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को कृषि क्षेत्र के अभिमुखी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कृषि शिक्षा के पाठ्यक्रमों को संशोधित करने तथा इसे अभिमुखी बनाने का भी प्रस्ताव है ताकि इसे और ज्यादा प्रासंगिक तथा कृषक-हितैषी बनाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित किये गये मानदण्डों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में कृषि शिक्षा में सुधार लाने के लिए उठाये गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) स्टेक होल्डर्स के साथ परस्पर विचार-विमर्श, किसानों के खेतों में परिणामों के वैधीकरण, एग्री-इनक्यवेटर द्वारा माडल्स को बढ़ाने एवं किसान प्रथम कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयोगशालाओं तथा खेतों के बीच महत्वपूर्ण अन्तराल को कम करने के लिए पहल कर रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) पाठ्यक्रम में सुधार लाना आवश्यकता आधारित अनवरत प्रक्रिया है। वर्तमान में, इसे किसानों के अधिक अनुकूल बनाने हेतु, उत्पादन प्रसंस्करण, गुणवर्धन, विपणन तथा सेवाओं में सहयोगी कुशलता के साथ-साथ विद्यार्थियों को जानकारी से लैस करने के लिए पाठ्यक्रम के पुनर्विन्यास तथा सुधार का प्रस्ताव है। इसके अलावा, प्रणाली की दक्षता को बढ़ाने, युवा प्रतिभा को आकर्षित करने, संकाय के जरिए शैक्षणिक उत्कृष्टता, विद्यार्थी विकास कार्यक्रम, सार्वजनिक तथा निजी अनुसंधान तथा विकास संस्थानों के साथ कृषि विश्वविद्यालयों की नेटवर्किंग तथा प्रत्यायन के जरिए गुणवत्ता की सुनिश्चितता का कार्य शुरू किया जा रहा है।

## महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध

197. **श्री अधीर चौधरी:**
**श्री राधा मोहन सिंह:**
**श्री हमदुल्लाह सईद:**
**श्रीमती जे. शांता:**
**श्री सी. शिवासामी:**
**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महिलाओं और बच्चों के प्रति कई प्रकार के अत्याचार और अपराध होने की खबरे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अपराध-वार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्य-वार दर्ज किए गए ऐसे अपराधों की कुल संख्या क्या है;

(ग) राज्य-वार समाधान किए गए/समाधान नहीं किए गए ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई और उक्त अवधि के दौरान ऐसे सभी मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गये;

(घ) क्या सरकार ने महिलाओं विशेषकर रात के समय तथा बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने तथा ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य सरकारों तथा पुलिस विभाग को दिशा-निर्देश जारी करने के साथ कोई प्रभावी कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों तथा पुलिस विभाग की प्रतिक्रिया क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) से (ङ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2008, 2009 और 2010 के दौरान महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों के संबंध में पंजीकृत मामलो, आरोप पत्रित मामले, दोषसिद्ध मामले, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप-पत्रित व्यक्यिों और दोषसिद्ध व्यक्तियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध सहित, अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, जांच-पड़ताल और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, केन्द्र सरकार, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम और नियंत्रण को अत्यधिक महत्व देती है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 4 सितम्बर, 2009 और 14 जुलाई, 2010 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत सलाहें भेजी हैं जिनमें उन्हें, अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हिंसा के दोषी पाए गए व्यक्तियों को तत्काल एवं निवारक दण्ड देने हेतु समुचित उपाय करने, विलम्ब को कम करने, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध की जांच-पड़ताल की गुणवत्ता में सुधार लाने, जिलों में महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ स्थापित करने, पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने, विशेष महिला न्यायालयों की सुरक्षा के बारे में कदम उठाए जाने की सलाह दी गई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 'महिला प्रकोष्ठ' रात्रि स्थापित कर लिए हैं। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी जिला स्तरों पर "समस्त महिला पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन स्तर पर महिला/बाल सहायता डेस्क" स्थापित किए हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 14 जुलाई, 2010 को विस्तृत परामर्शी पत्र भेजा गया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्यालयों/संस्थानों, विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सार्वजनिक परिवाहन, बच्चों के पार्क/प्ले ग्राउंड, आवासीय बस्तियों/सड़कों इत्यादि में सुरक्षा स्थितियों में सुधार लाने के सभी उपाय करने की सलाह दी गई है। यह भी सलाह दी गई है कि अपराध बहुल क्षेत्रों की पहचान की जाए और विद्यार्थियों, विशेषरूप से लड़कियों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी क्षेत्रों में होने वाले उल्लंघनों की निगरानी करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए। इस प्रयोजनार्थ, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित कदम उठाए जाने की सलाह दी गई है:-

(i) बीट कांस्टेबलों की संख्या बढ़ाना;

(ii) विशेष रूप से दूर-दराज एवं एकान्त स्थानों में पुलिस सहायता बूथों/क्योस्कों की संख्या बढ़ाना;

(iii) विशेष रूप से रात्रि के दौरान पुलिस गश्त बढ़ाना;

(iv) अपराध बहुल क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पूर्णतः सुसज्जित और पुलिस अवसंरचनायुक्त पुलिस अधिकारियों, विशेष रूप से महिला पुलिस की तैनाती करना।

गृह मंत्रालय ने दिनांक 4 फरवरी, 2012 को बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम करने एवं उनका मुकाबला करने से संबंधित परामर्शी पत्र भी जारी किया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साइबर स्टाकिंग, साइबर बुलींग, चाइल्ड प्रोर्नोग्राफी तथा यौन-शोषण संबंधी सामग्री के प्रदर्शन जैसे सभी प्रकार के अपराधों का विशेष तौर पर मुकाबला करने की सलाह दी गई है।

गुमशुदा बच्चों, मानव दुर्व्यापार को रोकने एवं बच्चों का पता लगाने की आवश्यकता संबंधी उपायों में दिनांक 31 जनवरी, 2012 को पृथक रूप से जारी परामर्शी पत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को घृणित अथवा संगठित अपराध यथा बलात्कार पीड़ितों, यौन शोषण, चाइल्ड प्रोर्नोग्राफी, अंग दुर्व्यापार इत्यादि जैसे अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए विशेष रूप से सलाह दी गई है।

## *विवरण I*

*वर्ष 2008-2010 के दौरान महिलाओं के प्रति कुल अपराधों* के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप-पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)*

| क्र.सं. | राज्य | 2008 | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सीआर | सीएस | सीवी | पीएआर | पीसीएस | पीसीवी | सीआर | सीएस | सीवी | पीएआर | पीसीएस | पीसीवी | सीआर | सीएस | सीवी | पीएआर | पीसीएस | पीसीवी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 24111 | 20107 | 2948 | 35831 | 35377 | 4507 | 25569 | 20907 | 2668 | 36465 | 34101 | 4118 | 27244 | 23851 | 3166 | 38570 | 39417 | 4472 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 175 | 122 | 18 | 180 | 139 | 25 | 164 | 147 | 25 | 182 | 158 | 25 | 190 | 117 | 11 | 197 | 138 | 12 |
| 3. | असम | 8122 | 4776 | 436 | 8531 | 5814 | 1007 | 9721 | 5324 | 622 | 11810 | 6435 | 892 | 11555 | 6293 | 522 | 12996 | 7496 | 833 |
| 4. | बिहार | 8662 | 5654 | 881 | 14223 | 12348 | 1603 | 8803 | 5423 | 788 | 14457 | 12000 | 1822 | 8471 | 5281 | 861 | 13134 | 12422 | 1554 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 3962 | 3796 | 682 | 6026 | 5896 | 1097 | 4002 | 3928 | 669 | 6337 | 6259 | 866 | 4176 | 3917 | 860 | 6577 | 6481 | 1343 |
| 6. | गोवा | 130 | 89 | 22 | 176 | 144 | 49 | 164 | 97 | 20 | 235 | 158 | 27 | 140 | 127 | 13 | 214 | 217 | 16 |
| 7. | गुजरात | 8616 | 8165 | 289 | 22194 | 22258 | 631 | 8009 | 7449 | 236 | 21170 | 21336 | 825 | 8148 | 7690 | 228 | 20459 | 20277 | 974 |
| 8. | हरियाणा | 5142 | 3690 | 869 | 7421 | 7397 | 1407 | 5312 | 3726 | 851 | 7350 | 7371 | 1403 | 5562 | 3960 | 903 | 7540 | 7232 | 1712 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 979 | 796 | 86 | 1494 | 1462 | 143 | 954 | 899 | 65 | 1428 | 1527 | 122 | 1028 | 817 | 51 | 1481 | 1464 | 97 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 2295 | 1619 | 92 | 3233 | 3233 | 176 | 2624 | 2125 | 207 | 4095 | 4086 | 362 | 2611 | 1813 | 145 | 3569 | 3544 | 215 |
| 11. | झारखंड | 3183 | 2584 | 579 | 4932 | 4503 | 947 | 3021 | 2797 | 1076 | 4309 | 4205 | 1645 | 3087 | 2607 | 618 | 5172 | 6031 | 1156 |
| 12. | कर्नाटक | 6890 | 5904 | 486 | 12780 | 11972 | 1081 | 7852 | 6387 | 368 | 13941 | 13432 | 833 | 8807 | 7282 | 511 | 15179 | 13880 | 868 |
| 13. | केरल | 8117 | 7203 | 553 | 11353 | 11410 | 851 | 8049 | 7759 | 664 | 11132 | 11694 | 1068 | 9463 | 8871 | 637 | 13253 | 13471 | 886 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 14908 | 14447 | 4941 | 26163 | 26100 | 10908 | 15827 | 15887 | 3657 | 28262 | 28193 | 5430 | 16468 | 16083 | 4177 | 27814 | 27837 | 7525 |
| 15. | महाराष्ट्र | 15862 | 14748 | 698 | 38390 | 37015 | 1224 | 15048 | 14393 | 636 | 41095 | 39858 | 1116 | 15737 | 14661 | 565 | 40377 | 39236 | 1073 |
| 16. | मणिपुर | 211 | 66 | 0 | 147 | 6 | 0 | 194 | 8 | 0 | 183 | 10 | 0 | 190 | 6 | 1 | 141 | 7 | 1 |
| 17. | मेघालय | 208 | 75 | 25 | 161 | 90 | 24 | 237 | 130 | 12 | 178 | 190 | 12 | 261 | 133 | 7 | 228 | 130 | 8 |
| 18. | मिजोरम | 162 | 147 | 125 | 177 | 159 | 134 | 150 | 160 | 117 | 165 | 235 | 123 | 170 | 171 | 159 | 194 | 210 | 250 |
| 19. | नागालैंड | 47 | 36 | 24 | 68 | 40 | 26 | 46 | 49 | 26 | 72 | 62 | 54 | 41 | 39 | 33 | 66 | 54 | 18 |
| 20. | ओडिशा | 8303 | 6618 | 633 | 10910 | 10760 | 1185 | 8120 | 6576 | 486 | 11346 | 11142 | 742 | 8501 | 8635 | 485 | 16112 | 16298 | 932 |
| 21. | पंजाब | 2627 | 1852 | 378 | 4233 | 3943 | 779 | 2631 | 1849 | 565 | 4100 | 3428 | 1034 | 2853 | 1932 | 497 | 4646 | 4367 | 1084 |
| 22. | राजस्थान | 14491 | 8925 | 2619 | 14097 | 14080 | 4099 | 17316 | 10092 | 2408 | 15455 | 15455 | 15460 | 4006 | 18182 | 10232 | 15335 | 15321 | 3720 |
| 23. | सिक्किम | 48 | 49 | 9 | 55 | 56 | 9 | 41 | 63 | 19 | 76 | 66 | 25 | 42 | 58 | 6 | 68 | 57 | 5 |
| 24. | तमिलनाडु | 7220 | 5834 | 2104 | 11345 | 10304 | 3185 | 6051 | 4858 | 1596 | 9450 | 9499 | 2977 | 6708 | 4780 | 1749 | 9649 | 8841 | 2809 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | त्रिपुरा | 1416 | 1292 | 97 | 1774 | 1517 | 90 | 1517 | 1406 | 87 | 2727 | 1910 | 121 | 1678 | 1360 | 95 | 2127 | 1611 | 144 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 23569 | 17802 | 8900 | 57874 | 46420 | 22787 | 23254 | 17364 | 8555 | 63332 | 47745 | 23471 | 20169 | 14401 | 10307 | 58330 | 41235 | 27706 |
| 27. | उत्तराखंड | 1151 | 918 | 354 | 1690 | 1694 | 1227 | 1188 | 999 | 397 | 2064 | 1963 | 974 | 1074 | 864 | 499 | 1750 | 1683 | 1075 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 20912 | 15120 | 540 | 24328 | 22167 | 650 | 23307 | 18648 | 467 | 20671 | 19765 | 651 | 26125 | 23528 | 435 | 26549 | 28005 | 628 |
| | कुल राज्य | 191519 | 152374 | 29388 | 319786 | 296304 | 59851 | 199171 | 159450 | 27287 | 332087 | 302289 | 55744 | 208681 | 169509 | 29613 | 341727 | 316962 | 61116 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 80 | 55 | 0 | 85 | 87 | 0 | 92 | 64 | 2 | 126 | 108 | 2 | 85 | 68 | 0 | 131 | 112 | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ | 143 | 92 | 22 | 216 | 138 | 39 | 150 | 64 | 43 | 158 | 148 | 69 | 141 | 90 | 44 | 138 | 124 | 57 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 28 | 26 | 0 | 64 | 54 | 0 | 20 | 18 | 3 | 20 | 34 | 4 | 30 | 17 | 6 | 46 | 31 | 8 |
| 32. | दमन और दीव | 15 | 11 | 0 | 51 | 69 | 0 | 13 | 7 | 0 | 38 | 17 | 0 | 14 | 11 | 0 | 51 | 42 | 0 |
| 33. | दिल्ली संघ शासित | 3938 | 2784 | 482 | 3115 | 4237 | 856 | 4251 | 2569 | 623 | 2753 | 3339 | 800 | 4518 | 2428 | 586 | 3040 | 2852 | 997 |
| 34. | लक्षद्वीप | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35. | पुदुचेरी | 129 | 113 | 17 | 191 | 194 | 27 | 106 | 119 | 19 | 152 | 176 | 47 | 115 | 109 | 21 | 205 | 203 | 48 |
| | कुल संघ शासित | 4337 | 3082 | 522 | 3724 | 4780 | 923 | 4633 | 2844 | 690 | 3249 | 3825 | 922 | 4904 | 2724 | 657 | 3612 | 3365 | 1110 |
| | कुल अखिल भारत | 195856 | 155456 | 29910 | 323510 | 301084 | 60774 | 203804 | 162294 | 27977 | 335336 | 306114 | 56666 | 213585 | 172233 | 30270 | 345339 | 320327 | 62226 |

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

*महिलाओं के प्रति कुल अपराध में निम्नलिखित शीर्ष शामिल है:- महिलाओं एवं लड़कियों का बलात्कार, अपहरण एवं व्यपहरण, दहेज हत्या, छेड़छाड़, यौन-उत्पीड़न, पति एवं रिश्तेदारी द्वारा निर्दयता, लड़कियों की खरीद, अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण अधिनियम), दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन अधिनियम और सती निवारण अधिनियम।

## *विवरण II*

### *वर्ष 2008-2010 के दौरान बच्चों के प्रति कुल अपराध* के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप-पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)*

| क्र.सं. | राज्य | 2008 | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सीआर | सीएस | सीवी | पीएआर | पीसीएस | पीसीवी | सीआर | सीएस | सीवी | पीएआर | पीसीएस | पीसीवी | सीआर | सीएस | सीवी | पीएआर | पीसीएस | पीसीवी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1321 | 1137 | 127 | 1661 | 1726 | 178 | 1719 | 1267 | 121 | 2065 | 1789 | 195 | 1823 | 1599 | 155 | 2046 | 2154 | 205 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 24 | 18 | 0 | 20 | 18 | 0 | 33 | 29 | 0 | 27 | 29 | 0 | 20 | 26 | 0 | 21 | 20 | 0 |
| 3. | असम | 183 | 93 | 18 | 112 | 109 | 15 | 44 | 77 | 12 | 48 | 70 | 7 | 197 | 82 | 7 | 132 | 51 | 9 |
| 4. | बिहार | 766 | 561 | 26 | 1363 | 1086 | 36 | 1016 | 598 | 18 | 1468 | 1170 | 45 | 1843 | 900 | 35 | 2414 | 1718 | 48 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 1167 | 1099 | 278 | 1271 | 1266 | 305 | 1319 | 1273 | 251 | 1497 | 1498 | 283 | 1463 | 1378 | 332 | 1668 | 1648 | 303 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | गोवा | 80 | 53 | 11 | 104 | 61 | 18 | 92 | 63 | 15 | 123 | 111 | 15 | 79 | 80 | 9 | 80 | 119 | 11 |
| 7. | गुजरात | 1074 | 788 | 60 | 1197 | 1210 | 141 | 968 | 677 | 42 | 980 | 995 | 138 | 1006 | 691 | 26 | 1058 | 994 | 51 |
| 8. | हरियाणा | 269 | 227 | 58 | 325 | 334 | 81 | 353 | 235 | 70 | 317 | 318 | 122 | 303 | 228 | 67 | 274 | 274 | 90 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 205 | 130 | 23 | 189 | 165 | 29 | 221 | 182 | 31 | 232 | 202 | 37 | 246 | 175 | 10 | 269 | 269 | 17 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 17 | 12 | 1 | 7 | 17 | 1 |
| 11. | झारखंड | 71 | 57 | 5 | 141 | 98 | 5 | 60 | 51 | 20 | 149 | 108 | 47 | 54 | 53 | 3 | 44 | 74 | 3 |
| 12. | कर्नाटक | 388 | 235 | 18 | 324 | 285 | 13 | 308 | 260 | 10 | 315 | 315 | 6 | 409 | 275 | 23 | 389 | 358 | 20 |
| 13. | केरल | 549 | 441 | 29 | 666 | 725 | 33 | 587 | 513 | 44 | 698 | 658 | 51 | 596 | 689 | 54 | 698 | 838 | 57 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 4259 | 4035 | 1073 | 5620 | 5574 | 1866 | 4646 | 4315 | 1100 | 5838 | 5813 | 1477 | 4912 | 4632 | 1384 | 5846 | 5788 | 1803 |
| 15. | महाराष्ट्र | 2709 | 2033 | 89 | 3082 | 2937 | 110 | 2894 | 2280 | 119 | 3086 | 2950 | 162 | 3264 | 2390 | 92 | 3759 | 3456 | 130 |
| 16. | मणिपुर | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 39 | 1 | 0 |
| 17. | मेघालय | 62 | 40 | 0 | 53 | 48 | 0 | 83 | 40 | 0 | 66 | 42 | 0 | 110 | 51 | 3 | 77 | 56 | 2 |
| 18. | मिजोरम | 22 | 23 | 1 | 21 | 22 | 1 | 14 | 12 | 2 | 15 | 13 | 1 | 50 | 45 | 22 | 50 | 46 | 32 |
| 19. | नागालैंड | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 |
| 20. | ओडिशा | 141 | 134 | 20 | 199 | 200 | 20 | 194 | 164 | 4 | 200 | 197 | 4 | 194 | 174 | 12 | 218 | 220 | 14 |
| 21. | पंजाब | 389 | 243 | 67 | 385 | 328 | 88 | 729 | 368 | 102 | 891 | 547 | 132 | 627 | 376 | 112 | 700 | 580 | 158 |
| 22. | राजस्थान | 1223 | 643 | 91 | 732 | 723 | 98 | 1407 | 719 | 125 | 899 | 901 | 122 | 1318 | 542 | 103 | 749 | 741 | 173 |
| 23. | सिक्किम | 24 | 19 | 5 | 14 | 26 | 6 | 40 | 29 | 8 | 33 | 31 | 8 | 29 | 56 | 0 | 34 | 66 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 666 | 439 | 115 | 566 | 537 | 136 | 634 | 501 | 58 | 659 | 595 | 64 | 810 | 512 | 116 | 703 | 613 | 129 |
| 25. | त्रिपुरा | 163 | 117 | 21 | 160 | 116 | 11 | 163 | 106 | 18 | 100 | 68 | 8 | 227 | 172 | 21 | 216 | 191 | 20 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 4078 | 2585 | 1325 | 5760 | 4113 | 2339 | 3085 | 224 | 1278 | 4736 | 3876 | 2216 | 2332 | 1808 | 1456 | 3662 | 3090 | 2491 |
| 27. | उत्तराखंड | 38 | 39 | 32 | 58 | 76 | 62 | 33 | 25 | 21 | 36 | 43 | 57 | 31 | 32 | 26 | 45 | 45 | 58 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 513 | 322 | 13 | 453 | 389 | 22 | 484 | 225 | 10 | 375 | 277 | 14 | 880 | 493 | 44 | 1009 | 542 | 51 |
| | कुल राज्य | 20486 | 15522 | 3510 | 24498 | 22183 | 5618 | 21216 | 16243 | 3481 | 24901 | 22625 | 5213 | 22923 | 17486 | 4118 | 26227 | 23976 | 5881 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 47 | 30 | 0 | 52 | 40 | 0 | 41 | 29 | 6 | 63 | 49 | 7 | 51 | 38 | 0 | 61 | 38 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | चंडीगढ़ | 66 | 20 | 13 | 59 | 29 | 17 | 71 | 36 | 19 | 64 | 44 | 27 | 59 | 60 | 13 | 66 | 73 | 15 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 17 | 13 | 1 | 25 | 17 | 1 | 11 | 11 | 3 | 15 | 21 | 4 | 13 | 7 | 2 | 12 | 8 | 2 |
| 32. | दमन और दीव | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 33. | दिल्ली संघ शासित | 1854 | 899 | 206 | 1097 | 1012 | 320 | 2839 | 905 | 203 | 985 | 1178 | 212 | 3630 | 815 | 198 | 1020 | 1163 | 308 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पुदुचेरी | 26 | 12 | 2 | 25 | 13 | 2 | 21 | 26 | 3 | 20 | 29 | 6 | 16 | 12 | 2 | 22 | 23 | 2 |
| | कुल संघ शासित | 2014 | 976 | 222 | 1268 | 1116 | 340 | 2985 | 1008 | 234 | 1148 | 1322 | 256 | 3771 | 934 | 216 | 1185 | 1309 | 329 |
| | कुल अखिल भारत | 22500 | 16498 | 3732 | 25766 | 23299 | 5958 | 24201 | 17251 | 3715 | 26049 | 23947 | 5469 | 26694 | 18420 | 4334 | 27412 | 25285 | 6210 |

*बच्चों के प्रति कुल अपराध में निम्न शामिल है:- भ्रूण हत्या, बलात्कार, अपहरण एवं व्यपहरण, आत्महत्या हेतु उकसाना, बच्चों को त्यागना एवं परित्याग करना, अव्यस्क लड़कियों की खरीद, वेश्यावृति हेतु लड़कियों को बेचना और बच्चों के प्रति कारित अपराध

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

*[हिन्दी]*

**कपास उत्पादन**

**198. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
**श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कपास उत्पादक राज्यों में कपास का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या कपास के उत्पादन में वृद्धि होने से इसकी कीमत में गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2008-09 से 2010-11 के दौरान उत्पादन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) कपास मूल्य प्रवृत्ति बाजार मूल्य सिद्धांत के अनुसार होती है तथा 2011-12 कपास मौसम में कोई भिन्न मूल्य प्रवृत्ति नहीं देखी गई है।

***विवरण***

*2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान कपास के राज्य-वार उत्पादन अनुमान*

| राज्य/संघ शासित प्रदेश | कपास उत्पादन (170 किलोग्राम प्रति हजार गांठें) | | |
|---|---|---|---|
| | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आंध्र प्रदेश | 3569.0 | 3227.0 | 5300.0 |
| असम | 0.6 | 0.8 | # |
| छत्तीसगढ़ | 0.1 | 0.3 | # |
| गुजरात | 7013.8 | 7986.3 | 10400.0 |
| हरियाणा | 1858.0 | 1926.0 | 1750.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.1 | 0.0 | # |
| कर्नाटक | 866.0 | 868.2 | 1200.0 |
| केरल | 1.5 | 1.3 | # |
| मध्य प्रदेश | 856.1 | 855.3 | 2000.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 4752.0 | 5859.3 | 8500.0 |
| मेघालय | 5.6 | 5.5 | # |
| मिजोरम | 0.1 | 0.8 | # |
| नागालैंड | 0.1 | 0.0 | # |
| ओडिशा | 146.6 | 147.2 | 250.0 |
| पंजाब | 2285.0 | 2006.0 | 2100.0 |
| राजस्थान | 725.7 | 903.1 | 900.0 |
| तमिलनाडु | 187.7 | 225.0 | 450.0 |
| त्रिपुरा | 1.4 | 1.4 | # |
| उत्तर प्रदेश | 0.8 | 5.0 | # |
| पश्चिम बंगाल | 6.0 | 3.3 | # |
| पुदुचेरी | 0.0 | 0.0 | # |
| अन्य | एनए | एनए | 15.0 |
| अखिल भारत | 22276.2 | 24021.8 | 33000.0 |

#अन्य में शामिल
एनए : लागू नहीं

*[अनुवाद]*

## स्वतंत्र प्रसारण नियामक

**199. श्री एस. अलागिरी:**
**श्री हरीश चौधरी:**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक स्वतंत्र प्रसारण नियामक की शक्तियों तथा कृत्यों के बारे में हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श करने के लिए सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक कृतक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मुद्दों पर कृतक बल द्वारा अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को इस संदर्भ में अब तक क्या अनुशंसा की गई है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ):** (क) से (ग) एक स्वतंत्र प्रसारण विनियामक की आवश्यकता, कार्य-क्षेत्र, अधिकार-क्षेत्र, संगठनात्मक संरचना, शक्तियों व कार्यों तथा विषय-वस्तु के विनियमन संबंधी मुद्दों पर स्टेकहोल्डरों के परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए उनके साथ व्यापक रूप से परामर्श करने और तत्पश्चात् सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु 27 नवम्बर, 2009 को सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया। कार्यबल ने सरकार को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, उद्योग के भीतर प्रबल मत है कि स्व-विनियमन मीडिया को विनियमित करने का सर्वेश्रेष्ठ तरीका है और विषय-वस्तु को विनियमित करने के लिए कोई अन्य उपाय करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। उद्योग को इस समय ट्राई द्वारा विनियमित किए जा रहे प्रसारण व प्रशुल्क जैसे अन्य मुद्दों के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। इस बीच, उद्योग ने विषय-वस्तु के विनियमन हेतु स्व-विनियामक तंत्र की स्थापना की है। अपनी स्व-विनियामक पहल के भाग के रूप में, भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) ने सामान्य मनोरंजन चैनलों पर प्रसारित होने वाली विषय-वस्तु को विनियमित करने के लिए प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद (बीसीसीसी) की स्थापना की है। समाचार प्रसारक संघ (एनबीए) ने समाचार चैनलों की विषय-वस्तु से संबंधित शिकायतों पर विचार करने के लिए समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) की स्थापना की है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) ने भी विज्ञापन के क्षेत्र में स्व-विनियमन हेतु एक आचार-संहिता तैयार की है और उसने विज्ञापनों से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) कीस्थापना की है।

## हुर्रियत कांफ्रेस से वार्ता

**200. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कश्मीर मुद्दे पर हुर्रियत कांफ्रेस से वार्ता करने के लिए कोई नया प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर हुर्रियत कांफ्रेस की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) हाल में यदि कोई वार्ता हुई हो तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

## जाली मुद्रा नोटों का प्रचलन

**201. श्री पी.टी. थॉमस:**
**डॉ. एम. तम्बिदुरई:**
**डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में जाली भारतीय मुद्रा नोट चलाए जाने की खबरें है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इन मामलों की जांच की है तथा आतंकवादी संगठनों की इसमें संलिप्तता पाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में जाली भारतीय मुद्रा नोटों के प्रचलन को रोकने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2009, 2010 तथा 2011 के दौरान जाली मुद्रा की जब्ती और बरामदगी के ऐसे मामलों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। एनआईए ने ऐसे 6 मामलों की जांच-पड़ताल की है, जिसमें से दो मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

(ङ) एफआईसीएन की समस्या के बहुआयामी पहलुओं का समाधान करने के लिए, आरबीआई, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केन्द्र एवं राज्यों की सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इत्यादि जैसी कई एजेंसियां एफआईसीएन से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रही हैं।

इसके अलावा, देश के अंदर जाली मुद्रा के परिचालन की समस्या से निपटने के लिए राज्य/केन्द्र की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/जानकारी का आदान-प्रदान करने हेतु गृह मंत्रालय में एक विशेष एफआईसीएन कोऑर्डिनेशन ग्रुप (एफसीओआरडी) का गठन किया गया है।

ऐसे अपराधों की जांच-पड़ताल और अभियोजन के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम द्वारा एनआईए को शक्ति प्रदान की गई है। सरकार ने, आतंक के वित्तपोषण तथा जाली मुद्रा के मामलों की जांच-पड़ताल पर ध्यान देने के लिए वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में आतंक के वित्तपोषण तथा जाली मुद्रा का भी गठन किया है। उच्च मूल्य के करेंसी नोटों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं को निरन्तर बढ़ाया जा रहा है। आरबीआई ने बैंकों द्वारा नकली नोटों का पता लगाने के तंत्र को भी सुदृढ़ बनाया है।

### *विवरण*

*राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (गृह मंत्रालय)*

*राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा मूल्यवर्ग-वार नकली मुद्रा (बरामद एवं जब्त)*

*वार्षिक रिपोर्ट: 1.1.2009 से 31.12.2009**

6.3.2012 को तैयार की गई रिपोर्ट

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्य | मूल्य-वर्ग | | | | | | | | | | नोटों की संख्या | | कुल नोट | मूल्य रुपए में | | कुल मूल्य (रुपए) | एफआईआर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000 | | 500 | | 100 | | 50 | | अन्य | | | | | | | | |
| | | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर+एस) | (आर) | (एस) | (आर+एस) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2721 | 1239 | 20754 | 14842 | 10536 | 9787 | 729 | 204 | 46 | 64 | 34786 | 26136 | 60922 | 14188950 | 9650160 | 23839110 | 446 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 164 | 0 | 263 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 494 | 0 | 302200 | 302200 | 8 |
| 3. | असम | 75 | 355 | 332 | 4338 | 749 | 644 | 56 | 112 | 0 | 0 | 1212 | 5449 | 6661 | 318700 | 2594000 | 2912700 | 91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 353 | 389 | 5045 | 1255 | 7576 | 1774 | 1336 | 905 | 4 | 265 | 14314 | 4588 | 18902 | 3699950 | 1244340 | 4944290 | 50 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 688 | 0 | 1207 | 0 | 1002 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 3126 | 3126 | 0 | 1403150 | 1403150 | 62 |
| 6. | गोवा | 0 | 338 | 0 | 1234 | 0 | 184 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1771 | 1771 | 0 | 974150 | 974150 | 28 |
| 7. | गुजरात | 1453 | 985 | 9576 | 4815 | 5772 | 7872 | 529 | 1373 | 16 | 167 | 17346 | 15212 | 32558 | 6844890 | 4251200 | 11096090 | 238 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 359 | 0 | 1077 | 0 | 281 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 1864 | 1864 | 0 | 932905 | 932905 | 36 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 | 110 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 185 | 185 | 0 | 47330 | 47330 | 3 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 115 | 421 | 512 | 2109 | 1297 | 186 | 153 | 678 | ड्ड | 1 | 2078 | 3395 | 5473 | 508360 | 1528020 | 2036380 | 37 |
| 11. | झारखंड | 0 | 288 | 0 | 268 | 0 | 102 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 693 | 693 | 0 | 433950 | 433950 | 20 |
| 12. | कर्नाटक (1) | 2856 | 620 | 13082 | 4956 | 3396 | 2381 | 180 | 73 | 10 | 13 | 19524 | 8043 | 27567 | 9745760 | 3339935 | 13085695 | 147 |
| 13. | केरल | 914 | 2800 | 3178 | 12023 | 1099 | 910 | 26 | 4146 | 2 | 0 | 5219 | 19879 | 25098 | 2614230 | 9109800 | 11724030 | 68 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 475 | 186 | 4048 | 965 | 4696 | 242 | 675 | 2 | 18 | 0 | 9912 | 1395 | 11307 | 3002630 | 692800 | 3695430 | 25 |
| 15. | महाराष्ट्र | 6503 | 2132 | 37528 | 7041 | 11272 | 5112 | 1550 | 1742 | 38 | 19 | 56891 | 16046 | 72937 | 26472275 | 6251092 | 32723367 | 367 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2500 | 2500 | 1 |
| 17. | मेघालय | 0 | 44 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 109000 | 109000 | 7 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 494 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 784 | 0 | 639000 | 639000 | 11 |
| 19. | नागालैंड | 0 | 12 | 0 | 467 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 262600 | 262600 | 4 |
| 20. | ओडिशा (1-2) | 222 | 45 | 2024 | 293 | 3703 | 1054 | 379 | 116 | 15 | ड्ड | 6343 | 1519 | 7862 | 1623520 | 302900 | 1926420 | 7 |
| 21. | पंजाब | 0 | 2878 | 0 | 18086 | 0 | 5838 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 27413 | 27413 | 0 | 12535350 | 12535350 | 55 |
| 22. | राजस्थान | 1602 | 191 | 11665 | 914 | 9123 | 435 | 737 | 131 | ड्ड | 0 | 23138 | 1671 | 24809 | 8383860 | 698050 | 9081910 | 49 |
| 23. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 16250 | 16250 | 2 |
| 24. | तमिलनाडु | 4600 | 1616 | 20713 | 7369 | 8088 | 5756 | 236 | 427 | 20 | 132 | 33657 | 15300 | 48957 | 15777440 | 5899970 | 21677410 | 312 |
| 25. | त्रिपुरा | 0 | 120 | 0 | 1030 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 1772 | 0 | 697200 | 697200 | 20 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 2207 | 542 | 21374 | 7689 | 27392 | 20990 | 3435 | 4889 | 60 | 1358 | 54468 | 35468 | 89936 | 15805940 | 6748390 | 22554330 | 254 |
| 27. | उत्तराखंड | 0 | 165 | 0 | 903 | 0 | 528 | 0 | 423 | 0 | 1252 | 0 | 3271 | 3271 | 0 | 707530 | 707530 | 40 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 907 | 3958 | 4372 | 20427 | 3157 | 9359 | 320 | 628 | 6 | 617 | 8762 | 34989 | 43751 | 3424800 | 15145010 | 18569810 | 155 |
| | कुल | 25003 | 21037 | 154203 | 114080 | 97856 | 75429 | 10341 | 16892 | 247 | 3903 | 287650 | 231341 | 518991 | 112411305 | 86518782 | 198930087 | 2543 |
| संघ राज्य क्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1500 | 1500 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | चंडीगढ़ | 826 | 51 | 7576 | 0 | 25650 | 92 | 2225 | 28 | 53 | 1 | 36330 | 172 | 36502 | 7291060 | 61620 | 7352680 | 4 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 600 | 600 | 1 |
| 32. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2500 | 2500 | 2 |
| 33. | दिल्ली | 4927 | 1351 | 30001 | 2849 | 15435 | 1302 | 1753 | 588 | 11 | 0 | 52127 | 6090 | 58217 | 21558820 | 2935100 | 24493920 | 26 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पुदुचेरी | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 6200 | 6200 | 5 |
| | कुल | 5753 | 1405 | 37577 | 2861 | 41085 | 1412 | 3978 | 616 | 64 | 1 | 88457 | 6295 | 94752 | 28849880 | 3007520 | 31857400 | 40 |
| | कुल योग | 30756 | 22442 | 191780 | 116941 | 138941 | 76841 | 14319 | 17508 | 311 | 3904 | 376107 | 237636 | 613743 | 141261185 | 89526302 | 230787487 | 2583 |

टिप्पणी: आर: आरबीआई की विभिन्न शाखाओं द्वारा बरामद जैसा कि क्रम सं. 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 33 में दर्शाया गया है।

एस: पुलिस द्वारा जब्त और एससीआरबी एक्स से प्राप्त जानकारी

*आंकड़े अनंतिम हैं।

'राज्य' कालम में ब्रैकेटों में दी गई संख्या को निम्नानुसार बताया गया है:

1. सितम्बर, 2009 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
2. अक्तूबर, 2009 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## *राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (गृह मंत्रालय)*

## *राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा मूल्यवर्ग-वार नकली मुद्रा (बरामद एवं जब्त)*

## *वार्षिक रिपोर्ट: 1.1.2010 से 31.12.2010**

6.3.2012 को तैयार की गई रिपोर्ट

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | मूल्य-वर्ग 1000 | | 500 | | 100 | | 50 | | अन्य | | नोटों की संख्या | | कुल नोट | मूल्य रुपए में | | कुल मूल्य (रुपए) | एफआईआर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य | | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर) | (एस) | (आर+एस) | (आर) | (एस) | (आर+एस) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3833 | 2331 | 20253 | 5375 | 7743 | 4561 | 450 | 136 | 14 | 7 | 32293 | 12410 | 44703 | 14756530 | 5481530 | 20238060 | 175 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | असम (आर8-आर9) | 240 | 558 | 576 | 2093 | 99 | 577 | 3 | 19 | 0 | 0 | 918 | 3247 | 4165 | 538050 | 1663150 | 2201200 | 73 |
| 4. | बिहार | 981 | 483 | 9707 | 2061 | 11493 | 3596 | 687 | 279 | 8 | 411 | 22876 | 6830 | 29706 | 7018270 | 1891165 | 8909435 | 50 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 9 | 0 | 350 | 0 | 651 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1019 | 1019 | 0 | 249310 | 249310 | 48 |
| 6. | गोवा | 0 | 178 | 0 | 489 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 738 | 738 | 0 | 429500 | 429500 | 36 |
| 7. | गुजरात (12) | 1980 | 998 | 9057 | 5393 | 3810 | 2375 | 274 | 118 | 15 | 9 | 15136 | 8893 | 24029 | 6903430 | 3938040 | 10841470 | 220 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 761 | 0 | 2226 | 0 | 420 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3506 | 3506 | 0 | 1920950 | 1920950 | 30 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 16 | 0 | 533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 282600 | 282600 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 123 | 838 | 587 | 691 | 1120 | 164 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1859 | 1694 | 3553 | 529950 | 1199910 | 1729860 | 20 |
| 11. | झारखंड | 0 | 1480 | 0 | 5799 | 0 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7425 | 7425 | 0 | 4393300 | 4393300 | 18 |
| 12. | कर्नाटक (1-2, 4, 8-9) | 3130 | 535 | 11670 | 980 | 2308 | 1970 | 110 | 59 | 5 | 1 | 17223 | 3545 | 20768 | 9201360 | 1224960 | 10426320 | 57 |
| 13. | केरल (4, 12) | 1048 | 2042 | 2659 | 1692 | 631 | 306 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4358 | 4040 | 8398 | 2441560 | 2918600 | 5360160 | 51 |
| 14. | मध्य प्रदेश (1-2, 10, आर6) | 601 | 35 | 4202 | 260 | 5227 | 508 | 533 | 0 | 19 | 159 | 10582 | 962 | 11544 | 3251590 | 216595 | 3468185 | 14 |
| 15. | महाराष्ट्र | 11814 | 2666 | 45655 | 4191 | 10290 | 1225 | 1057 | 4256 | 16 | 8 | 68832 | 12346 | 81178 | 35723615 | 5096895 | 40820510 | 276 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6000 | 6000 | 6 |
| 17. | मेघालय | 0 | 53 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 0 | 198000 | 198000 | 4 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 954 | 0 | 1281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 2240 | 0 | 1595000 | 1595000 | 12 |
| 19. | नागालैंड | 0 | 4 | 0 | 99 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 54900 | 54900 | 4 |
| 20. | ओडिशा (4, 7-12, आर11) | 295 | 583 | 2436 | 801 | 1876 | 1494 | 241 | 753 | 2 | 0 | 4850 | 3631 | 8481 | 1712680 | 1170550 | 2883230 | 13 |
| 21. | पंजाब (8) | 0 | 3658 | 0 | 7359 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11127 | 11127 | 0 | 7348500 | 7348500 | 8 |
| 22. | राजस्थान (1-2, 4, 10) | 1560 | 3096 | 9029 | 841 | 9179 | 1804 | 523 | 98 | 11 | 3 | 20302 | 5842 | 26144 | 7018730 | 3701860 | 10720590 | 13 |
| 23. | सिक्किम (7) | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 14000 | 14000 | 2 |
| 24. | तमिलनाडु (ऋ1) | 5342 | 3132 | 22930 | 12070 | 5378 | 3016 | 146 | 303 | 9 | 72 | 33805 | 18593 | 52398 | 17352250 | 9485090 | 26837340 | 315 |
| 25. | त्रिपुरा | 0 | 28 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 65000 | 65000 | 6 |
| 26. | उत्तर प्रदेश (11आर1.आर9-आर11) | 2683 | 2040 | 21622 | 55461 | 19050 | 8849 | 2088 | 3316 | 34 | 489 | 45477 | 70155 | 115632 | 15503940 | 30830905 | 46334845 | 325 |
| 27. | उत्तराखंड | 0 | 347 | 0 | 259 | 0 | 274 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 889 | 889 | 0 | 504350 | 504350 | 33 |
| 28. | पश्चिम बंगाल (10) | 2118 | 5353 | 10734 | 33150 | 4409 | 2454 | 405 | 248 | 68 | 37 | 17734 | 41242 | 58976 | 7946960 | 22185944 | 30132904 | 210 |
| | कुल | 35748 | 32184 | 171117 | 143846 | 82613 | 34573 | 6565 | 9714 | 202 | 1203 | 296245 | 221520 | 517765 | 129898915 | 108066604 | 237965519 | 2023 |
| संघ राज्य क्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ (11आर1.आर9-आर11) | 1290 | 0 | 8158 | 5 | 17380 | 20 | 957 | 363 | 30 | 0 | 27815 | 388 | 28203 | 7155380 | 22650 | 7178030 | 2 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली (7, 11-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दमन और दीव (2-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | दिल्ली (आर6) | 8213 | 233 | 37617 | 1255 | 16034 | 2889 | 1902 | 340 | 6 | 296 | 63772 | 5013 | 68785 | 28720100 | 1171100 | 29891200 | 25 |
| 34. | लक्षद्वीप (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पुदुचेरी (7) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3400 | 3400 | 3 |
| | कुल | 9503 | 234 | 45775 | 1264 | 33414 | 2912 | 2859 | 705 | 36 | 296 | 91587 | 5411 | 96998 | 35875480 | 1197150 | 37072630 | 30 |
| | कुल योग | 45251 | 32418 | 216892 | 145110 | 116027 | 37485 | 9424 | 10419 | 238 | 1499 | 387832 | 226931 | 614763 | 165774395 | 109263754 | 275038149 | 2053 |

टिप्पणी:

आर: आरबीआई की विभिन्न शाखाओं द्वारा बरामद जैसा कि क्रम सं. 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 33

एस: पुलिस द्वारा जब्त और एससीआरबीएक्स से प्राप्त जानकारी

*आंकड़े अनंतिम है।

'राज्य' कालम में बैक्रेटों में दी गई संख्या को निम्नानुसार बताया गया है:

1. जनवरी 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
2. फरवरी 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
3. मार्च 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
4. अप्रैल 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
5. मई 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
6. जून 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
7. जुलाई 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
8. अगस्त 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
9. सितम्बर 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
10. अक्तूबर 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
11. नवम्बर 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
12. दिमस्बर 10 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

आरबीआई की शाखाओं से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

आर 1 के आंकड़े जनवरी 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 2 के आंकड़े फरवरी 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 3 के आंकड़े मार्च 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 4 के आंकड़े अप्रैल 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 5 के आंकड़े मई 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 6 के आंकड़े जून 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 7 के आंकड़े जुलाई 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 8 के आंकड़े अगस्त 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 9 के आंकड़े सितम्बर 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 10 के आंकड़े अक्तूबर 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 11 के आंकड़े नवम्बर 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।
आर 12 के आंकड़े दिसम्बर 10 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

## *राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (गृह मंत्रालय)*
## *राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा मूल्यवर्ग-वार नकली मुद्रा (बरामद एवं जब्त)*
## *वार्षिक रिपोर्ट: 1.1.2011 से 31.12.2011**

6.3.2012 को तैयार की गई रिपोर्ट

| क्र.सं. राज्य | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | मूल्य-वर्ग 1000 (आर) | 1000 (एस) | 500 (आर) | 500 (एस) | 100 (आर) | 100 (एस) | 50 (आर) | 50 (एस) | अन्य (आर) | अन्य (एस) | नोटों की संख्या (आर) | नोटों की संख्या (एस) | कुल नोट (आर+एस) | मूल्य रुपए में (आर) | मूल्य रुपए में (एस) | कुल मूल्य (रुपए) (आर+एस) | एफआईआर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | आंध्र प्रदेश (7, 10 और 10) | 6269 | 2346 | 24864 | 8468 | 11116 | 3651 | 229 | 1144 | 13 | 82 | 42491 | 15691 | 58182 | 19824290 | 7002740 | 26827030 | 142 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 11000 | 11000 | 2 |
| 3. | असम (11-12, आर1, आर4, आर10) | 88 | 143 | 362 | 508 | 193 | 13 | 3 | 6 | 0 | 39 | 646 | 709 | 1355 | 288450 | 399000 | 687450 | 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | बिहार (10-12, आर1, आर4, आर6-आर9) | 1171 | 73 | 8567 | 1609 | 4741 | 579 | 322 | 14735 | 0 | 49 | 14801 | 17045 | 31846 | 5944700 | 1672705 | 7617405 | 38 |
| 5. | छत्तीसगढ़ (5-12) | 0 | 51 | 0 | 312 | 0 | 14 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 409 | 409 | 0 | 209970 | 209970 | 17 |
| 6. | गोवा (8, 10) | 0 | 299 | 0 | 717 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1081 | 1081 | 0 | 663540 | 663540 | 30 |
| 7. | गुजरात (7, 10) | 4387 | 4065 | 15191 | 5628 | 3466 | 2156 | 147 | 150 | 5 | 11 | 23196 | 12000 | 35196 | 12336520 | 7102110 | 19438630 | 149 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 2 | 0 | 271 | 0 | 614 | 0 | 560 | 0 | 46 | 0 | 1493 | 1493 | 0 | 227360 | 227360 | 18 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश (11) | 0 | 74 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 140500 | 140500 | 4 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर (9, आर10) | 194 | 2102 | 725 | 1973 | 1321 | 378 | 14 | 103 | 0 | 9 | 2254 | 4565 | 6819 | 689300 | 3131540 | 3820840 | 37 |
| 11. | झारखंड (5-12) | 0 | 15 | 0 | 123 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 0 | 90000 | 90000 | 13 |
| 12. | कर्नाटक (4-6, 8-12, आर10) | 3311 | 163 | 9278 | 952 | 1137 | 573 | 86 | 0 | 7 | 0 | 13819 | 1688 | 15507 | 8068120 | 696300 | 8764420 | 20 |
| 13. | केरल (10, आर8) | 1165 | 1186 | 3280 | 1304 | 250 | 2485 | 14 | 3 | 6 | 3 | 4715 | 4981 | 9696 | 2830770 | 2086680 | 4917450 | 52 |
| 14. | मध्य प्रदेश (2-3, 11-12, आर3-आर4, आर6, आर8-आर10) | 286 | 2 | 1729 | 37 | 1946 | 920 | 165 | 6 | 3 | 0 | 4129 | 965 | 5094 | 1353390 | 112800 | 1466190 | 4 |
| 15. | महाराष्ट्र (आर1, आर4, आर8, आर10) | 16880 | 2052 | 47865 | 5795 | 10346 | 1427 | 996 | 72 | 30 | 8 | 76117 | 9354 | 85471 | 41897360 | 5095890 | 46993250 | 258 |
| 16. | मणिपुर (2) | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 15500 | 15500 | 8 |
| 17. | मेघालय (8-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | मिजोरम (8) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3000 | 3000 | 1 |
| 19. | नागालैंड (12) | 0 | 44 | 0 | 163 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 126400 | 126400 | 7 |
| 20. | ओडिशा (1-12, आर8, आर10) | 452 | 0 | 3346 | 0 | 1821 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 5707 | 0 | 5707 | 2311470 | 0 | 2311470 | 0 |
| 21. | पंजाब (6-8) | 0 | 382 | 0 | 2010 | 0 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4293 | 4293 | 0 | 1577100 | 1577100 | 6 |
| 22. | राजस्थान (12, आर1, आर4) | 2006 | 1097 | 8457 | 906 | 5666 | 138 | 240 | 67 | 3 | 207 | 16372 | 2415 | 18787 | 6813130 | 1570205 | 8383335 | 33 |
| 23. | सिक्किम (4-5, 7-8, 10, 12) | 0 | 19 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 61500 | 61500 | 3 |
| 24. | तमिलनाडु (1-12, आर1, आर5) | 5428 | 0 | 26220 | 0 | 2491 | 0 | 93 | 0 | 13 | 0 | 34245 | 0 | 34245 | 18791970 | 0 | 18791970 | 0 |
| 25. | त्रिपुरा (3,12) | 0 | 3 | 0 | 148 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 77700 | 77700 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | उत्तर प्रदेश (9, 11-12, आर1-आर4, आर6-10) | 4185 | 1057 | 27663 | 2459 | 17332 | 4037 | 1875 | 1578 | 23 | 10 | 51078 | 9141 | 60219 | 19843805 | 2769210 | 22613015 | 161 |
| 27. | उत्तराखंड (1, 8-9, 11-12) | 0 | 138 | 0 | 61 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 177600 | 177600 | 14 |
| 28. | पश्चिम बंगाल (7, 11, आर9-आर10) | 6310 | 3104 | 22438 | 7070 | 6740 | 2124 | 312 | 75 | 47 | 4 | 35847 | 12377 | 48224 | 18219130 | 6855211 | 25074341 | 72 |
| | कुल | 52132 | 18428 | 199985 | 40769 | 68566 | 21309 | 4583 | 18536 | 151 | 461 | 325417 | 99503 | 424920 | 159212405 | 41875561 | 201087966 | 1129 |
| | **संघ राज्य क्षेत्र** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ (आर2, आर5, आर7-10) | 830 | 0 | 4043 | 0 | 7921 | 0 | 513 | 0 | 12 | 0 | 13319 | 0 | 13319 | 3669450 | 0 | 3669450 | 0 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली (1-2, 5-7, 9-12) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2500 | 2500 | 1 |
| 32. | दमन और दीव (1-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दिल्ली (आर9-आर10) | 16017 | 671 | 55409 | 3645 | 19333 | 9861 | 2560 | 1720 | 13 | 3 | 93332 | 15900 | 109232 | 45782990 | 3565640 | 49348630 | 36 |
| 34. | लक्षद्वीप (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पुदुचेरी | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 9600 | 9600 | 4 |
| | कुल | 16847 | 674 | 59452 | 3663 | 27254 | 9862 | 3073 | 1720 | 25 | 3 | 106651 | 15922 | 122573 | 49452440 | 3577740 | 53030180 | 41 |
| | कुल योग | 68979 | 19102 | 259437 | 44432 | 95820 | 31171 | 7656 | 20256 | 176 | 464 | 432068 | 115425 | 547493 | 208664845 | 45453301 | 254118146 | 1170 |

टिप्पणी:

आर: आरबीआई की विभिन्न शाखाओं द्वारा बरामद जैसा कि क्रम सं. 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24,2 6, 28, 30 और 33

एस: पुलिस द्वारा जब्त और एससीआरबीएक्स से प्राप्त जानकारी

*आंकड़े अनंतिम है।

'राज्य' कालम में बैरकेटों में दी गई संख्या को निम्नानुसार बताया गया है:

1. जनवरी 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
2. फरवरी 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
3. मार्च 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
4. अप्रैल 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
5. मई 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
6. जून 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
7. जुलाई 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
8. अगस्त 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
9. सितम्बर 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
10. अक्तूबर 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
11. नवम्बर 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
12. दिसम्बर 11 (एस) के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

आरबीआई की शाखाओं से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

आर 1 के आंकड़े जनवरी 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 2 के आंकड़े फरवरी 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 3 के आंकड़े मार्च 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 4 के आंकड़े अप्रैल 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 5 के आंकड़े मई 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 6 के आंकड़े जून 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 7 के आंकड़े जुलाई 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 8 के आंकड़े अगस्त 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 9 के आंकड़े सितम्बर 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

आर 10 के आंकड़े अक्तूबर 11 (एस) से प्राप्त नहीं हुए।

## दलहन ग्राम

**202. श्रीमती अन्नू टन्डन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्षा सिंचित क्षेत्रों में "6000 दलहन ग्रामों के समेकित विकास" का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार इस उद्देश्य के लिए अब तक निर्धारित तथा जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस कार्यक्रम को पोषण सुरक्षा से जोड़ने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) से (घ) जी, हां। देश में दलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने देश में 60,000 दलहन ग्रामों की स्थापना के लिए 2011-12 के संघीय बजट में 300.00 करोड़ रु. की धनराशि प्रदान की थी। तदनुसार, वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन ग्रामों के समेकित विकास का एक कार्यक्रम 11 प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत स्वस्थाने नमी संरक्षण, मिनिकिटों और नाशीजीव निगरानी के समावेशन के साथ त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम और किसान संगठन के आयोजन के ढांचे (एफपीओ) के लिए और सर्वांगीण सहायता प्रदान करने के लिए लघु कृषक कृषि व्यवस्था संघ (एसएफएसी) को मण्डी सम्पर्क विस्तार समर्थन के लिए सहायता दी जाती है ताकि किसानों के लिए बेहतर आर्थिक प्रतिलाभ सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 2011-12 के दौरान 300.00 करोड़ रुपये के आबंटन में से दिनांक 3.3.2012 तक इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 291.39 करोड़ रु. की धनराशि निर्मुक्त की गई है। निधियों के आबंटन एवं निर्मुक्ति का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | राज्य का नाम | आबंटन | 3.3.2012 तक निर्मुक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 25.10 | 25.10 |
| 2. | बिहार | 10.18 | 10.18 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 11.22 | 5.61 |
| 4. | गुजरात | 14.40 | 14.40 |
| 5. | कर्नाटक | 30.86 | 30.86 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 55.48 | 55.48 |
| 7. | महाराष्ट्र | 50.96 | 50.96 |
| 8. | ओडिशा | 9.90 | 9.90 |
| 9. | राजस्थान | 43.22 | 43.22 |
| 10. | तमिलनाडु | 7.32 | 7.32 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | 38.36 | 38.36 |
| 12. | राष्ट्रीय स्तर | 3.00 | 0.16 |
| | कुल | 300.00 | 291.39 |

यह कार्यक्रम देश की खाद्य एवं पोषणिक सुरक्षा के लिए दलहन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दलहन घटक के तहत कार्यकलापों का अनुपूरण करता है।

## केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल के कार्मिकों के लिए चिकित्सा महाविद्यालय

**203. श्री नीरज शेखर:**
**श्री असादूद्दीन ओवेसी:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय की तर्ज पर केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के लिए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में ऐसे चिकित्सा महाविद्यालय कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है और इस पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) और (ख) सरकार ने 800 बिस्तरों वाले रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पीटल (500 बिस्तरों वाला सामान्य अस्पताल + 300 बिस्तरों वाला सुपर

स्पेशियाल्टी हॉस्पीटल), नर्सिंग कॉलेज और पराचिकित्सा विद्यालय सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस) की स्थापना के लिए दिनांक 22.12.2012 को सिद्धांत रूप से अनुमोदन प्रदान किया है। परियोजना की अनुमानित लागत 1572.86 करोड़ रुपये है। परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि 6 वर्ष है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन संस्थानों की स्थापना के लिए मैदान गढ़ी, नई दिल्ली में 42.80 एकड़ जमीन आबंटित की है।

(ग) वर्तमान में, उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में ऐसे चिकित्सा कालेज की स्थापना करने का कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

## कृषि प्रसार सेवाएं

**204. श्री एम.बी. राजेश:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सार्वजनिक और निजी निधियन तथा वितरण प्रणाली दोनों के उपयुक्त उपयोग के साथ वर्तमान कृषि प्रसार सेवाओं के विस्तार के लिए किन्हीं योजनाओं या कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि उत्पादन और उत्पादकता पर उक्त प्रस्ताव का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) निजी क्षेत्र के लिए कृषि प्रसार कार्यक्रम खोलने के पीछे क्या तर्क है तथा बृहत कृषि उत्पादकता के लिए इसका क्या परिणाम होगा?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रम को समर्थन" वर्तमान में देश के 28 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के 604 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। बहु-एजेंसी विस्तार कार्यनीतियों का संवर्धन सुनिश्चित किए जाने तथा स्कीम के कार्यकलापों के सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मोड में कार्यान्वित किए जाने के लिए, गैर-सरकारी क्षेत्र जैसे एनजीओ, एफओ, पीआरआई, सरकारी समितियां, परा विस्तार कर्मियों, कृषि-उद्यमियों, आदान सप्लायरों, कारपोरेट क्षेत्र इत्यादि के माध्यम से जिला स्तर पर आवर्ती कार्यकलापों पर स्कीम आवंटन की कम से कम 10% राशि खर्च की जाती है। गैर-सरकारी कार्यान्वयन एजेंसियां उनके माध्यम से कार्यान्वित विस्तार कार्यकलापों (कर्मचारी लागत के बिना) की लागत के अधिकतम 10% तक सेवा प्रभार की पात्र हैं। राज्य अलग-अलग परिमाण और विभिन्न तरीकों से नीति निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

(ग) और (घ) निजी क्षेत्र के प्रयास संभवत: सरकारी विस्तार तन्त्र द्वारा किए जा रहे कार्य का अनुपूरण करेंगे जो किसानों के बीच सही सूचना तथा समुचित प्रौद्योगिकियों का प्रसार करती रही हैं। भारत सरकार भी कृषि क्लिनिकों तथा कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना किए जाने के लिए कृषि की पृष्ठभूमि वाले युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का समर्थन कर रही है। इन प्रशिक्षित व्यक्तियों तथा अन्य पीपीपी मोड के जरिए विस्तार कार्यकलाप विस्तार तन्त्र की बेहतर पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं।

## खाद्यान्न का उत्पादन

**205. श्री ए. सम्पत:**
**कुमारी सरोज पाण्डेय:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्न का उत्पादन स्थित रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने खाद्यान्न का उत्पादन हुआ और अगले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने खाद्यान्न की मांग का अनुमान है; और

(ग) खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की गयी केन्द्रीय योजनाएं कौन-सी हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान योजनाा-वार कितनी राशि स्वीकृत की गयी?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) यद्यपि कुछ राज्यों में प्रतिकूल वर्षा एवं मौसम परिस्थितियों के कारण खाद्यान्न उत्पादन में उतार-चढ़ाव रहा है, तथापि अखिल भारतीय स्तर पर खाद्यान्नों का समग्र उत्पादन 2006-07 में 217.28 मिलियन टन से बढ़कर 2011-12 में (दूसरे अग्रिम अनुमान) 250.42 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर तक हो गया है। विगत तीन वर्षों अर्थात् 2008-09 से 2010-11 के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन के ब्यौरे निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं-

| वर्ष | उत्पादन (मिलियन टन) |
|---|---|
| 2008-09 | 234.47 |
| 2009-10 | 218.11 |
| 2010-11 | 244.78 |

12वीं योजना अवधि के दौरान खाद्यान्नों के मांग प्रक्षेपण का वर्षवार ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है। तथापि, योजना आयोग के कार्यकारी ग्रुप के अनुसार, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 2016-17 के लिए खाद्यान्न की मांग 257 मिलियन टन तक प्रक्षेपित है।

(ग) देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा अनेकों फसल विकास योजनाएं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है नामतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकीकृत तिलहन, दलहन, पामआयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम), वृहत कृषि प्रबंधन के तहत चावल/गेहूं मोटे अनाजों के लिए एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दो नए कार्यक्रमों अर्थात् पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन एवं तिलहन गांवों के एकीकृत विकास की शुरुआत की गयी है। दलहन उत्पादन के लिए आइसोपाम के दलहन घटक को मिलाकर तथा दो नए संभावित राज्यों नामतः असम एवं झारखंड को शामिल करके 1.4.2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को सुदृढ़ किया गया है। देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों में पांच दलहन फसलों के प्रति 1000 हैक्टेयर वाले 1000 एककों को शामिल करने के लिए ब्लाक प्रदर्शनों के रूप में 'त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए3पी)' नामक एक नए कार्यक्रम की भी शुरुआत की गयी है।

विगत तीन वर्षों के दौरान मुख्य योजनाओं के तहत निधियों के आवंटन एवं जारी करने संबंधी ब्यौरे इस प्रकार हैं-

(करोड़ रुपए में)

| योजना | 2008-09 | | 2009-10 | | 2010-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | जारी | आवंटन | जारी | आवंटन | जारी |
| एनएफएसएम | 1095.39 | 830.51 | 1442.07 | 983.38 | 1554.71 | 1129.43 |
| आरकेवीवाई | 3165.67 | 2886.80 | 3806.74 | 3760.93 | 6722.00 | 6720.08 |
| आइसोपाम | 240.40 | 240.40 | 296.54 | 296.54 | 391.27 | 391.27 |

*[हिन्दी]*

## इम्फाल में बम-विस्फोट

**206. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मणिपुर की राजधानी इम्फाल में संदिग्ध उग्रवादियों ने एक शक्तिशाली बम विस्फोट किया; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) और (ख) 25 जनवरी, 2011 को सिंगजामई पुलिस थाना, पश्चिमी इम्फाल जिला से लगभग 100 मीटर की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र, ककवा के भवन के निकट क्रमशः 1830 और 1840 बजे कम तीव्रता वाले दो बम फटे। पहले विस्फोट में कोई घायल/हताहत नहीं हुआ जबकि दूसरे विस्फोट में एक महिला को छर्रे से चोट पहुंची।

केन्द्र सरकार ने राज्य प्राधिकारियों की सहायता हेतु विद्रोह-रोधी अभियानों को चलाने तथा संवेदनशील संस्थानों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया; नियमित आधार पर आसूचना का आदान-प्रदान किया; पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत स्थानीय पुलिस बलों और आसूचना एजेंसियों के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता मुहैया करवायी; और सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करके सुरक्षा-तंत्र और विद्रोह-रोधी अभियानों के विभिन्न पहलुओं को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान की है। केन्द्र सरकार ने इंडिया रिजर्व बटालियनों के रूप में अतिरिक्त बलों के गठन के लिए राज्य को सहायता प्रदान की है।

*[अनुवाद]*

## स्लम मुक्त नगर

**207. श्री वैजयंत पांडा:**
**श्री नित्यानंद प्रधान:**

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश को स्लम मुक्त बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में कई नगरों/शहरों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्य-वार और नगर/शहर-वार अब तक की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राज्यों में कुछ निजी एजेंसियों को भी काम में लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो ओडिशा सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) जी हां।

(ख) और (ग) स्लम मुक्त भारत का निर्मम करने की सरकार की परिकल्पना के अनुसरण में, दिनांक 2.6.2011 को 'राजीव आवास योजना' (रे) नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है। राजीव आवास योजना के चरण-1 की अवधि स्कीम के अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष की है जिसका बजट 5000 करोड़ रुपए है। इस स्कीम में स्लम वासियों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक राज्यों को स्लम पुनर्विकास हेतु उपयुक्त आश्रय, बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं के प्रावधान और किफायती आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस स्कीम में 12वीं योजना के अंत तक (2017) देश भर में लगभग 250 शहरों को शामिल किए जाने का अनुमान है। शहरों का चयन केन्द्र सरकार के परामर्श से किया जाएगा। राज्यों द्वारा शहरों के विकास की गति, स्लमों, अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता और क्षेत्रों जहां संपत्ति का अधिकार दिया गया है, पर उपयुक्त विचार करते हुए जेएनएनयूआरएम के सभी मिशन शहरों अधिमानतः 2001 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और अन्य छोटे शहरों को शामिल करना अपेक्षित है। स्कीम राज्यों द्वारा निर्धारित गति पर प्रगति करेगी। स्लम मुक्त शहरी आयोजना स्कीम के अंतर्गत प्रारंभिक कार्यकलाप करने के लिए वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान 34 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को 99.98 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। 162 शहरों की सूची जिसके लिए इन धन राशियों का उपयोग प्रारंभिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए किया जाना है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण***

*162 शहरों की सूची*

| क्र.सं. | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम | जारी की गई राशि (लाख रु.)/ शहरों की संख्या | शहर |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 472.72 (11 शहर)<br>969.40 लाख की दूसरी किस्त मार्च 2011 में निर्मुक्त की गई। | 1. ग्रेटर हैदराबाद नगर-निगम (जीएचएमसी)<br>2. ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर-निगम (जीवीएमसी)<br>3. विजयवाड़ा<br>4. तिरुपति<br>5. गुंटूर<br>6. नैल्लोर<br>7. करनूल<br>8. राजामुन्दरी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 9. | वारंगल |
| | | | 10. | काकीनाड़ा |
| | | | 11. | रामागुंडम |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 111.29 (दो शहर) | 12. | नाहरलागुन |
| | | | 13. | ईटा नगर |
| 3. | असम | 76.34 (एक शहर) | 14. | गुवाहाटी |
| 4. | बिहार | 191.59 (चार शहर) | 15. | पटना |
| | | | 16. | गया-बोधगया |
| | | | 17. | भागलपुर |
| | | | 18. | मुज्जफरपुर |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 182.88 (चार शहर) | 19. | भिलाई नगर |
| | | | 20. | रायपुर |
| | | | 21. | बिलासपुर |
| | | | 22. | कोरबा |
| 6. | दिल्ली | 981.96 (डीएमसी) | 23. | दिल्ली क्षेत्र का नगर-निगम |
| 7. | गोवा | 111.70 (तीन शहर) | 24. | मारमागोवा |
| | | | 25. | पणजी |
| | | | 26. | मारगोवा |
| 8. | गुजरात | 431.64 (आठ शहर) | 27. | अहमदाबाद |
| | | | 28. | सूरत |
| | | | 29. | वडोदरा |
| | | | 30. | राजकोट |
| | | | 31. | जामनगर |
| | | | 32. | भावनगर |
| | | | 33. | भड़ूच |
| | | | 34. | पोरबन्दर |
| 9. | हरियाणा | 151.3 (तीन शहर) | 35. | फरीदाबाद |
| | | | 36. | पानीपत |
| | | | 37. | यमुना नगर |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 63.84 (एक शहर) | 38. शिमला |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 236.80 (छह शहर) | 39. जम्मू |
| | | | 40. श्रीनगर |
| | | | 41. अनंतनाग |
| | | | 42. उधमपुर |
| | | | 43. बारामूला |
| | | | 44. कठुआ |
| 12. | झारखंड | 206.11 (चार शहर) | 45. जमशेदपुर |
| | | | 46. धनबाद |
| | | | 47. रांची |
| | | | 48. बोकारो स्टील सिटी |
| 13. | कर्नाटक | 400-4 (आठ शहर) | 49. बंगलोर |
| | | | 50. मैसूर |
| | | | 51. हुबली-धारवाड़ |
| | | | 52. मैंगलोर |
| | | | 53. बेलगांव |
| | | | 54. गुलबर्गा |
| | | | 55. देवनगरी |
| | | | 56. बिल्लारी |
| 14. | केरल | 263.31 (छह शहर) | 57. कोच्ची |
| | | | 58. तिरुवनंतपुरम |
| | | | 59. कोझीकोडे |
| | | | 60. कन्नूर |
| | | | 61. कोल्लम |
| | | | 62. थ्रिसूर |
| 15. | मध्य प्रदेश | 288.25 (छह शहर) | 63. इंदौर |
| | | | 64. भोपाल |
| | | | 65. जबलपुर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 66. | ग्वालियर |
| | | | 67. | उज्जैन |
| | | | 68. | सागर |
| 16. | महाराष्ट्र | 944.67 (अठारह शहर) | 69. | ग्रेटर मुम्बई |
| | | | 70. | पूना |
| | | | 71. | नागपुर |
| | | | 72. | नासिक |
| | | | 73. | औरंगाबाद |
| | | | 74. | शोलापुर |
| | | | 75. | भिवंडी |
| | | | 76. | अमरावती |
| | | | 77. | कोल्हापुर |
| | | | 78. | संगली-मिराज कुपवाड |
| | | | 79. | नांदेड़-वागला |
| | | | 80. | मालेगांव |
| | | | 81. | अकोला |
| | | | 82. | जलगांव |
| | | | 83. | अहमदनगर |
| | | | 84. | धुले |
| | | | 85. | चंद्रपुर |
| | | | 86. | लातुर |
| 17. | मणिपुर | 55.79 (एक शहर) | 87. | इम्फाल |
| 18. | मेघालय | 95.63 (एक शहर) | 88. | शिलौंग |
| 19. | मिजोरम | 467.07 (आठ शहर) | 89. | आइजोल |
| | | | 90. | चमफई |
| | | | 91. | कोलासिब |
| | | | 92. | लोंगतई |
| | | | 93. | लुंगलई |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | 94. मामित |
| | | | 95. साईहा |
| | | | 96. सरचिप |
| 20. | नागालैंड | 108.03 (दो शहर) | 97. कोहिमा |
| | | | 98. दिमापुर |
| 21. | ओडिशा | 184.12 (छह शहर) | 99. भुवनेश्वर |
| | | | 100. पुरी |
| | | | 101. कटक |
| | | | 102. राउरकेला |
| | | | 103. ब्रह्मपुर |
| | | | 104. सम्बलपुर |
| 22. | पुडुचेरी | 79.01 (दो शहर) | 105. पुडुचेरी |
| | | | 106. ओझूकरी |
| 23. | पंजाब | 583.34 (पांच शहर) | 107. लुधियाना |
| | | | 108. अमृतसर |
| | | | 109. जालंधर |
| | | | 110. पटियाला |
| | | | 111. भटिंडा |
| 24. | राजस्थान | 281.15 (आठ शहर) | 112. जयपुर |
| | | | 113. जोधपुर |
| | | | 114. कोटा |
| | | | 115. बीकानेर |
| | | | 116. अजमेर |
| | | | 117. उदयपुर |
| | | | 118. भरतपुर |
| | | | 119. अलवर |
| 25. | सिक्किम | 62.39 (एक शहर) | 120. गंगटोक |

| 1 | 2 | 3 | | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 26. | तमिलनाडु | 480.14 (नौ शहर) | 121. | चैन्नई नगर निगम |
| | | | 122. | कोयम्बटूर |
| | | | 123. | मदुरई |
| | | | 124. | तिरुचुरापल्ली |
| | | | 125. | सालेम |
| | | | 126. | तिरुपुर |
| | | | 127. | तिरुनावेली |
| | | | 128. | एरोडे |
| | | | 129. | वेल्लौर |
| 27. | त्रिपुरा | 54.68 (एक शहर) | 130. | अगरतला |
| 28. | उत्तर प्रदेश | 733.17 (उन्नीस शहर) | 131. | कानपुर |
| | | | 132. | लखनऊ |
| | | | 133. | आगरा नगर निगम |
| | | | 134. | वाराणसी |
| | | | 135. | मेरठ |
| | | | 136. | इलाहाबाद |
| | | | 137. | गाजियाबाद |
| | | | 138. | बरेली |
| | | | 139. | अलीगढ़ |
| | | | 140. | मुरादाबाद |
| | | | 141. | गोरखपुर |
| | | | 142. | झांसी नगर निगम |
| | | | 143. | सहारनपुर |
| | | | 144. | फिरोजाबाद |
| | | | 145. | मुज्जफ्फर नगर |
| | | | 146. | मथुरा |
| | | | 147. | शाहजहांपुर |
| | | | 148. | नोएडा |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 29. | उत्तराखंड | 114.63 (तीन शहर) | 149. देहरादून |
| | | | 150. नैनीताल |
| | | | 151. हरिद्वार |
| 30. | पश्चिम बंगाल | 423.27 (तीन शहर) | 152. कोलकाता |
| | | | 153. आसनसोल |
| | | | 154. सिलीगुड़ी (भाग) |
| 31. | दमन और दीव | 58.06 (दो शहर) | 155. दमन |
| | | | 156. दीव |
| 32. | दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र) | 43.45 (दो शहर) | 157. सिलवासा |
| | | | 158. अमली |
| 33. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य क्षेत्र) | 76.18 (एक शहर) | 159. पोर्ट ब्लेयर |
| 34. | लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र) | 15.00 (तीन शहर) | 160. आमीनी |
| | | | 161. कवरत्ती |
| | | | 162. मिनीकोए |

*[हिन्दी]*

**सरकारी क्वार्टरों का रख-रखाव**

**208. डॉ. संजय सिंह:**
**राजकुमारी रत्ना सिंह:**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) द्वारा देश में सरकारी क्वार्टरों के रख-रखाव में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के उच्च, मध्यम और निचले स्तर के अधिकारियों में भ्रष्टाचार बढ़ा है तथा यह सरकारी क्वार्टरों के खराब रख-रखाव का मुख्य कारण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पदनाम-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान पंजीकृत तथा जांच के लिए भ्रष्टाचार के मामलों का ब्यौरा क्या है और दोषी पाये गये अधिकारियों की संख्या कितनी है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्मामि विभाग की फील्ड यूनिटों द्वारा सतत आधार पर सरकारी क्वार्टरों का रख-रखाव किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी क्वार्टरों के रखरखाव में कोई गिरावट नहीं आयी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

**दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों से राजस्व**

**209. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक

वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सहित देश में विभिन्न दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा विज्ञापनों से अर्जित राजस्व का तथा दूरदर्शन-वार/आकाशवाणी-वार ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ):** प्रसार भारती द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सहित देश में विज्ञापनों के जरिए आकाशवाणी केंद्रों/दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

| वर्ष | वाणिज्यिक | | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|---|
| | दूरदर्शन | आकाशवाणी | संसाधन | |
| 2008-09 | 737.05 | 194.42 | 69.44 | 1000.91 |
| 2009-10 | 828.48 | 215.92 | 102.03 | 1146.43 |
| 2010-11* | 944.44 | 275.79 | 50.58 | 1270.81 |
| 2011-12* (जनवरी, 2012 तक) | 748.28 | 244.80 | 44.49 | 1037.57 |

*लेखाओं के समाधान के अध्यधीन। उपर्युक्त आंकड़ों में सेवा कर शामिल है।

*[अनुवाद]*

## केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल

**210. श्री संजय भोई:**
**श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों और अन्य पुलिस बलों के कार्मिकों को यह किस हद तक लाभदायक होगा;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे स्कूलों की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान कर ली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे स्कूलों की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है और इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) चंडीगढ़, कोलकाता और हैदराबाद में तीन विद्यमान केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय (सीडीटीएस) हैं। इस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में दो अतिरिक्त केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना करने का भी अनुमोदन प्रदान किया है। ये संस्थान केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों (सीपीएमएफ) के कार्मिकों सहित क्षेत्रीय राज्यों के पुलिस कार्मिकों के लाभ के लिए उन्नत वैश्विक जांच में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) (1) उत्तर प्रदेश-गाजियाबाद; और

(2) राजस्थान-जयपुर

(ङ) उपर्युक्त केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय प्रत्येक के लिए 55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 12वीं योजना अवधि के दौरान पूर्ण रूप से स्थापित कर दिए जाने की संभावना है।

*[हिन्दी]*

## कृषि योजनाएं

**211. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
**श्री नारायण सिंह अमलाबे:**
**श्री गणेश सिंह:**
**श्रीमती श्रुति चौधरी:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश और हरियाणा सहित बहुत से राज्यों में कई कृषि योजनाएं क्रियान्वित की हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक के अंतर्गत उत्पादन लक्ष्य के साथ-साथ योजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में बाढ़ और सूखे के कारण ये योजनाएं सफल नहीं रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योना अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र सरकार द्वारा कितनी निधि उपलब्ध कराई गई है; और

(च) सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है, जिससे इन योजनाओं का लाभ सीधे किसानों को प्राप्त हो?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) से (च) जी नहीं। कृषि एवं सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश एवं हरियाणा सहित देश में खाद्यान्नों की उत्पादकता एवं उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई स्कीमों अर्थात् राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, बृहत कृषि प्रबंधन, विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता, समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम आदि का कार्यान्वयन कर रहा है। कृषि एवं सहकारिता विभाग राज्य सरकारों को इन स्कीमों के तहत निधियां उपलब्ध कराता है जो इसे स्कीम की आवश्यकता के अनुरूप उपयोग करती हैं। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान चावल का उत्पादन 10 मिलियन टन, गेहूं का उत्पादन 8 मिलियन टन एवं दलहन का उत्पादन 2 मिलियन टन बढ़ाने की लक्षित वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरूआत की है। खाद्यान्न उत्पादन, जो दसवीं योजना के अंत (2006-07) में 217.28 मिलियन टन था, वह वर्ष 2009 में देश में भयंकर सूखे के बावजूद वर्ष 2011-12 में सर्वकालिक उच्च सीमा 252.42 मिलियन टन (द्वितीय अग्रिम अनुमान) तक पहुंच गया। इसी अवधि के दौरान, चावल का उत्पादन 93.35 मिलियन टन से बढ़कर 102.75 मिलियन टन, गेहूं का उत्पादन 75.81 मिलियन टन से बढ़कर 88.31 मिलियन टन और दलहन का उत्पादन 14.20 मिलियन टन से बढ़कर 17.28 मिलियन टन हो गया है। इन स्कीमों के तहत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को निर्मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये स्कीमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषक समुदाय की आय एवं आजीविका को बढ़ाती हैं।

### *विवरण*

*वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत निर्मुक्तियों का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा*

(रुपए करोड़ में) 29.2.2012 तक

| क्र.सं. | वर्ष<br>राज्य | 2007-08<br>निर्मुक्ति | 2008-09<br>निर्मुक्ति | 2009-10<br>निर्मुक्ति | 2010-11<br>निर्मुक्ति | 2011-12<br>निर्मुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 44.62 | 84.15 | 123.81 | 119.42 | 88.87 |
| 2. | असम | 11.40 | 27.06 | 36.16 | 66.58 | 36.58 |
| 3. | बिहार | 36.31 | 81.05 | 44.14 | 51.56 | 74.87 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 14.55 | 71.65 | 21.16 | 19.54 | 55.25 |
| 5. | गुजरात | 7.37 | 8.33 | 15.08 | 23.89 | 23.96 |
| 6. | हरियाणा | 21.14 | 11.05 | 28.65 | 35.75 | 27.07 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2.69 |
| 8. | झारखंड | 0.00 | 9.80 | 4.93 | 16.49 | 12.20 |
| 9. | कर्नाटक | 7.87 | 30.15 | 47.65 | 72.52 | 73.26 |
| 10. | केरल | 0.00 | 1.89 | 2.78 | 2.1 | 2.28 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 46.11 | 64.38 | 59.33 | 160.72 | 146.82 |
| 12. | महाराष्ट्र | 14.14 | 72.17 | 107.40 | 147.12 | 135.85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | ओडिशा | 11.34 | 62.24 | 63.41 | 57.53 | 64.76 |
| 14. | पंजाब | 32.88 | 35.69 | 61.22 | 37.57 | 35.18 |
| 15. | राजस्थान | 24.59 | 18.83 | 39.15 | 76.05 | 79.28 |
| 16. | तमिलनाडु | 12.81 | 33.51 | 30.58 | 30.08 | 34.54 |
| 17. | त्रिपुरा | | | | | 3.63 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 83.79 | 155.20 | 226.28 | 177.57 | 244.96 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 13.00 | 63.36 | 71.65 | 33.94 | 35.67 |
| | कुल | 381.92 | 830.51 | 983.38 | 1129.43 | 1177.72 |

*वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक आरकेवीवाई के तहत निर्मुक्तियों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा*

(रुपए करोड़ में) 29.2.2012 तक

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2007-08 कुल निर्मुक्ति | 2008-09 कुल निर्मुक्ति | 2009-10 कुल निर्मुक्ति | 2010-11 कुल निर्मुक्ति | 2011-12 कुल निर्मुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 61.08 | 297.17 | 410.00 | 432.29 | 734.13 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1.90 | 0.00 | 15.98 | 28.95 | 8.26 |
| 3. | असम | 0.00 | 144.12 | 79.86 | 216.87 | 227.77 |
| 4. | बिहार | 57.77 | 148.54 | 110.79 | 415.10 | 506.82 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 52.96 | 117.45 | 136.14 | 503.44 | 141.05 |
| 6. | गोवा | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 24.78 |
| 7. | गुजरात | 49.81 | 243.39 | 386.19 | 388.63 | 515.48 |
| 8. | हरियाणा | 21.52 | 39.50 | 112.77 | 226.80 | 169.87 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 16.17 | 15.11 | 33.03 | 94.85 | 99.93 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 0.00 | 1.20 | 42.85 | 96.42 | 36.52 |
| 11. | झारखंड | 55.68 | 29.31 | 70.13 | 96.90 | 168.56 |
| 12. | कर्नाटक | 154.30 | 314.14 | 410.00 | 284.03 | 595.90 |
| 13. | केरल | 55.40 | 30.06 | 110.92 | 149.65 | 86.97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | मध्य प्रदेश | 101.62 | 146.05 | 247.44 | 559.18 | 264.55 |
| 15. | महाराष्ट्र | 128.20 | 261.77 | 404.39 | 653.00 | 727.67 |
| 16. | मणिपुर | 0.00 | 0.90 | 5.86 | 15.50 | 22.25 |
| 17. | मेघालय | 6.37 | 6.77 | 24.68 | 46.12 | 7.33 |
| 18. | मिजोरम | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 3.75 | 30.36 |
| 19. | नागालैंड | 3.19 | 6.95 | 20.38 | 13.25 | 37.54 |
| 20. | ओडिशा | 39.30 | 115.44 | 121.49 | 274.40 | 356.96 |
| 21. | पंजाब | 36.05 | 87.52 | 43.23 | 179.12 | 69.44 |
| 22. | राजस्थान | 55.76 | 233.76 | 186.12 | 628.01 | 692.08 |
| 23. | सिक्किम | 2.77 | 5.68 | 15.29 | 6.56 | 20.08 |
| 24. | तमिलनाडु | 153.60 | 140.38 | 127.90 | 250.03 | 333.06 |
| 25. | त्रिपुरा | 4.16 | 16.08 | 31.28 | 116.48 | 17.99 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 103.90 | 316.57 | 390.97 | 695.36 | 757.26 |
| 27. | उत्तराखंड | 28.25 | 10.30 | 71.46 | 1.31 | 65.89 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 54.93 | 147.38 | 147.38 | 335.98 | 273.94 |
| | कुल राज्य | 1246.39 | 2876.34 | 3756.53 | 6719.05 | 6992.44 |

*वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्यवार एवं वर्षवार निर्मुक्तियां*

(रुपए करोड़ में) 29.2.2012 तक

| क्र.सं. | राज्य | 2007-08 निर्मुक्ति | 2008-09 निर्मुक्ति | 2009-10 निर्मुक्ति | 2010-11 निर्मुक्ति | 2011-12 निर्मुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 78.37 | 129.68 | 95.67 | 105.18 | 92.70 |
| 2. | बिहार | 2.70 | 31.22 | 24.35 | 0.00 | 10.00 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 62.52 | 30.00 | 60.00 | 96.57 | 85.00 |
| 4. | गोवा | 0.03 | 1.00 | 1.50 | 2.12 | 2.00 |
| 5. | गुजरात | 19.54 | 35.32 | 25.21 | 54.97 | 76.25 |
| 6. | हरियाणा | 64.76 | 33.00 | 56.00 | 51.50 | 76.23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | झारखंड | 7.81 | 50.00 | 30.84 | 16.00 | 25.00 |
| 8. | कर्नाटक | 85.71 | 125.37 | 80.02 | 93.25 | 95.21 |
| 9. | केरल | 61.48 | 75.17 | 0.00 | 44.00 | 49.00 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 55.37 | 60.00 | 35.45 | 51.00 | 45.00 |
| 11. | महाराष्ट्र | 132.25 | 130.22 | 91.73 | 126.14 | 93.75 |
| 12. | ओडिशा | 38.12 | 23.41 | 35.00 | 32.59 | 46.73 |
| 13. | पंजाब | 24.10 | 14.12 | 25.78 | 35.00 | 46.74 |
| 14. | राजस्थान | 56.73 | 40.98 | 25.00 | 40.00 | 35.00 |
| 15. | तमिलनाडु | 85.37 | 96.88 | 61.80 | 77.50 | 62.00 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 94.26 | 63.73 | 91.43 | 54.00 | 51.00 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 6.82 | 6.07 | 0.00 | 28.80 | 18.00 |
| | कुल राज्य | 875.94 | 946.17 | 739.78 | 908.62 | 909.61 |

*वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत राज्यवार एवं वर्षवार निर्मुक्तियां*

| राज्य | 2007-08 निर्मुक्ति | 2008-09 निर्मुक्ति | 2009-10 निर्मुक्ति | 2010-11 निर्मुक्ति | 2011-12 निर्मुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| आंध्र प्रदेश | 57.48 | 97.27 | 143.11 | 240.00 | 252.24 |
| बिहार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ | 7.83 | 9.54 | 12.52 | 10.19 | 20.00 |
| दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| गोवा | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.24 | 0.25 |
| गुजरात | 73.50 | 48.99 | 44.47 | 120.00 | 130.64 |
| हरियाणा | 6.04 | 12.07 | 2.12 | 13.61 | 16.93 |
| झारखंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 9.91 |
| कर्नाटक | 68.65 | 73.19 | 63.81 | 92.54 | 84.64 |
| केरल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| मध्य प्रदेश | 7.00 | 46.50 | 34.75 | 79.61 | 88.69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 138.97 | 147.48 | 107.07 | 222.37 | 206.40 |
| ओडिशा | 1.08 | 3.38 | 5.28 | 8.10 | 8.23 |
| पंजाब | 4.27 | 5.05 | 8.59 | 12.61 | 16.00 |
| राजस्थान | 23.41 | 23.82 | 56.93 | 120.00 | 130.95 |
| तमिलनाडु | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 65.91 | 56.25 |
| उत्तर प्रदेश | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 8.12 | 0.00 |
| पश्चिम बंगाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **टीएमएनई राज्य** | | | | | |
| अरुणाचल प्रदेश | | | | 0.75 | |
| असम | | | | | |
| मणिपुर | | | | | 0.50 |
| मेघालय | | | | 0.50 | |
| मिजोरम | | | | 0.50 | |
| नागालैंड | | | | | |
| सिक्किम | | | | | 4.00 |
| त्रिपुरा | | | | 0.50 | |
| **हिमालयी राज्य** | | | | | |
| जम्मू और कश्मीर | | | | | 2.00 |
| उत्तराखंड | | | | | 0.75 |
| सकल योग | 410.23 | 468.81 | 478.76 | 997.05 | 1029.38 |

*वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक बृहत प्रबंधन के तहत राज्यवार एवं वर्षवार निर्मुक्तियां*

(रुपए करोड़ में) 29.2.2012 तक

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2007-08 निर्मुक्ति | 2008-09 निर्मुक्ति | 2009-10 निर्मुक्ति | 2010-11 निर्मुक्ति | 2011-12 निर्मुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| आंध्र प्रदेश | 46.44 | 34.29 | 62.53 | 36.76 | 53.36 |
| अरुणाचल प्रदेश | 26.50 | 20.50 | 22.50 | 32.21 | 20.22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| असम | 15.95 | 8.12 | 8.12 | 11.68 | 0.00 |
| बिहार | 30.42 | 45.93 | 38.15 | 33.05 | 32.63 |
| छत्तीसगढ़ | 24.55 | 21.70 | 21.70 | 20.82 | 17.61 |
| गोवा | 4.33 | 1.40 | 1.00 | 0.46 | 0.38 |
| गुजरात | 57.72 | 50.45 | 38.30 | 39.19 | 41.88 |
| हरियाणा | 22.50 | 23.00 | 26.90 | 13.34 | 13.60 |
| हिमाचल प्रदेश | 22.15 | 25.85 | 20.00 | 22.91 | 17.05 |
| जम्मू और कश्मीर | 25.54 | 30.26 | 30.90 | 15.83 | 25.02 |
| झारखंड | 8.50 | 5.32 | 8.76 | 8.88 | 8.98 |
| कर्नाटक | 73.47 | 48.85 | 50.25 | 47.90 | 40.52 |
| केरल | 17.25 | 9.07 | 12.75 | 11.84 | 10.01 |
| मध्य प्रदेश | 47.90 | 58.35 | 61.71 | 69.14 | 55.16 |
| महाराष्ट्र | 120.35 | 103.13 | 92.75 | 109.10 | 75.38 |
| मणिपुर | 33.09 | 20.50 | 23.50 | 47.21 | 20.72 |
| मिजोरम | 30.00 | 27.16 | 18.02 | 40.09 | 16.17 |
| मेघालय | 9.25 | 14.25 | 14.25 | 21.09 | 19.50 |
| नागालैंड | 23.84 | 23.25 | 24.75 | 36.71 | 22.00 |
| ओडिशा | 37.36 | 43.60 | 23.54 | 38.74 | 27.07 |
| पंजाब | 6.50 | 17.50 | 18.75 | 8.14 | 6.88 |
| राजस्थान | 78.35 | 37.75 | 47.91 | 55.85 | 47.25 |
| सिक्किम | 23.35 | 18.50 | 17.46 | 28.36 | 15.77 |
| तमिलनाडु | 66.63 | 42.70 | 29.35 | 46.08 | 37.77 |
| त्रिपुरा | 14.45 | 18.50 | 10.80 | 36.29 | 15.60 |
| उत्तर प्रदेश | 71.53 | 108.93 | 120.60 | 101.29 | 92.03 |
| उत्तराखंड | 23.54 | 23.00 | 22.36 | 23.23 | 19.65 |
| पश्चिम बंगाल | 33.64 | 38.11 | 50.78 | 38.45 | 18.14 |
| कुल | 995.10 | 919.97 | 918.39 | 994.65 | 770.35 |

*वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक विस्तृत सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रम के तहत राज्यवार एवं वर्षवार निर्मुक्तियां*

| राज्य | 2007-08 निर्मुक्त | 2008-09 निर्मुक्त | 2009-10 निर्मुक्त | 2010-11 निर्मुक्त | 2011-12 निर्मुक्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| आंध्र प्रदेश | 24.71 | 10.25 | 9.89 | 10.73 | 15.00 |
| बिहार | 14.63 | 22.56 | 12.47 | 9.73 | 45.21 |
| छत्तीसगढ़ | 4.22 | 4.00 | 0.50 | 3.98 | 16.00 |
| गोवा | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| गुजरात | 3.11 | 1.89 | 5.57 | 5.10 | 22.00 |
| हरियाणा | 2.86 | 4.77 | 7.38 | 1.20 | 9.71 |
| हिमाचल प्रदेश | 3.73 | 3.37 | 5.15 | 2.53 | 11.48 |
| जम्मू और कश्मीर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 2.00 |
| झारखंड | 5.58 | 0.00 | 6.05 | 7.81 | 8.00 |
| कर्नाटक | 3.39 | 4.52 | 2.50 | 6.35 | 13.00 |
| केरल | 1.25 | 4.70 | 3.43 | 5.10 | 7.73 |
| महाराष्ट्र | 12.83 | 14.25 | 9.39 | 11.35 | 28.00 |
| मध्य प्रदेश | 6.12 | 21.98 | 15.34 | 9.90 | 14.33 |
| ओडिशा | 12.33 | 14.24 | 15.11 | 12.32 | 31.37 |
| पंजाब | 4.28 | 6.38 | 2.11 | 4.64 | 8.00 |
| राजस्थान | 11.53 | 5.75 | 11.87 | 5.18 | 20.36 |
| तमिलनाडु | 6.79 | 12.66 | 11.13 | 14.93 | 21.25 |
| उत्तर प्रदेश | 21.35 | 25.86 | 41.59 | 24.34 | 38.38 |
| उत्तराखंड | 2.62 | 1.80 | 67.64 | 2.00 | 3.00 |
| पश्चिम बंगाल | 6.35 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| असम | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.75 | 5.93 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1.42 | 0.39 | 1.98 | 3.37 | 5.93 |
| मणिपुर | 0.94 | 2.86 | 0.00 | 1.75 | 2.68 |
| मेघालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मिजोरम | 0.47 | 1.93 | 1.22 | 0.76 | 5.97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| नागालैंड | 0.00 | 2.70 | 3.79 | 2.10 | 5.97 |
| त्रिपुरा | 0.95 | 2.86 | 1.78 | 0.00 | 5.90 |
| सिक्किम | 0.83 | 1.68 | 0.75 | 0.00 | 2.49 |
| कुल | 152.48 | 191.55 | 175.64 | 153.37 | 344.82 |

*वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक आईसोपाम के तहत राज्यवार एवं वर्षवार निर्मुक्तियां*

(रुपए करोड़ में) 29.2.2012 तक

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2007-08 निर्मुक्ति | 2008-09 निर्मुक्ति | 2009-10 निर्मुक्ति | 2010-11 निर्मुक्ति | 2011-12 निर्मुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 52.25 | 30.00 | 37.32 | 57.57 | 28.35 |
| 2. | असम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | बिहार | 11.00 | 8.00 | 8.60 | 7.99 | 4.18 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 5.00 | 8.84 | 12.62 | 11.67 | 8.76 |
| 5. | गुजरात | 10.00 | 16.00 | 23.63 | 17.86 | 22.34 |
| 6. | गोवा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | हरियाणा | 8.00 | 7.00 | 6.56 | 5.03 | 5.23 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1.00 | 0.10 | 0.59 | 0.89 | 0.83 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 0.75 | 0.00 | 0.83 | 1.32 | 2.06 |
| 10. | कर्नाटक | 25.00 | 27.00 | 17.38 | 57.49 | 22.04 |
| 11. | केरल | 0.00 | 0.60 | 0.35 | 0.00 | 0.23 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 25.00 | 35.00 | 43.29 | 56.19 | 61.29 |
| 13. | महाराष्ट्र | 20.00 | 29.00 | 34.28 | 54.98 | 60.00 |
| 14. | मिजोरम | 3.00 | 3.90 | 5.54 | 8.77 | 3.61 |
| 15. | ओडिशा | 9.00 | 5.75 | 31.64 | 30.50 | 29.13 |
| 16. | पंजाब | 0.00 | 0.31 | 0.58 | 0.61 | 1.40 |
| 17. | राजस्थान | 36.00 | 31.40 | 30.02 | 50.71 | 50.51 |
| 18. | तमिलनाडु | 12.00 | 19.00 | 17.54 | 11.33 | 9.68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | त्रिपुरा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 16.00 | 14.50 | 18.22 | 12.22 | 9.02 |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 8.00 | 4.00 | 7.55 | 6.14 | 1.00 |
| | कुल | 243.00 | 240.40 | 296.54 | 391.27 | 319.66 |

## मांस प्रसंस्करण यूनिट

**212. श्री अर्जुन राम मेघवाल:**
**श्री निशिकांत दुबे:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मांस प्रसंस्करण उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या मांस प्रसंस्करण यूनिटों ने देश में मशीन द्वारा चलने वाले कसाई खाने बनाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में मांस उद्योग क्षेत्र के विकास को बढ़ाने तथा अधीक्षण के लिए राष्ट्रीय मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) से (ग) 11वीं योजना के दौरान इस मंत्रालय ने अवसंरचना विकास स्कीम के अंतर्गत संपूर्ण देश में बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के लिए एक व्यापक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रति परियोजना संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्य की लागत की क्रमशः सामान्य क्षेत्रों में 50% और दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर से परन्तु अधिकतम 15.00 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है। बूचड़खाना आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त मशीन द्वारा चलाए जाने वाले कसाईखानों की सूची संलग्न विवरण-I पर दी गई है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार स्कीम के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिनियम 50.00 लाख रुपये अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75.00 लाख रुपये की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन प्रसंस्करण यूनिटों के पास मशीन द्वारा चलाए जाने वाले कसाईखाने नहीं हैं। मांस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्ननय/स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त प्रसंस्करण यूनिटों की सूची संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

(घ) देश में मांस क्षेत्रक का विकास करने तथा अधीक्षण के लिए राष्ट्रीय मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड (एनएमपीपीबी) द्वारा निम्नलिखित पहले की गई हैं-

(i) एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

(ii) नई दिल्ली में दो राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए।

(iii) नई दिल्ली में तीन मेयर सम्मेलन आयोजित किए गए।

(iv) इसने मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, आगरा, कोच्चि, हैदराबाद और कोलकाता में उद्योग सम्मेलन आयोजित किए हैं।

(v) देश के विभिन्न भागों में कसाइयों को प्रशिक्षण देने के लिए आउटरीच कार्यकलाप शुरू किए गए हैं।

(vi) बोर्ड ने उद्योग को तर्कसंगत परामर्श देने के लिए एक परामर्शी विंग स्थापित किया है।

(vii) बोर्ड ने निम्नलिखित 4 अध्ययन ने शुरू किए हैं-

* बूचड़खानों की बेंचमार्किंग
* मांस क्षेत्र के गुणवत्ता संबंधी मुद्दे
* मांस उद्योग के कामगारों का सामाजार्थिक उत्थान।
* मांस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल बनाना।

## *विवरण I*

*बूचड़खाना परियोजना की स्थिति*

| क्र.सं. | निष्पादक का नाम | राज्य | कुल परियोजना लागत (लाख रुपए) | मंजूर की गई कुल राशि (लाख रुपए) | आज तक संवितरित कुल राशि (लाख रुपए) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | दीमापुर नगर निगम परिषद | नागालैण्ड | 2288 | 1437.50 | 1402.17 | पूर्ण हुआ |
| 2. | अहमदनगर बकरी फेडरेशन को-आप लिमिटेड | महाराष्ट्र | 2352 | 851.02 | 851.02 | पूर्ण हुआ |
| 3. | ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम | आंध्र प्रदेश | 3284 | 1478.98 | 591.59 | |
| 4. | नगर निगम, शिमला | हिमाचल प्रदेश | 1966 | 1142.00 | 114.20 | |
| 5. | कोलकाता नगर निगम | पश्चिम बंगाल | 2845 | 1287.34 | 128.73 | |
| 6. | जम्मू नगर निगम | जम्मू और कश्मीर | 2300 | 1500.00 | 150.00 | |
| 7. | जम्मू और कश्मीर भेड़ और भेड़ उत्पादन डेवलपमेंट बोर्ड, श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर | 2800 | 1410.00 | 141.00 | |
| 8. | नगर निगम, पटना | बिहार | 2638 | 1097.21 | 109.72 | |
| 9. | नगर निगम, रांची | झारखण्ड | 1867 | 864.595 | 86.46 | |
| 10. | मझीटार में आधुनिक बूचड़खाना, पूर्वी सिक्किम | सिक्किम | 926.36 | 616.72 | – | नई परियोजना |
| | योग | | 23266.36 | 11685.37 | 3557.89 | |

## *विवरण II*

*वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 (आज तक) के दौरान संवितरित मांस एवं पॉल्ट्री के राज्यवार मामले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | मांस प्रसंस्करण 2011-12 | | मांस प्रसंस्करण 2010-11 | | मांस प्रसंस्करण 2009-10 | | मांस प्रसंस्करण 2008-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सहायता प्रस्तावों की संख्या | संवितरित राशि (लाख रु.) | सहायता प्रस्तावों की संख्या | संवितरित राशि (लाख रु.) | सहायता प्रस्तावों की संख्या | संवितरित राशि (लाख रु.) | सहायता प्रस्तावों की संख्या | संवितरित राशि (लाख रु.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | | | | | 1 | 16.00 | 1 | 16.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | | | | | 1 | 31.08 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | दिल्ली | | | 1 | 16.30 | | | | |
| 4. | हरियाणा | | | 1 | 25.00 | | | | |
| 5. | कर्नाटक | | | 2 | 50.00 | | | | |
| 6. | केरल | 1 | 0.10 | 2 | 35.00 | | | 1 | 25.00 |
| 7. | महाराष्ट्र | | | 1 | 17.27 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 |
| 8. | पंजाब | 1 | 0.07 | 1 | 11.53 | | | | |
| 9. | तमिलनाडु | 1 | 0.25 | | | | | | |
| 10. | उत्तर प्रदेश | 1 | 0.25 | 10 | 250.00 | 5 | 119.77 | 4 | 97.88 |
| 11. | पश्चिम बंगाल | | | 1 | 25.00 | 2 | 41.23 | | |
| 12. | चंडीगढ़ | | | 1 | 25.00 | | | | |
| | कुल | 4 | 0.67 | 20 | 455.10 | 10 | 233.08 | 8 | 180.18 |

## खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां

**213. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक का पालन नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसी कंपनियों के कार्यकरण की निगरानी के लिए कोई प्राधिकरण की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) और (ख) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करना अपेक्षित है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के लिए यह सुनिश्चित करते हुए कि देश में अपनाए गए सुरक्षा स्तर में कमी न हो अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों एवं स्वदेशी खाद्य मानकों के बीच एकरूपता को बढ़ावा देना अनिवार्य है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ऐसी यूनिटों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। जहां कहीं भी विचलन देखा जाता है वहां अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार चूककर्ताओं के खिलाफ दाण्डिक/कानूनी कार्रवाई की जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों, खाद्य प्राधिकरण तथा राज्य सरकारों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों द्वारा सुरक्षित खाद्य वस्तुओं के निर्माण के लिए शर्तें निर्धारित करने वाली लाइसेंसिंग प्रणाली को खाद्य सुरक्षा मानक विनियमन, 2011 में यथानिर्धारित खाद्य मानकों के साथ-साथ अनुपालन के बारे में कानूनी उपबंधों को लागू करने की शक्तियां दी गई हैं।

(ग) जी हां।

(घ) खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने और मानव उपभोग हेतु सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भण्डारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का सरकार ने पहले ही गठन किया हुआ है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

*[अनुवाद]*

## आगमन पर वीजा की सुविधा का विस्तार

**214. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आगमन पर वीजा उपलब्ध कराने वाले हवाई अड्डे का नाम क्या है;

(ख) क्या गोवा, हैदराबाद, रांची और बंगलूरू आदि सहित और अधिक हवाई अड्डों पर यह सुविधा बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) जी, हां। भारत सरकार ने चार अन्तर्राष्ट्रीय (हवाई अड्डों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में 11 देशों अर्थात् फिनलैंड, जापान, लक्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कम्बोडिया, लाओस, विएतनाम, फिलीपींस, म्यांमार और इंडोनेशिया के नागरिकों के लिए आगमन पर टूरिस्ट वीजा (टीवीओए) सुविधा उपलब्ध कराई है।

(ख) और (ग) गोवा, हैदराबाद, कोच्ची और बेंगलुरू आदि सहित देश में और हवाई अड्डों पर आगमन टूरिस्ट वीजा की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

*[हिन्दी]*

## मेट्रो रेल परियोजना

**215. श्री भूदेव चौधरी:**
**श्री प्रताप सिंह बाजवा:**
**श्री सुरेश अंगड़ी:**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के मेट्रोपोलिटन/मध्यम आकार के शहरों में मेट्रो रेल संपर्क उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं/केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं, उनकी परियोजना-वार और राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार आवंटित निधि तथा उन्हें पूरा करने का समय क्या है;

(ग) ऐसी परियोजनाओं के लिए शहरों को चिह्नित करने संबंधी क्या मानदंड हैं; और

(घ) क्या इन शहरों के लिए यातायात के और तरीकों पर केन्द्र सरकार विचार कर रही है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** (क) मैट्रो रेल संपर्क उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

| क्र.सं. | परियोजना (राज्य) | लम्बाई (कि.मी.) | कुल अन्तिम लागत (करोड़ रुपये में) | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | कोच्चि मैट्रो रेल (अदवाये से पेट्टा केरल) | 25.30 | 5181.79 | सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) के लिए विस्तृत ज्ञापन भेजा गया है। |
| 2. | चरण-I (नार्थ साऊथ कॉरीडोर) सीतापुर से अम्बावाडी<br>जयपुर मैट्रो चरण-II (ईस्ट वेस्ट कॉरीडोर) मानसरोर से बड़ी चौपड | 23,099<br>12.067 | 6581.00<br>3151.00 | जयपुर मैट्रो रेल का.लि. (जेएमआरसीएल) ने चरण-I को दिल्ली मैट्रो रेल कार. की तरह संयुक्त स्वामित्व मॉडल और चरण-II को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। राजस्थान सरकार को संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार द्वारा चरण-I के एक भाग का कार्य आरंभ कर दिया गया है। |
| 3. | बंगलौर मैट्रो चरण-II (कर्नाटक) | 72.065 | 26405.00 | डीपीआर को 5 मार्च, 2012 को संशोधित किया गया है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | मुम्बई मैट्रो लाइन-3 कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज | 33.5 | 21667 | शहरी विकास मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान जापान इन्टरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजना की अनुशंसा की है। संशोधित डीपीआर प्राप्त हो गई है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को परिचालित कर दी गई है। |
| 5. | बंगलौर उच्च गति रेल लिंक (कर्नाटक) | 34 | 6736.00 | बंगलुरू अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए तीव्र संयोजन (संपर्क) मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत शहर से एयरपोर्ट तक एक उच्च गति रेल लिंक विकसित करने का प्रस्ताव किया है। प्रारूप छूट करार पर बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना के प्रबंध निदेशक से टिप्पणियां मांगी गई हैं। |
| 6. | लुधियाना मैट्रो (पंजाब) | 28.954 | 8705 | राज्य सरकार ने परियोजना को पीपीपी मोड में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया है। पंजाब सरकार से व्यापक मोबिलिटी योजना पर सूचना, लुधियाना मैट्रो परियोजना पर संक्षिप्त नोट और ऐसी अन्य सूचना मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है। |
| 7. | अहमदाबाद से गांधीनगर (गुजरात) | 52 | 9000 | गुजरात सरकार को सूचित किया गया है कि उनका प्रस्ताव संघ सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय सहायता के मानदण्डों के अनुरूप नहीं है। राज्य सरकार से रूपरेखा जिसके तहत उन्होंने अनुदान मांगा है, के तहत आगे ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। |
| 8. | चेन्नई मैट्रो (तमिलनाडु) तरुवोट्टियूर और विमको नगर तक कॉरीडोर-1 का विस्तार | 9 | 2845 | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परिचालित कर दी गई है। |
| 9. | दिल्ली मैट्रो का मुण्डका से बहादुरगढ़ (हरियाणा) तक विस्तार | 11.5 | 1990.0 | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 3.2.2012 को सभी स्टेकहोल्डरों में परिचालित कर दी गई है। |
| 10. | दिल्ली मैट्रो का द्वारका से से शिव विहार तक विस्तार | 5.5 | 1070 | एमआरटीएस पर अधिकार प्राप्त समिति हेतु नोट निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 13.1.2012 तक परिचालित कर दिया गया है। |
| 11. | दिल्ली मैट्रो का यमुना विहार से शिव विहार तक विस्तार | 2.0 | 170 | एमआरटीएस पर अधिकार प्राप्त समिति हेतु नोट निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 15.2.2012 तक परिचालित कर दिया गया है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12. | दिल्ली मैट्रो का द्वारका सैक्टर 21 से गुड़गांव सैक्टर 29 (इफको चौक) तक विस्तार | 12 | 2175 | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 31.1.2012 को सभी स्टेकहोल्डरों में परिचालित कर दी गई है। डीएमआरसी से ब्यौरे मांगे गए हैं। |
| 13. | दिल्ली मैट्रो का रिठाला से बवाना तक विस्तार | 12.5 | 1996 | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 21.2.2012 को सभी स्टेकहोल्डरों में परिचालित कर दी गई है। डीएमआरसी से ब्यौरे मांगे गए हैं। |

(ख) और (घ) संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मैट्रो रेल परियोजनाओं पर विचार किया जाता है। तथापि, प्रस्तावों पर विचार करना और उनको स्वीकृत करना बहुत से मानदण्डों जैसे परियोजना का औचित्य, संसाधनों की उपलब्धता और संबंधित प्राथमिकता आदि पर निर्भर करता है। केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 के अनुरूप और संसाधनों की उपलब्धता की शर्त के अनुसार सार्वजनिक परिवहन के विकास को बढ़ावा देती है। वैसे किसी परियोजना विशेष की स्वीकृति के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती है। किसी शहर में कोई परिवहन परियोजना प्रारम्भ करना सतत प्रक्रिया है।

(ग) मैट्रो रेल परियोजनाओं की स्वीकृति पर उन शहरों में जिनका उच्च जनसंख्या घनत्व है और कॉरीडोरों की अधिक मांग है तथा व्यापक परिचालन योजना और वैकल्पिक आंकलन रिपोर्ट के आधार पर विचार किया जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012 से 2017) के लिए शहरी परिवहन पर कार्य समूह ने सिफारिश की है कि 2 मिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले शहर मैट्रो रेल प्रणाली के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें तथा 3 मिलियन से अधिक के शहर 12वीं पंचवर्षीय योजना में मैट्रो रेल की परियोजना शुरू करेंगे।

## ओलावृष्टि से फसल हानि

**216. श्री जगदीश शर्मा:**
**श्री नारायण सिंह अमलाबे:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मध्य प्रदेश सहित ओलावृष्टि और पाला से फसल को हानि की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यों में हानि का राज्य-वार और फसल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता और उनको उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) देश में ओलावृष्टि और पाला के कारण फसल हानि की रिपोर्टें हैं। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2010-11 में शीतलहर/पाला के कारण 35.88 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में फसल हानि और केरल ने वर्ष 2009-10 के दौरान ओलावृष्टि के कारण 855 हैक्टेयर क्षेत्र की फसल हानि की सूचना दी।

(ग) पाला/शीत लहर राज्य विपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के अधीन सहायता हेतु पात्र आपदा नहीं है। केरल सरकार ने 2009-10 के सूखे और ओलावृष्टि के लिए 168.22 करोड़ रु. की मांग की। भारत सरकार ने केरल सरकार ने 2009-10 के सूखे और ओलावृष्टि के लिए 168.22 करोड़ रु. की मांग की। भारत सरकार ने केरल सरकार को राज्य सरकार के राज्य विपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध शेष के 75% के समायोजन की शर्त पर 33.02 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की है।

*[अनुवाद]*

## सीमा विवाद

**217. श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच सीमा विवाद का मामला अभी भी लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन/अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस विवाद को शीघ्र हल करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) से (ङ) महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के बीच सीमा विवाद को हल करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने एक-सदस्यीय महाजन आयोग का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1967 में प्रस्तुत कर दी थी। यह विवाद अभी भी बना हुआ है क्योंकि कर्नाटक सरकार महाजन सरकार की सिफारिशों के पूरी तरह से कार्यान्वयन पर जोर देती है जबकि महाराष्ट्र सरकार इस आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करती है। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है जो शीर्ष न्यायालय में लंबित है। चूंकि यह मामला निर्णयाधीन है, इसलिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

## खाद्यान्न के उत्पादन में कमी

**218. श्री जोस के. मणि:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बाजरा और ज्वार जैसे मोटे अनाज तथा सोयाबीन जिनका उत्पादन सूखे जैसी स्थिति के कारण घटा है और फलत: खाद्यान्न उत्पादन घटा है, के संबंध में सरकार ने कोई आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो कृषि संबंधी संकट को दूर करने तथा खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) देश के कुछ भागों में सूखा अवधि एवं सूखे जैसी स्थिति से देश में समग्र खाद्यान्न के उत्पादन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। द्वितीय अग्रिम अनुमान (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) 2011-12 के अनुसार देश में समग्र खाद्यान्न उत्पादन 250.42 मिलियन टन अनुमानित है जो पिछले वर्ष के रिकार्ड उत्पादन 244.78 मिलियन टन से 5.64 मिलियन टन अधिक है। मोटे अनाजों का कुल उत्पादन 42.08 मिलियन टन अनुमानित है जिसमें 6.08 मिलियन टन ज्वार और 9.72 मिलियन टन बाजरा शामिल है। सोयाबीन का उत्पादन 12.07 मिलियन टन अनुमानित है।

सोयाबीन, बाजरा और ज्वार के उत्पादन में कमी से खाद्य मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि ये अनाज हमारे देश में प्रमुख रूप से उपभोग किए जाने वाले अनाज नहीं हैं। इनकी मांग मुख्यत: अप्रत्यक्ष रूप में होती है क्योंकि इनका उपयोग सामान्यत: पशु आहार के रूप में होता है एवं इनका प्रत्यक्ष उपभोग बहुत कम होता है। जहां तक सोयाबीन की बात है, खाद्य तेल उपभोग में इसका अंश पर्याप्त नहीं है। घरेलू उत्पादन में कमी को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है ताकि मूल्यों को नियंत्रण में रखा जा सके।

## बर्ड फ्लू

**219. श्री संजय धोत्रे:**
**श्री मंगनी लाल मंडल:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण हुई हानि का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके प्रसार से प्रभावित पॉल्ट्री किसानों को क्षतिपूर्ति करने/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) सरकार ने बर्ड फ्लू के प्रकोप के कारण हुई क्षति का ऐसा कोई आकलन नहीं किया है। तथापि, किसानों को पक्षियों को मारने और अंडों और कुक्कुट आहार को नष्ट करने के लिए तय दरों के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

(ख) से (घ) बर्ड फ्लू के प्रकोप के फलस्वरूप पक्षियों को मारने और कुक्कुट आहार और अंडों को नष्ट करने के दौरान होने वाली क्षति के लिए किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। अनुबंध के आंकड़ों के अनुसार बर्ड फ्लू के अंतिम प्रकोप तक किसानों को 2047.54 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है।

## चीनी उत्पादन

**220. श्री हरिभाऊ जावले:**
**श्री विलास मुत्तेमवार:**
**डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:**

**श्री सी.आर. पाटिल:**
**श्री एन. चेलुवरया स्वामी:**
**श्री रायापति सांबासिवा राव:**
**श्री राजय्या सिरिसिल्ला:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू चीनी के मौसम के दौरान चीनी उत्पादन में वृद्धि हुई है जिससे देश में चीनी की अतिरिक्त उपलब्धता है;

(ख) यदि हां, तो देश में चीनी के मांग और उत्पादन को दर्शाने वाला ब्यौरा के साथ-साथ घरेलू बाजार में बढ़ी हुई उपलब्धता के कारण इसकी कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार चीनी उत्पादन में वृद्धि और अतिरिक्त चीनी को देखते हुए चीनी के निर्यात के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खाद्य सामग्रियों में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के कारण चीनी का निर्यात प्रभावित हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान चीनी के उत्पादन, मांग, कीमत और निर्यात का ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) पिछले चीनी मौसम 2010-11 में 243.50 लाख टन (अनंतिम) की तुलना में वर्तमान चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) 2011-12 के दरान अनंतिम रूप से चीनी का उत्पादन लगभग 246.65 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान चीनी मौसम के दौरान घरेलू मांग का अनंतिम रूप से 220 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। घरेलू मंडी में मूल्य विभिन्न कारकों यथा घरेलू मांग और आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, बाजार के रुझानों आदि पर निर्भर करते हैं। अत: एक कारक यथा चीनी की अधिक उपलब्धता का मूल्यों पर प्रभाव दर्शा पाना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 के दौरान अधिक चीनी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के तहत नवम्बर, 2011 और फरवरी, 2012 माह के दौरान 20 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है जो 10 लाख टन की दो खेपों में निर्यात की जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने 2011-12 चीनी मौसम के दौरान द्विपक्षीय संधि करार को पूरा करने के लिए मालदीव को 0.19 लाख टन, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ को 0.18 लाख टन और निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (इपीसीजी) के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 1.16 लाख टन के निर्यात की अनुमति दी है।

(ङ) और (च) सरकार ने 2010-11 और 2011-12 में चीनी के निर्यात की अनुमति दी है क्योंकि चीनी के मूल्य स्थिर रहे हैं। चीनी के उत्पादन, मांग और निर्यात दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। जहां तक चीनी मूल्यों का संबंध है, प्रति किलोग्राम अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान क्रमशः 27.44 रुपये, 32.61 रुपये और 32.40 रुपये रहा है।

*विवरण*

*चीनी का उत्पादन, मांग और निर्यात*

| चीनी मौसम | चीनी उत्पादन (लाख टन में) | चीनी की मांग (घरेलू) (लाख टन में) | निर्यात की गई चीनी# (लाख टन में) |
|---|---|---|---|
| 2008-09 | 147.00 | 231.00 | 2.17 |
| 2009-10 | 188.00 | 212.00 | 2.37 |
| 2010-11 | 243.50 | 208.00 | 28.14 |

#स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता

**तटीय सुरक्षा योजना**

221. **डॉ. एम. तम्बिदुरई:**
**श्री जय प्रकाश अग्रवाल:**
**श्री एस. पक्कीरप्पा:**
**श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में क्रियान्वयन के अधीन तटीय सुरक्षा योजना और विगत वर्ष के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत स्वीकृत और जारी निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में उक्त योजना की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त क्षेत्र में खतरे की संभावना को देखते हुए सरकार तटीय क्षेत्र के निवासियों को पहचान पत्र जारी कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) सरकार तटीय सुरक्षा योजना को दो चरणों में कार्यान्वित कर रही है। तटीय सुरक्षा योजना के चरण-I के कार्यान्वयन, जिसमें 73 पुलिस थानों, 97 जांच चौकियों, 58 सीमा चौकियों, 30 बैरकों, 204 नावों, 153 जीपों और 312 मोटर साइकिलों का प्रावधान है, दिनांक 31.3.2011 को पूरा कर लिया गया है।

तटीय सुरक्षा योजना के चरण-II को 1 अप्रैल, 2011 से शुरू करके पांच वर्षों की अवधि के भीतर कार्यान्वित करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस योजना में 131 समुद्री पुलिस थानों, 60 जेटियों, 10 समुद्री कार्रवाई केन्द्रों, 180 (12 टन) नावों, 35 आरआईबी (रिजिड इंफ्लेटेबल बोट), 10 बड़े पोतों (ए एण्ड एन), 131 चारपहिया वाहनों तथा 242 मोटरसाइकिलों का प्रावधान है।

वर्ष 2011-12 के दौरान अवसंरचना के निर्माण के लिए जारी की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) इस योजना के निष्पादन की, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली नेशनल कमिटी ऑन स्ट्रेन्थनिंग मेरिटाइम एण्ड कोस्टल सिक्यूरिटी अगेंस्ट थ्रिट्स फ्रॉम सी (एनसीएमएमसीएस) में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

(घ) और (ङ) समस्त मछुआरों को बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करने हेतु मात्स्यिकी विभाग कदम उठा रहा है। पहचान पत्र जारी किए जाने हेतु मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा 1828912 मछुआरों का अभिनिर्धारण किया गया है। केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के संघ को पहचान पत्र बनाने का दायित्व सौंपा गया है और दिनांक 6.3.2012 तक 58599 पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं।

भारत के महापंजीयक (आरजीआई) को तटीय गांवों में रहने वाली आबादी को बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एमएनआईसी) जारी करने का काम सौंपा गया है। आरजीआई द्वारा नामित केन्द्रीय लोक क्षेत्र के उद्यमों के संघ ने दिनांक 7.3.2012 तक 13 लाख कार्ड बना दिए हैं। यह परियोजना मार्च, 2013 तक पूर्ण हो जाएगी।

### *विवरण*

*वर्ष 2011-12 के दौरान अवसंरचना के निर्माण के लिए जारी की गई निधियां*

(लाख रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | धनराशि |
|---|---|---|
| 1. | गुजरात | 643.40 |
| 2. | महाराष्ट्र | शून्य |
| 3. | गोवा | 75.80 |
| 4. | कर्नाटक | 41.22 |
| 5. | केरल | 100.00 |
| 6. | तमिलनाडु | 945.20 |
| 7. | आंध्र प्रदेश | 97.10 |
| 8. | ओडिशा | 95.22 |
| 9. | पश्चिम बंगाल | शून्य |
| 10. | पुडुचेरी | 50.11 |
| 11. | लक्षद्वीप | 49.19 |
| 12. | दमन और दीव | 98.00 |
| 13. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1502.00 |
| | कुल | 3697.24 |

*[हिन्दी]*

### पुलिस बल के आधुनिकीकरण संबंधी रिपोर्ट

**222. डॉ. भोला सिंह:**
**श्री हंसराज गं. अहीर:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि पुलिस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया देश में बहुत धीमी गति से चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या प्रशिक्षण के स्तर मानक के अनुरूप नहीं हैं तथा भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ङ) आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(च) उक्त कार्य के लिए विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यों को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है, इसकी उपयोगिता के साथ राज्य-वार ब्यौरा दें?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने नक्सलवाद प्रभावित कुछ राज्यों सहित 16 राज्यों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा करवायी थी। "भारत में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण का लेखा परीक्षा मूल्यांकन खण्ड-I नामक रिपोर्ट जनवरी, 2009 में सी एण्ड एजी द्वारा प्रकाशित की गई थी। लेखा परीक्षा ने राज्य विशिष्ट निष्कर्ष दिए। तथापि, राज्यों द्वारा कार्य योजना प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलम्ब करने और गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदन देने से संबंधित सी एण्ड एजी निष्कर्षों एवं सिफारिशों के सार में उसी वर्ष के दौरान योजना निधि का कमतर उपयोग, सभी राज्यों के लिए वाहनों की कमी, पुराने तथा मरम्मतयोग्य वाहनों पर पुलिस की निर्भरता, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एण्ड डी) के अनुसार, आवश्यकता की तुलना में गैर-आवासीय एवं आवासीय भवनों की कमी, कुछेक राज्यों में पुलिस दूर-संचार नेटवर्क की अपर्याप्तता तथा समुचित पुलिस प्रशिक्षण अवसंरचना की अपर्याप्तता इत्यादि सामने आयी। सी एण्ड एजी रिपोर्टों के सार की प्रति समुचित उपचारी कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई है। एमपीएफ योजना के तहत स्वीकृत एवं जारी निधियों के समय पर तथा यथोचित उपयोग की निगरानी करने के लिए, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2008-09 की अन्तिम तिमाही से योजना की तिमाही समवर्ती लेखा-परीक्षा प्रणाली आरम्भ की है।

(ग) और (घ) भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण राज्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना मुख्यतया राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए, पुलिस अनुसंधान एवं विास ब्यूरो (बीपीआर एण्ड डी) के अधीन राष्ट्रीय पुलिस मिशन के तहत माइक्रो मिशन द्वारा एक पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया विकसित की गई है। अंगीकार करने के लिए इसे सभी राज्यों को परिचालित किया गया है। कुछ ही राज्यों ने प्रक्रिया को कार्यान्वयन किया है।

(ङ) और (च) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ स्कीम) की योजना के तहत राज्यों को कुल 3612.27 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई थी। विगत तीन वर्षों अर्थात् 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में एमपीएफ स्कीम के तहत राज्यवार और वर्षवार जारी निधियां, राज्य सरकारों द्वारा सूचित उपयोग तथा चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में जारी निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

***विवरण***

*एम.पी.एफ. स्कीम के तहत राज्यवार और वर्षवार जारी की गई निधियां*

(करोड़ रुपए में)

| राज्य का नाम | 2008-09 | | | 2009-10 | | | 2010-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जारी निधियां | खर्च हुई निधियां | अप्रयुक्त निधियां | जारी निधियां | खर्च हुई निधियां | अप्रयुक्त निधियां | जारी निधियां | 2011-12 जारी निधियां |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| आंध्र प्रदेश | 83.83 | 74.53 | 9.30 | 115.54 | 56.94 | 58.60 | 89.96 | 4.09 |
| अरुणाचल प्रदेश | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 11.50 | 11.30 | 0.20 | 10.75 | 6.99 |
| असम | 68.11 | 59.72 | 8.39 | 60.79 | 49.93 | 10.86 | 48.51 | 46.97 |
| बिहार | 41.57 | 41.57 | 0.00 | 59.34 | 41.34 | 18.00 | 63.67 | 27.02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| छत्तीसगढ़ | 26.54 | 24.81 | 1.73 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 29.8 | 5.59 |
| गोवा | 4.00 | 3.51 | 0.49 | 7.08 | 1.06 | 6.02 | 2.3 | 0.08 |
| गुजरात | 48.02 | 46.75 | 1.27 | 52.18 | 43.74 | 8.44 | 55.27 | 33.23 |
| हरियाणा | 27.51 | 27.51 | 0.00 | 46.63 | 46.63 | 0.00 | 30.41 | 5.23 |
| हिमाचल प्रदेश | 9.99 | 9.93 | 0.06 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 6.36 | 5.91 |
| जम्मू और कश्मीर | 109.65 | 109.65 | 0.00 | 111.18 | 111.18 | 0.00 | 148.25 | 109.72 |
| झारखंड | 69.85 | 66.00 | 3.85 | 33.49 | 28.30 | 5.19 | 36.9 | 4.95 |
| कर्नाटक | 69.61 | 69.61 | 0.00 | 63.96 | 53.20 | 10.77 | 83.01 | 52.50 |
| केरल | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 32.54 | 32.54 | 0.00 | 42.68 | 26.74 |
| मध्य प्रदेश | 40.37 | 40.37 | 0.00 | 54.87 | 47.28 | 7.59 | 72.41 | 36.92 |
| महाराष्ट्र | 75.86 | 72.08 | 3.78 | 72.48 | 70.48 | 2.00 | 42.26 | 63.55 |
| मणिपुर | 39.23 | 33.63 | 5.60 | 27.44 | 27.08 | 0.36 | 26.63 | 25.85 |
| मेघालय | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 9.73 | 8.59 | 1.14 | 8.48 | 5.41 |
| मिजोरम | 12.69 | 12.13 | 0.56 | 11.48 | 11.28 | 0.20 | 19.55 | 10.94 |
| नागालैंड | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 33.77 | 29.40 |
| ओडिशा | 42.54 | 42.54 | 0.00 | 51.87 | 51.64 | 0.23 | 54.24 | 14.33 |
| पंजाब | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 33.50 | 32.45 | 1.05 | 26.08 | 32.03 |
| राजस्थान | 49.10 | 47.77 | 1.33 | 51.18 | 44.00 | 7.18 | 47.88 | 32.37 |
| सिक्किम | 6.12 | 5.78 | 0.34 | 4.72 | 4.12 | 0.60 | 2.17 | 5.01 |
| तमिलनाडु | 50.10 | 50.10 | 0.00 | 60.67 | 45.44 | 15.23 | 92.52 | 42.73 |
| त्रिपुरा | 20.66 | 20.66 | 0.00 | 22.92 | 7.00 | 15.92 | 23.08 | 15.95 |
| उत्तर प्रदेश | 102.31 | 91.43 | 10.88 | 125.17 | 92.93 | 32.24 | 77.61 | 49.85 |
| उत्तराखंड | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 6.35 | 5.75 |
| पश्चिम बंगाल | 32.18 | 31.93 | 0.25 | 48.81 | 48.76 | 0.05 | 43.73 | 36.17 |
| कुल | 1157.64 | 1109.81 | 47.83 | 1230.00 | 1028.14 | 201.86 | (*)1224.63 | (**)735.28 |

(*) राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्र दिनंक 01.04.2012 को देय हो जाएंगे।

(**) राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्र दिनंक 01.04.2012 को देय हो जाएंगे।

**गरीबों को सस्ते घर**

**223. श्री इज्यराज सिंहः**
**श्री अंजनकुमार एम. यादवः**

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को अपनी कमाई का एक बड़ा भाग मकान किराए के रूप में देना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई रिपोर्ट मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) बड़े शहरों में गरीबों और मध्यवर्गीय परिवारों को सस्ते दर पर आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) और (ख) भारत में आवासीय स्थिति और सुविधाओं संबंधी रिपोर्ट पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 65वें चक्र (जुलाई 2008-जून 2009) के अनुसार 30 प्रतिशत शहरी परिवार किराए के मकानों में रहते हैं। सर्वेक्षण किए गए शहरी परिवारों के लिए प्रति परिवार औसत मासिक किराया 1149 रु. है। मंत्रालय के पास बड़े शहरों में रह रहे लोगों द्वारा दिए जा रहे किराए पर कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं है।

(ग) 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं। तथापि, राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2007 किराया और स्वामित्व दोनों आधार पर पर्याप्त आवासों के निर्माण का समर्थन करती है।

राजीव आवास योजना (रे) जिसे 2 जून, 2011 को शुरू किया गया है, के तहत किराया आवास सहित एकीकृत स्लम पुनर्विकास के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, भागीदारी में किफायती आवास स्कीम जिसे आरएवाई में मिला दिया गया है के अंतर्गत नए प्रवासियों के लिए किराया आवास और डोरमैट्रीज भी अनुमत है।

किफायती किराया आवास को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने प्रारूप माडल आवासीय किराएदारी अधिनियम, 2011 को तैयार और परिचालित भी किया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधा कार्यक्रम (बीएसयूपी) के अंतर्गत देश के 65 शहरों में स्लम वासियों सहित शहरी गरीबों के लिए आवास तथा अवस्थापना सुविधाएं शुरू करने हेतु शहरों एवं कस्बों को सहायता देने के लिए 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की शुरूआत की। अन्य शहर/कस्बों के लिए एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) शुरू किया गया जिसका उद्देश्य स्लम निवासियों को आश्रय और बुनियादी अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य एवं अनुकूल पर्यावरण के साथ समग्र स्लम विकास करना है। स्कीम के अंतर्गत प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

स्लम मुक्त भारत का निर्माण करने की सरकार की परिकल्पना के अनुसरण में, दिनांक 2.6.2011 को 'राजीव आवास योजना' (रे) नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है। आरएवाई फेज-I की अवधि स्कीम के अनुमोदन की तिथि से दो वर्ष है जिसका बजट 5000 करोड़ रु. है जबकि फेज-II 12वीं योजना की शेष अवधि के लिए होगा। इस स्कीम के अंतर्गत 8 शहरों यानी हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, तिरूवनंतपुरम, भुवनेश्वर और जयपुर के लिए कुल 197 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता वाली 8 प्रायोगिक परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

***विवरण***

*जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन*
*आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार*

6.3.2010 की स्थिति
(करोड़ रु. में)

**एक दृष्टि में : अखिल भारत**

| | | बीएसयूपी | आईएचएसडीपी | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 7 वर्षीय एसीए आबंटन (2005-12) | 16,356.35 | 6828.31 | 23184.66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | शामिल मिशन शहरों/कस्बों की संख्या | 65 | 886 | 951 |
| 3. | अनुमोदित परियोजना की संख्या | 502 | 1022 | 1524 |
| 4. | अनुमोदित कुल परियोजना लागत | 29303.30 | 10913.72 | 40217.02 |
| 5. | अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश | 14635.13 | 7201.03 | 21836.16 |
| 6. | अनुमोदित कुल राज्य अंश | 14650.17 | 3672.44 | 18322.61 |
| 7. | स्वीकृत एसए की प्रथम किस्त | 3654.33 | 3592.83 | 7247.16 |
| 8. | स्वीकृत एसए की द्वितीय किस्त | 2379.21 | 1452.90 | 3832.11 |
| 9. | स्वीकृत एसए की तृतीय किस्त | 1514.93 | 0.00 | 1514.93 |
| 10. | स्वीकृत एसए की चतुर्थ किस्त | 714.34 | 0.00 | 714.34 |
| 11. | जारी एसीए (परियोजनाएं) | 7986.61 | 4703.95 | 12690.56 |
| 12. | स्वीकृत पीएमयू की संख्या | 29 | 0.00 | 29 |
| 13. | जारी पीएमयू | 6.71 | 0.00 | 6.71 |
| 14. | स्वीकृत पीआईयू की संख्या | 124 | 0.00 | 124 |
| 15. | जारी पीआईयू | 22.61 | 0.00 | 22.61 |
| 16. | स्वीकृत टीपीआईएमए की संख्या | 22 | | 22 |
| 17. | जारी टीपीआईएमए | 1.08 | | 1.08 |
| 18. | डीपीआर तैयारी प्रभार-(20) जारी | 9.35 | 0.00 | 9.35 |
| 19. | क्षमता निर्माण कार्यक्रम-जारी | 2.01 | | 2.01 |
| 20. | जारी कुल एसीए | 8028.38 | 4703.95 | 12732.33 |
| 21. | शेष एसीए (कालम 1 से 5) | 1721.22 | -372.72 | 1348.50 |
| 22. | निर्माण के लिए अनुमोदित कुल रिहायशी यूनिट (नई+उन्नयन) | 1028504 | 544276 | 1572780 |
| 23. | पूर्ण रिहायशी यूनिट | 406060 | 166190 | 572250 |
| 24. | प्रगतिशील रिहायशी यूनिट | 239371 | 140746 | 380117 |
| 25. | कब्जा की गई रिहायशी यूनिट | 257679 | 124776 | 382455 |

**कृषि उत्पादन में वृद्धि**

**224. श्री राधा मोहन सिंह:**
**श्री रूद्रमाधव राय:**
**श्रीमती मीना सिंह:**
**श्री एन. चेलुवरया स्वामी:**
**श्री प्रबोध पांडा:**
**श्री आर. थामराई सेलवन:**
**श्री आर. ध्रुवनारायण:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान कपास, खाद्यान्न, चना, चावल, तेल बीज, दाल, गन्ना, गेहूं आदि के उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त सामग्रियों के उत्पादन का राज्य-वार, फसलवार ब्यौरा क्या है;

(ग) फसल की बर्बादी रोकने के लिए उनकी भंडारण की समुचित व्यवस्था और बढ़े हुए उत्पादन के उपयोग के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) क्या चालू वर्ष के बम्पर उत्पादन को देखते हुए खाद्यान्नों की कीमत कम होने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) 3.2.2012 को जारी 2011-12 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, देश में चावल, गेहूं, खाद्यान्न तथा कपास के उत्पादन का आकलन सदैव रिकार्ड स्तर पर क्रमश: 102.75 मिलियन टन, 88.31 मिलियन टन, 250.42 मिलियन टन तथा 34.09 मिलियन गांठें (प्रत्येक 170 किलोग्राम) किया गया है। गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष अर्थात् 2008-09 से 2011-12 के दौरान चावल, गेहूं, चना, दलहनों, खाद्यान्न, तिलहनों, गन्ना तथा कपास के राज्यवार तथा फसल-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) खाद्यान्न के प्रापण में वृद्धि होने तथा कवर एवं प्लिन्थ (सीएपी) के भंडारण में कमी होने के कारण, भारत सरका रने निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) तथा राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) के माध्यम से भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए एक योजना तैयार की है। योजना के अंतर्गत अतिरिक्त भंडारण का मूल्यांकन कुल प्रापण/खपत तथा पहले से उपलब्ध भंडारण स्थल की आवश्यकता पर आधारित है। योजना के अंतर्गत लगभग 151 लाख टन की क्षमता को निजी उद्यमियों तथा केन्द्रीय एवं राज्य भंडारण निगमों के माध्यम से 19 राज्यों में सृजित किया जाना है। सरकार न उत्तर-पूर्व में 5.4 लाख टन के भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए एक योजना को भी अंतिम रूप दे दिया है।

(घ) रिकार्ड उत्पादन/प्रापण के परिणामस्वरूप, देश में चावल तथा गेहूं का पर्याप्त भंडार है। तथापि खाद्यान्नों के मूल्यों पर पारस्परिक प्रभाव कारकों का भी प्रभाव पड़ता है जैसे उपभोक्ताओं की आय, खपत प्रणाली, प्रापण मूल्य, पणधारियों की उम्मीदें, मौसम परिस्थितियां आदि।

***विवरण***

*2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान प्रमुख कृषि फसलों के राज्य-वार उत्पादन अनुमान*

उत्पादन (000 टन में)

| राज्य/संघ शासित प्रदेश | चावल | | | | गेहूं | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12* | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| आंध्र प्रदेश | 14241.0 | 10538.0 | 14418.0 | 11919.0 | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 7.0 |
| अरुणाचल प्रदेश | 163.9 | 215.8 | 234.0 | # | 5.2 | 4.8 | 5.9 | # |
| असम | 4008.5 | 4335.9 | 4736.6 | 4483.0 | 54.6 | 63.5 | 52.8 | 59.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बिहार | 5590.3 | 3599.3 | 3102.1 | 6755.6 | 4410.0 | 4570.8 | 4097.6 | 4603.5 |
| छत्तीसगढ़ | 4391.8 | 4110.4 | 6159.0 | 6245.7 | 92.5 | 121.9 | 126.8 | 91.3 |
| गोवा | 123.3 | 100.6 | 115.0 | # | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |
| गुजरात | 1303.0 | 1292.0 | 1496.6 | 1508.0 | 2593.0 | 2352.0 | 4019.5 | 3989.8 |
| हरियाणा | 3298.0 | 3625.0 | 3472.0 | 3769.0 | 10808.2 | 10500.0 | 11630.0 | 11861.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 118.3 | 105.9 | 128.9 | 106.3 | 547.3 | 327.1 | 546.5 | 629.0 |
| जम्मू और कश्मीर | 563.1 | 497.4 | 507.7 | 504.6 | 483.6 | 289.9 | 446.3 | 387.6 |
| झारखंड | 3420.2 | 1538.4 | 1110.0 | 3301.1 | 153.9 | 173.2 | 158.4 | 273.7 |
| कर्नाटक | 3802.0 | 3691.0 | 4188.0 | 3892.0 | 247.0 | 251.0 | 279.0 | 183.0 |
| केरल | 590.3 | 598.3 | 522.7 | 550.8 | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |
| मध्य प्रदेश | 1559.7 | 1260.6 | 1772.1 | 1783.6 | 6521.9 | 8410.0 | 7627.1 | 8029.3 |
| महाराष्ट्र | 2284.0 | 2183.0 | 2696.0 | 2712.0 | 1516.0 | 1740.0 | 2301.0 | 1240.2 |
| मणिपुर | 397.0 | 319.9 | 521.7 | # | | | 5.3 | # |
| मेघालय | 203.9 | 206.7 | 207.0 | # | 0.7 | 0.7 | 0.7 | # |
| मिजोरम | 46.0 | 44.3 | 47.2 | # | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |
| नागालैंड | 345.1 | 240.3 | 381.4 | # | 2.1 | 2.4 | 5.3 | # |
| ओडिशा | 6812.7 | 6917.5 | 6827.7 | 6857.5 | 7.4 | 5.8 | 4.2 | 5.1 |
| पंजाब | 11000.00 | 11236.0 | 10837.0 | 10536.0 | 15733.0 | 15169.0 | 16472.0 | 16495.9 |
| राजस्थान | 241.1 | 228.3 | 265.5 | 257.2 | 7287.0 | 7500.9 | 7214.5 | 8546.5 |
| सिक्किम | 21.7 | 24.3 | 21.0 | # | 7.8 | 5.9 | 2.7 | # |
| तमिलनाडु | 5182.7 | 5665.2 | 5792.4 | 5982.6 | | | 0.0 | 0.0 |
| त्रिपुरा | 627.1 | 640.0 | 702.5 | # | 1.2 | 1.3 | 0.6 | # |
| उत्तर प्रदेश | 13097.0 | 10807.1 | 11992.0 | 13502.0 | 28554.0 | 27518.0 | 30001.0 | 30000.0 |
| उत्तराखंड | 582.0 | 608.0 | 550.4 | 599.0 | 797.0 | 845.0 | 878.0 | 886.0 |
| पश्चिम बंगाल | 15037.3 | 14340.7 | 13045.9 | 15120.0 | 764.5 | 846.7 | 874.4 | 895.0 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 22.1 | 24.9 | 23.9 | # | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |
| दादरा और नगर हवेली | 23.4 | 13.5 | 20.8 | # | 1.1 | 1.0 | 0.3 | # |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिल्ली | 31.4 | 29.0 | 29.4 | # | 74.4 | 92.7 | 111.0 | # |
| दमन और दीव | 3.8 | 3.3 | 3.3 | # | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |
| पुडुचेरी | 50.8 | 52.4 | 52.0 | # | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |
| अन्य | एन.ए. | एन.ए. | एन.ए. | 2359.2 | एन.ए. | एन.ए. | एन.ए. | 131.9 |
| अखिल भारत | 99182.5 | 89092.9 | 95979.8 | 102744.2 | 80679.4 | 80803.6 | 86874.0 | 88314.8 |

*-जारी*

| राज्य/संघ शासित प्रदेश | चना | | | | दलहन | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12* | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12* |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| आंध्र प्रदेश | 857.0 | 846.0 | 720.0 | 693.0 | 1448.0 | 1429.0 | 1440.0 | 1412.0 |
| अरुणाचल प्रदेश | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | 9.0 | 9.7 | 9.1 | # |
| असम | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 64.5 | 64.6 | 70.1 | 90.7 |
| बिहार | 56.6 | 58.4 | 60.3 | 64.8 | 469.1 | 472.5 | 537.8 | 507.9 |
| छत्तीसगढ़ | 199.2 | 221.9 | 241.5 | 241.6 | 498.6 | 488.7 | 537.5 | 533.7 |
| गोवा | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | 10.2 | 8.5 | 8.0 | # |
| गुजरात | 177.0 | 125.0 | 200.0 | 250.0 | 609.0 | 517.0 | 723.0 | 701.0 |
| हरियाणा | 128.0 | 62.0 | 110.0 | 130.0 | 117.8 | 100.5 | 158.5 | 188.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 23.5 | 20.7 | 41.6 | 30.2 |
| जम्मू और कश्मीर | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 14.2 | 13.6 | 16.7 | 17.0 |
| झारखंड | 80.3 | 57.6 | 73.5 | 153.1 | 280.7 | 232.9 | 329.6 | 459.1 |
| कर्नाटक | 401.0 | 574.0 | 631.0 | 498.0 | 972.0 | 1118.0 | 1565.0 | 1283.9 |
| केरल | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | 6.3 | 10.3 | 3.0 | 1.4 |
| मध्य प्रदेश | 2786.4 | 3304.1 | 2686.6 | 2478.5 | 3683.1 | 4304.6 | 3386.2 | 3336.5 |
| महाराष्ट्र | 774.0 | 1114.0 | 1300.0 | 750.0 | 1656.0 | 2398.6 | 3099.8 | 2116.0 |
| मणिपुर | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | 6.5 | 7.2 | 24.2 | # |
| मेघालय | 0.3 | 0.3 | 0.3 | # | 3.9 | 3.6 | 3.7 | # |
| मिजोरम | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | 3.6 | 6.5 | 6.1 | # |

| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नागालैंड | 0.2 | 0.4 | 0.5 | # | 39.7 | 34.7 | 36.4 | # |
| ओडिशा | 24.9 | 33.7 | 32.7 | 49.2 | 387.3 | 399.3 | 426.9 | 429.5 |
| पंजाब | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 3.6 | 21.7 | 18.2 | 19.3 | 23.3 |
| राजस्थान | 981.2 | 534.6 | 1600.7 | 1540.2 | 1826.4 | 713.7 | 3259.7 | 3020.3 |
| सिक्किम | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | 11.8 | 12.9 | 11.9 | # |
| तमिलनाडु | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 5.0 | 164.5 | 204.1 | 246.0 | 287.7 |
| त्रिपुरा | 0.2 | 0.2 | 0.2 | # | 4.4 | 4.5 | 5.2 | # |
| उत्तर प्रदेश | 562.0 | 509.0 | 530.0 | 776.0 | 1998.1 | 1901.4 | 2037.0 | 2466.7 |
| उत्तराखंड | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 39.0 | 46.0 | 52.1 | 51.0 |
| पश्चिम बंगाल | 22.5 | 24.2 | 23.7 | 27.5 | 128.5 | 150.1 | 176.1 | 198.8 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | 1.2 | 1.8 | 1.2 | # |
| दादरा और नगर हवेली | 0.1 | 0.1 | 0.4 | # | 5.5 | 4.9 | 6.1 | # |
| दिल्ली | 0.1 | 0.1 | 0.1 | # | 0.7 | 0.8 | 0.8 | # |
| दमन और दीव | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | 1.1 | 1.1 | 1.1 | # |
| पुडुचेरी | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | 0.5 | 0.3 | 1.3 | # |
| अन्य | एन.ए. | एन.ए. | एन.ए. | 1.55 | एन.ए. | एन.ए. | एन.ए. | 122.9 |
| अखिल भारत | 7060.2 | 7475.9 | 8221.1 | 7664.7 | 14566.4 | 14700.2 | 18240.9 | 17277.6 |

*3.2.2012 जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार
#अन्यों में शामिल
$प्रत्येक 170 किलोग्राम की हजार गांठों में उत्पादन
एनजी : उठाए नहीं गए एन.ए. : लागू नहीं

*2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान प्रमुख कृषि फसलों के राज्य-वार उत्पादन अनुमान*

उत्पादन (000 टन में)

| राज्य/संघ शासित प्रदेश | खाद्यान्न | | | | तिलहन | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12* | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| आंध्र प्रदेश | 20421.0 | 15295.0 | 20315.0 | 17609.7 | 2189.1 | 1500.0 | 1995.6 | 1282.0 |
| अरुणाचल प्रदेश | 255.8 | 308.9 | 333.7 | # | 30.5 | 28.3 | 29.1 | # |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| असम | 4143.0 | 4481.1 | 4876.5 | 4648.7 | 137.9 | 144.7 | 153.6 | 147.0 |
| बिहार | 12220.7 | 10150.7 | 9222.0 | 13576.8 | 138.0 | 144.6 | 136.2 | 135.1 |
| छत्तीसगढ़ | 5167.3 | 4902.8 | 7055.2 | 7052.2 | 193.5 | 200.4 | 217.2 | 182.0 |
| गोवा | 134.3 | 109.9 | 410.7 | # | 8.2 | 8.1 | 8.3 | # |
| गुजरात | 6481.0 | 5761.0 | 8341.6 | 7975.4 | 4015.9 | 3097.0 | 4896.1 | 5082.7 |
| हरियाणा | 15613.4 | 15357.5 | 16629.5 | 17192.0 | 932.8 | 877.5 | 963.8 | 1029.2 |
| हिमाचल प्रदेश | 1401.2 | 1017.2 | 1421.1 | 1498.3 | 5.0 | 3.8 | 7.7 | 8.4 |
| जम्मू और कश्मीर | 1721.3 | 1314.2 | 1521.6 | 1436.9 | 49.6 | 49.7 | 53.0 | 51.1 |
| झारखंड | 4188.7 | 2161.4 | 1876.6 | 4447.3 | 73.2 | 79.6 | 113.7 | 146.3 |
| कर्नाटक | 11275.0 | 10955.0 | 13877.2 | 12611.2 | 1212.0 | 1005.0 | 1270.0 | 1001.0 |
| केरल | 598.3 | 610.8 | 527.2 | 552.9 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 2.1 |
| मध्य प्रदेश | 13914.6 | 16016.4 | 14952.1 | 15099.7 | 6976.9 | 7636.2 | 8035.4 | 7413.7 |
| महाराष्ट्र | 11427.6 | 12614.9 | 15420.4 | 12298.2 | 3409.7 | 2814.0 | 5040.0 | 4567.6 |
| मणिपुर | 415.0 | 338.9 | 592.7 | # | 0.7 | 0.7 | 26.7 | # |
| मेघालय | 236.3 | 239.2 | 239.0 | # | 7.1 | 7.0 | 7.1 | # |
| मिजोरम | 58.9 | 62.4 | 66.8 | # | 2.5 | 3.0 | 3.8 | # |
| नागालैंड | 514.2 | 354.2 | 568.3 | # | 71.5 | 84.6 | 66.3 | # |
| ओडिशा | 7399.1 | 7553.0 | 7619.3 | 7549.5 | 180.3 | 172.1 | 179.8 | 198.3 |
| पंजाब | 27329.8 | 26950.3 | 27866.3 | 27607.2 | 76.2 | 83.4 | 71.5 | 84.6 |
| राजस्थान | 16680.2 | 12350.1 | 18832.2 | 19689.8 | 5178.4 | 4407.2 | 6604.8 | 6210.1 |
| सिक्किम | 107.5 | 117.3 | 110.3 | # | 7.4 | 9.4 | 7.9 | # |
| तमिलनाडु | 7102.3 | 7511.3 | 7594.9 | 8421.4 | 1043.0 | 939.6 | 933.1 | 1077.7 |
| त्रिपुरा | 634.7 | 647.9 | 712.4 | # | 2.5 | 2.5 | 3.4 | # |
| उत्तर प्रदेश | 46729.3 | 43195.3 | 47247.6 | 49337.6 | 1164.5 | 816.0 | 919.4 | 958.0 |
| उत्तराखंड | 1765.0 | 1796.0 | 1815.6 | 1872.0 | 26.0 | 33.0 | 27.5 | 32.0 |
| पश्चिम बंगाल | 16295.6 | 15741.4 | 14466.9 | 16633.8 | 582.6 | 727.1 | 703.6 | 764.7 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 23.9 | 27.1 | 25.4 | # | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दादरा और नगर हवेली | 32.7 | 21.3 | 29.8 | # | 0.1 | 0.1 | 0.1 | # |
| दिल्ली | 118.2 | 125.8 | 153.3 | # | 0.6 | 4.9 | 1.3 | # |
| दमन और दीव | 8.7 | 4.9 | 4.8 | # | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |
| पुडुचेरी | 51.5 | 52.9 | 53.5 | # | 1.8 | 1.1 | 0.9 | # |
| अन्य | एन.ए. | एन.ए. | एन.ए. | 3308.7 | एन.ए. | एन.ए. | एन.ए. | 154.8 |
| अखिल भारत | 234466.0 | 218145.9 | 244779.7 | 250419.3 | 27719.0 | 24881.7 | 32479.0 | 30528.4 |

*–जारी*

| राज्य/संघ शासित प्रदेश | गन्ना | | | | कपास | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12* | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12* |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| आंध्र प्रदेश | 15380.0 | 11708.0 | 14964.0 | 15912.0 | 3569.0 | 3227.0 | 5300.0 | 4900.0 |
| अरुणाचल प्रदेश | 23.4 | 27.1 | 29.0 | # | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |
| असम | 1099.7 | 1059.0 | 1075.0 | 984.0 | 0.6 | 0.8 | # | # |
| बिहार | 4959.9 | 5032.6 | 12763.6 | 12924.1 | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |
| छत्तीसगढ़ | 25.4 | 29.2 | 21.8 | 40.7 | 0.1 | 0.3 | # | # |
| गोवा | 49.3 | 52.3 | 49.1 | # | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |
| गुजरात | 15510.0 | 12400.0 | 13760.0 | 12870.0 | 7013.8 | 7986.3 | 10400.0 | 11875.0 |
| हरियाणा | 5130.0 | 5335.0 | 6042.0 | 6958.0 | 1858.0 | 1926.0 | 1750.0 | 2647.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 53.1 | 45.6 | 38.3 | 28.3 | 0.1 | 0.0 | # | # |
| जम्मू और कश्मीर | 0.0 | 0.0 | 0.0 | # | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |
| झारखंड | 348.8 | 447.0 | 457.3 | 457.3 | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |
| कर्नाटक | 23328.0 | 30443.0 | 39657.0 | 37991.0 | 866.0 | 868.2 | 1200.0 | 1200.0 |
| केरल | 275.5 | 285.0 | 271.8 | 156.1 | 1.5 | 1.3 | # | # |
| मध्य प्रदेश | 2975.0 | 2535.0 | 2667.0 | 3098.0 | 856.1 | 855.3 | 2000.0 | 2000.0 |
| महाराष्ट्र | 60648.0 | 64159.0 | 81895.7 | 81991.0 | 4752.0 | 5859.3 | 8500.0 | 7000.0 |
| मणिपुर | 21.3 | 21.3 | 301.3 | # | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |
| मेघालय | 0.3 | 0.2 | 0.2 | # | 5.6 | 5.5 | # | # |
| मिजोरम | 13.7 | 12.4 | 7.9 | # | 0.1 | 0.8 | # | # |
| नागालैंड | 185.8 | 152.9 | 184.9 | # | 0.1 | 0.0 | # | # |

| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ओडिशा | 646.2 | 489.9 | 902.7 | 727.1 | 146.6 | 147.2 | 250.0 | 325.0 |
| पंजाब | 4670.0 | 3700.0 | 4170.0 | 4860.0 | 2285.0 | 2006.0 | 2100.0 | 2150.0 |
| राजस्थान | 388.2 | 344.5 | 367.9 | 997.6 | 725.7 | 903.1 | 900.0 | 1335.0 |
| सिक्किम | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |
| तमिलनाडु | 32804.4 | 29745.6 | 34251.8 | 36548.0 | 187.7 | 225.0 | 450.0 | 500.0 |
| त्रिपुरा | 51.7 | 44.9 | 46.5 | स | 1.4 | 1.4 | # | # |
| उत्तर प्रदेश | 109048.0 | 117140.0 | 120545.0 | 122652.0 | 0.8 | 5.0 | # | # |
| उत्तराखंड | 5590.0 | 5842.0 | 6497.6 | 6596.0 | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |
| पश्चिम बंगाल | 1638.3 | 1000.8 | 1134.1 | 1175.0 | 6.0 | 3.3 | # | # |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 3.0 | 2.0 | 2.3 | # | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |
| दादरा और नगर हवेली | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |
| दिल्ली | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |
| दमन और दीव | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी | एनजी |
| पुडुचेरी | 162.3 | 247.3 | 277.7 | # | 0.0 | 0.0 | # | # |
| अन्य | एन.ए. | एन.ए. | एन.ए. | 898.9 | एन.ए. | एन.ए. | 150.0 | 154.9 |
| अखिल भारत | 285029.3 | 292301.6 | 342381.6 | 347865.1 | 22276.2 | 24021.8 | 33000.0 | 34086.9 |

*3.2.2012 जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार
#अन्यों में शामिल
$प्रत्येक 170 किलोग्राम की हजार गांठों में उत्पादन
एनजी : उठाए नहीं गए एन.ए. : लागू नहीं

## एयर रिले सेंटर

225. **श्री नारायण सिंह अमलाबे: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रिले सेंटर के रूप में कार्य कर रहे आकाशवाणी के स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(ख) देश में आकाशवाणी स्टेशनों की संख्या क्या है तथा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में रिले सेंटर के रूप में कार्य नहीं कर रहे स्टेशनों सहित इनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन रिले केंद्र को क्रियाशील बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक काम करना शुरू कर देंगे?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन):** (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय देशभर में रिले केंद्रों के रूप में 62 आकाशवाणी केन्द्र कार्यशील हैं।

(ख) इस समय, तकनीकी रूप से तैयार 12 आकाशवाणी केंद्र प्रचालन एवं रख-रखाव स्टाफ के लिए संस्वीकृति न मिल पाने के कारण कार्यशील नहीं हैं। राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इन केन्द्रों को प्रचालन व रख-रखाव स्टाफ के लिए संस्वीकृति मिल जाने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर कार्यशील बनाया जाएगा।

*विवरण*

*राज्यवार सूची*

| क्र.सं. | स्टेशन का नाम | राज्य | योजना/परियोजना | तकनीकी रूप से तैयार होने की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सिरकाकूलम | आंध्र प्रदेश | 1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर | जनवरी 2012 |
| 2. | गोलपारा | असम | 1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले) | मार्च 2011 |
| 3. | लुमडिंग | असम | 1 किवा मी.वेव. ट्रांसमीटर (रिले) | मार्च 2011 |
| 4. | जूनागढ़ | गुजरात | 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर | जनवरी 2012 |
| 5. | अमरावती | महाराष्ट्र | 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर | जनवरी 2012 |
| 6. | कोलासिब | मिजोरम | 1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले) | मार्च 2011 |
| 7. | रायरंगपुर | ओडिशा | 1 किवा मी.वेव. ट्रांसमीटर फील्ड प्रोडक्शन सुविधाओं के साथ | मार्च 2011 |
| 8. | डुंगरपुर | राजस्थान | 1 किवा मी.वेव. ट्रांसमीटर फील्ड प्रोडक्शन सुविधाओं के साथ | दिसम्बर 2008 |
| 9. | धर्मानगर | त्रिपुरा | 1 किवा मी.वेव. ट्रांसमीटर फील्ड प्रोडक्शन सुविधाओं के साथ | दिसम्बर 2008 |
| 10. | नूतन बाजार | त्रिपुरा | 1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर | मार्च 2011 |
| 11. | लौंगथराय | त्रिपुरा | 5 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर फील्ड प्रोडक्शन सुविधाओं के साथ | मार्च 2010 |
| 12. | उदयपुर | त्रिपुरा | 1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले) | मार्च 2011 |

**पॉली हाउसेज के लिए ऋण**

**226. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पॉली हाउसेज बनाने के लिए देश के युवाओं और किसानों को ऋण उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा पॉली हाउसेज बनाने के लिए राज्यों को स्वीकृत निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन किसानों/युवाओं का ऋण माफ करने तथा उन्हें क्षतिपूर्ति करने का प्रस्ताव किया है जिन्होंने ऋण लेकर पॉली हाउसेज बनाए हैं और खराब मौसम उनके पॉली हाउसेज बर्बाद हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** (क) और (ख) जी हां। पोलीहाउसों की स्थापना एक उपयुक्त निवेश कार्यकलाप है जिसके लिए बैंक ऋण देते हैं।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) पोलीहाउसों की स्थापना के लिए दिए गए ऋणों को माफ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को ऋण संबंधी राहत उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को स्थायी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ फसल असफलता की बारम्बारता/फसल हानि की मात्रा के आधार पर ऋणों के 3 से 10 वर्षों के लिए परिवर्तन/पुनर्निर्धारण, प्रभावित किसानों को नए फसल ऋण दिया जाना इत्यादि शामिल है।

## *विवरण*

*2008-09 से 2010-11 के दौरान पोलीहाउसों के अधीन स्वीकृत निधियों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण*

(लाख रु. में)

| राज्य | उच्च-प्रौद्योगिकी ग्रीन हाउस (फैन एण्ड पैड प्रणाली) | | | | प्राकृतिक रूप से संवातित ग्रीन हाउस | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | कुल | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | कुल |
| आंध्र प्रदेश | 55.26 | 69.06 | 0 | 124.32 | | 0 | 317.91 | 317.91 |
| बिहार | 0 | 9.19 | | 9.19 | | 11.26 | 0 | 11.26 |
| छत्तीसगढ़ | | 0 | 49.81 | 49.81 | | 0 | 35.61 | 35.61 |
| दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गोवा | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गुजरात | 59.72 | 210.81 | 6.23 | 276.76 | 16.33 | 16.33 | 198.69 | 231.35 |
| हरियाणा | 4.59 | 58.01 | 52.92 | 115.52 | 12.03 | 31.88 | 206.66 | 250.57 |
| झारखंड | 165.75 | 0 | | 165.75 | 0 | | 39.74 | 39.74 |
| कर्नाटक | 119.44 | 124.95 | 0 | 244.39 | 162.48 | 66.05 | 207.51 | 436.04 |
| केरल | 553.61 | 0 | 24.9 | 578.51 | 110.62 | 0 | 0 | 110.62 |
| लक्षद्वीप | | | | 0 | | | | 0 |
| मध्य प्रदेश | 13.77 | 22.95 | 31.13 | 67.85 | 0 | 0 | 151 | 151 |
| महाराष्ट्र | 58.01 | 69.87 | 24.91 | 152.79 | 41.89 | 49.19 | 254.32 | 345.4 |
| ओडिशा | 9.14 | 9.14 | 0 | 18.28 | | | 0 | 0 |
| पुडुचेरी | | 5.53 | | 5.53 | | 2.13 | 19.87 | 22 |
| पंजाब | 9.14 | 0 | 34.86 | 44 | 0 | 0 | 89.04 | 89.04 |
| राजस्थान | 505.76 | 0 | 0 | 505.76 | | | 79.48 | 79.48 |
| तमिलनाडु | 1135.94 | 82.87 | 0 | 1218.81 | 74.95 | 0 | 357.64 | 432.59 |
| उत्तर प्रदेश | 1.38 | 9.2 | | 10.58 | 0 | 14.5 | 238.43 | 252.93 |
| पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.42 | 91.42 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 27.63 | 8.9 | 36.53 | 0 | 31.88 | 0 | 31.88 |
| कुल | 2691.51 | 699.21 | 233.66 | 3624.38 | 418.3 | 223.22 | 2287.32 | 2928.84 |

*[अनुवाद]*

**सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. आवास योजना के लिए भूमि**

227. **श्री जगदम्बिका पाल:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वीगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा स्थान-वार, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सी.जी.ई.डब्ल्यू. एच.ओ.) द्वारा शुरू की गई आवास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण/आवंटन का तरीका क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं के लिए सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा भूमि कब तक आवंटित/अधिग्रहित की जाती है; और

(घ) उक्त योजनाओं के अंतर्गत भूमि कितने रुपये प्रति वर्ग फीट के दर से आवंटित की गई?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) से (घ) सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा निर्धारित तथ्यों के अनुसार भूमि आदि समेत प्रारम्भ की गई आवासीय स्कीमें निम्नलिखित हैं:

| वर्ष | परियोजना | भू-अधिग्रहण का तरीका | अधिग्रहण/आबंटन का समय | वर्ग फुट दर |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | भुवनेश्वर फेज-II | टर्नकी परियोजना के तहत ठेकेदार द्वारा | नवम्बर, 2006 | भूमि की लागत का अलग से भुगतान नहीं किया गया: बल्कि यह |
| 2010 | कोलकाता फेज-II | लायी गई भूमि | मार्च, 2010 | ठेकेदार को दिए भुगतान की जाने वाली कुल वर्ग फुट दर का भाग |
| | मोहाली फेज-II | | जून, 2007 | है। |
| 2011 | ग्रेटर नोएडा | ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के माध्यम से | आबंटन-अगस्त, 1996 अधिग्रहण-जुलाई, 2010 | 130/- रु. प्रति वर्ग फुट |

*[हिन्दी]*

**खाद्य तेल की कीमत**

228. **श्री महेश जोशी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल बीज के बम्पर उत्पादन के बावजूद चालू वर्ष के दौरान खाद्य तेलों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) कृषि मंत्रालय द्वारा दिनांक 3.2.2012 को घोषित दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्तमान वर्ष 2011-12 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान तिलहनों का उत्पादन पिछले वर्ष अर्थात् 2010-11 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान हुए 324.79 लाख टन की तुलना में 305.29 लाख टन अनुमानित है, जो 19.8 लाख टन कम है।

दिनांक 7.3.2012 की स्थिति के अनुसार एक वर्ष की अवधि के दौरान सूर्यमुखी तेल, नारियल तेल, वनस्पति आरबीडी पामोलीन और चावल की भूसी के तेल के घरेलू थोक मूल्यों में क्रमश: 1.41%, 25.28%, 14.02%, 2.21% और 1.82% की कमी आयी है जबकि सोयाबीन तेल, सरसों तेल, मूंगफली तेल और बिनौले के तेल में क्रमश: 13.51%, 24.30%, 48.34% और 5.55% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान तिल के तेल का मूल्य स्थिर बना रहा है। चूंकि खाद्य तेलों की लगभग आधी घरेलू मांग आयातों के जरिए पूरी की जाती है, अत: घरेलू कीमतों भी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि से प्रभावित होती हैं।

*[अनुवाद]*

**जम्मू और कश्मीर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को वापस लेना**

229. **श्री विलास मुत्तेमवार:**
**श्री गणेश सिंह:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर ने विद्यमान शांतिपूर्ण व्यवस्था के मद्देनजर राज्य में कुछ महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों ने राज्य के कुछ भागों से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को वापस लेने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** (क) और (ख) सितम्बर, 2010 में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के जम्मू एवं कश्मीर के दौरे के बाद तथा भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह सशस्त्र बल (जम्मू एवं कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 के अंतर्गत इन क्षेत्रों को 'अशान्त क्षेत्र' घोषित किए जाने संबंधी अधिसूचना की समीक्षा करे।

**खाद्यान्न भण्डार में कमी**

230. **रामसिंह राठवा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान खाद्यान्न के भण्डार में कितनी कमी दर्ज की गई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार ने विदेशों से खाद्यान्न के आयात से बचने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) से (ग) विगत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल में चावल और गेहूं के स्टाक में कोई कमी नहीं आई थी। केन्द्रीय पूल में चावल और गेहूं के अनुकूल स्टाक को देखते हुए, विगत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल की आवश्यकता के लिए कोई आयात नहीं किया गया है।

---

**मध्याह्न 12.00 बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बंगलौर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 6160/15/12]

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** श्री हरीश रावत की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (आठवां संशोधन) आदेश, 2010, जो 21 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2845(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 6161/15/12]

(2) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मस्टर्ड सीड्स और रेप सीड्स (ऑयल सीड) श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2012 जो 24 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 40(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जैगेरी श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 2012 जो 14 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 87(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सोयाबीन श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2012 जो 24 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 41(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 6162/15/12]

**श्री अनंत कुमार** (बंगलौर दक्षिण): महोदया, क्या उन्होंने अनुमति ली है? श्री हरीश रावत कहां हैं?

**अध्यक्ष महोदया:** मुझे अनुरोध मिला है।

*[हिन्दी]*

पत्र आ चुका है।

*[अनुवाद]*

मुझे अनुरोध प्राप्त हुआ है कि वह पत्र सभा पटल पर रखेंगे।

*...(व्यवधान)*

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 6163/15/12]

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2011 जो 24 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2628(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 6164/15/12]

---

**अपराह्न 12.01 बजे**

## विधेयकों पर अनुमति

*[अनुवाद]*

**महासचिव:** अध्यक्ष महोदया, मैं 24 नवम्बर, 2011 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 15वीं लोक सभा के नौवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 7 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:-

1. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2011;
2. चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2011;
3. कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2011;
4. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2011;
5. विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2011;
6. लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विधेयक, 2011; तथा
7. वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2011।

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दस विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं:-

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2011;
2. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011;
3. दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2011;
4. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011;

5. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2011;
6. जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2011;
7. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2011;
8. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विधेयक, 2011;
9. संविधान (सतानवेवां संशोधन) विधेयक, 2011; तथा
10. फेक्टर विनियमन विधेयक, 2011।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 6165/15/12]

---

**अपराह्न 12.01½ बजे**

## वित्त संबंधी स्थायी समिति

### 49वां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री यशवंत सिन्हा** (हजारीबाग): महोदया, मैं 'प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का 49वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

**अपराह्न 12.02 बजे**

## मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

### (एक) 241वां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री सुरेश अंगड़ी** (बेलगाम): मैं 'राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार विधेयक, 2011' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी समिति का 241वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

### (दो) साक्ष्य

**श्री सुरेश अंगड़ी:** मैं 'राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार विधेयक, 2011' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

*49वां प्रतिवेदन, निदेश 71क के अंतर्गत 9 मार्च, 2012 को जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

**अपराह्न 12.03 बजे**

## कार्य मंत्रणा समिति

### 34वां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री गोपीनाथ मुंडे** (बीड़): महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 34वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

**अपराह्न 12.03½ बजे**

## मंत्री द्वारा वक्तव्य

### वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

*[अनुवाद]*

**वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** मैं वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) का 33वां प्रतिवेदन 30 जून, 2011 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। 33वां प्रतिवेदन अनुदानों की मांगें (2011-12) की जांच से संबंधित है। प्रतिवेदन में समिति ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की तथा सोलह (16) सिफारिशें कीं जिन पर सरकार की ओर से कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। ये सिफारिशें मुख्यत: राज्य की बड़ी योजनाओं में धनराशि का पूर्णतया उपयोग न होना, मुद्रा स्फीति, बजटीय सुधार, सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज की दर, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, किसानों और कमजोर वर्गों को ऋण सुविधाएं, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, बीमा पालिसियों का प्रत्याख्यान और विनिवेश नीति जैसे विषयों से संबंधित है।

प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्यवाही संबंधी वक्तव्य 30 सितम्बर को वित्त संबंधी स्थायी समिति को

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 6166/15/12

भेज दिया गया था। समिति द्वारा 33वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुबंध में दर्शायी गई है।

मैं अनुबंध की विषय-वस्तु को पढ़ने में मैं सदन का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ माना जाये।

---

**अपराह्न 12.04$^{1}/_{2}$ बजे**

## समितियों के लिए निर्वाचन

### (एक) प्राक्कलन समिति

*[अनुवाद]*

**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** (दक्षिण गोवा): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2012 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्यों को निर्वाचित करें।"

**अध्यक्ष महोदयाः** प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2012 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्यों को निर्वाचित करें।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

### (दो) लोक लेखा समिति

*[हिन्दी]*

**डॉ. मुरली मनोहर जोशी** (वाराणसी): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2012 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्यों को निर्वाचित करें।"

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदयाः** प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2012 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्यों को निर्वाचित करें।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*[हिन्दी]*

**डॉ. मुरली मनोहर जोशीः** महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं-

"कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2012 से आरंभ होने वाली 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदयाः** प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2012 से आरंभ होने वाली 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

### (तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

**श्री विलास मुत्तेमवार** (नागपुर): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा

अपेक्षित रीति से 1 मई, 2012 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।''

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2012 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री विलास मुत्तेमवार:** महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2012 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2012 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

### (चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

**श्री गोविन्द चन्द्रा नास्कर** (बनगांव): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2012 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।''

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2012 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री गोविन्द चन्द्रा नास्कर:** महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2012 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2012 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 12.09 बजे**

## नियम 377 के अधीन मामले*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन आज मामला उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं वे बीस मिनट के भीतर सभा बटल पर व्यक्तिगत तौर पर पर्चियां दे दें।

केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनकी पर्चियां निर्धारित समय के भीतर पटल पर प्राप्त हो जाएंगी। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

### (एक) राजस्थान के भरतपुर जिले को यमुना नदी के पानी का उचित हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता

*[हिन्दी]*

**श्री रतन सिंह** (भरतपुर): नियम 377 के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि राज्यों के मध्य हुए अनुबन्धों के अनुरूप भरतपुर को 1281 क्यूसेक पानी यमुना नदी से दिये जाने का निर्णय हुआ था। अभी तक लगभग 250 क्यूसेक पानी ही गुड़गांवा नहर एवं राजस्थान फीडर से मिल रहा है। जो कि 1281 क्यूसेक का 19.5 प्रतिशत ही है। पूर्व निर्मित गुड़गांवा नहर व भरतपुर फीडर की आवश्यक क्षमता 800 क्यूसेक है परन्तु 250 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है। गुड़गांवा नहर से भरतपुर के लिए 800 क्यूसेक पानी दिलवाया जाये एवं शेष 481 क्यूसेक पानी भरतपुर को उपलब्ध कराने के लिए दूसरी नहर की व्यवस्था की जाये। इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टेडिंग संबंधित राज्यों के साथ शीघ्र करवाया जाये। इस पानी में से नहर द्वारा लिफ्ट सिस्टम से सीकरी बांध में भी पानी डाला जाये तत्पश्चात् सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करवाया जाये।

सरकार से अनुरोध है कि भरतपुर जिले को निर्णय के अनुसार पानी उपलब्ध करवाया जाये एवं इसके लिए एम.ओ.यू. संबंधित राज्यों के बीच किया जाये जिससे भरतपुर में पानी की किल्लत को दूर किया जा सके।

### (दो) देश में नर्सों की सेवा-शर्तों में सुधार के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता

*[अनुवाद]*

**श्री एंटो एंटोनी** (पथनमथीट्टा): मैं सरकार का ध्यान देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत नर्सों की हड़ताल की ओर दिलाना चाहता हूं। हड़ताल करने के कारण एक जैसे अर्थात् नर्सिंग कार्य में बांड भरने और अन्य अनैतिक प्रक्रियाओं का होना है। सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को बांड लेने वालों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने हेतु निदेश जारी कर दिए हैं। तथापि, नर्सों के देशव्यापी विरोध की उग्रता यह दर्शाती है कि नसिंर्ग कार्य में बांड भराने और अनैतिक प्रक्रियाओं के विरुद्ध एक व्यापक कानून लाने का यह उचित समय है। यदि केन्द्रीय सरकार कोई कानून बनाती है तब वह राज्य सरकारों पर नर्सिंग क्षेत्र में विद्यमान बांड और अन्य अनैतिक प्रक्रियाओं के विरुद्ध एक व्यापक कानून लाने के लिए दबाव बना सकती है। अत: मैं सरकार से इस संबंध में एक सकारात्मक उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

### (तीन) हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं बढ़ाएं जाने की आवश्यकता

**श्रीमती श्रुति चौधरी** (भिवानी-महेन्द्रगढ़): मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान हरियाणा में स्थित मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भिवानी-महेन्द्रगढ़ में रेलवे से संबंधित निम्नलिखित अविलंबनीय लोक महत्व की मांगों की ओर दिलाना चाहती हूं:-

(क) कालका से भिवानी के बीच चलने वाली एकता (कालका) एक्सप्रेस ट्रेन सं. 14795/86 की ट्रेन सेवा को रेवाड़ी जंक्शन तक बढ़ाया जाए।

(ख) पानीपत होकर भिवानी से कालका के बीच चलने वाली एकता (कालका) एक्सप्रेस ट्रेन सं. 14795/96 का ठहराव समय कृपया कम किया जाए क्योंकि पानीपत में हिमायलन क्वीन एक्सप्रेस की दो-तीन बोगियों को इस गाड़ी के साथ जोड़ने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। यात्रियों का बहुमूल्य समय बचाने के लिए इस गाड़ी को स्वतंत्र रूप से चलाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस गाड़ी के साथ एक एसी चेयर कार कोच स्थायी तौर पर उपलब्ध कराया जाए।

(ग) चेतक एक्सप्रेस को सप्ताह में चार दिन के स्थान पर प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता है।

(घ) सांसदों/भूतपूर्व सांसदों, विधायकों/भूतपूर्व विधायकों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए दादरी होकर जयपुर से चंडीगढ़ जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में दो एसी कोच, एसी स्लीपर की एक बोगी और एक एग्जीक्यूटिव क्लास कोच को जोड़ा जाए।

(ङ) हरियाणा एक्सप्रेस और एक यात्री गाड़ी अर्थात् दो गाड़ियां चरखी-दादरी से दिल्ली के बीच मीटर गेज लाइन पर चलती हैं। किंतु इस रेल लाइन को बड़ी

लाइन में बदलने के बाद अभी तक चरखी-दादरी से दिल्ली के बीच कोई सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है। अत: इस मार्ग पर एक सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराई जाए।

अत: मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त मांगों को लागू करें।

**(चार) कर्नाटक के चामराजनगर जिले में एक स्पाइस पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री आर. ध्रुवनारायण** (चामराजनगर): मैं किसानों को काली-मिर्च, हल्दी और अदरक जैसे उनके मसाला उत्पादों का मूल्य वर्धन सुगम बनाने के लिए जिला मुख्यालय चामराजनगर में 'स्पाइस पार्क' की स्थापना के संबंध में सम्माननीय सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसान जिले में प्रतिवर्ष 50 मी. टन हल्दी और 5000 टन अदरक का उत्पादन करते हैं। काली मिर्च की खेती बी.आर. हिल्स श्रृंखला में की जाती है और उपज 250 टन प्रतिवर्ष है। 11500 हेक्टेयर नारियल के खेतों में भी मसाले की बहु-फसल के रूप में खेती की जा सकती है। इसलिए, किसानों द्वारा उगाये गए मसाला उत्पादों का अतिरिक्त मूल्य देने के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जिला मुख्यालय चामराजनगर में स्पाइस पार्क की स्थापना की संभावनाएं है। स्पाइस पार्क की स्थापना से किसानों को अपनी फसल में पारम्परिक विधियों के स्थान पर वैज्ञानिक विधियों को अपनाने में मदद मिलेगी। प्रौद्योगिकी के अंतरण से किसानों को अधिक मसाले उगाने और अतिरिक्त मूल्य प्रदान करने में मदद मिलेगी।

अत: मसालों की खेती करने वाले किसानों के हितों की रक्षा के मद्देनजर मेरी सरकार से विनम्र अपील है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के चालू वर्ष में चामराजनगर में एक स्पाइस पार्क स्थापित करने हेतु बजट में पर्याप्त निधियां आवंटित करने के लिए कदम उठायें।

**(पांच) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संघटकों के लिए निधि का आवंटन तथा व्यय हेतु तैयार किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री पन्ना लाल पुनिया** (बाराबंकी): जैसा सर्वविदित है कि सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राईजेज की सभी कम्पनियों को सी.एस.आर. कमेटी बनाना आवश्यक है, जिसका कार्य कम्पनी के लाभ के कुछ हिस्से को सामाजिक सुधार में खर्च सुनिश्चित करना है। ऐसा पाया गया है कि कुछ कम्पनियों द्वारा सरकार सी.एस.आर. के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। मेरे द्वारा पिछले सत्र में सी.एस.आर. को लेकर पूछे गए प्रश्न का जवाब चौकाने वाला है, जिसमें बताया गया है कि कुछ नवरत्न जैसी बड़ी कम्पनियां भी सी.एस.आर. के तहत बजट अत्याधिक कम मात्रा में आवंटित कर रही है। यह भी प्रकाश में आया है कि कुछ कम्पनियां बजट तो आवंटित कर रही हैं पूर्ण मात्रा में खर्च नहीं कर रही हैं।

वर्तमान में सी.एस.आर. निर्देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के विकास की और अधिक ध्यान दिया जा सके।

अत: मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि लोक उद्यम विभाग द्वारा सी.एस.आर. के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की कार्यवाही की जाए तथा इस मद का अधिकांश हिस्सा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाए।

**(छह) तमिलनाडु और पुडुचेरी में "थाणे" चक्रवात के गंभीर प्रकोप के कारण जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिए जाने तथा उनके लिए आवश्यक राहत उपाय करने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री पी. विश्वनाथन** (कांचीपुरम): दिसम्बर, 2011 में ठाणे नामक चक्रवात की 140 कि.मी. प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवा ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में फसलों, घरों और सार्वजनिक सम्पत्तियों को बर्बाद कर दिया। प्रमुख प्रभावित क्षेत्र हैं- तमिलनाडु में विल्लुपुरम, कुडलूर, तिरूवल्लूर, कांचीपुरम जिले और पुडुचेरी। अनेक झोंपड़ियां और छोटे घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए और मुख्य सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं तथा गन्ना, धान और काजू एवं सब्जी की अन्य फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं।

माननीय प्रधान मंत्री ने तमिलनाडु और पुडुचेरी की राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे राहत कार्यों को तेज करने हेतु उन्हें क्रमश: 5000 करोड़ रुपये और 125 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत निधि स्वीकृत की है।

माननीय गृह मंत्री ने ठाणे चक्रवात से प्रभावित पुडुचेरी, कुडलूर और अन्य क्षेत्रों की यात्रा की और प्रभावित लोगों को

केन्द्र सरकार की पूरी सहायता का आश्वासन दिया। धान के खेतों को ही व्यापक नुकसान नहीं हुआ बल्कि नारियल, केले, कैसुएरिना, गन्ने, काजू के खेतों को भी नुकसान हुआ। माननीय केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री ने घोषणा की है कि मंत्रालय विल्लूपुरम, कुडलूर और पुडुचेरी में किसानों को कैसुएरिना के 15 लाख बीज/पौधे प्रदान करेगा।

सरकार को उन किसानों जिन पर पहले ही उच्च उत्पादन लागत, ऊंचे ब्याज और ऋण अदायगी न करने का बोझ है, को राहत के रूप में धान के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़, गन्ने के लिए 25,000 रुपये प्रति एकड़ और काजू के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़, मूंगफली के लिए 25,000 रुपये प्रति एकड़ और दालों के लिए 12,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देना चाहिए।

**(सात) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के लिए स्वीकृत एक नया केन्द्रीय विद्यालय शीघ्र खोले जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**डॉ. निर्मल खत्री** (फैजाबाद): केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गत वर्ष मेरे लोक सभा क्षेत्र जनपद फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में आम जनता के लिये एक नया केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था। राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन द्वारा डामासेमर स्थित भवन में फिलहाल इसे खोले जाने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। जनहित में इस केन्द्रीय विद्यालय का शीघ्र प्रारम्भ होना नितान्त जरूरी है।

फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में आम जनता के लिये स्वीकृत इस नये केन्द्रीय विद्यालय को इसी नये सत्र में प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्यवाही शीघ्र की जाये।

**(आठ) उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सहायक नहर 'शारदा' का मरम्मत कार्य करने तथा तत्पश्चात् सिंचाई प्रयोजनों के लिए नहर में पर्याप्त मात्रा में जल छोड़े जाने की आवश्यकता**

**डॉ. संजय सिंह** (सुल्तानपुर): नियम 377 के माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गत वर्ष के दौरान रबी एवं खरीफ की फसल के समय उत्तर प्रदेश की नहरों में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में शारदा सहायक नहर से किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाया जिससे कई किसानों की फसल खराब हो गयी। खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि जब इन नहरों से पानी की आवश्यकता थी तब इन नहरों में पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया और उस समय नहरों में धूल उड़ रही थी। किसानों को सिंचाई उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार का है और इस कार्य के लिए किसानों से पैसा भी लिया जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में शारदा सहायक अंतर्गत नहर खण्ड 49 एवं 16 की दशा अत्यंत खराब है और नहरों की सफाई कई सालों से नहीं हो पायी है। कई जगह नहरों में गड्ढे होने से पिछले साल इन गड्ढों से पानी रिसकर कई किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा चुके हैं। इन प्रखण्डों पर मरम्मत कार्य नहीं होने से शारदा सहायक खण्ड 49 एवं 16 की दशा अत्यंत शोचनीय है।

मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार खरीफ एवं रबी की फसल के समय देश की सभी नहरों से पानी की आपूर्ति करने का प्रावधान बनाये जिससे किसान समय पर अपनी फसल की सिंचाई कर सके और जहां-जहां पर मरम्मत कार्य एवं सफाई की आवश्यकता है उसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

**(नौ) राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में जिन किसानों की फसलें पाला और शीतलहर के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उन्हें पर्याप्त प्रतिकर दिए जाने की आवश्यकता**

**श्री देवजी एम. पटेल** (जालौर): राजस्थान प्रदेश के जालोर एवं सिरोही जिलों में शीतलहर व पाले से अरण्डी, सरसों, जीरा तथा वरियाली आदि फसलें पूर्णत: नष्ट हो चुकी हैं जिससे क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान हुआ है तथा किसानों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

तीन महीने से जिस फसल के लिए दिन रात मेहनत कर किसान अच्छी पैदावार की आस में बैठे थे वही फसल एक ही रात में पाले और शीतलहर के कारण पूरी तरह नष्ट हो गयी है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के जालौर एवं सिरोही जिलों में जिन किसानों की फसल शीतलहर एवं पाले से नष्ट हुई है उन किसानों को नष्ट हुई फसल का पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।

**(दस) गुजरात के गिर क्षेत्रों में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए एक दीर्घावधि कार्यक्रम विकसित किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम): एशियाई शेरों की आखिरी आबादी गुजरात के दक्षिण सौराष्ट्र प्रायद्वीप के ग्रेटर गिर क्षेत्र में बची है। गिर क्षेत्र की पारिस्थितिकी

लगभग लुप्तप्राय एशियाई शेरों को तुलनात्मक रूप से सुरक्षित पर्यावास प्रदान करने, इसे समाप्त होने से बचाने पर सचमुच गर्व कर सकती है। 2010 के अनुमान के अनुसार ग्रेट गिर क्षेत्र में लगभग 411 एशियाई शेर थे। एशियाई शेरों के एकमात्र निवास स्थान, ग्रेटर गिर के एशियाई शेरों के संरक्षण में पूर्ण प्रयास के साथ गहन सुरक्षा और प्रबंधन किए जाने की आवश्यकता है। पिछले चार दशक में सकल संरक्षण प्रयासों से आबादी में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति के बावजूद एशियाई शेरों की कुल आबादी केवल लगभग 411 होने के कारण अभी भी गम्भीर रूप से लुप्तप्राय हैं। अत: एशियाई शेरों के संरक्षण हेतु दीर्घावधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हाल के समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए शेरों के अवैध शिकार ने शेरों के लिए भी गम्भीर खतरा पैदा कर दिया है।

**(ग्यारह) मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुरार छावनी के अंतर्गत नागरिकों द्वारा बसाए गए क्षेत्रों को सिविल क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया** (ग्वालियर): मेरे संसदीय क्षेत्र ग्वालियर के अंतर्गत छावनी क्षेत्र मुरार के बंशीपुरा, परसादीपुरा, सुरैयापुरा, तिकोनिया, हरदेव सिंह की टाल, सुतारपुरा, निबुआपुरा, काछीपुरा, काशीपुरा, माधोपुरा एवं घोसीपुरा में निवासरत नागरिक पिछले कई वर्षों से सिविल एरिया घोषित किये जाने हेतु पिछले कई सालों से प्रयासरत हैं जिसके लिए मेरे द्वारा समय-समय पर संबंधित अधिकारियों एवं माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार को पत्र प्रेषित किये गये।

इसी तारतम्य में दिनांक 28.5.2009 को तत्कालीन माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार से भेंट कर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया। तत्पश्चात् इस विषय को मेरे द्वारा नियम 377 के तहत लोक सभा में भी उठाया गया। उक्त प्रयासों के फलस्वरूप छावनी परिषद मुरार ने अपने संकल्प क्रमांक 2 दिनांक 31.12.1983 एवं संकल्प क्रमांक 25 दिनांक 4.12.1999 से छावनी क्षेत्र के नागरिक क्षेत्र को छावनी अधिनियम की धारा 43-ए के तहत सिविल एरिया घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया है। मेरे इतने अथक प्रयास के बाद भी अभी तक छावनी क्षेत्र मुरार के नागरिक आबादी वाले क्षेत्र को सिविल एरिया घोषित नहीं किया जा सका है।

सिविल एरिया घोषित न होने के कारण मुरार छावनी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को नगर निगम ग्वालियर द्वारा प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। क्षेत्र के विकास एवं आम निवासी की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त छावनी क्षेत्र को शीघ्र सिविल एरिया घोषित किया जाना अति आवश्यक है। अत: इस दिशा में ठोस कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे उक्त क्षेत्र में निवासरत लोगों का जीवन स्तर सुधर सके।

**(बारह) उत्तर प्रदेश में वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन कार्य पूरा करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**डॉ. मुरली मनोहर जोशी** (वाराणसी): रेल मंत्री ने 2009-10 के बजट भाषण में घोषणा की थी कि वाराणसी से छावनी स्टेशन का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुविधाओं सहित उन्नयन किया जाएगा। उन्नयन कार्य को तेजी से कराया जाना चाहिए और इस संबंध में हुई प्रगति और परियोजना पर हुए खर्च के ब्यौरे से अवगत कराया जाए।

डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी के कार्मिकों में असंतोष है जिन्होंने कुप्रबंधन के बारे में शिकायत करते हुए कई बार आंदोलन किया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कार्मिकों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए।

**(तेरह) उत्तर प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण हर वर्ष आने वाली बाढ़ रोकने के लिए हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा, रामगंगा, गारा, गंभीरी और कुंडा नदियों को आपस में जोड़ने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्रीमती उषा वर्मा** (हरदोई): मैं हरदोई संसदीय क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) से आती हूं वहां और आसपास के कई जिलों में बरसात में गंगा नदी के पानी से प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण हजारों-लाखों एकड़ खेती की जमीन पानी में डूब जाती है। लोगों के घर गिर जाते हैं। मवेशी मर जाते हैं। फसलें बुरी तरह नष्ट हो जाती हैं। इससे क्षेत्र के लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण स्थानीय लोग आर्थिक दबाव में आ जाते हैं।

माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नदियों को जोड़ने की परियोजना को लागू किए जाने के निर्देश से मेरे क्षेत्र हरदोई के सवायजपुर तथा बिलग्राम तहसील एवं कटियारी के लोगों को आस जगी है कि गंगा, रामगंगा, गर्रा, गंभीरी, कुंडा नाम की पांच नदियों में बरसात के समय गंगा नदी से आने वाले पानी को नदी जोड़ो परियोजना से रोक लिया जाएगा जिससे क्षेत्र की यह पांच नदियां भयावह बनने से रूक जाएंगी और इसी के साथ फसलों की तबाही भी रूकेगी।

मेरी मांग है कि नदियों को जोड़े जाने वाली परियोजना में और विलम्ब न किया जाए और इस पर तुरंत प्रभावी रूप से काम आरंभ हो जिससे किसानों को लाभ मिल सके इस मांग में मेरा यह भी आग्रह है कि इसे गंगा नदी से आरंभ किया जाए।

**(चौदह) उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मादरशाह की मजार को विकसित करने तथा उस स्थान पर बेहतर सड़क और रेल सम्पर्क प्रदान किए जाने तथा इसके साथ-साथ उक्त स्थल पर मूल पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता**

**श्री अशोक कुमार रावत** (मिसरिख): उत्तर प्रदेश राज्य के मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मकनपुर, जो कानपुर नगर जिलान्तर्गत आता है, में मदारशाह की विश्व प्रसिद्ध मजार है। यहां पर देश के ही नहीं बल्कि विदेश के अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। यह विश्व प्रसिद्ध मजार है और 596 वर्ष पुरानी है। यहां पर प्रतिदिन कई हजार लोग देश-विदेश से दर्शनार्थ आते हैं। यहां पर मई माह में उर्स लगता है, जिसमें कई लाख लोग सम्मिलित होते हैं तथा जनवरी-फरवरी के महीने में एक माह के लिए मेला लगता है। विश्व प्रसिद्ध मजार होने पर भी यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मदारशाह की मजार के महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने, अंतर्राज्यीय बस अड्डा स्थापित करने, मकनपुर को रेलवे से जोड़ने, सड़क के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ने, मकनपुर के निकटवर्ती रेलवे स्टेशन बिल्हौर का सौन्दर्यकरण करने के साथ-साथ वहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाएं कराये जाने हेतु समुचित कदम उठायें।

**(पन्द्रह) बिहार के नालन्दा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाली रेलगाड़ियों में स्वास्थ्यकर भोजन दिए जाने की आवश्यकता**

**श्री कौशलेन्द्र कुमार** (नालंदा): मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा से जुड़ने वाले मेल/एक्सप्रेस/राजधानी/सुपरफास्ट ट्रेनों में यात्रियों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं होती। ट्रेन-किचन में पर्याप्त सफाई का अभाव रहता है। इन लोगों को देखना होता है कि यह अस्वास्थ्यकर है की नहीं। कृपया यह सुनिश्चित कराये कि यात्रियों को इन ट्रेनों में सही मात्रा में स्वास्थ्यकर खाना मिले।

मैं यह मांग करता हूं कि यात्रियों को इन ट्रेनों में सही मात्रा में सही खाना मिले, यह सरकार सुनिश्चित कराये।

**(सोलह) देश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के शिक्षा ऋण माफ किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री आर. थामराईसेलवन** (धर्मपुरी): मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि आज शिक्षा बहुत महंगी और निर्धन छात्रों की पहुंच से बाहर हो गई है। तथापि, कोई व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किए बिना रोजगार प्राप्त करना बहुत दुष्कर कार्य बन गया है। इसलिए प्रत्येक छात्र चाहे वह समाज के समृद्ध अथवा निर्धनतम वर्ग से हो, के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक मात्र स्रोत बैंक ऋण है। बैंक ऋण के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् भी रोजगार की कोई गारंटी नहीं है और देश में ऐसे कई लाख शिक्षित युवा हैं जो कि अपने परिवार का भरण-पोषण करने और अपनी शिक्षा हेतु बैंक से लिए गए ऋण को लौटाने के लिए कोई रोजगार प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अत:, मैं सरकार से शिक्षा प्राप्त करने के प्रयोजन से लिए गए शिक्षित बेरोजगार युवाओं द्वारा लिए गए बैंक ऋण को माफ करने का अनुरोध करता हूं जैसा कि किसानों के मामले में किया जा रहा है।

**(सत्रह) केरल में कोझीकोड और पालक्काड़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 213 पर कुंथीपुझा पुल चौड़ा किए जाने की आवश्यकता**

**श्री एम.बी. राजेश** (पालक्काड़): कुंथीपुझा पुल, राष्ट्रीय मार्ग संख्या 213 कोझीकोड-पालक्काड़ राजमार्ग पर एक महत्वपूर्ण पुल है। मौजूदा पुल पर केवल 4 मीटर चौड़ा कैरिज वे है। इसके कारण पुल पर एकल पंक्ति यातायात ही संभव है और इस क्षेत्र में लगातार ट्रैफिक जाम रहता है तथा दुर्घटनाएं होती हैं। चूंकि गत कुछ वर्षों में यातायात में कई गुना वृद्धि हुई है जिसके चलते दुर्घटनाओं की संख्या में भी चिंताजनक वृद्धि हुई है। अत: इस संदर्भ में कुंथीपुझा से गुजरने वाले मौजूदा पुल को चौड़ा करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 7 करोड़ रुपये का अनुमान प्रस्तुत किया गया था और 2011-12 की वार्षिक योजना में भी इस कार्य को शामिल किया गया था परन्तु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह कहते हुए अनुमान को बिना अनुमोदन किए लौटा दिया कि उक्त मंत्रालय ने प्रस्तावित कार्य को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) चरण-चार ख कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है। चूंकि एनएचडीपी चरण-चारख कार्यक्रम के कार्यान्वयन में और कई वर्ष लगेंगे अत: कार्य के निकट भविष्य में आरंभ होने की संभावना नहीं है। एनएचडीपी चरण-चारख कार्यक्रम के अंतर्गत इस क्षेत्र में एक बाईपास सड़क का निर्माण

प्रस्तावित है और इसमें मन्नारक्काड नगर सम्मिलित नहीं होगा। अत:, मन्नारक्काड नगर में मौजूदा कुंथीपुझा पुल के माध्यम से यातायात कम करने में सहायता नहीं मिलेगी। अत: मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से यथाशीघ्र कुंथीपुझा पुल को चौड़ा करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

**(अठारह) आंध्र प्रदेश में गुंटूर और विजयवाड़ा के बीच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी** (नरसारावपेट): भारत सरकार इस ऐतिहासिक तथ्य से पूरी तरह अवगत है कि 1954-56 के दौरान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ गुंटूर में भी जब आंध्र प्रदेश की राजधानी कुरनूल थी। परन्तु 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होने पर राज्य की राजधानी और उच्च न्यायालय की पीठ को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया। उस समय आंध्र प्रदेश की जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि उच्च न्यायालय की एक पीठ गुंटूर में स्थापित की जाएगी।

क्योंकि यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ इसलिए अधिवक्ताओं और आम जनता ने विभिन्न अवसरों पर इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाया। सरकार को एक और महत्वपूर्ण बात की भी पूरी जानकारी होगी कि उच्च न्यायालय में 70 प्रतिशत मुकदमे तटीय और रायलसीमा जिलों से संबंधित हैं। मुकदमेबाजी में फंसे लोगों को अपनी शिकायतों का निवारण करने हेतु श्रीकाकुलम और/अथवा चित्तूर से लंबी दूरी तय करके हैदराबाद जाने में भारी धनराशि खर्च करनी पड़ती है और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को सुगमता से न्याय प्रदान करने के स्वीकृत और सुस्थापित सिद्धांत के विपरीत है।

यह भी उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश से छोटे अनेक राज्यों में उच्च न्यायालयों की अनेक पीठ कार्य कर रही हैं। हम भारत सरकार से तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के लोगों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप 1956 के करार के अनुसार गुंटूर और विजयवाड़ा के बीच उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना करने हेतु तत्काल और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और इस संबंध में शीघ्र कदम उठाने का आग्रह करते हैं।

**(उन्नीस) पंजाब के जल और उत्पादित बिजली का राजस्थान और हरियाणा के बीच वितरण किए जाने का मुद्दा उच्चतम न्यायालय में न्यायनिर्णयन के लिए भेजे जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**डॉ. किरोड़ी लाल मीणा** (दौसा): इंडस जल संधि की शर्तों और सतलुज, व्यास और रावी नदियों के जल में हिस्से के संबंध में उत्तरवर्ती करारों के अनुसार राजस्थान में पंजाब की करीबन 5 विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में विद्युत हिस्सेदारी के संबंध में दावे दायर किये थे। दिनांक 10.5.1984 को ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार तथा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारों के मध्य एक समझौता हुआ था। जिसके अनुसार भारत सरकार रावी और व्यास नदियों पर पंजाब द्वारा स्थापित थीन बांध, आनन्दपुर साहिब, मुकेरियन, यू.बी.डी.सी. चरण-द्वितीय और शाहपुर कांडी जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादित विद्युत के लिए राजस्थान और हरियाणा का दावा सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय हेतु भेजेगी तथा भारत सरकार, राजस्थान और हरियाणा को केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों के अनावंटित हिस्से में से आवंटित किये गये हिस्सों से अतिरिक्त विद्युत आवंटन करने के दावों को भी ध्यान में रखेगी।

उक्त दोनों ही निर्णयों की अभी तक अनुपालना नहीं की गई जबकि पंजाब ने आनन्दपुर साहिब, मुकेरियन, यू.बी.डी.सी. चरण-द्वितीय तथा थीन बांध जल विद्युत परियोजनाएं चालू कर उनकी विद्युत का उपयोग करना भी शुरू कर दिया।

पंजाब की विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत में राज्यों का हिस्सा तय करने के लिए पृष्ठभूमि विवरण बनाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में फरवरी, 1999 में एक समिति का गठन किया गया था। राज्यों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सभी संबंधित राज्यों के हित में यही होगा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा भारत सरकार के मध्य दिनांक 10.5.1984 को किये गये समझौते की अनुपालना की जाए। अभी तक इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री, राजस्थान ने दिनांक 31 अगस्त, 2007 के पत्र द्वारा केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय की राय हेतु रेफर करने का अनुरोध किया तथा समझौते के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान को केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों के अनावंटित कोटे से अतिरिक्त आवंटन देने पर विचार करने का आग्रह किया। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने दिनांक 11.10.2007 के पत्र द्वारा सूचित किया कि दिनांक 29-30.7.1992 तथा 6.8.2007 की बैठक के दौरान सर्वसहमति हुई थी कि इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने हेतु रफर नहीं किया जावें मुख्यमंत्री, राजस्थान ने दिनांक 19.3.200 के पत्र के द्वारा केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को स्पष्ट किया कि मुख्य मंत्रियों की उपरोक्त बैठकों के दौरान ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था समयावधि के दौरान संबंधित राज्यों में सर्वसहमति नहीं होने के कारण राजस्थान समझौते के प्रावधानों के अनुसार लगातार अनुरोध कर रहा है।

1984 के समझौते के तहत सभी साझेदार राज्यों को 10.5.1984 के समझौते की सभी शर्तों की पालना करनी चाहिए।

दिनांक 10.5.1984 के समझौते के अनुसार, भारत सरकार का नैतिक दायित्व है कि वह विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान और हरियाणा राज्यों की हिस्सेदारी के दावों से संबंधित मुद्दे का सर्वोच्च न्यायालय की राय हेतु रेफर करें।

1984 के समझौते के प्रावधानों के तहत भारत सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की राय लंबित होने की दशा में राजस्थान और हरियाणा को केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों के अनावंटित कोटे से अतिरिक्त विद्युत उनके अनुरोध पर उपलब्ध करवानी चाहिए।

भारत सरकार से अनुरोध है कि वह केन्द्रीय उपक्रमों के अनावंटित कोटे से राज्य के हिस्से में वृद्धि कर उसे कम से कम 3.5 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचाये।

---

**अपराह्न 12.10 बजे**

## राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** माननीय सदस्यों, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आरंभ करने से पूर्व मुझे एक घोषणा करनी है।

जैसाकि आप सब जानते हैं पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से संबंधित संशोधन समर्थक के भाषण के पश्चात ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इस संबंध में सदस्यों से उनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाने वाली पर्चियों को सभा पटल पर रखने से संबंधित घोषणा समर्थक के भाषण के तुरंत बाद की जाती है।

मेरी जानकारी में लाया गया है कि 12 मार्च, 2012 को 15.15 बजे तक लगभग 2000 संशोधन सभा पटल पर रख दिये गये थे। माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में संशोधनों के संबंध में सारी प्रक्रियाएं करना, उन्हें मुद्रित करवाना और आज सुबह तक सदस्यों के बीच परिचालित करवाना संभव नहीं था। अत: मैंने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में समिति के सदस्यों के साथ इस विषय पर चर्चा की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आज 11 बजे तक सभा पटल पर रख दिये गये संशोधनों से संबंधित सूचनाओं पर विचार किया जायेगा।

मैं सभा को बताना चाहूंगी कि आज 11 बजे तक 2667 संशोधन प्राप्त हुए हैं। इन सभी संशोधनों के संबंध में प्रक्रिया की जा रही है, इन्हें मुद्रित करवाया जायेगा और निर्धारित समय के अन्दर सदस्यों के बीच परिचालित कराया जायेगा। जिन सदस्यों के संशोधन ग्रहीत कर परिचालित कर दिये गये हैं, उन्हें 14 मार्च, 2012 को सभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायेगी जब धन्यवाद प्रस्ताव पर पुन: चर्चा आरंभ की जायेगी।

अब, डॉ. गिरिजा व्यास।

*[हिन्दी]*

**डॉ. गिरिजा व्यास** (चित्तौड़गढ़): महोदया, धन्यवाद। मैं प्रस्ताव करती हूं-

> "कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-
>
> 'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 12 मार्च, 2012 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।"

महोदया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी पूरी चर्चा करने से पहले मैं लब्बोलहद में निश्चित तौर पर राष्ट्रपति जी के उस संक्षिप्त स्वरूप की व्याख्या करना चाहती हूं, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, इस बात को दर्शाया और इस बात के लिए जिसके लिए हम सभी लोग एक साथ उद्वेलित भी थे कि पिछला वर्ष न केवल भारत के लिए बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत के लिए भी उथल-पुथलपूर्ण और चुनौतियों भरा रहा। किन्तु इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद मिला है, जो राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को जिनके संवेदनशील व्यक्तित्व से हम वह कुछ कर पाये, जो अन्यथा असंभव होता। एक संवेदनशीलता के पंख के साथ हमने उन चुनौतियों का सामना किया है।

महोदया, मुझे यह कहने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस ने हमेशा वे नेता दिये, जिन नेताओं ने दूरदर्शिता के साथ इस देश की सेवा की। मैं यहां पर आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब का भी जिक्र करना चाहूंगी कि आर्थिक मंदी के और विशेषकर यूरो आर्थिक मंदी के बाद जो देश पर प्रभाव पड़ा, उसके बावजूद भी इंक्लूसिव ग्रोथ जारी रखी और जारी रखेंगे। मैं इतना ही कह सकती हूं कि जो हमारे पूर्ववर्ती नेओं में गुण थे, ये गुण हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी में विशेष रूप से हैं। मैं अल्लामा इकबाल को यहां पर उद्धृत करना चाहूंगी। निगाह बुलन्द, सुखन दिलनवाज जान पुरसोज-यही है रख्त-ए-

सफर मीर-ए-कारवां के लिए एक ऐसी दृष्टि जो भविष्य की ओर देखती है, एक ऐसी वाणी जो लोगों के दिलों को छू जाती है, एक ऊर्जा और सहिष्णुता से पूर्ण व्यक्तित्व-ये नेता के गुण हैं, ये कारवां को आगे चलाने के गुण हैं और यही कारण है कि हम अनेक कठिनाइयों के बावजूद अनेक मुसीबतों को पार करते हुए अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

महोदया, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को फिर से अपना धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एक ऐसी जीवंत परंपरा है जो सदन के सभी सदस्यों और राजनीतिक दलों द्वारा पारित किया जाता है। इसमें विपक्ष द्वारा कट मोशन्स भी आते हैं, हमारे द्वारा कुछ सुझाव भी आते हैं और इसको आवश्यक रूप से पारित करने की विशेषता भी है। मैं इसमें शर्त शब्द का उपयोग नहीं करूंगी, इसीलिए इस गरिमा को बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। अभिभाषण के दौरान गरिमा को बनाए रखना हमारा दायित्व है और आज मैं यह कहने को बाध्य हूं कि कहीं न कहीं हमें सैल्फ रेगुलेशन के गुण का प्रयोग अपने आप पर करना चाहिए। कल माननीय सदस्यों ने अभिभाषण के दौरान जो विषय उठाए, मैं यह नहीं कहती वे मौजू नहीं थे। निश्चित तौर पर उनमें से बहुत से ऐसे विषय थे जिन पर चर्चा की जानी चाहिए थी लेकिन उस समय उन पर चर्चा का न कोई औचित्य था और न समय था। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि चूंकि समय सटीक नहीं था, इसलिए हम ऐसे विषयों को सदन में उठाएं और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की गरिमा को नहीं तोड़ें।

पिछला वर्ष अनेक घटनाओं का साक्षी रहा है। हमें अपने संसदीय जनतंत्र पर गर्व है और इसे बनाए रखने का दायित्व भी हमारे ऊपर है। किन्तु संसदीय जनतंत्र की जो मूल भावना और उद्देश्य है, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। सदन का कार्य कानून बनाना है, व्यक्ति और संस्था सदन के ऊपर नहीं हैं। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा जो बातें उठाई गईं, इस चुनौती को सभी राजनीतिक दलों ने समझा और इस गरिमा को खंडित न होने के लिए जो पहल की, मैं आपके माध्यम से संपूर्ण सदन को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूं।

महोदया, यह संसदीय प्रजातंत्र हमें मुफ्त में नहीं मिला है। बहुत मशक्त और बलिदान के बाद हमें यह हासिल हुआ है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में संसदीय व्यवस्था है, परंतु भारत में अकेले संसदीय जनतंत्र का न सिर्फ अक्षरश:, बल्कि उसकी भावना के अनुरूप भी पालन किया है। यह संस्कृति, यह भावना, यह सोच, यह परंपरा और यह व्यवहार जनतंत्र की हृदय और आत्मा हैं न कि केवल कानून और नियम। संसद के ऐसी संस्था है जिसकी भूमिका है कानून पारित करना, खुलकर कानून पर डिसकशन करना, आस-पास के वातावरण पर डिसकशन करना, शालीन इच्छा के अनुरूप कानून को बनाकर जनता के द्वारा जनता के लिए सबसे बड़ा जांच आयोग तक बनाना इसके कार्य हैं। परंतु पिछले कुछ वर्षों के दौरान संसदीय जनतंत्र पर अनेक खतरे उत्पन्न हुए हैं। हम लोगों का महत्वपूर्ण दायित्व है, जिसकी ओर कल महामहिम ने इशारा भी किया कि हम इसकी कमियों और खामियों का पता लगाएं और उन्हें दूर करने का प्रयास करें।

महोदया, संसदीय जनतंत्र पर जो स्पष्ट और बड़ा खतरा है, वह संसद की कार्रवाई को न चलने देना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब अपनी गरिमा को समझते हैं और इसीलिए मैंने पहले इस मुद्दे को उठाया कि ढाई वर्ष बीत चुके हैं, ढाई वर्ष और हैं। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। एक तरफ आर्थिक मंदी से लड़ना है, आर्थिक इंक्लूसिव ग्रोथ देना है। हमें लोगों की भावनाओं के अनुरूप उतरकर आम जनता की सेवा करनी है। हमें अनेक ऐसे बिल लाने हैं जिनकी ओर कल संकेत किया गया और जो पांच आयाम माननीय राष्ट्रपति जी ने दिये, ऐसे में संसद की कार्रवाई चले, मैं सबसे यह निवेदन करना चाहती हूं।

महोदया, हमारे आसपास के क्षेत्रों में इसी अवधि में औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त देशों में से कोई भी जनतांत्रिक ढांचा कायम करने में समर्थ नहीं रहा। यह कांग्रेस नेतृत्व का दृढ़ संकल्प तथा भारतीय लोगों के द्वारा उसके प्रति कायम आस्था का ही परिणाम है, जिससे हम आज दुनिया का सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश बन सके हैं। हमारी सिर्फ जनतंत्र बनने के प्रति ही प्रतिबद्धता नहीं रही है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने की प्रतिबद्धता भी रही है। इस देश को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान हमें दिया, जो हमारे जनतंत्र की सफलता का मूल तंत्र है। संविधान निर्माताओं ने प्रशासन को तीन स्वतंत्र स्तम्भों में बांटा कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। ये स्वतंत्र हैं, फिर भी एक-दूसरे पर अकुंश बनाए हुए हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति उस संगठन से बड़ा नहीं है, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं फिर कैटगरिकली कहनी चाहती हूं कि व्यक्ति को संसद के ऊपर कहना देश और संविधान के प्रति सम्मान की भावना एवं उसकी समझ की कमी को प्रदर्शित करना है, जो हम सब को प्रिय है। आएं, हम सब फिर भारत के निर्माण में अपना योगदान दें और जो आशा हमारी राष्ट्रपति जी ने व्यक्त की है, उसको पूरा करें।

महोदया, देश के सामने बहुत चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा मिटाना और सभी को फायदेमंद रोजगार मुहैया कराना, जिसे कि लिवलीहुड सिक्योरिटी के रूप में कल माननीय राष्ट्रपति जी ने रखा। दूसरा है, आर्थिक सुरक्षा, तीसरा है ऊर्जा की सुरक्षा फिर है पर्यावरण की सुरक्षा और फिर आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना है।

महोदया, पिछला वर्ष, मैंने जैसे कहा कि उथल-पुथल का वर्ष रहा। हमने आर्थिक मंदी भी देखी, आतंक का जोर भी देखा। हमने कुछ राष्ट्रों में राजनैतिक उथल-पुथल जो दूदराज में पहुंची, वह भी देखी। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। लेकिन भारत एक परिपक्व जनतंत्र के रूप में उभरकर के और सामने आया है। प्रजातंत्र के प्रति निश्चिंतता इस बात को लेकर है कि हमारे पांच राज्यों में चुनाव हुए और जनता जनार्दन ने इस परिपक्व प्रजातंत्र का इशारा देते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे मतदान के साथ इस चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया। मैं यहां पर युवा शक्ति को प्रणाम करते हुए राहुल जी की एक बात को कोट करना चाहूंगी कि परिवर्तनशील जगत है। परिवर्तन आता है। वक्त के साथ बदलना पड़ता है। हमारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वह परिवर्तन है। यह हमेशा सच्चाई रहेगी। परिवर्तन यथास्थिति को चुनौती देना है और मैं सोचती हूं कि यह चुनौती दी गई। मैं जो भी सरकारें बनी हैं, उनको बधाई देना चाहती हूं और यह कहना चाहती हूं कि कांग्रेस वह पार्टी है, जिसने देश को प्रजातंत्र दिया है। जिसने आजादी की जंग में अनेक कुर्बानी दी है। इसलिए हम लोग चुनाव केवल जीतने या हारने के लिए नहीं लड़ते हैं। हम चुनाव लड़ते हैं आम जनता की सेवा के लिए। जब जनता हमें वोट देकर शासन के लिए बैठाती है तो प्रतिबद्धता के साथ हम जनता की सेवा में लग जाते हैं। हमारा न दिन होता है, न रात होती है और हम किस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक उन्नति कर सकें, समानता पैदा कर सकें। संविधान के अनुरूप इस भारत को बना सकें। इसका प्रयास करते हैं और जब चुनाव हारते हैं, तब भी, जैसा गीता में कहा है, न कोई अधिक शोक होता है और न कोई अधिक आनंद होता है। हम इस हार को स्वीकार करते हैं। और एक प्रतिपक्ष की भूमिका के रूप में जिसकी सकारात्मक भूमिका हो, उसमें हम अपना सहयोग देते हैं। फिर खड़े होते हैं जनता जनार्दन की सेवा के लिए। इसलिए इन चुनाव के परिणाम न हमें अधिक निराश करते हैं न अधिक प्रस्न करते हैं। लेकिन चुनाव के परिणाम ने भी दो राज्यों में हमें शासन बनाने का मौका दिया। बाकी जगह भी शासन बने हैं। मैं सब के लिए यहां शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूं।

पिछले सत्र के दौरान मैंने कहा कि बहुत कुछ घटा है और मुझे यहां पर यह बात याद आती है। यहां यह जिक्र करने की मेरी कोई मंशा भी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पहले केवल दो मुंही बात करके रह जाती थी। लेकिन पिछले वर्ष में उन्होंने अपना मुखौटा इस देश के सामने पेश किया, मैं सोचती हूं कि उस पर थोड़ी सी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। आज विषय भी नहीं है, लेकिन जब मुझे मौका मिला, आप लोगों को सुनना चाहिए और जब आपका मौका आए तो आप लोगों को भी कहना चाहिए।

मैं प्रजातंत्र की बात कर रही हूं और प्रजातंत्र में किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी राज्य में जीतने का अधिकार है। जनता जिसे वोट देती है, वह जीत कर आए, इस बात का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें दूसरे राज्यों में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको जो चेहरा सामने आया है, उस चेहरे पर निश्चित तौर पर आज देश उंगलियां उठा रहा है। मैं कहां-कहां की बात करूं? उत्तर प्रदेश में तो आप लोगों ने बसपा से निकाले गए भ्रष्ट नेताओं को भाजपा में शामिल करके एक उदाहरण दिया है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदयाः** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डॉ. गिरिजा व्यासः** *...(व्यवधान)* सुनने की कवायद रखिए। उत्तराखण्ड में भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच हुआ, उसका परिणाम आपने मुख्यमंत्री बदलकर दिया। लेकिन, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदयाः** आप लोगों की जब बारी आएगी, अपनी बारी के समय बोलिएगा। बैठ जाइए। उनको बोलने दीजिए।

*...(व्यवधान)*

**डॉ. गिरिजा व्यासः** कर्नाटक में भ्रष्टाचार की अति हो गयी। *...(व्यवधान)* आप सुन लीजिए। क्या इस बात का कोई जवाब है जब आपके सदस्य विधान सभा में अश्लील फिल्में देखना शुरू कर दें तो उस समय इस प्रजातंत्र के पास क्या शेष रह जाता है? *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदयाः** आप लोग खड़े न हों। आप बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**डॉ. गिरिजा व्यासः** मुझे मालूम होता है कि जिस मीडिया ने उन अश्लील फिल्मों को देखते हुए दिखाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की पहल हो रही है। मैं सोचती हूं कि यह भ्रष्टाचार की अति है *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदयाः** बैठ जाइए। जब आपकी बारी आएगी, आप भी बोलिएगा।

*...(व्यवधान)*

**डॉ. गिरिजा व्यास:** आपका राज्य मध्य प्रदेश में है। ...*(व्यवधान)* माननीय राष्ट्रपति जी ने इस बात का जिक्र किया कि हमें माइन्स के लिए जल्दी से कानून लाना पड़ेगा। इसे लाना चाहिए और ला रहे हैं। लेकिन, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से माइन्स माफिया डेवलप हुए हैं और जिस प्रकार से एक पुलिस ऑफीसर की हत्या कर दी गयी, मैं सोचती हूं इससे बड़ी बात और कहीं पर नहीं हो सकती। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** बैठ जाइए। जब आपकी बारी आएगी, तब बोलिएगा।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** कार्यवाही-वृत्तांत में अन्य कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डॉ. गिरिजा व्यास:** इसी के साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन ...* तो लोकायुक्त के गठन के खिलाफ कोर्ट में भी चले गए। ...*(व्यवधान)* महोदया, मैं उनका नाम वापस लेती हूं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** उन्होंने नाम वापस ले लिया है।

...*(व्यवधान)*

**डॉ. गिरिजा व्यास:** जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री लोकायुक्त का गठन नहीं करता और वहां के राज्यपाल उसका गठन कर देते हैं तो वे इसके खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं तो हम प्रजातंत्र की रक्षा कैसे कर पाएंगे? ...*(व्यवधान)* सच को सुनने की ताकत रखनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** बैठिए। बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

**डॉ. गिरिजा व्यास:** मैंने उनका नाम वापस ले लिया है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** आप कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदया:** ठीक है, उन्होंने जो भी नाम लिया था, उन्होंने विथड्रॉ कर लिया।

...*(व्यवधान)*

**डॉ. गिरिजा व्यास:** महोदया, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूं कि प्रजातंत्र ने जो हमें दायित्व दिया है, प्रजातंत्र ने हमें जो शासन करने की कूवत दी है, निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दलों को शासन करने का अधिकार है। लेकिन, जहां-जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उनका चेहरा सामने आ गया। उन्हें न प्रजातंत्र की चिंता है, न उन्हें सेकुलरिज्म की चिंता है, न उन्हें और किसी बात की चिंता है और न ही उन्हें देश की चिंता है। ...*(व्यवधान)* खैर, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आ रही हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, 1991 से ही आर्थिक सुधारों ने एक लम्बी छलांग लगाई। लिब्रलाइजेशन की आंधी इंडस्ट्री, व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में भरपूर रूप से आई। सुधार के इस द्वार में हमारा उद्देश्य उच्च आर्थिक दर हासिल करना है एवं इस विकल्प को इन्क्लुसिव ग्रोथ में तब्दील करना, सरकार का उद्देश्य आम आदमी को समुन्नत करना है, विशेषकर गरीब को।

अध्यक्ष महोदया, पिछले करीब आठ सालों में केन्द्र की यूपीए सरकार न देश की मजबूती एवं प्रगति के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमारी आर्थिक विकास की रफ्तार तेज रही है। इसी वजह से हमें जो संसाधन हासिल हुए, उन्हें सामाजिक क्षेत्र में बड़े कार्यक्रम में लगाया है। हमने शिक्षा, चिकित्सा, लोगों को लोन देने में, कृषि को उन्नत करने में उन संसाधनों को लगाया है। आम आदमी और कमजोर वर्ग को राहत मिल सके, इस बात की कोशिश की है। 11वें प्लान का उद्देश्य तीव्र इन्क्लुसिव ग्रोथ था। प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य नौ प्रतिशत आर्थिक दर रखा गया। पिछला वर्ष भी ठीक रहा, 8.2 विकास दर के साथ, लेकिन हम उसे बहुत अच्छा उत्साहवर्द्धक नहीं कह सकते।

अध्यक्ष महोदया, मैं प्रधानमंत्री जी के शब्द यहां पर कोट करना चाहूंगी, जो उन्होंने कहे थे। इन दिनों विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत मंदी आई है। युरोप के देशों में आर्थिक हालात ठीक न होने के कारण विश्वभर में उसका असर पड़ रहा है। मध्य पूर्व, मिडल ईस्ट के कई देशों में राजनैतिक अस्थिरता बनी हुई है, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में केवल यूपीए सरकार ही कार्य कर सकती है और यूपीए सरकार अपने कार्य को कर रही है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में 56वें सैशन के, जब 12वें प्लान का डिसकशन एप्रोच पेपर रखा जा रहा था, उस समय प्रधानमंत्री

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जी ने चार उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए बात कही थी। उसमें एक तो पॉलिसी एनवायरमेंट था, जिससे कि जनता को लाभ मिल सके। दूसरा, सरकार ग्रामीण और शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं इन्क्लुसिव ग्रोथ बहुत कुछ करे। तीसरा, सरकार ग्रामीण और शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं इन्क्लुसिव ग्रोथ बहुत कुछ करे। तीसरा, सरकार को आजीविका के स्पेशनल कार्यक्रम देने होंगे। चौथा, शिक्षा, चिकित्सा, शुद्ध पानी, सेनिटेशन और स्कील डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी होगी। ...*(व्यवधान)* आर्थिक स्तर पर हम मजबूत हैं। ...*(व्यवधान)* लेकिन भारत में आप मत भूलिए, आज इस वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भी युरोप के चार देश, जिसमें भारत है ब्रिक्स, अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ...*(व्यवधान)* इसलिए, मैं कहा कि जब हमें मौका मिलता है, हम अपने पूरे कार्य को करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रणब मुखर्जी जी यहां पर विराजे हुए हैं, इसी सदन में उन्होंने एक कम्पेरिजन पेश किया था कि इन पिछले छह सालों में और उसके पिछले छह सालों में हमारी आर्थिक दर क्या थी। उसका सार यह था कि इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी हम इन छह सालों में 8.5 पर रहे। ...*(व्यवधान)* इतनी मंदी के बावजूद भी आज सात प्रतिशत पर हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री विलास मुत्तेमवार** (नागपुर): जब आपकी टर्न आएगी, तब आप बोलिएगा। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

**डॉ. गिरिजा व्यास:** आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** जब आपकी बारी आएगी, तब आप बोल लीजिए।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

*[हिन्दी]*

**डॉ. गिरिजा व्यास:** विकास की बात जो माननीय राष्ट्रपति जी ने कही थी। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैडम, मुझे संरक्षण चाहिए, मुझे हाउस में धमकाया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** आप बैठ जाइए।

**डॉ. गिरिजा व्यास:** अध्यक्ष महोदया, मैं यहां पर प्रणब मुखर्जी साहब को कोट करना चाहूंगी, जिन्होंने कहा था-

*[अनुवाद]*

"मेरे लिये विकास का अर्थ मात्र आंकड़े नहीं है बल्कि विकास का अर्थ मेरे लिये सरकार को सशक्त बनाना है।"

*[हिन्दी]*

फिर उन्होंने इसी बात पर कहा था कि यही कारण है कि जब विकास होता है, तो हम उसका कुछ दे पाते हैं। 65 हजार करोड़ रुपए का जो बेनीफिट किसानों को मिला, वह हमारी इस ग्रोथ का ही परिणाम था। इसको सुनने की हिम्मत आप लोगों को रखनी पड़ेगी। ...*(व्यवधान)* हायर ग्रोथ का मतलब है कि ज्यादा इंप्लायमेंट ग्रो करना या उसकी व्यवस्था करना और हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। ...*(व्यवधान)* इसलिए जो स्ट्रांग फंडामेंटलिज्म हमारी इकानॉमी का है, वह आधार हमारी इन्क्लूजिव ग्रोथ है।

इंडिया ने मैन्युफैक्चर सेक्टर में अपना बहुत नाम कमाया है। ऑटोमोबाइल में हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। इसके साथ ही फार्मास्युटिक, टेक्सटाइल, स्टील, आईटी, आदि ये सब हमारी जीडीपी के ग्रोथ के साथ-साथ आगे बढ़े हैं। ...*(व्यवधान)* मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि वर्ष 1991 के बाद जो भी सरकारें रहीं, हम उनके प्रति अपना आदर दर्शाते हैं कि उन्होंने इस ग्रोथ को और हमारे इस कांसेप्ट को कायम रखा और उसी के कारण हम लोग उस ग्रोथ को कायम रखने में और आगे बढ़ने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन यूपीए की सरकार ने जो ह्यूमन फेस दिया, जो मानवीय चेहरा इन्क्लूजिव ग्रोथ के नाते दिया, मैं समझती हूं कि उतना दूसरे नहीं दे पाए। हम राज्यों के प्रति भी आभारी हैं कि राज्यों ने इस ग्रोथ में अपना हिस्सा लिया और उनकी भी ग्रोथ बढ़ी है। मैं सभी राज्यों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)* लेकिन यूपीए की सरकार का आधार जैसा मैंने कहा कि एक तरफ हमारा इकानॉमिकल डेवलपमेंट है तो दूसरी तरफ इन्क्लूजिव ग्रोथ और फ्लैगशिप प्रोग्राम का मैं यहां जिक्र करना चाहूंगी, जो आने वाली बारहवीं योजना का आधार है, चाहे मनरेगा हो, इंदिरा आवास योजना हो, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो, पीएमजी से एसएमआई हो, आईसीडीएस हो, एनआरएचएम हो, मिड-डे-मील हो, जेएनएनयूआरएम हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना हो, राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर

मिशन हो और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मैं इसका जिक्र स्पेशल तौर इसलिए करना चाहती हूं कि राज्यों को भी इससे काफी मदद मिलेगी। ये सारे प्रोग्राम्स सेंट्रली स्पांसर्ड हैं, लेकिन राज्य सरकारें इस पर पूरा ध्यान नहीं दे पातीं।

देश में अभी भी व्यापक गरीबी है, जिसका जिक्र और चिंता कल राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में की कि देश में जो व्याप्त गरीबी है, उसका सार्थक समाधान तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के ढांचे के बल पर ही निकाला जा सकता है। इन्क्लूजिव ग्रोथ का आवश्यक तत्व गरीबी दूर करना है, बचत व निवेश वृद्धि की दर कायम रखने में कामयाब होना है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि निश्चित तौर पर वर्ष 2010-11 और थोड़ा सा जो हमारा उत्तरार्द्ध है, वह ग्रोथ की दृष्टि से थोड़ा पिछड़ा है, यूरोक्राइसिस इसका मूल आधार था। जी-20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में, प्रणब मुखर्जी साहब जब कहेंगे, तब उसमें इसका जिक्र करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि उन्होंने घोषित किया कि किन्हीं भी राज्यों में आर्थिक मंदी से लड़ना है तो दो चीजें करनी होंगी, मार्केट में पैसा हो और दूसरी बात यह है कि इंट्रेस्ट रेट कम हों। सरकार ने दोनों का प्रयास किया।

जहां तक ब्रिक्स कंट्रीज का सवाल है, इन ब्रिक्स कंट्रीज ने जो अपनी छाप छोड़ी, तो हमारी वार्षिक दर में थोड़ी कमी हुई। हम आज सात प्रतिशत पर हैं, आने वाले सालों में कोई बहुत बुरा समय नहीं है। लेकिन मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि ब्राजील 8 से 6 प्रतिशत पर पहुंचा है, चाइना 12 से 9 प्रतिशत पर पहुंचा है, साउथ अफ्रीका 7.5 से 5.5 प्रतिशत पर पहुंचा है और 8.5 से 7.1 प्रतिशत पर हम लोग पहुंचे हैं, आगे 9 प्रतिशत तक का हमारा उद्देश्य है। अमेरिका, कनाडा, जापान की बात करें, तो वहां पर जो आर्थिक दर है, वह अपने आप से पूछ लीजिए, 1.2, 2.2 और 3 प्रतिशत से आगे वहां नहीं पहुंच पा रही है। जहां पर सर्विस टैक्स भी नहीं हो, जहां पर हमें सब्सिडी भी देनी हो, जहां संवेदनशीलता के साथ आम जनते का साथ रहना हो, मैं कहती हूं कि उस हालत में भी आर्थिक ग्रोथ को बनाए रखते हुए इन्क्लूजिव ग्रोथ की तरफ बढ़ना इस सरकार का एक बहुत बड़ा कार्य था।

महोदया, हम इसके लिए आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। यह तो अभी एक छोटे-से घुमावदार मोड़ की बात है। हम थोड़े-से आर्थिक दबाव में जरूर है लेकिन न तो हमारी इन्क्लूसिव ग्रोथ का सपना टूटा है और न ही आर्थिक ग्रोथ का सपना टूटा है। इसे मैं शेर के माध्यम से कहना चाहूंगी

"एक मोड़ आएगा जब सिमटें भंवर बन जाएंगी
इससे आगे सफर में कई पेच-ओ-खम है।"

इससे ज्यादा बुरे हालात नहीं हो सकते और इस बुरे हालात में भी उबरने की जो शक्ति है वह यूपीए सरकार के अतिरिक्त और किसी में नहीं हो सकती है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है।

महोदया, इन्फ्लैशन एक बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी मिटनी चाहिए। कल माननीय राष्ट्रपति जी ने दो-तीन बातों पर विशेष जोर दिया कि इस इन्क्लूसिव ग्रोथ से हमारे ग्रोथ के कारण जो शिक्षा और चिकित्सा में जिस प्रकार की वृद्धि हुई और हमने इस इन्फ्लैशन से लड़ने का जो संसाधन और एक मात्र वेपन चुना है, वह कृषि है। इसका जिक्र आज सुबह के प्रश्नकाल में भी हुआ है। हमारी समावेशित रणनीति में शिक्षा और स्वास्थ्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब शिक्षा का अधिकार मूर्त रूप ले चुका है। राज्य सरकारों को भरपूर पैसा मिल रहा है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं बाकी आबादी के बीच जों अंतर रखा है उसे समाप्त किया जा रहा है। बालिकाओं का अंतर भी घट रहा है। हमारे शिक्षा का मूल उद्देश्य शिक्षितों को नियोजन लायक बनाना है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदयाः** किसी की कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)* *

**डॉ. गिरिजा व्यासः** कहीं पर भी किसी राज्य के साथ या किसी राज्य के आंकड़े मंगा कर, मैं इसको चैलेंज करती हूं बल्कि राज्य सरकार के ये आंकड़े भी मंगाए जाए कि किस राज्य में सर्वशिक्षा पर या हमारी दी हुई-अन्य सेन्ट्रल स्कीम पर कितना प्रतिशत पैसा खर्च किया है, उसने कितना प्रतिशत पैसा डायवर्ट किया है या अपन नाम से रखने की कोशिश की है इस बात का पता लगाना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा का विषय, मुझे थोड़ा-सा चिंता का विषय जरूर लगता है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त की और अनेक स्थान पर हम लोग भी इस पर चिंतित हैं। प्राइवेट स्कूल्स का जो वातावरण था वह अब प्राइवेट हायर एजुकैशन की तरफ जा रहा है। स्कूल में जो गुणवत्ता होनी चाहिए उसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा।

मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आज नाइन्थ क्लास के बच्चे को सही ढंग से हिन्दी या अंग्रेजी में दो वाक्य लिखने नहीं आता है। हमें गुणवत्ता की तरफ ध्यान देना होगा, सरकार ने इस ओर प्रयास किया है। मैंने इस बार की रिपोर्ट देखी है इसमें काफी कुछ प्रयास किया गया है, उसी तरह से हायर एजुकेशन, जिस तरह से रिसर्च का प्रसेन्टेज घट रहा है, संपूर्ण एशिया के लिए यह चिंता का विषय है, यह संपूर्ण विश्व

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के लिए तो है ही क्योंकि तुरंत नौकरी ने रिसर्छ के सारे आयाम समाप्त कर दिए हैं। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि मैथेमैटिक्स की घटती हुई मांग को देखते हुए इस वर्ष मैथमैटिक्स वर्ष के रूप में निर्धारित किया। हमारी सरकार को रिसर्च को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कार्य करना होगा।

महोदया, मैंने कहा कि इन्फ्लैशन एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले वर्षों में भारत और विश्व कठिन दौर से गुजरे हैं-कहीं वामपंथी, एक्सट्रीमिस्ट, आतंकवाद तो कहीं हिंसा, सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने यूपीए सरकार के लिए जो पांच महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं पिछले वर्ष गिनाई उनमें मुद्रास्फीति पहले थी। अंतर्राष्ट्रीय माहौल के कारण तेल की कीमतें बढ़ती रहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व खाद्य की स्थिति खराब हुई है। वनस्पति तेल आदि की वैश्विक कीमतें बढ़ रही हैं जिनका हम आयात करते हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो पिछले वर्ष जवाब दिया था मैं उसे अवश्य क्वोट करना चाहूंगी।

"भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सार्वजनिक खरीद एजेंसियों के पास पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध है। सरकार मुद्रास्फीति पर काबू करने के लिए कृतसंकल्प है। इस वर्ष के अंत तक मुद्रास्फीति की दर गिर कर सात तक आ जाएगी।"

प्रधानमंत्री जी ने ठीक भविष्यवाणी की थी। मुद्रास्फीति की दर निश्चित रूप से 7.47 तक गिरी है और 7 आई गई। उसके बाद जहां तक खाद्यान्न, एडिबल ऑयल की बात है, वह 8 प्रतिशत तक भी पहुंची। जहां तक होलसेल प्राइस इंडैक्स का सवाल है, दिसम्बर में इनफ्लेशन 7.47 था जो घटकर 6.55 हो गया। *...(व्यवधान)*

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर** (हमीरपुर, उ.प्र.): अनाज सड़ रहा है। *...(व्यवधान)*

**डॉ. गिरिजा व्यास:** इसलिए हम एक तरफ इस ओर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहां इस बात को नहीं भूलना है कि महंगाई *...(व्यवधान)* जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तब आप जरूर बोलिए। *...(व्यवधान)* सरकार ने इसके लिए जो एकमात्र उद्देश्य ढूंढा है, वह है सप्लाई रिस्पांस, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। *...(व्यवधान)*

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** अनाज को चूहे खा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** गिरिजा जी, आप बोलिए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** कार्यवाही-वृत्तांत में अन्य कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)* *

*[हिन्दी]*

**डॉ. गिरिजा व्यास:** इस कन्सट्रेंट के दो मुख्य कारण होते हैं। सब जानते हैं कि एक डिमांड कनस्ट्रेंट होता है, दूसरा सप्लाई कनस्ट्रेंट होता है और दोनों के दौर से हमें गुजरना पड़ा। आज वैजिटेबल्स के दाम घट और बढ़ रहे हैं। दूध और अन्य चीजों के दामों काफी उतार-चढ़ाव, मैं कहूंगी कि बढ़ोतरी की तरफ है। सरकार चिंतित है। इसीलिए सरकार ने आम आदमी और सबके लिए तीन तरह के मार्ग प्रशस्त किए हैं- इम्पोर्ट का दरवाजा खुला है, प्रोडक्शन के लिए दाल आदि के क्षेत्र, जिसमें ऑयल भी हो सके, प्रोडक्शन जोन चुने हैं। यह गरीब व्यक्ति को मिल सके, इसके लिए उन्होंने गुड्स को मॉडरेट प्राइस में देने का प्रयास किया। सरकार ने प्रयास किया है कि पल्सेज 10 रुपये पर किलो हों, ऑयल के दाम 15 रुपये पर लिटर हों। लेकिन हमें इसे बेबाकी के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने इस संबंध में स्टडी करने के लिए मुख्य मंत्रियों का एक ग्रुप चुना जिनकी रिपोर्ट आ चुकी है। यह विश्व आर्थिक मंदी के एक दौर से गुजर रहा है जिसमें सबकी इनफ्लेशन रेट बढ़ी है। जनवरी में जो हुआ, मैं उसके थोड़े से उदाहरण देना चाहूंगी। अर्जेंटिना में 14.7 प्रतिशत, बांग्लादेश में 9.8 प्रतिशत, ब्राजील में 9.21 प्रतिशत, चीन में 11.7 प्रतिशत, इजिप्ट में 17.3 प्रतिशत, इंडोनेशिया में 15.6 प्रतिशत, ईरान में 18.9 प्रतिशत, पाकिस्तान में 20.4 प्रतिशत और यूक्रेन में 30.1 प्रतिशत, यह अलग-अलग देशों के हैं। सरकार ने इससे जूझने के लिए, सबसे बड़ा जो कल राष्ट्रपति जी ने कहा, एग्रीकल्चर जोन को चुना है कि जब तक हम लोग उत्पादन में आगे नहीं बढ़ेंगे, कठिनाइयां उसमें भी हैं, लेकिन जब तक हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में विकास दर को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमें गरीबी से जूझना ही पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए कार्य करने शुरू कर दिए हैं। 60 हजार पल्स विलेजेस जुने हैं। उनसे आने वाले पांच साल में 3 लाख टन पॉम ऑयल आने की गुंजाइस है। बहुत सारी मुश्किलें हैं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** कार्यवाही-वृत्तांत में अन्य कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)* *

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**डॉ. गिरिजा व्यासः** कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव, भू-स्रोतों का बढ़ता विखंडन, *...(व्यवधान)* पॉम ऑयल को भी बढ़ाने के लिए, *...(व्यवधान)* मैंने कहा था पल्सेज और ऑयल, दो दृष्टि में हम इंडीपैंडेंट बनना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदयाः** डॉ. गिरिजा व्यास, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

*[हिन्दी]*

**डॉ. गिरिजा व्यासः** कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में, और उसके साथ आगे के क्षेत्र में भी बढ़े हैं। भ्रष्टाचार के संबंध में भी कल जिक्र हुआ। हमारी सम्पर्क सरकार द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी समूह की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एकमात्र तरीका था, लोकपाल बिल इस सदन में लाया गया, यह हमारी प्रतिबद्धता थी। कांग्रेस के बुराड़ी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष जी ने निश्चित कर दिया था। *...(व्यवधान)* इस पर हमारी सरकार लगातार कार्य करती रही। *...(व्यवधान)* मुझे याद है कि भ्रष्टाचार पर जब हमारी सरकार लड़ रही थी, उस समय हमें विपक्ष से पूरी मदद नहीं मिली और हम उसे जो संवैधानिक दर्जा देना चाह रहे थे, वह नहीं दे पाये। मुझे मालूम है, *...(व्यवधान)* एक शेर जो इसी सदन में कहा गया था। *...(व्यवधान)* "न इधर-इधर की तू बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, हमें राहजनों की फिक्र नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।" लेकिन इस रहबरी का उत्तर देते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि मेरा जीवन एक पारदर्शिता से परिपूर्ण जीवन है और मैं हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, खिलाफ रहूंगा। हमारी सरकार प्रतिबद्धता से इसके खिलाफ कार्य करती रहेगी। मैं यहां पर कहना चाहती हूं, चाहे वह मंत्रिपरिषद के हों, चाहे दूसरे, कोटा सिस्टम या मंत्रियों को देने वाले अधिकार और उसके अतिरिक्त कल जिसका जिक्र किया गया, उसका जिक्र मैं जरूर करूंगी कि हम प्रतिबद्धता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल लाना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

लोकहित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, विदेशी लोक पदधारी और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, नागरिकों का शिकायत समाधान अधिकार विधेयक, न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक आदि।

*[हिन्दी]*

ये सब बिल इसमें शामिल हैं और हम प्रतिबद्धता के साथ इस भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। लेकिन मैं सदन से निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो लंबा, विश्व भर का फैला हुआ रोग है, वह एक दिन में मिट नहीं सकता। इसके लिए सभी का सहयोग चाहिए। इसलिए राजनैतिक दल, राज्य और केन्द्र सरकार आदि सब मिलकर इस कुरीति से या मैं कहूं कि इस अभिशाप से हमें मुक्त होना होगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार जो भी बिल लेकर आये, वे बिल संसद में पारित हों।

महोदया, पांच तत्व होते हैं-पहला, कानून और कानून का कड़ा होना। कानून का इम्प्लीमैंटेशन *...(व्यवधान)* कानून के लिए सिविल सोसायटी का योगदान, कानून के लिए मीडिया का समर्थन और कानून के लिए पोलिटिकल पार्टीज का प्रतिबद्ध होना। *...(व्यवधान)* हम पांचों से गुजर कर इस भ्रष्टाचार से दूर हो पायेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इस बात में कोई शक नहीं कि सरकार न केवल चिंतित है, बल्कि सरकार प्रतिबद्धित है। *...(व्यवधान)* मैं अगर कांग्रेस पार्टी का जिक्र करूं, तो स्वर्गीय राजीव गांधी नजी ने वर्ष 1986 में ही भ्रष्टाचार निरोधक बिल लाकर एक रास्ता प्रशस्त किया था कि अब भ्रष्टाचार को एक नये सिरे से देखना चाहिए और उसे समाप्त करना चाहिए।

महोदया, कल महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आतंकवाद की चर्चा हुई। इसी तरह से साम्प्रदायिवाद की चर्चा है। मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि आतंकवाद समाज के लिए एक अभिशाप बन गया है और अब पहले से ज्यादा आतंकवादी वारदातें होने लगी हैं। *...(व्यवधान)* ऐसा न सिर्फ भारत में ही, बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। आतंक एवं *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदयाः** यह क्या हो रहा है?

*...(व्यवधान)*

**डॉ. गिरिजा व्यासः** आतंकी घटनाओं से निपटने की, बल्कि इसके लिए एकीकृत कमांड के गठन की जरूरत है। *...(व्यवधान)* आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद की समस्याएं, ये दो बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं। बार-बार हमारे देश में आतंकी हिंसा होती रहती है। इसके लिए जो भी कानून है, उन कानूनों के साथ, चूंकि मेरे बोलने का समय पूरा हो चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं यह अपील करूंगी कि इसमें राज्य और केन्द्र सरकार, दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारों का बहुत बार आरोप होता है कि हमें केन्द्र सरकार, दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारों का बहुत बार आरोप होता है कि हमें केंद्र मदद ही नहीं

देता। हमें न तो पुलिस की मदद मिल पाती है और न ही दूसरे सोर्स की मदद मिल पाती है। ऐसे में आर्टिकल 355 है, जो इस ओर संकेत करता है कि केन्द्र और राज्य दोनों सरकारें, यह राज्य का सब्जैक्ट है, लेकिन यह केन्द्र का कन्सर्न है, देश का कन्सर्न है, संसद का कन्सर्न है, प्रत्येक व्यक्ति का कन्सर्न है और इसमें जो बच्चा जन्म लेता है, वह जीना चाहता है। इसमें जो युवा आगे बढ़ रहा है, वह बढ़ना चाहता है। किसी की मांग की गोद खाली न हो, किसी की बहन की राखी न छूटे *...(व्यवधान)* किसी बहन का सिंदूर न मिटे, इसके लिए जरूरत है कि हम सम्वेत रूप में, सवेत स्वर में आतंकवाद का न केवल विरोध करे, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ, असाम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ हम लोग खड़े हों।

महोदया, यह देश एक ऐसी परंपरा का देश है जिसमें हमने सेकुलरिज्म को आयात नहीं किया है, वह हमारे अपने खून में है, हम में है, हमारी अस्मिता में है और इसीलिए यहां पर आत्मासर्वभूतेशु की बात कही गयी है कि सब में एक आत्मा है, तो हम अलग-अलग क्यों ढूंढें। आज सेकुलरिज्म के और पंथनिरपेक्ष राज्य के संबंध में राष्ट्रपति जी ने जो अपने अभिभाषण में जिक्र किया है। *...(व्यवधान)*

**श्री अनुराग सिंह ठाकुरः** आज यहां अनुच्छेद 355 की बात की जा रही है, उसकी डिटेल्स भी बता दें। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदयाः** आप बैठ जाइए, उनकी बात सुनिए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदयाः** कार्यवाही-वृत्तांत में अन्य कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**डॉ. गिरिजा व्यासः** हमें, इस सदन को उसके लिए *...(व्यवधान)* मुझे दुख इस बात का है कि जिन युवाओं को आतंकवाद के खिलाफ ज्यादा कंसर्न होना चाहिए, वे युवा यदि इसका विरोध करते हैं, तो यह शर्म की बात है। *...(व्यवधान)* हम लोगों ने कभी हिन्दू और मुस्लिम को बांटा नहीं है। *...(व्यवधान)*

**श्री शीश राम ओला** (झुंझुनू): देखिए, आप विद्वान हैं, हम भी जानते हैं। आप माननीय अध्यक्ष हैं उसके मैं भी जान रहा हूं, लेकिन इस तरह बोलना ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदयाः** ओला जी, आप बैठ जाइए।

**श्री शीश राम ओलाः** आप उनको कहिए कि डिस्टर्ब न करें। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदयाः** ठीक है, आप बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदयाः** कृपया उन्हें बोलने दें।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डॉ. गिरिजा व्यासः** जब एक हिन्दू किसी मंदिर के सामने से गुजरता है, तो प्रणाम करता है। किसी मस्जिद की अजान की आवाज उसको झुकने के लिए प्रेरित करती है। गुरुद्वारे के शब्द की आवाज उसे नमन करने की प्रेरणा देती है और जहां से वह गुजरता है वह एक नए आयाम के साथ जाता है। हमारे कोई भी धर्म हों, सभी ने झुकने की प्रेरणा दी है। जब कोई मुसलमान अपनी दायीं तरफ, बायीं तरफ देखकर और फिर नीचे की तरफ देखकर जब नमाज और प्रार्थना करता है, तो उसमें सभी लोगों के लिए प्रार्थना का गुण छिपा होता है। चाहे वह जैन धर्म का अनेकान्तवाद हो, चाहे बौद्ध धर्म का संघवाद और धर्म के प्रति उनकी व्याख्या, सभी इस ओर संकेत करते हैं कि अंत में हम सभी लोग एक हैं। इस सेकुलरिज्म का पूरी तरह से पालन हो, इस प्रतिबद्धता के साथ संसद को एकमत से आगे बढ़ना होगा। इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी, मैं उनकी बात को कोट करना चाहूंगी:

> "आज पूरा विश्व पूरी दिलचस्पी के साथ भारत पर अपनी नजरें टिकाए हुए है। मुझे विश्वास है कि पूरी सद्भावना के साथ हमें देख रहा है। भारत की सफलता में दुनिया का भी हित निहित है क्योंकि शांतिपूर्ण, सद्भावनापूर्ण, लोकतांत्रिक भारत विश्व को विस्थरता प्रदान करने वाली शक्ति है, इसलिए हमें आकांक्षा एवं संकल्पशक्ति के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना की यात्रा शुरू करनी है, जो नम्रता एवं विश्वास से युक्त हो। हमें दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है कि जनतांत्रिक भारत एक समृद्धिशाली, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष एवं बहुलवादी राष्ट्र के निर्माण में समर्थ है जो सतत विकास कर सकता है। विकास के इस भारतीय मॉडल की सफलता में दुनिया का हित भी निहित है।"

इसलिए प्रधानमंत्री जी, यूपीए की चेयरपर्सन साहिबा, सदन, सदन में विपक्ष की नेता और हम सभी को चलाने वाली स्पीकर महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी:

"तूफानों से डरना कैसा, हवा पर चढ़कर वार करो,
अरे मल्लाहों की छोड़ो बातें, तैरकर दरिया पार करो।"

**अपराह्न 12.58 बजे**

**अध्यक्ष महोदया:** अब सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

*तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 2.00 बजे**

*लोक सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई।*

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री टी.आर. बालू** (श्रीपेरूम्बुदूर): सरकार ने सुबह यह कहा था कि विदेश मंत्री सदन में आकर श्रीलंका में मानव अधिकारों के हनन के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में प्रस्तुत किये गये संकल्प के संबंध में भारत के रूख के बारे में स्पष्टीकरण देंगे *...(व्यवधान)*

**अपराह्न 2.02 बजे**

*इस समय, श्री थोल तिरूमावलावन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापिस जाएं।

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न 2.03 बजे**

*इस समय श्री थोल तिरूमावलावन और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।*

*...(व्यवधान)*

**गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** मुझे बताया गया है कि माननीय विदेश मंत्री जी आज शाम या कल सुबह-सुबह दिल्ली वापिस आ जायेंगे। मुझे आशा है कि वह कल सदन में वक्तव्य दे सकेंगे *...(व्यवधान)*

**अपराह्न 2.04 बजे**

*इस समय, श्री पी. कुमार और कुछ अन्य सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापिस जाएं।

*...(व्यवधान)*

**डॉ. एम. तम्बिदुरई** (करूर): कृपया मंत्री जी को आने दें, वे ही वक्तव्य देंगे। हम चाहते हैं कि सरकार इस संबंध में स्पष्ट वक्तव्य दे कि क्या वह मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लिये श्रीलंका की सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये संकल्प का समर्थन करती है या नहीं *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** जब माननीय विदेश मंत्री सदन में आयेंगे तो वह अवश्य ही वक्तव्य देंगे।

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न $2.04^{1}/_{2}$ बजे**

*इस समय श्री पी. कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापिस चले गये।*

---

**अपराह्न 2.05 बजे**

## राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव–*जारी*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** डॉ. शशी थरूर।

**डॉ. शशी थरूर** (तिरुवनंतपुरम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी मित्र और सहयोगी, डॉ. गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं कि राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव की भाषा इस प्रकार होनी चाहिए-कि सत्र में एकत्र हुए लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा 12 मार्च, 2012 को संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में दिए गए अभिभाषण पर हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदयः** इस महीने, वस्तुतः इस महीने के अंत तक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत को क्रय शक्ति की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित कर देगा। यह इसलिए है क्योंकि जापान की 4.3 ट्रिलियन डालर की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था 1.3 ट्रिलियन डालर की है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी मुद्रा के माध्यम से हमारी क्रय शक्ति को देखते हुए, बढ़कर 4.06 ट्रिलियन डालर के बराबर हो गई है और दुर्भाग्यवश, जापान सुनामी, भूकंप और परमाणु त्रासदी आदि के प्रभाव के कारण इस राजकोषीय वर्ष में वृद्धि नहीं कर पाएगा जबकि हमारी अर्थव्यवस्था अत्यधिक निराशाजनक अनुमानों के अनुसार भी 6.9 प्रतिशत की दर से विकसित होगी जिसका यह अर्थ है कि इस वर्ष 31 मार्च को आंकड़े जारी होने के समय भारत औपचारिक रूप से जापान से आगे निकल जाएगा। हमारी सरकार और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। परन्तु इससे संतुष्ट होकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत इससे वर्तमान संप्रग सरकार की भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने की गंभीर और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का संकेत देती है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजना आरंभ करने जा रही है। हम 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली बारहवीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर 9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगा रहे हैं। वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान अंतिम आंकड़े जारी होने पर वस्तुतः हम औसत 8.2 विकास दर प्राप्त कर पाएंगे। अतः, एक सरकार और राष्ट्र के रूप में अपने ट्रैक रिकार्ड को देखने पर हमें गर्व होता है और हम इस दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहते है।

परन्तु हमारी विकास दर चाहे 9 प्रतिशत या 6 प्रतिशत या कुछ और हो हमारा ध्यान मुख्य रूप से हमारे समाज के सबसे निचले स्तर पर रहने वाले 25 प्रतिशत लोगों पर केन्द्रित होना चाहिए और संप्रग सरकार का सबसे मजबूत पक्ष यही है। हम समावेशी विकास करना चाहते हैं। मेरे माननीय सहयोगी पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुके हैं। संप्रग सरकार और इसकी पूर्ववर्ती सरकारों के बीच यही अंतर है कि संप्रग सरकार विकास में विश्वास करती है; यह ऐसे भारत में विश्वास करती है जिसमें सबकी समृद्धि सुनिश्चित हो और यह एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहती है जिसमें सभी को न्याय मिलें।

महोदय, राष्ट्रपति महोदया ने स्वयं अपने अभिभाषण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उल्लेख किया। उन्होंने यह कहा है कि इससे 1100 करोड़ मानव दिवसों के रोजगार का सृजन हुआ है। 'मानव दिवस' अभिव्यक्ति पुरानी हैं। परन्तु अपने मूल जिले में इन अनेक परियोजनाओं का दौरा करने पर मैं आपको यह बता सकता हूं कि उनमें अनेक श्रमिक महिलाएं हैं और संप्रग सरकार द्वारा आरंभ की गई इस योजना से इन महिलाओं का जीवन बदल गया है। मैंने अनेक महिला श्रमिकों से बात की है। उदाहरण के लिए मैं आपको इस संबंध में एक भावपूर्ण किस्सा सुना सकता हूं। एक महिला ने मुझसे यह कहा कि यदि उसे न्यूनतम मजदूरी पर भी 100 दिन कार्य करने का अवसर नहीं मिलता तो उसे अपने विकलांग बच्चे को किसी अनाथालय को गोद हेतु देना पड़ता और उसने कहा कि इस सरकार द्वारा मुझे अपने बच्चे का पालन-पोषण करने हेतु एक अच्छी आजीविका अर्जन करने का अवसर दिए जाने पर ही मैं आज अपने घर पर इस बच्चे का पालन-पोषण कर पा रही हूं।

ये कुछ ऐसे किस्से हैं जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से लाभान्वित हो रहे पुरुष और महिलाओं से बात करने पर, हमें सुनने को मिलते हैं और जैसा कि आप जानते हैं इससे भी बड़ी बात यह है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव आया है। अब हम यह देख सकते हैं कि गांवों में बैंक खाते खोले जा रहे हैं क्योंकि सरकार इस बात पर जोर देती है कि इस योजना हेतु दिहाड़ी का भुगतान सीधे श्रमिक के बैंक खाते में हो न कि किसी बिचौलिए या ठेकेदार के माध्यम से। इसके परिणामस्वरूप देश में गत दो वर्षों में 90 लाख ऐसे लोगों के बैंक खाते खुले हैं जिनको पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग के लाभ के बारे में जानकारी नहीं थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के बदलाव हो रहे हैं क्योंकि मूल विचार नकद धनराशि देने का नहीं है। इसका उद्देश्य हमारे लोगों को अधिकारिता प्रदान करना है। संप्रग सरकार ने कार्य करने का अधिकार उनके कार्य से आय प्राप्त करने का अधिकार और उनके परिवारों की देखभाल करने का अधिकार प्रदान करके देश के आम लोगों के जीवन को बदल दिया है। उपाध्यक्ष महोदय हम प्रतिदिन ऐसे किस्से सुनते है। समावेशी विकास का अर्थ ही है, निर्धन व्यक्ति की अधिकारिता, उनको क्रय शक्ति को मजबूत करना जिससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनेक रूपों में बदलाव आया है और देश को इस प्रकार से आगे बढ़ाना जिसके परिणामस्वरूप हमारे वंचित ग्रामीण लोग खुशहाल रहें।

दूरसंचार के क्षेत्र में भी ऐसी क्रान्ति आई है जैसा कि राष्ट्रपति महोदय ने उल्लेख किया है। इस क्षेत्र में भी अधिकारिता प्रदान की गई है। उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या इसका प्रमाण है। हम पहले से ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार बन चुके हैं। इस संबंध में अमरीका से आगे निकल गए हैं। इस समय, जैसा कि राष्ट्रपति महोदय ने उल्लेख किया है 100 लोगों पर 76 टेलीफोन कनैक्शन हैं। केवल 30 वर्ष पहले जब श्री राजीव गांधी ने सर्वप्रथम देश में संचार क्रान्ति का सूत्रपात किया था उस समय प्रत्येक 300 भारतीय लोगों पर एक टेलीफोन कनैक्शन था। और

वहां से आज यह आंकड़ा 100 भारतीयों पर 76 कनैक्शन का हो गया है। हम ये सब बदलाव लाने में सफल रहे हैं। परन्तु, इस संबंध में दूसरे नंबर पर बने रहना ही काफी नहीं है। इस वर्ष, ऐसा अनुमान है कि भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार बन जाएगा। परन्तु जैसा मैंने कहा है यह अधिकारिता प्रदान करने का मामला है इसमें केवल संख्या को नहीं देखा जाना चाहिए।

आज किन-किन लोगों के पास मोबाइल टेलीफोन हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में मैंने देखा है कि मछुआरे मोबाइल फोन लेकर समुद्र में जाते है। और वे क्या कार्य कर रहे हैं? सरकार जीपीएस प्रणाली के माध्यम से उन्हें बेहतर मछलियां तलाशने में मदद करती है। इसके कारण वे अच्छी मछलियां पकड़ सकते हैं। वे वापस आने पर समुद्र तट के निकट के नगरों के बाजार में मोबाइल फोन से यह पता लगाते हैं कि वे अपनी मछलियों का अच्छा मूल्य कहां पा सकते हैं। केरल की ही बात क्यों करें? भारत में कहीं भी किसान; केवल 10 वर्ष पहले तक आप देखते थे कि किसान फसल के समय अपनी फसल की कटाई करता था, फिर यह पता लगाने के लिए कि क्या बाजार खुला है, क्या वह अभी-अभी काटी गई फसल को बेच सकता है, कितनी कीमत पर बेच सकता है, कितनी प्रतिस्पर्धा है, किसी हिष्ट-पुष्ट पुरुष संबंधी को या शायद 10 वर्ष के बच्चे को भेजता था जो 10-12 किलोमीटर पैदल चलकर नजदीकी बाजार में जाता था। फिर वह छोटा बच्चा कड़ी धूप में 10-12 किलोमीटर पैदल चलकर वापस किसान के पास आता था। फिर वे अपनी गाड़ी भरकर बाजार की ओर चलते थे। आधे दिन की कमर-तोड़ मेहनत अब एक-दो मिनट की फोन कॉल से बच जाती है। संप्रग सरकार इस देश में यही क्रांति लेकर आई है।

हम निचले तबके को शक्तियां प्रदान करने की बात कर रहे हैं। यही समाजवाद की अवधारणा का वास्तविक अर्थ और विषयवस्तु है जिस पर इस सभा में इतने वर्षों से चर्चा चलती आ रही है। हमने वास्तविक परिवर्तन लाना शुरू किया है। वह बदलाव हमारे देश में साधारण लोगों के जीवन में आया है। इसीलिए, राष्ट्रपति ने कहा है कि सरकार 20,000 करोड़ रुपये खर्च करके एक राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तैयार करने जा रही है। यह भी शक्तियां प्रदान करने के बारे में है। यह हमारे गांवों और पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाने के बारे में है। क्योंकि आज गरीबी रेखा पर केवल व्याख्यान देना ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हमें फाइबर ऑप्टिक लाइन को भी समझना पड़ेगा। सच्चाई यह है कि आज हमारी सरकार जो सूचना क्रांति लाई है वह फ्रांसीसी क्रांति जैसी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी आजादी, कुछ भाईचारा है और बराबरी नहीं है। हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बराबरी लाना चाहते हैं। जो अभी जुड़े हुए नहीं है उन्हें जोड़ना चाहते हैं। और इस सरकार के इस कार्य को राष्ट्रपति ने रेखांकित किया है क्योंकि वह चाहती हैं कि यह सभा इसकी पुरजोर समर्थन करें। यह भारत की अनदेखी अवसंरचना, हमारे देश की ग्रामीण अवसंरचना निर्माण का अंश है। यदि आप हरेक पंचायत को सड़क से जोड़ सकते हैं जो हम अभी तक नहीं कर पाए हैं किंतु हम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना सहित अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं; यदि हरेक पंचायत को अच्छी और हर मौसम में टिकाऊ सड़कों से जोड़ने के साथ-साथ हम ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी भी ला सकते हैं, तो हम अपने गांवों को समृद्ध होते देखेंगे क्योंकि आज जो नौकरियां शहरों में ही की जा सकती है, क्योंकि उनके पास इंटरनेट कनेक्शन हैं, वे अब गांवों में भी जा सकेंगी। यदि आपके पास पर्याप्त फाइबर ऑप्टिक केबल और पर्याप्त ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, आप वास्तव में किसी गांव में बैठकर कॉल सेंटर चला सकते हैं।

इसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में आपने ध्यान दिया होगा कि राष्ट्रपति ने कहा है कि हम अपने स्वास्थ्य संबंधी व्यय को अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वह बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा क्योंकि इससे आखिरकार संप्रग सरकार अपने दो कार्यकाल में इस उद्देश्य को सुनिश्चित करेगा कि किसी को भी अपने निवास स्थान से ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र, जिसमें पूरा स्टाफ हो, सभी दवाईयां हों, लोगों की देखभाल के लिए डॉक्टर और नर्से हों, तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर से ज्यादा न चलना पड़े। हम यह लक्ष्य प्राप्त करने वाले हैं। हमने प्रगति की है और परिव्यय में वृद्धि के साथ हम और प्रगति करेंगे।

इसी प्रकार, माननीय राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कतिपय पहचान की गई सरकारी योजनाओं के परिव्यय का 15 प्रतिशत हमारे अल्पसंख्यक समुदायों के विशेषकर वंचित वर्गों पर खर्च किया जाएगा। महात्मा गांधी ने यह सुनिश्चित करने हेतु कि क्या हमारे कार्यक्रम हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों के जीवन पर प्रभाव डाल रहे हैं उन पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इसके साथ ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि गरीबों में सबसे वंचित, निर्धनतम, अल्पसंख्यकों में सबसे कमजोर स्वयं सरकार के कार्यों के लत्रित लाभार्थी हैं। सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंचने की यह कोशिश समावेशी विकास की कुंजी है क्योंकि अधिकारिता केवल उन्हीं लोगों को अधिकार प्रदान करने से नहीं आती जो पहले ही अधिकार हासिल करने की स्थिति में हैं। यह हमारी सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी के निचले पायदान के व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करने से आती है और वहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, जो इस

सभा में आने वाला है और जिसका जिक्र माननीय राष्ट्रपति ने किया है, प्रत्येक भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण आश्वासन लाने जा रहा है कि उसे कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिन्हें रियायती खाद्यान्न की आवश्यकता है उन्हें यह मिले। इस सबसे सच्ची अधिकारिता मिलेगी क्योंकि किसी भूखे व्यक्ति के लिए अधिकार सम्मान व्यक्ति बनाना बहुत कठिन है। एक भूखा व्यक्ति हमारे देश की विकास की सौगातों का लाभ नहीं उठा सकता और इस भूखे व्यक्ति को आज हमारी संप्रग सरकार के प्रयासों और कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा।

निश्चय ही हमारी राष्ट्रीय अवसंरचना की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों से इतर क्षेत्रों में भी है। हमारी आगामी पंचवर्षीय योजना, बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात की आशा है कि हम अपनी अवसंरचना निर्माण करने में लगभग एक ट्रिलियन डॉलर अर्थात् 50 लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगे। यह असामान्य रूप से बड़ा लक्ष्य है। सरकार को जानकारी है कि स्वयं इस धन को नहीं जुटा सकती। इसलिए, ''सरकारी निजी भागीदारी'' शुरू करना इसी दृष्टिकोण का एक भाग है। मैंने आज आपको जो बतों बताई है, यदि हम इस प्रकार के कार्य करके अपनी विश्वसनीयता कायम रख सकते हैं तो निवेशक भी आएंगे और हमारे राष्ट्र के निर्माण में हमारे साथ मिलकर कार्य करेंगे।

2030 के भारत की अस्सी प्रतिशत अवसंरचना का निर्माण अभी होना है और हमें 20 वर्ष आगे के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम उस भारत की कल्पना करना चाहते हैं जिसमें 2030 में हमारे बच्चों को रहना चाहिए तो हमें इसका निर्माण आज ही शुरू करना पड़ेगा। शहंशाह जहांगीर और एक माली की एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें वह माली से एक ऐसा विशेष पौधा लगाने के लिए कहते हैं जो बहारों में बहुत सुंदर फूल दे। माली कहता है: 'जहांपनाह, यह पौधा सौ वर्षों में ही खिलेगा।' शहंशाह जहांगीर ने कहा: 'तब तो तुम्हे आज ही इसे लगाना चाहिए, हमें कल का इंतजार नहीं करना चाहिए।' इस सरकार में हमारा यही दृष्टिकोण है। हम 2030 का भारत पेपर पर ही केवल एक स्वप्न के रूप में ही नहीं बल्कि आज धरातल पर एक शुरुआत के रूप में देखना चाहते हैं।

सच्चाई यह है कि हम चाहते हैं कि भारत की अवसंरचना निर्मित करने में मदद करने वाले इन अवसरों का निजी क्षेत्र भारत और विदेश दोनों जगह लाभ उठाये और उसके लिए मैं इस सभा से आग्रह करता हूं कि विश्व को एक सुस्पष्ट संदेश दें कि भारत निवेश के लिए तैयार है। संप्रग सरकार की अगुवाई में हमने बुनियादी काम कर दिया है, हमने जरूरी काम कर दिया है और हम निवेश आकर्षित करने और अपने देश का विकास करने और ऐसा ढांचा निर्मित करने जिस पर हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माण होगा, के लिए आगे बढ़ने की स्थिति में हैं।

माननीय राष्ट्रपति ने एक अन्य क्षेत्र ऊर्जा पर भी विशेष जोर दिया है। हमें वास्तव में अगले 25 वर्षों में सात गुना वृद्धि करने की जरूरत है। 2009 में जब हम सत्ता में आए थे तब से 2034 तक अर्थात् 25 वर्षों में हम विद्युत उत्पादन में सात गुना बढ़ोत्तरी की आशा करते हैं। उसके लिए भी केवल सरकार की तरफ से संशोधन नहीं ला सकते। निजी क्षेत्र के साथ; देशी और विदेशी निवेशकों के साथ साझेदारी करनी होगी।

हम स्वयं दुनिया के साथ खड़े होने में समर्थ हैं। जैसाकि माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले वर्ष 2011 में हमारा निर्यात 34 प्रतिशत बढ़ गया है जिसका तात्पर्य है कि हम ऐसा माल बनाने में समर्थ हैं जिसे शेष विश्व पसन्द करता है और उसे खरीदना चाहता है। अत: हम अपनी शर्तों पर शेष विश्व के साथ व्यवहार कर रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी शर्तों पर अपनी उन्नति और विकास में उनकी भागीदारी चाहते हैं।

तथ्य यह है कि माननीय राष्ट्रपति ने कल एक नई राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की है। विनिर्माण महत्वपूर्ण है। हमें अपने युवा लोगों को नियोजित करने की जरूरत है। हमें इसका सामना करना होगा। कुछ समय से हम एक संभावित जनसांख्यिकी लाभांश, हमारे देश के लिए बड़े जनसांख्यिकीय लाभ की बात कर रहे हैं। अर्थात् हमारी 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है जिसका अर्थ है कि अगले 30 वर्षों में जब चीन सहित शेष विश्व में वृद्धों की संख्या बढ़ रही है तब हमारे पास युवा, गतिशील, उत्पादक कार्यबल होगा। परन्तु वह कार्यबल तभी मूर्तरूप लेगा और सफल होगा और यहां तक कि संभव होगा जब हम इन मुक लोगों को कार्यबल में शामिल होने से पूर्व शिक्षित बना पाएंगे। हरेक व्यक्ति कॉलेज से ही पढ़कर नहीं अपने कला, जिन्हें पारम्परिक कॉलेज शिक्षा नहीं मिलती हमें उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण कौशल प्रदान करने की जरूरत है। किंतु हमें ऐसा करना चाहिए। मुझे इस बात पर शर्मिंदगी होती है कि पिछली नीतियों के परिणामस्वरूप जिन्हें हम इस सरकार में बदल रहे हैं कि हमारी ऐसी हालत है जहां 1.2 अरब लोगों के देश में हमारे पास राजमिस्त्री की राष्ट्रव्यापी कमी है; कि आप केवल तभी नलसाज या बढ़ई बनते हैं जब आपके पिता नलसाज या बढ़ाई हों और उन्होंने आपको हूनर सिखाया हो। हमारे पास आधिकारिक प्रभावी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के माध्यम से दिया गया कौशल नहीं है और संप्रग सरकार उन्हें स्थापित करने के प्रति कटिबद्ध है ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हमारे युवाओं के पास नई अर्थव्यवस्था, जिसका हम 21वीं सदी के प्रारम्भ में निर्माण कर रहे हैं, के अवसरों का लाभ उठाने के लिए साधन हो। सच्चाई

यह है कि यदि हम इसे ठीक नहीं करते हैं तो विकल्प पर विचार करना बहुत भयानक होगा। यदि हम सभा शैक्षिक सुधारों, जो सरकार ने सभा में पेश किए हैं, को लागू करने में सरकार का समर्थन नहीं करती तो जो व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएं यह सभा में पेश कर रही है, तो विकल्प यह होगा कि जनसांख्यिकीय लाभांश के बजाय हमें जनसांख्यिकी आपदा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यदि इन युवाओं को कार्य करने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा नहीं मिलती तो वे वही करेंगे जो माओवादियों ने हमारे देश के 602 जिलों के 165 जिलों में किया है। वे बंदूक उठायेंगे। क्योंकि वे महसूस करेंगे कि उनकी हमारे समाज के भविष्य में कोई भागीदारी नहीं है और यदि वे इस प्रकार विद्रोह करेंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मैं दुनिया भर में रहने के कारण आपको बता सकता हूं कि दुनिया में किसी भी देश के लिए बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा व्यक्तियों से ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं है। इस सरकार की नीतियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले; वे अपना रोजगार तलाश करने के लिए कुशल बनने हेतु शिक्षित और प्रशिक्षित होंगे और हम अपनी अर्थव्यवस्था का इस प्रकार विकास करेंगे जिससे उनके लिए सार्थक कार्य प्राप्त करना संभव हो सके। इसीलिए, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उल्लेख किया गया था। और इसीलिए हम प्रभावी कार्य के इतने सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमरे मुक लोगों की हमारी अर्थव्यवस्था में भागीदारी होगी जो उन्हें और भारत को वैसा भविष्य प्रदान करेगी जिसके हम सब हकदार हैं।

निश्चय ही हम विनिर्माण से आगे जा रहे हैं और जिस प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षम का जिक्र मैंने किया है उसकी मंशा भारत का ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में विकास करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारी सरकार अनुसंधान और विकास में जो धन लगा रही है हम उसे अपने सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत करेंगे। यह छोटी बात नहीं है। विश्व भर में बहुत कम देश हैं जो अपनी जीडीपी का दो प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। किंतु मुझे याद है कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस में यह घोषणा की थी तो यह असामान्य तौर पर महत्वपूर्ण निर्णय था क्योंकि यह दर्शाता है कि हम संभवत: भारत की सबसे बड़ी सम्पदा का लाभ उठाने जा रहे हैं और वह है हमारी मस्तिष्क। हमारा देश संभवत: बाहुबल से बड़े मस्तिष्क का देश है किंतु हमारे मस्तिष्कों का 21वीं सदी की ज्ञान अर्थव्यवस्था के निर्माण में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

पहले ही जीई या फिलिप्स जैसी विशाल बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने मूल देश के मुख्यालयों से ज्यादा शोधकर्मियों को भारत में नियोजित कर रही हैं। यह उस वातावरण का प्रतिबिम्ब है जो संप्रग सरकार द्वारा बनाया गया है। अनुसंधान के क्षेत्र में हम जो कार्य करते हैं उनके माध्यम से जिस प्रकार का उच्च गुणवत्ता युक्त बौद्धिक हो रहा है वह वास्तव में हमारे देश के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। जब नवाचार भारत से आने वाला प्रमुख विचार बन रहा है और यह उचित कीमत पर उपलब्ध नवाचार है। वस्तुत: यदि आप गूगल पर मित्वययी नवाचार 'फ्रूगल इनोवेशन' अभिव्यक्ति को खोजेंगे तो आप पायेंगे कि प्रथम 20 उत्तर भारत से संबंधित है क्योंकि हमने कम खर्च में अभिन्य परिवर्तन करने, दिखावे में कटौती करने का मार्ग तलाशा है क्योंकि हमारा देश इसका भार नहीं उठा सकता। और इसीलिए, हम ऐसा देश बन गए हैं जिसने विदेशों की 1/20 लागत वाली दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन का आविष्कार किया है। ऐसा देश जिसने आखिरकार दुनिया का सबसे सस्ता आटोमोबाइल, नैनो कार का उत्पादन किया है। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री ने हाल ही में 'आकाश' नामक टैबेलट बनाया है जो कई मायने में आई पैड की तरह है और जिस आई पैड को आप सब जानते हैं उसकी कीमत बाजार में 40,000 रुपये या 50,000 रुपये है परन्तु कुछ मायनो में यह आई पैड से बेहतर है क्योंकि इसमें दो यूएसबी पोर्ट्स हैं। इसे केवल दो वोल्ट की बैटरी, आमन और लीथियम बैटरी की जरूरत होती है जिसे सौर ऊर्जा के प्रयोग से चार्ज किया जा सकता है क्योंकि हम इस टैबलेट का उपयोग ऐसे स्थानों पर करना चाहते हैं जहां विद्युत आपूर्ति नियमित न हो। यह नया गजट भारत में किस कीमत पर तैयार किया गया है? यह 50 डॉलर से कम है। वास्तव में, सरकार छात्रों के लिए इस पर रियायत देने जा रही है, और किसी गांव के भारतीय छात्र को यह टैबलेट 25 डॉलर में मिल सकेगा। इसलिए, लगभग एक हजार से थोड़ा अधिक रुपया किसी साधारण गरीब भारतीय ग्रामीण छात्र को शानदार आई-पैड से मुकाबला करने वाला उपकरण देगा।

इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। इसलिए, जब मुझे टोरंटो विश्वविद्यालय द्वारा इंडिया इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बाहरी दुनिया हमारे नवीन कार्यो पर ध्यान दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अब बजवर्ड है 'इनोवेशन', इंडियन इनोवेशन।

यह सब संप्रग सरकार द्वारा तैयार किए गए अनुकूल माहौल के कारण संभव हो सका है और मेरा मानना है कि हमें इस सभा में इसकी प्रशंसा करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत की शक्ति विशेष रूप से मंदी के दौर में पूरे विश्व को सेवाएं प्रदान करने में है। मेरी माननीय सहयोगी डॉ. गिरिजा व्यास ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि हमने किस प्रकार मंदी का सामना किया है। वस्तु स्थिति यह है कि

मंदी के दौरान यद्यपि, हमारे वाणिज्यिक निर्यात में कमी आई, तथापि, हमारे सेवा निर्यात में वृद्धि हुई और भारत में सेवा व्यवसाय को सुदृढ़ बनाए जाने के कारण वैश्विक मंदी के दौरान भी इसमें वृद्धि हुई। अमरीका के अत्यधिक प्रतिष्ठित अस्पतालों में भारतीय रेडियोलाजिस्टक एमआरआई का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे पास मेडिकल ट्रांसमिशन सेवाएं हैं जिसके परिणामस्वरूप पश्चिमी देशों में डाक्टर रात्रि के दौरान मशीन में मेडिकल नोट लिखवा सकते हैं। रात्रि में जब वे सोने चले जाते हैं तब ये प्रतिलेख रिकार्ड किए जाते हैं और दिन में भारत में उनके प्रतिलेख तैयार किए जाते हैं। अगले दिन उसके प्रतिलेख उन्हें वापस मिल जाते हैं। भारत वर्तमान में इस प्रकार की सेवाएं दे रहा है जो कोई अन्य देश नहीं पा सकता। हमारे युवा अधिवक्ता अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के लिए मसौदा तैयार कर रहे हैं। ये ऐसे बदलाव है जिनके बारे में इस सभा को संभवत: अधिक जानकारी नहीं होगी। परन्तु, यह सेवा क्षेत्र में आई क्रान्ति का एक भाग है जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

आतिथ्य सत्कार के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि पर्यटन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लोगों को यह मानना चाहिए कि पर्यटन वस्तुत: उद्योग जगत से अधिक रोजगार का सृजन करता है; और यह तुलनात्मक रूप से अकुशल और अर्ध-कुशल युवाओं के लिए रोजगार पैदा करता है जिनके पास होटल में कार्य करने के अलावा कोई अन्य कार्य करने की योग्यता नहीं होती, जो कि बैरेइ का कार्य कर सकते है, कुक की सहायता कर सकते है और कार्य करते हुए अनुभव प्राप्त कर सकते है। पर्यटन हमारे लिए विकास प्राथमिकता है। यह केवल 5 सितारा होटलों में विदेशियों के आराम और सुविधा का ही मामला नहीं है। हम पर्यटन को बढ़ावा देकर निर्धन भारतीयों की सहायता करते है; और हमारी सरकार यह कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने अगले पांच वर्षों के दौरान पर्यटन क्षेत्र में 12 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य का उल्लेख किया है और उपाध्यक्ष महोदय मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 21वीं सदी की मांगों और आवश्यकताओं को पूरा करने में यह सरकार द्वारा सजगता से उठाए जा रहे कदमों को स्पष्ट करता है।

महोदय, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उल्लेख किया गया है। हम यह जानते हैं कि सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसे इस समय रोक दिया गया है। परन्तु, वास्तविकता यह है कि आज के वैश्विक परिवेश में हमारे देश में कुल मिलाकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कमी आई है। गत राजकोषीय वर्ष में केवल 19 बिलयन डालर का निवेश हुआ है। परन्तु, मैं आपको इस स्थिति का दूसरा पहलू भी दिखाना चाहता हूं। अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा में वैश्विक मंदी के प्रत्येक वर्ष के दौरान वृद्धि हुई है। 2008-2009 में आरंभ हुई मंदी के दौरान अनिवासी भारतीयों ने 46.4 बिलियन डालर देश में भेजे। अगले वर्ष, उन्होंने 55.75 बिलियन डालर भेजे। तीसरे वर्ष अर्थात् गत वर्ष उन्होंने 57.6 बिलियन डालर भारत भेजे। अत: विदेशों में रहने वाले भारतीय भारत और संप्रग सरकार के कार्यो में विश्वास करते हैं; उन्हें विश्वास है कि उनकी धनराशि को इस देश में उचित कार्यो में लगाया जाएगा; मैं चाहता हूं कि यह सभा विश्व को यही संदेश दे। यदि हमारे प्रवासी भारतीय जो कि संभवत: हमारे देश में विश्वास रखते है; यदि वे जो कि अधिकांशत: मेरे जिले जैसे स्थानों से खाड़ी देशों में कठोर परिश्रम करने वाले लोग भारत में धनराशि भेज सकते हैं तो इस सभा को संप्रग सरकार के आर्थिक प्रबंधन में पूर्ण विश्वास दर्शाना चाहिए और पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहिए कि हमारे देश में निवेश करें। हम आपकी धनराशि का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इन अनिवासी भारतीयों की थोड़ी सराहना भी करना चाहता हूं। वर्षों पहले मैंने अपनी एक पुस्तक में यह लिखा था, मैंने एक प्रश्न पूछा था: "क्या एनआरआई का अर्थ 'नोट रियली इंडियन' (वास्तव में भारतीय नहीं) या 'नेवर रेलिनक्विश्ड इंडिया' (जिन्होंने भारत को कभी नहीं छोड़ा) होना चाहिए, क्योंकि हमारे एनआरआई में कुछ सीमा तक ये दोनों बातें शामिल हैं। वे हमारे देश से दूर जरूर चले गए हैं पर हमसे दूर नहीं गए हैं। कई मामलों में लोगों ने भारत नहीं छोड़ा है। आज हम एनआरआई द्वारा भेजी जा रही धनराशि को देखते हुए इसमें यह बात भी जोड़ सकते हैं कि हमारे देश के एनआरआई 'नाउ रिक्वायर्ड इंडियंस' भी है। हमें उनकी आवश्यकता है।

**श्री हरिन पाठक** (अहमदाबाद पूर्व): कृपया, वित्त मंत्री को उन्हें राहत देने की सलाह दें।

**डॉ. शशी थरूर:** क्योंकि, मैं अब एनआरआई नहीं हूं इसलिए, मैं अब हमारे देश के प्रति उनके समर्पण और उनकी देशभक्ति की निष्पक्ष रूप से प्रशंसा कर सकता हूं।

मेरे माननीय सहयोगी ने हमारे लोकतंत्र की ताकत का भी उल्लेख किया जिसके संबंध में मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने पूरी वचनबद्धता के साथ लोकतंत्र की रक्षा की है। संप्रग सरकार भारत की विविधता के लिए प्रतिबद्ध है। हम भारतीयता की संकीर्ण परिभाषा, कट्टर परिभाषा को स्वीकार नहीं करते। हम एक ऐसी भूमि पर रहते हैं, हम संप्रग सरकार में विश्वास रखते हैं, जो कि उन सबकी है जिन्होंने हमारी सभ्यता के निर्माण में सहयोग किया है और जिन्होंने हजारों वर्षों में वर्तमान भारत को तैयार करने में अपना सहयोग दिया है। हमारी संप्रग सरकार की यह भूमिका सरकार की सुविचारित नीति के माध्यम से कायम है। हमारे देश की विविधता इस गहन विचारधारा पर आधारित है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि विविधता पूर्ण है परन्तु यह देश जाति, पंथ, रंग, संस्कृति, भाषा, विश्वास, वेश-

भूषा और परंपरा की विविधताओं का सामना कर सकता है क्योंकि इन सबके बावजूद हम एक सर्वसम्मति बना सकते है और वह सर्वसम्मति, उपाध्यक्ष महोदय एक सामान्य सिद्धांत पर आधारित होती है कि हमारे जैसे समृद्ध और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में आपको सदैव किसी बात पर सहमत होने की आवश्यकता नहीं है यदि आप असहमति व्यक्त करने के मूलभूत नियमों पर सहमत होते हैं।

हमने अपने देश में राजनैतिक मतभेद देखे हैं। हमने मतभेदों का मतदान के माध्यम से समाधान किया है और हमारी संप्रग सरकार ने विजय और पराजय दोनों को स्वाभाविक रूप से लिया है क्योंकि हम इस बात में विश्वास करते हैं कि लोकतंत्र ऐसे ही कार्य करता है। इसी भावना से हम विपक्ष में बैठे अपने मित्रों से यह कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में सम्मानपूर्वक तरीके से तर्क और बहस को सुना जाता है और उसके प्रत्युत्तर में तर्क दिए जाते हैं और इसमें सम्माननीय सभा की कार्यवाही में व्यवधान पैदा करने के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हम सभी को एक साथ मिलकर इस सभा को एक ऐसा मंच बनाना चाहिए जहां हम प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की प्रतिक्रिया स्वरूप आने वाली टिप्पणियों सहित नीतियों पर वस्तुत: चर्चा कर सकें। हम सभी सार्थक रूप से यह देखें कि भारत को किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि अंत में इस सभा के प्रत्येक सदस्य का यही उद्देश्य होता है कि एक ऐसे भारत का निर्माण किया जाए जिस पर हमें गर्व हो।

यह दुर्भाग्य की बात है कि आतंकवाद के मुद्दे पर राजनैतिक मतभेद है। हमारे माननीय गृह मंत्री ने आज यह कहा है कि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जो कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी मतभेदों से परे है। हमें इन समस्याओं का समाधान करना है। और मैं, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, सभी राज्य सरकारों से परामर्श किया जायेगा, के नतीजो का पूर्व मूल्यांकन नहीं करना चाहता किंतु राष्ट्रपति महोदया के इस कथन को प्रकाश में लाना चाहता हूं कि यूपीए सरकार ने वर्ष 2011 में 18 आतंकवादी संगठनों को नष्ट किया।

हम सदैव बुरी खबरों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। जब भी मुम्बई बाजार में कोई धमाका होता है, हमारा सारा ध्यान उसी पर केन्द्रित रहता है, हमारे टीवी चैनलों की मुख्य खबरें वही होती हैं किंतु हमारी प्रभावशाली कार्यनीतियों के कारण कितने आतंकवादी धमाकों को होने से रोक लिया गया है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। ध्यान आकर्षित करने के लिये शोर मचाना जरूरी हो जाता है किंतु जब भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों के सम्मुख यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि 2011 में 18 आतंकवादी हमलों को नाकामयाब किया गया तो इसका श्रेय सरकार को ही जाती है और मैं इस सभा से अपील करता हूं इसका श्रेय सरकार को ही दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय के प्रति सचेत हूं। चूंकि राष्ट्रपति जी ने विदेश नीति का मामला भी उठाया है अत: मैं संक्षेप में इसके बारे में भी बोलना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चल रही यूपीए सरकार को हाथों में हमारे राष्ट्र के वाह्य हित प्रभावपूर्ण ढंग से संरक्षित है और पूरे विश्व में इसकी सराहना की गई है। हमें अपने निकटतम पड़ोसी पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके साथ निर्वाह करना कठिन है। सीमापार से हमारे देश के लिये अनेक चुनौतियां हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने किया भी है, कि हम यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दें कि हमारे पड़ोसी देश में अमन और शांति बनी रहे ताकि वहां की घटनाएं हमारे देश को प्रभावित न कर पायें।

इसके अतिरिक्त हम पिछले डेढ़ साल से संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमने उस अनुभव का लाभ उठाया है और वैश्विक मंच पर स्वयं को एक उत्तरदायी और उभरती हुई शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। आज हमें गर्व है कि विश्व के सभी देशों में भारत का एक सम्मानजनक स्थान है और विशेष रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसे नेता है जिन्हें पूरे विश्व में आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।

टाइम्स पत्रिका द्वारा विश्व के नेताओं के संबंध में कराए गए एक पोल के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हें पूरे विश्व में आदर और सम्मान प्राप्त है। जब अमरीका के राष्ट्रपति ओबामा से पूछा गया कि विश्व के नेताओं का वह सबसे अधिक सम्मान करते हैं तो उनमें सबसे पहला नाम भारत के प्रधानमंत्री का था। ये ऐसे विषय है जो दलगत राजनीति से अलग है और जिन पर सभी भारतवासियों को गर्व अनुभव करना चाहिये क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री सदन के दूसरी तरफ बैठे हुए सदस्यों के भी प्रधानमंत्री हैं। किंतु हम इस बात पर भी बल देते हैं कि हमें केवल सम्मान की ही चाह नहीं है, बल्कि हम प्रभावपूर्ण ढंग से भारत के राष्ट्रीय हितों और भारत के लोगों, वे विश्व में जहां कहीं भी हों, के हितों की सुरक्षा के लिये भी कटिबद्ध हैं। इसीलिये जैसा कि राष्ट्रपति जी ने उल्लेख किया लीबिया में गृह युद्ध के दौरान, हमने प्रभावी तरीके से 'ऑपरेशन सेफ होमकमिंग' के तहत वहां रह रहे 1600 भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस पहुंचाया। यूपीए सरकार इसी प्रकार से भारतवासियों के हितों की रक्षा करती रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब अपना भाषण ही समाप्त करने वाला हूं। हमने सदैव यह स्वीकार किया है कि अभी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान करना है। इस सरकार ने ऐसा कभी

नहीं कहा कि सब कुछ ठीक है। हम जानते हैं कि चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में बाल कुपोषण पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि देश में अभी भी कुछ मामलों के संबंध में हमारा सिर शर्म से झुक जाता है और बाल कुपोषण उनमें से एक है।

हमारे देश में, हम रेत में सिर नहीं छुपा सकते। देश में बहुत सी गंभीर समस्याएं जिनका समाधान किये जाने की आवश्यकता है। एक दो साल पहले जब सदन की दूसरी ओर बैठे कुछ सदस्यों ने भारत को सुपर पावर बताया तो मैंने कहा था कि जब तक हम सुपर पुअर हैं, तब तक सुपर पावर नहीं बन सकते। मेरे इस कथन पर मेरी आलोचना भी की गई थी। मेरा वह कथन चाहे उचित नहीं था किंतु यह सत्य है। यूपीए सरकार हमारे देश के लाखों गरीब लोगों को निर्धनता से उबारने के लिये प्रतिबद्ध हैं। हम हर वर्ष यह कार्य कर रहे हैं। जब से यह सरकार अस्तित्व में आई है, हम हर वर्ष में से लगभग 1% लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा रहे हैं। पिछले वर्ष हमने 0.78% लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। किंतु यदि हम योजना आयोग के आंकड़ों को देखें तो हमारी सरकार के कार्यकाल में लगभग 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अब गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। यह कुछ धीमी गति से हो रहा है। काफी कुछ और किये जाने की आवश्यकता है। किंतु हम चीन की तरह नहीं है। चीन ने ताबड़तोड़ ढंग से प्रगति की है। इस ढंग और तीव्रता से प्रगति करने पर कुछ न कुछ तो विपरीत होती ही है। हम भारत में ऐसा नहीं करते। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में हम अपने लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यूपीए सरकार काम कर रही है-यदि मैं कम्प्यूटर की भाषा में कहूं तो विकास के हार्डवेयर और साफ्टवेयर दोनों पक्षों पर सरकार कार्य कर रही है। हार्डवेयर अर्थात् जैसा कि आपने राष्ट्रपति जी के भाषण में नोट किया होगा-सरकार ने सड़कों, हवाईअड्डों, रेल विकास तथा अवसंरचनात्मक विकास को अनदेखा नहीं किया है और साथ ही साफ्टवेयर विकास अर्थात् मानव पूंजी जिसपर हमारा पूरा देश निर्भर करता है अर्थात् भारत के गरीब लोगों के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया है। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि ऐसे लोगों को तीनों समय भरपेट भोजन मिले, वे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, एक अच्छे सरकारी स्कूल में जहां शिक्षक वास्तव में आते हों और पढ़ाते भी हों; वे एक अच्छा रोजगार पाने की आशा कर सकें; अपनी अर्थव्यवस्था में हम रोजगार के जिन अवसरों का सृजन करते हैं, हम उन्हें उन अवसरों को ग्रहण करने के लिये प्रशिक्षित और योग्य बना सकें ताकि उनका और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। यही उद्देश्य है इस सरकार का। हमें ज्ञात है कि आज के भारत का विकास युवाओं के बीच हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है-हमारी 65% जनसंख्या 35 वर्ष से नीचे के आयु वर्ग में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ढाई वर्ष पूर्व केन्द्रीय कक्ष में कांग्रेस के नव निर्वाचित संसद सदस्यों को सम्बोधित करते हुए हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था क हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि युवा मतदाताओं से हमें बहुत सहयोग मिला है। उन्होंने यह भी कहा था कि हमें युवाओं की अधीरता और व्यग्रता का सम्मान करना चाहिये। उनकी अधीरता और व्यग्रता के प्रति यूपीए सरकार का पूरा ध्यान है। परिवर्तन लाने के लिये वे अधीर हैं, व्यग्र हैं। यह उनका अधिकार है। उनका अधिकार है कि वे देश की प्रगति देखें और हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम उन्हें यह अवसर प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, यूपीए सरकार ने देश के भविष्य का एक सपना संजोया है और हम उसी सपने को साकार करने के लिये परिवर्तन लाने के लिये प्रयासरत हैं। यह एक ऐसा सपना है जिसे सदन के दूसरी तरफ बैठे सदस्यों के मुख से कभी नहीं सुना गया। और मुझे नहीं लगता कि मध्याह्न भोजन के पश्चात् होने वाले वाद-विवाद में भी उनकी तरफ से ऐसा हम सुन पायेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक विज़न है जो इस देश में 1.2 बिलियन लोगों को 21वीं शताब्दी के विश्व के सामने लाने की हिम्मत करता है और ऐसा करके 600 मिलियन भारतीय ग्रामीणों को 'ग्लोबल विलेज' से जोड़कर 600 मिलियन गरीब भारतीयों को 21वीं शताब्दी में ले जाता है।

ये कुछ मुख्य चुनौतियां हैं किंतु यह हमारे जैसे देश की महत्वपूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा है। हम संप्रग में ऐसा एक खुले समाज, एक लोकतांत्रिक समाज में कर रहे हैं जहां हमारी नीतियों को चुनाव और गलियों में चुनौतियां मिलेगी। हम ऐसे एक समृद्ध, विविध और बहुविधा समाज में कर रहे हैं किंतु हमारे विचार से उसे इसमें निहित विचारों और रुचि के संघर्ष के प्रति सजग रहना चाहिए और बाहरी संसार की कुशलता अथवा उसके परिणाम से घबराना नहीं चाहिए और उसमें भारतीयों की रचनात्मक ऊर्जा का मुक्त रखने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

राष्ट्रपति ने कल दिए गए अपने भाषण में ऐसे भारत के बारे में ही कहा था। ऐसा भारत विकसित हुआ है और विकास करेगा। ऐसा भारत ही 21वीं शताब्दी में अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार है। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दे।

धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रस्ताव यह है:

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 12 मार्च, 2012 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।"

*[हिन्दी]*

**श्री राजनाथ सिंह** (गाजियाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि हेल्दी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में एक स्वस्थ परंपरा है कि जब भी दोनों सदनों का सत्र नये वर्ष में प्रारंभ होता है तो उसको महामहिम राष्ट्रपति सम्बोधित करते हैं। उसके बाद संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर महामहिम राष्ट्रपति के प्रति आभार प्रकट करने के लिए एक चर्चा होती है, चाहे वह राज्य सभा हो अथवा लोक सभा हो, वह उसे सर्वसम्मति से पारित करती है और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने का काम करती है। मैं यह मानता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव हो अथवा कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव या विषय हो, जब कोई चर्चा हो तो अपेक्षा यह की जाती है कि उसमें कुछ ऐसे सुझाव आएंगे कि चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों किसी न किसी राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर एक आम सहमति बनाने का काम करेंगे और जब किसी मुद्दे पर आम सहमति बन जाती है तो स्वाभाविक है कि सरकार को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने में सुविधा रहती है। इसके पहले भी कई चर्चाएं हुई हैं। मैं उन सारे इनस्टान्सेज़ की चर्चा यहां नहीं करना चाहूंगा, जब विपक्ष ने भी सुझाव दिए हैं और सत्ता पक्ष ने उसे माना है। सत्ता पक्ष को उसका लाभ मिला है और देश को भी उसका लाभ मिला है।

विपक्ष का जहां तक प्रश्न है, विपक्ष के लोग आज भी रचनात्मक सहयोग सरकार को करना चाहते हैं, विशेष रूप से जो राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए सवाल हैं। लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि पता नहीं आज इस गवर्नमेंट की कैसी मानसिकता बन गई है कि विपक्ष यदि रचनात्मक सहयोग देना चाहता है, राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए सवालों पर, फिर भी यह सरकार वह सहयोग लेने के लिए तैयार नहीं है। विपक्षी दलों की बात छोड़ दीजिए। मैं तो यह मानता हूं कि इस सरकार के जो सहयोगी दल हैं, उनके भी जो सुझाव हैं, वे इस सरकार को रास नहीं आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें देखने को मिलती है। मैं उदाहरण यहां देना चाहता हूं।

भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। हम सब भी जानते हैं कि इसका स्वरूप फैडरल है। फैडरल स्ट्रक्चर को ही हम लोगों ने भारत के संविधान में स्वीकार किया है और हमारे भारतीय संविधान की यह एक प्रकार की शोभा है। सरकार द्वारा अपनी तरफ से यह प्रयत्न करना चाहिए ताकि केन्द्र और राज्यों के बीच परस्पर सहयोग बना रहे। केवल बना ही न रहे, बल्कि केन्द्र और राज्यों के बीच यह परस्पर सहयोग निरंतर आगे बढ़ता रहे, मजूबत होता रहे। लेकिन हालात कुछ विपरीत दिखाई देते हैं। इस सरकार का तो रवैया यह हो गया है कि केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोग होने की बजाय एक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पैदा हो गई है, एक कन्फन्ट्रेशन की स्थिति पैदा हो गई है। हाल ही में एनसीटीसी के गठन का फैसला इस सरकार ने किया। आपको भी जानकारी है उपाध्यक्ष महोदय कि हमारे देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध किया और कहा कि बिना राज्य सरकारों को विश्वास में लिए यह कदम केन्द्र सरकार द्वारा उठाया गया है।

मैं मानता हूं कि जब यह विरोध मुख्यमंत्रियों द्वारा हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यह आश्वस्त किया कि हम निश्चित रूप से सभी राज्यों का सहयोग लेंगे, उनसे विचार-विमर्श करेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था। उनके अभिभाषण में भी इस बात का उल्लेख था कि यह सरकार एन.सी.टी.सी. का गठन करेगी। इसकी क्या जरूरत थी? जब तक कि सारे राज्यों को विश्वास में न ले लिया जाता तब तक राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही इस एन.सी.टी.सी. के गठन का उल्लेख करने का क्या औचित्य था? मैं तो यह मानता हूं कि यह सरकार आतंकवाद के संकट से इस देश को निजात दिलाने के लिए जितनी गंभीर होनी चाहिए अथवा जितना गंभीर प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, वैसा गंभीर प्रयास इस सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है।

मैं आपको वर्ष 2004 के लोक सभा चुनाव की याद दिलाना चाहता हूं। पोटा एक एंटी टेरर लॉ था। उस पोटा को मुद्दा बनाकर इस कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। उस समय जो भी अलायंस था, उन लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। सरकार बनने के बाद इन्होंने पहला काम किया था कि एक जो सशक्त और प्रभावी एंटी टेरर लॉ, जिसे पोटा के नाम से जानते हैं, उसे समाप्त कर दिया। यहां तक कि इस देश के कई राज्य, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात ने भी एक एंटी टेरर लॉ बनाया। उस एंटी टेरर लॉ को भारत सरकार के द्वारा जो मंजूरी मिलनी चाहिए थी, वह आज तक नहीं मिल पायी है। मैं कैसे मानूं कि आतंकवाद के संकट से इस देश को निजात दिलाने के लिए यह सरकार गंभीर है? इसी संसद के ऊपर वर्ष 2001 में जो हमला हुआ और उस हमले के पीछे जो सबसे बड़ा षडयंत्रकारी था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सजा भी सुनाई। लेकिन, आज तक वह सजा क्रियान्वित नहीं हुई। कैसे हम इस बात को मान लें कि आतंकवाद के संकट से निजात दिलाने के प्रति यह सरकार पूरी तरह से गंभीर है?

इतना ही नहीं, मुझे तकलीफ तब ज्यादा होती है जब मैं यह देखता हूं कि सत्ता पक्ष के जो प्रमुख लोग हैं, वे लोग सरेआम खड़े होकर बाटला हाउस कांड की चर्चा करते हैं और मोहन चंद शर्मा जैसे इंस्पेक्टर, जो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत का माखौल उड़ाने की भी कोशिश करते हैं। कभी-कभी इस सरकार के मंत्री द्वारा कहा जाता है कि बाटला हाउस की सीडी देखने के बाद हमारी पार्टी के अध्यक्ष की आंखों में आंसू आ गए। मैं यह अपेक्षा कर रहा था कि कम से कम इस सत्ता पक्ष का जो सबसे बड़ा दल है, उसके किसी-न-किसी प्रमुख व्यक्ति अथवा प्रवक्ता द्वारा निश्चित रूप से इसका खंडन आएगा या स्पष्टीकरण आएगा और बताया जाएगा कि यदि इस दल के प्रमुख नेता की आंखों में आंसू आ गए अथवा वह बहुत ज्यादा भावुक हो गयीं तो ऐसा किस कारण हुआ। क्या उन आतंकवादियों की लाशों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आए या मोहन चंद शर्मा, जो इस वारदात में आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए, उनके शव को देखकर उनकी आंखों में आंसू आए? पर, इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। मैं समझता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यह सरकार इसके बहाने केवल राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने के किसी-न-किसी माध्यम अथवा किसी-न-किसी उपकरण की बराबर तलाश करती रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, एन.सी.टी.सी. के मामले में मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को सभी राज्यों को विश्वास में लेकर ही यह कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जहां तक आतंकवाद से लड़ने का प्रश्न है, विपक्ष पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। हम लोग तहेदिल से चाहते हैं कि भारत को आतंकवाद के संकट से निजात मिलनी चाहिए। लेकिन, आतंकवाद के संकट से यदि हम निजात पाना चाहते हैं तो सरकार के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमको कहीं-न-कहीं उस दृढ़ इच्छा शक्ति में कमी दिखाई देती है और आतंकवाद से लड़ने के लिए जितना इफेक्टिव नेटवर्क होना चाहिए, उतना इफेक्टिव नेटवर्क आज तक हमारे पास नहीं है। यह मैं महसूस करता हूं।

अभी आपने देखा है कि हाल में ही एक बहुत बड़ी घटना हो गयी। नई दिल्ली का जो हाई सिक्युरिटी जोन है, उसमें हमारा मित्र देश इस्रायल का दूतावास स्थित है। एक आतंकवादी वारदात में इस्रायली दूतावास के तीन या चार लोग घायल हुए। कैसे मैं मान लूं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए, आतंकवाद की चुनौती की स्वीकार करने के लिए जिस प्रकार की भारत सरकार की तैयारी चाहिए, वह तैयारी भारत सरकार की है? संसद के दोनों सदनों में और संसद के बाहर भी सरकार के लोगों के द्वारा आश्वासन तो बराबर दिए जाते हैं लेकिन, सचमुच उसका परिणाम बाहर देखने को हम सबको नहीं मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है कि वर्ष 2011 में 18 स्लीपर मॉड्यूल्स को नष्ट किया या। मात्र 18 स्लीपर मॉड्यूल्स को नष्ट करने से इस देश को आतंकवाद के संकट से निजात नहीं मिलेगी। तरह-तरह की खबरें आती हैं कि हमारे देश में इस समय 700, 900 या 1000 की संख्या में स्लीपर मॉड्यूल्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। क्या जो 18 स्लीपर मॉड्यूल्स हमने समाप्त कर दिया, उसके बाद हम संतोष कर सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि कितने स्लीपर मॉड्यूल्स इधर हाल में बढ़े हैं, उसकी भी जानकारी देश के लोगों को होनी चाहिए। आपने एनसीटीसी का कदम उठाया, लेकिन इनके माध्यम से राज्य के अधिकारियों में आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं। केवल एनसीटीसी तक ही यह सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इसमें भी राज्य सरकारों को जो विश्वास में लेना चाहिए, आपने नहीं लिया। इस प्रोटेक्शन फोर्स को आप पुलिस पावर दे रहे हैं, जबकि यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही ऐसे ही पहले भी आपने प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वॉयलेंस बिल बिना राज्य सरकारों को विश्वास में लिए ला दिया। आपने बिना राज्य सरकारों को विश्वास में लिए एफडीआई के बारे में फैसला कर लिया। आपने देखा कि आपके एक सहयोगी दल का ही विरोध आपको किस हद तक झेलना पड़ा है। सरकार के इस रवैये और रूख को मैं कंडम करता हूं और सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार की तरफ से यह पूरी तरह से आगे प्रयास किया जाएगा ताकि राज्य और केन्द्र के बीच परस्पर सहयोग निरंतर आगे बढ़ता रहे। दूसरी तरफ कुछ राज्य सरकारों ने अपनी विधान सभा में कुछ बिल पारित किए हैं, उन्हें केन्द्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा है। वर्षों से वे सारे बिल पैंडिंग पड़े हुए हैं। उस पर जो सरकार की मंजूरी मिलनी चाहिए, वह मंजूरी आज तक नहीं मिल पाई। मैं कुछ ऐसे बिल, जो राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र के पास भेजे गए हैं, उनका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं। एक, गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल, 2003 से पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक इस बिल को मंजूरी प्राप्त नहीं हुई। दूसरा, गुजरात लोकल ऑथोरिटीस अमेंडमेंट बिल, 2009 से पड़ा हुआ है, आज तक इस बिल को भी मंजूरी नहीं मिल पाई। कच्छ बॉम्बे इनामी एरिया बिल 2011 को भी आज तक मंजूरी नहीं मिल पाई। जब कि इसमें वहां के जो भूमिहीन लोग हैं, उनके हितों को ध्यान में रख कर यह संशोधन बिल वहां की विधान सभा के द्वारा पारित किया गया है। 1958 में बने इस कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत भूमिहीन मजदूरों के नाम पर कच्छ क्षेत्र में भूमि का जो घोटाला होता है, उसे रोका जा सके। वैसे ही गुजरात विधान सभा के कई

ऐसे बिल हैं। जैसे गुजरात टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड लॉ अमेंडमेंट बिल, 2011 गुजरात लैंड फ्रेगमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन बिल और गुजरात एजुकेशन इंस्टीट्यूट सर्विसेज बिल 2006 जिन्हें आज तक भारत सरकार के द्वारा मंजूरी नहीं मिली।

इतना ही नहीं, मैं बिहार का भी उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बिल, 2001 के प्रारम्भ में वहां की विधान सभा में पारित करके भारत सरकार को भेजा है, वर्ष 2011 गुजर गया, 2012 प्रारम्भ हो गया, लेकिन आज तक उसे मंजूरी नहीं मिली। बिहार यूनिवर्सिटी ट्रिब्यूनल बिल को क्यों नहीं मंजूरी मिली? वैसे ही बिहार स्टेट टीचर एंड एम्प्लाइज़ डिसप्यूट रिड्रेसल ट्रिब्युनल बिल भी पड़ा हुआ है, एक साल से अधिक का समय हो गया है। कई ऐसे बिल हैं। पटना यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, 2010 से पड़ा हुआ है, उसे आज तक केन्द्र सरकार की मंजूरी नहीं मिल पाई है। ऐसे ही हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टीविटीज एंड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेज्ड क्राइम बिल मार्च 2010 में अपनी विधान सभा में पारित करके भेजा, लेकिन आज तक इस सरकार ने उसे अपनी मंजूरी देने का काम नहीं किया है। ऐसे ही गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश है, जितने भी बिल हैं, केन्द्र सरकार की

*[अनुवाद]*

इसे लम्बित रखें,

*[हिन्दी]*

पॉलिसी के शिकार हुए हैं। हम यह कैसे मान लें कि राज्यों की भावनाओं का सम्मान केन्द्र के द्वारा जो किया जाना चाहिए, जिस बिल को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, यह सरकार उनका सम्मान करती ही नहीं। इस सरकार को क्या कठिनाई है? यह बात हमारी समझ के परे है।

एक विशेष मुद्दा जो कि तेलंगाना राज्य का उठा है, मैं उसकी भी यहां चर्चा करना चाहूंगा कि कुछ रीजनल एस्पेरेशंस होती हैं, उस क्षेत्र के लोग जो होते हैं, उनकी भी कुछ अपनी भावनाएं और आकांक्षायें होती हैं। सारा देश जानता है कि तेलंगाना राज्य का निर्माण होना चाहिए। इस विषय को लेकर तेलंगाना का पूरा का पूरा क्षेत्र आंदोलित है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, जब महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण मैंने देखा, तेलंगाना का कहीं पर कोई उल्लेख अभिभाषण में किया ही नहीं गया है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे और प्रधानमंत्री जी से कि तेलंगाना राज्य के संबंध में आपने जो एक कमेटी बनायी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। कृपया तेलंगाना राज्य के गठन पर तुरंत प्रभावी कदम उठाएं। भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरी तरह से सहयोग करेगी।

तेलंगाना के संबंध में जानकारी यह भी मिली है कि सरकार एक ऑटोनामस काउंसिल बनाने के बारे में विचार कर रही है, मतलब स्टेट विदइन ए स्टेट, इस मॉडल को सरकार अपनाना चाहती है। लेकिन मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों की जो डेवलपमेंट की एक एस्पेरेशन है, उससे उनकी डेवलपमेंट की वह एस्पेरेशन पूरी नहीं हो पाएगी।

अब मैं आता हूं नार्थ-ईस्ट स्टेट्स के कुछ जो राज्य हैं उनकी तरफ, नार्थ-ईस्ट स्टेट्स के राज्यों का कई बार दौरा करने का मुझे अवसर मिला है। वहां के लोगों के साथ संवाद करने का भी मुझे अवसर मिला है। ...*(व्यवधान)* नार्थ-ईस्ट स्टेट्स में भी गंभीर समस्यायें पैदा हो रही हैं। वहां पर भ्रष्टाचार, वहां की सरकारों के द्वारा इतना बढ़ा है कि जो बुनियादी आवश्यकतायें हैं नार्थ-ईस्ट में रहने वाले लोगों की, सड़क, पानी और बिजली, वे सब पूरी नहीं हो पा रही हैं। मैं समझता हूं कि केवल स्पेशल पैकेज देने से ही उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि स्पेशल एफर्ट्स गवर्नमेंट द्वारा होने चाहिए, ताकि नार्थ-ईस्ट के लोग भी यह महसूस कर सकें कि वह भी भारत का हिस्सा हैं और वह गौरव के साथ अपना मस्तक ऊंचा करके चल सकें, ऐसे हालात पैदा करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक बात का उल्लेख है, मैं उसका स्वागत करना चाहूंगा कि एक लैप्सेबल सेंट्रल पूल जो था, उसे नॉन लैप्सेबल केन्द्रीय पूल के रूप में इस सरकार ने जो एक मान्यता दी है, ताकि जो भी सेंट्रल प्रोजेक्ट्स अथवा दूसरे प्रोजेक्ट्स जिन पर वहां काम चल रहे हैं, वे पैसे की कमी के कारण रूकने न पाएं, सरकार के इस कदम की मैं सराहना करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं नार्थ-ईस्ट की चर्चा कर रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से मेरा ध्यान अरूणाचल प्रदेश की ओर भी जा रहा है। चीन की दखलंदाजी किस तरीके से बढ़ती जा रही है, उससे केवल मैं ही नहीं, सारा देश चीन की दखलंदाजी को लेकर चिंतित है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश गए थे। उस पर भी चाइना ने अपनी तरफ से प्रोजेक्ट दर्ज करा दिया कि क्यों यहां भारत के डिफेंस मिनिस्टर आए? क्या अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या चीन की धमकी के आगे अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, उस प्रभावी तरीके से यह सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना विरोध दर्ज नहीं करा पा रही है अथवा सरकार की तरफ से जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होने चाहिए, वह डिप्लोमेटिक एफर्ट्स सरकार की तरफ से नहीं हो रहे हैं। चाइना जिस तरीके

से इंडो-तिब्बेतियन बार्डर पर ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बना रहा है, इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है, समाचार पत्रों में भी खबरें आ चुकी हैं, चाइना के एंबेसडर भी मिलने के लिए आए थे, एक बार मेरा स्टेटमेंट आया था, जब मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे किसी प्रकार के डैम का वहां पर कोई कांस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन आज के दस दिन पहले सारे समाचार पत्रों में, केवल नार्थ-ईस्ट नहीं सारे देश के समाचार पत्रों में यह खबर आयी कि पासीघाट में ब्रह्मपुत्र नदी लगभग सूख गयी है, पानी इतना रिसीड किया है, इतना कम हो गया है कि लगभग सूखी हुयी नदी की तरह उसकी हालत हो गयी है। आप यह कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति होगी? यदि ब्रह्मपुत्र रीवर सूख जाएगी तो नार्थ-ईस्ट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। मैं समझता हूं कि सरकार को अपनी तरफ से एक डिप्लोमेटिक एफर्ट करने की आवश्यकता है, ताकि चाइना को भी या तो वह तैयार करें कि जहां के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि वहां पर चाइना डैम बना रहा है, तो कम से कम वहां के डीलेगट्स हों और यहां के भी डेलीगेट्स हों और एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी चाइना और भारत की बन जाए जो वहां जाकर यह देखे कि सच्चाई क्या है?

**अपराह्न 3.00 बजे**

हम केवल चाइना के कहने पर कैसे मान लेते हैं कि वहां पर किसी प्रकार के नए प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं हो रहा है? मैं समझता हूं कि इसे गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है। साथ ही, सरकार की तरफ से एक डिप्लोमैटिक एफर्ट यह भी होनी चाहिए कि चाइना, बांग्लादेश और भारत तीनों मिल कर एक इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर करें। ट्रीपार्टाइट वाटर ट्रीटी के लिए सरकार को अपनी तरफ से पर्याप्त प्रयत्न करने चाहिए। जैसे इंडस रीवर को लेकर हम लोगों ने एक इंटरनेशनल ट्रीटी की है वैसे ही बांग्लादेश चाइना और भारत तीनों देशों को मिला कर भी एक ट्रीपार्टाइट वाटर ट्रीटी भी हो सकती है। संकट केवल पूर्वोत्तर का ही नहीं है-आप देखिए पाक अक्यूपाइड कश्मीर है। पाक अक्यूपाइड कश्मीर यूनाइटेड नेशन के द्वारा विवादित क्षेत्र घोषित है। चीन गिलागिट और बाल्टिस्तान में आ गया।

**अपराह्न 3.02 बजे**

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

वहां पर उसके सैनिक आ गए। वहां पर चाइना की बड़ी-बड़ी कंपनियां आ गईं लेकिन हमको जो वहां पर प्रभावी विरोध दर्ज अपनी तरफ से करानी चाहिए वह नहीं करा पा रहे हैं। जबकि पाक अक्यूपाइड कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है वहां पर चाइना बंकर्स बना रहा है। वहां पर चाइनीज मिलेटरी आ गई। चाइना यूएन सेक्यूरिटी काउंसिल का परमानेन्ट मेम्बर है तो मैं कहता हूं कि क्या सेक्यूरिटी काउंसिल में भारत प्रभावी तरीके से पाकिस्तान चाइना से मिल कर भारत के खिलाफ जो षडयंत्र कर रहा है, क्या हम उसे एक्सपोज नहीं कर सकते हैं लेकिन इस दृष्टि से भी जो प्रयास होना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय ऐसा कोई भी प्रयास सरकार के द्वारा नहीं हो पा रहा है। चाइना के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होने चाहिए, इसकी चर्चा अभिभाषण में हुई है इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चाइना ही नहीं जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहतर और मधुर होना चाहिए। इसके लिए जिस प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी, हमारा दल सहयोग करने को तैयार है लेकिन चिंता मुझे इस बात पर हुई है कि व्यापारिक रिश्ते की चर्चा तो महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में की गई है लेकिन सामरिक दृष्टि से, स्ट्रैटजिक प्वाइंट ऑफ व्यू से जो खतरा पैदा हो रहा है उसकी महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा नहीं की गई है। मैं पुन: अपनी बात को दोहराना चाहता हूं और सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि यह सरकार अपने डिप्लोमैटिक स्किल का परिचय देते हुए यह कोशिश करे कि चाइना जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए वह एक अंतर्राष्ट्रीय जनमत वह बनाए कि किस प्रकार की हरकत चाइना और पाकिस्तान के द्वारा भारत के साथ की जा रही है। चीन की मिलेटरी पावर में कई गुना वृद्धि हुई है। अभी-अभी जानकारी प्राप्त हुई है और कल के अखबार में मैंने पढ़ा है कि चाइना ने लगभग 11.2 प्रतिशत डिफेंस बजट को एकाएक बढ़ा देने का काम किया है। हम इसको सहजता से स्वीकार कर लें कि वह उसका अपना देश का डिफेंस बजट है, वह बढ़ाता रहे लेकिन हमारी क्या तैयारी है? मैं समझता हूं कि उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। मैं यहां पर आर्मी चीफ के एक लेटर का उल्लेख करना चाहूंगा जो कि आर्मी चीफ मिस्टर वी.के. सिंह ने डिफेंस मिनिस्टर को लिखा है। संभवत: यह 3 मार्च, 2012 का पत्र है। मैं आपकी इजाजत से उसका उल्लेख करना चाहूंगा।

*[अनुवाद]*

सेना प्रमुख श्री वी.के. सिंह ने रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटनी को लिखा है कि सरकार के महत्वपूर्ण खरीद और नीतिगत उपायों से पीछे हटने के साथ सेना को युद्ध लड़ने की क्षमता गम्भीर रूप से घटी है।

*[हिन्दी]*

गवर्न्मेन्ट की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी मिलिट्री के मामले में इतनी पुअर हो जाएगी जिसके लोकर चीफ को अपनी चिंता व्यक्त करनी पड़ेगी। श्रीमान्, इससे बड़ी चिंता की बात क्या हो सकती है? ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री अधीर चौधरी** (बहरामपुर): मैं जानना चाहती हूं कि क्या वह पत्र को प्रमाणिक ठहराने जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

*[हिन्दी]*

**श्री राजनाथ सिंह:** हम को मीडिया में जो खबरें देखने को मिली हैं उससे हमारी चिंता और बढ़ी है। मैं उसकी भी यहां चर्चा करना चाहूंगा कि डिफेंस बजट में संभवत: सरकार अपने बढ़ते फिस्कल डेफिसिट को देखते हुए कुछ कमी करने जा रही है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि देश इस समय संकट में है। डिफेंस का जो भी बजट है उसमें कटौती नहीं की जानी चाहिए बल्कि डिफेंस का बजट बढ़ाया जाना चाहिए। सारा का सारा देश एक समय भूखा रह कर देश को सहयोग करने के लिए तैयार है लेकिन हमारे भारत देश के मान-सम्मान और स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आनी चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं।

जहां तक फिसकल डैफिसिट का सवाल है, जब बजट पेश हो रहा था, उस समय माननीय वित्त मंत्री जी ने संसद के दोनों सदनों को आश्वस्त किया था कि किसी भी सूरत में फिसकल डैफिसिट जीडीपी के 4.6 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं अभी-अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट देख रहा था। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस फिसकल इयर के समाप्त होते-होते संभवत: फिसकल डैफिसिट 5.6 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। आर्थिक विशेषज्ञ यह भी मानने लगे हैं कि अब यह फिसकल डैफिसिट बेकाबू होता जा रहा है। फिसकल डैफिसिट की क्राइसेज निरंतर गंभीर होती जा रही है। सरकार को अपने खर्चों में जो कटौती करनी चाहिए, वह कटौती भी सरकार नहीं कर पा रही है। यह भी एक आंकड़ा मिला है कि 2011-12 वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के आंकड़े जो सरकार ने जारी किए हैं, ग्रोथ रेट 6.1 प्रतिशत। एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम मूडीज है। उसने कहा है कि 2012-13 की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट 6 प्रतिशत से नीचे भी चली जाएगी। इसका मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस सरकार की गलत इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण, इस सरकार की रॉग इकोनॉमिक प्लानिंग के कारण एक संकट के जाल में फंस जाएगी। ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति महोदया से अभिभाषण में यह कहलवा दिया गया कि अगले फाइनैंशियल ईयर में 8 फीसदी से ज्यादा जीडीपी की ग्रोथ रेट होगी। लेकिन यह हकीकत से कोसों दूर है। हम इस टारगेट को कैसे प्राप्त करेंगे। ...*(व्यवधान)* 8 से 9 फीसदी यानी ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस टारगेट को एचीव करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या एफर्ट्स हो रहे हैं। सदन उनसे इसकी भी जानकारी चाहेगा।

एक चिन्ता और होती है। जब मैं इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखता हूं, मुझे जो आंकड़े प्राप्त हैं कि वर्ष 2020 तक इस देश की 59 प्रतिशत आबादी लैस दैन 40 ईयर्स एज की होगी।

अनइम्प्लॉयमैंट प्राब्लम हमारे देश की सबसे बड़ी प्राब्लम है। केवल मनरेगा से अनइम्प्लॉयमैंट प्राब्लम के चैलेंज को मीट आउट नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी सरकार की तरफ से कोई न कोई ऐसा एफर्ट होना चाहिए, सरकार को कोई न कोई ऐसी इफैक्टिव पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि अनइम्प्लॉयमैंट प्राब्लम का जो चैलेंज है, हम उसे भी मीट आउट कर सकें।

जहां तक प्रधानमंत्री जी का प्रश्न है, प्रधान मंत्री जी की योग्यता पर मैं कोई प्रश्न चिह्न नहीं लगाना चाहता। लेकिन मैं कभी-कभी प्रधान मंत्री जी को असहाय की स्थिति में निश्चित रूप से पाता हूं। मुझे यह महसूस होता है कि जैसे कोई इम्पावर्ड कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स होती है, इस सरकार की ऐसी हालत हो गई है, ऐसे लगता है जैसे पावर सैंटर कहीं और है। एक गैर-संवैधानिक संस्था बनी हुई है। उसके द्वारा जो भी निर्णय हो जाते हैं, उसे मानने के लिए प्रधान मंत्री जी बाध्य हैं। मैं समझता हूं कि यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हालात ऐसे हैं। एनडीए की भी हुकूमत रही है। अटल जी हमारे प्रधान मंत्री रहे हैं। उनकी लीडरशिप को भी इस देश ने देखा है कि चाहे ग्रोथ रेट भी बढ़ी, लेकिन हमने रेट ऑफ इनफ्लेशन को नहीं बढ़ने दिया। विकास दर बढ़ी लेकिन महंगाई को हमने बढ़ने नहीं दिया। एनडीए का वह समय भी इस देश ने अच्छी तरह देखा है। लेकिन मैं समझता हूं कि यूपीए सरकार की इकोनॉमिक्स का सिद्धान्त ही कुछ अजीबोगरीब है। विकास दर ऊंची हो, तेजी का दौर हो तब भी महंगाई, विकास दर कम हो तब भी महंगाई यानी महंगाई से हमें किसी प्रकार निजात नहीं मिल सकती। चाहे मंदी हो या तेजी हो। पता नहीं महंगाई के साथ इस सरकार का क्या अफेयर है, यह हमारी समझ से परे है। ...*(व्यवधान)* पुराना संबंध है, क्योंकि जब-जब यह सरकार आयी है तब-तब महंगाई तेजी के साथ बढ़ी है।

महोदय, हमारा यह मानना है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच एक तालमेल होना चाहिए। जैसा एनडीए के शासन काल में

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

था, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधान मंत्री थे। मुझे वह दिन याद है, जिस समय उन्होंने ग्रोथ रेट के बारे में कहा था कि हम 8 परसेंट के टारगेट को एचीव करेंगे। उस समय आपोजिशन में बैठे हुए लोगों की तरफ से कहा गया था कि यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ग्रोथ रेट के 8 परसेंट के टारगेट को यह गवर्नमैंट कैसे एचीव कर सकती है? लेकिन हम लोगों ने 8.4 परसेंट तक ग्रोथ रेट के टारगेट को एचीव करने में सफलता प्राप्त की। अब डबल डिजिट ग्रोथ की बात तो दूर, डबल डिजिट महंगाई के देश को भी हमारा देश झेल चुका है। यह बात सच है कि अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन में थोड़ी कमी आयी है। वह 7.65 तक पहुंची है। लेकिन महंगाई से देश को आज तक निजात नहीं मिली है। हमने इससे देश को कैसे छुटकारा दिलाया था? महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भारी मात्रा में जितना हैवी इन्वेस्टमैंट हो सकता है, मैं समझता हूं कि वह हैवी इन्वेस्टमैंट हमने किया था, जिसका परिणाम यह था कि उस समय महंगाई नहीं बढ़ने पायी थी। रूरल इकोनॉमी को स्ट्रैन्दैन करने के लिए जितने हैवी इन्वेस्टमैंट की आवश्यकता थी, वे हैवी इन्वेस्टमैंट करने में भी हम पीछे नहीं रहे। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण ही आज हालात इस प्रकार के पैदा हो गये हैं कि गांव में रहने वाला गरीब किसान जो आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भरता की बात तो दूर अब वह सरकार के ऊपर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। यह जो कुछ हो रहा है, इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण हो रहा है।

अभी मनरेगा की चर्चा की गयी। गिरिजा व्यास जी ने भी अपने भाषण में इस बारे में कहा है और शशि थरूर जी ने भी उसकी बहुत प्रशंसा की है। यह ठीक है कि कुछ लोगों को इससे रोजगार मिलता है, लेकिन मनरेगा की हालत क्या है? वह करप्शन की सीमा तक है। इस करप्शन से कैसे निजात मिलेगी? मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। दिसम्बर 2011 तक 1452 करोड़ रुपये का खर्च हुआ, यानी एक्सपेंडीचर है। पिछले छह वर्षों में इतना खर्च हुआ है। पिछले दो वर्षों में पर हाउस होल्ड वर्क डेज में तेजी के साथ गिरावट आयी है। सरकार दावा करती है कि सौ दिनों का रोजगार मिलता है। कभी दावा करती है कि कम से कम 75 दिनों का रोजगार प्रति परिवार को मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। वर्ष 2009-10 में इसमें गिरावट आयी है और केवल 54 डेज ही काम मिल पाया है। वर्ष 2010-11 में और गिरावट आयी है। केवल पर हाउस होल्ड 47 डेज का ही काम मिल पाता है। इस फाइनेंशियल ईयर में दिसम्बर तक केवल 32 डेज पर हाउस होल्ड को ही रोजगार मिला है। फेक मास्टर रोल बन रहे हैं, यानी फर्जी मास्टर रोल बन रहे हैं। जॉब कार्ड बनवाने के भी पैसे लिये जा रहे हैं। कोई जाकर नीचे गरीबों से पूछे कि उनकी क्या हालत है? उनको लो वेजेज, यानी कम मजदूरी दी जा रही है। उन्हें पचास रुपये, साठ रुपये और सत्तर रुपये दिये जा रहे हैं। उन मजदूरों से हमने जाकर बात की है इसलिए मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं। मनरेगा में इस समय जो करप्शन व्याप्त है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इसे दूर किये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, आज भी गांवों से शहरों की ओर पलायन तेजी के साथ बढ़ा है। यही कारण है कि मनरेगा का जो लाभ गरीबों को मिलना चाहिए, उसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। किसानों के संबंध में मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। किसानों की हालत दिनों-दिन बद से बदतर होती जा रही है। पिछली बार इसी सदन में जीरो ऑवर में मैंने क्रॉप होलीडे, आंध्र प्रदेश की चर्चा की थी। यह बहुत ही गंभीर विषय है। यहां का किसान ...*(व्यवधान)* क्रॉप होलीडे जैसे डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाता है। इस प्रकार के हालात क्यों पैदा होते हैं? आप फूड सिक्योरिटी बिल लागू करने जा रहे हैं। यदि उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तो फूड सिक्योरिटी बिल आप भले ही यहां पारित करा लें, वह एक्ट बन जाये, लेकिन उसका लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए, उन्हें वह कैसे मिल पायेगा, इस बारे में भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है।

कपास के बारे में आपने एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन उस पाबंदी को समाप्त करने की अब आपने घोषणा की है। यह हमारी समझ से परे है कि क्यों इस पर पाबंदी लगाई गयी? इंटरनेशनल मार्केट में स्वाभाविक है कि कपास के किसान को अच्छी कीमत मिलती, किस सोच के आधार पर पाबंदी लगाई गयी, यह मैं कह नहीं सकता हूं। हालात तो आज ऐसे हो गए हैं कि किसानों का आलू दो रुपये किलो बिक रहा है। डिस्ट्रेस सेलिंग हो रही है, जितनी लागत है आलू पैदा करने में, प्याज पैदा करने में, टमाटर पैदा करने में, किसानों का वह लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। आपने जो कृषि ऋण बांटा है, मैं उसकी थोड़ी चर्चा यहां करना चाहूंगा। आपने कहा है कि वर्ष 2011-12 में किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए 4 लाख 75 हजार करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिए जाएंगे। इसके पहले 4 लाख 60 हजार करोड़ रुपये का डिसबर्समेंट किसानों को हुआ था, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चंडीगढ़ और दिल्ली, मैं समझता हूं कि चंडीगढ़ और दिल्ली में एग्रीकल्चर लैण्ड का एक्वीजिशन बहुत हुआ है, वहां पर 32 हजार 400 करोड़ का लोन डिसबर्समेंट हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ - इन चार राज्यों को मिलाकर केवल 31 हजार करोड़ रुपये का कर्ज वितरित हुआ है। कैसे किसान उत्पादन बढ़ाएंगे? मैं समझता हूं कि इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कहीं इसमें भी कोई बड़ा घोटाला तो नहीं है। इसकी तरफ भी नजर डालने

की आवश्यकता है। खाद्यान्न उत्पादन इस समय पूरी तरह से रुक सा गया है। वैसे पिछले वर्ष यह बताया गया था कि 241.56 मिलियन टन उत्पादन हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि इतने उत्पादन से इस देश का कल्याण नहीं होगा, उत्पादन को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। पिछले सत्र में भी मैंने कहा था और फिर से अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि इस एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में में गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए संसद का 7 या 10 दिनों का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए जिससे कृषि नीति में क्या-क्या चेंजेज लाए जा सकते हैं, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार हो सके। नेशनल फार्मर्स कमीशन, जिसे स्वामीनाथन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, की रिपोर्ट वर्ष 2005 में आ चुकी है, लेकिन आज तक उसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, तो हम लोग स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर भी विचार करेंगे, किन-किन चीजों पर तुरंत अमल किया जाना चाहिए, उन्हें अमल में लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, संसद उसका भी सुझाव दे सकेगी।

एग्रीकल्चरल लोन पर 7 प्रतिशत रेट ऑफ इंट्रेस्ट की बात की गयी है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मैं देख रहा था कि जो समय से कर्ज की अदायगी कर देंगे, उनको 3 फीसदी की छूट दी जाएगी, यानि उनको चार प्रतिशत रेट ऑफ इंट्रेस्ट देना पड़ेगा। मैं भी फार्मर्स कम्युनिटी से आता हूं, मैं कहना चाहूंगा सरकार को दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ यह फैसला करना चाहिए कि किसानों को, जो सचमुच खेती करने वाले हैं, उन्हें एक प्रतिशत रेट ऑफ इंट्रेस्ट पर एक साल के लिए लोन मुहैया कराया जाए। यदि वह एक साल तक कर्ज की अदायगी नहीं करता, तो उसके बाद उसे बढ़ाकर उन से तीन प्रतिशत रेट ऑफ इंट्रेस्ट लीजिए, लेकिन तीन प्रतिशत से ज्यादा रेट ऑफ इंट्रेस्ट एग्रीकल्चर लोन पर किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए।

इस सरकार के इकबाल के बारे में क्या कहें, अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं, उनसे साफ जाहिर हो गया है कि सरकार का इकबाल इस समय कैसा है। टू-जी स्पेक्ट्रम का मामला था, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, 122 लाइसेंसेज को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, मैं समझता हूं कि इसे सिर्फ लीगल एंगिल से ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि मॉरल और एथिकल एंगिल से भी देखा जाना चाहिए। भले, ही यह क्रिमिनल कल्पेबिल्टी का मामला न हो, लेकिन इस सच्चाई को कौन नकारेगा कि यह मॉरल अथवा एथिकल कल्पेबिल्टी का मामला नहीं बनता है? लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो गया, उसे उसने स्वीकार कर लिया। अरे, किसी सरकार की कोई नैतिक जवाबदेही भी होती है। हुकूमत केवल नियम और कानूनों से नहीं चलती है, हुकूमत चलती है सरकार के इकबाल से, सरकार की क्रेडिबिलिटी से और नैतिक बल से, ऐसे हुकूमत नहीं चलती है। एस बैंड के एलोकेशन के बारे में जो कुछ हुआ है, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन देवास मल्टीमीडिया के बारे में कहना चाहूंगा। उसकी डील एंट्रीक्स के साथ हुई है। उसके बारे में भी जो बातें समाचार पत्रों में आ चुकी हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा नियमों को तोड़ कर देवास को क्यों समय-समय पर मंजूरी दी जाती है, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ है। वित्त मंत्रालय की मेहरबानी से 18 मई, 2006 टेलीकाम वेंचर्स, एलएससी और कोलम्बिया केपिटल ने देवास में इंवैस्टमेंट किया। ये दोनों कम्पनीज देवास की अमेरिका की सब्सिडियरी हैं और कानून के मुताबिक सब्सिडियरी के होल्डिंग कम्पनी में निवेश सम्भव नहीं है, इस सच्चाई को एक साधारण आदमी भी जानता है। फिर भी नियमों में छूट दी जाती रही और ये सारी चीजें होती रहीं। ठीक है उस डील को रद्द कर दिया, लेकिन यह देखा जाना चाहिए कि उस समय देवास मल्टीमीडिया को जो बहुत सारी नियमों में तोड़-मरोड़कर सुविधाएं दी गईं, जो छूट मुहैया कराई गई, उसके पीछे इंटैंशन क्या रहा है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब वह जवाब देने के लिए खड़े हों तो सदन यह जानना चाहेगा कि वित्त मंत्रालय द्वारा देवास मल्टीमीडिया को सुविधाएं क्यों मुहैया कराई गईं? मुझे पूरा विश्वास है कि इस बारे में बताया जाएगा।

मैं इस अभिभाषण को देख रहा था। अभिभाषण के प्रारम्भ में ही चौथे पैराग्राफ में करप्शन और ब्लैकमनी की चर्चा की गई है। मैं समझता हूं कि संसद में लोकपाल बिल पारित किया जाना है, लेकिन लोकपाल बिल पारित कर देने से ही करप्शन को हम मिनीमाइज कर देंगे, ऐसा दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि इसके अलावा और भी बहुत सारे इफेक्टिव मैकेनिज्म की आवश्यकता होगी। उस संबंध में सरकार को विचार करना चाहिए। लेकिन 'लोकपाल बिल'' पोलिटिकल सैबोटाज जिस तरीके से राज्य सभा में हुआ है, उससे सचमुच सभी देशवासियों को बहुत पीड़ा हुई है। हमारा दल यह चाहता था कि राज्य सभा 12 बजे के बाद भी रात को चले और उसी सत्र में लोकपाल बिल पारित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

मेरी बगल में आदरणीय आडवाणी जी बैठे हुए हैं। उन्होंने कालेधन के मुद्दे को 2009 में सदन में उठाया था। कालेधन के बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी अथवा वित्त मंत्री जी, मेरे खयाल से वित्त मंत्री जी ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि कालेधन पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। आज भी हम लोग उस श्वेत पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जब इस चर्चा पर प्रधान

मंत्री जी जवाब देंगे तो वह बताएंगे कि कालेधन पर श्वेत पत्र कब आ रहा है। हमारी चिंता उस समय ज्यादा बढ़ गई जब इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के निदेशक ने भी कहा कि लगभग 500 बिलियन डालर्स की ब्लैकमनी दुनिया के दूसरे देशों में पड़ी हुई है, जो गलत तरीके से कमाई हुई है। मैं समझता हूं कि उससे बड़ी जांच एजेंसी देश में कोई और नहीं है।

यह सारा सिलसिला चल ही रहा था कि केवल चुनावी सरकार सफलता हासिल करने के लिए मजहब के आधार पर आरक्षण देने की घोषणा कर दी गई। सभापति महोदय, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जहां तक हमारे दल का सवाल है, हम जाति-पंथ अथवा महजब यानि कास्ट, क्रीड अथवा रिलीजन के आधार पर इन्सान और इन्सान के बीच नफरत करने वोल लोग हम नहीं हैं। हम इन्साफ और इन्सानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन जब हमने देखा कि भारत के संविधान में मजहब के आधार पर आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है और स्वयं पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने भी 1961 में यह कहा था कि साम्प्रदायिक आधार पर आरक्षण भारत के लिए एक छोटी सी गलती नहीं होगी, बल्कि भारत के लिए विनाशकारी होगा, भारत के लिए विभाजनकारी होगा। उन्हीं पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की विरासत की राजनीति करने वाले लोग आज उनकी मंशा के विपरीत जाकर मजहब के आधार पर आरक्षण देने दे रहे हैं। भारत की संविधान सभा की बैठक में भी क्या-क्या हुआ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे जितने भी सम्मानित सदस्य थे, सबने विरोध किया।

धर्म और मजहब के नाम पर भारत माता के दो टुकड़े हो गये हैं, इसलिए धर्म और मजहब के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, आजाद भारत का पुनर्विभाजन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जहां तक हम लोगों का मत है हम कहते हैं कि हिन्दू है, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, कोई भी गरीब हो उसे आरक्षण का लाभ दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका साथ देगी। लेकिन अब सामाजिक और शैक्षिक आधार पर जो पिछड़े हुए हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, यह हमारे यहां संवैधानिक प्रॉविजन है। यदि प्रधान मंत्री जी को लगता है कि इस प्रॉविजन के कारण मुस्लिम भाइयों और अन्य धार्मिक लोग हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है तो सामाजिक और शैक्षिक बैकवर्ड के जो मानक हैं उनमें चेंज ला सकते हैं अथवा यह सामाजिक और शैक्षिक जो पिछड़ापन है इसे संसद को विश्वास में लेकर रि-डिफाइन किया जा सकता है, यह क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन रिलीजन के बेस पर नहीं होना चाहिए। गरीबी तो सारे देश में है, चाहे किसी जाति या धर्म का क्यों न हो, गरीबी तो दूर होनी चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ऐसा चाहते हैं। अगर कहीं भी इसमें कोई अड़चन आती है तो अड़चन को दूर करने के लिए हम लोग पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

सभापति महोदय, मुझे ज्यादा तो नहीं कहना है लेकिन कुल मिला-जुलाकर इतना ही कहना चाहूंगा कि इस समय सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है, प्रतिपक्ष में होते हुए भी हम लोग इस संकट से देश को उबारने के लिए सरकार को सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन सरकार की विश्वसनीयता, सरकार का इकबाल इस समय देश से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मैं समझता हूं कि उसे रेस्टोर करने की जरूरत है, यदि सरकार उसे रेस्टोर नहीं कर सकती है, तो मैं समझता हूं कि सरकार के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इतना ही निवेदन करते हुए यह जो धन्यवाद प्रस्ताव है इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

मैं बड़े ध्यान से जो धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत में माननीया गिरिजा व्यास जी और शशी थरूर जी को सुना। माननीया गिरिजा व्यास जी ने बड़े विस्तार से और कुछ शेरो-शायरी के साथ भी अपनी बातें रखीं। माननीय शशी थरूर जी का जो पूरा भाषण था, वह ज्यादातर विदेश-नीति पर ज्यादा था। विदेश चाल-ढाल, वहां के खान-पान, वहां की व्यवस्था के बारे में ज्यादा रहा। अपने देश के बारे में कोई ऐसा सुझाव उन्होंने नहीं बताया जिससे जो हमारी विकास की दर है या रेपो-रेट को हम कैसे ऊपर ले जाएं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। माननीय राजनाथ सिंह जी का भी मैं भाषण सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित किया और तमाम बिंदुओं पर अपनी बात को रखा। मैं उनके भाषण से अपने को संबद्ध करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। कल जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने, सेंट्रल हॉल में, सदन के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए अपनी बातें रखीं, मैंने देखा कि शाम को विभिन्न दलों की तरफ से जो राय आई, प्रतिक्रियाएं आईं, उन्हें भी मैंने टी.वी. में विस्तार से देखा। विपक्ष के भाइयों ने कहा कि राष्ट्रपति जी का भाषण एक तरह से जो सरकार के दस्तावेज होते हैं, उसकी जो रीति-नीति होती है, उसी को महामहिम राष्ट्रपति जी व्यक्त करती हैं। विपक्ष ने कहा कि यह अभिभाषण मध्यावधि चुनाव की तरफ संकेत दे रहा है। तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आईं, मैं उन पर विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि देश बहुत ही विषम परिस्थितियों से

गुजर रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि देश की आर्थिक विकास दर 8.4 प्रतिशत वर्ष 2011-12 में थी। इस वर्ष हमारी विकास दर गिर कर 7 प्रतिशत हुई है। आने वाले समय के लिए सरकार ने कहा है कि हम 8 से 9 प्रतिशत तक विकास दर को आगे बढ़ाएंगे।

राष्ट्रपति महोदया का कार्यकाल जुलाई महीने में समाप्त हो रहा है। इससे पहले के वर्षों में मैंने देखा कि वे आती थीं, भाषण करती थीं और फिर चली जाती थीं, लेकिन इस बार वे शिष्टाचार के नाते दोनों सदनों के सभी सम्मानित सदस्यों से मिलकर गईं। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन अभिभाषण के दौरान पांच बार टीका-टिप्पणी की गई, वह अच्छी बात नहीं थी। सैंट्रल हाल की अपनी गरिमा रही है। उच्च पीठ को तथा अन्य सम्मानित सदस्यों को भी बुरा लगा होगा। जिन लोगों की पीड़ा या वेदना थी, वे दोनों सदनों में अपनी बात कह सकते थे, जैसा कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहीं, यह एक प्लेटफार्म है, जहां हम अपनी बात कह सकते हैं। अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति ने कहा है कि वर्तमान में केंद्र की सरकार ने अपना आधा कार्यकाल बड़े अच्छे तरीके से बिताया है। हम यह आश्वस्त भी करना चाहेंगे कि मध्यावधि चुनाव की तरफ न जाएं। मेरे खयाल से बीजेपी चाहती होगी कि मध्यावधि चुनाव हों, लेकिन अन्य लोग ऐसा नहीं चाहते होंगे। ...*(व्यवधान)* हम मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते हैं। हम किसी भी कीमत पर सरकार को गिरने नहीं देंगे। जनता ने हमें चुनकर भेजा है, जनादेश मिला है, लेकिन आप उतावले हैं। आप थोड़ा-सा इंतजार कीजिए। आपके लिए शुभ संकेत है। आदरणीय राजनाथ सिंह ने कहा कि पांच राज्यों के चुनाव संकेत दे रहे हैं, यह ठीक बात है लेकिन अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप पांच राज्यों के परिणामों से इतना उत्साहित न हों कि हम केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं।

जहां तक पुस्तिका में उपलब्धियों के बारे में बताया गया, मैं पढ़ रहा था और बहुत विस्तार से सदन में भी चर्चा हुई। कई मुद्दों और नियमों के बारे में हमने चर्चा की है, लेकिन मैं किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। आज भी 75 फीसदी किसान गांवों में रहते हैं। आज खेतिहर मजदूर, जिनकी किसानों में अरुचि बढ़ी है और लाभकारी मूल्य उन्हें नहीं मिल पा रहा है तथा गांवों से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। हमारे खेतिहर मजदूर, किसान या तो दिल्ली में, मुम्बई में या देश के दूसरे बड़े-बड़े महानगरों में गुजरात में, बंगाल में कमाने के लिए जा रहे हैं, इस बारे में भी हमें गंभीरता से सोचना होगा। किसानों में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। आपने कर्ज माफ किए हैं, लेकिन कर्ज माफ करना ही पर्याप्त नहीं है। कर्ज माफी से मेरे ख्याल में आत्महत्याएं बढ़ी हैं, इसका भी मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा, चाहे दक्षिण भारत की स्थिति हो या बुंदेलखंड की स्थिति हो। हमें सच बात कहने में कभी गुरेज नहीं करना चाहिए और न सच को छुपाना चाहिए। बुंदेलखंड की स्थिति बहुत बदतर है। आपने पैकेज दिया है, आप विभिन्न राज्यों को पैकेज दीजिए चाहे पूर्वोत्तर राज्यों को दीजिए या बुंदेलखंड को पैकेज दीजिए, लेकिन उसका मूल्यांकन भी कीजिए कि हमने जो पैसा दिया है, उसका सही मायने में सदुपयोग हुआ है या नहीं। जिसके लिए पैसे दिए हैं, उसका सदुपयोग हुआ है या नहीं? लेकिन हम मूल्यांकन नहीं करते। हम राज्यों पर छोड़ देते हैं। हमेशा यह हुआ है कि चर्चा में किसी पर बात हुई है तो केंद्र ने राज्य को कोसा है और राज्य ने केंद्र को कोसा है। जबकि संविधान के संघीय ढांचे में यह अधिकार है कि जो भी कार्य है, जिस विभाग का कार्य है, चाहे किसानों, मजदूरों या नौजवानों की समस्या हो या शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या हो, यह राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन हमें जिम्मेदारी से हटना नहीं चाहिए कि हमने बजट दे दिया और इसके बाद मूल्यांकन भी करना चाहिए। हमें रिसर्च करनी चाहिए। आज देश में सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या है। मेरे ख्याल से अभिभाषण में बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे रोका जाए, इसके बारे में मेरे ख्याल से कोई बात नहीं कही गई है। इसमें यह बात कहनी चाहिए थी कि बढ़ती हुई जनसंख्या से आने वाले समय में हम कैसे गरीबी से लड़ सकते हैं। हम किसानों, मजदूरों की समस्या से कैसे लड़ सकते हैं। हम देशवासियों के बच्चों, कन्याओं को कैसे शिक्षा दे सकते हैं? हम कैसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकते हैं? इस पर हमें सोचना होगा। जब तक आप जनसंख्या पर रोक नहीं लगाएंगे, मेरे ख्याल से हम किसी भी बात में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रेपो रेट या विकास दर पर आगे नहीं बढ़ सकते।

दूसरी बात मैं किसानों के बारे में कहना चाहता हूं। यह बात सही है कि किसानों की समस्याओं को देखकर हम चुनाव से आए हैं। हमने गांव-गांव जाकर देखा है। विजय बहादुर जी यहां बैठे हैं, बुंदेलखंड की समस्या को इन्होंने बड़ी नजदीकी से देखा है। वहां किसान बिल्कुल पलायन कर चुका है। आज किसान जो उपज करता है, उसे उसका लागत मूल्य नहीं मिल पाता है। बंसल जी, यहां तक कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रति एकड़ किसान की उपज की लागत जब तक हम डेढ़ गुना नहीं देंगे तब तक किसानों की स्थिति में सुधार नहीं कर सकते। महंगाई बढ़ रही है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको लागत मूल्य में डेढ़ गुना देना पड़ेगा। जहां तक समर्थन मूल्य की बात है, आपने फिक्स कर दिया है लेकिन राज्य सरकार और बिचौलिए इसकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। चाहे गेहूं या धान के कांटे या समर्थन मूल्य की बात हो, औने-पौने भाव में किसान वहां तो ले जाता है लेकिन कांटों पर लिया नहीं जाता है। आप सरकारी कांटे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि यह राज्य

सरकार देखे। आपको भी देखना चाहिए। आप एफसीआई के गोदाम में ही कांटा (तौल) लगवा दीजिए। केंद्र की तमाम एजेंसियों के माध्यम से कांटा (तौल) लगवा दीजिए। कोआपरेटिव सैक्टर है, वहां कांटा (तौल) लगवा दीजिए। अब आप कहेंगे कि कोआपरेटिव सैक्टर राज्य सरकार देखे। लेकिन आपको कुछ न कुछ व्यवस्था तो देखनी होगी। किसानों को ब्याज मिलता है, कृषि उपकरण या बीज मिलते हैं, उसका उत्पादन करके जब वह कांटे पर ले जाता है क्योंकि मौसम की मार होती है तो उससे कहा जाता है कि इसका उत्पाद ठीक नहीं है, हम कांटे पर नहीं लेंगे। वह उसे फिर ले जाता है और बिचौलिया औने-पौने भाव देता है यानी आप समझ लीजिए कि 700-800 रुपए प्रति क्विंटल देता है। आज भी धान क्रय केंद्रों में पड़ा हुआ है लेकिन नहीं लिया जाता है। हमें जिला अधिकारी को टेलीफोन करना पड़ता है कि फलां किसान गया है, आप ले लीजिए। हम कितने टेलीफोन करेंगे? हर किसान बड़ा किसान नहीं होता है, सीमांत लघु किसान होता है। वह साल भर का अनाज रखता है और उसके बाद जो बचता है उसे अगली फसल बोने के लिए रखता है। लेकिन आज यह स्थिति है कि हम इसकी भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। इसे हमें बड़ी गंभीरता से इसे देखना चाहिए।

अब ऋण की बात है आती है। बिजली, पानी, खाद उसे समय पर नहीं मिल पाता है। खाद की स्थिति की बात पिछले सत्र में उठी थी कि खाद या नेपाल के बार्डर पर चली जाती है या बांग्लादेश के बार्डर पर पकड़ी जाती है। इस पर रोक लगानी होगी। जब किसान को पानी चाहिए होता है तो समय पर नहीं मिल पाता है, खाद नहीं मिल पाती है। वह लाइन में खड़ा रहता है, उसे पुलिस की लाठी भी खानी पड़ती है और खाद ब्लैक हो जाती है। इसके लिए हमें ठीक व्यवस्था करनी होगी। जब तक इस व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे तब तक किसानों की स्थिति ठीक नहीं होगी और देश विकास नहीं कर सकेगा। बेरोजगारी के बारे में बड़े इत्तमिनान से बात होती है। जब भी बेरोजगारों की बात होती है, सरकार की तरफ से जवाब आता है कि हमने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी दे दी है। बेरोजगारों को मनरेगा से मत देखिए। आपने बेरोजगारी की समस्या में शिक्षित नौजवान बेरोजगारों के लिए क्या व्यवस्था की है? महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में लाखों लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिन शिक्षित बेरोजगार नौजवानों की उम्र बीत जाती है, जो नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आजकल विदेशी कंपनियां आई हुई हैं, ये लोग कांट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी करते हैं, वर्ष में पैकेज के हिसाब से नौकरी करते हैं। उस पैकेज के हिसाब से उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। समाजवादी पार्टी ने इस सदन के माध्यम से कई बार कहा है कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जिन्हें मां-बाप पढ़ा-लिखाकर भेजते हैं कि जाइये, अब पैसा कमाकर लाइये और वे कमा नहीं पाते हैं तो कम से कम उन्हें आपको बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से इसकी वकालत करती है और सभापति जी आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहती है कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए सरकार रोजगार की व्यवस्था करें अन्यथा उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। इस महंगाई के जमाने में प्रत्येक नौजवान को आपको कम से कम पांच हजार रुपये महंगाई भत्ता देने की व्यवस्था करनी चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और मजदूरों, किसानों और खेतिहर मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, वह रुक सकेगा।

अभी आदरणीय राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि हम मजहब और धर्म के आधार पर आरक्षण देने के विरोधी हैं और दूसरी तरफ आपने यह भी कहा कि यह संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में इस बात का जिक्र है कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जिनकी स्थिति कमजोर है, चाहे आपकी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, सरकार आयोग क्यों बनाती है, किसानों के लिए आपने स्वामीनाथन आयोग बनाया, जिस पर आपने जिक्र किया कि इस पर एक हफ्ते सदन चले। उसी प्रकार से यदि रंगनाथ और सच्चर कमेटी बनाई गई है तो उसमें शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक आधार पर जिक्र किया गया है फिर आप आरक्षण देने के सवाल पर पीछे क्यों हट रहे हैं? आपने दिया भी है तो कोटे में कोटा दिया, जिसका बहुत विरोध हुआ है और उसका खामियाजा आपने भुगता है। हम चाहेंगे कि अगर आपने आयोग बनाया है तो आयोग के निर्देश, आयोग की सिफारिश यहां सदन के पटल पर रखकर उसकी चर्चा करा लीजिए और आबादी के अनुसार आरक्षण देने की व्यवस्था कीजिए। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात को उठाया है कि आपने चार परसैन्ट दिया, जबकि आपको नौ परसैन्ट देना चाहिए। यदि आरक्षण की बात है तो आबादी के अनुसार 18 परसैन्ट दीजिए, चाहे इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़े। समाजवादी पार्टी यह लड़ाई सदन के फ्लोर से लेकर सड़कों तक लड़ने का काम करेगी। मैं फिर से कहता हूं कि कोटे में कोटा नहीं होना चाहिए। यदि पिछड़ों को कोटा मिला है तो बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार इसे गंभीरता से ले। वरना आने वाले समय में जो वर्ष 2014 का मिशन है, उसमें भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी, इस बात के लिए आप तैयार रहें। ...*(व्यवधान)* यह बिल्कुल धार धरे बैठे हैं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में मैं आजीविका सुरक्षा के बारे में पढ़ रहा था। खाद्य सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है। जब हमारा उत्पादन बढ़ता है

तो अनाज हम कांटों पर ले जाते हैं, उसके बाद ट्रेनों और ट्रकों के माध्यम से एक से दूसरी जगह गोदामों आदि जगहों पर ले जाते हैं। वर्तमान स्थिति में आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में हमारा लाखों टन अनाज सड़ गया। आप बंदरगाहों पर जो बाहर से अनाज मंगाते हैं, वह भी सड़ा मिला। अंत में सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में निर्देश देना पड़ा कि केन्द्र सरकार इस अनाज को गरीब और बीपीएल के लोगों के बीच में मुफ्त में बांटे। लेकिन आज तक एक दाना किसी को नहीं मिला। यह बात ठीक है कि आप खाद्य सुरक्षा बिल लेकर आ रहे हैं। आपने कहा है कि एक बीपीएल को हम इतना अनाज देंगे, वह अलग बात है, लेकिन आज आप जो कहते हैं उसे पूरा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी आपने अनुपालन नहीं किया। आप जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाने की बात कर रहे हैं और उसके बाद यह देने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त हमारा लाखों टन अनाज बर्बाद हुआ, उस वक्त आपको बांटना चाहिए था। कुछ नहीं करते तो आप काम के बदले अनाज योजना ले लेते तो आपका विकास होता, गांव का विकास होता और काम के बदले अनाज योजना के माध्यम से आप विकास कर सकते थे और जो लाखों टन अनाज बर्बाद हुआ, वह बच सकता था। लेकिन आपने विकास का काम नहीं किया। जबकि दैवीय आपदा के समय हम काम के बदले अनाज देने की योजना की बात करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको निर्देश दिया था तो आपको वैसा करना चाहिए था।

इसके अलावा आपने ऊर्जा सुरक्षा की बात कही है। साउथ में एर्नाकुलम की बात का इस सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों ने विरोध किया। आज जब ऊर्जा सुरक्षा की बात उठती है तो तमाम एनजीओ कंपनियां हैं, कहा जाता है कि अमरीका के निर्देश पर ये लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमें गंभीरता से यह सोचना चाहिए कि मांग और आपूर्ति में बड़ा फर्क है। आज ऊर्जा के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि जो हमारी विकास दर है, जब तक हम ऊर्जा का संचय नहीं करेंगे, ऊर्जा की क्षमता नहीं बढ़ायेंगे, ऊर्जा का उत्पादन नहीं करेंगे, चाहे आप थर्मल पावर को ले लीजिए, चाहे परमाणु ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, पानी की ऊर्जा को ले लीजिए। मैं समझता हूं कि आपको ऊर्जा का संरक्षण करना पड़ेगा। तब जा कर हमारा देश तरक्की कर सकता है। हमारे देश में तमाम संसाधन हैं, कल-कारखाने हैं, खेती के तमाम संसाधन हैं, जिससे बिजली से ही कटाई-मढ़ाई होती है। नहीं होता है तो बेचारे किसान पंपिंग-सेट लगा कर डीज़ल से चलाते हैं। लेकिन महंगाई इतनी चरम-सीमा पर है कि आपने डीज़ल के दाम भी ढ़ाई वर्ष में 10-15 बार बढ़ा दिए हैं। आपको इन सब परिस्थितियों को गंभीरता से देखना पड़ेगा।

अब मैं पर्यावरण सुरक्षा की बात करता हूं। पर्यावरण सुरक्षा और विकास, आपको दोनों का संतुलन रखना पड़ेगा। दोनों का विरोधाभास है। यही कारण है कि जयराम रमेश जी का विभाग बदल कर आपने उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया है। जब उन्होंने पर्यावरण पर जोर डाला तो विकास आड़े आया। जनहित में आपको कहीं न कहीं संतुलन बनाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कहां किसकी उपयोगिता है, रॉ-मटिरियल है, संसाधन हैं, वहां पर आप दीजिए। जहां पर बेकार, बंजर भूमि है और जहां पर विकास नहीं हो रहा है, वहां पर आप लगाइए। राजनाथ सिंह जी अभी पूर्वोत्तर राज्य की बात कर रहे थे। पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी का एक टूर पूर्वोत्तर गया था, जिसमें मैं भी था। वहां मैंने देखा कि पहाड़ों को काट कर चौड़ी-चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं। उन पहाड़ों को जब काटा गया तो उसके अंदर की मिट्टी लाल रंग थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पहाड़ रो रहा है और उसमें से खून गिर रहा है। यह स्थिति है। आप पर्यावरण को भी सुरक्षित रखिए। हमारा विकास भी बढ़े, इसका संतुलन बनाने के लिए आपको कोई कार्य-योजना लानी पड़ेगी।

अभी राजनाथ सिंह जी ने बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के बारे में बड़े विस्तार से बात कही। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि इसी फ्लोर पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि पड़ोसी राष्ट्रों में से सबसे ज्यादा बाहरी और आंतरिक खतरा हमें चीन से है। अरुणाचल प्रदेश की बात उन्होंने बड़े विस्तार से कही। आप लद्दाख की बात देखिए कि आए दिन हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और टी.वी. पर देखते हैं कि चीन आया, उसने कब्जा किया। मेरे ख्याल से रोज कुछ न कुछ कब्जा हो रहा है। हमारे रक्षा मंत्री जी ने हिम्मत की और जब वे वहां पहुंचे तो उसका चीन ने उसका भी विरोध किया कि दखलअंदाजी हो रही है। कम से कम आपको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। आपकी जो विदेश-नीति है, आपको बढ़-चढ़ कर वहां पर बात करनी पड़ेगी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात कही गई। यह बात सही है कि नदियों से ही हमारा विकास था। नदियां ही हमारी विरासत की देन थीं जिसकी वजह से हमने विकास किया। आज उस पर भी कोई बात नहीं हो रही है और उसे आपने ठंडे बस्ते में रख दिया है। कभी-कभी विदेश मंत्री का बयान आता है कि हम बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। ये सब बातें ऐसी हैं जिनसे आने वाले समय में हमें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आप इनको देखिए ताकि इन समस्याओं से आने वाली पीढ़ी को दिक्कतें न हों।

आज सुबह प्रश्न-काल में एनसीटीसी के बारे में चर्चा हुई लेकिन वह चर्चा पर्याप्त नहीं हो पाई। एनसीटीसी पर कई राज्यों से विरोध आ रहे हैं। कल ही बैठक हुई है, जिसमें राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल थे। उनमें छह राज्यों ने एनसीटी

का विरोध किया है। हम चाहते हैं कि दिन भर आप सदन में इसकी चर्चा करवा दीजिए, नियम 193 के तहत चर्चा करा दीजिए। यहां तमाम राज्यों और पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं, इनके विचार भी आ जाएं। आप वहां के मुख्यमंत्रियों, अधिकारियों और तमाम पार्टियों के नेताओं को बुला कर बात कर लीजिए। जो आम सहमति हो उसको लागू करें। पता नहीं आप क्यों उलझे रहते हैं। आपके सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। बहुत से बिल ऐसे हैं, जो आने चाहिए थे लेकिन वे नहीं आ पाए। आप ऐसा बिल ला कर रख देते हैं जिससे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपको समर्थन नहीं मिल पाता है। तमाम विपक्षी दल और हम भी कहते हैं कि हम आपको जनहित के मुद्दों पर समर्थन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा बिल न लेकर आएं जिससे कंट्रोवर्सी हो और सदन का समय व्यर्थ हो।

यहां पर काला-धन और भ्रष्टाचार की बात कही गई है। अभी राजनाथ सिंह जी ने कहा कि पांच सौ बिलियन डालर्स से ज्यादा काला-धन विदेशों में पड़ा हुआ है। इसी पीठ से माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि भारत का जो भी पैसा विदेशों में काले धन के रूप में है, उसे हम वापस लाएंगे। आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं, कार्यवाही कर रहे हैं और विदेशों से वार्ता कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि जो नाम आपके पास हैं, उन पर आप एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। कम से कम विपक्ष, जो भ्रष्टाचार और काले धन की बात करता है, उस पर कुछ अंकुश तो लगे। आप कुछ तो करके दिखाइये, लेकिन कहीं से भी आस, उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती है। आपको इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा।

महोदय, सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं, कौन सी एजेंसियां हैं, कौन से एनजीओज़ हैं, कौन से अधिकारी हैं, कौन से राज नेता हैं, उनका नाम खुलकर सामने आना चाहिए तभी जाकर इस पर अंकुश लग सकता है। ऐसा करने से लोग डरेंगे अन्यथा इस प्रकार से होता रहेगा और देश कंगाली के कगार पर चला जायेगा। अब मैं महंगाई की बात पर आता हूं। जैसे ही चुनाव हो रहा था, सुब्रहमण्यम स्वामी जी का बयान आया कि चुनाव के बाद पैट्रोलियम के दाम बढ़ेंगे। उसके बाद तमाम टी.वी. चैनल्स पर आने लगा कि चार-पांच रुपये तक दाम बढ़ेंगे। आपने सीएनजी गैस के दाम बढ़ा दिये। आपकी तैयारी है, आप कहते हैं कि जो हमारी कंपनियां हैं, हमने उनके ऊपर छोड़ दिया है। आपके पास पैट्रोलियम विभाग है, आपको मानीटरिंग करनी चाहिए, जो भी कंपनी है, विदेशों में क्रूड ऑयल कितने में है, वहां से कैसे लाते हैं, यहां पर उसे कैसे रिफाइन करते हैं, आपको इसकी मानीटरिंग करनी चाहिए। आप राज्यों से बात कर लीजिये, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहिये कि वे अपने यहां टैक्स कम करें, जो कुछ आप कर लगाते हैं, उसे कम कीजिये, कम से कम जनता को कुछ तो राहत दीजिये। जब पैट्रोलियम के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ता है और इसके कारण से महंगाई आती है और महंगाई से तमाम लोग परेशान होते हैं। खासकर जो गरीब आदमी है, जो रोज का कमाने, खाने वाला है, उसके ऊपर सबसे बड़ी चोट पहुंचती है। इसलिए आपको इस बात को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से आपने ग्रामीण हटा दिया है और शहर और गांव दोनों में ही आप इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य के नाम पर तो करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ, सीबीआई इसकी जांच कर रही है, मैं विस्तार से इसमें नहीं जाना चाहूंगा। इसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू शहरी विकास योजना में भी बड़े पैमाने पर घोटाला है, मनरेगा में ही बड़े पैमाने पर घोटाले हैं, इन सब घोटालों की आप गंभीरता से जांच कराइये। एक एजेंसी लगाइये कि जो हम अरबों, करोड़ों रुपये दे रहे हैं, वह कहां जा रहा है, कहां विकास हो रहा है, इसकी तरफ आपको जाना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा की बात मैं करना चाहता हूं। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का टीचर्स का डेलीगेशन आया। जो तमाम हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर हैं, उनकी जो भर्तियां हैं, संविदा पर टीचर्स रखे जाते हैं, उनकी जगह भी खाली है और वे जगहें शैड्यूल कास्ट, शैड्यूल ट्राइब्स की हैं, कुछ पिछड़े वर्ग की जगह हैं, लेकिन आपने उसे बैकलॉग करके तमाम भर्तियों के बाद आपने निकाल दिया। जो एस.सी., एस.टी. की भरने की बात है, वे बेचारे पीछे हो जाते हैं, उस पर जनरल कास्ट चला जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग जो प्रोफेसर, लैक्चरर हैं, उनके अधिकारों का कुठाराघात हो रहा है। वे संविदा पर पढ़ाते-पढ़ाते वहीं पर रेगुलर हो जाते हैं। इन तमाम व्यवस्थाओं को आपको देखना पड़ेगा। जो शिक्षक हैं, उनके अंदर भी असंतोष है और शिक्षा की व्यवस्था को आपको बदलना पड़ेगा। आपको समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। जब तक एक रिक्शे वाले का, एक मजदूर का बच्चा और एक आई.ए.एस. का बच्चा साथ में नहीं पढ़ेगा तब तक हम एकरूपता शिक्षा की बात नहीं कर सकते। शिक्षा की बात पर थरूर जी कह रहे थे कि हमने टेबलेट आदि ईजाद कर दिया, ठीक है आप कर रहे हो। हमें कम्पटीशन करना चाहिए कम्प्यूटर इलैक्ट्रोनिक में, लेकिन हमें यह व्यवस्था देखनी चाहिए कि जैसे केरल ने अपनी शिक्षा दर बढ़ायी है, वहां पर साक्षरता 101 परसेंट है। अन्य राज्यों में भी आप मूल्यांकन करें कि वहां शिक्षा की दर क्यों नहीं बढ़ रही है, लोग साक्षर क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा। सर्व शिक्षा अभियान को आपने लागू करने की बात कही है, लेकिन राज्य उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री को बुलाइये, उनके शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन बुलाइये और देखिये कि उनके सामने क्या अड़चनें हैं और उन अड़चनों को दूर करने की व्यवस्था कीजिये। उन्हें आर्थिक तौर पर पैकेज देने की व्यवस्था कीजिये। तभी जाकर पिछड़े राज्यों, चाहे

पूर्वोत्तर हो या बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तमाम ऐसे पिछड़े राज्य हैं, उन्हें हम विकास के मायने में आगे ले जा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर पुरजोर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री गोरखनाथ पाण्डेय** (भदोही): महोदय, मैं यहां से बोलने की अनुमति चाहता हूं।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सुबह से हो रही इस चर्चा में माननीया गिरिज व्यास जी, माननीय शशी थरूर जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय शैलेन्द्र कुमार जी के विचार और चर्चा को मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था।

मैं कुछ बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यह देश गांवों में बसता है, कृषि प्रधान देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस देश की संस्कृति और यहां की व्यवस्था में विविधता में एकता झलकती है। यहां की जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, वे हमारे देश की धरोहर हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में पांच बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्हें चुनौतियों के रूप में स्वीकार किया है और इस देश के विकास की वे धुरी हैं-आजीविका की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा-इन बिन्दुओं पर बड़े विस्तार से उनके अभिभाषण में हमने सुना, पढ़ा और अध्ययन किया। साथ ही साथ अपने अग्रजों के विचारों को भी हमने सुना।

माननीय संभापति जी, इस देश में 75 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं जिनकी मुख्य आजीविका, उनका उद्यम, व्यवसाय खेती है। आज महंगाई बढ़ रही है, विकास दर घट रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने विकास दर की चर्चा करते हुए यह बात कही और उसे बढ़ाने की बात भी कही जिस पर माननीय राजनाथ सिंह जी ने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी। जहां सात प्रतिशत विकास दर घटी है, उसे बढ़ाकर आठ से नौ परसेंट करने की बात उन्होंने कही है। लेकिन बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जिस कृषि प्रधान देश में हम रहते हैं, वहां कृषि में बहुत समस्याएं हैं। आज सुबह ही प्रश्न काल में कृषि उत्पादों के मूल्य, कृषकों की समस्या, वस्तुओं का भंडारण, उनका विक्रय और उनकी समस्याओं पर सदन का आक्रोश उभरा और माननीय अध्यक्ष जी ने चर्चा के लिए समय भी दिया। हम गांवों से आते हैं, हम भी पेशे से कृषक हैं। वैसे हम पेशे से अध्यापक भी रहे हैं। हमें इस देश की वास्तविक जमीनी स्थिति का भी अहसास और आभास दोनों है।

महोदय, यह देश जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, यहां किसानों को समय पर खाद नहीं मिलती। खाद की सब्सिडी समाप्त की जा रही है। डाई, यूरिया, पोटाश, एनपीके के दाम तो बढ़ ही रहे हैं लेकिन ये समय पर किसानों को उपलब्ध भी नहीं होते। दो-चार बोरियों के लिए लाइनें लगती हैं। एक किसान जिसको 20 बोरी की जरूरत है, वह चार-पांच बोरी में कैसे काम चलाएगा? उत्पादन घट रहा है। समय पर बिजली नहीं मिलती, समय पर खाद नहीं मिलती, समय पर सिंचाई नहीं कर सकते। उसके बाद जब उनका उत्पाद तैयार होता है तो दूसरी समस्या उनके सामने आ खड़ी होती है। कृषि मंत्री जी ने अपना उत्तर देते समय कहा कि एक समिति होती है जो उनका भाव तय करती है और किसानों के उत्पादों का मूल्य दिया जाता है। हम गांवों में रहते हैं। हमें पता है कि किसान किस तरह से अपनी गाढ़ी कमाई को कृषि उत्पाद के रूप में जब पैदा करता है तो औन-पौने दामों पर बेचने के लिए विवश होता है। हम जो उत्पाद का मूल्य निर्धारित करते हैं, उन सहकारी समितियों पर उनके उत्पादों की बिक्री नहीं होती। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आज भी लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन उनके धान की बिक्री नहीं हो पा रही है।

महोदय, हमारे महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि कृषि विकास लक्ष्य चार परसेंट है। यह कैसे होगा? जहां किसानों की यह दयनीय स्थिति है, जहां उनको उत्पादन का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, अगर वे किसी तरह से अपने उत्पाद को बेचना चाहते हैं तो उसमें भी समस्या है। बिचौलियों को औने-पौने दामों पर बेचने के लिए वे विवश हैं। उस पर भी यह ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए, उनका शोषण रोकने के लिए प्रबंध होने चाहिए। जब वे ऋण लेने जाते हैं तो उन्हें तीन-चार परसेंट की बात कही जा रही है, लेकिन जैसे माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि एक परसेंट के आधार पर उनको कृषि ऋण दिया जाए, मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब उत्तर देने के लिए खड़े हों तो इस पर जरूर कुछ कहें।

**अपराह्न 4.00 बजे**

महोदय, बहुत जोर-शोर से बुनकरों के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया। ड्रीम प्रोजैक्ट, जिसको राहुल गांधी जी ने पूर्वांचल में जाकर, जो हम लोगों का क्षेत्र है, भदोही, मऊ जहां से दारा सिंह जी चुनकर आते हैं। वह बुनकरों का क्षेत्र है। हमें कहने में फख्र है कि कभी वह भदोही, जहां से हम लोग आते हैं। कालीन नगरी

के रूप में जानी जाती थी और जहां से हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हम लोगों को मिलती थी। कालीन व्यवसाय को विकसित करने के लिए हम सब्सिडी दिया करते थे। लेकिन हमारे ही बीच के लोगों ने चाइल्ड लेबर के नाम पर बदनाम किया। विदेशों में हमारी ख्याति को धूल धूसरित किया और वही उद्योग आज अपने विनाश के कगार पर है। उसे विकसित करने की जरूरत है। हम बनारसी साड़ियों की बात करते हैं, जो कि विदेशों में विख्यात रही। हम उनके उत्पाद पर आयात शुल्क लगा रहे हैं। हमें उसके रॉ मैटीरियल्स को फ्री करना चाहिए ताकि वे फिर से विकसित हो सकें।

**अपराह्न 4.01 बजे**

[**श्री इन्दर सिंह नामधारी** *पीठासीन* हुए]

महोदय, पर्यटन की बात इस अभिभाषण में कही गई है। महामहिम जी ने कहा है कि इससे उद्योग विकसित होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा और ग्रामीण अंचलों का विकास होगा। मैं इसका पक्षधर हूं। हम गांवों में रहते हैं और हमने इसके पहले भी सम्मानित सदन में इस बात को रखा था कि उत्तराखंड बनने के बाद पर्यटन की दृष्टि से ग्रामीण अंचलों के विकास की जरूरत है। यह पूरे देश की जरूरत है, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। अगर ग्रामीण अंचलों के पर्यटन का विकास किया जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से सम्भावित स्थल हैं, जिन्हें जोड़ा जा सकता है, चूंकि मैं उधर से आता हूं तो मुझे पूर्वांचल की जानकारी है, अगर ऐसे स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, तभी इस अभिभाषण में जो महामहिम ने अपनी बात रखी है, उसका कहीं न कहीं वास्तविक स्वरूप दिखेगा।

महोदय, पूरे देश में हर वर्ष प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं अनावृष्टि होती है, कहीं भूकम्प आ जाते हैं, कहीं बाढ़ आ जाती है और कहीं-कहीं तो हर वर्ष ये विनाश लीलाएं हुआ करती हैं। मैं उत्तर भारत की बात करता हूं और उस आपदा के बाद महामारियां और बीमारियां भी आती हैं। उसके बाद हम उससे बचने का उपक्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। जब वह समाप्त हो जाता है, फिर हम चुप हो जाते हैं। आपके माध्यम से सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, जिनकी सुरक्षा, संरक्षा के बारे में हम योजना बनाकर कुछ उपाय कर सकते हैं, उन्हें हमें ध्यान में लाना चाहिए। हर वर्ष हमें उन्हें प्रकृति की मार झेलने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि पूर्वांचल है, देश के बहुत सारे भू-भाग हैं, स्थान हैं, जहां इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आया करती हैं।

महोदय, ऊर्जा की आवश्यकता पूरे देश, पूर समाज, पूरे समुदाय को है। सारी व्यवस्थाएं ऊर्जा पर निर्भर करती हैं। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से जहां विकास की बात कही गई है, वह पेपर में तो है, अभिभाषण से तो झलक रहा है, लेकिन जब हम गांवों में आते हैं तो समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। आज भी किसानों को ऊर्जा की जरूरत है, चाहे वह खेती के लिए, छोटे-मोटे उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग के लिए, छोटे संसाधनों के लिए। लेकिन उन्हें बिजली नहीं मिलती है। गांव में उनको प्रोत्साहित किया जाए, ऊर्जा के स्रोत बढ़ाए जाएं, चाहे वह सौर ऊर्जा के रूप में या जल विद्युत के रूप में या कोयले से उत्पादित होने वाली बिजली के रूप में हम गांवों को जब तक ऊर्जा की दृष्टि से व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक यह देश विकास की दृष्टि से पिछड़ा रहेगा।

महोदय, आंतरिक सुरक्षा की भी बात आयी है। कहने की जरूरत नहीं है। हम और आप उसे देख भी रहे हैं कि पूरे देश में दो तरह की दुर्व्यस्थाएं हैं। एक आंतरिक सुरक्षा और दूसरा आतंकवाद है। हमारे ही लोग, हमारे ही देश में रहने वाले लोग अपने ही लोगों के खून के प्यासे बने हैं। क्यों? हम उनको अपनी मुख्य धारा से जोड़ें। उनकी समस्याओं से अपने को आत्मसात करें, इसकी आज जरूरत है। महामहिम के अभिभाषण में यह बात आयी है। लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप भी दिखना चाहिए। बाह्य व्यवस्था तो हमारे सामने एक संकट के रूप में है ही। चीन के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है, चाहे हमारी सीमाओं की बात हो, चाहे सामरिक व्यवस्था की बात हो, चाहे उसकी विदेश नीति हो, जिस पर हमें देखने, सोचने और सतर्क रहने की जरूरत है। उसी तरह से पाकिस्तान के बारे में हमें बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक कश्मीर मुद्दा बनाकर उन्होंने जिस तरह से आंतरिक दुर्व्यवस्था बनाई है, उस पर हमें निश्चित रूप से अपने को सजग रखना है।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है काला धन। आज पूरे देश में कभी रामदेव जी का आंदोलन होता है, कभी अन्ना हजारे जी का आंदोलन होता है, कभी यह गांवों में चर्चा का विषय बनता है। यह काला धन है क्या? यह कहां रखा जाता है, कैसे आ जाता है, कहां से आता है, यह आज सबसे बड़ी समस्या है। सरकार से भी यह बात पूछी जाती है। सदन में भी इस बात की चर्चाएं होती है। अभिभाषण में भी महामहिम जी ने इस पर बहुत ही गंभीरता से बात रखी है, लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जिस काले धन के संबंध में इतनी सारी चर्चाएं हुईं, कि काले धन के बारे में आंदोलन हुए, जिस काले धन के बारे में पूरे देश की दृष्टि लगी है, उस पर क्यों न ऐसे कठोर नियम बना दिए जाते, क्यों न उसे वापस लाने के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी जाती? क्यों हम बार-बार उसी बात को कहकर

जनता और जनता जनार्दन की दृष्टि में स्वयं दोषी साबित हो रहे हैं। उधर ध्यान जाना चाहिए। इस पर कठोर कानून बनने चाहिए और उस कानून के तहत काले धन को वापस लाना चाहिए और जो काले धन में लिप्त हैं, वैसे लोगों को कठोर सजा देने की जरूरत है।

महोदय, इसी से संबंधित महंगाई है। आज पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है। मैं तीन वर्षों से सदन के इस तीसरे बजट सत्र को देख रहा हूं, हर बार चर्चाएं होती हैं। कृषि मंत्री जी कुछ बयान देते हैं, प्रधानमंत्री जी के भी बयान कभी-कभी इस तरह के आ जाते हैं कि जनता में एक आंदोलन जैसा स्वरूप उत्पन्न हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई जादू की छड़ी नहीं है। कृषि मंत्री जी कहते हैं कि त्यौहार आने वाले हैं, चीनी के दाम बढ़ सकते हैं। रातों-रात चीनी के दाम बढ़ जाते हैं। कभी जब हमारा किसान उत्पादन करता है तो उसे खरीदने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं हैं। लेकिन जिसे वह खरीदना चाहता है। उसके दाम आसमान पर हैं। उसकी थाली सूनी हो रही है। किसान का बेटा पढ़ने के लिए ऋण लेना चाहता है। महोदय, हम बैंकों की बात करते हैं। महोदय, हम बैंकों की बात करते हैं। अपने अभिभाषण में महामहिम जी ने 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पूंजी विस्तार की बात कही है। गांव में आज भी ऐसे लोग हैं। हम लोग गांव से ही आते हैं। उनको अगर छोटे-मोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग के लिए ऋण लेने की जरूरत होती है तो बैंकों में जाते हैं। बिचौलिए उनसे सौदा करते हैं। बिचौलिया ऋण दिलाने में भी उनसे कुछ और व्यवस्था चाहते हैं। गांवों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए संसाधन नहीं हैं। वे गांव में बैंकों से ऋण लेने के लिए जाते हैं, उन्हें नहीं मिलते। उसके लिए भी उन्हें बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और निराश-हताश होकर वे घर बैठ जाते हैं।

महोदय, जो आज इस अभिभाषण में बात रखी गयी है, उसे वास्तविक स्वरूप में लाने के लिए कठोर नियम बनाने की जरूरत है। महोदय, हम गांवों में रहते हैं। मनरेगा पर कई बार चर्चाएं हुई हैं। आज भी चर्चा हुई है। अभिभाषण में भी चर्चा हुई है। गांव में आदमी बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। हमारे सपा के नेता जी ने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज आप टेलीविजन में देखिए कि बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए हजारों की लाईन लगी है। प्रतिदिन वहां कोई गिर रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, किसी को पीटा जा रहा है। यह क्यों है? अगर हमारी ऐसी नीतियां होती और हम ऐसे बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था करते तो केवल इस उम्मीद से कि हमको बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा तो लाखों लाख लोग इस लाईन में नहीं लगते। उसके लिए एक मूलभूत व्यवस्था बनानी होगी। आज गांव का बेरोजगार पढ़ा-लिखा व्यक्ति फावड़ा चलाने के लिए मजबूर है। कोई वैकेन्सी निकलती है, चाहे वह सफाईकर्मी के रूप में, चाहे किसी अन्य छोटे-मोटे पदों के लिए हों, पी.एच.डी. करने वाले लड़के अपने सर्टिफिकेट और अपनी योग्यता को छिपा कर आवेदन-पत्र भरते हैं। वे सफाईकर्मी बनना चाहते हैं क्योंकि उनके पास रोजी-रोटी का कोई साधान नहीं है।

आज देश की स्थिति यह है और हम 21वीं सदी में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अपने को खड़ा कर रहे हैं। हम अपनी पीठ भी ठोक रहे हैं और हम कह रहे हैं कि पूरा विश्व भारत को आशा भरी निगाहों से देख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा और अभिभाषण में महामहिम जी ने भी कहा। जहां मनरेगा में काम करने के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, डी-लिट लोग रोटी-रोजी के लिए लाईनें लगा रहे हैं, जहां बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग लाठियां खा रहे हैं, उस देश की तस्वीर कैसी हो सकती है, यह कहने की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक-दो बिन्दुओं पर और ध्यान दिलाना चाहूंगा। सबसे मूलभूत समस्या शिक्षा, चिकित्सा, शुद्ध पानी और भोजन की है। शिक्षा, सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप गांवों में जाकर देखिए। उन गांवों में रहने वाले व्यक्ति के बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं। वे इसलिए स्कूल जाते हैं और वहां कटोरा एवं थाली लेकर जाते हैं कि उनको वहां भोजन मिलेगा। पढ़ाई के लिए किताब, कांपी एवं पैंसिल उनके बस्ते में नहीं होती। हम उन्हें कैसी व्यवस्था देना चाहते हैं? अगर वे कहीं हाई स्कूल तक पास हो गए, फिर आगे बढ़ने के लिए उन्हें सुविधा नहीं है। उन्हें स्टेट गवर्नमेंट अनेक सुविधाएं दे रही है, लेकिन उन्हें जो शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए, उससे वे वंचित रह जाते हैं। चिकित्सा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, लेकिन आज भी अच्छे डॉक्टर गांवों में नहीं जाना चाहते। गांवों में अगर किसी को कोई कठिनाई होती है तो वे मजबूरी में उस डॉक्टर के पास जाते हैं। उन्हें वहां ठीक से दवाई नहीं मिलती है, इसलिए उनके रोग बढ़ जाते हैं। वे यहां एम्स में अपना इलाज कराने के लिए भी नहीं आ सकते, क्योंकि उसके लिए न कोई साधन हैं और न ही कोई व्यवस्था है। यहां आने के बाद वे भर्ती भी नहीं हो सकते, उनका इलाज भी नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, इतने दिनों आजाद होने के बाद भी आज गांवों में सबसे बड़ी समस्या शुद्ध पानी की है। हम लोग भी गांव में रहते हैं, हमारे यहां सबसे अधिक समस्या पानी की है। इसलिए हमारे पास लोग हैंड पम्प मांगने के लिए आते हैं। उनके पास पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, पेयजल की सुविधा नहीं है। उन्हें हम शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, शिक्षा और चिकित्सा नहीं दे पा रहे हैं।

वे कुपोषण के शिकार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि यह शर्म की बात है कि हमारे देश में कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। हम कहां खड़े हैं, किस तरह से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अपने को ले जाना चाहेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे जब भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का उत्तर देने के लिए खड़े हों तो जो हमारी बुनियादी समस्याएं हैं, गांवों की, किसानों की एवं मजदूरों की समस्याएं हैं, जो अगली पंक्ति में खड़ा है, जिसकी थाली सूनी है, रोटी महंगी हो रही है, जिसके पास रखने के लिए दाल नहीं है, जिनका आय का स्रोत मनरेगा है। मास्टर रोल गलत बनाए जा रहे हैं। उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है और हम कह रहे हैं कि साल में सौ दिन, उन्हें 40 दिन भी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। ऐसे ग्रेजुएट लोग फावड़ा न लें, वे कलम लें। उनकी जो ऊर्जा है, उसे देश की ऐसे जगहों पर लगाया जाए कि उन्हें रोजगार मिले।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए प्रधान मंत्री जी से चाहूंगा कि देश के विकास में उनकी जो छवि है, आज भी जब गांव में जाएं तो डॉ. मनमोहन सिंह जी, प्रधान मंत्री की जब बात आती है तो वहां के लोग कहते हैं कि ये एक ईमानदार प्रधान मंत्री हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी कह देते हैं कि ये बेबस और लाचार प्रधानमंत्री जी हैं। इस देश का जो विकसित देश होना चाहता है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिस देश की इतनी बड़ी आबादी है, जो विश्व में किसी भी देश के पास नहीं है। हमारे पास ऊर्जा शक्ति, अक्षय भंडार एवं प्राकृतिक संसाधन हैं। हमारे पास सब कुछ है। लेकिन देश को चलाने वाली गाड़ी चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर उसका ड्राइवर ठीक नहीं होगा तो गाड़ी कहां जाएगी। हम माननीय प्रधान मंत्री जी से चाहेंगे कि इनकी जो ईमानदारी की छवि है, उसका हम लोगों को फख्र है। हम सब ऐसे सदन में बैठते हैं, जिसका लीडर, प्रधानमंत्री ईमानदार है। लेकिन जब यही लोग कहते हैं कि वह बेबस हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उसी जगह सारा जोश ठंडा पड़ जाता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी कहना चाहूंगा कि जहां ऐसी स्थितियां इस देश के अंदर हैं, जहां ऐसे फीगर्स आएं, इस लोकतंत्र को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने के लिए आपको गांव के विकास के लिए कठोर निर्णय लेने होंगे। आपको कृषि व्यवस्था को ठीक करने के लिए कठोर निर्णय लेने होंगे। आपको कालेधन को वापस लाने और कालेधन पर रोक लगाने के लिए कठोर निर्णय लेने होंगे। आंतरिक और सुरक्षा जो हमारे देश के लिए एक समस्या बनी हुयी है, चाहे वह चाइना की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे अन्य देशों की हो, उन पर भी हमें कठोर निर्णय लेने होंगे और उसी के साथ-साथ आतंकवाद को भी समाप्त करने के लिए हमें राजनैतिक व्यवस्था से ऊपर उठकर कठोर निर्णय लेने होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को समर्थन देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

**सभापति महोदयः** पांडेय जी, आज आप खुलकर बोले।

श्रीमान् शरद यादव जी।

**श्री शरद यादव** (मधेपुरा)**:** माननीय सभापति जी, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का एक बात के लिए बहुत आभार मानता हूं कि उन्होंने अपना भाषण भारतीय भाषाओं में शुरू किया। मैं कह रहा हूं कि भारतीय भाषाओं में शुरू किया, हिन्दी के लिए नहीं कह रहा हूं। जितनी समस्यायें हैं, वे जरूर होतीं, यदि हमने अपनी भारतीय भाषाओं में इस मुल्क को चलाया होता। ट्रांसलेशन में कोई मुल्क नहीं चलता, चीन आगे इसलिए है कि अपनी भाषा में वह काम करता है। जापान इसलिए आगे है कि उसने अपनी भाषा में सारी चीजें चलायीं। बर्तानिया की हुकूमत में जितने देश रहे हैं, वह सब ऐसे ही रहे। भाषा का ज्ञान बुरी चीज नहीं होती है, लेकिन भाषा का या पूरी तरह उसकी सभ्यता का गुलाम होना, वही हालत पैदा करता है, जो इस देश में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, उसी में ऐसा होता है। महामहिम जी के भाषण में मुझे कोई रोशनी नजर नहीं आती।

**सभापति महोदयः** शरद जी, एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। अभी एक संस्था ने आंकड़े निकाले हैं और यह कहा है कि इंग्लिश का प्रचलन हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों में कई गुना बढ़ा है। अंग्रेजी की ओर लोग ज्यादा आकर्षित हुए हैं।

**श्री शरद यादवः** इस बार दो करोड़ बच्चे भर्ती हो गए हैं, वह मैंने भी पढ़ा है। दो करोड़ नहीं, एक सौ बीस करोड़ आबादी हैं। सभापति जी, दो करोड़ इसलिए भर्ती हुए हैं क्योंकि रोजगार से यह भाषा जुड़ी हुई है। महामहिम जी के भाषण में यह बात नहीं आयी है। भाषा के चलते, जो अंग्रेजी भाषा में बच्चे शिक्षित हैं, उनको तो रोजगार है, लेकिन जो भारतीय बच्चे पढ़े रहे हैं, गोरखनाथ जी जो कह रहे थे कि लाइन लगी है, वे भाषायी बच्चे हैं। उन्हें इस देश में कहीं रोजगार नहीं है। जब से नयी इकॉनामिक पॉलिसी आयी है, उसमें उसकी कोई जगह नहीं है। यहां उसकी जरूर जगह है, विधान सभा में उसकी जगह है। जो लोग बाहर इस भाषा के पारंगत हैं, उनसे ज्यादा ज्ञानवान लोग यहां हैं। महात्मा जी कहते थे कि विद्या बुद्धि की महतारी नहीं है, बुद्धि विद्या की महतारी है। बुद्धि से सारी दुनिया निकली है। बुद्धि से

ज्ञान निकला है, बुद्धि से विज्ञान निकला है, इसलिए उन्होंने कहा है कि सबको वोट मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैसे कहते हो कि हिन्दुस्तान के किसान और मजदूर बे-पढ़े-लिखे लोग हैं? उनका किसानी का अनुभव है। जो इस देश का दस्तकार है, इसमें चाइल्ड लेबर पर लिखा हुआ है। महामहिम के भाषण में चाइल्ड लेबर पर लिखा हुआ है। सभापति महोदय, आप तो बहुत चीजों के मर्मज्ञ हैं। हिन्दुस्तान में कोई दूसरी चीज है ही नहीं। हिन्दुस्तान में खेती और दस्तकारी है। यानी खेती के बाद दस्तकारी दूसरे नम्बर का धंधा है। बढ़ई कोई बचपन में बन सकता है। वह किसी कॉलेज या स्कूल में नहीं बन सकता है। लोहार लाहे की भट्ठी के सामने नहीं बैठेगा तो वह लोहे को न तो मोड़ सकता है और न ही तोड़ सकता है। यदि रवि शंकर बाबा अलाउद्दीन के पास पांच वर्ष की उम्र में सितार नहीं सिखेगा तो वह सितार नहीं बजा सकता है। जो ढाका की मलमल बनाएगा वह बचपन में ढाका की मलमल नहीं बनाया तो वह कभी नहीं बना पाएगा। वह ज्ञान कैसे नहीं है? उसे ज्ञान कैसे नहीं कहते हैं, सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैं भाषा पर थोड़ा-सा ही बोला था। मैं आगे जो बोल रहा हूं वह ढाका और बंगाल दस्तकारी का, उत्तर प्रदेश और बंगाल सबसे ज्यादा, मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* आपके बात करने से मुझे उत्साह बढ़ा। आपको देख कर मुझे बंगाल की दस्तकारी याद आ गई। अंग्रेजों ने डेरा वहीं डाला था। अंगूठे और अंगुलियां तो वहीं कटी थीं। हिन्दुस्तान में खेती के बाद यदि कोई सबसे बड़ा धंधा है तो वह दस्तकारी है।

**सभापति महोदय:** शरद जी, हमारे बिहार और झारखंड में दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा के समय जितनी मूर्तियां बनती हैं उनके लिए सब कारीगर बंगाल से आते हैं।

**श्री शरद यादव:** मैं कह रहा हूं कि दुर्गा जी की मूर्ति बनाने वाला है वह बचपन से मूर्ति बनाना नहीं सिखेगा। ...*(व्यवधान)* मैं आपको पक्का कहना चाहता हूं कि वह कभी भी अचार्या जी के उम्र में उससे मूर्ति बनाने को कहा जाए तो वह मूर्ति नहीं बनाएगा। पता नहीं वह क्या चीज बना कर रख देगा? यह बच्चा जो दस्तकारी का ज्ञान लेता है जो खजुराहो की हार्ड स्टोन में खजुराहो के पास के रहने वाले पटेल जी बांदा के हैं, आप कभी खजुराहो सुबह जाएंगे तो विदेशी गिरते पड़ते हुए दिखेंगे। इस देश के लोग तो जानते ही नहीं हैं। यह तो कहेंगे कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया। इसमें जरूर उसका हिस्सा है लेकिन ताजमहल तो बदरूद्दीन ने बनाया है। राजस्थान के राम-लखन ने बनाया है जिनकी उंगलियों से यह कमाल निकला है और दुनिया की सब से खुबसूरत इमारत हिन्दुस्तान में खड़ी है। उन दस्ताकारों का कोई जिक्र नहीं है। ...*(व्यवधान)* यह राष्ट्रपति भाषण है। यह महामहिम का भाषण है और 14 पार के लोगों को चाइल्ड लेबर, मैं इसका जिक्र नहीं करता। यहां बहुत-सी चाइल्ड लेबर की दुकानें खुली हुई हैं। मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था। इस देश का पच्चीस परसेंट विदेशी मुद्रा हिन्दुस्तान के किसी विज्ञान के सामान से नहीं आता है, हिन्दुस्तान में किसी खोज के जरिए नहीं आता है, किसी चीज के लिए नहीं आता है उसमें तो निकम्मे हैं, हिन्दुस्तान में हजार-दो हजार वर्ष से कोई अविष्कार ही नहीं हुआ है। जीरो और न्यूमरिकल को छोड़ करके हिन्दुस्तान में दो-तीन हजार वर्ष से इस भाषा के चलते कोई अविष्कार ही नहीं हुआ है। अविष्कार यरूसलम से लेकर बंगाल की खाड़ी तक नहीं हुआ है। यहां सिर्फ भगवान ही भगवान है। यहां सिर्फ पूजा ही पूजा है। यहां सिर्फ घंटा ही घंटा बजता है। यहां सिर्फ मस्जिद में खड़े हो कर अजान बम लगाने के सिवा कोई दूसरी चीज नहीं है। यरूसलम से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, अभी लिबिया गिर गया, इराक गिर गया, अफगानिस्तान जो इतिहास में कभी गुलाम नहीं हुआ। अंग्रेज जब यहां से गुलामी करने गया तो माथा मार कर वापस आ गया। वह अफगानिस्तान तबाही से गुजर रहा है। वहां एक जहाज पहुंचाते हैं उसमें आदमी नहीं होता है। उस जहाज का नाम ड्रोन है। ड्रोन जाता है, वह मारता है। उसे आदमी नहीं मशीन चला रही है। मुझे पता चला है। अभी अमेरीका से मेरा दोस्त आया है। वह इंजीनियरिंग में मेरे साथ पढ़ता था। वह बता रहा था कि वह पांच इंच का जहाज बना रहे हैं। वह खोज में लगे हैं और यह मेले में यहां लोगों ने दुकानें खोलकर रखी हैं। अभी गोरखनाथ जी बोल रहे थे, भदोही में उन्होंने कहा कि हम गलीचे नहीं लेंगे। जब मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था, मुझे दुनियाभर के अधिकांश लोगों को बुलाना पड़ा। मैंने एक घंटे बोला। अपनी भाषा में बोला और कहा कि इन्हें इसकी ट्रांसलेशन करके बताइए। तब कहीं बड़ी मुश्किल से जहां हमारा धंधा था, वहां टिका। उन्होंने कह दिया कि चाइल्ड लेबर से है। अगर कोई व्यक्ति बचपन से कालीन नहीं बनाएगा तो कैसे सीख जाएगा। मान लें तबला रखा है। अगर उसे कोई बचपन से नहीं बजाएगा तो कहां से सीखेगा, कैसे सीखेगा। हम सब भारत की संतान हैं। लेकिन हमारी बुद्धि कैसी खराब हुई है। इसमें एक दिन भी ठीक से बहस नहीं होती कि चाइल्ड लेबर में डिवीजन करना पड़ेगा। हमारा दस्तकारी का मुल्क है। दस्तकारी के धंधों को चाइल्ड लेबर में नहीं कर सकते। इससे हिन्दुस्तान का संगीत मर जाएगा, हिन्दुस्तान की दस्तकारी मर जाएगी। ताजमहल जो सबसे खूबसूरत इमारत है, उसे देखने के लिए दुनिया नहीं आएगी। ...*(व्यवधान)* मूर्तिकला नहीं ताजमहल, आपकी मूर्ति पर कौन माथा मार रहा है। मूर्ति पर आप माथा मारिए। यदि इस देश में मूर्ति से कुछ हो रहा हो तो बता दीजिए। ...*(व्यवधान)* हमारे यहां 33 करोड़ भगवान हैं। तीन हिन्दुओं की छाती पर एक भगवान है। हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ, अमरीका का क्यों हो गया। मुझसे कोई पूछे कि भगवान को मेरे पास पहुंचाएं। मैं उसे एक क्विंटल मिठाई खिलाऊंगा और कहूंगा कि मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। तू अमरीका में पैदा हो जाए। जहां भगवान पैदा नहीं हुआ वहां

सुख है और जहां भगवान हुआ वहां दुख आया है। हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि अविष्कार नहीं करेंगे। हम अल्लाह की इबादत इसलिए करते हैं कि अविष्कार करना छोड़ देंगे। ...*(व्यवधान)* ईश्वर पर दुनिया विश्वास करती है। दुनिया में इंसान को दो चीजें चाहिए-परमात्मा और औरत। वह उनके बगैर नहीं रह सकता। मैं मानता हूं लेकिन आपकी कैसी पूजा और पाठ है, धर्म के प्रति कैसी निष्ठा है, अंधविश्वास ने आपका नाश किया है। ईश्वर में विश्वास महात्मा भी करते थे। दुनिया में उनसे बड़ा कोई इंसान आज तक नहीं हुआ। आप विश्वास कीजिए, आस्था रखिए, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। ...*(व्यवधान)* सबमें कोई फर्क नहीं है। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदयः** श्रीमान्, आप आसन की तरफ देखकर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

**श्री शरद यादवः** सभापति जी, फिर मजा ही नहीं आएगा। जब आप बैठ गए तो मुझे लगा था कि महफिल में मजा आ जाएगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि कितनी संख्या है। मैं इस सदन में अपनी आवाज बजाकर चला जाऊंगा। जब आप बैठे हैं तो मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। सुनने वाला चाहिए और सुनने के लिए अगर आपके जैसा व्यक्ति मिल गया तो इधर भी देखूंगा, उधर भी देखूंगा। ...*(व्यवधान)* अभी गोरखनाथ जी ने बोला कि व्यक्ति अपनी पीएचडी की डिग्री छुपाकर सफाई मजदूर बनने के लिए लालायित है। बात ठीक है, लेकिन हिन्दुस्तान के व्यक्ति की बनावट देखिए। यह एमपी है। हमने हिन्दुस्तान में श्रम को कितनी हिकारत से देखा है। अरे, हमारी मां मां इसलिए है कि वह बच्चे को अपने पेट में नौ महीने तो रखती है, लेकिन चार-पांच वर्ष तक बच्चे की सब तरह से सफाई करती है। सफाई करने वाले इंसान को सबसे ज्यादा हिकारत से देखा जाता है। इसलिए दुनिया में लोग आपको सबसे ज्यादा हिकारत से देखते हैं। कहीं आपकी इज्जत है? कौन सा मुल्क है जिससे आपकी दोस्ती है। श्री थरूर चले गए। वे मेरे भाषण के समय यहां नहीं हैं। नहीं तो मैं उन्हें बताता कि कहां खड़े हैं। सबसे ज्यादा गरीब यहां, सबसे ज्यादा भिखारी यहां, सबसे ज्यादा नंगे यहां, इतिहास में लात खाने वाले सबसे ज्यादा यहां, कभी इतिहास में नहीं जीते। हर बार हारते हैं। ...*(व्यवधान)* अरे, मैं कहां कह रहा हूं कि वे एमपी नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* मैं यह कह रहा हूं कि वे जो बात कह रहे हैं, वह सतही है। उन्हें कुछ नहीं मालूम है। उनका ज्ञान बिल्कुल ऊपरी है और जमीन पर क्या हो रहा है, उसकी उन्हें जानकारी नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा गरीब यहां सोते हैं। सबसे ज्यादा हम मेहनत करने वाले लोगों, श्रम करने वाले लोगों की बेइज्जती करते हैं और उन्हें छोटा समझते हैं। हमने ऐसी संस्कृति बनायी है कि कोई जबरा मिल जाये, तो सलाम है और कमजोर मिल जाये तो बोलते हैं कि हप्प। कोई मजबूत आदमी मिल जाये तो कहते हैं कि हुजूर और कोई गरीब रिक्शे वाला मिल जाये तो कहते हैं कि अरे, क्या तेरा दिमाग खराब हुआ है? यह है हमारी संस्कृति। अगर मैं अपनी संस्कृति का नाम रखूं, तो ऊपर चाटो और नीचे काटो। यही है, मैं सच बोल रहा हूं। सभापति महोदय, मैं सौ फीसदी सच बोल रहा हूं। हम सबके लिए बैठे हैं और सब इस संस्कृति के बंधक हैं। यहां बंधक हैं, नहीं तो गोरखनाथ जी यह बात क्यों कहते? ...*(व्यवधान)* नहीं, उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। आप भी इसी तरह बोलते, आप भी यही कहते। यह हमारा दिमाग बना हुआ है। यह एक वर्ष का नहीं है, इसलिए हम दुनिया में पराजित हुए, इसलिए गुलाम हुए। इसलिए हम कोई युद्ध जीत नहीं सके। कहते हैं कि हाथी ने कुचल दिया, इसलिए हार गये। जयचंद पैदा हुए। अरे, क्या दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ? क्या यहीं पैदा हुआ है? अभी लोग चीन की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि चीन कहां है? अरे, ट्रेन के सामने कोई पहलवान ताल ठोकेगा, तो वह मरेगा ही। चीन कहां खड़ा है, किस जगह खड़ा है? आप अपने पुरुषार्थ को बढ़ाओ।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, उस बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं कि वह बड़ा निर्गुण है। वे क्या करें? यह करेंगे, वह करेंगे आदि, हम 63 सालों से यह कह रहे हैं कि यानी आदमी बूढ़ा होकर मरने की तरफ चला जाता है। 63 वर्षों से जैसे-जैसे इस पार्लियामैंट की उम्र बढ़ती जाती है, आजादी की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे जुल्म और अन्याय बढ़ जाता है, बल्कि बीमारी सामने आ रही है। इस अभिभाषण में उत्तर प्रदेश, प्रैस, मीडिया के बारे में कुछ नहीं लिखा।

सभापति जी, इस अभिभाषण में सदन है, जूडिशिरी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में गजब हुआ कि एक संस्था ऐसी है जिसका इस देश और दुनिया में यश है और लोग उसे सम्मान देते हैं। एक संस्था है जिसकी इज्जत, मान और सम्मान है और जिसका यश फैला हुआ है, वह इलैक्शन कमीशन है। वहां उसका क्या बाजा बजाया है? उस बारे में मैं आपको क्या बताऊं? जो मंत्री खड़ा हुआ, आग उगली। इलैक्शन कमीशन ने हम पर भी पांच केस चलाये। आप पर भी कभी चले होंगे?

**सभापति महोदयः** हम पर भी चले हुए हैं।

...*(व्यवधान)*

**श्री शरद यादवः** इस सदन में लोग बैठे हैं, उन सब पर चलते हैं, लेकिन हम लोग मूड़ झुकाकर, सिर झुकाकर उसे स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। अरे, एक संस्था तो है।

इस समय यहां सलमान खुर्शीद साहब नहीं हैं। मैं उन्हें बड़ा सभ्य आदमी मानता हूं, लेकिन इस बार उन्होंने जो आग उगली है, उस बारे में मैं आपको क्या बताऊं? पता नहीं उन्हें क्या हो गया है? बेनी प्रसाद वर्मा जी हमारे साथ रहे। हम कभी नहीं जानते थे कि वे ऐसा बोलने वाले हैं। वे हमारे साथ रहे। हमने इधर-उधर से चंदा लाकर उन्हें दिया। लेकिन उस आदमी ने क्या किया? ...*(व्यवधान)* दिग्विजय जी मध्य प्रदेश में थे, तो बहुत सज्जन आदमी थे, लेकिन दिल्ली का प्रताप बहुत जबरदस्त है। यहां जो आ जाता है, हमें जय प्रकाश जी ने कहा था कि देखो, तुम दिल्ली जरूर आ जाना। हम 25 साल 24 दिन में यहां आ गये थे।

माफ कीजिए, जयप्रकाश जी नहीं, मोरारजी भाई ने कहा था। बोले, देखो, तुमको टिकट नहीं देना चाहिए था, वह गलत किया। यह आजादी की लड़ाई नहीं है। बहुत-सी चीजें ऐसी थीं, हम मुश्किल से पौन घंटा कैसे बिता पाए, हम जानते हैं। अंत में बोले, देखो, दिल्ली में आ गए हो, यहां दूर रहना, दिल्ली इतनी फिसलन वाली जगह है कि फिसलने में देर नहीं लगेगी। यही कारण है कि मैं दिल्ली में बहुत कम ही इधर-उधर जाता हूं और इसीलिए थोड़े-बहुत बचे हुए हैं। इसलिए यह अभिभाषण इतना नीरस है, राष्ट्रपति का अभिभाषण भजन, कीर्तन नहीं होता है। यह करेंगे, यह होगा, यह करेंगे, यह होगा, ऐसे नहीं होता है, अरे, इसका नतीजा क्या निकला। क्या हुआ, सात वर्ष में आपके राज में क्या हुआ? गरीबी बढ़ गयी, बेकारी बढ़ गयी, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रही, वह अकेले यहां नहीं है, गांव तक सरक गया। कोई कहता था कि कुएं में भांग गिर गई, लेकिन यह भांग नहीं, अफीम गिर गयी है और यह अकेले दिल्ली में नहीं गिर गयी है, सब जगह गिर गयी है। जिसके हाथ में आ रहा है, वह सरकार का पैसा लेकर भाग रहा है। जो भाग रहा है, उसे खूब गाली दे दो, लेकिन कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा कि यह ऐसा है क्यों? हिन्दुस्तान के आदमी की बनावट ऐसी क्यों है? इसलिए है सभापति महोदय, कि हमने मां को गुलाम करके रखा है क्योंकि हमको जाति चलानी है। जाति चलाने के लिए गुलाम करना है, तो जाति और गुलामी की जब चक्की चलती है, तो उसमें अंतिम आटा निकलता है परिवार। हमारे यहां कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिसका घर चंगा रहेगा, उसी की कठौती में गंगा होगी। हर भारतीय, चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, परिवार के प्रति उनकी निष्ठा फर्स्ट है। अब यह बीमारी सामने खड़ी है। जाति सामने खड़ी है। हम चुनाव में जा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं करप्शन-करप्शन, भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार। वह सिर्फ एक बहाना है प्रचार करने का। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखिए, भ्रष्टाचार पर कोई एक वोट दे रहा हो, कोई नहीं दे रहा है। 25-30 जातियों ने अपनी पार्टी बना ली है। वे कह रहे हैं कि हमारी जाति की जो लोहे की सिकड़ी है, उसे सोने की कर दो। इससे उनको कई एतराज नहीं है और जिस जाति का आदमी मिलता है, कहता है हमारी जाति बड़ी कमीनी है, एक नहीं हो रहे हैं। ऐसी दुष्टता का वातावरण बना है। सारी बीमारी आपकी दीवार पर सामने है। क्या कभी एक दिन सरकार ने या सदन ने इन सारी बीमारियों पर चर्चा करने का काम किया? यह जो राष्ट्रपति पढ़ रहा है, वह आपका राष्ट्रपति है, हमारा राष्ट्रपति आएगा, तो इसी तरह पढ़ेगा। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** भाषण तो कैबिनेट बनाती है।

**श्री शरद यादव:** हां, मैं वही तो कह रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि राष्ट्रपति हमारा हो या इनका हो, भाषण कैबिनेट का ही होता है। अब वह भाषण पढ़ रहा है। इसमें यह करेंगे, यह कर दिया, इसके लिए सिवाय अंत में कुछ लिखा ही नहीं है। कितनी तरह की चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, इसमें कहा गया हमने हेल्थ मिशन चलाकर रखा है, हमने मनरेगा चलाया है, सर्वशिक्षा अभियान चलाया है, सब चीजों में जैसे कोई टोटका करता है, यह भी कर दिया, यह भी कर दिया, वह भी कर दिया। उससे कुछ हुआ या नहीं हुआ, हम इसे देखने को तैयार नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** अगर नहीं हुआ, तो किसने नहीं किया।

**श्री शरद यादव:** आपकी बात सही है। मैं पूरे, सभी लोगों के लिए कह रहा हूं। आप क्यों सोच रहे हैं कि मैं आपको कह रहा हूं। आपके लिए थोड़े कह रहा हूं।

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी):** प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। ...*(व्यवधान)*

**श्री शरद यादव:** हां, बताइए। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। आप बहुत अच्छी हिन्दी बोलने लगे हैं।

**सभापति महोदय:** सामी जी बोल रहे हैं कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है।

**श्री शरद यादव:** वह ठीक कह रहे हैं। देश की हालत सबने की है, मिलजुलकर हुई है। जितनी बातें यहां कही गई हैं, जितनी बातें राष्ट्रपति जी से कहलाई हैं, सर्व शिक्षा अभियान, पानी, पीने का पानी आदि सब बातों का जिक्र राष्ट्रपति जी ने किया है और कोई बात छोड़ी नहीं है कि यह नहीं करेंगे। लेकिन वे सभी बातें पूरी नहीं हो सकतीं, जितनी कूवत है आपमें उतनी ही आप कर पाएंगे। एक बार एक बात हुई, जो कि अपवाद कही जा सकती है। पंजाब के मुख्य मंत्री प्रताप सिंह कैरों थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर बात चल रही थी और सभी राज्यों के मुख्य मंत्री बैठे

थे। मुझे खोजबीन करके, पढ़ कर महसूस हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक चीज की मांग उस बैठक में की थी और वह था भाखड़ा नंगल डैम की। आगे चलकर उससे देश में बिजली पैदा हुई। उसी का परिणाम है कि आज पंजाब में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पीने का पानी न हो, पानी की टंकी न हो और नल न हों। पंजाब में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां स्कूल न हो, सड़क न हो। इस बात को सभापति जी आप अच्छी तरह से जानते हैं। वहां हर गांव में बिजली है, यह बात और है कि अब वहां बिजली की दिक्कत हो गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। खेत का नाता पानी से बहुत गहरा है और वहां खेतों में पानी पहुंचा। जब ये हालात वहां के हुए तो लोगों के चेहरे का पानी बदल गया, रूप बदल गया। वहां गांव-गांव में अस्पताल खुले, पीने का पानी गया, वहां पर मजदूरी 200-250 रुपए तक हुई। पंजाब में बिहार का मजदूर मजदूरी के लिए जाता है, जिससे वहां के लोगों की अब मेहनत करने की आदत छूट गई है।

सभापति जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आपकी निगाहें मेरी तरफ उठ रही हैं।

**सभापति महोदय:** आप इतने उन्मुक्त वातावरण में बोल रहे हैं कि मैं समय की सीमा को भूल रहा हूं।

**श्री शरद यादव:** आपका बड़ा आभार।

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** इनके लिए कोई समय-सीमा भी है क्या?

**सभापति महोदय:** वह खुद समझदार हैं, मैं इधर-उधर देख रहा हूं तो वह समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं।

**श्री शरद यादव:** आप पुराने साथी हैं। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए केवल एक बात अंत में कहना चाहूंगा। यहां पर काफी चर्चा हुई, खासकर कांग्रेस पार्टी, हाल ही में हुए विधान सभा चुनावों के बाद, विशेषकर उत्तर प्रदेश के, काफी हड़बड़ा गई। हड़बड़ाहट में आदमी गड़बड़ा भी जाता है और उसका ब्लड प्रैशर भी बढ़ जाता है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक अद्‌भुत बात चलाई, सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय को बाबा साहेब अंबेडकर जानते थे, गांधी जी जानते थे, इंदिरा जी जानती थी और सबसे ज्यादा डॉ. लोहिया जानते थे। संविधान बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने बैकवर्ड क्लास का प्रयोग किया हिन्दुस्तान में, कास्ट का इसलिए नहीं किया कि हिन्दुस्तान का संविधान बनाने वाले वे लोग चाहते थे कि देश में जातियां बहुत हैं, टूट नहीं सकतीं, लेकिन यदि जातियों के बड़े-बड़े कुछ समूह बन जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। संविधान सभा की बहस आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितने अनुभवी लोगों की बहस है। उन्होंने बैकवर्ड क्लास नाम रखा, बैकवर्ड कास्ट नहीं। इस मुद्दे पर कितनी बहस हुई, बंसल जी, आपकी सरकार को और आपको खुद संविधान सभा की डिबेट को पढ़ना चाहिए। संविधान में बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड कास्ट नहीं है, यह पिछड़ा वर्ग है, नारायणसामी जी आपकी बगल मे बैठे हैं। ये थोड़ा बहुत इस मामले में जानते हैं क्योंकि साउथ के आदमी हैं, ये बैकवर्ड क्लासेज है और आपको यकीन के साथ बताता हूं कि किसी एक मुसलमान ने रिजर्वेशन नहीं मांगा था, किसी एक भी ईसाई ने नहीं मांगा था, किसी एक सिख ने भी इसके लिए आंदोलन नहीं किया था। कर्पूरी ठाकुर, दिल्ली के चौधरी ब्रह्मप्रकाश, राम अवधेश सिंह और साउथ के जितने भी लोग थे, चाहे अणुमणि रामदास हों या करुणानिधि हों, इन सब लोगों ने आंदोलन चलाया। सभापति जी, मैंने अपने घर में बैठकर पिछड़ी जातियों के, बैकवर्ड क्लासेज के मुसलमानों का नाम, जबलपुर के डा. अंसारी को बुलाकर नाम छांटे। मेरा एक साथी जीवन मसीह था, उसे बुलाकर मसीहों में, ईसाइयों में कौन छोटी जाति के हैं उनके नाम छांटे और उसमें हमें तीन महीने लगे। मंडल साहब जिंदा थे तो उनके पास बैठकर सभी नाम मैंने उसमें रखवाए थे। वे कहते थे कि बैकवर्ड क्लासेज में मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, उन्होंने कुछ बैकवर्ड जातियां छांटी भी थी कि ये बैकवर्ड क्लासेज हैं। लेकिन बैकवर्ड क्लासेज का आपने डिवीजन कर दिया। अभी मैं माननीय राजनाथ सिंह जी को सुन रहा था तो उन्होंने तो न जाने क्या-क्या गजब बातें कह दीं। यानी वे कह रहे थे कि इकोनोमिक रिजर्वेशन कर दो। अरे, तो इस देश की जितनी जातियां हैं उनके चार समूह कर दो और जिनकी जितनी संख्या है उन्हें उतना रिजर्वेशन दे दो। क्यों नहीं दे देते हो या फिर जाति को खत्म कर दो। मैं सभी वीकर सैक्शन की तरफ से कहता हूं कि जाति जिस दिन आप तोड़ोगे, हम रिजर्वेशन वापस लेंगे, अंतरजातीय शादी करके आप मुझे बताओ। क्यों जाति को नहीं तोड़ते हो? जाति के चलते सिनेमा में तुम, जाति के चलते ब्यूरोक्रेसी में तुम, जाति के चलते ज्यूडिशिरी में तुम, जाति के चलते पूरी इंडस्ट्री पर तुम्हारा हक। इसीलिए मैं कह रहा हूं सभापति जी कि जो रिजर्वेशन है, उस पर उनकी एजुकेशन होनी चाहिए।

मैं बहुत विस्तार से इस पर बोलना चाहता हूं। इन्हें अभी एजुकेट करना है। इंदिरा जी तो जानती थीं लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लोग पूरा भूल गये और इसीलिए यूपी में हार गये क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं है कि समाज-नीति क्या है? समाजवादी पार्टी का डीएनए और हमारा डीएनए एक है, ये जानते हैं इसीलिए इन्होंने तिकड़म करके अपना दांव लगाकर खेल किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं जानते हैं। इन्हें इस बारे में पता ही नहीं है और इसीलिए इनकी यूपी में हार हुई। ...*(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल:** वहां तो डीएनए ठीक है, यहां मिलता नहीं, वहां मिले पड़े हैं।

**श्री शरद यादव:** हमारी 63 साल से अपोजीशन तो एक है, आप तो अब छोटे पड़ गये हैं, आप पहले इतने जबर थे कि यदि हम सभी साथ न होते तो आप कभी हटते ही नहीं। यह हमारा साथ तो तकनीकी है। यह एक रणनीति है। आप 9 फीसदी की बात कह रहे हैं और रंगनाथ मिश्र को एक्सपर्ट मान रहे हैं। उसने सारे डिसीजन रिजर्वेशन के खिलाफ दिये हैं। वह आदमी कहता है कि आबादी के अनुसार भी दे दो और नहीं तो फिर साढ़े चार फीसदी दे दो। आप सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमेटी के ऊपर भी बहस करवा लो। मैं बताऊंगा कि उनमें असली चीज क्या है? सच्चर साहब डा. लोहिया के साथ रहे हुए आदमी हैं, उनकी रिपोर्ट में बहुत दूर तक अच्छाई है, लेकिन रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट तो गजब है, क्या लिखते हैं कि ये नहीं कर सकते तो यह कर दो, खेल समझ रहे हैं। इसलिए 52 फीसदी का आधा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, 52 करना चाहिए था लेकिन अभी तो आधा ही मिलता है हिंदुओं को, तो आधा ही मुसलमानों को मिलेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि 9 फीसदी कर देंगे।

आप जान लीजिए कि मंडल लागू होने के बाद दंगा बंद हुआ और आज यूपी, बिहार में दंगा नहीं हो रहा है। आप पता लगा लीजिए कि पहले कितने दंगे होते थे और आज कितने हो रहे हैं? जिस दिन इस पर बहस होगी, उस दिन पूरे आंकड़े लेकर मैं आऊंगा। ये दोनों पार्टियां फिर चाहती हैं और खासकर कांग्रेस पार्टी ने पहल की है बीजेपी ने पहल नहीं की है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि फिर दंगा हो जाए और चुपचाप हमें मुसलमानों का वोट मिल जाए। इसलिए इन्होंने ऐसा प्रयास किया है जो गलत है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से जो इन्होंने भाषण करवाया है उसमें एक ही अच्छी चीज की कि वे भारतीय भाषा में बोलीं। बाकी तो इसमें ये होगा, ये करेंगे, ये होगा, इसलिए करेंगे-होगा यही भाषण का नाम होना चाहिए। आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*[अनुवाद]*

**श्री कल्याण बनर्जी** (श्रीरामपुर): माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हमारे दल की महान नेता ममता बनर्जी के नेतृत्व में हमारे दल ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए थे जिन पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसी की रूप में इसका उत्तर दें।

पश्चिम बंगाल में 34 वर्ष तक वामदल द्वारा शासन करने के पश्चात् मात्र नौ महीने पूर्व ही हमारी नेता ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक नई सरकार ने राज्य की बागडोर संभाली है। जब सरकार ने कामकाज संभाला तो उस पर 2,03,000 करोड़ रु. से भी अधिक ऋण का बोझ था। दूसरे शब्दों में, राज्य के प्रति व्यक्ति पर लगभग 21,000 रु. का ऋण था।

यूपीए-1 के शासनकाल के दौरान, वर्ष 2004-06 के बीच राज्य का ऋण भार 497 प्रतिशत बढ़ा। यह ऋण जाल तत्कालीन वामदल सरकार द्वारा उत्पन्न किया गया था। आज वित्त आयोग ने देश के तीन राज्यों को ऋण से दबे राज्य घोषित किया है। इनमें पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है और केरल तथा पंजाब क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर।

मूलधन और ब्याज की पुन: अदायगी के रूप में ऋण के प्रति वार्षिक रूप से 22,000 करोड़ रु. का भुगतान किया जा रहा है जो लगभग राज्य के स्वयं कर संग्रहण के बराबर है। हमने केन्द्र सरकार से ऋण केबोझ को कम करने हेतु वार्षिक वित्तीय खर्च को कम करने हेतु राज्य को राहत प्रदान करने का अनुरोध किया था।

यद्यपि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कई राज्यों में काफी पहले लागू कर दिया गया था, वामदल सरकार ने इसे पश्चिम बंगाल में 2010 में लागू किया। इसके फलस्वरूप, काफी ऋण जमा हो गया। यूपीए-1 सरकार ने ऋण को इस स्तर तक जमा होने की अनुमति दी।

पश्चिम बंगाल की सरकार पहले ही माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध कर चुकी है और हम उनसे पुन: यह अनुरोध करते हैं कि तीन क्रमिक वर्षों के लिए वार्षिक अनुदान के रूप में ब्याज और पुन: अदायगी स्थगन की छूट दी जाए। साथ ही, हम राज्य के लिए एक दीर्घकालीन वित्तीय ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम बनाने का भी अनुरोध करते हैं। अन्यथा, राज्य सरकार के लिए पश्चिम बंगाल में कतिपय सुधार करना असंभव होगा।

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों से एकत्र कर की कुल राशि में से 32 प्रतिशत हिस्सा विभिन्न राज्यों को दिया जाता है और केन्द्र सरकार द्वारा एकत्र कुल कर का केवल 7.25 प्रतिशत हिस्सा ही पश्चिम बंगाल को मिलता है। देश आज इस मुद्दे का उत्तर मांगता है। राज्य को वित्तीय गठन का लाभ मिलना चाहिए। जब राज्यों से 100 प्रतिशत कर एकत्र किया जा रहा है तो राज्यों को केवल मामूली सा हिस्सा ही क्यों मिले? राज्यों से एकत्र करों का एक बड़ा हिस्सा राज्यों को दिया जाना चाहिए।

संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा माल की अन्तर-राज्यीय बिक्री के अनुसार केन्द्रीय बिक्री कर एकत्र और विनियोजित किया जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने भारत को एक

साझा बाजार के रूप में विकसित करने के लिए मिलकर यह निर्णय लिया था कि 1 अप्रैल, 2007 से इस कर को 4 प्रतिशत से धीरे-धीरे कम करके शून्य प्रतिशत किया जाएगा। चूंकि राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर से काफी अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा था, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि वह राजस्व हानि के लिए राज्यों को पर्याप्त प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी ...*(व्यवधान)*। 1 अप्रैल, 2008 से केन्द्रीय बिक्री कर को घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया और तब से यह 2 प्रतिशत ही है। भारत सरकार ने हाल ही में स्वयं यह निर्णय ले लिया कि वह 2011-12 के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति प्रदान नहीं करेगी और पूर्ववर्ती वर्षों के लिए राज्यों को आंशिक प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। इसके फलस्वरूप वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए 1,200 करोड़ रु. की राजस्व हानि हुई। आगामी वर्षों में यह हानि और अधिक होगी। भारत सरकार से राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर की पूरी प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया जाता है।

भारत सरकार ने हाल ही में निजी विमानन कंपनियों को हवाई ईंधन (एटीएफ) आयात करने की अनुमति दी है जिस पर राज्यों ने अपनी आपत्तियां प्रकट की थी। राज्यों द्वारा आपत्तियां उठाए जाने के बावजूद सरकार अपने निर्णय पर कायम रही। हम प्रतिवर्ष एटीएफ की बिक्री से 250 करोड़ रु. का बिक्री कर एकत्र करते थे- मैं यह बात केवल पश्चिम बंगाल के बारे में कह रहा हूं। हमें डर है कि सरकार द्वारा आयात की अनुमति देने के निर्णय के कारण इस कर से प्राप्त राजस्व में भारी कमी आएगी। सरकार से पहले वाली स्थिति को बहाल करने का अनुरोध किया जाता है।

सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष अनुदान प्रदान किए जाने चाहिए। पश्चिम बंगाल में पांच जिले- कूच बिहार, उत्तर चौबीस परगना, दार्जिलिंग, मालदा और मुर्शिदाबाद को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु पिछड़े जिले घोषित किया जाना चाहिए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से राज्य पर अतिरिक्त भार पड़ेगा क्योंकि भारत सरकार ने राज्यों और केन्द्र के बीच 65:35 के अनुपात में साझेदारी पैटर्न रखने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार भारत सरकार के जेएनएनयूआरएम और इस जैसे बहुत से अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में भी उनके बीच ऐसी ही साझेदारी है। राज्यों की गंभीर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए राज्य का पर्याप्त हिस्सा आवंटित करना कठिन हो गया है। अत: हम भारत सरकार से अनुरोध करते है कि हमारे राज्य के लिए 80:20 की वित्तपोषण पद्धति लागू करने के लिए विशेष मामले के तौर पर विचार किया जाए।

भारत सरकार ने राज्य सरकारों की कृषि, ग्रामीण विकास और अवसंरचना विकास के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बैंक ऋण प्रदान करने में सहायता करने के लिए उद्देश्य से 1995-97 में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना की थी। आरआईडीएफ निधियां नाबार्ड के माध्यम से 6.5 प्रतिशत की दर पर राज्यों के लिए उपलब्ध थीं। ब्याज की दर नवम्बर 2003 ने बैंक की दर हाल ही में बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत कर दी है; इसका अर्थ है कि आरआईडीएफ निधियां 10 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध होंगी। ब्याज की इतनी ऊंची दर से राज्यों ग्रामीण क्षेत्रों के महत्वपूर्ण विकास हेतु आरआईडीएफ निधियां लेने में हिचकिचाएगा। हम भारत सरकार से आरआईडीएप के अंतर्गत उपलब्ध ऋणों के लिए 6 प्रतिशत की दर रखने का अनुरोध करते हैं।

एनसीटीसी के संबंध में, हमने कई अवसरों पर अपनी आपत्तियां उठाई हैं। आज भी हमने सुबह अपनी आपत्तियां उठाई हैं। आज भी मुझे यह मौका मिला है-केन्द्र सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छद 73 और उससे संबंधित अन्य शक्तियों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके एनसीटीसी का गठन किया गया है।

**अपराह्न 05.00 बजे**

उक्त आदेश के खंड 2.3, 2.4, 2.5, 3.2 और 3.5 को एक साथ पढ़ने पर यह तथ्य सामने आता है कि एनसीटीसी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो पुलिस बलों की मानी जाती हैं जैसे गिरफ्तारी, सूचना एकत्र करना, आतंकवाद का मुकाबला करने में वर्तमान जांच में सहायता करना। कानून और व्यवस्था से संबंधित शक्ति राज्य सरकार में निहित होती है। संविधान के अंतर्गत इस शक्ति को वापस नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 73 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके क्नेद्र सरकार राज्य विधानमंडल की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं कर सकती। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आतंकवाद हमारी लोकतांत्रिक संरचना के लिए खतरा है। उच्चतम न्यायालय ने 22 सितम्बर 2006 को प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले में यथा पारित अपने निर्णय में पुलिस व्यवस्था में उपयुक्त सुधार करेन का भी निदेश दिया था ताकि राज्यों के पुलिस बल ऐसे संकट का मुकाबला कर सकें। इस बात से इंकार नहीं कि केन्द्र सरकार को अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए ऐसे खतरों का मुकाबला करने में राज्यों का मार्गदर्शन करने हेतु उपयुक्त नीति, रणनीति संगठन बनाना चाहिए। किंतु इसे उस स्थिति तक नहीं ले जाया जा सकता जहां केन्द्र सरकार संविधान द्वारा राज्य सरकार को दिए गए लोक व्यवस्था के कार्यों में हस्तक्षेप करके पुलिस के कार्य भी करने लगें।

चूंकि प्रस्तावित रूप में एनसीटीसी शासन के संघीय ढांचे की पवित्रता को नुकसान पहुंचाएगा और देश के विद्यमान कानूनों के प्रतिकूल होगा और न्यायिक छानबीन के अधीन होगा इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि एनसीटीसी को तत्काल वापस लिया जाए। इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। इस पर बाद में कार्य हो सकती है। इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार के पास अनुच्छेद 73 के अंतर्गत राज्य पुलिस के कार्य में सीधे हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है।

मैं अब उर्वरकों की कीमतों के बारे में संक्षेप में उल्लेख करूंगा। इससे संबंधित चार प्रमुख मुद्दे हैं। जैसाकि चर्चा हुई है, गैर यूरिया उर्वरकों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से भूमि को भारी नुकसान हो रहा है। पीएंडके उर्वरकों के बजाय यूरिया का प्रयोग करने की किसानों की प्रवृत्ति के कारण एमपी के प्रयोग अनुपात असामान्य है।

जब तक भारत सरकार राजसहायता के उपयुक्त सूचीकरण के माध्यम से कीमतों में वृद्धि को निष्प्रभावी करने का संकेत नहीं देती तब तक भारत सरकार की यूरिया की कीमत के विनियंत्रण की मंशा का एमआरपी पर प्रभाव पड़ेगा।

हाल की रिपोर्ट बताती हैं कि भारत सरकार का विचार राजसहायता में 30 प्रतिशत तक कटौती करने का है। यह उर्वरकों की कीमतें बढ़ाने का एक और कारण है।

भारत सरकार ने अब यह संकेत दिया है कि प्रत्यक्ष तौर पर खुदरा विक्रेताओं के लिए उपयुक्त मुनाफा तय करने के लिए द्वितीयक माल-भाड़ा रियायत को समाप्त कर दिया जाएगा। किंतु इसका किसानों के लिए उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि का तात्कालिक प्रभाव होगा।

जहां तक जूट का संबंध है तो मेरा अनुरोध है कि जूट के लिए राजसहायता बढ़ाई जाए। वर्ष 2011 भी फसल के लिए जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य समुचित रूप से तय किया जाए। वर्ष 2012 के लिए उत्पादन की लागत 2,500 रुपये प्रति क्विंटल रहने का अनुमान है और भारत सरकार को 3,700 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की गई है। महोदय, इसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए।

अब मैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों की बात करूंगा। जिस प्रकार भा.रा.रा.प्रा. (एनएचएआई) कार्य कर रहा है, यात्रा करना वास्तव में असम्भव है। सड़कें बहुत पहले बनाई जा चुकी हैं। टोल टैक्स लिया जा रहा है परन्तु सड़कों का कोई रखरखाव नहीं है। कार को टोल टैक्स के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। और ट्रक या बस को 500 रुपये का भुगतान करना पड़ता है परन्तु सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। पश्चिम बंगाल में एनएचएआई की सड़कें पूरी तरह से खराब हालत में हैं। कोलकाता में एक ओर से निवेदिता सेतु के माध्यम से प्रवेश होता है। यदि आप वहां जाएं तो आपको कम से कम पांच फुट गहरे गड्ढे मिलेंगे और आप शाम को यात्रा नहीं कर सकते।

**सभापति महोदयः** अब मैं समझ सकता हूं कि ममताजी ने ऐसा क्यों कहा था कि कोई भी बोली लगाकर भी पश्चिम बंगाल को नहीं खरीदेगा।

**श्री कल्याण बनर्जीः** आपने बिल्कुल ठीक कहा, श्रीमान। एनएच-34 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस विमानपत्तन से शुरू होकर दालखोला तक जाता है जो लगभग 452 किलोमीटर दूर है। इसे चार लेन की सड़क में विकसित करने के लिए वर्ष 2005 में पश्चिम बंगाल सरकार के लोक निर्माण विभाग से एनएचएआई को अंतरित किया गया था। तथापि, एनएचएआई ने इसे 31 से 452 किमी. तक चार लेन की सड़क बनाने की योजना बनाई है। तद्नुसार, उन्होंने एजेंसियों का चयन किया। एनएचएआई ने परियोजना रिपोर्ट के लिए बारासात बाईपास-11.90 से 31 कि.मी. की संकल्पना की और परामर्श किया किंतु कुछ भी नहीं हुआ है। एनएचएआई में कोई भी काम नहीं हुआ है। भारत सरकार द्वारा इसमें तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इसमें हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं।

कई वर्षों के बाद, हमारी मुख्यमंत्री ने दार्जिलिंग में गोरखालैंड की समस्या का समाधान किया है। हमारी मुख्यमंत्री द्वारा जीटीए करार दिए जाने के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए हम महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देते हैं।

आपने मुझे बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं, कृपया इस पर ध्यान दें कृपया वित्तीय सहायता दें और 2 लाख 3 करोड़ ऋण वाले इस राज्य पर ध्यान दें। इस नई सरकार को यह सब विरासत में मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इसका उत्तर दें और इस बारे में कुछ कहें।

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): धन्यवाद, सभापति महोदय। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना पर बोलते हुए राष्ट्रपति जी ने समावेशी विकास का उल्लेख किया था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य वस्तुतः समावेशी विकास ही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के इन पांच वर्षों के दौरान समावेशी विकास हुआ है अथवा नहीं। यही प्रश्न है।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदयः** आचार्य जी, आप तो बहुत अच्छी हिन्दी में भाषण देते हैं।

**श्री बसुदेव आचार्यः** बीच-बीच में हिन्दी बोलेंगे और आज एक शायरी बोल कर अपनी बात खत्म करेंगे और वह भी फैज़ अहमद फैज़ की शायरी के साथ।

**सभापति महोदयः** आचार्य जी, आपने तो हमारी उत्सुकता बढ़ा दी है कि हम लोग इंतजार करते रहेंगे कि आप कब शायरी बोलें।

**श्री बसुदेव आचार्यः** आप मुझे बोलने का समय दीजिएगा।

*[अनुवाद]*

गरीब और अमीर के बीच असमानता नहीं है। अब देश विभाजित हो गया है। भारत एक विभाजित देश है। एक अमीर भारत है और दूसरा गरीब भारत। आप इसे आईपीएल इंडिया और बीपीएल इंडिया कह सकते हैं। इस सरकार द्वारा चलाई जा रही नीति का यह परिणाम निकला है। इस अवधि में हमने देखा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमने देखा है कि कामगार हड़ताल पर हैं। हमने इस अवधि में देखा है कि बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। गरीबी, भुखमरी, मौत, भ्रष्टाचार और काले धन के प्रसार में भी वृद्धि हुई है। यब नव-उदारवादी आर्थिक नीति का परिणाम है जिसका वर्ष 1991 से इस सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुसरण किया जा रहा है।

राष्ट्रपति जी ने कहा है:

"मेरी सरकार एक ईमानदार और अधिक कुशल सरकार देने के प्रति वचनबद्ध है।"

यह इस वर्ष का सबसे बड़ा मजाक है। आपने देखा कि शीतकालीन सत्र में इसलिए कार्य नहीं हुआ क्योंकि सरकार इस बात पर उतारू थी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और सारा विपक्ष यह मांग कर रहा था कि 2जी स्पेक्ट्रम में भारी-भरकम घोटाले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। महोदय, आपको यह याद होगा कि हमने वर्ष 2010 के मानसून सत्र में यह मांग की थी। किंतु अंत में सरकार सहमत हो गई. जिस नए मंत्री ने कार्यभार ग्रहण किया उनका क्या वक्तव्य था? मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उन्होंने एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया और कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और कोई भ्रष्टाचार नहीं है। यदि ऐसी बात थी तो एक कैबिनेट मंत्री दो वर्ष से ज्यादा समय से जेल में क्यों है?

जब उच्चतम न्यायालय ने 122 लाईसेंस रद्द करने का निर्णय दिया तो निर्णय का आधार क्या है? हम लगातार इस सभा में कहते आ रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन हमारे देश के लोगों के हैं। इस सरकार द्वारा अपनाई जा रही उदार आर्थिक नीति के कारण हम प्राकृतिक संसाधनों को लुटने दिया जा रहा है। हमने देखा है कि कर्नाटक, गोवा, ओडिशा और झारखंड जहां लौह अयस्क हैं में क्या हुआ। प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक सम्पदा होते हैं। स्पेक्ट्रम भी सार्वजनिक सम्पदा है। निर्णय के पश्चात् निर्णय को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा की बात कर रही है। वे निर्णय को स्वीकार क्यों नहीं करते? वे निर्णय लागू कर 122 लाईसेंस रद्द क्यों नहीं कर सकते क्योंकि उनकी नीलामी नहीं की गई थी? देश को उसके कारण 1.76 करोड़ रुपये की हानि हुई। इस देश में इतनी भ्रष्ट सरकार कभी-भी नहीं रही। हमने यह सबसे भ्रष्ट सरकार देखी है।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। जब हम इस सरकार का समर्थन कर रहे थे तो हमने प्रधानमंत्री की जनवरी 2008 में यह बताते हुए दो पत्र लिखे थे कि उस समय क्या हो रहा था। वाम दलों के इकसठ सदस्यों ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधारपर बाहरसे समर्थन दिया था। आज, संप्रग-2 सरकार का कोई कार्यक्रम ही नहीं है। संप्रग-1 सरकार का राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम था।

महोदय, माननीय राष्ट्रपतिजी ने अपने अभिभाषण में कृषि के संबंध में बहुत सी बातों का उल्लेख किया है जैसे कि कृषि में विकास हो रहा है, जैसे कि कृषि क्षेत्र में कोई समस्या ही नहीं है। कृषि संकट दिनो-दिन गहरा होता जा रहा है। हाल ही में कृषि संबंधी स्थायी समिति ने महाराष्ट्र राज्य में यवतमाल का दौरा किया था। हमने वहां क्या पाया? आत्महत्या करने वाले किसानों की लगभग 500 विधवाएं हमसे मिली। भिन्न-भिन्न राज्यों के लगभग 2,56,000 किसानों ने आत्महत्या की है यहां तक कि उन राज्यों से भी किसानों की आत्महत्या के मामले प्रकाश में आए हैं जहां पहले कभी किसानों की आत्महत्या की घटनाएं नहीं हुई किंतु पिछले चार से पांच महीनों में परिवर्तन के बाद किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में पैंतालीस किसानों ने आत्महत्या की है *...(व्यवधान)*

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय):** महोदय, यह गलत वक्तव्य है *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री बसुदेव आचार्यः** क्यों किसानों को खुदकुशी करनी पड़ रही है? *...(व्यवधान)* जो किसान हमारे देश के खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाए हैं, आज उन किसानों को खुदकुशी करनी

पड़ रही है। आज हमारे देश का किसान खुदकुशी करने के लिए क्यों मजबूर है? *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**प्रो. सौगत रायः** महोदय, यह सभा को भ्रमित कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदयः** माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइये। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**सभापति महोदयः** माननीय सदस्यगण आप सभी सज्जन व्यक्ति हैं। अब मैं खड़ा हुआ हूं इसलिए आपको बैठ जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोद करता हूं कि उन्हें बोलने दें। आपको बोलने का मौका मिला और उन लोगों ने शांतिपूर्वक सुना।

**श्री सुदीप बंदोपाध्यायः** महोदय, यह राज्य का विषय है। जब हम एक बार सभा में यह मामला उठाना चाहते थे तो उन्होंने यह कहते हुए कि ये राज्य के विषय हैं, हमें इसकी अनुमति नहीं दी थी। *...(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्यः** किसानों की आत्महत्या राज्य का विषय नहीं है *...(व्यवधान)*

**प्रो. सौगत रायः** महोदय, यह सभा को भ्रमित कर रहे हैं। क्या यह सभा को भ्रमित कर सकते हैं? *...(व्यवधान)*

**श्री सुदीप बंदोपाध्यायः** महोदय, पश्चिम बंगाल में किसानों की आत्महत्या की ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जैसा इन्होंने उल्लेख किया है। आत्महत्या की एक घटना घटी है और हम उसे स्वीकार करते हैं। दूसरे धनी किसान हैं *...(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्यः** मैं उन किसानों की सूची दे सकता हूं जिन्होंने राज्य में आत्महत्या की है *...(व्यवधान)* किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

महोदय, उत्पादन लागत में 100 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। जनवरी, 2011 में एक बोरी डीएपी का मूल्य क्या था? यह 450 रुपये प्रति बोरी था। आज इसका मूल्य क्या है? यह 950 रुपये प्रति बोरी है। किसानों की 950 रुपये प्रति बोरी के मूल्य पर भी डीएपी नहीं मिल रहा है। उन्हें प्रति बोरी 1200 रुपये या 1200 रुपये या 1400 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। *...(व्यवधान)* इसका काला-बाजारी करके बेचा जा रहा है। जिन बाजार में उर्वरक उपलब्ध नहीं है उनमें उर्वरक बेचा जा रहा है। *...(व्यवधान)* मेरे पास आंकड़े हैं *...(व्यवधान)* 2008-09 में यह 176,602 करोड़ रुपये थी। क्या वे इसे चुनौती दे सकते हैं? वे इसे चुनौती नहीं दे सकते। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदयः** श्री आचार्य, मैं आपकी शायरी का इंतजार कर रहा हूं।

*...(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्यः** 2009-10 में यह 61,274 करोड़ रुपये थी। फिर यह कम हो गई। 2010-11 में यह घटकर 54,976 करोड़ रुपये हो गयी। 2011-12 में यह और घटकर 49,998 करोड़ रुपये हो गयी। उर्वरक पर राजसहायता की यह स्थिति है। अब, यह राजसहायता की व्यवस्था बदल गई है। पहले क्या प्रणाली थी? यह 'नियत मूल्य और अस्थिर राजसहायता' की प्रणाली थी। किंतु अब उन्होंने इसे बदलकर 'अस्थिर मूल्य और नियत राजसहायता' कर दिया है। सरकार 49,998 करोड़ रुपये से अधिक एक पैसा भी नहीं बढ़ायेगी। हमें डीएपी के चालीस प्रतिशत बल्कि पचास प्रतिशत आयात पर निर्भर होना पड़ता है। यूरिया के मामले में निर्भरता 35 प्रतिशत है क्योंकि गोरखपुर से शुरू करके बरौनी, सिंदरी, दुर्गापुर, हल्दिया, तलचेर से नामरूप तक छह यूरिया उत्पादक इकाईयों को बंद कर दिया गया है।

सभापति महोदय, सिंदरी आपके राज्य में है। सिंदरी पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था।

**सभापति महोदयः** यह एक दशक से अधिक समय से बंद हो चुका है।

**श्री बसुदेव आचार्यः** मैं जानता हूं। इसे 2002 में बंद कर दिया गया था। मैंने इसके लिए इस सभा में लड़ाई लड़ी थी परन्तु मैं इस इकाई को बंद होने से नहीं रोक सका। पंडित नेहरू ने सिंदरी में भारतीय उर्वरक निगम की इकाई का उद्घाटन करते हुए कहा था: "मैं एक कारखाने का उद्घाटन नहीं कर रहा हूं, बल्कि आधुनिक भारत के मंदिर का उद्घाटन कर रहा हूं।" मुझे अब तक वह याद है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या हुआ? वे कह रहे हैं कि वे वर्ष दर वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं। उत्पादन लागत में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है परन्तु न्यूनतम समर्थन मूल्य में दस से पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक क्विंटल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? सामान्य किस्मों के लिए 1080 रुपये है। उत्पादन लागत क्या है? इससे उत्पादन लागत भी पूरी नहीं होगी। किसानों को 1080 रुपये की सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। उन्हें

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपने उत्पाद 500 रुपये या 600 रुपये या 700 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचने को मजबूर किया जाता है। हमने ग्रामीण भारत में यह देखा है। हमारा ग्रामीण भारत में यह अनुभव रहा है। यही स्थिति है। किसान क्या करेंगे? उनके पास आत्महत्या करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। मैंने उनकी कर्जदारी देखी है।

मैंने बस यही पता लगाना चाहता था कि प्रधान मंत्री के विशेष पैकेज का महाराष्ट्र के किसानों विशेष रूप से विदर्भ के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा है। मैं यवतमाल गया था। बहुत सी विधवाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज से उनकी खराब आर्थिक दशा में फर्क नहीं पड़ा। पशु मर गए और पानी नहीं है। केवल ग्यारह प्रतिशत भूमि ही सिंचित है। अब, उन्होंने 15000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। प्रधान सचिव इसे अनुमोदित करने में मेरी मदद चाहते थे। मैंने उन्हें कहा कि महाराष्ट्र से संबंधित सभी सदस्यों विशेषरूप से श्री गीते की सहायता से हम निश्चय ही इसे अनुमोदित करा लेंगे। हम विदर्भ क्षेत्र के किसानों की स्थिति अच्छी तरह जानते हैं।

महोदय, इस तरह का संकट है और सरकार संकट का मुकाबला करने के लिए कोई ठोस उपाय करने में विफल रही है। इसके परिणामस्वरूप, कीमते बढ़ रही हैं।

महोदय, कल आपने देखा होगा कि कृषि मंत्रालय ने भारतीय कृषि की स्थिति पर एक रिपोर्ट सभा पटल पर रखी थी। माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने पहले ही खाद्यान्नों की उपलब्धता में कमी की बात स्वीकार की है। 1991 में की कितना खाद्यान्न उपलब्ध था। यह 510 ग्राम था और आज क्या है? 15 वर्षों में यह घटकर 444 ग्राम तक आ गया है। खाद्यान्न की उपलब्धता इस सीमा तक कम हो गई है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि यदि सट्टा वायदा व्यापार जारी रहता है तो आवश्यक वस्तुओं विशेषकर खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतें कम करने में समस्या है। यदि सट्टा वायदा व्यापार जारी रहता है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री पवन कुमार बंसल आवश्यक वस्तुओं पर महंगाई के प्रभाव को कैसे नियंत्रित कर पाएंगे। यदि आप पेट्रोल की कीमतों से नियंत्रण हटाते हैं तो आप इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? विगत दो वर्ष के दौरान संप्रग-2 की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप हम पर निर्भर थे। आप किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का विनिवेश नहीं कर सके। आपने भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नाल्को, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन का विनिवेश करने का निर्णय लिया था। हमारे तमिलनाडु के मित्र यहां सभा में उपस्थित हैं। हमने इसका विरोध किया था और आपको वाम दलों के 61 सदस्यों के विरोध के कारण कैबिनेट का निर्णय वापस लेना पड़ा था। आपको निर्णय बदलना पड़ा था। आज, आपने पेट्रोल की कीमत से नियंत्रण हटा लिया है। आप डीजल की कीमत से नियंत्रण हटायेंगे।

आपने केरोसीन के दाम नहीं बढ़ाये। बंसल जी, आपको याद होगा कि यूपीए-1 के 5 वर्षों के कार्यकला के दौरान आपने इसकी कीमतों में वृद्धि नहीं की किंतु अब आपने 3.50 रुपये प्रति लिटर की वृद्धि की है। यदि आप इसी प्रकार सट्टेबाजी चलती रहने देंगे तो महंगाई को किस प्रकार नियंत्रित कर पायेंगे। महोदय, जिन्स बाजार में पिछले एक वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, यह जानकर आप आश्चर्यचकित रह जायेंगे। वर्ष 2007-08 में यह 14,67,000 करोड़ थी और एक वर्ष में बढ़कर 24 लाख करोड़ हो गई।

महोदय, किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिल रहा है किंतु किसानों को मिलने वाले मूल्य तथा उपभोक्ता मूल्यों में अंतर है। मैंने अपने लोक सभा संसदीय क्षेत्र में देखा है। महोदय, किसानों ने टमाटर उठाए। टमाटर की फसल की कटाई नहीं की जा रही क्योंकि फसल की कटाई और टमाटरों को बाजार तक ले जाने की लागत अधिक है और फसल का जो मूल्य उन्हें मिल रहा है, उससे उत्पादन लागत भी पूरी नहीं होती। इसीलिये टमाटर की फसल कटाई के बिना खड़ी है। यही हाल आलू की फसल का भी है। पश्चिम बंगाल में आलू 1 रुपये किलो बिक रहा है। पिछले वर्ष हमने सिंगापुर को आलुओं का निर्यात किया है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के सोनामुखी क्षेत्र से सिंगापुर को आलुओं का निर्यात किया गया। हमें 1 किलो आलुओं पर 1 रुपये के हिसाब से परिवहन राजसहायता दी गई। यह स्थिति है कृषि क्षेत्र की। संकट बढ़ रहा है और आपने मोनसैटों को अनुमति दे दी है। 93% कपास बीटी कपास है। लागत बढ़ गई है। अब वे बीटी वैगन को भी अनुमति देने के लिये तैयार हैं। जो आंकड़े मैंने तैयार किये हैं, उन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित हो जायेंगे। मेरी गणना के अनुसार पिछले नौ वर्षों में-2002 में मोनसैटो को बीटी कपास का वाणिज्यीकरण करने की अनुमति दी गई, 2002-2011 से एक बहुद्देशीय कम्पनी ने हमारे किसानों का शोषण कर उनसे 25,000 करोड़ रुपया लूटा। यह स्थिति है कृषि क्षेत्र की ...*(व्यवधान)* आप कुछ सदस्यों के लिये प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित करते हैं कि सदन में उनका व्यवहार कैसा होना चाहिये। कुछ सदस्य नहीं जानते कि सदन में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये।

20 फरवरी 2011 को ऐतिहासिक हड़ताल की गई थी।

**सभापति महोदय:** मैं बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहा हूं। पश्चिम बंगाल में जब आप सत्ता में थे, वे क्रोधोन्मक्त रहते थे। आजकल वे काफी शांत हो गये हैं। मैं यह परिवर्तन उनमें देख रहा हूं।

**श्री सुदीप बंदोपाध्याय:** वे यों ही क्रोधित हो जाते हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य:** मैं गुस्से में नहीं हूं।

यूपीए-2 के कार्यकाल के इन दो वर्षों में दो हड़ताले हुई हैं और यह हड़ताल ऐतिहासिक है क्योंकि इस हड़ताल में सभी

श्रमिक संघ सम्मिलित थे, एक भी श्रमिक संघ हड़ताल से बाहर नहीं है। कामगारों को हड़ताल पर क्यों जाना पड़ा? उन्हें हड़ताल पर इसलिये जाना पड़ा क्योंकि श्रम कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। यहां तक कि श्रमिकों से संघ बनाने का अधिकार भी छीना जा रहा है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिये गये संघ बनाने के संवैधानिक अधिकार को छीना जा रहा है। यह कामगारों और कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है और यह अधिकार छीना जा रहा है। यहां तक कि कुछ राज्य सरकारें कामगारों और कर्मचारियों के इस अधिकार का हनन करने के लिये कानून बनाने का विचार कर रही हैं। यह स्थिति है। कामगारों पर हमले किये जा रहे हैं; कीमतें बढ़ रही हैं, मुद्रा स्फीति बढ़ रही है; ठेके पर काम करने वालों को आउटसोर्स किया जा रहा है; ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ रही है किंतु उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही। सभी श्रम अधिनियमों–न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम आदि का उल्लंघन किया जा रहा है।

राज्य परिवहन कर्मचारियों के मामले में, पश्चिम बंगाल में मजदूरी भुगतान अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। वैश्विक आर्थिक मंदी के दो वर्षों के भीतर ही वे दावा कर रहे थे कि हमारे देश पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे वित्तीय क्षेत्र-बैंकों, एलआईसी आदि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह सब वामपंथी दलों के कारण था। हमने बैंकों की हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र को सौंपने की अनुमति नहीं दी।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** बंसल जी, आप सुन नहीं रहे हैं, इसलिए आचार्य जी बोलते जा रहे हैं। आप सुनते तो उनका भाषण शार्ट हो जाता।

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य:** हमने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 26% से बढ़ाकर 49% नहीं होने दिया। इसीलिये हमारे वित्तीय क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

किंतु कामकाजी वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के अनुसार हमारे देश में 35 लाक कार्मिक रोजगार विहीन हो गये हैं। अब सरकार ने 1,87,000 करोड़ रुपये बेलआउट पैकेज के रूप में खर्च किये हैं। यह पैसा किसके लिये खर्च किया गया है? उन्होंने यह पैसे उद्योगपतियों, आटोमोबाइल क्षेत्र और निर्यातकों पर खर्च किया है। कामगारों को उबारने के लिये यूपीए सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है? एक पैसा भी नहीं। बंसल जी आपको चंडीगढ़ के कर्मचारियों का समर्थन भी प्राप्त है। मैं यह जानता हूं क्योंकि हम कामगारों और कर्मचारियों की रैली में एक साथ थे। मुझे लगता है कि आप यह भूल गए है। आपने यह स्वीकार किया था कि कर्मचारियों ने आपका समर्थन किया था। क्या यह सच नहीं है?

महोदय, मैं कारपोरेट घरानों के लिए बेल-आउट पैकेज के बारे में बोल रहा हूं। अब एक नई श्रेणी 'कारपोरेट घराना' बन गई है। यह सरकार कारपोरेट की, कारपोरेट द्वारा और कारपोरेट के लिए है। जब भी कारपोरेट घरानों, उद्योगपतियों, ऑटोमोबाइल उद्योग और निर्यातकों के लिए कोई बेल-आउट पैकेज दिया जाए उसमें यह एक शर्त शामिल की जानी चाहिए कि किसी कामगार की छंटनी नहीं की जाएगी, किसी कामगार को अपनी नौकरी गंवानी नहीं पड़ेगी। यह शर्त जोड़ी जानी चाहिए। यह समस्त कामगार वर्ग की मांग है। उनकी मुख्य मांग यह है कि इस सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए।

*[हिन्दी]*

यह नीति बदलाव की लड़ाई थी। ये केवल पांच या ग्यारह मांगे नहीं हैं, असली मांग है नीति।

*[अनुवाद]*

इस सरकार द्वारा किसी नवउदारवादी नीति का पालन किया जा रहा है? शरद यादव जी ने भी इसका उल्लेख किया है। समस्या यह है कि देश बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश की 1/4 जनसंख्या भूखे पेट सोती है। हमारी आजादी के 64 वर्षों के बाद भी देश की यह स्थिति है। आपने देश को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है। बंसल जी आपको यह महसूस करना चाहिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश और पंजाब विधान सभाओं के चुनाव में लोगों ने आपकी नीतियों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनादेश दिया है। आपको इससे सबक सीखना चाहिए। इस नव-उदारवादी आर्थिक नीति का अनुसरण करने वाले यूरोपीय देश और अमेरिका आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और आप उन देशों से भी सबक नहीं सीख रहे हैं।

**सभापति महोदय:** आचार्य जी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदय, अब मैं अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने संबंधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूं।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** एक मिनट ठहर जाइए। आज मैं बहुत कष्ट में हूं। सब वेटरन्स बोल रहे हैं, मैं बहुत लिहाज कर रहा हूं, लेकिन

*[अनुवाद]*

अब बहुत हो गया।

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदय, मेरे पास दो रिपोर्ट हैं; एक सच्चर कमेटी रिपोर्ट और दूसरी न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र समिति की रिपोर्ट। सरकार द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए छह माह बीत जाने के बाद भी सरकार ने रंगनाथ मिश्र समिति की रिपोर्ट पेश नहीं की। जब हमने इस सभा में यह मुद्दा उठाया तो सरकार को की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन के बिना यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखने के लिए बाध्य होना पड़ा।

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन दोनों रिपोर्टों- सच्चर समिति रिपोर्ट और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र समिति रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की ...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार ने न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र समिति की रिपोर्ट ककी सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की है। किंतु पश्चिम बंगाल की लेफ्ट फ्रंट सरकार ने सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूपसे पिछड़ों और मुसलमानों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण को लागू कर दिया है ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** मैं आप को बताना चाहता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदय, पश्चिम बंगाल न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र समिति रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने वाला पहला राज्य है किंतु केन्द्र सरकार ने रिपोर्ट की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की है ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कृपया मेरी बात सुनिये। मैं यह सोच रहा हूं कि अगले वक्ता का नाम घोषित करने से पूर्व कहीं सभा अच्छी शायरी से वंचित न रह जाए।

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदय, जब तक ये हमारी नव-उदारवादी आर्थिक नीति को नहीं बदलेंगे तब तक देश को नहीं बचाया जा सकता है; ना तो वे देश को बचा पाएंगे और ना ही स्वयं को।

अब, मैं फैज अहमद फैज के एक शेर से अपनी बात समाप्त करता हूं। महोदय, आप जानते हैं कि वर्ष 2011 विख्यात शायर फैज अहमद फैज का जन्मशती वर्ष है। उन्हें सदी का महान शायर कहा जाता है।

*[हिन्दी]*

गुलों में रंग भरें, बद-ए-नवबहार चले
चलें भी आओ, आओ के गुलशन का कारोबार चले
...*(व्यवधान)*

आप जरा ट्रांसलेट कर दीजिए।

**सभापति महोदय:** नहीं, आपने उसको पढ़ा वह ठीक है।

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य:** उर्दू शायरी के दो अर्थ होते हैं एक बाहरी और दूसरा अंदरूनी।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** मैं इसके इक्वैलेन्ट एक बता देता हूं।

जिन्दगी एक चमन है, चमन है मगर
इस चमन की बहारों फिजां कुछ नहीं
वो न आएं तो समझो खिजां के हैं दिन
वो आएं तो समझो बाहर आ गई।

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य:** धन्यवाद महोदय।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रायगढ़): सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। इसके पहले राष्ट्रपति जी के कई अभिभाषणों पर उन्हें सुनने का मुझे अवसर मिला है लेकिन पहली बार इस अभिभाषण में जो मुझे महसूस हुआ, लगभग सभी सदस्यों ने वह महसूस किया होगा, जब महामहिम राष्ट्रपति जी बारबार यह कहती थी-मेरी सरकार, मेरी सरकार और मुझे लगता है कि आज की जो यूपीए सरकार है यह पूरी असफल सरकार है। यह विफल सरकार है और सरकार की विफलता, सरकार की असफलता महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में बार-बार प्रतीत हो रही थी।

सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण की शुरुआत की। मैं यहां उसका पहला पैराग्राफ उद्धृत करना चाहूंगा। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा-''यह वर्ष विश्व अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलों भरा रहा है। आर्थिक अनिश्चितताओं का पूरे विश्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राजनीतिक अनिश्चितता व अस्थिरता बढ़ी है जिस परिवेश में हम कार्य कर

रहे हैं, वह पिछले एक वर्ष में अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।" मुझे लगता है कि ये वाक्य महामहिम राष्ट्रपति जी के मुंह से कहलवाकर सरकार ने अपनी असफलता को छिपाने का प्रयास किया है। इसलिए उनके पूरे अभिभाषण में हमें कहीं भी इस वर्ष जोश दिखाई नहीं दिया, न ही उनके पूरे अभिभाषण में हमने कभी सदन को बैंच थपथपाए हुए सुना है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि दुर्भाग्य से आज भी देश का किसान परेशान है। आज भी लगातार आत्महत्याएं हो रही हैं। किसान पूरी तरह उत्तेजित है। इस आत्महत्या को रोकने के प्रयास में सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, वे सारे नाकामयाब हो गए हैं। मैं आज का उदाहरण दूंगा। शहरों में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले जो बेरोजगार लोग हैं, उनके बारे में सुबह जो प्रश्न आया था, उसमें जब अध्यक्ष महोदया ने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, तब मैं आसन के माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाया था कि आज देश के किसान परेशान हैं। वे धीरे-धीरे खेती छोड़ने लगे हैं। आज सदन में पहला प्रश्न कृषि मंत्रालय का था, आंध्र से जुड़ा हुआ था। आंध्र के एक हलके के लोगों ने क्रॉप हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया, पूरी एक फसल को छुट्टी। अगर कहीं यह सिलसिला इसी प्रकार चलता रहा तो शायद एक दिन पूरे देश के किसान क्रॉप हॉलिडे मनाने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है, जो खेती पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, उस 70 प्रतिशत आबादी की जो वास्तविकता है, उसका चित्रण आज के पहले प्रश्न में इस सदन में हमारे सामने आया। उसी प्रश्न को दोहराते हुए मैं सरकार के ध्यान में लाया कि इसी कारण किसान ग्रामीण क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं और शहरों की ओर जा रहे हैं। पलायन होने के कारण बेरोजगारों, गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोगों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।

आज प्रश्न काल में जब मैंने इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया, तो मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिये जो मंत्री खड़े हुए, वे अब तक सदन में थे, लेकिन इस समय नहीं हैं। उन्होंने सदन को जो जानकारी दी है, उसे मैं आपके सामने, सदन के सामने रखना चाहूंगा। मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि मैं माननीय सदस्य की बात को स्वीकार करता हूं और उनकी कही हुई बात सही है। उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं, वर्ष 1993-94 में शहरों में रहने वाले गरीब लोगों की संख्या 763 लाख थी। वर्ष 2004-05 में यह संख्या बढ़कर 808 लाख हो गयी, यानी 45 लाख गरीबों की संख्या शहरों में बढ़ी है। लेकिन जो आंकड़ा उन्होंने इस सदन के सामने दिया है, वह वर्ष 2004-05 का है। आज हम वर्ष 2012 में हैं। यदि आप सही आंकड़ा जानना चाहेंगें, तो आज शहरों में जो गरीब लोग हैं, उनकी संख्या 16 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। 16 करोड़ से ज्यादा लोग आज शहरों में गरीब हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। हमने गरीबी रेखा का जो मापदंड तय किया है, जिस मापदंड से हमने गरीबी रेखा को तय किया है, उस मापदंड के मुताबिक अगर शहर में रहने वाले किसी व्यक्ति की एक दिन की आय 32 रुपये से कम है, तो वह गरीब है। यदि इसी मापदंड को स्वीकार किया जाये, तो 16 करोड़ लोगों की आय प्रतिदिन 32 रुपये से कम है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार की गरीबी देश की आजादी के 64 सालों के बाद भी हमारे देश में है। मुझे लगता है कि यही विफलता, यही असफलता महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर छायी रही।

सभापति महोदय, वास्तव में यह सरकार पूरी तरह से हर क्षेत्र में विफल है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, यह सरकार हर क्षेत्र में विफल है। जब बसुदेव आचार्य जी यहां बोल रहे थे तो उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी का एक वाक्य यहां उद्धृत किया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि मेरी सरकार ईमानदार तथा अधिक कारगार शासन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। *...(व्यवधान)* मैं बसुदेव आचार्य जी से पूरी तरह सहमत हूं कि आजादी के बाद आज तक जितनी भी सरकारें भारत में हुई हैं, उनमें सबसे करप्ट, भ्रष्ट सरकार यदि कोई है, तो यूपीए की सरकार है। *...(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल:** सभापति महोदय, यह सरासर गलत बात है। *...(व्यवधान)* यह पार्लियामैंट के बहुत सीनियर मैम्बर हैं। *...(व्यवधान)* गीते जी पार्लियामैंट के बहुत सीनियर मैम्बर हैं। वे खुद मिनिस्टर रहे हैं। ऐसी बात ऐसे कह देना, बहुत शोभा नहीं देता। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा कह देना वाजिब नहीं है। आप जो बात समझते हैं, उसे कहने का आपका अधिकार है, लेकिन ऐसा जजमैंट देना जो बिल्कुल बेबुनियादी है, वह अधिकार आपका नहीं है। मैंने पहले नहीं बोला, लेकिन उसी बात को दोहराते रहेंगे, तो यह वाजिब नहीं है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* आप किसी चीज को कुछ महसूस करते हैं, आपका अधिकार है कि आप उसे कहिए। कहीं भी आप कोई इररेगुलेरिटी देखते हैं, तो उसे कहने का आपका अधिकार है। कहीं करप्शन देखते हैं, तो उसे कहने का आपका अधिकार है। लेकिन ऐसे बात कह देना जब आप जानते हैं कि चारों तरफ क्या-क्या हो रहा है, उस वक्त यह कहना सही नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं।

**सभापति महोदय:** बंसल जी, आप पहले बोल देते, तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि मौनम् स्वीकार लक्षणम्। जब आप चुप हो गये, तो लोगों ने कहा कि मान गये हैं।

**श्री पवन कुमार बंसलः** सभापति जी, यह देखना जरूरी नहीं होता कि अनपार्लियामैंट्री है। लेकिन क्या कहना चाहिए, शोभा क्या देता है, कितनी बात हम कुछ सीमाओं के बीच में रहकर कहते हैं, वह देखना जरूरी है।

**श्री अनंत गंगाराम गीतेः** सभापति जी, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का आदर करता हूं। मेरी वरिष्ठता को उन्होंने स्वीकार किया है, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं 11वीं लोक सभा से सदन में हूं और यह 15वीं लोक सभा है। 11वीं लोक सभा से 15वीं लोक सभा तक जितने भी भ्रष्टाचार के मामले इस सदन में आए, यदि मैं सही हूं, तो आप इस बात को स्वीकार करें, अगर गलत हूं, तो निश्चित रूप में आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन टू-जी स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ। *...(व्यवधान)* आप मेरी बात तो सुन लीजिए। 1,76,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, जिसे घोटाले में *...(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसलः** महोदय, वह आज का विषय नहीं है और यह कहना कि 1,76,000 करोड़ रुपये का घोटाला है, गलत है। मैं पूरी इज्जत और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मामला कचहरी के आगे है, अगर आप पॉलिसी की बात करते हैं कि पॉलिसी में क्या है, तो वह अलग बात है। लेकिन अगर आप उसको करप्शन बता दें कि 1,76,000 करोड़ रुपये का करप्शन हो गया, तो यह गलत है। ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। यह मसला कचहरी के सामने है। यह मसला स्टैंडिंग कमेटीज के सामने है। *...(व्यवधान)* सर, इसमें बात प्वाइंट ऑफ आर्डर की भी आ जाती है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

यह व्यवस्था का प्रश्न भी है *...(व्यवधान)* महोदय, आप नियम जानते हैं *...(व्यवधान)* महोदय, यह मामला जेपीसी और पीएसी के समक्ष हैं।

*[हिन्दी]*

और आप उस बात पर ऐसा एलान कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदयः** गीते जी, माननीय मंत्री जी का कहना है कि यह मामला जेपीसी में भी लंबित है, यह मामला उच्चतम न्यायालय में भी लंबित है।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदयः** गीते जी, आप आगे बोलिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसलः** आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट में कह देंगे कि इतना करप्शन हो गया। *...(व्यवधान)*

**श्री अनंत गंगाराम गीतेः** सभापति जी, मैंने इस मुद्दे को इसलिए उठाया कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी सरकार को ईमानदार कहा। *...(व्यवधान)* यह बात मैंने इसलिए उठाई कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार को ईमानदार कहा है। 1,76,000 करोड़ रुपये का जो आंकड़ा अखबारों में आया है, वही मैंने कहा है, जो पहले दिन से, जब से भ्रष्टाचार पर चर्चा शुरू हुई है, वह आया है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि उसके बाद, जब उस समय के संचार मंत्री ए. राजा, जो आज भी जेल में हैं। *...(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसलः** उसका ट्रायल हो रहा है कोर्ट में। *...(व्यवधान)*

**श्री अनंत गंगाराम गीतेः** आप मेरी बात सुन लीजिए। *...(व्यवधान)* मैं उसकी मेरिट पर नहीं बोल रहा हूं। *...(व्यवधान)* सभापति जी, मैं इस केस के मेरिट पर कुछ नहीं बोल रहा हूं, मुझे पता है कि यह मामला न्यायालय में लंबित है। मुझे इसकी मेरिट पर कुछ नहीं कहना है, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि एक मंत्री, उस समय के संचार मंत्री आज भी जेल में हैं और उनके जेल में जाने के बात जब दूसरे मंत्री ने इस विभाग के पदभार को स्वीकार किया, जो आज भी इस सदन में मंत्री हैं, उन्होंने यह पहला बयान दिया था कि इसमें किसी भी प्रकार का करप्शन नहीं हुआ है, जीरो करप्शन है। कोई करप्शन नहीं है, जीरो करप्शन कहा था उन्होंने। यह सर्टिफिकेट दिया था उन्होंने। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री पवन कुमार बंसलः** महोदय, क्या मैं उन्हें ठीक कर सकता हूं?

*[हिन्दी]*

उन्होंने जीरो करप्शन नहीं कहा था। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। हम गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ मसले को पार्लियामेंट में डिसकस कर रहे हैं, एक तरफ पॉलिसी की बात है। सभी सदस्य मानेंगे कि पॉलिसी क्या थी, कैसे फॉलो हुई थी और दूसरी बात है पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन की।

**सायं 6.00 बजे**

इम्प्लीमेंटेशन का भी मसला कचहरी के सामने है, और फैसला होना है। आप जो खड़े होकर इस बात को कह रहे हैं, तो यह

नीति आपकी सरकार के समय की ही बनाई हुई है। आपने ही बनाई है यह नीति और जो नीति आपने बनाकर दी, वह आगे चली। ...*(व्यवधान)* बीज आपने ही बोया था, जिस बात को आप कह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कृपया शांत हो जाएं।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आप भी सीमा तोड़ रहे हैं, क्योंकि मैं खड़ा हूं। कृपया शांत हो जाएं। मैं गीते जी से कहना चाहूंगा कि वह अब अपनी बात समाप्त करें।

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** सभापति जी, मुझे बोलने का अवसर ही कहां मिला है।

**सभापति महोदय:** अभी छह बज रहे हैं। तीन-चार माननीय सदस्य इस विषय पर और बोलेंगे, उसके बाद शून्य काल लिया जाएगा। मैं सदन की अनुमति चाहूंगा कि तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

**कई माननीय सदस्य:** ठीक है।

**सायं 6.02 बजे**

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** सभापति जी, बाद में सीबीआई ने यह मामला दर्ज कराया। तब सीबीआई ने इस बात को स्वीकार किया कि 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मैं भी जानता हूं कि यह मामला न्यायालय में लम्बित है और निश्चित रूप से सच्चाई देश के सामने, जनता के सामने आएगी।

उपाध्यक्ष जी, दूसरा घोटाला कॉमनवैल्थ गेम्स का हुआ आज इस सदन के सदस्य सुरेश कलमाड़ी जी दिन भर यहां थे, अभी नहीं हैं, उन्हें जेल जाना पड़ा। वह जेल से बाहर आ गए और यहां उन्होंने सत्र अटेंड किया। उन्हें तो जेल में भेज दिया गया, लेकिन जो उसके लिए जिम्मेदार थे, उन सबकी सजा अकेले सुरेश कलमाड़ी जी भुगत रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बुरा न मानें, हमें आपकी ईमानदारी पर शक नहीं है। न ही हमें प्रधान मंत्री जी की ईमानदारी पर कोई शक है। गोरखनाथ पाण्डेय जी जब अपनी बात यहां कह रहे थे, उन्होंने जो वाक्य कहा, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा। हमारे लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था यह संसद है, जिसमें प्रधान मंत्री जी मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया अपनी बात समाप्त करें।

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** उपाध्यक्ष जी, अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। इतनी टोका-टाकी हुई कि मुझे बोलने का अवसर ही नहीं मिला। मैं दो-तीन बातें प्रमुख रूप से कहना चाहूंगा। आज जो करप्शन के इतने मामले चल रहे हैं, उसका परिणाम पांच राज्यों के हाल ही में सम्पन्न चुनावों में आ गया है। जनता ने जिसे सजा देनी थी, दे दी। इससे सीख लेने की आवश्यकता है।

आज देश में गरीबी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक योजना का जिक्र किया है। मैं उस योजना के ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में जो कहा है मैं उसे यहां उद्धृत करना चाहूंगा- "मेरी सरकार ने देश के लाखों वंचित लोगों तक पहुंचने के लिए आधार नामक अनूठी योजना शुरू की है जो सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की उपलब्धता, जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार लाने में सहायक सिद्ध होगी।" यह योजना जो सरकार ने घोषित की है, आज तो वह बंद है, लेकिन मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इस योजना का क्या हुआ? जिस योजना का जिक्र महामहिम के अभिभाषण में है और वे कह रही हैं कि "जिससे लोगों की वित्तीय समावेशता बढ़ेगी।" उपाध्यक्ष जी, इस योजना से लोगों को कोई सीधा लाभ नहीं है, ये खाली पहचान-पत्र हैं। आधार-कार्ड की शक्ल में जो पहचान-पत्र दिया जाने वाला है जिससे इस देश के जो गरीब हैं, उसकी पहचान सरकार को हो पाएगी कि सचमुच में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते हैं। यह सारी जानकारी इस आधार-कार्ड में मिलेगी और इस परिचय-पत्र के आधार पर भारत सरकार कोई योजना आगे चला सकती है। लेकिन जिस योजना का उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में किया है, यह योजना आज बंद पड़ी है। इसीलिए जब सरकार जवाब दे तो सरकार को यह जानकारी देने की आवश्यकता है कि इस आधार योजना की आज क्या स्थिति है?

उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार की असफलताएं गिना रहा हूं। यह सरकार बिल्कुल असफल रही है और इसका प्रभाव राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर भी रहा है।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुपोषण के बारे में कहा। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में कुपोषण की समस्या है। आदिवासी क्षेत्रों में, बनवासी क्षेत्रों में कुपोषण से बालक मर रहे हैं, प्रसूति के समय माताएं मर रही हैं, उनकी मृत्यु हो रही है और यह संख्या इतनी बड़ी है कि महामहिम राष्ट्रपति जी को अपने अभिभाषण में इसका जिक्र करना पड़ा। उन्होंने कहा कि "कुपोषण को गंभीर रूप से प्रभावित करता है जिससे उनके शिक्षा

प्राप्त करने की और आजीविका अर्जित करने के अवसरों पर भी असर पड़ा है। इस समस्या से प्रभावित 200 जिलों में आईसीडीएस के अलावा, मल्टी-सेक्टोरल पोषण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।''

उपाध्यक्ष जी, ऐसे 200 जिले हैं जिनमें कुपोषण की समस्या है लेकिन सरकार अपनी सफलता का ढिंढोरा पीट रही है। सरकार मानती है कि हम सफल हैं, लेकिन ऐसे 200 जिले हैं जहां कुपोषण की समस्या है। जब पैदा होते ही बच्चे मर रहे हैं और हम कुपोषण पर भी काबू नहीं पा रहे हैं, यह स्थिति हमारे देश की है।

उपाध्यक्ष जी, जब आरक्षण का विषय आया, उस पर भी महामहिम राष्ट्रपति जी ने अल्पसंख्यकों के बारे में कहा। हम उनके खिलाफ नहीं हैं। जो अल्पसंख्यक लोग हैं वे भी इस देश के नागरिक हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। इन अल्पसंख्यकों को जो भी सहूलियतें सरकार देना चाहे दे दे, लेकिन उन्हें सहूलियतें देते समय, जो इस देश का ओबीसी वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो बहुत बड़ी संख्या में है जिसका आरक्षण 27 प्रतिशत रखा है, जो संविधान ने उन्हें दिया है, उसमें से साढ़े चार प्रतिशत आपने इन अल्पसंख्यकों को देकर एक से ओबीसी और पिछड़े वर्ग के लोगों पर अन्याय किया है। यह विवाद निर्माण करने का काम किया है। इसके बुरे परिणाम आपको यूपी के चुनाव में भुगतने भी पड़े हैं। साढ़े चार प्रतिशत ओबीसी के 27 परसेंट से कम करके अल्पसंख्यकों को देने का काम किया है, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आज बड़ी संख्या में देश का पिछड़ा वर्ग परेशान है, उसके अधिकार का हनन आपने किया है। यह सरकार हर स्तर पर असफल रही है, चाहे देश की बाहरी सुरक्षा का मामला हो या आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे आतंकवाद का मामला हो। दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि देश की संसद पर हमले का दोषी अफजल गुरू को फांसी देने की हिम्मत सरकार ने नहीं की है।

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** जिस कसाब ने हमारे देश पर हमला किया, जो पाकिस्तान का सैनिक था। भारत सरकार ने यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान की सेना ने हमारे देश पर हमला किया है, जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की है, उस कसाब को भी आज तक फांसी नहीं दे पा रहे हैं। आज भी आतंकवादी हमले लगातार होते जा रहे हैं। यूपीए सरकार पूरी तरह असफल सरकार रही है।

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री संजय सिंह चौहान।

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। पिछली 28 तारीख को देश के सभी मजदूरों ने बंद किया था।

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप बैठ जाएं।

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन सरकार अपनी असफलता को स्वीकार करे और भविष्य में सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं है।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री संजय सिंह चौहान** (बिजनौर): उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। यह बात सही है कि योजनाएं बहुत अच्छी हैं और महामहिम राष्ट्रपति के मुंह से सरकार ने योजनाएं कहलवाई हैं, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में क्या प्रबंध है, इस बारे में पूरे भाषण में कहीं भी यह सोच जाहिर नहीं होती है। केंद्र और राज्यों के संबंधों में निरंतर खटास बढ़ती जा रही है और मैं समझता हूं कि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी राज्य है और केन्द्र सरकार जब तक राज्यों को विश्वास में नहीं लेगी और राज्य सरकार जब तक केन्द्र का आदर करते हुए योजनाओं को लागू नहीं करेगी, तब तक चाहे जितनी भी अच्छी योजनाएं बना ली जाएं, योजनाएं पूरी तरह से कामयाब नहीं पाएंगी। हमारे देश में हर दस किलोमीटर के बाद भाषा बदलती है और हर बीस किलोमीटर के बाद पानी बदलता है, वहां हर क्षेत्र के लिए एक प्रकार की ही योजना बनाने से कामयाबी नहीं मिलेगी। चाहे मनरेगा हो, चाहे मिड डे मील हो, अगर सरकार ने कोई योजना बनाई है, तो उसकी पुनर्समीक्षा करने में सरकार को कभी भी अपमान महसूस नहीं करना चाहिए। ये योजनाएं वास्तविकता के धरातल पर कुछ इंसानों पर पूरी तरह से फेल हो रही हैं। शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ होती है। यहां शिक्षा में इतनी असमानता है कि एक तरफ तो पांचवीं क्लास का बच्चा अपना नाम तक लिखना नहीं जानता और दूसरी तरफ स्कूल में नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए आठ या दस लाख देकर पढ़ाई शुरू होती है। मैं समझता हूं कि सिर्फ योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो जब तक आपस में बैठकर क्रियान्वयन के बारे में नीति तय नहीं करेंगे तब तक कोई योजना सफल नहीं हो सकती है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम हर साल बाढ़ से बचाव का तो प्रबंध करते हैं, बाढ़ आएगी तो उससे कैसे

बचेंगे लेकिन आज तक इस तरह की कोई ठोस योजना नहीं बना पाए कि हम बाढ़ से प्रभावित ही न हों। कुछ योजनाएं तो सिर्फ कागजों पर दिखाई देती हैं। पूरे देश में साढ़े आठ लाख डॉक्टरों की कमी है। मैं विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूं कि सब पीएचसीज में घास जमे हुए हैं, कहीं कोई कम्पाउंडर तक नहीं है और वहां जो झोलाछाप डाक्टर हैं वे आम जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे हालात में सबसे पहली आवश्यकता है कि केंद्र और राज्यों के आपसी संबंध सुदृढ़ हों। ईगो आड़े आ रही है, उसे दूर करें। मैंने कई राज्यों में देखा है कि कोई योजना यहां से बनकर राज्य में गई तो उसका सारा स्वरूप ही बदल गया। जैसे आज सारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बीपीएल सूची की है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बीपीएल सूची के बारे में कोई कमिटमेंट नजर नहीं आई। हम पिछले 12 साल से लगातार इंतजार कर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं कि बीपीएल सूची में उनका नाम शामिल हो। मेरा सरकार से निवेदन है, जब तक हम अपना आधारभूत ढांचा ठीक नहीं करेंगे, अपने दिमाग को स्वस्थ नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि किसी भी आदमी की सफलता का सूत्र होता है कि वह अपने आप से पूछ ले कि जो काम कर रहा है उससे आत्मसंतुष्टि है या नहीं। मैं संसद सदस्य होने के नाते कहना चाहता हूं कि मैंने जो सपने संसद सदस्य बनने से पहले देखे थे, उनको पूरा कर पा रहा हूं। सरकार और विपक्ष को सबको अपनी भूमिका समझनी होगी। हमें इस बात का पूरा प्रयास करना होगा कि हम जो नीति बनाएं उनसका क्रियान्वयन ठीक से हो सके।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रबोध पांडा** (मिदनापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं वर्तमान सरकार द्वारा व्यक्त की गई राय पर अपने विचार व्यक्त करूंगा।

यह बात सामने आई है कि सरकार लगभग सभी क्षेत्रों में विफल रही है। इस सरकार ने आर्थिक उदारीकरण का रास्ता अपनाया है। इस उदारीकरण का एक परिणाम निकला? इसका सबको पता है। परन्तु बात यह है कि सरकार इस सबको स्वीकार नहीं कर रही है। इस बात से कौन इंकार करेगा कि उदारीकरण के कारण आबादी में विषमता, राज्यों में विषमता, समाज में विषमता की बात सामने आई है और यह दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। किसी बात से इंकार नहीं किया जा सकता; योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े चाहे जो भी हों। जमीनी हकीकत यह है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।

अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की रिपोर्ट के अनुसार उन कार्यरत लोगों की संख्या 75 लाख से कम नहीं है जिन्हें अपनी नौकरी से हटाया गया है। कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि लगभग तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की है। लगभग पूरे मीडिया ने प्रकाशित किया है कि पश्चिम बंगाल भी इस सूची से बाहर नहीं है। इसलिए, यह स्थिति है। यह कुछ कमियों की अभिलाषा और कल्पना थी कि भारत का स्थान विश्व में सबसे ऊंचा होगा और उन्होंने बंग्ला में कहा था:

''भारत अमार जगत शभम श्रेष्ठ आसन लाबे''

हमारे देश में दुनिया के सबसे अधिक गरीब लोग हैं। कोई दावा कर रहा है कि भारत एक महाशक्ति बनने जा रहा है लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसे अब विश्व में महागरीब देश का दर्जा दिया जा सकता है। सबसे अधिक बेरोजगार युवा भारत में हैं। भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी हमें हरा नहीं सकता। इसलिए, आजकल हमें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये स्थान प्राप्त हैं।

समयाभाव के कारण मैं अन्य चीजों का जिक्र नहीं करूंगा परंतु मैं कृषि और कृषि की दशा से संबंधित कुछ समस्याओं का उल्लेख करूंगा। बापूजी ने टिप्पणी की थी कि 'भारत गांवों में बसता है'। हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक टिप्पणी की थी कि 'हरेक चीज इन्तजार कर सकती है परन्तु कृषि नहीं'। कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए परन्तु स्थिति क्या है। 1991 में नव आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भ से ही कृषि के क्षेत्र में निवेश में कमी हो रही है।

हम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की बात कर रहे हैं। एमएसपी के अंतर्गत न्यूनतम का अर्थ है न्यूनतम और न्यूनतम का अर्थ किसान के समर्थन हेतु वास्तविक मूल्य नहीं है। राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने सुझाव दिया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल उत्पादन लागत में 50 प्रतिशत जोड़ पर आधारित होना चाहिए किंतु इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

हमारे देश के लगभग हरेक कोने से, लगभग सभी किसान संगठनों, चाहे उनका रंग कुछ भी हो और भले ही वे राजनैतिक या गैर-राजनैतिक हों, ने मांग की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम 1500 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए परन्तु सरकार ने इसकी अनदेखी की है। दूसरी ओर सरकार दावा कर रही है कि इसे बढ़ा दिया गया है।

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री प्रबोध पांडा:** महोदय, मैंने अभी शुरू किया है। कृपया मुझे कम से कम तीन मिनट और दीजिए।

जहां तक ऋण का संबंध है तो यह बताया गया है कि सरकार ने ऋण के समय पर भुगतान के मामले में चार प्रतिशत की ब्याज-दर घोषित की है। जब सरकार ने ऋण माफी घोषित की थी तो सबको पता था कि किसान उन ऋणों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थे। यह छोटी राशि नहीं थी। सरकार ने लगभग 70,000 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया था। इसे जानते हुए सरकार ने ऋण पर चार प्रतिशत ब्याज को उन्हीं किसानों तक सीमित क्यों रखा जो समय पर भुगतान कर रहे हैं? इसे सभी किसानों पर लागू क्यों नहीं किया गया?

मैं यहां एक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न का समर्थन करता हूं कि सीमांत और गरीब किसानों को बिना ब्याज ऋण दिया जाना चाहिए जैसा कि केरल में होता है जहां धान के उत्पादकों को बिना ब्याज ऋण दिया जा रहा है।

मनरेगा की बात करें तो सरकार को इस योजना की समीक्षा करनी पड़ेगी। यह योजनागत किसी घर को रोजगार प्रदान करती है परन्तु घर के सभी व्यक्तियों जो काम करना चाहते हैं को नहीं। इसलिए, सरकार को इस योजना की समीक्षा करनी पड़ेगी। संघवाद के मुद्दे पर, वर्तमान परिदृश्य में राज्यों की वास्तविक मांग पर विचार किया जाना चाहिए। मैं तृणमूल कांग्रेस के सदस्य की बात से सहमत हूं जिन्होंने केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं। हम दशकों से लगातार यह मांग कर रहे हैं परन्तु केन्द्र सरकार के पास इस पर विचार करने का समय ही नहीं है। अब जब वे ये सब बातें उठा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार को उन पर विचार करना चाहिए और हमारे देश की संघीय राजव्यवस्था का सम्मान करना चाहिए।

महिलाओं के आरक्षण से संबंधित मामले का क्या हुआ? हर वर्ष माननीय राष्ट्रपति के भाषण में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाया जाता है। किंतु इस वर्ष क्या हुआ? हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला हैं; हमारे देश की अध्यक्ष एक महिला हैं; विपक्ष की नेता एक महिला हैं; और संप्रग की अध्यक्ष, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, एक महिला हैं। परंतु इस बार उस मुद्दे का क्या हुआ? सरकार इस बार इसे भूल गई।

सिंचाई के संवर्धन का क्या हुआ? वास्तव में यह क्षेत्र गत पांच वर्षों में विफल रहा है क्योंकि सिंचाई के संबंध में कोई वास्तविक संवर्धन नहीं हुआ। इसकी अनदेखी की गई है। योजना चाहे कुछ भी हो या मुख्य कार्यक्रम चाहे कुछ भी हो, इस क्षेत्र की अनदेखी की गई है।

अंतिम बात जिसका जिक्र अनेक सदस्यों द्वारा पहले ही किया गया है वह है कि सरकार को बहुत ईमानदार और सक्षम सरकार होने का दावा नहीं करना चाहिए। लोगों का यही मानना है, लाखं लोग इस सरकार पर पारदर्शिता दक्षता और उपयुक्त शासन में कमी का आरोप लगाते हुए सड़कों पर निकल रहे हैं। शासन के मामले में आप विफल रहे हैं। कृपया इन बातों को न दोहरायें।

यह वर्ष बारहवीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है परंतु कुछ चीजों को दोहराने के अलावा भाषण में कुछ भी नहीं है।

मेरे पास प्रस्ताव पर आपत्ति करने के लिए कुछ नहीं है। विशेषकर सिद्धांतरूप में, मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री नामा नागेश्वर राव** (खम्माम): महोदय, इस गवर्नमेंट की जो पोजीशन है, कल राष्ट्रपति जी की स्पीच सुनने के बाद ऐसा लगा कि यह सरकार पूरे साल गलती करती रही और उसे कवर करने के लिए प्रेसीडेंट के मुंह से बात कहलवा दी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम एक साल में जो भी गलती होती है, उसे करेक्ट करते हुए अगले साल में उसमें सुधार होना चाहिए। उसके लिए पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। पूरा देश, हम लोग सोच रहे थे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये मेजर पॉलिसी चेंज करेंगे, एक साल में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, फॉमर्स की प्रॉब्लम हुई है, लेबर की प्रॉब्लम हुई है, एससी, एसटी की जो प्रॉब्लम हुई है, इन सबको कवर करके एक पॉलिसी, एक डायरेक्शन देंगे यह सोचकर ऐस्पेक्ट किया, मगर जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण में रखा गया है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो ब्लैक मनी के बारे में बात की गयी है, यह बताने की कोशिश की गयी है कि हम लोग बहुत ईमानदार हैं। भारत देश में स्वतंत्रता आने के बाद यूपीए-वन, यूपीए-टू में जिस तरीके से करप्शन हुआ है, पूरे देश को लूट रहे हैं। इतनी बड़ी लूट के बाद भी करप्शन को कम करने के लिए करेक्ट मेजर्स नहीं ले पाये हैं। इसके बारे में कम से कम यह गवर्नमेंट सोचे, जिस तरह से करप्शन हो रहा है, यही नहीं स्टेट्स में भी, कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में भी बहुत करप्शन हुआ है। आंध्र प्रदेश में आप देखें तो एक आदमी का पिता जी उस समय चीफ मिनिस्टर था, उस आदमी ने एक लाख करोड़ रुपये का करप्शन किया है। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदयः** कृपया आप लोग उन्हें बोलने दीजिये। आपको जब मौका मिलेगा तब बोलियेगा।

...*(व्यवधान)*

**श्री नामा नागेश्वर राव:** माइनिंग माफिया द्वारा करप्शन हुआ है। इन सब करप्शंस को इधर यूपीए-वन में, यूपीए-टू में ...*(व्यवधान)* इसी तरीके से गवर्नमेंट्स, मेनली कांग्रेस गवर्नमेंट्स में काफी करप्शन हुआ है। ...*(व्यवधान)* इन करप्शंस को कम करने के बारे में किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप लोग बैठिये। खड़े होकर मत बोलिये।

...*(व्यवधान)*

**श्री नामा नागेश्वर राव:** ...*...*(व्यवधान)* आपको इधर से बात करने में शर्म आनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* देश में कभी भी इस तरह से करप्शन नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)* आपकी यूपीए-वन, यूपीए-टू में जिस तरह से करप्शन हुआ है ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य आप इधर देखकर बात कीजिये।

...*(व्यवधान)*

**श्री नामा नागेश्वर राव:** अब भी आप हंसकर बात कर रहे हैं। आपको ...* आनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य आप आसन की तरफ देखिये।

...*(व्यवधान)*

**श्री नामा नागेश्वर राव:** आप लोगों को बात करने में ...* आनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* कभी भी देश में इस तरह से करप्शन नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)* आंध्र प्रदेश को पूरा लूट लिया है। ...*(व्यवधान)* राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेज नम्बर 8 पर क्लॉज नम्बर 34 में जिस तरह से फर्टिलाइजर्स के बारे में बात की गयी है। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप इधर देखकर बोलिये, आप उधर मत देखिये।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री नामा नागेश्वर राव:** मंत्रालय एक व्यापक उर्वरक निगरानी तंत्र पर कार्य कर रहा है जिसके तहत एसएमएस इंटरनेट और टेलीफोन के माध्यम से किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता से संबंधित सूचना प्रदान की जायेगी।

*[हिन्दी]*

यह कितना गलत है, किसानों को एसएमएस के द्वारा बताया जायेगा कि फर्टिलाइजर की अवलेबिलिटी है। किसान इंटरनेट से फर्टिलाइजर की अवलेबिलिटी की मानीटरिंग कर रहा है, ऐसा बोल रहे हैं।

महोदय, हमारे आंध्र प्रदेश में जो किसान फर्टिलाइजर्स लेने के लिए गये हैं, उन पर लाठीचार्ज हुआ है। जो किसान फर्टिलाइजर खरीदने के लिए गये हैं, उन्हें जेल में डाल दिया गया है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र खम्माम में फर्टिलाइजर लेने के लिए जो किसान गये थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। यह शर्मनाक है। ...*(व्यवधान)* स्पीच में बोलते हैं, एसएमएस से बताया जायेगा कि फर्टिलाइजर अवलेबल है। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** किसी की भी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी, सिर्फ इनकी बात रिकॉर्ड में जायेगी।

*(व्यवधान)*...*

**श्री नामा नागेश्वर राव:** इंटरनेट से बताया जायेगा कि फर्टिलाइजर अवलेबल है। ...*(व्यवधान)* यह बहुत गलत तरीका इसमें रखा गया है। ...*(व्यवधान)* इसी तरीके से नरेगा के बारे में भी कहा गया है। सरकार ने कहा है कि अभी तक हमने इस पर 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये खर्च किये हैं। नरेगा में इतना करप्शन हो रहा है, आंध्र प्रदेश में बहुत करप्शन हो रहा है, इसके साथ-साथ पूरे भारत देश में नरेगा स्कीम में करप्शन हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि 1,48,000 करोड़ रुपये का आपने नरेगा में जो स्पैन्ड किया है, गरीब लोगों को उसमें से कितना मिला है? उसमें से 25 प्रतिशत भी गरीबों को नहीं मिल रहा है। 75 प्रतिशत लूट रहे हैं। यह करप्शन करने का अड्डा बन गया है। इस पर कंट्रोल करने के लिए भी कुछ नहीं कहा गया है।

महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ई-गवर्नेंस की बात की गई है। 15 साल पहले हमारे नेता चन्द्रबाबू नायडू जी ने आंध्र प्रदेश में ई-गवर्नेंस की शुरुआत की थी। ये लोग तो 15 साल के बाद आज के दिन में ई-गवर्नेंस के बारे में बोल रहे हैं। ये सब जिस तरह से बात कर रहे हैं, उस तरह से करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें माइन्स एंड मिनिरल के बारे में कहा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गया है, माइनिंग के लिए बिल के बारे में कहा गया है। जिस तरह से पूरे देश के नैचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, आठ साल के अंदर आंध्र प्रदेश में आइरन ओर, सैन्ड और हर तरह की लूट की गई है। ये लोग न सिर्फ आंध्र प्रदेश में, बल्कि भारत देश में जितने भी नैचुरल रिसोर्सेज थे, सबको लूट रहे हैं। ये कहते हैं कि बिल इंट्रोड्यूस किया है। बिल इंट्रोड्यूस करके क्या करेंगे? इस लूट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इस लूट को बंद नहीं कर पा रहे हैं। आज जिस तरह से देश में नैचुरल रिसोर्सेज की लूट हो रही है, इसके लिए यह सरकार ज़िम्मेदार है। उसी तरह से एग्रीकल्चर के बारे में मैं कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया अपनी बात समाप्त करें।

**श्री नामा नागेश्वर राव:** मैं दो मिनट में समाप्त करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक कभी भी किसानों के इस प्रकार के सूसाइड नहीं हुए। भारत देश में सबसे ज्यादा सूसाइड यूपीए-1 और यूपीए-2 सरकारों के दौरान हुए हैं। आंध्र प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसान कह रहे हैं कि वे खेती नहीं करेंगे। यह मामूली बात नहीं है। सरकार की नीतियों की वजह से ऐसा हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप बैठ जाइए। जब आपको मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहियेगा।

**श्री नामा नागेश्वर राव:** हमारे आंध्र प्रदेश में तीन लाख एकड़ जमीन में किसानों ने कहा है कि वे खेती नहीं करेंगे। किसान को एम.एस.पी. नहीं मिल रही है, उसको बहुत दिक्कत हो रही है। इसी कारण वे सुसाइड कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

*(व्यवधान)*...*

**उपाध्यक्ष महोदय:** नामा नागेश्वर राव जी के अलावा किसी की बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

**श्री नामा नागेश्वर राव:** ये लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, इनको किसानों के लिए कुछ दुख होना चाहिए। आज किसानों के सूसाइड के लिए यह सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

**श्री नामा नागेश्वर राव:** इन्हीं बातों के साथ हम एनसीडीसी के बारे में कहना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* 2जी स्कैम से लेकर बड़े-बड़े और जो स्कैम भारत में हुए हैं, वह यूपीए-1 और यूपीए-2 के दौरान हुए हैं। अब इनको कम से कम रियलाइज होना चाहिए कि करप्शन को कैसे कंट्रोल करें। जो आम आदमी का पैसा लूटा जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करें, यह भी सरकार को सोचना चाहिए। अभी तो थरूर साहब नहीं बैठे हैं। ये आईपीएल के थरूर हैं, इनको बीपीएल के बारे में क्या मालूम है? ...*(व्यवधान)* क्या ये कभी भी गांव में गए हैं? आज गांवों में पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा था कि किसानों को नौ घंटे बिजली देंगे, लेकिन पांच घंटा भी बिजली नहीं दे पा रहे हैं। जो फ्री बिजली की बात सरकार ने की है, उसमें करंट की प्राबलम है, इन्फ्रास्ट्रक्चर की प्राबलम है। उसी तरह से पीने का पानी नहीं है। ये लोग गांवों में जाने वाले नहीं हैं। ये लोग फॉरेन में रहते हैं। जिस तरह से थरूर साहब ने बात की है, बहुत दुख हुआ। ऊपर-ऊपर की बात ये कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

हम चाहते हैं कि सरकार रियलाइज करे कि लोगों की क्या दिक्कत है। करप्शन को कंट्रोल करके विलेज डैवलपमैंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आपने जो अमैंडमैंट दिया है, उसको भी हम अपोज करते हैं। पिछले तीन सालों में राष्ट्रपति के तीन अभिभाषण हुए। हम 15वीं लोक सभा में पहली बार सदस्य बनकर आए। हमने सोचा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो भी बातें होती हैं, उनको सरकार जरूर इम्प्लीमैंट करेगी, लेकिन यह सब ...*(व्यवधान)** निकला।

**उपाध्यक्ष महोदय:** यह शब्द असंसदीय है। इसे एक्सपंज कर दिया जाए। कम से कम देश के लोगों के साथ ऐसा न करें। इसको करैक्ट करते हुए, प्रेजीडेन्ट के स्पीच में जो बोला गया है, उन बातों को हम लोग एपोज़ करते हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री कोडिकुन्नील सुरेश** (मवेलीकारा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं।

आज, भारत आर्थिक विकास के मंच पर खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के अनथक प्रयासों के माध्यम से भारत ने एक लम्बी दूरी तय की है और आज इस मुकाम पर पहुंचा जहां कोई भी देश-विकसित, विकासशील या अल्प विकसित भारत के महत्व को अनदेखा नहीं कर सकता। भारत विश्व की सबसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुझे संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति श्री बाराक ओबामा के वे शब्द अभी भी याद हैं जब इसी संसद भवन में उन्होंने कहा था कि भारत उभरता हुआ राष्ट्र नहीं है बल्कि एक आर्थिक शक्ति के रूप में यह पहले ही विकसित हो चुका है। अपने देश की उच्च बचत दर, सक्रिय उद्यमी वर्ग, बढ़ती हुई युवा जनसंख्या तथा अधिकतम मुक्त व्यापार और विदेशी निवेश को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत आने वाले वर्षों में आर्थिक वृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा।

मैं माननीय राष्ट्रपति जी के इस कथन से पूरी तरह सहमत हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था की जड़े अत्यंत मजबूत हैं। इस कारण आर्थिक मंदी का हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा जबकि विश्व की अन्य प्रमुख आर्थिक शक्तियों पर आर्थिक मंदी का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ा। न्यूयार्क विश्वविद्यालय के प्रो. राउबिनी के अनुसार ब्राजील, चीन और रूस के बीच भारत का स्थान बेहतर है। यह इसीलिये हुआ है क्योंकि हमारी जड़े मजबूत हैं।

यूपीए सरकार के अनेक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। यूपीए सरकार ही शासन में और अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करके भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक संसद में लाई। इस दिशा में और भी कई विधेयक प्रस्तुत किये गये हैं जिनके पारित होने से आम आदमी, जो हमारे हृदय में बसा है, को राहत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्ट नौकरशाहों के खिलाफ यूपीए सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं और इसके तहत प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों को भी बक्शा नहीं है। पहले ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। काले धन की समस्या से निपटने के लिये अनेक पहलें की गई हैं। हमने अन्य काले धन के संबंध में सूचना साझा करने के लिये अन्य देशों से संप्रेक्षण के रास्ते खोले हैं। हमारी सरकार अनेक देशों के साथ दोहरे कराधान परिहार समझौते करने के लिये सक्रिय रूप से चर्चा कर रही है तथा कुछ देशों के साथ पहले से किये दोहरे कराधान परिहार समझौतों पर भी पुन: विचार कर रही है। भविष्य में इन सभी प्रयासों के अच्छे परिणाम नजर आने लगेंगे।

माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने साम्प्रदायिक ताकतों को रोकने में सफलता हासिल की है तथा केन्द्र को अतिआवश्यक राजनैतिक स्थायित्व भी प्रदान किया है। किसी भी देश के लिये प्रगति और संपन्नता के पथ पर आगे बढ़ने के लिये ये सभी तत्व अनिवार्य हैं। सांप्रदायिक हिंसा की एक भी घटना देश में नहीं घटी।

हमारे लिये यह गर्व की बात है कि इस साल देश में खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि खाद्यान्नों का उत्पादन 250 मिलियन टन हो जायेगा जो अनुमानित लक्ष्यों से भी अधिक होगा। मैं अपनी सरकार और किसानों को रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन के लिये बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने यूपीए सरकार को महंगाई के लिये जिम्मेदार ठहराया है। मुझे याद नहीं कि न जाने कितनी बार इस विषय पर इस सदन को या दूसरे सदन को स्थगित करना पड़ा। मुझे नहीं याद कि कितनी बार विभिन्न निगमों के अंतर्गत इस विषय पर संसद में चर्चा हुई। खाद्य मुद्रास्फीति ऋणात्मक क्षेत्र में पहुंच गई है। अत: विपक्ष के सदस्यों को इस विषय पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का अवसर नहीं मिल पायेगा।

सरकार ने शिक्षा क्षेत्र की तरफ विशेष सरोकार दिखाया है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि डॉ. मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु बेहद विंचितत है। हाल ही में, माननीय मंत्री जी ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित मामलों पर 5 उप समितियों का गठन किया है। वह अल्पसंख्यकों की शिक्षा के मामलों में गहन निगरानी रखते रहे हैं। यह सरकार नारों में नहीं बल्कि कार्यवाही में विश्वास रखती है।

वर्ष 2007 से जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट कार्यान्वयन के लिये लम्बित पड़ी है। इस आयोग ने देश में भाषा और धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विषयों को उठाया और सरकारी नौकरियों में उनके लिये 15% सीटें आरक्षित करने, शैक्षिक संस्थानों में कुछ सीटें आरक्षित करने तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% कोटे में से 8.4% आरक्षण उन्हें देने जैसी अनेक प्रगतिशील सिफारिशें की। इन सिफारिशों को तुरंत कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

मैं एक अत्यंत चिंताजनक विषय सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। यह घटना केरल तट पर मछली पकड़ने वाली नौकाओं में आपस में हुई टक्कर से संबंधित है। हाल ही में एक मछली पकड़ने की नौका की टक्कर एक जहाज से हो गई जिसमें बहुत से मछुआरे मारे गये। मैं पुरजोर मांग करता हूं कि इस घटना में मारे गये मछुआरों के निकट संबंधियों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए और घटना की उच्च स्तरीय जांच करायी जाए।

कुट्टांड विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है जो अलपुजा, कोट्टायाम और पथानमथिट्टा तीन जिलों में फैला है। इसे केरल का 'राइस वाउल' भी कहा जाता है। वर्ष 2008 में केन्द्र सरकार ने कुट्टांड वेटलैड इकोसिस्टम के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु 1840 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत दे दी थी किंतु इस परियोजना का कार्यान्वयन बहुत धीमी गति से हो रहा है और इसमें तीव्रता लाये जाने की आवश्यकता है।

यद्यपि सरकार ने यह स्पष्ट कर लिया है कि अ.जा. और अ.ज.जा. के लिये आरक्षित पदों को समय पर भरा जाना चाहिये, अभी भी इन जातियों के लिये आरक्षित हजारों पद खाली पड़े हैं। हाल ही में भारत सरकार ने केन्द्र में अ.जा./अ.ज.जा. के 50 हजार पदों को भरने का निर्णय लिया था। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि भारत सरकार के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रमों में भी इनसे संबंधित रिक्त पदों को भरने के लिये तत्काल कदम उठाए।

अनुमानत: 90% भूमिहीन लोग अ. जाति और अ.ज.जा. वर्ग से संबंधित है। स्वयं ही भूमि न होने के कारण इन गरीब लोगों को श्रमिकों की तरह कार्य करना पड़ता है। सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन लोगों को भूमि प्रदान करने के लिये एक कानून बनाना चाहिये। गांवों और शहरों में बड़ी संख्या में अ.जा. और अ.जा.जा. के लोगों के पास रहने के लिये घर नहीं है।

पूर्ण अनुदान के रूप में नए निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई 4,50,000/- रु. और पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए 48,500 रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह राशि काफी कम है और उसे बढ़ाकर प्रति इकाई 3,00,000 रु. किए जाने की आवश्यकता है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामने आ रही आवास संबंधी समस्या के समाधान के लिए एक प्रतिपूर्ति योजना लाए। वे गरीब वर्ग से संबंधित हैं और पिछले वर्षों के दौरान चिकित्सीय उपचार की लागत में काफी वृद्धि हुई है। पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उचित चिकित्सा उपचार नहीं मिलता है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह इस मामले को देखे और इस संबंध में उचित कदम उठाएं।

निजी अस्पतालों में कार्यरत नर्सों को काफी कम वेतन दिया जा रहा है। आप इस बात को मानेंगे कि नर्सें महान कार्य कर रही हैं और उनमें से अधिकांश केरल की हैं। सरकार को ईपीएफ और ईएसआईसी सुविधाओं सहित पर्याप्त वेतन और भत्ते सुनिश्चित करने के लिए एक कानून लाना चाहिए।

हजारों शिक्षक सीबीएसआई और आईसीएसई से संबद्ध विद्यालयों में कार्यरत है। ये विद्यालय छात्रों से भारी-भरकम फीस वसूलते हैं किंतु अपने शिक्षकों को समुचित वेतन नहीं देते हैं। इस ओर ध्यान दिए जाने तथा इस संबंध में एक कानून बनाए जाने की आवश्यकता है।

कई विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के कई मामले पड़े हुए हैं। नौकरी के दौरान मर जाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को संबंधित विभाग एक या अन्य बहाने के आधार पर रोजगार नहीं देता है। इस व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए और विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सभी पात्र आश्रितों को यथाशीघ्र रोजगार देने का निदेश दिया जाना चाहिए।

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने केरल में नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना को स्वीकृति दी है। केरल में पम्पा-अचेनकोविल नदी को वाइपर नदी से जोड़ने से केरल के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस मुद्दे से राजनैतिक गलियारों में काफी गरमागरमी पैदा हो चुकी है। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस परियोजना को रद्द करने का अनुरोध किया है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह पम्पा-अचनेकोविल-वाइपर नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना पर पुनर्विचार करे।

भारत सरकार के समक्ष काजू बोर्ड के गठन का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है। काजू क्षेत्र में काम करने वाले लाखों काजू कामगार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। भारत सरकार उन पर समुचित ध्यान नहीं देती है। मेरा भारत सरकार से यह अनुरोध है कि वह गरीब काजू कामगारों के कल्याण हेतु काजू बोर्ड का गठन करे।

मैं केरल में रबर पार्क स्थापित करने संबंधी एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पेरमबूर के निकट एर्णाकुलम में एक इरापुरम रबर पार्क है। इस रबर पार्क को कोल्लम जिले में पथनापुरम के समीप स्थापित किया जाना है।

सस्थमकोटा झील केरल की ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। इसे नवम्बर 2002 में रामसागर स्थल नाम दिया गया था। महोदय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व की आद्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध यह झील काफी तेजी से सिकुड़ती जा रही है। यदि कोई प्रयास नहीं किए गए तो राज्य इस झील को खो देगा। मेरा पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से यह अनुरोध है कि वह इस झील को बचाने के लिए केरल को वित्तीय सहायता देने हेतु कदम उठाए।

महोदय, हमारी राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्ति की चाह रखने वाले गरीब छात्रों को शैक्षिक ऋण देने की एक अनूठी योजना शुरू की है। यह योजना काफी सफल साबित हुई है और गरीब परिवारों के अधिकाधिक छात्रों को इसका लाभ मिल रहा है। किंतु ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनमें शैक्षिक ऋण लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को रोजगार नहीं मिला है। ऐसी परिस्थिति में वे ब्याज सहित अपना शैक्षिक ऋण नहीं चुका पाते हैं। बैंकों ने शैक्षिक ऋण की अदायगी न करने वाले छात्रों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस विकट

परिस्थिति पर विचार करे जिसमें ये छात्र और उनके परिवार रह रहे हैं, और शैक्षिक ऋण पर ब्याज को माफ कर दे। सरकार को शैक्षिक ऋण पर ब्याज में कमी करनी चाहिए और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को रोकना चाहिए।

महोदय, मैं इन शब्दों के साथ एक बार पुन: श्रीमती गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन** (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने बहुत हैवी डोज इनको दी है, लेकिन यूपीए का मर्ज ही ऐसा है कि कितना भी डोज दे दें, इन पर कोई असर नहीं होता। इनका जो मर्ज है, वह लाइलाज हो चुका है। इनको डॉक्टर, वैद्य एवं होम्योपैथ से दिखाया, लेकिन बीमारी लाइलाज है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राष्ट्रपति जी का जब अभिभाषण होता है, देश में बहुत कम लोगों को मालूम है कि इन्हीं का लिखा हुआ, केबिनेट का एप्रुव किया हुआ अभिभाषण पढ़ा जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जी की जबान से अपने लिए ईमानदारी का सर्टीफिकेट इन्होंने लिया। मेरी सरकार ईमानदार और अधिक कारागार *...(व्यवधान)* कारगर है, हमें वह कारागार लगा। *...(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, ज्यादातर कारगर नहीं है, ज्यादा कारा नजर आता है।

**उपाध्यक्ष महोदय:** कल आप जारी रखेंगे, अब जीरो ऑवर लेते हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन:** उपाध्यक्ष जी, यहां पर संसद के भी कुछ सदस्य हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो बाहर से भी घूमकर यहां आते हैं, इनकी तरफ बहुत से लोग बैठे हैं, इनको जब देखते हैं, तो ईमानदारी के सिंबल गावित साहब दिखते हैं। उनके ऊपर जब आरोप लगे थे, तो विपक्ष ने भी कहा था गावित साहब की ईमानदारी पर हम लोगों को कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी बैठे हैं, जो खुद सर्टीफिकेट लेने के बाद भी उनकी ईमानदारी पर शक है। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कल आप ही इसको जारी रखेंगे।

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन:** उपाध्यक्ष जी, बात इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको कल अगर मैं आपके आदेश पर कांटीन्यू करूंगा तो इनको भी बहुत मजा आएगा।

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब जीरो ऑवर लेते हैं।

---

*[हिन्दी]*

**श्री के.डी. देशमुख** (बालाघाट): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने जीरो ऑवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में कटंगी विकास खंड की 19 पंचायतों में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट के आदेशानुसार जून, 2011 में मनरेगा के अंतर्गत तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया था एवं सरपंचों द्वारा कार्य भी समाप्त कर दिया गया। करीब 83 लाख रुपए का मजदूरों का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। इन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति वर्तमान कलेक्टर बालाघाट द्वारा नहीं दिए जाने से मजदूरों का भुगतान लंबित पड़ा हुआ है। इन 19 पंचायतों के मजदूर 10 माह से भुगतान नहीं होने के कारण दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। कलेक्टर बालाघाट के अड़ियलन रवैये के कारण मजदूरों की भूखे मरने की नौबत आ गयी है।

अत: आपके माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से मांग है कि बालाघाट जिले के करीब 19 पंचायतों में मनरेगा के तहत किए गए कार्यों की मजदूरी का भुगतान यथाशीघ्र किया जाए।

**डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गुजरात में गैस ग्रिड में केन्द्र द्वारा अवरोध के मुद्दे पर आपने बोलने के लिए जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

गुजरात देश में गैस का घरेलू एवं वाणिज्यिक उपयोग करने वाला अग्रणी राज्य है। गुजरात तेजी से गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, लेकिन केन्द्र की नीतियों की वजह से गुजरात को नुकसान होता है। गुजरात के पास खुद की गैस है, जमीन है, लेकिन उसे गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। अगर कोयले का उदाहरण लिया जाए तो कोयला उत्पादक राज्यों के लिए कोयला आपूर्ति तथा गैस उत्पादक राज्यों के लिए गैस की आपूर्ति के नियम भिन्न-भिन्न हैं। ऐसे में जहां कोला उत्पादक राज्य अपने घरेलू संसाधन के कारण सस्ते कोयले की उपलब्धता से लाभान्वित होते हैं, वहीं गैस उत्पादक राज्य गुजरात को महंगी दर पर कोयला खरीदना पड़ता है।

गुजरात सरकार ने 2400 किलोमीटर लंबी गैस पाइप लाइन गुजरात में बिछाई है। इस संदर्भ में केन्द्र सरकार का कहना है कि राज्य को गैस ग्रिड स्थापित करने का अधिकार नहीं है। गुजरात राज्य सरकार ने इसे चुनौती भी दी है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि किसी राज्य को गैस ग्रिड स्थापित करना

चाहिए या नहीं। क्या राज्य सरकार यह तय नहीं करेगी? क्या केन्द्र सरकार आकर किसी नगर पालिका क्षेत्र में पानी की लाइन बिछाएगी? मैं अत्यंत दुख के साथ कहता हूं कि अगर केंद्र सरकार गैस ग्रिड बिछाने में बीच में नहीं आती तो गैस ग्रिड की वजह से, गुजरात राज्य जो ऐसे भी विकसित है, उसकी और भी तस्वीर बदल जाती। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को प्रोत्साहित करने के रवैये से विरुद्ध केंद्र सरकार की नकारात्मक नीति न सिर्फ गुजरात के बल्कि समग्र देश के लिए अन्यायी एवं घातक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नम्र निवेदन करता हूं कि गुजरात को गैस ग्रिड बिछाने में केंद्र सहयोग करे।

**सायं 7.00 बजे**

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री विष्णु पद राय जी, कृपया आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

**श्री विष्णु पद राय** (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि कालापानी की बात है इसलिए थोड़ा समय चाहिए। पोर्टब्लेयर शहर के दक्षिण अंडमान के परतापुर गांव की कहानी है।

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप कहानी मत बोलिए। कृपया विषय बोलिए।

**श्री विष्णु पद राय:** यह घटना दर्द भरी है। दर्द भरा अभियोग इस सरकार के ऊपर में है। इस अभियान में कहा है कि करीब 80 साल पहले अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पैनल सेटलमेंट में अंडमान के लोगों को बैठाया गया जिसे हम लोग प्री-42, सैटलर्स कहते हैं। यह जब वहां बैठाया गया था, पटवारी नहीं था, उनको कहा गया कि यह तुम्हारा जंगल है, यह पहाड़ है, यहां बैठ जाओ। वह जमीन पर बैठ गया। जब सरकारी पट्टा बना, रिकार्ड बना तो देखा गया कि रिकार्ड में जमीन कम है और ज्यादा जमीन कब्जा में है। परिणाम स्वरूप एक्सेस लैण्ड हो गया। भारत सरकार ने उनकी मांग पर डिमांड स्कीम बनाया। अंडमान के चीफ कमीश्नर महोदय ने 28.5.1966, 31.12.1961 में जो लोग इस परिवार के थे, मतलब प्री-42 सैटलर्स से संबंधित थे, जितना जमीन एक्सेस होगा, जमीन को रेग्युलराइजेशन किया जाएगा। लेकिन दुःख की बात है कि इनको छोड़ दिया गया। उसके बाद 17 अगस्त, 1990 में फिर सरकार ने फैसला किया कि जमीन छूट गया। उन परिवारों के लिए कट ऑफ डेट दिसम्बर, 1978 तय किया गया। अंडमान के जो लोग हैं उनको मालूम नहीं था कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आफिशियल्स हैं, उन शेरों को कितना दाना-पानी देना है। वे दाना-पानी जानते नहीं थे। वे कहते थे कि हम भूमिपूत्र हैं। दम धरती के बेटे हैं। हमें जमीन का पट्टा और लाइसेंस मिलेगा। उन्होंने घूस नहीं दिया। उन्होंने दाना-पानी नहीं दिया तो उनके जमीन को पट्टा नहीं मिला। उसके बाद पतरापुर गांव के लोग 17 जुलाई, 1995 में आवेदन किया। फिर एक कमेटी आयी।

**उपाध्यक्ष महोदय:** सरकार से आप क्या चाहते हैं?

**श्री विष्णु पद राय:** सर, एक मिनट, सरकार सुनेगी तब न। सरकार का कान तो बहरा हो गया। इसके बाद इन्होंने मांग किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव के लोगों का नाम मैं सुनाऊंगा- श्रीमती प्रेम कुमारी, श्री जीवन लाल, श्री हरिश दत्त, श्री फिलिप सैम्यूअल यह अंडमान, मिनी इंडिया का स्वरूप है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। एनडीए गवर्नमेंट की सरकार आई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सरकार को दिशा दिखाई। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के अर्बन एरिया में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जो लोग पुराने जमाने के थे उनको प्री-पैनल सेटलमेंट के लोग कहते हैं, वह जमीन जो अधिक मात्रा में थी उनको बिना प्रिमियम रेग्युलराइजेशन किया। उसके बाद यह सरकार भेदभाव करती है। अंडमान निकोबार में 1078 केसेज का फैसला हुआ था जो सिक्सटी वन सर्वे के पहले अंडमान के अर्बन एरिया में था उनको पट्टा दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया आप कहानी मत कहिए। आप संक्षेप में कहिए।

**श्री विष्णु पद राय:** महोदय, मैं एक मिनट समय लूंगा। कांग्रेस सरकार ने आपस में बांटा कि कौन वर्ष 1942 के पहले आए और कौन बाद में आए। 1078 केसेज में से 500 केसेज करके छोड़ दिया गया। भेदभाव हटा है। अर्बन एरिया में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जो कानून पास किया था एनडीए के समय में उस पर अमल करे। मेरी आखिरी मांग है कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में प्री-42 परिवार, 1950 में ईस्ट बंगलो रिफ्जीज, तमिल श्रीलंकन, कचल श्रीलंकन रिसैटलर्स लोग अंडमान धरती पर आए। उनका जमीन भी एक्सेस लैण्ड है। मेरी सरकार से मांग है कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में जितने भी प्री-42 हों, सैटलर्स हों, तमिल श्रीलंकन हो या कचल श्रीलंकन्स हों सारे परिवार के एक्सेस लैंड को रेग्युलराइज कर के बिना प्रिमियम जमीन दिया जाए। यही हमारी सरकार से मांग है।

**श्री जगदानंद सिंह** (बक्सर): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार प्रदेश का बक्सर जिला एक कृषि प्रधान इलाका है। किसानों ने अनाज, सब्जी, फल के उत्पादन का बड़े पैमाने पर इंतजाम किया है। विपरीत परिस्थिति बाढ़ एवं सुखाड़ झेलना उनकी नीयत बन चुकी है। गंगा के किनारे दियारा इलाके के किसान प्रकृति के प्रकोप को सहते हुए जीवन-यापन के लिए संघर्षरत रहकर परिवार का परिवेश

करते रहे हैं। किसानों को अब एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जंगली जीव, नीलगाय तथा हिरण की बढ़ती आबादी ने खेती पर खतरा पैदा कर दिया है। खेती में लगी फसल तथा बागवानी को वन्य प्राणी समाप्त कर देते हैं। किसानों को फसल की बर्बादी अब असह्य हो चुकी है। इसलिए किसान या तो खेती बंद कर रहे हैं या खेती की सुरक्षा में इतना व्यय करते हैं कि खेती अलाभकर होती जा रही है। नीलगाय का प्रकोप गत तीस वर्षों से झेलते हुए किसान किंकर्तव्यमूढ़ होकर स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार के स्तर तक लगातार अपनी बात उठाते रहे हैं। मगर सब लोग समस्या का समाधान करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, क्योंकि वन्य जीव प्राणियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नियम विरुद्ध मानी जाती है। बक्सर का दियारा इलाका वन का क्षेत्र नहीं है। ऐसे हालात में वन्य विभाग का कर्तव्य बनता है कि वन्य जीव प्राणियों को संभालने का कार्य करे अर्थात् उन्हें खेतों को नुकसान करने से रोकने के लिए अन्यत्र स्थानान्तरित करे या किसानों को हो रहे नुकसान की भरपाई करे। हर हालात में किसानों की फसल की रक्षा करना तथा क्षति होने पर भरपाई करना सरकार के कर्तव्य का हिस्सा है क्योंकि वह क्षति वन्य जीव प्राणियों के वन के बाहर विचरण का परिणाम है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस भयानक समस्या से कृषि एवं किसानों की रक्षा करे।

**श्री राजेन्द्र अग्रवाल** (मेरठ): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख शहर है। यह दिल्ली से केवल 80 किलोमीटर दूर है। जिस समय एनसीआर का गठन हुआ, उस समय पूरे क्षेत्र के अंदर रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत द्रुत गति से सड़क मार्ग या रेल मार्ग से जोड़ने की योजनाएं बनी थीं। परन्तु मेरठ के संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी 80 किलोमीटर की दूरी तीन घंटे, चार घंटे, कभी-कभी उससे भी अधिक समय में पूरी की जा पाती है। मेरा निवेदन है कि इसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग 58 है, उस पर बहुत अधिक भीड़ रहती है और जैसे मैंने कहा, बहुत अधिक समय लगता है। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में मेरठ-दिल्ली के बीच एक एक्सप्रैस हाईवे बनाने की योजना बनी थी। लेकिन उसके कार्यान्वियन की गति इतनी सुस्त है कि आज तक भी उसका कोई स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने जब 7 जुलाई, 2009 को प्रश्न संख्या 329 में पूछा कि इस एक्सप्रैस हाईवे की क्या स्थिति है तो मुझे बताया गया कि यह दिसम्बर, 2014 तक पूरा हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं?

**श्री राजेन्द्र अग्रवाल:** मैं वही बता रहा हूं। उसके बाद मैंने 8 अगस्त, 2011 में जब यही सवाल पूछा तो मुझे बताया गया कि इस एक्सप्रैस हाईवे का कार्य दिसम्बर, 2015 तक पूरा किया जाएगा यानी सरकार द्वारा ही टालमटोल का काम किया जा रहा है। उसकी अवधि एक साल बढ़ा दी गई है। मुझे चिन्ता है कि अगर सरकार इसी प्रकार टालमटोल करती रही तो यह एक्सप्रैस हाईवे नहीं आएगा। समय बहुत अधिक लग रहा है। मेरा निवेदन है कि मेरठ-दिल्ली एक्सप्रैस हाईवे को द्रुत गति से निर्माण प्रारंभ किया जाए ताकि जनता को सुविधा मिल सके और लोग यहां कम समय में आ सकें।

**श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इनके साथ एसोसिएट करता हूं। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप राजस्थान के व्यक्ति हैं, यूपी का बात कैसे कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** ठीक है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल अपने आपको श्री राजेन्द्र अग्रवाल के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

**श्री सज्जन वर्मा** (देवास): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस घटना की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह बड़ी मार्मिक घटना है जो पिछले छह दिनों से सारे राष्ट्रीय चैनलों, अखबारों में छप रही है। यह घटना मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की है। ...*(व्यवधान)*

**श्री गणेश सिंह** (सतना): उपाध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

**श्री सज्जन वर्मा:** उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन पूरे देश में होली मनायी जा रही थी ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप क्या चाहते हैं, सीधा बोलिये।

...*(व्यवधान)*

**श्री सज्जन वर्मा:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं वही बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)* यह बड़ी गंभीर घटना है और ये बोलने नहीं देंगे। ...*(व्यवधान)* *

**उपाध्यक्ष महोदय:** वर्मा जी, आप किसी की तरफ देखकर न बोलिये।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**उपाध्यक्ष महोदयः** वर्मा जी, आप अपनी बात कहकर खत्म कीजिए।

...*(व्यवधान)*

**श्री सज्जन वर्माः** उपाध्यक्ष महोदय, एक नौजवान आईपीएस अधिकारी की हत्या हो जाती है और वह भी उस दिन जिस दिन सारा देश ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदयः** वर्मा जी, आप क्या चाहते हैं, यह बोलिये।

...*(व्यवधान)*

**श्री सज्जन वर्माः** उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* जिस दिन पूरा देश होली मना रहा था। रंगों का त्यौहार होली से पूरा देश ...*(व्यवधान)* अपना स्वाभिमान मना रहा था, उस दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में काला दिन ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदयः** कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदयः** अभी आप अपनी बात खत्म कीजिए। आप भाषण न देकर अपनी बात खत्म कीजिए।

...*(व्यवधान)*

**श्री सज्जन वर्माः** उपाध्यक्ष महोदय, यह बोलने नहीं देंगे। ...*(व्यवधान)* मैं बोल रहा हूं और यह भाषण नहीं है। ...*(व्यवधान)* एक आईपीएस की हत्या हो जाती है और वह भी ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदयः** वर्मा जी, आप सरकार से क्या चाहते हैं, यह बोलिये।

...*(व्यवधान)*

**श्री सज्जन वर्माः** मैं वही बोलने जा रहा हूं, लेकिन पहले आप उन्हें चुप कराइये। ...*(व्यवधान)* होली के दिन, जिस दिन सारा देश रंग से खेल रहा था, उस दिन भाजपा के लोग, हत्यारे लोग खून की होली खेल रहे थे। एक नौजवान आईपीएस की हत्या हो गयी। ...*(व्यवधान)* जिस देश के सारे चैनल्स जिस घटना को दिखा रहे हों, आप जैसा व्यक्ति उसे हल्का मान रहा है, यह अन्याय है। ...*(व्यवधान)* यह भारत की पूरी पुलिस फोर्स के साथ अन्याय है। ...*(व्यवधान)** न्याय मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**उपाध्यक्ष महोदयः** आप पांच मिनट से बोल रहे हैं, जबकि मैंने आपको दो मिनट बोलने का समय दिया है।

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदयः** आप सब बैठ जाइये। अब श्री वर्मा जी कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...*(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदयः** श्री अजय कुमार जी, आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदयः** वर्मा जी, आपकी बात रिकार्ड में आ गयी है, इसलिए आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदयः** वर्मा जी, आपकी बात रिकार्ड में आ गयी है, इसलिए आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदयः** श्री वर्मा जी की कोई भी बात अब रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...*(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदयः** वर्मा जी, आपकी बात रिकार्ड में आ गयी है, इसलिए आप बैठ जाइये। एक घंटे तक बोलने का समय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदयः** किसी भी माननीय सदस्य की कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...*(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदयः** वर्मा जी, आप बैठ जाइये। श्री अजय कुमार जी, आप बोलिये। ...*(व्यवधान)*

**श्री अजय कुमार** (जमशेदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान एनएच 33 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। एनएच 33 झारखंड जिले की सबसे महत्वपूर्ण हाईवे

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। यह हमारे संसदीय क्षेत्र से गुजरती है। वर्तमान में एनएच 33 की हालत है, सात किलोमीटर की दूरी पर हमें कम से कम पांच घंटे का समय लग जाता है। इस मार्ग पर खासतौर से जमशेदपुर और बेरागोड़ा के बीच बस चलाना भी बंद कर दिया गया है। इसके चलते बेरागोड़ा, हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने, जमशेदपुर पहुंचने में काफी कठिनाई हो रही है। पिछले पन्द्रह दिनों में करीब-करीब चार व्यक्तियों की मौत हुई है। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदयः** कृपया आप संक्षेप में बोलिये।

**श्री अजय कुमारः** मैं संक्षेप में बोल रहा हूं। वहां चार व्यक्तियों की मौत गाड़ी उलटने से हुई है। मैं काफी दिनों से प्रयास कर रहा हूं कि एनएचएआई इस रोड की रिपेयर करे, लेकिन एनएचएआई कहती है कि इन्होंने इसे एक सिम्प्लेक्स कंपनी को दे दिया है और दीवाली के बाद ही काम शुरू होगा। लेकिन अब से दीवाली तक लगभग छह महीने का समय है। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदयः** आप सरकार से क्या चाहते हैं?

**श्री अजय कुमारः** इस रोड को जल्दी से रिपेयर किया जाए क्योंकि हर हफ्ते दो व्यक्तियों की मौत हो रही है उस रोड पर।

दूसरी समस्या, जो एनएचएआई से ही संबंधित है, यह है कि जमशेदपुर में मांगू क्षेत्र, जहां तीन लाख की आबादी है, वहां पर पानी की एक नई परियोजना की स्थापना हो रही है जिसके लिए एनएचएआई का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट छह महीने से पेंडिंग है। इसलिए वह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन दो कामों-एनएच 33 की रिपेयर और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जल्दी से दिलाया जाए।

**उपाध्यक्ष महोदयः** बहुत संक्षेप में बोलिए।

श्री प्रहलाद जोशी।

**श्री प्रहलाद जोशी** (धारवाड़): मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदयः** बहुत संक्षेप में नहीं हो रहा है, इसीलिए बोलना पड़ रहा है।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रहलाद जोशीः** उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। भारत सरकार ने 2008-09 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के घटक के रूप में गांव योजना के अंतर्गत एक योजना लागू की थी। बीज उत्पादकों के लिए दालों के प्रमाणिक बीज उगाने के लिए एक प्रोत्साहन है। तद्नुसार जो किसान मेरे अपने जिले धारवाड़ सहित कर्नाटक के छह जिलों में उत्पादन कर रहे हैं उन्हें उगाने, खरीद करने और इन सब चीजों के बाद प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया। किसानों के आंदोलन के पश्चात् मैंने माननीय कृषि मंत्री को ध्यान दिलाया कि हम छह जिलों के किसानों को 250 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया। उसके पश्चात् केन्द्रीय कृषि मंत्री ने हस्तक्षेप किया और धन जारी किया। किंतु उनके हस्तक्षेप के बाद धन निर्मुक्त किया गया और उन्हें भुगतान किया गया। परन्तु भूतलक्षी प्रभाव में प्रत्येक किसान के लिए 35 क्विंटल की सीमा तय कर दी गई। 2008-09 में जब यह योजना शुरू की गई थी तो यह प्रतिबंध नहीं था परन्तु 2011-12 में यह प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर भी, वे इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते। किसानों ने 50 क्विंटल, 60 क्विंटल से 100 क्विंटल तक उत्पादन किया है। इसलिए, उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जो भी उत्पादन किया है उन्हें मात्रा पर ध्यान न देते हुए समस्त प्रोत्साहन का भुगतान किया जाना चाहिए क्योंकि जब योजना प्रारम्भ की गई तब मात्रा की कोई सीमा नहीं थी।

इसलिए, महोदय, मेरी सरकार से यह मांग है।

**श्री आर. ध्रुवनारायण** (चामराजनगर): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् चामराजनगर और कर्नाटक राज्य में मैसूर जिले के कुछ भागों और शिमोगा जिलों में भारी परेशानी का सामना करने वाले किसानों और धान उगाने वालों के संबंध में सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसानों ने धान की ज्योति किस्म उगाई है जो 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है तथा उन्होंने 1250 मी. टन अनाज का उत्पादन किया है। स्थानीय व्यापारी 850 से 900 रुपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि धान की इस ज्योति किस्म को भारतीय खाद्य निगम की सूची में शामिल किया जाए। इस समय मेरे निर्वाचन क्षेत्र चामराजनगर और मैसूर तथा शिमोगा जिलों के कुछ भागों में बड़ा आंदोलन चल रहा है। इसलिए ज्योति किस्म के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की कृपा करें। भारत सरकार की ज्योति किस्म का धान खरीदने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

**श्री पोन्नम प्रभाकर** (करीमनगर): महोदय, मुझे इस मामले के साथ स्वयं को सम्बद्ध करने की अनुमति दें।

**उपाध्यक्ष महोदयः** आपको इस मामले से सम्बद्ध होने की अनुमति है।

**श्री के.पी. धनपालन** (चालाकुडी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

रेलगाड़ियों में यात्रियों और रेलवे स्टाफ द्वारा महिलाओं पर हमले की अनेक घटनाएं हुई हैं। ऐसे ही तीन मामले हाल ही में केरल में सामने आए हैं जिनमें से एक मामले में एक लड़की का बलात्कार और हत्या कर दी गई। हाल में रेलगाड़ियों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बढ़ रही है। रेलवे द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने हेतु समुचित सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं। विशेषकर लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों की पूरी तरह कमी है। इसके अतिरिक्त लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं और यात्रियों की कीमती वस्तुएं जैसे नकदी, जेवरात और प्रमाण पत्र खो जाते हैं। रेलवे ने लगभग 30 वर्षों से रेलगाड़ियों में ड्यूटी पर पुलिस कर्मियों की संख्या भी नहीं बढ़ाई है। राज्य पुलिस की रेल के डिब्बे में प्रवेश करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल से प्रवेश पास लेना पड़ता है। केरल से गुजरने वाली 254 रेलगाड़ियों में से 144 रेलगाड़ियों में कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। यात्रियों की सुरक्षा सबके लिए चिंता की बात है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि रेलगाड़ियों में महिलाओं की सुरक्षा स्थिति में सुधार करने हेतु उपाय किए जाएं। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष बल शुरू करना चाहिए। लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए विशेष डिब्बों की व्यवस्था की जानी चाहिए और रेलगाड़ियों में चोरी की घटनाएं रोकने हेतु उपाय भी किए जाने चाहिए।

**श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी** (विजयनगरम): महोदय, कृपया मुझे रेलगाड़ियों में महिलाओं पर हमलों के बारे में श्री धनपालन द्वारा उठाये मुद्दे के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान करें।

**उपाध्यक्ष महोदय:** ठीक है।

*[हिन्दी]*

**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** (गिरिडीह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का आग्रहपूर्वक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि झारखंड प्रदेश में मधुबन जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां पूरे विश्व से लोग आते हैं। आठ बरस पहले यहां पर रेल लाइन बिछाने के काम का सर्वे हुआ था। पारसनाथ से मधुबन होते हुए वाया गिरिडीह यह सर्वे हुआ था। दुर्भाग्य से अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कल रेल मंत्री जी रेल बजट पेश करेंगे। मेरा आग्रह होगा कि यह जो जैन समुदाय का विश्व विख्यात पर्यटक स्थल है, जहां विश्व से लोग आते हैं, उसके सर्वे का काम पूरा कराकर रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया जाए। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गिरिडीह-कोडरमा रेल लाइन का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय शुरू हुआ था, अभी तक अधूरा है, उसे भी पूरा कराया जाए।

झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात् एक राजधानी ट्रेन जो वहां से चलती है, उसका कोच आज भी जर्जर स्थिति में है। मैंने कई बार रेल मंत्रालय के अधिकारियों को इस बारे में कहा और लिखा। लेकिन उस कोच को नहीं बदला गया, जिसके कारण उस राज्य से आने वाले लोगों को बहुत कष्ट होता है। गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र से शक्तिपूंज एक ट्रेन चलती है, यह तीन राज्यों को जोड़ती है।

**उपाध्यक्ष महोदय:** लेकिन आपने इसका नोटिस नहीं दिया है। आपने जो शून्य काल में बोलने के लिए नोटिस दिया है, उसमें नई रेलगाड़ी के संबंध में नोटिस दिया है। इसलिए जो आपने जिस विषय का नोटिस में उल्लेख किया है, कृपया उसी विषय पर ही बोलें।

**श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय:** यह शक्तिपुंज ट्रेन के बारे में हमने मंत्री जी से भी कहा है कि उसमें एक पेंट्री कार लगाई जाए। कल जो रेल बजट पेश होगा, उसमें ये विषय आएं और एक नई ईएमयू रेलगाड़ी वहां दी जाए जो बरकाकाना और गोमोह के बीच चले।

**श्री अशोक अर्गल** (भिंड): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक और अधिकारियों द्वारा 28 फ्लाइंग क्लबों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र करके सरकार को करोड़ों रुपए का घाटा कराए जाने के बारे में कहना चाहता हूं। भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा 2007 में नियम बनाया कि एजुकेशनल सोसाइटी में रजिस्टर्ड और बिना लाभ-नुकसान के रूप में संचालित फ्लाइंग क्लबों को मात्र दस प्रतिशत प्रभार देना होगा। इस हेतु नागर विमानन निदेशालय ने फ्लाइंग क्लबों की सूची मांगी, जो कि लाभ लेने हेतु बनाए गए मानदंडों को पूरा करती थी। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा 28 फ्लाइंग क्लबों की सूची बनाकर भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को भेजी गई। यह सूची उप-महानिदेशक के अनुमोदन से बनाई गई। अवैध लाभ पहुंचाने की दृष्टि से बनाई गई इस 28 फ्लाइंग क्लबों की सूची में कोई भी एजुकेशनल सोसाइटी के रूप में पंजीकृत नहीं था। नागर विमानन निदेशालय के उपमहानिदेशक द्वारा दी गई गलत सूची से सरकार को अनुमानित 190 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले की पूरी तरह से जांच कराए। उपाध्यक्ष

जी, आपको मालूम है कि इस सरकार के कई विभागों में घोटाले हुए हैं। मुझे इस प्रकरण में भी घोटाला नजर आ रहा है। इसलिए इस पूरे प्रक्रिया की जांच कराई जाए और जो दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

**श्री गोरखनाथ पाण्डेय** (भदोही): उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में पी.एम.जी.एस.वाई. से बनने वाली सड़कों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के जिस लोक सभा क्षेत्र से मैं आता हूं वह क्षेत्र भदोही न केवल प्रदेश में बल्कि विश्व में भी कालीन निर्माण करने व निर्यात करने के लिए प्रसिद्ध है। पूर्व में मैंने कई बार सत्र के दौरान पूर्वांचल प्रदेश एवं भदोही में पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु केन्द्र से धन देने की मांग की थी। तत्पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा धन भेजने की मंजूरी भी दी गयी और माननीय मंत्री जी द्वारा आश्वासन भी दिया गया, परन्तु आज तक पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए धन अवमुक्त नहीं किया गया, जिसके कारण भदोही में रहने वाली सामान्य जनता को और बाहर से आने वाले बायर्स को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आये दिन एक्सीडेंट्स होते हैं और सड़कों की समस्या के कारण कालीन व्यवसाय भी प्रभावित होता है। यातायात के साथ-साथ स्कूल आने-जाने वाले बच्चों और आम जनता को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है।

अत: आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि शीघ्रतिशीघ्र पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और भदोही के लिए धन अवमुक्त कराने की कृपा करें ताकि वहां की समस्या का समाधान हो सके और आवागमन के साथ-साथ कालीन निर्माण में आने वाली समस्याओं का समाधान हो और बायर्स को भी सुविधा मिले।

**श्री आर.के. सिंह पटेल** (बांदा): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस देश के किसानों की दुर्दशा की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारा देश किसानों का देश है और इस देश में एक घाघ कवि हुए हैं जिन्होंने कहा था कि "उत्तम खेती मध्यम बान, निखद चाकरी भीख निदान।" कभी हमारी खेती उत्तम हुआ करती थी, चाकरी निकृष्ट हुआ करती थी लेकिन आज उल्टा हो गया है। आज चाकरी उत्तम हो रही है और खेती निकृष्ट हो रही है। आज देश का किसान बुरी तरह से पिस रहा है। डीएपी के दाम, खाद के दाम बुवाई के समय दुगुने कर दिये जाते हैं, डीजल के दाम दुगुने कर दिये जाते हैं और समर्थन मूल्य आधा मिलता है। मैं माननीय उपाध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि रासायनिक उर्वरकों के दाम की सब्सिडी को किसानों के स्मार्ट कार्ड बनाकर उन्हें सीधा दिया जाएगा। किन्तु सरकार ने वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद भी उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और किसान दुगुनी कीमत पर खाद ले रहा है और डीजल के बढ़े हुए दामों पर डीजल लेकर बुवाई कर रहा है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से मांग करता हूं कि किसानों के हितों में कोई ठोस कार्य-योजना बनाकर उसे लागू किया जाए तथा किसानों की उत्पादन लागत का डेढ़ गुना दाम किसानों को दिया जाए और किसानों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाए जो समय-समय पर लागत का मूल्य निर्धारित करके डेढ़ गुना दाम किसानों को दे। यही मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है। धन्यवाद।

**श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (महेसाणा): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सभी माननीय सदस्यों ने जैसी चिंता व्यक्त की, उसी पर मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। यह सचमुच राष्ट्रीय शर्म का विषय है कि दुनिया की दूसरी सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश में 42 प्रतिशत बच्चों का वजन सामान्य से कम है। कई मायनों में महिलाएं भी कुपोषित हैं। अब जब खुद प्रधान मंत्री जी ने भूख और कुपोषण पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए यह कहा है कि तेजी से प्रगति कर रहे देश के लिए पोषण का स्तर सामान्य से कहीं अधिक कम होना अस्वीकार्य है। कुपोषण की समस्या के समाधान में आई.सी.डी.एस. जैसी योजनाओं पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। आई.सी.डी.एस. में कुपोषण में सिर्फ 2.7 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से गिरावट ला पा रही है। पिछले 7 वर्षों में कुपोषित बच्चों के प्रतिशत में केवल 11 प्रतिशत की कमी आई है। इस समस्या से निपटने के जैसे उपाय किए जाने चाहिए, वे अपर्याप्त हैं। बेहतर होगा कि भारत सरकार इस समस्या को लेकर चेत जाती क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास सूचकांक रपट लगातार यह कह रही है कि भारत में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की स्थिति अनेक निर्धन अफ्रीकी देशों से भी गई गुजरी है।

मैं कहना चाहती हूं कि राज्य सरकारों को कहीं अधिक सतर्कता और सजगता का परिचय देना होगा, जैसे गुजरात पैटर्न की तरह कुपोषण के लिए जंग छेड़ी गई है। निश्चित रूप से कुपोषण का मूल कारण सेहत के प्रति अज्ञानता भी है एवं निर्धन तथा वंचित तबकों के पास पोषण योग्य आहार की कमी भी एक विडम्बना है। विभिन्न स्रोतों से यह सामने आ रहा है कि देश में कुपोषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर भंडारण का अभाव स्पष्ट है। भीख और कुपोषण का सामना तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक सभी कमजोर कड़ियों को मजबूत नहीं किया जाता।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि मिड डे मील, पीडीएस का फायदा भी इन्हें चलाने वाले ही उठा रहे हैं। मैं सरकार से

कहना चाहती हूं कि कुपोषण को खत्म करने हेतु सक्षम नीति एवं कठोर कदम उठाए जाएं।

**श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती जयश्रीबेन द्वारा उठाए गए विषय से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

**श्री देवजी एम. पटेल** (जालौर): उपाध्यक्ष महोदय, जल ही जीवन है, हम यह मानते हैं लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र जालौर सिरोही जल मीठा जहर प्रतीत हो रहा है। वहां फ्लोराइड की मात्रा बहुत बढ़ रही है और जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में जल में फ्लोराइड 5 से 6 पीपीएम आ रहा है और पूरे क्षेत्र में अगर देखें तो सरेरास 2 से 3 पीपीएम रहता है, जो कि एक से डेढ़ होना चाहिए। हमारे वहां जल स्तर भी बहुत तेजी से घट रहा है। वर्ष 2001 में 23.82 मीटर जल स्तर बारिश से पहले था और बारिश के बाद 22.5 हुआ लेकिन वर्ष 2011 में, दस साल बाद वह जल स्तर 33.82 हो गया है। दस मीटर के करीब जल स्तर घट गया है, लेकिन आज भी वहां की सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है और जिस परियोजना से हम जल स्तर बढ़ा सकते हैं, वह परियोजना बंद कर रही है और एक ही कारण बताया जा रहा है कि उनके पास पैसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर माउंट आबू में साल गांव परियोजना है, माई परियोजना और नर्मदा नहर जो साचौर में आ चुकी है, साल गांव परियोजना बड़े रसूखदार आदमियों की वहां जमीन होने के कारण उस परियोजना को बंद कर दिया और यह बहाना बनाया कि पैसे नहीं है तथा पैसे की लागत बहुत बढ़ गई है। लोगों को फ्लोराइड की वजह से हड्डियों की बहुत मुश्किल हो रही है। लोगों में कुबड़ापन आ रहा है।

**उपाध्यक्ष महोदयः** आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री देवजी एम. पटेलः** महोदय, जल ही जीवन है, सभी मानते हैं। आपको कम से कम इस विषय पर बोलने के लिए दो मिनट देने चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदयः** ठीक है, लेकिन दो मिनट इतने लम्बे नहीं होने चाहिए।

**श्री देवजी एम. पटेलः** महोदय, मैं मांग करता हूं कि साल गांव परियोजना शुरू की जाए। अगर यह परियोजना शुरू होती है और नर्मदा नदी का पानी दोनों जिलों में पहुंचता है, तो इस समस्या का हल निकल सकता है। पिछले तीन साल से मैं लगातार यह मांग कर रहा हूं कि हमारे यहां पानी पहुंचे। साल गांव परियोजना के बारे में मैं कम से कम दो बार बोल चुका हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहां से कमेटी भी गई, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट का कोई असर नहीं हो रहा है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल के लिए विशेष पैकेज दिया जाए, ताकि जनता की सुख सुविधा फुलफिल की जा सके। हमारे वहां किसान अच्छी उपज करते हैं, लेकिन इस बार पाला गिरने के कारण जो नुकसान हुआ, उसे भी सरकार ने नहीं दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि विशेष पैकेज मिले और यह काम पूरा हो सके। धन्यवाद।

**श्री विश्व मोहन कुमार** (सुपौल): महोदय, आपने मुझे ज्वलंत समस्या पर बोलने का मौका दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल में जहां से चार लेन गुजरती है, जो एनएच 57 है, उसका नवीनीकरण किया जा रहा है। यह बहुत स्वागत योग्य है, किन्तु सिमराही बाजार जो बड़ा व्यावसायिक केन्द्र है और चारों तरफ से वहां सड़कें आती हैं, वहां निर्माण हो रहा है, वहां अप्रोच रोड तथा निकासी का सिस्टम नहीं दिया गया है, जिसके कारण बहुत परेशानी होती है। वर्षा में बाजार में पानी भरा रहता है। सड़क के चौड़ी करने हेतु जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया 2005 में शुरू की गई थी लेकिन वर्ष 2012 में अभी तक जिससे जमीन ली गई थी उसे पैसा नहीं दिया गया है। जमीन का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसलिए 2005 के दाम पर मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। फिलहाल जो जमीन अधिग्रहित की गई है, अब के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि नागरिक सुरक्षा को देखते हुए सिमराही बाजार एवं अन्य जगह पर एप्रोचेबल रोड एवं नाली का निर्माण कराया जाए। साथ ही साथ अब के दाम से अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिया जाए, एनएचआई को दिशानिर्देश दिया जाए कि इस पर बेहतर कार्रवाई की जाए। एनएच-57 के साइड में नाली निर्माण किया जाए क्योंकि यहां बराबर कोई न कोई एक्सीडेंट होता रहता है। मेरा आग्रह है कि इस पर कार्रवाई बरसात से पहले की जाए।

**श्री अर्जुन राम मेघवालः** महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं राजस्थान के संसदीय क्षेत्र बीकानेर से आता हूं। 17 फरवरी, 2012 को किशन लाल नामक युवक की पुलिस हिरासत में मौत हुई, ऐसा आरोप है। एससी, एसटी के लोगों पर जब अत्याचार और अनाचार होता है तो उसे रिलीफ देने का प्रावधान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किया है। 1995 में यह प्रावधान किया गया। इसके बाद जब एससी, एसटी पर एट्रोसिटीज की घटनाएं बढ़ीं तो इसी हाउस में दो दिन चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद भारत सरकार ने कुछ राशि बढ़ाई। 17 साल बाद राशि बढ़ाई गई। यह सरकार वैसे तो आम आदमी की बात कहती है लेकिन जब एससी, एसटी का इश्यू आता है तो

इसे आम आदमी नजर नहीं आता है। प्रावधान किया गया और 17 साल बाद दो लाख से पांच लाख राशि बढ़ाई गई। इसमें प्रावधान किया गया है कि पांच लाख राशि में से पोस्टमोर्टम रिपोर्ट पर 75 परसेंट राशि दे सकते हैं। मैं जिस केस के बारे में बता रहा हूं इसमें सिर्फ दो लाख रुपए राशि मानी गई। मैंने उनसे कहा यह सर्कुलर निकलते हैं, वे समय पर नहीं पहुंचते हैं। भारत सरकार जो राशि जारी करती है, वह भी समय पर नहीं पहुंचती है। दलितों पर अत्याचार और अनाचार की घटनाओं के लिए राशि समय पर मिलनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पांच लाख रुपए का प्रावधान किया गया है यह दस लाख रुपए होना चाहिए। यह अपनी फैमिली में अकेला अर्निंग मैम्बर था। आइटम नं. 20 में अर्निंग मैम्बर के लिए प्रावधान किया गया है कि अर्निंग मैम्बर आफ फैमिली की मृत्यु पर पांच लाख रुपए का प्रावधान है। मेरा कहना है कि अगर 60 साल का आदमी मरता है तो उसके लिए पांच लाख ठीक है, यह समझ में आता है लेकिन अगर 30 साल का आदमी मरता है तो उसके लिए पांच लाख रुपए राशि का प्रावधान कैसे कर सकते हैं? इसके लिए मिनिमम राशि दस लाख रुपए होनी चाहिए, फैमिली को पेंशन दी जानी चाहिए और फैमिली के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तुरंत मिलनी चाहिए। धन्यवाद।

*[अनुवाद]*

**श्री खगेन दास** (त्रिपुरा पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान 3 फरवरी, 2012 को गृह मंत्राल यद्वारा जारी राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (संगठन, कार्य, शक्तियां और कर्तव्य) आदेश, 2012, जिसमें राष्ट्रीय आतंकवाद केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है, की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य के विषय हैं, गृह मंत्रालय की यह कार्रवाई राज्यों के अधिकारों के अतिक्रमण के समान है। यह आश्चर्य की बात है कि यह आदेश राज्य सराकरों से कोई विचार-विमर्श किए बिना जारी किया गया है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि हम सब देश में आतंकवाद के संकट का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। समय की मांग है कि केन्द्र और राज्य आतंकवाद और अन्य विघटनकारी ताकतों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए मिलकर कार्य करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक पक्षीय आदेश उसी उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए यह जारी किया गया है।

हमारे देश का संघीय ढांचा भारत के संविधान की मूल विशेषता है और उसकी रक्षा करना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है किंतु, आखिरकार यह देखा जाता है कि संविधान के इस मूल ढांचे का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति रही है जो देश के लिए खतरनाक है।

अतः मैं भारत सरकार से तत्काल 'एनसीटीसी' आदेश वापस लेने और देश में आतंकवाद के संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करने के लिए सभी राज्य सरकारों के साथ व्यापक परामर्श की प्रक्रिया शुरू करने की मांग करता हूं।

धन्यवाद।

**उपाध्यक्ष महोदयः** अब, सभा कल, 14 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न 1100 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**सायं 07.41 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 14 मार्च, 2012/24 फाल्गुन, 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

# *अनुबंध I*

*तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | तारांकित प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1. | श्री ए.टी. नाना पाटील<br>श्री मनसुखभाई डी. वसावा | 1 |
| 2. | श्री एम.के. राघवन<br>डॉ. भोला सिंह | 2 |
| 3. | डॉ. ज्योति मिर्धा<br>श्री संजय भोई | 3 |
| 4. | श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो<br>श्रीमती ऊषा वर्मा | 4 |
| 5. | श्री नारनभाई कछाड़िया | |
| 6. | श्री सी. राजेन्द्रन<br>श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण | 6 |
| 7. | डॉ. क्रुपारानी किल्ली | 7 |
| 8. | श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी<br>श्री रूद्रमाधव राय | 8 |
| 9. | श्री एस. पक्कीरप्पा | 9 |
| 10. | श्री महेश्वर हजारी<br>श्री वीरेन्द्र कुमार | 10 |
| 11. | श्री नरहरि महतो | 11 |
| 12. | श्री आनंदराव अडसूल<br>श्री पन्ना लाल पुनिया | 12 |
| 13. | श्री संजय दिना पाटील | 13 |
| 14. | श्री महाबल मिश्रा<br>श्री नीरज शेखर | 14 |
| 15. | डॉ. मुरली मनोहर जोशी<br>श्री दिनेश चन्द्र यादव | 15 |
| 16. | श्री राजय्या सिरिसिल्ला | 16 |
| 17. | श्री रघुवीर सिंह मीणा<br>श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी | 17 |
| 18. | श्री हर्ष वर्धन | 18 |
| 19. | श्री नृपेन्द्र नाथ राय | 19 |
| 20. | श्री प्रदीप माझी<br>श्रीमती जयश्रीबेन पटेल | 20 |

*अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री अधलराव पाटील शिवाजी | 86, 98, 137, 192 |
| 2. | श्री आनंदराव अडसुल | 98, 137, 192 |
| 3. | श्री जय प्रकाश अग्रवाल | 54, 75, 91, 221 |
| 4. | श्री राजेन्द्र अग्रवाल | 50 |
| 5. | श्री हंसराज गं. अहीर | 13, 126, 141, 145, 222 |
| 6. | श्री नारायण सिंह अमलाबे | 29, 154, 211, 216, 225 |
| 7. | श्री अनंत कुमार हेगड़े | 72, 138, 152 |
| 8. | श्री सुरेश अंगड़ी | 33, 142, 175, 215झ |
| 9. | श्री जयवंत गंगाराम आवले | 106 |
| 10. | श्री कीर्ति आजाद | 143 |
| 11. | श्री गजानन ध. बाबर | 60, 86, 137, 192 |
| 12. | श्री रमेश बैस | 125, 130, 136 |
| 13. | श्री प्रताप सिंह बाजवा | 21, 131, 167, 215 |
| 14. | श्री अम्बिका बनर्जी | 54, 96 |
| 15. | श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया | 15, 126, 144, 148 |
| 16. | श्री अवतार सिंह भडाना | 133 |
| 17. | श्री सुदर्शन बगत | 75, 141, 148, 153 |
| 18. | श्री संजय भोई | 54, 146, 210 |
| 19. | श्री पी.के. बिजू | 5, 131 |
| 20. | श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी | 141 |
| 21. | श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला | 154 |
| 22. | श्री सी. शिवासामी | 43, 127, 129, 183, 197 |
| 23. | श्री पी.सी. चाको | 8, 127, 149, 159 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 24. | श्री हरीश चौधरी | 102, 199 |
| 25. | श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण | 2, 149, 178 |
| 26. | श्री हरिश्चंद्र चव्हाण | 20, 151, 166 |
| 27. | श्री भूदेव चौधरी | 64, 215 |
| 28. | श्रीमती श्रुति चौधरी | 45, 80, 148, 185, 211 |
| 29. | श्री अधीर चौधरी | 48, 133, 197 |
| 30. | श्री राम सुन्दर दास | 121, 155 |
| 31. | श्री रमेन डेका | 127 |
| 32. | श्रीमती रमा देवी | 62, 128, 136, 149 |
| 33. | श्री के.पी. धनपालन | 18, 151, 164 |
| 34. | श्री संजय धोत्रे | 69, 149, 219 |
| 35. | श्री आर. ध्रुवनारायण | 24, 129, 170, 224 |
| 36. | श्री चार्ल्स डिएस | 88 |
| 37. | श्री निशिकांत दुबे | 118, 138, 145, 212 |
| 38. | श्रीमती प्रिया दत्त | 144 |
| 39. | श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी | 36, 54 |
| 40. | श्री माणिकराव होडल्या गावित | 49, 129 |
| 41. | श्री शिवराम गौडा | 1, 156 |
| 42. | श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा | 60, 61, 127, 131 |
| 43. | श्री महेश्वर हजारी | 60, 147 |
| 44. | श्री सैयद शाहनवाज हुसैन | 15, 115, 138, 148 |
| 45. | श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव | 129, 134, 149, 198 |
| 46. | श्री गोरख प्रसाद जायसवाल | 32, 50, 62, 149, 150 |
| 47. | श्री बद्रीराम जाखड़ | 19, 165 |
| 48. | श्री हरिभाऊ जावले | 70, 74, 220 |
| 49. | श्री नवीन जिन्दल | 84 |
| 50. | श्री महेश जोशी | 27, 89, 153, 228 |
| 51. | डॉ. मुरली मनोहर जोशी | 129 |
| 52. | डॉ. ज्योति मिर्धा | 189 |
| 53. | श्री पी. करूणाकरन | 59, 87, 130 |
| 54. | श्री कपिल मुनि करवारिया | 117, 155 |
| 55. | श्री राम सिंह कस्वां | 59 |
| 56. | श्री लालचन्द कटारिया | 94 |
| 57. | श्री कौशलेन्द्र कुमार | 16, 127, 128, 129 |
| 58. | श्री चंद्रकांत खैरे | 67, 127, 143, 217 |
| 59. | डॉ. क्रुपारानी किल्ली | 124, 153, 177 |
| 60. | डॉ. किरोड़ी लाल मीणा | 58, 69, 201, 209 |
| 61. | श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे | 93, 153 |
| 62. | श्री विश्व मोहन कुमार | 120 |
| 63. | श्री पी. कुमार | 34, 131, 133, 176 |
| 64. | श्री यशवंत लागुरी | 50, 129, 138 |
| 65. | श्री पी. लिंगम | 74 |
| 66. | श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम | 22, 149, 151, 169, 221 |
| 67. | श्रीमती सुमित्रा महाजन | 131, 133 |
| 68. | श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो | 127, 128, 129, 190 |
| 69. | श्री नरहरि महतो | 136, 162 |
| 70. | श्री प्रदीप माझी | 104, 128, 188, 196 |
| 71. | श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार | 12, 130, 140, 200 |
| 72. | श्री मंगनी लाल मंडल | 69, 149, 219 |
| 73. | श्री जोस के. मणि | 68, 150, 218 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 74. | श्री हरि मांझी | 126 |
| 75. | श्री अर्जुन राम मेघवाल | 9, 88, 145, 148, 212 |
| 76. | श्री महाबल मिश्रा | 125, 194 |
| 77. | श्री सोमेन मित्रा | 150 |
| 78. | श्री पी.सी. मोहन | 154 |
| 79. | श्री गोपीनाथ मुंडे | 125, 130, 136, 138 |
| 80. | श्री विलास मुत्तेमवार | 65, 83, 220, 229 |
| 81. | श्री सुरेन्द्र सिंह नागर | 124, 138, 144, 145 |
| 82. | डॉ. संजीव गणेश नाईक | 148, 150 |
| 83. | श्री नामा नागेश्वर राव | 135 |
| 84. | श्री इंदर सिंह नामधारी | 108 |
| 85. | श्री जफर अली नकवी | 119, 131, 154 |
| 86. | श्री नारनभाई कछाड़िया | 55, 80, 130, 172 |
| 87. | कुमारी मीनाक्षी नटराजन | 105, 151 |
| 88. | श्री असादूद्दीन ओवेसी | 35, 131, 203, 214 |
| 89. | श्री जगदम्बिका पाल | 82, 227 |
| 90. | श्री वैजयंत पांडा | 56, 128, 131, 132, 207 |
| 91. | श्री प्रबोध पांडा | 130, 224 |
| 92. | कुमारी सरोज पांडा | 50, 92, 130, 151, 205 |
| 93. | श्री आनंद प्रकाश परांजपे | 54, 146, 210 |
| 94. | श्री देवजी एम. पटेल | 15, 54, 145 |
| 95. | श्रीमती जयश्रीबेन पटेल | 130, 135, 136, 145 |
| 96. | श्री बाल कुमार पटेल | 79 |
| 97. | श्री किसनभाई वी. पटेल | 104, 128, 188, 196 |
| 98. | श्री हरिन पाठक | 66 |
| 99. | श्री संजय दिना पाटील | 193 |
| 100. | श्री ए.टी. नाना पाटील | 125, 126, 127, 145 |
| 101. | श्री सी.आर. पाटिल | 54, 100, 133, 220 |
| 102. | श्रीमती कमला देवी पटले | 6, 73, 125, 158 |
| 103. | श्री पोन्नम प्रभाकर | 38, 130, 179 |
| 104. | श्री नित्यानंद प्रधान | 56, 131, 132, 207 |
| 105. | श्री पन्ना लाल पुनिया | 125, 131, 163 |
| 106. | श्री विट्ठलभाई हंसराज रादड़िया | 2 |
| 107. | श्री एम.के. राघवन | 188 |
| 108. | श्री सी. राजेन्द्रन | 131, 132, 133 |
| 109. | श्री एम.बी. राजेश | 11, 204 |
| 110. | प्रो. रामशंकर | 67, 109, 188 |
| 111. | श्री रामकिशुन | 16, 127, 128, 129 |
| 112. | श्री निलेश नारायण राणे | 30, 166, 174 |
| 113. | श्री रायापति सांबासिवा राव | 17, 161, 220 |
| 114. | श्री जे.एम. आरुन रशीद | 133 |
| 115. | श्री रामसिंह राठवा | 42, 54, 80, 230 |
| 116. | डॉ. रत्ना डे | 99 |
| 117. | श्री अशोक कुमार रावत | 4 |
| 118. | श्री अर्जुन राय | 74, 138, 152 |
| 119. | श्री रुद्रमाधव राय | 224 |
| 120. | श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी | 101 |
| 121. | श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी | 57, 74, 128 |
| 122. | श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी | 134, 135, 191 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 123. | श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी | 10, 129, 160 |
| 124. | श्री नृपेन्द्र नाथ राय | 136, 162 |
| 125. | श्री एस. अलागिरी | 49, 128, 138, 139, 199 |
| 126. | श्री एस. सेम्मलई | 31, 151 |
| 127. | श्री एस. पक्कीरप्पा | 125, 168, 221 |
| 128. | श्री एस.एस. रामासुब्बू | 14, 127, 143, 161, 194 |
| 129. | श्री ए. सम्पत | 53, 205 |
| 130. | श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना | 54, 188 |
| 131. | श्रीमती सुशीला सरोज | 60, 147 |
| 132. | श्री तूफानी सरोज | 116 |
| 133. | श्री तथागत सत्पथी | 26 |
| 134. | श्री हमदुल्लाह सईद | 103, 134, 197 |
| 135. | श्रीमती जे. शांता | 25, 138, 139, 173, 197 |
| 136. | श्री जगदीश शर्मा | 65, 216 |
| 137. | श्री नीरज शेखर | 127, 137, 141, 203 |
| 138. | श्री सुरेश कुमार शेटकर | 23, 171 |
| 139. | श्री एंटो एंटोनी | 107 |
| 140. | श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला | 55, 135, 145, 206 |
| 141. | श्री जी.एम. सिद्देश्वर | 39, 131, 134, 148, 180 |
| 142. | डॉ. भोला सिंह | 74, 127, 138, 222 |
| 143. | श्री भूपेन्द्र सिंह | 40, 148, 181 |
| 144. | श्री गणेश सिंह | 97, 211, 229 |
| 145. | श्री इज्यराज सिंह | 7, 139, 223 |
| 146. | श्री जगदानंद सिंह | 60, 90 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 147. | श्रीमती मीना सिंह | 113, 127, 194, 224 |
| 148. | श्री राधा मोहन सिंह | 64, 78, 197, 224 |
| 149. | डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह | 60, 129, 147, 211 |
| 150. | श्री राकेश सिंह | 71 |
| 151. | श्री यशवीर सिंह | 127, 137, 141, 142, 143 |
| 152. | चौधरी लाल सिंह | 81 |
| 153. | श्री रेवती रमण सिंह | 73 |
| 154. | श्री राधे मोहन सिंह | 112 |
| 155. | श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह | 72, 129 |
| 156. | राजकुमारी रत्ना सिंह | 102, 139, 208 |
| 157. | श्री उदय प्रताप सिंह | 94, 144 |
| 158. | डॉ. संजय सिंह | 32, 208 |
| 159. | श्री राजय्या सिरिसिल्ला | 220 |
| 160. | डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी | 3, 157, 220 |
| 161. | श्री के. सुगुमार | 37, 130, 179 |
| 162. | श्रीमती सुप्रिया सुले | 111, 148, 150 |
| 163. | श्री कोडिकुन्नील सुरेश | 61, 95, 127, 131, 138 |
| 164. | डॉ. राजन सुशान्त | 28, 64 |
| 165. | श्री एन. चेलुवरया स्वामी | 46, 125, 186, 220, 224 |
| 166. | श्री मानिक टैगोर | 41, 150, 182 |
| 167. | श्रीमती अन्नू टन्डन | 52, 132, 202 |
| 168. | श्री सुरेश काशीनाथ तवारे | 60, 122, 147 |
| 169. | श्री मनीष तिवारी | 77 |
| 170. | श्री जगदीश ठाकोर | 152 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 171. | श्री अनुराग सिंह ठाकुर | 80, 226 |
| 172. | श्री आर. थामराईसेलवन | 47, 187, 224 |
| 173. | डॉ. एम. तम्बिदुरई | 60, 76, 130 201, 221 |
| 174. | श्री पी.टी. थॉमस | 51, 201 |
| 175. | श्री मनोहर तिरकी | 140 |
| 176. | श्री भीष्ण शंकर उर्फ कुशल तिवारी | 89, 138 |
| 177. | श्री नरेन्द्र सिंह तोमर | 44, 124, 131, 184, 197 |
| 178. | श्री लक्ष्मण टुडु | 123, 129 |
| 179. | श्री शिवकुमार उदासी | 85 |
| 180. | श्री हर्ष वर्धन | 195 |
| 181. | श्री मनसुखभाई डी. वसावा | 134, 136, 198 |
| 182. | डॉ. पी. वेणुगोपाल | 78, 114, 125 |
| 183. | श्री सज्जन वर्मा | 125, 155 |
| 184. | श्रीमती ऊषा वर्मा | 60, 147 |
| 185. | श्री पी. विश्वनाथन | 110 |
| 186. | श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे | 63, 127, 134, 213 |
| 187. | श्री अंजनकुमार एम. यादव | 7, 49, 129, 153, 223 |
| 188. | श्री धर्मेन्द्र यादव | 60, 86, 137, 192 |
| 189. | श्री दिनेश चन्द्र यादव | 74 |
| 190. | योगी आदित्यनाथ | 67, 151. |

# *अनुबंध II*

*तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका*

| | | |
|---|---|---|
| कृषि | : | 1, 3, 7, 11, 16 |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण | : | 5, 8, 12, 15, 20 |
| संस्कृति | : | 9, 19 |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास | : | |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | : | |
| गृह | : | 4, 10, 14, 17 |
| आवास और शहरी गरीबी उपशमन | : | 2 |
| सूचना और प्रसारण | : | 13 |
| शहरी विकास | : | 6 |
| युवा कार्यक्रम और खेल | : | 18. |

*अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका*

| | | |
|---|---|---|
| कृषि | : | 1, 3, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 28, 30, 37, 41, 45, 51, 52, 57, 59, 60, 70, 71, 75, 86, 93, 97, 98, 101, 102, 107, 112, 113, 114, 119, 121, 123, 124, 125, 130, 139, 144, 145, 153, 154, 157, 159, 162, 168, 171, 177, 178, 179, 180, 195, 196, 198, 202, 204, 205, 211, 216, 218, 219, 224, 226 |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण | : | 8, 34, 43, 66, 67, 74, 79, 82, 83, 109, 117, 120, 122, 129, 131, 132, 138, 142, 147, 149, 152, 158, 165, 167, 181, 185, 189, 220, 228, 230 |
| संस्कृति | : | 2, 4, 5, 18, 27, 53, 76, 96, 99, 105, 110, 140, 146 |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास | : | |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | : | 89, 92, 106, 108, 151, 212, 213 |
| गृह | : | 13, 26, 29, 31, 35, 36, 38, 39, 40, 56, 58, 61, 62, 65, 68, 69, 77, 78, 84, 85, 90, 91, 94, 104, 115, 116, 127, 128, 133, 134, 136, 137, 141, 143, 156, 161, 163, 164, 172, 173, 174, 176, 183, 192, 197, 200, 201, 203, 206, 210, 214, 217, 221, 222, 229 |
| आवास और शहरी गरीबी उपशमन | : | 24, 32, 47, 54, 63, 80, 87, 88, 135, 150, 166, 184, 186, 207, 223, 227 |
| सूचना और प्रसारण | : | 10, 20, 22, 25, 42, 46, 48, 50, 72, 95, 100, 126, 160, 199, 209, 225 |
| शहरी विकास | : | 21, 33, 44, 49, 103, 111, 118, 148, 169, 170, 182, 187, 190, 191, 193, 194, 208, 215 |
| युवा कार्यक्रम और खेल | : | 7, 14, 15, 55, 64, 73, 81, 155, 175, 188. |

## इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

## लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

## लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/23/2/2012 (एन०)
230

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. अनुपम आर्ट प्रिन्टर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।